

मय तर्जुमा व तफसीर 814 से 1654 हिन्दी

सहीह बुखारी

(2)

लेखक

हज़रत मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.)

अनुवादक

हज़रत मौलाना दाऊद राज़ (रह.) उर्दू

सलीम खिलजी हिन्दी

प्रकाशक

शोबा नशरो इशाअत

जमीअत अहले हदीस जोधपुर राजस्थान



<http://salfibooks.blogspot.com>

vol - 2

हदीस नं. 814 से 1654

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَحِيحُ بَخَارِي

सहीह बुखारी

मय तर्जुमा व तफ्सीर

जिल्द दोम (दूसरी)

मुरत्तिब

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस सैयदुल फ़ुक़हा हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह

मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.)

उर्दू तर्जुमा व तशरीह

हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)

हिन्दी तर्जुमा

सलीम ख़िलजी



प्रकाशक : शो'बा नश्रो इशाअत

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

<http://salfibooks.blogspot.com>

© सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित

अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज (रह.) के खलीफ़ा नज़ीर अहमद बिन मुहम्मद दाऊद राज ने सहीह बुखारी की उर्दू शरह के हिन्दी अनुवाद सम्बंधित समस्त अधिकार जमीयत अहले हदीष जोधपुर (प्रकाशक) के नाम कर दिये हैं। इस किताब में प्रकाशित सामग्री के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/समूह/प्रकाशन आदि इस पुस्तक की आंशिक अथवा पूरी सामग्री किसी भी रूप में मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

| | |
|------------------------------|---|
| नाम किताब | : सहीह बुखारी (हिन्दी तर्जुमा व तफ़्सीर) |
| मुरत्तिब (अरबी) | : अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (रह.) |
| उर्दू तर्जुमा व शरह | : अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज (रह.) |
| हिन्दी तर्जुमा व नज़रे-घरानी | : सलीम ख़िलजी |
| तस्हीह (Proof Checking) | : जमशेद आलम सलफ़ी |

| | |
|-----------------------------|---|
| कम्प्यूटराइजेशन, डिज़ाइनिंग | : खलीज मीडिया, जोधपुर (राज.) |
| एवं लेज़र टाइपसेटिंग | : khaleejmedia78@yahoo.in #91-98293-46786 |
| हिन्दी टाइपिंग | : मुहम्मद अकबर |
| ले-आउट व कवर डिज़ाइन | : मुहम्मद निसार ख़िलजी, बिलाल ख़िलजी |
| मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव | : फ़ैसल मोदी |

| | | |
|------------|-----------------|--|
| ता'दाद पेज | (जिल्द-2) | : 640 पेज |
| प्रकाशन | (प्रथम संस्करण) | : शाबान 1432 हिजरी (जुलाई 2011 ईस्वी) |
| ता'दाद | (प्रथम संस्करण) | : 2400 |
| क़ीमत | (जिल्द-2) | : ₹ 450/- |
| प्रिण्टिंग | | : अनमोल प्रिण्ट्स, जोधपुर (0291-2742426) |
| प्रकाशक | | : जमीयत अहले हदीष जोधपुर (राज.) |

मिलने के पते

मुहम्मदी एण्टरप्राइजेज़

तेलियों की मस्जिद के पीछे, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर-1

(फ़ोन): 99296-77000, 92521-83249,

93523-63678, 90241-30861

अल किताब इण्टरनेशनल

जामिया नगर, नई दिल्ली-25

(फ़ोन): 011-6986973

93125-08762

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | |
|---|----|
| नमाज़ में कपड़ों में गिरह लगाना | 21 |
| नमाज़ी बालों को न समेटे | 21 |
| नमाज़ में कपड़ा न समेटना चाहिए | 22 |
| सज्दे में तस्बीह और दुआ करना | 22 |
| दोनों सज्दों के दरम्यान ठहरना | 23 |
| नमाज़ी सज्दे में अपने बाजू न बिछाए | 25 |
| नमाज़ की त्राक़ रकअत में थोड़ी देर बैठें | 25 |
| रकअत से उठते वक़्त ज़मीन का सहारा लेना | 26 |
| जब दो रकअत पढ़कर उठें तो तक्बीर कहें | 26 |
| → तशहहुद में बैठने का मसनून तरीक़ा | 27 |
| जो तशहहुदे-अव्वल को वाजिब न जाने | 29 |
| पहले क़अदह में तशहहुद पढ़ना | 30 |
| आख़िरी क़अदह में तशहहुद पढ़ना | 31 |
| सलाम फेरने से पहले की दुआओं का बयान | 32 |
| तशहहुद के बाद की दुआओं का बयान | 33 |
| अगर नमाज़ में पेशानी या नाक पर मिट्टी लग जाए.. | 34 |
| सलाम फेरने का तरीक़ा | 34 |
| इमाम के बाद मुक़तदी का सलाम फेरना | 35 |
| इमाम को सलाम करने की ज़रूरत नहीं | 35 |
| नमाज़ के बाद ज़िक़े-इलाही करना | 38 |
| इमाम सलाम फेरने के बाद लोगों की तरफ़ मुंह कर ले | 39 |
| सलाम के बाद इमाम उसी जगह नफ़्ल पढ़ सकता है | 40 |
| अगर इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाकर | 42 |
| नमाज़ पढ़ाकर दाएँ या बाएँ दोनों तरफ़ | 42 |
| लहसुन, प्याज़ वगैरह के मुता'ल्लिक़ अह्लादीष | 43 |
| बच्चों के लिए वुजू और गुस्त | 45 |
| औरतों का रात और सुबह के वक़्त मसाजिद में आना | 49 |

| | |
|--|----|
| लोगों का नमाज़ के बाद इमाम के उठने का इंतज़ार करना | 51 |
| औरतों का मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ना | 53 |
| सुबह की नमाज़ के बाद औरतों का जल्दी जाना | 53 |
| औरत मस्जिद में जाने के लिए ख़ाविन्द से इजाज़त ले | 54 |

किताबुल जुम्अ:

| | |
|--|----|
| जुम्अ: की नमाज़ फ़र्ज़ है | 61 |
| जुम्अ: के दिन नहाने की फ़ज़ीलत | 61 |
| जुम्अ: के दिन खुशबू लगाना | 63 |
| जुम्अ: की नमाज़ के लिए बालों में तेल लगाना | 65 |
| जुम्अ: के दिन उम्दा कपड़े पहनना | 66 |
| जुम्अ: के दिन मिस्वाक करना | 64 |
| दूसरे की मिस्वाक इस्ते'माल करना | 67 |
| जुम्अ: के दिन नमाज़े-फ़ज़्र में कौनसी सूत पढ़ें | 69 |
| गाँव और शहर दोनों जगह जुम्अ: दुरुस्त है | 70 |
| जिन के लिए नमाज़े-जुम्अ: माफ़ है | 78 |
| अगर बारिश हो रही हो तो नमाज़े-जुम्अ: वाजिब नहीं | 81 |
| जुम्अ: के लिए कितनी दूर वालों को आना चाहिए | 81 |
| जुम्अ: का वक़्त कब शुरू होगा | 83 |
| जुम्अ: जब सख़्त गर्मी में आ पड़े | 85 |
| जुम्अ: की नमाज़ के लिए चलने का बयान | 85 |
| नमाज़े-जुम्अ: के दिन जहाँ दो आदमी बैठे हों | 87 |
| किसी मुसलमान भाई को उसकी जगह से... | 88 |
| जुम्अ: के दिन अज़ान का बयान | 89 |
| इमाम मिम्बर पर बैठे-बैठे अज़ान का जवाब दे | 89 |
| जुम्अ: की अज़ान ख़त्म होने तक इमाम मिम्बर पर रहे | 90 |
| जुम्अ: की अज़ान खुत्बे के वक़्त देना | 91 |
| खुत्बा मिम्बर पर पढ़ना | 92 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | |
|--|-------|
| खुत्बा खड़े होकर पढ़ना | 93 |
| इमाम जब खुत्बा दे तो लोग इमाम की तरफ़ रुख करें | 94 |
| खुत्बे में हम्दो-घना के बाद अम्मःबा'द कहना | 94 |
| जुम्अः के दिन दोनों खुत्बों के बीच बैठना | 99 |
| खुत्बा कान लगाकर सुनना | 99 |
| इमाम खुत्बा की हालत में किसी शख्स को | 100 |
| दौराने-खुत्बा दो रकअत पढ़ना | 101 |
| खुत्बे में दोनों हाथ उठाकर दुआ करना | 103 |
| जुम्अः के खुत्बे में बारिश की दुआ करना | 4 103 |
| जुम्अः के वक़्त चुप रहना | 105 |
| जुम्अः के दिन कुबूलियते-दुआ की साअत | 105 |
| अगर जुम्अः की नमाज़ में कुछ लोग चले जाएं | 106 |
| जुम्अः के पहले और बाद की सुन्नतों का बयान | 107 |
| सूरह जुम्अः में फ़र्माने-बारी का बयान | 107 |
| जुम्अः की नमाज़ के बाद सोना | 108 |

किताब सलालुल-ख़ौफ़

| | |
|---|-----|
| ख़ौफ़ की नमाज़ पैदल और सवार होकर पढ़ना | 112 |
| नमाज़े-ख़ौफ़ में नमाज़ी एक-दूसरे की | 113 |
| जब फ़तह के इम्कानात शुरू हो | 113 |
| जो दुश्मन के पीछे लगा हो या दुश्मन के पीछे हो... | 115 |
| हमला करने से पहले सुबह की नमाज़ अन्धेरे में | 116 |

किताबुल-ईदैन

| | |
|--|-----|
| दोनों ईदों का बयान और उनमें ज़ैबो-ज़ीनत करना | 120 |
| ईद के दिन बरछों और भालों से खेलना | 121 |
| ईद के दिन पहली सुन्नत क्या है? | 122 |
| ईदुल-फ़ितर में नमाज़ से पहले खाना | 124 |
| ईदुल अज़हा के दिन खाना | 124 |

| | |
|---|-----|
| ईदगाह में मिम्बर न ले जाना | 126 |
| नमाज़े-ईद खुत्बे से पहले अज़ान और इक़ामत के बग़ैर | 127 |
| ईद में नमाज़ के बाद खुत्बा पढ़ना | 128 |
| ईद के दिन और हरम के अन्दर हथियार बाँधना महरूह है | 130 |
| ईद की नमाज़ के लिए सवेरे जाना | 131 |
| अय्यामे-तशरीक़ में अमल की फ़ज़ीलत का बयान | 132 |
| तकबीर मिना के दिनों में... | 133 |
| बरछी का सुतरा बनाना | 134 |
| इमाम के आगे ईद के दिन नेज़ा लेकर चलना | 135 |
| औरतों का ईदगाह में जाना | 135 |
| बच्चों का ईद के खुत्बे में शिरकत करना | 137 |
| इमाम खुत्ब-ए-ईद में लोगों की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो | 137 |
| ईदगाह में निशान लगाना | 138 |
| ईद के दिन औरतों को नसीहत करना | 138 |
| ईद के दिन अगर किसी औरत के पास दुपट्टा न हो | 140 |
| हाइज़ा औरतें नमाज़ से अलग रहें | 141 |
| ईदगाह में नहर और जिब्ह करना | 142 |
| ईद के खुत्बे में इमाम का बातें करना | 142 |
| ईदगाह में आने व जाने के रास्ते अलग-अलग हो | 144 |
| अगर किसी को जमाअत से ईद की नमाज़ न मिले | 144 |
| ईदगाह में नमाज़ से पहले नफ़्ल पढ़ना | 145 |

किताबुल वित्र

| | |
|--|-----|
| वित्र का बयान | 147 |
| वित्र के अवक़ात का बयान | 150 |
| एक रकअत वित्र पढ़ने का बयान | 151 |
| वित्र के लिए घरवालों को जगाना | 152 |
| वित्र की नमाज़ रात को तमाम नमाज़ों के बाद पढ़ी जाए | 152 |
| वित्र सवारी पर पढ़ना | 152 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

| मज़ामून | सफ़ा नं. | मज़ामून | सफ़ा नं. |
|---|----------|---|----------|
| नमाज़े-वित्र सफ़र में पढ़ना | 153 | पुरवाई के ज़रिये मेरी मदद की गई | 176 |
| कुनूत रकूअ से पहले और रकूअ के बाद | 153 | ज़लज़ला और क़यामत की निशानियाँ | 177 |
| किताबुल इस्तिस्काअ | | आयते-शरीफ़ा 'वतज़अलून रिज़क़कुम' की तफ़्सीर | 178 |
| पानी की नमाज़ के लिए जंगल में निकलना | 157 | अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं मालूम | |
| कुरैश के काफ़िरोँ पर बद-दुआ करना | 157 | कि बारिश कब होगी | 179 |
| क़हत्त के वक़्त लोग इमाम से पानी की दुआ | | किताबुल कुसूफ़ | |
| का कह सकते हैं | 159 | सूरज ग्रहण की नमाज़ का बयान | 182 |
| इस्तिस्काअ में चादर उलटना | 161 | सूरज ग्रहण में स़दका-ख़ैरात करना | 185 |
| अल्लाह क़हत्त भेज कर इन्तिक़ाम लेता है | 161 | ग्रहण में नमाज़ के लिए पुकारना | 186 |
| जामा-मस्जिद में बारिश की दुआ करना | 162 | ग्रहण की नमाज़ में इमाम का खुत्बा पढ़ना | 187 |
| मिम्बर पर पानी के लिए दुआ करना | 164 | सूरज का कुसूफ़ और खुसूफ़ दोनों कह सकते हैं | 188 |
| पानी की दुआ करने में नमाज़े-जुम्अ: को काफ़ी समझना | 165 | अल्लाह अपने बन्दों को ग्रहण से डराता है | 189 |
| जब बारिश की क़षरत से रास्ते बन्द हो जाएँ | 165 | सूरज ग्रहण में अज़ाबे-क़स्र से पनाह माँगना | 190 |
| जब नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद में पानी की दुआ की.... | 166 | ग्रहण की नमाज़ में लम्बा सज़्दा करना | 191 |
| इमाम से दुआ-ए-इस्तिस्काअ की दरख़्वास्त | 166 | सूरज ग्रहण की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना | 192 |
| क़हत्त में मुशिकीन दुआ की दरख़्वास्त करें तो.... | 167 | सूरज ग्रहण में औरतों का मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ना | 194 |
| जब बारिश हद से ज़्यादा हो..... | 169 | सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करना | 195 |
| इस्तिस्काअ में खड़े होकर खुत्बे में दुआ माँगना | 169 | कुसूफ़ की नमाज़ मस्जिद में पढ़नी चाहिए | 195 |
| नमाज़े-इस्तिस्काअ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना | 170 | सूरज ग्रहण किसी के पैदा होने या मरने से नहीं होता | 197 |
| इस्तिस्काअ में नबी (ﷺ) ने लोगों की तरफ़..... | 170 | सूरज ग्रहण में अल्लाह को याद करना | 198 |
| नमाज़े-इस्तिस्काअ दो रक़अत हैं | 171 | सूरज ग्रहण में दुआ करना | 199 |
| ईदगाह में बारिश की दुआ करना | 172 | ग्रहण के खुत्बे में इमाम का अम्म: बअद कहना | 199 |
| इस्तिस्काअ में क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना | 172 | चाँद ग्रहण की नमाज़ पढ़ना | 200 |
| इमाम के साथ लोगों का भी हाथ उठाना | 173 | जब इमाम ग्रहण की नमाज़ में पहली रक़अत लम्बी कर दे | 201 |
| इमाम का इस्तिस्काअ में दुआ के लिए हाथ उठाना | 173 | ग्रहण की नमाज़ में पहली रक़अत का लम्बा करना | 201 |
| बारिश बरसते वक़्त क्या कहें | 174 | ग्रहण की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना | 201 |
| उस शख़्स के बारे में जो बारिश में खड़ा रहा.... | 175 | | |
| जब हवा चलती | 176 | | |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

किताब सुजूदुल कुर्आन

| | |
|---|-----|
| सज्द-ए-तिलावत और उसके सुन्नत होने का बयान | 204 |
| अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील में सज्दा करना | 205 |
| सूरह सौद में सज्दा करना | 206 |
| सूरह नज्म में सज्दे का बयान | 206 |
| मुसलमानों का मुश्रिकों के साथ सज्दा करना | 207 |
| सज्दा की आयत पढ़कर सज्दा करना | 208 |
| सूरह इज़स्समाउन शक्कत में सज्दा करना | 208 |
| सुनने वाला उसी वक़्त सज्दा करे..... | 209 |
| इमाम जब सज्दा की आयत पढ़े... | 209 |
| अल्लाह ने सज्द-ए-तिलावत को वाजिब नहीं किया | 210 |
| जिसने नमाज़ में आयते-सज्दा तिलावत की..... | 211 |
| जो शख़्स हुजूम की वजह से सज्द-ए-तिलावत की जगह न पाए | 211 |

किताब तक्रमीरुस्सलात

| | |
|--|-----|
| नमाज़ में क़स्र करने का बयान..... | 212 |
| मिना में नमाज़ क़स्र करना | 215 |
| 4 इज्ज के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) ने कितना क़याम किया था | 216 |
| नमाज़ कितनी मुसाफ़त में क़स्र करनी चाहिए | 217 |
| जब आदमी सफ़र की निव्यत से अपनी बस्ती से.... | 218 |
| मरिब की नमाज़ सफ़र में भी तीन रक़अत है | 220 |
| नफ़ल नमाज़ सवारी पर, अगरचे सवारी का रुख किसी तरफ़ हो | 221 |
| सवारी पर इशारे से नमाज़ पढ़ना | 222 |
| नमाज़ी फ़र्ज नमाज़ के लिए सवारी से उतर जाए | 222 |
| नफ़ल नमाज़ गधे पर बैठे हुए अदा करना | 224 |
| सफ़र में जिसने सुन्नतों को नहीं पढ़ा | 225 |

| | |
|---|-----|
| सफ़र में नमाज़े-फ़ज़्र की सुन्नतों का पढ़ना | 226 |
| सफ़र में मरिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ना | 227 |
| जब मरिब और इशा मिलाकर पढ़े तो... | 230 |
| मुसाफ़िर जब सूरज ढलने से पहले कूच करे... | 231 |
| सफ़र अगर सूरज ढलने के बाद..... | 231 |
| नमाज़ बैठकर पढ़ने का बयान | 232 |
| बैठकर इशारों से नमाज़ पढ़ना | 233 |
| जब बैठकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त न हो | 234 |
| अगर किसी शख़्स ने बैठकर नमाज़ शुरू की..... | 234 |

किताबुत् तहज्जुद

| | |
|---|-----|
| रात में तहज्जुद पढ़ना | 234 |
| रात की नमाज़ की फ़ज़ीलत का बयान | 237 |
| रात की नमाज़ों में लम्बे सज्दे करना | 238 |
| मरीज़ बीमारी में तहज्जुद तर्क कर सकता है | 240 |
| रात की नमाज़ और नवाफ़िल पढ़ने की रग़बत | 240 |
| आँहज़रत (ﷺ) और रात की नमाज़ | 243 |
| जो शख़्स सेहरी के वक़्त सो गया | 243 |
| सहरी के बाद नमाज़े-फ़ज़्र पढ़ने तक न सोना | 245 |
| रात के क़याम में नमाज़ को लम्बा करना | 246 |
| नमाज़े-नबवी रात वाली कैसी थी? | 246 |
| आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ रात में..... | 247 |
| जब आदमी रात में नमाज़ न पढ़े तो शैतान का गुद्दी पर गिरह लगाना | 249 |
| जो शख़्स सोता रहे और सुबह की नमाज़ न पढ़े | 250 |
| आखिर रात में दुआ और नमाज़ का बयान | 250 |
| जो शख़्स रात में शुरू में सो जाए और अख़ीर में जागे | 252 |
| नबी करीम (ﷺ) का रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में..... | 253 |
| दिन में और रात में बावुजू रहने की फ़ज़ीलत | 258 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

| मज़मून | सफ़ा नं. | मज़मून | सफ़ा नं. |
|--|----------|---|----------|
| इबादत में बहुत सख्ती उठाना मकरूह है | 258 | नमाज़ में बात करना मना है | 290 |
| जो शख्स रात को इबादत किया करता था, फिर तर्क कर दिया | 259 | नमाज़ में मर्दों का सुब्हानल्लाह और अलहम्दुलिल्लाह कहना | 291 |
| जिस शख्स की रात को आँख खुले फिर वो नमाज़ पढ़े फ़ज़्र की सुन्नतों को हमेशा पढ़ना | 261 | नमाज़ में नाम लेकर दुआ या बद-दुआ करना औरतों के लिए सिर्फ़ ताली बजाना | 292 |
| फ़ज़्र की सुन्नत पढ़कर दाईं करवट पर लेट जाना | 264 | जो शख्स नमाज़ में उल्टे पाँव सरक जाए | 293 |
| फ़ज़्र की सुन्नत पढ़कर बातें करना और न लेटना | 265 | अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और उसकी माँ उसको बुलाए | 294 |
| नफ़्ल नमाज़ें दो-दो रकअत करके पढ़ना | 265 | नमाज़ में कंकरियाँ हटाना | 295 |
| फ़ज़्र की सुन्नतों के बाद बातें करना | 269 | नमाज़ में सज्दे के लिए कपड़ा बिछाना | 295 |
| फ़ज़्र की सुन्नतों को लाज़िम कर लेना | 269 | नमाज़ में कौन-कौन से काम दुरुस्त हैं | 296 |
| फ़ज़्र की सुन्नतों में किरअत कैसी करें? | 270 | अगर आदमी नमाज़ में हो और उसका जानवर भाग पड़े... | 297 |
| फ़ज़्रों के बाद सुन्नतों का बयान | 271 | अगर कोई मर्द मसलाने जानने की वजह से | 299 |
| जिस ने फ़ज़्र के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी | 271 | नमाज़ी से अगर कोई कहे कि आगे बढ़ जा... | 300 |
| सफ़र में चाशत की नमाज़ पढ़ना | 272 | नमाज़ में सलाम का जवाब ना देना | 300 |
| चाशत की नमाज़ पढ़ना और उसको ज़रूरी न जानना | 273 | नमाज़ में अगर कोई हादसा पेश आए तो | 5 |
| चाशत की नमाज़ अपने शहर में पढ़ें | 274 | हाथ उठाकर दुआ करना | 301 |
| जुहर से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ना | 275 | नमाज़ में कमर पर हाथ रखना कैसा है? | 303 |
| मग्निब से पहले सुन्नत पढ़ना | 276 | आदमी नमाज़ में किसी बात का फ़िक्र करे ... | 303 |
| नफ़्ल नमाज़ें जमाअत से पढ़ना | 277 | सज्द-ए-सह्व का बयान | 306 |
| घर में नफ़्ल पढ़ना | 280 | अगर चार रकअत नमाज़ में पहला क़अदह न करे... | 306 |
| मक्का और मदीना में नमाज़ की फ़ज़ीलत | 281 | अगर किसी ने पाँच रकअत नमाज़ पढ़ ली | 307 |
| मस्जिदे-कुबा की फ़ज़ीलत | 285 | अगर कोई दो या तीन रकअत के बाद सलाम फेर ले | 308 |
| मस्जिदे-कुबा में हर हफ़्ते हाजिरी | 286 | सह्व के सज्दों के बाद फिर तशहहूद न पढ़ें.... | 308 |
| मस्जिदे-कुबा में सवार और पैदल आना | 286 | सह्व के सज्दों में तकबीर कहना | 309 |
| आँहज़रत (ﷺ) की क़न्न और मिम्बर के दरम्यानी हिस्से की फ़ज़ीलत | 286 | अगर नमाज़ी को ये याद न रहे कि तीन रकअत पढ़ी है... | 310 |
| मस्जिदे बैतुल-मक्दि़स का बयान | 287 | सज्द-ए-सह्व फ़ज़्र और नफ़्ल दोनों ही नमाज़ों में करना चाहिए | 311 |
| नमाज़ में हाथ से नमाज़ का कोई काम न करना | 288 | अगर नमाज़ी से कोई बात करे और वो सुनकर.... | 312 |
| | | नमाज़ में इशारा करना | 313 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

किताबुल जनाइज़

| | |
|--|-----|
| जनाज़ों के बाब में अह्दादीषे-वारिदह | 317 |
| जनाज़े में शरीक होने का हुक्म | 318 |
| मय्यित को जब कफ़न में लपेटा जा चुका हो.. | 319 |
| आदमी खुद मौत की ख़बर मय्यित के वारिषों को सुना सकता है | 323 |
| जनाज़ा तैयार हो तो लोगों को ख़बर कर देना | 324 |
| उस शख्स की फ़ज़ीलत जिसकी औलाद मर जाए... | 325 |
| किसी मर्द का किसी औरत से यह कहना कि सब्र कर | 327 |
| मय्यित को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना | 327 |
| मय्यित को ताक़ मर्तबा गुस्ल देना मुस्तहब है | 328 |
| गुस्ले - मय्यित दाईं तरफ़ से शुरू किया जाए.... | 329 |
| पहले मय्यित के अज़ा-ए-वुजू को धोना चाहिए | 329 |
| क्या औरत को मर्द के इज़ार का कफ़न दिया जा सकता है? | 330 |
| गुस्ल के आख़िर में काफ़ूर का इस्तेमाल किया जाए | 330 |
| मय्यित औरत हो तो उसके सर के बाल खोलना | 331 |
| मय्यित पर कपड़ा क्योंकर लपेटा जाए | 331 |
| औरत के बाल तीन लटों में कर दिए जाएँ.... | 332 |
| कफ़न के लिए सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं | 333 |
| दो कपड़ों में कफ़न देना | 334 |
| मय्यित को खुशबू लगाना | 334 |
| महरम को क्योंकर कफ़न दिया जाए | 335 |
| क़मीज़ में कफ़न देना... | 335 |
| बग़ैर क़मीज़ के कफ़न देना | 337 |
| अमामे के बग़ैर कफ़न देना | 337 |
| माल में से पहले कफ़न की तैयारी करना | 338 |
| अगर मय्यित के पास एक ही कपड़ा निकले | 339 |
| जब कफ़न का कपड़ा छोटा हो | 339 |

5

| | |
|---|-----|
| जिन्होंने अपना कफ़न खुद तैयार रखा हो... | 340 |
| औरतों का जनाज़े के साथ जाना | 341 |
| औरत का अपने ख़ाविन्द के सिवा और किसी पर | |
| सोग करना कैसा है? | 341 |
| क़ब्रों की ज़ियारत करना | 343 |
| मय्यित पर उसके घरवालों के रोने से अज़ाब होता है | 344 |
| मय्यित पर नोहा करना मकरूह है | 350 |
| रोने की मुमानअत का बयान | 352 |
| ग़िरेबान चाक करने वाले हम में से नहीं है | 352 |
| सअद बिन ख़ौला की वफ़ात | 352 |
| ग़मी के वक़्त सर मुण्डवाने की मुमानअत | 354 |
| रुख़सार पीटनेवाले हम में से नहीं | 355 |
| वावेला करने की मुमानअत | 355 |
| जो शख्स मुसीबत के वक़्त ग़मगीन दिखाई दे | 356 |
| जो शख्स (सब्र करते हुए) अपना रंज ज़ाहिर न करे | 357 |
| सब्र वो है जो मुसीबत आते ही किया जाए | 359 |
| फ़रज़न्दे-रसूल (ﷺ) की वफ़ात और आप (ﷺ) | |
| का इज़हार-ग़म | 359 |
| मरीज़ के पास रोना कैसा है? | 360 |
| किसी भी तरह के नोहा से मना करना चाहिए | 361 |
| जनाज़ा देखकर खड़े हो जाना | 364 |
| अगर कोई जनाज़ा देखकर खड़ा हो जाए | |
| तो उसे कब बैठना चाहिए? | 364 |
| जो शख्स जनाज़े के साथ हो..... | 365 |
| यहूदी का जनाज़ा देखकर खड़े होना | 366 |
| मर्द ही जनाज़े को उठाए | 367 |
| जनाज़े को जल्दी ले चलना | 368 |
| नेक मय्यित का कहना मुझे जल्दी ले चलो | 368 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | |
|---|-----|
| जनाज़े की नमाज़ में दो या तीन सफ़े करना | |
| जनाज़े की नमाज़ में सफ़े बाँधना | 369 |
| जनाज़े की नमाज़ में बच्चे भी मर्दों के बराबर खड़े हों | 371 |
| जनाज़े पर नमाज़ का मशरूअ होना | 371 |
| जनाज़े के साथ जाने की फ़ज़ीलत | 373 |
| जो शख्स दफ़न होने तक ठहरा रहे | 374 |
| बच्चों का भी नमाज़े जनाज़ा में शरीक होना | 374 |
| नमाज़े-जनाज़ा ईदगाह में और मस्जिद में जायज़ है | 375 |
| क़ब्रों पर मस्जिद बनाना मकरूह है | 377 |
| निफ़ास वाली औरत पर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ना | 380 |
| औरत और मर्द की नमाज़े-जनाज़ा में कहाँ खड़े हो | 380 |
| नमाज़े-जनाज़ा में चार तकबीरें कहना | 381 |
| नमाज़े-जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है | 381 |
| मुर्दे को दफ़न करने के बाद क़ब्र पर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ना | 385 |
| मुर्दा लौटकर जाने वालों की जूतों की आवाज़ सुनता है | 386 |
| जो शख्स अर्जे-मुकद्दस या ऐसी ही किसी बरकत वाली... | 387 |
| रात में दफ़न करना कैसा है? | 388 |
| क़ब्र पर मस्जिद ता' मीर करना कैसा है? | 388 |
| औरत की क़ब्र में कौन उतरे | 389 |
| शहीद की नमाज़े-जनाज़ा | 390 |
| दो या तीन आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न करना | 391 |
| शहीदों का गुस्ल नहीं | 392 |
| बग़ली क़ब्रों में कौन आगे रखा जाए | 392 |
| इज़र और सूखी घास क़ब्रों में बिछाना | 393 |
| क्या मथ्यित को किसी ख़ास वजह से क़ब्र | |
| से निकाला जा सकता है? | 394 |
| बग़ली या सन्दूकी क़ब्र बनाना | 396 |
| एक बच्चा इस्लाम लाया फिर उसका इन्तेक़ाल हो गया... | 396 |

| | |
|---|-----|
| जब एक मुश्रिक मरते वक़्त कलिम-ए-तय्यबा पढ़ ले | 400 |
| क़ब्र पर खजूर की डालियाँ लगाना | 402 |
| क़ब्रों के पास आलिम का बैठना और | |
| लोगों को नसीहत करना | 403 |
| जो शख्स खुदकशी करे, उसकी सज़ा | 405 |
| मुनाफ़िकों पर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ना | 406 |
| लोगों की ज़बान पर मथ्यित की तारीफ़ हो तो बेहतर है | 408 |
| अज़ाबे-क़ब्र का बयान | 409 |
| क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगना | 412 |
| शीबत और पेशाब की आलूदगी से क़ब्र का अज़ाब होना | 417 |
| मुर्दे को दोनों वक़्त सुबह और शाम उसका | |
| ठिकाना दिखाया जाता है | 418 |
| मथ्यित का चारपाई पर बात करना | 419 |
| मुसलमानों की नाबालिग़ औलाद कहाँ रहेगी | 419 |
| मुश्रिकीन की नाबालिग़ औलाद कहाँ रहेगी | 422 |
| पीर के दिन मरने की फ़ज़ीलत | 428 |
| नागहानी मौत का बयान | 429 |
| रसूले-करीम (ﷺ) और सहाबा की क़ब्रों का बयान | 430 |
| मुर्दों को बुरा कहने की मुमानअत | 435 |
| बुरे मुर्दे की बुराई बयान करना दुरुस्त है | 436 |

किताबुज़्ज़कात

| | |
|---|-----|
| ज़कात के मसाइल का बयान | 437 |
| ज़कात देने पर बैअत करना | 443 |
| ज़कात न अदा करने वाले का गुनाह | 444 |
| जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो ख़ज़ाना नहीं है | 446 |
| अल्लाह की राह में माल खर्च करने की फ़ज़ीलत | 451 |
| सदक़े में रियाकारी करना | 451 |
| चोरी के माल से ख़ैरात कुबूल नहीं | 452 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| हलाल कमाई में से ख़ैरात कुबूल होती है | 452 | ऊँटों की ज़कात का बयान | 484 |
| जब कोई स़दके लेने वाला न रहेगा | 453 | जिसके पास इतने ऊँट हो कि ज़कात में ... | 485 |
| जहन्नम की आग से बचो, ख़्वाह ख़जूर स़दका करो | 456 | बकरियों की ज़कात का बयान | 486 |
| तन्दुरुस्ती में स़दका देने की फ़ज़ीलत | 457 | ज़कात में ऐबदार जानवर न ले जाए | 487 |
| सबके सामने स़दका करना जायज़ है | 461 | बकरी का बच्चा ज़कात में लेना | 488 |
| छुपकर ख़ैरात करना अफ़ज़ल है | 461 | ज़कात में माल छॉट कर न लिया जाए | 489 |
| ला-इल्मी में किसी मालदार को स़दका दे दिया | 462 | पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है | 489 |
| अगर बाप नावाक़िफ़ी की वजह से अपने बेटे | | गाय-बैल की ज़कात का बयान | 491 |
| को ख़ैरात दे दे | 463 | अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना | 492 |
| ख़ैरात दाहिने हाथ से देना बेहतर है | 464 | घोड़ों की ज़कात ज़रूरी नहीं है | 494 |
| जिसने अपने ख़िदमतगार को स़दका देने का | 465 | लौण्डी-गुलामों में ज़कात नहीं | 495 |
| स़दका वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी.... | 466 | यतीमों पर स़दका करना बहुत बड़ा ष़्वाब है | 496 |
| एहसान जताने की मज़म्मत | 469 | औरत का अपने शौहर या यतीम बच्चों को ज़कात देना | 497 |
| ख़ैरात में जल्दी करना बेहतर है | 469 | ज़कात के कुछ मस़ारिफ़ का बयान | 499 |
| लोगों को स़दके की तरगीब दिलाना | 469 | सवाल से बचने का बयान | 502 |
| जहाँ तक हो सके ख़ैरात करना | 471 | सूरह वज़्ज़ारियात की एक आयत की तशरीह | 505 |
| स़दका-ख़ैरात से गुनाह माफ़ होते हैं | 471 | अगर कोई शख़्स अपनी दौलत..... | 505 |
| जिसने हालते-कुफ़्र व शिर्क में स़दका दिया | 472 | सूरह बक्ररह की एक आयते-शरीफ़ा का बयान | 507 |
| स़दके में ख़ादिम व नौकर का ष़्वाब | 473 | ख़जूर के दरख़्तों पर अन्दाज़ा कर लेना दुरुस्त है | 510 |
| औरत का ष़्वाब जब वो अपने शौहर की चीज़ में से.... | 474 | पैदावार से दसवें हिस्से की तफ़्सील | 513 |
| सूरह वल्लैल की एक आयते-मुबारका | 475 | पाँच वस्क़ से कम में ज़कात नहीं | 514 |
| स़दका देने वाले और बख़ील की मि़साल | 476 | ख़जूर के फल तोड़ने के वक़्त ज़कात ली जाए | 514 |
| मेहनत और सौदागिरी के माल में से ख़ैरात करना... | 477 | जो शख़्स अपना मेवे या ख़जूर का दरख़्त बेच डाले | 515 |
| हर मुसलमान पर स़दका करना ज़रूरी है | 478 | अपने स़दके की चीज़ को वापस ख़रीदना | 516 |
| ज़कात या स़दके में कितना माल देना दुरुस्त है | 479 | रसूले-करीम (ﷺ) और आपकी औलाद पर | |
| ज़कात में दीगर अस्बाब का लेना | 480 | स़दका का हराम होना | 517 |
| ज़कात लेते वक़्त जो माल जुदा-जुदा हो | 483 | जब स़दका मुहताज की मिल्क हो जाए | 519 |
| अगर दो आदमी साझी हो तो ज़कात | 483 | मालदारों से ज़कात वसूली जाए और.... | 520 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| इमाम की तरफ़ से ज़कात देने वाले के हक़ में | 521 | जुलहुलैफ़ा में एहराम बाँधते वक़्त नमाज़ पढ़ना | 548 |
| जो माल समन्दर से निकाला जाए | 522 | नबी करीम (ﷺ) का शजरह पर से गुजर कर चलना | 549 |
| रिकाज़ में पाँचवा हिस्सा वाजिब है | 523 | वादी-ए-अत्तीक़ मुबारक वादी है | 549 |
| तहज़ीलदारों को भी ज़कात से दिया जाएगा | 526 | अगर कपड़ों पर ख़लूक लगी हो तो उसको धोना | 550 |
| ज़कात के ऊँटों को दाग़ लगाना | 527 | एहराम बाँधते वक़्त खुशबू लगाना | 552 |
| सदक़-ए-फ़ितर का फ़र्ज़ होना | 527 | बालों को जमा कर एहराम बाँधना | 553 |
| सदक़-ए-फ़ितर का लौण्डी-गुलामों पर भी फ़र्ज़ होना | 529 | मस्जिदे जुलहुलैफ़ा के पास एहराम बाँधना | 553 |
| सदक़-ए-फ़ितर में एक साअ जौ देना | 530 | महरम को कौनसे कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं | 554 |
| गेंहूँ वगैरह भी एक साअ है | 530 | हज्ज के लिए सवारी का बयान | 555 |
| ख़जूर भी एक साअ निकाली जाए | 531 | महरम के लिए चादर तहबन्द वगैरह | 555 |
| मुनक्का भी एक साअ दिया जाए | 531 | जुलहुलैफ़ा में सुबह तक ठहरना | 557 |
| सदक़-ए-फ़ितर नमाज़े-ईद से पहले अदा करना | 531 | लब्बैक बुलन्द आवाज़ से कहना | 557 |
| सदक़-ए-फ़ितर आज़ाद और गुलाम पर | 532 | लब्बैक से पहले तस्बीह, तहमीद व तकबीर | 559 |
| सदक़-ए-फ़ितर बड़ों और छोटों पर | 533 | जब सवारी खड़ी हो उस वक़्त लब्बैक पुकारना | 559 |
| किताबुल हज्ज | | किब्ला रुख़ होकर लब्बैक पुकारना | 560 |
| हज्ज और उमरह के मसाइल का बयान | 534 | नाले में उतरते वक़्त लब्बैक कहना | 561 |
| सूरह हज्ज की एक आयत की तफ़सीर | 538 | हैज़ व निफ़ास वाली औरतों का एहराम | 562 |
| पालान पर सवार होकर हज्ज करना | 540 | एहराम में आँहज़रत (ﷺ) जैसी निय्यत करना | 563 |
| हज्जे-मबरूर की फ़ज़ीलत | 542 | सूरह बक़र की एक आयत की तफ़सीर | 565 |
| हज्ज और उमरह की मीक़ात का बयान | 543 | हज्जे-तमत्तोअ, क़िरान और इफ़राद का बयान | 568 |
| सबसे बेहतर ज़ादे-राह तक़वा है | 544 | लब्बैक में हज्ज का नाम लेना | 575 |
| मक्का वाले हज्ज का एहराम कहाँ से बाँधे | 545 | नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में तमत्तोअ का जारी होना | 575 |
| मदीना वालों का मीक़ात | 545 | तमत्तोअ या कुर्बानी का हुक़म उन लोगों के लिए... | 576 |
| शाम वालों का मीक़ात | 546 | मक्का में दाख़िल होते वक़्त गुस्ल करना | 577 |
| नज्द वालों का मीक़ात | 546 | मक्का में रात और दिन में दाख़िल होना | 578 |
| जो लोग मीक़ात के उधर रहते हों..... | 547 | मक्का में किधर से दाख़िल हों? | 578 |
| यमन वालों का मीक़ात | 547 | मक्का से जाते वक़्त किधर से जाएँ? | 579 |
| इराक़ वालों का मीक़ात | 548 | फ़ज़ाइले-मक्का और का'बा की ता'मीर | 581 |

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| हरम की ज़मीन की फ़ज़ीलत | 590 | उस शख़्स के बारे में जिसने तवाफ़ की | 615 |
| मक्का शरीफ़ के घर-मकान मीराज़ हो सकते हैं | 591 | जिसने मक़ामे-इब्राहीम के पीछे तवाफ़ | |
| नबी करीम (ﷺ) मक्का में कहाँ उतरे थे? | 592 | की दो रक़अतें पढ़ी | 616 |
| सूरह इब्राहीम की एक आयत | 594 | सुबह और अस्त्र के बाद तवाफ़ करना | 616 |
| सूरह माइदा की एक आयत | 594 | मरीज़ आदमी सवार होकर तवाफ़ कर सकता है | 617 |
| का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना | 596 | हज़ायों को पानी पिलाना | 618 |
| का'बा के गिराने का बयान | 597 | ज़मज़म का बयान | 619 |
| हज़रे-अस्वद का बयान | 599 | क़िरान करने वाला एक तवाफ़ करे या दो करे... | 621 |
| का'बा का दरवाज़ा अन्दर से बन्द कर लेना और उसके.... | 602 | कअबा का तवाफ़ वुजू करने के बाद करना | 623 |
| का'बा के अन्दर नमाज़ पढ़ना | 602 | सफ़ा व मरवा की सई वाजिब है | 625 |
| जो का'बा में दाख़िल न हो! | 603 | सफ़ा और मरवा के दरम्यान किस तरह दौड़ें | 627 |
| जिसने का'बा के चारों कोनों में तकबीर कही | 603 | हैज़ वाली औरत तवाफ़ के सिवा तमाम | |
| रमल की इब्तिदा कैसे हुई? | 604 | अरकान बजा लाए | 634 |
| जब कोई मक्का में आए तो पहले हज़रे-अस्वद को.... | 604 | जो शख़्स मक्का में रहता हो... | 637 |
| हज़ज और उमरह में रमल करने का बयान | 605 | आठवीं ज़िलहिज्जा को नमाज़े-जुहर कहाँ पढ़ी जाए | 639 |
| हज़रे-अस्वद को छड़ी से छूना और चूमना | 606 | | |
| दोनों अरकाने-यमानी का इस्तलाम | 607 | | |
| हज़रे-अस्वद को बोसा देना | 607 | | |
| हज़रे-अस्वद के सामने पहुँचकर उसकी तरफ़ इशारा करना | 608 | | |
| हज़रे-अस्वद के सामने आकर तकबीर कहना | 608 | | |
| जो शख़्स मक्का आए तो अपने घर.... | 609 | | |
| औरतें भी मर्दों के साथ तवाफ़ करें | 610 | | |
| तवाफ़ में बातें करना | 612 | | |
| तवाफ़ में किसी को बंधा देखे.... | 612 | | |
| बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई नंगा होकर न करे.... | 612 | | |
| तवाफ़ करते हुए दरम्यान में ठहर जाए | 613 | | |
| तवाफ़ के सात चक्करों के बाद दो रक़अत पढ़ना | 613 | | |
| जो शख़्स पहले तवाफ़ के बाद..... | 614 | | |

फ़ेहरिस्त तशीहे-मज़ामीन

मज़मून

सफ़ा नं.

मज़मून

सफ़ा नं.

| | | | |
|--|----|--|-----|
| इस्लाम के इब्तिदाई दौर का आगाज़ | 21 | नमाज़े-जुम्अ शहर और गाँव दोनों जगह दुरुस्त है | 72 |
| जल्सा-ए-इस्तिराहत सुन्नत है | 24 | कर्या की सहीह ता'रीफ़ | 73 |
| इमाम शौकानी का एक इशदि-गिरामी | 25 | ता'दाद के मुता'ल्लिक अहले-ज़ाहिर का फ़त्वा | 74 |
| हनफ़िय्या का एक कर्यासे-फ़ासिद बमुकाबिले-नस | 26 | मुता'ल्लिके जुम्अ: चन्द आषार.... | 75 |
| हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की एक वसिय्यत | 27 | वजहे-तस्मिया बाबत जुम्अ: | 79 |
| क़अदह का मसनून तरीका | 29 | गुस्ले-जुम्अ: मुस्तहब है | 82 |
| शिक़ की बुराई का बयान | 32 | जुम्अ: का वक़्त ज़वाल के बाद शुरू होता है | 84 |
| बहुत से मक़ासिद पर मुश्तमिल एक पाकीज़ा दुआ | 34 | इमाम बुखारी और रिवायते-हदीष | 87 |
| एक मुतजिमे-बुखारी का इश़ाद पर तज़ाद | 39 | आदाबे-जुम्अ: का बयान | 88 |
| मुआनिदीने-इस्लाम पर एक फटकार का बयान | 42 | अज़ाने-उम्मानी का बयान | 91 |
| मुस्तहब काम को वाजिब करना शैतान की तरफ़ से है | 43 | मिम्बरे-नबवी का बयान | 93 |
| बेजा राय-ए-क़यास से काम लेना.... | 46 | एक मोअज़ज़ा-ए-नबवी का बयान | 93 |
| अम्बिया का ख़्वाब भी वह्य के हुक़म में है | 47 | ख़ुत्व-ए-जुम्अ: सामेईन की मादरी ज़बान में | 94 |
| एक हदीष के तर्जुमे में तहरीफ़ | 49 | मस्जिदे-नबवी में आखिरी ख़ुत्व-ए-नबवी | 99 |
| ये ईमान है या कुफ़ कि पैग़म्बर का फ़र्मूदा.... | 52 | ख़ुसूसी वसिय्यते-नबवी अन्सार के मुता'ल्लिक.... | 100 |
| इमाम बुखारी मुज्तहिदे-मुत्लक़ | 54 | ख़ुत्बा सुनने के आदाब | 100 |
| मसाजिद में नमाज़ के लिए औरतों का आना | 55 | बहालते-ख़ुत्व-ए-जुम्अ: दो रक़अत | |
| हालात हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) | 55 | तहिय्यतुल-मस्जिद | 101 |
| हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हालात | 58 | हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) का फैसला | 102 |
| फ़ज़ाइले-यौमुल जुम्अ: | 60 | दुआ-ए-इस्तिस्काअ का बयान | 104 |
| हरम शरीफ़ में क़अब बिन लोय का वज़अ | 60 | जुम्अ: में साअते-कुबूलियत | 105 |
| मुर्ग़ व अण्डे की कुर्बानी मजाज़न है | 64 | शाने-सह्राबा के मुता'ल्लिक एक ए'तिराज़ | 106 |
| नाकिदीने-बुखारी शरीफ़ के लिए एक तंबीह | 65 | क़नाअते-सह्राबा का बयान | 108 |
| एक सह्राबी ताजिरे-पारचट का बयान | 66 | नमाज़े-जुम्अ: का वक़्त ज़वाल के बाद ही है | 109 |
| दस उमूरे-फ़ितरत का बयान | 68 | ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान | 109 |
| जुम्अ: के दिन नमाज़े-फ़ज़्र में सूरह सज्दा और सूरह दहर | 70 | नमाज़े-ख़ौफ़ मसनून नहीं | 110 |

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मजामीन

| मजाभून | सफ़ानं | मजाभून | सफ़ानं |
|--|--------|--|--------|
| गज़्वा-ए-ज़ातुरिकाअ का बयान | 112 | इस्तिस्काअ की तशरीह | 156 |
| रेल-मोटर बगैरह में नमाज़ के मुता'ल्लिक | 113 | कुफ़ारे-कुरेश के लिए बद-दुआ | 159 |
| जंगे-तसतर का बयान | 114 | मुदों को वसीला बनाकर दुआ जायज़ नहीं | 160 |
| सहबाबा (रज़ि.) के एक इज्तिहाद का बयान | 116 | इस्तिस्काअ में हज़रत अब्बास (रज़ि.) की दुआ | 161 |
| सलातुल-खौफ़ की मज़ीद तफ़्सीलात | 117 | फ़ारूके-आज़म इन्तिकाल के वक़्त | 164 |
| ईद की वजहे-तस्मिया | 118 | मायूसकुन मौक़ों पर बद-दुआ.... | 168 |
| तकबीराते-ईदैन का बयान | 119 | नमाज़े-इस्तिस्काअ और इमाम अबू हनीफ़ा | 171 |
| मुग़ल शहज़ादों का एक इशारा | 121 | दुआओं में हाथ उठाने का बयान | 174 |
| यौमे-बआष का बयान | 123 | नज्द से मुता'ल्लिक मज़ीद तशरीह | 178 |
| खुराफ़ाते-सूफ़िया की तदीद | 123 | ग़ैब की कुन्जियों का बयान | 180 |
| मुसन्ना की तहक़ीक़ | 125 | इन्तिहाई नामुनासिब बात | 181 |
| हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) और | | उल्म-ए-हैय्यत का ख़याल-इल्मे यक़ीनी..... | 184 |
| मरवान का वाक़िआ | 127 | सिफ़ाते-इलाहिया को बगैर तावील के तस्लीम | |
| आजकल खुत्बा-ए-जुम्अ: से पहले एक और इज़ाफ़ा | 127 | करना चाहिए | 186 |
| हज़्जाज बिन यूसुफ़ के एक और जुल्म का बयान | 130 | इमाम-मुज्ताहिद से भी ग़लती हो सकती है | 188 |
| ज़िलहिज्जा के दस दिनों में तकबीर कहना | 133 | ग्रहण वक़ते-मुकररह पर होता है | 190 |
| लफ़्जे-मिना की तहक़ीक़ | 134 | अज़ाबे-क़न्न की तशरीह | 191 |
| ईदैन की नमाज़ जंगल में | 135 | अहनाफ़ की एक क़ाबिले-तहसीन बात | 192 |
| औरतों का ईदगाह में जाना | 136 | क़न्न का अज़ाब व प्रवाब बरहक़ है | 196 |
| ख़तीबतुन्निसाअ का ज़िक़र करना | 140 | मालूमाते-साइन्सी सब कुदरत की निशानियाँ हैं | 198 |
| तरीगे-दुआ | 141 | एक क़यासी फ़त्वे की तरदीद | 200 |
| कुर्बानी शआइरे-इस्लाम में से है | 142 | हन्फ़िया चाँद ग्रहण में नमाज़ के कायल नहीं | 201 |
| ईदैन में रास्ता बदलने की हिक़मत | 144 | हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर चूक गए | 202 |
| ईदगाह में और कोई नमाज़े-नफ़ल | 146 | नमाज़े-कुसूफ़ में क़िराते ज़हरी सुन्नत है | 203 |
| वित्र एक मुस्तक़िल नमाज़ है | 147 | दुआ-ए-सज्द-ए-तिलावत का बयान | 204 |
| हुज़ूर (ﷺ) ने खुद वित्र एक रक़अत पढ़ी | 148 | जुम्अ: के रोज़ नमाज़े-फ़ज़्र की मख़सूस सूरते | 205 |
| अहनाफ़ के दलाइल | 151 | सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं | 204 |
| सत्तर क़ारी जो शहीद हो गए थे | 155 | क़स्र की तशरीह | 212 |
| कुनूत की सहीह दुआएँ | 155 | हज़रत उम्मान ने क्यों इतमाम किया | 212 |

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

| मज़मून | सफ़ा नं. | मज़मून | सफ़ा नं. |
|--|----------|---|----------|
| क़स्र की मुद्दत | 217 | नज़्मो-नफ़्र में सीरते-नबवी का बयान जायज़ है | 262 |
| हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़ालिम की शिकायत | | तदीदे महफ़िले-मीलादे मुर्व्वजा | 262 |
| खलीफ़ा के सामने | 224 | लैलतुल-क़द्र सिर्फ़ माहे-रमज़ान में होती है | 263 |
| किसी बुजुर्ग के इस्तक़बाल के लिए चलकर जाना | 225 | सुन्नते-फ़ज़्र के बाद लेटने के बारे में एक तब्सरा | 264 |
| सफ़र में सुन्नत न पढ़ना भी सुन्नते-नबवी है | 226 | हदीषे-इस्तिख़ारा मसनूना | 247 |
| अहले-हदीष का अमल सुन्नते-नबवी के मुताबिक़ है | 226 | नमाज़े-चाश्त के बारे में एक ततबीक़ | 273 |
| सफ़र में सुन्नतों पर इमाम अहमद (रह.) का फ़त्वा | 227 | जमाअते-मरिब से पहले दो रक़अत नफ़ल | 276 |
| जमा-तक़दीम और जमा-ताख़ीर का बयान | 228 | फ़तहे-कुस्तुन्तुनिया 10 हिजरी में | 279 |
| नमाज़ बैठकर पढ़ना | 233 | शेख़ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की एक शिकायत | 279 |
| लफ़्जे-तहज़ुद की तशरीह | 237 | मस्जिदे-अक़सा की वजहे-तस्मिया | 281 |
| हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के एक | | हदीष ला तुशदुरिहाल पर एक तब्सरा | 282 |
| जवाब का बयान | 238 | अहले-बिदअत को हौज़े-कौफ़र से दूर कर दिया जाएगा | 287 |
| हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा की नस्तीहत | 238 | हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्क़द (रज़ि.) के कुछ ह़ालात | 290 |
| सुन्नते-फ़ज़्र के बाद लेटने का बयान | 239 | अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्य का बयान | 292 |
| सुन्नते-फ़ज़्र के बाद लेटने की दुआ | 239 | अत्तहिय्यातु लिल्लाहि की वज़ाहत | 292 |
| शाने-नुज़ूल सूरह वज़ुहा | 240 | औरतों का नमाज़ में ताली बजाना | 293 |
| तक़दीर का सहीह मतलब क्या है? | 241 | जुरैज और उसकी माँ का वाक़िआ | 295 |
| तरावीह का मसनून अदद ग्यारह रक़आत हैं | 243 | शैतान का हज़रत उमर (रज़ि.) से डरना | 297 |
| मुर्ग़ को बुरा मत कहो वो नमाज़ के लिए जगाता है | 244 | ख़वारिज का बयान | 298 |
| फ़ज़्र की नमाज़ अन्धेरे में शुरू करना | 245 | कोख पर हाथ रखने की मुमानअत में हिक़मत | 303 |
| वित्र एक रक़अत पढ़ना भी सहीह है | 247 | हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और कफ़रते-अह्लादीष | 305 |
| नबी करीम (ﷺ) की रात की इबादत | 249 | सज्द-ए-सह्व के बाद तशहहूद नहीं है | 306 |
| ग़ाफ़िल आदमी के कान में शैतान का पेशाब करना | 250 | ख़िलाफ़ते-सिद्दीकी हक़ बजानिब थी | 314 |
| अल्लाह का अर्श पर मुस्तवी होना बरहक़ है | 251 | नमाज़े-जनाज़ा 1 हिजरी में मशरूअ हुई | 316 |
| सात कुर्आनी आयात से इस्तवा-अलल अर्श | | मरने वाले के लिए तल्कीन का मतलब | 317 |
| का घुबूत | 251 | सात हिदायाते-नबवी का बयान | 319 |
| ग्यारह रक़आत तरावीह पर तफ़सीली तब्सरा | 253 | हूकूके-मुस्लिम बर मुस्लिम पाँच हैं | 319 |
| फ़ज़ीलते-बिलाल (रज़ि.) | 258 | खुत्ब-ए-सिद्दीकी वफ़ाते-नबवी पर | 321 |
| रात के वक़्त बेदारी की दुआ | 261 | मुवाख़ाते-अन्सार व मुहाजिरीन | 322 |

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

| मज़मून | सफ़ा नं. | मज़मून | सफ़ा नं. |
|---|----------|--|----------|
| एक बातिल ए' तिराज का जवाब | 322 | नमाज़े - जनाज़ा भी एक नमाज़ है | 372 |
| जनाज़ा ग़ायबाना जुम्हूर का मस्लक है | 323 | तकबीराते - जनाज़ा दर रफउल्यदैन का बयान | 372 |
| नाबालिग़ औलाद के मरने पर अज़्जे - अज़्जीम | 326 | लफ़्जे - क़ीरात शरई इस्तिलाह में | 374 |
| मोमिन मरने से नापाक नहीं हो जाता | 328 | इस्लामी अदालत में किसी ग़ैर - मुस्लिम का मुकद्दमा | 377 |
| बिदआते - मुर्व्वजा की तर्दीद | 333 | क़न्नपरस्ती की मज़म्मत पर एक मक़ाला | 378 |
| मुह्रिम मर जाए तो उसका एहराम बाक़ी रहेगा | 334 | नमाज़े - जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है | 382 |
| अब्दुल्लाह बिन उबय मशहूर मुनाफ़िक़ का बयान | 336 | इस बारे में उलमा - ए - अहनाफ़ का फ़त्वा | 383 |
| हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) का एक इब्रतअंगेज़ बयान | 337 | क़न्न के सवालात और उनके जवाबात | 387 |
| मुस्अब बिन उमैर (रज़ि.) का बयान | 338 | क़न्न पर मस्जिद ता' मीर करना मअ तफ़्सीलात | 389 |
| औरतों के लिए जनाज़े के साथ जाना जायज़ नहीं | 341 | एक इन्तिहाई लगव व ग़लत तसव्वुर | 390 |
| अल्लामा ऐनी (रह.) का एक इब्रतअंगेज़ बयान | 344 | हुमते - मक्का मुकर्रमा | 394 |
| मौजूदा ज़माने में बिदआते - ज़ियारत का बयान | 344 | छह माह बाद एक लाश क़न्न से निकाली गई | 395 |
| नोहा की वजह से मय्यत को अज़ाब होगा या नहीं | 346 | द्वीप बाबत इब्ने सय्याद | 398 |
| शाने - इष्मानी का बयान | 348 | एक यहूदी बच्चे का कुबूले - इस्लाम | 400 |
| नोहा जो हराम है, उसकी ता' रीफ़ | 349 | अबू तालिब की वफ़ात का बयान | 401 |
| इस्लामी खानदानी - निज़ाम के सुनहरे उसूल | 353 | क़न्न पर खजूर की डालियाँ लगाना | 403 |
| हुज़ूर (ﷺ) की एक पेशगोई जो हर्फ़ - ब - हर्फ़ पूरी हुई | 354 | अज़ाबे - क़न्न बरहक़ है | 403 |
| ज़मान - ए - नबवी के कुछ शुहदाए - किराम | 357 | क़न्निस्तान में भी ग़फ़लत शिआरी | 404 |
| अबू तलहा (रज़ि.) और उनकी बीवी उम्मे सुलैम (रज़ि.) | 358 | क़न्निस्तान में एक खुत्व - ए - नबवी | 404 |
| और उनके बच्चे का इन्तिक़ाल करना | 358 | खुदकशी संगीन जुर्म है | 405 |
| मुसीबत के वक़्त सन्न की फ़ज़ीलत | 359 | मुनाफ़िक़ों की नमाज़े - जनाज़ा | 407 |
| फ़रज़न्दे - रसूल (ﷺ) का इन्तिक़ाल | 360 | मय्यत की नेकियों का ज़िक़े - ख़ैर करना | 409 |
| हज़रत सअद बिन उबादा अन्सारी (रज़ि.) का इन्तक़ाल | 361 | अज़ाबे - क़न्न का तफ़्सीली बयान | 413 |
| हज़रत ज़ैद बिन हारिषा (रज़ि.) के कुछ हालात | 362 | चुग़ली और ग़ीबत और पेशाब में बेएहतियाती | 417 |
| हज़रत जा'फ़र तैयार (रज़ि.) के कुछ हालात | 363 | क़न्नों में मुर्दे को उसका आख़िरी ठिकाना दिखाया जाना | 418 |
| बैअते बमअना हलफ़नामा | 364 | मुसलमान बच्चे जन्मती हैं | 420 |
| जनाज़े में शिरकत करने वाले कब बैठें | 366 | मुश्रिकीन की नाबालिग़ औलाद के बारे में | 422 |
| यहूदियों के लिए भी किसी क़दर रहमत व शफ़क़त थी | 366 | इमाम बुखारी (रह.) तवक्कुफ़ को तरजीह देते हैं | 423 |
| नमाज़े - जनाज़ा ग़ायबाना की मज़ीद तफ़्सीलात | 370 | एक इश्क़ाल का जवाब | 423 |

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

| मज़मून | सफ़ा नं. | मज़मून | सफ़ा नं. |
|--|----------|--|----------|
| एक इबरतअंगेज़ ख़्वाबे-रसूल (ﷺ) | 424 | एक इशादे-नबवी | 467 |
| हज़रत सिद्दीके-अकबर (रज़ि.) का आख़िरी वक़्त | 428 | हलाल रोज़ी के लिए तर्गीब | 468 |
| मरने के बाद सालेहीन के पड़ोस की तमन्ना करना | 428 | तअज़ीले-ज़कात के मुता'ल्लिक़ | 469 |
| नागहानी मौत से कोई ज़रर नहीं | 430 | औरतों को एक ख़ास हिदायते-नबवी | 473 |
| वफ़ाते-नबवी (ﷺ) का बयान | 430 | एक हदीष मुख्तलिफ़ तरीक़ों से | 474 |
| ख़िलाफ़ते-वलीद बिन अब्दुल मलिक का एक वाकिआ | 431 | एक बख़ील और मुतसद्दिक् की मिषाल | 477 |
| अपनी क़न्न के बारे में हज़रत आइशा रज़ि. की वसिय्यत | 432 | चाँदी वग़ैरह के निज़ाब के मुता'ल्लिक़ | |
| हज़रत फ़ारूके-आज़म के आख़िरी लम्हात | 434 | एक अहम बयान | 480 |
| कुछ हालात फ़ारूके-आज़म (रज़ि.) | 434 | ज़ेवर की ज़कात के बारे में | 481 |
| आज की नामो-निहाद जम्हूरियत के लिए एक सबक़ | 435 | वाकिआ हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) की एक वज़ाहत | 482 |
| शाने-नुज़ूल सूरह तब्बत यदा अबी लहब.... | 436 | मुसलमानाने-हिन्द के लिए एक सबक़-आमोज़ हदीष | 485 |
| तफ़्सीलात तक्सीमे-ज़कात | 437 | ज़कात के मुता'ल्लिक़ एक तफ़्सीली मक्तूबे-गिरामी | 486 |
| अहले-हदीषों पर एक इल्ज़ाम और उसका जवाब | 441 | उन्हीं के फ़क़ीरों में ज़कात तक्सीम करने का मतलब | 489 |
| मुर्तदीन पर जिहादे-सिद्दीके-अकबर (रज़ि.) | 443 | शर्त वुजूबे-अशर | 490 |
| लफ़्जे कन्ज़ की तफ़्सीर | 444 | अराज़ी हिन्द के बारे में एक तफ़्सील | 491 |
| औक़िया, साअ, मुद वग़ैरह की तफ़्सीर | 447 | गाय-बैल की ज़कात से मुता'ल्लिक़ | 492 |
| हालाते-हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) | 448 | मुहताज रिश्तेदारों को ज़कात देना | 492 |
| फ़वाइद अज़ हदीषे अबूज़र और मुआविया (रज़ि.) | 449 | तिजारती अमवाल में ज़कात | 495 |
| अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं | 453 | क़ानेअ और हरीस की मिषाल | 497 |
| कुर्बे-क़यामत एक इन्क़लाब का बयान | 454 | मुहताज औलाद पर ज़कात | 498 |
| अमने-आम और हुकूमते-सरुदिया अरबिया | 455 | एक वज़ाहत अज़ इमामुल हिन्द मौलाना आज़ाद मरहूम | 500 |
| एक औरत का अपने बच्चों के लिए ज़ब-ए-मुहब्बत | 458 | फ़ी सबीलिल्लाह की तफ़्सीर अज़ | |
| सदक़ा-ख़ैरात तन्दुरुस्ती में बेहतर | 459 | नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (रह.) | 500 |
| एक उम्मुल-मोमिनीन से मुता'ल्लिक़ बशारते-नबवी | 560 | अल्लामा शौकानी की वज़ाहत | 501 |
| बनी इस्राईल के एक सख़ी का वाकिआ | 462 | तीन अस्ह़ाब का एक वाकिआ | 501 |
| उलमा व फ़ुक़हा की ख़िदमत में एक गुज़ारिश | 464 | हालाते-हज़रत जुबैर बिन अ़वाम (रज़ि.) | 503 |
| इस्तवा-अलल अर्श और जहते-फ़ौक़ का बयान | 465 | हालाते-हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) | 504 |
| कुछ अहम उमूर मुता'ल्लिक़ सदक़ा व ख़ैरात | 466 | सवाल की तीन क़िस्मों की तफ़्सील | 506 |
| हज़रत क़अब बिन मालिक (रज़ि.) के लिये | | मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) की एक तहरीर | |
| | | हज़रत मुआविया (रज़ि.) के नाम | 508 |

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मजामीन

| मजमून | सफ़ा नं. | मजमून | सफ़ा नं. |
|---|----------|---|----------|
| एक क़यासी फ़त्वा | 510 | एहराम में क्या हिकमत है? | 566 |
| अमन का एक परवाना बहुक्मे-सरकारे दो आलम (ﷺ) | 511 | लब्बैक पुकारने में क्या हिकमत है? | 566 |
| जंगे-तबूक का कुछ बयान | 512 | हज़रत अली (रज़ि.) का एक इशदि-गिरामी | 570 |
| तरकारियों की ज़कात के बारे में | 514 | एक ईमान अफ़रोज़ तक्ररी | 571 |
| हर हाल में मालिक को अपना माल बेचना दुरुस्त है | 515 | अदना सुन्नत की पैरवी भी बेहतर है | 573 |
| अमवाले-ज़कात के लिए इमाम की तौलियत ज़रूरी है | 520 | हज़रत उम्मान रज़ि. व हज़रत अली रज़ि. का एक मसला | 574 |
| बनी इस्राईल के दो शख़्सों का वाकिआ | 523 | हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) का | |
| रिकाज़ और मअदन की तशरीह | 524 | बैतुल्लाह को ता'मीर करना | 584 |
| बअजुन्नास की तशरीह व तदीद | 524 | अक़षर अंबिया ने बैतुल्लाह की ज़ियारत की है | 586 |
| रिकाज़ के मुता'ल्लिक तफ़्सीलात पर एक इशारा | 525 | ता'मीरे-इब्राहीमी का बयान | 586 |
| साअे हिजाजी की तफ़्सील | 529 | ता'मीरे-कुरैश वग़ैरह | 588 |
| गन्दुम का फ़ित्रा निस्फ़ साअ | 530 | हूकूमते-सज़्जदिया का ज़िक्रे-ख़ैर | 591 |
| सदक़-ए-फ़ित्र की तफ़्सीलात | 533 | एक मोअज़ज़ा-ए-नबवी का बयान | 593 |
| किताबुल हज़्ज और उमरह का बयान | 534 | इब्राहीमी दुआ का बयान | 594 |
| फ़ज़ाइले-हज़्ज के बारे में तफ़्सीली बयान | 534 | याजूज-माजूज पर एक तफ़्सील | 596 |
| फ़ज़ि़य्यते-हज़्ज की शाराइत का बयान | 536 | ग़िलाफ़े-का'बा की तफ़्सीली कैफ़ियत | 597 |
| हज़्ज के महीनों और अय्याम का बयान | 537 | हज़्जे-अस्वद पर कुछ तफ़्सीलात | 598 |
| हज़्जे-बदल का तफ़्सीली बयान | 537 | अहदे-जाहिलिय्यत के एक ग़लत तसव्वुर की इस्लाह | 601 |
| फ़ज़ीलते-का'बा तौरात शरीफ़ में | 539 | चश्म-ए-ज़मज़म के तारीख़ी हालात | 619 |
| सफ़रे-हज़्ज सादगी के साथ होना चाहिए | 540 | तवाफ़ की दुआएँ | 629 |
| तन्दूम से उमरह करने के मुता'ल्लिक | 541 | मसला मुता'ल्लिके-तवाफ़ | 629 |
| हज़्जे मबरूर की तफ़्सीलात | 542 | तवाफ़ की क़िस्मों का बयान | 631 |
| हदीषे मुरसल की ता'रीफ़ | 544 | कोहे-सफ़ा पर चढ़ाई | 632 |
| वादी-ए-अतीक़ का बयान | 550 | ज़रूरी मसाइल | 634 |
| मुक़ल्लिदीने-जामिदीन के लिए क़ाबिले-ग़ौर | 552 | सई के बाद | 634 |
| एहराम के फ़वाइद व मनाफ़ेअ | 555 | आबे-ज़मज़म पीने के आदाब | 634 |
| अल्फ़ाज़े-लब्बैक की तफ़्सील | 558 | तर्जुमा में खुली हुई तहरीफ़ | 637 |
| हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) से मुलाक़ात | 561 | असल मसला | 637 |
| हज़रत उमर (रज़ि.) की एक राय पर तब्सरा | 565 | हाकिमे-इस्लाम की इताअत वाजिब है | 639 |

ता'षुरात

अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइन्तहा शुक्र व एहसान है कि उसने जमाअत अहले हदीष जोधपुर-राजस्थान को इस बात की तौफ़ीक़ बख़शी कि जमाअती कारकदर्गियों के तहत जिस बात की ज़रूरत एक लम्बे अर्से से महसूस की जा रही थी, या'नी बुखारी शरीफ़ के हिन्दी तर्जुमे व तशरीह की, वो अज़ीमुश्शान अमल और कारे-नुमायाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस्तिआनत (मदद) और अहबाबे-जमाअत की दुआओं से अंजाम पिज़ीर हुआ है।

कुतुबे अह्लादीष की सरदार, अस् सहीहुल कुतुब बुखारी शरीफ़ के हिन्दी तर्जुमे की अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए सादा, सलीस व आम-फ़हम ज़बान में शरीअत की ता'लीमात को आम करने के ज़िम्न में यह एक मुस्तहसन क़दम है क्योंकि कुर्आन व हदीष ये दो ही चीज़ें इन्सान की फ़लाह व बहबूद, दुनियावी और उख़रवी नजात की ज़ामिन है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़र्मान है, 'जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।' (सूरह अल अहज़ाब) और जैसा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) का इर्शाद है, 'अद दीनु युस्क्रन' या'नी दीन आसान है। इसकी आसानी की दलील यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़्तन-फ़वक़्तन हर ज़माने में, हर हालात में अपने बन्दों के ज़रिये से ही बन्दों की रुशदो-हिदायत व दीन को समझाने के लिये सहूलियात मुहैया फ़र्माता रहता है। चुनाँचे आज जो ये बुखारी शरीफ़ का जो हिन्दी नुस्खा आपके हाथों में है, वो अरबाबे-जमाअत की एक हकीर कोशिश थी जो अल्लाह की मदद ही से मुक़म्मल हो सकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि उसने हमारी सहूलत के लिये दीन को आसान बनाया। जमाअत का एक बहुत बड़ा तबक़ा जो अरबी-उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, वह भी अब इल्म व हिदायत के इस नूरानी सरचश्मे से फ़ैज़याब हो सकता है।

अख़ीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ व दरख़वास्त है कि ऐ बारे-इलाहा! इस मुक़द्दस किताब के हिन्दी तर्जुमे में जिन हज़रात की जिस किस्म का भी तआवुन रहा है; ऐ अल्लाह! तू उसे कुबूल फ़र्मा। मअन तमाम मुस्लिमों को इस पर अमल-दरामद करने की तौफ़ीक़ अता फ़र्मा। ऐ अल्लाह! तमाम अहबाबे-जमाअत को इस कारे-ख़ैर की बरकतों से फ़ैज़याब फ़र्मा और इसे दुनिया व आख़िरत की भलाई का ज़रिया बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह भी दुआ है कि बुखारी शरीफ़ का ये हिन्दी नुस्खा तमाम मुसलमानों के नजात का ज़रिया बने और इसके ज़रिये हमारे मुआशरे की इस्लाह हो। आमीन! तक्रब्बल या रब्बल आलमीन!!

ख़ैर-अन्देश व तालिबे-दुआ,

अब्दुरहीम ख़ताई

वल्द मौलाना अब्दुल क़य्यूम ख़ताई रहमानी (गुफ़िरइल मन्नान)

अर्ज़-मुतर्जिम

(अनुवादक की गुजारिशात)

क्रारेईने किराम! अल्लाह रब्बुल-इज्जत के फ़ज़ल व एहसानो-करम से सहीह बुखारी (शरह मुहम्मद दाऊद राज़ रह.) की तीसरी जिल्द आपके हाथों में सौंपी जा रही है। पहली व दूसरी जिल्द से यक़ीनन आपने फ़ैज़ हासिल किया होगा। इस तीसरी जिल्द में आप बहुत सारे ऐसे अनछुए मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिनकी हमारी ज़िन्दगी में बड़ी अहमियत है। पहली जिल्द के पेज नं. 23-24 पर इसी कॉलम में काफ़ी-कुछ वज़ाहत की जा चुकी है चन्द अहम व ज़रूरी बातें इसलिये दोहराई जा रही हैं ताकि शुरूआती दो जिल्द पढ़ चुके क्रारेईन व मुअतरिज़ीन के सवालात के तसल्लीबख़श जवाब मिल सकें।

01. बेहद सावधानी के साथ इसकी तस्हीह व नज़रे-घ़ानी की गई है ताकि ग़लती की कम से कम गुंजाइश रहे, इसके लिये अरबी के माहिर आलिम मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है। कुछ हज़रत ने अरबी हर्फ़ (ث) के लिये हिन्दी अक्षर 'थ' इस्तेमाल पर ए'तिराज जताया है, सहीह बुखारी की आठों जिल्दों के कवर पेज पर हदीथ 'इन्नमल अज़मालु बिन्नियात' छपी है जिसका मा'नी है, 'अमल का दारोमदार निय्यत पर है।' हमारी निय्यत यह है कि अरबी-उर्दू का हर हर्फ़ अलग नज़र आए। रहा सवाला उच्चारण का तो उसके लिये हमारी गुज़ारिश है कि नीचे लिखी इबारत का ग़ौर से मुतालाआ करें।
02. इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास हफ़ों को अलग तरह से लिखा गया है मिषाल के तौर पर:— (1) के लिये अ, (ع) के लिये अ; (ث) के लिये थ, (س) के लिये स, (ش) के लिये श, (ص) के लिये स; (ح) के लिये ह, (ه) के लिये ह, (خ) के लिये ख, (غ) के लिये ग, (ف) के लिये फ़, (ك) के लिये क, (ق) के लिये क़ लिखा गया है। (ج) के लिये ज का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ ज़ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हफ़ों के लिये सहीह विकल्प हमें नज़र नहीं आया। आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; असीर, अलिफ़ (1) सीन (س) ये (ع) रे (ج) जिसका मतलब होता है क़ैदी। अघ़ीर, अलिफ़ (1) घ़े (ث) ये (ع) रे (ج) जिसका मतलब होता है ख़ालिस। असीर अैन (ع) सीन (س) ये (ع) रे (ج), जिसका मतलब होता है मुश्किल। असीर अैन (ع) साद (ص) ये (ع) रे (ج), जिसका मतलब होता है अंगूर की चाशनी (शीरा)। अघ़ीर अैन (ع) घ़े (ث) ये (ع) रे (ج), जिसका मतलब होता है धूल। कहने का मतलब ये है कि इस किताब में सहीह तलफ़ुज़ (उच्चारण) के लिये हद-दर्जा कोशिश की गई है।
03. मैं एक बार फिर ये दोहराना मुनासिब समझता हूँ कि यह किताब अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह का हिन्दी रूपान्तरण है। इसमें न कुछ घटाया गया है, न बढ़ाया गया है और न ही अनुवादक द्वारा किसी मैटर की एडिटिंग की गई है। लिहाज़ा हर तशरीह (व्याख्या) से अनुवादक सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है।

इस किताब की कम्पोज़िंग, तस्हीह (त्रुटि संशोधन) और कवर डिज़ाइनिंग में मेरे जिन साथियों की मेहनत जुड़ी है, उन सब पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें व सलामती नाज़िल हों। ऐ अल्लाह! मेरे वालिद-वालदा को अपने अर्श के साथे तले, अपनी रहमत की पनाह नसीब फ़र्मा जिनकी दुआओं के बदले तूने मुझे दीने-इस्लाम का फ़हम अता किया। ऐ अल्लाह! हमारी ख़ताओं और कोताहियों से दरगुज़र फ़र्माते हुए तू हमसे राज़ी हो जा और हमें रोज़े आख़िरत वो नेअमतें अता फ़र्मा, जिनका तूने अपने बन्दों से वा'दा फ़र्माया है। आमीन! तक्रब्बल या रब्बल आलमीन!!

व सल्लल्लहु तआला अला नबिय्यिना व अला आलिही व अस्हाबिही व अत्बाइहि व बारिक व सल्लिम.

सलीम ख़िलजी.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

चौथा पारा

बाब 132 : कपड़ों में गिरह लगाना और बाँध लेना कैसा है? और जो शख्स शर्मगाह के खुल जाने के खौफ से कपड़े को जिस्म से लपेट ले तो क्या हुक्म है?

814. हमसे मुहम्मद बिन कबीर ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफयान ने अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार के वास्ते से खबर दी, उन्होंने सहल बिन सअद से, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ तहबंद छोटे होने की वजह से उन्हें गर्दनों से बाँध कर नमाज़ पढ़ते थे और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द अच्छी तरह बैठ न जाएं तब तक तुम अपने सरों को (सज्दे से) न उठाओ। (राजेअ : 362)

۱۳۲- بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّ هَوْمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

۸۱۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِلُونَ أَوْ رَهْمٌ مِنَ الصَّغِيرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا.

[راجع: ۳۶۲]

तशरीह: ये इस्लाम का इब्तिदाई (शुरूआती) दौर था। सहाबा किराम (रज़ि.) हर तरह से तंगियों का शिकार थे। कुछ लोगों के पास तन ढाँकने के लिये सिर्फ़ एक ही तहबन्द होता था। कई बार वो भी नाकाफ़ी होता इसलिये औरतों को जो जमाअत में शिकत करती थीं, उन्हें ये हुक्म दिया गया। इससे गर्ज़ ये थी कि औरतों की निगाह मर्दों के सतर पर न पड़े। ऐसी तंग हालत में भी औरतों को नमाज़ बाजमाअत में पर्दे के साथ शिकत करना ज़मान-ए-नबवी (ﷺ) में मामूली मसला था यही मसला आज भी है। अल्लाह नेक समझ दे और अमले ख़ैर की मुसलमानों को तौफ़ीक़ दे, आमीन!

बाब 137 : इस बारे में कि नमाज़ी (सज्दे में)

बालों को न समेटे

815. हमसे अबुन नोअमान बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, अमर बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने ताऊस से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, आप ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) को हुक्म था कि सात

۱۳۷- بَابُ لَا يَكْفُ شَعْرًا

۸۱۵- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَمَرَ

हड्डियों पर सज्दा करें और बाल और कपड़े न समेटें।

(राजेअ : 809)

النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَجَّةٍ أَكْثَمَ
وَلَا يَكْفُ شَعْرَةً وَلَا ثَوْبَةً))

[راجع : ٨٠٩]

तशरीह : शारिहीन लिखते हैं कि व मुनासबतु हाजिहित्तर्जुमति लिअहकामिस्सुजूदि मिन जिहतिन अन्नशशअरयस्सुजूदु मअर्रासि इजा लम यकुफ़ औ यलिफ़ या'नी बाब और हदीष में मुताबकत ये है कि जब बालों को लपेटाना जाए तो वो भी सर के साथ सज्दा करते हैं जैसे दूसरी रिवायत में है सुनन अबू दाऊद में मफूअन रिवायत है कि बालों के जोड़े पर शैतान बैठ जाता है। सात अअज़ा जिनका सज्दे में ज़मीन पर लगाना फ़र्ज़ है। उनकी तफ़्सीली बयान तीसरे पारे में गुजर चुका है।

बाब 138 : इस बयान में कि नमाज़ में कपड़ा न
समेटना चाहिये

١٣٨ - بَابُ لَا يَكْفُ ثَوْبَةً فِي

الصَّلَاةِ

816. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज़ाह ने, अमर बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने ताऊस से, उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे सात हड्डियों पर इस तरह सज्दा करने का हुक्म हुआ है कि न बाल समेटूं और न कपड़े। (राजेअ : 809)

٨١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ، لَا
أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا))

[راجع : ٨٠٩]

तशरीह : मतलब ये है कि नमाज़ पूरे इन्हिमाक (यकसू होकर) और इस्तिराक़ (तल्लीनता) के साथ पढ़ी जाए। सर के बाल अगर इतने बड़े हैं कि सज्दे के वक़्त ज़मीन पर पड़ जाएँ या नमाज़ पढ़ते वक़्त कपड़े गर्द आलूद हो जाएँ तो कपड़े और बालों को गर्दों-गुबार से बचाने के लिये समेटना न चाहिये कि ये नमाज़ में खुशूअ और इस्तिराक़ के खिलाफ़ है। और नमाज़ की असल रूह खुशूअ-खुजूअ है जैसा कि कुआन शरीफ़ में है, 'अल्लज़ीन हुम फ़ी सल्लातिहिम खाशिऊन' या'नी मोमिन वो हैं जो खुशूअ के साथ दिल लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी आयत 'हाफ़िज़ू अलसलवाति वससल्लातिल उस्ता वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन' का भी यही तकाज़ा है या'नी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो खास तौर से दरम्यान वाली नमाज़ की और अल्लाह के लिये फ़र्माबरदार बन्दे बनकर खड़े हो जाओ। यहाँ भी कुनूत से खुशूअ व खुजूअ मुराद है।

बाब 139 : सज्दे में तस्बीह

और दुआ का बयान

١٣٩ - بَابُ التَّسْبِيحِ وَالذُّعَاءِ فِي

السُّجُودِ

817. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, सुफ़यान धौरी से, उन्होंने कहा कि मुझसे मन्ज़ूर बिन मुअतमिर ने मुस्लिम बिन सबीह से बयान किया, उन्होंने मस्रूक़ से, उनसे हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) सज्दा और रुकूअ में अक्बर ये पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्म रबबना व बिहम्दिक

٨١٧ - حَدَّثَنَا مَسْدُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ سَفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَنْ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ
يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُ أَغْفِرُ لِي)).
 अल्लाहुम्मग़िफ़रली (इस दुआ को पढ़कर) आप कुआन के हुक्म पर अमल करते थे। (राजेअ: 714)

يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. [راجع: 794]

तशरीह: सूरह 'इज़ा जाअनस्रुल्लाहि' में है, 'फ़सब्विह बिहमदि रब्विक वस्तग़िफ़रु' (अपने रब की पाकी बयान करो और उससे बख़िश मांगो); इस हुक्म की रोशनी में आप (ﷺ) सज्दा और रूकूअ में ज़िक्र की गई दुआ पढ़ा करते थे। जिसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह! मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करता हूँ। या अल्लाह! तू मुझको बख़िश दे। इस दुआ में तस्बीह और तहमीद और इस्तिफ़ार तीनों मौजूद हैं, इसलिये रूकूअ और सज्दा में इसका पढ़ना अफ़ज़ल है इसके अलावा रूकूअ में सुबहान रब्वियलअज़ीम और सज्दा में सुबहान रब्वियलआला मसनूना दुआएँ भी आयाते कुआनिया ही की ता' मील हैं जैसा कि मुख्तलिफ़ आयात में हुक्म है। एक रिवायत में है कि सूरह 'इज़ा जाआनस्रुल्लाह' के नुज़ूल के बाद आप (ﷺ) हमेशा रूकूअ और सज्दों में इस दुआ को पढ़ते रहे। या'नी सुबहानक अल्लाहुम्म रब्वना व बिहमदि अल्लाहुम्मग़िफ़रली अल्लामा इमाम शौकानी (रह.) इसका मतलब यून बयान फ़र्माते हैं कि बितीफ़ीक़ि ली व हिदायतिक व फ़ज़्लिक अलव्या सुबहानक ला बिहौली व कुव्वती या'नी या अल्लाह! मैं सिर्फ़ तेरी तौफ़ीक़ और हिदायत और फ़ज़ल से तेरी पाकी बयान करता हूँ। अपनी तरफ़ से इस कारे अज़ीम के लिये मुझमें कोई त़ाक़त नहीं है। कुछ रिवायात में रूकूअ और सज्दों में ये दुआ पढ़नी भी आँहज़रत (ﷺ) से प्राबित है, 'सुब्वहुन कुहुसुन रब्वुल मलाइकति वरूह' (अहमद, मुस्लिम वग़ैरह) या'नी मेरा रूकूअ या सज्दा उस ज़ाते वाहिद के लिये है जो तमाम नुक़सों और शरीकों से पाक है वो मुक़द्दस है वो फ़रिशतों का और जिब्रैल का भी रब है।

बाब 140 : दोनों सज्दों के

बीच ठहरना

(818) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब सुखितयानी से बयान किया, उन्होंने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, कि मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम्हें नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ क्यों न सिखा दूँ। अबू क़तादा ने कहा ये नमाज़ का वक़्त नहीं था (मगर आप हमें सिखाने के लिये) खड़े हुए। फिर रूकूअ किया और तकबीर कही फिर सर उठाया और थोड़ी देर खड़े रहे। फिर सज्दा किया और थोड़ी देर के लिये सज्दे से सर उठाया और फिर सज्दा किया और सज्दे से थोड़ी देर के लिये सर उठाया। उन्होंने हमारे शौख़ इमर बिन सलमा नमाज़ में एक ऐसी चीज़ किया करते थे कि दूसरे लोगों को इसी तरह करते मैंने नहीं देखा। आप तीसरी या चौथी रकअत पर (सज्दे से फ़ारिग़ होकर खड़े होने से पहले) बैठते थे (या'नी जल्सा-ए-इस्तिराहत करते थे फिर नमाज़ सिखलाने के बाद) (राजेह: 688)

١٤٠ - بَابُ الْمَكْتَبَيْنِ

السَّجْدَتَيْنِ

٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ - فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيْئَةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً - ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرٍو بْنِ سَلِيمَةَ شَيْخِنَا هَذَا - قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ هُنَيْئَةً لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهَا، كَانَ يَفْعَلُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [راجع: 677]

٨١٩ - قَاتِنَا النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ

(819) (मालिक बिन हुवैरिष ने बयान किया कि) हम नबी करीम (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए और आप (ﷺ) के यहाँ ठहरे रहे आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (बेहतर है) तुम अपने घरों को वापस जाओ, देखो! ये नमाज़ फ़लाँ वक्रत और ये नमाज़ फ़लाँ वक्रत पर पढ़ना। जब नमाज़ का वक्रत हो जाए तो एक शख्स तुम में से अज्ञान दे और जो तुम में बड़ा हो वो नमाज़ पढ़ाए। (राजेअ: 628)

(لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حَيْثُ كَذَا، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حَيْثُ كَذَا، فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ))

[راجع: ٦٢٨]

तशरीह:

मुराद जल्स-ए-इस्तिराहत है जो पहली और तीसरी रकअत के ख़ात्मे पर सज्दा से उठे हुए थोड़ी देर बैठ लेने को कहते हैं। कुछ नुस्खों में ये इबारत घुम्म सजद घुम्म रफ़अ रासहू हनिया एक ही बार है चुनाँचे नुस्ख-ए-क़स्तलानी में भी ये इबारत एक ही बार है और यही सही मा'लूम होता है। अगर दो बार हो फिर भी मतलब यही होगा कि दूसरा सज्दा करके ज़रा बैठ गये, जल्स-ए-इस्तिराहत किया, फिर खड़े हुए। ये जल्स-ए-इस्तिराहत मुस्तहब है और इस हदीष से प्राबित है कि शारेहीन लिखते हैं कि 'बिज़ालिक अखजल्इमा मुशशाफ़िइ व ताइफतुमिन अहलिल हदीषि व ज़हबू इला सुन्नति जल्सतिल्इस्तिराहति' या'नी इस हदीष की बिना पर इमाम शाफ़िई और जमाअते अहले हदीष ने जल्स-ए-इस्तिराहत को सुन्नत तस्लीम किया है। कुछ अइम्मा इसके काइल नहीं है। कुछ सहाबा से भी इसका तर्क (छोड़ना) मन्कूल है जिसका मतलब ये है कि ये जलसा फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है मगर उसके सुन्नत और मुस्तहब होने से इंकार करना भी सही नहीं है।

(820) हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम साएका ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अहमद मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह जुबैरी ने कहा कि हमसे मिरअर बिन कुदाम ने हकम इतैबा कूप्री से उन्होंने अब्दुरहमान बिन अबी लैला से उन्होंने बराअ बिन आजिब (रज़ि.) से उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) का सज्दा, रकूअ और दोनों के दरम्यान बैठने की मिक्दार तक्ररीबन बराबर होती थी। (राजेअ: 892)

٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْقَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ سُجُودَ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعَهُ وَقَعُودَهُ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

[راجع: ٧٩٢]

तशरीह:

क़स्तलानी ने कहा ये जमाअत की नमाज़ का ज़िक्र है अकेले आदमी को इख्तियार है कि वो ए'तिदाल और क्रोमा से रकूअ और सज्दे दो गुना करे हदीष की मुताबकत बाब के तर्जुमा से ज़ाहिर है।

(821) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन यज़ीद ने प्राबित से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने जिस तरह नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते देखा था बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाने में किसी क्रिस्म की कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। प्राबित ने बयान किया कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) एक ऐसा अमल करते थे जैसे मैं तुम्हें करते नहीं देखता। जब वो रकूअ से सर उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि देखने वाला

٨٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَا أَلُو أَنْ أَصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا - قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُم تَصْنَعُونَهُ - كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، وَيَبِينُ

समझता कि भूल गये हैं और इसी तरह दोनों सज्दों के दरम्यान इतनी देर तक बैठे रहते कि देखने वाला समझता कि भूल गये हैं।

(राजेअ : 800)

तशरीह :

हज़रत मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम फ़र्माते हैं कि हमारे इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने इसी पर अमल किया है और दोनों सज्दों के बीच में बार-बार 'रब्बिफ़िरली' कहना मुस्तहब जाना है जैसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की हदीष में वारिद है कि हाफ़िज़ (रह.) ने कहा इस हदीष से मा'लूम होता है कि जिन लोगों से प्राबित ने ये बातचीत की वो दोनों सज्दों के बीच न बैठते होंगे; लेकिन हदीष पर चलने वाला जब हदीष सही हो जाए तो किसी के विरोध की परवाह नहीं करता। हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'वक्रद तरकननासु हाज़िहिस्सुन्नत्तषाबितत बिल्अहादीषिस्सहीहत मुहदिषुहुम वफ़कीहुम व मुज्तहिदुहुम व मुक़ल्लिदुहुम फ़लैतशिअरी मल्लज़ी अवौव अलैहि ज़ालिक वल्लाहुलमुस्तआन' या'नी सद अफ़सोस कि लोगों ने इस सुन्नत को जो अहादीषे सहीहा से प्राबित है, छोड़ रखा है यहाँ तक कि उनके मुहदिष और फ़कीह और मुज्तहिद और मुक़ल्लिद सब ही इस सुन्नत के छोड़ने वाले नज़र आते हैं मुझे नहीं मा'लूम कि इसके लिये उन लोगों ने कौनसा बहाना तलाश किया है और अल्लाह ही मददगार है।

दोनों सज्दों के बीच ये दुआ भी मसनून है, 'अल्लाहुम्मफ़िरली वर्हम्नी वज्बुनी वहदिनी वर्जुक्नी।

बाब 141 : इस बारे में कि नमाज़ी सज्दे में अपने दोनों बाजूओं को (जानवर की तरह) ज़मीन पर न बिछाए और हुमैद ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने सज्दा किया और दोनों हाथ ज़मीन पर रखे बाजू नहीं बिछाए, न उनको पहलू से मिलाया

(822) हमसे मुहम्मद बिन बश़ार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने क़तादा से सुना, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सज्दे में 'ए' तिताल को मलहूज़ रखे और अपने बाजू कुत्तों की तरह न फैलाया करो। (राजेअ : 691)

तशरीह :

क्योंकि इस तरह बाजू बिछा देना सुस्ती और काहिली की निशानी है। कुत्ते के साथ तशबीह (तुलना करना) और भी मुज़म्मत की बात है। उसका पूरा लिहाज़ रखना चाहिये। इमाम क़स्तलानी ने कहा कि अगर कोई ऐसा करे तो नमाज़ मकरूहे तंजीही होगी।

बाब 142 : उस शख़्स के बारे में जो शख़्स नमाज़ की ताक़रक़अत (पहली और तीसरी) में थोड़ी देर बैठे और उठ जाए

(823) हमसे मुहम्मद बिन स़ब्बाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हुशैम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा ख़ालिद हज़्ज़ा ने ख़बर दी, अबू क़तादा से, उन्होंने बयान किया कि मुझे मालिक बिन हुवैरिष

السُّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

[راجع: ٨٠٠]

١٤١- بَابُ لَا يَقْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي

السُّجُودِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَضَعَ

يَدَيْهِ غَيْرَ مُقْتَرِشٍ وَلَا قَابِضُهُمَا.

٨٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اغْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ

وَلَا يَنْسَطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ

الْكَلْبِ)). [راجع: ٦٤١]

١٤٢- بَابُ مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي

وَتَرَى مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

٨٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ

أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

लैषी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आपने नबी करीम (ﷺ) को नमाज़ पढ़ते देखा, आप (ﷺ) जब ताक़रक़अत में होते, उस वक़्त तक न उठते जब तक थोड़ी देर बैठ न लेते।

اللَّيْثُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

ताक़रक़अतों के बाद या'नी पहली और तीसरी रक़अत के दूसरे सज़्दे से जब उठे तो थोड़ी देर बैठकर फिर उठना; इसको जलस-ए-इस्तिराहत कहते हैं जो सुन्नते सहीहा से प्राबित है।

बाब 143 : इस बारे में कि रक़अत से उठते वक़्त ज़मीन का किस तरह से सहारा लें

١٤٣ - بَابُ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى

الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَهَبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ:

جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْخُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي

مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لِأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا

أُرِيدُ الصَّلَاةَ، لَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ

لَأَبِي قَلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ:

مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرُو بْنُ

سَلَمَةَ - قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ

يَتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ

الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ

قَامَ. [راجع: ٦٧٧]

(824) हमसे मअली बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सुखितयानी से, उन्होंने अबू क़तादा से, उन्होंने बयान किया कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई। आपने फ़र्माया कि मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी निर्यत किसी फ़र्ज़ की अदायगी नहीं है बल्कि मैं सिर्फ़ तुम को ये दिखाना चाहता हूँ कि नबी करीम (ﷺ) किस तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। अय्यूब सुखितयानी ने बयान किया कि मैंने अबू क़तादा से पूछा कि मालिक (रज़ि) किस तरह नमाज़ पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़र्माया कि हमारे शैख़ अम्र बिन सलमा की तरह। अय्यूब सुखितयानी ने बयान किया कि शैख़ तमाम तकबीरात कहते थे और जब दूसरे सज़्दे से सर उठाते तो थोड़ी देर बैठते और ज़मीन का सहारा लेकर फिर उठते। (राजेअ: 688)

तशरीह: या'नी जलस-ए-इस्तिराहत करके फिर दोनों हाथ ज़मीन पर टेककर उठते जैसे बूढ़ा शख्स दोनों हाथों पर आटा गूंधने में टेका देता है। हन्फिया ने जो इसके ख़िलाफ़ तिमिज़ी की हदीष से दलील ली कि आँहज़रत (ﷺ) अपने पांव की उँगलियों पर खड़े होते थे; ये हदीष ज़र्इफ़ है। इसके अलावा इससे ये निकलता है कि कभी आप (ﷺ) ने जलस-ए-इस्तिराहत किया और कभी नहीं किया। अहले हदीष का यही मज़हब है और जलस-ए-इस्तिराहत को मुस्तहब कहते हैं। और इसकी कोई दलील नहीं है कि आँहज़रत (ﷺ) ने कमजोरी या बीमारी की वजह से ऐसा किया और ये कहना कि नमाज़ का मौजूअ इस्तिराहत नहीं है क़यास है, बमुकाबले दलील और वो फ़ासिद है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

बाब 144 : जब दो रक़अत पढ़कर उठ तो तकबीर कहे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) तीसरी रक़अत के लिये उठते वक़्त तकबीर कहा करते थे

١٤٤ - بَابُ يُكْبِرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنْ

السُّجُودِ الثَّانِيَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكْبِرُ فِي

نَهْضَتِهِ

(825) हमसे यहाा बिन झालेह ने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने, उन्होंने सईद बिन हारिष से, उन्होंने कहा कि हमें अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई और जब उन्होंने सज्दे से सर उठाया तो पुकार कर तकबीर कही फिर जब सज्दा किया तो ऐसा ही किया फिर सज्दे से सर उठाया तो भी ऐसा ही किया इसी तरह जब दो रकअत पढ़कर खड़े हुए उस वक़्त भी आपने बुलन्द आवाज़ से तकबीर कही और फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इसी तरह करते देखा।

(826) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ग़ीलान बिन जरीर ने बयान किया, उन्होंने मुत्तरफ़ बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने कहा कि मैंने और इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। आपने जब सज्दा किया, सज्दे से सर उठाया दो रकअत के बाद खड़े हुए तो हर मर्तबा तकबीर कही। जब आपने सलाम फेर दिया तो इमरान बिन हुसैन ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि उन्होंने वाक़ई हमें हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ाई है या ये कहा कि मुझे उन्होंने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नमाज़ याद दिला दी। (राजेअ: 783)

۸۲۵- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ، فَجَهَرَ بِالْكَبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

۸۲۶- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غِيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةَ خَلْفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ كَبَّرَ. فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَوْ قَالَ - لَقَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[راجع: ۷۸۳]

तशरीह:

कुछ अइम्म-ए-बनी उमय्या ने बाआवाज़े बुलन्द इस तरह तकबीर कहना छोड़ दिया था जो कि उस्व-ए-नबवी (ﷺ) के ख़िलाफ़ था। इस वाक़िआ से ये भी ज़ाहिर हुआ कि दौरे सलफ़ में मुसलमानों को उस्व-ए-रसूल (ﷺ) की इत्ताअत का बेहद इश्तियाक़ (शौक़) रहता था। ख़ास तौर पर नमाज़ के बारे में उनकी कोशिश होती कि वो ऐन सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुताबिक़ नमाज़ अदा कर सकें। इस दौरे अख़ीर में सिर्फ़ अपने-अपने फ़र्ज़ी इमामों की तक्लीद का ज़ब्बा बाक़ी रह गया है। हालाँकि एक मुसलमान का अब्वलीन मक्सद सुन्नते नबवी की तलाश होना चाहिये। इमाम अबू हनीफ़ा ने स़ाफ़ फ़र्मा दिया है कि हर वक़्त स़हीह हदीष की तलाश में रहो। अगर मेरा कोई मसला हदीष के ख़िलाफ़ नज़र आए तो उसे छोड़ दो और स़हीह हदीषे नबवी (ﷺ) पर अमल करो। हज़रत इमाम की इस पाकीज़ा वसियत पर अमल करनेवाले आज कितने हैं? ये हर समझदार मुसलमान को गौर करने की चीज़ है। यूँ ही लकीर के फ़कीर होकर रस्मी नमाज़ें अदा करते रहना सुन्नते नबवी को तलाश न करना किसी बा-बस़ीरत मुसलमान का काम नहीं, वफ़क़नल्लाहु लिमा युहिबु व यज़ा।

बाब 145 : तशहूद में बैठने का

मसनून तरीक़ा!

हज़रत उम्मे दर्दा (रज़ि.) फ़कीहा थीं और वो नमाज़ में (ववक़ते

۱۴۵- بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي

التَّشَهُدِ

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا

तशहहद) मर्दों की तरह बैठती थीं।

(827) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने अब्दुरहमान बिन क़ासिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से उन्होंने ख़बर दी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को हमेशा देखते कि आप नमाज़ में चार ज़ानू बैठते हैं। मैं अभी नौ उम्र था, मैंने भी इसी तरह करना शुरू कर दिया। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने इससे रोका और फ़र्माया कि नमाज़ में सुन्नत ये है कि (तशहहद में) दायाँ पाँव खड़ा रखे और बायाँ पाँव फैला दे, मैंने कहा कि आप तो इसी (मेरी) तरह करते हैं। आप बोले कि (कमज़ोरी की वजह से) मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाते।

तशरीह: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) आखिर में कमज़ोरी की वजह से तशहहद में चार ज़ानू बैठते थे ये सिर्फ़ उम्र की वजह से था वरना मसनून तरीक़ा यही है कि दायाँ पाँव खड़ा रहे और बाएँ को फैलाकर उस पर बैठा जाए इसे तवरुक कहते हैं और तों के लिये भी यही मसनून है। बाब और हदीष में मुताबकत ज़ाहिर है।

(828) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद से बयान किया, उनसे सईद ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अम्र हल्हला ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अम्र बिन अता ने बयान किया (दूसरी सनद) और कहा कि मुझ से लैष ने बयान किया, और उनसे यज़ीद बिन अबी हबीब और यज़ीद बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अम्र बिन हल्हला ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अम्र बिन अता ने बयान किया कि वो नबी करीम (ﷺ) के चन्द सहाबा (रज़ि.) के साथ बैठे हुए थे कि नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ का ज़िक्र होने लगा तो अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) ने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ तुम सबसे ज़्यादा याद है, मैंने आपको देखा कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कन्धों तक ले जाते, जब आप रुकूअ करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी तरह पकड़ लेते और पीठ को झुका देते। फिर जब रुकूअ से सर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े हो जाते कि तमाम जोड़ सीधे हो जाते।

جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَعِيَّةً
 ٨٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
 مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ
 يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا
 يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنِّ، فَتَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ
 رِجْلَكَ الَّتِي تَتَنَبَّى الِيسْرَى، فَقُلْتُ:
 إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِي لَا
 تَحْمِلَانِي.

٨٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
 بْنِ عَطَاءٍ ح قَالَ. وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ
 يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ
 نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ
 النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو حَمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: (أَنَا
 كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
 رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِدَاءً مِنْكَبِيهِ،
 وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ
 فَصَّرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى

जब आप सज्दा करते तो आप अपने हाथों को (ज़मीन पर) इस तरह रखते कि न बिल्कुल फैले हुए होते और न सिमटे हुए; पाँव की अंगुलियों के मुँह क़िब्ला की तरफ रखते। जब आप (ﷺ) दो रकअत के बाद बैठते तो बाएँ पाँव पर बैठते और दायाँ पाँव खड़ा रखते और जब आख़िरी रकअत में बैठते तो बाएँ पाँव को आगे कर लेते और दाएँ को खड़ा कर देते फिर मक़अद पर बैठते। लैस्र ने यज़ीद बिन हबीब से और यज़ीद बिन मुहम्मद बिन हल्हला से सुना और मुहम्मद बिन हल्हला ने इब्ने अताअ से, और अबू स़ालेह ने लैस्र से कुल्लू फ़क्रारिन मकानहुन क़ल किया है और इब्ने मुबारक ने यह्या बिन अय्यूब से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझ से यज़ीद बिन अबी हबीब ने बयान किया कि मुहम्मद बिन अम्र बिन हल्हला ने उनसे हदीष में कुल्लू फ़क्रारिन बयान किया।

يُؤَدُّ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مَفْرَشٍ وَلَا قَابِضُهُمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَتَصَبَّ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَتَصَبَّ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ) وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَنِيْبٍ، وَيَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْحَلَةَ، وَابْنَ حَنْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَنِيْبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَنْحَلَةَ حَدَّثَهُ (كُلُّ فَقَّارٍ).

तरीह:

सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा में दस बैठने वाले अस्हाबे किराम (रज़ि.) में सहल बिन सईद और अबू हुमैद साइदी और मुहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू हरैरह और अबू क़तादा (रज़ि.) के नाम बतलाए गए हैं। बाक़ी के नाम मा'लूम नहीं हो सके। ये हदीष मुख्तलिफ़ सनदों के साथ कहीं मुज्मल और कहीं मुफ़स्सल मरवी है। इसमें दूसरे कायदे में तो इसका ज़िक्र है या'नी सुरीन (कूल्हों) पर बैठना। दाएँ पाँव को खड़ा करना और बाएँ को आगे करके तले से दाएँ तरफ़ बाहर निकालना और दोनों सुरीन ज़मीन में मिलाकर बाएँ रान पर बैठना ये तवरूक चार रकअत वाली नमाज़ में और नमाज़े फ़ज़्र की आख़िरी रकअत में करना चाहिये। इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हंबल का यही मसलक है आख़िर हदीष में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की जो रिवायत है उसे फ़र्याबी और जौज़नी और इब्राहीम हर्बी ने मिलाया है। सुनन नमाज़ के सिलसिले में ये हदीष एक उस्सूली तफ़्सीली बयान की हैषियत रखती है।

बाब 146 : उस शख़्स की दलील जो पहले तशह्हुद को (चार रकअत या तीन रकअत नमाज़ में) वाजिब नहीं जानता (या'नी फ़र्ज़) क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) दो रकअत पढ़कर खड़े हो गये और बैठे नहीं

١٤٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الشَّهَادَةَ الْأُولَى وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

बावजूद ये है कि लोगों ने सुब्हानल्लाह कहा लेकिन आप न बैठे; अगर तशह्हुदे-अव्वल फ़र्ज़ होता तो ज़रूर बैठ जाते जैसे कोई रकूअ या सज्दा भूल जाए और याद आए तो उसी वक़्त लौटना ज़रूरी है। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने कहा कि ये तशह्हुद वाजिब है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उसको हमेशा किया और भूल गए तो सज्द-ए-सहव से उसका तदारुक किया (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

(829) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि शूएब ने हमें खबर दी, उन्होंने जुहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुर्रहमान बिन हुमुज़ ने बयान किया जो मौला बिन अब्दुल मुत्तलिब (या मौला रबीआ बिन हारिष) थे, कि अब्दुल्लाह बिन बुहैना (रज़ि.) जो सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) और बनू अब्दे मनाफ़ के हलीफ़ क़बीले अज़्दे-शनूआ से ता'ल्लुक रखते थे, ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें जुहर की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअत पर बैठने के बजाय खड़े हो गए, चुनाँचे सारे लोग भी उनके साथ खड़े हो गये। जब नमाज़ खत्म होने वाली थी और लोग आपके सलाम फेरने का इन्तिज़ार कर रहे थे तो आप ने अल्लाहु अक्बर कहा और सलाम फेरने से पहले दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। (दीगर मक़ामात : 830, 1229, 1225, 1230, 668)

۸۲۹- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَوْعَةَ، وَهُوَ خَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ! فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[أطرافه في : ۸۳۰، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵]

[۱۲۳۰، ۱۶۶۷].

तशरीह: अल्लामा शौकानी (रह.) ने इस मसले पर यूँ बाब मुनअक्रिद फ़र्माया है बाबुन अल्अम्रु बित्तशहदुदिल अव्वलि व मुक़तुहु बिस्सहवि या'नी तशहदुदे अव्वल के लिये हुक़म है और वो भूल से रह जाए तो सज्द-ए-सहव से साक्रिह हो जाता है। हदीषे इब्ने मसऊद (रज़ि.) में जो लफ़्ज़ फ़कूला अत्तहिद्य्यातु वारिद हुए हैं उस पर अल्लामा फ़र्माते हैं कि फ़ीहि दलीलुन लिमन क़ाल बिवुजूबित्तशहदुदिलऔसति वहुव अहमद फिल्मशहूदि अघ्यनहू वल्लेषु व इस्हाक़ व हुव क़ौलुशशाफिइ व इलैहि ज़हब दाउद अबू धौर व रहावुन्नववी अन जुम्हुरिल्मुहद्दिषीन या'नी उसमें उन हज़रात की दलील है जो दरम्यानी तशहदुद को वाजिब कहते हैं इमाम अहमद से भी यही मन्कूल है और दीगर अइम्म-ए-मज़क़रीन से भी बल्कि इमाम नववी (रह.) ने उसे जुम्हूरे मुहद्दिषीने किराम (रह.) से नक़ल किया है।

हदीषे मज़क़ूर से इमाम बुखारी (रह.) ने यही प्राबित फ़र्माया है कि तशहदुदे अव्वल अगर फ़र्ज होता तो आप उसे ज़रूर लौटाते मगर ये ऐसा ही कि अगर रह जाए तो सज्द-ए-सहव से उसकी तलाफ़ी (भरपाई) हो जाती है। रिवायत में अब्दुल्लाह बिन बुहैना के हलीफ़ होने का ज़िक़्र है जाहिलियत के ज़माने में जब कोई शख्स या क़बीला किसी दूसरे से ये अहद कर लेता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन तो उसे उस क़ौम का हलीफ़ कहा जाता था सहाबी मज़क़ूर बनी अब्दे मुनाफ़ के हलीफ़ थे।

बाब 147 : पहले क़अदे में तशहदुद पढ़ना

۱۴۷- بَابُ التَّشْهَدِ فِي الْأُولَى

(830) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे बकर बिन मुन्ज़िर ने जा'फ़र बिन रबीआ से बयान किया, उन्होंने अअरज़ से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) ने, कहा कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े-जुहर

۸۳۰- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: (صَلَّى

पढ़ाई। आपको चाहिये था बैठना लेकिन आप (भूल कर) खड़े हो गये फिर नमाज़ के आखिर में बैठे ही बैठे दो सज्दे किये।

(राजेअ : 829)

بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الطَّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [راجع: ٨٢٩]

और तशह्हुद नहीं पढ़ा। हदीष में अलैहिल जुलूस के अल्फ़ाज़ बतलाते हैं कि आपको बैठना चाहिये था मगर आप भूल गए जुलूस से तशह्हुद मुराद है। बाब के तर्जुमे की मुताबकत ज़ाहिर है।

बाब 148 : आख़िरी कअदे में तशह्हुद पढ़ना

(831) हमसे अबू नुऐम फ़ुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने शक्रीक बिन सलमा से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मरूद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब हम नबी करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते तो कहते (तर्जुमा) सलाम हो जिब्रईल और मीकाईल पर और फ़लों पर (अल्लाह पर सलाम) नबी करीम (ﷺ) एक रोज़ हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, अल्लाह तो खुद सलाम है (तुम क्या अल्लाह को सलाम करते हो) इसलिये जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो ये कहे (तर्जुमा) तमाम आदाबे-बन्दगी, तमाम इबादात और तमाम बेहतरीन ता'रीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, आप (ﷺ) पर सलाम और अल्लाह के तमाम झालेहीन बन्दों पर सलाम। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान व ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बन्दा है, उसको पहुँच जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।

(दीगर मक़ामात : 830, 1202, 623, 6250, 6328, 7381)

١٤٨ - بَابُ التَّشْهُدِ فِي الْآخِرَةِ

٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَالسَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفُلَانٍ. فَأَنْتَفَتِ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّيْنَا أَحَدَكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قَلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).

[أطرافه في : ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠،

٦٢٦٥، ٦٣٢٨، ٧٣٨١].

तशरीह :

ये क़ायदे की दुआ है जिसे तशह्हुद कहते हैं। बन्दा पहले कहता है कि 'तहिय्यात सलावात और तय्यिबात' अल्लाह तआला के लिये हैं। ये तीन अल्फ़ाज़ क़ौलो-फ़ेअल की तमाम महासिन को शामिल है या'नी तमाम ख़ैर और भलाई अल्लाह तआला के लिये प्राबित है और उसी की तरफ़ से है। फिर नबी करीम (ﷺ) पर दरूद भेजा गया और उसमें ख़िताब की ज़मीर इख़्तियार की गई क्योंकि सज़ाबा को ये दुआ सिखाई गई थी और आप (ﷺ) उस वक़्त मौजूद थे। अब जिन अल्फ़ाज़ के साथ हमें ये दुआ पहुँची है उसी तरह पढ़नी चाहिये (तफ़हीमुल बुख़ारी) सलाम दरहकीकत दुआ है। या'नी तुम सलामत रहो अल्लाह को ऐसी दुआ देने की हज़ात नहीं क्योंकि वो हर एक आफ़त और तग़य्युर (बदलाव) से पाक है। वो अज़ली अबदी है उसमें कोई ऐब और नुक़्स नहीं। वो सारी कायनात को खुद सलामती बख़्शने वाला और सबकी परवरिश करने वाला है। इसीलिये उसका नाम सलाम हुआ। इसी दुआ में लफ़्ज़े अत्तहिय्यात और सलावात और तय्यिबात वारिद होते हैं। तहिय्यात के मा'नी सलामती, बक़ा, अज़मत हर नुक़्स से पाकी हर किस्म की ता'ज़ीम मुराद है। ये इबादाते क़ौली पर

सलावात इबादाते फ़ेअली पर और तथ्यिबात इबादाते माली पर भी बोला गया है। (फ़त्हुल बारी)

पस ये तीनों किस्म की इबादतें एक अल्लाह के लिये मख्सूस हैं जो लोग इन इबादात में किसी गैरुल्लाह को शरीक करते हैं चाहे वो फरिश्ते हों या इंसान या और कुछ; जो खालिक़ का हक़ छीनकर मखलूक को देते हैं; यही वो जुल्मे अज़ीम है जिसे कुआन मजीद में शिर्क कहा गया है जिसके बारे में अल्लाह का इश्राद है, 'व मय्युशिरक बिल्लाहि फ़क़द हरमल्लाहु अलैहिल्जन्नत व मावाहुन्नार' या'नी शिर्क करनेवालों पर जन्नत हुराम है और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इबादाते कौली में जुबान से उठते-बैठते, चलते-फिरते उसका नाम लेना, इबादाते फ़ेअली में रूकूअ, सज्दा, क़याम, इबादाते माली में हर किस्म का स़दका, ख़ैरात और न्याज़ो-नज़्र वग़ैरह वग़ैरह मुराद है।

बाब 149 : (तशहहद के बाद) सलाम फेरने से पहले की दुआ

(833) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें अम्र बिन जुबैर ने ख़बर दी, उन्हें नबी करीम (ﷺ) की जोज़: मुतहहरा हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में ये दुआ पढ़ते थे (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! क़ब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह माँगता हूँ, ज़िन्दगी और मौत के फ़िल्नों से तेरी पनाह माँगता हूँ। दज्जाल के फ़िल्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ और ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ गुनाहों से और क़र्ज़ से। किसी (या'नी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से अज़र्ज किया कि आप (ﷺ) तो क़र्ज़ से बहुत ही ज़्यादा पनाह माँगते हैं! इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई मक़रूज़ हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वा'दाख़िलाफ़ी करता है।

(दीगर मक़ामात : 833, 2397, 6368, 6280, 6386, 6388, 8129)

(833) और इसी सनद के साथ जुहरी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ में दज्जाल के फ़िल्ने से पनाह माँगते सुना। (राजेअ : 832)

वइज़ा वअद अख़्लफ़ के बाद कुछ नुस्खों में ये इबारत ज़ाइद है, व क़ाल मुहम्मदुब्नु यूसुफ़ समिअतु ख़लफ़बि आमिरिन यकूलु फिल्मसीहि लैस बेनुमा फ़र्क़न व हुमा वाहिदुन अहदुहुमा ईसा अलैहिस्सलाम वल्आख़रू अहज्जाल या'नी मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने कहा इमाम बुखारी (रह.) ने कहा मैंने ख़लफ़ बिन आमिर से सुना 'मसीह' और मसीह' में कुछ फ़र्क़ नहीं दोनों एक हैं हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) को मसीह कहते हैं और दज्जाल को भी मसीह कहते हैं।

١٤٩ - بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ

الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ

الْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ)). فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا

أَكْرَمَ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ

الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ

فَأَخْلَفَ)).

[أطرافه في : ٨٣٣، ٢٣٩٧، ٦٣٦٨]

[٦٢٧٦، ٦٢٧٧، ٧١٢٩].

٨٣٢ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي

عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِينُ فِي

صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ)). [راجع: ٨٣٢]

(834) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने यज़ीद बिन अबी हबीब से बयान किया, उनसे अबुल खैर मुशिद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, उनसे अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज किया कि आप मुझे ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज़ में पढ़ा करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये दुआ पढ़ा करो (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! मैं अपनी जान पर (गुनाह करके) बहुत ज़्यादा जुल्म किया, पस गुनाहों को तेरे सिवा कोई दूसरा मुआफ़ करने वाला नहीं, मुझे अपने पास से भरपूर अता फ़र्मा और मुझ पर रहम कर कि मफ़िरत करने वाला और रहम करने वाला बेशक व शुब्हा तू ही है।

(दीगर मक़ामात : 6326, 7388)

बाब 150 : बाब तशहद के बाद जो दुआ इख़्तियार की जाती है उसका बयान और ये बयान कि इस दुआ का पढ़ना कुछ वाजिब नहीं है

(835) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हम से यह्या बिन सईद क़त्तान ने आ'मश से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे शक़ीक़ ने अब्दुल्लाह बिन मस्क़द (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि (पहले) जब हम नबी करीम (ﷺ) के साथ पढ़ते तो हम (क़अदे में) ये कहा करते थे कि उसके बन्दों की तरफ़ से अल्लाह पर सलाम हो और फ़लों पर और फ़लों पर सलाम हो। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये न कहो कि अल्लाह पर सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है, बल्कि ये कहो (तर्जुमा) आदाबे-बन्दगी और तमाम इबादत और तमाम पाकीज़ा ख़ैरातें अल्लाह ही के लिये हैं आप पर ऐ नबी सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो हम पर और अल्लाह के सलामेह बन्दों पर सलाम हो और जब तुम ये कहोगे तो आसमान पर अल्लाह के तमाम बन्दों पर पहुँचेगा। आप (ﷺ) ने ये फ़र्माया कि आसमान और ज़मीन के दरम्यान तमाम बन्दों को पहुँचेगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और

۸۳۴- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: ((قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)).

[طرفاه في : ۶۳۲۶، ۷۳۸۸]

۱۵۰- بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ

بَعْدَ التَّشْهُدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

۸۳۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي

الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ،

السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفَلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ

ﷺ: ((لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ

اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ

لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ! فَإِنَّكُمْ

إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ

रसूल हैं। इसके बाद दुआ का इखितयार है जो उसे पसन्द हो करे।
(राजेअ : 831)

يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو))

[راجع : ٨٣١]

तारीह : ये लफ्ज़ आम है दीन और दुनिया के बारे में हर एक किस्म की दुआ मांग सकता है और मुझको हैरत है कि हन्फियाने कैसे कहा है कि फ़लाँ किस्म की दुआ नमाज़ में मांग सकता है फ़लाँ किस्म की नहीं मांग सकता। नमाज़ में अपने बन्दे को मालिक की बारगाह में बारयाबी का शर्फ़ हासिल होता है फिर अपनी अपनी लियाक़त और हौसले के मुवाफ़िक़ हर बन्दा अपने मालिक से मअरूज़ा (गुज़ारिश, अनुरोध) करता है और मालिक अपने करम और रहम से इनायत फ़र्माता है। अगर सिर्फ़ दीन के बारे में ही दुआ मांगना नमाज़ में जाइज़ हों और दुआएँ जाइज़ न हो तो दूसरे मतलब किस से मांगे किसी सहीह हदीष में है कि अल्लाह से अपनी सब हाज़ते मांगो यहाँ तक कि जूती का तस्मा भी टूट जाए या हाण्डी में नमक न हो तो भी अल्लाह से कहो। (मौलाना वहीदुज्जमॉं मरहूम) मुतर्जिम का कहना है कि दुआएँ माधुरा हमारे बेशतर मक़ासिद व मतालिब पर आधारित मौजूद हैं इनका पढ़ना बरकत का कारण होगा। हदीष नम्बर 832, 833, 834 में जामेअ दुआएँ और आख़िर में सब मक़ासिद पर मुश्तमिल पाकीज़ा दुआ ये काफ़ी है, रब्बना आतिना फ़िहुनिया हसनतव्वंफ़िल्आख़िरति हसनतव्वं वकिना अज़ाबन्नार।

बाब 151 : अगर नमाज़ में पेशानी या नाक से मिट्टी लग जाए तो न पोछें जब तक नमाज़ से फ़ारिग़ न हो। इमाम बुखारी ने कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी को देखा कि वो इसी हदीष से ये दलील लेते थे कि नमाज़ में अपनी पेशानी न पोछे

١٥١- بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ
وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :
رَأَيْتُ الْحَمَيْدِيَّ يَخْتَجُّ بِهَذَا
الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي
الصَّلَاةِ.

(836) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी क़षीर से बयान किया, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, तो आपने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कीचड़ में सज्दा करते हुए देखा। मिट्टी का अषर आप (ﷺ) की पेशानी पर साफ़ ज़ाहिर था।
(राजेअ : 669)

٨٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقَالَ :
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ
وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.
[راجع : ٦٦٩]

मा' लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी पेशानी मुबारक से पानी और कीचड़ के निशानात को साफ़ नहीं फ़र्माया था। इमाम हुमैदी के इस्तिदलाल की बुनियाद यही है।

बाब 152 : सलाम फेरने का बयान

١٥٢- بَابُ التَّسْلِيمِ

(837) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब जुहरी ने हिन्द बिन्त हारिष से हदीष बयान की

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ

कि (उम्मुल मोमिनीन हज़रत) उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (नमाज़ से) सलाम फेरते तो सलाम के ख़त्म होते ही औरतें खड़ी हो जाती (बाहर आने के लिये) और आप (ﷺ) खड़े होने से पहले थोड़ी देर ठहरे रहते थे। इब्ने शिहाब (रह.) ने कहा मैं समझता हूँ और पूरा इल्म तो अल्लाह ही को है, आप इसलिये ठहर जाते थे कि औरतें जल्दी चली जाएँ और मर्द नमाज़ से फ़ारिग होकर उनको न पाएँ।

(दीगर मक़ामात : 839, 850)

سَلَمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءَ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَرَى - وَاللَّهُ أَغْلَمُ - أَنْ مَكْنَتَهُ لِكَيْ تَنْفُذَ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَكُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ.

[طرفاه في : ٨٤٩ ، ٨٥٠].

तशरीह : सलाम फेरना इमाम अहमद और इमाम शाफिई और इमाम मालिक और जुम्हूर उलमा और अहले हदीष के नज़दीक फ़र्ज़ और नमाज़ का एक रुकन है लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) लफ़्ज़ सलाम को फ़र्ज़ नहीं जानते बल्कि नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई काम करके नमाज़ से निकलना फ़र्ज़ जानते हैं और हमारी दलील ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हमेशा सलाम फेरा और फ़र्माया कि नमाज़ से निकलना सलाम फेरना है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

बाब 153 : इस बारे में कि इमाम के सलाम फेरते ही मुक्तदी को भी सलाम फेरना चाहिये और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) इस बात को मुस्तहब जानते थे कि मुक्तदी भी उसी वक़्त सलाम फेरे जब इमाम सलाम फेरे

(836) हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें मअमर बिन राशिद ने जुहरी से ख़बर दी, उन्हें महमूद बिन रबीअ अन्सारी ने, उन्हें इब्बान बिन मालिक (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। (राजेअ : 424)

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) का मक़सदे बाब ये है कि मुक्तदियों को सलाम फेरने में देर न करनी चाहिये बल्कि इमाम के साथ ही साथ वो भी सलाम फेर दें।

बाब 154 : इस बारे में कि इमाम को सलाम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ नमाज़ के दो सलाम काफ़ी है

ये बात लाकर इमाम बुखारी (रह.) ने मालिकिया का रद्द किया है जो कहते हैं कि मुक्तदी इमाम को भी सलाम करे

(839) हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमें

١٥٣ - بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ
الإِمَامَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامَ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

٨٣٨ - حَدَّثَنَا حِيَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : (صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ). [راجع : ٤٢٤]

١٥٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ ، وَكَتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

٨٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ

अबुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें मअमर ने जुहरी से खबर दी, कहा कि मुझे महपूद बिन रबीअ ने खबर दी, वो कहते थे कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) पूरी तरह याद हैं और आप का मेरे घर के डोल से कुल्ली करना भी याद है (जो आपने मेरे मुँह पर डाली थी) (राजेअ: 88)

(840) उन्होंने बयान किया कि मैंने इत्बान बिन मालिक अन्सारी से सुना, फिर बनू सालिम के एक शख्स से इसकी मज़ीद तस्दीक हुई। इत्बान (रज़ि.) ने कहा कि मैं अपनी क्रौम बनू सालिम की इमामत किया करता था। मैंने आँहज़रत (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि हज़ूर मेरी आँख ख़राब हो गई है और (बरसात में) पानी से भरे हुए नाले मेरे और मेरी क्रौम की मस्जिद के बीच रुकावट बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी एक जगह नमाज़ अदा फ़र्माएँ ताकि मैं उसे अपनी नमाज़ के लिये मुक़रर कर लूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ख़्वाहिश पूरी करूँगा। सुबह को जब दिन चढ़ गया तो नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए। अबूबक्र (रज़ि.) आपके साथ थे। आपने (अन्दर आने की) इजाज़त चाही और मैंने दे दी। आप बैठे नहीं बल्कि पूछा कि घर के किस हिस्से में नमाज़ पढ़ना चाहते हो। एक जगह की तरफ़ जिसे मैंने नमाज़ पढ़ने के लिये पसन्द किया था, इशारा किया। आप (नमाज़ के लिये) खड़े हुए और हमने आपके पीछे सफ़ बनाई। फिर आपने सलाम फेरा और जब आपने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। (राजेअ: 424)

اللّٰهُ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَرَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ. [راجع: ٧٧]

٨٤٠- قَالَ : سَمِعْتُ عِيَّانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ - قَالَ : كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَإِنَّ السِّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ : ((أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذْنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. [راجع: ٤٢٤]

तशरीह: जुम्हूर फ़क़हा के नज़दीक नमाज़ में दो सलाम हैं। लेकिन इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक अकेले नमाज़ पढ़नेवाले के लिये सिर्फ़ एक सलाम काफ़ी है और नमाज़ बाजमाअत हो रही हो तो दो सलाम होने चाहिये। इमाम के लिये भी और मुक़्तदी के लिये भी लेकिन अगर मुक़्तदी इमाम के बिलकुल पीछे है या नी न दाएँ तरफ़ न बाएँ तरफ़ तो उसे तीन सलाम फेरने पड़ेंगे। एक दाएँ तरफ़ के नमाज़ियों के लिये दूसरा बाएँ तरफ़ के नमाज़ियों के लिये और तीसरा इमाम के लिये। गोया इस सलाम में भी उन्होंने मुलाक़ात के सलाम के आदाब का लिहाज़ रखा है। इमाम बुखारी (रह.) जुम्हूर के मसलक की तर्जुमानी कर रहे हैं (तफ़्हीमुल बुखारी)। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) इस हदीष को कई जगह लाएँ हैं और इससे अनेक मसाइल का इस्तिबात फ़र्माया है यहाँ इस हदीष से बाब का मज़लब यूँ निकाला कि ज़ाहिर ये है कि मुक़्तदियों का सलाम भी आँहज़रत (ﷺ) के सलाम की तरह था और अगर मुक़्तदियों ने कोई तीसरा सलाम कहा होता तो उसको ज़रूर बयान करते। ये भी हदीष से निकला कि मा'जूरीन (असमर्थों) के लिये और नवाफ़िल के लिये घर के किसी हिस्से में नमाज़ की जगह तय कर दी जाए तो इसकी इजाज़त है। ये भी प्राबित है कि किसी वाक़ई अहलुल्लाह बुजुर्ग से इस किस्म की दरख़्वास्त जाइज़ है।

बाब 155 : नमाज़ के बाद ज़िक्र इलाही करना

(841) हमसे इस्हाक़ बिन नज़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुरज़्जाक़ बिन हमाम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल मलिक बिन जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुज़को अम्र बिन दीनार ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के गुलाम अबू मअबद ने उन्हें ख़बर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी कि बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र, फ़र्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ होने पर नबी करीम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में जारी था।

इब्ने अब्बास ने फ़र्माया कि मैं ज़िक्र सुनकर लोगों की नमाज़ से फ़राग़त को समझ जाता था।

(842) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझे अबू मअबद ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ख़बर दी कि आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ ख़त्म होने को तकबीर की वजह से समझ जाता था। अली बिन मदीनी ने कहा कि हमसे सुफ़यान ने अम्र के हवाले से बयान किया कि अबू मअबद इब्ने अब्बास के गुलामों में सबसे ज़्यादा क़ाबिले ए'तिमाद थे। अली बिन मदीनी ने बताया कि उनका नाम नाफ़िज़ था। (राजेअ 841)

(843) हमसे मुहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे सुमय ने बयान किया, उनसे अबू स़ालेह ज़क़वान ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नादार लोग नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अमीर व रईस लोग बुलन्द दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके, हालाँकि जिस तरह हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी

١٥٥- بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٨٤١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: (أَنْ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ - حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ - كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ)). [طرفه في: ٨٤٢].

٨٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْكَتْمِ)). قَالَ عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي مَعْبُدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو مَعْبُدٍ أَصْدَقُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيُّ وَاسْمُهُ نَافِلٌ. [راجع: ٨٤١].

٨٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالذَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ: يَصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَأَلْهَمُ

रखते हैं, लेकिन माल व दौलत की वजह से उन्हें हम पर फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) हासिल है कि उसकी वजह से वो हज्ज करते हैं, उम्रह करते हैं, जिहाद करते हैं और सद्क्रे देते हैं (और हम मुहताजी की वजह से इन कामों को नहीं कर पाते) इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम उसकी पाबन्दी करोगे तो जो लोग तुम से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें तुम पा लोगे और तुम्हारे मर्तबे तक फिर कोई नहीं पहुँच सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे, सिवा उनके जो यही अमल शुरू कर दे, हर नमाज़ के बाद तैंतीस-तैंतीस मर्तबा तस्बीह (सुब्हानल्लाह) तहमीद (अल्हम्दुलिल्लाह) तकबीर (अल्लाहु अक्बर) कहा करो। फिर हममें इख़ितलाफ़ हो गया, किसी ने कहा कि हम तस्बीह तैंतीस मर्तबा, तहमीद तैंतीस मर्तबा और तकबीर चौतीस मर्तबा कहेंगे। मैंने इस पर आप (ﷺ) से दोबारा मा'लूम किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अक्बर कहो, ताकि हर एक इनमें से तैंतीस मर्तबा हो जाए।

(दीगर मक़ामात : 6329)

(844) हमसे मुहम्मद बिन यस्फ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान श़ौरी ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से बयान किया, उनसे मुग़ीरा बिन शुअबा के कातिब वर्राद ने, उन्होंने बयान किया कि मुझसे मुग़ीरा बिन शअबा (रज़ि.) ने मुआविया (रज़ि.) को एक ख़त में लिखवाया कि नबी करीम (ﷺ) हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ते थे (तर्जुमा) अल्लाह के सिवा कोई लायक़े-इबादत नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है और तमाम ता'रीफ़ उसी के लिये है। वो हर चीज़ पर क़ादिर है। ऐ अल्लाह! जिसे तू दे उससे रोकने वाला कोई नहीं और किसी मालदार को उसकी दौलत व माल तेरी बारगाह में कोई नफ़ा न पहुँचा सकेगी। शुअबा ने भी अब्दुल मलिक से इसी तरह रिवायत की है। हसन ने फ़र्माया कि (हदीष में लफ़्ज़) जद के मा'नी मालदारी है और हकीम, क़ासिम बिन मुख़ैमरह से वो वर्राद के वास्ते से इसी तरह रिवायत करते हैं।

فَضْلَ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيَجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. فَقَالَ: ((أَلَا أَحَدْتُكُمْ بِمَا إِنْ أَحَدْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يَدِرْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ)). فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا: فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ)).

[طرفه في : 6329].

٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَادِ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمَلَى عَلِيَّ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ: جَدُّ غِنَى وَعَنْ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَادٍ بِهَذَا.

(दीगर मक़ामात : 1488, 2408, 5980, 6330, 6473, 6610, 7262)

बाब 156 : इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुँह करे

(845) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुरैज बिन आज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबूरजाअ इमरान बिन तमीम ने समुरह बिन जुन्दब (रज़ि.) से नक़ल किया, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़े (फ़र्ज़) पढ़ा चुकते तो हमारी तरफ मुँह करते।

(दीगर मक़ामात : 1143, 1386, 2080, 2791, 3336, 3354, 4673)

तशरीह :

इससे साफ़ मा'लूम हुआ कि नमाज़े फ़र्ज़ के बाद सुन्नत तरीक़ा यही है कि सलाम फेरने के बाद इमाम दाएँ या बाएँ मुँह फेरकर मुक़्तदियों की तरफ मुँह करके बैठे। मगर सद् अफ़सोस कि एक देवबन्दी साहबे मुतर्जिम शारेह बुखारी फ़माते हैं आजकल दाएँ या बाएँ तरफ़ रुख़ करके बैठने का आम रिवाज है इसकी कोई असल नहीं न ये सुन्नत है न मुस्तहब जाइज़ ज़रूर है (तफ़्हीमुल बुखारी पारा नं. 4 पेज नं. 22) फिर हदीषे मज़क़ूरा मुनाकिदा बाब का मफ़हूम क्या है? इसका जवाब फ़ाज़िल मौसूफ़ ये देते हैं कि मुसन्निफ़ (रह.) ये बताना चाहते हैं कि नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद अगर इमाम अपने घर जाना चाहता है तो घर चला जाए लेकिन अगर मस्जिद में बैठना चाहता है तो सुन्नत ये है कि दूसरे मौजूदा लोगों की तरफ़ रुख़ करके बैठे (हवाला मज़क़ूर) नाज़िरीन ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ाज़िल शारेह बुखारी के दोनों बयानात में किस क़दर तज़ाद (विरोधाभास) है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के बाब और हदीष का मफ़हूम ज़ाहिर है।

(846) हमसे अब्दुल्लाह बिन मसलमा क़अनबी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने झालेह बिन कैसान से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इतैबा बिन मस्ऊद ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी, नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद आपने लोगों की तरफ़ मुँह किया और फ़र्माया मा'लूम है तुम्हारे रब ने क्या फ़र्माया है। लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ख़ूब जानते हैं (आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि) तुम्हारे रब का इर्शाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बन्दे मुझ पर इमामान लाए और कुछ मेरे मुन्किर हुए, जिसने कहा कि

[أطرافه في : ٥٩٧٥ ، ٢٤٠٨ ، ١٤٧٧ :
[٧٢٩٢ ، ٦٦١٥ ، ٦٤٧٣ ، ٦٣٣٠ .

١٥٦ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

[أطرافه في : ٢٠٨٥ ، ١٣٨٦ ، ١١٤٣ :
٤٦٧٤ ، ٣٣٥٤ ، ٣٣٣٦ ، ٢٧٩١

٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ - عَلَى إِبْرِ سَمَاءَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَنْزَوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ

अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से तुम्हारे लिये बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है और सितारों का मुन्किर और जिसने कहा कि फलाँ तारे की फलानी जगह पर आने से बारिश हुई तो मेरा मुन्किर है और सितारों का मोमिन।

(दीगर मक़ामात : 1037, 4147, 4503)

عِبَادِي مُؤْمِنِي وَكَافِرِي: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنُورِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)).

[أطرافه في : ١٠٣٨، ٤١٤٧، ٤٥٠٣].

कुफ़्र से हक़ीक़ी कुफ़्र मुराद है मा'लूम हुआ कि जो कोई सितारों को मुअप्पिर (प्रभावशाली) जाने वो हदीष की रू से काफ़िर है। पानी बरसाना अल्लाह का काम है सितारे क्या कर सकते हैं।

(847) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने यज़ीद बिन हारून से सुना, उन्हें हुमैद ज़ैली ने ख़बर दी और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात (इशा की) नमाज़ में देर फ़र्माई तक्ररीबन आधी रात तक। फिर आख़िर हुजे से बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज़ के बाद हमारी तरफ़ मुँह किया और फ़र्माया कि दूसरे लोग नमाज़ पढ़ कर सो चुके, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज़ का इन्तज़ार करते रहे गोया नमाज़ ही में रहे (या'नी तुमको नमाज़ का प्रवाब मिलता रहा)

(राजेअ : 572)

٨٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا، وَإِنكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ)).

[راجع : ٥٧٢]

इन तमाम रिवायतों से ज़ाहिर हुआ कि सलाम फेरने के बाद इमाम मुक्तदियों की तरफ़ मुतवज्जह होकर बैठे, फिर तस्बीह तहलील करे या लोगोंको मसले-मसाइल बतलाए या फिर उठकर चला जाए।

बाब 157 : सलाम के बाद इमाम उसी जगह

ठहरकर (नफ़्ल वग़ैरह) पढ़ सकता है

(848) और हमसे आदम बिन अबी अयास ने कहा कि उनसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे नाफ़ेअ ने, फ़र्माया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) (नफ़्ल) उसी जगह पढ़ते थे जिस जगह फ़र्ज़ पढ़ते थे और क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर ने भी इसी तरह किया है और अबू हुरैरह (रज़ि.) से मफ़ूअन रिवायत है कि इमाम अपनी (फ़र्ज़ पढ़ने की जगह) पर नफ़्ल न पढ़े और ये सहीह नहीं।

(849) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने

١٥٧- بَابُ مَكَثِ الْإِمَامِ فِي

مُصَلَاةٍ بَعْدَ السَّلَامِ

٨٤٨- وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَائِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةُ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ، وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: لَا يَنْطَوِّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَائِهِ. وَلَمْ يَصِحْ.

٨٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا

बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुहरी ने हिन्द बिन हारिष से बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) जब सलाम फेरते तो कुछ देर अपनी जगह बैठे रहते।

(राजेअ : 873)

(850) और अबू सईद बिन अबी मरयम ने कहा कि हमें नाफ़ेअ बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया कि इब्ने शिहाब जुहरी ने उन्हें लिख भेजा कि मुझसे हिन्द बिन हारिष फ़रासिया ने बयान किया और उनसे नबी करीम (ﷺ) की पाक बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) ने (हिन्द उनकी सुहबत में रहती थीं) उन्होंने फ़र्माया कि जब नबी करीम (ﷺ) सलाम फेरते तो औरतें लौट कर जाने लगतीं और नबी करीम (ﷺ) के उठने से पहले अपने घरों में दाख़िल हो चुकी होतीं।

(राजेअ : 838)

और इब्ने वुहैब ने यूनुस के वास्ते से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया और उन्हें हिन्द बिन हारिष कुरशिया ने ख़बर दी और इम्रान बिन उमर ने कहा कि हमें यूनुस ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे हिन्द कुरशिया ने बयान किया, मुहम्मद बिन वलीद जुबैदी ने कहा कि मुझको जुहरी ने ख़बर दी कि हिन्द बिन हारिषा कुरशिया ने उन्हें ख़बर दी। और वो बनू ज़हैर के हलीफ़ मअबद बिन मित्रदाद की बीवी थीं और नबी करीम (ﷺ) की अज़वाजे-मुत्तहारात की ख़िदमत में हाज़िर हुआ करती थी और शुऐब ने जुहरी से इस हदीष को रिवायत किया, उन्होंने कहा, मुझसे हिन्द कुरशिया ने हदीष बयान की, और इब्ने अबी अतीक ने जुहरी के वास्ते से बयान किया और उनसे हिन्द फ़रासिया ने बयान किया। लैष ने कहा कि मुझसे यहाा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया और उनसे कुरैश की एक औरत ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करके बयान किया।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَرَى - وَاللَّهِ أَغْلَمُ - لِكَيْ يَنْقُذَ مِنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النَّسَاءِ)). [راجع: ٨٧٣]

٨٥٠ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبِهَا - قَالَتْ: (كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ). [راجع: ٨٣٧]

وَقَالَ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ - وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبِدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ خَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ - وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ الْفِرَاسِيَّةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

तशरीह:

इन सनदों के बयान करने से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की गर्ज ये है कि हिन्द की निस्बत का इख़्तिलाफ़ प्राबित करें किसी ने उनको फ़रासिया कहा किसी ने कुरशिया और रद्द किया उस शख्स पर जिसने कुरशिया को तस्हीफ़ करार दिया क्योंकि लैष की रिवायत में उसके कुरशिया होने की तस्रीह है मगर लैष की रिवायत मौसूल नहीं है इसलिये कि हिन्द फ़रासिया या कुरशिया ने आँहज़रत से नहीं सुना मक़सदे बाब व हदीष ज़ाहिर है कि जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी गई हो वहाँ नफ़्ल भी पढ़ी जा सकती है मगर दीगर रिवायात की बिना पर ज़रा जगह बदल ली जाए या कुछ कलाम कर लिया जाए ताकि फ़र्ज़ और नफ़्ल नमाज़ों में इख़्तिलाफ़ का वहम न हो सके।

बाब 158 : अगर इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाकर किसी काम का ख़याल करे और ठहरे नहीं बल्कि लोगों की गर्दनें फाँदता चला जाए तो क्या है

(851) हमसे मुहम्मद बिन इब्बैद ने बयान किया, कहा कि हमसे ईसा बिन यूनुस ने इमर बिन सईद से ये हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि मुझे इब्ने अबी मुलैका ने ख़बर दी, उनसे इब्बा बिन हारिष (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने मदीना में नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा में एक मर्तबा अस्त्र की नमाज़ पढ़ी। सलाम फेरने के बाद आप (ﷺ) जल्दी से उठ खड़े हुए और सफ़ों को चीरते हुए आप अपनी किसी बीवी के हुज़रे में गये। लोग आप (ﷺ) की तेज़ी की वजह से घबरा गए। फिर जब आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और जल्दी की वजह से लोगों के तअज्जुब को महसूस फ़र्माया तो फ़र्माया कि हमारे पास एक सोने का डला (तक्रसीम करने से) बच गया था मुझे उसमें दिल लगा रहना बुरा मा'लूम हुआ, मैंने उसे बाँट देने का हुक्म दिया।

(दीगर मक़ामात : 1221, 1430, 6270)

तशरीह:

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि फ़र्ज़ के बाद इमाम को अगर कोई फ़ौरी ज़रूरत मा'लूम हो जाए तो वो खड़ा होकर जा सकता है क्योंकि फ़र्ज़ों के सलाम के बाद इमाम को ख़वाह-मख़वाह अपनी जगह ठहरे रहना कुछ लाज़िम या वाजिब नहीं है। इस वाक़िअे से ये भी मा'लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) को अपनी पैग़म्बराना ज़िम्मेदारियों का किस शिद्दत से एहसास रहता था कि सोने का एक तौला भी घर में सिर्फ़ बतौर अमानत ही एक रात के लिये रख लेना नागवार मा'लूम हुआ। फिर उन मुआनिदीन (निन्दा करने वालों) पर फटकार हो जो ऐसे पाक पैग़म्बर फ़िदा अबी व उम्मी की शान में गुस्ताख़ी करते हैं और नरज़ुबिल्लाह आप (ﷺ) पर दुनियादारी का ग़लत इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। 'हदाहुमुल्लाह'

बाब 159 : नमाज़ पढ़कर दायें या बाएँ दोनों

तरफ़ फिर बैठना या पलटना दुरुस्त है

और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) दायें और बाएँ दोनों तरफ़

۱۵۸- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ

حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

۸۵۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْنِدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ غَمَرَ بْنِ

سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ

عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ

الْفَصْرَ، فَسَلَّمْتُ، فَقَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى

رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرٍ بِسَائِهِ،

فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ

فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ:

((ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ

يَخْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)).

[أطرافه في: ۱۲۲۱، ۱۴۳۰، ۱۲۲۷۰].

۱۵۹- بَابُ الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْجِرَافِ

عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ

وَكَانَ أَنَسٌ يَنْقَلِبُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ،

मुड़ते थे, और अगर कोई दायें तरफ़ ख़वामख़वाह क़स्द करके मुड़ता तो इस पर आप ए' तिराज़ करते थे।

(852) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने सुलैमान से बयान किया, उनसे अम्मार बिन उमैर ने, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मस्क़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि कोई श़ख्स अपनी नमाज़ में से कुछ भी शैतान का हिस्सा न लगाए, इस तरह की दाहिनी तरफ़ ही लोटना अपने लिये ज़रूरी क़रार दे ले। मैंने नबी करीम (ﷺ) को अक़्रर बाएँ तरफ़ से लौटते देखा।

وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى - أَوْ مَنْ يَغْمِدُ
- الْإِنْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.

٨٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَجْعَلُ
أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنْ
حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ،
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ
يَسَارِهِ.

तशरीह:

मा'लूम हुआ कि किसी मुबाह्र या मुस्तहब काम को लाज़िम या वाज़िब कर लेना शैतान की अगवाई है। इब्ने मुनीर ने कहा मुस्तहब काम को अगर कोई लाज़िम क़रार दे तो वो मकरूह हो जाता है। जब मुबाह्र काम को लाज़िम क़रार देने से शैतान का हिस्सा समझा जाए तो जो काम मकरूह या बिदअत है उसको कोई लाज़िम क़रार दे ले और उसके न करने पर अल्लाह के बन्दों को सताए या उनका ऐब करे तो उस पर शैतान का क्या तसल्लुत (प्रभुत्व, ग़लबा) है समझ लेना चाहिये। हमारे ज़माने में ये बला बहुत फैली हुई है। बेअसल कामों को अवाम क्या बल्कि ख़ास ने लाज़िम क़रार दे लिया है। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ) तीजा, फ़ातिहा, चहल्लुम वग़ैरह सब इसी किस्म के काम हैं।

बाब 160 : लह्सुन, प्याज़ और गंदने के

मुता'ल्लिक़ जो रिवायात आई हैं उनका बयान

और नबी करीम (ﷺ) का इशार्द है कि जिस ने लह्सुन या प्याज़ भूख या इसके अलावा किसी वजह से खाई हो वो हमारी मस्जिद के पास न फटके।

(853) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, अबैदुल्लाह बुकैरी से बयान किया, कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जंगे-ख़ैबर के मौक़े पर कहा था कि जो श़ख्स इस पेड़ या'नी लह्सुन को खाए हुए हो, उसे हमारी मस्जिद में न आना चाहिये (कच्चा लह्सुन या प्याज़ मुराद है कि इससे मुँह में बदबू पैदा हो जाती है)।

(दीगर मक़ामात : 4210, 4217, 4218, 5521, 5522)

١٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّيِّ

وَالْبَصْلِ وَالكَرَّاتِ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ
الْبَصْلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ
مَسْجِدَنَا)).

٨٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ
مَسْجِدَنَا)).

[أطرافه في : ٤٢١٥، ٤٢١٧، ٤٢١٨،

(854) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया,

٨٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

कहा कि हमसे अबू आसिम बिन जिहाक बिन मुखल्लद ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने खबर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रिबाह ने खबर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स ये पेड़ खाए (आप ﷺ की मुराद लहसुन थी) तो वो हमारी मस्जिद में न आए। अता ने कहा, मैंने जाबिर से पूछा कि आपकी मुराद इससे क्या थी? उन्होंने जवाब दिया कि आपकी मुराद सिर्फ़ कच्चे लहसुन से थी। मुखल्लद बिन यज़ीद ने इब्ने जुरैज के वास्ते से (अलअन्या के बजाय) इल्ला नतनहून क़ल किया है। (या'नी आपकी मुराद सिर्फ़ लहसुन की बदबू से थी) (दीगर मक़ामात : 700, 5452, 7359)

तश्रीह: किसी भी बदबूदार चीज़ को मस्जिद में ले जाना या उसके खाने के बाद मस्जिद में जाना बुरा है। वजह ज़ाहिर है कि लोग उसकी बदबू की वजह से तकलीफ़ महसूस करेंगे और फिर मस्जिद एक पाक और मुकद्दस जगह है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है। आजकल बीड़ी, सिगरेट वालों के लिये भी लाज़िम है कि मुँह साफ़ करके बदबू दूर करके मिस्वाक से मुँह को गड़-गड़कर मस्जिद में आएँ अगर नमाज़ियों को उनकी बदबू से तकलीफ़ हुई तो ज़ाहिर है कि ये कितना गुनाह होगा। कच्चा लहसुन, प्याज़ और सिगरेट बीड़ी वगैरह बदबूदार चीज़ों का एक ही हुक्म है इतना फ़र्क़ ज़रूर है कि प्याज़, लहसुन की बू अगर दूर की जा सके तो उनका इस्ते'माल जाइज़ है जैसा कि पकाकर उनकी बू को दफ़ा कर दिया जाता है।

(855) हमसे सईद बिन इफ़ैर ने, कहा कि हमसे इब्ने वुहैब ने यूनुस से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने कि अता जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो लहसुन या प्याज़ खाए हुए हो तो वो हमसे दूर रहे या (ये कहा कि उसे) हमारी मस्जिद से दूर रहना चाहिये या उसे अपने घर में ही बैठना चाहिये। नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक हाण्डी लाई गई, जिसमें कई क्रिस्म की हरी तरकारियाँ थीं। (प्याज़ या गन्दना भी) आप (ﷺ) ने उसमें बू महसूस की और उसके मुता'ल्लिक़ दरयाफ़्त किया। इस सालन में जितनी तरकारियाँ डाली गई थी वो आप को बता दी गई। वहाँ एक सहाबी मौजूद थे आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसकी तरफ़ ये सालन बढ़ा दो। आप (ﷺ) ने उसे खाना पसन्द नहीं फ़र्माया और फ़र्माया कि तुम लोग खालो। मेरी जिनसे सरगोशी रहती है, तुम्हारी नहीं रहती और अहमद बिन मालेह ने इब्ने वुहैब से यूँ नक़ल किया कि थाल आप (ﷺ) की ख़िदमत में लाई गई थी। इब्ने वुहैब ने कहा कि तबक़ जिसमें हरी तरकारियाँ थी और लैज़ और अबू सफ़वान ने यूनुस से

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَفْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا)). قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَيْتُهُ. وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: إِلَّا نَيْتُهُ. [أطرفه في : ٨٥٥، ٥٤٥٢، ٧٣٥٩].

٨٥٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَغْتَرِلْنَا - أَوْ فَلْيَغْتَرِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَغْتَرِلْ فِي بَيْتِهِ)). وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّى يَقْدِرُ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأَخْبَرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ: ((قَرَّبُوهَا)) - إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: ((كُلْ، فَإِنِّي أَنَا جِي مَنْ لَا تَأْجِي)). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ (أَنَّى يَبْدُرُ) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكَرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ

रिवायत में हाण्डी नहीं बयान किया है। इमाम बुखारी (रह.) ने (या सईद या इब्ने वुहैब ने कहा) मैं नहीं कह सकता कि ये खुद जुहरी का क़ौल है या हदीष में दाख़िल है। (राजेअ : 804)

856. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से एक शख्स ने पूछा कि आपने नबी करीम (ﷺ) से लहसुन के बारे में क्या सुना है। उन्होंने बताया कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स इस पेड़ को खाए वो हमारे करीब न आए, हमारे साथ नमाज़ न पढ़े। (दीगर मक़ामात : 5451)

मक़सद यही है कि इन चीज़ों को कच्चा खाने से मुँह में बदबू हो जाती है वो दूसरे साथियों के लिये तकलीफ़देह है लिहाज़ा इन चीज़ों के खाने वालों को चाहिये कि जिस तौर पर मुम्किन हो उनकी बदबू का इज़ाला (निवारण) करके मस्जिद में आएँ। बीड़ी-सिगरेट के लिये भी यही हुक्म है।

बाब 161 : इस बारे में कि बच्चों के लिये वुजू और उन पर गुस्ल और वुजू और जमाअत, ईदैन, जनाज़ों में उनकी हाज़िरी और उनकी सफ़ों में शिरकत कब ज़रूरी होगी और क्योंकर होगी

857. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, उसने शुअबाने ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मुझसे एक ऐसे शख्स ने ख़बर दी जो (एक मर्तबा) नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अकेली अलग-थलग टूटी हुई क्रब्र पर से गुज़र रहे थे, वहाँ आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई और लोग आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बाँधे हुए थे। सुलैमान ने कहा कि मैंने शुअबी से पूछा कि अबू अम्र आपसे ये किसने बयान किया तो उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने।

(दीगर मक़ामात : 1247, 1319, 1321, 1322, 1326, 1336, 1340)

قِصَّة الْقِدْرِ، فَلَا أُذْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ. [راجع: ٨٥٤]

٨٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا: مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَفْرَتْنَا وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنَا)). [طرفه في: ٥٤٥١].

١٦١- بَابُ وُضْوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

٨٥٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَلِيمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: (سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ).

[أطرافه في: ١٣٢١, ١٣١٩, ١٢٤٧, ١٣٢٢, ١٣٣٦, ١٣٢٦, ١٣٤٠].

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से ये प्राबित किया है कि बच्चे अगरचे नाबालिग़ हों मगर 8-10 साल की उम्र में जब वो नमाज़ पढ़ने लगें तो उनको वुजू करना होगा और वो जमाअत व ईदैन व जनाइज़ में भी शिरकत कर सकते हैं जैसाकि यहाँ इस रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का ज़िक्र है जो अभी नाबालिग़ थे मगर यहाँ उनका सफ़ में शामिल होना प्राबित है पस अगरचे बच्चे बालिग़ होने पर ही मुकल्लफ़ होंगे मगर आदत डालने के लिये नाबालिगी के

ज़माने ही से उनको इन बातों पर अमल कराना चाहिये हज़रत मौलाना वहीदुज्जमाँ साहब मरहूम फ़र्माते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने साफ़ यूँ नहीं कहा कि लड़कों पर वुजू वाजिब है या नहीं क्योंकि सूरते फ़ानी में लड़कों की नमाज़ बेवुजू दुरुस्त होती और सूरते ऊला में लड़कों को वुजू और नमाज़ के छोड़ने पर अज़ाब लाज़िम आता सिर्फ़ इस क़दर बयान कर दिया जितना हदीषों से मा'लूम होता है कि लड़के आँ हज़रत (ﷺ) के ज़माने में नमाज़ वग़ैरह में शरीक होते और ये उनकी कमाले एह्तियाज़ है। अहले हदीष की शान यही होनी चाहिये कि आयते करीमा ला तुक़द्दिमु बैन यदइल्लाहि व रसूलिही (अल हज़रात : 1) अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो; के तहत सिर्फ़ उसी पर इक्तिफ़ा करें जो कुआन व हदीष में वारिद हो आगे बेजा राय, क़यास, तावीले फ़ासिद से काम न लें खुसूसन नस्स के मुकाबले पर क़यास करना इबलीस का काम है।

858. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सफ़वान बिन सुलैम ने अताअ से बयान किया, उनसे अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्आ के दिन हर बालिग़ के लिये गुस्ल ज़रूरी है।

(दीगर मक़ामात : 879, 880, 890, 2665)

۸۵۸- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْفُغْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

[أطرافه في: ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۹۰]

[۲۶۶۵]

तशरीह: मा'लूम हुआ कि गुस्ल वाजिब उस वक़्त होता है जबकि बच्चे बालिग़ हो जाएँ वो भी बसूरते एह्तिलाम गुस्ल वाजिब होगा और गुस्ले जुम्आ के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि लोगों के पास शुरु इस्लाम में कपड़े बहुत कम थे इसलिये काम करने में पसीना से कपड़ों में बदबू पैदा हो जाती थी और इसलिये उस वक़्त जुम्आ के दिन गुस्ल करना वाजिब था। फिर जब अल्लाह तआला ने मुसलमानों को फ़राखी दी तो ये वुजूब बाक़ी नहीं रहा। अब भी ऐसे लोगों पर गुस्ल ज़रूरी है जिनके पसीने की बदबू से लोग तकलीफ़ महसूस करें। गुस्ल सिर्फ़ बालिग़ पर वाजिब होता है उसी को बयान करने के लिये हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये हदीष यहाँ लाए हैं। इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक जुम्आ का गुस्ल वाजिब है।

859. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने अम्र बिन दीनार से बयान किया, कहा कि मुझे कुरैब ने ख़बर दी इब्ने अब्बास से, उन्होंने बयान किया कि एक रात मैं अपनी खाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोया था और रसूले-करीम (ﷺ) भी वहाँ सो गये। फिर रात का एक हिस्सा जब गुज़र गया, आप खड़े हुए और लटकी हुई मशक से हल्का सा वुजू किया। अम्र (हदीष के रावी ने) इस वुजू को बहुत ही हल्का बतलाया। (या'नी इसमें आप ﷺ ने बहुत कम पानी इस्ते'माल फ़र्माया) फिर आप (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े हुए, उसके बाद मैंने भी उठकर उसी तरह वुजू किया जैसे आप (ﷺ)

۸۵۹- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (بِتُّ عِنْدَ خَالَاتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنْ مَعْلَقٍ وَضَوْءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرُو وَيَقَلِّلُهُ جَدًّا - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقَمَتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا

ने किया था, फिर मैं आप (ﷺ) के बाएँ तरफ़ खड़ा हो गया। लेकिन आप (ﷺ) ने मुझे दाहिनी तरफ़ फेर दिया। फिर अल्लाह तआलाने जितना चाहा आपने नमाज़ पढ़ी फिर आप लेट गये फिर सो गये। यहाँ तक कि आप खरटि लेने लगे। आख़िर मोअज़्ज़िन ने आकर आपको नमाज़ की ख़बर दी और आप उसके साथ नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गए और नमाज़ पढ़ाई मगर (नया) वुजू नहीं किया। सुफ़यान ने कहा, हमने अम्र बिन दीनार से कहा कि लोग कहते हैं कि (सोते वक़्त) आप (ﷺ) की (सिर्फ़) आँखें सोती थीं लेकिन दिल नहीं सोता था। अम्र बिन दीनार ने जवाब दिया कि मैंने उबैद बिन इमैर से सुना, वो कहते थे कि अंबिया का ख़वाब भी वहा होता है। फिर उबैद ने इस आयत की तिलावत की (तर्जुमा) मैंने ख़वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। (राजेअ: 117)

مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جَنَّتْ لَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ لِقَامٍ حَتَّى نَفَخَ. فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يَأْذُنُهُ بِالصَّلَاةِ لِقَامٍ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ). قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٍو: سَمِعْتُ عَبِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: (إِنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَخِي) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾. [راجع: ١١٧]

तशरीह: बाब का तर्जुमा इससे निकला कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने वुजू किया और नमाज़ में शरीक हुए हालाँकि उस वक़्त वो नाबालिग़ लड़के थे आयते मज़क़ूर सूरह स़ाफ़फ़ात में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैंने ख़वाब में देखा कि तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। यहाँ ख़वाब बमा' नी वह्य है साहिबे ख़ैर जारी लिखते हैं, वलम्मा कानत वह्यान लम यकुन नौमुहुम नौम ग़फ़लतिन मुदियतुन इललहदप्रि बल नौमु तनब्बुहिन वयत्तकुजिन व इन्तिबाहिन व इन्तिजारिन लिलववह्वि' का ख़वाब भी वह्य है तो उनका सोना न ऐसी ग़फ़लत का सोना जिससे वुजू करना फ़र्ज़ लाज़िम आए बल्कि वो सोना महज़ होशियार होना और वह्य का इतिज़ार करने का सोना है।

860. हमसे इस्माईल बिन उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि (उनकी माँ) इस्हाक़ की दादी मुलैका (रज़ि.) ने रसूल (ﷺ) को खाने पर बुलाया जिसे उन्होंने आप (ﷺ) के लिये बतौरै-ज़ियाफ़त तैयार किया था। आप (ﷺ) ने खाना खाया फिर फ़र्माया चलो मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ। हमारे यहाँ एक बोरिया था जो पुराना होने की वजह से स्याह (काला) हो गया था। मैंने उसे पानी से साफ़ किया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए और (पीछे) मेरे साथ यतीम लड़का (ज़ुमैरा बिन सअद) खड़ा हुआ। मेरी बूढ़ी दादी (मुलैका उम्मे सुलैम) हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर आप (ﷺ) ने हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ: 380)

٨٦٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مَلِكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ لَقَامٌ، فَقَالَ: ((قَوْمُوا فَلأَصَلِّي بِكُمْ)). فَقَمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا لَبِثُ، فَصَضَخْتُ بِمَاءٍ، (لِقَامٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ). [راجع: ٣٨٠]

तशरीह: यहाँ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि यतीम लफ़्ज़ से बचपन समझ में आता है क्योंकि बालिग़ को यतीम नहीं कहते। गोया एक बच्चा जमाअत में शरीक हुआ और नबी करीम (ﷺ) ने उस पर नापसंदीदगी का इज़हार नहीं फ़र्माया। इस हदीस से ये भी निकला कि दिन को नफ़ल नमाज़ ऐसे मौकों पर जमाअत से भी पढ़ी जा सकती है और

ये भी मा'लूम हुआ कि मकान पर नफ़ल वग़ैरह नमाज़ों के लिये कोई जगह ख़ास कर लेना भी सही है। सहीह यही है कि हज़रत उम्मे मुलैका इस्हाक़ की दादी हैं, 'जज़म बिही जमाअतुन व सहहहुन्नववी' कुछ लोगों ने उन्हें अनस (रज़ि.) की दादी करार दिया है, इन्हे हज़र का यही क़ौल है।

861. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब जुहरी ने बयान किया, उनसे अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इतैबाने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। अभी मैं जवानी के क़रीब था (लेकिन बालिग़ न था) और आँहज़रत (ﷺ) मीना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप के सामने दीवार वग़ैरह (आड़) न थी। मैं सफ़्र के एक हिस्से के आगे से गुज़र कर उतरा। गधी चरने के लिये छोड़ दी और ख़ुद सफ़्र में शामिल हो गया। किसी ने मुझ पर ए'तिराज़ नहीं किया (हालाँकि मैं बालिग़ न था) (राजेअ: 76)

۸۶۱- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْعِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَزَتْ بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضُ الصَّفِّ، فَتَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ). [راجع: ۷۶]

तशरीह : इस हदीष से भी इमाम बुखारी (रह.) ने बाब का मतलब प्राबित किया है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) उस वक़्त नाबालिग़ थे, उनका सफ़्र में शरीक होना और वुजू करना नमाज़ पढ़ना प्राबित हुआ। ये भी मा'लूम हुआ कि बुलूग़त (जवान होने) से पहले भी लड़को को ज़रूर, ज़रूर नमाज़ की आदत डलवानी चाहिये। इसीलिये सात साल की उम्र से नमाज़ का हुक्म करना ज़रूरी है और दस साल की उम्र होने पर उनको धमकाकर भी नमाज़ का आदी बनाना चाहिये।

862. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक रात इशा में देर की और अयाश ने हमसे अब्दुल अअला से बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मअमर ने जुहरी से बयान किया, उनसे इर्वा ने, और उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा में एक मर्तबा देर की, यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने आवाज़ दी कि औरतें और बच्चे सो गये। उन्होंने फ़र्माया कि फिर नबी करीम (ﷺ) बाहर आए और फ़र्माया कि (इस वक़्त) रुए-जमीन पर तुम्हारे सिवा और कोई इस नमाज़ को नहीं पढ़ता, उस ज़माने में मदीना वालों के सिवा और कोई नमाज़ नहीं पढ़ता था। (राजेअ: 566)

۷۶۲- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : (أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ . . .) . قَالَ عِيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ : قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ) . قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ((إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرِكُمْ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ

أَهْلُ الْمَدِينَةِ)). [راجع: ٥٦٦]

इसलिये कि इस्लाम सिर्फ मदीना तक ही महदूद था, खास तौर से बा-जमाअत का सिलसिला मदीना ही में था।

इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से बाब का मतलब यूँ निकाला कि उस वक़्त इशा की नमाज़ पढ़ने के लिये बच्चे भी आते रहते होंगे, तभी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि औरतों और बच्चे सो गए। पस जमाअत में औरतों का बच्चों के साथ शरीक होना भी प्राबित हुआ, 'वज़्ज़ाहिरू मिन कलामि उमर अन्नहू शाहदन्निसा अल्लाती हज़न फिल्मस्जिदि क़द निम्न व सिब्ब्यानुहुन्न मअहुन्न.' (हाशिया बुखारी) या 'नी जाहिरे कलामे उमर से यही है कि उन्होंने उन औरतों का मुशाहिदा किया जो मस्जिद में अपने बच्चों समेत नमाज़े इशा के लिये आई थीं और वो सो गई जबकि उनके बच्चे भी उनके साथ थे।

863. हमसे उमर बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान घ़ौरी ने बयान किया, कहा कि मुझ से अब्दुर्हमान बिन आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना और उनसे एक शख्स ने ये पूछा था कि क्या तुमने (औरतों का) निकलना ईद के दिन आँहज़रत (ﷺ) के साथ देखा है? उन्होंने कहा हाँ, देखा है। अगर मैं आप का रिश्तेदार-अज़ीज़ न होता तो कभी न देखता। (या'नी मेरी कमसिनी और क़राबत की वजह से आँहज़रत मुझ को अपने साथ रखते थे) क़बीर बिन सल्लत के मकान के पास जो निशान हैं, पहले वहाँ आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए, वहाँ आप (ﷺ) ने खुल्बा सुनाया फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें भी वा'ज़ व नज़ीहत की। आप (ﷺ) ने उनसे ख़ैरात करने के लिये कहा। चुनाँचे औरतों ने अपने छल्ले और अंगूठियाँ उतार-उतार कर बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डालनी शुरू कर दी। आख़िर आप (ﷺ) बिलाल (रज़ि.) के साथ घर तशरीफ़ लाए। (राजेअ: 98)

٨٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - ((الْعَلَمُ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ آتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَّصِدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهَوِّي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ آتَى هُوَ وَبِلَالٌ التَّيْتِ)).

[راجع: ٩٨]

तशरीह: हज़रत इब्ने अब्बास कमसिन थे, बावजूद उसके ईद में शरीक हुए यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है और उससे औरतों का ईदगाह में जाना भी प्राबित हुआ। चुनाँचे अहनाफ़ के यहाँ ईदगाह में औरतों का जाना जाइज़ नहीं है, इसीलिये एक बुखारी शरीफ़ के देवबन्दी नुस्खे में तर्जुमा ही बदल दिया गया है। चुनाँचे वो तर्जुमा यूँ करते हैं कि 'उनसे एक शख्स ने यूँ पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) के साथ आप ईदगाह गए थे। हालाँकि पूछा ये जा रहा था कि क्या तुमने ईद के दिन नबी करीम (ﷺ) के साथ औरतों का निकलना देखा है, उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर देखा है। ये बदला हुआ तर्जुमा देवबन्दी तफ़हीमुल बुखारी पारानं. 4 पेज नं. 32 पर देखा जा सकता है। ग़ालिबन ऐसे ही हज़रत के लिये कहा गया है कि खुद बदलते नहीं कुआन को बदल देते हैं। वफ़क़नल्लाहु लिमा युहिबबु व यज़ा आमीन।

बाब 162 : औरतों का रात में और

(सुबह के वक़्त) अंधेरे में मस्जिद में जाना

١٦٢ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى

المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

864. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वा बिन यज़ीद ने आइशा (रज़ि.) से बयान किया, आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा इशा की नमाज़ में इतनी देरी की कि उमर (रज़ि.) को कहना पड़ा कि औरतें और बच्चे सो गये। फिर नबी करीम (ﷺ) (हुज्रे से) बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि देखो रूए-ज़मीन पर इस नमाज़ का (इस वक़्त) तुम्हारे सिवा और कोई इन्तिज़ार नहीं कर रहा है। उन दिनों मदीना के सिवा और कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी और लोग इशा की नमाज़ शफ़क़ डूबने के बाद से रात की पहली तिहाई गुज़रने तक पढ़ा करते थे।

(राजेअ : 566)

٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرُؤَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ)). وَلَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ.

[راجع: ٥٦٦]

तशरीह : मा' लूम हुआ कि औरतें भी नमाज़ के लिये हाज़िर थीं, तभी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये जुम्ला बाआवाजे बुलन्द फ़र्माया ताकि आप (ﷺ) तशरीफ़ लाएँ और नमाज़ पढ़ाएँ। बाब का तर्जुमा इसी से निकलता है कि औरतें और बच्चे सो गए क्योंकि इससे मा' लूम होता है कि औरतें भी रात को नमाज़े इशा के लिये मस्जिद में आया करती थीं। उसके बाद जो हदीष इमाम बुखारी (रह.) ने बयान की उससे भी यही निकलता है कि रात को औरत मस्जिद में जा सकती है। दूसरी हदीष में है कि अल्लाह की बन्दियों को मस्जिद में जाने से न रोको, ये हदीषें इसको ख़ास करती हैं या'नी रात को रोकना मना है। अब औरतों का जमाअत में आना मुस्तहब है या मुबाह इसमें इख़िलाफ़ है। कुछ ने कहा जवान औरत को मुबाह है और बूढ़ी को मुस्तहब है। हदीष से ये भी निकला कि औरतें ज़रूरत के लिये बाहर निकल सकती हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि मैं औरतों का जुम्अे में आना मकरूह जानता हूँ और बुढ़िया इशा और फ़ज़्र की जमाअत में आ सकती है और नमाज़ों में न आए और अबू यूसुफ़ ने कहा बुढ़िया हर एक नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती है और जवान का आना मकरूह है। कस्तलानी (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम) हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का कौल ख़िलाफ़े हदीष होने की वजह से हुजत नहीं जैसा कि ख़ुद हज़रत इमाम की वसियत है कि मेरा कौल ख़िलाफ़े हदीष हो तो छोड़ दो।

865. हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने हन्ज़ला बिन अबी सुफ़यान से बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने, उनसे उनके बाप इब्ने उमर (रज़ि.) ने, वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते थे कि आपने फ़र्माया कि अगर तुम्हारी बीवियाँ तुमसे रात में मस्जिद आने की इजाज़त माँगे तो तुम लोग उन्हें इसकी इजाज़त दे दिया करो।

अबैदुल्लाह के साथ इस हदीष को शुअबा ने भी आ'मश से रिवायत किया, उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ामात : 873, 899, 900, 5238)

٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِنُوا لَهُنَّ)).

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

أَطْرَافُهُ فِي : ٨٧٣ ، ٨٩٩ ، ٩٠٠

बाब 163 : लोगों का नमाज़ के बाद इमाम के उठने का इन्तिज़ार करना

866. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्मान बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें यूनस बिन यज़ीद ने जुहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे हिन्द बिनत हारिष ने खबर दी कि नबी करीम (ﷺ) की जोज़: मुतहहरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने उन्हें खबर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में औरतें फ़र्ज़ नमाज़ से सलाम फेरने के फौरन बाद (बाहर आने के लिये) उठ जाती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) और मर्द नमाज़ के बाद अपनी जगह बैठे रहते। जब तक अल्लाह को मन्ज़ूर होता। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उठते तो दूसरे मर्द भी खड़े हो जाते।

इस हदीस से भी औरतों का जमाअत में शरीक होना प्राबित हुआ।

867. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक (रह.) से बयान किया। (दूसरी सनद) और हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक (रह.) ने यह्या बिन सईद अन्सारी से खबर दी, उन्हें इमाम बिनत अब्दुर्रहमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़ लेते फिर औरतें चादर में लिपट कर (अपने घरों को) वापस हो जाती थी। अंधेरे से उनकी पहचान न हो सकती। (राजेअ: 372)

868. हमसे मुहम्मद बिन मिस्कीन ने बयान किया, कहा कि हमसे बिशर बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने खबर दी, कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी क़ध़ीर ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अन्सारी ने, उनसे उनके वालिद अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ, मेरा इरादा ये होता है कि नमाज़ लम्बी करूँ लेकिन किसी बच्चे के

١٦٣- بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ

الإمام العالم

٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُمَّانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا ((أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَمَنْ وَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ)).

٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصْلِيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفَ النَّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ)).

[راجع: ٣٧٢]

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ

रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ को मुख्तस़र (छोटी) कर देता हूँ
कि मुझे उसकी माँ को तकलीफ़ देना बुरा मा'लूम होता है।
(राजेअ: 707)

وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَطَوَّلَ فِيهَا، فَاسْمَعُ بَكَاءَ
الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كِرَاهِيَةً أَنْ
أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ. [راجع: ٧٠٧]

फ़तजव्वज़ु अय फ़ख़फ़ क़ाल इब्नु साबित अत्तजव्वज़ हाहुना युरादु बिही तकलीलुल क़िराति वहलीलु अलैहि
मा रवाहु इब्नु अबी शैबत अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) करअ फ़िरकअतिल बिसूरतिन नहवसित्तीन आयतन फ़समिअ
बुकाअ सबिद्यिन फ़करअ फ़िफ़्फ़ानिय्यति बिफ़लाषि आयातिन व मुताबकतुल हदीषि लिच्चुमति तुफ़हमु मिन
क़ौलिही कराहियतुन अन अशक्कु अला उम्मतिन लिअन्नहू यदुल्लु अला हुजूरिन्निसाइ इलल मसाजिदि
मअन्नबिद्यि (ﷺ) व हुव अअम्मु मिन अय्यकून बिल्लैलि औ बिन्नहारि क़ालहुल ऐनी. (हाशिया बुखारी शरीफ़,
पेज नं. 120) या'नी यहाँ तख़फ़ीफ़ (कमी) करने से क़िरअत में तख़फ़ीफ़ मुराद है जैसा कि इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है
कि आँहज़रत (ﷺ) ने पहली रकअत में तक्रीबन साठ आयतें पढ़ी थी जब किसी बच्चे का रोना मा'लूम हुआ तो दूसरी रकअत
में आपने सिर्फ़ तीन आयतों पर इक्तिफ़ा फ़र्माया और बाब व हदीष में मुताबकत इससे ये है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं
औरतों की तकलीफ़ को मकरूह जानता हूँ। मा'लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) के साथ औरतें मसाजिद में आया करती थीं।
रात हो या दिन ये आम है।

869. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा
कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने यह्या बिन सईद से ख़बर दी, उनसे
अम्मा बिनत अब्दुरहमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने,
उन्होंने फ़र्माया कि आज औरतों में जो नई बात पैदा हो गई है, अगर
रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें देख लेते तो उनको मस्जिद में आने से रोक
देते, जिस तरह बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था।
मैंने पूछा क्या बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था?
आपने फ़र्माया कि हाँ।

٨٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَا أَخَذَتِ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ
الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ).
قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوْ مَنِغْن؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

तशरीह: हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि इससे ये नहीं निकलता है कि हमारे ज़माने में औरतों का मस्जिद में जाना मना है
क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने न ये ज़माना पाया न मना किया और शरीअत के अहक़ाम किसी के क़यास और राय
से नहीं बदल सकते। मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम फ़र्माते हैं कि ये उम्मुल मोमिनीन की राय थी कि अगर आँहज़रत (ﷺ) ये
ज़माना पाते तो ऐसा करते और शायद उनके नज़दीक औरतों का मस्जिद में जाना मना होगा। इसलिये बेहतर ये है कि फ़साद
और फ़ित्ने का ख़याल रखा जाए और इससे परहेज़ किया जाए क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने भी खुशबू लगाकर और ज़ीनत करके
औरतों को निकलने से मना किया। इसी तरह रात की क़ैद भी लगाई और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जब ये हदीष
बयान की कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से न रोको तो उनके बेटे वाफ़िद या बिलाल ने कहा कि हम
तो रोकेंगे। अब्दुल्लाह ने उनको एक घूसा लगाया और सख़्त सुस्त कहा और एक रिवायत में यूँ है कि मरने तक बात न की और
यही सज़ा है उस नालायक़ की जो आँहज़रत (ﷺ) की हदीष सुनकर सर न झुकाए और अदब के साथ तस्लीम न करे। वक़ीअ
ने कहा कि शिआर या'नी कुर्बानी के ऊँट का कोहान चीरकर खून निकाल देना सुन्नत है। एक शख्स बोला अबू हनीफ़ा तो इसको
मुषला कहते हैं। वक़ीअ ने कहा तू इस लायक़ है कि क़ैद रहे जब तक तू तौबा न करे, मैं तो आँहज़रत (ﷺ) की हदीष बयान
करता हूँ और तू अबू हनीफ़ा का क़ौल लाता है। इस रिवायत से मुक़ल्लिदीने बेइसाफ़ को सबक़ लेना चाहिये। अगर उमर फ़ारूक़
(रज़ि.) ज़िन्दा होते और उनके सामने कोई हदीष के ख़िलाफ़ किसी मुज्तहिद का क़ौल लाता तो गर्दन मारने का हुक्म देते अरे
लोगों! हाय ख़राबी!! ये ईमान है या कुफ़्र कि पैग़म्बर का फ़र्मादा सुनकर फिर दूसरों की राय और क़यास को उसके ख़िलाफ़

मंजूर करते हो तुम जानो अपने पैगम्बर को जो जवाब क़यामत के दिन देना हो वो दे लेना। वमा अलैना इल्लल बलाग़ (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

बाब 164 : औरतों का मर्दों के पीछे

नमाज़ पढ़ना

870. हमसे यह्या बिन क़ज़आ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने जुहरी से बयान किया, उनसे हिन्द बिनत हारिष ने बयान किया, उनसे उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम फेरते तो आपके सलाम फेरते ही औरतें जाने के लिये उठ जाती थीं और आँहज़रत (ﷺ) थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े न होते। जुहरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिये था ताकि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएँ।

871. हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुप्रयान इब्ने इययना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (मेरी माँ) उम्मे सुलैम के घर में नमाज़ पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए और उम्मे सुलैम (रज़ि.) हमारी पीछे थीं। (राजेअ: 380)

बाब 165 : सुबह की नमाज़ पढ़कर औरतों का

जल्दी से चला जाना और मस्जिद

में कम ठहरना

872. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन मन्सूर ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुलैज बिन सुलैमान ने अब्दुरहमान बिन क़ासिम से बयान किया, उनसे उन के बाप (क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर) ने उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ मुँह अंधेरे पढ़ते थे। मुसलमानों की औरतें जब (नमाज़ पढ़कर) वापस होतीं तो अंधेरे की वजह से उनकी पहचान न होती या वो एक दूसरे को न

١٦٤- بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ

الرِّجَالِ

٨٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ: نَرَى - وَاللَّهِ أَعْلَمُ - أَنْ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ.

٨٧١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ إِسْحَاقَ عَنِ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ فَقَمْتُ وَرَيْمُ خَلْفَهُ. وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا).

[راجع: ٣٨٠]

١٦٥- بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ

مِنَ الصُّبْحِ وَقَلَّةِ مُقَامِهِنَّ فِي

الْمَسْجِدِ

٨٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَبْسُ قَبْلَ انْصِرَافِ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْفُلَسِّ، أَوْ

पहचान सकती। (राजेअ: 382)

لَا يَغْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا)). [راجع: ٣٧٢]

तशरीह: नमाज़ खत्म होते ही औरतें वापस हो जाती थीं इसलिये उनकी वापसी के वक़्त भी इतना अँधेरा रहता था कि एक-दूसरी को पहचान नहीं सकती थी। लेकिन मर्द फ़ज़ के बाद आम तौर से नमाज़ के बाद मस्जिद में कुछ देर के लिये ठहरते थे। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को अल्लाह पाक ने इज्तिहाद का दर्ज-ए-कामिल अज़ा फ़र्माया था। इसी आधार पर आपने अपनी जामिउस्सहीह में एक-एक हदीष से बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज फ़र्माया है। हदीषे मज़कूर पीछे भी कई बार ज़िक्र हो चुकी है। हज़रत इमाम ने इससे फ़ज़ की नमाज़ अव्वले वक़्त ग़लस (अँधेरे) में पढ़ने का इज़्बात फ़र्माया है और यहाँ औरतों का शरीके जमाअत होना और सलाम के बाद उनका फ़ौरन मस्जिद से चले जाना वग़ैरह मसाइल बयान फ़र्माएँ हैं। ता'ज्जुब है उन अक्ल के दुश्मनों पर जो हज़रत इमाम जैसे मुज्ताहिदे मुत्लक़ की दिरायत का इंकार करते हैं और आपको सिर्फ़ रिवायात का इमाम तस्लीम करते हैं। हालाँकि रिवायत और दिरायत दोनों में आपकी महारते ताम्मा प्राबित है और मज़ीद ख़ूबी ये है कि आपकी दिरायत व तफ़्क़ुह की बुनियाद सिर्फ़ कुर्आन और हदीष पर है, राय और क़यास पर नहीं। जैसा कि दूसरे अइम्म-ए-मुज्ताहिदीन में से कुछ हज़रत का हाल है जिनके तफ़्क़ुह की बुनियाद सिर्फ़ राय और क़यास पर है। हज़रत इमामे बुखारी (रह.) को अल्लाह ने जो मुक़ाम अज़ा फ़र्माया था वो उम्मत में बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। अल्लाह ने आपको पैदा ही इसलिये फ़र्माया था कि शरीअते मुहम्मदिया को कुर्आनो-सुन्नत की बुनियाद पर इस दर्जा मुंजबित फ़र्माएँ कि क़यामत के लिये उम्मत इससे बेनियाज़ होकर बेधड़क शरीअत पर अमल करती रहे। आयते शरीफ़ा, 'व आख़रीन मिन्हुम लम्मा यलहकू बिहिम' (अल जुम्आ 3) की मिस्दाक़ बेशक व शुब्हा इन्हीं मुहदिषीने किराम (रह.) अज्मईन की जमाअत है।

बाब 166 : औरत मस्जिद में जाने के लिये अपने ख़ाविन्द से इजाज़त ले

873. हमसे मुसहद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, उनसे मअमर ने, उनसे जुहरी ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर ने, उनसे उनके बाप ने, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया कि जब तुम में से किसी की बीवी (नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में आने की) उससे इजाज़त माँगे तो शौहर को चाहिये कि उसको न रोके। (राजेअ: 865)

١٦٦ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ

رُؤُوسَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا

يَنْتَعِمُهَا)).

[راجع: ٨٦٥]

तशरीह: इजाज़त दे इसलिये कि बीवी कोई हमारी लौण्डी नहीं है हमारी तरह वो भी आज़ाद है सिर्फ़ निकाह के मुआहिदे की वजह से वो हमारे मातहत है। शरीअते मुहम्मदी में औरत और मर्द के (इन्सानी) हुकूक बराबर तस्लीम किये गए हैं। अब अगर इस ज़माने के मुसलमान अपनी शरीअत के बरखिलाफ़ औरतों को क़ैदी और लौण्डी बनाकर रखें तो उसका इल्ज़ाम उन पर है न कि शरीअते मुहम्मदी पर। जिन पादरियों ने शरीअते मुहम्मदी को बदनाम किया कि इस शरीअत में औरतों को मुत्लक़ आज़ादी नहीं, उनकी नादानी है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

हन्फिया के यहाँ मसाजिद में नमाज़ के लिये औरतों का आना दुरुस्त नहीं है इस सिलसिले में उनकी बड़ी दलील हज़रते आइशा (रज़ि.) की हदीष है जिनके अल्फ़ाज़ ये हैं क़ालत लौ अदरकन्नबिय्यु (ﷺ) मा अहदघ़न्निसाउ लमनअहुन्नल्मस्जिद कमा मुनिअत निसाउ बनी इस्राईल अख़रजहुशौखानि या'नी हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) उन चीज़ों को पा लेते जो आज औरतों ने नई ईजाद कर ली है तो आप उनको मसाजिद आने से मना फ़र्मा देते जैसा कि बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था। इसके जवाब में अल मुहदिषुल कबीर अल्लामा अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) अपनी मशहूर किताब

इब्कारुल मिनन फ़ी त्त्कीदि आषारिस्सुनन पेजनं. 101 पर फ़र्माते हैं, ला यतरत्तबु अला ज़ालिक तगय्युरिल हुक्मि लिअन्नहा अल क्ततुहू अला शर्ति लम यूजद बिनाअन अला जन्निन जन्नतहू फ़क़ालत लौ राअ लमनअ फ़युक़ालु लम यरा व लम यमनअ फ़स्तमरलहुक्मु हत्ता अन्न आइशत लम तुसरिह बिन मनइ व इन कान कलामुहा युशरु बिअन्नहा कानत तरा अल्मनअ व अयज़न फ़क़द अलिमुल्लाहु सुब्हानहू मा सयदिन्न फ़मा औहा इला नबिद्यिही बिमनइहिन्न व लौ कान मा अहदन्न यस्तलज़िमु मनअहुन्न मिनल मसाजिद लकान मनअहुन्न मिन ग़ैरिहा कल्अस्वाक़ औला व अयज़न फ़ल्अहदाषु इन्नम वक़अ मिन बअज़िन्निसाइ ला मिन जमीइहिन्न फ़इन्न तअय्युनल मनइ फ़ल्थकुन लम अहदन्नतक़ालुहुल हाफ़िज़ फ़ी फ़तहिल्बारी (जिल्द 1 स. 471) वक़ाल फ़ीहि वल्औला अय्यन्नुर इला मा यख़शा मिन्हुल फ़साद फ़यज्तिबु लिइशारति ۞ इला ज़ालिक बिमनइत्ततयुब्बि वज्जीनति व कज़ालिकत्तक़ईदि बिल्लैलि इन्तिहा. इस इबारात का खुलासा ये है कि इस क़ौले आइशा (रज़ि.) के आधार पर मसाजिद में औरतों की हाज़िरी का हुक्म नहीं बदल सकता। इसलिये कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसे जिस शर्त के साथ मुअल्लक़ फ़र्माया वो पाई नहीं गई। उन्होंने ये गुमान किया कि अगर आँहज़रत (۞) देखते तो मना फ़र्मा देते, पस कहा जा सकता है न आपने देखा न मना फ़र्माया। पस हुक्मे नबवी अपनी हालत में ज़ारी रहा। यहाँ तक कि खुद हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी मना की सराहत नहीं फ़र्माई। अगरचे उनके कलाम से मना के लिये इशारा निकलता है और ये भी है कि अल्लाह पाक को ज़रूर मा'लूम था कि आइन्दा औरतों में क्या-क्या नए उमूर पैदा होंगे मगर फिर भी अल्लाह पाक ने अपने रसूले करीम (۞) की तरफ़ औरतों को मसाजिद से रोकने के बारे में वद्व नाज़िल नहीं फ़र्माई। और अगर औरतों की नई-नई बातों की इजाद पर उनको मसाजिद से रोकना लाज़िम आता तो मसाजिद के अलावा दूसरे मुक़ामात बाज़ार वग़ैरह से भी उनको ज़रूर-ज़रूर मना किया जाता। और ये भी है कि नए नए उमूर का इहदास कुछ औरतों से वक़ूअ में आया न कि सब औरतों की तरफ़ से। पस अगर मना करना ही मुत्अय्यिन होता तो सिर्फ़ उन्हीं औरतों के लिये होना था जो इहदास की मुत्किब होती हों। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने फ़तहुल बारी में ऐसा फ़र्माया है और ये भी कहा है कि बेहतर ये है कि इन उमूर पर ग़ौर किया जाए जिनसे फ़साद का डर हो। पस इनसे परहेज़ किया जाए जैसा कि आँहज़रत (۞) का इशारा है कि औरतों के लिये खुशबू लगा करके या ज़ेबो-ज़ीनत करके निकलना मना है। इसी तरह रात की भी क़ैद लगाई गई। मक्सद ये है कि हन्फ़िया का क़ौले आइशा (रज़ि.) के आधार पर औरतों को मसाजिद से रोकना दुस्त नहीं है और औरतें शरई क़ायदों के तहत मसाजिद में जाकर नमाज़ बा-जमाअत में शिर्कत कर सकती है। इंदगाह में उनकी हाज़िरी के लिये खुसूसी ताक़ीद की है जैसा कि अपने मुक़ाम पर मुफ़सल (विस्तारपूर्वक) बयान किया गया है।

बनी इस्राईल की औरतों की मुखालफ़त के बारे में हज़रत मौलाना मरहूम फ़र्माते हैं, 'कुल्लतु मुनिअन्निसाउल्मसाजिद कान फ़ी बनी इस्राईल धुम्म अबाहल्लाहु लहुन्नलख़ुरूज इलल्मसाजिदि लिउम्मति मुहम्मद (۞) बिबअिज़ल्कुयूदि कमा क़ाल रसूलुल्लाहि (۞)' (हवाला मज़कूर) या'नी मैं कहता हूँ कि औरतों को बनी इस्राईल के दौर में मसाजिद से रोक दिया गया था। फिर उम्मते मुहम्मदी (۞) में उसे कुछ पाबन्दियों के साथ मुबाह कर दिया गया जैसा कि फ़र्माने रिसालत है कि रात में जब औरतें तुमसे मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगे तो तुम उनको इजाज़त दे दो। और फ़र्माया कि अल्लाह की मसाजिद से अल्लाह की बन्दियों को मना न करो जैसा कि यहाँ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने सराहत के साथ बयान किया है।

बुखारी शरीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की मरवियात बक़रत आई है इसलिये मुनासिब होगा कि क़ारेईने किराम को इन बुजुर्गों के मुखतसर हालाते जिंदगी से वाकिफ़ कर दिया जाए ताकि इन हज़रात की जिंदगी हमारे लिये भी मशअले राह बन सके। यहाँ भी अनेक अहादीष इन हज़रात से मरवी हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) :

हुज़ूर नबी-ए-करीम (۞) के चचाज़ाद भाई थे। वालिदा गिरामी का नाम उम्मे फ़ज़ल लुबाबा और बाप का नाम हज़रत अब्बास था। हिज़रत से पहले सिर्फ़ तीन साल पहले उस इहाता में पैदा हुए जहाँ हुज़ूर नबी-ए-करीम अपने तमाम ख़ानदान वालों के साथ क़ैदे मिहन में महसूर थे। आपकी वालिदा गिरामी बहुत पहले ईमान ला चुकी थीं और गौ आपका इस्लाम लाना फ़त्हे मक्का के बाद का वाकिआ बताया जाता है। ताहम एक मुस्लिम माँ की आगोश में आप इस्लाम से पूरी तरह मानूस (परिचित)

हो चुके थे और पैदा होते ही हुजूर नबी करीम (ﷺ) का लुआबे दहन आपके मुँह में पड़ चुका था। बचपन ही से आपको हुजूर नबी करीम (ﷺ) से इस्तिफ़ाज़ा व स्रोहबत का मौक़ा मिला और अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के यहाँ आते और हुजूर (ﷺ) की दुआएँ लेते रहे। उसी उम्र में कई बार हुजूर (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ने का भी इतिफ़ाक़ हुआ।

अभी तेरह ही साल के थे हुजूर (ﷺ) ने रहलत फ़र्माई। अहदे फ़ारूकी में सिन्ने शबाब (जवानी) को पहुँचकर उस दौर की इल्मी सुहबतों में शरीक हुए और अपने जौहरे दिमाग़ का मुजाहि़रा (प्रदर्शन) करने लगे। हज़रत उमर (रज़ि.) आपको शुयूख़े बद्र के साथ बिठाया करते थे और बराबर हिम्मत अफ़ज़ाई करते। पेचीदा मसाइल हल कराते और ज़िहानत की दाद देते थे। 17 हिज्री में ये आलम हो गया था कि जब मुहिमे मिस्र में शाहे अफ़्रीका जर्जिया से मुकालमा (Debate) हुआ तो वो आपकी क़ाबिलियते इल्मी देखकर हैरान रह गया था। 25 हिज्री में आप अमीरुल हज़्ज बनाकर मक्का मुअज्जमा भेजे गए और आपकी ग़ैर मौजूदगी ही में हज़रत उम्रान (रज़ि.) की शहादत का वाकिआ हाइला पेश आ गया।

इल्मो फ़ज़ल में आपका मर्तबा बहुत बुलन्द है। एक वहीदुल अस्त्र और यगाना रोज़गार हस्ती थे। कुआन, तफ़सीर, हदीष, फ़िक़ह, अदब, शाइरी आयते कुआनी के शाने नुज़ूल और नासिख़ व मन्सूख़ में अपनी नज़ीर न रखते थे। एक बार शक़ीक़ ताबेई के बयान के मुताबिक़ हज़्ज के मौक़े पर सूह नूर की तफ़सीर जो बयान की वो इतनी बेहतर थी कि अगर उसे फ़ारस और रोम के लोग सुन लेते तो यक़ीनन इस्लाम ले आते। (मुस्तदरके हाकिम)

कुआने करीम की फ़हम में बड़े-बड़े सहाबा से बाज़ी ले जाते थे। तफ़सीर में आप हमेशा जामेअ और कराईने अक्ल मफ़हूम को इख़्तियार किया करते थे। सूह कौषर में लफ़्जे कौषर की मुख्तलिफ़ तफ़ासीर की गई मगर आपने उसे ख़ैरे-क़षीर से ता'बीर किया। कुआने करीम की आयते पाक, ला तहसबन्नल्लज़ीन यफ़्फ़हून बिमा अतव (आले इमरान, 188) अल्ख़ या'नी 'जो लोग अपने किये पर खुश होते हैं और जो नहीं किया है उस पर ता'रीफ़ चाहते हैं ऐसे लोगों की निस्बत हर्गिज़ ये ख़्याल न करो कि वो अज़ाब से बच जाएँगे बल्कि उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।' ये चीज़ फ़ितरते इंसानी के ख़िलाफ़ है और बहुत ही कम लोग इस ज़ब्बे से खाली नज़र आते हैं। मुसलमान इस पर परेशान थे आख़िर मरवान ने आपको बुलाकर पूछा कि हममें से कौन है जो इस ज़ब्बे से खाली है। फ़र्माया हम लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं; नीज़ बताया ये उन अहले किताब के बारे में है जिनसे हुजुरे करीम (ﷺ) ने किसी अम्र के बारे में इस्तिफ़्सार किया उन्होंने असल बात को जो उनकी किताब में थी छिपाकर एक फ़र्ज़ी जवाब दे दिया और उस पर खुशनुदी के तालिब हुए और अपने इस चालाकी पर मसरूर (खुश) हुए। हमारे नज़दीक आम तौर पर इसका ये मा'ना भी हो सकते हैं कि जो लोग खुफ़िया तौर पर दरपे आज़ाद रहते हैं। बज़ाहिर हमदर्द बनकर जड़ें काटते रहते हैं और मुँह पर ये कहते हैं कि हमने फ़लाँ ख़िदमत की, फ़लाँ एहसान किया और उस पर शुक्रिये के तालिब होते हैं और अपनी चालाकी पर खुश होते हैं और दिल में कहते हैं कि ख़ूब बेवकूफ़ बनाया। वो लोग अज़ाबे इलाही से हर्गिज़ नहीं बच सकते कि ये एक फ़रेब है।

इल्मे हदीष के भी असातीन समझे जाते थे। 1660 अहादीष आपसे मरवी है। अरब के गोशा-गोशा में पहुँचकर ख़ुर्मने इल्म का ढेर लगा लिया। फ़िक़हो-फ़राइज़ में भी यगाना हैषियत हासिल थी। अबूबक्र मुहम्मद बिन मूसा (ख़लीफ़ा मामून रशीद के पोते) ने आपके फ़तावा भी जिल्दों में जमा किये थे। इल्मे फ़राइज़ और हिसाब में भी मुमताज़ (श्रेष्ठ) थे। अरबों में शाइरी लाज़िमे-शराफ़त समझी जाती थी बिल ख़ुसूस कुरैश की आतिश बयानी तो मशहूर थी। आप शे'र गोई के साथ फ़स्तीह भी थे। तव़रीर इतनी शीरी होती थी कि लोगों की जुबान से बेसाख़्ता मरहबा निकल जाता था। गर्ज़ ये कि आप इस अहद के तमाम इल्म के मुंतही और फ़ाज़िले अजल थे।

आपका मदरसा या हल्क-ए-दर्स बहुत वज़ीअ और मशहूर था और दूर-दूर से लोग आते थे और अपने दिलचस्पी और मज़ाक़ के मुताबिक़ मुख्तलिफ़ इल्म की तहसील करते। मकान के सामने इतना मजमा होता था कि आना-जाना बन्द हो जाता था। अबू स़ालेह ताबेई का बयान है कि आपकी इल्मी मज्लिस वो मज्लिस थी कि अगर सारा कुरैश इस पर फ़ख़ करे तो जाइज़ है। हर फ़न के तालिब व साइल बारी-बारी आते और आपसे तसल्लीबख़्श जवाब पाकर वापस लौटते। वाजेह रहे कि उस वक़्त तक किताबी ता'लीम का रिवाज न था और न किताबें मौजूद थीं। इल्मो-फ़ुनून का इंहिसार सिर्फ़ हाफ़ज़ा

(याद्वाशत) पर था। अल्लाह ने उस ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक लोगों के हाफ़िज़े भी इतने क़वी (मज़बूत) कर दिये थे कि आज उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक-एक शख्स को दस-दस, बीस-बीस हजार अहादीष और अशआर का याद कर लेना तो एक आममतुल उरूद वाक़िआ था। सात-सात और आठ-आठ लाख अहादीष के हाफ़िज़ मौजूद थे जिन्हें हाफ़िज़े के साथ फ़हमो-जहानत से भी हिस्सा मिला था। वो मतलबे अनवार बन जाते थे। आज दो हजार अहादीष का हाफ़िज़ भी बमुश्किल ही से कहीं नज़र आते हैं और हमें उस ज़माने के बुजुर्गों के हाफ़िज़े की दास्तानें अफ़साना (किस्से-कहानियाँ) मा' लूम होती है। सफ़रो-हज़र हर हालत में फ़ैज़ रसानी का सिलसिला ज़ारी था और तालिबाने हुजूम का एक सैलाब उमड़ा रहता था।

नौ मुसलमानों की ता' लीम व तल्क़ीन के लिये आपने मख़सूस तर्जुमान (प्रतिनिधि) मुकर्रर कर रखे थे ताकि उन्हें अपने सवाल में ज़हमत न हो। ईरान व रोम तक से लोग ज़ूक-दर-ज़ूक चले आते थे, शागिदों की ता' दाद हज़ारों तक पहुँच चुकी थी और उनमें क़षरत उन बुजुर्गों की थी जो हाफ़िज़ा के साथ साथ फ़हमो-फ़रासत और ज़िहानत के हामिल थे। इल्मी मुज़ाकरों के दिन मुकर्रर थे। किसी रोज़ लड़ाइयों के वाक़िआत का तज़क़िरा करते। किसी दिन शे'रो-शाइरी का चर्चा होता। किसी दिन तफ़सीरे कुआन पर रोशनी डालते। किसी रोज़ फ़िक़ह का दर्स देते। किसी दिन अय्याम अरब की दास्तान सुनाते। बड़े से बड़ा आलिम भी आपकी सुहबत में बैठता, उसकी गर्दन भी आपके कमाले इल्म के सामने झुक जाती।

तमाम जलीलुल क़द्र सहाबा किराम (रज़ि.) को आपकी कमसिनी के बावजूद आपके फ़ज़लो इल्म का ए' तिराफ़ था। हज़रत फ़ारूके आज़म आपके ज़हन-रसा की ता' रीफ़ में हमेशा रत्बुल्लिसान रहे। हज़रत त़ारुस यमानी फ़र्माया करते थे कि मैंने पाँचों सहाबा को देखा। उनमें जब किसी मसले पर इख़िलाफ़ हुआ तो आख़री फैसला आप ही की राय पर हुआ। हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद का बयान है कि आप से ज़्यादा किसी का फ़त्वा सुन्नते नबवी के मुशाबेह नहीं देखा। हज़रत मुजाहिद ताबेई कहा करते थे कि हमने आपके फ़त्वा से बेहतर किसी शख्स का फ़त्वा नहीं देखा। एक बुजुर्ग ताबेई का बयान है कि मैंने आपसे ज़्यादा सुन्नत का आलिम साइबुराय और बड़ा दक्कीकुन नज़र किसी को नहीं पाया। हज़रत उबई इब्ने कअब भी बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने इब्तिदा ही में आपकी ज़िहानत व तबाई देखकर फ़र्मा दिया था कि एक दिन यह शख्स उम्मत का ज़बरदस्त आलिम और फ़ाज़िल होगा।

तमाम मुआस्सिरीन (समकालीन लोग) आपकी हद दर्जा इज़्जत करते थे। एक बार आप सवार होने लगे तो हज़रत ज़ैद बिन घ़ाबित ने पहले तो आपकी रक़ाब थाम ली और फिर बढ़कर हाथ चूमे।

नबी करीम (ﷺ) की ज़ाते करीम से ग़ैर मामूली शैफतगी व गरवीदगी हासिल थी। हुज़ूर की बीमारी की कर्ब और वफ़ात की हालत याद होती तो बेकरार हो जाते। रोते और कई बार इस क़दर रोते कि रीशे मुबारक (दाढ़ी) आंसुओं से तर हो जाती। बचपन ही से ख़िदमत नबवी (ﷺ) में मसरत हासिल होने लगी और खुद हुज़ूर (ﷺ) भी आपसे ख़िदमत लिया करते थे। एहतिराम की ये हालत थी कि कमसिनी के बावजूद नमाज़ में भी आपके बराबर खड़ा होना गुस्ताख़ी तसव्वुर करते थे और बेहद अदब मलहूज़ रखते थे। उम्माहातुल मोमिनीन (रज़ि.) के साथ भी इज़्जत व तकरीम के साथ पेश आते रहते थे। रसूले करीम (ﷺ) ने दुआ दी थी कि अल्लाह तआला इब्ने अब्बास (रज़ि.) को दीन की समझ और कुआन की तफ़सीर का इल्म अता फ़र्मा। एक बार आपके अदब से खुश होकर आपके लिये फ़हमो-फ़रासत की दुआ अता फ़र्माई। ये उसी का नतीजा था कि आप जवान होकर सर आमद रोज़गार बन गए और मतलबे अख़लाक़ रोशन हो गया। सहाबा के आख़िर ज़माने में नौ मुस्लिम अज्मियों के ज़रिये से ख़ैरो-शर और क़ज़ा और क़द्र की बहज़ इराक़ में पैदा हो चुकी थी। आप नाबीना हो चुके थे। मगर जब मा' लूम हुआ कि एक शख्स तक्दीर का मुन्किर है तो आपने फ़र्माया मुझे उसके पास ले चलो। पूछा गया कि क्या करोगे? फ़र्माया कि नाक काट लूँगा और गर्दन हाथ में आएगी तो उसे तोड़ दूँगा क्योंकि मैंने हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) से सुना कि तक्दीर का इन्कार इस उम्मत का पहला शिर्क है। मैं उस ज़ात की क़सम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि ऐसे लोगों की बुरी राय यहीं तक महदूद न रहेगी बल्कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह को शर की तक्दीर से मुअत्तल कर दिया उसी तरह उसकी ख़ैर की तक्दीर से भी मुन्किर हो जाएँगे।

यूँ तो आपकी ज़िंदगी का हर शो'बा अहम व दिलकश है लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है वो ये है कि किसी

की तरफ से बुराई व मुखासिमत का जुहूर उसकी हकीकी अज़मत और खूबियों के ए' तिराफ में मानेअ नहीं होता था।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) ने खिलाफ़त का दा'वा किया और आपको भी अपनी बेअत पर मज़बूर करने की कोशिश की। इस ज़ोर व शोर के साथ कि जब आपने इससे इंकार किया तो यही नहीं कि आपको ज़िन्दा आग में जला डालने की धमकी दी बल्कि आपके काशानाए मुअल्ला (घर) के आसपास सूखी लकड़ियों के अंबार भी इसी मक़सद से लगवा दिए और बमुश्किल आपकी जान बच सकी। इससे भी ज़्यादा ये कि उन्हीं की बदौलत ज़वारे हरम छोड़कर आपको त्राइफ़ जाना पड़ा ज़ाहिर है कि ये ज़्यादातियाँ थीं और आपको उनके हाथ से बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। लेकिन जब इब्ने मुलैकाने आपसे कहा कि लोगों ने इब्ने जुबैर के हाथ पर बेअत शुरू कर दी है समझ में नहीं आता कि उनके अंदर आख़िर वो कौनसी खूबियाँ और मफ़ाख़िर हैं जिनके आधार पर उन्हें खिलाफ़त का दा'वा करने की ज़ुरअत हुई है और इतने बड़े हौसले से काम लिया है। फ़र्माया, ये तुमने क्या कहा? इब्ने जुबैर (रज़ि.) से ज़्यादा मफ़ाख़िर का हामिल कौन हो सकता है। बाप वो हैं जो हवारी-ए-रसूल (ﷺ) के मुअज़ज़ लक़ब से मुलक़ब थे। माँ अस्मा-ज़ातुन्निताक़ थीं। नाना वो हैं जिनका इस्मे गिरामी अबूबक्र (रज़ि.) और लक़ब रफ़ीके-गार है। उनकी खाला हुजूर (ﷺ) की महबूबतरीन जोज़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) थीं और उनके वालिदे मुहतरम की फूफ़ी उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीवी खदीजा (रज़ि.) हरमे मुहतरमे रसूले करीम (ﷺ) थीं और दादी हज़रत सफ़िया (रज़ि.) खुद हुजूर नबी करीम (ﷺ) की फूफ़ी थीं। ये तो हैं इनके खानदानी मफ़ाख़िर। ज़ाती हैषियत से बहुत बुलन्द है और बेहद मुन्ताज़ हैं। क़ारी-ए-कुअर्न हैं, बेमिप्ल बहादुर और अदीमुन्नज़ीर मुदब्विर हैं, रुवातुल अरब में से हैं। बहुत पाकबाज़ हैं। उनकी नमाज़ें पूरे खुशूअ व खुजूअ की नमाज़ें हैं। फिर उनसे ज़्यादा खिलाफ़त का मुस्तहिक़ और कौन हो सकता है। वो खड़े हुए हैं और बजा तौर पर खड़े हुए हैं। उनका बेअत लेना बजा है। अल्लाह की क़सम! अगर वो मेरे साथ कोई एहसान करेंगे तो ये एक अज़ीजाना एहसान होगा और मेरी परवरिश करेंगे तो ये अपने एक हमसर मुहतरम की परवरिश होगी। 68 हिज्री में आपने वफ़ात पाई। इंतिक़ाल के वक़्त आयते करीमा 'या अय्यतुहन्नफ़सुल मुहमइन्ना' (अल फ़ज़्र: 27) के मिस्दाक़ हुए (रज़ि. व रज़ाह)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) :

हज़रत फ़ारूके आ'ज़म के यगाना-ए-रोज़गार साहबज़ादे और अपने अहद के ज़माने के ज़बरदस्त जय्यिद आलिम थे। बाप के इस्लाम लाने के वक़्त आपकी उम्र सिर्फ़ पाँच साल थी। ज़मान-ए-बेअप्रत के दूसरे साल कल्मे अदम से पर्द-ए-वजूद पर जलवा अफ़रोज़ हुए। होश सम्भाला तो घर के दरो-दीवार इस्लाम की शुआओं (किरणों) से मुनव्वर थे। बाप के साथ ग़ैर शज़री तौर पर इस्लाम कुबूल किया। चूँकि मक्का में जुल्मो-तुग़यान की गर्ज बराबर बढ़ती जा रही थी इसलिये अपने खानदान वालों के साथ आप भी हिज्रत कर गए। तेरह साल ही की उम्र थी कि ग़ज़व-ए-बद्र में शिक़त के लिये बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए और कमसिनी की वजह से वापस कर दिये गये। अगले साल ग़ज़व-ए-उहद में भी इसी आधार पर शरीक न किये गए। अलबत्ता 15 साल की उम्र हो जाने पर ग़ज़व-ए-अहज़ाब में ज़रूर शरीक हुए जो 5 हिज्री में वाक़ेअ हुआ था। 6 हिज्री में बैअते रिज़वान का भी शरफ़ हासिल किया। ग़ज़व-ए-ख़ैबर में भी बड़ी जांबाज़ी के साथ लड़े। इसी सफ़र में हलालो-हराम के बारे में जो अहक़ाम दरबारे रिसालत से सादिर हुए थे आप उनके रावी हैं। उसके बाद फ़तहे मक्का ग़ज़व-ए-हुनैन और मुहासिरा-ए-त्राइफ़ में भी शरीक हुए। ग़ज़व-ए-तबूक में जा रहे थे कि हुजूर नबी करीम (ﷺ) ने हज़र की तरफ़ से गुज़रते हुए, जहाँ क़दीम आद समूद की आबादियों के खंडहरात थे, फ़र्माया कि :-

'उन लोगों के मसाकिन में दाख़िल न हो जिन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी करके अपने ऊपर जुल्म किया कि मुबादा तुम भी इस अज़ाब में मुब्तला हो जाओ जिसमें वो मुब्तला हो गए थे और अगर गुज़रना ही है तो ये करो कि डर और ख़शियते इलाही से रोते हुए गुज़र जाओ।'

जोशे जिहाद! अहदे फ़ारूकी में जो फ़तूहात (जीतें) हुई उसमें आप सिपाहियाना हैषियत से बराबर लड़ते रहे, जंगे नहावन्द में बीमार हुए तो आपने अज़ख़ुद ये किया 'प्याज़ को दवा में पकाते थे और जब उसमें प्याज़ का मज़ा आ जाता था तो उसे निकाल कर दवा पी लेते थे। ग़ालिबन पेचिस की बीमारी हो गई होगी। शाम व मिस्र की फ़तूहात में भी मुजाहिदाना हिस्से लेते रहे लेकिन इंतिज़ामी

उम्र में हिस्से लेने का कोई मौका न मिला कि हज़रत फ़ारूके आ'जम अपने खानदान व कबीला के अफ़राद को अलग रखते रहे। अहदे इस्लामी में आपकी काबिलियत के मद्देनज़र आपको अहदे कज़ा पेश किया गया (काज़ी बनाने की पेशकश की गई) लेकिन आपने ये फ़र्माकर इंकार कर दिया कि काज़ी तीन किस्म के होते हैं जाहिल, आलिमे मसाइल अलहुनिया (दुनियावी मसाइल के आलिम) कि ये दोनों जहन्नमी है। तीसरे वो हैं जो सहीह इज्तिहाद करते हैं उन्हें न अज़ाब है न प्रवाब और साफ़ कह दिया कि मुझे कहीं का आमिल न बनाइए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने भी इसरार न किया अलबत्ता उस अहद के जिहाद के मोर्चों में ज़रूर शरीक रहे। त्यूनिश, अल जज़ाइर (अल्जीरिया), मराकश, ख़ुरासान और तत्रिस्मान के युद्धों में लड़े। जिस क़दर मनासिब (पदों) और ओहदों की कुबूलियत से घबराते थे, जिहादों में उसी क़दर जोश-ख़रोश और शौक व दिल बस्तगी के साथ हिस्सा लेते थे।

आख़िर ज़मान-ए-इस्लामी में जो फ़ितने रूनुमा (प्रकट) हुए आप उनसे बिल्कुल किनाराकश रहे। उनकी शहादत के बाद आपकी ख़िदमत में ख़िलाफ़त का ए'जाज़ पेश किया और अदमे कुबूलियत के सिलसिले में क़त्ल की धमकी दी गई लेकिन आपने फ़ितनों (उपद्रवों) को देखते हुए इस अज़ीमुशान ए'जाज़ से भी इंकार कर दिया और कोई इअतिनाअ न की। उसके बाद आपने-इस शर्त पर हज़रत अली (रज़ि.) के हाथ पर बेअत कर ली कि वो खाना-जंगियों (गृहयुद्धों) में कोई हिस्सा न लेंगे। चुनाँचे जंगे जमल व सिप्फ़ीन में शिक़त न की। ताहम अफ़सोस करने वाले थे और कहा करते थे कि :-

'गो मैंने हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू की तरफ़ से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता लेकिन हक़ पर मुकाबला भी अफ़ज़ल है।' (मुस्तदरक)

फ़ैसला घ़ालिफ़ी सुनने के लिये दूमतुल जन्दाल में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली करमुल्लाह वज्हू के बाद अमीर मुआविया (रज़ि.) के हाथ पर बेअत कर ली और शौके जिहाद में उस अहद के तमाम मअरकों में नीज़ मुहिमे कुस्तुन्तुनिया में शामिल हुए। यज़ीद के हाथ पर फ़ितन-ए-इख़ितलाफ़े उम्मत से दामन बचाए रखने के लिये बिला तामील बेअत कर ली और फ़र्माया कि ये ख़ैर है तो हम इस पर राज़ी हैं और अगर ये शर है तो हमने सब्र किया। आजकल लोग फ़ितनों से बचना तो दरकिनार अपने ज़ाती मक़ासिद के लिये फ़ितने पैदा करते हैं और अल्लाह के ख़ौफ़ से उनके जिस्म पर लरज़ा तारी नहीं होता। फिर ये बेअत हक़ीक़तन न किसी डर के आधार पर थी और न आप किसी लालच में आए थे। तनतना और हक़परस्ती का ये आलम था कि अम्मे हक़ के मुकाबले में किसी बड़ी से बड़ी शख़िसियत को भी ख़ातिर में नहीं लाते थे।

बाब 167 : औरतों का मर्दों के पीछे

नमाज़ पढ़ना

874. हमसे अबू नुएम फ़ुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान इब्ने उययना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़ल्हा ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (मेरी माँ) उम्मे सुलैम के घर में नमाज़ पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए और उम्मे सुलैम (रज़ि.) हमारे पीछे थीं।

875. हमसे यह्या बिन क़ज़आ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने जुहरी से बयान किया, उनसे हिन्द बिनत हारिष ने बयान किया, उनसे उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम फेरते तो आपके सलाम फेरते ही औरतें जाने के लिये उठ जाती थीं

۱۶۷- بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ

الرِّجَالِ

۸۷۴- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ فَقَمَتُ وَرَيْتِمُ خَلْفَهُ. وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَتَا).

۸۷۵- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ

और आँहज़रत (ﷺ) थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े न होते। जुहरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिये था कि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएँ।

(राजेअ: 380)

يَقْضَى نَسِيمَتَهُ، وَهُوَ يَمْكُتُ فِي مَقَامِهِ
يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ). قَالَتْ تَرَى - وَاللَّهِ
أَعْلَمُ - أَنْ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ
النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَنْدِرِكَهُنَّ الرُّجَالُ.

[راجع: 380]

11. किताबुल जुम्आ

किताब जुम्आ के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तशरीह: लफ्जे जुम्आ मीम के साकिन के साथ और जुम्आ मीम की फतह के साथ दोनों तरह से बोला गया। अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, 'क़ाल फिलफतहि कदिखतुलिफ फी तस्मियतिल्यामि बिलजुम्अति मअल्इत्तिफ़ाकि अलाअन्नहू कान लयुसम्मा फिल्जाहिलियति वलअरूबति बिफत्हिल्लेनि व ज़म्मिरांइ व बिल्वहदति अल्ख' या'नी जुम्आ की वजह तस्मिया में इखितलाफ़ है इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अहदे जाहिलियत में उसको यौमे उरूबा कहा करते थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया है कि उस दिन मखलूक की खिल्कत तक्मील को पहुँची इसलिये उसे जुम्आ कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि तखलीके आदम की तक्मील इसी दिन हुई इसलिये इसे जुम्आ कहा गया। इब्ने हुमैद में सनदे सहीह से मरवी है कि हज़रत असद बिन ज़रारह के साथ अंसार ने जमा होकर नमाज़ अदा की और हज़रत असद बिन ज़रारह ने उनको वा'ज़ फ़र्माया। पस उसका नाम उन्होंने जुम्आ रख दिया क्योंकि वो सब इसमें जमा हुए। ये भी है कि कअब बिन लवी उस दिन अपनी क़ौम को हरमे शरीफ़ में जमा करके उनको वा'ज़ किया करता था और कहा करता था कि इस हरम से एक नबी का जुहूर होने वाला है। यौमे अरूबा का नाम सबसे पहले यौमे जुम्आ कअब बिन लवी ही ने रखा। ये दिन बड़ी फ़ज़ीलत रखता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो नेक दुआ की जाए कुबूल होती है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपने रविश के मुताबिक़ नमाज़े जुम्आ की फ़र्जियत के लिये आयते कुर्आनी से इस्तिदलाल फ़र्माया जैसा कि नीचे के बाब से ज़ाहिर है कि हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब शैखुल हदीष मुबारक पुरी फ़र्माते हैं, 'वज़कर इब्नुल क़य्यिम फिल्हुदा सफ़ा 102, 118 जिल्द-01 लियोमिलजुम्अति षलाषव्व षलाषीन ख़ुसूसियतन ज़कर बअज़हल्हाफ़िजु फिल्फतहि मुलख़िख़सम्मिन अहब्बिल्वुकूफ़ि अलैहा फल्यर्जिअ इलैहिमा' (मिर्आत जिल्द नं. 2, पेज नं. 272) या'नी जुम्आ के दिन 33 ख़ुसूसियात हैं जैसा कि अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़िक़र किया है कुछ उनमें से ह्वाफ़िज़ इब्ने हज़र ने फ़त्हुल बारी में भी नक़ल की हैं। तफ़्सीलात का शौक़ रखनेवाले उन किताबों की तरफ़ रुजूअ फ़र्माएँ।

बाब 1 : जुम्आ की नमाज़ फ़र्ज़ है

अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की वजह से कि 'जुम्आ के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह की याद के लिये चल खड़े हो और ख़रीदो-फ़रोख़्त छोड़ दो कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम कुछ जानते हो।' (आयत में) फ़सऔ फ़सजू के मा'नी में है (या'नी चल खड़े हो)

١ - بَابُ فَرَضِ الْجُمُعَةِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فَاسْعَوْا:

तरीह: एक बार ऐसा हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) खुल्ब-ए-जुम्आ दे रहे थे। अचानक तिजाराती काफ़िला तिजारात का माल लेकर मदीना में आ गया और ख़बर पाकर लोग उस काफ़िले से माल ख़रीदने के लिये जुम्आ का खुल्बा और नमाज़ छोड़कर चले गए। आँहज़रत (ﷺ) के साथ सिर्फ़ 12 आदमी रह गए। उस वक़्त इताब (गज़बनाकी) के लिये अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर ये 12 नमाज़ी भी मस्जिद में न रह जाते तो मदीना वालों पर ये वादी आग बनकर भड़क उठती। 'न जाने वालों में हज़रत शैख़न भी थे (इब्ने कप्पीर)। इस वाकिआ के आधार पर ख़रीदो-फ़रोख़्त छोड़ने का बयान एक इतिफ़ाकी चीज़ है जो शाने नुज़ूल के ए'तिबार से सामने आई। इससे ये इस्तिदलाल कि जुम्आ सिर्फ़ वहाँ फ़र्ज़ है जहाँ लेन-देन होता हो। ये इस्तिदलाल सही नहीं बल्कि सही यही है कि जहाँ मुसलमानों की जमाअत मौजूद हों वहाँ जुम्आ फ़र्ज़ है वो जगह शहर हो या देहात तप्सील आगे आ रही है।

876. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबुज्जिनाद ने बयान किया, उनसे रबीआ बिन हारिष के गुलाम अब्दुरहमान बिन हुमुज़ अअरज ने बयान किया कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना और आप (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया कि हम दुनिया में तमाम उम्मतों के बाद होने के बावजूद क़यामत में सबसे आगे रहेंगे फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि किताब उन्हें हमसे पहले दी गई थी। यही (जुम्आ) उनका भी दिन था जो तुम पर फ़र्ज़ हुआ है। लेकिन उनका उसके बारे में इख़ितलाफ़ हुआ और अल्लाह तआला ने हमें ये दिन बता दिया इसलिये लोग इसमें हमारे ताबेअ होंगे। यहूद दूसरे दिन होंगे और नसारा तीसरे दिन। (राजेअ: 238)

٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رِبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : بَيْنَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَذَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ : الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ)). [راجع: ٢٣٨]

बाब 2 : जुम्आ के दिन नहाने की फ़ज़ीलत और इस बारे में बच्चों और औरतों पर जुम्आ की नमाज़ के लिये आना फ़र्ज़ है या नहीं?

٢ - بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟

(877) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :

उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी और उनको हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से जब कोई शख्स जुम्अे की नमाज़ के लिये आना चाहे तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिये। (दीगर मक़ाम : 896, 919)

(878) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अस्माअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुवैरिया बिन अस्माअ ने इमाम मालिक से बयान किया, उनसे जुहरी ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जुम्अे के दिन खड़े खुत्बा दे रहे थे कि इतने में नबी अकरम (ﷺ) के अगले सहाबा मुहाजिरिन में से एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए (या'नी हज़रत इप्मान रज़ि.) उमर (रज़ि.) ने उनसे कहा कि भला ये कौनसा वक्रत है तो उन्होंने कहा कि मैं मशगूल हो गया था और घर वापस आते ही अज़ान की आवाज़ सुनी, इसलिये मैं वुजू से ज़्यादा और कुछ (गुस्ल) न कर सका। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अच्छा वुजू भी। हालाँकि आपको मा'लूम है कि नबी करीम (ﷺ) गुस्ल के लिये कहते थे।

(दीगर मक़ाम : 882)

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ). [طرفاه في : ٨٩٤، ٩١٩].

٨٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتِمُّهُ هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَزَادَهُ عُمَرُ: (أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شِعِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأَذِينَ، فَلَمْ أَرِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. قَالَ: وَالْوَضُوءُ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ).

[طرفه في : ٨٨٢].

तशरीह : या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें देर से आने पर टोका आपने उज़्र बयान करते हुए फ़र्माया कि मैं गुस्ल भी नहीं कर सका बल्कि सिर्फ़ वुजू करके चला आया हूँ। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि गोया आप (ﷺ) ने सिर्फ़ देर में आने पर ही इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि एक दूसरी फ़ज़ीलत गुस्ल को भी छोड़ आए हैं। इस मौक़े पर क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इनसे गुस्ल के लिये फिर नहीं कहा वरना अगर जुम्अे के दिन गुस्ल फ़र्ज़ या वाजिब होता तो हज़रत उमर (रज़ि.) को ज़रूर कहना चाहिये था और यही वजह थी कि दूसरे बुजुर्ग सहाबी जिनका नाम दूसरी रिवायतों में हज़रत इप्मान (रज़ि.) आता है, उन्होंने भी गुस्ल को ज़रूरी ना समझकर सिर्फ़ वुजू पर इक्तिफ़ा किया था। हम इससे पहले भी जुम्अे के दिन गुस्ल पर एक नोट लिख आए हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) के तर्ज़े अमल से ये भी मा'लूम होता है कि खुत्बा के दौरान इमाम अम्रो—नहीं कर सकता है (अच्छे—बुरे के लिये टोक सकता है) लेकिन आम लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि उन्हें ख़ामोशी और इत्मीनान के साथ खुत्बा सुनना चाहिये। (तफ़हीमुल बुखारी)

(879) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने हदीष बयान की। उन्होंने कहा कि हमें मालिक ने सफ़वान बिन सुलैम के वास्ते से ख़बर दी, उन्हें अत्रा बिन यसार ने, उन्हें हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्अे के दिन हर बालिग़ के

٨٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

लिये गुस्ल ज़रूरी है। (राजेअ : 857)

बाब 3 : जुम्आ के दिन नमाज़ के लिये खुशबू लगाना

(880) हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हम हरमी बिन अम्मार ने खबर दी उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा बिन हिजाज ने अबूबक्र बिन मुंकदिर से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अमर बिन सुलैम अंसारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ कि अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि मैं गवाह हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्आ के दिन हर जवान पर गुस्ल, मिस्वाक और खुशबू लगाना अगर मयस्सर हो, ज़रूरी है। अमर बिन सुलैम ने कहा कि गुस्ल के बारे में तो मैं गवाही देता हूँ कि वो वाजिब है लेकिन मिस्वाक और खुशबू का इल्म अल्लाह तआला को ज्यादा है कि वो भी वाजिब हैं या नहीं। लेकिन हदीष में इसी तरह है। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रह.) ने फ़र्माया कि अबूबक्र बिन मुंकदिर मुहम्मद बिन मुंकदिर के भाई थे और उनका नाम मा'लूम नहीं (अबूबक्र उनकी कुत्रियत थी) बुकैर बिन अंशज। सईद बिन अबी हिलाल और बहुत से लोग उनसे रिवायत करते हैं। और मुहम्मद बिन मुंकदिर उनके भाई की कुत्रियत अबूबक्र और अबू अब्दुल्लाह भी थी। (राजेअ : 858)

बाब 4 : जुम्आ की नमाज़ को जाने की फ़ज़ीलत

(881) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान के गुलाम सुमय से खबर दी, जिन्हें अबू सालेह सिमान ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स जुम्आ के दिन गुस्ले जनाबत करके नमाज़ पढ़ने जाए तो गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी दी (अगर पहले वक़्त मस्जिद में पहुँचा) और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी और जो तीसरे नम्बर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले भैंसे की कुर्बानी दी

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ)). [راجع: ٨٥٨]

٣- بَابُ الطَّيْبِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْفَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنْ، وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَهُ)). قَالَ عَمْرُو: أَمَا الْفَسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَا الْإِسْتِنَانُ وَالطَّيْبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْخَلِيفَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بَكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْتَبُ بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

[راجع: ٨٥٨]

٤- بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

٨٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً،

और जो कोई चौथे नम्बर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी और जो कोई पाँचवें नम्बर पर गया उसने गोया अण्डा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुत्बा के लिये बाहर आ जाता है तो मलाइका (फ़रिश्ते) खुत्बा सुनने में मशगूल हो जाते हैं।

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الدُّعَاءَ.

इस हदीष में प्रवाब के 5 दर्जे बयान किये गए हैं। जुम्आ में हाज़िरी का वक़्त सुबह ही से शुरू हो जाता है और सबसे पहला प्रवाब उसी को मिलेगा जो अब्बल वक़्त जुम्आ के लिये मस्जिद में आ जाए। सलफ़ उम्मत का इसी पर अमल था कि वो जुम्आ के दिन सुबह सवेरे मस्जिद में चले जाते और नमाज़ के बाद घर जाते। फिर खाना खाते और कैलूला करते। दूसरी अहदीष में है कि जब इमाम खुत्बा के लिये निकलता है तो प्रवाब लिखने वाले फ़रिश्ते भी मस्जिद में आ जाते हैं और खुत्बा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। मुर्ग के साथ अण्डे का भी ज़िक्र है। उसे हकीक़त पर महमूल किया जाए तो अण्डे की भी हकीक़ी कुर्बानी जाइज़ होगी जिसका कोई भी क़ायल नहीं। प्राबित हुआ कि यहाँ मजाज़न कुर्बानी का लफ़ज़ बोला गया है जो तकररब इल्लाह के मा'नी में है (कमा सयाती)।

बाब 5 :

(882) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान बिन अब्दुर्रहमान ने यह्या बिन अबी क़प्रीर से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) जुम्आ के दिन खुत्बा दे रहे थे कि एक बुज़ुर्ग (उष्मान रज़ि.) दाख़िल हुए। उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप लोग नमाज़ के लिये आने में क्यों देर करते हैं। (अब्बल वक़्त क्यों नहीं आते) आने वाले बुज़ुर्ग ने फ़र्माया कि देर सिर्फ़ इतनी हुई कि अज़ान सुनते ही मैंने वुज़ू किया (और फिर हाज़िर हुआ) आपने फ़र्माया कि क्या आप लोगों ने नबी करीम (ﷺ) से ये हदीष नहीं सुनी है कि जब कोई जुम्आ के लिये जाए तो गुस्ल कर लेना चाहिये। (राजेअ : 878)

٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَخْتَسِرُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).

[راجع: ٨٧٨]

तशरीह : इस हदीष की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यँ है कि हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत उष्मान (रज़ि.) जैसे ज़लीलुल क़द्र सहाबी पर खफ़ा हुए अगर जुम्आ की नमाज़ फ़ज़ीलत वाली न होती तो नाराज़गी की ज़रूरत क्या थी? पस जुम्आ की नमाज़ की फ़ज़ीलत प्राबित हुई और यही बाब का तर्जुमा है। कुछ ने कहा कि और नमाज़ों के लिये कुर्आन शरीफ़ में ये हुक्म हुआ, इज़ा कुम तुम इलस्सलाति फ़ःसिलू वुजूहकुम (अल माइदा: 6) या'नी वुजू करो और जुम्आ की नमाज़ के लिये आँहज़रत ने गुस्ल करने का हुक्म दिया तो मा'लूम हुआ कि जुम्आ की नमाज़ का दर्जा और नमाज़ों से बढ़कर है और दूसरी नमाज़ों पर उसकी फ़ज़ीलत प्राबित हुई। यही बाब का तर्जुमा है। (वहीदी)

यहाँ अदना ताम्मुल से मा'लूम हो सकता है कि हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिषीन इमाम बुखारी (रह.) को अल्लाह पाक ने हदोष नबवी के मतालिब पर किस क़दर गहरी नज़र अज़ा फ़र्माई थी। इसीलिये हज़रत अल्लामा अब्दुलकुदूस बिन हमाम अपने चंद मशाइख़ से नक़ल करते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी किताब के फ़िक्रही तराजिम व अबवाब भी मस्जिदे नबवी के उस हिस्से में बैठकर लिखते हैं जिसको आँहज़रत (ﷺ) ने जन्नत की एक क्यारी बतलाया है। उस ख़ानकाही और रियाज़त के साथ सोलह साल की मुद्त में ये अदीमुन्नज़ीर किताब मुकम्मल हुई जिसका लक़ब बग़ैर किसी तरहदु के 'असहूल कुतुब बअद किताबिल्लाह' क़रार पाया उम्मत के लाखों करोड़ों मुहद्दिषीन और उलमा ने सख़्त से सख़्त कसौटी पर उसे कसा मगर जो लक़ब इस तस्नीफ़ का मशहूर हो चुका था वो पत्थर की लकीर था, न मिटना था न मिटा। इस हकीक़त बाहि़रा के बावजूद उन सतही नाफ़िदीने ज़माना (आलोचकों) पर सख़्त अफ़सोस है जो आज क़लम हाथ में लेकर हज़रत इमाम बुखारी (रह.) और उनकी अदीमुल मिषाल किताब पर तन्कीद करने के लिये गुस्ताख़ी करते हैं और अपनी कम अक़ली को ज़ाहिर करते हैं। देवबन्द से ताल्लुक रखने वाले हज़रत हों या किसी और जगह से, उन पर वाजेह होना चाहिये कि उनकी ये बेकार सी कोशिश हज़रत इमाम बुखारी और उनकी जलीलुल क़द्र किताब की ज़रा बराबर भी शान न घटा सकेगी। हाँ! ये ज़रूर है कि जो कोई आसमान की तरफ़ थूके तो उसका थूक उलटा उसके मुँह पर ही आएगा कि क़ानून कुदरत यही है। बुखारी शरीफ़ की इल्मी खुसूसियात के लिये एक मुस्तक़िल तस्नीफ़ और एक रोशनतरीन फ़ाज़िलाना दिमाग़ की ज़रूरत है। ये किताब सिर्फ़ अहादीषे सहीहा ही का मज्मूआ नहीं बल्कि उसूलो अक़ाइद, इबादात व मुआमलात, ग़ुवात व सियर, इस्लामी मुआशरत व तमहुन, मसाइल सियासत व सलतनत की एक जामेअ एनसाइक्लोपीडिया है। आज के नौजवान रोशनदिमाग़ मुसलमानों को इस किताब से जो कुछ तशार्फ़ी हासिल हो सकती है वो किसी दूसरी जगह न मिलेगी। इस हदीषे से ये भी प्राबित है कि बड़े लोगों को चाहिये कि नेक कामों का हुक्म फ़र्माते रहें और इस बारे में किसी का लिहाज़ न करें। जिनको नसीहत की जाए उनका भी फ़र्ज है कि तस्लीम करने में किसी किस्म का देरा (आपत्ति) न करें और बिला चूँ चरा नेक कामों के लिये सरेख़म तस्लीम कर दें। हज़रत उमर (रज़ि.) की दानाई देखिये कि हज़रत इम्रान (रज़ि.) का जवाब सुनते ही ताड़ गए आप बग़ैर गुस्ल के जुम्आ के लिये आ गए हैं। उससे गुस्ले जुम्आ की अहमियत भी प्राबित हुई।

बाब 6 : जुम्आ की नमाज़ के लिये बालों

में तेल का इस्ते'माल

(883) हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी जिब ने सईद मक्बरी से बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप अबू सईद मक्बरी ने अब्दुल्लाह बिन वदीआ से ख़बर दी, उनसे हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स जुम्आ के दिन गुस्ल करे और ख़ूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्ते'माल करे या घर में जो खुशबू मयस्सर हो इस्ते'माल करे फिर नमाज़ के लिये निकले और मस्जिद में पहुँचकर दो आदमियों के बीच न घुसे, फिर जितनी हो सके नफ़ल नमाज़ पढ़े और जब इमाम खुट्बा शुरू करे तो ख़ामोश सुनता रहे तो उसके जुम्आ से लेकर दूसरे जुम्आ तक सारे गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं। (दीगर मक़ाम : 910)

मा'लूम हुआ कि जुम्आ का दिन एक सच्चे मुसलमान के लिये ज़ाहिर व बातिन हर किस्म की मुकम्मल पाकी हासिल करने का दिन है।

(884) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें

٦- بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا يَفْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا سَطَّاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدُهْنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)). [طرفه ن : ٩١٠].

٨٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا

शुऐब ने जुहरी से खबर दी कि ताऊस बिन कैसान ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से पूछा कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि जुम्आ के दिन अगरचे जनाबत न हो लेकिन गुस्ल करो और अपने सर धोया करो और खुशबू लगाया करो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि गुस्ल का हुक्म तो ठीक है लेकिन खुशबू के बारे में मुझे इल्म नहीं।
(दीगर मक़ाम : 885)

(885) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने खबर दी, कि उन्हें इब्ने जुरैज ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहीम बिन मैसरा ने ताऊस से खबर दी और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, आपने जुम्आ के दिन गुस्ल के बारे में नबी करीम (ﷺ) की हदीष का ज़िक्र किया तो मैंने कहा कि क्या तेल और खुशबू का इस्ते'माल भी ज़रूरी है? आपने फ़र्माया कि मुझे मा'लूम नहीं। (राजेअ : 886)

तेल और खुशबू के बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) की जो हदीष ऊपर ज़िक्र हुई है ग़ालिबन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को उसका इल्म न हो सका।

बाब 7 : जुम्आ के दिन उम्दा से उम्दा कपड़े पहने जो उसको मिल सके

(886) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से खबर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने (रेशम का) धारीदार जोड़ा मस्जिदे नबवी के दरवाज़े पर लटका देखा तो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! बेहतर हो अगर आप इसे ख़रीद लें और जुम्आ के दिन और वफूद (प्रतिनिधि मण्डल) जब आपके पास आएँ तो उनकी मुलाक़ात के लिये आप उसे पहना करें। इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे तो वही पहन सकता है जिसका आख़िरत में कोई हिस्सा न हो। उसके बाद

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ
لِابْنِ عَبَّاسٍ : ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :
(«اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا
رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصْبِيئًا
مِنَ الطَّيِّبِ»). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَا الْغَسْلُ
فَنَعَمْ، وَأَمَا الطَّيِّبُ فَلَا أَذْرِي،
[طرفه في : ٨٨٥].

٨٨٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ :
أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ :
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ :
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ
قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَسُّ طَيِّبًا أَوْ دُهْنًا
إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ : لَا أَغْلَمُهُ).

[راجع : ٨٨٤]

٧- بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ

مَا يَجِدُ

٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى خُلَّةَ
سَيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِستَهَا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا
خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)). ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसी तरह के कुछ जोड़े आए तो उसमें से एक जोड़ा आपने उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) को अता फ़र्माया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं हालाँकि उससे पहले उतारिद के जोड़े के बारे में आपने कुछ ऐसा फ़र्माया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने उसे तुम्हें खुद पहनने के लिये नहीं दिया है, चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे अपने एक मुशरिक भाई को पहना दिया जो मक्के में रहता था। (दीगर मक़ाम : 938, 2104, 2612, 2619, 3054, 5841, 5981, 6081)

اللّٰهُ ﷻ مِنْهَا خُلَّتْ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا خُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ لِي خَلَّةٌ غَطَّارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِئَلَيْسَ بِهَا))
فَكَسَاَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَخَا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

[أطرافه في: 938, 2104, 2612, 2619, 3054, 5841, 5981, 6081]

٢٦١٢, ٢٦١٩, ٣٠٥٤, ٥٨٤١, ٥٩٨١

[6081]

तशरीह: उतारिद बिन हाजिब बिन ज़रारह तमीमी (रज़ि.) कपड़े के व्यापारी थे। ये चादरें बेच रहे थे इसलिये उसको उनकी तरफ़ मन्सूख किया गया। ये वफ़द बनी तमीम में आँहज़रत (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम कुबूल किया। बाब का तर्जुमा यहाँ से निकलता है कि आँहज़रत (ﷺ) की खिदमते शरीफ़ में हज़रत उमर (रज़ि.) ने जुम्अे के दिन उम्दा कपड़े पहनने की दरख्वास्त पेश की। आँहज़रत (ﷺ) ने उस जोड़े को इसलिये नापसंद फ़र्माया कि वो रेशमी था और मर्द के लिये ख़ालिस रेशम का इस्ते'माल करना ह़राम है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने मुशरिक भाई को उसे बतौर हदिया दे दिया। इससे पता चला कि काफ़िर, मुशरिक जब तक इस्लाम कुबूल न करें वो फुरूआते इस्लाम के मुकल्लफ़ नहीं होते। ये भी मा'लूम हुआ कि अपने मुशरिक, काफ़िरों, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने-सुलूक करना मना नहीं है बल्कि मुम्किन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिये ताकि उनको इस्लाम में राग़बत पैदा हो।

बाब 8 : जुम्अे के दिन मिस्वाक करना

और अबू सईद (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है कि मिस्वाक करनी चाहिये।

(887) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने अबुज़्जिनाद से ख़बर दी, उनसे अअरज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख़याल न होता तो मैं हर नमाज़ के लिये उनको मिस्वाक का हुक्म देता। (दीगर मक़ाम : 7240)

8 - بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَسْتَأْن.

887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ لَا أَن أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي

- أَوْ عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ

كُلِّ صَلَاةٍ)). [طرفه في: 7240]

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी (रह.) अपनी मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में रिवायत की गई अहदादीषे मिस्वाक के बारे में फ़र्माते हैं, 'अकूलु मअनाहू लौ ला ख़ौफल हरज लजअल्लुस्सिवाक शर्तन लिस्सलाति कल्लुजुइ व क्रद वरद बिहाज़लउस्लूबि अहदादीषु क़ीरन जिद्दा व हिय दलाइलुन वाज़िहतुन अला अन्न इज्तिहादन्नबियि

(❦) मदखलन फिल्हुदूदिशशरइय्यति व अन्नहा मनूततुन बिल्मक्रासिदि व अन्न रफअल्खुरूजि मिनल उसूलिल्लती बुनिय अलैहिशशराइउ कौलरवी फी सिफ्रति तसव्वुकिही (❦) आ आ कअन्नहू यतहव्वउ उकूलु यम्बसी लिलइन्सानि अय्यबलुग बिस्सवाकि अक्रासिल्फमि कयुख्रिजल्हल्क बस्सदर वल्इस्तिस्काअ फ्रिस्सवाकि युज्हिबु' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पेज नं. 949, 450)

या'नी जो हुजूर करीम (❦) का इर्शाद है अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार न जानता तो उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता। उसके बारे में मैं कहता हूँ कि इसके मा'नी ये हैं कि अगर तंगी का डर न होता तो मिस्वाक करने को बुजू की तरह नमाज़ की सिहत के लिये शर्त करार दे देता और इस तरह की बहुत सी अहादीष वारिद है। जो इस अम्र की स़ाफ़ दलालत करती है कि नबी करीम (❦) के इज्तिहाद को हुदूदे शरईया में दख़ल है और हुदूदे शरईया मक्रासिद पर मब्नी है और उम्मत से तंगी का रफ़ा करना मिन्जुम्ला इन उसूलों के है जिन पर अहकामे शरईया मब्नी है। नबी करीम (❦) के मिस्वाक करने की कैफ़ियत के बारे में जो रावी का बयान है कि आप मिस्वाक करते वक़्त अअ अअ की आवाज़ निकालते जैसे कोई क़ै करते वक़्त करता है। इसके बारे में मैं कहता हूँ कि इंसान को मुनासिब है कि अच्छी तरह से मुँह के अंदर मिस्वाक करे और हल्क और सीने का बलग़म निकाले और मुँह में ख़ूब अंदर तक मिस्वाक करने से मज़े क़ला दूर हो जाता है और आवाज़ स़ाफ़ हो जाती है और मुँह ख़ुशबूदार हो जाता है। क़ालन्नबिय्यु (❦) अशरुम्मिनल फ़िन्नति क़स्सुशशवारिब व इफ़ाउल्लिहया वस्सिवाक अल्ख़ या'नी आँहज़रत (❦) ने फ़र्माया दस बातें फ़ितरत में से हैं मुँहों का तरशवाना, दाढ़ी का बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी डालना, नाखून कतरवाना, उंगलियों के जोड़ों का धोना, बग़ल के बाल उखाड़ना, ज़ेरे नाफ़ के बाल स़ाफ़ करना, पानी से इस्तिजा करना। रावी कहता है कि दसवीं बात मुज़को याद नहीं रही वो ग़ालिबन कुल्ली करना है। मैं कहता हूँ कि ये तहारतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मन्कूल हैं और तमाम उममे हनीफ़िया में बराबर ज़ारी रही हैं और उनके दिलों में पेवस्त हैं। इसी वजह से उनका नाम फ़ितरत रखा गया (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द नं. 1 पेज नं. 447)

(888) हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे शुऐब बिन हबहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (❦) ने फ़र्माया कि मैं तुमसे मिस्वाक के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ।

— ۸۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْتَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَالِكِ)).

(889) हमसे मुहम्मद बिन क़ध़ीर ने बयान किया, कहा कि हमें सुफ़यान श़ौरी ने मंसूर बिन मअमर और हुसैन बिन अब्दुरहमान से ख़बर दी, उन्हें अबू वाइल ने, उन्हें हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) ने कि नबी करीम (❦) जब रात को उठते तो मुँह को मिस्वाक से ख़ूब स़ाफ़ करते। (राजेअ: 245)

— ۸۸۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَصِينِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَدِيفَةَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوعِرُ فَاةً).

[راجع: ۲۴۵]

इन तमाम अहादीष से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि जुम्आ की नमाज़ के लिये भी मिस्वाक करना चाहिये। जब आँहज़रत (❦) ने हर नमाज़ के लिये मिस्वाक की ताईद फ़र्माई तो जुम्आ की नमाज़ के लिये भी इसकी ताईद प्राबित हुई इसलिये भी कि जुम्आ ज़्यादा लोगों का इज्तिमा होता है इसलिये मुँह का स़ाफ़ करना ज़रूरी है ताकि मुँह की बदबू से लोगों को तकलीफ़ न हो।

बाब 9 : जो शख्स दूसरे की मिस्वाक इस्ते'माल करे

(890) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुलैमान बिन हिलाल ने बयान किया कि हिशाम बिन उर्वा ने कहा कि मुझे मेरे बाप उर्वा बिन जुबैर ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आइशा (रज़ि.) से खबर दी। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (एक बार) आए। उनके हाथ में मिस्वाक थी जिसे वो इस्ते'माल किया करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बीमारी की हालत में उनसे कहा अब्दुर्रहमान! ये मिस्वाक मुझे दे दे, उन्होंने दे दी। मैंने उसे सिरे को पहले तोड़ा या'नी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अब्दुर्रहमान अपने मुँह में लगाया करते थे, फिर उसे चबाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) को दे दिया। आँहजरत (ﷺ) ने उससे दाँत साफ़ किये और आप (ﷺ) उस वक़्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे।

(दीगर मक़ाम : 1389, 3100, 3774, 4438, 4446, 4449, 4450, 4451, 5217, 6510)

9- بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

890- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ غُرُورَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَوَعَهُ سِوَاكِ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطَيْتَنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَعْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَنُّ بِهِ وَهُوَ مَسْتَبِدٌّ إِلَى صَدْرِي).

[أطرافه في : 1389, 3100, 3774, 4438, 4446, 4449, 4450, 4451, 5217, 6510].

तशरीह : इस हदीष से षाबित हुआ कि दूसरे की मिस्वाक उससे लेकर इस्ते'माल की जा सकती है और ये भी षाबित हुआ कि दूसरा आदमी मिस्वाक को अपने मुँह से चबाकर अपने भाई को दे सकता है और ये भी षाबित हुआ कि बवक़ते ज़रूरत अपने किसी भाई से जिन पर हमको भरोसा व ए'तिमाद हो कोई ज़रूरत की चीज़ उससे त़लब कर सकते हैं, तआवुने बाहमी (आपसी सहयोग) का यही मफ़हूम है। इस हदीष से हजरत आइशा (रज़ि.) की फ़ज़ीलत भी षाबित हुई कि मर्जुल मौत में उनको आँहजरत (ﷺ) की खुसूसी ख़िदमात करने का शरफ़ (श्रेय) हासिल हुआ। अल्लाह की मार उन बुरे शाइरों पर जो हजरत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) की शाने अक़दस में कलिमाते गुस्ताख़ी इस्ते'माल करके अपने आक़िबत ख़राब करते हैं।

बाब 10 : जुम्अे के दिन नमाज़े फ़ज़्र में कौनसी सूरह पढ़ी जाए?

(891) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफयान घौरी ने सअद बिन इब्राहीम के वास्ते से बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने, उनसे हजरत अबू हुदैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन फ़ज़्र की नमाज़ में 'अलिफ़ लाम मीम तंज़ीलुल और हलअता अलल इंसान' पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1068)

10- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ

891- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ابْنِ هُرْمُزٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «أَلَمْ تَنْزِيلُ» السُّجْدَةِ وَ«هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»)).

[أطرافه في : 1068].

तबरानी की रिवायत है कि आप हमेशा ऐसा किया करते थे। उन सूतों में इंसान की पैदाइश और कयामत वगैरह का जिक्र है और ये जुम्आ के दिन ही वाक़ेअ होगी। इस हदीष से मालिकिया का रद्द हुआ जो नमाज़ में सज्दे वाली सूत पढ़ना मकरूह जानते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है कि नमाज़ में भी सज्दे की सूत पढ़ी और सज्दा किया। (वहीदी) अल्लामा शौकानी इस बारे में कई अहदादीष नक़ल करने के बाद फ़र्माते हैं, 'व हाजिहिलअहदादीषु फीहा मशरूइय्यतु किराति तन्ज़ीलिससज्दति व हल अता अललइन्सानि क़ाललइराक़ी व मिम्मन कान यफ़अलुहू मिनस्रहाबति अब्दुल्लाहिब्नि अब्बास व मिनत्ताबिईन इब्राहीम बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ व हुव मज़हबशफ़िई व अहमद व अह्मदुलुलअहदादीष' (नैलुल औतार) या' नी इन अहदादीष से प्राबित हुआ कि जुम्आ के दिन फ़ज़्र की नमाज़ की पहली रकअत में अलिफ़ लाम तंज़ील सज्दा दूसरी में हल अता अलल इंसान पढ़ना अफ़ज़ल है। स़हाबा में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और ताबेई में से इब्राहीम बिन अब्दुरहमान का यही अमल था और इमाम शफ़िई और इमाम अहमद और अहले हदीष का यही मज़हब है।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं कि 'वत्तअबीरू बिकान यशरू बिमवाज़बतिही अलैहिस्सलाम अलल्किराति बिहिमा फीहा' या' नी हदीषे मज़कूर में लफ़्जे काना बतला रहा है कि आँहज़रत (ﷺ) ने जुम्आ के दिन फ़ज़्र की नमाज़ में इन सूतों पर मवाज़बत या' नी हमेशागी फ़र्माई है। अगरचे कुछ उलमा मवाज़बत को नहीं मानते मगर तबरानी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से 'युदीमु बिज़ालिक' लफ़्ज़ मौजूद है। या' नी आप (ﷺ) ने इस अमल पर मुदावमत फ़र्माई (क़स्तलानी) कुछ लोगों ने दा' वा किया था कि अहले मदीना ने ये अमल छोड़ दिया था, इसका जवाब अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) इन लफ़्ज़ों में दिया है, 'व अम्मा दअ्वाहू अन्ननास तरकुलअमल बिही फ़ बात्तिलतुन लिअम्मन अक्षर अहलिलइल्मि मिनस्रहाबति वत्ताबिईन क़द क़ालू बिही कमा नक़लहुबुल्मुन्ज़िर व गैरहू हत्ता अन्नहू प्राबितुन अन इब्राहीम इब्नि औफ़ व लअस्रद व हुव मिन किबारत्ताबिईन मिन अहलिलमदीनति अन्नहू अम्मनास बिल्मदीनति बिहिमा फिल्फ़जि यौमल्जुम्आति अख़रजहू इब्नु अबी शैबत बिइस्नादिन सहीहिन' अलख़ (फ़त्हुल बारी) या' नी ये दा' वा कि लोगों ने इस पर अमल करना छोड़ दिया था झूठ है। इसलिये कि अक्षर अहले इल्म स़हाबा व ताबेईन इसके क़ाइल हैं जैसा कि इब्ने मुज़ि र वगैरह ने नक़ल किया है यहाँ तक कि इब्राहीम इब्ने औफ़ से भी प्राबित है जो मदीना के बड़े ताबेईन में से हैं कि उन्होंने जुम्आ के दिन लोगों को फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ाई और इन्हीं दो सूतों को पढ़ा। इब्ने अबी शैबा ने इसे सहीह सनद से रिवायत किया है।

बाब 11 : गांव और शहर दोनों जगह जुम्आ दुरुस्त है

(892) हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू आमिर अन्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन तह्मान ने बयान किया, उनसे अबू जम्ह नज़्ज़ बिन अब्दुरहमान ज़ब्ज़ी ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) की मस्जिद के बाद सबसे पहला जुम्आ बनू क़ैस की मस्जिद में हुआ जो बेहरीन के मुल्क जुवाषी में थी।

(दीगर मक़ाम : 4371)

(893) हमसे बिशर बिन मुहम्मद मर्वज़ी ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें यूनुस बिन

١١- بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيِ وَالْمَدْنِ

٨٩٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَامِرٍ الْمَقْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ - بَعْدَ جُمُعَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَالِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ).

[طرفه بي : ٤٣٧١].

٨٩٣- حَدَّثَنِي بَشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ

यज़ीद ने जुहरी से खबर दी, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह ने इब्ने आमिर से खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि तुममें से हर शख्स निगहबान है और लैष ने इसमें ये ज़्यादाती की कि यूनुस ने बयान किया कि रुज़ैक्र बिन हकीम ने इब्ने शिहाब को लिखा। उन दिनों मैं भी वादिउल कुरा में इब्ने शिहाब के पास ही था कि क्या मैं जुम्आ पढ़ सकता हूँ। रुज़ैक्र (ऐला के आसपास) एक ज़मीन काशत करवा रहे थे। वहाँ हब्शा वगैरह के कुछ लोग मौजूद थे। उस ज़माने में रुज़ैक्र ऐला में (हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ़ से) हाकिम थे। इब्ने शिहाब (रह.) ने उन्हें लिखवाया, मैं वहीं सुन रहा था कि रुज़ैक्र जुम्आ पढ़ाएँ। इब्ने शिहाब रुज़ैक्र को ये खबर दे रहे थे कि सालिम ने उनसे हदीष बयान की कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। आपने फ़र्माया कि तुममें से हर एक निगराँ हैं और उसके मातहतों के बारे में उससे सवाल होगा। इमाम निगराँ हैं और उससे सवाल उसकी रिआया के बारे में होगा। इंसान अपने घर का निगराँ हैं और उससे उसकी रइयत (प्रजा) के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगराँ हैं और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा। ख़ादिम अपने आक्रा के माल का निगराँ है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया कि इंसान अपने बाप के माल का निगराँ है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा और तुममें से हर शख्स निगराँ हैं और सबसे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा।

(दीगर मक़ाम : 2409, 2554, 2751)

عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)). وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُؤْنَسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى - : هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ؟ وَرُزَيْقٌ غَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - يَا مُرَّةُ أَنْ يَجْمَعَ، يُخْبِرُهُ أَنْ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ)) - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ)).

[أطرافه في : ٢٤٠٩، ٢٥٥٤، ٢٧٥١]

तशरीह:

मुज्ताहिदे मुल्लक हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने उन लोगों का रद्द फ़र्माया है जो जुम्आ की सिहत के लिये शहर और हाकिम वगैरह की कुयूद लगाते हैं और गांव में जुम्आ के लिये इंकार करते हैं। हज़रत मौलाना वहीदुज्जमाँ साहब शारेहे बुखारी फ़र्माते हैं कि इससे इमाम बुखारी (रह.) ने उन लोगों का रद्द किया जो जुम्आ के लिये शहर की क़ैद करते हैं। अहले हदीष का मज़हब ये है कि जुम्आ की शर्तें जो हन्फ़ियों ने लगाई हैं वो सब बेदलील हैं और जुम्आ दूसरी नमाज़ों की तरह है सिर्फ़ जमाअत इसमें शर्त है। इमाम के सिवा एक आदमी और होना और नमाज़ से पहले दो ख़ुत्बे पढ़ना सुन्नत है बाक़ी

कोई शर्त नहीं है। दारुल हरब और काफ़िरों के मुल्क में भी हज़रत इमाम ने बाब में लफ़्जे कुरा और मुद्न इस्ते'माल किया कुरा क़र्या की जमा है जो उमूमन गांव ही पर बोला जाता है और मुदुन मदीना की जमा है जिसका इत्लाक़ शहर पर होता है।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, 'फ़ी हाज़िहित्तर्जमति इशारतुन इला ख़िलाफ़िम्मन ख़स्सलजुम्अत बिल्मुदुनि दुनल्कुरा' या'नी इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने उन लोगों के ख़िलाफ़ इशारा फ़र्माया है जो जुम्अे को शहरों के साथ ख़ास करके देहात में इक़ामते जुम्आ का इंकार करते हैं। आपने इस हदीष को बतौर दलील पेश किया कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मस्जिदे नबवी के बाद पहला जुम्आ अब्दुल क़ैस नामी क़बीले की मस्जिद में क़ायम किया गया जो जुवाषी नाम गांव में थी और वो गांव बहरीन के इलाक़े में वाक़ेअ था। ज़ाहिर है कि ये जुम्आ आँहज़रत (ﷺ) की इजाज़त ही से क़ायम किया गया। सहाबा किराम (रिज़.) की मजाल न थी कि आँहज़रत (ﷺ) की इजाज़त के बग़ैर वो कोई काम कर सकें। जुवाषी उस वक़्त एक गांव था मगर इनफ़ी हज़रत फ़र्माते हैं कि वो शहर था हालाँकि हदीषे मज़कूर से उसका गाँव होना ज़ाहिर है जैसा कि वक़ीअ की रिवायत में साफ़ मौजूद है, 'अन्नहा क़र्यतुम्मिन कुरा लबहरीन' या'नी जुवाषी बहरीन के देहात में एक गांव था। कुछ रिवायतों में कुरा अब्दुल क़ैस भी आया है कि वो क़बीला अब्दुल क़ैस का एक गाँव था। (क़स्तलानी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि मुम्किन है कि बाद में इसकी आबादी बढ़ गई हो और वो शहर हो गया हो मगर इक़ामते जुम्आ के वक़्त वो गांव ही था। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने मज़ीद वज़ाहत के लिये हज़रत इब्ने शिहाब (रह.) का फ़र्मान ज़िक्र किया कि उन्होंने रुज़ैक नामी एक बुजुर्ग को जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ़ से ऐला के गवर्नर थे और एक गांव में जहाँ उनकी ज़मींदारी थी, रहते थे। उनको उस गांव में जुम्आ क़ायम करने के लिये इजाज़त नामा लिखा।

इमाम क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं कि अम्लाहु इब्नु शिहाब मिन कातिबिही फ़समिअहू यूनुस मिन्हु या'नी इब्ने शिहाब जुहरी ने अपने कातिब से उस इजाज़तनामे को लिखवाया और यूनुस ने उनसे उस वक़्त उसे सुना और इब्ने शिहाब ने ये हदीष पेश करके उनको बतलाया कि वो गांव और देहात ही में है लेकिन उसको जुम्आ पढ़ना चाहिये क्योंकि वो अपने रिआया का जो वहाँ रहती है। इस तरह अपने नौकर-चाकरों का निगाहबान है जैसे बादशाह निगाहबान होता है तो बादशाह की तरह उसको भी अहकामे शरइया क़ायम करना चाहिये जिनमें से एक इक़ामते जुम्आ भी है। इब्ने शिहाब जुहरी वादी-ए-कुरा में थे जो मदीना मुनव्वरा के पास एक गांव हैं जिसे आँहज़रत (ﷺ) ने सात हिजरी जमादिल आख़िर में फ़तह किया था। फ़तहूल बारी में है कि ज़ैन बिन मुनीर ने कहा कि इस वाक़िआ से प्राबित होता है कि जुम्आ बादशाह की इजाज़त के बग़ैर भी क़ायम हो जाता है। जब कोई जुम्आ क़ायम करने के काबिल इमाम ख़तीब वहाँ मौजूद हों और इससे गांव में भी जुम्आे का होना प्राबित हुआ।

गांव में जुम्आे की स्नेहत के लिये सबसे बड़ी दलील कुआनि पाक की आयते करीमा है जिसमें फ़र्माया 'या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नुदिय लिस्सलाति मिंय्यौमिल जुम्अति फ़स्औ इला ज़िक्विल्लाहि व ज़रूल्बैअ' (आयत अल जुम्आ, 9) 'ऐ ईमानवालों! जब जुम्आे के दिन नमाज़े जुम्आ के लिये अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र के लिये चलो और खरीदो-फ़रोख़्त छोड़ दो।' इस आयते करीमा में ईमानवाले आम हैं वो शहरी हों या देहाती। सब इसमें दाख़िल हैं जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि 'अल्जुम्अतु हक्कुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फी जमाअतिन इल्ला अबर्अतुन अब्दुम मम्लूकुन औ इम्रातुन औ स़बिय्युन औ मरीजुन' (रवाहु अबू दाऊद वल हाकिम) या'नी जुम्आ हर मुसलमान पर हक़ और वाजिब है कि वो जमाअत के साथ अदा करे मगर गुलाम औरत और बच्चे और मरीज़ पर जुम्आ फ़र्ज़ नहीं। एक और हदीष में है, 'मन कान यूमिनु बिल्लाहि वल्यौमिल्आख़िरी फ़ अलैहिल्जुम्अतु इल्ला मरीजुन औ मुसाफ़िरुन औ इम्रातुन औ स़बिय्युन औ मम्लूकुन फ़ मनिस्तगना बिलहविन औ तिजारतिन इस्तगनल्लाहु अन्हु वल्लाहु ग़नि्य्युन हमीद' (रवाहु दारे कुत्नी) या'नी जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर यक़ीन रखता है उस पर जुम्आ फ़र्ज़ है मगर मरीज़, मुसाफ़िर, गुलाम और बच्चे और औरत पर जुम्आ फ़र्ज़ नहीं है। पर जो कोई खेल-तमाशा या तिजारत की वजह से बेपरवाही करे तो अल्लाह पाक भी उससे बेपरवाही करेगा क्योंकि अल्लाह बेनियाज़ और महमूद है।

आयते शरीफा में खरीदो-फ़रोख्त के ज़िक्र से कुछ दिमागों से जुम्आ का शहर होना निकाला है हालाँकि ये इस्तिदलाल बिल्कुल ग़लत है। आयते शरीफा में खरीदो-फ़रोख्त का इसीलिये ज़िक्र आया कि नुजुले आयत के वक़्त ऐसा वाकिआ पेश आया था कि मुसलमान एक तिजारती काफ़िले के आ जाने से जुम्आ छोड़कर खरीद-फ़रोख्त के लिये दौड़ पड़े थे इसलिये आयत में खरीदो-फ़रोख्त छोड़ने का ज़िक्र आ गया और अगर उसको इसी तरह मान लिया जाए तो कौनसा गांव आज ऐसा है जहाँ क़मो-बेश खरीदो-फ़रोख्त का सिलसिला जारी न रहता हो। पस इस आयत से जुम्आ के लिये शहर का ख़ास करना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि कोई डूबनेवाला तिनके का सहारा हासिल करे।

एक हदीष में साफ़ गांव का लफ़ज़ मौजूद है। चुनाँचे आहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'अल्जुम्अतु वाजिबतुन अला कुल्लि कर्यतिन फीहा इमामुन इल्लम यकूनू इल्ला अब्अतुन' (रवाहु दारे कुल्नी, पेज नं. 26) या 'नी हर ऐसे गांव वालों पर जिसमे नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम मौजूद हों जुम्आ वाजिब है अगरचे चार ही आदमी हों। ये रिवायत भले ही कमज़ोर है मगर पहली रिवायतों की ताईद व तक्वियत उसे हासिल है। लिहाज़ा इससे भी इस्तिदलाल दुरुस्त है। इसमें उन लोगों का भी रद्द है जो सेहते जुम्आ के लिये कम-अज़कम 40 आदमियों का शर्त होना करार देते हैं।

अकाबिरे सहाबा से भी गांव में जुम्आ पढ़ना षाबित है। चुनाँचे हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का इश़ाद है कि तुम जहाँ कहीं हो जुम्आ पढ़ लिया करो। अता इब्ने मैमून अबू राफ़ेअ से रिवायत करते हैं कि 'अन्न अबा हुरैरत कतब इला उमर यस्अलुहू अनिल्जुम्अति व हुव बिल्बह्रैनि फ़क़तब इलैहिम अन तज्मिऊ हैषु मा कुन्तुम अख़रजहु इब्नु ख़ुज़ैमत व सटहहू व इब्नु अबी शैबत वल्बैहक़ी व क़ाल हाज़लअषरु इस्नादुहू सहीहुन' (फ़तहूल बारी, पेज नं. 486) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बहरीन से हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के पास ख़त लिखकर पूछा था कि बहरीन में जुम्आ पढ़ें या न पढ़ें तो हज़रते उमर (रज़ि.) ने जवाब में लिखा था कि तुम जहाँ कहीं भी हो जुम्आ पढ़ लिया करो।

इसका मतलब हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) बयान फ़र्माते हैं, 'क़ालश़ाफ़िइ मअनाहू फी अय्यि कर्यतिन कुन्तुम लिअन्न मकामहुम बिल्बह्रैनि इन्नमा कान फिल्कुरा' (अत्तअलीकुल्मुगनी अलद्वार कुल्नी) कि ये मा'नी है कि तुम जिस गांव में भी मौजूद हों (जुम्आ पढ़ लिया करो) क्योंकि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) (सवाल करने वाले) गांव में ही मुक़ीम थे और हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) बयान करते हैं कि 'व हाज़ा मा यशतमिलुल्मुदुन वल्कुरा' (फ़तहूल बारी, पेज नं. 486) फ़ारूक़ी हुक्म शहरों और देहातों को बराबर शामिल हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) खुद गांव में जुम्आ पढ़ने के न सिर्फ़ काइल थे बल्कि सबको हुक्म देते थे। चुनाँचे लैष बिन सअद (रह.) फ़र्माते हैं, 'इन्न अहलल्इस्कन्दरियति व मदाइनि मिस्र व मदाइनि सवाहिलिहा कानू यज्मऊनल्जुम्अत अला अहदि उमर बिल्ख़त्ताबि व इप्मान बिअम्पान बिअम्पिहिमा व फीहिमा रिजालुम्मिनः सबाबति' (अत्तअलीमुल्मुगनी अलद्वार कुल्नी, जिल्द नं. 1, पेज नं. 166) इस्कंदरिया और मिस्र के आसपास वाले हज़रत उमर व इप्मान (रज़ि.) के जमाने में इन दोनों की इश़ाद से जुम्आ पढ़ा करते थे। हालाँकि वहाँ सहाबा किराम (रज़ि.) की एक जमाअत भी मौजूद थी और वलीद बिन मुस्लिम फ़र्माते हैं कि 'सअलतुल्लैषबन सअदिन (अय अनित्तज्मीइ फिल्कुरा) फ़क़ाल कुल्लु मदीनतिन औ कर्यतिन फीहा जमाअतुन इमिरु बिल्जुम्अति फइन्न अहल मिस्र व सवाहिलिहा कानू यज्मऊनल्जुम्अत अला अहदि उमर व इप्मान बिअम्पिहिमा व फीहिमा रिजालुम्मिनः सबाबति' दारे कुल्नी पेज नं. 166, फ़तहूल बारी, पेज नं. 486)

नीज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी गांव और शहर के बाहर रहनेवालों पर जुम्आ की नमाज़ फ़र्ज़ होने के काइल थे। चुनाँचे अब्दुरज़ाक़ने सहीह सनद के साथ हज़रत इब्ने उमर से रिवायत की है कि 'इन्नहू कान यरा अहलल्मियाहि बैन मक़त वल्मदीनति यज्मऊन फ़ला यईबु अलैहिम' (फ़तहूल बारी, जिल्द नं. 1, पेज नं. 486 व त्तालीकुल मुनी अलद्वारिल कुल्नी, पेज नं. 166) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मक्का और मदीना के दरम्यान पानी के पास उतरते हुए वहाँ के देहाती लोगों को जुम्आ पढ़ते देखते तो भी उनको न मना करते और न उनको बुरा कहते और वलीद बिन मुस्लिम रिवायत करते हैं कि 'युर्वा अन शैबान अन मौला लाल सईदिब्लिआसि अन्नहू सअलबन उमर अनिल्कुल्लती बैन मक्कत वल्मदीनति मा तरा लिजुम्अति क़ाल नअम इज़ा कान अलैहिम अमीरुन फ़ल्हज्मअ' (रवाहुल बैहक़ी वत्तअलीक़, पेज नं. 166)

सईद बिन आस के मौला ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से उनके गांव के बारे में पूछा जो मक्का और मदीना के दरम्यान

में हैं कि उन गांवों में जुम्आ है या नहीं तो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हाँ! जब कोई अमीर (इमाम नमाज़ पढ़ाने वाला) हो तो जुम्आ उनको पढ़ाए।

नीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) भी देहात में जुम्आ पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। चुनाँचे जा'फ़र बिन बुक्रान (रह.) रिवायत करते हैं कि 'कतब उमरुब्नु अब्दिलअज़ीज़ इला अदी बिन अदी अल्किन्दी उन्जुर कुल्ल कर्यतिन अहलु करारिन लैसू हुम बिअहलि उमूदिन यन्तक्रिलून फ़अम्मिर अलैहिम अमीरन शुम्म मुहुं फ़ल्यज्मअबिहिम' (रवाहुल्बैहकी फ़िल मअरिफ़ह वतालीकुल मुनी अलद्वारुल कुत्नी, पेज नं. 166) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अदी इब्ने अदी अलकुन्दी के पास लिखकर भेजा कि हर ऐसे गांव को देखो जहाँ के लोग उसी जगह मुस्तक़िल तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं। सुतून वालों (खानाबदोशों) की तरह इधर-उधर फिरते व मुंतक़िल नहीं होते। उस गांववालों पर एक अमीर (इमाम) मुकर्रर कर दो कि उनको जुम्आ पढ़ाता रहे।

हज़रत अबू ज़र (सहाबी रज़ि.) रब्ज़ा गांव में रहने के बावजूद वहीं चंद सहाबा के साथ बराबर जुम्आ पढ़ते थे। चुनाँचे इब्ने हज़र (रह.) मुहल्ला में फ़र्माते हैं कि 'सहीहुन अन्नहू कान बिउष्मान अब्दुन अस्वदु अमीरुन लहू अलरब्जति युसल्ली ख़ल्फ़हू अबू ज़र (रज़ि.) मिनससहाबति अलजुम्अत व ग़ैरहा' (कुबैरि शर्हु मुनीह, पेज नं. 512) सहीह सनद से ये श्राबित है कि हज़रत उष्मान (रज़ि.) का एक सियाह फ़ाम गुलाम रब्ज़ा में हुकूमत की तरफ से अमीर (इमाम) था। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) और दीगर सहाबा किराम (रज़ि.) उसके पीछे जुम्आ पढ़ा करते थे।

नीज़ हज़रत अनस (रज़ि.) शहरे बसरा के पास मौज़अे ज़ाविया में रहते थे। कभी तो जुम्आ की नमाज़ पढ़ने के लिये बसरा आते थे और कभी जुम्आ की नमाज़ मौज़अे ज़ाविया ही में पढ़ लेते थे। बुखारी शरीफ़, जिल्द नं. 1, पेज नं. 123 में है 'व कान अनसुन फी क्रस्मिन अहयानन यज्मड़ व अहयान ला यज्मड़ व हुव बिज़्जावियति अला फर्सखैनि' इस इबारत का मुख्तसर मतलब ये है कि हज़रत अनस (रज़ि.) जुम्आ की नमाज़ कभी ज़ाविया ही में पढ़ लेते थे और कभी ज़ाविया में भी नहीं पढ़ते थे बल्कि बसरा में आकर के जुम्आ पढ़ते थे।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़त्हुल बारी में यही मतलब बयान करते हैं, 'क्रौलुहू यज्मड़ अय युसल्ली अलजुम्अत बिमन मअहू व यशहदुल्जुम्अतल्बस्तर' या'नी कभी जुम्आ की नमाज़ (ज़ाविया में) अपने साथियों को पढ़ाते या जुम्आ के लिये बसरा तशरीफ़ लाते और यही मतलब अल्लामा ऐनी (रह.) ने उम्दा क़ारी, सफ़ा नं. 274, जिल्द नं. 3 में फ़र्माते हैं।

हज़रत अनस (रज़ि.) ईद की नमाज़ भी इसी ज़ाविया में पढ़ लिया करते थे। चुनाँचे बुखारी शरीफ़, पेज नं. 134 में है कि, 'वअमर अनसुब्नु मालिक मौलाहुब्न अबी इत्बत बिज़्जावियति फज्मअ अहलहू व बनीहि व मल्ला कसलातिल्मिस्त्रि व तक्बीरिहिम' हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने अपने आज्ञादकर्दा गुलाम इब्ने इतैबा को ज़ाविया में हुक्म दिया और अपने तमाम घरवालों बेटों वग़ैरह को जमा करके शहरवालों की तरह ईद की नमाज़ पढ़ी। अल्लामा ऐनी (रह.) ने भी उम्दतुल क़ारी, पेज नं. 400/जिल्द नं. 3 में इसी तरह बयान किया है। इन आधार से स़ाफ़ मा'लूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) जुम्आ और ईदेन की नमाज़ शहरवालों की तरह गांव में भी पढ़ा करते थे।

नबी (ﷺ) ने खुद गांव में जुम्आ पढ़ा है:

रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तथ्यिबा तशरीफ़ ले गए थे तो बनी मालिक के गांव में जुम्आ की नमाज़ पढ़ी थी। इब्ने हज़म (रह.) मुहल्ला में फ़र्माते हैं कि 'व मिन आज्मिल्लिबुहानि अला सिहहतिहा फिल्कुरा अन्नन्नबिद्य (ﷺ) अतल्मदीनत व इन्नमा हिय कर्यतुन सिगारुन मुतफरिक्तुन फ़बना मस्जिदहू फी बनी मालिक बिन नज्जार व जमअ फीहि फ़ी कर्यतिन लैसत बिल्कबीरति हुनालिक' (औनुल्माबूद शरह अबू दाऊद, जिल्द नं. 1, पेज नं. 414) देहात व गांव में जुम्आ पढ़ने की सहेहत पर सबसे बड़ी दलील ये है कि नबी करीम (ﷺ) जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त मदीने के छोटे-छोटे अलग-अलग गांव बसे हुए थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी मालिक बिन नज्जार में मस्जिद बनाई और उसी गांव में जुम्आ पढ़ा जो न तो शहर था और न बड़ा गांव ही था।

और हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने तल्खीसुल हबीर, पेज नं. 132 में फ़र्माते हैं कि 'व रवल्बैहकी फिल्मअरिफति

अन मुगाजिबि इस्हाक व मूसबन उक्बत उन्नन्नबिद्यि (ﷺ) हीन रकिब मिन बनी अमरिबि औफ फी हिजरतिही इल्लमुदीनति मर अला बनी सालिम व हिय कर्यतुन बैन कुबा वल्मदीनति फअदरकल्हुल्जुम्अतु फसल्ला बिहिमल्जुम्अत व कानत अव्वलु जुम्अतिन सल्लाह हीन कदिम' इमामे बैहकी (रह.) ने अल मअरिफा में इब्ने इस्हाक व मूसा बिन उक्बा के मगाजी से खियात किया है कि हिजरत के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस वक़्त बनी अमर बिन औफ (कुबा) से सवार होकर मदीना की तरफ़ रवाना हुए तो बनी सालिम के पास से आपका गुजर हुआ वो कुबा व मदीना के बीच एक गांव था तो उसी जगह जुम्आ ने आपको पा लिया या'नी जुम्आ का वक़्त हो गया तो सबके साथ (उसी गांव में) जुम्आ की नमाज़ पढ़ी। मदीना तशरीफ़ लाने के वक़्त सबसे पहला यही जुम्आ आपने पढ़ा है।

खुलासतुल वफ़ाअ पेज नं. 196 में है, 'व लि इब्नि इस्हाक़ फअदरकल्हुल्जुम्अतु फी बनी सालिमिबि औफ़ फसल्लाहा फी बत्तिल्वादी वादी जी रानूना फकानत अव्वलु जुम्अतिन सल्लाहा बिल्मदीनति' और सीरते इब्ने हिशाम में है कि 'फअदकत्सूल्लाहि (ﷺ) अल्जुम्अतु फी बनी सालिम बिन औफ़ फसल्लाहा फिल्मस्जिदिल्लज़ी फी बत्तिल वादी रानूना' या'नी वादी (मैदान) रानूना की मस्जिद में आपने जुम्आ की नमाज़ पढ़ी।

और आप के हिजरत करने से पहले कुछ सहाबा किराम जो पहले हिजरत करके मदीना तथ्यिबा तशरीफ़ ला चुके थे वो अपने इज्तिहाद से कुछ गांव में जुम्आ पढ़ते थे फिर हज़ूर (ﷺ) ने उनको मना नहीं किया जैसे असअद बिन ज़रारह (रज़ि.) ने हज़ूमन नबीत (गांव) में जुम्आ पढ़ाया। अबू दारुद शरीफ़ में है, 'लिअन्नहू अव्वलु मन जमअ बिना फी हजमिन्नबीत मिन हर्रा बनी बयाजा फी नक्रीइन युक़ालु नकीउल्खज़मात अल्हदीष' (अल हदीष) हर्रा बनी बयाज़ह एक गांव का नाम था जो मदीना तथ्यिबा से एक मील की दूरी पर आबाद था।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र तल्ख़ीसुल हबीर, पेज नं. 133 में फ़र्माते हैं, 'हरतु बनी बयाजा कर्यतुन अला मीलिम्मिनल मदीनति' और खुलासतुल वफ़ाअ में है, 'वम्नवाबु अन्नहू बिहजमिन्नबीति मिन हर्रति बनी बयाज़ा सलमत व लिज़ा कालन्नववी अन्नहू कर्यतुन यक़रबुल्मदीनत अला मीलिम्मिम्मनाज़िलि बनी सलमत कालहुल्इमामु अहमद कमा नक़लहुशैबु' इस इबारात का मतलब ये है कि हर्रा बनी बयाज़ा मदीने के पास एक मील की दूरी पर एक गांव है उसी गांव में असअद बिन ज़रारह (रज़ि.) ने जुम्आ की नमाज़ पढ़ाई थी।

इसीलिये इमामे ख़ताबी (रह.) शरह अबी दाऊद में फ़र्माते हैं कि व मिनल हदीषि मिनल्फ़िह अन्नल्जुम्अत जवाज़ुहा फिल्कुरा कजवाज़िहा फिल्मुदुनि वल्अम्मारि इस हदीष से ये समझा जाता है कि देहात में जुम्आ पढ़ना जाइज़ है जैसे कि शहरों में जाइज़ है।

इन अहदादीष व आषार से साफ़ तौर पर मा'लूम हो गया कि सहाबा किराम (रज़ि.) देहात में हमेशा जुम्आ पढ़ा करते थे और अज़ खुद हज़ूर (ﷺ) ने पढ़ाया और पढ़ने का हुक्म दिया है कि अल्जुम्अतु वाजिबतुन अला कुल्लि कर्यतिन (दारे कुल्नी, पेज नं. 165) हर गांव वालों पर जुम्आ फ़र्ज़ है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने भी अपनी ख़िलाफ़त के दौर में देहात में जुम्आ पढ़ने का हुक्म दिया और हज़रत उमरान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) के दौर में भी सहाबा किराम (रज़ि.) गांव में जुम्आ पढ़ा करते थे। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने भी देहात में जुम्आ पढ़ने का हुक्म दिया।

इन तमाम अहदादीष व आषार के होते हुए कुछ लोग देहात में जुम्आ बन्द कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालाँकि जुम्आ तमाम मुसलमानों के लिये ईद है। ख़्वाह शहरी हों या देहाती। तर्गीब व तरहीब, पेज नं. 195/ जिल्द नं. 1 में है कि अन अनसिबि मालिक (रज़ि.) क़ाल उरिजतिल्जुम्अतु अला रसूलिल्लाहि (ﷺ) जाअ बिहा जिब्रइलु अलैहिस्सलाम फी कल्मिअतिल्बैजाई फी वस्तिहा कन्नुक्ततिससौदाइ फ़क़ाल मा हाज़ा या जिब्रील क़ाल हाज़िहिल्जुम्अतु यअज़िहा अलैक रब्बुक़ लिंतकून लक ईदन व लिक़्ौमिक मिम्बअदिक अल्हदीष रवाहुत्तबरानी फिल्औस्ति बिइस्नादिन जय्यिदिन हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जुम्आ को सफ़ेद आइने की तरह एक पल्ले में लाकर पेश फ़र्माया। उसके बीच में एक स्याह नुक्ता सा था। नबी करीम (ﷺ) ने पूछा कि ऐ जिब्रईल! ये क्या है? हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो जुम्आ है जिसको आपका रब आपके सामने पेश करता है ताकि आपके और आपकी उम्मत के वास्ते ये ईद होकर रहे।

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि जुम्आ तमाम उम्मेते मुहम्मदिया के लिये ईद है, उसमें शहरी व देहाती की कोई तख्सीस नहीं है। अब देहातियों को इस ईद (जुम्आ) से महरूम रखना इस्माफ के खिलाफ है। ईमान, नमाज़, रोज़ा, हज्ज, ज़कात वग़ैरह जैसे देहाती पर बराबर फ़र्ज़ हैं। इसी तरह जुम्आ भी देहाती व ग़ैर देहाती पर बराबर फ़र्ज़ है। अगर गांव वालों पर जुम्आ फ़र्ज़ न होता तो अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) अलग करके ख़ारिज कर देते जैसे मुसाफ़िरों, मरीज़ वग़ैरह को अलग किया गया है हालाँकि किसी आयत या हदीषे मफ़ूअ सहीह में इसका इस्तिस्नाअ नहीं किया गया।

मानेईने जुम्आ (जुम्आ से मना करने वालों) की दलील:—

हज़रत अली (रज़ि.) का अषर (क़ौल) 'ला जुम्आत व ला तशरीक इल्ला फी मिस्र जामिअ' मानेईने की सबसे बड़ी दलील है मगर ये क़ौल मज़कूर बाला अह्लादीष व आषार के मुआरिज़ व मुखालिफ़ होने के अलावा उनका ज़ाती इज्तिहाद है और हुर्मत और वुजूबे इज्तिहाद से षाबित नहीं होते क्योंकि उसके लिये नस्से क़तई होना शर्त है। चुनाँचे मज्मउल अन्हार, पेज नं. 109 में इस अषर के बाद लिखा है, 'लाकिन हाज़ा मुश्किलुन जिद्दा लिअन्नशर्त हुव फ़र्जुन ला यब्बुतु इल्ला बिक़तइय्यिन।'

फिर मिस्र जामेअ की ता'रीफ़ में इस क़दर इख़ितालाफ़ है कि अगर उसको मातबर समझा जाए तो देहात तो देहात ही है आजकल हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में भी जुम्आ पढ़ा जाना नाजाइज़ हो जाएगा क्योंकि मिस्र जामेअ की ता'रीफ़ में अमीर व क़ाज़ी व अहकामे शरई का निफ़ाज़ और हुदूद का ज़ारी हो जाना शर्त है। हालाँकि इस वक़्त हिन्दुस्तान में न कोई शरई हाकिम व क़ाज़ी है, न हुदूद ही का इज्राअ है और न हो सकता है। बल्कि अक़षर इस्लामी मुल्कों में भी हुदूद का निफ़ाज़ नहीं है तो उस क़ौल के मुताबिक़ शहरों में भी न होना चाहिये और उन शर्तों का षुबूत न कुर्आन मजीद से है और न सहीह हदीषों से है।

और ला जुमुअत में ला नफ़ी कमाल का भी हो सकता है या'नी कामिल जुम्आ शहर ही में होता है क्योंकि वहाँ जमाअत ज़्यादा होती है और शहर के ए'तिबार से देहात में जमाअत कम होती है। इसलिये शहर की हैषियत से देहात में षवाब कम मिलेगा। जैसे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस दर्जे ज़्यादा षवाब मिलता है और अलग पढ़ने से इतना षवाब नहीं मिलता तो ला जुम्आता अल्ख़ में कमाल और ज़्यादती षवाब की नफ़ी है फ़र्ज़ियत की नफ़ी नहीं है।

अगर बिल फ़र्ज़ उस तौजीह को तस्लीम न किया जाए तो देहातियों के लिये कुर्बानी और बक़र ईद के दिनों की तवबीरें वग़ैरह भी नाजाइज़ होनी चाहिये क्योंकि कुर्बानी नमाजे ईद के ताबेअ व मातहत है और जब मत्बूअ (नमाजे ईद) ही नहीं तो ताबेअ (कुर्बानी) कैसे जाइज़ हो सकती है? जो लोग देहात में जुम्आ पढ़ने से रोकते हैं उनको चाहिये कि देहातियों को कुर्बानी से भी रोक दें।

और अषर मज़कूर पर उनका ख़ुद भी अमल नहीं क्योंकि तमाम फ़ुक्कहा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर इमाम के हुक़म से गांव में मस्जिद बनाई जाए तो उसी के हुक़म से गांव में जुम्आ भी पढ़ सकते हैं। चुनाँचे दुर्रे मुख्तार, जिल्द: अब्वल / पेज नं. 537 में हैं कि इज़ा बुनिय मस्जिदुन फिरस्ताकि बिअमिल्इमामि फ़हुव अमर बिल्जुम्आति इत्तिफ़ाक़न अला मा क़ालहुस्सरख़सी वरस्ताक़ कमा फिल्कामूस जब गांव में इमाम के हुक़म से मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ बइत्तिफ़ाक़ फ़ुक्कहा जुम्आ की नमाज़ पढ़ी जाएगी।

इससे साफ़ मा'लूम होता है कि जुम्आ के लिये मिस्र (शहर) होना ज़रूरी नहीं बल्कि देहात में भी जुम्आ हो सकता है। इमाम मुहम्मद (रह.) भी इसी तरह फ़र्माते हैं। 'हत्ता लौ बुइष इला क़र्यतिन नाइबन लिइकामतिल्हुदूदि वल्किस्सामि तज़ीरू मिस्रन फ़इज़ा उज़िलुहु तल्हकु बिल्कुरा' (ऐनी शरह बुखारी, पेज नं. 26 व कुबैरी शरह मुनिह, पेज नं. 514) अगर किसी नाइब को हुदूदो-क्रिसास जाइज़ करने के लिये किसी गांव में भेजे तो वो गांव (शहर) हो जाएगा जब नाइब को मअज़ूल (अलग-अलग) कर देगा तो वो गांव के साथ मिल जाएगा या'नी फिर गांव हो जाएगा।

बहरकेफ़ जुम्आ के लिये मिस्र होना (शरअन) शर्त नहीं है बल्कि आबादी व बस्ती व जमाअत होना ज़रूरी है और हो सकता है कि हज़रत अली (रज़ि.) के क़ौल फ़ी मिस्रे जामेअ से बस्ती ही मुराद हो क्योंकि बस्ती शहर व देहात दोनों को

शामिल है इसलिये लफ्जे क़र्या से कभी शहर और कभी गांव मुराद लेते हैं। लेकिन इसके असली मा'नी वही बस्ती के हैं।

अल्लामा कस्तलानी (रह.) शरह बुखारी, जिल्द नं. 2, पेज नं. 138 में लिखते हैं, 'वलक़र्यतु वाहिदतुल्कुरा कुल्लु मकानिन इत्तसलत फीहिल्अब्नियतु वत्तख़ज़ करारन व यक़उ ज़ालिक अलल्मुदुनि व ग़ैरहा' (और लिसानुल अरब, पेज नं. 637 जिल्द में है, 'वलक़र्यतु मिनल्मसाकिनि वल्अब्नियति व वज़िजाय़ व क़द तुल्लकु अलल्मुदुनि व फिल्हदीषि उमिरत बिक़र्यतिन ताकुलुल्कुरा व हिय मदीनतुरसूलि (ﷺ) अयज़न व जाअ फी कुल्लि क़ारिन व बादिन बादिल्लज़ी यन्जिलुलक़र्यत वल्बादी।'

इन इबारतों से मा'लूम होता है कि क़रिआ के मा'नी मुत्लक़ बस्ती के हैं और मिस्र जामेअ का मा'नी भी बस्ती के हैं क्योंकि अहले लुगत ने क़रिआ की तफ़्सीर में लफ्जे मिस्रे जामेअ इख़ितयार किया है।

चुनाँचे इसी लिसानुल अरब में है, 'क़ाल इब्नु सय्यिदा अल्क़र्यतु वल्क़र्यतु लुगतानि अल्मिस्रुलजामिअ अत्तहज़ीबुल्मक्मूरतु यमानिया वमिन धम्मा इज्त्मज़ अललकुरा' और क़ामूस, पेज नं. 285, 'अल्क़र्यतुल्मिस्र अल्मिस्रुलजामिअ' और अल मुंजिद, पेज नं. 661 में है, 'अल्क़र्यतु वल्क़र्यतुज्जैअतु अल्मिस्रुलजामिअ।'

इन इबारतों से स़ाफ़ मा'लूम होता है कि क़रिआ और मिस्रे जामेअ दोनों एक ही चीज़ हैं और क़रिआ के मा'नी बस्ती के हैं तो मिस्रे जामेअ के मा'ना भी बस्ती के हैं और बस्ती शहर और गांव दोनों को शामिल है। पस हज़रत अली (रज़ि.) के अपर का मतलब ये हुआ कि जुम्आ बस्ती में होना चाहिये या'नी शहर व देहात दोनों जगह होना चाहिये।

मुनासिब होगा इस बहष को ख़त्म करते हुए हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह स़ाहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी मद्ज़िल्लुहुल आली का फ़ाज़िलाना तब्ज़रा (आपकी क़ाबिले क़द्र किताब, मिर्आत, जिल्द नं. 2, पेज नं. 288 से) शाएक़ीन के सामने पेश कर दिया जाए। हज़रत मौसूफ़ फ़र्माते हैं, 'वख़्तलफू अयज़न फी महल्लि इक़ामतिल्जुम्अति फ़क़ाल अबू हनीफ़त व अस्हाबुहु ला तसिहहु इल्ला फी मिस्र जामिअ व जहबल्अइम्मतुष़लाष़तु इला जवाज़िहा व सिहहतिहा फिल्मुदुनि वल्कुरा जमीअन वस्तदल्ल अबू हनीफ़त बिमा रुविय अन अलिथ्यिन मफ़ूअन ला जुम्अत व ला तशरीक इल्ला फी मिस्र जामिअ व क़द ज़अफ़ अहमदु व ग़ैरहू रफ़अहू व स़हह इब्नु हज़म वग़ैरहू वफ़क़हू व लिड्जिहादि फीहि फ़ला युन्तहज़ु लिड्जिहादिजि बिही फ़ज़्लन अन अय्युख़स्मिअ बिही उमूलुआयति औ युक्क़य्यदु बिही इल्लाकुहा मअ अन्नलहनफियत क़द फी तहदीदिमिस्रिल्जामिअ व जब्तुहू इला अक़ालिन क़षीरतिन मुतबायनतिन व मुतनाक़ज़तिन मुतख़ालफतिन जिद्दा कमा ला यख़फी अला मन तालज़ कुतुब फुरूइहिम व हाज़ा यदुल्लु अला अन्नहू लम यतअय्यन इन्द्हुम मअनल्हदीषि वराज़िहु इन्दना मा जहब इलैहिल्अइम्मतुष़लाष़तु मिन अदमि इश़िरातिल्मिस्रि व जवाज़िहा फिल्कुरा लिड्जुमिल्आयति व इतलाकिहा व अदमि बुजूदि मा यदुल्लु अला तख़सीसिहा वला बुद्दलिमय्युक़य्यिद ज़ालिक बिल्मिस्रिल्जामिअ अय्यांतिय बिदलीलिन क़ात्तिइन मिन किताबिन औ सुन्नतिन मुतवातरतिन और खबरुन मशहूरुन बिल्मअनल्मुस्तहिली इन्दल्मुहदिषीन व अलत्तन्ज़ीलि बिख़बरिन वाहिदिन मफ़ूअन स़रीहिन स़हीहिन यदुल्लु अलत्तख़सीसि बिल्मिस्रिल्जामिअ'।

ख़ुलासा इस इबारत का ये है कि उलमा ने महल्ले इक़ामते जुम्आ में इख़िलाफ़ किया है चुनाँचे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और आपके अस्हाब का क़ौल है कि जुम्आ सिर्फ़ मिस्रे जामेअ ही में सही है और तीनों इमाम हज़रत इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं कि शहरों के अलावा गांव-बस्तियों में भी जुम्आ हर जगह सही और दुस्त है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने इस हदीष से दलील ली है जो मफ़ूअन हज़रत अली से मरवी है कि जुम्आ और ईद सही नहीं मगर मिस्रे जामेअ में। इमाम अहमद वग़ैरह ने इस रिवायत के मफ़ूअ होने को ज़ईफ़ कहा है और अल्लामा इब्ने हज़म वग़ैरह ने इसका मौक़ूफ़ होना सही तस्लीम किया है। चूँकि ये मौक़ूफ़ है और इसमें इज्तिहाद के लिये काफ़ी गुंजाइश है इसलिये ये इहतिजाज के क़ाबिल नहीं है और इस वजह से भी कि इससे कुआनि पाक की आयत 'इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिंय्यौमिल्जुम्अति फ़स्औ इला जिक्विरल्लाहि' जो मुत्लक़ है। इसका मुक़य्यिद होना लाज़िम आता है। फिर हन्फ़िया खुद मिस्र की ता'रीफ़ में भी मुख़लिफ़ हैं। जबकि इनके यहाँ बसिलसिल-ए-ता'रीफ़ मिस्रे जामेअ अक्वाल बेहद मुताज़ाद (विरोधाभाषी) और मुतनाक़िज़ नीज़ मुतबाइन है जैसा कि उनकी कुतुबे फुरूअ के मुतालआ करनेवाले हज़रत पर मख़्ज़ी नहीं है। ये दलील है कि फ़िल हकीक़त इस हदीष के कोई सही मा'नी उनके यहाँ भी मुतअय्यिन (निर्धारित) नहीं है। पस हमारे

नज़दीक यही राजेह है कि तीनों इमाम जिधर गए हैं कि जुम्आ के लिये मिस शर्त नहीं है और जुम्आ शहर की तरह गांव-बस्तियों में भी जाइज है और यही फ़त्वा सही है। क्योंकि कुर्आ न मजीद की आयत मज़कूर जिससे जुम्आ की फ़र्जियत हर मुसलमान पर प्राबित होती है (सिवाए उनके जिनको शारेअ ने अलग कर दिया है) ये आयत आम है जो शहरो-देहाती जुम्आ मुसलमान को शामिल है और मिस्रे जामेअ की शर्त के लिये जो आयत के उमूम को खास करे कोई दलीले क़त्तेअ कुर्आनी-हदीष से मुतावातिर या खबरे मशहूर जो मुहदिषीन के नज़दीक क़ाबिले कुबूल और लायके इस्तिदलाल हो, नहीं है। नोज़ कोई खबरे वाहिद, मफूअ, सरीह, सहीह भी ऐसी नहीं है जो आयत को मिस्रे जामेअ के साथ खास कर सके।

ता' दाद के बारे में हज़रत मौलाना शैखुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं कि 'वर्जाजिह इन्दी मा ज़हब इलैहि अहलुजाहिरि अन्नहू तसिहहुलजुम्अतु बिन्नैनि लिअन्नहू लम यकुम दलीलुन अला इश्तिराति अदनिन मख़सूसिन व क़द सहहितिलजमाअतु फी साइरिसलवाति बिन्नैनि व ला फरक़ बैनहुमा व बैनलजुम्अति फी ज़ालिक व लम याति नम्सुन मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) बिअन्नलजुम्अत ला तुन्अकदु इल्ला बिकज़ा अलख़' (मिर्आत, जिल्द नं. 2, पेज नं. 288) या'नी इस बारे में कि जुम्आ के लिये नमाज़ियों की कितनी ता' दाद ज़रूरी है। मेरे नज़दीक इसको तर्जीह हासिल है जो अहले ज़ाहिर का फ़त्वा है कि बिला शक़ जुम्आ दो नमाज़ियों के साथ भी सही है इसलिये कि अददे मख़सूस के शर्त होने के बारे में कोई दलील नहीं हो सकती और दूसरी नमाज़ों के जमाअत भी दो नमाज़ियों के साथ सही है और पंज वक्ता नमाज़ और जुम्आ में इस बारे में कोई फ़र्क़ नहीं है और न कोई नस्से सरीह रसूले करीम (ﷺ) से इस बारे में वारिद हुई है कि जुम्आ का इन्ज़िकाद इतनी ता' दाद के बग़ैर सही नहीं। इस बारे में कोई हदीषे सहीह मफूअ रसूलुल्लाह (ﷺ) से मन्कूल नहीं है।

इस मक़ाला को इसलिये लम्बा दिया गया कि हालाते मौजूदा में इलेम-ए-किराम ग़ौर करें और जहाँ भी मुसलमान की जमाअत मौजूद हों वो क़स्बा हो या शहर या गांव हर जगह जुम्आ क़ायम कराएँ क्योंकि शाने-इस्लाम इसके क़ायम करने में है और जुम्आ छोड़ने में बहुत से नुक़सानात हैं जबकि इमामाने हिदायत में से तीनों इमाम इमामे शाफ़िई, इमामे मालिक और इमामे अहमद बिन हंबल (रह.) भी गांव में जुम्आ के हक़ में हैं फिर इसके छोड़ने पर ज़ोर देकर अपनी तक्लीदे जामिद का धुबूत देना कोई अक्लमन्दी नहीं है। वल्लाहु यहदी मय्यंशाउ इला सिरातिम् मुस्तक़ीम

बाब 12 : जो लोग जुम्आ की नमाज़ के लिये न आएँ जैसे औरतें बच्चे, मुसाफ़िर और मा'ज़ूर वग़ैरह उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है

और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा गुस्ल उसी को वाजिब है जिस पर जुम्आ वाजिब है।

894. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने (अपने वालिद) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना फ़र्माते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि तुममें से जो शख़्स जुम्आ पढ़ने आए तो गुस्ल करे। (राजेअ: 877)

895. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सफ़वान बिन सुलैम

۱۲- بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ
الْجُمُعَةَ غَسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
وغيرهم؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغَسْلُ عَلَى مَنْ
تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

۸۹۴- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ

فَلْيَغْتَسِلْ)). [راجع: ۸۷۷]

۸۹۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ

مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

ने, उनसे अता बिन यसार ने, उनसे अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर बालिग़ के ऊपर जुम्आ के दिन गुस्ल वाजिब है। (राजेअ: 858)

896. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन त़ाऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप त़ाऊस ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया हम (दुनिया में) तो बाद में आए लेकिन क्रयामत के दिन सबसे आगे होंगे, फ़र्क़ सिर्फ़ ये है किताब यहूद और नसारा को हमसे पहले दी गई और हमें बाद में। तो ये दिन (जुम्आ) वो है जिसके बारे में अहले किताब ने इख़ितलाफ़ किया। अल्लाह तआला ने हमें ये दिन बतला दिया (उसके बाद) दूसरा दिन (हफ़्ता) यहूद का दिन था और तीसरा दिन (इतवार) नसारा का। आप फिर ख़ामोश हो गए। (राजेअ: 238)

897. इस हदीष की रिवायत अबान बिन मालेह ने मुजाहिद से की है, उनसे त़ाऊस ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला का हर मुसलमान पर हक़ है कि हर सात दिन में एक दिन (जुम्आ में) गुस्ल करे। (दीगर मक़ाम: 898, 3487)

898. इस हदीष की रिवायत अबान बिन सालेह ने मुजाहिद से की है, उसने त़ाऊस ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला का हर मुसलमान पर हक़ है, हर सात दिन में एक दिन (जुम्आ में) गुस्ल करे। (राजेअ: 897)

يَسَارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)).

[راجع: ٨٥٨]

٨٩٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَدَأْتُهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتِنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَا اللَّهُ لَدُنَّا، فَغَدَا لِلْيَهُودِ، وَغَدَا غَدٍ لِلنَّصَارَى)) فَسَكَتَ.

[راجع: ٢٣٨]

٨٩٧- ثُمَّ قَالَ: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).

[طرفاه في: ٨٩٨, ٣٤٨٧]

٨٩٨- رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا)).

[راجع: ٨٩٧]

तशरीह:

या'नी ये दिन जुम्आ का वो दिन है जिसकी ता'ज़ीम इबादते इलाही के लिये फ़र्ज़ की गई थी। अल्लामा कस्तलानी (रह.) ने चंद आधार ज़िक्र किये हैं जिनसे प़ाबित होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ख़ास दिन अल्लाह की इबादत के लिये मुक़र्र किया था और वो जुम्आ का दिन था लेकिन नाफ़र्मांनी की वजह से अपने इज्तिहाद को दरखल देकर उसे छोड़ दिया और कहने लगे कि हफ़्ते (शनिवार) का दिन ऐसा है कि उसमें अल्लाह ने तमाम दुनिया की ख़िलक़त (रचना) करने के बाद आराम फ़र्माया था पस हमको भी मुनासिब है कि हम हफ़्ते को इबादत का दिन मुक़र्र करें। और नसारा कहने लगे कि इतवार के दिन अल्लाह ने मख़लूक की ख़िलक़त (रचना) शुरू की, मुनासिब है कि उसको हम अपनी इबादत का दिन ठहरा लें। पस इन लोगों ने इसमें इख़ितलाफ़ किया और हमको अल्लाह ने सराहतन बतला दिया कि जुम्आ का ही दिन बेहतर है।

इब्ने सीरीन से मरवी है कि मदीने के लोग आँहज़रत (ﷺ) के आने से पहले जबकि अभी सूरह जुम्आ भी नाज़िल नहीं हुई थी एक दिन जमा हुए और कहने लगे कि यहूद और नसारा ने एक दिन जमा होकर इबादत के लिये मुकर्रर किये हुए हैं क्या न हम भी एक दिन मुकर्रर करके अल्लाह की इबादत किया करें। सो उन्होंने अरूबा का दिन मुकर्रर किया और असअद बिन ज़रारह को इमाम बनाया और जुम्आ अदा किया। उस दिन ये आयत नाज़िल हुई, 'इज़्ना नूदिय लिम्सलाति मिंय्यौमिल जुम्अति फ़स्औ इला ज़िक्विल्लाहि' (अल जुम्आ, आयत नं. 9) इसको अल्लामा इब्ने हज़र ने सहीह सनद के साथ अब्दुरज़ाक़ से नक़ल फ़र्माया और कहा है कि इसका शाहिद इस्नाद हसन के साथ अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माज़ा ने निकाला।

उस्ताज़ुना व मौलाना हज़रत मुहद्विष अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं कि 'सुम्भियतिलजुम्अतु लिइज्तिमाइन्नासि फीहा व कान यौमलजुम्अति युसम्मलअरूबा' या 'नी जुम्आ इसलिये नाम पड़ा कि लोग इसमें जमा होते हैं और ज़मान-ए-जाहिलियत में इसका नाम यौमे अरूबा था। इसकी फ़ज़ीलत के बारे में इमामे तिमिज़ी (रह.) हदीष लाए हैं, 'अन अबी हुरैरत अनिन्नबिद्यि (ﷺ) क़ाल खैरु यौमिन त़लअत फीहिश्शाम्मु यौमलजुम्अति फीहि खुलिक आदमु व फीहि उदखिललजन्नत व फीहि उखेज मिन्हा व ला तकूमुस्साअतु इल्ला फी यौमिलजुम्अति' 'या' नी तमाम दिनों में बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है वो जुम्आ का दिन है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन में जन्नत में दाखिल किये गए और इस दिन उनका जन्नत से निकलना हुआ और क़यामत भी इस दिन क़ायम होगी'

फ़ज़ाइले जुम्आ पर मुस्तफ़िल किताबें लिखी गई हैं। ये उम्मत की हफ़तावारी ईद है मगर सद अफ़सोस कि जिन हज़रत ने देहात में जुम्आ बन्द कराने की तहरीक चलाई इससे कितने ही देहात के मुसलमान जुम्आ से इस दर्जा ग़ाफ़िल हो गए कि उनको ये भी ख़बर नहीं कि आज जुम्आ का दिन है। इसकी ज़िम्मेदारी उन इलमा पर आइद होती है। काश! ये लोग हालाते मौजूदा का जाइज़ा लेकर मफ़ादे उम्मत पर ग़ौर कर सकते।

बाब 13 :

باب ۱۳

(899) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे वरका बिन अम्र ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे इब्ने इमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि औरतों को रात के वक़्त मस्जिदों में आने की इजाज़त दे दिया करो। (राजेअ: 865)

(900) हमसे यूसुफ़ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल्लाह इब्ने इमर ने बयान किया। उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि हज़रत इमर (रज़ि.) की एक बीवी थीं जो सुबह और इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ने के लिये मस्जिद में आया करती थीं। उनसे कहा गया कि बावजूद यह जानते हुए कि हज़रत इमर (रज़ि.) इस बात को मकरूह जानते हैं और वो ग़ैरत महसूस करते हैं फिर आप मस्जिद में क्यों जाती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि

۸۹۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا شُهَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُمَرَوِ
بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿رَأَيْتُمَا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ
إِلَى الْمَسْجِدِ﴾. (راجع: ۸۶۵)

۹۰۰- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ عَنْ نَالِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ
امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ
فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيلَ لَهَا : لِمَ
تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ
وَتَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَنْتَعَهُ أَنْ يَنْهَاهَا؟ قَالَ:

फिर वो मुझे मना क्यों नहीं कर देते। लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की उस हदीष की वजह से कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से न रोको। (राजेअ: 865)

बाब 14 : अगर बारिश हो रही हो तो जुम्आ में हाज़िर होना वाजिब नहीं

(901) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें साहिबुज्जियादी अब्दुल हमीद ने खबर दी, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन सीरीन के चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन हारिष ने बयान किया, कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने अपने मुअज़्जिन को एक बार बारिश के दिन कहा कि 'अशहदुअन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' के बाद हय्या अलमसल्लाह (नमाज़ की तरफ आओ) न कहना बल्कि ये कहना 'सल्लूफ़ी बुयुतिकुम्' (अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो) लोगों ने इस बात पर ता'जुब किया तो आपने फ़र्माया कि इसी तरह मुझसे बेहतर इंसान (रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। बेशक जुम्आ फ़र्ज़ है और मैं मकरूह जानता हूँ कि तुम्हें घरों से बाहर निकालकर मिट्टी और कीचड़ फिसलान में चलाऊँ। (राजेअ: 616)

يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)). [راجع: ٨٦٥]

١٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَخْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ: حَرِّمْ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَكْرَمُوا، فَقَالَ: لَعَلَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنْ الْجُمُعَةَ غَزَمَتْ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَمَتَشُونَ فِي الطِّينِ وَالِدَخْصِ.

[راجع: ٦١٦]

तशरीह: हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का ये मतलब था कि बेशक जुम्आ फ़र्ज़ है मगर हालते बारिश में ये अज़ीमत रुख़सत से बदल जाती है। लिहाज़ा क्यों न इस रुख़सत से तुमको फ़ायदा पहुँचाऊँ कि तुम कीचड़ में फिसलने और बारिश में भीगने से बच जाओ।

बाब 15 : जुम्आ के लिये कितनी दूर वालों को आना चाहिये और किन लोगों पर जुम्आ वाजिब है?

क्योंकि अल्लाह तआला का (सूरह जुम्आ में) इशारा है 'जब जुम्आ के दिन नमाज़ के लिये अज़ान हो (तो अल्लाह का ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो) अन्ना बिन रिबाह ने कहा कि जब तुम ऐसी बस्ती में हो जहाँ जुम्आ हो रहा हो और जुम्आ के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए तो तुम्हारे लिये जुम्आ की नमाज़ पढ़ने आना वाजिब है। अज़ान सुनी हो या न सुनी हो। और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.)

١٥ - بَابُ مِنْ أَيْنَ تَوْتَى الْجُمُعَةَ ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ ؟

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [سُورَةُ الْجُمُعَةِ : ٩]. وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَوُدِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتُ النَّدَاءَ أَوْ لَمْ

(बसरा से) छः मील दूर मुक़ाम ज़ाविया में रहते थे, आप यहाँ कभी अपने घर में जुम्आ पढ़ लेते और कभी यहाँ जुम्आ नहीं पढ़ते।

تَسْمَعَهُ. وَكَانَ أَسْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجْمَعُ، وَأَحْيَانًا لَا يُجْمَعُ، وَهُوَ بِالزَّوَايَةِ عَلَى قَوْمَسَخِينَ.

तशरीह:

आयते मज़क़ूरा सूदह जुम्आ से जुम्हूरे इलमा ने ये प्राबित किया है कि जहाँ तक अज़ान पहुँच सकती हो वहाँ तक के लोगों को जुम्आ में हाज़िर होना फ़र्ज़ है। इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा कि आवाज़ पहुँचने से ये मुराद है कि मुअज़िन आवाज़ बुलन्द हो और कोई शोर न हो। ऐसी हालत में जितनी दूर तक भी आवाज़ पहुँचे। अबू दाऊद में हदीष है कि जुम्आ हर उस शख्स पर वाजिब है जो अज़ान सुने। इससे ये भी प्राबित हुआ कि शहर हो या देहात। जहाँ भी मुसलमान रहते हों और अज़ान होती हो, वहाँ जुम्आ की अदायगी ज़रूरी है। (वहीदी) अज़ान का सुनना बतौर शर्त नहीं है। कुर्आन में लफ़ज़ 'इज़ा नूदियाहि फ़तफ़क्कर.'

(902) हमसे अहमद बिन झालेह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अमर बिन हारिष ने ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी जा'फ़र ने कि मुहम्मद बिन जा'फ़र बिन जुबैर ने उनसे बयान किया, उनसे इर्वा बिन जुबैर ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा ने, आपने कहा कि लोग जुम्आ की नमाज़ पढ़ने अपने घरों से और मदीना के पास गांव से (मस्जिदे नबवी में) बारी-बारी आया करते थे। लोग गर्दों-गुबार में चले आते, गर्द में अटे हुए और पसीने में सराबोर। इस क्रूर पसीना होता कि थमता नहीं था। उसी हालत में एक आदमी रसूले करीम (ﷺ) के पास आया। आपने फ़र्माया कि तुम लोग इस दिन (जुम्आ में) गुस्ल कर लिया करते तो बेहतर होता।

٩٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَأْتُونَ يَوْمَ الْحُمَْةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ لِي الْعَبَارِ بِعِيَّتِهِمُ الْعَبَارِ وَالْعَرَقِ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ - وَهُوَ عِنْدِي - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا).

तशरीह:

जुम्आ के दिन गुस्ल करना मूजिबे अज़रो-प्रवाब है मगर ये गुस्ल वाजिब है या मुस्तहब, इसमें इख़िलाफ़ है। कुछ अहदीष में इसके लिये लफ़ज़े वाजिब इस्ते'माल हुआ है और कुछ में सैगा-ए-अमर भी है जिससे उसका वाजिब होना प्राबित होता है। मगर एक रिवायत में समुरा इब्ने जुंदब (रज़ि.) से इन जुम्लों में भी मरवी है, 'अन्न नबियल्लाहि (ﷺ) क़ाल मन तवज़ज़अ लिलजुम्आति फबिहा व निअमत व मनिगतसल फ़ज़ालिक अफ़ज़लु' (रवाहुलख़म्मसतु इल्लबनु माजा) या'नी आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया है कि जिसने जुम्आ के लिये वुजू किया पस अच्छा किया और बहुत ही अच्छा किया और जिसने गुस्ल भी कर लिया पस ये गुस्ल अफ़ज़ल है। इस हदीष को तिर्मिज़ी ने हसन कहा है। इसी आधार पर अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'क़ालन्नववी फहुकियवजूबुहु अन ताइफतिम्मिस्सलफ़ि हकौहु अन बअज़िस्सहाबति व बिही क़ाल अहलुज़्ज़ाहिर' (हदीषे बुखारी के तहत) सलफ़ में से एक जमाअत से गुस्ले जुम्आ का वुजूब नक़ल हुआ है। कुछ सहाबा से भी ये मन्कूल है और अहले ज़ाहिर का यही फ़त्वा है।

मगर दूसरी रिवायत के आधार पर हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, व ज़हब जुम्हूरुल इलमा मिनस्सलफ़ि वलख़लफ़ि व फ़ुक़हाउल अम्सारि इला अन्नहा मुस्तहब्बुन (नैल) या'नी सलफ़ और ख़लफ़ से जुम्हूर इलमा, फ़ुक़हा-ए-अम्सार इस त़रफ़ गए हैं कि ये मुस्तहब है जिन रिवायत में हक़ और वाजिब का लफ़ज़ आया है उससे मुराद ताक़ीद है और वो वुजूब मुराद नहीं है जिनके छोड़ने से गुनाह लाज़िम आए। हाँ जिन लोगों का ये हाल हो वो हफ़ता भर न नहाते

हों और उनके जिस्मो—लिबास से बदबू आ रही हो उनके लिये गुस्ले जुम्आ ज़रूरी है और अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, 'कुल्लु क्रद जाअ फी हाज़लबाबि अहादीषुन मुख्तलिफ़तुन बअज़ुहा अला अन्नल्युस्ल यौमलजुम्अति वाजिबुन व बअज़ुहा यदुल्लु अन्नहुं मुस्तहब्बुन वज़्जाहिरू इन्दी अन्नहुं सुन्नतुन मुअक्रहतुन व बिहाज़ा यहसुलुज्जमज़ बैनलअहादीषिलमुख्तलिफ़ति वल्लाहु तअला आलमु' (तोहफ़तुल अह्वज़ी) या'नी मैं कहता हूँ कि इस मसले में मुख्तलिफ़ अहादीष आई हैं। कुछ से वुजूबे गुस्ल षाबित होता है और कुछ से सिर्फ़ इस्तिहबाब और मेरे नज़दीक ज़ाहिरे मसला ये है कि गुस्ले जुम्आ सुन्नते मुअक्रदा है और इसी तरह मुख्तलिफ़ अहादीषे वारिदा में तत्बीक़ दी जा सकती है। अहादीषे मज़क़ूरा से ये भी ज़ाहिर है कि अहले देहात जुम्आ के लिये ज़रूर हाज़िर हुआ करते थे क्योंकि नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा उनके लिये बाअिषे स़द फ़ख़ थी और वो अहले देहात भी ऐसे कि कूँट और बकरियों के चरानेवाले, ग़रीबी की ज़िंदागी गुज़ारनेवाले, कुछ दफ़ा गुस्ल के लिये मौक़ा भी नहीं मिलता और बदन के पसीनों की बू आती रहती थी।

अगर इस्लाम में अहले देहात के लिये जुम्आ की अदायगी मुआफ़ होती तो ज़रूर कभी न कभी आँहज़रत (ﷺ) उनसे फ़र्मा देते कि तुम लोग इस क़दर मेहनत और मशक़त क्यों उठाते हो, तुम्हारे लिये जुम्आ की हाज़री फ़र्ज़ नहीं है मगर आप (ﷺ) ने एक बार भी कभी ऐसा नहीं कहा जिससे स़ाफ़ ज़ाहिर है कि जुम्आ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है हाँ जिनको ख़ुद स़ाहिबे शरीअत ने अलग कर दिया उन पर फ़र्ज़ नहीं है। इससे ये भी ज़ाहिर है कि गुस्ले जुम्आ बहरहाल होना चाहिये क्योंकि इस्लाम में सफ़ाई—सुथराई की बड़ी ताक़ीद है।

कुर्आन मजीद में अल्लाह पाक ने फ़र्माया, 'इन्नल्लाह युहिबुल्लुत्वाबीन व युहिबुल्लु मुतततहिहीन' (अल बकरः, 222) 'बेशक अल्लाह पाक तौबा करनेवालों और पाकी हासिल करने वालों को दोस्त रखता है।' गुस्ल भी पाकी हासिल करने का अहम ज़रिया है, इस्लाम में ये उस्लूल मुकरर किया गया कि बग़ैर पाकी हासिल किये नमाज़ ही दुरुस्त न होगी जिसमें बवक्ते ज़रूरत इस्तिजा, गुस्ल, वुजू सब तरीके दाख़िल हैं।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्विष देहलवी फ़र्माते हैं, 'क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) अन्तुहूरु शतरुल्ईमानि अकूलु अल्मुरादु बिल्ईमानि हाहुना हयअतुन नफ़सानिय्यतुन मुक्कबतुन मिन नूस्तिहारति वल्अख्बाति वल्इहसानि औज़हु मिन्दु फी हाज़ल्मक्रना वला शक़ अन्नचुहूर शतरुहू' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा) या'नी नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तहारत आधा ईमान है, मैं कहता हूँ कि यहाँ ईमान से एक ऐसी हैयते नफ़सानियाँ मुराद है जो नूर तहारत और खुशूअ से मुक्कब है और लफ़्जे एहसान इस मा'नी में ईमान से ज़्यादा वाज़ेह है और इसमें कोई शक़ नहीं कि तहारत इसका आधा है।

ख़ुलासतुल मराम ये है कि जुम्आ के दिन ख़ास तौर पर नहा—धोकर ख़ूब पाक—स़ाफ़ होकर नमाज़े जुम्आ की अदायगी के लिये जाना मौजिबे स़द अजरो—ष़वाब है और नहाने—धोने से सफ़ाई—सुथराई का हुसूल सेहते ज़िस्मानी के लिये भी मुफ़ीद है। जो लोग रोज़ाना गुस्ल के आदी हैं उनका तो ज़िक़ ही क्या है मगर जो लोग किसी वजह से रोज़ाना गुस्ल नहीं कर सकते। कम—अज़ कम जुम्आ के दिन वो ज़रूर—ज़रूर गुस्ल करके सफ़ाई हासिल करें। जुम्आ के दिन गुस्ल के अलावा बवक्ते जनाबत मर्दों—औरत दोनों के लिये गुस्ल वाजिब है। ये मसला अपनी जगह पर तफ़्सील से आ चुका है।

बाब 16 : जुम्आ का वक़्त सूरज ढलने से शुरू होता है

और हज़रत उमर और हज़रत अली और नोअमान बिन बशीर और अमर बिन हुरैष (रिज़.) से इसी तरह मरवी है।

(903) हमसे अब्दान अब्दुल्लाह बिन इम्रान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें

١٦ - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ
الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُذَكَّرُ عَنْ عَمْرٍ وَعَلِيٍّ
وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

٩٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ

यह्या बिन सईद ने खबर दी कि उन्होंने इम्रह बिन्ते अब्दुरहमान से जुम्आ के दिन गुस्ल के बारे में पूछा। उन्होंने बयान किया हजरत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती थीं कि लोग अपने कामों में मशगूल रहते और जुम्आ के लिये उसी हालत (मैल-कुचैल) में चले आते, इसलिये उनसे कहा गया कि काश! तुम लोग (कभी) गुस्ल कर लिया करते। (दीगर मक़ाम : 2071)

عَمْرَةَ عَنِ الْفَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ:
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ
النَّاسُ مَهْنَةً أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا
إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي مَهْنَتِهِمْ، فَقِيلَ
لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ. [طرفه في : 2071]

तशरीह : बाब और हदीष में मुताबकत लफ़्जे हदीष 'नुबक्किरु बिल्जुम्आति' से है। अल्लामा ऐनी फ़र्माते हैं, लिअन्नर्रवाह ला यकूनु इल्ला बअदज्जवाल इमाम बुखारी (रह.) ने इससे प़ाबित फ़र्माया कि सहाबा किराम जुम्आ की नमाज़ के लिये ज़वाल के बाद आया करते थे। मा'लूम हुआ कि जुम्आ का वक़्त बादे ज़वाल होता है।

(904) हमसे सुरैज बिन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे इम्रहमान इब्ने अब्दुरहमान बिन इम्रहमान तेमी ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता।

٩٠٤- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ)
كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمُوتُ الشَّمْسُ.

(905) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें हुमैद तवील ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से खबर दी। आपने फ़र्माया कि हम जुम्आ सवैरे पढ़ लिया करते और जुम्आ के बाद आराम करते थे। (दीगर मक़ाम : 940)

٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُبَكِّرُ
بِالْجُمُعَةِ، وَتَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ).
[طرفه في : 940]

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) ने वही मज़हब इखितयार किया जो जुम्हूर का है कि जुम्आ का वक़्त ज़वाले आफ़ताब से शुरू होता है क्योंकि वो जुहर का कायमे मुकाम है कुछ अहादीष से जुम्आ ज़वाल से पहले भी जाइज़ मा'लूम होता है; यहाँ लफ़्ज़ नुबक्किरु बिल जुमुअति या'नी सहाबा कहते हैं कि हम जुम्आ की नमाज़ के लिये जल्दी जाया करते थे (इससे ज़वाल से पहले गुंजाइश निकलती है) उसके बारे में अल्लामा इमाम शौकानी मरहूम (रह.) फ़र्माते हैं, ज़ाहिरु ज़ालिक अन्नहुम कानू युसल्लून लजुम्आत बाकिरन्नहारि क़ाललहाफ़िज़ु लाकिन तरीक़लजम्इ औला मिन दअवत्तआरुज़ि वक़द तकरूरून अन्नत्तक्बीर युत्लकु अला फ़िअलिशौइ फी अब्वलि वक्त्तिही औ तक्दीमिही अला ग़ैरिही व हुवलमुरादु हाहुनल्मअना अन्नहुम कानू यब्दऊन बिस्सलाति क़ब्ललक़ैलूलति बिखिलाफिम्मा जरत बिही आदतुहुम फी सलातिज्जुहरि फिल्हरि फइन्नहुम कानू यक्कीलून पुम्म युसल्लून लिमशरुइय्यतिलइब्रादि

या'नी हदीषे बाला से ज़ाहिर होता है कि वो जुम्आ अब्वले दिन में अदा कर लिया करते थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि दोनों अहादीष में तआरुज़ पैदा करने से बेहतर ये है कि उनमें तक्बीर दी जाए। ये अम्रे मुहक्क़ है कि तक्बीर का लफ़्ज़ किसी काम का अब्वले वक़्त में करने पर बोला जाता है या उसका ग़ैर पर मुक़द्दम करना यहाँ यही मुराद है। मा'नी ये हुआ कि वो क़ैलूला से पहले जुम्आ की नमाज़ पढ़ लिया करते थे। बिखिलाफ़े जुहर के क्योंकि गर्मियों में उनकी आदत ये थी कि पहले क़ैलूला करते और फिर जुहर की नमाज़ अदा करते ताकि ठण्डा वक़्त करने की मशरुइय्यत पर अमल हो।

मगर लफ़्ज़ हीन तमीलुशशम्सु (या'नी आँहज़रत ﷺ सूरज ढलने पर जुम्आ अदा फ़र्माया करते थे) पर अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, फीहि बिमुवाज़बतिही अला मलातिल्जुम्अति इज़ा ज़ालतिशशम्सु या'नी इसस ज़ाहिर होता है कि आप हमेशा ज़वाले शम्स के बाद नमाज़े जुम्आ पढ़ा करते थे इमामे बुखारी (रह.) और जुम्हूर का मसला यही है, अगरचे कुछ सहाबा और सल्फ़ से ज़वाले से पहले भी जुम्आ का जवाज़ मन्कूल है मगर इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक तर्जीह इसी मसलक को हासिल है। ऐसा ही अल्लामा अब्दुर्हमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, 'वज़्जाहिरुल अल्मअमूल अलैहि हुव माज़हब इलैहिल्जुम्हूरू मिन अन्नहू ला तजूजुल्जम्अतु इल्ला बअद ज़वालिशशम्सि व अम्मा मा ज़हब इलैहि बअजुहुम मिन अन्नहा तजूजू कब्लज़्ज़वालि फलेस फीहि हदीथुन सहीहुन सरीहुन वल्लाहु आलमु' (तोहफ़तुल अहवज़ी)

बाब 17 : जब जुम्आ सख़्त गर्मी में आ पड़े

۱۷- بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ

(906) हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मक्दमी ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे हरमी बिन अम्मार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ख़लदः जिनका नाम ख़ालिद बिन दीनार है, ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती तो नबी करीम (ﷺ) नमाज़ सवेरे पढ़ लेते। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती तो ठण्डे वक़्त में नमाज़ पढ़ते। आपकी मुराद जुम्अे की नमाज़ से थी। यूनुस बिन बुकैर ने कहा कि हमें अबू ख़लदः ने ख़बर दी। उन्होंने सिर्फ़ नमाज़ कहा। जुम्अे का ज़िक्र नहीं किया और बिशर बिन प्राबित ने कहा कि हमसे अबू ख़लदः ने बयान किया कि अमीर ने हमें जुम्अे की नमाज़ पढ़ाई। फिर हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) जुहर की नमाज़ किस वक़्त पढ़ते थे।

۹۰۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ - هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ. وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ) يَعْنِي الْجُمُعَةَ. قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ وَقَالَ: (بِالصَّلَاةِ) وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ. وَقَالَ بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا أَمِيرَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ؟).

तशरीह:

अमीर से हकम बिन अबू अक़ील प्रक़फी मुराद हैं जो हज़ाज बिन यूसुफ़ की तरफ़ से नाईब थे। 'इस्तदल्ल बिही इब्नु बत्ताल अला अन्न वक़्तल्जुम्अति वक़्तुज़्ज़ुहरि लिअन्न अनसन सवा बैनहुमा फ़ी जवाबिही लिल्हुक्मिल्मज़कूरि हीन क़ील कैफ़ कानन्नबिय्यु (ﷺ) युसल्लिल्ज़ुहर' (या'नी) इससे इब्ने बत्ताल ने इस्तिदलाल किया कि जुम्आ और जुहर का वक़्त एक ही है क्योंकि हज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब में जुम्आ और जुहर को बराबर किया; जबकि उनसे पूछा गया कि हज़ूर (ﷺ) जुहर की नमाज़ किस वक़्त पढ़ा करते थे?

बाब 18 : जुम्अे की नमाज़ के लिये चलने का बयान

और अल्लाह तआला ने (सूरह जुम्आ) में फ़र्माया कि 'अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ तेज़ी के साथ चलो' और इसकी तफ़सीर जिसने ये कहा कि 'सई' के मा'नी अमल करना और चलना जैसे सूरह बनी

۱۸- بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ،

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَاسْتَوُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وَمَنْ قَالَ السَّعْيَ الْعَمَلَ وَاللَّمْعَابَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾.

इस्राईल में है 'सआलहा सअयहा' यहाँ सई के यही मा'नी हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि खरीदो—फ़रोख्त जुम्आ की अज़ान होते ही हराम हो जाती है। अत्रा ने कहा कि तमाम कारोबार उस वक़्त हराम हो जाते हैं। इब्राहीम बिन सअद ने जुहरी का ये क़ौल नक़ल किया कि जुम्आ के दिन जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो मुसाफ़िर भी शिक़त करे।

तशरीह : यहाँ सई के मा'नी अमल के हैं। या'नी जिसने अमल किया आख़िरत के लिये वो अमल जो दरकार है इब्ने मुनीर ने कहा कि जब सई का हुक्म हुआ और बेअमना हुई तो मा'लूम हुआ कि सई से वो महल मुराद है जिसमें अल्लाह की इबादत हो। मतलूब आयत का ये है कि जब जुम्आ की अज़ान हो तो अल्लाह का काम करो दुनिया का काम छोड़ दो।

(907) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबाय्या बिन रिफ़ाअ बिन राफ़ेअ बिन खदीज ने बयान किया, उन्होंने ने बयान किया कि मैं जुम्आ के लिये जा रहा था। रास्ते में अबू अब्स (रज़ि.) से मेरी मुलाक़ात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जिसके क़दम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हो गए अल्लाह तआला उसे दोज़ख़ पर हराम कर देगा।

(दीगर मक़ाम : 2811)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ : تَحْرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلَّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَدَّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

٩٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْثَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ : أَذْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ اغْتَبَرَتْ قَدَمَاهُ لِي سَبِيلَ اللَّهِ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ)).

[طرفه في : ٢٨١١].

तशरीह : हदीष और तर्जुमा में मुताबक़त लफ़्ज़े फ़ी सबीलिल्लाह से होती है इसलिये जुम्आ के लिये चलना फ़ी सबीलिल्लाह ही में चलना है। गोया हज़रत अबू अबस अब्दुर्रहमान अंसारी बद्री सहाबी मशहूर ने जुम्आ को भी जिहाद के हुक्म में दाख़िल फ़र्माया। फिर अफ़सोस है उन हज़रात पर जिन्होंने कितने ही देहात में जुम्आ न होने का फ़त्वा देकर देहाती मुसलमानों को जुम्आ के प्रवाब से महरूम कर दिया। देहात में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शहरों में जुम्आ अदा करने के लिये जाएँ। वो नमाज़ पंज वक़ता तक में सुस्ती करते हैं नमाज़े जुम्आ के लिये इन हज़रात इलमाने छूट दे दी जिससे उनको काफ़ी सहारा मिल गया। इन्नालिल्लाह!

(908) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहरी ने सईद और अबू सलमा से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने (दूसरी सनद से बयान किया) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा और हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने और उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि जब

٩٠٨- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

नमाज़ के लिये तक्बीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ बल्कि (अपनी मामूली रफ्तार से) आओ और पूरे इन्मीनान के साथ फिर नमाज़ का जो हिस्सा (इमाम के साथ) पा लो उसे पढ़ लो और जो रह जाए तो उसे बाद में पूरा कर लो।

(राजेअ: 636)

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا أَيْمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْتَوِنَ، وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا لَمْ تَكُنْ فَأَيْمُوا)).

[راجع: ٦٣٦]

यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि जुम्आ की नमाज़ भी एक नमाज़ है और उसके लिये दौड़ना मना होकर मामूली चाल से चलने का हुक्म हुआ। यही बाब का तर्जुमा है।

(909) हमसे अम्र बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू कुतैबा बिन कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अली बिन मुबारक ने यह्या बिन अबी क़शीर से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने — (इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं कि मुझे यक़ीन है कि) अब्दुल्लाह ने अपने बाप अबू क़तादा से रिवायत की है, वो नबी करीम (ﷺ) से रावी हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब तक मुझे देख न लो मफ़बन्दी के लिये खड़े न हुआ करो और आहिस्तगी से चलना लाज़िम कर लो। (राजेअ: 637)

٩٠٩- حَدَّثَنِي هَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَغْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ. [راجع: ٦٣٧]

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने एह्तियात की राह से उसमें शक किया कि ये हदीष अबू क़तादा के बेटे अब्दुल्लाह ने अपने बाप से मौसूलन रिवायत की या अब्दुल्लाह ने उसको मुर्सलन रिवायत किया। शायद ये हदीष उन्होंने इस किताब में अपनी याद से लिखी। इस वजह से उनको शक रहा लेकिन इस्माइली ने इसी सनद से उसको निकाला। इसमें शक नहीं है अब्दुल्लाह से उन्होंने अबू क़तादा से रिवायत की। मौसूलन ऐसे बहुत से बयानात से वाज़ेह है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) रिवायते हदीष में इतिहाई एह्तियात मलहूज रखते थे। फिर अफ़सोस है उन लोगों पर जो सहीह मफ़ूअ अह्लादीष का इंकार करते हैं। हदाहुमुल्लाह

बाब 19 : जुम्आ के दिन जहाँ दो आदमी बैठे हों उनके बीच में न दाख़िल हो

١٩- بَابُ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ

(910) हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी उन्होंने कहा कि हमें इब्ने अबी जिब ने ख़बर दी, उन्हें सईद मक्बरी ने, उन्हें उनके बाप अबू सईद ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन वदीआ ने, उन्हें सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने जुम्आ के दिन गुस्ल किया और ख़ूब पाकी हासिल की और तेल या ख़ुशबू इस्ते'माल की, फिर जुम्आ के लिये चला और दो आदमियों के बीच न घुसा

٩١٠- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، ثُمَّ ادَّخَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ

और जितनी उसकी क्रिस्मत में थी, नमाज़ पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और ख़ुत्बा शुरू किया तो ख़ामोश हो गया, उसके उस जुम्आ में से दूसरे जुम्आ तक के तमाम गुनाह बख़्श दिए जाएँगे (राजेअ : 883)

طَيْبٍ، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ التَّيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ

(الأخرى)). [راجع: ٨٨٣]

तशरीह: आदाबे जुम्आ में से ज़रूरी अदब है कि आने वाला निहायत ही अदब व मतानत के साथ जहाँ जगह पाए बैठ जाए। किसी की गर्दन फलाँगकर आगे न बढ़ें क्योंकि ये शरअन मन्ज़ूअ और मअयूब है। इससे ये भी वाज़ेह हो गया कि शरीअते इस्लामी में किसी को तकलीफ़ देना ख़वाह वो तकलीफ़ बनाम इबादते नमाज़ ही में क्यूँ न हों। वो अल्लाह के नज़दीक गुनाह है। इसी मज़मून की अगली हदीष में मज़ीद तफ़सील आ रही है।

बाब 20 : जुम्आ के दिन किसी मुसलमान भाई को उसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ न बैठे

(911) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी (रह.) ने बयान किया, कहा कि हमें मुख़लद बिन यज़ीद ने ख़बर दी, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मैंने नाफ़ेअ से सुना, उन्होंने कहा मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया है कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को उठाकर उसकी जगह ख़ुद बैठ जाए। मैंने नाफ़ेअ से पूछा कि क्या ये जुम्आ के लिये है तो उन्होंने जवाब दिया कि जुम्आ और ग़ैर जुम्आ सबके लिये यही हुक्म है। (दीगर मक़ाम : 6269, 6270)

٢٠- بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَائِهِ

٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ لَهُ)). قُلْتُ لِناَفِعِ: الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَغَيْرَهَا.

[طرفاه في : ٦٢٦٩، ٦٢٧٠].

ता'ज्जुब है उन लोगों पर जो अल्लाह की मसाजिद यहाँ तक कि का'बा मुअज्जमा और मदीनतुल मुनव्वरा में प्रवाब के लिये दौड़ते हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर उनकी जगह पर क़ब्ज़ा करते हैं। बल्कि कुछ मर्तबा झगड़ा—फ़साद तक नौबत पहुँचाकर फिर वहाँ नमाज़ पढ़ते और अपने नफ़्स को खुश करते हैं कि वो इबादते इलाही कर रहे हैं। उनको मा'लूम होना चाहिये कि उन्होंने इबादत का सही मफ़हूम नहीं समझा बल्कि कुछ नमाज़ी तो ऐसे हैं कि उनको हक़ीक़ते इबादत का पता नहीं है। 'अल्लाहुममहम अला उम्मति हबीबिक (ﷺ)'

यहाँ मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम फ़र्माते हैं कि मस्जिद अल्लाह की है। किसी के बाबा—दादा की मिल्कियत नहीं जो नमाज़ी पहले आया और किसी जगह बैठ गया वही उसी जगह का हक़दार है। अब बादशाह या वज़ीर भी आए तो उसको उठाने का हक़ नहीं रखता। (वहीदी)

बाब 21 : जुम्आ के दिन अज़ान का बयान

(912) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने जुहरी के वास्ते से बयान किया, उनसे साइब बिन यज़ीद ने कि नबी करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र और हज़रत

٢١- بَابُ الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩١٢- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا

इमर (रज़ि.) के ज़माने में जुम्आ की पहली अज़ान उस वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर ख़ुत्बा के लिये बैठते लेकिन हज़रत इब्मान (रज़ि.) के ज़माने में जब मुसलमानों की क़षरत हो गई तो वो मुक़ामे ज़ौरा से एक और अज़ान दिलवाने लगे। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं कि ज़ौरा मदीना के बाज़ार में एक जगह है। (दीगर मक़ाम : 913, 915, 916)

جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَكَثُرَ النَّاسُ - زَادَ النَّدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ. [أطرافه في: 913, 915, 916].

तशरीह: मा'लूम हुआ कि असल अज़ाने जुम्आ वही थी जो आँहज़रत (ﷺ) और शौखेन के मुबारक ज़मानों में इमाम के मिम्बर पर आने के वक़्त दी जाती थी। बाद में हज़रत इब्मान ग़नी (रज़ि.) ने लोगों को आगाह करने के लिये बाज़ार में एक अज़ान का और इज़ाफ़ा कर दिया ताकि वक़्त से लोग जुम्आ के लिये तैयार हो सकें। हज़रत इब्मान (रज़ि.) की तरह बवक़ते ज़रूरत मस्जिद से बाहर किसी मुनासिब जगह पर ये अज़ान अगर अब भी दी जाए तो जाइज़ है मगर जहाँ ज़रूरत न हो वहाँ सुन्नत के मुताबिक सिर्फ़ ख़ुत्बा ही के वक़्त ख़ूब आवाज़ से एक ही अज़ान देनी चाहिये।

बाब 22 : जुम्आ के लिये एक मुअज़िन मुक़र्रर करना

(913) हमसे अबू नुएम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू सलमा माजिशून ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे जुहरी ने बयान किया, उनसे साइब बिन यज़ीद ने कि जुम्आ में तीसरी अज़ान हज़रत इब्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) ने बढ़ाई जबकि मदीना में लोग ज़्यादा हो गए थे जबकि नबी करीम (ﷺ) के एक ही मुअज़िन थे। (आप (ﷺ) के दौर में) जुम्आ की अज़ान उस वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता।

(राजेअ : 912)

٢٢ - بَابُ الْمُؤَدِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَجَاشُونِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : (أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْدِينَ الثَّلَاثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ - وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَدِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْدِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ) يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

[راجع: 912]

इससे उन लोगों का रह हुआ जो कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) जब मिम्बर पर जाते तो तीन मुअज़िन एक के बाद एक अज़ान देते। एक मुअज़िन का मतलब ये है कि जुम्आ की अज़ान खास, एक मुअज़िन हज़रत बिलाल (रज़ि.) ही दिया करते थे वरना वैसे तो ज़मान-ए-नबवी में कई मुअज़िन मुक़र्रर थे जो बारी-बारी अपने वक़्तों पर अज़ान दिया करते थे।

बाब 23 : इमाम मिम्बर पर बैठे बैठे अज़ान सुनकर उसका जवाब दे

(914) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने

٢٣ - بَابُ يُجِيبُ الْإِمَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ

٩١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَقْلَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमें अबू बक्र बिन उस्मान बिन सहल बिन हनीफ़ ने खबर दी, उन्हें अबू उमामा बिन सहल बिन हनीफ़ ने, उन्होंने कहा मैंने मुआविया बिन अबी सुफ़यान (रज़ि.) को देखा आप मिम्बर पर बैठे, मुअज़्जिन ने अज़ान दी 'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' मुआविया (रज़ि.) ने जवाब दिया 'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' मुअज़्जिन ने कहा 'अशहदु अल्लाह इलाहा इलल्लाह' मुआविया (रज़ि.) ने जवाब दिया व अना और मैं भी तौहीद की गवाही देता हूँ मुअज़्जिन ने कहा 'अशहदु अन्ना मुहम्मदुरसूलल्लाह' मुआविया (रज़ि.) ने जवाब दिया 'व अना' मैं भी गवाही देता हूँ मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत की' जब मुअज़्जिन अज़ान कह चुका तो आपने कहा हाज़िरीन! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना उस जगह या'नी मिम्बर पर आप बैठे थे मुअज़्जिन ने अज़ान दी तो आप यही फ़र्मा रहे थे जो तुमने मुझको कहते हुए सुना।

(राजेअ: 612)

अज़ान के जवाब में सुनने वाले वही अल्फ़ाज़ कहते जाएँ जो मुअज़्जिन से सुनते हैं। इस तरह उनको वही प्रवाब मिलेगा जो मुअज़्जिन को मिलता है।

बाब 24 : जुम्आ की अज़ान ख़त्म होने तक इमाम मिम्बर पर बैठा रहे

(915) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने अक़ील के वास्ते से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने कि साइब बिन यज़ीद ने उन्हें ख़बर दी कि जुम्आ की दूसरी अज़ान का हुक्म हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) ने उस वक़्त दिया जब नमाज़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे और जुम्आ के दिन अज़ान उस वक़्त होती जब इमाम मिम्बर पर बैठा करता था। (राजेअ: 912)

साहिबे तफ़हीमूल बुखारी हनफ़ी, देवबन्दी कहते हैं कि मतलब ये है कि जुम्आ की अज़ान का तरीका पंजवक़ता अज़ान से अलग था और दोनों में अज़ान नमाज़ से कुछ पहले दी जाती थी लेकिन जुम्आ की अज़ान के साथ ही ख़ुत्बा शुरू हो जाता था और उसके बाद फ़ौरन नमाज़ शुरू कर दी जाती। याद रहे कि आजकल जुम्आ का ख़ुत्बा शुरू होने पर इमाम के सामने धीरे से मुअज़्जिन जो अज़ान देते हैं वो ख़िलाफ़े सुन्नत है। ख़ुत्बा की अज़ान भी बुलन्द जगह पर बुलन्द आवाज़ से होनी चाहिये। इब्ने मुनीर कहते हैं कि इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से कूफ़ा वालों का रद्द किया जो कहते हैं कि ख़ुत्बा से पहले मिम्बर पर बैठना मशरूअ नहीं है।

أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أذُنَ الْمُؤَدِّنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مَعَاوِيَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مَعَاوِيَةَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَعَاوِيَةَ: وَأَنَا. فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْدِيْنَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ - حِينَ أذُنَ الْمُؤَدِّنِ - يَقُولُ مَا تَسْمَعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالِي. [راجع: 612]

٢٤ - بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ

عِنْدَ التَّأْدِيْنَ

٩١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ (أَنَّ التَّأْدِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - وَكَانَ التَّأْدِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ). [راجع: 912]

बाब 25 : जुम्आ की अज्ञान खुत्बा के वक्त देना

(916) हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमको यूनस बिन यज़ीद ने जुहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) से ये सुना था कि जुम्आ की पहली अज्ञान रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में उस वक्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता। जब हज़रत इब्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) का दौर आया और नमाज़ियों की ता'दाद बढ़ गई तो आपने जुम्आ के दिन एक तीसरी अज्ञान का हुक्म दिया, ये अज्ञान मुक्रामे ज़ौरा पर दी गई और बाद में यही दस्तूर कायम रहा।

٢٥- بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ
٩١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَابِلٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
يَقُولُ: ((إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ
أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى
الْمِنْبَرِ لِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ
وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ لِي
خَلْفَةَ عُفْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَلَّوْا
- أَمَرَ عُفْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ
الثَّلَاثِ، فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ، فَتَبَتَ
الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ)). [راجع: ٩١٢]

तरीह: तीसरी उसको इसलिये कहा कि तकबीर भी अज्ञान है। हज़रत इब्मान (रज़ि.) के बाद से फिर यही तरीका जारी हो गया कि जुम्आ में एक पहली अज्ञान होती है फिर जब इमाम मिम्बर पर जाता है तो दूसरी अज्ञान देते हैं। फिर नमाज़ शुरू करते वक्त तीसरी अज्ञान या'नी तकबीर कहते हैं। गो हज़रत इब्मान (रज़ि.) का काम बिदअत नहीं हो सकता इसलिये कि वो खुलाफ़-ए-राशिदीन में है मगर उन्होंने ये अज्ञान एक ज़रूरत से बढ़ाई कि मदीना की आबादी दूर-दूर तक पहुँच गई थी और खुत्बा की अज्ञान सबके जमा होने के लिये काफ़ी न थी। आते-आते ही नमाज़ खत्म हो जाती थी। मगर जहाँ ये ज़रूरत न हो तो वहाँ ब-मौजिबे सुन्नते नबवी (ﷺ) सिर्फ़ खुत्बा ही की अज्ञान देना चाहिये और ख़ूब बुलन्द आवाज़ से न कि जैसा कि जाहिल लोग खुत्बा के वक्त आहिस्ता-आहिस्ता अज्ञान देते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। इब्ने अबी शैबा ने इब्ने उमर से निकाला तीसरी अज्ञान बिदअत है या'नी एक नई बात है जो आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में न थी। अब इस सुन्नते नबवी को सिवाय अहले हदीष के और कोई बजा नहीं लाते जहाँ देखो सुन्नते इब्मानी का रिवाज़ है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जो इसे बिदअत कहा उसकी तौज़ीह में हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, 'फयहतमिलु अंध्यकून ज़ालिक अला सबीलिल्इन्कारि व यहतमिलु अंध्युरीद अन्नहू लम्यकून फी ज़मनिन्नबिय्य (ﷺ) व कुल्लु मा लम्यकून फी ज़मनिही युसम्मा बिदअतुन।' (नैनुल औतार)

या'नी एहतिमाल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने इंकार के तौर पर ऐसा कहा हो और ये भी अन्देशा है कि उनकी मुराद ये हो कि ये अज्ञान रसूले करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में न थी और जो आपके ज़माने में न हो उसको (लुग्वी हैषियत से) बिदअत या'नी नई चीज़ कहा जाता है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि 'बलगनी अन्न अहलल्मगरिबिल्अदना अल्आन ला ताज़ीन इन्दहुम सिव मर्रतिन' या'नी मुझे खबर पहुँची है कि पश्चिम वालों का अमल अब भी सिर्फ़ सुन्नते नबवी (ﷺ) या'नी एक ही अज्ञान पर है।

जुम्हूर उलम-ए-अहले हदीष का मसलक भी यही है कि सुन्नते नबवी पर अमल बेहतर है और अगर हज़रत इब्मान (रज़ि.) के ज़माने में जैसी ज़रूरत महसूस हो तो मस्जिद से बाहर किसी मुनासिब जगह पर ये अज्ञान कह दी जाए तो कोई मुजायका नहीं है।

जिन लोगों ने अज्ञाने इब्मानी को भी मसनून करार दिया उनका क़ौल महल्ले नज़र है। चुनाँचे हज़रत मौलाना

अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) ने बड़ी तपसील से इस अमर पर रोशनी डाली। आखिर में आप फ़र्माते हैं, 'अन्नलइस्तिदलाल अला कौनिल्अजानिष्वालिल्हि हुव मिम मुज्तहिदाति इम्मान अमन मसूनन लैस बिताम्मिन अला तरा अन्नबन्न इमर कालल्अजानुल्अव्वलु यौमल्जुम्अति बिदअतुन फलौ कान हाजल्इस्तिदलालु ताम्मन व कानल्अजानुष्वालिल्हि अमन मसून लम युत्लक अलैहि लफ़्जुल्बिदअति ला अला सबीलिल्इन्कारि व ला सबीलिल्गैरिल्इन्कारि फइन्नल्अमल्मसून ला यजुजु अय्युत्लक अलैहि लफ़्जुल्बिदअति बिअय्यि मअनन कान फतफकर।' (तोहफतुल अहवज़ी)

बाब 26 : खुत्बा मिम्बर पर पढ़ना

और हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने मिम्बर पर खुत्बा पढ़ा।

(917) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यअकूब बिन अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल क़ारी कुरशी इस्कंदरानी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू हाज़िम बिन दीनार ने बयान किया कुछ लोग हज़रत सहल बिन सअद साएदी (रज़ि.) के पास आए। उनका आपस में इस पर इख़ितालाफ़ था कि मिम्बरे नबवी अला साहिबिहम्सलातु वस्सलाम की लकड़ी किस पेड़ की थी। इसलिये सअद (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया अल्लाह गवाह है मैं जानता हूँ कि मिम्बरे नबवी किस लकड़ी का था। पहले दिन जब वो रखा गया और सबसे पहले जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे तो मैं उसको भी जानता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंसार की फ़लाँ औरत के पास जिनका हज़रत सअद (रज़ि.) ने नाम भी बताया था। आदमी भेजा कि वो अपने बड़े गुलाम से मेरे लिये लकड़ी जोड़ देने के लिये कहें। ताकि जब मुझे लोगों से कुछ कहना हो तो उस पर बैठा करूँ चुनाँचे उन्होंने अपने गुलाम से कहा और वो गा़बा के झाऊ की लकड़ी से उसे बनाकर लाया। अंसारी खातून ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दिया। आँहुज़ूर (ﷺ) ने उसे यहाँ रखवाया मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसी पर (खड़े होकर) नमाज़ पढ़ाई। उसी पर खड़े-खड़े तक्बीर कही। उसी पर रुकूअ किया। फिर उलटे पाँव लौटे और मिम्बर की जड़ में सज्दा किया और फिर दोबारा उसी तरह किया जब आप (ﷺ) नमाज़ से

٢٦- بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ.

٩١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَنْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدْ امْتَرَا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ عَوْذَةٍ؛ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا عُرْفَ بِمَا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُرْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ - امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلًا - مَرِي غُلَامِكَ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرْتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ عَرَفَاءِ الْعَابَةِ؛ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوَضِعَتْهَا هُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ عَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (رَأَيْتَهَا

फ़ारिग हुए तो लोगों को ख़िताब फ़र्माया। लोगों! मैंने ये इसलिये किया कि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी तरह नमाज़ पढ़ना सीख लो। (राजेअ: 377)

तशरीह: या'नी खड़े-खड़े उन लकड़ियों पर वा'ज़ कहा करो जब बैठने की ज़रूरत हो तो उन पर बैठ जाओ। पस बाब का तर्जुमा निकल आया। कुछ ने कहा कि इमाम बुखारी (रह.) ने ये हदीष लाकर उसके दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा किया जिसको तबरानी ने निकाला कि आपने इस मिम्बर पर ख़ुत्बा पढ़ा। गाबा नामी एक गांव मदीने के करीब था। वहाँ झाऊ के पेड़ बहुत थे। आप (ﷺ) इसलिये उलटे पांव उतरे ताकि मुँह क़िब्ला ही की तरफ़ रहे।

(918) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र बिन अबी क़शीर ने बयान किया, कहा कि मुझे यह्या बिन सईद ने ख़बर दी, कहा कि मुझे हफ़स बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना कि एक खज़ूर का तना था जिस पर नबी करीम (ﷺ) टेक लगाकर खड़े हुआ करते थे। जब आपके लिये मिम्बर बन गया (आपने उस तने पर टेक नहीं लगाया) तो हमने उससे रोने की आवाज़ सुनी जैसे दस महीने की गाभिन ऊँटनी आवाज़ करती है। नबी करीम (ﷺ) ने मिम्बर से उतरकर अपना हाथ उस पर रखा (तब वो आवाज़ मौक़ूफ़ हुई) और सुलैमान ने यह्या से यूँ हदीष बयान की कि मुझे हफ़स बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्होंने जाबिर से सुना। (राजेअ: 449)

तशरीह: सुलैमान की रिवायत को खुद इमाम बुखारी (रह.) ने अलमातुन्नबुव्वा में निकाला। इस हदीष में अनस के बेटे का नाम मज़कूर है। ये लकड़ी आँहज़रत (ﷺ) की जुदाई में रोने लगीं। जब आपने अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा तो उसको तसल्लती हो गई। क्या मोमिनो को इस लकड़ी के बराबर भी आँहज़रत (ﷺ) से मुहब्बत नहीं जो आपके कलाम पर दूसरों की राय क़यास को मुक़द्दम समझते हैं। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम) आँहज़रत (ﷺ) की जुदाई में उसे लकड़ी का रोना ये मोअज़िजाते नबविया में से है।

(919) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे जुह्री ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके बाप ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) ने मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि जो जुम्आ के लिये आए वो पहले गुस्ल कर लिया करे।

(राजेअ: 877)

(इस हदीष से मिम्बर प्राबित हुआ)

बाब 27 : ख़ुत्बा खड़े होकर पढ़ना

और हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर

النَّاسِ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُوا بِي،
وَلَعَلَّمُوا صَلَاتِي)). [راجع: 377]

٩١٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَكَانَ
جَذَعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا وَضِعَ لَهُ
الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجَذَعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ
الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ
عَلَيْهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي
حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ سَمِعَ جَابِرًا.
[راجع: 449]

٩١٩- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : ((مَنْ جَاءَ إِلَى
الْجُمُعَةِ فَلْيَتَسَلَّلْ)). [راجع: 877]

٢٧- بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

وَقَالَ أَنَسٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا.

खुत्बा दे रहे थे।

(920) हमसे अब्दुल्लाह बिन उमर क्वारिरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे खालिद बिन हारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर खुत्बा देते थे, फिर बैठ जाते और फिर खड़े होते जैसे तुम लोग भी आजकल करते हो।

(दीगर मक़ाम : 928)

शाफ़िइयाने कहा कि क़याम खुत्बा की शर्त है क्योंकि कुआन शरीफ़ वतरकूका क़ाइमा (अल जुमुआ : 11) और हदीषों से ये प्राबित है कि आपने हमेशा खड़े होकर खुत्बा पढ़ा। अब्दुरहमान बिन अबिल हक़म बैठकर खुत्बा पढ़ रहा था तो क़अब बिन उज्रा सहाबी (रज़ि.) ने इस पर ए' तिराज़ किया।

बाब 28 : इमाम जब खुत्बा दे तो लोग

इमाम की तरफ़ मुँह कर लें और अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस (रज़ि.) ने खुत्बा में इमाम की तरफ़ मुँह किया।

(921) हमसे मुआज़ बिन फुज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यहा बिन अबी क़शीर से बयान किया, उनसे हिलाल बिन अबी मैमूना ने, उन्होंने कहा हमसे अता बिन यसार ने बयान किया, उन्होंने अबूसईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए और हम सब आप (ﷺ) के आसपास बैठ गए। (दीगर मक़ाम : 1465, 2842, 6427)

और सबने आप (ﷺ) की तरफ़ मुँह किया। बाब का यही मतलब है। खुत्बा का अब्वलीन मक्कासद इमाम के खिताब को पूरी तवज्जह से सुनना और दिल में जगह देना और उस पर अमल करने का अज़्म करना है, इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि इमाम का खिताब इस तौर पर हो कि सुननेवाले उसे समझ लें। उसी से सुननेवालों की मादरी जुबान में खुत्बा होना प्राबित होता है या'नी आयात व अह्लादीष पढ़-पढ़कर सुननेवालों की मादरी ज़बान में समझाई जाएँ और सुननेवाला इमाम की तरफ़ मुँह करके पूरी तवज्जह से सुने।

बाब 29 : खुत्बा में अल्लाह की हम्दो-शना के बाद अम्मा बअद कहना इसको इकिमाने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से (922) और महमूद बिन ग़ैलान (इमाम बुखारी के उस्ताज़) ने कहा

۹۲۰ - حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا يَقْعُلُونَ الْآنَ.

[طرفه في : ۹۲۸].

۲۸ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ الْقَوْمَ، وَاسْتَقْبَالَ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبُوا اسْتَقْبَلُ ابْنُ عُمَرَ وَأَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْإِمَامَ ۹۲۱ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمَيْمَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. [أطرافه في : ۱۴۶۵، ۲۸۴۲، ۶۴۲۷].

۲۹ - بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ التَّاءِ : أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۹۲۲ - وَقَالَ مَخْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ

कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, कि मुझे फ़ातिमा बिनते मुज़िर ने ख़बर दी, उनसे अस्मा बिनते अबीबक्र (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि मैं आइशा (रज़ि.) के पास गई। लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने (उस बेवक्रत नमाज़ पर ता'जुब से पूछा कि) ये क्या है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने सिर से आसमान की तरफ़ इशारा किया। मैंने पूछा क्या कोई निशानी है? उन्होंने सर के इशारे से हाँ कहा (क्योंकि सूरज गहन हो गया था) अस्माने कहा कि नबी करीम (ﷺ) देर तक नमाज़ पढ़ते रहे। यहाँ तक कि मुझको ग़शी आने लगी। करीब ही एक मशक में पानी भरा रखा था। मैं उसे खोलकर अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब सूरज साफ़ हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ ख़त्म कर दी। उसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया, पहले अल्लाह तआला की उसकी शान के मुनासिब ता'रीफ़ बयान की। उसके बाद फ़र्माया अम्मा बअद! इतना फ़र्माया था कि कुछ अंसारी औरतें शोर करने लगीं। इसलिये मैं उनकी तरफ़ बढ़ी ताकि उन्हें चुप कराऊँ (ताकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात अच्छी तरह सुन सकूँ मगर मैं आपका कलाम न सुन सकी) तो पूछा किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने क्या फ़र्माया? उन्होंने बताया कि आपने फ़र्माया कि बहुत सी चीज़ें जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थीं, आज अपनी इस जगह से मैंने उसको देखा लिया। यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम तक मैंने आज देखी। मुझे वह्य के ज़रिये ये भी बताया गया कि क़ब्रों में तुम्हारी ऐसी आजमाइश होगी जैसे काने दज्जाल के सामने या उसके करीब करीब। तुममें से हर एक के पास फ़रिश्ता आएगा और पूछेगा कि तू उस शख्स के बारे में क्या ए'तिक्दाद (यक़ीन) रखता था? मोमिन या ये कहा कि यक़ीन रखनेवाला (हिशाम को शक था) कहेगा कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं, हमारे पास हिदायत और वाज़ेह दलाइल लेकर आए, इसलिये हम उन पर इमान लाए, उनकी दा'वत कुबूल की, उनकी इत्तिबा की और उनकी तस्दीक की। अब उससे कहा जाएगा कि तू तो मालेह है, आराम से सो जा। हम पहले ही जानते थे कि तेरा उन पर इमान है। हिशाम ने शक के इज़हार के साथ कहा किरहा मुनाफ़िक़ या शक करने वाला तो जब उससे पूछा जाएगा कि तू उस शख्स के बारे में क्या कहता है तो वो

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُطَلِّبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، قُلْتُ أَيْه؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّيَ الْفَشَى وَإِلَى جَنبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا، فَجَعَلْتُ أَصْبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَعَطَبَ النَّاسُ وَحَمِدَ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا بَعْدُ)). قَالَتْ: وَلَقَطَ يَسْرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانكَمَاتَ إِلَيْهِنَّ لِأَسْكَنْهُنَّ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيئُهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ لِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. وَإِنَّهُ لَقَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ بِمِثْلِ - أَوْ قُرْبِهِ - مِنْ - قِسْمَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُؤْتِي أَحَدَكُمْ قِيْقَالَ لَهُ: مَا عَلِمْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوْ قَالَ: الْمُؤْمِنُ، شَكَ هِشَامٌ - قِيْقَوْلُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى لَأَمَنَّا وَأَجَبْنَا، وَأَتَبَعْنَا وَصَدَقْنَا، قِيْقَالَ لَهُ: نَمَّ صَالِحًا، لَقَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوْ قَالَ: الْمُرْتَابُ، شَكَ هِشَامٌ - قِيْقَالَ لَهُ: مَا عَلِمْتُ بِهَذَا

जवाब देगा कि मुझे नहीं मा' लूम मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना उसी के मुताबिक मैंने भी कहा। हिशाम ने बयान किया कि फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर ने जो कुछ कहा था। मैंने वो सब याद रखा। लेकिन उन्होंने क़ब्र में मुनाफ़िकों पर सख़्त अज़ाब के बारे में जो कुछ कहा वो मुझे याद नहीं रहा। (राजेअ: 86)

ये हदीष यहाँ इसलिये लाई गई है कि इसमें ये ज़िक्र है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपने खुत्बा में अम्मा बअद का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) बताना चाहते हैं कि खुत्बा में अम्मा बअद कहना सुन्नत है। कहा जाता है कि सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये कहा था। आपका फ़स्ल ख़िताब भी यही है पहले अल्लाह पाक की हम्दो—प्रना फिर नबी करीम (ﷺ) पर सल्लातो—सलाम भेजा गया और अम्मा बअद ने उस तम्हीद को असल ख़िताब से जुदा कर दिया। अम्मा बअद का मतलब ये है कि हम्दो—सल्लात के बाद अब असल खुत्बा शुरू होगा।

(923) हमसे मुहम्मद बिन मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने जरीर बिन हाज़िम से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमाम हसन बसरी से सुना, उन्होंने बयान किया कि हमने अमर बिन तग़्लिब (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ माल आया या कोई चीज़ आई। आपने कुछ सहाबा को उसमें से अत्ता किया और कुछ को नहीं दिया। फिर आप (ﷺ) को मा' लूम हुआ कि जिन लोगों को आपने नहीं दिया था उन्हें उसका रंज हुआ, इसलिये आप (ﷺ) ने अल्लाह की हम्दो—प्रना की फिर फ़र्माया अम्मा बअद! अल्लाह की क्रसम! मैं कुछ लोगों को देता हूँ और कुछ को नहीं देता लेकिन मैं जिसको नहीं देता वो मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा महबूब हैं जिनको मैं देता हूँ। मैं तो उन लोगों को देता हूँ जिनके दिलों में बेसब्री और लालच पाता हूँ लेकिन जिनके दिल अल्लाह तआला ने ख़ैर और बेनियाज़ बनाए हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ। अमर बिन तग़्लिब भी उन्हीं लोगों में से हैं। अल्लाह की क्रसम! मेरे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये एक कलिमा सुख़ क़ैदों से ज़्यादा महबूब है।

(दीगर मक़ाम: 3145, 7535)

الرُّجُلُ؛ يَقُولُونَ: لَا أَذْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ: ((قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُا ذَكَرَتْ مَا يُغْلَظُ عَلَيْهِ. [راجع: ٨٦]

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَارِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَمَلِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آتَى بِمَالٍ - أَوْ سَبِيٍّ - فَكَسَمَهُ، فَأَعْطَى رَجُلًا وَتَرَكَ رَجُلًا. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، ((فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ آتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَوَ اللَّهُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْطِي، وَلَكِنْ أَعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكْبَلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْغَيْبِي وَالْخَيْرِ، فَيُهِمُّ عَمْرُو بْنُ تَمَلِبٍ)) فَوَ اللَّهُ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمْرَ النَّعَمِ.

[طرفاه: ٣١٤٥، ٧٥٣٥].

तशरीह:

सुब्हानल्लाह सहाबा (रज़ि.) के नज़दीक आँहज़रत (ﷺ) का एक हुक्म फ़र्माना जिससे आपकी रज़ामन्दी हो सारी दुनिया का माल व दौलत मिलने से ज़्यादा पसंद था। इस हदीष से आँहज़रत (ﷺ) का कमाले खु लक्क़ प्राबित हुआ कि आप किसी की नाराज़गी पसंद नहीं फ़र्माते थे। न किसी की दिल शिकनी। आप (ﷺ) ने ऐसा खुत्बा सुनाया कि जिन लोगों को नहीं दिया था वो उनसे भी ज़्यादा खुश हुए जिनको दिया था। (वहीदी) आप (ﷺ) ने यहाँ भी लफ़्ज़े अम्मा बअद! इस्ते'माल फ़र्माया। यही मक़सूदे बाब है।

(924) हमसे यहा बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने अक्रील से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने ने कहा कि मुझे उर्वा ने खबर दी कि हजरत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें खबर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के वक़्त उठकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और चंद सहाबा भी आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। सुबह को उन सहाबा (रज़ि.) ने दूसरे लोगों से इसका ज़िक्र किया चुनाँचे (दूसरे दिन) उससे भी ज़्यादा जमा हो गए और आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। दोपहरी सुबह को उसका चर्चा और ज़्यादा हुआ फिर क्या था तीसरे रात बड़ी ता'दाद में लोग जमा हो गए और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे तो सहाबा (रज़ि.) ने आपके पीछे नमाज़ शुरू कर दी। चौथी रात जो आई तो मस्जिद में नमाज़ियों की क़प्रत की वजह से तिल रखने की जगह नहीं था। लेकिन आज रात नबी करीम (ﷺ) ने ये नमाज़ न पढ़ाई और फ़ज़्र की नमाज़ के बाद लोगों से फ़र्माया, पहले आप (ﷺ) ने कलिम-ए-शहादत पढ़ा फिर फ़र्माया। अम्मा बअद! मुझे तुम्हारी उस हाज़िरी से कोई डर नहीं लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए, फिर तुमसे ये अदान न हो सके। इस रिवायत की मुताबअत यूनुस ने की है।

(राजेअ : 729)

ये हदीष कई जगह आई है यहाँ इस मक़सद के तहत लाई गई है कि आँहज़रत (ﷺ) ने वा'ज़ में लफ़्जे अम्मा बअद इस्ते'माल फ़र्माया।

(925) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुरैब ने जुहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा ने अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) से खबर दी कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़े इशा के बाद खड़े हुए। पहले आपने कलिम-ए-शहादत पढ़ा, फिर अल्लाह तआला के लायक़ उसकी ता'रीफ़ की, फिर फ़र्माया अम्मा बअद! जुहरी के साथ इस रिवायत की मुताबअत अबू मुआविया और अबू उसामा ने हिशाम दस्तवाई से की, उन्होंने ने अपने वालिद उर्वा से इसकी रिवायत की, उन्होंने अबू हुमैद से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया अम्मा बअद! और अबुल यमान के साथ इस हदीष को मुहम्मद बिन यहा ने भी सुफयान से रिवायत किया, उसमें सिर्फ़ अम्मा बअद है।

۹۲۴- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِفَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)). تَابِعَهُ يُونُسُ.

[راجع : ۷۲۹]

۹۲۵- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابِعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابِعَهُ الْقَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي ((أَمَّا بَعْدُ)).

(दीगर मक़ाम : 1500, 2597, 6636, 6979, 7174, 7197)

[أطرافه فی : ۱۰۰۰، ۲۰۹۷، ۶۶۳۶، ۶۹۷۹، ۷۱۷۴، ۷۱۹۷]

ये एक लम्बी हदीष का टुकड़ा है जिसे खुद हज़रत इमाम (रह.) ने ईमान और नुज़ूर में निकाला है। हुआ ये कि आँहज़रत (ﷺ) ने इब्नुल बतिया नामी एक सहाबी को ज़कात वसूल करने के लिये भेजा था जब वो ज़कात का माल लाया गया तो कुछ चीज़ों की निस्बत कहने लगा कि ये मुझको बतौर तोहफ़ा मिली हैं, उस वक़्त आपने इशा के बाद ये खु़त्बा सुनाया और बताया कि इस तरह सरकारी सफ़र में तुमको ज़ाती तोहफ़े लेने का हक़ नहीं है जो भी मिला है वो सब बैतुलमाल में दाख़िल करना होगा।

(926) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहुरी से ख़बर दी, कहा कि मुझसे अली बिन हुसैन ने मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) से हदीष बयान की कि नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए। मैंने सुना कि कलिम-ए-शहादत के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया अम्मा बअद! शुऐब के साथ इस रिवायत की मुताबअत मुहम्मद बिन वलीद जुबैदी ने जुहुरी से की है।

(दीगर मक़ाम : 3110, 3714, 3729, 3767, 5230, 5278)

۹۲۶- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَعْرُومَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ وَ يَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرافه فی : ۳۱۱۰، ۳۷۱۴، ۳۷۲۹]

[۳۷۱۷، ۵۲۳۰، ۵۲۷۸]

जुबैदी की रिवायत को तबरानी ने शामियों की सनद में वसूल (मिलान) किया है।

(927) हमसे इस्माईल बिन अबान ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे इब्ने ग़सील अब्दुरहमान बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इकिरमा ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ लाए। मिम्बर पर ये आप (ﷺ) की आख़िरी बैठक थी। आप (ﷺ) दोनों शानों से चादर लपेटे हुए थे और सरे मुबारक पर एक पट्टी बाँध रखी थी। आपने हम्दो-घ्नना के बाद फ़र्माया लोगों! मेरी बात सुनो। चुनाँचे लोग आप (ﷺ) की तरफ़ कलामे मुबारक सुनने के लिये मुतवज्जह हो गए। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अम्मा बअद! ये क़बीला अंसार के लोग (आनेवाले दौर में) ता'दाद में बहुत कम हो जाएँगे पस मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत का जो शख्स भी हाकिम हुआ और उसे नफ़ा व नुक़्सान पहुँचाने की त्ताक़त हो तो अंसार के नेक लोगों की नेकी कुबूल करे और उनके बुरे की बुराई से दरगुज़र करे।

۹۲۷- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ غَضِبَ رَأْسَهُ بِعَصَابَةِ دَسَمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَآتَى عَلَيْهِ نَمًّا قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ ائْتِي)) فَتَأَبَّأُوا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ وَيَكْتُمُونَ النَّاسَ. فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزْ عَنِ

(दीगर मक़ाम : 3628, 3700)

[مُسَيِّنُهُمْ] - [طرفاه في: 3628, 3700]

तशरीह :

ये आपका मस्जिदे नबवी में आखिरी खुत्बा था। आपकी इस पेशीनगोई के मुताबिक अंसार अब दुनिया में कमी में ही मिलते हैं। दूसरे शयूखे अरब की नस्लें तमाम आलामे इस्लामी में फैली हुई है। इस शाने करीमी पर कुर्बान जाईए। इस एहसान के बदले में कि अंसार ने आप (ﷺ) की और इस्लाम की कसमपुरसी और मुसीबत के वक़्त मदद की थी। आप (ﷺ) अपनी तमाम उम्मत को इसकी तल्कीन फ़र्मा रहे हैं कि अंसार को अपना मुहसिन समझो उनमें जो अच्छे हों उनके साथ हुस्ने मुआमलात बढ़-चढ़कर करो और बुरों से दरगुज़र करो कि उनके आबा (पूर्वजों) ने इस्लाम की बड़ी कसमपुरसी के आलाम में मदद की थी। इस बाब में जितनी हदीषें आई हैं यहाँ इनका ज़िक्र सिर्फ़ इसी वजह से हुआ है कि किसी खुत्बा वग़ैरह के मौक़े पर अम्मा बअद का उसमें ज़िक्र है। क़स्तलानी ने कहा कि हदीष का मतलब ये नहीं है कि अंसार पर से हूदूदे शरइया उठा दी जाएँ। हूदूद तो आँहज़रत (ﷺ) ने हर अमीर-ग़रीब सब पर क़ायम करने की ताक़ीद फ़र्माई है। यहाँ अंसार की ख़फ़ीफ़ गलतियाँ मुराद हैं कि उनसे दरगुज़र किया जाए।

हज़रत इमामुल अइम्मा इमाम बुखारी (रह.) ने इस बाब के तहत मुख्तलिफ़ अहदादीष रिवायत की है। इन सबमें बाब का तर्जुमा लफ़्ज़े अम्मा बअद से निकाला है। आँहज़रत (ﷺ) अपने हर ख़िताब में अल्लाह की हम्दो-घ़ना के बाद लफ़्ज़े अम्मा बअद का इस्ते'माल किया करते थे। गुज़िशता से पेवस्ता हदीष में इशा के बाद आपके एक ख़िताबे आम का ज़िक्र है जिसमें आपने लफ़्ज़ अम्मा बअद इस्ते'माल किया। आपने इब्ने बतिय्या को ज़कात वसूल करने लिये भेजा था। जब वो ज़कात का माल लेकर वापस हुए तो कुछ चीज़ों के बारे में वो कहने लगे कि ये मुझको बतौर तोहफ़ा मिली हैं। उस वक़्त आप (ﷺ) ने इशा के बाद ये वा'ज़ फ़र्माया और उस पर सख़्त इज़हारे नाराज़गी फ़र्माया कि कोई शख्स सरकारी तौर पर तहसीले ज़कात के लिये जाए तो उसका क्या हक़ है कि वो इस सफ़र में अपनी ज़ात के लिये तोहफ़े कुबूल करे। हालाँकि उसको जो भी मिलेगा वो सब इस्लामी बैतुलमाल का हक़ है। इस हदीष को इमाम बुखारी (रह.) ने ईमान व नुज़ूर में पूरे तौर पर नक़ल किया है।

गुज़िशता हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) के एक आखिरी और बिलकुल आखिरी ख़िताबे आम का तज़क़िरा है जो आपने मर्जुल मौत की हालत में पेश फ़र्माया और जिसमें आपने हम्दो-घ़ना के बाद लफ़्ज़े अम्मा बअद इस्ते'माल किया फिर अंसार के बारे में वसिय्यत फ़र्माई कि मुस्तक़्बल में मुसलमान इत्तिदार वाले लोगों का फ़र्ज़ होगा कि वो अंसार के हुकूक का ख़ास ख़याल रखें। उनमें अच्छे लोगों को निगाहे एहतिराम से देखें और बुरे लोगों से दरगुज़र करें। फिल वाक़ेअ अंसार क़ायमत तक के लिये उम्मत मुस्लिमा में अपनी ख़ास तारीख के मालिक हैं जिसको इस्लाम का सुनहरी दौर कहा जा सकता है। ये अंसार ही का इतिहास है। पस अंसार की इज़ततो-एहतिराम हर मुसलमान का मज़हबी फ़रीज़ा है।

बाब 30 : जुम्आ के दिन दोनों खुत्बों

के बीच में बैठना

(928) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे बिशर बिन मुफ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह उमरी ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) (जुम्आ के दिन) दो खुत्बे देते और दोनों के बीच में बैठते थे।

(खुत्बए जुम्आ के बीच में ये बैठना भी मसनून तरीक़ा है)

बाब 31 : जुम्आ के दिन खुत्बा

۳۰- بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۹۲۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَرٌ

بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدٌ اللَّهِ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: 920]

۳۱- بَابُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

कान लगाकर सुनना

(929) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन अबी जिब ने बयान किया, उनसे जुहरी ने, उनसे अबू अब्दुल्लाह सुलैमान अग़र ने, उनसे अबू हरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्मया कि जब जुम्अे का दिन आता है तो फ़रिश्ते जामा मस्जिद के दरवाज़े पर आने वालों के नाम लिखते हैं, सबसे पहले आनेवाले को ऊँट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देनेवाले की तरह फिर मेंढे की कुर्बानी का प्रवाब रहता है, उसके बाद मुर्गी का, उसके बाद अण्डे का। लेकिन जब इमाम (खुत्बा देने के लिये) बाहर आ जाता है तो ये फ़रिश्ते अपने दफ़ातिर बन्द कर देते हैं और खुत्बा सुनने में मशगूल हो जाते हैं।

(दीगर मक़ाम : 3211)

يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩٢٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِلْأَوَّلِ. وَمَثَلُ الْمُهْجَرِ كَمَثَلِ الَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوْرًا صُحُفَهُمْ وَاسْتَمِعُوا الذِّكْرَ)).

[طرفه ني : 3211].

तशरीह : इस हदीष में सिलसिलेवार जिक्रे प्रवाब मुख्तलिफ़ जानवरों के साथ मुर्गी और अण्डे का भी जिक्र है। इसके बारे में हज़रत मौलाना शैखुल हदीष उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी फ़माते हैं, 'वलमुश्किलु जिक्रुद्दजाजति वल्बैज़ तिलिअन्नल्हदय ला यकूनु मिन्दुमा वाजिबुन बिअन्नहू मिन बाबिल्मुशाकलति अय मिन तस्मिय्यतिशशैड बिस्मि करीनिही वल्मुरादु बिल्अहदादि हुना अत्तसद्दुक लिमा दल्ल अलैहिलफ़ज़्नु कर्ब फी रिवायतिन उख़रा व हुव यजूजु बिहिमा' (मिअत, जिल्द 2, पेज नं. 293) या'नी मुर्गी और अण्डे का भी जिक्र आया है हालाँकि उनकी कुर्बानी नहीं होती। इसका जवाब दिया गया कि ये जिक्र बाबे मुशकिला में है। या'नी किसी चीज़ का ऐसा नाम रख देना जो उसके करीना का नाम हो। यहाँ कुर्बानी से मुराद सद्क़ा करना है जिस पर कुछ रिवायात में हैं कि आमदा लफ़ज़ कर्ब-दलालत करता है और कुर्बत में रज़ा-ए-इलाही हासिल करने के लिये इन दोनों चीज़ों को भी ख़ैरात में दिया जा सकता है। हज़रत इमामुल मुहहिषीन ने इस हदीष से ये प्राबित किया कि नमाज़ियों को खुत्बा कान लगाकर के सुनना चाहिये क्योंकि फ़रिश्ते भी कान लगाकर सुनते हैं। शाफ़िइया के नज़दीक खुत्बे की हालत में कलाम करना मकरूह है लेकिन हराम नहीं है। हन्फ़िया के नज़दीक खुत्बे के वक़्त नमाज़ और कलाम दोनों मना है। कुछ ने कहा कि दुनिया का बेकार कलाम मना है। मगर जिक्र या दुआ मना नहीं है और इमाम अहमद का ये क़ौल है कि जो खुत्बा सुनता हो या'नी खुत्बा की आवाज़ उसको पहुँचती हो उसको मना है और जो न सुनता हो उसको मना नहीं। शौकानी (रह.) ने अहले हदीष का मज़हब ये लिखा है कि खुत्बे के वक़्त ख़ामोश रहें। सय्यद अल्लामा ने कहा कि तहिय्यतुल मस्जिद मुस्तज़ा (अलग) है। जो शख्स मस्जिद में आए और खुत्बा हो रहा हो तो दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद ही पढ़ ले। इसी तरह इमाम का किसी ज़रूरत से बात करना जैसे सहीह अहदादीष में वारिद है। मुस्लिम की रिवायत में ये ज़्यादा है कि (तहिय्यतुल मस्जिद) की हल्की-फुल्की दो रकअतें पढ़ ले। यही अहले हदीष और इमाम अहमद की दलील है कि खुत्बे की हालत में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ लेना चाहिये। हदीष से ये निकला कि इमाम खुत्बे की हालत में ज़रूरत से बात कर सकता है और यही बाब का तर्जुमा है। हल्की-फुल्की का मतलब ये है कि क़िरअत को लम्बा न करे। ये मतलब नहीं कि जल्दी-जल्दी पढ़ ले।

बाब 32 : इमाम खुत्बा की हालत में किसी शख्स को जो आए दो रकअत तहिय्यतुल

٣٢- بَابُ إِذَا رَأَى الْإِمَامَ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمْرَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ

मस्जिद पढ़ने का हुक्म दे सकता है

(930) हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अमर बिन दीनार ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख्स आया नबी करीम (ﷺ) जुम्आ का ख़ुत्बा दे रहे थे। आप (ﷺ) ने पूछा कि ऐ फ़लाँ! क्या तुमने (तहिय्यतुल मस्जिद की) नमाज़ पढ़ ली? उसने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छा उठ और दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।

(दीगर मक़ाम : 931, 1162)

बाब 33 : जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो और कोई मस्जिद में आए तो हल्की सी दो रकअत नमाज़ पढ़ ले

(931) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन इययना ने अमर से बयान किया, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से सुना कि एक शख्स जुम्आ के दिन मस्जिद में आया। नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा पढ़ रहे थे। आप (ﷺ) ने उससे पूछा कि क्या तुमने (तहिय्यतुल मस्जिद की) नमाज़ पढ़ ली? आने वाले ने जवाब दिया कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उठो और दो रकअत नमाज़ (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ लो। (राजेअ : 930)

رَكَعَتَيْنِ

۹۳۰- حَدَّثَنَا أَبُو الْبَعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانٌ؟)) فَقَالَ: لَا. قَالَ: ((فَمَ فَرَكَعَ)).

[طرفاه في : ۹۳۱، ۱۱۶۲.]

۳۳- بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامَ يَخْطُبُ

صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

۹۳۱- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَ فَرَكَعَ ((فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ)).

[راجع : ۹۳۰]

तशरीह : जुम्आ के दिन हालते ख़ुत्बा में कोई शख्स आए तो उसे ख़ुत्बा ही की हालत में दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े बग़ैर नहीं बैठना चाहिये। ये एक ऐसा मसला है जो हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से जिसे हज़रत इमामुल मुहदिषीन ने यहाँ नक़ल फ़र्माया है। रोज़े रोशन की तरह प्राबित है। हज़रत इमाम तिमिज़ी (रह.) ने 'बाबुन फिरकअतैनि इज़ा जा अरज़ुलु वल्इमामु यख़्तुबु' के तहत इसी हदीष को नक़ल फ़र्माया है। आखिर में फ़र्माते हैं कि हाज़ा हदीषुन हसनुन सहीहुन ये हदीष बिलकुल हसन सहीह है। इसमें साफ़ बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुत्बा की ही हालत में एक आने वाले शख्स (सुलैक़ ग़त्फ़ानी नामी) को दो रकअत पढ़ने का हुक्म फ़र्माया था। कुछ ज़ईफ़ रिवायतों में मज़कूर है कि जिस हालत में उस शख्स ने दो रकअत पढ़ी आँहज़रत (ﷺ) ने अपना ख़ुत्बा बन्द कर दिया था। ये रिवायत सनद के ए तिबार से लायके हुज्जत नहीं है और बुखारी शरीफ़ की मज़कूरा हदीष हसन सहीह है। जिसमें आँहज़रत (ﷺ) की हालते ख़ुत्बा ही में उसके दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। लिहाज़ा उसके मुक़ाबले पर ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं।

देवबन्दी हज़रत कहते हैं कि आने वाले शख्स को आँहज़रत (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ का हुक्म बेशक फ़र्माया मगर अभी आपने ख़ुत्बा शुरू ही नहीं किया था। इसका ये मतलब है कि रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) जो साफ़ लफ़्ज़ों में 'अन्नन नबिय्य (ﷺ) यख़्तुबुनास यौमल्जुम्अति' (या'नी आँहज़रत (ﷺ) लोगों को ख़ुत्बा सुना रहे थे) नक़ल फ़र्मा रहे हैं नज़्जुबिल्लाह! उनका ये बयान ग़लत है और अभी आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुत्बा शुरू ही नहीं फ़र्माया था ये किस क़दर जुअत है कि एक सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) को ग़लतबयानी का मुर्तकिब समझा जाए और कुछ ज़ईफ़ रिवायत का सहारा लेकर

मुहद्दिषीने किराम की फुक्राहते हदीष और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के बयान की निहायत बेबाकी के साथ तग़लीत की जाए। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस सिलसिले की दूसरी हदीष अब्दुल्लाह बिन अबी मुसह्र से यूँ नक़ल फ़र्माई है, 'अन्न अब्बा सईदिल्बुदरी दख़ल यौमलजुम्अति व मर्वानु यख़तुबु फ़क्राम युसल्ली फ़जाअल्हुरसु लियज्लिसूहु फ़ अब्बा हत्ता सल्ल फ़लम्मा इन्सरफ़ आतैनाहू फ़कुल्ना रहिमकल्लाहु इन्न कादू लयक्रऊ बिक मा कुन्तु लिअनुकहुमा बअद् शौइन राइतुहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) शुम्म ज़कर अन्न रज़ुलन जाअ यौमलजुम्अति फी हैयअतिन वन्नबिय्यु (ﷺ) यख़तुबु यौमलजुम्अति फ़अमरहू फ़सल्ल रकअतैनि वन्नबिय्यु (ﷺ) ख़यतुबु' या'नी अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) सहाबी रसूल (ﷺ) जुम्अे के दिन मस्जिद में इस हालत में आए कि मरवान ख़ुत्बा दे रहा था। ये नमाज़ (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ने खड़े हुए ये देखकर सिपाही आए और उनको ज़बरदस्ती नमाज़ से रोकना चाहा मगर ये न माने और पढ़कर ही सलाम फेरा। अब्दुल्लाह बिन अबी मुसहद कहते हैं कि नमाज़ के बाद हमने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मुलाक़ात की और कहा कि वो सिपाही आप पर हमलावर होना ही चाहते थे। आपने फ़र्माया कि मैं भी इन दो रकअतों को छोड़नेवाला ही नहीं था, ख़्वाह सिपाही लोग कुछ भी करते क्योंकि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है आप (ﷺ) जुम्अे के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी परेशान शक़ल में मस्जिद में आया। आँहज़रत (ﷺ) ने उसको उसी हालत में दो रकअत पढ़ लेने का हुक्म फ़र्माया। वो नमाज़ पढ़ता रहा और आँहज़रत (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे।

दो आदिल गवाह! हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) दोनों आदिल गवाहों का बयान कारेईन के सामने है। इसके बाद मुख़्तलिफ़ तावीलात या कमज़ोर रिवायात का सहारा लेकर उन दोनों सहाबियों की तग़लीत के दर पे होना किसी भी अहले इल्म की शान के खिलाफ़ है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) आगे फ़र्माते हैं कि हज़रत इब्ने उयैना (रज़ि.) और हज़रत अबू अब्दुर्रहमान मुक़री (रज़ि.) दोनों बुजुर्गों का यही मामूल था कि वो इस हालत में मज़कूर में उन दोनों रकअतों को नहीं छोड़ा करते थे। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस सिलसिले की दीगर रिवायात की तरफ़ भी इशारा किया है जिनमें हज़रत जाबिर (रज़ि.) की एक और रिवायात तबरानी में यूँ मज़कूर है, 'अन जाबिरिन क़ाल दख़लनुअमानिब्नि नौफ़ल व रसूलुल्लाहि (ﷺ) अलल्मिम्बरि यख़तुबु यौमलजुम्अति फ़क्राल लहुन्नबिय्यु (ﷺ) सल्ल रकअतैनि व तजव्वज़ फीहिमा फ़इजा अता अहदुकुम यौमलजुम्अति वल्इमामु यख़तुबु फ़लियुसल्लि रकअतैनि व लियुख़फ़िहुमा कज़ा फ़ी कूतिल्मुअतज़ी व तुहफतिल्अहवज़ी' (जिल्द नं.2, पेज नं. 264) या'नी एक बुजुर्ग नौअमान बिन नौफ़ल नामी मस्जिद में आए और नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहे थे। आप (ﷺ) ने उनको हुक्म फ़र्माया कि उठकर दो रकअत पढ़कर बैठे और उनको हल्का करके पढ़े और जब भी कोई तुममें से इस हालत में मस्जिद में आए कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो वो हल्की दो रकअतें पढ़कर ही बैठे और उनको हल्का पढ़े। हज़रत अल्लामा नववी शारेह मुस्लिम फ़र्माते हैं, 'हाज़िहिल्अह्दादीषु कुल्लुहा यअनी अल्लती रवाहा मुस्लिम सरीहतुन फिदलालति लिमज्हबिश्शाफ़िइ व अहमद व इन्हाक़ व फ़ुक्रहाइल्मुहद्दिषीन अन्नहू इज़ा दख़लल्जामिअ यौमलजुम्अति वल्इमामु यख़तुबु यस्तहिब्बु लहू अय्युंसल्लिय रकअतैनि तहिय्यतल्मस्जिद व यकरहल्जुलूस क़ब्ल अय्युंसल्लियहुमा व अन्नहू यस्तहिब्बु अय्यतजव्वज़ फीहिमा यस्मउ बअद्हुमा अल्खुत्बत व हुकिय हाजल्मज्हबु अनिल्हसनिल्बस्री व गैरहू मिनल्मुतक़द्दिमीन' (तोहफ़तुल अहवज़ी) या'नी इन सारी अह्दादीषे साराहत के साथ प्राबित है कि इमाम जब ख़ुत्ब-ए-जुम्आ दे रहा हो और कोई आने वाला आए तो उसे चाहिये कि दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद अदा करके ही बैठे। बग़ैर इन दोनों रकअतों के उसका बैठना मकरूह है और मुस्तहब है कि हल्का पढ़े ताकि फिर ख़ुत्बा सुन सके। यही मसलक इमामे हसन बसरी व गैरहू मुतक़द्दिमीन का है। हज़रत इमामे तिर्मिज़ी (रह.) ने दूसरे हज़रात का मसलक भी ज़िक्र किया है जो इन दो रकअतों के क़ाइल नहीं है। फिर हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने अपना फ़ैसला इन लफ़्ज़ों में दिया है, वल्क़ौलु अव्वलु असहहू या'नी इन्हीं हज़रात का मसलक सही है जो इन दो रकअतों के पढ़ने के क़ाइल हैं। इस तफ़्सील के बाद भी अगर कोई शख़्स इन दो रकअतों को नाजाइज़ तसव्वुर करे तो ये ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी है।

आख़िर में हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिष देह्लवी (रह.) का इशार्द भी सुन लीजिए, आप फ़र्माते हैं, 'फ़इज़ा जाअ वल्इमामु यख़तुबु फ़ल्थर्क अ रकअतैनि वल्यतजव्वज़ फीहिमा रिआयतन

लिमुन्नतिरातिबति व अदबिल्खुत्बति जमीअन बिक्रदरिल्डम्कानि व ला तगतर्फी हाज़िहिल्मस्अलति बिमा यल्हजु बिही अहलु बलदिक फइन्नल्हदीप्र सहीहुन वाजिबुन इत्तिबाउहू' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा : जिल्द नं. 2, पेज नं. 101) या'नी जब कोई नमाज़ी ऐसे हाल में मस्जिद में आए कि इमाम खुत्बा दे रहा हो तो दो हल्की रकअत पढ़ ले ताकि सुन्नते रातिबा और अदबे खुत्बा दोनों की रिआयत हो सके और इस मसले के बारे में तुम्हारे शहर के लोग जो शोर करते हैं (और इन रकअतों के पढ़ने से रोकते हैं, उनके धोखे में न आना क्योंकि इस मसले के हक़ में हदीषे सहीह वारिद है जिसकी इत्तेबा (पैरवी) वाजिब है, वबिल्लाहितौफ़ीक़।

बाब 34 : खुत्बा में दोनों हाथ उठाकर दुआ माँगना

(932) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, (दूसरी सनद) और हम्माद ने यूनुस से भी रिवायत की अब्दुल अज़ीज़ और यूनुस दोनों ने प्राबित से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे का खुत्बा दे रहे थे कि एक शाख्स खड़ा हो गया और कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मवेशी और बकरियाँ हलाक हो गईं (बारिश न होने की वजह से) आप (ﷺ) दुआ फ़र्माएँ कि अल्लाह तआला बारिश बरसाए। चूनाँचे आप (ﷺ) ने दोनों हाथ फैलाए और दुआ की।

(दीगर मक़ाम : 933, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093, 6342)

बाब 35 : जुम्अे के खुत्बे में बारिश के लिये दुआ करना

933. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम अबू अम्र औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में कहत (अकाल) पड़ा, आप (ﷺ) खुत्बा दे रहे थे कि एक देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जानवर मर गये और अहलो-अयाल दानों को तरस गये। आप हमारे लिये अल्लाह तआला से दुआ फ़र्माएँ। आप (ﷺ) ने दोनों

۳۴- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

۹۳۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ، فَاذْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا)).

[أطرافه في : ۹۳۳, ۱۰۱۳, ۱۰۱۴,

۱۰۱۵, ۱۰۱۶, ۱۰۱۷, ۱۰۱۸,

۱۰۱۹, ۱۰۲۱, ۱۰۲۹, ۱۰۳۳,

۳۰۵۸۲, ۶۰۹۳, ۶۳۴۲.]

۳۵- بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۹۳۳- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو

قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتْ

النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ

ﷺ يَخُطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ،

وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَاذْعُ اللَّهُ لَنَا. ((فَرَفَعَ

हाथ उठाए, बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर नज़र नहीं आ रहा था। उस ज्ञात की क्रम जिसके हाथ में मेरी जान है, अभी आप (ﷺ) ने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह घटा उमड़ आई और आप (ﷺ) अभी मिम्बर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप (ﷺ) की रीशे मुबारक से टपकर रहा था। उस दिन उसके बाद और लगातार अगले जुम्आ तक बारिश होती रही।

(दूसरे जुम्आ को) यही देहाती फिर खड़ा हुआ या कहा कि कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! इमारतें मुनहदिम हो गईं और जानवर डूब गए। आप (ﷺ) हमारे लिये अल्लाह से दुआ कीजिए। आप (ﷺ) ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह! अब दूसरी तरफ बारिश बरसा और हमसे रोक दे। आप (ﷺ) हाथ से बादल के लिये जिस तरफ इशारा करते, उधर मतलअ झाफ़ हो जाता। सारा मदीना तालाब की तरह बन गया था और क़नात का नाला महीना भर बहता रहा और आसपास से आने वाले भी अपने यहाँ भरपूर बारिश की ख़बर देते रहे। (राजेअ: 932)

तशरीह: बाब और नक़लकर्दा हदीष से ज़ाहिर है कि इमाम बवक़ते ज़रूरत जुम्आ के खुत्बा में भी बारिश के लिये दुआ कर सकता है और ये भी घाबित हुआ कि किसी ऐसी अवामी ज़रूरत के लिये दुआ करने की दरख्वास्त बहालते खुत्बा इमाम से की जा सकती है और ये भी कि इमाम ऐसी दरख्वास्त पर खुत्बा ही में तवज्जह कर सकता है। जिन हज़रात ने खुत्बा को नमाज़ का दर्जा देकर उसमें बवक़ते ज़रूरत तकल्लुम को भी मना बतलाया है। इस हदीष से ज़ाहिर है कि उनका ये ख़याल सही नहीं है।

अल्लामा शौकानी (रह.) इस वाक़िअे पर लिखते हैं, 'व फिलहदीषि फवाइदुम्मिन्हा जवाज़ुल्मुकालमति मिनल्खतीबि हालल्खुत्बति व तक्वारहुआइ व इदखालल्इस्तिस्काइ फी खुत्बतिन वहुआउ बिही अलल्मिम्बरी व तर्कु तहवीलिरिदाई वल्इस्तिक्बालि वल्इज्तिजाइ बिसलातिल्जुम्अति अन मलातिल्इस्तिस्काइ कमा तक्कद्म व फीहि इल्मुम्मिन अलामिन्बुव्वति फीहि इजाबतुल्लाहि तआला दुआअ नबिग्यिही व इम्तिषालस्सहाबि अम्मारहु कमा वकअ कषीरुम्मिनरिवायाति व गैर ज़ालिक मिनल्फवाइदि' (नैलुल औतार) या 'नी इस हदीष से बहुत से मसाइल निकलते हैं मज़लन हालते खुत्बा में ख़तीब से बात करने का जवाज़ नीज़ दुआ करना (और उसके लिये हाथों को उठाकर दुआ करना) और खुत्ब-ए-जुम्आ में इस्तिस्काअ की दुआ और इस्तिस्काअ के लिये ऐसे मौक़े पर चादर उलटने-पलटने को छोड़ देना और का'बा की ओर रुख़ भी न होना और नमाज़े जुम्आ को नमाज़े इस्तिस्काअ के बदले में काफ़ी समझना। और उसमें आपकी नुबुव्वत की एक अहम दलील भी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कुबूल फ़र्माई और बादलों को आपका फ़र्मान तस्लीम करने पर मामूर फ़र्मा दिया और भी बहुत से फ़वाइद हैं। आपने किन लफ़ज़ों में दुआ-ए-इस्तिस्काअ की। इस बारे में भी कई रिवायात हैं जिनमें जामेअ दुआएँ ये हैं, 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीनर्रहमानर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु यप्प्रअलुल्लाहु मा युरीदु अल्लाहुम्मा अन्त अल्लाह ला इलाहा इल्लाअन्त अन्तल्गनी व नहनुल्फु क़राउ अन्जिल अलैनल्गैष मा अन्ज़लत लना कुव्वतन व बलागन इला हीन

يَدَيْهِ) - وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ فَرْعَةً -
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى نَارَ
السَّحَابِ أَثْمَانَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ
عَنْ مَنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى
لِحْيَتِهِ ﷺ. فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنْ
الْقَدِّ، وَبَعْدَ الْقَدِّ، وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى
الْجُمُعَةِ الْآخَرَى.

فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ غَيْرُهُ -
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ، وَغَرِقَ
الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)). فَمَا يُشِيرُ
بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا
انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْحَوْبَةِ.
وَسَأَلَ الْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَتَمَّ يَجِيءُ
أَحَدٌ مِنَ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَثَ بِالْحَوْدِ)).

[راجع: ٩٣٢]

अल्लाहुम्मस्किना गैषन मुगीषन मरीअन मरीअन तबकन गदकन आजिलन और राइषिन अल्लाहुम्म अस्क्री इबादक व बहाइमक वन्शुर रहमतक वहइ बलदकल्मय्यत' ये भी मशरूअ अमर है कि ऐसे मौकों पर अपने में से किसी नेक बुजुर्ग को दुआ के लिये आगे किया जाए और वो अल्लाह से रो-रोकर दुआ करे और लोग पीछे से आमीन-आमीन कहकर गिरया व ज़ारी के साथ अल्लाह से पानी का सवाल करें।

बाब 36 : जुम्आ के दिन खुत्बा के वक़्त चुप रहना

और ये भी लज़व हरकत है कि अपने पास बैठे हुए शख्स से कोई कहे कि 'चुप रह' सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया कि इमाम जब ख़ुत्बा शुरू करे तो ख़ामोश हो जाना चाहिये।

(934) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष्र बिन सअद ने अक़ील से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो और तू अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि 'चुप रह' तो तूने ख़ुद एक लज़व हरकत की।

बाब 37 : जुम्आ के दिन वो घड़ी जिसमें

दुआ कुबूल होती है

(935) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने इमाम मालिक (रह.) से बयान किया, उनसे अबुज्जिनाद ने, उनसे अब्दुरहमान अअरज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुम्आ के ज़िक्र में एक बार फ़र्माया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बन्दा खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांग रहा हो तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आपने बतलाया कि वो साअत बहुत थोड़ी सी है। (दीगर मक़ाम : 5294, 6400)

۳۶- بَابُ الْإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَفَا. وَقَالَ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ)).

۹۳۴- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَفَوْتَ)).

۳۷- بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ

الْجُمُعَةِ

۹۳۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ((فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَاقِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

[طرفاه في : ۵۲۹۴، ۶۴۰۰].

तशरीह: इस घड़ी की तअय्युन (निर्धारण) में इख़ितलाफ़ है कि ये घड़ी किस वक़्त आती है कुछ रिवायत में इसके लिये वो वक़्त बतलाया गया है जब इमाम नमाज़े जुम्आ शुरू करता है। गोया नमाज़ ख़त्म होने तक बीच में ये घड़ी आती है कुछ रिवायात में तुलूअे फ़ज़्र से उसका वक़्त बतलाया गया है। कुछ रिवायात में अस्र से मरिब तक का वक़्त बतलाया गया है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़त्हुल बारी में बहुत तफ़्सील के साथ इन सारी रिवायात पर रोशनी डाली है और इस बारे

में उलमा-ए-इस्लाम व फुकहा-ए-इज़ाम के 43 अक्वाल नक़ल किये हैं। इमाम शौकानी (रह.) ने अल्लामा इब्ने मुनीर का ख़याल इन लफ़्ज़ों में नक़ल फ़र्माया है, 'क़ालबुलमुनीर इज़ाउलिम अन्न फ़ाइदतल्इब्हामि लिहाज़िहिस्साअति व लैलतिल्कद्रि बअप्पुहवाई अलल्इक्शरि मिनमुलालाति बहुआइ व लौ वकअल्बथानु लत्तकलत्रासु अला ज़ालिक व तरकूमा अदाहा फ़लअजब बअद ज़ालिक मिम्मय्यत्तकिलु फी तलबि तहदीहिहा व क़ाल फ़ी मौज़इन आख़र युहसिनु जम्अल्अत्रवालि फतकूनु साअ तुल्इजाबति वाहिदतन मिन्हा ला युअय्यनुहा फयुसादिफुहा मनिज्त्तहद फी जमीइहा' (नैनुल अवतार) या'नी इस घड़ी के पोशीदा रखने में और इसी तरह लैलतुल क़द्र के पोशीदा रखने में फ़ायदा ये है कि उनकी तलाश के लिये बक़रत नमाज़े नफ़ल अदा की जाए और दुआएँ की जाएँ, इस सूरत में वो ज़रूर-ज़रूर घड़ी किसी न किसी साअत में उसे हासिल होगी। अगर इनको ज़ाहिर कर दिया जाता तो लोग भरोसा करके बैठ जाते और सिर्फ़ उस घड़ी में इबादत करते। पस ता'ज्जुब उस शख़्स पर जो इसे महदूद वक़्त में पा लेने पर भरोसा किये हुए हैं। बेहतर है कि मज़क़ूर बाला अक्वाल को बई सूरत (उसी तरह) जमा किया जाए कि इजाबत (कुबूल करने) की घड़ी वो एक ही साअत है जिसे मुतअय्यिन नहीं किया जा सकता। पस जो तमाम औक़ात में उसके लिये कोशिश करेगा वो ज़रूर उसे किसी न किसी वक़्त में पा लेगा। इमाम शौकानी (रह.) ने अपना फ़ैसला इन लफ़्ज़ों में दिया है, 'वलक़ौलु बिअन्नहा आख़िर साअतिमिन्ल्यौमि हुव अर्जहुल्अत्रवालि व इलैहि ज़हबल्जुम्हूरु' अल्लख़ इस बारे में राजेह क़ौल यही है कि वो घड़ी आख़िर दिन में बादे अस्र तक आती है और जुम्हूरे स़हाबा व ताबेईन व अइम्म-ए-दीन का यही ख़याल है।

बाब 38 : अगर जुम्अे की नमाज़ में कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले जाएँ तो इमाम और बाक़ी नमाज़ियों की नमाज़ सहीह हो जाएगी

۳۸- بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

(936) हमसे मुआविया बिन अमर ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ाइदा ने हुसैन से बयान किया, उनसे सालिम बिन अबी ज़अदिने, उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने में अनाज लादे हुए एक तिजारती काफ़िला उधर से गुज़रा। लोग ख़ुत्बा छोड़कर उधर चल दिये। नबी करीम (ﷺ) के साथ कुल बारह आदमी रह गए। उस वक़्त सूरह जुम्आ की ये आयत उतरी, (तर्जुमा) 'और जब ये लोग तिजारत और खेल देखते हैं तो उस तरफ़ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ देते हैं।'

(दीगर मक़ाम : 2058, 2064, 4899)

۹۳۶- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَهْبَتْ عَيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَاتَّفَعُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِنَا عَشْرٌ رَجُلًا. فَزَلَّتْ لَهُ الْآيَةُ: «هُوَ إِذَا رَأَوْا بَيْعَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا».

[أطرافه في: ۲۰۵۸، ۲۰۶۴، ۴۸۹۹]

तशरीह : एक मरतबा मदीने में ग़ल्ले (अनाज) की सख़्त कमी थी कि एक तिजारती काफ़िला अनाज लेकर मदीना आया उसकी ख़बर सुनकर कुछ लोग जुम्अे के दिन ऐन ख़ुत्बे के हालात में बाहर निकल गए। इस पर ये आयते करीमा नाज़िल हुईं हज़रत इमाम ने इस वाक़िअे से ये प्राबित फ़र्माया कि अहनाफ़ और शवाफ़िअ जुम्अे की स़ेहत के लिये जो ख़ास क़ैद लगाते हैं वो सही नहीं है। इतनी ता'दाद ज़रूर हो जिसे जमाअत कहा जा सके। आँहज़रत (ﷺ) के साथ से अक़़र लोग चले गए फिर भी आपने नमाज़े जुम्आ अदा की। यहाँ ये ए'तिराज़ होता है कि स़हाबा की शान ख़ुद कुआन में यूँ है, रिजालुल

लातुलहीहिम तिजारतुन अल्ख (अन्नूर, 37) या'नी मेरे बन्दे तिजारत वगैरह में गाफ़िल होकर मेरी याद कभी न छोड़ते। सो इसका जवाब है कि ये वाक़िया इस आयत से नुज़ूल के पहले का है बाद में वो हज़रत अपने कामों से रुक गए और सही मा'नों में इस आयत के मिस्दाक़ बन गए थे। रिज़वानुल्लाहि अज्मईन व अरज़ाहुम (आमीन)

बाब 39 : जुम्आ के बाद और उससे

पहले सुन्नत पढ़ना

938. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने नाफ़ेअ से ख़बर दी, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर से पहले दो रकअत, उसके बाद दो रकअत और मग़िब के बाद दो रकअत अपने घर में पढ़ते और इशा के बाद दो रकअतें पढ़ते औ जुम्आ के बाद दो रकअतें जब घर वापस होते तब पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1165, 1172, 1180)

۳۹- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

وَقَبْلَهَا

۹۳۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ. وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ لِيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ)).

[أطرافه في : ۱۱۶۵، ۱۱۷۲، ۱۱۸۰.]

क्योंकि जुहर की जगह जुम्आ की नमाज़ है इसलिये हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इशाद फ़र्माया कि जो सुन्नत जुहर से पहले और पीछे मसनून है वही जुम्आ के पहले और पीछे भी मसनून हैं, कुछ दूसरी हदीष में इन सुन्नतों का ज़िक्र भी आया है जुम्आ के बाद की सुन्नतें अक़र आप (ﷺ) घर में पढ़ा करते थे।

बाब 40 : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का (सूरह जुम्आ

में) ये फ़र्माना कि जब जुम्आ की नमाज़ ख़त्म हो जाए तो अपने काम काज के लिये ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल (रिज़क़ या इल्म) को ढूंढो

(938) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ग़स्सान मुहम्मद बिन मत्तर मदनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने सहल बिन सअद के वास्ते से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि हमारे यहाँ एक औरत थी जो नालों पर अपने एक खेत में चुकंदर बोती। जुम्आ का दिन आता तो वो चुकन्दर उखाड़ लाती और उसे एक हाण्डी में पकाती फिर ऊपर से एक मुट्टी जौ का आटा छिड़क देती। इस तरह ये चुकन्दर गोशत की तरह हो जाते। जुम्आ से वापसी

۴۰- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

۹۳۸- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ فَيْئًا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبَعَاءٍ فِي مَرْزَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُ فِي قِنْدَرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ

में हम उन्हें सलाम करने के लिये हाज़िर होते तो यही पकवान हमारे आगे कर देती और हम उसे चाट जाते। हम लोग हर जुम्आ को उनके उस खाने के आरजूमंद रहा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 939, 941, 2349, 5304, 6248, 6279)

أَصُولُ السَّلْقِ عِرْقَةٌ. وَكُنَّا نَصْرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَتَقَرَّبَ ذَلِكَ الطَّعَامُ إِلَيْنَا فَلَنَقَعُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.
[أطرافه في : 939, 941, 2349, 5304, 6248, 6279].

तशरीह : बाब की मुनासबत इस तरह है कि सहाबा किराम जुम्आ की नमाज़ के बाद रिज़क की तलाश में निकलते और उस औरत के घर पर इस उम्मीद पर आते कि वहाँ खाना मिलेगा। अल्लाहु अकबर! आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में भी सहाबा ने कैसी तकलीफ़ उठाई कि चुकन्दर की जड़ें और मुट्ठी भर जौ का आटा ग़नीमत समझते और उसी पर क़नाअत करते। रज़ियल्लाहु अन्हुम अज़्मईन।

(939) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, अपने बाप से और उनसे सहल बिन सअद ने यही बयान किया और फ़र्माया कि दोपहर का सोना और दोपहर का खाना जुम्आ की नमाज़ के बाद रखते थे। (राजेअ : 938)

बाब 41 : जुम्आ की नमाज़ के बाद सोना

(940) हमसे मुहम्मद बिन इब्नबा शैबानी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू इस्हाक़ फ़ज़ारी इब्राहीम बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे हुमैद त़वील ने, उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना। आप फ़र्माते थे कि हम जुम्आ सवरे पढ़ते, उसके बाद दोपहर की नींद लेते थे। (राजेअ : 905)

(941) हमसे सईद बिन बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ग़स्सान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़िम ने सहल बिन सअद (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने बतलाया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ जुम्आ पढ़ते, फिर दोपहर की नींद लिया करते थे। (राजेअ : 938)

939- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بِهَذَا وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [راجع: 938]

41- بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

940- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقَبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ. [راجع: 905]

941- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَكُونُ الْقَائِلَةَ. [راجع: 938]

तशरीह : हज़रत इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'व ज़ाहिरु ज़ालिक अन्नहुम कानू युसल्लूनलजुम्आत बाकिरन्नहारि काललह्वाफ़िज़ु लाकिन तरीकुलजम्इ औला मिन दअवत्तआरुज़ि व क़द तक्रूरून व अन्नत्तब्कीर मुतलकु अ ला ज़अलिश्शैइ फी अब्वलि वक़ितही व तक्रदीमिही अला ग़ैरिही व हुवलमुरादु हाहुना अन्नहुम कानू यब्दऊनइमलात क़ब्ललक़ैलूलति बिखिलाफ़िम्माजरत बिही आदतुहुम फी मलातिज़ज़हरि फिलहरी कानू यक़ीलून घुम्म युसल्लून लिमशरूइयतिलइब्रादि वलमुरादु बिल्क़ाइलतिल्मज़कूरति फिलहदीषि नौमु

निस्फ़िन्नहारि' (नैनुल औतार) या 'नी ज़ाहिर ये है कि वो सहाबा किराम जुम्अे की नमाज़ चढ़ते हुए दिन में अदा कर लेते थे हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं कि तआरुज़ पैदा करने से बेहतर है कि दोनों किस्म की अहादीष में तल्बीक़ दी जाए और ये मुकरर हो चुका है कि तब्कीर का लफ़्ज़ किसी काम को उसका अव्वल वक़्त में करने या ग़ैर पर उसे मुक़द्दम करने पर बोला जाता है और यहाँ यही मुराद है वो सहाबा किराम (रज़ि.) जुम्अे की नमाज़ रोज़ाना की आदत कैलूला के अव्वल वक़्त में पढ़ लिया करते थे। हालाँकि गर्मियों में उनकी आदत थी कि वो ठण्डे के ख़याल से पहले कैलूला करते और बाद में जुहर की नमाज़ पढ़ते। मगर जुम्अे की नमाज़ कुछ मर्तबा ख़िलाफ़े आदत कैलूला से पहले ही पढ़ लिया करते थे। कैलूला दोपहर के सोने पर बोला जाता है। खुलासा ये है कि जुम्अे को बादे जवाल अव्वल वक़्त पर पढ़ना इन रिवायात का मतलब और मंशा है। इस तरह जुम्आ अव्वल वक़्त और आख़िर वक़्त दोनों में पढ़ा जा सकता है। कुछ हज़रत जवाल से पहले भी जुम्आ के काइल हैं। मगर तर्जीह जवाल के बाद ही को है और यही इमाम बुखारी (रह.) का मसलक मा'लूम होता है। एक लम्बी तपसील के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मह फ़ुयूज़ुहम फ़र्माते हैं, 'व क़द ज़हर बिमा जकर्ना अन्नहू लैस फी सलातिलजुम्अति क़ब्लज़्ज़वालि हदीषुन सहीहुन सरीहुन फलक़ौलुराज़िहु हुव मा क़ाल बिहीलजुम्हूरू क़ाल शैख़ुना फी शहिँतिर्मिज़ी वज्जाहिरू अल्मा'मूलु अलैहि हुव मा ज़हब इलैहिलजुम्हूरू मिन अन्नहू ला तज़ुजुल्जुम्अतु इल्ला बअद जवालिशशाम्सि व अम्मा मा ज़हब इलैहि बअज़ुहुम मन तजव्वज़ क़ब्ल जवालिन फलैस फीहि हदीषुन सहीहुन सरीहुन इन्तिहा' (मिआत, जिल्द नं. 2, पेज नं. 203) खुलासा ये है कि जुम्आ जवाल से पहले दुरुस्त नहीं उसी क़ौल को तर्जीह हासिल है। जवाल से पहले जुम्आ के बाद सहीह होने में कोई हदीष सहीह सरीह वारिद नहीं हुई पस जुम्हूर ही का मसलक सहीह है। वल्लाहु अज़लम बिस्मवाब.

12. किताबुल ख़ौफ़

ख़ौफ़ का बयान

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान

और अल्लाह पाक ने (सूरह निसा) में फ़र्माया और जब तुम मुसाफ़िर हो तो तुम पर गुनाह नहीं अगर नमाज़ कम कर दो। फ़र्माने इलाही (अज़ाबुम्महीना) तक। (सूरह निसा: 101-102)

1 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: 101-102].

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) अपनी रविश के मुताबिक़ सलाते ख़ौफ़ के इब्बात के लिये आयते कुआनी को नक़ल फ़र्माकर इशारा किया कि आगे आने वाली अहादीष को इस आयत की तपसीर समझना चाहिये।

ख़ौफ़ की नमाज़ उसको कहते हैं जो हालते जिहाद में अदा की जाती है। जब इस्लाम और दुश्मनाने इस्लाम की जंग हो रही हो और फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त आ जाए और डर हो कि अगर हम नमाज़ में खड़े होंगे तो दुश्मन पीछे से हमलावर हो जाएगा

ऐसी हालत में खौफ की नमाज़ अदा करना जाइज़ है और इसका जवाज़ किताबो—सुन्नत दोनों से प्राबित है। अगर मुकाबले का वक़्त हो तो उसकी सूत्र ये है कि फ़ौज़ दो हिस्सों में तक्सीम हो जाए। मुजाहिदीन का हर हिस्सा नमाज़ में इमाम के साथ शरीक हों और आधी नमाज़ अलग से पढ़ लें। जब तक दूसरी जमाअत दुश्मन के मुकाबले पर रहे और इस हालते नमाज़ में आमदो—रफ़्त मुआफ़ है और हथियार और ज़िरह और सिपर साथ रखें और अगर इतनी भी फुर्सत न हो तो जमाअत मौकूफ़ करें, तन्हा पढ़ लें, प्यादा (पैदल सैनिक) पढ़ लें या सवार (सैनिक); शिद्ते जंग हों तो इशारे से पढ़ ले अगर ये भी फुर्सत न मिलें तो तवक्कुफ़ करें जब तक जंग ख़त्म हो।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, 'फ़रज़ल्लाहुस्सलात अला नबिद्यिकुम फिलहज़ि अर्बअन फिस्सफ़रि रकअतैनि व फिलखौफि रकअतन' (रवाहु अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद व निसाई) या'नी अल्लाह ने हमारे नबी (ﷺ) पर हज़रत में चार रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की और सफ़र में दो रकअत और खौफ़ में सिर्फ़ एक रकअत।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के मुनअक़िदा बाब में वारिद पूरी आयत ये हैं, व इज़ा ज़रबतुम फिल अज़ि फलैस अलैकुम जुनाहुन अन तक्रमुरु मिनस्सलाति इन ख़िफ़तुम अय्यंफ़ितनकुमुल्लज़ीन कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीन. व इज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अकम्त लहुमुस्सलाह (अन निसा : 101, 102) या'नी जब तुम ज़मीन में सफ़र करने को जाओ तो तुम्हें नमाज़ का कस्र (कम) करना जाइज़ है। अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुमको सताएँगे वाक़ई काफ़िर लोग तुम्हारे सरीह दुश्मन हैं। और जब ऐ नबी! आप उनमें हो और नमाज़े खौफ़ पढ़ने लगे तो चाहिये कि उन हाज़िरीन में से एक जमाअत आपके साथ खड़ी हो जाए और अपने हथियार साथ लिये रहें फिर जब पहली रकअत का दूसरा सज्दा कर चुके तो तुमसे पहली जमाअत पीछे चली जाए और दूसरी जमाअत वाले जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी वो आ जाएँ और आपके साथ एक रकअत पढ़ लें और अपना बचाव और हथियार साथ ही रखें। काफ़िरो की ये दिली आरजू है कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और सामान से ग़ाफ़िल हो जाओ तो तुम पर वो एक ही दफ़ा टूट पड़ें। आख़िर आयत तक।

नमाज़े खौफ़, हदीषों में पाँच छः तरह से आई हैं जिस वक़्त जैसा मौक़ा मिले पढ़ लेनी चाहिये। आगे हदीषों में उन सूत्रों का बयान आ रहा है। मौलाना वहीदुज्जमाँ फ़र्माते हैं कि अक़षर इलम़ा के नज़दीक ये आयत क़स्रे सफ़र के बारे में है। कुछ ने कहा खौफ़ की नमाज़ के बाब में है, इमामे बुखारी (रह.) ने इसको इख़्तियार किया है। चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा गया कि हम खौफ़ की क़स्र तो अल्लाह की किताब में देखते हैं, मगर सफ़र की क़स्र नहीं पाते। उन्होंने कहा हमने अपने नबी (ﷺ) को जैसा करते देखा वैसा ही हम भी करते हैं; या'नी गोया ये हुक्म अल्लाह की किताब में न सही पर हदीष में तो है और हदीष भी कुआन की तरह वाजिबुल अमल है।

हज़रत इब्ने क़थ़ीम ने ज़ादुल मज़ाद में नमाज़े खौफ़ की जुम्ला तज़्ज़िया करने के बाद लिखा है कि उनसे नमाज़ छः तरीक़े के साथ अदा करना मा'लूम होता है। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) फ़र्माते हैं जिस तरीक़े पर चाहें और जैसा मौक़ा हो ये नमाज़ उस तरह पढ़ी जा सकती है।

कुछ हज़रात ने ये भी कहा कि ये नमाज़े खौफ़ आँहज़रत (ﷺ) के बाद मंसूख़ हो गई मगर ये ग़लत है। जुम्हूर इलमा-ए-इस्लाम का उसकी मशरूईयत पर इत्तिफ़ाक़ है। आपके बाद भी सहाबा मुजाहिदीन में कितनी बार मैदाने जंग में ये नमाज़ अदा की है।

शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, 'फ़इन्नस्सहाबत अज्मऊ अला सलातिलखौफ़ि फरूविय अन्न अलिय्यन सल्ला मअरसूलिल्लाहि (ﷺ) सलातलखौफ़ि लैलतहरीरि व सल्लाहा मुसलअशअरी बिअस्फ़हान बिअस्हाबिही रूविय अन्न सईदबन्लआसि कान अमीरन अलल्जैशि बितबिस्तान फ़क़ाल अय्युकुम सल्ला मअरसूलिल्लाहि (ﷺ) सलातलखौफ़ि फ़क़ाल हुजैफ़तु अना फ़क़हमहू फ़सल्ला बिहिम कालज़ज़ैलई दलीलुल्जुम्हूरि वुजूबुल्इत्तिबाइ वत्तासी बिन्नबिद्यि (ﷺ) व क़ौलुहू सल्लू कमा राइतुमनी उसल्लनी अल्ख' (मिआत, जिल्द नं. 2, पेज नं. 318) या'नी सलाते खौफ़ पर सहाबा का इन्माअ है जैसाकि मरवी है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने लैलतुल हरीरा में खौफ़ की नमाज़ अदा की और अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने अस्फ़हान की जंग में

अपने साथियों के साथ ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी और हज़रत सईद बिन आस ने जो जंगे तब्रिस्तान में अमीरे लश्कर थे, फ़ौजियों से कहा कि तुममें कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसने आँहज़रत (ﷺ) के साथ ख़ौफ़ की नमाज़ अदा की हो। चुनाँचे हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हाँ मैं मौजूद हूँ। पस उन्हीं को आगे बढ़ाकर नमाज़ अदा की गई। ज़ेलई ने कहा कि सलाते ख़ौफ़ पर जुम्हूर की दलील यही है कि आँहज़रत (ﷺ) की इत्तिबा और इत्किदा वाजिब है। आपने फ़र्माया है कि जैसे तुमने मुझको नमाज़ अदा करते देखा है वैसे ही तुम भी अदा करो पस उन लोगों का क़ौल ग़लत है जो सलाते ख़ौफ़ को अब मंसूख कहते हैं।

मतलब ये है कि अब्वल सबने आँहज़रत (ﷺ) के साथ नमाज़ की निय्यत बाँधी, दो सफ़ हो गए। एक सफ़ तो आँहज़रत (ﷺ) के मुत्सिल, दूसरी सफ़ उनके पीछे और ये इस हालत में है जब दुश्मन क़िब्ले की जानिब हो और सबका मुँह क़िब्ले ही की तरफ़ हो, ख़ैर अब पहली सफ़ वालों ने आपके साथ रुकूअ और सज्दा किया और दूसरी सफ़ वाले खड़े-खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे, उसके बाद पहली सफ़ वाले रुकूअ और सज्दा करके दूसरी सफ़ वालों की जगह पर हिफ़ाज़त के लिये खड़े रहे और दूसरी सफ़ वाले उनकी जगह पर आकर रुकूअ और सज्दा में गए। रुकूअ और सज्दा करके क़याम में आँहज़रत (ﷺ) के साथ शरीक हो गए और दूसरी रकअत का रुकूअ और सज्दा आँहज़रत (ﷺ) के साथ किया जब आप (ﷺ) अतहिय्यात पढ़ने लगे तो पहली सफ़ वाले रुकूअ व सज्दा में गए फिर सबने एक साथ सलाम फेरा जैसे एक साथ निय्यत बाँधी थी। (शरह वहीदी)

(942) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने जुहरी से पूछा क्या नबी करीम (ﷺ) ने सलाते ख़ौफ़ पढ़ी थी? इस पर उन्होंने फ़र्माया कि हमें सालिम ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बतलाया कि मैं नजद की तरफ़ नबी करीम (ﷺ) के साथ ग़ज्वा (जातुरिकाअ) में शरीक था। दुश्मन से मुक़ाबले के वक़्त हमने सफ़ें बाँधीं, उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ाई (तो हममें से) एक जमाअत आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ने में शरीक हो गई और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहा। फिर रसूले करीम (ﷺ) ने अपनी इत्किदा में नमाज़ पढ़नेवालों के साथ एक रुकूअ और दो सज्दे किये। फिर ये लोग लौटकर उस जमाअत की जगह आ गए जिसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी थी। अब दूसरी जमाअत आई। उनके साथ भी आपने एक रुकूअ और दो सज्दे किये। फिर आप (ﷺ) ने सलाम फेर दिया। उस गिरोह में से हर शख्स खड़ा हुआ और उसने अकेले अकेले एक रुकूअ किया और दो सज्दे अदा किये।

(दीगर मक़ाम : 943, 4132, 4535)

٩٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ - قَالَ: أَخْبَرْتَنِي سَأَلِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ، فَأَوَّزْتَنَا الْعَدُوُّ فَصَافَقْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتِ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَعَةٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رَكَعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكَعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ).

[أطرافه في: ٩٤٣، ٤١٣٢، ٤١٣٢]

[٤٥٣٥]

तशरीह:

नजद लुगत में बुलन्दी को कहते हैं और अरब में ये इलाके वो हैं जो तेहामा और यमन से लेकर इराक़ और शाम तक फैला हुआ है जिहादे मज़क़ूरा सात हिज्री में बनी ग़त्फ़ान के काफ़िरों से हुआ था। इस रिवायत से मा'लूम

होता है कि फ़ौज के दो हिस्से किये गये और हर हिस्से ने रसूले करीम (ﷺ) के साथ एक-एक रकअत बारी-बारी अदा की फिर दूसरी रकअत उन्होंने अकेले-अकेले अदा की। कुछ रिवायतों में यूँ है कि हर हिस्सा एक रकअत पढ़कर चला गया और जब दूसरा गिरोह पूरी नमाज़ पढ़ गया तो ये गिरोह दोबारा आया और एक रकअत अकेले-अकेले पढ़कर सलाम फेरा।

फुटपट हो जाँया'नी भिड़ जाँया'नी सफ़ बाँधने का मौक़ा न मिले तो जो जहाँ खड़ा हो वहीं नमाज़ पढ़ लें। कुछ ने कहा क़ायामा का लफ़्ज़ यहाँ (रावी की तरफ से) ग़लत है सहीह क़ायम है और पूरी इबारत यूँ है, 'इज़खतलतू क़ाइमन फइन्नमा हुवाज़िक्कू वल्इशारतु बिरासि' या'नी जब काफ़िर और मुसलमान लड़ाई में खलत-मलत हो जाँया'नी तो सिर्फ़ जुबान से क़िरअत और रकूअ सज़्दे के बदल सर से इशारे करना काफ़ी है। (शरह वहीदी)

क़ाल इब्नु कुदामा यज़ूजु अय्युसल्लिय सलातल्खौफ़ि अला कुल्लि सिफ़तिन सल्लाहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) क़ाल अहमदु कुल्लु हदीय़िन युवा'नी अब्बाबि सलातिल्खौफ़ि फलअमलु बिही जाइज़ुन व क़ाल सिन्नत औज़हिन औ सबआ युवा'नी क़ाल कुल्लुहा जाइज़ुन' (मिर्आतुल मस़ाबेह, जिल्द नं. 2, पेज नं. 319) या'नी इब्ने कुदामा ने कहा कि जिन-जिन तरीक़ों से खौफ़ की नमाज़ अहज़रत (ﷺ) से नक़ल हुई है इन सबके मुताबिक़ जैसा हो खौफ़ की नमाज़ अदा करना जाइज़ है। इमाम अहमद ने भी ऐसा ही कहा है और ये फ़र्माया है कि नमाज़ छः सात तरीक़ों से जाइज़ है जो मुख़तलिफ़ अहदीय़ में मरवी हैं, 'क़ालब्नु अब्बासिन वल्हसनुल्बसरी व अता व ताउस व मुजाहिद वल्हकमुब्नु उतैबा व क़तादा व इस्हाक़ वज़्ज़हहाक़ वज़्ज़री अन्नहा रकअतुन इन्द शिहतिल्कितालि यूमी ईमाउ' (हवाला मज़कूर) या'नी मज़कूर जुम्ला अकाबिरे इस्लाम कहते हैं कि शिहत क़िताल के वक़्त एक रकअत बल्कि महज़ इशारों से भी अदा कर लेना जाइज़ है।

बाब खौफ़ की नमाज़ पैदल और सवार होकर पढ़ना

۲- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا

कुआन शरीफ़ में 'रिजालन राजिल' की जमाअ है
(या'नी प्यादा/पैदल चलने वाला)

وَرُكْبَانًا رَاجِلًا : قَائِمًا

तशीह:

या'नी कुआनी आयते करीमा 'फ़इन ख़िफ़्तुम फ़ रिजालन अव रुक़बाना' में लफ़्जे रिजालन राजिलुन की जमा है न कि रजुलुन की। राजिल के मा'नी पैदल चलने वाला और रजुलुन के मा'नी मर्द। इसी फ़र्क़ को ज़ाहिर करने के लिये इमाम ने बतलाया कि आयते शरीफ़ा में रिजालन राजिलुन की जमा है या'नी पैदल चलनेवाले रजुलुन बमा'नी मर्द की जमा नहीं है।

(943) हमसे सईद बिन यह्या बिन सईद कुरशी ने बयान किया, कहा कि मुझसे से मेरे बाप यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे मूसा बिन इब्रबा ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने मुजाहिद के क़ौल की तरह बयान किया कि जब जंग में लोग एक-दूसरे से गठ जाँया'नी तो खड़े खड़े नमाज़ पढ़ लें और इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा और किया है कि अगर काफ़िर बहुत सारे हों कि मुसलमानों को दम न लेने दें तो खड़े खड़े और सवार रहकर (जिस तौर मुम्किन हो) इशारों से ही सही मगर नमाज़ पढ़ लें। (राजेअ: 942)

۹۴۳- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا)).

[راجع: ۹۴۲]

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, 'क़ौल मक्सूदुहु अन्नसल्लात ला तस्कतु इन्दल्इज़िज़ अनिन्नुज़ूलि

अनिल्अराबति वला तुअख्खरू अन वक्रिताहा बल तुमल्ला अला अय्यि वज्जिन हसलतिल्कुदरतु अलैहि बिदलीलिल्आयति' (फ़तहूल बारी) या'नी मक्सूद ये है कि नमाज़ उस वक़्त भी साक़ित नहीं होती जबकि नमाज़ी सवारी से उतरने से आज़िज़ हों और न वो वक़्त से मुअख्खर (देर से) की जा सकती है बल्कि हर हालत में अपनी कुदरत के मुताबिक़ उसे पढ़ना ही होगा जैसा कि आयते बाला उस पर दलील है।

ज़मान-ए-हज़िरा (वर्तमान) में रेलों-मोटरो, हवाई जहाजों में बहुत से ऐसे ही मौक़े आ जाते हैं कि उनसे उतरना नामुम्किन हो जाता है। बहरहाल नमाज़ जिस तौर पर भी मुम्किन हो वक़्ते मुकरर पर पढ़ लेनी चाहिये। ऐसी ही दुश्वारियों के पेशेनज़र शारेह अलैहिरहमा ने दो नमाज़ों को एक वक़्त में जमा करके अदा करना जाइज़ करार दिया है। और सफ़र में क़स्र और बवक़्ते जिहाद और भी मज़ीद रियायत कर दी गई। मगर नमाज़ को मुआफ़ नहीं किया गया।

बाब 3 : खौफ़ की नमाज़ में नमाज़ी एक-दूसरे की हिफ़ाज़त करते हैं

۳- بابُ يَخْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

या'नी एक गिरोह नमाज़ पढ़े और दूसरा उनकी हिफ़ाज़त करे फिर वो गिरोह नमाज़ पढ़े और पहला गिरोह उनकी जगह आ जाए।

(944) हमसे हयवह बिन शुरैह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन हर्ब ने जुबैदी से बयान किया, उनसे जुहरी ने, उनसे इबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा बिन मसऊद (रज़ि.) ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए और दूसरे लोग भी आप (ﷺ) की इक़्तिदा में खड़े हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने तक्बीर कही तो लोगों ने भी तक्बीर कही। आप (ﷺ) ने रुकूअ किया तो लोगों ने आपके साथ रुकूअ और सज्दा कर लिया था वो खड़े खड़े अपने भाइयों की निगरानी करते रहे। और दूसरा गिरोह आया। (जो अब तक हिफ़ाज़त के लिये दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहा बाद में) उसने भी रुकूअ और सज्दे किये। सब लोग नमाज़ में थे लेकिन लोग एक दूसरे की हिफ़ाज़त कर रहे थे।

۹۴۴- حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ. ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ لِقَامِ الَّذِينَ سَجَدُوا وَخَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَخْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا:

बाब 4 : इस बारे में कि उस वक़्त (जब दुश्मन के) क़िलों की फ़तह के इम्कानात रोशन हों और जब दुश्मन से मुठभेड़ हो रही हो तो उस वक़्त नमाज़ पढ़े या नहीं

۴- بابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهِضَةِ الْخُصُوفِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

और इमाम औज़ाई ने कहा कि जब फ़तह सामने हो और नमाज़ पढ़नी मुम्किन न रहे तो इशारे से नमाज़ पढ़ लें। हर शख्स अकेले अकेले अगर इशारा भी न कर सकें तो लड़ाई के ख़त्म होने तक या अमन होने तक नमाज़ मौकूफ़ रखें, उसके बाद दो रक़अतें पढ़ लें।

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيُّاً فَتَحُّ وَكَمْ يَقْبُرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُّوا إِيْمَاءَ كُلِّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْبُرُوا عَلَى

अगर दो रकअत न पढ़ सकें तो एक ही रूकूअ और दो सज्दे कर लें अगर ये भी न हो सके तो सिर्फ़ तक्बीरे तहरीमा काफ़ी नहीं है, अमन होने तक नमाज़ में देर करें. मक्हूल ताबेई का यही क़ौल है.

और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि सुबह रोशनी में तुस्तर के क़िले पर जब चढ़ाई हो रही थी उस वक़्त मैं मौजूद था। लड़ाई की आग ख़ूब भड़क रही थी तो लोग नमाज़ न पढ़ सके। जब दिन चढ़ गया उस वक़्त सुबह की नमाज़ पढ़ी गई। अबू मूसा अशअरी भी साथ थे फिर क़िला फ़तह हो गया। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि उस दिन जो नमाज़ हमने पढ़ी (गो वो सूरज निकलने के बाद पढ़ी) उससे इतनी ख़ुशी हुई कि सारी दुनिया मिलने से इतनी ख़ुशी न होगी।

तुस्तर अह्वाज़ के शहरों में से एक शहर है। वहाँ का क़िला सख़्त जंग के बाद ज़मान-ए-फ़ारूक़ी, बीस हिजरी में जीता गया। इस तअलीक़ को इब्ने सअद और इब्ने अबी शैबा ने वस्ल (मिलान) किया। अबू मूसा अशअरी उस फ़ौज के अफ़सर थे। जिसने इस क़िले पर चढ़ाई की थी। इस नमाज़ की ख़ुशी हुई थी कि ये मुजाहिदों की नमाज़ थी। न आजकल के बुज़दिल मुसलमानों की नमाज़। कुछ ने कहा कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने नमाज़ फ़ौत होने पर अफ़सोस किया। या'नी अगर ये नमाज़ वक़्त पर पढ़ लेते तो सारी दुनिया के मिलने से ज़्यादा मुझको ख़ुशी होती। मगर पहले मा'नी को तर्ज़ीह है।

(945) हमसे यह्या इब्ने जा'फ़र ने बयान किया कि हमसे वकीअ ने अली बिन मुबारक से बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी क़षीर ने, उनसे अबू सलमा ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) ने कि हज़रत उमर (रज़ि.) ग़ज़व-ए-ख़ंदक के दिन कुफ़फ़ार को बुरा-भला कहते हुए आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! सूरज डूबने ही को है और मैंने तो अब तक अस्त्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, इस पर हज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह की क्रसम! मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी। उन्होंने बयान किया कि फिर आप बुत्हान की तरफ़ गए (जो मदीना में एक मैदान था) और वुजू करके आपने वहाँ सूरज डूबने के बाद अस्त्र की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद नमाज़े मरिब पढ़ी।

(राजेअ: 596)

الْإِيمَاءِ أَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيَصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلُّوا رَكَعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِيهِمُ التَّكْبِيرُ، وَيُؤْخَرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. بِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.

وَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ عِنْدَ مَنْهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرٍ عِنْدَ إِصْءَةِ الْفَجْرِ - وَاشْتَدَّ الشِّعَالُ الْقِتَالِ - فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُضِحَ لَنَا. قَالَ أَنَسٌ وَمَا تَسُرَّنِي بِبِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا لِي بِهَا.

٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ. فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: ((وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدَ)). قَالَ: فَتَزَلَّ إِلَيَّ بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا).

[راجع: 596]

तशरीह: बाब का तर्जुमा इस हदीष से ये निकाला कि अहज़रत (ﷺ) को लड़ाई में मसरूफ़ रहने से बिलकुल नमाज़ की

फुर्सत न मिली तो आपने नमाज़ में देर की। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि मुम्किन है कि उस वक़्त तक खौफ़ की नमाज़ का हुक्म नहीं उतरा होगा या नमाज़ का आपको ख़याल न रहा होगा या ख़याल होगा मगर त़हारत करने का मौक़ा न मिला होगा।

'क़ौल अख़्ख़रहा अमदन लिअन्नहू कानत कब्ल नुजूलि सलातिल्खौफि ज़हब इलैहिल्जुम्हूरू कमौ क़ाल इब्नु रुशद व जज़िम इब्नुल्क़थ्थिम फिलहुदा वल्हाफ़िजु फिलफतहि वल्कुर्तुबी फी शर्हि मुस्लिम व अयाज़ फफिशिफा वज़ज़ैलई फी नस्रबिराया वब्नुल्कस्सार व हाज़ा हुवराज़िह इन्दना' (मिआतुल्मफ़ातीह, जिल्द नं. 2, पेज नं. 318) या'नी कहा गया कि (शिद्दते जंग की वजह से) आप (ﷺ) ने अमदन (जान-बूझकर) नमाज़े अस्र को मुअख़्ख़र फ़र्माया इसलिये कि उस वक़्त तक सलाते खौफ़ का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। बक़ौले इब्ने रुशद जुम्हूर का यही क़ौल है और अल्लामा इब्ने क़थ्थिम (रह.) ने जादुल मआद में इस ख़याल पर जज़म किया है और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने फ़तहुल बारी में और कुर्तुबी ने शरह मुस्लिम, अल क़ाज़ी अयाज़ ने शिफ़ा में और ज़ैलई ने नस्रबुराया में, इब्ने क़स्सार ने इसी ख़याल को तर्ज़ीह दी है और हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुअल्लिफ़ मिआतुल मफ़ातीह फ़र्माते हैं कि हमारे नज़दीक भी इसी ख़याल को तर्ज़ीह हासिल है।

बाब 5 : जो दुश्मन के पीछे लगा हो या दुश्मन उसके पीछे लगा हो वो सवार रहकर इशारे ही से नमाज़ पढ़ ले

और वलीद बिन मुस्लिम ने कहा मैंने इमाम औज़ाई से शर्हबील बिन सम्त और उनके साथियों की नमाज़ का ज़िक्र किया कि उन्होंने सवारी पर ही नमाज़ पढ़ ली, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी यही मज़हब है जब नमाज़ के क़ज़ा होने का डर हो। और वलीद ने आँहज़रत (ﷺ) के इस इशारे से दलील ली कि कोई तुममें से अस्र की नमाज़ न पढ़े मगर बनी कुरैज़ा के पास पहुँचकर।

(946) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अस्मा ने बयान किया, कहा कि हमसे जुवैरिया बिन अस्मा ने नाफ़ेअ से, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि जब नबी करीम (ﷺ) ग़ज्व-ए-ख़दक़ से फ़ारिग़ हुए तो (अबू सुफ़यान लौटा) हमसे आपने फ़र्माया कोई शख्स बनू कुरैज़ा के मुहल्ले में पहुँचने से पहले नमाज़े अस्र न पढ़े। लेकिन जब अस्र का वक़्त आया तो कुछ सहाबा (रज़ि.) ने रास्ते में ही नमाज़ पढ़ ली और कुछ सहाबा (रज़ि.) ने कहा कि हम बनू कुरैज़ा के मुहल्ले में पहुँचने पर नमाज़े अस्र पढ़ेंगे और कुछ हज़रात का ख़याल ये हुआ कि हमें नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) का मक़सद ये नहीं था कि नमाज़ क़ज़ा कर लें। फिर जब आपसे उसका ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) ने किसी पर भी मलामत नहीं फ़र्माई। (दीगर मक़ाम: 4119)

٥- بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ

رَاكِبًا وَإِنْمَاءً

وَقَالَ الْوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةَ شَرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا نُحِوْفُ الْقَوْتِ. وَاصْحَحَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً)).

٩٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَخْزَابِ: ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً)) فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدَّ مِنَّا ذَلِكَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا مِنْهُمْ.

[أطرافه في: ٤١١٩]

तशरीह :

तालिब या' नी दुश्मन की तलाश में निकलने वाले; मत्लूब या' नी जिसकी तलाश में दुश्मन लगा हो। ये उस वक़्त का वाक़िया है जब ग़च्च-ए-अहज़ाब ख़त्म हो गया और कुफ़फ़ार नाकाम होकर चले गए तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़ौरन ही मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि इसी हालत में बनू कुरैज़ा के मुहल्ले में चलें जहाँ मदीना के यहूदी रहते थे। जब आँहज़रत (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो उन यहूदियों ने एक मुआहिदे के तहत एक-दूसरे के खिलाफ़ किसी जंगी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का अहद किया था। मगर खुफ़िया तौर पर यहूदी पहले भी मुसलमानों के खिलाफ़ साजिशें करते रहे और उस मौक़ा पर तो उन्होंने खुलकर कुफ़फ़ार का साथ दिया। यहूद ने ये समझकर भी इसमें शिक़त की थी कि ये आख़िरी और फ़ैसलाकुन लड़ाई थी और मुसलमानों की शिक़स्त (हार) इसमें यक़ीनी है। मुआहिदे की रू से यहूदियों की इस जंग में शिक़त एक संगीन जुर्म था इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने चाहा कि बग़ैर किसी मुहलत के उन पर हमला किया जाए और इसीलिये आपने फ़र्माया था कि नमाज़े अस्त्र बनू कुरैज़ा में जाकर पढ़ी जाए क्योंकि रास्ते में अगर कहीं नमाज़ के लिये ठहरते तो देर हो जाती। चुनाँचे कुछ सहाबा (रज़ि.) ने भी इससे यही समझा कि आपका मक़सद सिर्फ़ जल्द से जल्द बनू कुरैज़ा पहुँचना था। इससे ये प्राबित हुआ कि बहालते मजबूरी तालिब और मत्लूब दोनों सवारी पर नमाज़ इशारे से पढ़ सकते हैं। इमाम बुखारी (रह.) का यही मज़हब है और इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद के नज़दीक जिसके पीछे दुश्मन लगा हो वो तो अपने बचाव के लिये सवारी पर इशारे ही से नमाज़ पढ़ सकता है और जो खुद दुश्मन के पीछे लगा हो तो उसको दुरुस्त नहीं और इमाम मालिक (रह.) ने कहा कि उसको उस वक़्त दुरुस्त है जब दुश्मन के निकल जाने का डर हो। वलीद ने इमामे औज़ाई (रह.) के मज़हब पर हदीष 'ला युसल्लियन्न अहदुल अल्अस्त्र' से दलील ली कि सहाबा बनू कुरैज़ा के तालिब थे। या' नी उनके पीछे और बनू कुरैज़ा मत्लूब थे और आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ क़ज़ा हो जाने की उनके लिये परवाह न की। जब तालिब को नमाज़ क़ज़ा करना दुरुस्त हुआ तो इशारे से सवारी पर पढ़ लेना बतरीके औला दुरुस्त होगा हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के इस्तिदलाल इसीलिये इस हदीष से सही है। बनू कुरैज़ा पहुँचने वाले सहाबा (रज़ि.) में से हर एक ने अपने इज्तिहाद और राय पर अमल किया। कुछ ने ये ख़याल किया कि आँहज़रत (ﷺ) का हुक्म का ये मतलब है कि जल्द जाओ बीच में ठहरो नहीं तो हम नमाज़ क्यूँ क़ज़ा करें। उन्होंने सवारी पर पढ़ ली। कुछ ने ख़याल किया कि हुक्म बजा लाना ज़रूरी है, नमाज़ भी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की रज़ामन्दी के लिये पढ़ते हैं तो आपके हुक्म की ता' मील में अगर नमाज़ में देर हो जाएगी तो हम कुछ गुनाहगार न होंगे। (अल ग़ज़) फ़रीक़ेन की नियत बख़ैर थी इसलिये कोई मलामत के लायक़ न उठरा। मा' लूम हुआ कि अगर मुज्तहिद ग़ौर करें और फिर उसके इज्तिहाद में ग़लती हो जाए तो उसके मुआख़ज़ा (पकड़) न होगी। अल्लामा नववी (रह.) ने कहा इस पर इत्तिफ़ाक़ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मुज्तहिद सवाब पर है।

बाब 6 : हमला करने से पहले सुबह की नमाज़ अँधेरे में जल्दी पढ़ लेना चाहिये इसी तरह लड़ाई में (तुलूअे फ़ज़्र के बाद फ़ौरन अदा कर लेना चाहिये)

(947) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब और प्राबित बिनानी ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ अँधेरे ही में पढ़ा दी, फिर सवार हुए (फिर आप ख़ैबर पहुँच गए और वहाँ के यहूदियों को आपके आने की इत्तिला हो गई) और फ़र्माया अल्लाहु अकबर ख़ैबर पर बर्बादी आ गई। हम तो जब किसी क़ौम के आंगन में उतर जाँते तो डराए हुए लोगों की

٦- بَابُ التَّبَكُّيرِ وَالْفَلَسِ بِالصُّبْحِ،

وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

٩٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتِ

الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِفَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ:

((اللَّهُ أَكْبَرُ، حَرَبَتْ خَيْرٌ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا

بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَنَسَاءَ صَبَاحِ الْمُنْدَرِيِّينَ)).

فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السُّكُكِ وَيَقُولُونَ:

सुबह मन्हूस होगी। उस वक़्त ख़ैबर के यहूदी गलियों में ये कहते हुए भाग रहे थे कि मुहम्मद (ﷺ) लश्कर समेत आ गए। रावी ने कहा कि (रिवायत में) लफ़्ज़ खमीस लश्कर के मा'नी में है। आख़िर रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़तह हुई। लड़ने वाले जवान क़त्ल कर दिये गए, औरतें और बच्चे क़ैद हुए। इत्तिफ़ाक़ से सफ़िया दह्या क़ल्बी के हिस्से में आई। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिलीं और आप (ﷺ) ने उनसे निकाह किया और आज़ादी उनका महर करार पाया। अब्दुल अज़ीज़ ने प्राबित से पूछा अबू मुहम्मद! क्या तुमने अनस (रज़ि.) से पूछा था कि हज़रत सफ़िया का महर आपने मुकर्रर क्या था उन्होंने जवाब दिया कि ख़ुद उन्हीं को उनके महर में दे दिया था। कहा कि अबू मुहम्मद इस पर मुस्कुराए। (राजेअ: 371)

तशरीह:

बाब का तर्जुमा इससे ये निकलता है कि आप (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ सवेरे अँधेरे में पढ़ ली और सवार होते वक़्त नारा-ए-तक्बीर बुलन्द किया। खमीस लश्कर को इसलिये कहते हैं कि पाँच टुकड़ियाँ होती हैं मुक़द्दमा, साका, मैमना, मैसरह, क़ल्ब। सफ़िया शहज़ादी थीं, आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी दिलजोई और ख़ानदानी शराफ़त के आधार पर उन्हें अपने ह़रम में ले लिया और आज़ाद फ़र्मा दिया उन्हीं को उनके महर में देने का मतलब उनको आज़ाद कर देना है, बाद में ये ख़ातून एक बेहतरीन वफ़ादार प्राबित हुई। उम्माहातुल मोमिनीन में उनका भी बड़ा मुक़ाम है। (रज़ि.)। अल्लामा ख़तीब बग़दादी लिखते हैं कि हज़रत सफ़िया हुय्यि बिन अख़्तब की बेटी हैं जो बनी इस्राईल में से थी और हारून इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम के नवासे थीं। ये सफ़िया किनाना बिन अबी अल हक़ीक़ की बीवी थीं जो जंगे ख़ैबर में ब-माहे मुहर्म सात हिजरी क़त्ल किया गया और ये क़ैद हो गईं तो इनकी शराफ़ते नस्बी की वजह से आँहज़रत (ﷺ) ने इनको अपने ह़रम में दाख़िल कर लिया। पहले दहिय्या बिन ख़लीफ़ा क़ल्बी के हिस्सा-ए-ग़नीमत में लगा दी गई थीं। बाद में आँहज़रत (ﷺ) ने उनका हाल मा'लूम फ़र्माकर सात गुलामों के बदले उनको दहिय्या क़ल्बी से हासिल कर लिया। उसके बाद ये ब-रज़ा व रग़बत (ख़ुशी-ख़ुशी) इस्लाम ले आईं और आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी ज़ोज़ियत से मुशरफ़ फ़र्माया और उनको आज़ाद कर दिया और उनकी आज़ादी ही को उनका मेहर मुकर्रर फ़र्माया। हज़रत सफ़िया ने पचास हिजरी में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ी में सुपुर्दे खाक की गईं। उनसे हज़रत अनस और इब्ने इमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं हुय्य में याये मुहमला का पेश और नीचे दो लफ़्ज़ों वाली याअ का ज़बर और दूसरी याअ पर तशदीद है।

सलाते ख़ौफ़ के बारे में अल्लामा शौकानी ने बहुत काफ़ी तफ़्सीलात पेश की हैं और छः सात तरीक़ों से उसके पढ़ने का ज़िक़्र किया है। अल्लामा फ़र्माते हैं, 'व क़दिखतुलिफ़ फ़ी अददिल्अन्वाइल्वारिदति फ़ी सलातिल्ख़ौफ़ि फ़क़ालब्नु क़स्सार अल्मालिकी अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सल्लाहा फ़ी अशरति मवात्तिन व क़ालन्नववी अन्नहू यब्लुगुमज्मूअ अन्वाइ सलातिल्ख़ौफ़ि सित्त अशर वज्हन कुल्लुहा जाइज़तुन व क़ाललख़त्ताबी सलातुल्ख़ौफ़ि अन्वाइन सल्लाहन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ी अय्यामिन मुख्तलिफ़तिन व अश्कालिन मुतबायनतिन यतहरा मा हुव अहवतु लिस्सलाति व अब्लगु फ़िल्हिरासति.' (नैलुल औतार)

या'नी सलाते ख़ौफ़ की क्रिस्मों में इख़ितलाफ़ है इब्ने क़स्सार मालिकी ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसे दस जगह पढ़ा है और नववी कहते हैं कि उस नमाज़ की तमाम क्रिस्में सोलह तक पहुँची हैं और वो सब जाइज़ हैं। ख़त्ताबी ने कहा कि सलातुल ख़ौफ़ को आँहज़रत (ﷺ) ने अय्यामे मुख्तलिफ़ा में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा फ़र्माया है। इसमें ज़्यादा क़ाबिले ग़ौर चीज़ यही रही है कि नमाज़ के लिये भी हर मुम्किन एहतियात से काम लिया जाए और उसका भी ख़याल रखा जाए कि

مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ: وَالْخَمِيسُ
الْجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَيَّ الدَّرَارِيَّ، فَصَارَتْ
صَفِيَّةً لِدِيحَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا
عِيقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِبَابِتَ: يَا أَبَا
مُحَمَّدٍ، أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَهْمَرَهَا؟
فَقَالَ: أَمْرَهَا نَفْسَهَا. قَالَ فَتَبَسَّمَ بِعَوْنِهِ
تَعَالَى تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّانِي
وَأَوَّلُهُ كِتَابُ الْعِيدَيْنِ. [راجع: ٣٧١]

हिफ़ाज़त और निगाहबानी में भी फ़र्क़ न आने पाए। अल्लामा इब्ने हज़म ने इसके चौदह तरीक़े बतलाए हैं और एक मुस्तक़िल रिसाले में इन सबका ज़िक्र फ़र्माया है।

अल हम्दुलिल्लाह कि अवाख़िरे मुहर्रम 1389 हिजरी में किताब सल्लातुल ख़ौफ़ की तबीज़ से फ़रागत हासिल हुई, अल्लाह तआला उन लज़िशों को मुआफ़ फ़र्माए जो इस मुबारक किताब का तर्जुमा लिखने और तशरीहात पेश करने में मुतज़िम् से हुई होंगी। वो ग़लतियाँ यक़ीनन मेरी तरफ़ से हैं। अल्लाह के हबीब (ﷺ) के फ़रामीने आलिया का मुक़ाम बुलन्द व बरतर है, आपकी शान ऊतीतु जवामिउल कलिम है। अल्लाह से मुकर्रर दुआ है कि वो मेरी लज़िशों को मुआफ़ फ़र्माकर अपने दामने रहमत में ढांप ले और उस मुबारक किताब के तमाम क़द्रदानों को बरकाते दारेन से नवाज़े, आमीन या रब्बल आलमीना

13. किताबुल ईदैन

किताब ईदैन के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तशरीह :

ईद की वजहे तस्मिया के बारे में हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब शैखुल हदीष मुबारकपुरी दाम फ़ैजुह फ़र्माते हैं, 'व अस्तुल्ईदि ऊदुन लिअन्नहू मुशतक्कुन मिन आद यऊदु ऊदुनव हुवरूजूअ कुल्लिलबतिल्वावु याअ लिमुकूनिहा वल्कस्रू मा कब्लहा कमा फिल्मीजानि वल्मीक़ाति व जम्उहू आयादुन लुजूमुल्याई फिल्वाहिदि व लिलफ़क्रि बैनहू व बैन आवादिलख़शिब सुम्मिया ईदैन लिक्फ़रति अवाइदिल्लाहि तआला फीहिमा औ लिअन्नहुम यऊदुन इलैहिमा मरतन बअद उख़ा औ लितक़रूरिहिमा व ऊदिहिमा लिकुल्लि आमिन औ लिऊदिस्सुरुरि बिऊदिहिमा काल फिल्अज़हार कुल्लु इज्तिमाइन लिस्सुरुरि फहुव इन्दलअरबि ईदुन यऊदुस्सुरू बिऊदिय व क़ील इन्नल्लाह तआला यऊदु अललअयादि बिल्मग़फ़िरति वरहमत व क़ील तिफालन बिऊदिही अला मन अदरकहू कमा सुम्मियतल्क़ाफिलतु तुफावलन लिरूजूइहा व क़ील लिऊदिही बअज़ुल्मबाहाति फीहिमा वाजिबन कल्फ़त्रि व क़ील लिअन्नहू युआदु फीहिमत्तब्बीरात वल्लाहु तआला आलम' (मिआत, जिल्द : 2/327)

या'नी ईद की असल लफ़ज़ ऊद है जो आद यऊद से मुशतक़ है जिसके मा'नी रूजूअ करने के हैं, ऊद का वाव याअ से बदल गया है इसलिये कि वो साकिन है और माक़ब्ल इसके कसरा है जैसा कि लफ़ज़े मीजान और मीक़ात में वाव याअ से बदल गया है ईद की जमा आयाद है। इसलिये कि वाहिद में लफ़ज़ 'याअ' का लुजूम है या लफ़ज़े ऊद ब-मा'नी लक़ड़ी की जमा आवाद से फ़र्क़ ज़ाहिर करना मक्सूद है। उनका ईदैन नाम इसलिये रखा गया कि उन दोनों में इनायाते इलाही बेपायाँ होती हैं या इसलिये उनको ईदैन कहा गया कि मुसलमान हर साल इन दिनों की तरफ़ लौटते रहते हैं या ये कि ये दोनों दिन हर साल लौट-लौटकर मुकर्रर आते रहते हैं या ये कि उनके लौटने से मुसरत लौटती है। अरबों की इस्तिलाह में हर वो इज्तिमाअ जो खुशी और मुसरत का इज्तिमाअ हो ईद कहलाता था, इसलिये उन दिनों को भी जो मुसलमान के लिये इतिहाई खुशी के दिन

हैं ईदैन कहा गया। या ये भी कि उन दिनों में अपने बन्दों पर अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतों का इआदा फ़र्माता है या इसलिये कि जिस तरह बतौरै नेक फ़ाल जाने वाले गिरोह को क्राफ़िला कहते हैं जिसके लफ़्ज़ी मा'नी आने वाले के हैं या इसलिये भी कि उनमें कुछ मुबाह्र काम वुजूब की तरफ़ लौट जाते हैं जैसे कि उस दिन इंदुल फ़ित्र में रोज़ा रखना वाजिब तौर पर न रखने की तरफ़ लौट गया है या इसलिये कि इन दिनों में तक्बीरात को बार-बार लौटा-लौटा कर कहा जाता है इसलिये इनको लफ़्ज़ ईदैन से ता'बीर किया गया है इन दिनों के मुकर्रर करने में क्या-क्या फ़वाइद और मसालेह हैं, इसी मज़मून में शाह वलीउल्लाह मुहदिष देहलवी ने अपनी मशहूर किताब हज्जतुल्लाहिल बालिगा में बड़ी तफ़्सील के साथ अहसन तौर पर बयान फ़र्माया है। इसको वहाँ मुलाहिज़ा किया जा सकता है।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने नमाज़े ईदैन के बारे में तक्बीरात की बाबत कुछ नहीं बतलाया, अगरचे इस बारे में अक़्बर अह्दादीष व अक़्बाले सहाबा मौजूद हैं मगर वो हज़रत इमाम की शराइत पर नहीं थे। इसलिये आपने उनमें से किसी का भी ज़िक्र नहीं किया। इमाम शौकानी (रह.) ने नैलुल औतार में इस सिलसिले के दस क़ौल नक़ल किये हैं जिनमें से जिसे तर्जीह हासिल हैं वो ये है, 'अहदुहा अन्नहू युकब्बिरू फिल्ऊला सबअन कब्बल्लिक़राति व फ़िषानियति ख़म्मन कब्बल्लिक़राति क़ाललइराकी व हुव क़ौलु अक़्बरि अहलिलइल्मि मिनस्सहाबति वत्ताबिर्दिन वलअइम्मति क़ाल व हुव मर्वियुन अन उमर व अलिघ्यिन व अबी हुरैरत व अबी सईदिन अल्ख' या'नी पहला क़ौल ये है कि पहली रक़अत में क़िरअत से पहले सात तक्बीरें और दूसरी रक़अत में क़िरअत से पहले पाँच तक्बीरें कही जाएँ। सहाबा और ताबेईन और अइम्म-ए-किराम में से अक़्बरे अहले इल्म का यही मसलक है, इस बारे में जो अह्दादीष मरवी हैं उनमें से चंद ये हैं।

'अन अमिब्नि शुऐबिन अन अबीहि अन जहिही अन्नन्नबिय्य कब्बर फी ईदिन घनतय अशरत तक्बीरतन सबअन फिल्ऊला व ख़म्मन फिल्आख़िरति व लम युसल्लि कब्बला व ला बअदहा' (रवाहु अहमद वब्नु माजा क़ाल अहमद अना अज्हबु इला हाज़ा)

या'नी हज़रत अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से, उन्होंने अपनने दादा से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने ईद में बारह तक्बीरों से नमाज़ पढ़ाई पहली रक़अत में आप (ﷺ) ने सात तक्बीरें कहीं और दूसरी रक़अत में पाँच तक्बीरें कहीं। इमाम अहमद फ़र्माते हैं कि मेरा अमल भी यही है।

'व अन अमिब्नि औफ़िलमुज़नी (रज़ि.) अन्नन्नबिय्य कब्बर फिल्ईदैन फिल्ऊला सबअन कब्बल्लिक़राति व फ़िषानियति ख़म्मन कब्बल्लिक़राति रवाहुत्तिर्मिज़ी व क़ाल हुव अहमनु शौइन फी हाज़ल्बाबि अनिन्नबिय्य (ﷺ)'

या'नी अम्र बिन औफ़ मज़नी से रिवायत है कि बेशक नबी करीम (ﷺ) ने ईदैन की पहली रक़अत में क़िरअत से पहले सात तक्बीरें कहीं और दूसरी रक़अत में क़िरअत से पहले पाँच तक्बीरें। इमाम तिर्मिज़ी फ़र्माते हैं कि इस मसले के बारे में ये बेहतरीन हदीष है जो नबी करीम (ﷺ) से मरवी है।

अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने किताब अल इललुल मुफ़रदह में फ़र्माया, सअलतु मुहम्मदबन इस्माईल (अल बुखारी) अन हाज़ल्हदीषि फ़क़ाल लैस फी हाज़ल्बाबि शौउन अस्तह्मु मिन्ह व बिही अक़ूलु इन्तिहा'

यानी सहीह हदीष के बारे में मैंने हज़रत इमाम बुखारी (रह.) से पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि इस मसले के बारे में उससे ज़्यादा कोई हदीष सहीह नहीं है और मेरा भी यही मज़हब है, इस बारे में और भी कई अह्दादीष मरवी है।

हन्फ़िया का मसलक इस बारे में ये है कि पहली रक़अत में तक्बीरे तहरीमा के बाद क़िरअत से पहले तीन तक्बीरें कही जाएँ और दूसरी रक़अत में क़िरअत के बाद तीन तक्बीरें। कुछ सहाबा से ये मसलक भी नक़ल किया गया है कि जैसा कि नैलुल औतार, पेज नं. 299 पर मन्कूल है मगर इस बारे की रिवायत जुअफ़ से खाली नहीं हैं जैसा कि अल्लामा शौकानी (रह.) ने तसरीह फ़र्माई है, 'फ़मन शाअ फ़ल्यर्जिअ इलैहि' हज़रत मौलाना अब्दुरहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, 'व अम्मा मा ज़हब इलैहि अहलुलकूफ़ति फ़लम यरिद फीहि हदीषुन मफ़ुउन ग़ैर हदीषि अबू मूसा अल्अश़री व क़द अरफ़्तु अन्नहू ला यस्तुहू लिलइहतिजाजि' (तोहफ़तुल अहवज़ी) या'नी कूफ़ा वालों के मसलक के षुबूत में कोई

हदीष मर्फूअ वारिद नहीं हुई, सिर्फ हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से रिवायत की गई है जो क़ाबिले हुज्जत नहीं है।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहदिष देह्लवी (रह.) ने इस बारे में बहुत ही बेहतर फ़ैसला दिया है। चुनाँचे आपके अल्फ़ाजे मुबारक ये हैं, 'युकब्बिरू फिल्ऊला सबअन क़ब्लल्किराति वफ़्फ़ानियति खम्मस क़ब्लल्किराति व अमलुल्कूफिद्यिन अय्युंकब्बिर अर्बअन कतक्बीरिल्जनाइज़ि फिल्ऊला कब्लल्किराति व फिफ़्फ़ानियति बअदहा व हुमा सुन्नतानि व अमलुल्हरमैनि अर्जुहु' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द: 2/ पेज नं. 106) या'नी पहली रकअत में क़िरअत से पहले सात तक्बीरों और दूसरी रकअत में क़िरअत से पहले पाँच तक्बीरों कहनी चाहिये मगर कूफ़ावालों का अमल ये है कि पहली रकअत में तक्बीरात जनाज़ा की तरह क़िरअत से पहले चार तक्बीरें कही जाएँ और दूसरी रकअत में क़िरअत के बाद ये दोनों तरीक़े सुन्नत हैं। मगर हरमेन शरीफ़ेन या'नी कि मदीना वालों का अमल जो पहले बयान किया गया है, तर्जीह उसको हासिल है (कूफ़ावालों का अमल मरजूह है)।

ईद की नमाज़ फ़र्ज़ है या सुन्नत इस बारे में उलमा मुख्तलिफ़ हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जिन पर जुम्आ फ़र्ज़ है उन पर ईदेन की नमाज़ फ़र्ज़ है। इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) इसे सुन्नते मुअक्किदा करार देते हैं। इस पर हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, 'वरांजिहु इन्दी मा ज़हब इलैहि अबू हनीफ़त मिन अन्नहा वाजिबतुन अललआयानि लिक्कौलिही तआला फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर वलअम्रु यन्नतजिल्वुजूब व लिमुदावमतिन्नबिद्यि (ﷺ) अला फिअलिहा मिन गैरि तर्किन व लिअन्नहा मिन आलामिद्दीनिज़्ज़ाहिरति फकानत वाजिबतुन अल्ख' (मिआत, जिल्द नं. 3/ पेज नं. 327) या'नी मेरे नज़दीक तर्जीह उसी ख़याल को हासिल है जिसकी तरफ़ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) गये हैं कि ये आयान पर वाजिब है जैसा कि अल्लाह पाक ने कुआन में बसैगा अम्र फ़र्माया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर (अल कौषर : 2) 'अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ और कुर्बानी कर।' सैग-ए-अम्र वुजूब को चाहता है और इसलिये भी कि नबी करीम (ﷺ) ने इस पर हमेशगी फ़र्माई और ये दीन के ज़ाहिर निशानों में से एक अहमतरिनी निशान है।

बाब 01 : दोनों ईदों का बयान और उनमें ज़ेबो-

ज़ीनत करने का बयान

948. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) एक मोटे रेशमी कपड़े का चोगा लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए जो बाज़ार में बिकरहा था। कहने लगे या रसूलुल्लाह (ﷺ) आप इसे ख़रीद लीजिए और ईद और वुफूद की पज़ीराई के लिये इसे पहन कर ज़ीनत फ़र्माया कीजिए। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तो वो पहनेगा जिसका (आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा उम्र रही, फिर एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) खुद उनके पास एक रेशमी चोगा तोहफ़े में भेजा हज़रत उमर (रज़ि.) उसे लिये हुए आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आपने तो ये फ़र्माया कि इसको वही पहनेगा जिसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर आप (ﷺ) ने ये मेरे

1 - بَابُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْتَجْمُلِ

فِيهِمَا

948 - حَدَّثَنَا أَبُو أَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تَبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتِغْ هَذِهِ، تَجْمُلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٍ مِنْ لَأِ خَلَاقٍ لَكَ))، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبِثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ هَذِهِ

पास क्यों भेजा? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा बल्कि इसलिये कि तुम इसे बेचकर इसकी कीमत अपने काम में लाओ। (राजेअ: 886)

لِبَاسٍ مِّنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ، وَأَزْمَلَتْ إِلَيَّ بِهِدِيهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَبِعَهَا وَتَصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ)).

[راجع: ٨٨٦]

तशरीह:

इस हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) से हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि ये जुब्बा आप ईद के दिन पहना कीजिए, इसी तरह वुफूद (प्रतिनिधि मण्डल) आते रहते हैं उनसे मुलाक़ात के लिये भी आप (ﷺ) इसका इस्ते'माल कीजिए। लेकिन वो जुब्बा रेशमी था इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने उससे इंकार कर दिया कि रेशम मर्दों के लिये हुराम है। इससे मा'लूम हुआ कि ईद के दिन जाइज़ लिबासों के साथ आराइश करनी चाहिये इस सिलसिले में दूसरी अह्लादीष भी आई हैं।

मौलाना वहीदुज्जमाँ इस हदीष के ज़ेल में फ़र्माते हैं कि सुब्हानल्लाह! इस्लाम की भी क्या उम्दा ता'लीम है कि मर्दों को छोटा-मोटा सूती ऊनी कपड़ा काफ़ी है रेशमी और बारीक कपड़े ये औरतों को सजावार (शोभनीय) हैं। इस्लाम ने मुसलमानों को मज़बूत, मेहनती, ज़फ़ाकश सिपाही बनने की ता'लीम दी है न कि औरतों की तरह बनाव-सिंगार करने और नाजुक बदन बनने की। इस्लाम ने ऐशो-इशरत का नाजाइज़ अस्बाब मषलन शराबख़ोरी वग़ैरह बिलकुल बन्द कर दिया लेकिन मुसलमान अपने पैग़म्बर की ता'लीम को छोड़कर नशा और अट्याशी में मशगूल हैं और औरतों की तरह चिकन और मलमल और गोटा किनारी के कपड़े पहनने लगे। हाथों में कड़े और पांव में मेहन्दी, आख़िर अल्लाह तआला ने उनसे हुकूमत छीन ली और दूसरी मर्दाना क्रौम को अत्ता कर दी। ऐसे ज़नाने मुसलमानों को डूबकर मर जाना चाहिये, बेग़ैरत! बेहया!! कमबख़्त। (वहीदी) मौलाना का इशारा उन मुग़ल शहज़ादों की तरफ़ है जो ऐशो-आराम में पड़कर ज़वाल (पतन) का सबब बने, आजकल मुसलमानों के कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों का क्या हाल है, जो ज़नाना बनने में शायद मुग़ल शहज़ादों से भी आगे बढ़ने की कोशिशों में मसरूफ़ (व्यस्त) है जिनका हाल ये है,

न पढ़ते तो खाते सौ तरह कमाकर
वो खोए गए उलटे ता'लीम पाकर

बाब 02 : ईद के दिन बरछियों

और ढालों से खेलना

949. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझे उमर बिन हारिष ने ख़बर दी कि मुहम्मद बिन अब्दुरहमान असदी ने उनसे बयान किया, उनसे इर्वा ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने, उन्होंने बतलाया कि एक दिन नबी करीम (ﷺ) मेरे घर तशरीफ़ लाए, उस वक़्त मेरे पास (अन्सार की) दो लड़कियाँ जंगे-बआष के क्रिस्मों की नज़में पढ़ रही थीं। आप (ﷺ) बिस्तर पर लेट गये और अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेर लिया। इसके बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आए और मुझे डाँटा और फ़र्माया कि ये शैतानी बाजा नबी करीम (ﷺ) की मौजूदगी में? आख़िर नबी करीम (ﷺ)

٢- بَابُ الْحِرَابِ وَالذَّرَقِ يَوْمَ

الْيَدِ

٩٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغْنِيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاسِ وَحَوْلَ وَجْهَهُ. وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَاتَّهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ! فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ

उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया कि जाने दो, खामोश रहो। फिर जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) दूसरे काम में लग गये तो मैंने उन्हें इशारा किया और वो चली गई।

(दीगर मक़ामात : 952, 987, 2907, 2908, 3530, 3931)

950. और ये ईद का दिन था। हब़शा से कुछ लोग ढालों और बरछियों से खेल रहे थे। अब या खुद मैंने कहा या नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्या तुम ये खेल देखोगी? मैंने कहा, जी हाँ। फिर आप (ﷺ) ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुख़सार आपके रुख़सार पर था और आप फ़र्मा रहे थे, खेलो-खेलो ऐ बन् (अरफ़िदा)! ये हब़शा के लोगों का लक़ब था। फिर जब मैं थक गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस! मैंने कहा, जी हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया जाओ।

कुछ लोगों ने कहा कि हदीष और बाब के तर्जुमे में मुताबक़त नहीं, 'व अजाब इब्नुल्मुनीर फिलहाशियति बिअन्न मुरादल्बुखारी अल्इस्तिदलालु अला अन्नल्ईद यन्तज़िर फीहि मिनल्इम्बिसाति मा ला यन्तज़िरु फी गैरिही व लैस फित्तर्जुमति अयज़न तक्वियदुहू।' (फ़त्हल बारी)

या'नी इब्ने मुनीर ने ये जवाब दिया कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का इस्तिदलाल इस अम्र के लिये है कि ईद में इस क़दर मुसरत होती है जो उसके गैर (या'नी अन्य दिनों) में नहीं होती। और तर्जुमा में हब़शियों के खेल का ज़िक्र ईद से पहले के लिये नहीं है बल्कि ज़ाहिर है कि हब़शियों का ये खेल ईदगाह से वापसी पर था क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) शुरु दिन ही में नमाज़े ईद के लिये निकल जाया करते थे।

बाब 3 : इस बारे में कि मुसलमानों के लिये ईद के दिन पहली सुन्नत क्या है

951. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्हें जुबैद बिन हारिष ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने शुअबी से सुना, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) ने ईद के दिन खुल्त्वा देते हुए फ़र्माया कि पहला काम जो हम आज के दिन (ईदुल अज़हा में) करते हैं, ये कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर वापस आकर कुर्बानी करें। जिसने इस तरह किया वो हमारे तरीक़े पर चला।

(दीगर मक़ामात : 955, 965, 968, 976, 983, 5545, 5556, 5557, 5560, 5563, 6673)

اللّٰهُ ﷻ قَالَ: ((دَعَهُمَا)). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَنَحَرْتَهُمَا.

أطرافه في : ٢٩٠٧ ، ٩٨٧ ، ٩٥٢ ، ٢٩٠٨ ، ٢٣٩٣١ ، ٢٥٣٠

٩٥٠ - وَكَانَ يَوْمَ عِيدِ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرَقِ وَالْحِرَابِ، لَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنَّمَا قَالَ: ((أَشْتَهِيَنَّ تَنْظُرِينَ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَ أَقَامَنِي وَرَأَوهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((ذُوكُمْ يَا ابْنِي أَرْوَدَةً)). حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ قَالَ: ((حَسْبُكَ؟)) قُلْتُ:

٣- بَابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ (الدُّعَاءُ فِي الْعِيدِ)

٩٥١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّأْيِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَحْرَ، فَمَنْ لَقِيَ فَقَدْ أَحَابَ سُنَّتَنَا)).

أطرافه في : ٩٧٦ ، ٩٦٨ ، ٩٦٥ ، ٩٥٥ ، ٩٨٣ ، ٥٥٥٧ ، ٥٥٥٦ ، ٥٥٤٥

[१११३, ००१३, ००१०.]

952. हमसे उबैद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके बाप (उर्वा बिन यज़ीद) ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने, आपने बतलाया कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अन्सार की दो लड़कियाँ वो अशआर गा रही थी जो अन्सार ने बआष की जंग के मौक़े पर कहे थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि ये (पेशेवर) गानेवालियाँ नहीं थीं। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर में ये शैतानी बाजे? और ये ईद का दिन था। आख़िर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र से फ़र्माया, ऐ अबूबक्र! हर क्रौम की ईद होती है और आज हमारी ईद है।

(राजेअ : 949)

‘क़ालख़त्ताबी यौमु बुआषिन यौमुन मशहूदुन मिन अय्यमिलअरबि कानत फ़ीहि मक्तलतुन अज़ीमतुन लिलऔसि वलख़ज़रजि वलक्रियतिलहरबतु क़ाइमतन मिअतव्वइशरीन सनतन इललइस्लामि अला माज़कर इब्नु इस्हाक़’ या’नी ख़त्ताबी ने कहा कि यौमे बुआष तारीख़े अरब में एक अज़ीम लड़ाई के नाम से मशहूर है। जिसमें औस और ख़जरज के दो बड़े क़बीलों की जंग हुई थी जिसका सिलसिला नस्ल दर नस्ल एक सौ बीस साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि इस्लाम का दौर आया और ये क़बीले मुसलमान हुए।

दूसरी रिवायत में है कि ये गाना दुफ़ के साथ हो रहा था। बुआष एक क़िला है जिस पर औस और ख़जरज की जंग एक सौ बीस साल से जारी थी। इस्लाम की बरकत से ये जंग ख़त्म हो गई और दोनों क़बीलों में उल्फ़त पैदा हो गई। इस जंग की मज़लूम रूदाद थी जो ये बच्चियाँ गा रही थीं। जिनमें एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) की लड़की थी और दूसरी हस्सान बिन षाबित की लड़की थी। (फ़तहूल बारी)

इस हदीष से मा’लूम ये हुआ कि ईद के दिन ऐसे गाने में मुजाइक़ा (आपत्ति) नहीं क्योंकि ये दिन शरअन खुशी का दिन है। फिर अगर छोटी लड़कियाँ किसी की ता’रीफ़ या किसी की बहादुरी के अशआर अच्छी आवाज़ से पढ़ें तो जाइज़ हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने इसकी रुख़सत (छूट) दी। लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि गाने वाली जवान औरत न हो और उसका मज़मून शरए—शरीफ़ के ख़िलाफ़ न हों और सूफ़ियों ने जो इस बाब में खुराफ़ात और बिदअत निकाली हैं उनकी हुर्मत में भी किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है और नुफ़से शह्वानियाँ बहुत से सूफ़ियों पर ग़ालिब आ गए। यहाँ तक कि बहुत सूफ़ी दीवानों और बच्चों की तरह नाचते हैं और उनको तकरूब इलल्लाह का वसीला जानते हैं और नेक काम समझते हैं। और ये बिला शक व शुब्हा जिनादिका की अलामत है और बेहूदा लोगों का क्रौल, वल्लाहुल मुस्तअनू. (तस्हीलुल क़ारी, पारा नं. 4, पेज नं. 362-39)

बनू अफ़िदा हबिशियों का लक़ब है। आप (ﷺ) ने बछों और ढालों से उनके जंगी करतबों का मुलाहज़ा फ़र्माया और उन पर खुशी का इज़हार किया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सदे बाब यही है कि ईद के दिन अगर ऐसे जंगी करतब दिखलाए जाएँ तो जाइज़ है। इस हदीष से और भी बहुत सी बातों का षुबूत मिलता है। मषलन ये कि शौहर की मौजूदगी में बाप अपनी बेटी को अदब की बात बतला सकता है, ये भी मा’लूम हुआ कि अपने बड़ों के सामने बात करने में शर्म करना मुनासिब है, ये भी ज़ाहिर हुआ कि शागिर्द अगर उस्ताज़ के पास कोई अम्मे मक्रूहा देखे तो वो अज़राहे अदब नेक निय्यती से इस्लाह का मशवरा दे सकता है और भी कई उमूर पर इस हदीष से रोशनी पड़ती है जो मामूली ग़ौरो-फ़िक़्र से वाज़ेह हो सकते हैं।

952 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تَغْتَابَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بَعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتْ بَا بِمُغْتَابَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي نَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا)). [راجع: 949]

बाब 4 : ईदुल फ़ितर में नमाज़ के लिये जाने से पहले कुछ खा लेना

953. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने बयान किया कि हम को सईद बिन सुलैमान ने खबर दी कि हमें हुशैम बिन बशीर ने खबर दी, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन अनस ने खबर दी और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, आपने बतलाया कि रसूले-करीम (ﷺ) ईदुल-फ़ितर के दिन न निकलते जब तक कि आप (ﷺ) चन्द खजूर न खा लेते और मुरजी बिन रजाअ ने कहा कि मुझ से अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र ने बयान किया, कहा कि मुझ से अनस (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से, फिर यही हदीष बयान की कि आप ताक़दद खजूरें खाते थे।

मा'लूम हुआ कि ईदुल फ़ित्र में नमाज़ के लिये निकलने से पहले चंद खजूरें अगर मयस्सर हों तो खा लेना सुन्नत है।

बाब 5 : बकर ईद के दिन खाना

इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने वो साफ़ हदीष न ला सके जो इमाम अहमद व तिर्मिज़ी (रह.) ने रिवायत की है कि बकर ईद के दिन आप (ﷺ) लौटकर अपनी कुर्बानी में से खाते। वो हदीष भी थी मगर उन शराइत के मुताबिक़ न थी जो हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के शराइत हैं, इसलिये आप (रह.) उसको न ला सके।

945. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अला ने अय्यूब सुखितयानी से, उन्होंने मुहम्मद बिन सीरीन से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शरख़स नमाज़ से पहले कुर्बानी कर दे उसे दोबारा कुर्बानी करनी चाहिये। इस पर एक शरख़स (अबू बुर्दा) ने खड़े होकर कहा किये ऐसा दिन है जिस दिन गोश्त की ख़्वाहिश ज़्यादा होती है और उसने अपने पड़ोसियों की तंगी का बयान किया। नबी करीम (ﷺ) ने उसको सच्चा समझा, उस शरख़स ने कहा कि मेरे पास एक साल की पठिया है जो गोश्त की दो बकरियों से भी मुझे ज़्यादा प्यारी है। नबी करीम (ﷺ) ने इस पर उसे इजाज़त दे दी कि वही कुर्बानी करे। अब मुझे मा'लूम नहीं कि ये इजाज़त दूसरों के लिये भी है या नहीं।

(दीगर मक़ामात : 984, 5546, 5549, 5561)

ये इजाज़त ख़ास अबू बुर्दा (रज़ि.) के लिये थी जैसा कि आगे आ रहा है। हज़रत अनस (रज़ि.) को उनकी ख़बर नहीं हुई इसलिये उन्होंने ऐसा कहा।

४- بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ

الْخُرُوجِ

٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ)). وَقَالَ مَرْجَانُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يَأْكُلُهُنَّ وَتَرًا)).

٥- بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

٩٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَعِدْ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِزَائِهِ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جِلْدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ. فَرَخَصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا أُذْرِي أَبْلَغْتَ الرُّخْصَةَ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا.

[أطرافه في: ٩٨٤, ٥٥٤٦, ٥٥٤٩]

[٥٥٦١]

955. हमसे इम्रान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जरिर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे शुअबी ने, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल अज़हा की नमाज़ के बाद ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि जिस शख्स ने हमारी नमाज़ की सी नमाज़ पढ़ी और हमारी कुर्बानी की तरह कुर्बानी की उसकी कुर्बानी सहीह हुई। लेकिन जो शख्स नमाज़ से पहले कुर्बानी करे, वो नमाज़ से पहले ही गोश्त खाता है मगर वो कुर्बानी नहीं। बराअ के मामू अबू बुर्दा बिन नियार ये सुनकर बोले कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपनी बकरी की कुर्बानी नमाज़ से पहले कर दी, मैंने सोचा कि ये खाने-पीने का दिन है। मेरी बकरी अगर घर पर पहला ज़बीहा बने तो बहुत अच्छा हो। इस खयाल से मैंने बकरी जिब्ह कर दी और नमाज़ से पहले ही उसका गोश्त भी खा लिया। इस पर आपने फ़र्माया कि फिर तुम्हारी बकरी गोश्त की बकरी हुई। अबू बुर्दा बिन नियार ने अज़्रि किया कि मेरे पास एक साल की पठिया है और वो मुझे गोश्त की दो बकरियों से भी अज़ीज़ है। क्या उससे मेरी कुर्बानी हो जाएगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की कुर्बानी इस इम्र के नीचे से नाकाफ़ी होगी।

(राजेअ: 951)

٩٥٥ - حَدَّثَنَا غَمَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسَكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ خَالَ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَأِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ أَكُلُ وَشَرِبُ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَأِي أَوَّلَ شَأٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَلَذَبَحْتُ شَأِي وَتَعَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ. قَالَ: ((شَأْنُكَ شَأَةٌ لَحْمٌ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَجَزِي عَنْي؟ قَالَ: ((نَعَمْ. وَلَكِنْ تَجَزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

[راجع: ٩٥١]

तशरीह:

क्योंकि कुर्बानी में मुसन्ना बकरी ज़रूरी है जो दूसरे साल में हो और दाँत निकाल चुकी हो। बग़ैर दाँत निकाले बकरी कुर्बानी के लायक नहीं होती। अल्लामा शौकानी (रह.) नैलुल औतार में इस हदीष की शरह में फ़र्माते हैं, 'क्रौलुहू अलमुसन्नतु काललउलमाउ अलमुसन्नतु हियफ़्फ़निय्यतु मिन कुल्लि शैइन मिनलइबिलि वलबक्ररि वल्लगनमि फमा फौक्रहा' मस्जिद में है, 'अफ़्फ़नियतु जम्उहू घनाया वहिय इस्नानि मुक्रहमुल्फमि घनतानि मिन फौक्रिन व घनतानि मिन अस्फल' या' नी घनाया के सामने के ऊपर-नीचे के दाँत को कहते हैं। इस लिहाज़ से हदीष के ये मा' नी होते हैं दाँत वाले जानवरों को कुर्बानी करो। इससे लाज़िम यही नतीजा निकला कि खीरे की कुर्बानी न करो इसलिये एक रिवायत में है, 'युन्फा मिनज़ज़हाया अल्लती लम तुसन्निन' कुर्बानी के जानवरों में से वो जानवर निकाल डाला जाएगा जिसके दाँत न उगे होंगे, अगर मजबूरी की हालत में मुसन्ना न मिले मुश्किल व दुश्वार हो तो जिज़अतुम मिनज़ज़ान्न भी कर सकते हैं। जैसा कि इसी हदीष के आखिर में आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इल्ला अय्यअस्त्रि अलैकुम फतज्बहू जिज़अतम्मिनज़ज़ानि लुगातुल्हदीष' में लिखा है कि पांचवें बरस में जो ऊँट लगा हो और दूसरे बरस में जो गाय-बकरी लगी हो और चौथे बरस में जो घोड़ा लगा हो। कुछ ने कहा जो गाय तीसरे बरस में लगी हो, जो भेड़ एक बरस की हो गई। जैसा कि हदीष में है,

'ज़हेना मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) बिल्ज़िज़इ मिनज़ज़ानि वफ़्फ़निय्यि मिनलमअज़ि' हमने आँहज़रत (ﷺ) के साथ एक बरस की भेड़ और दो बरस की (जो तीसरे में लगी हैं) बकरी कुर्बानी की और तपस़ीर इब्ने क़प्पीर में है कि बकरी घना वो है कि जो दो साल गुज़ार चुकी हो और जिज़आ उसको कहते हैं जो साल भर का हो गया हो।

बाब 6 : ईदगाह में खाली जाना

मिम्बर न ले जाना

956 : हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा' फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरह ने, उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल-फ़ितर और ईदुल अज़हा के दिन (मदीने के बाहर) ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ाते, नमाज़ से फ़ारिग होकर आप (ﷺ) लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी झण्डों में बैठे रहते। आप (ﷺ) उन्हें वा'ज़ व नज़ीहत फ़र्माते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर जिहाद के लिये कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसको अलग करते, किसी और बात का हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते। उसके बाद शहर को वापस तशरीफ़ लाते। अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया लोग बराबर इसी सुन्नत पर क़ायम रहे, लेकिन मु'आविया के ज़माने में मरवान जो मदीना का हाकिम था, फिर मैं उसके साथ ईदुल-फ़ितर या ईदुल-अज़हा की नमाज़ के लिये निकला, हम जब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ मैंने क़प्पीर बिन सल्लत का बना हुआ एक मिम्बर देखा। जाते ही मरवान ने चाहा कि इस पर नमाज़ से पहले (खुत्बा देने के लिये चढ़े) इसलिये मैंने उनका दामन पकड़कर खींचा और लेकिन वो झटक ऊपर चढ़ गया और नमाज़ से पहले खुत्बा दिया। मैंने इससे कहा कि वल्लाह! तुमने (नबी करीम ﷺ की सुन्नत को) बदल दिया। मरवान ने कहा कि ऐ अबू सअद! अब वो ज़माना गुज़र गया जिसको तुम जानते हो। अबू सअद ने कहा कि अल्लाह की क़सम मैं जिस ज़माने को जानता हूँ, उस ज़माने से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दौर में लोग नमाज़ के बाद नहीं बैठते, इसलिये मैंने नमाज़ से पहले खुत्बा को कर दिया।

٦- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى

بِغَيْرِ مَنبَرٍ

٩٥٦- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُوفِيهِمْ - فَيَعْظُمُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ)). فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتْ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ، فَلَمَّا آتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَحَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيْرْتُمْ وَاللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मज़सदे बाब ये बतलाना है कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ईदगाह में मिम्बर नहीं रखा जाता था और नमाज़ के लिये कोई खास इमारत न थी। मैदान में ईदुल फ़ित्र और बक़र ईद की नमाज़ें पढ़ी जाती थीं। मरवान जब मदीना का हाकिम हुआ तो उसने ईदगाह में खुत्बे के लिये मिम्बर भिजवाया और ईदैन में खुत्बा

नमाज़ के बाद में देना चाहिये था लेकिन मरवान ने सुन्नत के खिलाफ पहले ही खुत्बा शुरू कर दिया। सद् अफ़सोस कि इस्लाम की फ़ितरी सादगी जल्दी ही बदल गई फिर उनमें दिन ब दिन इज़ाफ़े होते रहे। उलम-ए-अहनाफ़ ने आजकल नया इज़ाफ़ा कर डाला कि नमाज़ और खुत्बे से पहले कुछ वा'ज़ करते हैं और घण्टा आधा घण्टा खर्च करने के बाद में नमाज़ और खुत्बा सिर्फ़ रस्मी तौर पर चंद मिनटों में ख़त्म कर दिया जाता है। आज कोई क़षीर बिन सल्लत नहीं जो इन इख़ितराज़त पर नोटिस ले।

बाब 7 : नमाज़े-ईद के लिये पैदल या सवार होकर जाना और नमाज़ का खुत्बे से पहले अज़ान और इक्रामत के बग़ैर होना

۷- بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى

الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

وَبِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

957. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िर हज़ामी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उन्होंने अबैदुल्लाह बिन इमर से बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़हा या ईदुल फ़ितर की नमाज़ पहले पढ़ते और खुत्बा नमाज़ के बाद में देते थे। (दीगर मकाम : 963)

۹۵۷ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفَيْطْرِ، ثُمَّ

يَخُطِّبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ). (طرفه في: ۹۶۳).

तशरीह:

बाब की हदीषों में से नहीं निकलता कि ईद की नमाज़ के लिये सवारी पर जाना या पैदल जाना। मगर इमामे बुखारी (रह.) ने सवारी पर जाने की मुमानअत मज़कूर न होने से ये निकाला कि सवारी पर भी जाना मना नहीं है। गो पैदल जाना अफ़ज़ल है। शाफ़िई ने कहा कि हमें जुहरी से पहुँचा कि आँहज़रत (ﷺ) ईद में या जनाज़े में कभी सवार होकर नहीं गए और तिमिज़ी ने हज़रत अली (रज़ि.) से निकाला कि ईद की नमाज़ के लिये पैदल जाना सुन्नत है। (वहीदी)

इस बाब की रिवायात में न पैदल चलने का ज़िक्र है और सवारी पर चलने की मुमानअत है। जिसे इमामे बुखारी (रह.) ने इशारा किया कि दोनों तरह से ईदगाह जाना सही है अगरचे पैदल चलना सुन्नत है और उसी में ज़्यादा षवाब है क्योंकि ज़मीन पर जिस क़दर भी नक़शे-क़दम होंगे हर क़दम के बदले दस-दस नेकियों का षवाब मिलेगा लेकिन अगर कोई मा'ज़ूर हो या ईदगाह दूर हो तो सवारी पर जाना भी जाइज़ है। कुछ शारेहीन ने आँहज़रत (ﷺ) के बिलाल (रज़ि.) पर तकिया लगाने से सवारी का जवाज़ षाबित किया है। वल्लाहु अज़लम!!

958. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हिशाम ने ख़बर दी कि इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अताअ बिन अबी रबाह ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से ख़बर दी कि आपको मैंने ये कहते हुए सुना कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल फ़ितर के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गये और पहले नमाज़ पढ़ाई और फिर खुत्बा सुनाया।

۹۵۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ:

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ

الْفَيْطْرِ قَبْدًا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ).

(दीगर मक़ामात : 961, 978)

(طرفاه في: ۹۶۱, ۹۷۸).

959. फिर इब्ने जुरैज ने कहा कि मुझे अताअ ने ख़बर दी कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इब्ने जुबैर (रज़ि.) के पास एक शख़्स को उस ज़माने में भेजा, जब (शुरू-शुरू उनकी ख़िलाफ़त का ज़माना

۹۵۹ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ

عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا

था, आपने कहलाया कि) ईदुल फ़ितर की नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती थी और ख़ुत्बा नमाज़ के बाद होता था।

960. और मुझे अता ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि ईदुल फ़ितर या ईदुल अज़हा की नमाज़ के लिये नबी करीम (ﷺ) और ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन के अहद में अज़ान नहीं दी जाती थी।

961. और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि (ईद के दिन) नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए, पहले आपने नमाज़ पढ़ी फिर ख़ुत्बा दिया, उससे फ़ारिग होकर आप (ﷺ) औरतों की तरफ़ गये और उन्हें नज़ीहत की। आप (ﷺ) बिलाल (रज़ि.) के हाथ का सहारा लिये हुए थे और बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला रखा था, औरतें इसमें ख़ैरात डाल रही थीं। मैंने इस पर अताअ से पूछा कि क्या इस ज़माने में भी इमाम पर ये हक़ समझते हैं कि नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद वो औरतों के पास आकर उन्हें नज़ीहत करे। उन्होंने फ़र्माया कि बेशक! ये उन पर हक़ है और सबब क्या जो वो ऐसा न करें। (राजेअ: 957)

بُيْعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

٩٦٠ - وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

٩٦١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (إِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ قَبْدًا بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَلَدَّكُرْهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بِاسِطٌ فَوَبُهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً)) قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَلَدَّكُرْهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟! [راجع: ٩٥٨]

तशरीह: यज़ीद बिन मुआविया की वफ़ात के बाद 62 हिजरी में अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बेअत की गई। इसलिये कुछ ने ये निकाला कि इमामे बुखारी (रह.) का तर्जुम-ए-बाब यूँ षाबित होता है कि हज़रत (ﷺ) ने बिलाल (रज़ि.) पर टेक दिया। मा'लूम हुआ कि बवक़ते ज़रूरत ईद में सवार होकर भी जाना सही है। रिवायत में औरतों को अलग वा'ज़ भी मज़कूर है। लिहाज़ा इमाम को चाहिये कि ईद में मर्दों को वा'ज़ सुनाकर औरतों को भी दीन की बातें समझाएँ और नेक कामों की रबत दिलाए।

बाब 8 : ईद में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा पढ़ना

962. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे हसन बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, उन्हें ताऊस ने, उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि मैं ईद के दिन नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र, उमर और उष्मान (रज़ि.) सबके साथ गया हूँ, ये लोग पहले नमाज़ पढ़ते, फिर ख़ुत्बा दिया करते थे।

(राजेअ: 98)

٨ - بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[راجع: ٩٨]

963. हमसे यज़कूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा

٩٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

कि हमसे अबू उसामा हम्माद बिन अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने किनबी करीम (ﷺ) इदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ा करते थे।

(राजेअ: 957)

964. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने, उन्होंने अदी बिन घ़ाबित से, उन्होंने सईद बिन जुबैर से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने ईदुल फ़ितर के दिन दो रकअतें पढ़ीं न उनसे पहले कोई नफ़ल पढ़ा न उनके बाद, फिर (ख़ुत्बा पढ़कर) आप औरतों के पास आए और बिलाल आप के साथ थे। आपने औरतों से फ़र्माया, ख़ैरात करो। वो ख़ैरात देने लगीं, कोई अपनी बाली पेश करने लगी कोई अपना हार देने लगी।

(राजेअ: 98)

965. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ैद ने बयान किया, कहा कि मैंने शुअबी से सुना, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने बयान किया किनबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हम इस दिन पहले नमाज़ पढ़ेंगे फिर ख़ुत्बा देने के बाद वापस होकर कुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ अमल किया और जिसने नमाज़ से पहले कुर्बानी की तो उसका ज़बीहा गोशत का जानवर है, जिसे वो घरवालों के लिये लाया है। कुर्बानी से उसका कोई भी ता'ल्लुक नहीं। एक अन्सारी (रज़ि.) जिनका नाम अबू बुर्दा बिन निया र था, बोले कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने तो (नमाज़ से पहले ही) कुर्बानी करदी लेकिन मेरे पास एक साल की पठिया है जो दूँदी हुई बकरी से भी अच्छी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छा इसी को बकरी के बदले में कुर्बानी कर लो और तुम्हारे बाद ये किसी और के लिये काफ़ी न होगी।

(राजेअ: 901)

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[راجع: ٩٥٧]

٩٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. ثُمَّ آتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تَلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا)).

[راجع: ٩٨]

٩٦٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الثَّرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ أَوَّلَ مَا تَبَدَأَ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ لَنَسْحَرَّ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَبْحَمٍ لَدَنَمَهُ لِأَقْلَبِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ لِي شَيْءٌ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جِدَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَبٍ. قَالَ: ((اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَمْ تُولِي - أَوْ تَجْزِي -

عَنْ أَحَدٍ بِعَدْلِكَ)). [راجع: ٩٥١]

तशरीह:

रिवायत में लफ़्जे अब्वल मा नब्दउ फ़ी यौमिना हाज़ा से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि जब पहला काम नमाज़ हुआ तो मा'लूम हुआ कि नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़नी चाहिये।

बाब 9 : ईदैन के दिन और हरम के अन्दर

हथियार बाँधना मकरूह है

और इमाम हसन बसरी (रह.) ने फ़र्माया कि ईद के दिन हथियार ले जाने की मुमानअत थी मगर जब दुश्मन का ख़ौफ़ होता

966. हमसे ज़ियाद बिन यह्या अबू सुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुर्रहमान महारबी ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन सोक्रा ने सईद बिन जुबैर से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं (हज्ज) के दिन इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ था, जब नेज़े की आनी आपके तलवों में चुभ गई, जिसकी वजह से आपका पाँव रकाब से चिपक गया। तब मैंने उतरकर उसे निकाला, ये वाक़िया मिना में पेश आया था। जब हज्जाज को मा'लूम हुआ जो उस ज़माने में इब्ने जुबैर (रज़ि.) के क़त्ल के बाद हिजाज़ का अमीर था तो बीमारपुर्सी के लिये आया। हज्जाज ने कहा कि काश! हमें मा'लूम हो जाता कि किसने आपको ज़ख़मी किया है। इस पर इब्ने उमर ने फ़र्माया कि तूने ही तो मुझको नेज़ा मारा है। हज्जाज ने पूछा कि वो कैसे? आपने फ़र्माया कि तुम उस दिन हथियार अपने साथ लाए जिस दिन पहले कभी हथियार साथ नहीं लाया जाता था। (ईदैन के दिन) तुम हथियार हरम में लाए हालाँकि हरम में हथियार नहीं लाया जाता था।

(दीगर मक़ाम : 967)

967. हमसे अहमद बिन यअकूब ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन सईद बिन उमर बिन सईद बिन आस़ ने अपने बाप से बयान किया, उन्होंने कहा कि हज्जाज अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के पास आया मैं भी आपकी ख़िदमत में मौजूद था। हज्जाज ने मिज़ाज पूछा, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अच्छा हूँ। उसने पूछा कि आपको ये बरछा किसने मारा? इब्ने उमर ने फ़र्माया कि मुझे उस शख़्स ने मारा है जिसने उस दिन हथियार साथ ले जाने की इजाज़त दी, जिस दिन हथियार साथ नहीं ले जाया जाता था। आपकी मुराद हज्जाज ही से थी।

(राजेअ : 966)

۹- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمَلِ

السَّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السَّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.

۹۶۶- حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو

السُّكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْفَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جَبْرِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ

أَصَابَهُ سِنَانُ الرَّمْحِ لِي أَخْمَصِي قَدَمِهِ،

فَلَزَقْتُ قَدَمَهُ بِالرَّكَابِ، فَتَزَلَّتْ فَتَزَعَتْهَا.

وَذَلِكَ بِمِيقَةٍ - فَبَلَغَ الْحُجَّاجَ لَجَعَلُ

يَهُودَهُ. فَقَالَ الْحُجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ

أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي.

فَقَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتُ السَّلَاحَ لِي

يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتُ

السَّلَاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنْ السَّلَاحُ يُدْخَلُ

الْحَرَمَ)). [طرفه في : ۹۶۷].

۹۶۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ

سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((دَخَلَ

الْحُجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ:

كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ: مَنْ

أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمَلِ

السَّلَاحِ لِي يَوْمٍ لَا يَحْمَلُ فِيهِ حَمَلُهُ)) بَعْضِ

الْحُجَّاجِ. [راجع : ۹۶۶]

तशरीह :

हज्जाज ज़ालिम ने दिल में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से दुश्मनी रखता था क्योंकि उन्होंने उसको का'बा पर मुन्जनीक लगाने और अब्दुल्लाह बिन जुबैर के क़त्ल करने पर मलामत की थी। दूसरे अब्दुल मलिक बिन मरवान

ने जो खलीफ़-ए-वक़्त था, ने हज़ाज को ये कहला भेजा था कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की इताअत करता रहे। ये अमर उस मरदूद पर शाक गुजरा और उसने चुपके से एक शख्स को इशारा कर दिया। उसने ज़हर आलूद बर्छा अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के पांव में घुसेड़ दिया। खुद ही तो ये शरारत की और खुद ही क्या मिस्कीन बनकर अब्दुल्लाह (रज़ि.) की इयादत को आया? वाहरे मक्कार! अल्लाह को क्या जवाब देगा। आखिर अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जो अल्लाह के बड़े मक्बूल बन्दे और बड़े आलिम और आबिद और ज़ाहिद और सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) थे, उनका फ़रेब पहचान लिया और फ़र्माया कि तुमने ही तो मारा है और तू ही कहता है हम मुजरिम को पा लें तो उसको सख्त सज़ा दें,

जफ़ा कर दी वो खुदकशती ब तेग़े जुल्म मारा

बहाना में बराए पुरशिसे बीमारी आई

(मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनियादार मुसलमानों ने किस-किस तरह से इलम-ए-इस्लाम को तकलीफ़ दी है फिर भी वो मर्दाने हक़-परस्त अम्मे हक़ की दा'वत देते रहे, आज भी इलमा को इन बुजुर्गों की इक्तिदा लाज़िमी है।

बाब 10 : ईद की नमाज़ के लिये सवेरे जाना

और अब्दुल्लाह बिन बुस्स सहाबी ने (मुल्के शाम में इमाम के देर से निकलने पर ए'तिराज़ किया) फ़र्माया कि हम तो नमाज़ से इस वक़्त फ़ारिग़ हो जाया करते थे। या'नी जिस वक़्त नफ़ल नमाज़ पढ़ना दुरुस्त होता है।

तशरीह:

या'नी इश्राक़ की नमाज़ मतलब ये है कि सूरज एक नेज़ा या दो नेज़ा हो जाए। बस यही ईद की नमाज़ का अफ़ज़ल वक़्त है और जो लोग ईद की नमाज़ में देर करते हैं वो बिदअती हैं ख़ुसूसन ईदुल अज्हा की नमाज़ और जल्द पढ़नी चाहिये ताकि लोग कुर्बानी वगैरह से जल्दी फ़ारिग़ हो जाएँ और सुन्नत के मुवाफ़िक़ कुर्बानी में से खाएँ। हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) ईदुल फ़ित्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज दो नेज़े बलन्द होता और ईदुल अज्हा की नमाज़ जब एक नेज़ा बलन्द होता। (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

968. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने ज़ैद से बयान किया, उनसे शुअबी ने, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने कुर्बानी के दिन ख़ुत्बा दिया और आपने फ़र्माया कि इस दिन सबसे पहले हमें नमाज़ पढ़नी चाहिये, फिर (ख़ुत्बे के बाद) वापस आकर कुर्बानी करनी चाहिये, जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ किया और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर दिया तो ये एक ऐसा गोश्त होगा जिसे उसने अपने घरवालों के लिये जल्दी से तैयार कर लिया है। ये कुर्बानी क़तअन नहीं। इस पर मेरे मामू अबू बुर्दा बिन नियार ने खड़े होकर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने तो नमाज़ के पढ़ने से पहले ही ज़िब्ह कर दिया। अल्बत्ता मेरे पास एक साल की एक पठिया है, जो दाँत निकली हुई बकरी से भी ज़्यादा बेहतर है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसके बदले में इसे समझ लो या ये फ़र्माया कि इसे ज़िब्ह कर लो और तुम्हारे बाद ये

۱۰- بَابُ التَّبَكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ: إِنْ كُنَّا فَرَعْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ. وَذَلِكَ حِينَ التَّنَسُّعِ.

۹۶۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَسْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ مُسْتَبَأً، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكَ فِي شَيْءٍ». فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ يَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جِلْدَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْبِيَةٍ. قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا»

एक साल की पठिया किसी के लिये काफ़ी नहीं होगी।
(राजेअ: 951)

أَوْ قَالَ: ((أَذْبَحَهَا - وَلَنْ تَجْزِيَا
جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). [راجع: ٩٥١]

तशरीह: इस हदीष की मुताबक़त बाब के तर्जुमा से यूनै है कि आपने फ़र्माया कि उस दिन पहले जो काम हम करते हैं वो नमाज़ है। इससे ये निकला कि ईद को नमाज़ सुबह सवेरे पढ़ना चाहिये क्योंकि जो कोई देर करके पढ़ेगा और वो नमाज़ से पहले दूसरे काम करेगा तो पहला काम उसका उस दिन नमाज़ न होगा। ये इस्तिम्बात हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की गहरी बस़ीरत की दलील है। (रहिमहुल्लाह)

इस सू़रत में आपने ख़ास उन्हीं अबू बुर्दा बिन नयार नामी सहाबी के लिये जिज़आ की कुर्बानी की इजाज़त बख़शी। साथ ही ये भी फ़र्मा दिया कि तेरे बाद ये किसी और के लिये काफ़ी न होगी। यहाँ जिज़आ से एक साल की बकरी मुराद है। लफ़्ज़े जिज़आ एक साल की भेड़-बकरी पर बोला जाता है। हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'अल जिज़अतु मिनज़ानि मा लहू सनतुन ताम्मतुन हाज़ा हुवल अशहरू अन अहलिल लुगति व जुम्हूरि अहलिल इल्मि मिन ग़ैरिहिम' या'नी जिज़आ वो है जिसकी उम्र पर पूरा एक साल गुज़र चुका हो। अहले सुन्नत और जुम्हूर अहले इल्म से यही मन्कूल है। कुछ छः और आठ और दस माह की बकरी पर भी जिज़आ बोलते हैं।

देवबन्दी तराजिमे बुखारी में इस मुक़ाम पर जगह-जगह जिज़आ का तर्जुमा चार महीने की बकरी का किया गया है तफ़्हीमुल बुखारी में एक जगह नहीं बल्कि बहुत से मुक़ामात पर चार महीने की बकरी लिखा हुआ मौजूद है। अल्लामा शौकानी (रह.) की ऊपर लिखी तशरीह के मुताबिक़ ये ग़लत है। इसलिये अहले हदीष तराजिमे बुखारी में हर जगह एक साल की बकरी के साथ तर्जुमा किया गया है।

लफ़्ज़े जिज़आ का इत्लाक़ मसलके हन्फ़ी में भी छः माह की बकरी पर किया गया है। देखो तस्हीलुल क़ारी, पारा नं. 4, पेज नं. 400 मगर चार माह की बकरी पर लफ़्ज़े जिज़आ ये खुद मसलके हन्फ़ी के भी ख़िलाफ़ है। कस्तलानी (रह.) ने शरह बुखारी, पेज नं. 117 मत्बूआ नवल किश्वर में है, 'जिज़अतु म्मिनल्मअज़ि ज़ात सनतिन' या'नी जिज़आ एक साल की बकरी को कहा जाता है।

बाब 11 : अय्यामे-तशरीक़ में अमल करने की फ़ज़ीलत का बयान

और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (इस आयत) और अल्लाह तआला का ज़िक्र मा'लूम दिनों में करो। में अय्यामे-मा'लूमात से मुराद ज़िल्हिज्जा के दस दिन हैं और अय्यामे-मअदूदात से मुराद अय्यामे-तशरीक़ हैं। इब्ने उमर और अबू हुरैरह (रज़ि.) इन दस दिनों में बाज़ार की तरफ़ निकल जाते और लोग इन बुजुर्गों की तकबीरात सुनकर तकबीर कहते और मुहम्मद बिन बाक़िर (रज़ि.) नफ़्ल नमाज़ों के बाद भी तकबीर कहते थे।

969. हमसे मुहम्मद बिन अरअरा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने सुलैमान के वास्ते से बयान किया, उनसे

١١ - بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ

التَّشْرِيقِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَكَرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ
مَعْلُومَاتٍ هُوَ يَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ
مَعْلُومَاتٍ. أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامِ
الْمَعْدُودَاتِ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. وَكَانَ ابْنُ
عَمْرٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي
أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ
بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ
النَّافِلَةِ.

٩٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ

मुस्लिम अल बतीन ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अयास (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उन दिनों के अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फ़ज़ीलत नहीं। लोगों ने पूछा और जिहाद भी नहीं। आपने फ़र्माया कि हाँ जिहाद भी नहीं, सिवा उस शख्स के जो अपनी जान व माल ख़तरे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी न लाया। (सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया)

الطّين عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ
أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ)). قَالُوا: وَلَا
الْجِهَادُ؟ قَالَ : ((وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ
خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ
بِشَيْءٍ)).

तशरीह :

और एक हनफ़ी फ़त्वा! ज़िलहिज्जा के पहले अशरा में इबादतें साल के तमाम दिनों की इबादतों से बेहतर है। कहा गया है कि ज़िलहिज्जा के दिन तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है और रमज़ान की रातों में से सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। ज़िलहिज्जा के इन दस दिनों की खास इबादत जिस पर सलफ़ का अमल था तकबीर कहना और रोज़े रखना है। इस इन्वान की तशरीह्वात में है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) और इब्ने उमर (रज़ि.) जब तकबीर कहते तो आम लोग भी उनके साथ तकबीर कहते थे और तकबीरों में मत्लूब भी यही है कि जब किसी कहते हुए को सुने तो आसपास जो भी आदमी हों सब बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहें। (तफ़हीमुल बुखारी) आम तौर पर बिरादराने अहनाफ़नवी तारीख़ से तकबीर शुरू करते हैं उनको मा' लूम होना चाहिये कि खुद उनके उलमा की तहक्कीक़ के मुताबिक़ उनका ये तज़े अमल सलफ़ के अमल के ख़िलाफ़ है जैसा कि यहाँ साहिबे तफ़हीमुल बुखारी देवबन्दी, हनफ़ी ने साफ़ लिखा है कि ज़िलहिज्जा के उन दस दिनों में तकबीर कहना सलफ़ का अमल था (अल्लाह नेक तौफ़ीक़ दे, आमीन) बल्कि तकबीरों का सिलसिला अय्यामे तशरीक़ में भी ज़ारी ही रहना चाहिये। जो ग्यारह से तेरह तारीख़ तक के दिन हैं। तकबीर के अल्फ़ाज़ ये हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लाह; वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द और यूँ भी मरवी हैं अल्लाहु अकबर कबीरा वल हम्दुलिल्लाहि क़बीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतं व्वअज़ीला

बाब 12 : तकबीर-मिना के दिनों में और जब नवीं तारीख़ को अरफ़ात में जाए

और हज़रत उमर (रज़ि.) मिना में अपने डेरे में तकबीर कहते तो मस्जिद में मौजूद लोग उसे सुनते और वो भी तकबीर कहने लगते फिर बाज़ार में मौजूद लोग भी तकबीर कहने लगते और सारा मिना तकबीर से गूँज उठता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मिना में उन दिनों में नमाज़ों के बाद, बिस्तर पर, ख़ेमे में, मजलिस में, रास्ते में और दिन के तमाम ही हिस्सों में तकबीर कहते थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) दसवीं तारीख़ में तकबीर कहती थी और औरतें आबान बिन इम्रान और अब्दुल अज़ीज़ के पीछे मस्जिद में मर्दों के साथ तकबीर कहा करती थीं।

١٢ - بَابُ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ مِنَى،

وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي بَيْتِي
بِمِنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ
وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى
تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَى بِلُغَةِ
الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى إِرَاشِهِ
وَلِي لُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمَشَاتِهِ بِلُغَةِ
الْأَيَّامِ جَمِيعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ
النَّخْرِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ
عُقْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْقَزِيزِ لِيَالِي
التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ.

980. हमसे अबू नुरैम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन अबीबक्र प्रकफ्री ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से तल्बिया के मुता'ल्लिक दरयाफ्त किया कि आप लोग हज़रत नबी करीम (ﷺ) के अहद में उसे किस तरह कहते थे। उस वक़्त हम मिना से अरफ़ात की तरफ़ जा रहे थे। उन्होंने फ़र्माया कि तल्बिया कहने वाले तल्बिया कहते और तकबीर कहने वाले तकबीर। उस पर कोई ए' तिराज़ न करता।

(दीगर मक़ाम : 1609)

٩٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الطَّقْفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِثَى إِلَى عَرَفَاتٍ - عَنِ النَّبِيِّ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يَلْبِي الْمَلْيَى لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيَكْبِرُ الْمَكْبَرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

[طرفه في : ١٦٥٩]

तशरीह : लफ़्जे मिना की तहकीक हज़रत अल्लामा क़स्तलानी (रह.) शारेह बुखारी के लफ़्जों में ये है, 'मिना बिकस्लिमीमि युजक़रू व युअन्नषु फ़इन्न कस्दल्मौज़इ फ़मुजक़रुन व युक्तबु बिल्अलिफ़ व यन्सरिफ़ व इन कस्दल्बुक़अति फ़मुअन्नषुन व ला यन्सरिफ़ु व युक्तबु बिल्याइ वल्मुख्तारु तज़्कीरुहू' या 'नी लफ़ज़ मिना मीम के ज़ेर के साथ अगर उससे मिना मौज़ाअ मुराद लिया जाए तो ये मज़कूर है और मुन्सरिफ़ है और ये अलिफ़ के साथ मिना लिखा जाएगा और अगर इससे मुराद बुक़आ (खास मुक़ाम) लिया जाए तो फिर ये मुअन्नष है और याअ के साथ मिना लिखा जाएगा मगर मुख्तार यही है कि ये मुजक़र है और मिना के साथ उसकी किताबत बेहतर है। फिर फ़र्माते हैं, 'व सुम्मिय मिना लिमा युम्ना फ़ीहि अय युराक़ु मिनहिमाइ' या 'नी ये मुक़ाम लफ़ज़ मिना से इसलिये मौसूम हुआ कि यहाँ खून बहाने का क़स्द होता है।

971. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे उमर बिन हफ़्स ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने आसिम बिन सुलैमान से बयान किया, उनसे हफ़सा बिनत सीरीन ने, उनसे उम्मे अतिया ने, उन्होंने फ़र्माया कि (आँहज़रत के ज़माने) हमें ईद के दिन ईदगाह में जाने का हुक़म था। कुँआरी लड़कियाँ और हाइज़ा भी पदों में बाहर आती थीं। ये सब मर्दों के पीछे पदों में रहतीं। जब मर्द तकबीर कहते तो ये भी कहतीं और जब वो दुआ करते तो ये भी करतीं। इस दिन की बरकत और पाकीज़गी हासिल करने की उम्मीद रखतीं। (राजेअ : 324)

٩٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُوَمِّرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِيهَا، حَتَّى نَخْرُجَ الْحَوْضُ فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكْبِرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعَوْنَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ. [راجع : ٣٢٤]

तशरीह : बाब की मुताबक़त इससे हुई कि ईद के दिन औरतें भी तकबीरें कहती थीं और मुसलमानों के साथ दुआओं में भी शरीक होतीं। दरहकीक़त ईदैन की रूह ही बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहने में मुज़्मर है ताकि दुनियावालों को अल्लाह पाक की बड़ाई और बुजुर्गी सुनाई जाए और उसकी अज़मत का सिक्का दिल में बिठाया जाए। आज भी हर मुसलमान के लिये नारा-ए-तकबीर की रूह को हासिल करना ज़रूरी है। मुर्दा दिलों में ज़िन्दगी पैदा होगी। तकबीर के अल्फ़ाज़ ये हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल हम्दुलिल्लाहि क़बीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतव्वअसीला या यूँ कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लाह; वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द

बाब 13 : ईद के दिन बरछी को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ना

١٣ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ

972. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहहाब प्रकफ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के सामने ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा की नमाज़ के लिये बरछी आगे-आगे उठाई जाती और वो ईदगाह में आपके सामने गाड़ दी जाती। आप उसी की आड़ में नमाज़ पढ़ते। (राजेअ : 494)

972 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَكِّزُ لَهُ الْحَرَبَةَ لِقَدَامَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّخْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي. [راجع: 494]

तश्रीह:

क्योंकि ईद मैदान में पढ़ी जाती थी और मैदान में नमाज़ पढ़ने के लिये सुत्रा ज़रूरी है इसलिये छोटा सा नेज़ा ले लेते थे जो सुत्रा के लिये काफ़ी हो सके और उसे आँहज़ूर (ﷺ) के सामने गाड़ देते थे। नेज़ा इसलिये लेते थे कि उसे गाड़ने में आसानी होती थी। इमाम बुखारी (रह.) इससे पहले लिख आएँ हैं कि ईदगाह में हथियार न ले जाना चाहिये। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरत हो तो ले जाने में कोई मुज़ायफ़ा नहीं कि खुद आँहज़ूरत (ﷺ) के सुत्रे के लिये नेज़ा ले जाया जाता था। (तफ़हीमुल बुखारी)

बाब 14 : इमाम के आगे-आगे ईद के दिन अन्ज़ा या हरबा लेकर चलना

14 - بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ - أَوْ

973. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िद हज़ामी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उमर औज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया नबी करीम (ﷺ) ईदगाह जाते तो बरछा (डण्डा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) आप (ﷺ) के आगे-आगे ले जाया जाता था, फिर ये ईदगाह में आप (ﷺ) के सामने गाड़ दिया जाता और आप (ﷺ) उसकी आड़ में नमाज़ पढ़ते। (राजेअ : 494)

الْحَرَبَةَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ 973 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي الْفِطْرَةَ إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنْزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْمِلُ وَتَنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: 494]

तश्रीह:

ऊपर गुज़र चुकी है। इससे ये भी प्राबित हुआ कि आँहज़ूरत (ﷺ) ईदैन की नमाज़ जंगल (मैदान) में पढ़ा करते थे। पस मसनून यही है जो लोग बिला इज़्र बारिश वग़ैरह के मस्जिद में ईदैन की नमाज़ पढ़ते हैं वो सुन्नत के प़वाब से महरूम रहते हैं।

बाब 15 : औरतों और हैज़ वालियों का ईदगाह में जाना

15 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمُصَلَّى

974. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे मुहम्मद ने, उनसे उम्मे अत्तिया (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि हमें हुक्म था कि पर्दा वाली दो शैज़ाओं को ईदगाह के लिये निकालें और अय्यूब सुखितयानी ने हफ़सा (रज़ि.) से भी इसी तरह रिवायत की है। हफ़सा (रज़ि.) की

974 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ: أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَائِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ خُوَيْهِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ

हदीष में ये ज्यादाती है कि दोशीज़ाएँ (लड़कियाँ) और परदेवालियाँ ज़रूर (ईदगाह जाएँ) और हाइज़ा नमाज़ की जगह से अलग रहें।

(राजेअ: 324)

حَفْصَةَ قَالَ: أَوْ قَالَتْ: الْعَوَائِقُ وَذَوَاتِ
الْخُدُورِ، وَيَتَغَتَّرْنَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّي.

[راجع: ٣٢٤]

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने औरतों के ईदैन में शिर्कत करने के बारे में तफ़्सील से सहीह अहादीष को नक़ल किया है जिनमें कुछ क़ीलो-क़ाल की गुंजाइश नहीं। अनेक रिवायतों में मौजूद है कि आँहज़रत (ﷺ) अपनी तमाम बीवियों और साहिबज़ादियों को ईदैन के लिये निकालते थे यहाँ तक कि फ़र्मा दिया कि हैज़ वाली भी निकलें और वो नमाज़ से दूर रहकर मुसलमानों की दुआओं में शिर्कत करें और वो भी निकलें जिनके पास चादर न हों। चाहिये कि उनकी हमजोलियाँ उनको अपनी चादर या दुपट्टा दे दें। बहरहाल औरतों का ईदगाह में शिर्कत करना एक अहमतरिन सुन्नत और इस्लामी शिआर है जिससे शौकते इस्लाम का मुजाहिरा (प्रदर्शन) होता है और मर्द-औरत और बच्चे मैदाने ईदगाह में अल्लाह के सामने सज्दा-रेज़ होकर दुआएँ करते हैं जिनमें से किसी एक की भी दुआ अगर कुबूलियत का दर्जा हासिल कर ले तो आम हाज़िरीन के लिये बाअिष्रे स़द बरकत हो सकती है।

इस बारे में कुछ लोगों ने फ़र्जी शुकूक व शुब्हात और मफ़रूज़ा ख़तरात की बिना पर औरतों का ईदगाह में जाना मकरूह करार दिया है मगर ये सारी मफ़रूज़ा (फ़र्जी) बातें हैं जिनकी शरअन कोई असल नहीं है। ईदगाह के मुंतज़िमीन का फ़र्ज़ है कि वो परदे का इतिज़ाम करें और हर फ़साद व ख़तरात के इसेदाद (रोकने) के लिये पहले ही से बन्दोबस्त कर ले।

हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) ने इस बारे में मुफ़स्सल व मुदल्लल बहष के बाद फ़र्माया है, 'अम्मा फ़ी मअनाहू मिनलअहादीषि काज़ियतुन बिमशरूइय्यति ख़ुरुजिन्सिदाइ फ़िल्इदैनिल इलल्मुसल्ला मिन ग़ौरि फ़किंन बैनल्बिक्लि वष्षय्यिबि वशशाब्बति वलअज़ज़ि वल्हाइज़ि व ग़ैरहा मालम तकुन मुअतहतुन औ कान फ़ी ख़ुरुजिहा फ़ितनतुन औ कान लहा उज़्रन' या'नी अहादीष इसमें फ़ैसला दे रही हैं कि औरतों को ईदैन में मर्दों के साथ ईदगाह में शिर्कत करना मशरूअ है। और इस बारे में शादीशुदा और कुँवारी और बूढ़ी और जवान और हाइज़ा वग़ैरह का कोई इम्तियाज़ नहीं है जब तक उनमें से कोई इद्दत में न हो या उनके निकलने में कोई फ़िले का डर न हो या कोई और उज़्र न हो तो बिला शक तमाम मुसलमान औरतों को ईदगाह में जाना मशरूअ हैं। फिर फ़र्माते हैं, 'वलक़ौलु बिकराहिय्यतिल्ख़ुरुजि अलल्इज़लाकि रहुन लिअहादीषिस्सहीहति बिल्अराइल्फ़ासिदति' या'नी मुल्लक़न औरतों के लिये ईदगाह में जाने को मकरूह करार देना या अपनी फ़ासिद रायों की बिना पर अहादीष सहीहा को रद्द करना है।

आजकल के जो इलमा ईदैन में औरतों की शिर्कत को नाजाइज़ करार देते हैं उनको इतना ग़ौर करने की तौफ़ीक़ नहीं होती कि यही मुसलमान औरतें बेतहाशा बाज़ारों में आती-जाती हैं; मेलों-उसों में शरीक होती हैं और बहुत सी ग़रीब औरतें जो मेहनत मज़दूरी करती हैं। जब उन सारे हालात में ये मफ़ासिदे मफ़रूज़ा से बालातर हैं तो ईदगाह की शिर्कत में जबकि वहाँ जाने के लिये बापर्दा और बाअदब होना ज़रूरी है कौनसे फ़र्जी ख़तरात का तसव्वुर करके उनके लिये अदमे-जवाज़ का फ़त्वा लगाया जा सकता है।

शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी दामत फ़ैजुहू फ़र्माते हैं, औरतों का ईदगाह में ईद की नमाज़ के लिये जाना सुन्नत है। शादीशुदा हों या कुँवारी, जवान हो या अथेड़ हो या बूढ़ी। 'अन उम्मि अतिय्यत अनरसूलल्लाहि (ﷺ) कान युख़िरजुल अब्कार वलअवातिक़ व ज़वातिल्ख़ुदूरि वल्हुय्यज़ु फ़िल्इदैनिल फ़अम्मल्हुय्यज़ु लयअतज़िल्लल मुसल्ला व यशहदन दअवतल मुस्लिमीन क़ालत इहदाहुन्न या रसूलल्लाहि इल्लम यकुल्लहा जल्बाबुन क़ाल फ़लितुसिर्हा उख़तहा मिन जल्बाबिहा' (सहीहैन वग़ैरह) आँहज़रत (ﷺ) ईदैन में दोशीज़ा, जवान कुँवारी, हैज़वाली औरतों को ईदगाह जाने का हुक़म देते थे। हैज़वाली औरतें नमाज़ से अलग रहतीं और मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहतीं। एक औरत ने कहा कि अगर किसी औरत के पास चादर न हो तो आपने फ़र्माया कि उसकी मुसलमान बहन

अपनी चादर में ले जाए। जो लोग कराहत के कायल हैं या जवान या बूढ़ी के बीच फर्क करते हैं दरअसल वो सहीह हदीष को अपनी फ़ासिद और बातिल रायों से रद्द करते हैं। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़तहल बारी में और इब्ने हज़म ने अपनी मुहल्ला में बित्तफ़सील मुख़ालिफ़ीन के जवाबात ज़िक्र किये हैं। औरतों को ईदगाह में सख़्त पर्दा के साथ बग़ैर किसी किसिम की खुशबू लगाए और बग़ैर बजने वाले ज़ेवर और ज़ीनत के लिबास के जाना चाहिये ताकि फ़ित्ने का सबब न बने। 'क़ाल शैख़ुना फ़ी शर्हिन्निर्मिज़ी अला मन इलख़ुरूजि इललइदि लिशशवाब्बि मअलअम्नि मिनलमफ़ासिदि मिम्मा हदइन फ़ी हाज़ज़मानि बल हुव मशरूउन लहुन्न व हुवलक़ौलुर्राजिह इन्तिहा' या 'नी अम्न की हालत में जवान औरतों को शिफ़ते ईदैन से रोकना उसके बारे में मानेईन (मना करने वालों) के पास कोई दलील नहीं है बल्कि वो मशरूअ है और क़ौले राजेह यही है।

बाब 16 : बच्चों का ईदगाह जाना

١٦ - بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلِّي

975. हमसे इमर बिन अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुरहमान बिन महदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान शौरी ने अब्दुरहमान बिन आबिस से बयान किया, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने ईदुल फ़ितर या ईदुल अज़हा के दिन नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ने के बाद ख़ुत्बा दिया फिर औरतों की तरफ़ आए और उन्हें नस्तीहत फ़र्माई और स़दके के लिये हुक्म फ़र्माया। (राजेअ: 98)

٩٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ لُطْرِ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. [راجع: ٩٨]

बाब 17 : इमाम ईद के ख़ुत्बे में लोगों की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो

١٧ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

976. हमसे अबू नुएम फुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन तलहा ने बयान किया, उनसे ज़ैद ने, उनसे शुअबी ने, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल अज़हा के दिन बक़ीअ की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और दो रकअत ईद की नमाज़ पढ़ाई। फिर हमारी तरफ़ चेहर-ए-मुबारक करके फ़र्माया कि सबसे मुक़द्दम इबादत हमारे इस दिन की ये है कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर (नमाज़ और ख़ुत्बे से लौट) कर कुर्बानी करें। इसलिये जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ किया और जिसने नमाज़ से पहले ज़िबह कर दिया तो वो ऐसी चीज़ है जिसे उसने अपने घरवालों के खिलाने के लिये जल्दी से मुहैया कर दिया है और उसका कुर्बानी से कोई ता'ल्लुक नहीं। इस पर एक शख़्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि

٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى بَقْعِ فَصَلَّى الْعِيدَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ نُسْكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَسْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَلُهُ لِأَهْلِيهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ

या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैंने तो पहले ही ज़िबह कर दिया लेकिन मेरे पास एक साल की पठिया है और वो दो-दंती बकरी से ज्यादा बेहतर है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि खैर तुम उसी को ज़िबह करलो लेकिन तुम्हारे बाद किसी की तरफ़ से ऐसी पठिया जाइज़ न होगी (राजेअ: 951)

وَعِنْدِي جَذَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِينَةٍ. قَالَ: ((أَذْبَحْهَا، وَلَا تَقِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

[راجع: 951]

सवाल करने वाले अबू बुर्दा बिन नियार अंसारी थे। हदीष और बाब में मुताबकत ज़ाहिर है।

बाब 18 : ईदगाह में निशान लगाना

١٨ - بَابُ الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلِّي

या'नी कोई ऊँची चीज़ जैसे लकड़ी वगैरह उससे ये गर्ज़ थी कि ईदगाह का मक़ाम मा'लूम रहे।

977. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने सुफ़यान शौरी से बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुर्रहमान बिन आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना। उनसे दरयाफ़्त किया गया था कि आप नबी करीम (ﷺ) के साथ ईदगाह गये थे? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! और अगर बावजूद कमउम्री के मेरी क़द्रो-मन्ज़िलत आपके यहाँ न होती तो मैं जा नहीं सकता था। आप उस निशान पर आए जो क़भ्रीर बिन सुलत के घर के करीब है। आपने वहाँ नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा सुनाया। उसके बाद औरतों की तरफ़ आए, आप के साथ बिलाल (रज़ि.) भी थे। आप (ﷺ) ने उन्हें वा'ज़ और नस्तीहत की और मदक़ा के लिये कहा। चुनाँचे मैंने देखा कि औरतें अपने हाथों से बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डाले जा रही थीं। फिर आँहज़रत (ﷺ) और बिलाल (रज़ि.) घर वापस हुए।

(राजेअ: 98)

क़भ्रीर बिन सुलत का मकान आँहज़रत (ﷺ) के बाद बनाया गया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने लोगों को ईदगाह का मकान बताने के लिये उसका पता दिया।

٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ : أَشْهَدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَلَوْ لَا مَكَائِلِي مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى آتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ آتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْلِقُنَّهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ.

[راجع: 98]

बाब 19 : इमाम का ईद के दिन औरतों

١٩ - بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ

को नस्तीहत करना

يَوْمَ الْعِيدِ

978. हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम बिन नस्र ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता ने ख़बर दी कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को मैंने ये कहते सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल फ़ितर की नमाज़ पढ़ी। पहले आपने नमाज़ पढ़ी उसके

٩٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : [قَامَ

बाद खुत्बा दिया। जब आप खुत्बे से फ़ारिग हो गये तो उतरे और औरतों की तरफ़ आए। फिर उन्हें नज़ीहत फ़र्माई। आप (ﷺ) उस वक़्त बिलाल (रज़ि.) के हाथ का सहारा लिये हुए थे। बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला रखा था जिसमें औरतें स़दक़ा डाल रही थीं, मैंने अता से पूछा क्या वे स़दक़-ए-फ़ितर दे रही थीं? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं बल्कि वो स़दक़े के तौर पर दे रही थीं। उस वक़्त औरतें अपने छल्ले (वग़ैरह) बराबर डाल रही थीं। फिर मैंने अता से पूछा कि क्या आप अब भी इमाम पर इसका हक़ जानते हैं कि वो औरतों को नज़ीहत करे? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! उन पर ये हक़ है और क्या वजह है कि वो ऐसा नहीं करते।

(राजेअ: 958)

989. इब्ने जुरैज ने कहा कि हसन बिन मुस्लिम ने मुझे ख़बर दी, उन्हें त्राऊस ने, उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र, उमर और इम्रान (रज़ि.) के साथ ईदुल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने गया हूँ। ये सब हज़रात खुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ते और बाद में खुत्बा देते थे। नबी करीम (ﷺ) उठे, मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है, जब आप (ﷺ) लोगों को हाथ के इशारे से बिठा रहे थे। फिर आप स़फ़ों से गुज़रते हुए औरतों की तरफ़ आए। आप के साथ बिलाल थे। आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई। ऐ नबी (ﷺ)! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैअत के लिये आएँ अलआया। फिर जब खुत्बे से फ़ारिग हुए तो फ़र्माया कि क्या तुम इन बातों पर क़ायम हो? एक औरत ने जवाब दिया कि हाँ! उनके अलावा कोई औरत न बोली, हसन को मा'लूम नहीं कि बोलने वाली ख़ातून कौन थी? आप (ﷺ) ने ख़ैरात के लिये हुक़म फ़र्माया और बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि लाओ! तुम पर मेरे माँ-बाप फ़िदा हों। चुनाँचे औरतें छल्ले और अंगूठियाँ बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डालने लगीं। अब्दुरज़ज़ाक़ ने कहा फ़त्ख़ बड़े छल्ले को कहते हैं, जिसका जहालत के ज़माने में इस्ते'माल होता

النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، قَبَدًا بِالصَّلَاةِ
ثُمَّ حَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ
لَذَكْرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّمُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ،
وَبِلَالٌ بِاسِطٌ تَوْبَهُ يُنْقِي لِيَهِيَ النِّسَاءَ
الصَّدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟
قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ:
تُنْقِي لَتَحْتَهَا وَيُلْقِينَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى
حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيَذَكْرُهُنَّ؟ قَالَ:
إِنَّهُ لِحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ؟

[راجع: ٩٥٨]

٩٧٩- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي
الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((شَهِدْتُ
الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ
الْحُطْبَةِ، ثُمَّ يُحَطَبُ بَعْدَهُ. خَرَجَ النَّبِيُّ
ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُحَلِّسُ يَدَيْهِ. ثُمَّ
أَقْبَلَ يَشْفُقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ
فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ
الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ)) الْآيَةَ. ثُمَّ قَالَ
حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: ((أَنْتَنَ عَلَى ذَلِكَ؟))
فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ - لَمْ يُجِبْهُ
غَيْرُهَا - : نَعَمْ. لَا يَنْدِرِي حَسَنٌ مِنْ هِيَ.
قَالَ: ((تَصَدَّقْنَ)) فَاسِطٌ بِلَالٌ تَوْبَهُ ثُمَّ
قَالَ: هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءُ أَبِي وَأُمِّي. فَيُلْقِينَ
الْفَتْخَ وَالْخَوَائِمَ فِي تَوْبِ بِلَالٍ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتْخُ: الْخَوَائِمُ الْعِظَامُ

था। (राजेअ : 57)

كَانَتْ لِي الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: ٥٧]

तशरीह : अगरचे ज़मान-ए-नबवी में ईदगाह के लिये कोई इमारत नहीं थी और जहाँ ईदैन की नमाज़ पढ़ी जाती थी वहाँ कोई मिम्बर भी नहीं था लेकिन इस लफ़्ज़ फ़लम्मा फ़रज़ नज़लह से मा'लूम होता है कि कोई बुलन्द जगह थी जिस पर आप (ﷺ) खुत्बा देते थे।

आँहुज़ूर (ﷺ) मर्दों के सामने खुत्बा दे चुके तो लोगों ने समझा कि अब खुत्बा खत्म हो गया है और उसे वापस जाना चाहिये। चुनाँचे लोग वापसी के लिये उठे लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका कि अभी बैठे रहें क्योंकि आप (ﷺ) औरतों को खुत्बा देने जा रहे थे। दूसरी रिवायतों से मा'लूम होता है कि जवाब देने वाली खातून अस्मा बिनते यज़ीद थीं जो अपनी फ़साहत व बलागत की वजह से ख़तीबतुन्निसा के नाम से मशहूर थीं। उन्हीं की एक रिवायत में है कि जब नबी करीम (ﷺ) औरतों की तरफ़ आए तो मैं भी उनमें मौजूद थी। आपने फ़र्माया कि औरतों तुम जहन्नम का ईधन ज़्यादा बनोगी। मैंने आप (ﷺ) को पुकारकर कहा, क्योंकि मैं आपके बहुत करीब थी, क्यों या रसूलल्लाह! ऐसा क्यों होगा? आपने फ़र्माया इसलिये कि तुम लोग लान-तान बहुत ज़्यादा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्रा करती हो।

बाब 20 : अगर किसी औरत के पास ईद के दिन दुपट्टा (चादर) न हो

٢٠- بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

980. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब सुखितयानी ने हफ़्सा बिनत सीरीन के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़कियों को ईदगाह जाने से मना करते थे। फिर एक खातून बाहर से आई और क़स्ने बनू ख़लफ़ में उन्होंने क़याम किया कि उनकी बहन के शौहर नबी करीम (ﷺ) के साथ बारह लड़ाइयों में शरीक रहे और खुद उनकी बहन अपने शौहर के साथ छह लड़ाइयों में शरीक हुई थीं। उनका बयान था कि हम मरीज़ों की ख़िदमत किया करते थे और जख़िमियों की मरहम-पट्टी करते थे। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम में से अगर किसी के पास चादर न हो और उसकी वजह से ईद के दिन (ईदगाह) न जा सकें तो कोई हर्ज है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसकी सहेली अपनी चादर का एक हिस्सा उसे ओढ़ा दे और फिर वो ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। हफ़्सा ने बयान किया कि फिर जब उम्मे अत्रिया यहाँ तशरीफ़ लाई तो मैं उनकी ख़िदमत में भी हाज़िर हुई और दरयाफ़्त किया कि आपने फ़लाँ-

٩٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ قَالَتْ: ((كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَ بَيْتِي خَلْفِي، فَأَتَيْتَهَا، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَ أُخْتِيهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنِسْبَةِ عَشْرَةِ غَزَوَاتٍ، فَكَانَتْ أُخْتِيهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيَّ إِحْدَانَا بَأْسٌ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ - أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: ((لَتَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَتَهَذَّنِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ)). قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمْتَ أُمُّ عَطِيَّةٍ أَتَيْتَهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسْمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟

फलाँ बात सुनी है। उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! मेरे माँ-बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हो। उम्मे अत्तिया (रज़ि.) जब भी नबी करीम (ﷺ) का ज़िक्र करती तो ये ज़रूर कहती कि मेरे माँ-बाप आप पर फ़िदा हो, हाँ! तो उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जवान पर्देवाली या जवान और पर्दे वाली बाहर निकलें। शुब्हा अय्यूब को था। अलबत्ता हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलग होकर बैठें, उन्हें ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में ज़रूर शरीक होना चाहिये। हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने उम्मे अत्तिया (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हाइज़ा औरतें भी? उन्होंने फ़र्माया क्या हाइज़ा औरतें अरफ़ात नहीं जातीं और क्या वो फलाँ-फलाँ जगहों में शरीक नहीं होतीं। (फिर इज्तेमाअे - ईद ही की शिकत में कौनसी क़बाहत है) (राजेअ: 324)

فَقَالَتْ: نَعَمْ، يَا بِي - وَقَلَّمَا ذَكَرْتُ
النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: يَا بِي - قَالَ:
(لِيَخْرُجَ الْعَوَائِقُ ذَوَاتِ الْخُدُورِ - أَوْ
قَالَ: الْعَوَائِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، شَكَ
أَيُّوبُ - وَالْحَيْضُ، تَعَزَّلُ الْحَيْضُ
الْمُصَلِّي، وَيَتَشَهَّدَنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُؤْمِنِينَ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحَيْضُ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَافَاتٍ
وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟.

[راجع: ٣٢٤]

तशरीह: हफ़्सा (रज़ि.) के सवाल की वजह ये थी कि जब हाइज़ा पर नमाज़ ही फ़र्ज़ नहीं और न वो नमाज़ पढ़ सकती है तो ईदगाह में उसकी शिकत से क्या फ़ायदा होगा? इस पर हज़रत उम्मे अत्तिया (रज़ि.) ने कहा कि जब हैज़ वाली अरफ़ात और दीगर मुक़ामाते मुक़द़सा में जा सकती है और जाती हैं तो ईदगाह में क्यों न जाएँ? इस जवाब पर आजकल के उन हज़रात को ग़ौर करना चाहिये जो औरतों का ईदगाह में जाना नाजाइज़ करार देते हैं और उसके लिये सौ हीले और बहाने तलाशते हैं, हालाँकि मुसलमानों की औरतें मेलों में और फ़िस्को-फ़ुजूर में धड़ल्ले से शरीक होती हैं।

ख़ुलासा ये है कि हैज़वाली औरतों को भी ईदगाह जाना चाहिये और वो नमाज़ से अलग रहें मगर दुआओं में शरीक हों। इससे मुसलमानों की इज्तिमाई दुआओं की अहमियत भी प्राबित होती है। बिला शक़ दुआ मोमिन का हथियार है और जब मुसलमान मर्द-औरत मिलकर दुआ करें तो न मा'लूम किस की दुआ कुबूल होकर तमाम अहले इस्लाम के लिये बाअिषे बरकत हो सकती है। बहालाले मौजूदा जबकि मुसलमान हर तरफ़ से मसाइब (परेशानियों) का शिकार हैं, बिज़रूर दुआओं का सहारा ज़रूरी है। इमामे ईद का फ़र्ज़ है कि खुशूअ व खुज़ूअ के साथ इस्लाम की सरबुलन्दी के लिये दुआएँ करे। ख़ास तौर पर कुआनी दुआएँ ज़्यादा मुअषि़र (प्रभावशाली) है; फिर अहदीष में भी बड़ी पाकीज़ा दुआएँ वारिद हुई हैं। उनके बाद सामेईन की मादरी जुबान (मातृभाषा) में भी दुआएँ की जा सकती हैं। (वबिल्लाहितौफ़ीक़)

बाब 21 : हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलग रहें

981. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन इब्राहीम इब्ने अबी अदी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औन ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने कि उम्मे अत्तिया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमें हुक्म था कि हाइज़ा औरतों, दोशीज़ाओं और पर्देवालियों को ईदगाह ले जाएँ... इब्ने औन ने कहा कि या (हदीष) में पर्देवाली दोशीज़ाएँ है। अलबत्ता

٢١ - بَابُ اغْتِزَالِ الْحَيْضِ بِالْمُصَلِّي

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ قَالٍ : قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أَمَرْنَا أَنْ
نَخْرُجَ فَتَخْرُجَ الْحَيْضُ وَالْعَوَائِقُ وَذَوَاتِ
الْخُدُورِ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوْ الْعَوَائِقُ

हाइज़ा औरतें मुसलमानों की जमाअत और दुआओं में शरीक हो और (नमाज़ से) अलग रहें।

(राजेअ: 324)

बाब 22 : ईदुल अज़हा के दिन ईदगाह में नहर और ज़िबह करना

982. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, कहा कि मुझ से क़बीर बिन फ़रक़द ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईदगाह ही में नहर और ज़िबह किया करते।

(दीगर मक़ामात: 1710, 1711, 5551, 5552)

नहर ऊँट का होता है बाक़ी जानवरों को लिटाकर ज़िबह करते हैं। ऊँट को खड़े-खड़े उसके सीने में खंज़र मार देते हैं। उसका नाम नहर है। कुर्बानी शआइरे इस्लाम (इस्लाम की निशानियों) में से है। हस्बे मौक़ा व महल बिला शुबहा ईदगाह में भी नहर और कुर्बानी मसनून है। मगर बहलालते मौजूदा अपने घरों या मुकर्ररा मुक़ामात पर ये सुन्नत अदा करनी चाहिये। हलालत की मुनासबत के लिये इस्लाम में गुंजाइश रखी गई है।

बाब 23 : ईद के ख़ुत्बे में इमाम का और लोगों का बातें करना

और इमाम का जवाब देना जब ख़ुत्बे में उससे कुछ पूछा जाए

983. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल अहवज़ सलाम बिन सलीम ने बयान किया, कहा कि हमसे मन्सूर बिन मुअतमिर ने बयान किया कि उनसे आमिर शुअबी ने, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने बकर ईद के दिन नमाज़ के बाद ख़ुत्बा सुनाया और फ़र्माया कि जिसने हमारी तरह की नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह की कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हुई। लेकिन जिसने नमाज़ से पहले कुर्बानी की तो वो ज़बीहा सिर्फ़ गोश्त खाने के लिये होगा। इस पर अबू बुर्दा बिन नयार ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) क़सम अल्लाह की! मैंने तो नमाज़ के लिये आने से पहले कुर्बानी कर ली, मैंने ये समझा कि आज का दिन खाने-पीने का दिन है,

ذَوَاتِ الْخُدُورِ - فَأَمَّا الْخَيْضُ فَيَشْهَدُنَ
جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتِهِمْ وَيَعْتَرِلْنَ
مُصَلَّاهُمْ. [راجع: ٣٢٤.]

٢٢- بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى
يَوْمَ النَّحْرِ

٩٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَنْحَرُ - أَوْ يَذْبَحُ - بِالْمُصَلَّى)).

[أطرافه في: ١٧١٠، ١٧١١، ٥٥٥١]

[٥٥٥٢]

٢٣- بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي
خُطْبَةِ الْعِيدِ

وَإِذَا سِيلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ
٩٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعَمَّرِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الزَّوَّاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ:
حَفِظْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ
الصَّلَاةِ وَ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا،
وَتَسَكَ نُسُكَنَا، لَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ. وَمَنْ
نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَيَلِكُ شَاءَ لَحْمٍ)).

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَيَّارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَإِنَّهُ لَقَدْ نَسَكَتُ قَبْلَ أَنْ أُنْحَرَجَ

इसलिये मैंने जल्दी की और खुद भी खाया और घरवालों को और पड़ोसियों को भी खिलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बहरहाल ये गोश्त (खाने का) हुआ (कुर्बानी नहीं) उन्होंने अज़्र किया कि मेरे पास एक बकरी का सालभर का बच्चा है वो दो बकरियों के गोश्त से ज़्यादा बेहतर है। क्या मेरी (तरफ़ से उसकी) कुर्बानी दुरुस्त होगी? आपने फ़र्माया कि हाँ! मगर तुम्हारे बाद किसी की तरफ़ से ऐसे बच्चे की कुर्बानी काफ़ी न होगी।

(राजेअ: 951)

इससे ये प्राबित फ़र्माया कि इमाम और लोग ईद के खुत्बे में मसाइल की बात कर सकते हैं और आगे के फ़िक्रों से ये प्राबित होता है कि खुत्बे की हालत में अगर इमाम से कोई शख्स मसला पूछे तो वो जवाब दे।

984. हमसे हामिद बिन उमर ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उनसे अय्यूब सुख्तिथानी ने, उनसे मुहम्मद ने, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बकर ईद के दिन नमाज़ पढ़कर खुत्बा दिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस शख्स ने नमाज़ से पहले जानवर ज़िबह कर लिया उसे दोबारा कुर्बानी करनी होगी। इस पर अन्सार में से एक प्रहाबी उठे कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरे कुछ ग़रीब-भूखे पड़ोसी हैं या यूँ कहा कि वो मुहताज हैं। इसलिये मैंने नमाज़ से पहले ज़िबह कर दिया अलबत्ता मेरे पास एक साल की एक पठिया है जो दो बकरियों के गोश्त से भी ज़्यादा मुझे पसन्द है। आप (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दे दी। (राजेअ: 954)

985. हमसे मुस्लिम बिन अब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अस्वद बिन क्रैस ने, उनसे जुन्दब ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने बकर ईद के दिन नमाज़ पढ़ाने के बाद खुत्बा दिया फिर कुर्बानी की। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने नमाज़ से पहले ज़िबह कर लिया हो तो उसे दूसरा जानवर बदले में कुर्बानी करना चाहिये और जिसने नमाज़ से पहले ज़िबह न किया हो वो अल्लाह के नाम पर ज़िबह करे।

(दीगर मक़ामात: 5500, 5562, 6674, 7400)

إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ أَكَلُ وَشَرِبُ، فَصَجَلْتُ، وَأَكَلْتُ وَأَطَعْتُ أَهْلِي وَجِزَائِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَلَّغْ شَأْنَهُ لِعَمٍّ)). قَالَ: لِيَنَّ عِنْدِي عَنَاقٌ جَلَدَةٌ لَهَا خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لِعَمٍّ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بِعَدْلِكَ)) [راجع: 901].

984 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّخْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِزْأَن لِي - إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خِصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَقَرَّ - وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لِعَمٍّ.

فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا)). [راجع: 904]

985 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّخْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ تَمَّ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ)). [أطرافه: 5000، 5062،

6674، 7400].

बाब 24 : जो शख्स ईदगाह को एक रास्ते में जाए वो घर को दूसरे रास्ते से आए

986. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने, उन्होंने कहा कि हमें अबू तुमैला यह्या बिन वाज़ेह ने खबर दी, उन्हें फुलैह बिन सुलैमान ने, उन्हें सईद बिन हारिष ने, उन्हें जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईद के दिन एक रास्ते से जाते फिर दूसरा रास्ता बदल कर आते। इस रिवायत की मुताबअत यूनुस बिन मुहम्मद ने फुलैह से, उनसे सईद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया लेकिन जाबिर की रिवायत ज़्यादा सहीह है।

या'नी जो शख्स सईद का शैख जाबिर (रज़ि.) को करार देता है उसकी रिवायत उससे ज़्यादा सहीह है जो अबू हुरैरह (रज़ि.) को सईद का शैख कहता है। यूनुस की इस रिवायत को इस्माईल ने वस्ल (मिलान) किया है।

रास्ता बदलकर आना-जाना भी शर'अी मस्लहतों से खाली नहीं है जिसका मक़सद उलमा ने ये समझा कि दोनों रास्तों पर इबादते इलाही के लिये नमाज़ी के क़दम पड़ेंगे और दोनों रास्तों की ज़मीनें इन्दल्लाह उसके लिये गवाह होंगी। वल्लाहु अज़लम!

बाब 25 : अगर किसी को जमाअत से ईद की नमाज़ न मिले तो फिर दो रकअत पढ़ ले

और औरतें भी ऐसा ही करें और वो लोग भी जो घरों और देहातों वगैरह में हों और जमाअत में न आ सकें (वो भी ऐसा ही करें) क्योंकि नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि इस्लाम वालों! ये हमारी ईद है। अनस बिन मालिक (रज़ि.) के गुलाम इब्ने अबी उतैबा ज़ाविया नामी गाँव में रहते थे। उन्हें आपने हुक्म दिया था कि वो अपने घरवालों और बच्चों को जमा करे शहर वालों की तरह नमाज़े-ईद पढ़ें और तकबीर कहें। इक्रिमा ने शहर के क़रीब व जवार में आबाद लोगों के लिये फ़र्माया कि जिस तरह इमाम करता है ये लोग भी ईद के दिन जमा होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ें। अता ने कहा कि अगर किसी की ईद की नमाज़ (जमाअत) छूट जाए तो वो दो रकअत (तन्हा) पढ़ ले।

इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ ये श्राबित फ़र्माया है कि ईद की नमाज़ सबको पढ़ना चाहिये ख्वाह गाँव में हो या शहर में। इसकी तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है। ज़ाविया बसरा से छः मील पर एक गाँव था। हज़रत अनस (रज़ि.) ने अपना मकान वहाँ पर ही बनवाया था।

۲۴- بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا

رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

۹۸۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِ خَالَفَ الطَّرِيقَ)). تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحِ عَنْ سَعِيدِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.

۲۵- بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي

رَكَعَتَيْنِ

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هَذَا عِيدُنَا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ)). وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِالزَّوَايَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيَهُ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمَضَرِّ وَتَكْبِيرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرَمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

987. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि उनसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक्रील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे इर्वा ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अबूबक्र (रज़ि.) उनके यहाँ (मिना के दिनों में) तशरीफ़ लाए, उस वक़्त घर में दो लड़कियाँ दुफ़ बजा रही थी और बुआष की लड़ाई की नज़में गा रही थी। नबी करीम (ﷺ) ने चेहर-ए-मुबारक पर कपड़ा डाले हुए तशरीफ़ फ़र्माया। अबूबक्र (रज़ि.) ने उन दोनों को डाँटा। इस पर आप (ﷺ) ने चेहर-ए-मुबारक से कपड़ा हटाकर फ़र्माया, ऐ अबूबक्र! जाने भी दो ये ईद का दिन है (और वो भी मिना में)। (राजेअ : 949)

988. और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने (एक दफ़ा) नबी करीम (ﷺ) को देखा कि आप (ﷺ) ने मुझे छुपा रखा था और मैं हब्शा के लोगों को देख रही थी जो मस्जिद में तीरों से खेल रहे थे। हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें डाँटा लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जाने दो और उनसे फ़र्माया, ऐ बनू अरफ़िदा! तुम बेफ़िक्र होकर खेल दिखाओ। (राजेअ : 454)

शायद इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से बाब का मतलब यँ निकाला कि जब हर शख्स के लिये ये दिन खुशी के हुए तो हर एक को ईद की नमाज़ भी पढ़नी होगी। आँहज़रत (ﷺ) ने ईदुल अज़हा और बाद के अय्यामे तशरीक 11, 12, 13 सबको ईद के अय्याम फ़र्माया और इर्शाद हुआ कि एक तो ईद के दिन खुशी के दिन हैं और फिर मिना में होने की और खुशी है कि अल्लाह ने हज्ज नज़ीब किया।

बाब 26 : ईदगाह में ईद की नमाज़ से पहले या उसके बाद नफ़ल नमाज़ पढ़ना कैसा है?

और अबू मुअल्ला यह्या बिन मैमून ने कहा कि मैंने सईद से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि आप ईद से पहले नफ़ल नमाज़ पढ़ना मकरूह जानते थे।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने कहा कि ये अषर मुझको मौसूलन नहीं मिला और अबुल मुअल्ला से इस किताब में इसके सिवा और कोई रिवायत नहीं है।

989. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अदी बिन घ़ाबित ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने सईद बिन जुबैर से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल फ़ितर के दिन निकले और (ईदगाह) में दो रक़अत नमाज़े-ईद पढ़ी।

٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَنَى تَدْفَلِقَانِ وَتَضْرِبَانِ - وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَفَشٍّ بِبَوْبِهِ - فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: ((دَعُوهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، لِإِنِّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِنِّي)).

[راجع: ٩٤٩]

٩٨٨ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرْتُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعُوهُمْ. أَمَّا بَنِي أَرْلَدَةَ)) يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ. [راجع: ٤٥٤]

٢٦- بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ

وَبَعْدَهَا

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ.

٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى

आप (ﷺ) ने न इससे पहले नफ़ल नमाज़ पढ़ी और न उसके बाद,
आप (ﷺ) के साथ बिलाल (रज़ि.) भी थे।

رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعَثَهَا، وَمَعَهُ
بِلَالٌ.

तशरीह:

अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, क़ौलुहु लम युसल्लि क़ब्लहा व बअदहा फ़ीहि व फ़ी बक्रिय्यति अहादीषिलबाबि दलीलुन अला कराहितिससलाति क़ब्ल सलालिलईदि व बअदहा इलैहि ज़हब अहमदुब्नु हंबल क़ालुब्नु कुदामा व हुव मजहबु इब्नि अब्बास वब्नि उमर. (नैलुल औतार)

या'नी इस हदीष और इस बारे में दीगर अहादीष से प्राबित हुआ कि ईद कीनमाज़ के पहले और बाद में नफ़ली नमाज़ पढ़ना मकरूह है। इमाम अहमद बिन हंबल का भी यही मसलक है और बक़ौल इब्ने कुदामा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) और हज़रत अली व हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) और बहुत से अकाबिर सहाब-ए-किराम व ताबेईन का भी यही मसलक है। इमाम जुहरी (रह.) फ़र्माते हैं, लम अस्मअ अहदमिन उलमाइना यज़्कुर अन्न अहदन मिन सलफ़ि हाज़िलुउम्मति कान युसल्लि क़ब्ल तिल्कससलाति व ला बअदहा. (नैलुल औतार)

या'नी अपने ज़माने के उलमा में मैंने किसी आलिम को ये कहते नहीं सुना कि सलफ़े उम्मत में से कोई भी ईद से पहले या बाद में कोई नफ़ल नमाज़ पढ़ता हो। हाँ ईद की नमाज़ पढ़कर और वापस घर आकर घर में दो रकअत नफ़ल पढ़ना प्राबित है जैसा कि इब्ने माजा में हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से प्राबित है। वो कहते हैं, अनिन्नबिद्यि अन्नहू कान ला युसल्लि क़ब्ललईदि शौअन फ़इजा रजअ इला मन्जिलिही सल्ला रकअतैनि. (रवाहुब्नु माजा व अहमद बिमअनाहू) या'नी आँहज़रत (ﷺ) ने ईद से पहले कोई नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ी। जब आप (ﷺ) अपने घर वापस हुए तो आपने दो रकअतें अदा कीं। इसको इब्ने माजा और अहमद ने भी उसके क़रीब-क़रीब रिवायत किया है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, व हदीषु अबी सईदिन अख़रजहू अयज़न अल्हाकिमु व सटहहू व हस्सनहुल्हाफ़िज़ु फ़िल्फ़तहि व फ़ी इस्नादिही अब्दुल्लिहिब्नु मुहम्मदिब्नि अकील व फ़ीहि मक़ालुन व फ़िल्बाबि अन अब्दिल्लाहिब्नि अमिब्निलआस इन्द इब्नि माजा बिनहवि हदीषिब्नि अब्बास. (नैलुल औतार)

या'नी अबू सईद वाली हदीष को हाकिम ने भी रिवायत किया है और उसको सहीह बतलाया है और हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने फ़तहूल बारी में उसकी तहसीन की है और उसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील एक रावी है जिनके बारे में कुछ कहा गया है और इस मसले में अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस की भी एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की रिवायत के मानिन्द (समान) है।

ख़ुलासा ये कि ईदगाह में सिर्फ़ नमाज़े ईद और ख़ुत्बा, नीज़ दुआ करना मसनून है। ईदगाह, मज़ीद नफ़ल नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। ये तो वो मुक़ाम है जिसकी हाज़िरी ही अल्लाह को इस क़दर महबूब है कि वो अपने बन्दों और बन्दियों को मैदाने ईदगाह में देखकर इस क़दर खुश होता है कि सारे हालात जानने के बावजूद भी अपने फ़रिश्तों से पूछता है कि ये मेरे बन्दे और बन्दियाँ आज यहाँ क्यूँ जमा हुए हैं? फ़रिश्ते कहते हैं कि ये तेरे मज़दूर हैं जिन्होंने रमज़ान में तेरा फ़र्ज़ अदा किया है, तेरी रज़ामन्दी के लिये रोज़े रखे हैं और अब इस मैदान में तुझसे मज़दूरी मांगने आए हैं। अल्लाह फ़र्माता है कि ऐ फ़रिश्तों! गवाह रहो मैंने इनको बख़्श दिया और इनके रोज़ों को कुबूल किया और इनकी दुआओं को भी शर्फ़े कुबूलियत क़यामत तक के लिये अत्ता किया। फिर अल्लाह की तरफ़ से निदा होती है कि मेरे बन्दों! जाओ इस हाल में कि तुम बख़्श दिये गए हो।

ख़ुलासा ये कि ईदगाह में ईद की नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ न पढ़ी जाए यही उस्व-ए-हस्ना है और इसी में अज़्रो-षवाब है। वल्लाहु आलमु व इल्मुहू अतम्मु

14. किताबुल वित्र

नमाज़-वित्र के मसाइल का बयान

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

और वित्र के मा'नी ताक़ या'नी बेजोड़ के हैं। ये एक मुस्तक़िल नमाज़ है जो इशा के बाद से फ़ज़ तक रात के किसी हिस्से में पढ़ी जा सकती है। इस नमाज़ की कम से कम एक रकअत, फिर तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह रकअत तक पढ़ी जा सकती हैं। अहले हदीष और इमाम अहमद और शाफ़िई और सब इलमा के नज़दीक वित्र सुन्नत है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) उसको वाजिब कहते हैं। हालाँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) के कलाम से ये प्राबित होता है कि वित्र सुन्नत है लेकिन इस मसले में इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने इन दोनों सहाबियों का भी ख़िलाफ़ किया है।

बाब 1 : वित्र का बयान

990. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने नाफ़ेअ और अब्दुल्लाह इब्ने दीनार से ख़बर दी और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से रात में नमाज़ के मुता'ल्लिक़ मा'लूम किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रात की नमाज़ दो-दो रकअत है। फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो एक रकअत पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी।

(राजेअ : 472)

991. और उसी सनद के साथ नाफ़ेअ से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) वित्र की जब तीन रकअतें पढ़ते तो दो रकअत पढ़कर सलाम फेरते यहाँ तक कि ज़रूरत से बात भी करते।

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَيْتْرِ

٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي، لِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً

تَوَيَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)). [راجع: ٤٧٢]

٩٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عَمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوَيْتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِنَعْصِ حَاجَتِهِ.

तशरीह :

इस हदीष से दो बातें निकली एक ये कि रात की नमाज़ दो रकअत करके पढ़ना चाहिये। या'नी दो रकअत के बाद सलाम फेरे, दूसरी बात ये कि वित्र की एक रकअत भी पढ़ सकता है और हन्फिया ने उसमें ख़िलाफ़ किया है और उनकी दलील ज़ईफ़ है। सहीह हदीषों से वित्र की एक रकअत पढ़ना प्राबित है और तफ़सील इमाम मुहम्मद बिन नस्र मरहूम की किताब अल वित्र वन्नवाफ़िल में है। (मौलाना वहीदुज़्जमाँ)

993. हमसे यहा बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें उमर बिन हारिष ने खबर दी, उनसे अब्दुरहमान बिन क़ासिम ने अपने बाप क़ासिम से बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रात की नमाज़ में दो-दो रकअतें हैं और जब तू खत्म करना चाहे तो एक रकअत वित्र पढ़ ले जो सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी। क़ासिम बिन मुहम्मद ने बयान किया कि हमने बहुत से लोगों को तीन रकअत पढ़ते भी पाया है और तीन या एक सब जाइज़ है और मुझको उम्मीद है कि किसी में क़बाहत न होगी। (राजेअ : 472)

٩٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَارِثٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَ فَارْتَعِ رَكْعَةً تُؤَيِّرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ)). قَالَ الْقَاسِمُ : وَرَأَيْتُنَا أَنَا مِنْذُ أُذْرِكُنَا يُؤَيِّرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ كُنَّا لَوَاسِعَ، أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ. [راجع : ٤٧٢]

तशरीह :

ये क़ासिम हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) के पोते थे। बड़े आलिम और फ़कीह थे। इनके कलाम से उस शख़्स की ग़लती मा'लूम हो गई जो एक रकअत वित्र को दुरुस्त नहीं जानता है और मुझको हैरत है कि सहीह हदीषें देखकर फिर कोई मुसलमान ये कैसे कहेगा कि एक रकअत वित्र दुरुस्त नहीं है।

इस रिवायत से अगरचे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का तीन रकअतें वित्र पढ़ना प्राबित होता है, मगर हन्फ़िया के लिये कुछ भी मुफ़ीद नहीं क्योंकि इसमें ये नहीं है कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हमेशा वित्र की तीन रकअतें पढ़ते थे। अलावा भी उसके दो सलाम से तीन रकअतें वित्र की प्राबित हैं और हन्फ़िया एक सलाम से कहते हैं (मौलाना वहीदी)। यही अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हैं जिनसे सहीह मुस्लिम शरीफ़ पेज नं. 257 में सराहतन एक रकअत वित्र प्राबित है। उन अब्दिल्लाहिबि उमर क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ अल्वित्क रकअतुमिन आख़िरिल्लैलि. (रवाहु मुस्लिम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि वित्र पिछली रात में एक रकअत है। दूसरी हदीष में मज़ीद वज़ाहत मौजूद है, उन अय्यूब रज़ि. क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ अल्वित्क हक्कन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मन अहब्बु अय्यूतिर बिख़ाम्सिन फ़लियफ़अल व मन अहब्बु अय्यूतिर बिप्रलाप्तिन फ़लियफ़अल व मन अहब्बु अय्यूतिर बिवाहिदतिन फ़लियफ़अल. (रवाहु अबू दाऊद वन्नसाई वब्नु माजा) या'नी हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि वित्र की नमाज़ हक़ है जो हर मुस्लिम के लिये ज़रूरी है और जो चाहे पाँच रकआत वित्र पढ़ ले जो चाहे तीन रकआत और जो चाहे एक रकअत वित्र पढ़ ले। और भी इस किस्म की कई रिवायाते मुख्तलिफ़ा कुतुबे अह्दादीष में है। इसीलिये हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह शैखुल हदीष, इस हदीषे हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) के लफ़्ज़ व यूतिर बिवाहिदतिन (आप ﷺ एक रकअत वित्र पढ़ते) के बारे में फ़र्माते हैं, फ़ीहि अन्न अक़ल्लल्वित्ति रकअतुन व अन्नरकअतल्फ़र्दत सलातुन सहीहतुन व हुव मज़हबुलअइम्मतिप्रलाप्ति व हुवलहक्क व क़ाल अबू हनीफ़त ला यस्लुहुल्ईतारु बिवाहिदतिन फ़ला तकूरुर्कअल्वाहिदतु सलातन कतु क़ालन्नववी वलअह्दादीषुसहीहतु तरहु अलैहि (मिर्आत, जिल्द नं. 2/पेज नं. 158) या'नी इस हदीष में दलील है कि वित्र की कम अज़ कम एक रकअत है और ये कि एक रकअत पढ़ना भी नमाज़े सहीह है। अइम्म-ए-प्रलाप्ता का यही मज़हब है और यही हक़ है (अइम्म-ए-प्रलाप्ता से हज़रत इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रह. मुराद हैं)। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़र्माते हैं कि एक रकअत वित्र सहीह नहीं है क्योंकि एक रकअत नमाज़ ही नहीं होती। इमाम नववी फ़र्माते हैं कि अह्दादीषे सहीहा से हज़रत इमाम के इस क़ौल की तदीद होती है।

वित्र के वाजिब फ़र्ज़ सुन्नत होने के बारे में भी इख़ितलाफ़ है, इस बारे में हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहदिष देहलवी (रह.) फ़र्माते हैं कि वल्हक्कु अन्नल्वित् सुन्नतुन हुव औकदुस्सुननि बय्यनहू अलिय्युन वब्नु उमर व उबादतब्निस्सामित रज़ि. और हक़ ये है कि नमाज़े वित्र सुन्नत है और वो सब सुन्नतों से ज़्यादा मुअक़द हैं। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) ने ऐसा ही बयान किया है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द नं. 2/ पेज नं. 64)

वित्र तीन रकअत पढ़ने की सूत्र में पहली रकअत में सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकलआला और दूसरी रकअत में कुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना मसनून है। वित्र के बाद बआवाज़े बुलन्द तीन बार सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस का लफ़ज़ अदा करना भी मसनून है। एक रकअत वित्र के बारे में मज़ीद तफ़्सीलात हज़रत नवाब हसन साहब (रह.) की मशहूर किताब हिदायतुस्साइल इला अदिल्लतिल्मसाइल मत्बूआ भोपाल, पेज नं. 255 पर मुलाहज़ा की जा सकती है।

994. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझ से उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग्यारह रकअतें (वित्र और तहज्जुद की) पढ़ते थे, आप (ﷺ) की यही नमाज़ थी। मुराद उनकी रात की नमाज़ थी। आपका सज्दा उन रकअतों में इतना लम्बा होता था कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स भी पचास आयतें पढ़ सकता और फ़ज़ की नमाज़े-फ़र्ज़ से पहले आप सुन्नत दो रकअत पढ़ते थे उसके बाद (ज़रा देर) दाहिने पहलू पर लेटे रहते यहाँ तक कि मोअज़िज़न बुलाने के लिये आप के पास आता।

(राजेअ: 626)

٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ بِلَيْلِهِ صَلَاتُهُ - تَغْيِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى طَبَقِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْزَنُ لِلصَّلَاةِ)).

[راجع: ٦٢٦]

तशरीह: पस ग्यारह रकअतें इतिहा हैं। वित्र की दूसरी हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में कभी ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अब इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीष में जो तेरह रकअतें मज़कूर हैं तो उसकी रू से कुछ ने इतिहा वित्र की तेरह रकअतें करार दी हैं। कुछ ने कहा उनमें दो रकअतें इशा की सुन्नत थीं तो वित्र की वही ग्यारह रकअतें हुईं। गर्ज़ वित्र की एक रकअत से लेकर तीन, पांच, नौ, ग्यारह रकअतों तक मन्कूल है। कुछ कहते हैं कि उन ग्यारह रकअतों में आठ तहज्जुद की थीं और तीन रकअतें वित्र की और सहीह ये है कि तरावीह तहज्जुद वित्र सलातुल लैल सब एक ही हैं। (वहीदुज्माँ रह.)

बाब 2 : वित्र पढ़ने के अवकात का बयान

और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये वसियत फ़र्माई कि सोने से पहले वित्र पढ़ लिया करो।

995. हमसे अबू नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा कि नमाज़े

٢- بَابُ سَاعَاتِ الْوَيْتْرِ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْوَيْتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.

٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

सुबह से पहले की दो रकअतों के मुता'ल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या मैं उनमें लम्बी क्रिअत कर सकता हूँ? उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) तो रात की नमाज़ (तहज्जुद) दो-दो रकअत करके पढ़ते थे फिर दो रकअत (सुन्नते-फ़ज़्र) तो इस तरह पढ़ते गोया, अज़ान (इक्रामत) की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। हम्माद की इससे मुराद ये है कि आप (ﷺ) जल्दी पढ़ लेते।

(राजेअ : 472)

سَيَرَيْنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنِّي عُمَرُ: أَرَأَيْتَ
الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَطِيلُ فِيهِمَا
الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي
مِنَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي، وَيُؤَيِّزُ بِرَكْعَةٍ،
وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَانَ
الْأَذَانَ بِأَذْنِهِ)) قَالَ حَمَّادٌ: أَيُّ سُرْعَةٍ.

[راجع: ٤٧٢]

तशरीह:

इस सिलसिले की अह्दादीष का खुलासा ये है कि इशा के बाद सारी रात वित्र के लिये है। तुलूअे सुबह सादिक से पहले जिस वक़्त भी चाहे पढ़ सकता है। हुज़ुरे अकरम (ﷺ) का मामूल आख़िरी रात में सलातुल लैल के बाद उसे पढ़ने का था। अबूबक्र (रज़ि.) को आख़िर रात में उठने का पूरी तरह यक़ीन नहीं होता था, इसलिये वो इशा के बाद ही पढ़ लिया करते थे और इमर (रज़ि.) का मामूल आख़िर रात में पढ़ने का था।

इस हदीष के ज़ेल में अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, वल्हदीषु यदुल्लु अला मशरूइय्यतिल्ईतारि बिरकअतिन वाहिदतिन इन्द मखाफ़ति हुजूमिस्सुब्हि व सयाती मा यदुल्लु अला मशरूइय्यति ज़ालिक मिन ग़ैरि तक्ईदिन व कद ज़हब इला ज़ालिक अल्जुम्हूरु क़ालिल्इराक़ी व मिम्मन कान यूतिरु बिरकअतिन मिन म्महाबति अल्खुलफ़ाउल अर्बअतु या'नी इस हदीष से एक रकअत वित्र मशरूअन ष़ाबित हुआ, जब सुबह की पौ फटने का डर हो और अन्करीब दूसरे दलाइल आ रहे हैं जिनसे उस क़ैद के बग़ैर ही एक रकअत वित्र की मशरूइयत ष़ाबित है और एक रकअत वित्र पढ़ना खुल्फ़-ए-अरबअ (हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़, इमर, इफ़्मान ग़नी, व अली मुर्तज़ा रज़ि.) और सअद बिन अबी वक्रकास बीस सहाबा किराम से ष़ाबित है। यहाँ अल्लामा शौकानी ने सबके नाम तहरीर फ़र्माए हैं और तक्ररीबन बीस ही ताबेईन व तबअ ताबेईन व अइम्म-ए-दीन के नाम भी तहरीर फ़र्माए हैं जो एक रकअत वित्र पढ़ते थे।

हन्फ़िया के दलाइल:—अल्लामा ने हन्फ़िया के उन दलाइल का जवाब दिया है जो एक रकअत वित्र के काइल नहीं जिनकी पहली दलील हदीष ये है, अन मुहम्मदिब्नि कअबिन अन्नन नबिय्य ﷺ नहा अनिल्बतीरा या'नी रसूले करीम (ﷺ) ने बतीरा नमाज़ से मना फ़र्माया लफ़ज़ बतीरा दुमकटी नमाज़ को कहते हैं। इराक़ी ने कहा ये हदीष मुसल और ज़ईफ़ है। अल्लामा इब्ने हज़म ने कहा कि आहज़रत (ﷺ) से नमाज़ बतीरा की नह्य ष़ाबित नहीं और कहा कि मुहम्मद बिन कअब की हदीष बावजूद ये कि इस्तिदलाल के काबिल नहीं मगर उसमें भी बतीरा का बयान नहीं है बल्कि हमने अब्दुरज़ाक़ से, उन्होंने सुफ़यान बिन उययना से, उन्होंने आ'मश से, उन्होंने सईद बिन जुबैर से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया कि बतीरा तीन रकअत वित्र भी बतीरा (या'नी दुमकटी) नमाज़ है फ़अदल्बतीरा अलल्मुहतज्जि बिल्ख़बिल्काज़िबि फ़ीहा।

हन्फ़िया की दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का ये क़ौल है अन्नहू क़ाल मा अज़अत रकअतुन क़तु या'नी एक रकअत नमाज़ कभी भी काफ़ी नहीं होती। इमाम नववी शरह मुहज्जब में फ़र्माते हैं कि ये अपर अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से ष़ाबित नहीं है अगर उसको दुरुस्त भी माना जाए तो उसका ता'ल्लुक हज़रत इब्ने अब्बास के उस क़ौल की तदीद करना था। आपने फ़र्माया था कि हालते ख़ौफ़ में चार फ़र्ज़ नमाज़ों में एक ही रकअत काफ़ी है। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि एक रकअत काफ़ी नहीं है। अल ग़र्ज़ इस क़ौल से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं और उसका ता'ल्लुक सलाते ख़ौफ़ की एक रकअत से है। इब्ने अबी शैबा में है एक बार वलीद बिन इब्ना अमीरे मक्का के यहाँ हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) काफ़ी देर तक गुफ़्तगू करते रहे। जब वहाँ से वो निकले तो उन्होंने ने वो नमाज़ (वित्र) एक एक रकअत अदा की (नैलुल औतार)

बड़ी मुश्किल! यहाँ बुखारी शरीफ में जिन-जिन रिवायात में एक रकअत वित्र का जिक्र आया है एक रकअत वित्र के साथ उनका तर्जुमा करने में उन हन्फ़ी हज़रत को जो आजकल बुखारी शरीफ के तर्जुमे शाए कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल पेश आई है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि तर्जुमा इस तरह किया जाए कि एक रकअत वित्र पढ़ने का लफ़्ज़ ही न आने पाए इस तौर पर उससे एक रकअत वित्र का घुबूत हो सके इस कोशिश के लिये उनकी मेहनत काबिले दाद है और अहले इल्म के मुतालेअ के काबिल, मगर उन बुजुर्गों को मा'लूम होना चाहिये कि बनावटी व तकल्लुफ़ व इबारत आराई से हकीकत पर पर्दा डालना कोई दानिशामन्दी नहीं है।

996. हमसे इमर बिन हफ़्स बिन ग़याज़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुस्लिम बिन कैसान ने बयान किया, उनसे मसरूक़ ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़ी है और आख़िर में आपका वित्र सुबह के करीब पहुँचा।

तश्रीह:

दूसरी रिवायतों में है कि वित्र आपने अब्वल शब में भी पढ़ी और बीच रात में भी और आख़िर रात में भी। गोया इशा की नमाज़ के बाद से सुबह सादिक़ के पहले तक वित्र पढ़ना आप (ﷺ) से प्राबित है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने लिखा है कि मुख्तलिफ़ हालात में आप (ﷺ) ने वित्र मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ी है। ग़ालिबन तकलीफ़ और मर्ज़ वग़ैरह में अब्वल रात में पढ़ते थे और मुसाफ़िरी की हालत में बीच रात में लेकिन आम मामूल आप (ﷺ) का उसे आख़िर रात में पढ़ने का था (तफ़हीमुल बुखारी)। रसूले करीम (ﷺ) ने उम्मत की आसानी के लिये इशा के बाद रात में जब भी मुम्किन हो वित्र पढ़ना जाइज़ करार दिया है।

बाब 3 : वित्र के लिये नबी करीम (ﷺ) का घरवालों को जगाना

997. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, कहा कि मुझ से मेरे बाप ने आइशा (रज़ि.) से बयान किया कि आपने फ़र्माया नबी करीम (ﷺ) (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आप (ﷺ) के बिस्तर पर अर्ज़ में लेटी रहती। जब वित्र पढ़ने लगते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती। (राजेअ: 372)

बाब 4 : नमाज़े-वित्र रात की तमाम नमाज़ों के बाद पढ़ी जाए

998. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इमरी ने उनसे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से बयान किया और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि वित्र रात की तमाम नमाज़ों के बाद पढ़ा करो।

बाब 5 : नमाज़े-वित्र सवारी पर पढ़ने का बयान

999. हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे

۹۹۶ - حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: ((كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ وَاتَّهَى وَتَرَهُ إِلَى السُّحْرِ)).

۳- بَابُ إِيقَاطِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَهُ

بِالْوَتْرِ

۹۹۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى
قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا
رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يُوتِرَ أَيقظني فَأَوْتَرْتُ)). [راجع: ۳۸۲]

۴- بَابُ لِيَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرًا

۹۹۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْعَلُوا
آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا)).

۵- بَابُ الْوَتْرِ عَلَى الدَّائِبَةِ

۹۹۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन उमर बिन खत्ताब से बयान किया और उनको सईद बिन यसार ने बतलाया कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के साथ मक्का के रास्ते में था। सईद ने कहा कि जब रात में मुझे तुलुए-फ़ज़्र का ख़तरा हुआ तो सवारी से उतर कर मैंने वित्र पढ़ लिया और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से जा मिला। आपने पूछा कि कहाँ रुक गये थे? मैंने कहा कि अब सुबह का वक़्त होने ही वाला था इसलिये मैं सवारी से उतर कर वित्र पढ़ने लगा। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फ़र्माया कि क्या तुम्हारे लिये नबी करीम (ﷺ) का अमल अच्छा नमूना नहीं है। मैंने अर्ज़ किया बेशक! आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) तो ऊँट ही पर वित्र पढ़ लिया करते थे।

(दीगर मक़ामात : 1000, 1090, 1096, 1098, 1105)

مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الرُّوحَمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
(كُنْتُ أَسِيرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ
مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ
نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ
الصُّبْحَ فَتَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَأُ حَسَنَةً؟
فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ)).

[أطرافه في : 1000, 1090, 1096, 1098]

[1105, 1098]

मा'लूम हुआ कि रसूले करीम (ﷺ) का उस्व-ए-हस्ना ही बहरेद्दाल काबिले इक़्तिदा और बाज़िअे सद बरकात है।

बाब 6 : नमाज़े-वित्र सफ़र में भी पढ़ना

1000. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जुवेरिया बिन अस्मा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) सफ़र में अपनी सवारी ही पर रात की नमाज़ इशारों से पढ़ लेते थे, ख़वाह सवारी का रुख किस तरफ़ हो जाता आप (ﷺ) इशारों से पढ़ते रहते मगर फ़राइज़ इस तरह नहीं पढ़ते थे और वित्र अपनी ऊँटनी पर पढ़ लेते थे। (राजेअ : 999)

6- بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

1000 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلِهِ حَيْثُ
تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيءَ إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا
الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلِهِ)).

[راجع : 999]

बाब 7 : (वित्र और हर नमाज़ में) कुनूत

रुकूअ से पहले और रुकूअ के बाद पढ़ सकते हैं

1001. हमसे मुसद्द ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने उनसे मुहम्मद

7- بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرَّكُوعِ

وَبَعْدَهُ

1001 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

बिन सीरीन ने, उन्होंने कहा कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा गया कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ा है? आपने फ़र्माया कि हाँ! फिर पूछा गया कि क्या रुकूअ से पहले? तो आपने फ़र्माया कि रुकूअ के बाद थोड़े दिनों तक।

(दीगर मक़ामात : 1002, 1003, 1300, 3801, 3814, 3064, 3170, 4088, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 6394, 7341)

((سئل أنس بن مالك أقت النبي ﷺ في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً)).

- [أطرافه في: ١٠٠٢, ١٠٠٣, ١٣٠٠, ٢٨٠١, ٢٨١٤, ٣٠٦٤, ٣١٧٠, ٤٠٨٨, ٤٠٩٠, ٤٠٩١, ٤٠٩٢, ٤٠٩٣, ٤٠٩٤, ٤٠٩٥, ٤٠٩٦, ٦٣٩٤, ٧٣٤١.]

सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ना शाफ़िइया के यहाँ ज़रूरी है। इसलिये वो उसके तर्क होने पर सज्द-ए-सहव करते हैं। हन्फ़िया के यहाँ सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ना मकरूह है। अहले हदीष के यहाँ गाहे बगाहे कुनूत पढ़ लेना भी जाइज़ और तर्क करना भी जाइज़ है। इसीलिये मसलके अहले हदीष इफ़रात व तफ़रीत से हटकर एक सिराते मुस्तक़ीम का नाम है। अल्लाह पाक हमको सच्चा अहले हदीष बनाए। (आमीन)

1002. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे आसिम बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कुनूत के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया, दुआ-ए-कुनूत (हुज़ुरे-अकरम ﷺ के दौर में) पढ़ी जाती थी, मैंने पूछा कि रुकूअ से पहले या उसके बाद? आपने फ़र्माया कि रुकूअ से पहले। आसिम ने कहा कि आप ही के हवाले से फ़लाँ शाख़स ने ख़बर दी है कि आपने रुकूअ के बाद फ़र्माया था। इसका जवाब हज़रत अनस (रज़ि.) ने ये दिया उन्होंने ग़लत समझा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकूअ के बाद सिर्फ़ एक महीना दुआ-ए-कुनूत पढ़ी थी। हुआ ये था कि आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) में से सत्तर क़ारियों के क़रीब मुश्रिकों की एक क़ौम (बनू आमिर) की तरफ़ से उनकी ता'लीम देने के लिये भेजे थे, ये लोग उनके सिवा थे जिन पर आपने बद-दुआ की थी। उनमें और आँहज़रत (ﷺ) के दरम्यान अहद था, लेकिन उन्होंने अहदशिकनी की (और क़ारियों को मार डाला) तो आँहज़रत (ﷺ) एक महीना तक (रुकूअ के बाद) कुनूत पढ़ते रहे, उन पर बहुआ करते रहे।

(राजेअ : 1001)

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنِ فَلَانًا أَخَّرَنِي عَنْكَ أَنْتَ قُلْتُ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَبٌ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يَقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ذُونَ أَوْلِيكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَذْعُو عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٠٠١]

1003. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे

जाएदा ने बयान किया, उनसे तैमी ने, उनसे अबू मिजलज़ ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक महीना तक दुआ-ए-कुनूत पढ़ी और उसमें क़बाइले रअल व ज़क्वान पर बद-दुआ की थी। (राजेअ : 1001)

1004. हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमें इस्माईल बिन अलिया ने ख़बर दी, कहा कि हमें ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने ख़बर दी, उन्हें अबू क़िलाबा ने, उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) के अहद में कुनूत मरिब और फ़ज़्र में पढ़ी जाती थी।

मगर इन हदीषों में जो इमाम बुखारी इस बाब में लाए खास वित्र में कुनूत पढ़ने का ज़िक्र नहीं है मगर जब फ़र्ज़ नमाज़ों में कुनूत पढ़ना जाइज़ हुआ तो वित्र में बतरीके औला जाइज़ होगा। कुछ ने कहा मरिब दिन का वित्र है जब उसमें कुनूत पढ़ना प्राबित हुआ तो रात के वित्र में भी प्राबित हुआ। हासिल ये है कि इमामे बुखारी (रह.) ने ये बाब लाकर उन लोगों का रद्द किया जो कुनूत को बिदअत कहते हैं। गुज़िश्ता हदीष के ज़ेल में मौलाना वहीदुज़्ज़माँ साहब (रह.) फ़र्माते हैं,

या'नी एक महीना तक अहले हदीष का मज़हब ये है कि कुनूत रूकूअ से पहले और रूकूअ के बाद दोनों तरह दुरुस्त है और सुबह की नमाज़ और इसी तरह हर नमाज़ में जब मुसलमानों पर कोई आफ़त आए कुनूत पढ़ना चाहिये। अब्दुरज़ाक़ और हाकिम ने ब-इस्नादे सहीह रिवायत किया है कि आँहज़रत (ﷺ) सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ते रहे यहाँ तक कि दुनिया से तशरीफ़ ले गए। शाफ़िई कहते हैं कि कुनूत हमेशा रूकूअ के बाद पढ़े और हन्फ़ी कहते हैं कि हमेशा रूकूअ से पहले पढ़ें। और अहले हदीष सब मुन्नतों का मज़ा लूटते हैं। गुज़िश्ता हदीष से ये भी मा'लूम हुआ कि काफ़िरोँ और ज़ालिमों पर नमाज़ में बहुआ करने से नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आता। आपने उन क़ारियों को नजद वालों की तरफ़ भेजा था। राह में बीरे मरुना पर ये लोग उतरे तो आमिर बिन तुफ़ैल ने रअल और ज़क्वान और अस्बा के लोगों को लेकर उन पर हमला किया। हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) से और उनसे अहद था लेकिन उन्होंने दगा की। कुनूत की सहीह दुआ ये है जो हज़रत हसन (रज़ि.) वित्र में पढ़ा करते थे।

अल्लाहुम्महिदनी फ़ीमन हदैत, व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क्रिनी शरमा कज़ैत फ़इन्नक तक्रज़ी व ला युक्रज़ा अलैक व इन्नहू ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन अआदैत तबारक्त रब्बना व तआलैत. नस्तगाफ़िरुक व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद

ये दुआ भी मन्कूल है, अल्लाहुम्मगाफ़िरलना व लिलमूमिनीन वल्लमूमिनाति वल्लमुस्लिमीन वल्लमुस्लिमात. अल्लाहुम्म अल्लिफ़ बैन कुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वन्सुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम. अल्लाहुम्म अलइनिल्लज़ीन यसुहुन अन सबीलिक व युक्रातिलून औलियाअक. अल्लाहुम्म ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्लिजल अक्रदामहुम व अन्ज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरहुहु अनिलक़ौमिल मुज्ज़िमीन. अल्लाहुम्म अन्ज़िल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मूमिनीन. अल्लाहुम्मशुद वतातक अला फ़ुलानिन वज़अला अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ़.

फ़ला की जगह उस शख़्स का या उस क़ौम का नाम ले जिस पर बहुआ करना मंज़ूर हो। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ)

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِخْلَزٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ((رَقَّتِ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذُكْوَانَ)).

[راجع: 1001]

۱۰۰۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي لَيْلَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ((كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ)).

15. किताबुल इस्तिस्का

इस्तिस्का या 'नी पानी मांगने के अबवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तशरीह:

इस्तिस्काअ की तशरीह में हजरत मौलाना अबैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं, व हुब लुगतन तलेबु सकल्माइ मिनल्यैरि लिन्नफ़िस औ लिगैरिन व शअन तलबुहु मिनल्लाहि इन्द हुसूलिलज्जदबि अलल्वज्जिल्मुबय्यनि फिलअहादीषि क़ाललज्जरी फिन्निहायति हुब इस्तिफ़ालुम्मिन तलबिस्सुक्या अय इन्ज़ालुल्यौबि अल्बिलादि वललइबादि युकालू सकल्लाहु इबादहूल्यौष व अस्काहुम वलइस्मुस्सुक्या बिज्जम्मि वस्तकैतु फ़ुलानन इज़ा तलब्त मिन्हु अय्यस्क्रीक इन्तिहा क़ाललक़स्तलानी अलइस्तिस्काउ षलाषत अन्वाइन अहदुहा व हुब (अदनाहा) अय्यकून बिहुआइ मुत्लक़न अय मिन गैरसलातिन फ़रादा औ मुज्तमिइन व षानीहा व हुब अफ़ज़ लु मिनलअव्वलि अय्यकून बिहुआइ खल्फ़स्सलवाति व लौ नाफिलतन कमा फिलबयानि व गैरिही अनिलअस्हाबि खिलाफ़न लिमा वक़अ फी शर्हि मुस्लिम मिन तव्रईदिही बिल्फ़राइज़ि व फी खुत्बतिल्जुम्अति व षालिषुहा (बहुव अक्मलुहा व अफ़ज़लुहा) अय्यकून बिस्सलाति रकअतैनि वलखुत्बतैनि क़ालन्नववी यताहबु क़ब्लहु लिसदक़तिन व सियामिन व तौबतिन व इक्बालिन अललख़ैरि व मुज़ान बतिशशरि व नहवि ज़ालिक मिन ताअतिल्लाहि कालशशाह वलीउल्लाह अदिहल्वी कदिस्तस्कन्नबिय्यु (ﷺ) लिउम्मतिही मर्रातिन अला अन्हाइन क़प्पीरतिन लाकिन्नल्वज्जल्लजी सन्नहु लिउम्मतिही अन्न खरजनासु इललमुसल्ला मुत्तजिलन मुतवाज़िअन मुतज़रिअन फ़सल्ला बिहिम रकअतैनि ज़हर फीहिमा बिल्किराति घुम्म खतब वस्तवबल फीहल्किब्लत यदऊ व यफ़्ज़ यदैहि व हव्वल रिदाअहु व ज़ालिकलिअन्न लिइज्जिमाइलमुस्लिमीन फी मकानिन वाहिदिन रागिबीन फी शैइन वाहिदिन बिअक़सा हिममिहिम व इस्तिफ़ारिहिम व फिअलिहिमिल्ख़ैरात अप़रन फी इस्तिजाबतिहुआइ वस्सलातु अक्वबु अहवाललअब्दि मिनल्लाहि व रफ़उल्यदैनि हिकायतन मिनत्तर्ज़रूइत्ताम्मि वलइब्तिहालिलअज़ीमि तनब्बुहुन्नफ़िस अलत्तख़शुइ व तहविलि रिदाइही हिकायतन अन तक्ल्लुबि अहवालिहिम कमा यफ़अलुल्लमुस्तगीषु बिहज्जतिल्मुलूकि इन्तिहा. (मिआत जिल्द 2, सफ़ा: 290)

ख़ुलासा इस इबारत का ये है कि इस्तिस्काअ लुगत में किसी से अपने लिये या किसी ग़ैर के लिये पानी मांगना और शरीअत में क़हत्तसाली (अकाल) के वक़्त अल्लाह से बारिश की दुआ करना। जिन-जिन तरीक़ों से अहादीष में वारिद है। इमाम ज़री (रह.) ने निहाया में कहा है कि शहरों और बन्दों के लिये अल्लाह से बारिश की दुआ करना। मुहावरा है अल्लाह अपने बन्दों को बारिश से सैराब फ़र्माए। क़स्तलानी ने कहा कि इस्तिस्काअ शरई के तीन तरीक़े हैं। अब्वल तरीक़ा जो अदनातरीन है ये कि मुत्लक़न बारिश की दुआ की जाए इन लफ़्ज़ों में, अल्लाहुम्म अस्कि इबादक व बहीमतक वन्शुर रहमतक वहयि बलदकल्मय्यत या अल्लाह! अपने बन्दों को और अपने जानवरों को बारिश से सैराब कर दे और अपनी बाराने रहमत को फैला और मुर्दा खेतियों को हरा-भरा सरसब्ज व शादाब कर दे। ये दुआ नमाज़ों के बाद हो या बग़ैर नमाज़ों के। तन्हा दुआ की जाए या इज्तिमाई हालत में। बहरहाल पहली सूत ये है दूसरी सूत जो अब्वल से अफ़ज़ल है ये कि नफ़ल और फ़र्ज नमाज़ों

के बाद और खुत्बा-ए-जुम्आ में दुआ की जाए और तीसरी कामिलतरीन सूत ये है कि इमाम तमाम मुसलमानों को हमराह लेकर मैदान में जाए और वहाँ दो रकअत और खुत्बों से फ़ारिग होकर दुआ की जाए और मुनासिब है कि इससे पहले कुछ सद्का-ख़ैरात, तौबा और नेक काम किये जाएँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम फ़र्माते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत के लिये कई तरीकों से बारिश की दुआ की है। लेकिन जो तरीका अपनी उम्मत के लिये मसनून करार दिया वो ये कि इमाम लोगों को साथ लेकर निहायत ही फ़कीरी-मिस्कीनी हालत में, खुशूअ व खुजूअ की हालत में ईदगाह जाए। वहाँ दो रकअत जहरी पढ़ाए और खुत्बा पढ़े, फिर क़िब्ला रुख होकर हाथों को बुलन्द उठाकर दुआ करे और चादर को उलटे। इस तरह मुसलमानों के जमा होने और इस्तिफ़ार वग़ैरह करने में कुबूलियत की दुआ के लिये एक ख़ास अषर है और नमाज़ वो चीज़ है जिससे बन्दे को अल्लाह से हद दर्जा कुर्ब हासिल होता है और हाथों का उठाना तज़रूए ताम खुशूअ व खुजूअ के लिये नफ़्स की होशियारी की दलील है और चादर का उलटाना हालात के तब्दील होने की दलील है जैसाकि फ़रियादी बादशाहों के सामने किया करते हैं। मज़ीद तफ़्सीलात आगे आ रही हैं।

बाब 1: पानी माँगना और नबी करीम (ﷺ) का पानी के लिये (जंगल में) निकलना

(1005) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान घ़ौरी ने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से बयान किया। उनसे अब्बाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि नबी करीम (ﷺ) पानी की दुआ करने के लिये तशरीफ़ ले गए और अपनी चादर उलटाई।

(दीगर मक़ाम : 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 6343)

۱ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ

النَّبِيِّ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

۱۰۰۵ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوْلَ رِذَاءَةٍ)).

[أطرافه في: ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۲۳]

۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷

۱۰۲۸: [۶۳۴۳]

चादर उलटने की कैफ़ियत आगे आएगी और अहले हदीष और अकषर फुक़हा का ये क़ौल है कि इमाम इस्तिस्काअ के लिये निकले तो दो रकअत नमाज़ पढ़े फिर दुआ और इस्तिफ़ार करे।

बाब 2 : नबी करीम (ﷺ) का कुरैश के काफ़िरीयों पर बहुआ करना कि इलाही उनके साल ऐसे कर दें जैसे यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के साल (क़हत) के गुज़रे हैं

(1006) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुगीरह बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबुजिनाद ने बयान किया, उनसे अअरज ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब सरे मुबारक आख़िरी रकअत (के रुकूअ) से उठाते तो यूँ फ़र्माया करते कि या अल्लाह! अय्याश बिन अबी रबीआ को छुड़वा दे। या अल्लाह! सलमा बिन हिशाम

۲ - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ (اجتماعها)

عَلَيْهِمْ مِزِينَ كَسَنِي يُوسُفَ))

۱۰۰۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَنْجِ عَائِشَ بْنَ أَبِي رَيْثَةَ، اللَّهُمَّ

को छुड़वा दे। या अल्लाह! वलीद बिन वलीद को छुड़वा दे। या अल्लाह! बेबस नातवाँ मुसलमानों को छुड़वा दे। या अल्लाह! मुजर के काफ़िरोँ को सख्त पकड़। या अल्लाह! उनके साल यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के (जमाने जैसे) साल कर दे। और आँहजरत (ﷺ) ने फ़र्माया ग़िफ़ार की क्रौम को अल्लाह ने बख़्श दिया और असलम की क्रौम को अल्लाह ने सलामत रखा।

इब्ने अबिज़्जिनाद ने अपने बाप से सुबह की नमाज़ में यही दुआ नक़ल की।

(राजेअ: 797)

(1007) हमसे इमाम हुमैदी (रह.) ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान धौरी ने बयान किया, उनसे सुलैमान आ'मश ने, उनसे अबुज्जुहा ने, उनसे मसरूक़ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसरूद ने (दूसरी सनद) हमसे इम्रान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हुमैद ने मंसूर बिन मसरूद बिन मुअतमिर से बयान किया और उनसे अबुज्जुहा ने, उनसे मसरूक़ ने, उन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन मसरूद (रज़ि.) की ख़िदमत में बैठे हुए थे। आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने जब कुफ़ारे कुरैश की सरकशी देखी तो आप (ﷺ) ने बहुआ की कि ऐ अल्लाह! सात बरस का क़हत इन पर भेज जैसे यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के वक़्त में भेजा था चुनाँचे ऐसा क़हत पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मुरदार तक खा लिये। भूख की शिद्दत का ये आलम था कि आसमान की तरफ़ नज़र उठाई जाती तो धुँए की तरह मा'लूम होता था आख़िर मजबूर होकर अबू सुफ़यान हाज़िरे ख़िदमत हुए और कहा कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! आप लोगों को अल्लाह की इत्ताअत और सिलारहमी का हुक्म देते हैं। अब तो आप ही की क्रौम बर्बाद हो रही है, इसलिये आप (ﷺ) अल्लाह से उनके हक़ में दुआ कीजिए। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि उस दिन का इत्तिज़ार कर जब आसमान साफ़ धुँआ नज़र आएगा; आयत 'इन्नकुम आइदून' तक (नीज़) जब मैं सख़्ती से उनकी गिरफ़्त करूँगा (कुफ़ार की) सख़्त गिरफ़्त बद्र की लड़ाई में हुई। धुँए का भी मामला गुजर चुका (जब सख़्त क़हत पड़ा था) जिसमें पकड़ और क़ैद का ज़िक़्र है वो सब हो चुके उसी

أَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ مِثْمَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِينِينَ كَسِينِي (يُوسُفُ). وَأَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((غَفَارُ غَفَرِ اللَّهِ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ)).

قَالَ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصَّبْحِ. [راجع: ٧٩٧]

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا قَالَ: ((اللَّهُمَّ سَتِّعْ كَسْبِعَ يُونُسَ))، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجَيْفَ، وَتَنَظَّرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَبَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِعِبَادَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ. قَالَ اللَّهُ غَزَوْجَلْ: ﴿فَلَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿عَالِيُونَ. يَوْمَ تَبِطُّشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتْ الدُّخَانَ وَالْبَطْشَةَ وَاللَّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ.

[أطرافه في : ١٠٢٠، ٤٦٩٣، ٤٧٦٧]

٤٧٧٤، ٤٨٠٩، ٤٨٢٠، ٤٨٢١

तरह सूरह रूम की आयत में जो जिक्र है वो भी हो चुका। (दीगर मक़ाम : 1020, 4693, 4767, 4774, 4809, 4820, 4821, 4822, 4823, 2824, 4825)

[६८२०, २८२६, ६८२३, ६८२४]

तशरीह :

ये हिज्रत से पहले का वाक़िआ है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मक्का ही में थे। क़हत की शिद्दत का ये आलम था कि क़हतज़दा (अकालग्रस्त) इलाक़े वीराने बन गए थे। अबू सुफ़यान ने इस्लाम की अख़लाक़ी ता'लीमात और सिलारहमी का वास्ता देकर रहम की दरख्वास्त की। हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फिर दुआ फ़र्माई और क़हत ख़त्म हुआ। ये हदीष इमाम बुखारी (रह.) इस्तिस्काअ में इसलिये लाए कि जैसे मुसलमानों के लिये बारिश की दुआ करना मसनून है वैसे ही काफ़िरो पर क़हत की बहुआ करना जाइज़ है। रिवायत में जिन मुसलमान मज़लूमों का जिक्र है ये सब काफ़िरो की क़ैद में थे। आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनको छुड़वा दिया और वो मदीना में आपके पास आ गए। और सात साल तक हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के ज़माने में क़हत पड़ा था जिसका जिक्र कुर्आन शरीफ़ में है। ग़िफ़ार और असलम ये दोनों क़ौमों मदीने के आसपास रहती थीं। ग़िफ़ार क़दीम से मुसलमान थे और असलम ने आप (ﷺ) से सुलह कर ली थी।

पूरी आयत का तर्जुमा ये है, 'उस दिन का इंतज़ार कर जिस दिन आसमान खुला हुआ धुआ लेकर आएगा, जो लोगों को घेर लेगा, यही तक्लीफ़ का अज़ाब है, उस वक़्त लोग कहेंगे, मालिक हमारे! ये अज़ाब हम पर से उठा दे, हम ईमान लाते हैं' अख़ीर तक। यहाँ सूरह दुखान में बतश और दुखान का जिक्र है।

और सूरह फ़ुर्क़ान में फ़सौफ़ा यकूनु लिज़ामा (अल फ़ुर्क़ान : 77) लिज़ाम या'नी काफ़िरो के लिये क़ैद होने का जिक्र है। ये तीनों बातें आपके अहद में ही पूरी हो गई थी। दुखान से मुराद क़हत था जो अहले मक्का पर नाज़िल हुआ जिसमें भूख की वजह से आसमान धुआ नज़र आता था और बतशतुल कुबरा (बड़ी पकड़) से काफ़िरो का जंगे बद्र में मारा जाना मुराद है और लिज़ाम उनका क़ैद होना। सूरह रूम की आयत में ये बयान है कि रूमी काफ़िर ईरानियों से हार गए लेकिन चंद साल में रूमी फिर ग़ालिब हो जाएँगे ये भी हो चुका। आइन्दा हदीष में शेअर इस्तस्क़ल ग़माम अल्अख़ अबू तालिब के एक तवील क़सीदे का है जो क़सीदा एक सौ दस अशआर पर मुश्तमिल (आधारित) है जिसे अबू तालिब ने आँहज़रत (ﷺ) की शान में कहा था।

बाब 3 : क़हत के वक़्त लोग इमाम से पानी की दुआ करने के लिये कह सकते हैं

(1008) हमसे अम्र बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने, उनसे उनके वालिद ने, कहा कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) को अबू तालिब का ये शे'र पढ़ते सुना था (तर्जुमा) गोरा उनका रंग उनके मुँह के वास्ते से बारिश की (अल्लाह से) दुआ की जाती है। यतीमों की पनाह और बेवाओं के सहारे।

(दीगर मक़ाम : 1009)

۳- بَابُ مَوَالِ النَّاسِ الْإِمَامِ

الْإِمْتِسَاءُ إِذَا قَحَطُوا

۱۰۰۸- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي

طَالِبٍ: وَأَيُّهُنَّ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ

إِمَالِ النَّاسِ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ.

[طرفه في: ۱۰۰۹]

(1009) और अमर बिन हम्ज़ा ने बयान किया कि हमसे सालिम ने अपने वालिद से बयान किया वो कहा करते थे कि अक़्बुर मुझे शाइर (अबू तालिब) का शे'र याद आ जाता है। मैं नबी करीम (ﷺ) के मुँह को देख रहा था कि आप दुआ-ए-इस्तिस्काआ (मिम्बर पर) कर रहे थे और अभी (दुआ से फ़ारिग होकर) उतरे भी नहीं थे कि तमाम नाले लबरेज़ हो गए। (राजेअ: 1008)

۱۰۰۹- وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: وَرَبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقَى، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ: وَأَيْضًا يَسْتَسْقَى الْفَمَامُ بِوَجْهِهِ نِمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ هُوَ قَوْلُ أَبِي

طَالِبٍ. [راجع: ۱۰۰۸]

ये अबू तालिब का शे'र है जिसका तर्जुमा है कि गोरा रंग उनका, वो हामी यतीमों, बेवाओं के; लोग पानी मांगते हैं उनके मुँह के सड़के से।

(1010) हमसे हसन बिन मुहम्मद बिन सबाह ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना अंसारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना ने बयान किया, उनसे शुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि जब कभी हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में क्रहत्त पड़ता तो उमर (रज़ि.) हज़रत अब्बास (रज़ि.) बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) के वसीले से दुआ करते और फ़माते कि ऐ अल्लाह! पहले हम तेरे पास अपने नबी (ﷺ) का वसीला लाया करते थे तो तू पानी बरसाता था। अब हम अपने नबी करीम (ﷺ) के चचा को वसीला बनाते हैं तो तू हम पर पानी बरसा। अनस (रज़ि.) ने कहा कि चुनाँचे बारिश ख़ूब ही बरसती। (दीगर मक़ाम: 371)

۱۰۱۰- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا لَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَاسْتَسْقَيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْتَسْقَيْنَا. قَالَ: فَيَسْتَفُونَ)).

[طرفه في: ۳۷۱].

तशरीह: खैरुल कुरून में दुआ का यही तरीका था और सलफ़ का अमल भी इसी पर रहा कि मुदों को वसीला बनाकर वो दुआ नहीं करते थे कि उन्हें तो आम हालात में दुआ का शुऊर भी नहीं होता बल्कि किसी ज़िन्दा मुकर्रब बारगाहे एज्दी को आगे बढ़ा देते थे। आगे बढ़कर वो दुआ करते जाते थे और लोग उनकी दुआ पर आमीन कहते जाते।

हज़रत अब्बास (रज़ि.) के ज़रिये इस तरह तवस्सुल किया गया। इस हदीष से मा'लूम होता है कि ग़ैर मौजूद या मुदों को वसीला बनाने की कोई सूत हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने नहीं थी। सलफ़ का यही मा'लूल था और हज़रत उमर (रज़ि.) का तर्ज़े अमल इस मसले में बहुत ज़्यादा वाज़ेह है।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने हज़रत अब्बास (रज़ि.) की दुआ भी नक़ल की है। आपने इस्तिस्काआ की दुआ इस तरह की थी, या अल्लाह! आफ़त और मुस्लीबत बग़ैर गुनाह के नाज़िल नहीं होती और तौबा के बग़ैर नहीं छूटती। आपके नबी के यहाँ मेरी कद्रो-मंज़िलत थी इसलिये क़ौम मुझे आगे बढ़ाकर तेरी बारगाह में हाज़िर हुई है; ये हमारे हाथ हैं जिनसे हमने गुनाह किये थे और तौबा के लिये हमारी पेशानियाँ सच्चा रेज़ हैं; बाराने रहमत से सैराब कर। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस मौक़े पर ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ ऐसा मामला था जैसे बेटे

का बाप के साथ होता है। पस लोगों रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक्तिदा करो और अल्लाह की बारगाह में उनके चचा को वसीला बनाओ। चुनाँचे दुआ-ए-इस्तिस्काअ के बाद इतने ज़ोर की बारिश हुई कि जहाँ नज़र गई पानी ही पानी था। (मुलख़वस)

बाब 4 : इस्तिस्काअ में चादर उलटना

(1011) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद बिन अबीबक्र ने, उन्हें अब्बाद बिन तमीम ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने दुआ-ए-इस्तिस्काअ की तो अपनी चादर को भी उलटा। (राजेअ: 1005)

(1012) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन इययना ने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से बयान किया, उन्होंने अब्बाद बिन तमीम से सुना, वो अपने बाप से बयान करते थे कि उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ईदगाह गए। आपने वहाँ दुआ-ए-इस्तिस्काअ क़िब्ला रुख़ होकर की और आपने चादर भी पलटी और दो रकअत नमाज़ पढ़ा। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रह.) कहते हैं कि इब्ने इययना कहते थे कि (हदीष के ये रावी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) वही हैं जिन्होंने अज़ान ख़्वाब में देखी थी लेकिन ये उनकी ग़लती है क्योंकि ये अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद बिन आसिम माज़नी है जो अंसार के क़बी ला माज़िन से थे। (राजेअ: 1005)

तशरीह: ये मज़मून अह्लादीष की और किताबों में मौजूद है कि दुआ-ए-इस्तिस्काअ में आँहज़रत (ﷺ) ने चादर का नीचे का कोना पकड़कर उसको उलटा और चादर को दाएँ जानिब से घुमाकर बाएँ जानिब डाल लिया। इसमें इशारा था कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से ऐसे ही क़ह्रत की हालत को बदल देगा। अब भी दुआ-ए-इस्तिस्काअ में अहले हदीष के यहाँ यही मसनून तरीक़ा मा'मूल है मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं। इसी हदीष में इस्तिस्काअ की नमाज़ दो रकअत का भी ज़िक़र है। इस्तिस्काअ की नमाज़ भी नमाज़े ईद की तरह है।

**बाब 5 : जब लोग अल्लाह की ह़राम की हुई
चीज़ों का ख़याल नहीं रखते तो अल्लाह तआला
क़ह्रत भेजकर उनसे बदला लेता है**

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस बाब के तर्जुमे में कोई हदीष बरग़ान नहीं की। शायद कोई हदीष यहाँ लिखना चाहते होंगे मगर

٤- بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي

الإِمْتِسْقَاءِ

١٠١١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى لِقَلْبٍ رِدَاءَةً)). [راجع: ١٠٠٥]

١٠١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلْبَ رِدَاءَةً، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمِ الْمَازِلِيِّ مَارِئَةَ الْأَنْصَارِ. [راجع: ١٠٠٥]

٥- بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا اتَّهَكَ مَحَارِمَ اللَّهِ

मौक़ा नहीं मिला। कुछ नुस्खों में ये इब्रात बिल्कुल नहीं है। बाब का मज़मून उस हदीष से निकलता है जो ऊपर मज़कूर हुई कि कुरैश के कुफ़र पर आँहज़रत (ﷺ) की नाफ़रमानी की वजह से अज़ाब आया।

बाब 6-7 : जामेअ मस्जिद में इस्तिस्काअ या'नी पानी की दुआ करना

(1013) हमसे मुहम्मद बिन मरहूम बैकुन्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़मरह अनस बिन अय्याज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र ने बयान किया कि उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आपने एक शख्स (कअब बिन मुरहया अबू सुफयान) का ज़िक्र किया जो मिम्बर के सामने वाले दरवाज़े से जुम्अे के दिन मस्जिदे नबवी में आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए खुत्बा दे रहे थे, उसने भी खड़े-खड़े रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (बारिश न होने से) जानवर मर गए और रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह तआला से बारिश की दुआ फ़र्माइये उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये कहते ही हाथ उठा दिये। आप (ﷺ) ने दुआ की, ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। अनस (रज़ि.) ने कहा अल्लाह की क़सम! कहीं दूर-दूर तक आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आता था और न कोई और चीज़ (हवा वगैरह जिससे मा'लूम हो कि बारिश आएगी) और हमारे और सिलअ पहाड़ के बीच कोई मकान भी न था (कि हम बादल होने के बावजूद न देख सकते हों) पहाड़ के पीछे से ढाल के बराबर बादल नमूदार हुआ और बीच आसमान तक पहुँचकर चारों तरफ फैल गया और बारिश शुरू हो गई। अल्लाह की क़सम! हमने सूरज को एक हफ़्ते तक नहीं देखा। फिर एक शख्स दूसरे जुम्अे को उसी दरवाज़े से आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े खड़े ही मुखातब किया कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (बारिश की क़रत से) मालो-मनाल पर तबाही आ गई और रास्ते बन्द हो गए। अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि बारिश रोक दे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाथ उठाए और दुआ की कि या अल्लाह अब हमारे आसपास बारिश बरसा

٦٧ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

الْجَامِعِ

١٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ بَابِ كَانَ وَجَاءَ الْمَنِيرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْمَوَاشِي، وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغَيِّثَنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا)). قَالَ: أَنَسٌ: فَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا فَرْعَةَ وَلَا شَيْئًا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَنْطَرَتْ - قَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ مِثْلًا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ - فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ، وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنْسِكَهَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوِّأْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ

हमसे उसे रोक दे। टीलों पहाड़ों, पहाड़ियों, वादियों और बागों को सैराब कर। उन्होंने कहा कि उस दुआ से बारिश खत्म हो गई और हम निकले तो धूप निकल चुकी थी। शरीक ने कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा कि ये वही पहला शख्स था तो उन्होंने फ़र्माया कि मुझे मा'लूम नहीं। (राजेअ: 932)

عَلَى الْإِكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ
وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). قَالَ: فَأَنْقَطَعَتْ،
وَعَوْرَجْنَا نَمَشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ
شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ
الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي؟ [راجع: ٩٣٢]

सल्लूआ मदीने का पहाड़ मतलब ये है कि किसी बुलन्द मकान या घर की आड़ भी न थी कि अब्र (बादल) हो और हम उसे न देख सकें बल्कि आसमान शीशे की तरह साफ़ था। बरसात का कोई निशान न था। इस हदीष से हज़रत इमाम साहब ने ये प्राबित किया कि जुम्अे में भी इस्तिस्काअ या'नी पानी की दुआ मांगना दुरुस्त है। निज़ इस हदीष से अनेक मुअजज़ाते नबवी का पुबूत मिलता है कि आपने अल्लाह पाक से बारिश के लिये दुआ की तो वो फ़ौरन कुबूल हुई और बारिश शुरू हो गई। फिर जब कषरते बारों (अतिवृष्टि, ज़्यादा बरसात) से नुक़सान शुरू हुआ तो आपने बारिश बन्द होने की दुआ की और वो भी फ़ौरन कुबूल हुई। इससे आपके इन्दल्लाह दर्जा-ए-कुबूलियत व सदाक़त पर रोशनी पड़ती है। (ﷺ)

बाब 6 : जुम्अे का ख़ुत्बा पढ़ते वक़्त जब मुँह किब्ले की तरफ़ न हो पानी के लिये दुआ करना

(1014) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शरीक ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि एक शख्स जुम्अे के दिन मस्जिद में दाख़िल हुआ। अब जहाँ दारुल क़ज़ा है उसी तरफ़ के दरवाज़े से वो आया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए ख़ुत्बा दे रहे थे, उसने भी खड़े-खड़े रसूलुल्लाह (ﷺ) मुख़ातब किया। कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! जानवर मर गए और रास्ते बन्द हो गए। अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि हम पर पानी बरसाए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों हाथ उठाकर दुआ फर्माई ऐ अल्लाह! हम पर पानी बरसा। ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। अनस (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह की क़सम! आसमान की तरफ़ बादल का कहीं निशान भी न था और हमारे और सलअ़ पहाड़ के बीच में मकानात भी नहीं थे, इतने में पहाड़ के पीछे से बादल नमूदार हुआ, ढाल की तरह और आसमान के बीच में पहुँचकर चारों तरफ़ फैल गया और बरसने लगा। अल्लाह की क़सम! हमने एक हफ़्ते तक सूरज नहीं देखा। फिर दूसरे जुम्अे को एक शख्स

٦ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةٍ

الْجُمُعَةِ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

١٠١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ((أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ
يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ
- وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخُطُبُ -
فَأَسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَأَنْقَطَعَتِ
السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُعِينَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْنِنَا،
اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا)). قَالَ: أَنَسٌ:
وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ
وَلَا قُرْعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ نَيْبٍ
وَلَا دَارٍ. وَقَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ
مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ
انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا

उसी दरवाजे से दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े खुत्बा दे रहे थे, इसलिये उसने खड़े-खड़े कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (क़रते बारिश से) जानवर तबाह हो गए और रास्ते बन्द हो गए। अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि बारिश बन्द हो जाए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की ऐ अल्लाह! हमारे अतराफ़ में बारिश बरसा (जहाँ ज़रूरत है) हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! टीलों, पहाड़ियों, वादियों और बाग़ों को सैराब कर। चुनाँचे बारिश का सिलसिला बन्द हो गया और हम बाहर आए तो धूप निकल चुकी थी। शरीक ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या ये पहला ही शख्स था? उन्होंने जवाब दिया मुझे मा'लूम नहीं।

(राजेअ: 932)

الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة - ورسول الله ﷺ قائم يخطب - فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: ((اللهم حوائنا ولا علينا، اللهم على الإكام والظراب ويطون الأودية ومنابت الشجر)). قال: فأقلت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: ما أدري؟ [راجع: 932]

तशरीह:

सल्ला मदीने का मशहूर पहाड़ है, उधर ही समुन्दर था। रावी ये कहना चाहते हैं कि बादल का कहीं नामो-निशान भी नहीं था। सल्ला की तरफ़ बादल का इम्कान हो सकता था लेकिन उस तरफ़ भी बादल नहीं था क्योंकि पहाड़ी साफ़ नज़र आ रही थी। बीच में मकानात वगैरह भी नहीं थे अगर बादल होते तो ज़रूर नज़र आते और हज़ूरे अकरम (ﷺ) की दुआ के बाद बादल उधर ही से आए। दारुल क़ज़ा एक मकान था जो हज़रत इमर (रज़ि.) ने बनवाया था। जब हज़रत इमर (रज़ि.) का इतिहास होने लगा तो आपने वसिधत की कि ये मकान बेचकर मेरा क़र्ज़ अदा कर दिया जाए जो बैतुलमाल से मैंने लिया है। आपके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे मुआविया (रज़ि.) के हाथ बेचकर आपका क़र्ज़ अदा कर दिया। इस वजह से उस घर को दारुल क़ज़ा कहने लगे। या'नी वो मकान जिससे क़र्ज़ अदा किया गया। ये हाल था मुसलमानों के खलीफ़ा का कि दुनिया से जाते वक़्त उनके पास कोई सरमाया (सम्पत्ति, माल वगैरह) न था।

बाब 8 : मिम्बर पर पानी के लिये दुआ करना

(1015) हमसे मुसहद बिन मुसहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्अे के दिन खुत्बा दे रहे थे कि एक शख्स आया और कहने लगा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! पानी का क़हत पड़ गया है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें सैराब कर दे। आपने दुआ माँगी और बारिश इस तरह शुरु हुई कि घरों तक पहुँचना मुश्किल हो गया, दूसरे जुम्अे तक बराबर बारिश होती रही। अनस ने कहा कि फिर (दूसरे

8- باب الإستسقاء على المنبر
1015- حَدَّثَنَا مُسْنَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْطَ الْمَطَرُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَدَعَا، فَمَطَرْنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَيْنَا مَنَارِنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ

जुम्अे में) वही शख्स या कोई और खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला बारिश का रुख किसी और तरफ कर दे। रसूलल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई कि ऐ अल्लाह! हमारे आसपास बारिश बरसा हम पर न बरसा। अनस ने कहा कि मैंने देखा कि बादल टुकड़े-टुकड़े होकर दाएँ-बाएँ तरफ चले गए फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई और मदीना में इसका सिलसिला बन्द हुआ। (राजेअ: 932)

الْمَقْبَلَةِ. قَانَ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ - أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)). قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْقَطِعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَمَا، يُنْظَرُونَ وَلَا يُنْظَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ)).

[راجع: ٩٣٢]

तशरीह:

इस हदीष में बज़ाहिर मिम्बर का ज़िक्र नहीं है। आपके खुल्ब-ए-जुम्आ का ज़िक्र है जो आप मिम्बर ही पर दिया करते थे कि उससे मिम्बर प्राबित हो गया।

बाब 9 : पानी की दुआ करने में जुम्अे की नमाज़ को काफ़ी समझना (या'नी अलग इस्तिस्क्राअ की नमाज़ न पढ़ना और उसकी निय्यत करना ये भी इस्तिस्क्राअ की एक शकल है)

(1016) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा कअम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र ने, उनको अनस (रज़ि.) ने बतलाया कि एक आदमी रसूलल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि जानवर हलाक हो गए और रास्ते बन्द हो गए। आपने दुआ की और एक हफ़्ते तक बारिश होती रही फिर एक शख्स आया और कहा कि (बारिश की क़़रत से) घर गिर गए रास्ते बन्द हो गए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने फिर खड़े होकर दुआ की कि ऐ अल्लाह! बारिश टीलों, पहाड़ियों, वादियों और बाग़ों में बरसा (दुआ के नतीजे में) बादल मदीना से इस तरह फट गए जैसे कपड़ा फट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। (राजेअ: 932)

٩- بَابُ مَنْ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ، فَدَعَا، فَمَطَرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: تَهَنَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ ﷺ فَقَالَ ((اللَّهُمَّ عَلَى الْإِكَامِ وَالطَّرَابِ وَالْأُودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابُ الْقُوبِ.

[راجع: ٩٣٢]

बाब 10 : अगर बारिश की क़़रत से रास्ते बन्द हो जाएँ तो पानी थमने की दुआ कर सकते हैं

(1017) हमसे इस्माईल बिन अबी अय्यूब ने बयान किया,

١٠- بَابُ الدَّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ

السَّبِيلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

١٠١٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक रह. ने बयान किया, उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र के वास्ते से बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि एक शख्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मवेशी हलाक हो गए और रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह तआला से दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई तो एक जुम्आ से दूसरे जुम्आ तक बारिश होती रही फिर दूसरे जुम्आ को एक शख्स हाज़िरे ख़िदमत हुआ और कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (क़़रते बाराँ से बहुत से) मकानात गिर गए, रास्ते बन्द हो गए और मवेशी हलाक हो गए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई कि ऐ अल्लाह! पहाड़ों, टीलों, वादियों और बागात की तरफ़ बारिश का रुख़ कर दे। (जहाँ बारिश की कमी है) चुनाँचे आप (ﷺ) की दुआ से बादल कपड़े की तरह फट गया। (राजेअ: 932)

مَالِكٌ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْرِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السَّبِيلُ
فَادْعُ اللَّهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُطِرُوا
مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ،
وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
((اللَّهُمَّ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ،
وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)).
فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابُ الثُّوبِ.

[راجع: ٩٣٢]

और पानी परवरदिगार की रहमत है उसके बिलकुल बन्द हो जाने की दुआ नहीं फ़र्माई बल्कि यूँ फ़र्माया कि जहाँ मुफ़ीद है वहाँ बरसे।

बाब 11 : जब नबी करीम (ﷺ) ने जुम्आ के दिन मस्जिद ही में पानी की दुआ की तो चादर नहीं उलटाई

(1018) हमसे हसन बिन बिश्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुआफ़ी बिन इमरान ने बयान किया कि उनसे इमाम औज़ाई ने, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम (ﷺ) से (क़़हत से) माल की बर्बादी और अहलो-अयाल की भूख की शिकायत की। चुनाँचे आप (ﷺ) ने दुआए इस्तिस्काअ की। रावी ने इस मौक़े पर न चादर पलटने का ज़िक्र किया और न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करने का। (राजेअ: 932)

١١- بَابُ مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ
يُحَوِّنْ رِدَاءَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ

١٠١٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِيْشْرِ قَالَ :
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ ((أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللَّهَ
يَسْتَسْقِي. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّنَ رِدَاءَهُ،
وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)). [راجع: ٩٣٢]

मा'लूम हुआ कि चादर उलटाना उस इस्तिस्काअ में सुन्नत है जो मैदान में निकलकर किया जाए और नमाज़ पढ़ी जाए।

बाब 12 : जब लोग इमाम से दुआ-ए-

١٢- بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ

इस्तिस्काअ की दरख्वास्त करें तो रद्द न करे

(1019) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र के वास्ते से ख़बर दी और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि एक शख्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (क्रह्त से) जानवर हलाक हो गए और रास्ते बन्द हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने दुआ की और एक जुम्अे से अगले जुम्अे तक एक हफ़्ता तक बारिश होती रही। फिर एक शख्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ) (बारिश की क़प्रत से) रास्ते बन्द हो गए और मवेशी हलाक हो गए। अब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! बारिश का रुख़ पहाड़ों, टीलों वादियों और बागात की तरफ़ मोड़ दे, चुनाँचे बादल मदीना से इस तरह छंट गये जैसे कपड़ा फट जाया करता है।

बाब 13 : इस बारे में कि अगर क्रह्त में मुश्रिकीन मुसलमानों से दुआ की दरख्वास्त करें?

अगर क्रह्त पड़े और ग़ैर मुस्लिम, मुसलमानों से दुआ के तलबगार हों तो बिला दरेग़ा दुआ करनी चाहिये क्योंकि किसी भी ग़ैर-मुस्लिम से इंसानी सलूक करना और उसके साथ नेक बर्ताव करना इस्लाम का ऐन मन्शा है और इस्लाम की इज़त भी इसी में है।

(1020) हमसे मुहम्मद बिन क़बीर ने बयान किया, उनसे सुफ़यान घ़ौरी ने, उन्होंने बयान किया कि हमसे मंसूर और आ'मश ने बयान किया, उनसे अबुजुहा ने, उनसे मसरूक़ने, आपने कहा कि मैं इब्ने मसरूद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर था। आपने फ़र्माया कि कु़रैश का इस्लाम से ऐराज बढ़ता गया तो नबी करीम (ﷺ) ने उनके हक़ में बहुआ की। उस बहुआ के नतीजे में ऐसा क्रह्त पड़ा कि कु़फ़ार मरने लगे और मुरदार और हड्डियाँ खाने लगे। आख़िर अबू सुफ़यान आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा ऐ मुहम्मद (ﷺ)! आप झिलारहमी का हुक्म देते हैं लेकिन आपकी क्रौम मर रही है। अल्लाह अज़्ज व जल्ल से दुआ कीजिए। आपने इस आयत की

لَيْسَتْ سَقِي لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

١٠١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَعْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ، فَادْعُ اللَّهُ. فَدَعَا اللَّهُ فَمَطَرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَلَّكَتِ الْبَيْوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْإِكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). فَانجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَنْجِيَابُ الثَّوْبِ.

١٣- بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

١٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْرُودٍ فَقَالَ: إِنْ قُرَيْشًا أَنْطَرُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ. فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِنْتِ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنْ

तिलावत की (तर्जुमा) उस दिन का इंतज़ार कर जब आसमान पर साफ़ खुला हुआ धुंआ नमूदार होगा इल्ला ये (खैर आपने दुआ की, जिससे बारिश हुई कहत जाता रहा) लेकिन वो फिर कुफ़र करने लगे इस पर अल्लाह पाक का ये फ़र्मान नाज़िल हुआ (तर्जुमा) जिस दिन मैं उन्हें सख़्ती के साथ पकड़ूंगा और ये पकड़ बद्र की लड़ाई में हुई। और अस्बात बिन मुहम्मद ने मंसूर से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआए इस्तिस्काअ की (मदीना में) जिसके नतीजे में ख़ूब बारिश हुई कि सात दिन तक वो बराबर जारी रही। आखिर लोगों ने बारिश की ज़्यादती की शिकायत की तो हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमारे अत्राफ़ व जवानिब में बारिश बरसा, मदीना में बारिश का सिलसिला ख़त्म कर। चुनाँचे बादल आसमान से छट गया और मदीना के आसपास ख़ूब बारिश हुई। (राजेअ : 1007)

قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى. فَقَرَأَ:
﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾
ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿يَوْمَ نَبْطِئُ الْبَطْنَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ -
وَزَادَ اسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ -: فَادْعَا رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَسَقُوا الْغَيْثَ، فَأَطَقَتْ عَلَيْهِمْ
سَيْعًا. وَشَكَكَ النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ:
(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)). فَأَنْحَدَرَتْ
السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسَقُوا النَّاسُ
حَوْلَهُمْ. [راجع: ١٠٠٧]

तशरीह: शुरू में जो वाक़िआ बयान हुआ उसका ता'ल्लुक मक्का से है। कुफ़र की सरकशी और नाफ़रमानी से आजिज़ आकर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने जब बहुआ की और उसके नतीजे में सख़्त कहत पड़ा तो अब सुफ़यान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे हाज़िरे ख़िदमत हुए और कहा कि आप सिलारहमी का हुक्म देते हैं लेकिन खुद अपनी क़ौम के हक़ में इतनी सख़्त बहुआ कर दी कि अब कम अज़कम आपको दुआ करनी चाहिये कि क़ौम की ये परेशानी दूर हो। हदीष में इसकी तशरीह नहीं है कि आपने उनके हक़ में दोबारा दुआ फ़र्माई। लेकिन हदीष के अल्फ़ाज़ से मा'लूम होता है कि आपने दुआ की थी, तभी तो कहत का सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन क़ौम की सरकशी बराबर जारी रही और फिर ये आयत नाज़िल हुई, यौम नब्तिशु बतशतल्कुब्बा (अददुखान, 16) ये बतशे कुबरा बद्र की लड़ाई में वक़ूअ पज़ीर (घटित) हुई। जब कुरैश के बेहतरीन अफ़राद लड़ाई में काम आए और उन्हें बुरी तरह पस्पा होना पड़ा। दमयाती ने लिखा है कि सबसे पहले बहुआ हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने उस वक़्त की थी जब कुफ़र ने हरम में सज्दे की हालत में आप पर ओझड़ी डाल दी थी और फिर ख़ूब इस कारनामे पर खुश हुए और कहकहे लगाए थे। क़ौम की सरकशी हुई और फ़साद इस दर्जा बढ़ गया तो हुज़ूर अकरम (ﷺ) जैसे हलीमुत्तबाअ और बुर्दबार और साबिर नबी की जुबान से भी बहुआ निकल गई। जब इमान लाने की किसी दर्जा में भी उम्मीद नहीं होती बल्कि क़ौम का वजूद दुनिया में सिर्फ़ शरो-फ़साद का सबब बनकर रह जाता है तो इस शर को ख़त्म करने की आखिरी तदबीर बहुआ है।

हुज़ूर अकरम (ﷺ) की जुबाने मुबारक से फिर भी कभी भी ऐसी बहुआ नहीं निकली जो सारी क़ौम की तबाही का सबब होती क्योंकि अरब के अक़षर अफ़राद का ये इमाने मुक़द्दर था। इस रिवायत में अस्बात के वास्ते से जो हिस्सा बयान हुआ है उसका रिश्ता मक्का से नहीं बल्कि मदीना से है।

अस्बात ने मंसूर के वास्ते से जो हदीष नक़ल की है उसकी तफ़्सील इससे पहले अनेक अब्बाब (अनेक अध्यायों) में गुजर चुकी है। मुसन्निफ़ इमाम बुखारी (रह.) ने दो हदीषों को मिलाकर एक जगह बयान कर दिया। ये ख़लत किसी रावी का नहीं बल्कि जैसा कि दमयाती ने कहा है खुद मुसन्निफ़ (रह.) का है। (तफ़हीमुल बुखारी)

पैगम्बरों की शख़्सियत बहुत ही अफ़ा व आला होती है। वो हर मुश्किल को हर दुख को हँसकर बर्दाश्त कर लेते हैं मगर जब क़ौम की सरकशी हद से गुजरने लगे अगर वो उनकी हिदायत से मायूस हो जाएँ तो वो अपना आखिरी हथियार बहुआ भी इस्ते'माल कर लेते हैं। कुआन मजीद में ऐसे मौक़ों पर बहुत से नबियों की दुआएँ मन्कूल हैं। हमारे सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी मायूसकुन मौक़ों पर बहुआ की जिनके नतीजे भी फौन ही ज़ाहिर हुए उन्हीं में से एक ये बयान किया गया वाक़िआ भी है। (वल्लाहु अज़लम)

बाब 14 : जब बारिश हृद से ज़्यादा हो तो इस बात की दुआ कि हमारे यहाँ बारिश बन्द हो जाए और इर्दगिर्द बरसे

(1021) मुझसे मुहम्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने इब्दुल्लाह उमरी से बयान किया, उनसे प्राबित ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्अे के दिन खुत्बा पढ़ रहे थे कि इतने में लोगों ने खड़े होकर गुल मचाया, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! बारिश के नाम बूँद भी नहीं दरख्त सूख चुके (या'नी तमाम पत्ते सूखे हो गए) और जानवर तबाह हो रहे हैं, आप (ﷺ) अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि हमें सैराब करे। आपने दुआ की ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। दो बार आपने इस तरह कहा। अल्लाह की क्रसम! उस वक़्त आसमान पर बादल कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आता था लेकिन दुआ के बाद अचानक एक बादल आया और बारिश शुरू हो गई। आप मिम्बर से उतरे और नमाज़ पढ़ाई जब आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो बारिश हो रही थी और दूसरे जुम्अे तक बारिश बराबर होती रही फिर जब हुज़ूर अकरम (ﷺ) दूसरे जुम्अे में खुत्बा के लिये खड़े हुए तो लोगों ने बताया कि मकानात गिर गए और रास्ते बन्द हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश बन्द कर दे। इस पर नबी करीम (ﷺ) मुस्कराए और दुआ की ऐ अल्लाह! हमारे अतराफ़ में अब बारिश बरसा, मदीना में इस सिलसिले को बन्द कर। आप (ﷺ) की दुआ से मदीना से बादल छट गए और बारिश हमारे इर्द-गिर्द होने लगी। इस शान से कि अब मदीना में एक बूँद भी न पड़ती थी मैंने मदीना को देखा अब (बादल) ताज की तरह गिर्दगिर्द था और मदीना उसके बीच में। (राजेअ: 932)

बाब 15 : इस्तिस्काअ में खड़े होकर खुत्बे में दुआ मांगना

(1022) हमसे अबू नुएम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उनसे जुहैर ने, उनसे अबू इस्हाक़ ने कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी (रज़ि.) इस्तिस्काअ के लिये बाहर निकले। उनके साथ बराअ बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) भी थे। उन्होंने पानी

۱۴- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطْرُ
(حَوَالِنَا وَلَا عَلَيْنَا))

۱۰۲۱- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ غَيْبِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، لَقَامَ النَّاسُ فَصَاخُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَطَّ الْمَطْرُ، وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ النَّهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِنَا. فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا)) (مَرَّتَيْنِ). وَابِمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قُرْعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَرَنْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاخُوا إِلَيْهِ: تَهَلَّمْتَ الْبُيُوتَ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهُ يُخَيِّسَهَا عَنَا. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالِنَا وَلَا عَلَيْنَا)). وَتَكَثَّرَتْ الْمَدِينَةُ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا، وَ مَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَظَنَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ)). [راجع: ۹۳۲]

۱۵- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ
قَائِمًا

۱۰۲۲- وَقَالَ لَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ((خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ

के लिये दुआ की तो पांव पर खड़े रहे, मिम्बर न था। उसी तरह आपने दुआ की फिर दो रक़अत नमाज़ पढ़ी जिसमें क़िरअत बुलन्द आवाज़ से की, न अज़ान कही और न इक्रामत। अबू इस्हाक़ ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने नबी करीम (ﷺ) को देखा था।

وَرَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى،
فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَنِيرٍ،
فَاسْتَفْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ،
وَلَمْ يُؤْذَنَ وَلَمْ يَقُمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:
وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ (ﷺ)).

वो सहाबी थे और उनका ये वाक़िआ 45 हिजरी से ता'ल्लुक़ रखता है, जबकि वो अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तरफ़ से कूफ़ा के हाकिम थे।

(1023) हमसे अबुल यमान हकीम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्होंने कहा कि मुज़से अब्बाद बिन तमीम ने बयान किया कि उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने जो सहाबी थे, उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) लोगों को साथ लेकर इस्तिस्काअ के लिये निकले और आप खड़े हुए और खड़े ही खड़े अल्लाह तआला से दुआ की, फिर क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके अपनी चादर पलटी चुनाँचे बारिश ख़ूब हुई। (राजेअ: 1005)

١٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ﷺ) - أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقَى لَهُمْ، فَقَامَ لَدَعَا اللَّهُ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوْلَ رِذَاءَةٍ فَاسْتَفْفَرَ)). [راجع: ١٠٠٥]

बाब 16 : इस्तिस्काअ की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना

(1024) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे अबी ज़िब ने जुहरी से बयान किया, उनसे अब्बाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) ने कि नबी करीम (ﷺ) इस्तिस्काअ के लिये बाहर निकले तो क़िब्ला रुख़ होकर दुआ की। फिर अपनी चादर पलटी और दो रक़अत नमाज़ पढ़ी। नमाज़ में आपने क़िअते कुआन बुलन्द आवाज़ से की। (राजेअ: 1005)

١٦ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي
الِاسْتِسْقَاءِ

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَسْتَسْقَى، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوْلَ رِذَاءَةٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)). [راجع: ١٠٠٥]

बाब 17 : इस्तिस्काअ में नबी करीम (ﷺ) ने लोगों की त़रफ़ पुशत मुबारक किस तरह मोड़ी थी?

(1025) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने ज़िब ने जुहरी से बयान किया, उनसे अब्बाद बिन तमीम ने, उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को जब आप (ﷺ) इस्तिस्काअ के लिये बाहर

١٧ - بَابُ كَيْفِ حَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ
١٠٢٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) لَمَّا خَرَجَ

निकले, देखा था। उन्होंने बयान किया कि आपने अपनी पीठ सहाबा की तरफ कर दी और क़िब्ला रुख होकर हुआ की। फिर चादर पलटी और दो रकअत नमाज़ पढ़ाई जिसकी क़िरअते क़ुर्आन में आपने जहर किया था। (राजेअ : 1005)

بَسْتَسْقَى ، قَالَ : فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ
وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ،
ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا
بِالْقُرْآنِ. (راجع : 1005)

बाब 18 : इस्तिस्काअ की नमाज़ दो रकअतें पढ़ना

(1026) मुझसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से बयान किया, उनसे अब्बाद बिन तमीम ने, उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने हुआ-ए-इस्तिस्काअ की तो दो रकअत नमाज़ पढ़ी और चादर पलटी।

(राजेअ : 1005)

18 - بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

رَكَعَتَيْنِ

1026 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَيْمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ : (أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، وَقَلَّبَ

رِدَاءَهُ.) (راجع : 1005)

तशरीह : इस्तिस्काअ की दो रकअत नमाज़ सुन्नत है। इمام मालिक (रह.) इमामे शाफ़िई (रह.) इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर का यही क़ौल है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) इस्तिस्काअ के लिये नमाज़ ही तस्लीम नहीं करते मगर स़ाहिबैन ने इस बारे में हज़रत इमाम की मुख़ालफ़त की है। स़लाते इस्तिस्काअ के सुन्नत होने का इकरार किया है। साहिबे अफ़ुश़ाजी ने इस बारे में तफ़्सीली से लिखा है। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह स़ाहब शैख़ुल हदीस (रह.) सारे इख़ितलाफ़ की तशरीह के बाद फ़र्माते हैं, व क़द अरफ़्त बिमा ज़कर्ना मिन वजिह तख़ब्बुतिल्हनफिय्यति फी बयानि मज़हबि इमामिहिम वहव क़द नफ़्ससलात फिल्इस्तिस्काइ मुल्लक़न कमा मुसरहन फी कलामि अबी यूसुफ़ व मुहम्मद फी बयानि मज़हबि अबी हनीफ़त व ला शक़ अन्न क़ौलहू हाज़ा मुख़ालिफ़ुन व मुनाबिजुन लिस्सुन्नतिस् सहीहतिष् प्राबिततिस्सरीहति फज़तरबतिल्हनफिय्यतु लिज़ालिक व तख़ब्बत् फी तशरीहि मज़हबिही व तअलीलिही हत्ता इज़तर वअजुहुम इललइतराफि बिअन्नसलात फिल्इस्तिस्काइ बिजमाअतिन सुन्नतुन व क़ाल लम युन्किर अबू हनीफ़त सुन्नतहा व इस्तिहबाबहा व इन्नमा अन्कर कौनहा सुन्नतुन मुअक्क़दतुन व हाज़ा कमा तरा मिन बाबि तौजीहिल्कलामि बिमा ला यज़ा बिही क़ाइलुहू लिअन्नहू लौ कानलअमरू कज़ालिक लम यकुन बैनहू व बैन स़ाहिबैहि ख़िलाफ़ुन मअ अन्नहू क़द सर्रह जमीउश्शुरीहि वगैरुहुम मिम्मन कतब फी इख़ितलाफिल्अइम्मति बिल्ख़िलाफ़ि बैनहू व बैनलजुम्हूरि फी हाज़िहिल्मसअलति क़ाल शैबुना फी शर्हित्तिर्मिज़ी कौलजुम्हूरि व हुवस्सवाब वल्हक्कु लिअन्नहू क़द प्रबत सलातुहू (ﷺ) रकअतैनि फिल्इस्तिस्काइ मिन अहादीषि क़रीरतुन सहीहतिन. (मिअत जिल्द 2, सफ़ा : 390)

ख़ुलासा ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने मुतलक़न स़लाते इस्तिस्काअ का इंकार किया है। तुम पर वाज़ेह हो गया होगा कि इस बारे में हन्फिया को किस क़दर परेशान होना पड़ा है। हालाँकि हज़रत इमाम यूसुफ़, इमाम मुहम्मद के कलाम से स़राहतन प्राबित है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का यही मज़हब है और कोई शक़ नहीं कि आपका ये क़ौल सुन्नते सहीहा के स़राहतन ख़िलाफ़ है इसलिये इसकी तावील और तशरीह और तअलील बयान करने में इलम-ए-अहनाफ़ को बड़ी मुश्किल पेश आई है। यहाँ तक कि कुछ ने ए तिराफ़ किया है कि नमाज़े इस्तिस्काअ जमाअत के साथ सुन्नत है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने सिर्फ़ सुन्नते मुअक्किदा होने का इंकार किया है। ये क़ाइल के क़ौल की ऐसी तौजीह है जो खुद क़ाइल को भी पसंद नहीं है मगर हक्कीक़त यही होती तो स़ाहिबैन अपने इमाम से इख़ितलाफ़न करते। इख़ितलाफ़ाते अइम्मा बयान करनेवालों ने अपनी किताबों में स़ाफ़लिखा

है कि सलाते इस्तिस्काअ के बारे में हज़रत अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल जुम्हूरे उम्मत के खिलाफ़ है। हमारे शौख हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी फ़र्माते हैं कि जुम्हूर का क़ौल सही है और यही हक़ है कि नमाज़े इस्तिस्काअ की दो रकअतें रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है जैसा कि बहुत सी अहदीषे सहीहा से प्राबित है। फिर हज़रत मौलाना मरहूम ने इस सिलसिले के बेशतर अहदीषे को तफ़सील से ज़िक्र किया है। शौक रखने वाले हज़रत मज़ीद तहफ़तुल अहवज़ी का मुतालआ करें। हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक इस्तिस्काअ की दो रकअतें ईदन की नमाज़ों की तरह जाइद तकबीरात के साथ अदा की जाएँ। मगर जुम्हूर के नज़दीक इस नमाज़ में जाइद तकबीर नहीं है बल्कि उनको इसी तरह अदा किया जाए जिस तरह दूसरी नमाज़ें अदा की जाती हैं। क़ौले जुम्हूर को यही तर्जीह हासिल है। नमाज़े इस्तिस्काअ के ख़ुत्व के लिये मिम्बर का इस्ते'माल भी जाइज़ है जैसा कि हदीषे आइशा (रज़ि.) में सराहते के साथ मौजूद है जैसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। उसमें साफ़ फ़क़अद अललिम्बर के लफ़ज़ मौजूद हैं।

बाब 19 : ईदगाह में बारिश की दुआ करना

(1027) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने अब्दुल्लाह इब्ने अबीबक्र से बयान किया, उन्होंने ने अब्बाद बिन तमीम से सुना और अब्बाद अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) दुआए इस्तिस्काअ के लिये ईदगाह को निकले और क़िबला रुख़ होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी फिर चादर पलटी। सुफ़यान घौरी ने कहा मुझे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अबूबक्र के हवाले से ख़बर दी कि आपने चादर का दाहिना कोना बाएँ कंधे पर डाला। (राजेअ : 1005)

अफ़ज़ल तो ये है कि जंगल मैदान में इस्तिस्काअ की नमाज़ पढ़े क्योंकि वहाँ सब आ सकते हैं और ईदगाह और मस्जिद में भी दुरुस्त है।

बाब 20 : इस्तिस्काअ में क़िबले की तरफ़ मुँह करना

(1028) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल वटहाब ब्रक्फ़ी ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें यह्या बिन सईद अंसारी ने हदीष बयान की, कहा कि मुझे अबूबक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज़म ने ख़बर दी कि अब्बाद बिन तमीम ने उन्हें ख़बर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी ने बताया कि नबी करीम (ﷺ) (इस्तिस्काअ के लिये) ईदगाह की तरफ़ निकले वहाँ नमाज़ पढ़ने को जब दुआ करने लगे या रावी ने ये कहा दुआ का इरादा किया तो क़िबला रू होकर चादर मुबारक पलटी। अबू अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी हैं और उससे पहले

١٩- بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

١٠٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي،

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَقَلَّبَ

رِدَاءَهُ- قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي

الْمَسْوُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ - جَعَلَ

الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ)). [راجع: ١٠٠٥]

٢٠- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي

الْإِسْتِسْقَاءِ

١٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ

تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ

الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ

إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا - أَوْ

أَرَادَ أَنْ يَدْعُو - اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ

رِدَاءَهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ زَيْدًا هَذَا

बाबुहुआ फ़िल इस्तिस्काअ मे जिनका ज़िक्र गुजरा वो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद हैं कूफ़ा के रहनेवाले। (राजेअ: 1005)

बाब 21 : इस्तिस्काअ में इमाम के साथ लोगों का भी हाथ उठाना।

(1029) अय्यूब बिन सुलैमान ने कहा कि मुझसे अबूबक्र बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने सुलैमान बिन बिलाल से बयान किया कि यह्या बिन सईद ने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना उन्होंने कहा कि एक बदवी (गांव का रहने वाला) जुम्अे के दिन रसूलुल्लाह के पास आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! भूख से मवेशी तबाह हो गए, अहलो-अयाल और तमाम लोग मर रहे हैं। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि अभी हम मस्जिद से बाहर निकले ही न थे कि बारिश शुरू हो गई और एक हफ़्ता बराबर बारिश होती रही। दूसरे जुम्अे में फिर वही शख़्स आया और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (बारिश बहुत होने से) मुसाफ़िर घबरा गए और रास्ते बन्द हो गए (बशक़ल मुसाफ़िर बमअना मल्ल)

(राजेअ: 932)

(1030) अब्दुल अज़ीज़ उवैसी ने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद और शरीक ने, उन्होंने कहा कि हमने अनस (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) (ने इस्तिस्काअ में दुआ करने के लिये) इस तरह हाथ उठाए कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देख ली।

बाब 22 : इमाम का इस्तिस्काअ में दुआ के लिये हाथ उठाना

(1031) हमसे मुहम्मद बिन बशशार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़तान और मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन अदी बिन अरूबा ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे क़तादा

मारि, وَالْأَوَّلُ كَوْنِي هُوَ ابْنُ زَيْدٍ.

[راجع: 1005]

٢١- بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ

الإمام في الاستسقاء

١٠٢٩- قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْتَمِي بَنُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((أَتَى رَجُلٌ أَغْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ. قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمَطِرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخَرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشَقَ الْمَسَافِرُ، وَفُتِحَ الطَّرِيقُ)).

[راجع: 932]

١٠٣٠- وَقَالَ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكَ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطِئَةٍ)).

٢٢- بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي

الاستسقاء

١٠٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ

और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) दुआ-ए-इस्तिस्काअ के सिवा और किसी दुआ के लिये हाथ (ज्यादा) नहीं उठाते थे और इस्तिस्काअ में हाथ इतना उठाते कि बग़लों की सफ़ेदी नज़र आ जाती। (दीगर मक़ाम: 4565, 6341)

قَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا لِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)).

[طرفاه في: ٤٥٦٥، ٦٣٤١].

तशरीह:

अबू दाऊद की मुर्सल रिवायतों में यही हदीष इसी तरह है कि इस्तिस्काअ के सिवा पूरी तरह आप किसी दुआ में भी हाथ नहीं उठाते थे। इससे मा' लूम होता है कि बुखारी की इस रिवायत में हाथ उठाने के इंकार से मुराद ये है कि बुखालगा हाथ नहीं उठाते। इस रिवायत से ये किसी भी तरह प्राबित नहीं हो सका कि आप दुआओं में हाथ नहीं उठाते थे। खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुद्दुआवात में इसके लिये एक बाब कायम किया है। मुस्लिम की रिवायत में है कि इस्तिस्काअ की दुआ में आपने हथेली की पुशत आसमान की तरफ़ की और शाफ़िई ने कहा कि क़हज़त वग़ैरह बलयात को दूर करने के लिये इस तरह दुआ करना सुन्नत है। (क़स्तलानी रह.) अल्लामा नववी रह. फ़माति है कि हाज़लहदीष यूहिमुज़ाहिरहूअन्नहूलमयर्फ़अ (ﷺ) इल्ला फिलइस्तिस्काइ व लैसलअम्रू कज़ालिकबल षबत रफ़अ यदैहि (ﷺ) फ़ी मवात्तिन गैरिलइस्तिस्काइ व हिय अक्षरू मिन अन्तुहस्सर व क़द जमअतु मिन्हा नहवम्मिन षलाषिन हदीषम्मिस्सहीहैन औ अहदिहिमा व ज़कर्तुहा फी अवाखिरी अब्बाबि सिफतिस्सलाति मन शर्हलमुहज्जब यतअव्वलु हाज़लहदीष अला अन्नहूलम यर्फ़इरफ़अल बलीग बेहैषु तरा इब्तैहि इल्ला फिलइस्तिस्काइ व अम्मलमुरादु लम अराहू रफ़अ व क़द राअ गैरुहू रफ़अ फयुक़दिमुल्मुष्बि फी मवाज़िअ क़प्पीरतिन व जमाअतिन अला वाहिदिन यहज़ुरू ज़ालिक वला बुद्द मिन तावीलिही कमा ज़कर्नाहु वल्लाहु आलमु (नववी जिल्द 1, सफ़ा: 293)

खुलासा ये है कि इस हदीष में उठाने से मुबालगा के साथ हाथ उठाना मुराद है। इस्तिस्काअ के अलावा दीगर मुक़ामात पर भी हाथ उठाकर दुआ करना प्राबित है। मैंने इस बारे में तीस अहदादीष जमा की हैं। दूसरी बात यह कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने सिर्फ़ अपनी रिवायत का ज़िक्र किया है जबकि उनके अलावा बहुत से सहाबा से ये प्राबित है।

बाब 23 : बारिश बरसते समय क्या कहे

٢٣- بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ

और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने (सूरह बक्कर: में) 'कसय्यिबिम' (के लफ़्ज़ सय्यिब) से मेंह के मा' नी लिये हैं और दूसरे ने कहा है कि सय्यिब स़ाब यस्बूब से मुशतक़ है उसी से है असाब।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كَسَيْبٍ﴾: الْمَطْرُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابٌ وَأَصَابَ يَصُوبُ.

तशरीह:

बाब की हदीष में सय्यिब का लफ़्ज़ आया है और कुआन शरीफ़ में भी ये लफ़्ज़ आया है इसलिये हज़रत इमाम ने अपनी आदत के मुवाफ़िक़ उसकी तफ़्सीर कर दी। इसको तबरानी ने अली बिन अबी तलहा के तरीक़ से वस्ल (मिलान) किया, उन्होंने इब्ने अब्बास से जिनके क़ौल से आपने सय्यिब का मा' नी बयान कर दिये और दूसरों के अक्वाल से सय्यिब का इश्तिकाक़ बयान किया कि ये कलिमा अजवफ़ वावी है इसका मुजरद स़ाबा यस्बूब और मज़ीद असाबा है।

(1032) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें अब्दुल्लाह उमरी ने नाफ़ेअ से ख़बर दी, उन्हें कासिम बिन मुहम्मद ने, उन्हें आइशा (रज़ि.) ने किरसूलुल्लाह (ﷺ) जब बारिश होती देखते तो ये दुआ करते ऐ अल्लाह! नफ़ा बख़शने वाली बारिश

١٠٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: (رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْمَطْرَ

बरसा।

इस रिवायत की मुताबअत कासिम बिन यह्या ने अब्दुल्लाह उमरी से की और इसकी रिवायत औज़ाई और अक़ील ने नाफ़ेअ से की है।

बाब 24 : उस शख्स के बारे में जो बारिश में क़स्दन इतनी देर ठहरा कि बारिश से उसकी दाढ़ी (भीग गई और उस) से पानी बहने लगा

(1033) हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा अंसारी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लोगों पर एक बार क़हत पड़ा। उन्हीं दिनों आप (ﷺ) जुम्अे के दिन मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक देहाती ने खड़े होकर कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! जानवर मर गए और बाल-बच्चे फ़ाक़े पर फ़ाक़े कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि पानी बरसाए। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर दुआ के लिये दोनों हाथ उठाए। आसमान पर दूर दूर तक बादल का पता तक न था। लेकिन (आपकी दुआ से) पहाड़ों के बराबर बादल गरजते हुए आ गए अभी हज़ूरे अकरम (ﷺ) मिम्बर पर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आपकी दाढ़ी से बहरहा है। अनस ने कहा कि उस रोज़ बारिश दिन भर होती रही। इस तरह दूसरा जुम्आ आ गया। फिर यही देहाती या कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! (क़घरते बारिश की वजह से) इमारतें गिर गईं और जानवर डूब गए, हमारे लिये अल्लाह तआला से दुआ कीजिए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फिर दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमारे अत्राफ़ में बरसा और हम पर न बरसा। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि हज़ूरे अकरम (ﷺ) अपने हाथों स

قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَالِعًا)).

تَابَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعَقِيلٌ عَنْ نَافِعٍ.

٢٤ - بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ
حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ قَالَ: ((أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ
أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْكَ
الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهُ لَنَا أَنْ
يَسْقِينَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ
وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ. قَالَ: فَكَارَ
السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ
مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى
لِحْيَتِهِ. قَالَ: فَمَطَرْنَا يَوْمًا ذَلِكَ وَلِي الْغَدِ
وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِينِي إِلَى الْجُمُعَةِ
الْأُخْرَى. فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ
غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهْتَمُّ الْبِنَاءُ
وَعَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهُ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا
عَلَيْنَا)). قَالَ: لَمَّا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى

आसमान की जिस तरफ भी इशारा करते बादल उधर से फट जाता, अब मदीना हौज़ की तरह बन चुका था और उसी के बाद वादी क्रनात का नाला एक महीने तक बहता रहा। हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि उसके बाद मदीना के आसपास से जो भी आया उसने ख़ूब सैराबी की ख़बर सुनाई। (राजेअ : 932)

نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ، حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ لِي مِثْلِ الْحَوْتِ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي - وَادِي قَنَاةَ - شَهْرًا، قَالَ: لَمْ يَجِيءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ)). (راجع: ٩٣٢)

तशरीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने बाराने रहमत का पानी अपनी रीशे मुबारक पर बहाया। मुस्लिम की एक हदीष में है कि एक बार आपने बारिश में अपना कपड़ा खोल दिया और ये पानी अपने जसदे अत्हर (जिस्म) पर लगाया और फ़र्माया कि अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक खैरहा व खैर मा फीहा व अर्रुजुबिक मिन शरिहा व शरि मा फीहा व खैरि मा अर्सलत बिही व शरि मा अर्सलत बिही ये पानी अभी-अभी ताज़ा ब ताज़ा अपने परवरदिगार के यहाँ से आया है। मालुम हुआ कि बारिश का पानी इस ख़याल से जिस्म पर लगाना सुन्नते नबवी है। इस हदीष से खुत्बतुल जुम्आ में बारिश के लिये दुआ करना भी प्राबित हुआ।

बाब 25 : जब हवा चलती

٢٥- بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

(1034) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुहम्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे हुमैद तवील ने ख़बर दी और उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना। उन्होंने बयान किया कि जब तेज़ हवा चलती तो हज़ूर अकरम (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक पर डर महसूस होता था।

١٠٣٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عَرَفَ ذَلِكَ لِي وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ)).

तशरीह: आँधी के बाद चूँकि अक़़र बारिश होती है इस मुनासबत से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को यहाँ बयान किया, आद पर आँधी का अज़ाब आया था। इसलिये आँधी आने पर आप अज़ाबे इलाही का तसव्वुर फ़र्माकर घबरा जाते थे। मुस्लिम की रिवायत में है कि जब आँधी चली जाती तो आप (ﷺ) इन लफ़्ज़ों में दुआ करते थे, अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक खैरहा व खैर मा फीहा व अर्रुजुबिक मिन शरिहा व शरि मा फीहा व खैरि मा अर्सलत बिही व शरि मा अर्सलत बिही या'नी या अल्लाह! मैं इस आँधी में तुझसे खैर का सवाल करता हूँ और उसके न तीजे में भी खैर ही चाहता हूँ और या अल्लाह! मैं तुझसे उसकी और उसके अंदर की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ और जो शर्र ये लेकर आई है उससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ। इस रिवायत में है कि जब आप आँधी देखते तो दो ज़ानू होकर बैठ जाते और ये दुआ करते, अल्लहम्मज़अल्हा रियाहन व ला तज़अल्हा रीहन या'नी या अल्लाह! इस हवा को फ़ायदे की हवा बना न कि अज़ाब की हवा। लफ़ज़ रियाह रहमत की हवा है और रीह अज़ाब की हवा पर बोला गया है जैसाकि कुआन मजीद की अनेक आयतों में वारिद हुआ है।

बाब 26 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान कि पुर्वा हवा के ज़रिये मुझे मदद पहुँचाई गई

٢٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((نُصِرْتُ بِالصَّبَا))

(1035) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हक़म से बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ)

١٠٣٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكَتْ

ने फ़र्माया कि मुझे पुरा हवा के ज़रिये मदद की गई और क्रौमे आद पछुवा के ज़रिये हलाक कर दी गई थी। (दीगर मक़ाम : 3205, 3343, 4105)

عَادَ بِالْدَّبُورِ))

[أطرافه ني: ٣٢٠٥، ٣٣٤٣، ٤١٠٥]

तशरीह: जंगे खंदक़ में बारह हज़ार काफ़िरों ने मदीने को हर तरफ़ से घेर लिया था। आख़िर अल्लाह ने पुरवा हवा भेजी इस ज़ोर के साथ कि उनके ड़े उखड़ गए और आग बुझ गई, आँखों में ख़ाक घुस गई जिस पर काफ़िर परेशान होकर भाग खड़े हुए। आपका ये इशारा उसी हवा की तरफ़ है।

बाब 27 : भूचाल और क्रयामत

की निशानियों में

(1036) हमसे अबुल यमान हक़म बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़िनाद (अब्दुल्लाह बिन ज़क्वान) ने बयान किया। उनसे अब्दुरहमान बिन हुर्मुज़ अज़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्रयामत उस वक़्त तक क्रायम न होगी जब तक इल्मे दीन न उठ जाएगा और ज़लज़लों की क़सरत न हो जाएगी और ज़माना जल्दी-जल्दी न गुज़रेगा और फ़ित्ने फ़साद फूट पड़ेंगे और 'हर्ज' की क़सरत हो जाएगी और हर्ज से मुराद क़त्ल है। क़त्ल और तुम्हारे बीच दौलत व माल की इतनी क़सरत होगी कि वो उबल पड़ेगा। (राजेअ : 85)

٢٧- بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ

وَالآيَاتِ

١٠٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَايْرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتُظْهِرَ الْفِتْنُ، وَتَكْثُرَ الْهَرْجُ - وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ - حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيُنْبِضُ)). [راجع: ٨٥]

तशरीह: सख़्त आँधी का ज़िक्र आया तो उसके साथ भूचाल का भी ज़िक्र कर दिया। दोनों आफ़तें हैं। भूचाल या गरज़ या आँधी या ज़मीन धंसने में हर शख्स को दुआ और इस्तिफ़ार करना चाहिये और ज़लज़ले में नमाज़ भी पढ़ना बेहतर है लेकिन अकेले-अकेले। जमाअत इसमें मसनून नहीं और हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि ज़लज़ले में उन्होंने जमाअत से नमाज़ पढ़ी तो ये सहीह नहीं है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

(1037) मुझसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हुसैन बिन हसन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन औन ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने फ़र्माया ऐ अल्लाह! हमारे शाम और यमन पर बरकत नाज़िल फ़र्मा। इस पर लोगों ने कहा और हमारे नजद के लिये भी बरकत की दुआ कीजिये लेकिन आपने फिर वही कहा, 'ऐ अल्लाह! हमारे शाम और यमन पर बरकत नाज़िल कर' फिर लोगों ने कहा और हमारे नजद में? तो आपने फ़र्माया कि वहाँ तो ज़लज़ले और फ़ित्ने होंगे और

١٠٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا)). قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا)). قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: ((هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ، وَبِهَا يُطْلَعُ قَرْنُ

शैतान का सींग वहीं से तुलूअ होगा। (दीगर मक़ाम : 7094)

[الشَّيْطَانُ] ((طَرَفُهُ نِي: ٧٠٩٤)).

तशरीह: नजद अरब हिजाज से मशिक (पूर्व) की तरफ़ वाक़ेअ है ख़ास वो इलाका मुराद नहीं है जो कि आजकल नजद कहलाता है बल्कि नजद से तमाम पूर्वी मुल्क मुराद हैं। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, व हुब तिहामा व कुल्लुन कमा इर्तफ़अ मिन बिलादि तिहामा इला अर्जिल्ड़राक्रिया' नी नजद से तेहामा का इलाका मुराद है जो बिलादे तेहामा से इराक़ की ज़मीन तक सतहरे मुरतफ़अ में फैला हुआ है। दरहक़ीक़त ये नबवी इशारा इराक़ की धरती के लिये था जहाँ बड़े बड़े फ़िल्ने पैदा हुए। अगर बनज़रे इंसफ़ देखा जाए तो उस इलाके से मुसलमानों का इफ़्तिराक़ व इतिशार शुरु हुआ जो आज तक मौजूद है और शायद अभी अर्से तक ये इतिशार बाक़ी रहेगा, ये सब इराक़ की ज़मीन की पैदावार है। ये रिवायत यहाँ मौक़ूफ़न बयान हुई है और दरहक़ीक़त मफ़ूअ है। अज़हर समाने इसको मफ़ूअन रिवायत किया है। इसी किताब के अल फ़ितन में ये हदीष आएगी और वहाँ उस पर मुफ़स्सल तब्स्रा किया जाएगा इंशाअल्लाह। साहिबे फ़ज़्लुल बारी तर्जुम-ए-बुखारी हन्फ़ी लिखते हैं कि शाम का मुल्क मदीना के उत्तर की तरफ़ है और यमन दक्षिण की तरफ़ और नजद का मुल्क पूरब की तरफ़ है। आपने शाम को अपनी तरफ़ उस वास्ते मन्सूब किया कि वो मक्का तेहामा की ज़मीन है और तेहामा यमन से मुता'ल्लिक़ है। आँहज़रत (ﷺ) ने ये हदीष उस वक़्त फ़र्माई थी कि अभी तक नजद के लोग मुसलमान नहीं हुए थे और आँहज़रत (ﷺ) के साथ फ़िल्ने और फ़साद में मशग़ूल थे जब वो लोग इस्लाम लाए और आपकी तरफ़ स़दक़ा भेजा तो आपने स़दक़ा को देखकर फ़र्माया हाज़ा स़दक़तु क़ौमी ये मेरी क़ौम का स़दक़ा है अगर ग़ौर से देखा जाए तो मा'लूम होता है कि क़ौमी निस्बत शामुना व यमनुना की निस्बत से क़वीतर है।

सींग शैतान से मुराद उसका गिरोह है, ये अल्फ़ाज़ आपने उसी वास्ते फ़र्माया कि वो हमेशा आपके साथ फ़साद किया करते थे और कहा कि क़अब ने इराक़ से या'नी उस तरफ़ से दज़्जाल निकलेगा (फ़ज़्लुल बारी, पेज नं. 353/पारा नं. 3)

इस दौरे आख़िर बदरुका नजद से वो तहरीक उठी जिसने ज़मान-ए-रिसालत मआब (ﷺ) और अहदे ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की याद को ताज़ा कर दिया जिससे मुजहिदे इस्लाम हज़रत शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वत्हाब नजद (रह.) की तहरीक मुराद है जिन्होंने नये सिरे से मुसलमानों को असल इस्लाम की दा'वत दी और शिक़ व बिदआत के ख़िलाफ़ इल्मे जिहाद बुलन्द किया। नजदियों से पहले हिजाज की हालत जो कुछ थी वो इतिहास के पन्नों पर है। जिस दिन से वहाँ नजद की हुकूमत कायम हुई हर तरह का अमन व अमान कायम हुआ और आज तो हुकूमते स़ऊदिया नजदिया ने हरमैन शरीफ़ेन की ख़िदमात के सिलसिले में वो कारहाए नुमाया अंजाम दिये हैं जो सारी दुनिय-ए-इस्लाम में हमेशा याद रहेंगे। अय्यदहुमुल्लाहु बिनस्लिअज़ीज़. (आमीन)

बाब 28 : अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तशरीह

(वतज़अलूना रिज़क़ुम अन्नक़ुम तुक़ज़िबून)

या'नी तुम्हारा शुक्र यही है कि तुम अल्लाह को झुटलाते हो (या'नी तुम्हारे हिस्से में झुटलाने के सिवा और कुछ आया ही नहीं)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि हमारे रिज़क़ से मुराद शुक्र है।

तशरीह: इसको अब्द बिन मंसूर और इब्ने मर्दवैह ने निकाला मतलब ये है कि जब अल्लाह के फ़ज़लो-करम से पानी बरसे तो तुमको उसका शुक्र अदा करना चाहिये लेकिन तुम तो शुक्र के बदले ये करते हो कि अल्लाह को तो झुटलाते हो जिसने पानी बरसाया और सितारों को मानते हो, कहते हो उनकी गर्दिश से पानी पड़ा। इस आयत की मुनासबत बाबे इस्तिस्काअ से ज़ाहिर हो गई। अब ज़ैद बिन ख़ालिद की हदीष जो इस बाब में लाए वो भी बारिश के बारे में है। मुस्लिम की रिवायत में है कि आँहज़रत (ﷺ) के अहद में बारिश हुई। फिर आपने यही फ़र्माया जो हदीष में है। फिर सूरह वाकिआ से ये

٢٨- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ﴾

[الواقعة: ٨٢]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرُكُمْ.

आयत पढ़ी, फ़ला उक्सिमु बिमवाक्रिइनुजूम से लेकर वतजअलूना रिज़ककुम अन्नकुम तुकजिबून. (वहीदी)

(1038) हमसे इस्माइल बिन अय्यूब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने मालेह बिन कैसान से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा बिन मसऊद (रज़ि.) ने बयान किया उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हुदैबिया में हमको नमाज़ पढ़ाई। रात को बारिश हो रही थी नमाज़ के बाद आप (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुड़े और फ़र्माया, मा'लूम है तुम्हारे रब ने क्या फ़ैसला किया है? लोग बोले कि अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) ख़ूब जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि परवरदिगार फ़र्माता है आज मेरे दो तरह के बन्दों ने सुबह की। एक मोमिन है एक काफ़िर। जिसने कहा कि अल्लाह के फ़ज़लो-रहम से पानी बरसा वो तो मुझ पर इमान लाया और सितारों का मुंकिर हुआ और जिसने कहा कि फ़लों तारे के फ़लों जगह आने से पानी बरसा उसने मेरा कुफ़्र किया, तारों पर इमान लाया।

(राजेअ : 846)

बाब 29 : अल्लाह तआला के सिवा और किसी को मा'लूम नहीं कि बारिश कब होगी

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता।

(1039) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान प्रौरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ग़ैब की पाँच कुंजियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मा'लूम कि कल क्या होगा? कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है (लड़का या लड़की)? कल क्या करना होगा? उसका किसी को इल्म नहीं। न कोई ये

۱۰۳۸- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ابْنِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيَّ النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِبُؤْسِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ)). [راجع: ۸۴۶]

۲۹- بَابُ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ

الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ)).

۱۰۳۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي عَدِيٍّ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

जानता है कि उसे मौत किस जगह आएगी? और न किसी को ये मा'लूम है कि बारिश कब होगी? (दीगर मक़ाम : 4628, 4697, 4778, 7379)

تَمُوتُ، وَمَا يَذَرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ
الْمَطَرُ). [أطرافه في: ٤٦٩٧، ٤٦٢٧، ٤٧٧٨]

[٧٣٧٩، ٤٧٧٨]

तशरीह : जब अल्लाह तआला ने साफ़ कुआन में और नबी करीम (ﷺ) ने हदीष में फ़र्मा दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को ये इल्म नहीं है कि बरसात कब पड़ेगी तो जिस शख्स में ज़रा भी ईमान होगा वो उन धोतीबन्द पण्डितों की बात क्यूँ मानेगा और जो माने और उन पर ए'तिकाद (यक़ीन) रखे; मा'लूम हुआ वो दायरा-ए-ईमान से ख़ारिज हो गया और वो काफ़िर है। लुत्फ़ ये है कि रात दिन पण्डितों का झूठ और बेतुकापन देखते जाते हैं और फिर उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं अगर काफ़िर लोग ऐसा करें तो तअज़ुब नहीं। हैरत तो होती है कि इस्लाम का दा'वा करने के बावजूद मुसलमान बादशाह और अमीर नजूमियों की बातें सुनते हैं और आइन्दा होने वाले वाक़िआत पूछते हैं। मा'लूम नहीं है कि उन नाम के मुसलमानों की अक्ल कहाँ तशरीफ़ ले गई है। सैकड़ों मुसलमान बादशाहों इन्हीं नजूमियों पर भरोसा रखने से तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं और अब भी मुसलमान बादशाह इस हरकत से बाज़ नहीं आते जो कुफ़्रे सरीह है, ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लहिलअज़ीम. (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

आयते करीमा में ग़ैब की पांच कुँजियों का बयान किया गया है जो ख़ास अल्लाह ही को मा'लूम है और इल्मे ग़ैब ख़ास अल्लाह ही को हासिल है। जो लोग अंबिया, औलिया के लिए ग़ैबदाँ होने का अक़ीदा रखते हैं, वो कुआन व हदीष को रू से सरीह कुफ़्र का इतिहास करते हैं।

पूरी आयते शरीफ़ा ये है, इन्नल्लाह इन्दहु इल्मुस्साअति व युनज़िज़िलुलुग़ैब व यअलमु फिल्अर्हाँमि व मा तदरी नफ़सुम्माजा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ़सुन बिअध्यि अज़िन तमूतु इन्नल्लाह अलीमुन खबीर. (लुक्मान : 34) या'नी 'बेशक क़यामत कब क़ायम होगी ये इल्म ख़ास अल्लाह पाक ही को है और वही बारिश उतारता है (किसी को सहीह इल्म नहीं कि बिज़्ज़रूर फ़लाँ वक़्त बारिश हो जाएगी) और सिर्फ़ वही जानता है कि मादा के पेट में नर है या मादा, और कोई नफ़स नहीं जानता कि कल वो क्या काम करेगा और ये भी नहीं जानता कि वो कौनसी ज़मीन पर इतिक़ाल करेगा, बेशक अल्लाह ही जाननेवाला और ख़बर रखनेवाला है, ये ग़ैब की पाँच कुँजियाँ हैं जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को हासिल नहीं है।'

क़यामत की अलामत तो अह्लादीष और कुआन में बहुत कुछ बतलाई गई हैं और उनमें से अक़सर निशानियाँ ज़ाहिर भी हो रही हैं मगर ख़ास दिन तारीख़ वक़्त ये इल्म ख़ास अल्लाह पाक ही को है। इसी तरह बारिश के लिये बहुत सी अलामतें हैं जिनके जुहूर के बाद अक़सर बारिश हो जाती है फिर भी ख़ास वक़्त नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये कि कुछ दफ़ा बहुत सी अलामतों के बावजूद बारिश टल जाती है और माँ के पेट में नर है या मादा उसका सहीह इल्म भी किसी हकीम-डॉक्टर को नहीं हासिल है न किसी काहिन, नुजूमी, पण्डित या मुल्ला को; ये ख़ास अल्लाह पाक ही जानता है। इसी तरह हम कल क्या काम करेंगे ये भी ख़ास अल्लाह ही को मा'लूम है जबकि हम रोज़ाना अपने कामों का नक़शा बनाते हैं मगर बेशतर औक़ात वो तमाम नुक़ते फ़ेल हो जाते हैं और ये भी किसी को मा'लूम नहीं कि उसकी क़ब्र कहाँ बननेवाली है? अल ग़र्ज़ इल्मे ग़ैब जुच्वी और कुल्ली तौर पर सिर्फ़ अल्लाह पाक ही को हासिल है; हाँ वो जिस क़दर चाहता है कभी-कभार अपने महबूब बन्दों को कुछ चीज़ों का इल्म अता कर देता है मगर उसको ग़ैब नहीं कहा जा सकता ये तो अल्लाह का अतिया है वो जिस क़दर चाहे और जब चाहे और जिसे चाहे उसको बख़श दे। उसको ग़ैबदानी कहना बिलकुल झूठ है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ बाब की मुनासबत से इस हदीष को नक़ल कर प्राबित फ़र्माया कि बारिश का होने का सहीह इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को हासिल है और कोई नहीं बतला सकता कि यक़ीनी तौर पर फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त बारिश हो जाएगी।

16. किताबुल कुसूफ़

सूरज ग्रहण के मुता'ल्लिक अबवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तशरीह : कुसूफ़ लुगात (डिक्शनरी) में स्याह (काले) हो जाने को कहते हैं। जिस शख्स की हालत मुतगय्यर (परिवर्तित) हो जाए और मुँह पर स्याही आ जाए उसके लिये अरबी मुहावरा ये है फुलानुन कसफ़ वज्हुहू व हालुहू फ़लाँ का चेहरा और उसकी हालत स्याह हो गई। और सूरज ग्रहण के वक़्त बोलते हैं, कसफ़तिशशम्सु (सूरज स्याह हो गया) चाँद और सूरज के ज़ाहिरी अस्बाब कुछ भी हों मगर हक़ीक़त में ये गाफ़िलों के लिये कुदरत की तरफ़ से तम्बीह है कि वो अल्लाह के अज़ाब से निडर न हों। अल्लाह पाक जिस तरह चाँद और सूरज जैसे इज़्रामे फ़लकी (आकाश के ग्रहों) को मुतगय्यर कर देता है ऐसे ही गुनाहगारों के दिलों को भी काला कर देता है और उस पर भी तम्बीह है कि चाँद और सूरज अपनी ज़ात में खुद मुख्तार नहीं हैं बल्कि ये भी मख़लूक हैं और अपने ख़ालिक (स्रष्टा) के ताबेअ (अधीन) हैं फिर भला ये इबादत के लायक़ कैसे हो सकते हैं? ग्रहण के वक़्त नमाज़ के मशरूअ होने पर तमाम इलम-ए-इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ है। जुम्हूर उसके सुन्नत होने के क़ाइल हैं और हन्फ़िया के फ़ाज़िलों ने उसे सुन्नत में शुमार किया है।

अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.) :- अहनाफ़ का मसलक इस नमाज़ के बारे में ये है कि आ़म नमाज़ों की तरह पढ़ी जाएगी; मगर ये मसलक सहीह नहीं है जिसकी तफ़सील अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी (रह.) के लफ़्ज़ों में ये है जिसे साहिबे तफ़हीमुल बुखारी ने नक़ल किया है कि सूरज ग्रहण के बारे में रिवायतें बहुत सारी और मुख्तलिफ़ हैं। कुछ रिवायतों में है कि आपने नमाज़ में भी आ़म नमाज़ों की तरह एक रकूअ किया।

बहुत सी रिवायतों में हर रक़अत में दो रकूअ का ज़िक़र है और कुछ में तीन और पांच रकूअ तक का बयान है। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी (रह.) ने लिखा है कि इस बाब की तमाम हदीषों का जाइज़ा लेने के बाद सहीह रिवायत वही मा'लूम होती है जो बुखारी में मौजूद है या'नी आप (ﷺ) ने हर रक़अत में दो रकूअ किये थे। आगे चलकर साहिबे तफ़हीमुल बुखारी ने अल्लामा मरहूम की ये तफ़सील नक़ल की है।

इतिहाई नामुनासिब बात :- जिन रिवायतों में बहुत से रकूअ का ज़िक़र है उसके बारे में कुछ अहनाफ़ ने ये कहा है कि चूँकि आप ने त़वील रकूअ किया था और उसी वजह से सहाबा किराम (रज़.) रकूअ से सर उठा-उठाकर ये देखते थे कि आँहूज़ूर (ﷺ) खड़े हो गए हैं या नहीं और इसी तरह कुछ सहाबा ने जो पीछे थे ये समझ लिया कि कई रकूअ किये गये हैं। शाह साहब ने लिखा है कि ये बात इतिहाई नामुनासिब और मुताख़िखरीन (बाद वालों) की ईजाद है। (तफ़हीमुल बुखारी, पारा नं. 4, पेज नं. 125)

सहाब-ए-किराम (रज़.) की शान में ऐसा कहना उनकी इतिहाई तख़फ़ीफ़ है। भला वो मुसलमान, सहाबा किराम (रज़.) जो सरापा खुशूअ व खुजूअ से नमाज़ पढ़ा करते थे, उनके बारे में हाशा व कल्ला ऐसा गुमान किया जा सकता है

हर्गिज़ नहीं।

लफ़्जे कुसूफ और ख़ुसूफ के बारे में अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, अल्कुसूफ़ हुवत्तगय्युरू इलस्सवादि व मिन्हू कसफ वज्हू इज़ा तगय्यर वल्खुसूफ बिलखाइलमुअजमति अन्नक्रसान क़ालहुल्अस्मई वल्खस्फु अयज़न अज़्जिल्लु वल्जुम्हूरु अला अन्नहुमा यकूनानि लिज़हाबि ज़ौइश्शाम्मि वल्क़मरि बिल्कुल्लियति व क़ील बिल्काफि फिल्इब्तिदाइ व बिल्खाइ फिल्इन्तिहाइ व ज़अम बअजु उलमाइल्हयअति अन्न कुसूफश्शाम्मि ला हक़ीक़त लहू फइन्नहा ला ततगय्यरू फी नफ़्सिहा व इन्नमल्कमर यहूलु बैनना व बैनहा व नुरूहा बाक़िन व अम्मा कुसूफल्क़मरि फ़हक़ीक़तुन फइन्न ज़ौअहू मिन ज़ौइश्शाम्मि व कुसूफ़हू तक्रातुइ फला यक्का फीहि ज़ौउल्बत्ति फखुसूफ़हू जिहाबु ज़ौइही हक़ीक़तन इन्तिहा.

क़ालल्हाफ़िज़ अब्दुलअज़ीज़ अल्मुन्ज़िरी व मन क़ब्लहू अल्क़ाज़ी अबूबक्र बिन अल्अरबी हदीषुल्कुसूफ़ि रवाहु अनिन्नबिद्यि (ﷺ) सबअत अशर नफ़सन रवाहु जमाअतुम्मिन्हुम बिल्काफ़ि व जमाअतुन बिल्खाइ व जमाअतुन बिल्लफ़्ज़ैनि जमीआ इन्तिहा वलारैब अन्न मदलूल्कुसूफ़ि लुगतन गैर मदलूलिल्खुसूफ़ि लिअन्नल्कुसूफ़ बिल्काफ़ि अत्तगय्यरू इला सवादिन वल्खुसूफ़ बिल्खाइ अन्नक्सु वज़्ज़वालु. या'नी कुसूफ़ के मा'नी स्याही की तरफ़ मुतगय्यर हो जाना है जब किसी का चेहरा मुतगय्यर हो जाए तो लफ़्ज़ कसफ़ वज्हू बोला करते हैं और ख़ुसूफ़ ख़ाए मुअज्जमा के साथ नुक्सान को कहते हैं और लफ़्जे ख़सफ़ ज़िल्लत के मा'नी में बोला गया है ये भी कहा गया कि ग्रहण की इब्तिदाई हालत पर कुसूफ़ और इतिहाई हालत पर ख़ुसूफ़ बोला गया है। कुछ उलम-ए-हियत का ऐसा ख़याल है कि कुसूफ़े शम्स की कोई हक़ीक़त नहीं क्योंकि वो अपनी ज़ात में मुतगय्यर नहीं होता चाँद उसके और हमारे बीच हाइल हो जाता है और उसका नूर बाक़ी रहता है (ये उलम-ए-हियत का ख़याल है कि कोई शरई बात नहीं है हक़ीक़ते हाल से अल्लाह ही वाक़िफ़ है)।

कुसूफ़े क़मर की हक़ीक़त है उसकी रोशनी सूरज की रोशनी है जब ज़मीन उसके और चाँद के बीच हाइल हो जाती है तो उसमें रोशनी नहीं रहती।

हाफ़िज़ अब्दुलअज़ीम मुंज़री और क़ाज़ी अबूबक्र ने कहा कि हदीषे कुसूफ़ को आँहज़रत (ﷺ) से सत्रह सहाबियों ने रिवायत किया है। एक जमाअत ने उनमें से काफ़ के साथ या'नी लफ़्जे कुसूफ़ के साथ और एक जमाअत ने ख़ाअ के साथ और एक जमाअत ने दोनों लफ़्ज़ों के साथ। लफ़्जी ए'तिबार से दोनों लफ़्ज़ों का मदलूल अलग-अलग है, कुसूफ़ स्याही की तरफ़ मुतगय्यर होना और ख़सूफ़ नक्स और ज़वाल की तरफ़ मुतगय्यर होना। बहरहाल इस बारे में शारेअ (अलैहिस्सलाम) का जामेअ इशार्द काफ़ी है कि दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं जिनके ज़रिये अल्लाह पाक अपने बन्दों को दिखाता है कि ये चाँद और सूरज भी उसके क़ब्जे में हैं और इबादत के लायक़ सिर्फ़ वही अल्लाह तबारक व तआला है जो लोग चाँद और सूरज की परस्तिश करते हैं वो भी इतिहाई बेवकूफ़ी में मुब्तला हैं कि ख़ालिक़ को छोड़कर मख़लूक़ को मअबूद बनाते हैं, सच है, ला तस्जुदू लिश्शाम्मि व ला लिल्क़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून (फुस्सिलत : 37) या'नी, 'चाँद और सूरज को सज्दान करो बल्कि उस अल्लाह को सज्दा करो जिसने उनको पैदा किया है अगर तुम ख़ास उस अल्लाह की इबादत करते हो।' मा'लूम हुआ कि हर क़िस्म के सज्दे ख़ास अल्लाह ही के लिये करने ज़रूरी हैं।

बाब 1 : सूरज ग्रहण की

नमाज़ का बयान

۱ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ

الشمسِ

(1040) हमसे अम्र बिन अौन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने यूनुस से बयान किया, उनसे इमाम हसन बसरी ने बयान किया, उनसे अबूबक्र नफ़ीअ बिन

۱۰۴۰ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

हारिष (रज़ि.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) के पास बैठे हुए थे कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। नबी करीम (ﷺ) (उठकर जल्दी में) चादर घसीटते हुए मस्जिद में गए। साथ ही हम भी गए, आप (ﷺ) ने हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई ताआँकि सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने फ़र्माया कि सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत व हलाकत से नहीं लगता लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो उस वक़्त नमाज़ और दुआ करते रहो जब तक कि ग्रहण खुल न जाए।

(दीगर मक़ाम : 1048, 1062, 1063, 5785)

(1041) हमसे शिहाब बिन अब्बाद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इब्राहीम बिन हुमैद ने ख़बर दी, उन्हें इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने, उन्हें कैस बिन अबी हाज़िम ने और उन्होंने कहा कि मैंने अबू मसऊद अंसारी (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया सूरज और चाँद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं इसलिये इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो।

(दीगर मक़ाम : 1057, 2307)

तशरीह : इस हदीष से मा'लूम हुआ कि ग्रहण की नमाज़ का वक़्त वही है जब ग्रहण लगे ख़वाह वो किसी वक़्त हो और हन्फ़ियों ने औकाते मकरूहा को मुस्तफ़्ना कर दिया है और इमाम अहमद से भी मशहूर रिवायत यही है और मालिकिया के नज़दीक उस वक़्त सूरज के निकलने से आफ़ताब के ढलने तक है और अहले हदीष ने अब्वल मज़हब को इख़्तियार किया है और वही राजेह है। (वहीदी)

(1042) हमसे अस्बग़ बिन फ़र्रह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अमर बिन हारिष ने अब्दुरहमान बिन क़ासिम से ख़बर दी, उन्हें उनके बाप क़ासिम बिन मुहम्मद ने और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से ख़बर दी कि आपने फ़र्माया सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत व ज़िंदगी से नहीं लगता बल्कि ये अल्लाह तआला की निशानियाँ में से दो निशानियाँ हैं, इसलिये जब तुम ये देखो तो नमाज़ पढ़ो।

لَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَاذْعُوا حَتَّى يَنْكَسِفَ مَا بَيْنَكُمْ)). [أطرافه في: ١٠٤٨، ١٠٦٢، ١٠٦٣]. [٥٧٨٥]

١٠٤١ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا)).

[طرفاه في: ١٠٥٧، ٣٢٠٤]

١٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا

(दीगर मक़ाम : 3201)

رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا)).

[أطرفه في: ٣٢٠١].

(1043) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हाशिम बिन क़ासिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने बयान किया, उनसे हज़रत मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन (आप ﷺ के साहबज़ादे) हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) का इंतिक़ाल हुआ कुछ लोग कहने लगे कि ग्रहण हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात की वजह से लगा है। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता। बल्कि तुम जब उसे देखो तो नमाज़ पढ़ा करो और दुआ किया करो।

(दीगर मक़ाम : 1060, 6199)

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ)).

[طرفاه في: ١٠٦٠، ٦١٩٩].

तशरीह: इतिफ़ाक़ से जब हज़रत इब्राहीम आँहज़रत (ﷺ) के बेटे गुज़र गए तो सूरज को ग्रहण लगा। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी मौत से ये ग्रहण लगा है, आप (ﷺ) ने इस ए' तिक़ाद (यक़ीन) का रद्द फ़र्माया। जाहिलियत के लोग सितारों की तापीर ज़मीन पर पड़ने का ए' तिक़ाद (यक़ीन) रखते थे, हमारी शरीअत ने इसे बातिल करार दिया है। हदीषे मजकूर से मा' लूम हुआ कि ग्रहण की नमाज़ का वक़्त वही है जब भी ग्रहण लगे ख़वाह वो किसी भी वक़्त हो, यही मज़हब राजेह है। यहाँ ग्रहण को अल्लाह की निशानी करार दिया गया है। मुस्नद अहमद और निसाई और इब्ने माजा वगैरह में इतना ज़्यादा मन्कूल है कि अल्लाह अज़्ज व जल्ल जब किसी चीज़ पर तजल्ली करता है तो वो आजिज़ी से इत्ताअत करती है। तजल्ली का असल मफ़हूम व मतलूब अल्लाह ही को मा' लूम है। ये ख़याल कि ग्रहण हमेशा चाँद या ज़मीन के हाइल होने से होता है, ये इलम-ए-हियत का ख़याल है और ये इल्म यक़ीनी नहीं है। हकीम देवजानिस कल्बी का ये हाल था कि जब उसके सामने कोई इल्मे हियत का मसला बयान करता तो वो कहता कि क्या आप आसमान से उतरे हैं। बहरहाल बक़ौल हज़रत मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम इलम-ए-हियत जो कहते हैं कि ज़मीन या चाँद हाइल हो जाने से ग्रहण होता है, ये हदीष के खिलाफ़ नहीं है फिर भी ये आयते करीमा मिन आयातिल्लाह का इत्लाक़ इस पर सहीह है। रिवायत में जिस वाक़िअे का ज़िक़र है वो 10 हिजरी में बमाहे रबीउल अव्वल या माहे रमज़ान में हुआ था। वल्लाहु अज़लम बिस्सवाब।

साहिबे तस्हीलुल क़ारी लिखते हैं कि अगर ऐसा होता जैसे कुपफ़ार का ए' तिक़ाद (यक़ीन) था तो सूरज और चाँद का ग्रहण अपने मुकर्ररा वक़्त पर न होता बल्कि जब भी दुनिया में किसी बड़े आदमी की मौत हो जाती या कोई बड़ा आदमी पैदा हो जाता तो ग्रहण लगा करता। हालाँकि अब कामिलीन इल्मे हियत ने सूरज और चाँद के ग्रहण के औकात ऐसे बताते हैं कि एक मिनट उनके आगे-पीछे ग्रहण नहीं होता और सालभर की बेशतर जंतरियों में लिख देते हैं कि इस साल सूरज ग्रहण फ़लाँ तारीख़ और फ़लाँ वक़्त होगा और चाँद ग्रहण फ़लाँ तारीख़ और फ़लाँ वक़्त में और ये भी लिख देते हैं कि सूरज व चाँद की टिक़ी ग्रहण से कल छुप जाएगी या उनका इतना हिस्सा। और ये भी लिख देते हैं कि किस मुल्क में किस क़दर ग्रहण लगेगा।

बहरहाल ये दोनों अल्लाह की कुदरत की अहम निशानियाँ हैं और कुर्आन पाक में अल्लाह ने फ़र्माया है, वमा नुर्सिलु बिल्आयाति इल्ला तखवीफ़ा. (बनी इस्राईल : 59) 'कि मैं अपनी कुदरत की कितनी ही निशानियाँ लोगों को डराने के लिये भेजता हूँ, जो अहले ईमान है वो उनसे अल्लाह के वजूदे बरहक़ पर दलील लेकर अपना ईमान मज़बूत करते हैं और जो इलहाद व दहरियत (भौतिकतावाद) के शिकार हैं वो उनको मादी ऐनक (भौतिकतावादी चश्मे) से देखकर अपने इलहाद व दोहरियत में तरक्की करते हैं। मगर हक़ीक़त यही है कि व फी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन . या'नी कायनात की हर चीज़ में इस अम्र की निशानी मौजूद है कि अल्लाह पाक अकेला है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि व फी हाज़लहदीभि इब्तालुम्मा कान अहलुल्जाहिलियति यअत्क्रिदूनहू मिन ताप्पीरिल्कवाकिबि क़ालल्खत्ताबी कानू फिल्जाहिलियति यअत्क्रिदून अन्नल्कुसूफ़ यूज़िबु हुदूष तगय्युरिल्अर्ज़ि मम्मौतिन व ज़ररिन फ़आलमन्नबिय्यु (ﷺ) अन्नहू इतिक़ादुन बात्तिलुन व इन्नश्शम्स वल्क़मर खल्क़ानि मुसख़ख़रानि लिल्लाहि तआला लैस लहुमा सुल्तानुन फी ग़ैरिहिमा व ला कुदरत अलहदफ़इ अन अन्फुसिहिमा. (नैलुल औतार) या'नी अहदे जाहिलियत वाले सितारों की ताप्पीर का जो ए' तिक़ाद (यक़ीन) रखते थे इस हदीष में उसका इब्ताल है। ख़त्ताबी ने कहा कि जाहिलियत के लोग ए' तिक़ाद रखते थे कि ग्रहण से ज़मीन पर मौत या किसी नुक्सान का हादसा होता है। हुज़ूर (ﷺ) ने बतलाया कि ये ए' तिक़ाद (यक़ीन) बात्तिल है और सूरज और चाँद अल्लाह की दो मख़लूक जो अल्लाह पाक के ही ताबेअ हैं उनको अपने ग़ैर में कोई इख़्तियार नहीं और न वो अपने ही नफ़्सों से किसी को दफ़ा कर सकते हैं।

आजकल भी अवामुत्रास जाहिलियत जैसा ही अक़ीदा रखती हैं, अहले इस्लाम को ऐसे ग़लत ख़याल से बिल्कुल दूर रहना चाहिये और जानना चाहिये कि सितारों में कोई ताक़त नहीं है। हर क्रिस्म की कुदरत सिर्फ़ अल्लाह पाक ही को हासिल है। (वल्लाहु अअलम)

बाब 2 : सूरज ग्रहण में स़दका-ख़ैरात करना

(1044) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा कअम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, उनसे उनके बाप इर्वा बिन जुबैर (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। पहले आप खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकूअ किया और रुकूअ में बहुत देर तक रहे। फिर रुकूअ से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे लेकिन आपके पहले क़याम से कुछ कम। फिर रुकूअ किया तो बड़ी देर तक रुकूअ में रहे लेकिन पहले से कम, फिर सज्दे में गए और देर तक सज्दे की हालत में रहे। दूसरी रक़अत में भी आप (ﷺ) ने इसी तरह किया। जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ हुए तो ग्रहण खुल चुका था। उसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया अल्लाह तआला की हम्दो-घना के बाद फ़र्माया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो तक्बीर कहो और नमाज़ पढ़ो और स़दका करो। फिर आपने फ़र्माया ऐ मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत

٢- بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ قَامًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي رُكُوعِ الْأَوَّلِيِّ، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ نَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَعَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا

के लोगों! देखो इस बात पर अल्लाह तआला से ज़्यादा ग़ैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बन्दा या बन्दी जिना करे। ऐ उम्मेते मुहम्मद (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! जो कुछ में जानता हूँ अगर तुम्हें मा'लूम हो जाए तो तुम हँसते कम और रोते ज़्यादा। (दीगर मक़ाम : 1046, 1047, 1050, 1056, 1058, 1064, 1065, 1066, 1212, 3203, 4624, 5221, 6631)

وَتَصَدَّقُوا)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ،
وَاللّٰهُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ أَنْ يُزَيِّنَ
عَبْدَهُ أَوْ تَزَيِّنَ أُمَّتَهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللّٰهُ
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمَ لَصَحِحَّتْكُمْ قَلِيلًا
وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)).

[أطرافه في: ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٥٠،

١٠٥٦، ١٠٥٨، ١٠٦٤، ١٠٦٥،

١٠٦٦، ١٢١٢، ٣٢٠٣، ٤٦٢٤،

[٥٢٢١، ٦٦٣١].

तशरीह:

या'नी हर रकअत में दो-दो रकूअ किये और दो-दो क़याम। अगरचे कुछ रिवायतों में तीन-तीन रकूअ और कुछ में चार-चार, कुछ में पांच-पांच। हर रकअत में वारिद हुए हैं। मगर दो-दो रकूअ की रिवायतें स्नेहत में बढ़कर हैं। और अहले हदीष और शाफ़िई का इस पर अमल है और हन्फिया के नज़दीक हर रकअत में एक ही रकूअ करे। इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने कहा कि एक रकूअ की रिवायतें स्नेहत में दो-दो रकूअ की रिवायतों के बराबर नहीं है। अब जिन रिवायतों में दो रकूअ से ज़्यादा मन्कूल हैं। या तो वो रावियों की ग़लती है या कुसूफ़ का वाकिआ कई बार हुआ होगा। कुछ उलमाने यही इख़्तियार किया है कि जिन-जिन तरीकों से कुसूफ़ की नमाज़ मन्कूल हैं उन सब तरीकों से पढ़ना दुरुस्त है। क़स्तलानी (रह.) ने पिछले मुतकल्लिमीन की तरह ग़ैरत की ता'वील की है और कहा है कि ग़ैरत गुस्से के जोश को कहते हैं और अल्लाह तआला अपने तग़य्युरात से पाक है, अहले हदीष का ये तरीक़ नहीं। अहले हदीष अल्लाह की उन सब सिफ़ात को जो कुआन व हदीष में वारिद है अपने ज़ाहिरी मा'नी पर महमूल रखते हैं और उनमें ता'वील और तहरीफ़ नहीं करते। जब ग़ज़बे इलाही सिफ़ात में से है तो ग़ैरत भी उसकी सिफ़ात में से होगी। ग़ज़ब ज़्यादा और कम हो सकता है और तग़य्युर अल्लाह की ज़ातो-सिफ़ाते हक़ीक़िया में नहीं होता। लेकिन सिफ़ाते अफ़आल में तो तग़य्युर ज़रूरी है। मषलन गुनाह करने से अल्लाह तआला नाराज़ होता है फिर तौबा करने से राज़ी हो जाता है। अल्लाह तआला कलाम करता और कभी कलाम नहीं करता। कभी उतरता है कभी चढ़ता है। ग़र्ज़ सिफ़ाते अफ़आलिया का हदष और तग़य्युर अहले हदीष के नज़दीक जाइज़ है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

बाब 3 : ग्रहण के वक़्त यूँ पुकारना कि नमाज़ के लिये इकट्ठे हो जाओ जमाअत से नमाज़ पढ़ो

(1045) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमें यह्या बिन सलाम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे मुआविया बिन सलाम बिन अबी सलाम (रह.) हब्शी दमिश्की ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन अबी क़षीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ जुहरी ने ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण

٣- بَابُ النَّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
سَلَامٍ بْنُ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيُّ الدَّمَشْقِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

लगा तो ये ऐलान किया गया कि नमाज़ होने वाली है।

(दीगर मक़ाम : 1051)

मक्सदे बाब ये है कि ग्रहण की नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती मगर लोगों में इस तौर पर ऐलान कराना कि नमाज़े ग्रहण जमाअत से अदा की जाने वाली है। लिहाज़ा लोगों शिर्कत के लिये तैयार हो जाओ। इस तरह ऐलान कराने में कोई हर्ज़ नहीं है क्योंकि ऐसा ऐलान कराना बयान की गई हदीष से प्राबित है इससे ये भी मा'लूम हुआ कि ग्रहण की नमाज़ खास एहतियामे जमाअत के साथ पढ़नी चाहिये।

बाब 4 : ग्रहण की नमाज़ में इमाम का खुत्बा पढ़ना

और हज़रत आइशा और अस्मा (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज ग्रहण में खुत्बा सुनाया।

(1046) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक्लील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने (दूसरी सनद) और मुझसे अहमद बिन सलालेह ने बयान किया कि हमसे अम्बसा बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यूनुस बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझसे उर्वा ने नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुतहहरा हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा, उसी वक़्त आप (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बयान किया कि लोगों ने हज़ूर अकरम (ﷺ) के पीछे सफ़ बाँधी आपने तक्बीर कही और बहुत देर कुआन मजीद पढ़ते रहे फिर तक्बीर कही और बहुत लम्बा रुकूअ किया फिर समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहकर खड़े हो गये और सज्दा नहीं किया (रुकूअ से उठने के बाद) फिर बहुत देर तक कुआन पढ़ते रहे। लेकिन पहली क्रिअत से कम, फिर तक्बीर के साथ रुकूअ में चले गए और देर तक रुकूअ में रहे, ये रुकूअ भी पहले से कम था। अब समिअल्लाहु लिमन हमिदह और रब्बना लकल हम्द कहा फिर सज्दे में गए। आपने दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया (उन दोनों रकअतों में) पूरे चार रुकूअ और चार सज्दे किये। नमाज़ से फ़ारिग होने से पहले ही सूरज सफ़ हो गया था। नमाज़ के बाद आप (ﷺ) ने खड़े होकर

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ (بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً)). [طرفه في: ١٠٥١].

٤- بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٠٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي غُرُورَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكِعَ الْأُولَى، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَانَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرُّكُوعِ الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. ثُمَّ قَامَ فَأَتَى

खुट्बा दिया और पहले अल्लाह तआला की उसकी शान के मुताबिक ता'रीफ की फिर फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह की दो निशानियाँ हैं उनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फ़ौरन नमाज़ की तरफ लपको। जुहरी ने कहा कि क़बीर बिन अब्बास अपने भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते थे वो सूरज ग्रहण का क्रिस्सा इस तरह बयान करते थे जैसे इर्वा ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया। जुहरी ने कहा मैंने इर्वा से कहा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण हुआ सुबह की नमाज़ की तरह दो रकअत पढ़ी और कुछ ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने कहा हौं मगर वो सुन्नत के तरीक़ से चूक गए।

(राजेअ: 1044)

عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ) ثُمَّ قَالَ: ((هُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَانزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ)). وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرٌ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: إِنَّ أَحَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَجَلٌ، لِأَنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ.

[راجع: ١٠٤٤]

तशरीह: उनको हज़रत आइशा (रज़ि.) की ये हदीष न पहुँची होगी। हालाँकि अब्दुल्लाह बिन जुबैर सहाबी (रज़ि.) थे और इर्वा ताबेई हैं। मगर इर्वा ने आँहज़रत (ﷺ) की ये हदीष नक़ल की और हदीष की पैरवी सब पर मुक़द्दम है। इस रिवायत से ये भी निकला कि बड़े-बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी जैसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हैं, इनसे भी ग़लती हो जाती थी तो और मुज्तहिदों से जैसे इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़िई हैं, उनसे ग़लती का होना कुछ बर्इद नहीं और अगर मुसन्निफ़ आदमी इमाम इब्ने क़य्यिम की ईलामुल मूकिईन इस्माफ़ से देखे तो उसको इन मुज्तहिदों की ग़लतियाँ बख़्बो मा'लूम हो सकती हैं। (वहीदी)

बाब 5 : सूरज ग्रहण का कुसूफ व खुसूफ दोनों कह सकते हैं

٥- بَابُ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ

الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَعَسَفَ الْقَمَرُ﴾

[القيامة : ٨]

और अल्लाह तआला ने (सूरह क़य्याम: में) फ़र्माया, 'व ख़सफ़ल क़मर'

तशरीह: इस बाब से इमाम बुखारी (रह.) का मतलब ये है कि लफ़्जे कुसूफ़ और खुसूफ़ चाँद और सूरज दोनों के ग्रहण में मुस्तअमल (प्रयुक्त) होते हैं और जिन लोगों ने सूरज ग्रहण को कुसूफ़ या खुसूफ़ कहने से मना किया है उनका क़ौल सही नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने चाँद ग्रहण को कुसूफ़ कहने से क्योंकि अल्लाह ने खुद सूरह क़य्याम: में चाँद ग्रहण को खुसूफ़ फ़र्माया (वहीदी)

١٠٤٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ

شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ (أَنَّ رَسُولَ

(1047) हमसे सईद बिन इफ़ैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैथ बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुतहहरा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि

जिस दिन सूरज में खुसूफ़ (ग्रहण) लगा तो नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई आप (ﷺ) खड़े हुए तक्बीर कही फिर देर तक नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन उसके बाद एक लम्बा रुकूअ किया। रुकूअ से सर उठाया तो कहा समिअल्लाहु लिमन हमिदह फिर आप पहले ही की तरह खड़े हो गये और देर तक कुआन मजीद पढ़ते रहे लेकिन इस बार की किरअत पहले से कुछ कम थी। फिर आप सज्दा में गए और बहुत देर तक सज्दे में रहे फिर दूसरी रकअत में भी आपने इसी तरह किया फिर जब आपने सलाम फेरा तो सूरज साफ़ हो चुका था। नमाज़ से फ़ारिग होकर आप (ﷺ) ने खुत्बा दिया और फ़र्माया कि सूरज और चाँद का 'कुसूफ़' (ग्रहण) अल्लाह तआला की एक निशानी है और उनमें 'खुसूफ़' (ग्रहण) किसी की मौत व हयात पर नहीं लगता। लेकिन जब तुम उसे देखो तो फ़ौरन नमाज़ के लिये लपको।

(राजेअ: 1044)

اللَّهُ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ
فَكَبَّرَ لِقَرَأَةِ قِرَاءَةِ طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا
طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً
طَوِيلَةً وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ
رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرُّكُوعَةِ
الْأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ
فِي الرُّكُوعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ -
وَلَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ - فَخَطَبَ النَّاسَ
فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ:
(إِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا
فَأَنْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ)). [رَاجِع: ١٠٤٤]

दोनों के ग्रहण पर आपने कुसूफ़ और खुसूफ़ दोनों लफ़्ज़ इस्ते'माल किये हैं। बाब का मतलब प्राबित हुआ।

बाब 6 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान कि अल्लाह तआला अपने बन्दों को सूरज ग्रहण के ज़रिये डराता है
ये अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

(1048) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन इब्बैद ने, उनसे इमाम हसन बसरी ने, उनसे अबूबक्र (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह तआला इसके ज़रिये अपने बन्दों को डराता है। अब्दुल वारिष, शुअबा, ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह और हम्माद बिन सलमा इन सब ह्वाफ़िज़ों ने यूनुस से ये जुम्ला, 'अल्लाह उनको ग्रहण करके अपने बन्दों को डराता है' बयान नहीं किया और यूनुस के साथ इस हदीष को मूसा ने मुबारक बिन फ़ज़ाला से, उन्होंने इमाम हसन बसरी से रिवायत किया। उसमें यँ है कि अबूबक्र ने

٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُخَوِّفُ
اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكَسُوفِ))

قَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٠٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ
الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ)).
لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ:
((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ)). وَتَابِعَهُ مُوسَى

आहज़रत (ﷺ) से सुनकर मुझको ख़बर दी कि अल्लाह तआला उनको ग्रहण करके अपने बन्दों को डराता है और यूनूस के साथ इस हदीष को अशअष बिन अब्दुल्लाह ने भी इमाम हसन बसरी से रिवायत किया। (राजेअ: 1040)

عَنْ مَبَارِكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ))، وَتَابَعَهُ الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ. [راجع: ١٠٤٠]

तशरीह:

इसको खुद इमाम बुखारी (रह.) ने आगे चलकर वस्ल (मिलान) किया। भले ही कुसूफ़ या ख़ूसूफ़ ज़मीन या चाँद के हाइल होने से हो, जिसमें अब कुछ शक नहीं रहा। यहाँ तक कि मुंजिमीन और अहले हियते ख़ूसूफ़ और कुसूफ़ का ठीक वक़्त और ये कि वो किस मुल्क में कितना होगा पहले ही बता देते हैं। और तजुबे से वो बिलकुल ठीक निकलता है। इसमें बिलकुल फ़र्क नहीं होता मगर इससे हदीष के मतलब में कोई ख़लल नहीं आया क्योंकि अल्लाह करीम अपनी कुदरत और ताक़त दिखलाता है कि चाँद और सूरज कैसे बड़े और रोशन इज़्राम को वो दम भर में स्याह कर देता है। उसकी अज़मत और ताक़त और हैयत से बन्दों को हर दम थराना चाहिये और जिसने चाँद और सूरज ग्रहण के आदी और हि़साबी होने का इंकार किया है वो उक़लाअ (अक्लमंदों) के नज़दीक हंसी के काबिल है। (वहीदुज़्माँ मरहूम)

बाब 7 : सूरज ग्रहण में अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगना

٧- بَابُ التَّعَوُّدِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

(1049) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा कअम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे यह्या बिन सईद ने, उनसे अम्मा बन्ते अब्दुरहमान ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की जोज़: मुतहहरा आइशा (रज़ि.) ने कि एक यहूदी औरत उनके पास मांगने के लिये आई और उसने दुआ की कि अल्लाह तआला आपको क़ब्र के अज़ाब से बचाए। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या लोगों को क़ब्र में अज़ाब होगा? इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं अल्लाह तआला की उससे पनाह मांगता हूँ।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا: أَغَاذِكُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَائِدًا بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)).

(दीगर मक़ाम: 1055, 1272, 6366)

[طوافه في: ١٠٥٥، ١٢٧٢، ٦٣٦٦].

(1050) फिर एक बार सुबह को (कहीं जाने के लिये) रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार हुए, उसके बाद सूरज ग्रहण लगा। आप (ﷺ) दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हज़ों से गुज़रते हुए (मस्जिद में) नमाज़ के लिये खड़े हो गए सहबा (रज़ि.) ने भी आपकी इक़्रितदा में निय्यत बाँध ली। आप (ﷺ) ने बहुत लम्बा क़याम किया फिर रुकूअ भी बहुत लम्बा किया, उसके बाद खड़े

١٠٥٠- ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عِدَاةٍ مَرَكِبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَوَجَعَ شَحْيًا. فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي حَجْرٍ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ نَدَاهُ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنَ الْقِيَامِ

हुए और अब की दफ़ा क़याम फिर लम्बा किया लेकिन पहले स कुछ कम फिर रुकूअ किया और इस बार भी देर तक रुकूअ में रहे लेकिन पहले रुकूअ से कुछ कम, फिर रुकूअ से सर उठाया और सज्दा में गए। अब आप फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क़याम किया लेकिन पहले क़याम से थोड़ा कम। फिर एक लम्बा रुकूअ किया लेकिन पहले रुकूअ से कुछ कम, फिर रुकूअ से सर उठाया और क़याम में अब की बार भी बहुत देर तक रहे लेकिन पहले से कम देर तक (चौथी बार) फिर रुकूअ किया और बहुत देर तक रुकूअ में रहे लेकिन पहले से कम। रुकूअ से सर उठाया तो सज्दे में चले गए आख़िर आप (ﷺ) ने इस तरह नमाज़ पूरी कर ली, उसके बाद अल्लाह तआला ने जो चाहा आपने फ़र्माया इसी ख़ुत्बा में आपने लोगों को हिदायत फ़र्माई कि अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह की पनाह माँगें। (राजेअ : 1044)

الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ
الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ
فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ،
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ
الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ
دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا
وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ
ثُمَّ قَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ
رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ،
ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانصَرَفَ فَقَالَ : مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَوَدَّوْا مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ)). [راجع : ١٠٤٤]

तशरीह :

कुछ रिवायतों में है कि जब यहूदी औरत ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से क़ब्र के अज़ाब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा चलो क़ब्र का अज़ाब यहूदियों को होगा। मुसलमानों का इससे क्या रिश्ता? लेकिन उस यहूदिया के ज़िक्र पर उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा और आपने उसका हक़ होना बताया। इसी रिवायत में है कि आँहज़ूर (ﷺ) ने सल्लाबा किराम (रज़ि.) को अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगने की हिदायत फ़र्माई और ये नमाज़े कुसूफ़ के ख़ुत्बात का वाक़िआ नौ हिज्री में हुआ।

हदीष के आख़िरी जुम्ले से बाब का तर्जुमा निकलता है, उस यहूदन को शायद अपनी किताबों से क़ब्र का अज़ाब मा'लूम हो गया होगा। इब्ने हिब्बान में से कि आयते करीमा में लफ़ज़ मईशतन ज़न्का (ताहा: 124) इससे अज़ाबे क़ब्र मुराद है और हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा कि हमको अज़ाबे क़ब्र की तहक़ीक़ उस समय हुई जब आयते करीमा हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर (अत् तकाषुर : 2) नाज़िल हुई। इसे तिमिज़ी ने रिवायत किया है। और क़तादा और रबीअ ने आयत सनुअज्जिबुहुम मरतैन (तौबा : 101) की तफ़सीर में कहा कि एक अज़ाब दुनिया का और दूसरा अज़ाब क़ब्र का मुराद है। अब इस हदीष में जो दूसरी रकअत में दूनल क्रियामिल अब्वल है, उसके मतलब में इख़ितालाफ़ है कि दूसरी रकअत का क़यामे अब्वल मुराद है या अगले कुल क़याम मुराद है। कुछ ने कहा चार क़याम और चार रकआत हैं और हर एक क़याम और रुकूअ अपने मा-सबक़ से कम होता तो प़ानी अब्वल से कम और प़ालिष प़ानी से कम और राबेअ प़ालिष से कम। (वल्लाहु अअलम)

ये जो कुसूफ़ के वक़्त अज़ाबे क़ब्र से डराया, उसकी मुनासबत ये है कि जैसे कुसूफ़ के वक़्त दुनिया में अँधेरा हो जाता है वैसे ही गुनाहगार की क़ब्र में जिस पर अज़ाब होगा, अँधेरा छा जाएगा। अल्लाह तआला पनाह में रखे। क़ब्र का अज़ाब हक़ है, हदीष और कुर्आन से प़ाबित है जो लोग अज़ाबे क़ब्र से इंकार करते हैं वो कुर्आन और हदीष का इंकार करते हैं। लिहाज़ा उनको अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करनी चाहिये।

बाब 8 : ग्रहण की नमाज़ में
लम्बा सज्दा करना

٨- بَابُ طَوْلِ السُّجُودِ فِي
الْكُسُوفِ

(1051) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन कूफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान बिन अब्दुरहमान ने यह्या इब्ने अबी कफ़ीर से बयान किया, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अमर (रज़ि.) ने कि जब नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो ऐलान हुआ कि नमाज़ होने वाली है (उस नमाज़ में) नबी करीम (ﷺ) ने एक रक़अत में दो रुकूअ किये और फिर दूसरी रक़अत में भी दो रुकूअ किये, उसके बाद आप (ﷺ) बैठे रहे (क़अदे में) यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। अब्दुल्लाह ने कहा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने उससे ज़्यादा लम्बा सज्दा और कभी नहीं किया। (राजेअ: 1045)

۱۰۵۱- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ. فَرَكِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكِعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى جَلَى عَنْ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا)). [راجع: ۱۰۴۵]

सज्दे में बन्दा अल्लाह पाक के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है इसलिये उसमें जिस क़दर खुशूअ व खुजूअ के साथ अल्लाह को याद कर लिया जाए और जो कुछ भी उससे मांगा जाए कम है। सज्दे में इस कैफ़ियत का हासिल होना खुशबख़्ती की दलील है।

बाब 9 : सूरज ग्रहण की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने ज़मज़म के चबूतरे में लोगों को ये नमाज़ पढ़ाई थी और अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उसके लिये लोगों को जमा किया और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई।

۹- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِمْ فِي صَفَةِ زَمْرَمَ. وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ.

ये अली बिन अब्दुल्लाह ताबेई हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के बेटे हैं और खुल्फ़ा-ए-अब्बासिया उन्हीं की औलाद हैं उनको सज्दा कहते थे क्योंकि ये हर रोज़ हज़ार सज्दे किया करते थे जिस रात हज़रत अली मुर्तज़ा शहीद हुए उसी रात को ये पैदा हुए इसलिये उनका नाम बत्रौरै यादागार अली ही रखा गया। इस रिवायत को इब्ने शैबा ने मौसूलन ज़िक्र किया। (क़स्तलानी रह.)

۱۰۵۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ؛ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فِقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ،

(1052) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अत्रा बिन यसार ने बयान किया, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी थी आप (ﷺ) ने इतना लम्बा क़याम किया कि इतनी देर में सूरह बकर: पढ़ी जा सकती थी। फिर आप (ﷺ) ने रुकूअ लम्बा किया और उसके बाद खड़े हुए तो अब की बार भी क़याम बहुत लम्बा था लेकिन पहले से थोड़ा कम फिर एक दूसरा लम्बा रुकूअ

किया जो पहले रुकूअ से कुछ कम था फिर आप (ﷺ) सज्दे में गए, सज्दे से उठकर फिर लम्बा क़याम किया लेकिन पहले क़याम के मुक़ाबले में कम था। रुकूअ से सर उठाने के बाद फिर आप (ﷺ) बहुत देर तक खड़े रहे और ये क़याम भी पहले से कम था। फिर (चौथा) रुकूअ किया ये भी बहुत लम्बा था लेकिन पहले से कुछ कम। फिर आप (ﷺ) ने सज्दा किया और नमाज़ से फ़ारिग हुए तो सूरज पूरी तरह झाफ़ हो चुका था। उसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात की वजह से उनमें ग्रहण नहीं लगता इसलिये जब तुमको मा'लूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह तआला का ज़िक्र करो। सहाबा (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने देखा कि (नमाज़ में) अपनी जगह से आप कुछ आगे बढ़े और फिर उसके बाद पीछे हट गए। आपने फ़र्माया कि मैंने जन्नत देखी और उसका एक खोशा तोड़ना चाहा था अगर मैं उसे तोड़ सकता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते और मुझे जहन्नम दिखाई गई मैंने उससे ज़्यादा भयानक और ख़ौफ़नाक मंज़र कभी नहीं देखा। मैंने देखा उसमें औरतें ज़्यादा हैं। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसकी क्या वजह है? आपने फ़र्माया कि अपने कुफ़्र (इंकार) की वजह से। पूछा गया, क्या अल्लाह तआला का कुफ़्र (इंकार) करती हैं? आपने फ़र्माया शौहर का और एहसान का कुफ़्र करती हैं। ज़िंदगी भर तुम किसी औरत के साथ हुसने सुलूक करो लेकिन कभी अगर कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हो गई तो फ़ौरन यही कहेगी कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी।

ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ لِقَامِ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ)). قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعَكَمْتِ. قَالَ ﷺ: ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاولْتُ غَنَقُودًا وَلَوْ أَصَبْتَهُ لَأَكَلْتُمُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. وَأَرَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرِ مِنْظَرًا كَأَلْيَوْمٍ قَطُّ أَفْطَحَ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)). قَالُوا: يَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ)). قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)).

तशरीह:

ये हदीष इससे पहले भी गुज़र चुकी है, दोज़ख और जन्नत की तस्वीरें आपको दिखला दीं, इस हदीष में औरतों का भी ज़िक्र है जिसमें उनके कुफ़्र से नाशुक्री मुराद है। कुछ ने कहा कि आपने असल जन्नत और दोज़ख को देखा कि पर्दा बीच से उठ गया या ये मुराद है कि जहन्नम और जन्नत का एक एक टुकड़ा बतौर नमूना आपको दिखलाया गया। बहरहाल ये आलमे बरज़ख की चीज़ें हैं जिस तरह हदीष में आ गया हमारा ईमान है, तपस्वील में जाने की ज़रूरत नहीं। जन्नत के ख़ोशे के लिये आपने जो फ़र्माया वो इसलिये कि जन्नत और जन्नत की नेअमते कभी फ़ना होने वाली नहीं है। इसलिये वो ख़ोशा अगर आ जाता तो वो यहाँ दुनिया के क़ायम रहने तक रहता मगर ये आलमे दुनिया उसका महल नहीं इसलिये उसका आपको मुआयना

कराया गया। इस रिवायत में भी आँहज़रत (ﷺ) का हर रक़अत में दो रकूअ करने का ज़िक्र है जिसके पेशेनज़र बिरादराने अहनाफ़ ने भी बहरहाल अपने मसलक के खिलाफ़ उस हक़ीक़त को तस्लीम किया है जो क़ाबिले तहसीन है। चुनाँचे स़ाहिबे तफ़हीमुल बुखारी के अल्फ़ाज़ मुलाहिज़ा हों; आप फ़र्माते हैं कि इस बाब की तमाम अहदादीष में क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि रावियों ने इस पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया है कि आप (ﷺ) ने हर रक़अत में दो रकूअ किये थे। चुनाँचे क़याम फिर रकूअ फिर क़याम और फिर रकूअ की कैफ़ियत पूरी तफ़सील के साथ बयान करते हैं लेकिन सच्चे का ज़िक्र जब आया तो सिर्फ़ उसी पर इक्तिफ़ा किया कि आप (ﷺ) ने सच्चा किया था उसकी कोई तफ़सील नहीं कि सच्चे कितने थे क्योंकि रावियों के पेशेनज़र उस नमाज़ के इन्तियाज़ को बयान करना है उससे भी यही समझ में आता है कि रकूअ हर रक़अत में आपने दो किये थे और जिनमें एक रकूअ का ज़िक्र है उनमें इख़ित़सार से काम लिया गया है।

बाब 10 : सूरज ग्रहण में औरतों का मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ना

(1053) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उर्वा ने, उन्हें उनकी बीवी फ़ातिमा बिनते मुज़िर ने, उन्हें अस्मा बिनते अबीबक्र (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो मैं नबी करीम (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर आई। अचानक लोग खड़े हुए और नमाज़ पढ़ने लगे और आइशा (रज़ि.) भी नमाज़ पढ़ रही थी मैंने पूछा कि लोगों को बात क्या पेश आई? इस पर आपने आसमान की तरफ़ इशारा करके सुब्हानल्लाह कहा। फिर मैंने पूछा क्या कोई निशानी है? उसका आपने इशारे से हाँ में जवाब दिया। उन्होंने बयान किया कि फिर मैं भी खड़ी हो गई लेकिन मुझे चक्कर आ गया इसलिये मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो अल्लाह तआला की हम्दो-घ़ना के बाद फ़र्माया कि वो चीज़ें जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी अब उन्हें मैंने अपनी इसी जगह से देख लिया। जन्नत और जहन्नम तक मैंने देखी और मुझे वह्द के ज़रिये बताया गया है कि तुम क़ब्र में दज्जाल के फ़ितने की तरह या (ये कहा कि) दज्जाल के फ़ितने के करीब एक फ़ितना में मुब्तला होओगे। मुझे याद नहीं कि अस्मा (रज़ि.) ने क्या कहा था आपने फ़र्माया कि तुम्हें लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस शख़्स (यानी नबी ﷺ) के बारे में तुम क्या जानते हो? मोमिन

۱۰- بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

فِي الْكُسُوفِ

۱۰۵۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرَوةَ عَنْ امْرَأَتِهِ لَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّبِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ : ((أَنْتِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَّجَالِي)) - حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ - فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ : لَقَمْتُ حَتَّى تَجَلَّيَ الشَّمْسُ، فَجَعَلْتُ أُصَبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَقْتُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَالِ لَا أُدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ، يُؤْتَى أَحَدَكُمْ فَيَقَالُ

या ये कहा कि यक्रीन रखनेवाला (मुझे याद नहीं कि इन दोनों बातों में से हज़रत अस्मा रज़ि. ने कौनसी बात कही थी) तो कहेगा ये मुहम्मद (ﷺ) हैं, आपने हमारे सामने सही रास्ता और उसके दलाइल पेश किये और हम आप पर ईमान लाए थे और आपकी बात कुबूल की और आपकी इत्तिबा की थी। इस पर उससे कहा जाएगा कि तू नेक इन्सान है। पस आराम से सो जाओ हमें तो पहले ही पता था कि तू ईमान व यक्रीन वाला है। मुनाफ़िक़ या शक करने वाला (मुझे मा'लूम नहीं कि हज़रत अस्मा ने क्या कहा था) वो ये कहेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने लोगों से एक बात सुनी थी वही मैंने भी कही (आगे मुझको कुछ हक़ीक़त मा'लूम नहीं) (राजेअ: 86)

لَهُ : مَا عَلِمْتُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَلَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنُ - (لَا أُذْرِي أَمِي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) قِيُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْتَبَيْنَا وَأَمَنَا وَاتَّبَعْنَا، فَيَقَالُ لَهُ : نَمَّ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوْ الْمُرْتَابُ - (لَا أُذْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) قِيُولُ: لَا أُذْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقَالَتْ: ((. راجع: ٨٦)

तशरीह: इस हदीष से बहुत से उमूर पर रोशनी पड़ती है जिनमें से सलाते कुसूफ़ में औरतों की शिकत का मसला भी है और उसमें अज़ाबे क़ब्र और इन्तिहाने क़ब्र की तफ़्सीलात भी शामिल हैं ये भी कि ईमान वाले क़ब्र में आँहज़रत (ﷺ) की रिसालत की तस्दीक़ और आपकी इत्तिबा का इज़हार करेंगे और बेईमान लोग वहाँ चक्कर में पड़कर सहीह जवाब न दे सकेंगे और दोज़ख़ के मुस्तहक़ होंगे। अल्लाह हर मुसलमान को क़ब्र में प्राबितक़दमी अत्ता फ़र्माए। (आमीन)

बाब 11 : जिसने सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करना पसंद किया (उसने अच्छा किया)

(1054) हमसे रबीआ बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे जाइदा ने हिशाम से बयान किया, उनसे फ़ातिमा ने, उनसे अस्मा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़र्माया। (राजेअ: 86)

١١- بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاةَ فِي

كُسُوفِ الشَّمْسِ

١٠٥٤- حَدَّثَنَا رَيْبَعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ)). (راجع: ٨٦)

बाब 12 : कुसूफ़ की नमाज़ मस्जिद में पढ़नी चाहिये

(1055) हमसे इस्माईल बिन अब्दुल्लाह बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने यह्या बिन सईद अंसारी से बयान किया, उनसे अमर बिन अब्दुरहमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि एक यहूदी औरत उनके पास कुछ मांगने आई। उसने कहा कि आपको अल्लाह तआला क़ब्र के अज़ाब से बचाए, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि क्या क़ब्र

١٢- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي

الْمَسْجِدِ

١٠٥٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَغَاذِكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ

में भी अज़ाब होगा? आँहुज़ूर (ﷺ) ने (ये सुनकर) फ़र्माया कि मैं अल्लाह की उससे पनाह माँगता हूँ। (राजेअ: 1049)

(1056) फिर आँहुज़ूर (ﷺ) एक दिन सुबह के वक़्त सवार हुए (कहीं जाने के लिये) इधर सूरज ग्रहण लग गया इसलिये आप (ﷺ) वापस आ गए, अभी चाशत का वक़्त था। आँहुज़ूर (ﷺ) अपनी बीवियों के हुज्रों से गुजरे और (मस्जिद में) खड़े होकर नमाज़ शुरू कर दी सहाबा भी आप (ﷺ) की इत्तिदा में सफ़ बाँधकर खड़े हो गए आपने क्रयाम बहुत लम्बा किया रुकूअ भी बहुत लम्बा किया। फिर रुकूअ से सर उठाने के बाद दोबारा लम्बा क्रयाम किया लेकिन पहले से कम उसके बाद रुकूअ बहुत लम्बा लेकिन पहले रुकूअ से कम। फिर रुकूअ से सर उठाकर आप सज्दे में गए और लम्बा सज्दा किया। फिर लम्बा क्रयाम किया और ये क्रयाम भी पहले से कम था। फिर लम्बा रुकूअ किया अगरचे ये रुकूअ भी पहले के मुक्राबले में कम था। फिर आप (ﷺ) रुकूअ से खड़े हो गए और लम्बा क्रयाम किया लेकिन ये क्रयाम फिर पहले से कम था अब (चौथा) रुकूअ किया अगरचे ये रुकूअ पहले रुकूअ के मुक्राबले में कम था। फिर सज्दा किया बहुत लम्बा लेकिन पहले सज्दे के मुक्राबले में कम। नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद जो कुछ अल्लाह तआला ने चाहा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इश्राद फ़र्माया। फिर लोगों को समझाया कि क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह माँगें।

عَالِيَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ((الْعَذَابُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ١٠٤٩]

١٠٥٦- ((ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرَكِبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضَحَى لَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجْرِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، أَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَوَدَّوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)).

तशरीह:

इस हदीष और दीगर अहदीष से प्राबित होता है कि क़ब्र का अज़ाब व षवाब बरहक़ है। इस मौके पर आँहुज़ूरत (ﷺ) ने अज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगने का हुक़म फ़र्माया। इस बारे में शारेहीने बुखारी लिखते हैं, लिअज़्मि हौलिही व अयज़न फइन्न जुल्मतल्कुसूफि इजा गमतिशशम्सु तुनासिबु जुल्मतुल्क़बि वशशयउ यज़्कुरू फयखाफु मिन हाज़ा कमा यखाफु मिन हाज़ा मिम्मा यस्तम्बितु मिन्हु अन्नहू यदुल्लु अला अन्न अज़ाबल्क़बि बिही व ला युन्किरूहू इल्ला मुब्तदिउन (हाशिया बुखारी)

या'नी उसकी हौलनाक कैफ़ियत की वजह से आपने ऐसा फ़र्माया और इसलिये भी कि सूरज ग्रहण की कैफ़ियत जब उसकी रोशनी ग़ायब हो जाए, क़ब्र के अँधेरे से मुनासबत (समरूपता) रखती है। इसी तरह एक चीज़ का ज़िक्र दूसरी चीज़ के ज़िक्र की मुनासबत से किया जा सकता है और उससे डराया जाता है और इससे प्राबित हुआ कि क़ब्र का अज़ाब हक़ है और जुम्ला अहले सुन्नत का ये मुतफ़का अक़ीदा है जो अज़ाबे क़ब्र का इन्कार करे वो बिदअती है। (इन्तिहा)

बाब 13 : सूरज ग्रहण किसी के मरने या पैदा होने से नहीं लगता

उसको अबूबक्र, मुगीरह, अबू मूसा अशअरी, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (रज़ि.) ने रिवायत किया है।

(1057) हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से बयान किया, कहा कि मुझसे क़ैस ने बयान किया, उनसे अबू मसऊद उत्रबा बिन आमिर अंसारी सहाबी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं लगता अलबत्ता ये दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं, इसलिये जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज़ पढ़ो।

(राजेअ: 1041)

(1058) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मअमर ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी और हिशाम बिन इर्वाने, उन्हें इर्वाने बिन जुबैर ने, उन्हें हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप (ﷺ) खड़े हुए और लोगों के साथ नमाज़ में मशगूल हो गए। आप (ﷺ) ने लम्बी क़िरअत की, फिर रुकूअ किया और ये भी बहुत लम्बा था। फिर सर उठाया और इस बार भी देर तक क़िरअत की मगर पहली क़िरअत से कम। उसके बाद आप (ﷺ) ने (दूसरी बार) रुकूअ किया बहुत लम्बा लेकिन पहले के मुक़ाबले में कम फिर रुकूअ से सर उठाकर आप सज्दे में चले गए और दो सज्दे किये फिर खड़े हुए और दूसरी रकअत में भी उसी तरह किया जैसे पहली रकअत में कर चुके थे। उसके बाद फ़र्माया कि सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता। अलबत्ता ये दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआला अपने बन्दों को दिखाता है, इसलिये जब तुम उन्हें देखो तो फ़ौरन नमाज़ के लिये

۱۳- بَابُ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَالْمُعْتَمِرَةَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

۱۰۵۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا)).

[راجع: ۱۰۴۱]

۱۰۵۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ غُرُوزَةَ عَنْ غُرُوزَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَسَفَتْ

الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَامِ

النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ،

ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ قِرَائَتِهِ فِي

الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ دُونَ

الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا

لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا

दौड़ो। (राजेअ : 1044)

हदीष और बाब में मुताबकत ज़ाहिर है।

बाब 14 : सूरज ग्रहण में अल्लाह को याद करना

उसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने रिवायत किया (1059) हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे बुरैद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबूबुर्दा ने, उनसे अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अकरम (ﷺ) बहुत घबराकर उठे इस डर से कि कहीं क़यामत न क़ायम हो जाए। आप (ﷺ) ने मस्जिद में आकर बहुत ही लम्बा क़याम रकूअ और लम्बे सज्दों के साथ नमाज़ पढ़ी। मैंने कभी आप (ﷺ) को इस तरह करते नहीं देखा था। आप (ﷺ) ने नमाज़ के बाद फ़र्माया कि ये निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआला भेजता है ये किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं आतीं बल्कि अल्लाह तआला उनके ज़रिये अपने बन्दों को डराता है इसलिये जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह तआला का ज़िक्र और उससे इस्तिफ़ार की तरफ़ लपको।

إِلَى الصَّلَاةِ)). [راجع: 1044].

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

۱۴ - بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ،

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

۱۰۵۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو اسْمَاطَةَ بْنُ بَرْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَلَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَعَلَى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: ((هَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ يُوسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يَخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَانْفِرُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ)).

तशरीह: क़यामत की कुछ अलामात (निशानियाँ) हैं जो पहले ज़ाहिर होंगी और फिर उसके बाद क़यामत बरपा होगी। इस हदीष में है कि आँहुज़ूर (ﷺ) अपनी हयात में ही क़यामत हो जाने से डरे हालाँकि उस वक़्त क़यामत की कोई अलामत नहीं पाई जा सकती थी। इसलिये इस हदीष के टुकड़े के बारे में ये कहा गया है कि आप उस तरह खड़े हुए जैसे अभी क़यामत आ जाएगी गोया उससे आप (ﷺ) की ख़शियते इलाही व ख़ौफ की हालत को बताना मक़सूद है। अल्लाह तआला की निशानियों को देखकर एक खुशूअ व खुजूअ करने वाले की ये कैफ़ियत हो जाती है। हूज़ूर अकरम (ﷺ) अगर कभी घटा देखते या आँधी चल पड़ती तो आप (ﷺ) की उस वक़्त भी यही कैफ़ियत हो जाती थी। ये सहीह है कि क़यामत की अभी अलामतें ज़हूर-पज़ीर (नमूदार) नहीं हुई थीं लेकिन जो अल्लाह तआला की शाने जलाली व क़दहारी में गुम होता है वो ऐसे मौक़ों पर ग़ौरो-फ़िक्र से काम नहीं ले सकता। हज़रत उमर (रज़ि.) को खुद आँहुज़ूर (ﷺ) के ज़रिये जन्नत की बशारत दी गई थी लेकिन आप फ़र्माया करते थे अगर हज़रत में मेरा मामला बराबर-सराबर ख़त्म हो जाए तो मैं उसी पर राज़ी हूँ। उसकी वजह भी यही थी अलगज़ा ग़ौरो-तदब्बुर व इंसाफ़ की नज़र से अगर देखा जाए तो आपको मा'लूम हो जाएगा कि चाँद और सूरज ग्रहण की हक़ीक़त आप (ﷺ) ने ऐसे जामेअ लफ़्ज़ों में बयान कर दी कि साइन्स की मौजूदा मा'लूमात और आइन्दा की सारी मा'लूमात इसी एक जुम्ले के अंदर मुदग़ाम होकर रह गई हैं। बिना शक व शुब्हा सारे इख़्तिराआते जदीद और ईजादाते मौजूदा (आधुनिक आविष्कार), मा'लूमाते साइन्सी सब अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ हैं। सबका अव्वलीन मौजिद (आविष्कारक) वही है जिसने इसान को इन इजादात के लिये एक बेशक़ीमत दिमाग़ दिया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक्रीन वल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

कालल्किर्मानी हाज़ा तम्प्रीलुम्मिनर्वावी कअन्नहू फ़ज़अ कल्लखाशी अय्यंकूनल्क़यामतु व इल्ला फकानन्नबिय्यु (ﷺ) आलमिन बिअन्नम्माअत ला तकूमु व हुव बैन अज़्हुरिहिम व क़द वअदल्लाहु अअलअ

दीनिही अल्लअदयानि कुल्लिहा व लम यबलुगिल्किताबु अजलहू या' नी किरमानी ने कहा कि ये तम्सील राबी की तरफ से है गोया आप (ﷺ) ऐसे घबराए जैसे कोई क़यामत के आने से डर रहा हो। वरना आँहज़रत (ﷺ) तो जानते थे कि आपकी मौजूदगी में क़यामत क़ायम नहीं होगी। अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि क़यामत से पहले आपका दीन जुम्ला अदयान (अन्य सारे धर्मों) पर ग़ालिब आकर रहेगा और आपको ये भी मा'लूम था कि अभी क़यामत के बारे में अल्लाह का नविशता अपने वक़्त को नहीं पहुँचा है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाबि व मा अलैना इल्लल्लबलाग़।

बाब 15 : सूरज ग्रहण में दुआ करना

उसको अबू मूसा और आइशा (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है।

(1060) हमसे अबुल वलीद त्रियालिसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ाइद बिन कुदामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) से सुना कि उन्होंने कहा कि जिस दिन इब्राहीम (रज़ि.) की मौत हुई सूरज ग्रहण भी उसी दिन लगा। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ग्रहण इब्राहीम (रज़ि.) (आँहज़रत के साहबज़ादे) की वफ़ात की वजह से लगा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। उनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता। जब उसे देखो तो अल्लाह पाक से दुआ करो और नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो जाए। (राजेअ: 1043)

बाब 16 : ग्रहण के ख़ुत्बे में इमाम

का अम्मा बअद कहना

(1061) और अबू उसामा ने बयान किया कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे फ़ातिमा बन्ते मुंज़िर ने ख़बर दी, उनसे हज़रत अस्मा बन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब सूरज साफ़ हो गया तो रसूलुल्लाह नमाज़ से फ़ारिग हुए और आपने ख़ुत्बा दिया। पहले अल्लाह तआला की शान के मुताबिक़ उसकी ता'रीफ़ की उसके बाद फ़र्माया, 'अम्मा बअद।' (राजेअ: 86)

बाब 17 : चाँद ग्रहण की नमाज़ पढ़ना

١٥- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ

قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٠٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا
وَأَيْدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلَاةَ قَالَ :
سَمِعْتُ السَّمْعَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ :
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ،
فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا
فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ)).

[راجع: ١٠٤٣]

١٦- بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ

الْكَسُوفِ: أَمَا بَعْدُ.

١٠٦١- وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
قَالَ: أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُتَلِبِ عَنْ
أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ
لِعُودَةِ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا
بَعْدُ)). [راجع: ٨٦]

١٧- بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

(1062) हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन आमिर ने बयान किया और उनसे शुअबा ने, उनसे यूनुस ने, उनसे इमाम हसन बसरी ने और उनसे अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ पढ़ी थी। (राजेअ: 1040)

۱۰۶۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَابِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ)).

[راجع: ۱۰۴۰]

तशरीह:

यहाँ से ए'तिराज़ हुआ है कि ये हदीष बाब के तर्जुमा से मुताबक़त नहीं रखती; इसमें तो चाँद का ज़िक्र तक नहीं है और जवाब ये है कि ये रिवायत मुख्तसर है। उस रिवायत की, जो आगे आती है उसमें साफ़ चाँद का ज़िक्र है और मक़सूद वही दूसरी रिवायत है और उसको इसलिये ज़िक्र कर दिया कि मा'लूम हो जाए कि रिवायत मुख्तसर भी मरवी हुई है। कुछ ने कहा सहीह बुखारी के एक नुस्खे में इस हदीष में यूँ हैं, इन्कसफ़लक़मरू दूसरे मुम्किन है कि इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष के उस तरीक़ की तरफ़ इशारा किया हो जिसको इब्ने अबी शैबा ने निकाला; उसमें यूँ है, इन्कसफ़तिशाम्सु वलक़मरू इमाम बुखारी (रह.) की आदत है कि एक हदीष बयान करके उसके दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा करते हैं और बाब का मतलब उससे ये निकालते हैं। (वहीदी)

स़ीरते इब्ने हिब्बान में है कि पाँच हिजरी में भी चाँद ग्रहण भी हुआ था और आँहज़रत (ﷺ) ने उसमें भी नमाज़ बा-जमाअत अदा की थी। मा'लूम हुआ कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों का एक ही हुक्म है मगर हमारे मुहतरम बिरादाराने अहनाफ़ चाँद ग्रहण की नमाज़ के लिये नमाज़ बा-जमाअत के क़ाइल नहीं है। उसको अलग पढ़ने का फ़त्वा देते हैं। इस बाब में उनके पास बजुज राये क्रियास कोई दलील पुख़ता नहीं है मगर उनको इस पर इसरार है। लेकिन सुन्नते रसूल के शैदाइयों के लिये आँहज़रत (ﷺ) का तौर-तरीक़ा ही सबसे बेहतर उम्दा चीज़ है। अल्हम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक.

(1063) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इमाम हसन बसरी ने, उनसे अबूबक्र ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप अपनी चादर घसीटते हुए (बड़ी तेज़ी से) मस्जिद में पहुँचे। महाबा भी जमा हो गये। फिर आपने उन्हें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, ग्रहण भी खत्म हो गया। उसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं और उनमें ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता इसलिये जब ग्रहण लगे तो उस वक़्त तक नमाज़ और दुआ में मशगूल रहो जब तक कि ये साफ़ न हो जाए। ये आपने इसलिये फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के एक साहबज़ादे इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात (उसी दिन) हुई

۱۰۶۳- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَهُمَا لَا يَخْفَيَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، لِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَكْشَفَ مَا بَكُمْ)). وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ لَنِيٍّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ

थी और कुछ लोग उनके बारे में कहने लगे थे (कि ग्रहण उनकी मौत पर लगा है)। (राजेअ : 1040)

لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ)).
[راجع: 1040]

इस हदीष में साफ़ चाँद ग्रहण का ज़िक्र मौजूद है और यही बाब का मक़सद है।

बाब 17 : जब इमाम ग्रहण की नमाज़ में पहली रकअत लम्बी कर दे और कोई औरत अपने सर पर पानी डाले

بَابُ صَبِّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ إِذَا طَالَ الْإِمَامُ الْقِيَامَ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى

इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने कोई हदीष बयान नहीं की। कुछ नुस्खों में ये बाब का तर्जुमा नहीं है तो शायद ऐसा हुआ कि ये बाब कायम करके इमाम बुखारी (रह.) इसमें कोई हदीष लिखनेवाले थे मगर उनको मौक़ा नहीं मिला या उनको ख़याल न रहा और ऊपर जो हदीष हज़रत अस्मा (रज़ि.) की कई बार गुज़री इससे इस बाब का मतलब निकल आता है। (वहीदी)

बाब 18 : ग्रहण की नमाज़ में पहली रकअत का लम्बा करना

١٨- بَابُ الرَّكَعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلَ

(1064) हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अहमद मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह जुबैरी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान श़ौरी ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद अंसारी ने, उनसे अम्र ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज ग्रहण की दो रकअतों में चार रूकूअ किए और पहली रकअत दूसरी रकअत से लम्बी थी। (राजेअ : 1044)

١٠٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الْأُولَى وَالْأُولَى أَطْوَلُ)). [راجع: 1044]

तशरीह: सूरज और चाँद ग्रहण में नमाज़ बा-जमाअत मसनून है। मगर हन्फ़िया चाँद ग्रहण में नमाज़ बा-जमाअत के काइल नहीं। अल्लाह जाने उनको ये फ़र्क़ करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई कि सूरज ग्रहण में तो नमाज़ बा-जमाअत जाइज़ हो और चाँद ग्रहण में नाजाइज़। इस फ़र्क़ के लिये कोई वाज़ेह दलील होनी चाहिये थी। बहरहाल ख़याल अपना-अपना नज़र अपनी-अपनी।

बाब 19 : ग्रहण की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना

١٩- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

(1065) हमसे मुहम्मद बिन मिहरान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन सलम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन नम्र ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से सुना, उन्होंने इर्वा से और इर्वा ने (अपनी ख़ाला) हज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने ग्रहण की नमाज़ में क़िरअत बुलन्द आवाज़ से की, क़िरअत से फ़ारिग़ होकर आप

١٠٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نَعْرِمٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَائَتِهِ، لِإِذَا فَرَّغَ مِنْ

(ﷺ) तक्बीर कहकर रुकूअ में चले गए जब रुकूअ से सर उठाया तो समिअल्लाहुलिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द कहा फिर दोबारा क़िरअत शुरू की। कहा ग्रहण की दो रकअतों में आपने चार रुकूअ और चार सज्दे किये।

(राजेअ: 1044)

(1066) और इमाम औज़ाई (रह.) ने कहा कि मैंने जुहरी से सुना, उन्होंने इर्वा से और इर्वा ने आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) के अहद में सूरज ग्रहण लगा तो आपने एक आदमी से ऐलान करा दिया कि नमाज़ होने वाली है फिर आपने दो रकअतें चार रुकूअ और चार सज्दों के साथ पढ़ीं। वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया कि मुझे अब्दुरहमान बिन नम्र ने खबर दी और उन्होंने इब्ने शिहाब से सुना, उसी हदीष की तरह जुहरी (इब्ने शिहाब) ने बयान किया कि इस पर मैंने (इर्वा से) पूछा कि फिर तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने जब मदीना में कुसूफ की नमाज़ पढ़ाई तो क्यों न ऐसा किया कि जिस तरह सुबह की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसी तरह से नमाज़े कुसूफ भी उन्होंने पढ़ाई। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ उन्होंने सुन्नत के खिलाफ़ किया। अब्दुरहमान बिन नम्र के साथ उस हदीष को सुलैमान बिन क़रीर और सुफयान बिन हुसैन ने भी जुहरी से रिवायत किया, उसमें भी पुकारकर क़िरअत करने का बयान है। (राजेअ: 1044)

قِرَاءَتِهِ كَثْرَ فَرَسَعٍ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْخُسُوفُ)). ثُمَّ يُعَاوِذُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)). [راجع: ١٠٤٤]

١٠٦٦- وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ غُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((رَأَى الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهَمَّتْ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَائِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ لَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)). قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَعِيمٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ بِطَلَّةٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّهَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّى بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: أَجَلٌ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ. تَابَعَهُ سَلْمَانَ بْنُ كَثِيرٍ وَسَفْيَانَ بْنَ خُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ [راجع: ١٠٤٤]

तशरीह:

या'नी सुन्नत ये थी कि ग्रहण की नमाज़ में हर रकअत में दो रुकूअ करते, दो क़याम मगर अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने जो सुबह की नमाज़ की तरह इसमें हर रकअत में एक रुकूअ किया और एक ही क़याम; तो ये उनकी ग़लती है। वो चूक गए। तरीक़-ए-सुन्नत के खिलाफ़ किया। अब्दुरहमान बिन नम्र के बारे में लोगों ने कलाम किया है गो जुहरी वगैरह ने उसको सिका कहा है मगर यह्या बिन मुईन ने उनको ज़ईफ़ कहा है; तो इमाम बुखारी (रह.) ने इस रिवायत का ज़ौफ़ रफ़अ (दूर) करने के लिये ये बयान फ़र्माकर कि अब्दुरहमान की मुताबअत सुलैमान बिन क़रीर और सुफयान बिन हुसैन ने भी की है। मगर मुताबअत से हदीष क़वी हो जाती है। हाफ़िज़ ने कहा कि उनके सिवा अक़ील और इस्हाक़ बिन राशिद ने भी अब्दुरहमान बिन नम्र की मुताबअत की है। सुलैमान बिन क़रीर की रिवायत को इमाम अहमद ने और सुफयान बिन हुसैन की रिवायत को तिर्मिज़ी और तहावी ने अक़ील की रिवायत को भी तहावी ने और इस्हाक़ बिन राशिद की रिवायत को दारे कुत्नी ने वस्ल किया है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

वक्रद वरदलजहफू फीहा अन अलिथ्यिन मफूअन अख़रजहुब्नु खुज़ैमत व गैरूहु व बिही क़ाल साहिबा अबी हनीफ़त व अहमद व इस्हाक़ वब्न खुज़ैमत वब्नलमुन्ज़िर व गैरहुमा मिनश्शाफिइय्यति वब्निल्अरबी. (फ़तुल बारी)

या'नी कुसूफ़ में ज़हरी क़िरअत के बारे में हज़रत अली (रज़ि.) से भी मफूअन और मौक़फ़न इब्ने खुज़ैमान ने रिवायत

की है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के दोनों शागिर्द इमाम मुहम्मद और इमाम यूसुफ़ भी इसी के क़ाइल हैं और अहमद और इस्हाक़ और इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने मुंज़िर और इब्ने अरबी वग़ैरह भी जहर के क़ाइल हैं। (वज़ाह अज़लम)

हदीषे आइशा (रज़ि.) जहरन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ी सलातिल्खुसूफ़ि बिकिरातिही के ज़ेल में हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं, हाज़ा नस्सुन फ़ी अन्न किरातहू (ﷺ) फ़ी सलाति कुसूफ़िशशम्मिस कानत जहरन ला सिरिन व हुव यदुल्लु अला अन्नस्सुन्नत फ़ी सलातिल्कुसूफ़ि हियल्जहरू बिल्किराति लल्इस्सारि व यदुल्लु लिज़ालिक अयज़न हदीषु अस्मा इन्दल्बुख़ारी कालज्जैलइ फ़ी नसबिराया सफ़ा 232, जिल्द 2, अल्हाफ़िज़ फिदिराया, सफ़ा 137 वब्नुल्हुमाम फ़ी फत्हिलक्रदीर वल्अयनी फिन्निहायति व लिल्बुख़ारी मिन हदीषे अस्मा बिन्ति अबीबक्र क़ालत जहरन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ी सलातिल्कुसूफ़ि इन्तिहा व यदुल्लु लहू अयज़न लहू मा रवा इब्नु ख़ुज़ैमा वत्तहावी अन अलिथ्यिन मर्फू अन व मौकूफ़न मिनल्जहरि बिल्किराति फ़ी सलातिल्कुसूफ़ि कालत्तहावी बअद रिवायतिल्हदीषि अन अलिथ्यिन मौकूफ़न व लौ लम यज़हरन्नबिय्यु (1) लिअन्नहू अलिम अन्नहुस्सुन्नतु फलम यतरूकिल्जहर वल्लाहु आलमु (मिआत, जिल्द 2, सफ़ा : 375) या'नी ये हदीष इस अम्पर पर नस्स है कि कुसूफ़े शम्मिस की नमाज़ में आँहज़रत (ﷺ) की क़िरअत जहरी थी, सिरि न थी। और ये दलील है कि सलाते कुसूफ़ में जहरी क़िरअत सुन्नत है न कि सिरि। और इस पर हज़रत अस्मा (रज़ि.) की ये हदीष भी दलील है। ज़ेल्जी ने अपनी किताब नस्बुराया, जिल्द नं. 2, पेज नं. 232 पर और हाफ़िज़ ने दिराया, पेज नं. 137 पर और इब्ने हुमाम ने फत्हुल क्रदीर में और ऐनी ने निहाया में लिखा है कि इमाम बुख़ारी (रह.) के लिये हदीषे अस्मा बिन्ते अबीबक्र भी दलील है। जिसमें उनका बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने कुसूफ़ की नमाज़ में जहरी क़िरअत की थी और इब्ने ख़ुज़ैमा और तहावी में भी हज़रत अली (रज़ि.) की सनद से मर्फूअन और मौकूफ़न दोनों तरह से नमाज़े कुसूफ़ की नमाज़ में क़िरअत दलील है। हज़रत अली (रज़ि.) की इस रिवायत को ज़िक्र करके इमाम तहावी ने फ़र्माया कि जिस वक़्त हज़रत अली (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) के साथ कुसूफ़ की नमाज़ पढ़ी थी उस वक़्त अगर आँहज़रत (ﷺ) जहरी क़िरअत न फ़र्माते तो हज़रत अली (रज़ि.) भी अपनी नमाज़ में जहरी क़िरअत न करते और बिला शक़ वे जानते थे कि जहरी सुन्नत है इसलिये उन्होंने उसे तर्क नहीं किया और सुन्नते नबवी के मुताबिक़ जहरी क़िरअत के साथ में उसे अदा फ़र्माया।

इस बारे में कुछ उलमा-ए-मुतक़द्दिमीन ने इख़ितलाफ़ भी किये हैं मगर दलाइले क़विय्या की रू से तर्ज़ीह जहरी क़िरअत ही को हासिल है। व क़ाल फिस्सैलिल्जहारि रिवायतुल्जहरि असहू व अक्षरु व राविल्जहरि मुष्वितुन व हुव मुक़द्दमुन अलन्नाफ़ी व तअव्वल बअज़ुल्हनफ़िय्यति हदीषु आइशत बिअन्नहू (ﷺ) जहर बिआयतिन औ आयतैनि क़ाल फिल्बदाइअ नहमिलु ज़ालिक अला अन्नहू जहर बिबअज़िहा इत्तिफ़ाक़न कमा रूविय अन्नन्नबिय्यु (ﷺ) कान युस्मिउल्आयत वल्आयतैनि फ़ी सलातिज़्जुहरि अहयानन इन्तिहा व हाज़ा तावीलुन बातिलुन लिअन्न आइशत कानत तुमल्ली फ़ी हुजतिहा करीबम्मिनल्किब्लति व कज़ा उख्तुहा अस्मा व मन कान कज़ालिक ला यख़फ़ी अलैहि किरातुन्नीय्यि (ﷺ) फ़लौ कान किरातुहू सिरिव व कान यज़हरू बिआयतिन औ आयतैनि अहयानन कमा फ़अल कज़ालिक फ़ी सलातिज़्जुहरि लमा अब्बरत अन ज़ालिक बिअन्नहू कान यज़हरू बिल्किराति फ़ी सलातिल्कुसूफ़ि कमा लम यकुल अहदुम्मिमन रवा किरातहू फि सलातिज़्जुहरि अन्नहू जहर फ़ीहा बिल्किराति. (इवाला मज़क़ूरा) या'नी सीले ज़ार में कहा कि जहर की रिवायत सहीह और अक़षर है और जहर की रिवायत करने वाला रावी मुष्वत है जो नफ़ी करनेवाले पर उसूलन मुक़द्दम है। कुछ हन्फ़िया ने ये तावील की है कि आप (ﷺ) ने कुछ आयात को जहर (बा-आवाज़) से पढ़ लिया था जैसा कि आप (ﷺ) कुछ दफ़ा जुहर की नमाज़ में भी कुछ आयात जहर से पढ़ लिया करते थे। पस हदीषे आइशा (रज़ि.) में जहरी से यही मुराद है और ये तावील बिलकुल बातिल है क्योंकि हज़रत आइशा (रज़ि.) और उनकी बहन अस्मा (रज़ि.) क़िब्ला के पास अपने हूज़रों में नमाज़ पढ़ती थीं और जो ऐसा हो उस पर आँहज़रत (ﷺ) की क़िरअत मख़फ़ी रह सकती है। पस अगर आप (ﷺ) की क़िरअत कुसूफ़ की नमाज़ सिरि होती और कभी-कभार कोई आयात ज़हर की तरह पढ़ दिया करते थे तो आइशा हज़रत अस्मा (रज़ि.) से जहरी क़िरअत से न ता'बीर करतीं। जैसा कि आपके नमाज़े जुहर में कुछ आयात को जहरी पढ़ देने से किसी ने भी उसको जहरी क़िरअत पर महमूल नहीं किया।

17. किताब सुजूदुल कुआन

सुजूदे-कुआन के मसाइल

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : सज्द-ए-तिलावत और
उसके सुन्नत होने का बयान

۱ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
وَسُنَّتِهَا

तशरीह:

सज्द-ए-तिलावत अक़्बुर अइम्मा के नज़दीक सुन्नत है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ वाजिब है। अहले हदीष के नज़दीक कुआन शरीफ़ में 15 जगह सज्द-ए-तिलावत है। सूह हज्ज में दो सज्दे हैं, इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक सूह जिन्न में सज्दा नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सूह हज्ज में एक ही सज्दा है। हालाँकि साफ़ रिवायत मौजूद है कि सूह हज्ज में दो सज्दे हैं जो ये दो सज्दे न करे वो इस सूह को न पढ़े। बहरहाल अपना-अपना ख़याल और अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी है। सज्द-ए-तिलावत में ये दुआ माफ़ूर है। सज्द वज्हियलिल्लज़ी ख़लक़हू व शक़क़ समअहू व बसरहू बिहौलिही व कुव्वतिही।

(1067) हमसे मुहम्मद बिन बश़ार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया और उनसे अबू इस्हाक़ ने उन्होंने कहा कि मैंने अस्वद से सुना उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कि मक्का में नबी करीम (ﷺ) ने सूह अन्जम की तिलावत की और सज्द-ए-तिलावत किया आपके पास जितने आदमी थे (मुस्लिम और काफ़िर) उन सबने भी आपके साथ सज्दा किया। अलबत्ता एक बूढ़ा शख़्स (उमय्या बिन ख़लफ़) अपने हाथ में कंकरी या मिट्टी उठाकर अपनी पेशानी तक ले गया और कहा मेरे लिये यही काफ़ी है मैंने देखा कि बाद में वो बूढ़ा काफ़िर ही रहकर मारा गया। (दीगर मक़ाम: 1070, 3853, 3972, 4863)

۱۰۶۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النِّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مِنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تَرَابٍ رَفَعَهُ إِلَى جَنْبَيْهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَرَأَيْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِيلَ كَافِرٍ)).

[أطرافه في: ۱۰۷۰، ۳۸۵۳، ۳۹۷۲، ۴۸۶۳]

तशरीह:

शाह वलीउल्लाह साहब (रह.) ने लिखा है कि जब हुजूरे अकरम (ﷺ) ने सूह अन्जम की तिलावत की तो मुश्किनी इस दर्जा मक्कहूर व मल्लूब हो गए कि जब आप (ﷺ) ने आयते-सज्दा पर सज्दा किया तो मुसलमानों के साथ वो भी सज्दे में चले गए। इस बाब में ये तावील सबसे ज़्यादा मुनासिब और वाज़ेह है कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथ भी इसी तरह का वाक़िआ पेश आया था। कुआन मजीद में है कि जब फ़िरऔन के बुलाए हुए जादूगरों के मुकाबले में आपका अज़ा (लाठी) सांप बन गया और उनके शोअबदों (जादू) की हकीकत खुल गई तो सारे जादूगर सज्दे में पड़ गए। ये भी हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के मुअजज़े से मदहोश व मल्लूब हो गए थे। उस वक़्त उन्हें अपने ऊपर क़ाबू न रहा था और

सब एक जुबान होकर बोल उठे थे कि आमत्रा बिरब्बि मूसा व हारून यही कैफ़ियत मुशिकीने मक्का की हो गई थी।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की एक रिवायत में है कि आँहूज़ूर (ﷺ) जब आयते सज्दा पर पहुँचे तो आपने सज्दा किया और हमने सज्दा किया। दारे कुल्नी की रिवायत में है कि जिन्न व इस तक ने सज्दा किया। जिस बूढ़े ने सज्दा नहीं किया था वो उमय्या बिन ख़लफ़ था।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि, व अम्मलमुसन्निफ़ि फ़ी रिवायते इस्राईल अन्नन्जमु अव्वलु सूरतिन उन्ज़िलत फीहा सजदतुन व हाज़ा हुवस्सिरू फी बदाअतिल्मुसन्निफ़ि फी हाज़िहिल्अबवाबि बिहाज़ल्हदीषि। या'नी मुसन्निफ़ि ने रिवायते इस्राईल में बताया कि सूरह नज्म पहली सूरत है जिसमें सज्दा नाज़िल हुआ यहाँ भी उन अब्बाव को इस हदीषे से शुरू करने में यही भेद है यँ तो सज्दा सूरह इकरा मे उससे पहले भी नाज़िल हो चुका था आँहज़रत (ﷺ) ने जिसका खुलकर ऐलान फ़र्माया वो यही सूरह नज्म है और उसमें ये सज्दा है, अन्नल्मुराद अव्वलु सूरतिन फीहा सज्दतुन तलाहा जहरन अलल्मुशिकीन (फ़त्हुल बारी)

बाब 2 : सूरह अलिफ़ लाम मीम तंज़ील

में सज्दा करना

(1068) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान श़ौरी ने बयान किया, उन्होंने सअद बिन इब्राहीम बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ से बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन हुर्मुज़ अअरज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन फ़ज़्र की नमाज़ में अलिफ़ लाम मीम तंज़ीलुल (अस्सज्दा) और हल अता अलल इंसान (सूरह दहर) पढ़ा करते थे। (राजेअ : 891)

۲- بَابُ مَسْجَدَةِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ

۱۰۶۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي

الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴿الْم تَنْزِيلٌ﴾

السَّجْدَةِ وَهُوَ أَمْرٌ عَلَى الْإِنْسَانِ)۔

[راجع: ۸۹۱]

तशरीह: ये हदीष बाब के तर्जुमा के मुताबिक नहीं है मगर हज़रत इमाम (रह.) ने अपनी वुस्अते नज़री की बिना पर इस हदीष के दूसरे तरीक़ी की तरफ़ इशारा कर दिया जिसे तबरानी ने मुअजम सग़ीर में निकाला है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़ज़्र की नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम की तिलावत फ़र्माई और सज्द-ए-तिलावत किया ये रिवायत हज़रत इमाम के शराइत पर न थी। इसलिये यहाँ सिर्फ़ ये रिवायत लाए जिसमें ख़ाली पहली रकअत में अलिफ़ लाम मीम तंज़ील पढ़ने का ज़िक्र है इसमें भी ये इशारा है कि अगरचे अह्लादीष में सज्द-ए-तिलावत का ज़िक्र नहीं मगर इसमें सज्द-ए-तिलावत है लिहाज़ा ऐलानन आपने सज्दा भी किया होगा।

अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं लम अर फी शैइन मिनत्तरीकित्तस्त्रीहि बिअन्नहू (ﷺ) सजद लम्मा क्ररअ सूरतत्तन्ज़ील अस्सजदत फी हाज़ल्महल्लि इल्ला फी किताबिशशरीअति लिइब्नि अबी दाऊद मिन तरीक्लिन उख़रा अन सईदिब्नि जुबैरिन अनिब्नि अब्बासिन क़ाल गदौतु अलन्नबिय्यि (ﷺ) यौमुल्जुम्अति फी स़लातिल्फ़ज़्रि फ़क्ररअ फीहा सूरतन फीहा सजदतन फसजद अल्हदीषि व फी इस्नादिही मय्यंन्जुरू फी हालिही व लिक्त्ब्रानी फिस्सग़ीर मिन हदीषि अलिब्नि अन्नन्बिय्यि (ﷺ) सजद फी स़लातिस्सुब्हि फी तन्ज़ील अस्सजद: लाकिन्न फी इस्नादिही जुअफुन. या'नी मैंने स़राहतन किसी रिवायत में ये नहीं पाया कि आँहज़रत (ﷺ) ने जब उस मुकाम पर (या'नी नमाज़े फ़ज़्र में) सूरह अलिफ़ लाम मीम तंज़ील सज्दा को पढ़ा आपने यहाँ सज्दा किया हो। हाँ किताबुशशरीआ इब्ने अबी दाऊद में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि मैंने एक जुम्आ के दिन फ़ज़्र की नमाज़ आँहज़रत (ﷺ) के पीछे अदा की और आपने सज्दा वाली सूरह पढ़ी और सज्दा किया। तबरानी में हदीषे अली (रज़ि.) में ये वज़ाहत मौजूद है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़ज़्र की नमाज़ में ये सूरह पढ़ी और सज्दा किया। इन सूरतों के फ़ज़्र की नमाज़ में जुम्आ के दिन बिला नागा पढ़ने में भेद ये है कि उनमें पैदाइशे-आदम (अलैहिस्सलाम) फिर क़यामत के वाक़ेअ होने का ज़िक्र है। आदम

(अलैहिस्सलाम) की पैदाइश जुम्अे के दिन हुई और क़यामत भी जुम्आ ही के दिन क़ायम होगी। जुम्अे के दिन नमाज़े फ़ज़्र मे उन दोनों सूरतों को हमेशगी के साथ पढ़ना आँहज़रत (ﷺ) से प्राबित है और ये भी प्राबितशुदा अम्र है कि अलिफ़ लाम मीम में सज्द-ए-तिलावत है। पस ये मुम्किन नहीं कि आँहज़रत (ﷺ) इस सूरह-ए-शरीफ़ा को पढ़ें और सज्द-ए-तिलावत न करें। फिर त़बरानी वग़ैरह में सराह्त के साथ उस अम्र का ज़िक्र भी मौजूद है। इस तफ़्सील के बाद अल्लामा इब्ने हज़र ने जो नफ़ी फ़र्माई है वो इसी हक़ीक़त बयानकर्दा की रोशनी में मुतालआ करनी चाहिये।

बाब 3 : सूरह स़ाद में सज्दा करना

۳- بَابُ مَسْجِدَةِ ص

(1069) हमसे सुलैमान बिन हर्ब और अबुन नोअमान बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन दोनों ने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे इब्रमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सूरह स़ाद का सज्दा कुछ ताकीदी सज्दों में से नहीं है और मैंने नबी करीम (ﷺ) को सज्दा करते हुए देखा। (दीगर मक़ाम: 3422)

۱۰۶۹- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((ص لَيْسَ مِنْ غَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا)). [طرنه فی : ۳۴۲۲].

निसाई में है कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह स़ाद में सज्दा किया और फ़र्माया कि ये सज्दा दाऊद (अलैहिस्सलाम) ने तौबा के लिये किया था, हम शुक्र के तौर पर ये सज्दा करते हैं। इस हदीष में लैस मिन अज़ाइमिस्सुजूद का भी यही मतलब है कि सज्दा तो दाऊद (अलैहिस्सलाम) का था और उन्हीं की सुन्नत पर हम भी शुक्र के लिये ये सज्दा करते हैं। अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) की तौबा कुबूल की थी।

वलमुरादु बिल्अज़ाइमि मा वरदतिल्अज़ीमतु अला फिअलिही कसीगतिल्अमि (फ़तहूल बारी) या'नी अज़ाइम से मुराद वो जिनके लिये सैग-ए-अम्र के साथ ताकीद वारिद हुई हो। सूरह स़ाद का सज्दा ऐसा नहीं है; हाँ बतौर शुक्र सुन्नत ज़रूर है।

बाब 4 : सूरह नज्म में सज्दा का बयान

۴- بَابُ مَسْجِدَةِ النُّجْمِ

इसको अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(1070) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, अबू इस्हाक़ से बयान किया, उनसे अस्वद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह अन् नज्म की तिलावत की और उसमें सज्दा किया उस वक़्त क़ौम का कोई फ़र्द (मुसलमान और काफ़िर) भी ऐसा न था जिसने सज्दा न किया हो। अलबत्ता एक शख्स ने हाथ में कंकरी या मिट्टी लेकर अपने चेहरे तक उठाई और कहा कि मेरे लिये यही काफ़ी है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा कि बाद में मैंने देखा कि वो कुफ़्र की हालत ही में क़ल्ल हुआ (ये उमय्या बिन ख़लफ़ था)। (राजेअ: 1067)

۱۰۷۰- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النُّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، لَمَّا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَبْلِ كَافِرًا)). [راجع: ۱۰۶۷]

इस हदीष से सूरह अन् नज्म में सज्द-ए-तिलावत प्राबित हुआ।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं फलअल्ल जमीअ मन वुफ़िफ़क़ लिस्सुजूदि यौमइज़िन खुतिम लहू बिल्हुस्ना अस्लम लिबर्कतिस्सुजूदि या'नी जिन लोगों ने उस दिन आँहज़रत (ﷺ) के साथ सज्दा कर लिया (ख़्वाह उनमें से काफ़िरों की नियत कुछ भी हो बहरहाल) उनको सज्दा की बरकत से इस्लाम लाने की तौफ़ीक़ हुई और उनका ख़ात्मा इस्लाम पर हुआ बाद के वाक़िआत से प्राबित है कि कुफ़ारे मक्का बड़ी ता'दाद में मुसलमान हो गए थे जिनमें यकीनन उस मौक़े पर ये सज्दा करनेवाले भी शामिल हैं। मगर उमय्या बिन ख़लफ़ ने सज्दा नहीं किया बल्कि रस्मन मिट्टी को हाथ में लेकर सर से लगा लिया, उस तकब्बुर की वजह से उसको इस्लाम नसीब नहीं हुआ। आख़िर कुफ़र की ही हालत में वो मारा गया।

ख़ुलासा ये कि सूरह नज्म में भी सज्दा है और ये अज़ाइमे सुजूद में शुमार कर लिया गया है, या'नी जिन सज्दों का अदा करना ज़रूरी है। वअन अलिथ्यिन मा वरदलअमरू फ़ीहि बिस्सुजूदि अज़ीमतुन या'नी हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिन आयात में सज्दा करने का हुक्म ज़ादिर हुआ है वो सज्दे ज़रूरी हैं (फ़तहूल बारी)। मगर ज़रूरी का मतलब ये भी नहीं कि वो फ़र्ज़-वाजिब हों; जबकि सज्द-ए-तिलावत सुन्नत के दर्जे में हैं ये अमर अलग है कि हर सुन्नत नबवी पर अमल करना हर एक मुसलमान के लिये सआदते दारैन का वाहिद वसीला है। वल्लाहु अअलम

बाब 5 : मुसलमानों का मुश्रिकों के साथ सज्दा करना हालाँकि मुश्रिक नापाक है

٥- بَابُ سُجُودِ الْمُتَسَلِّمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ

उसको वुजू कहाँ से आया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बेवुजू सज्दा किया करते थे।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ.

इसको इब्ने अबी शैबा ने निकाला है कि इब्ने उमर (रज़ि.) सवारी से उतरकर इस्तिंजा करते फिर सवार होते और तिलावत का सज्दा बेवुजू करते। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि शुअबी के सिवा और कोई इब्ने उमर के साथ इस मसले में मुवाफ़िक़ नहीं हुआ। बहरहाल हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मसलक प्राबित हुआ कि बग़ैर वुजू ये सज्दा कर सकते हैं। इस्तदल्ल बिज़ालिक अला जवाज़िस्सुजूदि बिला वुजूइन् इन्द वुजूदिल्मुशरक़ति बिल्माइ बिल्वुजूइ (फ़तहूल बारी) या'नी जब वुजू करना मुश्किल हो तो ये सज्दा बग़ैर वुजू जाइज़ है।

(1071) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़ितयानी ने बयान किया, उनसे इकरिमा ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह अन् नज्म में सज्दा किया तो मुसलमानों, मुश्रिकों और जिन्न व इन्स सबने आपके साथ सज्दा किया। इस हदीष की रिवायत इब्राहीम बिन तह्मान ने भी अय्यूब सुख़ितयानी से की है। (दीगर मक़ाम : 4862)

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حِكْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُتَسَلِّمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْإِنْسُ وَالْإِنْسُ)). وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ.

[طرفه ب: ٤٨٦٢].

जाहिर है कि मुसलमान भी उस वक़्त सब बावुजू न होंगे और मुश्रिकों के वुजू का तो कोई सवाल ही नहीं, लिहाज़ा बेवुजू सज्दा करने का जवाज़ निकला और इमाम बुखारी (रह.) का भी यही क़ौल है।

बाब 6 : सज्दा की आयत पढ़कर

٦- بَابُ مَنْ قَرَأَ السُّجْدَةَ وَلَمْ

सज्दा न करना

يَسْجُدُ

(1072) हमसे सुलैमान बिन दाऊद अबुर्बबी आने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फर ने बयान किया, कहा कि हमें यजीद बिन खुसैफा ने खबर दी, उन्हें (यजीद बिन अब्दुल्लाह) इब्ने कुसैत ने, और उन्हें अत्ता बिन यसार ने कि उन्होंने जैद बिन घाबित (रज़ि.) से सवाल किया। आपने यक़ीन के साथ उस अग्र का इज़हार किया कि नबी करीम (ﷺ) के सामने सूरह अन् नज्म की तिलावत आपने की थी और आँहुज़ूर (ﷺ) ने उसमें सज्दा नहीं किया। (दीगर मक़ाम : 1073)

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ سَالَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا)). [طرفه ب: ١٠٧٣].

आपकेसाथ उस वक़्त सज्दा न करने की कई वजहें हैं। अल्लामा इब्ने हजर फ़रमाते हैं, औ तरक हीन इज़िन लिबयानिल जवाज़िब वा हाज़ा अर्जल्हुल इहतिमालाति व बिही जज़मश्शाफ़ि़इ (फ़त्हुलबारी) या'नी आपने सज्दा इसलिये नहीं किया कि उसका तर्क (छोड़ना) भी जाइज़ है इसी तावील को तर्जीह हासिल है इमाम शाफ़ि़ई का यही ख़याल है।

(1073) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी जिब ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन कुसैत ने बयान किया, उनसे अत्ता बिन यसार ने, उनसे जैद बिन घाबित (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सूरह अन् नज्म की तिलावत की और आप (ﷺ) ने उसमें सज्दा नहीं किया।

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا)).

तशीह: इस बाब से इमाम बुखारी (रह.) की गर्ज ये है कि कुछ सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं है। कुछ ने कहा कि उसका तर्क करने से ये नहीं निकलता कि सूरह वन् नज्म में सज्दा नहीं है। जो लोग सज्द-ए-तिलावत को वाजिब कहते हैं वो भी फ़ौरन सज्दा करना ज़रूरी नहीं जानते। मुम्किन है आपने बाद में सज्दा कर लिया हो। बज़ार और दारे कुत्नी ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से निकाला है कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने सज्द-ए-वन् नज्म में सज्दा किया और हमने भी आपके साथ सज्दा किया।

बाब 7 : सूरह इज़स्समाउन्नशक्रत

में सज्दा करना

٧- بَابُ سَجْدَةِ إِذَا

السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

(1074) हमसे मुस्लिम इब्ने इब्राहीम और मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी क़भीर ने, उनसे अबू सलमा ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को सूरह इज़स्समाउन्नशक्रत पढ़ते देखा। आपने उसमें सज्दा किया मैंने

١٠٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذُ بْنُ فَصَّالَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ

कहा कि या अबा हुरैरह! क्या मैंने आपको सज्दा करते हुए नहीं देखा है। आपने कहा कि अगर मैं नबी करीम (ﷺ) को सज्दा करते न देखता तो मैं भी न करता।

बाब 8 : सुनने वाला उसी वक़्त सज्दा करे जब पढ़ने वाला करे

और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने तमीम बिन हज़लम से कहा— कि वो लड़का था उसने सज्दे की आयत पढ़ी— सज्दा कर। क्योंकि तू इस सज्दे में हमारा इमाम है।

मतलब ये है कि सुननेवाले को जब सज्दा करना चाहिये कि पढ़ने वाला भी करे अगर पढ़ने वाला सज्दा न करे तो सुननेवाले पर भी लाज़िम नहीं है। इमाम बुखारी (रह.) का शायद यही मज़हब है और जुम्हूर इलमा का ये क़ौल है कि सुननेवाले पर हर तरह सज्दा है अगरचे पढ़नेवाला बेवजू या नाबालिग़ काफ़िर या औरत या तारिकुस्सलात हो या नमाज़ पढ़ा रहा हो। (वहीदी)

(1075) हमसे मुसहद बिन मुस्रहद ने बयान किया कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबैदुल्लाह इमरी ने बयान किया कहा कि हमसे नाफ़ेअ ने बयान किया, उनसे इब्ने इमर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) हमारी मौजूदगी में आयते सज्दा पढ़ते और सज्दा करते तो हम भी आपके साथ (हुजूम की वजह से) इस तरह सज्दा करते कि पेशानी रखने की जगह भी न मिलती जिस पर सज्दा करते। (दीगर मक़ाम : 1072, 1079)

बाब 9 : इमाम जब सज्दा की आयत पढ़े और लोग हुजूम करें तो बहरहाल सज्दा करना चाहिये

(1076) हमसे बिश्र बिन आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे अली बिन मुस्हर ने बयान किया, कहा कि हमें अबैदुल्लाह इमरी ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और नाफ़ेअ को इब्ने इमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) आयते सज्दा की तिलावत अगर हमारी मौजूदगी में करते तो आपके साथ हम भी सज्दा करते थे। उस वक़्त इतनी भीड़ होती कि सज्दे के लिये पेशानी रखने की जगह भी न मिलती जिस पर सज्दा करने वाला सज्दा कर सके। (राजेअ : 1975)

انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا، فَقُلْتُ: يَا أبا هُرَيْرَةَ، أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرِ النَّبِيَّ (ﷺ) سَجَدَ، لَمْ أَسْجُدَ)).

۸- بَابُ مَنْ سَجَدَ بِسُجُودِ الْقَارِيءِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَتَمِيمِ بْنِ حَذَلَمٍ - وَهُوَ غُلَامٌ - فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةَ فَقَالَ : اسْجُدْ، فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا.

۱۰۷۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)). [طرفاه بي: ۱۰۷۶، ۱۰۷۹].

۹- بَابُ اِزْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ

۱۰۷۶- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدِحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدَنَا لِحَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ۱۹۷۵]

4. इसी हदीष से कुछ ने ये निकाला कि जब पढ़नेवाला सज्दा करे तो सुनने वाला भी करे गोया उस सज्दे में सुननेवाला मुक़्तदी है

और पढ़नेवाला इमाम है। बैहकी ने हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत किया जब लोगों का बहुत हुजूम हो तो तुममें कोई अपने भाई की पुश्त पर भी सज्दा कर सकता है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा जब हुजूम की हालत में फ़र्ज़ नमाज़ में पीठ पर सज्दा करना जाइज़ हुआ तो सज्दा-ए-कुर्आन पाक ऐसी हालत में बतरीके औला जाइज़ है।

बाब 10 : उस शख्स की दलील जिसके नज़दीक अल्लाह तआला ने सज्दा-ए-तिलावत को वाजिब नहीं किया

और इमरान बिन हुसैन सहाबी से एक शख्स के बारे में पूछा गया जो आयते सज्दा सुनता है मगर वो सुनने की निध्यत से नहीं बैठता था तो क्या उस पर सज्दा वाजिब है। आपने उसके जवाब में फ़र्माया कि अगर वो इस निध्यत से बैठा भी हो तो क्या (गोया उन्होंने सज्दा-ए-तिलावत को वाजिब नहीं समझा) सलमान फ़ारसी ने फ़र्माया कि हम सज्दा-ए-तिलावत के लिये नहीं आए।

हुआ ये कि हज़रत सलमान फ़ारसी कुछ लोगों के पास से गुजरे जो बैठे हुए थे उन्होंने सज्दा की आयत पढ़ी और सज्दा किया सलमान ने नहीं किया तो लोगों ने उसका सबब पूछा तो उन्होंने ये कहा। (रवाह अब्दुरज़ाक)

इम्रान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सज्दा उनके लिये ज़रूरी है जिन्होंने आयते सज्दा, क़स्द (इरादे) से सुनी हो। जुहरी ने फ़र्माया कि सज्दा के लिये तहारत ज़रूरी है अगर कोई सफ़र की हालत में न हो बल्कि घर पर हो तो सज्दा क़िब्ला रू होकर किया जाएगा और सवारी पर क़िब्ला रू होना ज़रूरी नहीं जिधर भी रुख हो (उसी तरफ़ सज्दा कर लेना चाहिये)

साइब बिन यज़ीद वाइज़ों व क़िस्साख़वानों के सज्दा करने पर सज्दा न करते।

(1077) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अबूबक्र बिन अबी मुलैका ने ख़बर दी, उन्हें इम्रान बिन अब्दुरहमान तैमी ने और उन्हें रबीआ बिन अब्दुल्लाह बिन हुदैर तैमी ने कहा कि — अबूबक्र बिन अबी मुलैका ने बयान किया कि रबीआ बहुत अच्छे लोगों में से थे— रबीआ ने वो हाल बयान किया जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की मज्लिस में उन्होंने देखा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने जुम्आ के दिन मिम्बर पर सूरह नहल पढ़ी जब सज्दा की आयत (वलिल्लाहि यस्जुदु माफ़िस्समावाति) आख़िर तक पहुँचे तो

١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ
لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

وَقِيلَ لِمُرَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ
السُّجُودَ وَاتَّمَّ يَجْلِسُ لَهَا. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ
قَعَدَ لَهَا. كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ
سَلْمَانَ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ

اسْتَمَعَهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَلَا سَفَرٍ
وَأَنْتَ فِي حَضْرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ
كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَتْ
وَجْهَكَ. وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا
يَسْجُدُ لِسُّجُودِ الْقَاصِّ.

١٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْتِيِّ التَّمِيمِيِّ
- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةَ مِنْ خِيَارِ
النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةَ مِنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

मिम्बर पर से उतरे और सज्दा किया तो लोगों ने भी उनके साथ सज्दा किया। दूसरे जुम्ह्रे को फिर यही सूत्र पढ़ी जब सज्दा की आयत पर पहुँचे तो कहने लगे लोगों! हम सज्दे की आयत पढ़ते चले जाते हैं फिर जो कोई सज्दा करे उसने अच्छा किया और जो कोई न करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं और हज़रत उमर (रज़ि.) ने सज्दा नहीं किया और नाफ़ेअ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से नक़ल किया कि अल्लाह तआला ने सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ नहीं किया हमारी खुशी पर रखा।

عَلَى الْخَبْرِ بِسُورَةِ النَّخْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السُّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْخُمُومَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السُّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَعْمُرُ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَزَادَ نَالِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ)).

अल्लामा इब्ने हज़र फ़र्माते हैं व अत्रवल्अदिल्लति अला नफ़ियल्लवुजूबि हदीषु उमरल्मज़कूर फी हाज़ल्बाबि या'नी इस बात की क़वी दलील कि सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं ये हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीष है जो यहाँ इस बाब में मज़कूर हुई। अक़्बुर अइम्मा व फुक़हा इसी के काइल हैं कि सज्द-ए-तिलावत ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ़ सुन्नत है। इमाम बुखारी (रह.) का भी यही मसलक है।

बाब 11 : जिसने नमाज़ में आयते सज्द-ए-तिलावत की और नमाज़ ही में सज्दा किया

١١ - بَابُ مَنْ قَرَأَ السُّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

इमाम बुखारी (रह.) की ग़ज़ इस बाब से मालिकिया पर रद्द करना है जो सज्दा की आयत नमाज़ में पढ़ना मकरूह जानते हैं।

(1078) हमसे मुसद्द बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना कहा कि हमसे बक्र बिन अब्दुल्लाह मज़नी ने बयान किया, उनसे अबू राफ़ेअ ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ नमाज़े इशा पढ़ी। आपने 'इज़स्समाउन्नशक़्क़त' की तिलावत की और सज्दा किया। मैंने कहा कि आपने ये क्या किया? उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने अबुल क़ासिम (رضي الله عنه) की इक्तिदा में सज्दा किया था और हमेशा सज्दा करता रहूँगा यहाँ तक कि आपसे जा मिलूँ।

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَا أَرَأَى أَنْ سَجُدَ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ)).

बाब 12 : जों शंख़्स हुजूम की वजह से सज्द-ए-तिलावत की जगह न पाए

١٢ - بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسُّجُودِ مِنَ الرَّحَامِ

(1079) हमसे म्दक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ ने, और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ)

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَالِعٍ عَنِ

किसी ऐसी सूरह की तिलावत करते जिसमें सज्दा होता फिर आप सज्दा करते और हम भी आपके साथ सज्दा करते यहाँ तक कि हममें से किसी को पेशानी रखने की जगह न मिलती। (राजेअ : 1079)

(मा'लूम हुआ कि ऐसी हालत में सज्दा न किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु अज़लम)

ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السُّجُودُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ)). (راجع: ١٠٧٩)

18. किताब तक्सीरुस्सलात

नमाज़ में क़स्र करने का बयान

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : नमाज़ में क़स्र करने का बयान और इक़ामत की हालत में कितनी मुद्दत तक क़स्र कर सकता है

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

तशीह: क़स्र के मा'नी कम करना; यहाँ हालते सफ़र में चार रकअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ को कम करके दो रकअत पढ़ना मुराद है। हिज्रत के चौथे साल क़स्र की इजाज़त नाज़िल हुई। मरिब और फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज़ों में क़स्र नहीं है और ऐसे सफ़र में क़स्र जाइज़ नहीं है जो सफ़र गुनाह की निव्यत से किया जाए कोई मुसलमान होकर चोरी करने के इरादे या जिना करने के लिये सफ़र करे तो उसके लिये क़स्र की इजाज़त नहीं है। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और इमाम मालिक (रह.) और इलमा-ए-दीन का यही फ़त्वा है; देखें तस्हीलुल क़ारी पेज नं. 678

कुआन मजीद में क़स्र नमाज़ का ज़िक्र इन लफ़्ज़ों में है फ़लैस अलैकुम जुनाहुन अन्तक्सुरु मिनस्सलाति इन खिफ़्तुम अय्यफ़ितनकुमुल्लज़ीन कफ़रू या'नी अगर हालते सफ़र में तुमको काफ़िरो की तरफ़ से डर हो तो उस वक़्त नमाज़ क़स्र करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। इसके बारे में ये रिवायत वज़ाहत के लिये काफ़ी है, अन यअलबि उमय्यत क़ाल कुल्लु लिउमिबि ख़त्ताब (रज़ि.) लैस अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरु मिनस्सलाति इन खिफ़्तुम अय्यफ़ितनकुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़क़द अमननासु अन ज़ालिक फ़क़ाल अजिब्तु मिम्मा अजिब्त मिन्हु फ़सअल्लु रसूलल्लाहि (ﷺ) फ़क़ाल सदक़तन तसहकल्लाहु अलैकुम फ़किबलू सदक़तहु (रवाहु मुस्लिम) या'नी यअला इब्ने उमय्या कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से इस आयते मज़क़रा के बारे में कहा अब तो लोग अम्न में हैं फिर क़स्र का क्या मा'नी है? इस पर आपने बतलाया

कि मुझे भी तुम जैसा तरहद हुआ था तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था आपने फ़र्माया कि अब सफ़र में नमाज़ क़स्र करना ये अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे लिये स़दक़ा है। लिहाज़ा मुनासिब है कि उसका स़दक़ा कुबूल करो। इस हदीष से वाज़ेह हो गया कि अब सफ़र में नमाज़ क़स्र करने के लिये दुश्मन से डर की क़ैद नहीं है। आँहज़रत (ﷺ) ने कई बार हालते सफ़र में जबकि आपको अमन हासिल था नमाज़े फ़र्ज़ क़स्र करके पढ़ाई। पस इशदि बारी तआला है, लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या'नी तुम्हारे लिये रसूले करीम (ﷺ) का अमल बेहतरीन नमूना है। नीज़ अल्लाह ने फ़र्माया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल्युस् वला युरीदु बिकुमुलइस् या'नी अल्लाह पाक तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है दुश्वारी नहीं चाहता।

इमाम नववी (रह.) शरहे मुस्लिम में फ़र्माते हैं कि सफ़र में नमाज़े क़स्र के वाजिब या सुन्नत होने में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़िई (रह.) और मालिक बिन अनस और अक़्बर उलमाने क़स्र करने और पूरी पढ़ने दोनों को जाइज़ करार दिया है; साथ ही ये भी कहते हैं कि क़स्र अफ़ज़ल है। उन हज़रत की दलील, बहुत सी मशहूर रिवायतें हैं जो सहीह मुस्लिम वगैरह में हैं जिनमें मज़कूर है कि स़हाबा किराम रसूले करीम (ﷺ) के साथ सफ़र करते उनमें कुछ लोग क़स्र करते कुछ नहीं करते कुछ उनमें रोज़ा रखते कुछ रोज़ा छोड़ देते और उनमें आपस में कोई एक दूसरे पर ए'तिराज़ नहीं करते। हज़रत इम्रान (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) से भी सफ़र में पूरी नमाज़ अदा करना मन्कूल है।

कुछ उलमा क़स्र को वाजिब जानते हैं उनमें हज़रत उमर, हज़रत अली और जाबिर और इब्ने अब्बास दाखिल हैं और हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही क़ौल है। अल मुहदिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्हमान मुबारकपुरी फ़र्माते हैं कुलतु मिन शानि मुत्तबिइस्सुन्ननिन्नबविद्यति व मुकतज़इल्आप्रारिल मुस्तफ़िव्यति अय्युलाजिमुल्कस्र फिस्सफ़िर कमा लाज़महू (ﷺ) व लौ कानलक़स्रु गैर वाजिबिन फत्तिबाउस्सुन्नति फिलक़स्रि फिस्सफ़िर हुवलमुतअय्यनु व ला हाज़त लहुम अय्युतिम्मू फिस्सफ़िर व यतअव्वलू कमा तअव्वलत आइशतु व तअव्वल इम्रानु (रज़ि.) हाज़ा मा इन्दी वल्लाहु आलम (तुत्फ़तुल अहवज़ी, सफ़ा : 383)

या'नी सुनने नबवी के फ़िदाइयों के लिये ज़रूरी है कि सफ़र में क़स्र ही को लाज़िम पकड़ें। अगरचे ये गैर-वाजिब है फिर भी इत्तिबाअे सुन्नत का तकाज़ा यही है कि सफ़र में क़स्र किया जाए और इत्मायन किया जाए और कोई तावील इस बारे में मुनासिब नहीं है। जैसे हज़रत आइशा (रज़ि.) व हज़रत इम्रान (रज़ि.) ने तावीलात की हैं। मेरा ख्याल यही है।

ये भी एक लम्बी बहस है कि कितने मील का सफ़र हो जहाँ से क़स्र जाइज़ है इस सिलसिले में कुछ रिवायात में तीन मील का भी ज़िक्र आया है। क़ालन्नववी इला अन्न अक़ल्ल मसाफतिल्क़स्रि प्रलाप्रत अम्यालिन व कअन्नहुम इहतज्जू फी ज़ालिक बिमा रवाहु मुस्लिम व अबू दाऊद मिन हदीषि अनसिन क़ाल कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा खरज मसीरत प्रलाप्रति अम्यालिन औ फ़रासुखिन क़स्ररस्सलात क़ालल्हाफ़िज़ व हुब असहु हदीषिन वरद फी बयानि ज़ालिक व अस्रहुहू व क़द हम्मलहू मन खालफ़हू अन्नल्मुराद बिहिल्मसाफतुल्लती यत्तदिउ मिन्हल्क़स्रु ला ग़ायतस्सफ़िर यअनी अराद बिही इज़ा साफर सफ़रन तवीलन कस्सर इज़ा बलग प्रलाप्रत अम्यालिन कमा क़ाल फी लफ़िज़ हिल्आखर अन्नन्बिय्य (ﷺ) सल्ला बिल्मदीनति अर्बअन व बिजिल्हलीफा रकअतैनि (मिअत, जिल्द 2, सफ़ा : 256)

या'नी इमाम नववी (रह.) ने कहा कि क़स्र की कम से कम मुद्दत तीन मील है उन्होंने हदीषे अनस (रज़ि.) से दलील ली है। जिसमें है कि जब रसूले करीम (ﷺ) तीन मील या तीन फ़र्सख निकलते तो नमाज़ क़स्र करते।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) कहते हैं कि क़स्र के बारे में सहीहतरिन हदीष ये है कि जिन लोगों ने तीन मील को नहीं माना उन्होंने इस हदीष को ग़ायते सफ़र नहीं बल्कि इब्तिदा-ए-सफ़र पर महमूल किया है। या'नी ये मुराद है कि जब मुसाफ़िर का सफ़र लम्बी दूरी के लिये इरादा हो और वो तीन मील पहुँच जाए और नमाज़ का वक़्त आ जाए तो वो क़स्र कर ले जैसा कि हदीष में दूसरी जगह ये भी है कि रसूले करीम (ﷺ) जब सफ़रे हज्ज के लिये निकले तो आपने मदीना में चार रकअतें पढ़ीं और जुलहुलैफ़ा में पहुँचकर आपने दो रकअत अदा की। इस बारे में लम्बी बहस के बाद आख़िरी फ़ैसला हज़रत शैखुल हदीष मौलाना अब्दुल्लाह साहब (रह.) के लफ़ज़ों में ये है वर्राजिह इन्दी मा ज़हब इलैहि अइम्मतुप्रलाप्रतु अन्नहू ला युकस्सरुस्सलातु

फी अक़ल्लि मिन प्रमानियतिव्वं अर्बईन मीलन बिल्हाशमी व जालिक अर्बअतु बुर्दिन अय सिक्तत अशर फर्सखन व हिय मसीरतु यौमिन व लैलतिन बिस्सैरिल्हप्पीषि व ज़हब अक्षरु उलमाइ अहलिहल्हदीषि फी अस्तिना मसाफतुल्कस्त्रि प्रलाप्रत फरासिखिन मुस्तदल्लीन लिज़ालिक हदीषु अनस अल्मुकहमु फी कलामिल्हाफ़िज़ (मिर्आत, जिल्द 2, सफ़ा : 256)

मेरे नज़दीक तर्ज़ीह उसी को हासिल है जो तीनों इमाम की है। वो ये कि अड़तालीस मील हाशमी से कम में क़स्र नहीं और ये चार बुर्द होते हैं या'नी सोलह फ़र्सख और रात और दिन के तेज़ सफ़र की यही हद होती है और हमारे ज़माने में अक्षर उलमा अहले हदीष उसी तरफ़ गए हैं कि क़स्र की मसाफ़त तीन फ़र्सख हैं (जिसके अड़तालीस मील होते हैं)। उनकी दलील हज़रत अनस (रज़ि.) की वही हदीष है जिसका पहले बयान हुआ और इन्ने कुदामा का रुज़्हाने ज़ाहिर ये है कि क़ौल की तरफ़ है जो कहते हैं कि हर सफ़र ख़्वाह वो क़स्र या त़वील हो। उसमें क़स्र जाइज़ है, मगर इज्माअ के ये ख़िलाफ़ है (वल्हाउ अज़लम)

(1080) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज़ाह युशकरी ने बयान किया, उनसे आसिम अहवाल और हुसैन सलमी ने, उनसे इकरिमा ने, और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) (मक्का में फ़तहे मक्का के मौक़े पर) उन्नीस दिन ठहरे और बराबर क़स्र करते रहे। इसलिये उन्नीस दिन के सफ़र में हम भी क़स्र करते रहते हैं और उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरी नमाज़ पढ़ते हैं। (दीगर मक़ाम : 4298, 4299)

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَرَاةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَتَحَنُّ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ لَيْلًا، وَإِنْ زِدْنَا أَمَمْنَا)).

[طرفاه في ٤٢٩٨، ٤٢٩٩.]

तशरीह:

इस तर्जुमा में दो बातें बयान की गई हैं एक ये कि सफ़र में चार रक़अत नमाज़ को क़स्र करे या'नी दो रक़अतें पढ़ें दूसरे मुसाफ़िर अगर कहीं ठहरने की निय्यत कर ले तो जितने दिन तक ठहरने की निय्यत करे वो क़स्र कर सकता है।

इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम मालिक (रह.) का मज़हब ये है कि जब कहीं चार दिन ठहरने की निय्यत हो तो पूरी नमाज़ पढ़े। हन्फ़िया के नज़दीक 15 से कम में क़स्र करे। ज़्यादा की निय्यत हो तो नमाज़ पूरी पढ़े। इमाम अहमद और अबू दाऊद का मज़हब है कि चार दिन से ज़्यादा दिन ठहरने का इरादा हो तो पूरी नमाज़ पढ़े। इस्हाक़ बिन राहवै उन्नीस दिन से कम क़स्र बतलाते हैं और ज़्यादा की सूरत में नमाज़ पूरी पढ़ने का फ़त्वा देते हैं।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का भी मज़हब यही मा'लूम होता है हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी (रह.) ने इमाम अहमद के मसलक को तर्ज़ीह दी है। (मिर्आत, जिल्द नं. 2 पेज नं. 256)

(1081) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी इस्हाक़ ने बयान किया, उन्होंने अनस (रज़ि.) को ये कहते सुना कि हम मक्का के इरादे से मदीना से निकले तो बराबर नबी करीम (ﷺ) दो-दो रक़अत पढ़ते रहे यहाँ तक कि हम मदीना वापस आए। मैंने पूछा कि आपका मक्का में कुछ दिन क़याम भी रहा था? तो उसका जवाब अनस (रज़ि.) ने ये दिया कि दस दिन तक हम वहाँ ठहरे थे।

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ((حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَلَمْتُمْ بِمَكَّةَ حَتَّى قَالَ: أَلَمْنَا بِهَا عَشْرًا)).

(दीगर मक़ाम : 4297)

बाब 2 : मिना में नमाज़ क़स्र करने का बयान

(1082) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा ने अब्दुल्लाह इमरी से बयान किया, कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने ख़बर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने, कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) अबूबक्र और इमर (रज़ि.) के साथ मिना में दो रक़अत (या'नी चार रक़अत वाली नमाज़ों में) क़स्र पढ़ी। इप्मान (रज़ि.) के साथ भी उनके दौरे-ख़िलाफ़त के शुरू में ही दो रक़अत पढ़ी थीं लेकिन बाद में आप (रज़ि.) ने पूरी पढ़ी थीं। (दीगर मक़ाम : 1655)

(1083) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमें अबू इस्हाक़ ने ख़बर दी, उन्होंने हारिषा से सुना और उन्होंने वहब (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने मिना में हमें दो रक़अत नमाज़ पढ़ाई थी। (दीगर मक़ाम : 1606)

(1084) हमसे कुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम नख़ई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुरहमान बिन यज़ीद से सुना, वो कहते थे कि हमें इप्मान बिन अफ़फ़ान (रज़ि.) ने मिना में चार रक़अत नमाज़ पढ़ाई थी, लेकिन जब उसका ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहने लगे मैंने तो नबी करीम (ﷺ) के साथ मिना में दो रक़अत नमाज़ पढ़ी है और अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के साथ भी मैंने दो रक़अत ही पढ़ी हैं और इमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ भी दो ही रक़अत पढ़ी थी काश मेरे हिस्से में उन चार रक़अतों के बजाय दो मक़बूल रक़अतें होतीं।

[طرفه في : 4297].

٢- بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنَى

١٠٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَلَاةً مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ آتَمَهَا)). [طرفه في : 1655].

١٠٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ)). [طرفه في : 1606].

١٠٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ: ((صَلَّى بِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكَعَاتَانِ)).

(दीगर मक़ाम : 1657)

. [١٦٥٧ : طرفه في] . مُتَقَبَّلَاتَانِ .

तशरीह : हुजूर अकरम (ﷺ) और अबूबक्र व उमर (रज़ि.) की मिना में नमाज़ का ज़िक्र इस वजह से किया कि आप हज़रात हज्ज के इरादे से जाते और हज्ज के अरकान अदा करते हुए मिना में भी क़याम किया होता। यहाँ सफ़र की हालत में होते थे इसलिये क़स्र करते थे। हुजूर अकरम (ﷺ), अबूबक्र और उमर (रज़ि.) का हमेशा यही मा' मूल रहा कि मिना में क़स्र करते थे। इप्मान (रज़ि.) ने भी इब्तिदाई दौरै ख़िलाफ़त में क़स्र किया लेकिन बाद में जब पूरी चार रक़अतें आपने पढ़ी तो इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने इस पर सख़्त नागवारी का इज़हार किया। दूसरी रिवायतों में है कि हज़रत इप्मान (रज़ि.) ने भी पूरी चार रक़अत पढ़ने का इज़्र बयान किया था जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है।

बाब 3 : हज्ज के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) ने कितने दिन क़याम किया था?

٣- بَابُ كَيْفَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ؟

(1085) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे अबुल आलिया बराअ ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) सहाबा को साथ लेकर तल्बिया कहते हुए ज़िलहिज्ज की चौथी तारीख़ को (मक्का में) तशरीफ़ लाए फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिनके पास हदी नहीं है वो बजाय हज्ज के उम्रा की निव्यत कर लें और उम्रह से फ़ारिग होकर हलाल हो जाएँ फिर हज्ज का एह्राम बाँधें। इस हदीष की मुताबअत अत़ा ने जाबिर से की है। (दीगर मक़ाम : 1564, 2505, 3832)

١٠٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِيَصْبِحَ رَابِعَةَ يَلْبُونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ)). تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ [أطرافه في: ١٥٦٤، ٢٥٠٥، ٣٨٣٢].

तशरीह : क्योंकि आप चौथी ज़िलहिज्ज को मक्का मुअज्जमा पहुँचे थे और 14वीं को मदीना को वापस हुए तो मुद्दते इक़ामत (ठहराव की अवधि) कुल दस दिन हुई और मक्का में सिर्फ़ चार दिन रहना हुआ बाक़ी दिन मिना वग़ैरह में सफ़्र हुए। इसीलिये इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा कि जब मुसाफ़िर किसी मुक़ाम में चार दिन से ज़्यादा रहने की निव्यत करे तो पूरी नमाज़ पढ़े, चार दिन तक क़स्र करता रहे और इमाम अहमद ने कहा 21 नमाज़ों तक (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)। पिछली रिवायत जिसमें आपका क़याम 21 दिन मज़कूर है उसमें ये क़याम फ़तहे मक्का से मुता'ल्लिक है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि इमाम बुखारी (रह.) ने मग़ाज़ी में दूसरे तरीक़ से इक़ामत का मुक़ाम मक्का बयान फ़र्माया है जहाँ आपने 19 दिन क़याम फ़र्माया और आप नमाज़ें क़स्र करते रहे। मा' लूम हुआ कि क़स्र के लिये ये आख़िरी हद है अगर उससे ज़्यादा ठहरने का फ़ैसला हो तो नमाज़ पूरी पढ़नी होगी और अगर कोई फ़ैसला न कर सके और तरहुद में आजकल आजकल करता रह जाए तो वो जब तक इस हालत में है क़स्र कर सकता है जैसा कि जादुल मआद में अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने बयान किया है, व मिन्हा अन्नहू (ﷺ) अक़ाम बितबूक इशरीन यौमन युक्स्सिरुस्सलात व लम थकुल लिलउम्मतिला युक्स्सिरिरिज़ुल्सलात इज़ा अक़ाम अक्शर मिन ज़ालिक व लाकिन अन्फ़क़ इक़ामतहू हाज़िलमुद्दत व हाज़िलइक़ामतु फी हालातिस्सफ़रि ला तख़रूजून हुक्मिस्सफ़रि सवाअन तालत औ कसुरत इज़ा कान गैर मुत्तवत्तिनिन व ला आज़िमिन अलल्इक़ामति बिज़ालिल्मौज़इ . या' नी रसूलुल्लाह (ﷺ) तबूक मे बीस दिन तक मुकीम रहे और नमाज़ें क़स्र फ़र्माते रहे और आपने उम्मत के लिये नहीं फ़र्माया कि उम्मत में से अगर किसी का उससे भी ज़्यादा कहीं (हालते सफ़र में) इक़ामत का मौक़ा आ जाए तो वो क़स्र न करे। ऐसा आपने कहीं नहीं फ़र्माया पस जब कोई शख्स सफ़र में किसी जगह बहैषियत वतन के न इक़ामत करे और न वहाँ इक़ामत का अज़म हो मगर आजकल में तरहुद रहे तो उसकी मुद्दते

इक़ामत कम हो या ज़्यादा वो बहरहाल सफ़र के हुक़म में है और नमाज़ क़स्र कर सकता है।

हाफ़िज़ ने कहा कि कुछ लोगों ने अहमद से इमाम अहमद बिन हंबल को समझा ये बिलकुल ग़लत है क्योंकि इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से नहीं सुना। (वहीदी)

बाब 4 : नमाज़ कितनी मसाफ़त में क़स्र करनी चाहिये

नबी करीम (ﷺ) ने एक दिन और एक रात की मसाफ़त को भी सफ़र कहा है और अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) चार बुर्द (तक़रीबन अड़तालीस मील की मुसाफ़त) पर क़स्र करते और रोज़ा भी इफ़तार करते थे। चार बुर्द में सोलह फ़र्सख़ होते हैं (और एक फ़र्सख़ में तीन मील)

٤- بَابُ فِي كَيْفِ تَقْصُرِ الصَّلَاةِ؟
وَسَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً، سَفَرًا
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا يَقْصُرَانِ وَيَفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُودٍ،
وَهُوَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَخًا.

तशरीह: इस तर्जुमे में दो बातें बयान की गई हैं। एक ये है कि सफ़र में चार रक़अत नमाज़ को क़स्र करके यानी दो रक़अत पढ़ें। दूसरे मुसाफ़िर अगर कहीं ज़्यादा ठहरने की निय्यत करे वो क़स्र कर सकता है। इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद का ये मज़हब है कि जब कहीं चार दिन ठहरने की निय्यत करे तो नमाज़ पूरी पढ़े और चार दिन से कम ठहरने की निय्यत हो तो क़स्र करे और हन्फ़िया के नज़दीक 15 दिन से कम में क़स्र करे। 15 दिन या ज़्यादा ठहरने की निय्यत हो तो पूरी नमाज़ पढ़े और इस्हाक़ बिन राहवै का मज़हब ये है कि उन्नीस दिन से कम में क़स्र करता रहे। उन्नीस दिन या ज़्यादा ठहरने की निय्यत हो तो पूरी नमाज़ पढ़े। इमाम बुखारी (रह.) का भी यही मज़हब मा'लूम होता है।

इब्ने मुंज़िर (रह.) ने कहा कि मशिब और फ़ज़्र की नमाज़ में क़स्र नहीं है। (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

बाब के तर्जुमे में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) जो हदीषे सहीह लाए हैं उसमें हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ही के मसलक की ताईद होती है। गोया इमाम (रह.) का फ़त्वा इस हदीष पर है। यहाँ का उन्नीस रोज़ का क़याम फ़तहे मक्का के मौक़े पर हुआ था। बाज़ रावियों ने इस क़याम को सिर्फ़ सत्रह दिन बतलाया है। गोया उन्होंने आने और जाने के दो दिन छोड़कर सत्रह दिन का शुमार किया और जिन्होंने दोनों का शुमार किया उन्होंने उन्नीस दिन बतलाए। इससे इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि सफ़र के लिये कम से कम एक दिन और रात की ज़रूरत है। हन्फ़िया ने तीन दिन की दूरी को सफ़र कहा है। इस मसले में कोई बीस क़ौल है। इब्ने मुंज़िर ने इनको नक़ल किया है। सहीह और मुख्तार मज़हब अहले हदीष का है हर सफ़र में क़स्र करना चाहिये जिसको उर्फ़ में सफ़र कहें उसकी कोई हद मुकरर नहीं। इमामे शाफ़िई, इमामे मालिक और इमामे औज़ाई का यही क़ौल है कि दो मंज़िल से कम में क़स्र जाइज़ नहीं। दो मंज़िल 48 मील होते हैं। एक मील छः हज़ार हाथ का। एक हाथ बीस उँगल छः जौ का (वहीदी) फ़त्हुल बारी में जुम्हूर का मज़हब ये नक़ल हुआ कि जब अपने शहर से बाहर हो जाए उसका क़स्र शुरू हो जाता है।

इमामे नववी (रह.) ने शरहे मुस्लिम में फ़ुक़हा-ए-अहले हदीष का भी यही मसलक नक़ल किया है कि सफ़र में दो मंज़िलों से कम में क़स्र जाइज़ नहीं और दो मंज़िलों के 48 मीले हाशमी होते हैं।

दाऊद ज़ाहिरी और दीगर अहले ज़ाहिर का मसलक ये है कि क़स्र करना बहरहाल जाइज़ है, सफ़र लम्बा हो कम। यहाँ तक कि अगर तीन मील का सफ़र हो तब भी ये हज़रात क़स्र को जाइज़ कहते हैं।

(1086) हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, उन्होंने अबू उसामा से, मैंने पूछा कि क्या आपसे अब्दुल्लाह उमरी ने नाफ़ेअ से ये हदीष बयान की थी कि उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने

١٠٨٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान नक़ल किया था कि औरतें तीन दिन का सफ़र ज़ी-रहम महरम के बग़ैर न करें (अबू उसामा ने कहा हौं) (दीगर मक़ाम : 1087)

ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). [طرفه في : 1087].

ज़ी-रहम महरम से मुराद वो शाख़्स है, जिनसे औरत के लिये निकाह ह़राम है अगर उनमें से कोई न हो तो औरत के लिये सफ़र करना जाइज़ नहीं। यहाँ तीन दिन की क़ैद का मतलब है कि इस मुद्दत पर लफ़्जे सफ़र का इत्लाक़ किया गया और एक दिन और रात को भी सफ़र कहा गया है। तक़रीबन 48 मील पर अक़षर इतिफ़ाक़ है।

(1087) हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उन्होंने इब्बैदुल्लाह इमरी से बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें नाफ़ेअ ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने इमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से ख़बर दी कि आपने फ़र्माया औरत तीन दिन का सफ़र उस वक़्त तक न करे। जब तक कि उसके साथ कोई महरम रिश्तेदार न हो। इस रिवायत की मुताबअत अहमद ने इब्ने मुबारक से की उनसे इब्बैदुल्लाह इमरी ने उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने इमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से। (राजेअ : 1087)

1087 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذُو مَحْرَمٍ)). تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع : 1087].

(1088) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद मक़बरी ने अपने बाप से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी ख़ातून के लिये जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हो, जाइज़ नहीं कि एक दिन—रात का सफ़र बग़ैर किसी ज़ी-रहम महरम के करे। इस रिवायत की मुताबअत यह्या बिन अबी क़षीर, सुहैल और मालिक ने मक़बरी से की। वो इस रिवायत को अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान करते थे।

1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَجُزُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَوَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ)). تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

तशरीह: औरत के लिये पहली अह्दादीष में तीन दिन के सफ़र की मुमानअत वारिद हुई है। जबकि उसके साथ कोई ज़ी महरम न हो और इस ह्दीष में एक दिन और एक रात की मुद्दत का ज़िक़र आया। दिन से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद लफ़्जे सफ़र कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ह़द बतलाना मक़सूद है। या'नी एक दिन—रात की मुद्दत सफ़र को शरई सफ़र का इब्तिदाई हिस्सा और तीन दिन के सफ़र को आखिरी हिस्सा करार दिया है। फिर इससे जिस क़दर भी ज़्यादा हो तो पहले बतलाया जा चुका है कि अहले ह्दीष के यहाँ क़सूर करना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हौं ये ज़रूर है कि क़सूर अल्लाह की तरफ़ से एक स़दक़ा है जिसे कुबूल करना ही मुनासिब है।

बाब 5 : जब आदमी सफ़र की निव्यत से अपनी

٥ - بَابُ يُقْصَرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ

बस्ती से निकल जाए तो क़स्र करे

और हज़रत अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) (कूफ़ा से सफ़र के इरादे से) निकले तो नमाज़ क़स्र करनी उसी वक़्त से शुरू कर दी जब अभी कूफ़ा के मकानात दिखाई दे रहे थे और फिर वापसी के वक़्त भी जब आपको बताया गया कि ये कूफ़ा सामने है तो आप ने फ़र्माया कि जब तक हम शहर में दाख़िल न हो जाएँ नमाज़ पूरी नहीं पढ़ेंगे।

(1089) हमसे अबू नुएम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने, मुहम्मद बिन मुंकदिर और इब्राहीम बिन मैसरा से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा में जुहूर की चार रक़अत पढ़ी और जुल हुलैफ़ा में अस्स की दो रक़अत पढ़ी। (दीगर मक़ाम : 1546, 1547, 1548)

तशरीह :

दीगर रिवायतों में है कि हज़रत अली (रज़ि.) शाम (सीरिया) जाने के इरादे से निकले थे। कूफ़ा छोड़ते ही आपने क़स्र शुरू कर दिया था। इसी तरह वापसी में कूफ़ा के मकानात दिखाई दे रहे थे लेकिन आपने उस वक़्त भी क़स्र किया। जब आपसे कहा गया कि अब तो कूफ़ा के पास आ गए तो फ़र्माया कि हम पूरी नमाज़ उस वक़्त न पढ़ेंगे जब तक कि हम कूफ़ा में दाख़िल न हो जाएँ। रसूले करीम (ﷺ) हज्ज के इरादे से मक्का जा रहे थे, जुहर के वक़्त तक आप (ﷺ) मदीना में थे उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। फिर आप जब जुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो अस्स का वक़्त हो गया था और वहाँ आपने अस्स चार रक़अत की बजाय दो रक़अत अदा की। जुल हुलैफ़ा मदीना से छः मील पर है।

इस हदीस से मा'लूम हुआ कि मुसाफ़िर जब अपने मुक़ाम से निकल जाए तो क़स्र शुरू कर दे। बाब का यही मतलब है।

(1090) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने जुहुरी से बयान किया, उनसे इर्वा ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि पहले नमाज़ दो रक़अत फ़र्ज़ हुई थी बाद में सफ़र की नमाज़ तो अपनी उसी हालत पर रह गई अलबत्ता हज़र की नमाज़ पूरी (चार रक़अत) कर दी गई। जुहुरी ने बयान किया कि मैंने इर्वा से पूछा कि फिर ख़ुद हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क्यूँ नमाज़ पूरी पढ़ी थी उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि इम्रान (रज़ि.) ने उसकी जो तावील की थी वही उन्होंने भी की। (राजेअ : 350)

مَوْضِعِهِ

وَوَجَعَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
لِقَصْرِ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ
لَهُ: هَلِ الْكُوفَةُ قَالٌ لَأَ، حَتَّى نَدْخُلَهَا.

١٠٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ
بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
(صَلَّيْتُ الظُّهْرَ . نَحْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرَبَعًا وَالْعَصْرَ وَبِلَدِي
الْحَلِيفَةَ رَكْعَتَيْنِ)).

إطرافه في : ١٠٤٦ ، ١٠٤٧ ، ١٠٤٨

١٠٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
(الصَّلَاةُ أَوْلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فَأُفِرَّتْ
صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُيْمِتُ صَلَاةُ الْحَضَرِ)
قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ
عَائِشَةَ تَبِيءُ؟ قَالَ: تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُمَانُ.

हज़रत इम्रान (रज़ि.) ने जब मिना में पूरी नमाज़ पढ़ी तो फ़र्माया कि मैंने ये इसलिये किया कि बहुत से आम मुसलमान जमा हैं। ऐसा न हो कि वो नमाज़ की दो ही रकअत समझ लें। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी हज के मौक़े पर नमाज़ पूरी पढ़ी और कसर नहीं किया। हालाँकि आप मुसाफ़िर थीं इसलिये आपको नमाज़ कसर करनी चाहिये थी। मगर आप सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना बेहतर जानती थी और कसर को रुख़सत समझती थीं।

बाब 6 : मग़िब की नमाज़ सफ़र में भी तीन ही रकअत हैं

(1091) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, ज़ुहरी से उन्होंने कहा कि मुझे सालिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ख़बर दी आपने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब सफ़र में चलने की जल्दी होती तो आप (ﷺ) मग़िब की नमाज़ देर से पढ़ते यहाँ तक कि मग़िब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते। सालिम ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को भी जब सफ़र में जल्दी होती तो इस तरह करते। (दीगर मक़ाम : 1092, 1106, 1109, 1668, 1673, 1805, 3000)

(1092) लैज़ बिन सअद ने इस रिवायत में इतना ज़्यादा किया कि मुझसे यूनुस ने इब्ने शिहाब से बयान किया, कि सालिम ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) मुज़दलिफ़ा में मग़िब और इशा एक साथ जमा करके पढ़ते थे। सालिम ने कहा कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने मग़िब की नमाज़ उस दिन देर में पढ़ी थी जब उन्हें उनकी बीवी सफ़िया बिनते अबी उबैद की सख़्त बीमारी की इत्तिला मिली थी। (चलते हुए) मैंने कहा कि नमाज़! (या'नी वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है) लेकिन आपने फ़र्माया कि चले चलो इस तरह जब हम दो या तीन मील निकल गए तो आप उतरे और नमाज़ पढ़ी फिर फ़र्माया कि मैंने खुद देखा है कि जब नबी करीम (ﷺ) सफ़र में तेज़ी के साथ चलना चाहते तो उसी तरह करते थे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ये भी फ़र्माया कि मैंने खुद देखा कि जब नबी करीम (ﷺ) (मंज़िले मक्क़ा तक) जल्दी पहुँचना चाहते तो पहले मग़िब की तकबीर कहलवाते और आप उसकी तीन रकअत पढ़ाकर सलाम फेरते। फिर थोड़ी देर ठहरकर इशा पढ़ते और

٦- بَابُ فِي الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

١٠٩١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ)). قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. [أَطْرَافُهُ فِي: ١١٠٩, ١١٠٦, ١٠٩٢]

[١٦٦٨, ١٦٧٣, ١٨٠٥, ٣٠٠٠].

١٠٩٢- وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ) قَالَ سَالِمٌ: (وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتَضْرِيحَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عَيْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: سِرٌّ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: سِرٌّ. حَتَّى سَارَ مِائِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ). وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا

उसकी दो ही रकअत पर सलाम फेरते। इशा के फ़र्ज़ के बाद आप सुन्नतें वग़ैरह नहीं पढ़ते थे आधी रात के बाद खड़े होकर नमाज़ पढ़ते। (राजेअ: 1091)

لَا تَلَا تُمْ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْتُمُ حَتَّى يُقِيمَ
الْعِشَاءَ فَيَصَلِّيَهَا رَكَعَتَيْنِ تُمْ يُسَلِّمُ، وَلَا
يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ
الَّيْلِ)). [راجع: 1091]

बाब और हदीष में मुताबकत जाहिर है। आप (ﷺ) ने सफ़र में मरिब की तीन रकअत फ़र्ज़ नमाज़ अदा की।

बाब 7 : नफ़ल नमाज़ सवारी पर, अगरचे सवारी का रुख किसी तरफ़ हो

٧- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ

(1093) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे मअमर ने जुहरी से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन आमिर ने और उनसे उनके बाप ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ते रहते ख्वाह उसका मुँह किसी तरफ़ हो। (दीगर मक़ाम: 1097, 1104)

١٠٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ)).

[طرفاه في: 1097, 1104].

प्राबित हुआ कि नफ़ल सवारी पर दुरुस्त हैं, इसी तरह वित्र भी। इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद और अहले हदीष का यही क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक वित्र सवारी पर पढ़ना दुरुस्त नहीं।

(1094) हमसे अबू नुएम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने कहा, उनसे यह्या ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुरहमान ने बयान किया कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) नफ़ल नमाज़ अपनी ऊँटनी पर ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके भी पढ़ते थे। (राजेअ: 400)

١٠٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ لِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ)). [راجع: 400]

ये वाक़िआ ग़ज्व-ए-अन्मार का है, क़िब्ला वहाँ जाने वालों के लिये बाएँ तरफ़ रहता है। सवारी ऊँट और हर जानवर को शामिल है।

(1095) हमसे अब्दुल आला बिन हम्माद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन इक्रबा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नफ़ल नमाज़ सवारी पर पढ़ते थे, उसी तरह वित्र भी। और फ़र्माते कि नबी (ﷺ) भी ऐसा करते थे। (राजेअ: 999)

١٠٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُتَوَرَّعُ عَلَيْهَا. وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ)). [راجع: 999]

बाब 8 : सवारी पर इशारे से नमाज़ पढ़ना

(1096) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) सफ़र में अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ते ख़वाह उसका मुँह किसी तरफ़ होता। आप इशारों से नमाज़ पढ़ते। आपका बयान था कि नबी करीम (ﷺ) भी उसी तरह करते थे। (राजेअ: 999)

बाब 9 : नमाज़ी फ़र्ज़ के लिये सवारी से उतर जाए

(1097) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे शिहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ ने कि आमिर बिन रबीआ ने उन्हें ख़बर दी उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऊँटनी पर नमाज़े नफ़्ल पढ़ते देखा। आप (ﷺ) सर के इशारों से पढ़ रहे थे इसका ख़याल किये बग़ैर कि सवारी का मुँह किधर होता है लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों में आप इस तरह नहीं करते थे। (राजेअ: 1093)

(1098) और लैष बिन सअद ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि सालिम ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) सफ़र में रात के वक़्त अपने जानवर पर नमाज़ पढ़ते कुछ परवाह न करते कि उसका मुँह किस तरफ़ है। इब्ने इमर (रज़ि.) ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) भी ऊँटनी पर नफ़्ल नमाज़ पढ़ा करते चाहे उसका मुँह किधर ही हो और वित्र भी सवारी पर पढ़ लेते थे अलबत्ता फ़र्ज़ उस पर नहीं पढ़ते थे। (राजेअ: 999)

8- بَابُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّائِيَةِ

١٠٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَزَائِجِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: ((كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْمًا تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيءُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ)).

[راجع: ٩٩٩]

9- بَابُ يَنْزُولٍ لِلْمَكْتُوبَةِ

١٠٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يَوْمِيءُ بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ)). [راجع: ١٠٩٣]

١٠٩٨- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَائِيهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرًا، مَا يَتَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُؤَيِّرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

[راجع: ٩٩٩]

बाब का तर्जुमा इस फ़िन्ने से निकलता है। मा'लूम हुआ फ़र्ज़ नमाज़ के लिये जानवर से उतरते क्योंकि वो सवारी पर दुरुस्त नहीं। इस पर इलमा का इज्माअ है। सवारी से ऊँट, घोड़े और ख़च्चर वग़ैरह मुराद है। रेल में नमाज़ दुरुस्त है।

(1099) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने यह्या से बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन शौबान ने बयान किया, उन्होंने ने बयान किया कि मुझसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) अपनी कैंटनी पर मश्रिक की तरफ़ मुँह किये हुए नमाज़ पढ़ते थे और जब फ़र्ज़ पढ़ते तो सवारी से उतर जाते और फिर किब्ला की तरफ़ रुख़ करके पढ़ते। (राजेअ : 400)

۱۰۹۹- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَّالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: ((حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلِيهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)).

[راجع: ٤٠٠]

इस हदीष से मा' लूम हुआ कि जो सवारी अपने इख़्तियार में हो बहरहाल उसे रोककर फ़र्ज़ नमाज़ नीचे ज़मीन पर ही पढ़नी चाहिये (वल्लाहु अअलम)

खातमा

लिल्लाहिल हम्दो वल मिन्नत कि शब व रोज़ मुसलसल सफ़र व हजर की मेहनते शाक़ा के नतीजे में आज बुखारी शरीफ़ के पारा चार की तस्वीद से फ़रागत ह्रासिल कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझ जैसा नाचीज़ इंसान इस अज़ीम इस्लामी मुक़द्दस किताब की ये ख़िदमत अंजाम देते हुए इसका बामुहावरा तर्जुमा और जामेअतरीन तशरीहात अपने क़द्रदानों की ख़िदमत में पेश कर रहा है। अपनी बे बज़ाअती व हर कमज़ोरी की बिना पर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस सिलसिले में कहाँ-कहाँ क्या-क्या लज़िशें हुई होंगी। अल्लाह पाक मेरी इन तमाम लज़िशों को मुआफ़ फ़र्माए और इस ख़िदमत को कुबूल फ़र्माए और इसे न सिर्फ़ मेरे लिये बल्कि मेरे वालिदैन मरहूमिन व तमाम मुता' ल्लिकीन व मेरे तमाम असातिज़ा-ए-किराम, फिर जुम्ला क़द्रदानों के लिये जिनका मुझे दामे-दरमे-सुखने तआवुन ह्रासिल रहा। इन सबके लिये इसको वसीलाते नजाते-आख़िरत बनाए और तौफ़ीक़ दे कि हम सब मिलकर इस किताबे मुक़द्दस के तीस पारों की इशाअत इस नहज पर करके उर्दू-दाँ दीन पसंद तब्क़े के लिये एक बेहतरीन ज़ख़ीर-ए-मा' लूमाते दीन मुहय्या कर दें। इस सिलसिले में अपने असातिज़ा-ए-किराम और तमाम इलमा-ए-इज़ाम से भी पुरज़ोर और पुरख़ुलूस अपील करूंगा कि तर्जुमा व तशरीहात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पेशे-नज़र पूरे तौर पर मैंने हर मुम्किन तहक़ीक़ की कोशिश की है। मसाइले ख़िलाफ़िया में हर मुम्किन तफ़सीलात को काम में लाते हुए मुखालिफ़ीन व मुवाफ़िक़ीन सबको अच्छे लफ़्ज़ों में याद किया है और मसलके मुहदिषीन (रह.) के बयान के लिये उम्दा से उम्दा अल्फ़ाज़ लाए गए हैं। फिर भी मुझको अपनी भूल-चूक पर नदामत है। अगर आप हज़रात को कहीं भी इल्मी, अख़लाक़ी कोई ख़ामी नज़र आए तो अल्लाह के वास्ते उस पर ख़ादिम को अज़ राहे इख़लास आगाह फ़र्माएँ। शुक्रिया के साथ आपके मश्वरे पर तवज्जह दी जाएगी और तबए शानी में हर मुम्किन इस्लाह की कोशिश की जाएगी। अपना मक्सद ख़ालिसतन फ़रामीने रिसालत को उनके असल मंशा के तहत उर्दू जुबान में मुंतक़िल करना है। इसके लिये ये किताब या'नी सहीह बुखारी मुस्तनद व मुअतमद किताब है जिसकी सिहत पर बेशतर अकाबिरे उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिहिस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल्मुर्सलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन बिरहमतिक या अहंमराहिमीन.

ये अल्फ़ाज़ असल उर्दू किताब के मुसन्निफ़ अल्लामा दाऊद राज़ (रह.) ने चौथे पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाने के बाद 24 रमज़ान 1388 हिजरी में उस वक़्त लिखे थे जब वे बंगलौर में मुक़ीम थे। अल्लाह तआला ने उनकी कोशिशों को शफ़े-कुबूलियत बख़शा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफ़ीक़ से अल्लामा दाऊद (राज़.) ने मुकम्मल तीस पारों की तशरीह मुकम्मल करके उर्दू-दाँ हज़रात को नायाब तोहफ़ा दिया। आज वे हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, अल्लाह तआला उन्हें अजे-अज़ीम से नवाज़े और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़र्माए, आमीन!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

पाँचवां पारा

बाब 10 : नफ़ल नमाज़ गधे पर बैठे हुए अदा करना

1100. हमसे अहमद बिन सअद ने बयान किया, कहा कि हमसे हब्बान बिन हिलाल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि अनस (रज़ि.) शाम से जब (हिजाज के खलीफ़ा से शिकायत करके) वापस हुए तो हम उन से अँनुत्तमर में मिले। मैंने देखा कि आप गधे पर सवार होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और आपका मुँह क़िब्ला से बाएँ तरफ़ था। इस पर मैंने कहा कि मैंने आपको क़िब्ला के सिवा दूसरी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसा करते न देखता तो मैं भी न करता। इस रिवायत को इब्राहीम बिन तहमान ने भी हज्जाज से, उन्होंने अनस बिन सीरीन से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया है।

١٠- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

١١٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: ((رَأَيْتَكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ)). وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

तशरीह : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बसरा से शाम (वर्तमान देश सीरिया) में खलीफ़ा-ए-वक़्त अब्दुल मलिक बिन मरवान के यहाँ हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़ालिम ब्रक्फ़ी की शिकायत लेकर गए थे। जब लौटकर बसरा आए तो अनस बिन सीरीन आपके इस्तिफ़ाल को गए और आपको देखा कि गधे पर अपनी नमाज़ इशारों से अदा कर रहे हैं और मुँह भी ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ है। आपसे इस बाबत पूछा गया। फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को भी सवारी पर नफ़ल नमाज़ ऐसे ही पढ़ते देखा है। ये रिवायत मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से यूँ है, राइतु रसूलुल्लाहि (ﷺ) युसल्ली अला हिमारिन व हुव मुतव्वजिहुन इला ख़ैबर कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा, आप (ﷺ) (नफ़ल नमाज़) गधे पर पढ़ रहे थे और आपका चेहर-ए-मुबारक ख़ैबर की तरफ़ था।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस रिवायत को इब्राहीम बिन तहमान की सनद से नक़ल किया। हाफ़िज़ इब्ने (रह.)

हजर कहते हैं कि मुझको ये हदीष इब्राहीम बिन तटमान के तरीक़ से मौसूलन नहीं मिली। अलबत्ता सिराज ने अमर बिन आमिर से, उन्होंने हज्जाज से इस लफ़्ज़ से रिवायत किया है कि आँहज़रत (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ते चाहे जिधर वो मुँह करती जो हज़रत अनस (रज़ि.) ने गधे पर नमाज़ पढ़ने को ऊँट के ऊपर पढ़ने पर क़यास किया। और सिराज ने यह्या बिन सईद से रिवायत किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) को गधे पर नमाज़ पढ़ते देखा और आप (ﷺ) ख़ैबर की तरफ़ मुँह किये हुए थे। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि नमाज़ में क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना बिल इज्माअ फ़र्ज़ है मगर जब आदमी आजिज़ हो या डर हो या नफ़ल नमाज़ हो तो इन हालात में ये फ़र्ज़ उठ जाता है। नफ़ल नमाज़ के लिये भी ज़रूरी है कि शुरू करते वक़्त निय्यत बाँधने पर मुँह क़िबला रुख़ हो बाद में वो सवारी जिधर भी रुख़ करे नमाज़े नफ़ल अदा करना जाइज़ है। ऐनुत्तमर एक गांव मुल्के शाम में इराक़ की तरफ़ वाकेअ है।

इस रिवायत से प्राबित हुआ कि किसी ज़ालिम हाकिम की शिकायत बड़े हाकिम को पहुँचाना मअयूब (बुरा) नहीं है और ये कि किसी बुजुर्ग के इस्तिफ़ाल के लिये चलकर जाना ऐन प्रवाब है और ये भी कि बड़े लोगों से छोटे आदमी मसाइल की तहक़ीक़ कर सकते हैं और ये भी प्राबित हुआ कि दलील पेश करने में रसूले करीम (ﷺ) की हदीष बड़ी अहमियत रखती है कि मोमिन के लिये उससे आगे गुंजाइश नहीं। इसलिये बिलकुल सच कहा गया है,

‘असल दीन आमद कलामुल्लाह मुअज़्जम दाशतन

पस हदीषे मुस्तफ़ा बरज़ाँ मुसल्लम दाशतन’

या’नी दीन की बुनियाद ही ये है कि कुआन मजीद को हद दर्जा क़ाबिले ता’ज़ीम कहा जाए और अहदीषे नबवी को दिलो-जान से तस्लीम किया जाए।

बाब 11 : सफ़र में जिसने फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और पीछे सुन्नतों को नहीं पढ़ा

۱۱- باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبْرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

1101. हमसे यह्या बिन सुलैमान कूफ़ी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमर बिन मुहम्मद बिन यज़ीद ने बयान किया कि हफ़्स बिन आसिम बिन इमर ने उनसे बयान किया कि मैंने सफ़र में सुन्नतों के मुता’ल्लिक़ अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से पूछा, आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) की सुहबत में रहा हूँ। मैंने आप (ﷺ) को सफ़र में कभी सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा और अल्लाह जल्ल जिक्रहू का इशार्द है कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है।

(दीगर मक़ाम : 1102)

۱۱۰۱- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

[طرفه ۳: ۱۱۰۲].

मा’लूम हुआ कि सफ़र में ख़ाली फ़र्ज़ नमाज़ की दो रकअतें जुहर और अस्सर में काफ़ी है। सुन्नत न पढ़ना भी खुद आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत है।

1102. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे ईसा बिन हफ़्स बिन

۱۱۰۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:

आसिम ने, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) को ये फ़र्माते सुना कि मैं रसूलुल्लाह की सुहबत में रहा हूँ, आप (ﷺ) सफ़र में दो रकअत (फ़र्ज़) से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अबूबक्र, इमर और इम्रान (रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे।

(राजेअ: 1101)

तशरीह:

दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ़ में यूँ है, सहिबतुब्न इमर फी तरीकि मक्कत फ़सल्ल बिना अज्जुहरा रकअतैनि शुम्म अक्बल व अक्बलना मअहू हत्ता जाअ रिहलुहू व जलस्ना मअहू फाहनत मिन्हत्तफाततु फराअ नासन क्रियामन फक्राल मा यस्नइ हाउलाइ कुल्लतु युसब्बिहून क़ाल लौ कुन्तु मुसब्बिहन लअत्मन्तु (क़स्तलानी रह.) हफ़्स्स बिन आसिम कहते हैं कि मैं मक्का शरीफ़ के सफ़र में हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) के साथ था। आपने ज़ुहर की दो रकअत फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाई फिर कुछ लोगों को देखा कि वो सुन्नत पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि अगर मैं सुन्नत पढ़ूँ तो फिर फ़र्ज़ ही क्यूँ न पूरी पढ़ लूँ। अगली रिवायत में मज़ीद वज़ाहत मौजूद है कि रसूले करीम (ﷺ) और अबूबक्र और इमर और इम्रान (रज़ि.) सबका यही अमल था कि वो सफ़र में नमाज़ क़स्र करते थे और उन दो रकअते फ़र्ज़ के अलावा कोई सुन्नत नहीं पढ़ते थे। बहुत से नावाक़िफ़ भाईयों को देखा जाता है कि वो अहले हदीष के इस अमल पर तअज्जुब किया करते हैं बल्कि कुछ तो इन्हारे नफ़रत से भी नहीं चूकते और उन लोगों को खुद अपनी नावाक़िफ़ी पर अफ़सोस करना चाहिये और मा'लूम होना चाहिये कि हालाते सफ़र में जब फ़र्ज़ नमाज़ को क़स्र किया जा रहा है फिर सुन्नत नमाज़ों का ज़िक्र ही क्या है?

बाब 12 : फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद और अब्वल की सुन्नतों के अलावा और दूसरे नफ़ल सफ़र में पढ़ना और नबी करीम (ﷺ) ने सफ़र में फ़र्ज़ की सुन्नतों को पढ़ा है

1103. हमसे हफ़्स्स बिन इमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे इमर बिन मुरा' ने, उनसे इब्ने अबी लैला ने, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने ये खबर नहीं दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन्होंने चाशत की नमाज़ पढ़ते देखा, हाँ उम्मे हानी (रज़ि.) का बयान है कि फ़तहे मक्का के दिन नबी करीम (ﷺ) ने उनके घर गुस्ल किया था और उसके बाद आप (ﷺ) ने आठ रकअत पढ़ी थीं। मैंने आप (ﷺ) को कभी इतनी हल्की-फुल्की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता आप (ﷺ) रुकूअ और सज्दा पूरी तरह करते थे।

(दीगर मक़ामात: 1176, 4292)

1104. और लैष बिन सअद (रह.) ने कहा कि मुझसे यूनुस ने

حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ، وَأَبَابِكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)).

[راجع: 1101]

١٢- بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبْرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكَعِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

١١٠٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنَا أَعَدُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الطُّحَى، غَيْرُ أُمَّ هَانِيَةَ ذَكَرَتْ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخْفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)).

[طرفاه: 1176, 4292].

١١٠٤- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ

बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ ने बयान किया कि उन्हें उनके बाप ने खबर दी कि उन्होंने खुद देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रात में) सफ़र में नफ़ल नमाज़ें सवारी पर पढ़ते थे, वो जिधर आप (ﷺ) को ले जाती उधर ही सही।

(राजेअ: 1093)

इससे आँहज़रत (ﷺ) का सफ़र में नफ़ल पढ़ना प्राबित हुआ। चाशत की नमाज़ भी प्राबित हुई। अगर हज़ूर (ﷺ) से उग्रभर कोई काम सिर्फ़ एक ही दफ़ा करना प्राबित हो तो वो भी उम्मत के लिये सुन्नत है और चाशत के लिये तो और भी षुबूत मौजूद हैं। हज़रत उम्मे हानी ने सिर्फ़ अपने देखने का हवाल बयान किया है। जाहिर है कि हज़रत उम्मे हानी को हर वक़्त आप (ﷺ) के मा'मूलात देखने का इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ।

1105. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने खबर दी, उन्हें जुहरी ने और उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) से किरसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी कैंटनी पर ख़वाह उसका मुँह किस तरफ़ होता, नफ़ल नमाज़ सर के इशारों से पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी इसी तरह किया करते थे।

(राजेअ: 999)

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ).

[راجع: ١٠٩٣]

١١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ، يَوْمَئِذٍ بِرَأْسِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْعُلُهُ).

[راجع: ٩٩٩]

मतलब इमाम बुखारी (रह.) का ये है कि सफ़र में आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्ज़ नमाज़ों के अव्वल और बाद की सुनने रातिबा नहीं पढ़ी है और हर क़िस्म के नवाफ़िल जैसे इश्राक़ वग़ैरह सफ़र में पढ़ना मन्कूल है और फ़र्ज़ की सुन्नतों का सफ़र में अदा करना भी प्राबित है।

क़ालबनुल्क़य्यिम फिलहुदा व कान मिन्हदयिही (ﷺ) फी सफ़रिही अल्इक्तिसारु अलल्फ़र्जि वलम यहफज़ अन्हु अन्नहू (ﷺ) मल्ला सुन्नतमूलाति क़ब्लहा व बअदहा इल्ला मा कान मिन सुन्नतिल्वितरि वल्फज़ि फइन्नहू लम यकुन यदअहा हज़रन वला सफ़रन इन्तिहा (नैलुल औतार) या'नी अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने अपनी मशहूर किताब ज़ादुल मआद में लिखा है कि आँहज़रत (ﷺ) की सीरते मुबारक से ये भी है कि हालते सफ़र में आप (ﷺ) सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ की क़स्र रकअतों पर इक्तिफ़ा करते थे और आप (ﷺ) से प्राबित नहीं है कि आप (ﷺ) ने सफ़र में वित्र और फ़र्ज़ की सुन्नतों के सिवा और कोई नमाज़ अदा की हो। आप (ﷺ) उन दोनों को सफ़र और हज़र में बराबर पढ़ा करते थे। फिर अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इन रिवायात पर रोशनी डाली है जिनसे आँहज़रत (ﷺ) का हालते सफ़र में नमाज़े नवाफ़िल पढ़ना प्राबित होता है।

व क़द सुइललइमामु अहमद अनित्तव्वुइ फिस्सफ़रि फ़क़ाल अर्जू अल्ला यकूनु बिक्तव्वुइ फिस्सफ़रि बास. या'नी इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से सफ़र में नवाफ़िल के बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया कि मुझे उम्मीद है कि सफ़र में नवाफ़िल अदा करने में कोई बुराई नहीं है। मगर सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) पर अमल करना बेहतर और मुक़द्दम है। पस दोनों उमूर प्राबित हुए कि तर्क में भी कोई बुराई नहीं और अदायगी में भी कोई हर्ज़ नहीं। व क़ालल्लाहु तआला मा जअल अलैकुम फिदीनि मिन हरजिन वल्हम्दु लिल्लाहि अला नअमाइहिल्कामिला.

बाब 13 : सफ़र में मग़िब और इशा एक साथ

١٣ - بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرَيْنِ

मिलाकर पढ़ना

1106. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने जुहरी से सुना, उन्होंने सालिम से और उन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर से कि नबी अकरम (ﷺ) को अगर सफ़र में जल्द चलना मंज़ूर होता तो मरिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते। (राजेअ 1091)

1107. और इब्राहीम बिन तह्मान ने कहा कि उनसे हुसैन मुअल्लिम ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी क़प्पीर ने बयान किया, उनसे इकिमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में जुहर व अस्र की नमाज़ एक साथ मिलाकर पढ़ते। इसी तरह मरिब और इशा की भी एक साथ मिलाकर पढ़ते थे।

1108. और इब्ने तह्मान ही ने बयान किया कि उनसे हुसैन ने, उनसे यह्या बिन अबी क़प्पीर ने, उनसे हफ़स बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया नबी करीम (ﷺ) सफ़र में मरिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। इस रिवायत की मुताबअत अली बिन मुबारक और हर्ब ने यह्या से की है। यह्या, हफ़स से और हफ़स, अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (मरिब और इशा) एक साथ मिलाकर पढ़ी थीं।

(दीगर मक़ाम : 1110)

तशरीह:

इमाम बुखारी (रह.) जमा का मसला क़स्र के अब्बाब में इसलिये लाए कि जमा भी गोया एक तरह का क़स्र ही है। सफ़र में जुहर, अस्र और मरिब-इशा का जमा करना अहले हदीष और इमाम अहमद, शाफ़िई, प्रौरी, इमाम इस्हाक़ (रह.) सबके नज़दीक जाइज़ है। ख़्वाह जमा तक्दीम करें या'नी जुहर के वक़्त, अस्र और मरिब के वक़्त इशा पढ़ लें। ख़्वाह जमा ताखीर करे या'नी अस्र के वक़्त जुहर और इशा के वक़्त मरिब भी पढ़ लें। इस बारे में मज़ीद तफ़्सीर मन्दर्ज़ा ज़ेल अहादीष से मा'लूम होती है,

अन मअज़िबिन् जबलिन (रज़ि.) कानन्नबिय्यु (ﷺ) फी ग़ज़वति तबूक इज़ा ज़ागतिशशम्सु क़ब्ल अय्यतंहिल जमअ बैनज्जुहरि वलअस्रि व इनितंहल क़ब्ल अन तज़ीगशशम्सु अख़खरज्जुहर हत्ता यन्ज़िल लिलअस्रि व फिल्मरिबि मिप्ला ज़ालिक इज़ा गाबजिशशम्सु क़ब्ल अय्यतंहिल जमअ बैनल्मगरिबि वलइशाइ

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

۱۱۰۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ (السُّنَنِ). [راجع: ۱۰۹۱]

۱۱۰۷- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَبْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)).

۱۱۰۸- حَدَّثَنَا وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ)).

وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصِ بْنِ أَنَسٍ ((جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ)). [طرفه بي: ۱۱۱۰]

व इन इर्तहल क़बल अन तगीबशशम्मु अख़रल्मग़रिब हत्ता यन्ज़िल लिल्इशाइ धुम्म यज्मइ बैनहुमा र्वाहु अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीधुन हसनुन ग़रीब या' नी मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि ग़च्च-ए-तबूक में आँहज़रत (ﷺ) अगर किसी दिन कूच करने से पहले सूरज ढल जाता तो आप जुहर और अस्स मिलाकर पढ़ लेते। (जिसे जमा तक्दीम कहा जाता है) और अगर कभी आप (ﷺ) का सफ़र सूरज ढलने से पहले ही शुरू हो जाता तो जुहर और अस्स मिलाकर पढ़ते (जिसे जमा ताख़ीर कहा जाता है)। मरिब में भी आप (ﷺ) का यही अमल था। अगर कूच करते वक़्त सूरज गुरुब हो चुका होता तो आप (ﷺ) मरिब और इशा मिलाकर पढ़ लेते थे और अगर सूरज गुरुब होने से पहले ही सफ़र शुरू हो जाता तो फिर मरिब को देर करके इशा के साथ मिलाकर अदा करते थे। मुस्लिम शरीफ़ में भी यही रिवायत मुख़्तसर मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ग़च्च-ए-तबूक में जुहर और अस्स और मरिब और इशा मिलाकर पढ़ लिया करते थे।

एक और हदीष हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है जिसमें मुत्तलक़ सफ़र का ज़िक्र है और साथ ही हज़रत अनस (रज़ि.) ये भी बयान करते हैं कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़र्तहल क़बल अन तज़ीगशशम्मु अख़रज़्ज़ुहर इला वक्त्तिलअस्मि अल्हदीष या' नी सफ़र में आँहज़रत (ﷺ) का यही मा' मूल था कि अगर सफ़र सूरज ढलने से पहले शुरू होता तो आप (ﷺ) जुहर में अस्स को मिला लिया करते थे और अगर सूरज ढलने के बाद सफ़र शुरू होता तो आप (ﷺ) जुहर को अस्स के साथ मिलाकर सफ़र शुरू करते थे।

मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी ऐसा ही मरवी है उसमें मज़ीद ये है कि क़ाल सईदुन फ़कुल्लु लिइब्नि अब्बास मा हम्मलहू अला ज़ालिक क़ाल अराद अल्ला युहरिज उम्मतहू (र्वाहु मुस्लिम, सफ़ा : 246) या' नी सईद ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा आप (ﷺ) ने ये इसलिये किया ताकि उम्मत तंगी में न पड़ जाए।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस बारे में हज़रत अली और इब्ने उमर और अनस और अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत आइशा और इब्ने अब्बास और उसामा बिन ज़ैद और जाबिर (रज़ि.) से भी मरवियात हैं। इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ राहवै यही कहते हैं कि सफ़र में दो नमाज़ों का जमा करना ख़वाह जमा तक्दीम हो या ताख़ीर बिला खौफ़ो-ख़तर जाइज़ है।

अल्लाम नववी (रह.) ने शरहे मुस्लिम में, इमाम शाफ़िई (रह.) और अक़षर लोगों का क़ौल नक़ल किया है कि सफ़रे तवील में जो 48 मील हाशमी पर बोला जाता है, जमा तक्दीम और जमा ताख़ीर दोनों तौर पर जमा करना जाइज़ है। और छोटे सफ़र के बारे में इमाम शाफ़िई (रह.) के दो क़ौल हैं और उनमें ज़्यादा सही क़ौल ये है कि जिस सफ़र में नमाज़ का क़स्स करना जाइज़ नहीं उसमें जमा भी जाइज़ नहीं है। अल्लामा शौकानी (रह.) दुर्लु बहिय्या में फ़र्माते हैं कि मुसाफ़िर के लिये जमा तक्दीम व जमा ताख़ीर दोनों तौर पर जमा करना जाइज़ है। ख़वाह अज़ान और इक़ामत से जुहर में अस्स को मिलाए या अस्स के साथ जुहर को मिलाए। इस तरह मरिब के साथ इशा पढ़े या इशा के साथ मरिब मिलाए। हन्फ़िया के यहाँ सफ़र में जमा करके पढ़ना जाइज़ नहीं है। उनकी दलील अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) वाली रिवायत है जिसे बुखारी और मुस्लिम और अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है कि मैंने मुज़दलिफ़ा के सिवा कहीं नहीं देखा कि आँहज़रत (ﷺ) ने दो नमाज़ें मिलाकर अदा की हों। इसका जवाब साहिबे मस्त्क़िल ख़िताम ने यूँ दिया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का ये बयान हमारे मक्सूद के लिये हर्गिज़ मुज़िर नहीं है कि यही अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अपने इस बयान के खिलाफ़ बयान दे रहे हैं जैसा कि मुहद्विष सलामुल्लाह ने मुहल्ला शरहे मुआत्ता इमाम मालिक ने मुस्नद अबी से नक़ल किया है कि अबू क़ैस अज़दी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) सफ़र में दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ा करते थे। अब इनके पहले बयान में नफ़ी है और इसमें इस्बात है और क़ाइदा-ए-मुकर्ररा की रू से नफ़ली पर इष्बात मुक़द्दम होता है। लिहाज़ा प्राबित हुआ कि इनका पहला बयान सिर्फ़ निस्थान की वजह से है। दूसरी दलील ये दी जाती है कि अल्लाह पाक ने कुआन मजीद में फ़र्माया, इन्न्सुललात कानत अलल्मुअमिनीन किताबम्माक़ूता (अन् निसा : 103) या' नी मोमिनों पर वक्ते मुकर्ररा में फ़र्ज़ है। इसका जवाब ये है कि आँहज़रत (ﷺ) कुआन मजीद के मुफ़स्सिरे अब्वल हैं और आप (ﷺ) के अमल से नमाज़ में जमा प्राबित है। मा' लूम हुआ कि ये जमा भी वक्ते मुवक्क़त ही में दाख़िल है वरना आयत

को अगर मुत्लक माना जाए तो फिर मुजदलिफा में भी जमा करना जाइज नहीं होगा। हालाँकि वहाँ के जमा पर हनफ़ी, शाफ़िई और अहले हदीष सबका इत्तेफ़ाक़ है। बहरहाल अम्मे प्राबित यही है कि सफ़र में जमा तक्दीम व ताख़ीर दोनों सूरतों में जाइज है।

व क़द रवा मुस्लिमुन अन जाबिरिन अन्नहू (ﷺ) जमअ बैनज़्जुहरि वलअस्मि बिअरफ़त फी वक्तिज़्जुहरि फ लौ लम यरिद मिन फिअलिही इल्ला हाज़ा लकान अदुल्लु दलीलिन अला जवाज़ि जम्इत्तक्दीमि फिस्सफरि (क़स्तलानी जिल्द 2, सफ़ा : 249) या'नी इमाम मुस्लिम ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने जुहर और अस्र की नमाज़ों को अफ़ा में जुहर के वक़्त में जमा करके अदा किया, पस अगर आँहज़रत (ﷺ) से सिर्फ़ इसी मौक़े पर सहीह रिवायत से जमा प्राबित हुआ। यही बहुत बड़ी दलील है कि जमा तक्दीम सफ़र में जाइज है।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने इमामे जुहरी का ये क़ौल नक़ल किया है कि उन्होंने सालिम से पूछा कि सफ़र में जुहर और अस्र का जमा करना कैसा है? उन्होंने कहा कि बिला शक़ जाइज है, तुम देखते नहीं कि अरफ़ात में लोग जुहर और अस्र मिलाकर पढ़ते हैं।

फिर अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं कि जमा तक्दीम के लिये ज़रूरी है कि पहले अव्वल वाली नमाज़ पढ़ी जाए। मज़लन जुहर और अस्र को मिलाना है तो पहले जुहर अदा की जाए और ये भी ज़रूरी है कि निय्यत भी पहले जुहर अदा करने की जाए और ये भी ज़रूरी है कि इन दोनों नमाज़ों को पे दर पे पढ़ा जाए। बीच में किसी सुन्नते रातिबा से फ़स्ल न हो। आँहज़रत (ﷺ) ने जब नमरा में जुहर और अस्र को जमा किया तो व इला बैनिहिमा व तरकरवातिब व अक्रामस्सलात बैनहुमा व रवाहुशशैख़ान आप (ﷺ) ने उनको मिलाकर पढ़ा बीच में कोई सुन्नत नमाज़ नहीं पढ़ी और दरम्यान में तक्बीर कही। इसे बुखारी, मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। (हवाला मज़कूर)

इस बारे में अल्लामा शौकानी (रह.) ने यूँ बाब मुनअक़िद किया है, बाबुन : अल्जम्इ बिअज़ानिन व इक्रामतैनि मिन ग़ैर ततव्वुइन बैनहुमा या'नी नमाज़ को एक अज़ान दो इक्रामतों के साथ जमा करना और उनके बीच कोई नफ़िल नमाज़ न पढ़ना फिर आप इस बारे में बतौर दलील हवीषे ज़ेल को लाए हैं,

अनिबि उमर अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सल्लल्मग़रिब वल्इशाअ बिल्मुज्दलिफति जमीअन कुल्ल वाहिदतिम्मिन्हुमा बिइक्रामतिन व लम युसब्बिह बैनहुमा व ला अला अफ़्रि वाहिदतिम्मिन्हुमा रवाहुल्बुख़ारी वन्नसई अनिबि उमर अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सल्लल्मग़रिब वल्इशाअ बिल्मुज्दलिफति जमीअन कुल्ल वाहिदतिम्मिन्हुमा बिइक्रामतिन व लम युसब्बिह बैनहुमा व ला अला अफ़्रि वाहिदतिम्मिन्हुमा रवाहुल्बुख़ारी वन्नसई या'नी हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि मुज़ दलिफ़ा में आँहज़रत (ﷺ) ने मरिब और इशा को अलग-अलग इक्रामत के साथ जमा किया और न आप (ﷺ) ने इनके बीच कोई नफ़िल नमाज़ अदा की और न उनके आगे-पीछे। जाबिर की रिवायत से मुस्लिम और अहमद और निसाई में इतना और ज़्यादा है, शुम्म इज़्तज़अ हत्ता त़लअल्फ़ज़्जु फिर आप (ﷺ) लेट गए यहाँ तक कि फ़ज़ हो गई।

बाब 14 : मरिब और इशा मिलाकर पढ़े तो क्या उनके लिये अज़ान व तक्बीर कही जाएगी

1109. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को जब जल्दी सफ़र तय करना होता तो मरिब की नमाज़ मुअख़्खर कर देते। फिर इशा के साथ मिलाकर पढ़ते थे। सालिम ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी अगर सफ़र सुरअत (तेज़ी) के साथ तय करना चाहते तो इसी तरह करते थे। मरिब की तक्बीर पहले कही जाती और आप तीन रकअत मरिब की नमाज़ पढ़कर सलाम फेर देते। फिर मा'मूली से तक्कुफ़ के

١٤ - بَابُ هَلْ يُؤَدُّنْ أَوْ يُقِيمُنْ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟

١١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْجِلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أُعْجِلَهُ

बाद इशा की तक्बीर कही जाती और आप उसकी दो रकअत पढ़कर सलाम फेर देते। दोनों नमाज़ों के दरम्यान एकरकअत भी सुन्नत वगैरह न पढ़ते और इसी तरह इशा के बाद भी नमाज़ नहीं पढ़ते थे। यहाँ तक कि दरम्याने-शब में आप उठते (और तहज्जुद अदा करते)।

(राजेअ: 1091)

1110. हमसे इस्हाक़ ने बयान क्रिया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुसमद बिन अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हर्ब बिन सदाद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन अबी क़सीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे हफ़स बिन उबैदुल्लाह बिन अनस ने बयान किया कि अनस (रज़ि.) ने उनसे ये बयान किया कि रसूलुल्लाह इन दो नमाज़ों या'नी मरिब और इशा को सफ़र में एक साथ मिलाकर पढ़ा करते थे। (राजेअ: 1108)

बाब 15 : मुसाफ़िर जब सूरज ढलने से पहले कूच करे तो जुहर की नमाज़ में अस्त्र का वक़्त आने तक देर करे. इसको इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है

1111. हमसे हस्सान बिन वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुफ़ज़ज़ल बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो जुहर की नमाज़ अस्त्र तक न पढ़ते फिर जुहर और अस्त्र एक साथ पढ़ते और अगर सूरज ढल चुका होता तो पहले जुहर पढ़ लेते फिर सवार होते।

बाब 16 : सफ़र अगर सूरज ढलने के बाद शुरू हो तो पहले जुहर पढ़ ले फिर सवार हो

1112. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि

السَّيْرُ، وَيَقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْتُ حَتَّى يَقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرُكُوعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسُجُودَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)).

[راجع: 1091]

١١١٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ)). [راجع: 1108]

١٥- بَابُ يُؤَخَّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١١١١- حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَعَّالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ)).

١٦- بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ

١١١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

हमसे मुफ़ज़ल बिन फ़ज़ाला, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो जुहर अस्त्र के वक़्त आने तक न पढ़ते। फिर कहीं (रास्ते में) ठहरते और जुहर और अस्त्र मिलाकर पढ़ते लेकिन अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज ढल चुका होता तो पहले जुहर पढ़ते फिर सवार होते।

बाब 18 : नमाज़ बैठकर पढ़ने का बयान

1113. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे हिशाम बिन उर्वाने, उनसे उनके बाप उर्वाने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) बीमार थे इसलिये आप (ﷺ) ने अपने घर में बैठकर नमाज़ पढ़ाई, बाज़ लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े होकर पढ़ने लगे। लेकिन आप (ﷺ) ने उन्हें इशारा किया कि बैठ जाओ। नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इमाम इसलिये है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिये जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ।

(राजेअ: 688)

1114. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने जुहरी से बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से गिर पड़े और इसकी वजह से आपके दाएँ पहलू पर ज़ख़म आ गए। हम मिज़ाजपुरी के लिये गये तो नमाज़ का वक़्त आ गया। आप (ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई। हमने भी बैठकर आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने इसी मौक़े पर फ़र्माया था कि इमाम इसलिये है ताकि उसकी पैरवी की जाए। इसलिये जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो, जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्द कहो।

(राजेअ: 387)

الْمُفَضَّلُ بْنُ فَصَالَةَ عَنْ غَعْبِلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْفَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ)).

۱۷- بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

۱۱۱۳- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَ قَوْمٍ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)).

[راجع: 688]

۱۱۱۴- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ فَخَدِشَ - أَوْ فَخَجَشَ - شِقَّةَ الْأَيْمَنِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَتِلْكَ الْحَمْدُ)). [راجع: 387]

दोनों अह्दादीष में मुक़्तदियों के लिये बैठने का हुक्म पहले दिया गया था। बाद में आखिरी नमाज़ मर्जुल मौत में जो आप (ﷺ)

ने पढ़ाई उसमें आप (ﷺ) बैठे हुए थे और सहाबा आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए थे। इससे पहला हुक्म मन्सूख हो गया।

1115. हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें रवह बिन इबादा ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमें हुसैन ने खबर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उन्हें इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कि आपने नबी करीम (ﷺ) से पूछा (दूसरी सनद) और हमें इस्हाक़ बिन मन्सूर ने खबर दी, कहा कि हमें अब्दुस्समद ने खबर दी, कहा कि मैंने अपने बाप अब्दुल वारिष से सुना, कहा कि हमसे हुसैन ने बयान किया और उनसे इब्ने बुरैदा ने कहा कि मुझसे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने बयान किया, वो बवासीर के मरीज़ थे, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किसी आदमी के बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि अफ़ज़ल यही है कि खड़े होकर पढ़े क्योंकि बैठकर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा षवाब मिलता है और लेटे-लेटे पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा षवाब मिलता है।

(दीगर मक़ामात : 1116, 1117)

۱۱۱۵- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: ((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)). [طرفاه في ۱۱۱۶، ۱۱۱۷].

तशरीह: इस हदीष में एक उसूल बताया गया है कि खड़े होकर बैठकर या लेटकर नमाज़ों के षवाब में क्या तफ़ावत है। रही बात मसले की कि लेटकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ भी है या नहीं उससे कोई बहस नहीं की गई है। इसलिये इस हदीष पर ये सवाल नहीं हो सकता कि जब लेटकर नमाज़ जाइज़ ही नहीं तो हदीष में उस पर षवाब का कैसे जिक़्र हो रहा है? मुसन्निफ़ (रह.) ने भी इन अह्दादीष पर जो इन्वान लगाया है उसका मक़सद उसी उसूल की वज़ाहत है। उसकी तफ़्सीलात दूसरे मौक़ों पर शारेअ से खुद षाबित है। इसलिये अमली हुदूद में जवाज़ और अदमे जवाज़ का फ़ैसला उन्हीं तफ़्सीलात के पेशे-नज़र होगा। इस बाब की पहली दो अह्दादीष पर बहस पहले गुज़र चुकी है कि आँहज़रत (ﷺ) उज़्र की वजह से मस्जिद में नहीं जा सकते थे इसलिये आपने फ़र्ज़ नमाज़ अपनी क़यामगाह पर अदा की। सहाबा (रज़ि.) नमाज़ से फ़ारिग होकर इयादत के लिये हाज़िर हुए और जब आप (ﷺ) को नमाज़ पढ़ते देखा तो आप (ﷺ) के पीछे उन्होंने भी इक़्तिदा की निय्यत बाँध ली। सहाबा (रज़ि.) खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे, इसलिये आप (ﷺ) ने उन्हें मना कर दिया कि नफ़िल नमाज़ में इमाम की हालत के इस तरह ख़िलाफ़ मुक़्तदियों के लिये खड़ा होना मुनासिब नहीं है। (तफ़्हीमुल बुखारी, पारा नं. 5, पेज नं. 13) जो मरीज़ बैठकर भी नमाज़ न पढ़ सके तो वो लेटकर पढ़ सकता है। जिसके जवाज़ में कोई शक़ नहीं। इमाम के साथ मुक़्तदियों का बैठकर नमाज़ पढ़ना बाद में मन्सूख़ हो गया।

बाब 18 : बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ना

1116. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन मुअल्लिम ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने कि इमरान बिन हुसैन ने, जिन्हें बवासीर का मर्ज़ था। और कभी अबू मअमर ने यूँ कहा कि

۱۸- بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَاءِ
۱۱۱۶- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ

इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज़ पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा प्रवाब मिलेगा और लेटकर पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा प्रवाब मिलेगा। अबू अब्दुल्लाह (हज़रत इमाम बुखारी रह.) फ़र्माते हैं कि हदीष के अल्फ़ाज़ में नाइमुन मुज़तज़िउन के मा'नी में है। या'नी लेटकर नमाज़ पढ़ने वाला।

(राजेअ: 1115)

बाब 19 : जब बैठकर भी नमाज़ पढ़ने की ताक़त न हो तो करवट के बल लेट कर पढ़े

और अता (रह.) ने कहा कि अगर क़िब्ला रुख होने की भी ताक़त न हो तो जिस तरह का रुख हो उधर की नमाज़ पढ़ सकता है।

1117. हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे इब्राहीम बिन तह्मान ने, उन्होंने कहा कि मुझे हुसैन मुक्तिब ने (जो बच्चों को लिखना सिखाता था) बयान किया, उनसे इब्ने बुरैदा ने और उनसे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कहा कि मुझे बवासीर का मर्ज़ था। इसलिये मैंने नबी करीम (ﷺ) से नमाज़ के बारे में दरयाफ़्त किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करो अगर इसकी भी ताक़त न हो तो बैठकर और अगर इसकी भी न हो तो पहलू के बल लेटकर पढ़ लो। (राजेअ: 1115)

बाब 20 : अगर किसी शख्स ने नमाज़ बैठकर शुरू की लेकिन दौराने नमाज़ में वो तन्दुरुस्त हो गया या मर्ज़ में कुछ कमी महसूस की तो बाक़ी नमाज़ खड़े होकर पूरी करे और इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा कि मरीज़ दो रक़अत बैठकर और दो रक़अत खड़े होकर पढ़ सकता है।

1118. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीशी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम

حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَسْؤُورًا. وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ بِصَفِّ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ بِصَفِّ أَجْرِ الْقَاعِدِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَاهُنَا. [راجع: 1115]

۱۹- بَابُ إِذَا لَمْ يُطِيقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْخُولَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ.

۱۱۱۷- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ لِقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)).

[راجع: 1115]

۲۰- بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا لَمْ

صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِيفَةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَاعِدًا، وَرَكَعَتَيْنِ قَائِمًا.

۱۱۱۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غَرْوَةَ عَنْ

बिन इर्वा ने, उन्हें उनके बाप इर्वा बिन जुबैर ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका ने कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी बैठकर नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता जब आप (ﷺ) जड़फ़ हो गये तो क़िरअते कुर्आन नमाज़ में बैठकर करते थे, फिर जब रुकूअ का वक़्त आता तो खड़े हो जाते और फिर तक़रीबन तीस या चालीस आयतें पढ़कर रुकूअ करते।

(दीगर मक़ामात : 1119, 1148, 1161, 1168, 4837)

1119. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने, अब्दुल्लाह बिन यज़ीद और अब्दुरह्मान बिन औफ़ के गुलाम अबू नज़र ने ख़बर दी, उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुरह्मान बिन औफ़ ने, उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तहज्जुद की नमाज़ बैठकर पढ़ना चाहते तो क़िरअत बैठकर करते। जब तक़रीबन तीस-चालीस आयतें पढ़नी बाक़ी रह जाती तो आप उन्हें खड़े होकर पढ़ते। फिर रुकूअ और सज्दा करते फिर दूसरी रक़अत में भी इसी तरह करते। नमाज़ से फ़ारिग़ होने पर देखते कि मैं जाग रही हूँ तो मुझसे बातें करते लेकिन अगर मैं सोती होती आप (ﷺ) भी लेट जाते।

(राजेअ : 1118)

أَبُو عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ)).

[أطرافه في : 1119, 1148, 1161, 4837].

[1119, 1168].

1119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا قَبْرًا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً لَقَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَقَعُلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعُ)). [راجع: 1118]

19. किताबुत् तहज्जुद

तहज्जुद का बयान

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : रात में तहज्जुद पढ़ना और अल्लाह अज्ज व ज़ल्ल ने (सूरह बनी इस्राईल में) फ़र्माया, और रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़, ये आप (ﷺ) के लिये ज़्यादा हुक्म है

1120. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन इययना ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन अबी मुस्लिम ने बयान किया, उनसे ताऊस ने और उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात में तहज्जुद के लिये खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते। (जिसका तर्जुमा ये है) ऐ मेरे अल्लाह! हर तरह की ता'रीफ़ तेरे लिये ही ज़ेबा है, तू आसमान और ज़मीन और उनमें रहने वाली तमाम मख़लूक का सम्भालने वाला है और हम्द तमाम की तमाम बस तेरे ही लिये मुनासिब है। आसमानो-ज़मीन और उनकी तमाम मख़लूक़ात पर हुक्मत सिर्फ़ तेरे ही लिये है और ता'रीफ़ तेरे ही लिये है, तू आसमान और ज़मीन का नूर है और ता'रीफ़ तेरे ही लिये ज़ेबा है। तू सच्चा, तेरा वा'दा सच्चा, तेरी मुलाक़ात सच्ची, तेरा फ़र्मान सच्चा, जन्नत सच है, दोज़ख़ सच है अंबिया सच्चे हैं, मुहम्मद सच्चे हैं और क़यामत का होना सच है। ऐ मेरे अल्लाह! मैं तेरा ही फ़र्माबरदार हूँ और तुझी पर ईमान रखता हूँ, तुझी पर भरोसा है, तेरी ही तरफ़ रुजुअ करता हूँ, तेरी ही अता किए हुए दलाइल के जरिये बहष करता हूँ और तुझी को हक़म बनाता हूँ। पस, जो ख़ताएँ मुझसे पहले हुई हैं और जो बाद में होंगी उन सबकी मग़्फ़िरत फ़र्मा, ख़वाह वो

۱ - بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَقَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾

۱۱۲۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي
مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ
اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ،
وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ،
وَالْيَوْمُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَّمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ
حَاصَلْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

ज़ाहिर हो या पोशीदा। आगे करने वाला और पीछे रखने वाला तू ही है। मा'बूद सिर्फ़ तू ही है। या (ये कहा कि) तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं। अबू सुफ़यान ने कहा कि अब्दुल करीम अबू उमय्या ने इस दुआ में ये ज़्यादाती की है, ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुफ़यान ने बयान किया कि सुलैमान बिन मुस्लिम ने त्राऊस से ये हदीष सुनी थी, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम: 6317, 6318, 7380, 7442, 7499)

أَخْلَنْتُ، أَنْتَ الْمَقْدَمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ((وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[أطرافه في: ٦٣١٧، ٧٣٨٥، ٧٤٤٢]

[٧٤٩٩]

तशरीह: मसनून है कि तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठनेवाले खुशानसीब मुसलमान उठते ही पहले ये दुआ पढ़ लें। लफ़्जे तहज्जुद बाबे तफ़्ज़ल का मसदर है इसका मादा हजद है। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, अस्लुहू तर्कुल्हुजूद व हुवन्नौमु क़ाल इब्नु फ़ारिस अल्मुज्तहिदु अल्मुसल्लि लैलन फतहज्जद बिही अय उतरूकिल्हुजूद लिस्सलाति या'नी अज़ल इसका ये है कि रात को सोना नमाज़ के लिये तर्क कर दिया जाए। पस इस्तिलाही मा'नी मुतहजिद के मुसल्ला (नमाज़ी) के हैं जो रात में अपनी नींद को ख़ैर-आबाद कहकर नमाज़ में मशगूल हो जाएँ। इस्तिलाह में रात की नमाज़ को नमाज़े तहज्जुद से मौसूम किया गया। आयते शरीफ़ा के जुम्ले नाफिलतल्लक की तफ़्सीर में अल्लामा क़स्तलानी (रह.) लिखते हैं, फरीजतुन ज़ाइदतुन लक अलस्सलवातिल्मफरूज़ति खस्सस्तु बिहा मिन बैनि उम्मतिक रवत्तब्रानी बिस्नादिन ज़ईफ़िन अनिबि अब्बासिन अन्ननाफ़िलत लिन्नबिद्यि (ﷺ) लिअन्नहू अमर बिकियामिल्लैलति व कतब अलैहि दून उम्मतिही या'नी तहज्जुद की नमाज़ आँहज़रत (ﷺ) के लिये नमाज़े पंजगाना के अलावा फ़र्ज़ की गई और आपको इस बारे में उम्मत से मुम्ताज़ करार दिया गया के उम्मत के लिये ये फ़र्ज़ नहीं मगर आप पर फ़र्ज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने भी लफ़्ज़ नाफिलतल्लक की तफ़्सीर में फ़र्माया कि ये ख़ास तौर से आपके लिये एक फ़र्ज़ नमाज़ के है। आप (ﷺ) रात की नमाज़ के लिये मामूर किया गये और उम्मत के अलावा आप (ﷺ) पर उसे फ़र्ज़ करार दिया गया। लेकिन इमाम नववी (रह.) ने बयान किया कि बाद में आपके ऊपर से भी उसकी फ़र्ज़ियत को मन्सूख कर दिया गया था।

बहरहाल नमाज़े तहज्जुद फ़राइजे पंजगाना के बाद बड़ी अहम नमाज़ है जो पिछली रात में अदा की जाती है और उसकी ग्यारह रकअतें होती हैं; जिनमें आठ रकअतें दो-दो करके सलाम से अदा की जाती हैं और आख़िर में तीन रकअतें वित्र पढ़ी जाती है। यही नमाज़ रमज़ान में तरावीह से मौसूम की गई।

बाब 2 : रात की नमाज़ की फ़ज़ीलत का बयान

1121. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन यूसुफ़ सन्आनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मअमर ने हदीष बयान की (दूसरी सनद) और मुज़ से महमूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुरज़ज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मअमर ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्हें सालिम ने, उन्हें उनके बाप अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने बताया कि नबी करीम (ﷺ) की

٢- بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

١١٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا

ज़िन्दगी में जब कोई ख़्वाब देखता तो आप (ﷺ) से बयान करता (आप ﷺ ताबीर देते) मेरे भी दिल में ये ख़्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ख़्वाब देखता और आप (ﷺ) से बयान करता। मैं अभी नौजवान था और आप (ﷺ) के ज़माने में मस्जिद में सोता था। चुनाँचे मैंने ख़्वाब में देखा कि दो फ़रिश्ते मुझे पकड़कर दोज़ख़ की तरफ़ ले गये। मैंने देखा कि दोज़ख़ पर कुओं की तरह बन्दिश है। (या'नी उस पर कुओं की सी मुण्डेर बनी हुई है) उसके दो जानिब थे। दोज़ख़ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानता था। मैं कहने लगा, दोज़ख़ से अल्लाह की पनाह! उन्होंने बयान कि फिर हमको एक फ़रिश्ता मिला और उसने मुझे कहा डरो नहीं। (राजेअ : 440)

قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَمَنَّتْ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقْصَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ النَّبْرِ، وَإِذَا لَهَا قُرْآنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ لَدَى عَرَاقِئِهِمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ فَلَقِينَا مَلَكَ آخَرَ فَقَالَ لِي: لَمْ تَرَوْهُ. [راجع: ٤٤٠]

1122. ये ख़्वाब मैंने (अपनी बहन) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) को सुनाया और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को। ताबीर में आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बहुत ख़ूब लड़का है। काश रात में नमाज़ पढ़ा करता। (रावी ने कहा कि आप ﷺ के इस फ़र्मान के बाद) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रात में बहुत कम सोते थे (ज्यादा इबादत ही करते रहते)।

(दीगर मक़ाम : 1158, 3839, 3808, 3841, 8016, 8029, 8031)

١١٢٢- فَقَصَّصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّصْتُهَا حَفْصَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((بِعَمِّ الرَّجُلِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

[أطرافه في : ١١٥٧، ٣٧٣٩، ٣٧٥٧، ٣٧٤١، ٧٠٢٩، ٧٠٣١، ٧٠١٦]

तशरीह :

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के उस ख़्वाब को आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी रात में ग़फ़लत की नींद पर महमूल किया और इर्शाद फ़र्माया कि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं मगर इतनी कसर है कि रात को नमाज़े तहज्जुद नहीं पढ़ते। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नमाज़े तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का मा'मूल बना लिया, इससे मा'लूम हुआ कि नमाज़े तहज्जुद की बेहद फ़ज़ीलत है। इस बारे में कई अहदादीष मरवी हैं। एक बार आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि, अलैकुम बिक्रियामिल्लैलि फइन्नहू दाबुस्सालिहीन क़ब्बुकुम या'नी अपने लिये नमाज़े तहज्जुद को लाज़िम कर लो ये तमाम स़ालेहीन नेकोकार बन्दों का तरीका है। हदीष से ये भी निकलता है कि रात में तहज्जुद पढ़ना दोज़ख़ से नजात पाने का सबब है। हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को उनकी वालिदा ने नसीहत की थी कि रात बहुत सोना अच्छा नहीं जिससे आदमी क़यामत के दिन मुहताज होकर रह जाएगा।

बाब 3 : रात की नमाज़ में

लम्बे सज्दे करना

1123. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे इर्वाने ख़बर

٣- بَابُ طَوْلِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ

اللَّيْلِ

١١٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرُؤَةُ

दी और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रात में) ग्यारह रकअत पढ़ते थे आप (ﷺ) की यही नमाज़ थी। लेकिन इसके सज्दे इतने लम्बे हुआ करते कि तुम से कोई नबी (ﷺ) के सर उठाने से पहले पचास आयतें पढ़ सकता था। (और तुलूअ-फ़ज़्र होने पर) फ़ज़्र की नमाज़ से पहले आप (ﷺ) दो रकअत सुन्नत पढ़ते। इसके बाद दाईं पहलू पर लेट जाते। आख़िर मुअज़्ज़िन आपको नमाज़ के लिये बुलाने आता।

(राजेअ: 626)

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ بِلَا صَلَاةٍ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَنَادِي

[للصَّلَاةِ]. [راجع: ٦٢٦]

तशरीह:

फ़ज़्र की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर के लिये दाहिनी करवट पर सो जाना आँहज़रत (ﷺ) का मा' मूल था। जिस क़द्र रिवायात फ़ज़्र की सुन्नतों के बारे में मरवी हैं उनसे बेशतर में इस इज्तिजाअ का ज़िक्र मिलता है, इसलिये अहले हदीष का ये मा' मूल है कि वो आँहज़रत (ﷺ) की हर सुन्नत और आपकी हर मुबारक आदत को अपने लिये सरमाया-ए-नजात जानते हैं। पिछले कुछ मुतअक्किब व तशहुद किस्म के कुछ हनफ़ी उलमाने इस लेटने को बिदअत क़रार दे दिया था; मगर आजकल संजीदगी का दौर है, इसमें कोई ऊट-पटांग बात हाँक देना किसी अहले इल्म के लिये ज़ेबा नहीं, इसीलिये आजकल के संजीदा उलमा-ए-अहनाफ़ ने पहले तशहुद व ख्याल वालों की तदीद की है और स़ाफ़ लफ़्ज़ों में आँहज़रत (ﷺ) के इस फ़ेअल का इक़रार किया है। चुनाँचे स़ाहबे तफ़हीमुल बुख़ारी के यहाँ ये अल्फ़ाज़ हैं, 'इस हदीष से सुन्नते फ़ज़्र के बाद लेटने का ज़िक्र है, अहनाफ़ की तरफ़ इस मसले की निम्बत ग़लत है कि उनके नज़दीक सुन्नते फ़ज़्र के बाद लेटना बिदअत है। इसमें बिदअत का कोई सवाल ही नहीं। ये तो हुज़ूर (ﷺ) की आदत थी, इबादात से उसका कोई ता'ल्लुक ही नहीं अलबत्ता ज़रूरी समझकर फ़ज़्र की सुन्नतों के बाद लेटना पसंदीदा नहीं ख्याल किया जा सकता, इस हैषियत से कि ये हुज़ूर (ﷺ) की एक आदत थी उसमें अगर आप (ﷺ) की इतिबाअ की जाए तो ज़रूर अज़ो-प्रवाब मिलेगा।'

फ़ाज़िल मौसूफ़ ने बहरहाल इस आदते नबवी पर अमल करनेवालों के लिये अज़ो-प्रवाब का फ़त्वा दिया है। बाकी ये कहना कि इबादात से उसका कोई ता'ल्लुक नहीं है ग़लत है, मौसूफ़ को मा' लूम होगा कि इबादात हर वो काम है जो आँहज़रत (ﷺ) ने दीनी उमूर में तक़्रूबे इललल्लाह के लिये अंजाम दिया। आप (ﷺ) का ये लेटना भी तक़्रूबे इललल्लाह ही के लिये होता था क्योंकि दूसरी रिवायत में मौजूद है कि आप (ﷺ) उस वक़्त लेटकर ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मज़अल फ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी बसरी नूरन व फ़ी समई नूरन व अय्यमीनी नूरन व अय्यसारी नूरन व फौक़ी नूरन व तहती नूरन व अमामी नूरन व खल्फ़ी नूरन व ज़अल ली नूरन व फ़ी लिसानी नूरन व फ़ी असबी नूरन व लहमी नूरन व दमी नूरन व शअरी नूरन व बिशरी नूरन व ज़अल फ़ी नफ़्सी नूरन व अज़म ली नूरन अल्लाहुम्म अअतिनी नूरन (सहीह मुस्लिम) इस दुआ के बाद कौन जी-अक्ल ये कह सकता है कि आपका ये काम सिर्फ़ आदत ही से मुता'ल्लिक था और बिल फ़र्ज़ आप (ﷺ) की आदत ही सही बहरहाल आपके सच्चे फ़िदाइयों के लिये आप (ﷺ) की हर अदा, आप (ﷺ) की हर आदत, आपका हर तौर-तरीक़-ए-ज़िंदगी, बाअिषे स़द फ़ख़्र व मुबाहात है। अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन!

बा मुस्तफ़ा बरसाँ खुवैश रा कि दीन हमा ऊस्त

व गर बा व न रसीदी तमाम बूलहबी अस्त

आप (ﷺ) सज्दे में ये बार-बार कहा करते सुबहानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मग़फ़िल्ली एक रिवायत में यूँ है, सुबहानक ला इलाहा इल्ला अन्त सलफ़ स़ालेहीन भी आँहज़रत (ﷺ) की पैरवी में लम्बा सज्दा करते। अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) इतनी देर तक सज्दे में रहते कि चिड़िया उतरकर उनकी पीठ पर बैठ जाती और समझती

कि ये कोई दीवार है। (वहीदी)

बाब 4 : मरीज़ बीमारी में तहज्जुद तर्क कर सकता है

1124. हमसे अबू नु'एम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान शौरी ने अस्वद बिन क्रैस से बयान किया, कहा कि मैंने जुन्दुब (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) बीमार हुए तो एक या दो रात तक (नमाज़ के लिये) न उठ सके। (दीगर मक़ाम: 1125, 4950, 4951, 4973)

1125. हमसे मुहम्मद बिन क़श़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें सुफ़यान शौरी ने अस्वद बिन क्रैस से ख़बर दी, उनसे जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम (एक मर्तबा चन्द दिनों तक) नबी करीम (ﷺ) के पास (वह्य लेकर) नहीं आए तो कुरैश की एक औरत (उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी) ने कहा कि अब इसके शैतान इसके पास आने से देर लगाई। इस पर ये सूरत उतरी (वज़्जुहा वल लैयलि इज़ा सजा, मा वह़अक रब्बुका वमा क़ला)

(राजेअ: 1124)

तशरीह:

तर्जुमा ये है क़सम है चाशत के वक़्त की और क़सम है रात की जब वो ढांप ले तैरे मालिक ने न तुझको छोड़ा न तुझसे गुस्सा हुआ। इस हदीष की मुनासबत बाब के तर्जुमे से मुश्किल है और असल ये है कि ये हदीष अगली हदीष का ततिम्मा है। जब आप (ﷺ) बीमार हुए थे तो रात का क़याम छोड़ दिया था। उसी ज़माने में हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने भी आना मौकूफ़ (स्थगित) कर दिया और शैतान अबू लहब की बीवी (उम्मे जमील बिनते हर्ब उखते अबी सुफ़यान इम्रते अबी लहब हम्मालतुल हतब) ने ये फ़िक़रा कहा। चुनाँचे इब्ने अबी हातिम ने जुंदब (रज़ि.) से रिवायत किया कि आप (ﷺ) की उँगली को पत्थर की मार लगी और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हल अन्ति इज़्बड़न दमैति व फी सबिलिल्लाहि मा लकीति तू है क्या एक उँगली है अल्लाह की राह में तुझको मार लगी खून-आलूदा हुई। उसी तकलीफ़ से आप (ﷺ) दो-तीन दिन तहज्जुद के लिये भी न उठ सके तो एक औरत (मज़क़ूरा उम्मे जमील) कहने लगीं मैं समझती हूँ कि अब तेरे शैतान ने तुझको छोड़ दिया है। उस वक़्त ये सूरह उतरी वज़्जुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वह़अक रब्बुका वमा क़ला (वज़्जुहा, 1-3)। (वहीदी)

अहदीषे गुज़िशता को बुखारी शरीफ़ के कुछ नुस्खों में लफ़ज़ ह से नक़ल करके दोनों को एक ही हदीष शुमार किया गया है।

बाब 5 : नबी करीम (ﷺ) का रात की नमाज़ और नवाफ़िल पढ़ने के लिये राग़बत दिलाना लेकिन वाजिब न करना. एक रात नबी करीम (ﷺ) हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली (रज़ि) के पास रात की

٤- بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

١١٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: ((اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ)). (أطرافه في : ١١٢٥، ٤٩٥٠، ٤٩٨٣).

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَاحْتَسَنَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ))، فَتَرَلَّتْ: ((وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)).

[راجع: ١١٢٤]

٥- بَابُ تَحْرِيطِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِنْجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا

नमाज़ के लिये जगाने आए थे

1126. हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें मअमर ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्हें हिन्द बिनत हारिष ने और उन्हें उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक रात जागे तो फ़र्माया, सुबहानल्लाह! आज रात क्या-क्या बलाएँ उतरी है और साथ ही (रहमत और इनायत के) कैसे ख़ज़ाने नाज़िल हुए हैं। इन हुज्जे वालों (अज़वाजे - मुत्तहहरात रज़ि.) को कोई जगाने वाला है, अफ़सोस! दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वाली औरतें आख़िरत में नंगी होंगी। (राजेअ: 115)

1128. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे हज़रत ज़ैनुल आबेदीन अली बिन हुसैन ने ख़बर दी, उन्हें हज़रत हुसैन बिन अली (रज़ि.) ने ख़बर दी कि अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रात उनके और फ़ातिमा (रज़ि.) के पास आए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्या तुम लोग (तहज्जुद की) नमाज़ नहीं पढ़ोगे? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी रूहें अल्लाह के क़ब्जे में हैं, वो जब चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस अर्ज़ पर आप वापस तशरीफ़ ले गए। आपने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप (ﷺ) रान पर हाथ मार कर (सूरह कहफ़ की ये आयत पढ़ रहे थे) आदमी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है।

(दीगर मक़ाम: 4724, 7348, 7465)

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةَ لِلصَّلَاةِ

١١٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةَ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، مَنْ يَوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رَبُّ كَأْسِيَةِ فِي الدُّنْيَا غَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ.

[راجع: ١١٥]

١١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ فَقَالَ: ((أَلَا تَصَلِّيَانِ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَوْلٍ يَضْرِبُ لِحْذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا».

[أطرافه في: ٤٧٢٤، ٧٣٤٧، ٧٤٦٥].

तशरीह: या'नी आप (ﷺ) ने हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रते फ़ातिमा (रज़ि.) को रात की नमाज़ की तरफ़ रग़बत दिलाई लेकिन हज़रत अली (रज़ि.) का बहाना सुनकर आप चुप हो गये। अगर नमाज़ फ़र्ज़ होती तो हज़रत अली (रज़ि.) का बहाना क़ाबिले कुबूल न होता। अलबत्ता जाते वक़्त अफ़सोस का इज़हार ज़रूर कर दिया।

मौलाना वहीदुज्जमाँ (रह.) लिखते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) का जवाब हकीकत में दुरुस्त था मगर उसका इस्ते'माल उस मौक़े पर दुरुस्त न था क्योंकि दुनियादार को तकलीफ़ है उसमें नफ़्स पर ज़ोर डालकर तमाम अवामिरे इलाही को बजा लाना चाहिये। तक्रदीर पर तकिया कर लेना और इबादत से क़ासिर होकर बैठना (छोड़ देना) और जब कोई अच्छी

बात का हुक्म दे तो तक्रदीर के इवाले करना कज-बहषी और झगड़ा है। तक्रदीर का ए'तिक्राद इसलिये नहीं है कि आदमी अपाहिज होकर बैठ जाए और तदब्बुर से गाफ़िल हो जाए। बल्कि तक्रदीर का मतलब ये है कि सब कुछ मेहनत और मशक़त और अस्बाब हासिल करने में कोशिश करे मगर ये समझता रहे कि होगा वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। चूँकि रात का वक़्त था और हज़रत अली (रज़ि.) आप (ﷺ) से छोटे थे और दामाद थे; लिहाज़ा आप (ﷺ) ने उस मौक़े पर लम्बी बहष और सवाल-जवाब को नामुनासिब समझकर कुछ जवाब न दिया मगर आप (ﷺ) को उस जवाब से अफ़सोस हुआ।

1128. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब जुहरी से बयान किया, उनसे उर्वा ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक काम को छोड़ देते और और आप (ﷺ) को उसका करना नापसन्द होता। इस ख़याल से तर्क कर देते कि दूसरे सहाबा (रज़ि.) भी इस पर (आप (ﷺ) को देखकर) अमल शुरू कर दें और इस तरह वो काम उन पर फ़र्ज़ हो जाए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाशत की नमाज़ कभी नहीं पढ़ी लेकिन मैं पढ़ती हूँ। (दीगर मक़ाम : 1188)

۱۱۲۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشِيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضُ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَةَ الصُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسْبِخُهَا)).

[طرفه في: ۱۱۷۷].

हज़रत आइशा (रज़ि.) को शायद वो किस्सा मा'लूम न होगा जिसको उम्मे हानी ने नक़ल किया कि आप (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन चाशत की नमाज़ पढ़ी। बाब का मतलब हदीष से यूँ निकलता है कि चाशत की नफ़ल नमाज़ का पढ़ना आप (ﷺ) को पसंद था। जब पसंद हुआ तो गोया आप (ﷺ) ने उस पर तर्गीब दिलाई और फिर उसको वाजिब न किया क्योंकि आप (ﷺ) ने खुद उसको नहीं पढ़ा। कुछ ने कहा कि आपने कभी चाशत की नमाज़ पढ़ी ही नहीं, उसका मतलब ये है कि आप (ﷺ) ने हमेशगी के साथ कभी नहीं पढ़ी क्योंकि दूसरी रिवायत से आपका ये नमाज़ पढ़ना षाबित है।

1129. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब जुहरी ने, उन्हें उर्वा बिन जुबैर ने, उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, सहाबा ने भी आपके साथ ये नमाज़ पढ़ी, दूसरी रात भी आपने ये नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ियों की ता'दाद बहुत बढ़ गई। तीसरी या चौथी रात तो पूरा इज्तिमा ही हो गया था। लेकिन नबी करीम (ﷺ) उस रात नमाज़ पढ़ाने तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह के वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोग जितनी बड़ी ता'दाद में जमा हो गये थे मैंने उसे देखा लेकिन मुझे बाहर आने से इस ख़याल ने रोका कि कहीं तुम पर ये नमाज़

۱۱۲۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسًا، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثَرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: ((قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَتَمَّ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي

फ़र्ज़ न हो जाए। ये रमज़ान का वाक़िआ था। (राजेअ : 729)

(رَمَضَانَ)). [راجع : ٧٢٩]

तशरीह : इस हदीष से ये प्राबित हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ने चंद रातों में रमज़ान की नफ़ल नमाज़ सहाबा किराम (रज़ि.) को जमाअत से पढ़ाई, बाद में इस ख़याल से कि कहीं ये नमाज़ फ़र्ज़ न हो जाए आप (ﷺ) ने जमाअत के एहतिमांम को तर्क कर दिया। इससे रमज़ान शरीफ़ में नमाज़ तरावीह बाजमाअत की मशरूइयत प्राबित हुई। आप (ﷺ) ने नफ़ल नमाज़ ग्यारह रकआत पढ़ाई थी। जैसा कि हज़रते आइशा (रज़ि.) का बयान है। चुनाँचे अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, व अम्मलअददुष्प्राबितु अन्हु (ﷺ) फ़ी सलातिही फ़ी रमज़ान फअखरजल्बुख़ारी व गैरहू अन आइशत अन्नहा क़ालत मा कानन्नबिय्यु (ﷺ) यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी गैरिही अला इहदा अशरत रकअतन व अखरज्बनु हिब्बान फ़ी सहीहिन मिन हदीषि जाबिरिन अन्हू (ﷺ) सल्ला बिहिम प्रमान रकआतिन घुम्म औतर (नैलुल औतार) और रमज़ान की उस नमाज़ में जो आँहज़रत (ﷺ) से अदद सहीह सनद के साथ प्राबित हैं वो ये कि हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि आप (ﷺ) ने रमज़ान और गैर रमज़ान में उस नमाज़ को ग्यारह रकआत से ज़्यादा अदा नहीं करते और मुस्नद इब्ने हिब्बान में सहीह सनद के साथ मज़ीद वज़ाहत से मौजूद है कि आपने आठ रकअतें पढ़ाई फिर तीन वित्र पढ़ाए।

पस प्राबित हुआ कि आप (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को रमज़ान में तरावीह बाजमाअत ग्यारह पढ़ाई थीं और तरावीह व तहज्जुद में यही अदद मसनून है, बाक़ी तपस्सीलात अपने मुक़ाम पर आएँगी। इशाअल्लाह तआला।

बाब 6 : आँहज़रत (ﷺ) रात की नमाज़ में इतनी देर तक खड़े रहते कि पाँव सूज जाते

٦- بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَرْمَ قَدَمَاهُ

और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप (ﷺ) के पाँव फट जाते थे। फ़तूर के मा'नी अरबी ज़बान में फटना और कुआन करीम में लफ़ज़ इन्फ़तरत इसी से है या'नी आसमान फट जाए।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَفْطُرَ قَدَمَاهُ: وَالْفُطُورُ: الشَّقُوقُ. انْفَطَرَتْ: انشَقَّتْ.

1130. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे मिस्अर ने बयान किया, उनसे ज़ियाद बिन अलाक़ा ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) को ये कहते सुना कि नबी करीम (ﷺ) इतनी देर तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहते कि आप (ﷺ) का क़दम या (ये कहा कि) पिण्डलियों पर वरम आ जाता, जब आप (ﷺ) से इसके मुता'ल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया जाता तो फ़र्माते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ। (दीगर मक़ाम : 4836, 6481)

١١٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ أَوْ لَيَصَلِّي حَتَّى تَرْمَ قَدَمَاهُ - أَوْ سَأَاهُ - فَيَقَالَ لَهُ، فَيَقُولُ: ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)).

[طرفاه ني : ٤٨٣٦، ٦٤٧١]

सूरह मुज़म्मिल के शुरू नुज़ूल के ज़माने में आप (ﷺ) का यही मा'मूल था कि रात के अक़बर हिस्सों में आप इबादत में मशगूल रहते थे।

बाब 8 : जो शख़स सहर के वक़्त सो गया

1131. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया कि अम्र बिन औस ने उन्हें ख़बर दी

٧- بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحْرِ

١١٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस (रज़ि.) ने खबर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि सब नमाज़ों में अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्दीदा नमाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज़ है और रोज़ों में भी दाऊद अलैहिस्सलाम ही का रोज़ा। आप आधी रात तक सोते, उसके बाद तिहाई रात नमाज़ पढ़ने में गुज़ारते फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते। इसी तरह आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1152, 1153, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5196134, 6277)

أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَيَّ اللَّهُ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَيَّ اللَّهُ صِيَامَ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)).

[أطرافه في : 1152, 1153, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5196134, 6277]

1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5196134, 6277

1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5196134, 6277

1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5196134, 6277

[1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 5196134, 6277]

रात के बारह घण्टे होते हैं तो पहले छः घण्टे में सो जाते, फिर चार घण्टे इबादत करते, फिर दो घण्टे सोए रहते। गोया सहर के वक़्त सोते रहते यही बाब का तर्जुमा है।

1132. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप उम्रान बिन जबला ने शुअबा से खबर दी, उन्हें अशअष ने कहा कि मैंने अपने बाप (सुलेम बिन अस्वद) से सुना और मेरे बाप ने मसरूक से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) को कौनसा अमल ज़्यादा पसन्द था? आपने जवाब दिया कि जिस पर हमेशगी की जाए (ख़वाह वो कोई भी नेक काम हो) मैंने दरयाफ़्त किया कि आप (रात में नमाज़ के लिये) कब खड़े होते थे? आपने फ़र्माया कि जब मुर्ग की आवाज़ सुनते। हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमें अबुल अहवस बिन सलाम बिन सुलैम ने ख़बर दी, उनसे अशअष ने बयान किया कि मुर्ग की आवाज़ सुनते ही आप (ﷺ) खड़े हो जाते और नमाज़ पढ़ते। (दीगर मक़ाम : 6361, 6462, 6463)

1132 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: الذَّائِمُ قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ)). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ: ((إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى)).

[طرفاه في : 6361, 6462, 6463]

तशरीह: कहते हैं कि पहले पहल मुर्ग आधी रात के वक़्त बांग देता है। अहमद और अबू दाऊद में है कि मुर्ग को बुरा मत कहो वो नमाज़ के लिये जगाता है। मुर्ग की आदत है कि फ़ज़्र तुलूअ होते ही और सूरज के ढलने पर बांग देता है। ये अल्लाह की कुदरत है। पहले हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) की शब बेदारी का हाल बयान किया। फिर हमारे पैग़म्बर (ﷺ) का भी अमल उसके मुताबिक़ षाबित किया तो इन दोनों हदीषों से ये निकला कि आप

अव्वल शब में आधी रात तक सोते रहते और फिर मुर्ग की बांग के वक़्त या'नी आधी रात पर उठते। फिर आगे की हदीष से ये प्राबित किया सहर को आप सोते होते। पस आप (ﷺ) और हज़रत दारुद (अलैहिस्सलाम) का अमल यक्साँ हो गया। इराक़ी ने अपनी किताब सीरत में लिखा है कि आँहज़रत (ﷺ) के यहाँ एक सफ़ेद मुर्ग़ था। वल्लाहु अज़लम।

1133. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, कहा कि मेरे बाप सअद बिन इब्राहीम ने अपने चचा अबू सलमा से बयान किया कि हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने बतलाया कि उन्होंने अपने यहाँ सहर के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) को हमेशा लेटे हुए पाया।

۱۱۳۳- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا أَلْفَاهُ السَّحْرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا)) تَغْفِي النَّبِيَّ ﷺ.

आदते मुबारका थी कि तहज्जुद से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) फ़ज़ के प हले सहर के वक़्त थोड़ी देर आराम करते थे हज़रत आइशा (रज़ि.) यही बयान करती रही हैं।

बाब 8 : इस बारे में जो सहरी खाने के बाद सुबह की नमाज़ पढ़ने तक नहीं सोया

۸- بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

1134. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे रौह बिन इबादा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) और ज़ैद बिन मालिक (रज़ि.) दोनों ने मिलकर सेहरी खाई, सेहरी से फ़ारिग़ होकर आप नमाज़ के लिये खड़े हो गये और दोनों ने नमाज़ पढ़ी। हमने अनस (रज़ि.) से पूछा कि सेहरी से फ़ाराग़त और नमाज़ शुरू करने के दरम्यान कितना फ़ासला रहा होगा? आपने जवाब दिया कि इतनी देर में एक आदमी पचास आयतें पढ़ सकता है।

۱۱۳۴- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا. فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً)).

(राजेअ: 576)

[راجع: ۵۷۶]

तशरीह: इमाम बुखारी (रह.) यहाँ ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो अह्लादीष बयान हुई हैं, उनसे प्राबित होता है कि आप (ﷺ) तहज्जुद पढ़कर लेट जाया करते थे और फिर मुअज़्जिन सुबह की नमाज़ की ख़बर देने आता था लेकिन ये भी आप (ﷺ) से प्राबित है कि उस वक़्त लेटते नहीं थे बल्कि सुबह की नमाज़ पढ़ते थे। आप (ﷺ) का ये मा'मूल रमज़ान के महीने में था कि सहर के बाद थोड़ा सा तवक्कुफ़ फ़र्माते फिर फ़ज़ की नमाज़ अँधेरे में ही शुरू कर देते थे (तफ़हीमुल बुखारी)। पस मा'लूम हुआ कि फ़ज़ की नमाज़ ग़लस (अँधेरे-अँधेरे) में पढ़ना सुन्नत है जो लोग इस सुन्नत का इंकार करते हैं और फ़ज़ की नमाज़ हमेशा सूरज निकलने के क़रीब पढ़ते हैं वो यकीनन सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हैं।

बाब 9 : रात के क़याम में नमाज़ को लम्बा करना (या'नी क़िरअत बहुत करना)

1135. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने आ'मश से बयान किया, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक मर्तबा रात की नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने इतना लम्बा क़याम किया कि मेरे दिल में एक ग़लत ख़याल पैदा हो गया। हमने पूछा वो ग़लत ख़याल क्या था तो अपने बतलाया कि मैंने सोचा कि बैठ जाऊँ और नबी करीम (ﷺ) का साथ छोड़ दूँ।

ये एक वस्वसा था जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के दिल में आया था मगर वो फ़ौरन सम्भलकर उस वस्वसे से बाज़ आ गए। हदीष से ये निकला कि रात की नमाज़ में आप बहुत लम्बी क़िरअत करते थे।

1136. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे हुसैन बिन अब्दुरहमान ने उनसे अबू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब रात में तहज्जुद के लिये खड़े होते तो पहले अपना मुँह मिस्वाक से ख़ूब स़ाफ़ करते।

(राजेअ: 245)

۹- بَابُ طُولِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
۱۱۳۵- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
(صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ
قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوَاءٍ. قُلْنَا: وَمَا
هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ
النَّبِيَّ ﷺ)).

۱۱۳۶- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ
يَشْوِصُ فَاةً بِالسَّوَاكِ)).

[راجع: ۲۴۵]

तहज्जुद के लिये मिस्वाक का ख़ास एहतिमाम इसलिये था कि मिस्वाक कर लेने से नींद का खुमार बख़ूबी उतर जाता है। आप (ﷺ) इस तरह नींद का खुमार उतारकर लम्बा क़याम करने के लिये अपने को तैयार फ़र्माते। यहाँ इस हदीष और बाब में यही वजह मुताबक़त है।

बाब 10 : नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ की क्या कैफ़ियत थी? और रात की नमाज़ क्योंकर पढ़नी चाहिये?

1138. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया एक शाख्स ने दरयाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया दो-दो रकअत और जब तुलूअे-सुबह होने का अन्देशा हो तो एक रकअत वित्र पढ़ कर अपनी सारी नमाज़ को ताक़ बना ले। (राजेअ: 482)

۱۰- بَابُ كَيْفِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ
كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟
۱۱۳۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آتَيْتَ صَلَاةَ اللَّيْلِ؟ قَالَ:
(مَتَى، مَتَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ قَاوِرًا
بِوَأْحِدَةٍ)). [راجع: ۴۷۲]

तशरीह:

रात की नमाज़ की कैफ़ियत बतलाई कि वो दो-दो रक़आत पढ़ी जाएँ। इस तरह आख़िर में एक रक़अत वित्र पढ़कर उसे त़ाक़ बना लिया जाए। इसी आधार पर रात की नमाज़ जिसका नाम रमज़ान के अलावा दिनों में तहज्जुद है, और रमज़ान में तरावीह, ग्यारह रक़अत पढ़ना मसनून है जिसमें आठ रक़अतें दो-दो रक़अत के सलाम से पढ़ी जाएगी फिर आख़िर में तीन रक़अत वित्र होंगे या दस रक़आत अदा करके आख़िर में एक रक़अत वित्र पढ़ लिया जाए और अगर फ़ज़्र करीब हो तो फिर जिस क़दर भी रक़अतें पढ़ी जा चुकी हैं उन पर इक्तिफ़ा करते हुए एक रक़अत वित्र पढ़कर उनको त़ाक़ बना लिया जाए। इस हदीष से साफ़ एक रक़अत वित्र प्राबित है। मगर हनफ़ी हज़रात एक रक़अत वित्र का इंकार करते हैं।

इस हदीष के तहत अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, व हुव हुज्जतुन लिशशाफ़ि इय्यति अला जवाज़िल्ईतारि बिरक़अतिन वाहिदतिन क़ालन्नववी व हुव मज़हबुल्जुम्हूरि व क़ाल अबू हनीफ़त ला यस्हिह्हु बिवाहिदतिन व ला तकूरुर्कअतुल्वाहिदतु मलातन क़तु वलअहादीषुस्सहीहतु तरूहु अलैहि या'नी इस हदीष से एक रक़अत वित्र का सहीह होना प्राबित हो रहा है और जुम्हूर का यही मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) इसका इंकार करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि एक रक़अत कोई नमाज़ नहीं होती हालाँकि अहादीषे सहीहा उनके इस ख़याल की तर्दीद कर रही है।

1138. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे शुअबा ने कहा कि मुझसे अबू हम्ज़ा ने बयान किया और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ तेरह रक़अत होती थी।

1139. हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें इस्राईल ने ख़बर दी, उन्हें अबू हुसैन इब्मान बिन आसिम ने, उन्हें यह्या बिन वफ़्हाब ने, उन्हें मसरूक़ बिन अजदअ ने, आपने कहा कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ के मुता'ल्लिक़ पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि आप सात, नौ और ग्यारह तक रक़अतें पढ़ते थे। फ़ज़्र की सुन्नत इसके सिवा होती।

रात की नमाज़ से मुराद ग़ैर रमज़ान में नमाज़े तहज्जुद और रमज़ान में नमाज़े तरावीह है।

1140. हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हन्ज़ला बिन अबू सुफ़यान ने ख़बर दी, उन्हें कासिम बिन मुहम्मद ने और उन्हें हज़रत आइशा सिदीका (रज़ि.) ने, आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) रात में तेरह रक़अत पढ़ते थे। वित्र और फ़ज़्र की दो रक़अत सुन्नत इसी में होतीं।

۱۱۳۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ
صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَغْنِي
بِاللَّيْلِ)).

۱۱۳۹- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ
أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ
مَسْرُوقٍ قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ
فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَسَبْعٌ وَإِخْدَى عَشْرَةَ،
سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ)).

۱۱۴۰- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةً، مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ)).

तशरीह:

वित्र समेत या'नी दस रकअतें दो-दो करके तहज्जुद पढ़ते। फिर एक रकअत पढ़कर सबको ताक कर लेते। ये ग्यारह रकअतें तहज्जुद और वित्र की थीं और दो फ़ज़्र की सुन्नतें मिलाकर तेरह रकअतें हुई क्योंकि हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीष में है कि आप (ﷺ) रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में कभी ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जिन रिवायात में आप (ﷺ) का बीस रकअतें तरावीह पढ़ना मज़कूर है वो सब ज़ईफ़ और नाकाबिले एहतिजाज हैं।

बाब 11 : आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ रात में और सो जाना और रात की नमाज़ में से जो मन्सूख हुआ (उसका बयान)

और अल्लाह तआला ने इसी बाब में (सूरह मुज़ज़म्मिल में) फ़र्माया ऐ कपड़ा लपेटने वाले! रात को (नमाज़ में) खड़ा रह आधी रात या उससे कुछ कम सबहन तवीला तक। और फ़र्माया अल्लाह पाक जानता है कि तुम रात की इतनी इबादत निबाह न सकोगे तो तुम को माफ़ कर दिया। वस्तफ़िरुल्लाह इन्नल्लाह ग़फ़ूरुर्हीम तक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि कुआन में जो लफ़ज़ नाशितल्लैल है तो नशा के मा'नी हब्शी ज़बान में खड़ा हुआ और वता के मा'नी मुवाफ़िक़ होना या'नी रात का कुआन कान और आँख और दिल को मिलाकर पढ़ा जाता है।

इसको भी अब्द बिन हुमैद ने वर्रुल किया या'नी रात को सुकूत (खामोशी) की वजह से और खामोशी से कुआन पढ़ने में दिल और जुबान और कान और आँख सब उसी की तरफ़ मुतवज्जह रहते हैं। वरना दिन को आँख किसी तरफ़ पड़ती है, कान किसी तरफ़ लगता है, दिल कहीं और होता है।

1141. हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे हुमैद तवील ने, उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी महीने में रोज़ा न रखते तो ऐसा मा'लूम होता कि अब आप इस महीने में रोज़ा नहीं रखेंगे और अगर किसी महीने में रोज़ा रखना शुरू करते तो ये ख़याल होता कि अब आपका इस महीने का एक दिन भी बग़ैर रोज़े के नहीं रह जाएगा और रात को नमाज़ तो ऐसी पढ़ते थे कि तुम जब चाहते आपको नमाज़ पढ़ते देख लेते और जब चाहते सोता देख लेते। मुहम्मद बिन जा'फ़र के साथ इस हदीष को सुलैमान और अबू ख़ालिद ने भी हुमैद से रिवायत किया है।

(दीगर मक़ाम : 1972, 1973, 3061)

तशरीह:

इसका मतलब ये है कि आप (ﷺ) सारी रात सोते भी नहीं थे और सारी रात जागते और इबादत भी नहीं करते थे। हर रात में सोते और इबादत भी करते तो जो शख्स आप (ﷺ) को जिस हाल में देखना चाहता देख लेता

١١ - بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَتَوْبِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ لِمَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، يَصْفَهُ إِلَى قَوْلِهِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، إِلَى قَوْلِهِ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَشَأَ قَامَ بِالْحَشِيَّةِ. وَطَأَ مَوَاطَاةَ الْقُرْآنِ، أَشَدُّ مَوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. يُوَاطِنُوا: يُوَافِقُوا.

١١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا. وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ)). تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ.

[أُضْرَافُهُ فِي: ١٩٧٢، ١٩٧٣، ٣٥٦١].

था। कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी रात जागना और इबादत करना या हमेशा रोज़े रखना आँहज़रत (ﷺ) की इबादत से बढ़कर है। उनको इतना शुज़ूर नहीं कि सारी रात जागते रहने से, हमेशा रोज़ा रखने से नफ़्स को आदत हो जाती है फिर उसको इबादत में कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। मुश्किल यही है कि रात को सोने की आदत भी रहे उसी तरह दिन में खाने-पीने की आदत और फिर नफ़्स पर ज़ोर डालकर जब जी चाहे उसकी आदत तोड़े। मीठी नोंद से मुँह मोड़े। पस जो आँहज़रत (ﷺ) ने किया वही अफ़ज़ल और वही आला और वही मुश्किल है। आप (ﷺ) की नौ बीवियाँ थीं आप (ﷺ) उनका हक़ भी अदा करते थे, कहिये उसके लिये कितना बड़ा दिल और जिगर चाहिये। एक सोंटा लेकर लंगोट बाँधकर अकेले दम बैठ रहना और बेफ़िक़्री से एक तरफ़ के हो जाना ये नफ़्स पर बहुत आसान है।

बाब 12 : जब आदमी रात को नमाज़ न पढ़े तो शैतान का गुद्दी पर गिरह लगाना

۱۲- بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَائِمَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

1142. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअरज ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक़्त तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर ये अफ़सूँ फूँक देता है कि सो जा अभी रात बहुत बाक़ी है। फिर अगर कोई बेदार होकर अल्लाह की याद करने लगता है तो एक गिरह खुल जाती है। फिर जब वुज़ू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है फिर अगर नमाज़ (फ़र्ज़ या नफ़्ल) पढ़े तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक़्त वुज़ू के वक़्त आदमी चाक़-चौबन्द खुश मिज़ाज रहता है, वरना सुस्त और बदबाज़िन रहता है।

(दीगर मक़ाम: 3249)

۱۱۴۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَائِمَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عَقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْتَدُّ. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَفِيضًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانًا)). [طرفه في: ۳۲۶۹].

तशरीह: हदीष में जो आया है वो बिलकुल ठीक है। हक़ीक़त में शैतान गिरहें लगाता है और ये गिरहें एक शैतानी धागे में होती है वो धागा गुद्दी पर रहता है। इमाम अहमद की रिवायत में साफ़ ये है कि एक रस्सी से गिरह लगाता है कुछ ने कहा गिरह लगाने से ये मक़सूद है कि शैतान जादूगर की तरह उस पर अपना अफ़सूँ चलाता है और उसे नमाज़ से ग़ाफ़िल करने के लिये थपक-थपककर सुला देता है।

1143. हमसे मुअम्मल बिन हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया कहा कि हमसे औफ़ अअराबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू रजाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे समुरह बिन जुन्दुब जुन्दब (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे नबी करीम (ﷺ) ने ख़वाब बयान करते

۱۱۴۳- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي

हुए फ़र्माया कि जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुर्आन का हाफ़िज़ था मगर वो कुर्आन से ग़ाफ़िल हो गया था और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े बग़ैर सो जाता था। (राजेअ : 845)

या'नी इशा की नमाज़ न पढ़ता न फ़ज़्र के लिये उठता हालाँकि उसने कुर्आन पढ़ा था मगर उस पर अमल नहीं किया बल्कि उसको झुठला दिया, आज दोज़ख में उसको ये सज़ा मिल रही है। ये हदीष तफ़्सील के साथ आगे आएगी।

बाब 13 : जो शख्स सोता रहे और (सुबह की) नमाज़ न पढ़े, मा'लूम हुआ कि शैतान ने उसके कानों में पेशाब कर दिया

1144. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल अहवस सलाम बिन सुलैम ने बयान किया, कहा कि हमसे मन्सूर बिन मुअतमिर ने अबू वाइल से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के सामने एक शख्स का ज़िक्र आया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और फ़र्ज़ नमाज़ के लिये भी नहीं उठा। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। (दीगर मक़ाम : 328)

जब शैतान खाता-पीता है तो पेशाब भी करता होगा। इसमें कोई अमर क़यास के खिलाफ़ नहीं है। कुछ ने कहा पेशाब करने से ये मतलब है कि शैतान ने उसको अपना महकूम बना लिया और कान की तख़्सीस इस वजह से की है कि आदमी कान ही से आवाज़ सुनकर बेदार होता है। शैतान ने उसमें पेशाब करके उसके कान भर दिये। क़ालकुर्तुबी व गैरूहू ला मानिअ मिन ज़ालिक इज़ ला इहालत फीहि लिअन्नहू षबत अन्नशैतान याकुलु व यशरु व यन्कहु फला मानिअ मिन अय्यबूल (फ़त्हूल बारी) या'नी कुर्तबी वगैरह ने कहा कि उसमें कोई इश्काल नहीं है। जब ये बात श्राबित है कि शैतान खाता-पीता है और शादी भी करता है तो उसका ऐसे ग़ाफ़िल बेनमाज़ी आदमी के कान में पेशाब कर देना क्या बड़द है।

बाब 14 : आख़िर रात में दुआ और नमाज़ का बयान और अल्लाह तआला ने (सूरह वज़्जारियात में) फ़र्माया कि रात में वो बहुत कम सोते और सेहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते थे हुजूअ के मा'नी सोना

1145. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबू सलमा अब्दुरह्मान और अबू अब्दुल्लाह अग़र ने और उन दोनों हज़रात से अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हमारा परवरदिगार बलन्द बरकत वाला हर रात को

الرُّؤْيَا قَالَ : (أَمَا الَّذِي يُنْفَعُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ قَبْرُ لُصْنِهِ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ) . [راجع : 845]

۱۳- بَابُ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

۱۱۴۴- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَإِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ لَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: ((بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ)).

[طرفه ن: ۳۲۷۰].

۱۴- بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أَيُّ مَا يَنَامُونَ ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

۱۱۴۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَنْزِلُ رَبَّنَا

उस वक़्त आसमाने दुनिया पर आता है जब रात का आख़री तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कुबूल करूँ, कोई मुझसे माँगने वाला है कि मैं उसे दूँ, कोई मुझसे बख़्शिश त़लब करने वाला है कि मैं उसको बख़्श दूँ। (दीऱर मक़ामात : 6321, 7394)

بَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)).

[طرفاه في: ٦٣٢١، ٧٤٩٤].

तशरीह: बिला तावील व बिला तकईफ़ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का अर्शें मुअला से आसमाने दुनिया पर उतरना बरहक़ है। जिस तरह उसका अर्शें अज़ीम पर मुस्तवी होना बरहक़ है। अहले हदीष का शुरू से आख़िर तक यही अक़ीदा है। कुआन मजीद की सात आयत में अल्लाह का अर्शें पर मुस्तवी होना बयान किया गया है। चूँकि आसमान भी सात ही हैं लिहाज़ा इन सातों के ऊपर अर्शें अज़ीम और उस पर अल्लाह का इस्तवा; इसीलिये सात आयत में मज़कूर हुआ पहली आयत सूरह अअराफ़ में है, इन्न रब्बकुमुहुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वलअर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन घुम्मस्तवा अललअर्शि (अल अराफ़ : 54) 'तुम्हारा रब वो है जिसने छः दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया फिर अर्शें पर मुस्तवी हुआ।' दूसरी आयत सूरह यूनुस में है, इन्न रब्बकुमुहुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वलअर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन घुम्मस्तवा अललअर्शि युदब्बिरुलअमर (यूनुस : 3) बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने छः दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया फिर अर्शें पर क़ायम हुआ। तीसरी आयत सूरह रअद में ये है, अल्लाहु रफ़अस्समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा घुम्मास्तवा अललअर्शि (अरअद : 2) अल्लाह वो है जिसने बग़ैर सुतुनों के ऊँचे आसमान बनाए जिनको तुम देख रहे हो फिर वो अर्शें पर क़ायम हुआ। चौथी आयत सूरह त़ाहा की है, तन्ज़ीलमिम्मिन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल इला अरहमानु अललअर्शिस्तवा (त़ाहा : 19-20) या'नी इस कुआन का नाज़िल करना उसका काम है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया फिर रहमान अर्शें के ऊपर मुस्तवी हुआ। पाँचवी आयत सूरह फ़ुर्क़ान में है अल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वलअर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन घुम्मस्तवा अललअर्शि (अल फ़ुर्क़ान : 59) वो अल्लाह जिसने ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनके बीच में है सबको छः दिनों में पैदा किया फिर वो अर्शें पर क़ायम हुआ। छठी आयत सूरह सज्दा की है, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वलअर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन घुम्मस्तवा अललअर्शि (अस्सज्दा : 4) अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमान को और जो कुछ इनके बीच है छः दिनों में पैदा किया वो फिर अर्शें पर क़ायम हुआ। सातवी आयत सूरह हदीद की है, हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वलअर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन घुम्मस्तवा अललअर्शि यअलमु मा यलिजु फिल्अर्ज़ि व मा यखरुजु मिन्हा व मा युन्ज़िलु मिनस्समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुव मअकुम अयन मा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर (अल हदीद : 4) या'नी अल्लाह वो ज़ात पाक है जिसने छः दिनों में ज़मीन व आसमानों को बनाया वो फिर अर्शें पर क़ायम हुआ उन सब चीज़ों को जानता है जो ज़मीन में दाख़िल होती हैं और जो कुछ उससे बाहर निकलती हैं और जो चीज़ें आसमान से उतरती हैं और जो कुछ आसमान की तरफ़ चढ़ती हैं वो सबसे वाक़िफ़ है और वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ भी रहो और अल्लाह पाक तुम्हारे सारे कामों को देखने वाला है।

इन सात आयतों में सराहत के साथ अल्लाह पाक का अर्शें अज़ीम पर मुस्तवी होना मज़कूर है। आयाते कुआनी के अलावा 15 अह्दादीषें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह पाक का आसमानों के ऊपर अर्शें अज़ीम पर होना मज़कूर है और जिनसे इसके लिये जहते फ़ौक़ षाबित है। इस हक़ीक़त के बाद इस बारी तअ़ाला व तक़दुस का अर्शें अज़ीम से आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फ़र्माना ये भी बरहक़ है।

हज़रत अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने इस बारे में एक मुस्तक़िल किताब नुज़ूलुरब्बि इलस्समाइहुनिया नामी तहरीर फ़र्माई है जिसमें वाज़ेह दलीलों से उसका आसमाने दुनिया पर नाज़िल होना षाबित फ़र्माया है।

हज़रत अल्लामा वहीदुज्जमाँ साहब के लफ़ज़ों में खुलासा ये है या'नी वो खुद अपनी ज़ात से उतरता है जैसे दूसरी

रिवायत में है नज़ल बिज़ातिही अब ये तावील करना की उसकी रहमत उतरती है, सिर्फ़ फ़ासिद है। अलावा उसके उसकी रहमत उतरकर आसमान तक रह जाने से हमको फ़ायदा ही क्या है, इस तरह ये तावील कि एक फ़रिश्ता उसका उतरता है ये भी फ़ासिद है क्योंकि फ़रिश्ता ये कैसे कह सकता है जो कोई मुझसे दुआ करे मैं कुबूल करूँगा, गुनाह बख़्श दूँगा। दुआ कुबूल करना या गुनाहों को बख़्श देना ख़ास परवरदिगार का काम है। अहले हदीष ने इस किस्म की हदीषों को जिनमें सिफ़ात इलाही का बयान है, दिल व जान से कुबूल किया है और उनके अपने ज़ाहिरी मा'नी पर महमूल रखा है। मगर ये ए'तिक़ाद रखते हैं कि उसकी सिफ़ात मख़लूक की सिफ़ात के मुशाबेह नहीं हैं और हमारे अस्हाब में से शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) ने इस हदीष की शरह में एक किताब लिखी है जो पढ़ने के क़ाबिल है और मुख़ालिफ़ों के तमाम ए'तिराज़ों और शुब्हों का जवाब दिया है।

इस हदीष पर रोशनी डालते हुए अल मुहदिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, व मिन्हुम मन अज़्राहू अला मा वरद मूमिनन बिही अला त़रीकिल्इज्मालि मुनज़ज़हल्लाहि तअ़ाला मिनलकैफ़ियति वत्तशबीहि व हुम जुम्हुरुस्सलफ़ि व नकलहुल्बैहकी व गैरहु अनिल्अइम्मतिल्अब्वअति अस्सुप्पयानैनि वल्हम्मादैनि वल्अौजाई वल्लैष वगैरहुम व हाज़ल्कौलु हुवलहक्रकुफ़अलैक इतिबाउ जुम्हूरिस्सलफ़ि व इय्याक अन तकून मिन अस्हाबित्तावीलि वल्लाहु तअ़ाला आलमु (तुहफ़तुल अहवज़ी) या'नी सलफ़ सालेहीन व अइम्मा-ए-अरबअ और बेशतर इलमा-ए-दीन, अस्लाफ़े किराम का यही अक़ीदा है कि वो बग़ैर तावील और कैफ़ियत और तशबीह के कि अल्लाह उससे पाक है जिस तरह से ये सिफ़ाते बारी तअ़ाला वारिद हुई हैं, उन पर ईमान रखते हैं और यही हक़ व षवाब है। पस सलफ़ की इतिबाअ लाज़िम पकड़ ले और तावील वालों में से मत हो कि यही हक़ है। वल्लाहु अअलम।

बाब 15 : जो शरूख़ रात के शुरू में सो जाए और अख़ीर में जागे

١٥- بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَى آخِرَهُ

और हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने अबू दर्दा (रज़ि.) से फ़र्माया कि शुरू रात में सो जा और आख़िर रात में इबादत कर, नबी करीम (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया था कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा।

وَقَالَ سَلْمَانَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قُمْ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).

1146. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, (दूसरी सनद) और मुझसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ अग्र बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने, उन्होंने बतलाया कि मैंने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) रात में नमाज़ क्योंकर पढ़ते थे? आप ने बतलाया कि शुरू रात में सो रहते और आख़िर रात में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। इस के बाद बिस्तर पर आ जाते और जब मुअज़्जिन अज़ान देता तो जल्दी से उठ बैठते। अगर गुस्ल की ज़रूरत होती तो गुस्ल करते वरना वुज़ू करके बाहर तशरीफ़ ले जाते।

١١٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - ح وَحَدَّثَنِي سَلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ. وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ. فَإِذَا أَدْنَى الْمَوَدَّنَ وَتَبَّ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ)).

मतलब ये कि न सारी रात सोते ही रहते और न सारी रात नमाज़ ही पढ़ते रहते बल्कि दरम्यानी रास्ता आप (ﷺ) को पसंद

था और यही मसनून है।

बाब 16 : नबी करीम (ﷺ) का रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में रात को नमाज़ पढ़ना

1147. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें सईद बिन अबू सईद मक्बरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) से उन्होंने पूछा कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान में (रात को) कितनी रकअतें पढ़ते थे। आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रात में) ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ख़वाह रमज़ान का महीना होता या कि कोई और, पहले आप (ﷺ) चार रकअत पढ़ते, उनकी ख़ूबी और लम्बाई का क्या पूछना फिर आप (ﷺ) चार रकअत और पढ़ते उनकी ख़ूबी और लम्बाई का क्या पूछना। फिर तीन रकअतें पढ़ते। आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप वित्र पढ़ने से पहले ही सो जाते हैं? इस पर आप (ﷺ) फ़र्माया कि आइशा, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।

(दीगर मक़ाम : 2013, 3549)

١٦- بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

١١٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطَوْلِبِينَ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطَوْلِبِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَأْتِمُّ قَبْلَ أَنْ تَوْتِرَ؟ فَقَالَتْ: ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَأْمَانُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)).

[طرفاه في: ٢٠١٣، ٣٥٦٩.]

तशरीह: इन्हीं ग्यारह रकअतों को तरावीह करार दिया है और आँहज़रत (ﷺ) से रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में बरिवायत सहीहा यही ग्यारह रकअतें प्राबित हैं। रमज़ान शरीफ़ में ये नमाज़े तरावीह के नाम से मौसूम हुई और ग़ैर रमज़ान में तहज्जुद के नाम से पुकारी गई। पस सुन्नते नबवी (ﷺ) सिर्फ़ आठ रकअतें तरावीह इस तरह कुल ग्यारह रकअतें अदा करनी प्राबित है। जैसा कि नीचे लिखी अहादीष से मज़ीद वज़ाहत होती है,

अन जाबिरिन (रज़ि.) क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी रमज़ान प्रमान रकआतिन वल्वितर अल्लामा मुहम्मद बिन नख़ मरवज़ी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको रमज़ान में आठ रकअत तरावीह और वित्र पढ़ा दिया (या'नी कुल ग्यारह रकआत)

नेज़ हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीष कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी ग़ैरिही अला इहदा अशरत रकअतिन रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

कुछ लोगों को इससे ग़लतफ़हमी हो गई कि ये तहज्जुद के बारे में है तरावीह के बारे में नहीं। लिहाज़ा मा'लूमे हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में तरावीह और तहज्जुद अलग दो नमाज़ें क़ायम नहीं कीं। वही क़यामे रमज़ान (तरावीह) या दीगर लफ़्ज़ों में तहज्जुद; ग्यारह रकअत पढ़ते और क़यामे रमज़ान (तरावीह) को हदीष शरीफ़ में क़यामुललैल (तहज्जुद) भी फ़र्माया।

रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को तरावीह पढ़ा कर फ़र्माया, 'मुझको डर हुआ कि तुम पर सलातुललैल (तहज्जुद) फ़र्ज़ न हो जाए।' देखिए आप (ﷺ) ने तरावीह को तहज्जुद फ़र्माया। इससे मा'लूम हुआ कि रमज़ान में क़यामे रमज़ान (तरावीह) और सलातुललैल (तहज्जुद) एक ही नमाज़ है।

तरावीह व तहज्जुद के एक होने की दूसरी दलील :

अन अबी ज़रिन क़ाल मुम्ना मअ रसूलिल्लाहि (ﷺ) रमज़ान फलम यकुम बिना शैअम्मिन्हु हत्ता बक्रिय सबअ लयालिन फ़क्राम बिना लैलतस्साबिअति हत्ता मज़ा नहवु मिन धुलुषिल्लैलि धुम्म कानतिल्लैलतुस् सादिसतुल्लती तलीहा फलम यकुम बिना हत्ता कानत ख़ामिसतल्लती तलीहा क्राम बिना हत्ता मज़ा नहवुम्मिन शतरिल्लैलि फकुल्लतु या रसूलिल्लाहि लौ नफ़ल्लतुना बक्रियत लैलतिना हाज़िहि फ़क़ाल अन्नहू मन क्राम मअल्डमामि हत्ता यन्सरिफ़ फ़इन्नहू यअदिलु क्रियामुल्लैलि धुम्म कानतिराबिअतुल्लती तलीहा फ़लम यकुमहा हत्ता कानतिष्शालिषतुल्लती तलीहा क़ाल फजमअ निसाअहू व अहलह वज्तमअन्नासु क़ाल फ़क्राम बिना हत्ता ख़शीना अय्यफूतनल्फ़लाहु क़ीला व मल्फ़लाह क़ाल अस्सुहूरु धुम्म लम यकुम बिना शैअन मिम्बक्रियतिश् शहरि (स्वाहु इब्ने माजा) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हमने रमज़ान के रोज़े रखे, आप (ﷺ) ने हमको आख़िर के हफ़्ते में तीन त़ाक़ रातों में तरावीह इस तर्तीब से पढ़ाई कि पहली रात को अब्वल वक़्त में, दूसरी रात को निस्फ़ शब में, और फिर निस्फ़े बक्रिया से। सवाल हुआ कि और नमाज़ पढ़ाइये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो इमाम के साथ नमाज़ अदा करे उसका पूरी रात का क़याम होगा। फिर तीसरी रात को आख़िर शब में अपने अहले बैत को जमा करके सब लोगों की जमईयत में तरावीह पढ़ाई, यहाँ तक कि हम डरे कि जमाअत ही में सेहरी का वक़्त न चला जाए। इस हदीष को इब्ने माजा ने रिवायत किया है और बुखारी शरीफ़ में ये हदीष मुख्तसर लफ़ज़ों में कई जगह नक़ल हुई है।

इससे मा'लूम हुआ कि आप (ﷺ) ने उसी एक नमाज़े तरावीह को रात के तीन हिस्सों में पढ़ाया है और इस तरावीह का वक़्त इशा के बाद अख़ीर रात तक अपने फ़ेअल (उस्वा-ए-हसना) से बता दिया जिसमें तहज्जुद का वक़्त आ गया। पस फ़ेअले रसूलुल्लाह (ﷺ) से षाबित हो गया है कि इशा के बाद आख़िर रात तक एक ही नमाज़ है।

नीज़ इसकी ताईद हज़रत उमर (रज़ि.) के उस क़ौल से होती है जो आपने फ़र्माया वल्लती तनामून अन्हा अफ़ज़लु मिनल्लती तकूमून ये तरावीह पिछली रात में कि जिसमें तुम सोते हो पढ़ना बेहतर है अब्वल वक़्त पढ़ने से।' मा'लूम हुआ कि नमाज़े तरावीह व तहज्जुद एक ही है और यही मतलब हज़रते आइशा (रज़ि.) वाली हदीष का है।

नीज़ हदीष पर इमाम बुखारी (रह.) ने ये बाब बाँधा है कि बाबुनः फ़ज़लुम्मन क्राम रमज़ान और इमाम बेहकी (रह.) ने हदीष मज़कूर पर यूँ बाब मुनअक़िद किया है। बाबुन मा रूविय फ़ी अददि रक़आतिल्क्रियामि फ़ी शहरि रमज़ान और इसी त़रह इमाम मुहम्मद (रह.) शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने बाबु क़यामि शहरि रमज़ान के तहत हदीषे मज़कूर को नक़ल किया है। इन सब बुजुर्गों की मुराद भी हदीषे आइशा (रज़ि.) से तरावीह ही है और ऊपर मुफ़स्सल गुजर चुका है कि अब्वल रात से आख़िर रात तक एक ही नमाज़ है। अब रहा कि इन तीनों रातों में कितनी रक़अतें पढ़ाई थीं? सो अज़ है कि अलावा वित्र आठ ही रक़अतें पढ़ाई थीं। इसके षुबूत में कई रिवायते सहीहा आई हैं जो दर्ज़ ज़ैल हैं,

उलमा व फ़ुक्रहा-ए-हनफ़िया ने फ़र्मा दिया कि आठ रक़अत तरावीह सुन्नते नबवी है:

(1) अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) उम्दतुलक़ारी (जिल्द : 3, पेज नं. 597) में फ़र्माते हैं, फ़इन कुल्लतु लम युबय्यिन फिरिवायातिल्मज़कूरति अददुस्सलालिल्लती सल्लहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी तिल्कल्लयालि कुल्लतु स्वाहु इब्नु खुज़ैमः व इब्नु हिब्बान मिन हदीषि जाबिरिन क़ाल सल्लहा बिना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी रमज़ान प्रमान रक़आतिन धुम्म औतर 'अगर तू सवाल करे कि जो नमाज़ आप (ﷺ) ने तीन रातों में पढ़ाई थी उसमें ता'दाद का ज़िक़्र नहीं तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अलावा वित्र के आठ रक़अतें पढ़ाई थीं।'

(2) हाफिज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़त्हुल बारी (जिल्द: 1, पेज नं. 597) में फ़र्माते हैं, लम अरा फ़ी शैइन मिन तुरुकिही बयानु अददि सलातिही फ़ी तिल्कल्लयाली लाकिन रवाहुब्नु खुज़ैमा वब्नु हिब्बान मिन हदीषि जाबिरिन क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी रमज़ान प्रमान रक़आतिन घुम्म औतर 'मैने हदीषे मज़क़ूरा बाला की किसी सनद में नहीं देखा कि आँहज़रत (ﷺ) ने उन तीन रातों में कितनी रक़अत पढ़ाई थीं। लेकिन इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अलावा वित्र के आठ रक़अत पढ़ाई थीं।

(3) अल्लामा ज़ेलेइ हनफ़ी (रह.) ने नसबुराया फ़ी तख़रीजे अह्लादीष अल हिदाया (जिल्द: 1, पेज नं. 293) में इस हदीष को नक़ल किया है कि इन्दब्नि हिब्बान फ़ी सहीहिही अन जाबिरिनब्नि अब्दिल्लाहि अन्नहू अलैहिस्सलाम सल्ला बिहिम प्रमान रक़आतिन वल्वित् इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) को आठ रक़अत और वित्र पढ़ाए या'नी कुल ग्यारह रक़अत।

(4) इमाम मुहम्मद, शागिर्द इमामे आजम (रह.) अपनी किताब मौता इमाम मुहम्मद (पेज नं. 93) में बाबे तरावीह के तहत फ़र्माते हैं अन अबी सलमतब्नि अब्दिरहमानि अन्नहू सअल आइशत कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि (ﷺ) क़ालत मा कान रसूलुल्लाहि यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी ग़ैरिही अला इहदा अशरत रक़अतन अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से मरवी है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ कैसी थी तो बतलाया कि रमज़ान व ग़ैर रमज़ान में आप ग्यारह रक़अत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। रमज़ान व ग़ैर रमज़ान की तहकीक़ पहले गुजर चुकी है। फिर इमाम मुहम्मद (रह.) इस हदीष शरीफ़ को नक़ल करने के बाद फ़र्माते हैं मुहम्मद व बिहाज़ा नारखुजूहू कुल्लहू हमारा भी इन सब हदीषों पर अमल है, हम इन सब को लेते हैं।

(5) हिदाया जिल्द अब्वल के हाशिये पर है, अस्सुन्नतु मा वाज़ब अलैहिरिसूलु (ﷺ) फहसबु फ़अला हाज़िहित्तअरीफ़ि यकूनुस्सुन्नतु हुब ज़ालिकल्कदरुल्मज़क़ूरू व मा जाद अलैहि यकूनु मुस्तहब्बन सुन्नत सिर्फ़ वही है जिसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमेशा किया हो। पस इस ता'रीफ़ के मुताबिक़ सिर्फ़ मिक्दार मज़क़ूर (आठ रक़अत ही) सुन्नत होगी और जो उससे ज़्यादा हो वो नमाज़ मुस्तहब होगी।

(6) इमाम इब्नुल हुमाम हनफ़ी (रह.) फ़त्हुल क़दीर शरह हिदाया में फ़र्माते हैं फतहस्सल मिन हाज़ा कुल्लिही अन्न क्रियाम रमज़ान सुन्नतुन इहदा अशरत रक़अतन बिल्वित् फ़ी जमाअतिन फअलहुन्नबियु (ﷺ) इन तमाम का खुलासा ये है कि रमज़ान का क़याम (तरावीह) सुन्नत मअ वित्र ग्यारह रक़अत बाजमाअत रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअल (उस्व-ए-हसना) से प्राबित है।

(7) अल्लामा मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी (रह.) अपनी किताब मिरकात शरहे मिश्कात में फ़र्माते हैं, अन्नतराहीव फ़िल्अस्लि इहदा अशरत रक़अतन फ़अलहु रसूलुल्लाहि (ﷺ) घुम्म तरकहू लिउज़्रिन दरअसल तरावीह रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअल से ग्यारह ही रक़अत प्राबित है। जिनको आप (ﷺ) ने पढ़ा बाद में उज़्र की वजह से छोड़ दिया।

(8) मौलाना अब्दुल हय्यि हनफ़ी लखनवी (रह.) तअलीकुल मुम्जिद शरह मौता इमाम मुहम्मद (रह.) में फ़र्माते हैं व अखरजब्नु हिब्बान फ़ी सहीहिही मिन हदीषि जाबिरिन अन्नहू सल्ला बिहिम प्रमान रक़आतिन घुम्म औतर व हाज़ा असहहू और इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह में जाबिर (रज़ि.) की हदीष से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को अलावा वित्र आठ रक़अतें पढ़ाईं। ये हदीष बहुत सहीह है।

इन हदीषों से साफ़ प्राबित हुआ कि रसूले अकरम (ﷺ) आठ रक़अत तरावीह पढ़ते और पढ़ाते थे। जिन रिवायात में आप (ﷺ) का बीस रक़आत पढ़ना मज़क़ूर है वो सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले इस्तिदलाल हैं।

सहाबा (रज़ि.) और सहाबियात (रज़ि.) का हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में आठ रक़अत तरावीह पढ़ना :

(9) इमाम मुहम्मद बिन नस्र मरवज़ी (रह.) ने क़यामुललैल में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है जाअ उबय इब्नि कअबिन फ़ी रमज़ान फ़क़ाल या रसूलुल्लाहि (ﷺ) कानल्लैलत शैउन क़ाल व मा ज़ाक़ या उबय क़ाल

निस्वतुदारी कुल्ल इन्ना ला नन्नरुल्लकुर्आन फनुसल्ली खल्फक बिसलातिक फसल्लैतु बिहिन्न प्रमान रकआतिन वल्वित फसकत अन्हू शिब्हुर्रिजा उबय बिन कअब (रज़ि.) रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और कहा कि आज रात को एक खास बात हो गई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ उबय! वो क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरे घराने की औरतों ने कहा कि हम कुर्आन नहीं पढ़ती हैं इसलिये तुम्हारे पीछे नमाज़े (तरावीह) तुम्हारी इज़्तिदा में पढ़ेंगी तो मैंने उनको आठ रकअत और वित्र पढ़ा दिया। आँहज़रत (ﷺ) ने ये सुनकर सुकूत फ़र्माया। गोया इस बात को पसंद फ़र्माया, इस हदीष से षाबित हुआ कि सहाबा (रज़ि.) आप (ﷺ) के ज़माने में आठ रकअत (तरावीह) पढ़ते थे।

हज़रत उमर खलीफ़-ए-प्रानी (रज़ि.) की नमाज़े तरावीह मय वित्र ग्यारह रकअत :

(10) अन साइबिबि यज़ीदिन क़ाल अमर उमरु उबय इब्न कअबिन व तमीमहारी अय्यकूमा लिन्नासि फ़ी रमज़ान इहदा अशरत रकअतन साइब बिन यज़ीद ने कहा कि उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने उबय बिन कअब और तमीम दारी (रज़ि.) को हुक्म दिया कि रमज़ान शरीफ़ में लोगों को ग्यारह रकअत पढ़ाएँ। (मौता इमाम मालिक)

वाज़ेह हुआ कि आठ और ग्यारह में वित्र का फ़र्क़ है और अलावा आठ रकअत तरावीह के वित्र एक तीन पाँच पढ़ना हदीष शरीफ़ में आए हैं और बीस तरावीह की रिवायत हज़रत उमर (रज़ि.) से षाबित नहीं और जो रिवायत उनसे नक़ल की जाती है वो मुन्क़त्तअुस्सिनद (सनद कटी हुई) है। इसलिये कि बीस का रावी यज़ीद बिन रुम्मान है। उसने हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना नहीं पाया। चुनाँचे अल्लामा ऐनी हनफ़ी व अल्लामा ज़ेल्ज़ी हनफ़ी (रह.) उम्दतुल क़ारी और नसबुराया में फ़र्माते हैं कि यज़ीदुब्नु रूमान लम युदरिफ़ उमर 'यज़ीद बिन रुम्मान ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का ज़माना नहीं पाया।' और जिन लोगों ने सय्यिदना उमर (रज़ि.) को पाया है उनकी रिवायात बिल इत्तिफ़ाक़ ग्यारह रकअत की हैं, उनमें हज़रत साइब (रज़ि.) की रिवायत ऊपर गुजर चुकी है।

और हज़रत अअरज हैं जो कहते हैं कानलक़ारी यन्नरु सूरतल्बन्नरति फ़ी प्रमानी रकआतिन क़ारी सूरह बक़रा आठ रकअत में ख़त्म करता था (मौता इमाम मालिक)। फ़ारूके आज़म (रज़ि.) ने उबय बिन कअब व तमीम दारी और सुलैमान बिन अबी ह़ष्मा (रज़ि.) को साथ वित्र ग्यारह रकअत पढ़ाने का हुक्म दिया था (मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा)। गर्ज़ हज़रत उमर (रज़ि.) का ये हुक्म हदीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुवाफ़िक़ है। लिहाज़ा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल्खुल्फ़ाईराशिदीन से भी ग्यारह पर अमल करना षाबित हुआ।

फ़ुक्रहा से आठ का षुबूत और बीस का ज़ुअफ़ :-

(11) अल्लामा इब्नुल हमाम हनफ़ी (रह.) फ़तहूल क़दीर शरह हिदाया (जिल्द : 1, पेज नं. 205) में फ़र्माते हैं बीस रकअत तरावीह की हदीष ज़ईफ़ है। अन्नहू मुखालिफुल्लिल हदीषिस्महीहि अन अबी सलमतब्नि अब्दिरहमानि अन्नहू सअल आइशत अल्हदीष अलावा बरीं ये (बीस की रिवायत) सहीह हदीष के भी ख़िलाफ़ है जो अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान व ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकअत से ज़ाइद न पढ़ते थे।

(12) शैख़ अब्दुल हक़ साहब हनफ़ी मुहदिष देह्लवी (रह.) फ़तहू सिर्रुल मज़ान में फ़र्माते हैं वलम यषुबुत रिवायतु इशरीन मिन्हू (ﷺ) कमा हुवलमुताअरफ़ु अल्आन इल्ला फ़ी रिवायतिब्नि अबी शैबत व हुव ज़ईफ़ुन व क़द आरज़हू हदीषु आइशत व हुव हदीषुन सहीहुन जो बीस तरावीह मशहूर व मअरूफ़ हैं और आँहज़रत (ﷺ) से षाबित नहीं और जो इब्ने अबी शैबा में बीस की रिवायत है वो ज़ईफ़ है और हज़रत आइशा (रज़ि.) की सहीह हदीष के भी मुखालिफ़ है (जिसमें मय वित्र ग्यारह रकअत षाबित हैं)।

(13) शैख़ अब्दुल हक़ हनफ़ी मुहदिष देह्लवी (रह.) अपनी किताब मा षबत बिस्सुन्नह (पेज नं. 217) में फ़र्माते हैं वस्सहीहु मा रवतहु आइशतु अन्नहू (ﷺ) सल्ला इहदा अशरत रकअतन कमा हुव आदतुहु फ़ी क्रियामिल्लैलि व रूविय अन्नहू कान बअजुस्सलफ़ि फ़ी अहदि उमरब्नि अब्दिलअज़ीज़ि युस्लल्लून इहदा अशरत रकअतन कसदन तशबीहन बिरसूलिल्लाहि (ﷺ) सहीह हदीष वो है जिसको हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि आप

(ﷺ) ग्यारह रकअत पढ़ते थे। जैसा कि आप (ﷺ) की क्रयामुल्लैल की आदत थी और रिवायत है कि कुछ सलफ़ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़मान-ए-ख़िलाफ़त में ग्यारह रकअत तरावीह पढ़ा करते थे ताकि आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत से मुशाबिहत पैदा करें।

इससे मा'लूम हुआ कि शैख़ साहब (रह.) खुद आठ रकअत तरावीह के क़ाइल थे और सलफ़ सालेहीन में भी ये मशहूर था कि आठ रकअत तरावीह सुन्नते नबवी है और क्यूँ न हो जबकि खुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आठ रकअत तरावीह पढ़ीं और सहाबा किराम (रज़ि.) को पढ़ाईं। नीज़ उबय बिन कअब (रज़ि.) ने औरतों को आठ रकअत तरावीह पढ़ाई तो हुज़ूर (ﷺ) ने पसंद फ़र्माया। इसी तरह हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में वित्र के साथ ग्यारह रकअत तरावीह पढ़ने का हुकम था और लोग उस पर अमल करते थे। नीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के वक़्त में लोग आठ रकअत तरावीह पर सुन्नते रसूल (ﷺ) समझकर अमल करते थे और इमाम मालिक (रह.) ने भी मय वित्र ग्यारह रकअत ही को सुन्नत के मुताबिक़ इख़्तियार किया है।

(14) अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि इहदा अशरत रकअतन व हुव इखवार मालिक लिनफ़िसही 'ग्यारह रकअत को इमाम मालिक (रह.) ने अपने लिये इख़्तियार किया है।'

इसी तरह फ़ुक़हा व उलमा जैसे अल्लामा ऐनी हनफ़ी, अल्लामा ज़ेल्ई हनफ़ी, हाफ़िज़ इब्ने हज़र, अल्लामा मुहम्मद बिन नस्र मरवज़ी, शैख़ अब्दुल हई साहब हनफ़ी मुहद्विष देह्लवी, मौलाना अब्दुल हक़ हनफ़ी लखनवी (रह.) वग़ैरह ने अलावा वित्र के आठ रकअत तरावीह को सहीह और सुन्नते नबवी (ﷺ) फ़र्माया है जिनके हवाले पहले गुजर चुके हैं। और इमाम मुहम्मद शागिर्दे रशीद इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने तो फ़र्माया कि व बिहाज़ा नाख़ुज़ु कुल्लहू 'हम इन सब हदीषों को लेते हैं।' या 'नी इन ग्यारह रकअत की हदीषों पर हमारा अमल है। फ़ल्हम्दुलिल्लाह कि वित्र के साथ ग्यारह रकअत तरावीह का मस्नून होना ष़ाबित हो गया।

इसके बाद सलफ़े उम्मत में कुछ ऐसे हज़रात भी मिलते हैं जो बीस रकअत और तीस रकआत और चालीस रकआत बतौरै नफ़ल नमाज़े तरावीह पढ़ा करते थे। लिहाज़ा ये दा'वा कि बीस रकअत पर इच्माअ हो गया, बातिल है। अंसल सुन्नते नबवी आठ रकअत तरावीह तीन रकअत वित्र कुल ग्यारह रकअत हैं। नफ़ल के लिये हर वक़्त इख़्तियार है कोई जिस क़दर चाहे पढ़ सकता है। जिन हज़रात ने रमज़ान में आठ रकअत तरावीह को ख़िलाफ़े सुन्नत कहने का मशगला बना लिया है और ऐसा लिखना या कहना उनके ख़याल में ज़रूरी है वो सख़्त ग़लती में मुब्तला हैं बल्कि उसे भी एक तरह से तल्बीसे इब्लीस कहा जा सकता है। अल्लाह तआला सबको नेक समझ अज़ा करे, आमीन।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने जो रात के नवाफ़िल चार-चार रकआत मिलाकर पढ़ना अफ़ज़ल कहा है, वो उसी हदीष से दलील लेते हैं। हालाँकि उससे इस्तिदलाल सहीह नहीं क्योंकि उसमें ये तस्रीह नहीं है कि आप (ﷺ) चार-चार रकअत के बाद सलाम फेरते। मुम्किन है कि पहले आप (ﷺ) चार रकअत (दो सलाम के साथ) बहुत लम्बी पढ़ते होंफिर दूसरी चार रकअतें (दो सलाम के साथ) उनसे हल्की पढ़ते हों। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस तरह इन चार-चार रकअतों को अलग-अलग जिक़्र किया है और ये भी मुम्किन है कि चार रकअतों का एक सलाम के साथ पढ़ना मुराद हो। इसलिये अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते है कि व अम्मा मा सबक मिन अन्नहू कान युसल्ली मन्ना मन्ना शुम्म वाहिदतन फ़महमूलुन अला वक़्रितन आख़र फ़ल्अम्रानि जाइज़ानि या'नी पिछली रिवायात में जो आप (ﷺ) की दो रकअत पढ़ना मजकूर हुआ है। फिर एक रकअत वित्र पढ़ना तो वो दूसरे वक़्त पर महमूल है और ये चार चार करके पढ़ना फिर तीन वित्र पढ़ना दूसरे वक़्त पर महमूल है इसलिये दोनों अम्र जाइज़ हैं।

1148. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्नाने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, और उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया कि मुझे मेरे बाप इर्वा ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा सिद्दीका ने

۱۱۴۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

बतलाया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को रात की किसी नमाज़ में बैठकर कुर्आन पढ़ते नहीं देखा। यहाँ तक कि आप (ﷺ) बूढ़े हो गए तो बैठ कर कुर्आन पढ़ते थे। लेकिन जब तीस-चालीस आयतें रह जाती तो खड़े हो जाते फिर उनको पढ़कर रुकूअ करते थे। (राजेअ : 1118)

बाब 18 : दिन और रात में बावुजू रहने की फ़ज़ीलत और वुजू के बाद रात और दिन में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान

1149. हमसे इस्हाक़ बिन नसर ने बयान किया, उनसे अबू हय्यान यहाा बिन सईद ने बयान किया, उनसे अबू ज़रआ ने बयान किया और उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से फ़ज़्र के वक़्त पूछा कि ऐ बिलाल! मुझे अपना सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ, जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की चाप सुनी है। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अर्ज़ किया मैंने तो अपने नज़दीक इससे ज़्यादा उम्मीद का कोई काम नहीं किया कि जब मैंने रात या दिन में किसी वक़्त भी वुजू किया तो मैं उस वुजू से नफ़ल नमाज़ पढ़ता रहता, जितनी मेरी तक्रदीर में लिखी गई थी।

तशरीह:

या'नी जैसे तू जन्नत में चल रहा है और तेरी जूतियों की आवाज़ निकल रही है। ये अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को दिखला दिया जो नज़र आया वो होने वाला था। उलमा का इस पर इतिफ़ाक़ है कि जन्नत में बेदारी के आलम में इस दुनिया में रहकर आँहज़रत (ﷺ) के सिवा और कोई नहीं गया, आप (ﷺ) मेअराज की शब में वहाँ तशरीफ़ ले गए। इसी तरह दोज़ख़ में और ये जो कुछ फुकरा से मन्कूल है कि उनका खादिम हुक्का की आग लेने जहन्नम में गया ये महज़ ग़लत है। बिलाल (रज़ि.) दुनिया में भी बतौर ख़ादिम के आँहज़रत (ﷺ) के आगे सामान वगैरह लेकर चला करते, वैसे ही अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर को दिखला दिया कि बहिश्त में भी होगा। इस हदीष से बिलाल (रज़ि.) की फ़ज़ीलत निकली और उनका जन्नती होना षाबित हुआ। (वहीदी)

बाब 18 : इबादत में बहुत सख़ती उठाना मकरूह है

1150. हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन इमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष बिन सअद ने बयान किया, कहा कि

قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبُرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ)). [راجع: 1118]

۱۷- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

۱۱۴۹- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ لَيْلًا عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: ((يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ ذَكَرَ نَعْلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ)). قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَنْظَهْرَ طَهْرًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهْرِ مَا كَتَبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ذَكَرَ نَعْلِكَ، يَعْنِي تَحْرِيكَ.

۱۸- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشَدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

۱۱۵۰- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

हमसे अब्दुल अजीज़ बिन सुहैब ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रह.) ने कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गये, आपकी नज़र एक रस्सी पर पड़ी जो दो सुतूनों के दरम्यान तनी हुई थी, दरयाफ्त फ़र्माया कि ये रस्सी कैसी है? लोगों ने अज़्र किया कि ये हज़रत ज़ैनब ने बाँधी है, जब वो (नमाज़ में खड़ी-खड़ी) थक जाती है तो इससे लटकी रहती है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! ये रस्सी नहीं होनी चाहिये, इसे खोल डालो। तुममें हर शख़्स को चाहिये जब तक दिल लगे नमाज़ पढ़े, थक जाए तो बैठ जाए।

الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَبِلَ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الْحَبْلُ؟)) قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرُزْنَبَ، إِذَا قَرَّتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا، حُلُوهُ، لِيَصِلَ أَحَدَكُمْ نَشَاطَهُ، إِذَا قَرَّتْ فَلْيَقْعُدْ)).

1151. और इमाम बुखारी (रह.) ने फ़र्माया कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे मालिक (रह.) उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे उन के वालिद ने उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मेरे पास बन्ू असद की एक औरत बैठी हुई थी। नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो उनके मुता'ल्लिक पूछा कि ये कौन हैं? मैंने कहा कि फ़लाँ ख़ातून हैं जो रातभर नहीं सोतीं। उनकी नमाज़ का आप (ﷺ) के सामने ज़िक्र किया गया लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया बस तुम्हें सिर्फ़ उतना ही अमल करना चाहिये, जितनी कि तुममें त्राक़त हो। क्योंकि अल्लाह तआला तो (प्रवाब देने से) थकता नहीं तुम ही अमल करते-करते थक जाओगे। (राजेअ : 43)

١١٥١- قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: فَلَانَةٌ، لَا تَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ- فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهَا- فَقَالَ: ((مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا)).

[راجع: ٤٣]

तशरीह: इसलिये हदीषे अनस (रज़ि.) और हदीषे आइशा (रज़ि.) में मरवी है कि इज़ा नअस अहदुकुम फ़िस्सलाति फ़ल्यनुम हत्ता यअलम मा यक्रउ या'नी जब नमाज़ में कोई सोने लगे तो उसे चाहिये कि पहले वो सो ले फिर नमाज़ पढ़े ताकि वो समझ ले कि क्या पढ़ रहा है। ये लफ़ज़ भी हैं फ़ल्यरक़द हत्ता यजहब अन्हुन्नायु (फ़तह्लुबारी) या'नी सो जाए ताकि उससे नींद चली जाए।

बाब 19 : जो शख़्स रात को इबादत किया करता था वो अगर उसे छोड़ दे तो उसकी ये आदत मकरूह है

١٩- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

1152. हमसे अब्बास बिन हुसैन ने बयान किया, कहा कि हमसे मुबश्शिर बिन इस्माईल जेलई ने, औज़ाई से बयान किया (दूसरी सनद) और मुझ से मुहम्मद बिन मुक्रातिल अबुल हसन

١١٥٢- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْخُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتِلٍ أَبُو الْخَسَنِ

ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उन्हें औज़ाई ने खबर दी, कहा कि हमसे यह्या इब्ने अबी क़षीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस (रज़ि.) ने बयान किया, कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया ऐ अब्दुल्लाह! फलों की तरह न हो जाना वो रात में इबादत किया करता था, फिर छोड़ दी। और हिशाम बिन अम्मार ने कहा कि हमसे अब्दुल हमीद बिन अबुल इशरीन ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यह्या ने बयान किया, उनसे उमर बिन हकम बिन शौबान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने, इसी तरह फिर यही हदीष बयान की। इब्ने अबुल इशरीन की तरह उमर बिन अबू सलमा ने भी इसको इमाम औज़ाई से रिवायत किया।

(राजेअ : 1131)

तशरीह : अब्बास बिन हुसैन से इमाम बुखारी (रह.) ने इस किताब में एक ये हदीष और एक जिहाद के बाब में रिवायत की, पस दो ही हदीषें। ये बग़दाद के रहने वाले थे। इब्ने अबी इशरीन से इमाम औज़ाई का मंशा था उसमें मुहदिषीन ने कलाम किया है मगर इमाम बुखारी (रह.) उसकी रिवायत मुताबअतन लाए। अबू सलमा बिन अब्दुरहमान की सनद को इमाम बुखारी (रह.) इसलिये लाए है कि उसमें यह्या बिन अबी क़षीर और अबू सलमा में एक शख्स का वास्ता है या'नी अम्र बिन हकम का और अगली सनद में यह्या कहते हैं कि मुझसे खुद अबू सलमा ने बयान किया तो शायद यह्या ने ये हदीष अम्र के वास्ते से और बिलावास्ता दोनों तरह अबू सलमा से सुनी (वहीदी)

1-153. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उनसे अबुल अब्बास साइब बिन फ़रूख़ ने कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि क्या ये खबर सहीह है कि तुम रातभर इबादत करते हो और फिर दिन में रोज़े रखते हो? मैंने कहा कि हाँ हुज़ूर मैं ऐसा ही करता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आँखें (बेदारी की वजह से) बैठ जाएंगी और तेरी जान नातवाँ हो जाएगी। ये जान लो कि तुम पर तुम्हारे नपस का भी हक़ है और बीवी-बच्चों का भी। इसलिये कभी रोज़े भी रखो और कभी बिला रोज़े के भी रहो, इबादत भी

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)). وَقَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَشْرَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ. [راجع: 1131]

1-153 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ ((أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَجَمَعْتَ عَيْنَكَ، وَنَفَيْتَ نَفْسَكَ، وَإِنْ لِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ حَقٌّ فَصُمْ وَأَطِرْ، وَتَمَّ وَتَمَّ)).

करो और सोओ भी। (राजेज़ : 1131)

गोया आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसे सख्त मुजाहदे से मना किया। अब जो लोग ऐसा करें वो आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत के खिलाफ़ चलते हैं, उससे नतीजा क्या? इबादत तो इसीलिये है कि अल्लाह और रसूल राज़ी हों।

बाब 21 : जिस शख्स की रात को आँख खुले फिर वो नमाज़ पढ़े, उसकी फ़ज़ीलत

۲۱- بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

1154. हमसे स़दक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमको वलीद बिन मुस्लिम ने इमाम औज़ाई से ख़बर दी, कहा कि मुझको अमीर बिन हानी ने बयान किया, कहा कि मुझसे जुनादा बिन अबी उमय्या ने बयान किया, कहा कि मुझसे इबादा बिन स़ामित ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े (तर्जुमा) अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिये है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बग़ैर न किसी को गुनाहों से बचने की ताक़त है न नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा। या (ये कहा कि) कोई दुआ करे तो उसकी दुआ ज़रूर कुबूल होती है। फिर अगर उसने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ भी मक़बूल होती है।

۱۱۵۴- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي- أَوْ دَعَا- اسْتَجِيبَ. فَإِنَّ تَوَضُّأً قَبِلْتَ صَلَاتَهُ)).

तशरीह: इब्ने बत्ताल (रह.) ने इस हदीष पर फ़र्माया कि अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) की जुबान पर ये वा'दा फ़र्माता है कि जो मुसलमान रात में इस तरह बेदार हो कि उसकी जुबान अल्लाह तआला की तौहीद, उस पर ईमान व यक़ीन, उसकी किब्रियाई और सलतनत के सामने तस्लीम और बन्दगी, उसकी नेअमतों का ए'तिराफ़ और इस पर उसका शुक्र व हम्द और ज़ाते पाक की तंज़ीह व तक्दीस से भरपूर कलिमात जुबान पर ज़ारी हो जाएँ तो अल्लाह तआला उसकी दुआ को भी कुबूल करता है और उसकी नमाज़ भी बारगाहे रब्बुल इज्जत में मक़बूल होती है। इसलिये जिस शख्स तक भी ये हदीष पहुँचे, उसे इस पर अमल को ग़नीमत समझना चाहिये और अपने रब के लिये तमाम अअमाल में निय्यते ख़ालिस पैदा करनी चाहिये कि सबसे पहली शर्त कुबूलियत की यही ख़ुलूस है। (तफ़्हीमुल बुखारी)

1155. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझको हैषम बिन अबी सिनान ने ख़बर दी कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना। आप अपने वा'ज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र कर रहे थे। फिर आप ने

۱۱۵۵- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ

फ़र्माया कि तुम्हारे भाई ने (अपने नअतिया अशआर में) ये कोई ग़लत बात नहीं कही। आपकी मुराद अब्दुल्लाह बिन खाहा (रज़ि.) के अशआर से थी, जिनका तर्जुमा ये है, हममें अल्लाह के रसूल मौजूद है, जो उसकी किताब हमें उस वक़्त सुनाते हैं, जब फ़ज़्र तुलूअ होती है। हम तो अन्धे थे आप (ﷺ) ने हमें गुमराही से निकाल कर सहीह रास्ता दिखाया। उनकी बातें इस क़दर यक़ीनी हैं जो हमारे दिलों के अन्दर जाकर बैठ जाती है और जो कुछ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो ज़रूर वाक़ेअ होगा। आप (ﷺ) रात बिस्तर से अपने को अलग करके गुजारते हैं, जबकि मुश्रिकों से उनके बिस्तर बोझिल हो रहे होते हैं।

यूनस की तरह इस हदीष को अक़ील ने भी जुहरी से रिवायत किया और जुबैदी ने यूँ कहा सईद बिन मुसय्यिब और अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से।

(दीगर मक़ाम : 6151)

يَقْضَىٰ فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ أَحَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ)).
يَعْنِي بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ بِنِ رَوَاحَةٍ: وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَغْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعَ أَرَانَا الْهُدَىٰ بَعْدَ الْعُمَىٰ فَقُلُوبُنَا بِهٖ مُوقِنَاتٌ أَنْ مَا قَانَ وَاقِعٌ يَبِينُ يَجَالِي جَنَبَهُ عَنِ لِرَاشِيهِ إِذَا اسْتَقْلَتِ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعَ تَابَعَهُ غَفِيلٌ.
وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، وَالْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[طرفه في : ٦١٥١]

तशरीह: जुबैदी की रिवायत को इमाम बुखारी (रह.) ने तारीख में और तबरानी ने मुअजम कबीर में निकाला। इमाम बुखारी (रह.) की गर्ज़ इस बयान से ये है कि जुहरी के शैख में रावियों का इख़्तिलाफ़ है। यूनस और अक़ील ने हैशम बिन अबी सिनान कहा है और जुबैदी ने सईद बिन मुसय्यिब और अअरज और मुम्किन है कि जुहरी ने इन तीनों से इस हदीष को सुना हो। हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने कहा कि इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक पहला तरीक़ राजेह है क्योंकि यूनस और अक़ील दोनों ने बिल इतेफ़ाक़ जुहरी का शैख़ हैशम को क़रार दिया है। (वहीदी)

इस हदीष से ये प्राबित हुआ कि मजालिसे वा'ज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सीरते मुबारका का नज़्म व नज़्म में ज़िक्र करना दुरुस्त है। सीरत के सिलसिले में आप (ﷺ) की विलादत ब-सआदत और हयाते तय्यिबा के वाक़िआत का ज़िक्र करना बाअिषे अज़्दयादे ईमान है। लेकिन मुरव्वजा महाफ़िले मीलाद का इन्ज़िक्काद किसी शरई दलील से प्राबित नहीं। अहदे सहाबा व तबअ ताबेईन व अइम्म-ए-मुज्ताहिदीन व जुम्ला मुहदिषीने किराम में ऐसी महाफ़िल का नामोनिशान भी नहीं मिलता। पूरे छः सौ साल गुजर गए दुनिय-ए-इस्लाम महफ़िले मीलाद के नाम से भी आशना (परिचित) न थी। तारीख़ इब्ने खल्कान मे ह कि इस महफ़िल का मौजिदे अव्वल एक बादशाह अबू सईद मुजफ़फ़रुदीन नामी था, जो नज़द मौसिल अरबल नामी शहर का हाकिम था। इलमा-ए-रासिखीन ने उसी वक़्त से इस नौ-ईजाद महफ़िल की मुखालफ़त फ़र्माई। मगर स़द अफ़सोस कि नामोनिहाद फिदाइयाने रसूले करीम (ﷺ) आज भी बड़े तुन्तुना से ऐसी महाफ़िल करते हैं जिनमें निहायत ग़लत-सलत रिवायात बयान की जाती हैं, चिरागा और शीरीनी का खास एहतिमाम होता है और इस अक़ीदे से क़याम करके सलाम पढ़ा जाता है कि आहज़रत (ﷺ) की रूहे मुबारक खुद इस महफ़िल में तशरीफ़ लाई है। ये जुम्ला उमूर ग़लत और बे-पुबूत हैं जिनके करने से बिदअत का इर्तिकाब होता है। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने साफ़ फ़र्मा दिया था कि मन अहदष फ़ी अम्निना हाज़ा मा लैस मिन्हु फहुव रहुन जो हमारे दीन में कोई नई बात ईजाद करे जिसका पुबूत शरअत से न हो वो मदद है।

1156. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ये ख़्वाब देखा कि गोया एक गाढ़े

١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ((رَأَيْتُ

रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ है। जिससे मैं जन्नत में जिस जगह का भी इरादा करता हूँ तो ये उधर उड़ाकर मुझको ले जाता है और मैंने देखा कि जैसे दूसरे फ़रिश्ते मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दोज़ख़ की तरफ़ ले जाने का इरादा किया ही था कि एक फ़रिश्ता उनसे आकर मिला और (मुझसे) कहा कि डरो नहीं (और उनसे कहा कि) इसे छोड़ दो।

(राजेअ: 440)

1157. मेरी बहन (उम्मूल मोमिनीन) हफ़सा (रजि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मेरा एक ख़वाब बयान किया तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश! रात में भी नमाज़ पढ़ा करता। अब्दुल्लाह (रजि.) इसके बाद हमेशा रात में नमाज़ पढ़ा करते थे।

(राजेअ: 1122)

1158. बहुत से सहाबा (रजि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अपने ख़वाब बयान किये कि शबे-क़द्र (रमज़ान की) सत्ताईसवीं रात है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सब के ख़वाब रमज़ान के आख़िरी अशरे में (शबे-क़द्र के होने पर) मुत्तफ़िरक़ हो गये हैं, इसलिये जिसे शबे-क़द्र की तलाश हो वो रमज़ान के आख़िरी अशरे में ढूँढे।

(दीगर मक़ाम: 2015, 6991)

عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بِيَدِي قِطْعَةٌ اسْتَبْرَقَ فَكَانَتِي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ. وَرَأَيْتُ كَانَ اثْنَيْنِ أَيَّنَانِي أَرَادَ أَنْ يَذْفَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَلَقَاهُمَا مَلَكَ فَقَالَ: لِمَ تَرَعُ، خَلِيًّا عَنْهُ).

[راجع: ٤٤٠]

١١٥٧- لَقِصْتُ حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِخْدَى رُؤْيَايَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَعَمْ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)). فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. [راجع: ١١٢٢]

١١٥٨- ((وَكُنَّا لَا يَزَالُونَ يَقْصُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الرُّؤْيَا أَنهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَوِّرًا فَلْيَحْرُهَا مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)).

[طرفه ن: ٢٠١٥، ٦٩٩١]

तशरीह: हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) किताबुस्सियाम में बाब तहरी लैलतुल क़द्र के तहत में फ़र्माते हैं फ़ी हाज़िहित्तर्जुमति इशारतुन इला रुज़्हानि कौनि लैलतिल्क़द्रि मुन्हसिरतुन फ़ी रमज़ान घुम्म फिल्अशरील्अख़री मिन्हु घुम्म फ़ी औतारिही ला फ़ी लैलतिम्मिन्हा बिऐनिहा व हाज़ा हुवल्लज़ी यदुल्लु अलैहि मज्मूउल्अख़बारिल् वारिदति (फ़त्हुल्क़दीर) या'नी लैलतुल क़द्र रमज़ान में मुन्हसिर है और वो आख़िरी अशरे की किसी एक ताक़ रात में होती है तमाम अह्दादीष जो इस बाब में वारिद हुई हैं उन सबसे यही ष़ाबित होता है। बाक़ी तफ़सील किताबुस्सियाम में आएगी। ताक़ रातों से 21, 23, 25, 27, 29 की रातें मु़ाद हैं। उनमें से वो किसी रात के साथ ख़ास नहीं है। अह्दादीष से यही ष़ाबित हुआ है।

बाब 22 : फ़ज़्र की सुन्नतों को हमेशा पढ़ना

1159. हमसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे इराक बिन मालिक

٢٢- بَابُ الْمُدَاوِمَةِ عَلَى رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ

١١٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي

ने, उनसे अबू सलमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर रात को उठकर आपने तहज्जुद की आठ रकअत पढ़ीं और दो रकअतें सुबह की अज़ान व इक्रामत के दरम्यान पढ़ी, जिनको आप कभी नहीं छोड़ते थे। (फ़ज़्र की सुन्नतों पर मदावमत प्राबित हुई)

(राजेअ : 619)

बाब 23 : फ़ज़्र की सुन्नतें पढ़कर दाहिनी करवट पर लेटना

1160. हमसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अय्यूब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अबुल अस्वद मुहम्मद बिन अब्दुरहमान ने बयान किया, उनसे इवा बिन यज़ीद (रज़ि.) ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज़्र की दो सुन्नत रकअतें पढ़ने के बाद दाहिनी करवट पर लेट जाते।

(राजेअ : 626)

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَائَيْنِ، وَتَمَّ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبَدًا)). [راجع: ٦١٩]

٢٣- بَابُ الضُّجْعَةِ عَلَى الشُّقِّ

الْأَيْمَنِ بَعْدَ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ

١١٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ)).

[راجع: ٦٢٦]

तशरीह : फ़ज़्र की सुन्नत पढ़कर थोड़ी देर के लिये दाईं करवट पर लेटना मसनून है, इस बारे में कई जगह लिखा जा चुका है। यहाँ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने उसके बारे में ये बाब बाँधा है और हदीषे आइशा (रज़ि.) से साफ़ जाहिर होता है कि आँहज़रत (ﷺ) फ़ज़्र की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर के लिये दाईं करवट पर लेटा करते थे। अल्लामा शौकानी (रह.) ने इस बारे में उलमा के छः क़ौल नक़ल किये हैं। अल मुहद्दिषुल कबीर अल्लामा अब्दुरहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, अलअव्वलु अन्नहू मशरूउन अला सबीलिलइस्तिहबाबि कमा हकाहुत्तिर्मिज़ी अन बअजि अहलिलइल्मि व हुव कौलु अबी मूसा अलअशअरी व राफिइब्नि खदीज व अनसिब्नि मालिक व अबी हुरैरत क़ाललहाफ़िज़ इब्नुल्क़य्थिम फ़ी ज़ादिल्मअद क़द ज़कर अब्दुरज़ज़ाक़ फिलमुसन्नफ़ि अन मअमरिन अन अय्यूब अनिब्नि सीरीन अन्न अबा मूसा व राफ़िअब्न खदीज व अनसब्न मालिक कानू यज्जज़िऊन बअद रकअतल्फ़ज़ि व यामुरून बिजालिक व क़ाललइराकी मिम्मन कान यफ़अलु औ युफ़ती बिही मिनस्सहाबति अबू मूसा अलअशअरी व राफिउब्नु खदीज व अनसुब्नु मालिक व अबू हुरैरत इन्तिहा व मिम्मन क़ाल बिही मिनत्ताबिईन मुहम्मदुब्नु सीरीन व उर्वतुब्नुज्जुबैर कमा फ़ी शर्हील्मुन्तकाव क़ाल अबू मुहम्मद अलिय्युब्नु हज़म फिलमुहल्ला व ज़कर अब्दुरहमानुब्नु ज़ैदिन फ़ी किताबिस्सअति अन्नहुम यअनी सईदुब्नुल्युसय्थिब वल्कासिमुब्नु मुहम्मदुब्नु अबी बक्र व उर्वतुब्नुज्जुबैर व अबा बक्रिन हव इब्नु अब्दिरहमान व खारिजतुब्नु ज़ैदिब्नि प्राबितिन व उबैदिल्लाहिब्नु अब्दिल्लाहिब्नि उतबतब्नि सुलैमानब्नि यसारिन कानू यज्जज़िऊन अला अयमानिहिम बैन रकअतइल्फ़ज़ि व मलातिस्सुब्हि इन्तिहा व मिम्मन क़ाल बिही मिनल्अइम्मति मिनश्शाफ़िइ व अस्हाबिहि क़ाललएनी फ़ी उम्दतिल्क़ारी ज़हबश्शाफ़िइ व अस्हाबुहू इला अन्नहू सुन्नतुन इन्तिहा (तोहफ़तुल अहवज़ी)

या'नी इस लेटने के बारे में इख़ितलाफ़ ये है कि ये मुस्तहब है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी ने कुछ अहले इल्म का मसलक यही नक़ल किया है। और अबू मूसा अशअरी और राफ़ेअ बिन खदीज और अनस बिन मालिक (रज़ि.) और अबू

हुरैरह (रज़ि.) का यही अमल था, ये सब सुन्नते फ़ज़्र के बाद लेटा करते थे और लोगों को भी इसका हुक़्म देते थे जैसा कि अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने ज़ादुल मआद में नक़ल किया है और अल्लामा इराक़ी ने उन तमाम मज़कूर सहाबा किराम (रज़ि.) के नाम लिखे हैं कि ये उसके लिये फ़तवा दिया करते थे, ताबेईन में से मुहम्मद बिन सीरीन और उर्वा बिन जुबैर का भी यही अमल था। जैसा कि शरहे मुन्तक़ा में है और अल्लामा इब्ने हज़म ने मुहल्ला में नक़ल किया है कि सईद बिन मुसय्यिब, कासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बक्र, उर्वा बिन जुबैर, अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान, ख़ारजा बिन ज़ैद बिन प्राबित और अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन सुलैमान बिन यसार, इन सारे ताबेईन का यही मसलक था कि ये फ़ज़्र की सुन्नतें पढ़कर दाईं करवट पर लेटा करते थे। इमाम शाफ़िई और उनके शागिदों का भी यही मसलक है कि ये लेटना सुन्नत है।

इस बारे में दूसरा क़ौल अल्लामा इब्ने हज़म का है जो इस लेटने को वाजिब कहते हैं। इस बारे में अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, कुल्लु क्रद अरफ़्तु अन्नलअमलवारिदत फ़ी हदीषि अबी हुरैरत महमूलुन अललइस्तिहबाबि लिअन्नहू (ﷺ) लम यकुन युदाविम अललइज्तिजाइ फ़ला यकूनु वाजिबन फ़ज़लन अंध्यकून शर्तन लिसिहहति मलातिमुब्हि या'नी हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) में इस बारे में जो बसैगा अमर वारिद हुआ है जो कोई शख्स फ़ज़्र की सुन्नतों को पढ़े उसको चाहिये कि अपनी दाईं करवट पर लेटे (स्वाहुतिर्मिजी)। ये अमर इस्तिहबाब के लिये है। इसलिये कि आहज़रत (ﷺ) से इस पर मुदावमत मन्कूल नहीं है बल्कि तर्क भी मन्कूल है। पस ये पूरे तौर पर वाजिब न होगा कि नमाज़े फ़ज़्र की स़ेहत के लिये ये शर्त हो।

कुछ बुजुर्गों से इसका इन्कार भी प्राबित है मगर सहीह हदीषों के मुकाबले पर ऐसे बुजुर्गों का क़ौल क़ाबिले हुज्जत नहीं है। इत्तिबाअे रसूले करीम (ﷺ) बहरहाल मुक़दम और मौजिबे अज़ो-प्रवाब है। पिछले सफ़हात में अल्लामा अनवर शाह साहब देवबन्दी मरहूम (रह.) का क़ौल भी इस बारे में नक़ल किया जा चुका है। बहष के ख़ातिमे पर अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं। वल्कौलुराजिहु अल्मअमूल अलैहि हुव अन्नलइज्तिजाअ बअद सुन्नतिल्फ़ज़्रि मशरूउन अला तरीकिल् इस्तिहबाबि वल्लाहु तआला आलमु या'नी क़ौले राजेह यही है कि ये लेटना बतौर इस्तिहबाब मशरूअ है।

बाब 24 : फ़ज़्र की सुन्नतें पढ़कर बातें करना और न लेटना

۲۴- بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ وَأَلَمْ يَضْطَجِعْ

1161. हमसे बिशर बिन हक़म ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया; उन्होंने कहा कि मुझसे सालिम बिन अबुन नज़र ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से बयान किया और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब फ़ज़्र की सुन्नतें पढ़ लेते तो अगर मैं जाग रही होती तो आप मुझसे बातें करते वरना लेट जाते जब तक नमाज़ की अज़ान होती। (राजेअ : 1118)

۱۱۶۱- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رَأَى النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعْتُ حَتَّى يُؤَدَّنَ بِالصَّلَاةِ)).

[راجع: ۱۱۱۸]

मा'लूम हुआ कि अगर लेटने का मौक़ा न मिले तो भी कोई हज़्र नहीं है। मगर इस लेटने को बुरा जानना फ़अले नबी की तन्कीस करना है।

बाब 25 : नफ़ल नमाज़ें दो-दो रक़अत करके पढ़ना

۲۵- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

इमाम बुखारी (रह.) ने फ़र्माया और अम्मार और अनस

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَارٍ وَأَبِي

(रज़ि.) सहाबियों से बयान किया, और जाबिर बिन यज़ीद, इकिरमा और ज़ुहरी (रह.) ताबेईन से ऐसा ही मन्कूल है और यह्या बिन सईद अन्सारी (ताबेई) ने कहा कि मैंने अपने मुलक (मदीना तैयबा) के आलिमों को यही देखा कि वो नवाफ़िल में (दिन को) हर दो रकअत के बाद सलाम फेरा करते थे।

ذَرَّ وَأَنَسَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَعِكْرَمَةُ
وَالزُّهْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَقَالَ يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فَقَهَاءَ
أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنَ
النَّهَارِ.

तशरीह:

हाफ़िज़ ने कहा अम्मार और अबू ज़र (रज़ि.) की हदीषों को इब्ने अबी शैबा ने निकाला और अनस (रज़ि.) की हदीष तो इसी किताब में गुज़री कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनके घर जाकर दो-दो रकअतें नफ़्ल पढ़ीं और जाबिर बिन ज़ैद का अषर मुझको नहीं मिला और इकिरमा का अषर इब्ने अबी शैबा ने निकाला और यह्या बिन सईद का अषर मुझको नहीं मिला। (वहीदी)

1162. हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुरहमान बिन अबुल मवाल ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तमाम मामलात में इस्तिख़ारा करने की इस तरह ता'लीम देते थे, जिस तरह कुआन की कोई सूरत सिखाते, आप (ﷺ) फ़र्माते कि जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज़ के अलावा दो रकअत नफ़्ल पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े (तर्जुमा) ऐ मेरे अल्लाह! मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत ख़ैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे त्राक़त माँगता हूँ और तेरे फ़ज़ले-अज़ीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह! अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिये इस्तिख़ारा किया जा रहा है मेरे दीन, दुनिया और काम के अंजाम के ए'तिबार से मेरे लिये बेहतर है या (आप ﷺ ने ये फ़र्माया कि) मेरे लिये वक़्ती तौर पर और अंजाम के ए'तिबार से ये (ख़ैर है) तो इसे मेरे लिये नज़ीब कर और इसका हुसूल मेरे लिये आसान कर और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन, दुनिया और मेरे काम के अंजाम के ए'तिबार से

۱۱۶۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا
السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ((إِذَا هَمَّ
أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ
الْفَرِيضَةِ. ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ
بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ،
وَتَعْلَمُ وَلَا أَغْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ
لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ
قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِيهِ - فَالْقُدْرَةُ لِي،
وَيَسْرَةُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ: وَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: لِي

बुरा है या (आप ﷺ ने ये कहा कि) मेरे मामले में वक्ती तौर पर और अंजाम के ए'तिबार से (बुरा है) तो इसे मुझसे हटा दे और मुझे भी इससे हटा दे। फिर मेरे लिये खैर मुकद्दर फ़र्मा दे, जहाँ भी वो हो और उससे मेरे दिल को मुत्तमईन भी कर दे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस काम की जगह उस काम का नाम लें।

(दीगर मक़ाम: 6372, 7390)

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَأَقْلَبْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ
كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ : وَيَسْمَى
حَاجَتَهُ))

[طرفاه ن: ٦٣٨٢، ٧٣٩٠]

तश्रीह:

इस्तिखारे से कामों में बरकत पैदा होती है, ये ज़रूरी नहीं कि इस्तिखारा करने के बाद कोई ख़्वाब भी देखा जाए या किसी दूसरे ज़रिये से ये मा'लूम हो जाए कि पेश आने वाला मुआमले में कौनसी रविश मुनासिब है। इस तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि तबई रुज़्हान ही की हद तक कोई बात इस्तिखारा से दिल में पैदा हो जाए। हदीष में इस्तिखारा के ये फ़वाइद कहीं बयान नहीं हुए हैं और वाकिआत से भी पता चलता है कि इस्तिखारा के बाद कुछ औकात उनमें से कोई चीज़ हासिल नहीं होती बल्कि इस्तिखारा का मक़सद सिर्फ़ तलबे खैर है। जिस काम का इरादा है या जिस मुआमले में आप उलझे हुए हैं गोया इस्तिखारा के ज़रिये आपने उसे अल्लाह के इल्म और कुदरत के हवाले कर दिया है और उसकी बारगाह में हाज़िर होकर पूरी तरह उस पर तवक्कल का वा'दा कर लिया। 'मैं तेरे इल्म के वास्ते से तुझसे खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत के वास्ते से तुझसे ताक़त माँगता हूँ और तेरे फ़जल का ख़्वास्तगार हूँ।' ये तवक्कल और तपवीज़ नहीं तो और क्या है रज़ा बिल क़ज़ा की दुआ के आखिरी अल्फ़ाज़ 'मेरे लिये खैर मुकद्दर फ़र्मा दीजिए जहाँ भी वो हो और इस पर मेरे दिल को मुत्तमईन कर दे।' ये इत्मीनान की भी दुआ करता है कि दिल में अल्लाह के फ़ैसले के खिलाफ़ किसी किस्म का ख़तरा भी न पैदा हो। दरअसल इस्तिखारा की इस दुआ के ज़रिये बन्दा अब्बल तो तवक्कल का वा'दा करता है और फिर षाबितक़दमी और रज़ा बिल क़ज़ा की दुआ करता है कि ख़्वाह मुआमले का फ़ैसला मेरी ख़्वाहिश के खिलाफ़ ही क्यों न हो, हो वो खैर ही और मेरा दिल मुत्तमईन और राज़ी हो जाए। अगर वाक़ई कोई ख़ालिस दिल से अल्लाह के हुज़ूर में ये दोनों बातें पेश कर दे तो उसके काम में अल्लाह तआला का फ़जलो-करम से बरकत यक़ीनन होगी। इस्तिखारा का सिर्फ़ यही फ़ायदा है और उससे ज़्यादा और क्या चाहिये? (तपहीमुल बुखारी) हज़रत इमाम बुखारी (रह.) यहाँ इस हदीष को इसलिये लाए कि उसमें नफ़ल नमाज़ दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है और यही बाब का तर्जुमा है।

1163. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन सईद ने, उनसे आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बयान किया, उन्होंने उमर बिन सुलैम ज़रकी से, उन्होंने अबू क़तादा बिन रबई अन्सारी सहाबी (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब कोई तुम में से मस्जिद में आए तो न बैठे जब तक दो रकअत (तहिय्यतुल मस्जिद) न पढ़ ले।
(राजेअ: 444)

1164. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उन्हें अनस बिन मालिक

١١٦٣ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَصَلِّيَ
رَكَعَتَيْنِ)) [راجع: ٤٤٤]

١١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(रज़ि.) ने कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हमारे घर जब दा'वत में आए थे) दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और फिर वापस तशरीफ़ ले गये। (राजेअ: 380)

1165. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने अक़ील से बयान किया, अक़ील से इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम ने ख़बर दी और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, आप ने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुहर से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ी और जुहर के बाद दो रकअत और जुम्आ के बाद दो रकअत और मरिब के बाद दो रकअत और इशा के बाद भी दो रकअत (नमाज़े-सुन्नत) पढ़ी है। (राजेअ: 938)

1166. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें अम्र बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुम्आ का ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि जो शख्स भी (मस्जिद में) आए और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो या ख़ुत्बा के लिये निकल चुका हो तो वो दो रकअत नमाज़ (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ ले। (राजेअ: 930)

1167. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सैफ़ बिन सुलैमान ने बयान किया कि मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) (मक्का शरीफ़ में) अपने घर आए, किसी ने कहा बैठे क्या हो, आँहज़रत (ﷺ) ये आ गये बल्कि का'बा के अन्दर भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब्दुल्लाह ने कहा ये सुनकर मैं आया। देखा तो आँहज़रत (ﷺ) का'बा से बाहर निकल चुके हैं और बिलाल (रज़ि.) दरवाज़े पर खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐ बिलाल! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने का'बा में नमाज़ पढ़ी? उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ी थी। मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने बताया कि यहाँ दो सुतूनों के दरम्यान, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए और दो रकअत का'बा

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)). [راجع: 380]

1165 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ)). [راجع: 938]

1166 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيَصِلْ رَكَعَتَيْنِ)).

[راجع: 930]

1167 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ((أَبِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. قَالَ فَأَبْلُتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالَ عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، أَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ،

के दरवाजे के सामने पढ़ीं और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने चाशत की दो रकअतों की वसियत की थी और इतबान ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबूबक्र और उमर (रज़ि.) सुबह दिन चढ़े मेरे घर तशरीफ़ लाए। हमने आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बना ली और आँहज़रत (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ: 397)

ثُمَّ خَرَجَ لَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ)). وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ رَكَعِي الضُّحَى وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ هَذَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَقْنَا وَرَأَاهُ، فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ)). [راجع: ٣٩٧]

इन तमाम रिवायतों से इमाम बुखारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि नफ़ल नमाज़ ख़वाह दिन ही में क्यूँ न पढ़ी जाएँ, दो-दो रकअत करके पढ़ना अफ़ज़ल है। इमाम शाफ़िई (रह.) का भी यही मसलक है।

बाब 26 : फ़ज़्र की सुन्नतों के बाद बातें करना

1168. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अबुन नज़र सालिम ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाप अबू उमय्या ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब दो रकअत (फ़ज़्र की सुन्नत) पढ़ लेते तो उस वक़्त अगर मैं जाग रही होती तो आप मुझसे बातें करते वरना लेट जाते। मैंने सुफ़यान से कहा कि बाज़ रावी फ़ज़्र की दो रकअतें इसे बताते हैं तो उन्होंने फ़र्माया कि हाँ ये वही हैं। (राजेअ: 1118)

٢٦- بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكَعَتِي الْفَجْرِ

١١٦٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعْتُ)) قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنْ بَغَضَهُمْ يَزِيدُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَلِكَ.

[راجع: ١١١٨]

उसैली के नुस्खे में यूँ है। क़ाल अबुन्नज़र हद़षनी अन अबी सल्मत सुफ़यान ने कहा कि मुझको ये हदीष अबुन्नज़र ने अबू सलमा से बयान की। इस नुस्खे में गोया अबुन्नज़र के बाप का ज़िक्र नहीं है।

बाब 27 : फ़ज़्र की सुन्नत की दो रकअतें हमेशा लाज़िम कर लेना और उनके सुन्नत होने की दलील

1169. हमसे बयान बिन अम्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे अता ने बयान किया, उनसे उबैद बिन उमैर ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) किसी नफ़ल

٢٧- بَابُ تَعَاهُدِ رَكَعَتِي الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَاهُمَا تَطَوُّعًا

١١٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمْ يَكُنْ

नमाज़ की फ़ज़्र की दो रक़अतों से ज़्यादा पाबन्दी नहीं करते थे।

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَالِي أَسَدًا مِنْهُ تَعَاهِدًا عَلَى رَكَعَتِي الْفَجْرِ).

तशरीह: इस हदीष में हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़ज़्र की सुन्नतों को भी लफ़्जे नफ़्ल ज़िक्र किया है। पस बाब और हदीष में मुताबक़त हो गई, ये भी मा'लूम हुआ कि आँ हज़रत (ﷺ) ने उन सुन्नतों पर मुदावमत फ़र्माई है। लिहाज़ा सफ़र व हज़र कहीं भी इनका तर्क करना अच्छा नहीं है।

बाब 28 : बाब फ़ज़्र की सुन्नतों में क़िरअत कैसी करें?

۲۸- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكَعَتِي الْفَجْرِ

1170. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन इर्वा ने, उन्हें उनके बाप (इर्वा बिन जुबैर) ने और उन्हें हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में तेरह रक़अतें पढ़ते थे। फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो दो हल्की रक़अतें (सुन्नते-फ़ज़्र) पढ़ लेते।

(राजेअ: 626)

۱۱۷۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)).

[راجع: ۶۲۶]

इस हदीष में इस तरफ़ इशारा है कि फ़ज़्र की सुन्नतों में छोटी-छोटी सूरतों को पढ़ना चाहिये, आप (ﷺ) के हल्का करने का यही मतलब है।

1171. मुझसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शुअबा ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुरह्मान ने, उनसे उनकी फूफ़ी अम्रा बन्ते अब्दुरह्मान ने और उनसे हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (दूसरी सनद) और हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद अन्सारी ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुरह्मान ने, उनसे अम्रा बन्ते अब्दुरह्मान ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) सुबह की (फ़ज़्र) नमाज़ से पहले की दो (सुन्नत) रक़अतों को बहुत मुख़तस़र रखते थे। आप (ﷺ) ने उनमें सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी या नहीं मैं ये भी नहीं कह सकती।

۱۱۷۱- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِيهِ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَى قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ)).

ये मुबालगा है या'नी बहुत हल्की-फुल्की पढ़ते थे। इब्ने माजा में है कि आप (ﷺ) उनमें सूरह काफ़िरून और सूरह इख़लास पढ़ा करते थे।

बाब 29 : फ़र्जों के बाद सुन्नत का बयान

1172. हमसे मुसहद बिन मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इमरी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ जुहर से पहले दो रकअत, जुहर के बाद दो रकअत सुन्नत, मरिब के बाद दो रकअत सुन्नत, इशा के बाद दो रकअत सुन्नत और जुम्आ के बाद दो रकअत सुन्नत पढ़ी है और मरिब और इशा की सुन्नतें आप घर में पढ़ते थे। अबुज्जिनाद ने मूसा बिन इब्रबा के वास्ते से बयान किया और उनसे नाफ़ेअ ने कि इशा के बाद अपने घर में (सुन्नत पढ़ते थे) उनकी रिवायत की मुताबक़त क़षीर बिन फ़रक़द और अय्यूब ने नाफ़ेअ के वास्ते से की है।

(राजेअ: 937)

1173. उनसे (इब्ने इमर (रज़ि.) ने बयान किया कि) मेरी बहन हफ़सा ने मुझसे बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज़्र होने के बाद दो हल्की रकअतें (सुन्नते-फ़ज़्र) पढ़ते थे और ये ऐसा वक़्त होता कि मैं नबी करीम (ﷺ) के पास नहीं जाती थी। अब्दुल्लाह के साथ इस हदीष को क़षीर बिन फ़रक़द और अय्यूब ने भी नाफ़ेअ से रिवायत किया और इब्ने अबुज्जिनाद ने इस हदीष को मूसा बिन इब्रबा से, उन्होंने नाफ़ेअ से रिवायत किया। इस में फ़ी बैतिही के बदले फ़ी अहलिही है।

(राजेअ: 618)

ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने इसलिये कहा कि फ़ज़्र से पहले और इशा की नमाज़ के बाद और ठीक दोपहर को घर के कामकाजी लोगों को भी इजाज़त लेकर जाना चाहिये, उस वक़्त ग़ैर लोग आप (ﷺ) से कैसे मिल सकते। इसलिये इब्ने इमर (रज़ि.) ने उन सुन्नतों का हाल अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हफ़सा (रज़ि.) से सुनकर मा'लूम किया।

बाब 30 : इस बारे में जिसने फ़र्ज के बाद

सुन्नत नमाज़ नहीं पढ़ी

1173. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया,

۲۹- بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

۱۱۷۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ

الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ

بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ

وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ)). وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ

عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ((بَعْدَ

الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ)). تَابَعَهُ كَثِيرٌ بَنُ فَرْقَدٍ

وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ. [راجع: ۹۳۷]

۱۱۷۳- وَحَدَّثَنِي أُخْتِي حَفْصَةُ ((أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا

أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا)).

تَابَعَهُ كَثِيرٌ بَنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ

عَنْ نَافِعٍ ((بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ)).

[راجع: ۶۱۸]

۳۰- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ

الْمَكْتُوبَةِ

۱۱۷۴- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

कहा कि हमसे सुफयान बिन इययना ने अग्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबुशशाअशाअ बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ आठ रकअत एक साथ (जुहर और अम्र) और सात रकअत एक साथ (मरिब और इशा मिलाकर) पढ़ी। (बीच में सुन्नत वगैरह कुछ नहीं) अबुशशाअशाअ से मैंने कहा मेरा खयाल है कि आप (ﷺ) ने जुहर आखिर वक़्त में और अम्र अव्वल वक़्त में पढ़ी होगी, इस तरह मरिब आखिर वक़्त में पढ़ी होगी और इशा अव्वल वक़्त में। अबुशशाअशाअ ने कहा कि मेरा भी यही खयाल है। (राजेअ : 573)

ये अम्र बिन दीनार का खयाल है वरना ये हदीष साफ़ है कि दो नमाज़ों का जमा करना जाइज़ है। दूसरी रिवायत में है कि ये वाकिआ मदीना मुनव्वरा का है न वहाँ कोई ख़ौफ़ था न कोई बन्दिश थी। ऊपर गुजर चुका है कि अहले हदीष के नज़दीक ये जाइज़ है। इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से ये निकाला कि सुन्नतों का तर्क करना जाइज़ है और सुन्नत भी यही है कि जमा करे तो सुन्नतें न पढ़े। (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

बाब 31 : सफ़र में चाशत की नमाज़ पढ़ना

1175. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे शुअबा बिन हज्जाज ने, उनसे तौबा बिन कैसान ने, उनसे मुवरक़ बिन मशमरख़ ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा कि क्या आप चाशत की नमाज़ पढ़ते हैं? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं! मैंने पूछा और उमर पढ़ते थे? आपने फ़र्माया नहीं! मैंने पूछा और अबूबक्र (रज़ि.)? फ़र्माया नहीं! मैंने पूछा और नबी करीम (ﷺ)? फ़र्माया नहीं! मेरा खयाल यही है। (राजेअ : 77)

तशरीह : कुछ शारेह किराम का कहना है कि बज़ाहिर इस हदीष और बाब में मुताबक़त नहीं है। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं फ़हमलख़त्ताबी अला ग़लतिन्नाकिलि वबुल्मुनीर अन्नहू लम्मा तआरज़त इन्दहू अहादीषुहा नफ़यन कहदीषिब्नि उमर हाज़ा व इब्बातन कअबी हुरैरत फिल्वसिय्यति बिहा नज़ल हदीषन्नफ़िय अलस्सफ़रि व हदीषल्लइब्बाति अलल्हज़ि व युअय्यिदु ज़ालिक अन्नहू तरज्जम लिहदीषि अबी हुरैरत बिसलातिज़्जुहा फिल्हज़ि मअ मा यअजुदुहू मिन कौलिब्नि उमर लौ कुन्तु मुसब्बिहन लअत्म्तु फिस्सफ़रि कालहू इब्नु हज़र या'नी ख़त्ताबी ने इस बाब को नाक़िल की ग़लती पर महमूल किया है और इब्ने मुनीर का कहना ये है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक नफ़ी और इब्बात की अहादीष में तआरज़ था, उसको उन्होंने इस तरह दूर किया कि हदीषे इब्ने उमर (रज़ि.) को जिसमें नफ़ी है सफ़र पर महमूल किया और हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) को जिसमें वसिय्यत का ज़िक्र है और जिससे इब्बात प्राबित हो रहा है, उसको हज़र पर महमूल किया। इस अम्र की उससे भी ताईद हो रही है कि हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) पर हज़रत इमाम (रह.) ने सलातुज़्जुहा फिल्हज़र का बाब मुनअक़िद किया है और नफ़ी के बारे में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के इस क़ौल से भी ताईद होती है जो उन्होंने फ़र्माया कि अगर मैं सफ़र में नफ़ल पढ़ता तो

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا)) قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظَنُّهُ آخَرَ الظُّهْرِ وَعَجَلَ الْعَصْرَ، وَعَجَلَ الْعِشَاءَ وَآخَرَ الْمَغْرِبِ قَالَ وَأَنَا أَظَنُّهُ. [راجع: ٥٤٣]

٣١- بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

١١٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُورِقٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لَعَمْرُؤُا قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَلَيْسَ ﷺ؟ قَالَ: لَا إِحْتَالَهُ)).

[راجع: ٧٧]

नमाज़ों को ही पूरा क्यूँ न पढ़ लेता, पस मा'लूम हुआ कि नफ़ी से उनकी सफ़र में नफ़ी मुराद है और हज़राते शैख़ैन का फ़ेअल भी सफ़र से मुता'ल्लिक है कि वो हज़रात सफ़र में नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे।

1176. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन मुरा' ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से सुना, वो कहते थे कि मुझ से उम्मे हानी (रज़ि.) के सिवा किसी (सहाबी) ने ये नहीं बयान किया कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को चाशत की नमाज़ पढ़ते देखा है। सिर्फ़ उम्मे हानी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फ़तहे-मक्का के दिन आप (ﷺ) उनके घर तशरीफ़ लाए, आप (ﷺ) ने गुस्ल किया और आठ रकअत (चाशत की) नमाज़ पढ़ी। तो मैंने ऐसी हल्की-फुल्की नमाज़ कभी नहीं देखी अलबत्ता आप (ﷺ) रकूअ और सज्दे पूरी तरह अदा करते थे। (राजेअ: 1103)

۱۱۷۶- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الصُّحَى غَيْرَ أُمَّ هَانِيءٍ لِأَنَّهَا قَالَتْ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاتَّسَلَ وَصَلَّى لِمَايَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرِ صَلَاةَ قَطُّ أَحْفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)). [راجع: ۱۱۰۳]

तश्रीह: हदीषे उम्मे हानी में है कि आँहज़रत (ﷺ) की जिस नमाज़ का ज़िक्र है। शारेहीन ने उसके बारे में इख़्तिलाफ़ किया है, कुछ ने उसे शुक्राना की नमाज़ करार दिया है। मगर हक़ीक़त यही है कि ये जुहा की नमाज़ थी। अबू दारूद में वज़ाहत है कि सल्ला सुबहतज्जुहा या'नी आप (ﷺ) ने जुहा के नफ़ल अदा किये और मुस्लिम ने किताबुतहारत में नक़ल किया सल्ला प्रमान रकआतिन सुबहतज्जुहा या'नी फिर आँहज़रत (ﷺ) ने जुहा की आठ रकअत नफ़ल अदा फ़र्माई और तम्हीदे इब्ने अब्दुल बर' में है कि क़ालत क़दिम अलैहिस्सलाम मक्कत फसल्ला प्रमान रकआतिन फकुल्लु मा हाजिहिस्सलातु क़ाल हाजिही सलातुज्जुहा वशशम्मि व जुहाहा हज़रत उम्मे हानी कहती हैं कि हुज़ूर मक्का शरीफ़ तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने आठ रकअत पढ़ीं। मैंने पूछा कि ये कैसी नमाज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये जुहा की नमाज़ है। इमाम नववी (रह.) ने इस हदीष से दलील पकड़ी है कि सलातुज्जुहा का मसनून त्रीका आठ रकअत अदा करना है। यूँ रिवायात में कम व ज़्यादा भी आई हैं। कुछ रिवायात में कम से कम ता'दाद दो रकअत भी मज़कूर है। बहरहाल बेहतर ये है कि सलातुज्जुहा पर मुदावमत की जाए क्योंकि तबरानी औसत में हज़रत अबू हरैरह (रज़ि.) की एक हदीष में मज़कूर है कि जन्नत में एक दरवाज़े का नाम ही बाबुज्जुहा है जो लोग नमाज़े जुहा पर मुदावमत करते हैं, उनको उस दरवाज़े से जन्नत में दाख़िल किया जाएगा। उक्बा बिन आमिर (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया था कि जुहा की नमाज़ में सूरह वशशम्मु वज्जुहाहा और वज्जुहा पढ़ा करो। इस नमाज़ का वक़्त सूरज के बुलन्द होने से ज़वाल तक है। (क़स्तलानी रह.)

बाब 32 : चाशत की नमाज़ पढ़ना और

उसको ज़रूरी न समझना

۳۲- بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصُّحَى

وَرَأَاهُ وَاسِعًا

1177. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी जुहैब ने बयान किया, उनसे जुहरी ने बयान किया, उनसे उर्वा बिन जुबैर ने, उनसे हज़रत आइशा सिदीक़ा (रज़ि.) ने कि मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को चाशत की

۱۱۷۷- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ غُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَحَ سَبْحَةَ الصُّحَى، وَإِنِّي

नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, मगर खुद पढ़ती हूँ। (राजेअ: 1128)

तशरीह: हज़रत आइशा (रज़ि.) ने सिर्फ़ अपनी रुइयत की नफ़ी की है वरना बहुत सी रिवायात में आप (ﷺ) का ये नमाज़ पढ़ना मज़कूर है। हज़रत आइशा (रज़ि.) के खुद पढ़ने का मतलब ये है कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से उस नमाज़ के फ़ज़ाइल सुने होंगे। पस मा'लूम हुआ कि इस नमाज़ की अदायगी बाज़िअे अज़ो-षवाब है।

इस लफ़ज़ से कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को पढ़ते नहीं देखा, बाब का मतलब निकलता है क्योंकि उसका पढ़ना ज़रूरी होता तो वो आँहज़रत (ﷺ) को हर रोज़ पढ़ते देखती। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के न देखने से चाशत की नमाज़ की नफ़ी नहीं होती। एक जमाअते स़हाबा ने उसको रिवायत किया है। जैसे अनस, अबू हुरैरह, अबू ज़र, अबू उसामा, उक़बा बिन अब्द, इब्ने अबी औफ़ा, अबू सईद, ज़ैद बिन अरक़म, इब्ने अब्बास, जुबैर बिन मुतइम, हुज़ैफ़ा, इब्ने उमर, अबू मूसा, इत्बान, उक़बा बिन आमिर, अली, मुआज़ बिन अनस, अबूबक्र और अबू मुरह (रज़ि.) वग़ैरह ने इतबान बिन मालिक की हदीष ऊपर कई बार इस किताब में गुज़र चुकी है और इमाम अहमद ने इसको इस लफ़ज़ में निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनके घर में चाशत के नफ़ल पढ़े। सब लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए और आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। (वहीदी)

बाब 33 : चाशत की नमाज़ अपने शहर में पढ़े,

ये इत्बान बिन मालिक ने नबी करीम (ﷺ)

से नक़ल किया है

۳۳- بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي

الْحَضْرَةِ، قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ

1178. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें शुअबा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे अयास जरीरी ने जो फ़रूख़ के बेटे थे, बयान किया, उनसे इज़्मान नहदी ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे मेरी जानी दोस्त (नबी करीम ﷺ) ने तीन चीज़ों की वसिधयत की है कि मौत से पहले उनको न छोड़ो। हर महीने में तीन दिन रोज़े, चाशत की नमाज़ और वित्र पढ़कर सोना।

(दीगर मक़ाम: 1981)

۱۱۷۸- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ الْحَرَبِيُّ هُوَ ابْنُ قُرُوحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَتَوَمُّ عَلَى وَتَرٍ)). [طرفه في: 1981]

तशरीह: इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद ये है कि जिन रिवायात में स़लाते जुहा की नफ़ी वारिद हुई है वो नफ़ी सफ़र की हालत में है फिर भी उसमें भी वुस्अत है और जिन रिवायात में इस नमाज़ के लिये इब्बात आया है वहाँ हालते हज़र मुराद है। हर माह में तीन दिन के रोज़े से अय्यामे बीज़ या'नी 13, 14, 15 तारीख़ों के रोज़े मुराद है।

1179. हमसे अली बिन जअद ने बयान किया कि हमको शुअबा ने ख़बर दी, उनसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक अन्सारी (रज़ि.) से सुना कि अन्सार में से एक शख़स (इत्बान बिन मालिक रज़ि.) ने जो बहुत मोटे आदमी थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मैं

۱۱۷۹- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ:

आपके साथ नमाज़ पढ़ने की त्राक़त नहीं रखता (मुझको घर पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए तो) उन्होंने अपने घर नबी करीम (ﷺ) के लिये खाना पकवाया और आप (ﷺ) को अपने घर बुलाया और एक चटाई के किनारे को आप (ﷺ) के लिये पानी से स्नाफ़ किया। आप (ﷺ) ने उस पर दो रकअत नमाज़ पढ़ी और फलों बिन फलों बिन जारूद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) चाशत की नमाज़ पढ़ा करते थे, तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने इस दिन के सिवा आपको कभी ये नमाज़ पढ़ते नहीं देखा।

(राजेअ: 680)

((قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لَا اسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ. وَقَالَ فَلَانُ بْنُ فَلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ)).

[راجع: ٦٧٠]

तशरीह:

हज़रत इमाम (रह.) ने मुख्तलिफ़ मक़ासिद के तहत इस हदीष को कई जगह रिवायत फ़र्माया है। यहाँ आपका मक़सद उससे जुहा की नमाज़ की हालते हज़र में पढ़ना और कुछ मौक़ों पर जमाअत से भी पढ़ने का जवाज़ प्राबित करना है। बिल फ़र्ज़ बक़ौल हज़रत अनस (रज़ि.) के सिर्फ़ उसी मौक़े पर आप (ﷺ) ने ये नमाज़ पढ़ी तो षुबूत मुहूआ के लिये आप (ﷺ) का एक बार काम को कर लेना भी काफ़ी वाफ़ी है। यूँ कई मौक़ों पर आप से उस नमाज़ के पढ़ने का षुबूत मौजूद है। मुम्किन है हज़रत अनस (रज़ि.) को उस दौरान आप (ﷺ) के साथ होने का मौक़ा न मिला हो।

बाब 39 : जुहर से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ना

1180. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) से दस रकअत सुन्नतें याद है। दो रकअत सुन्नत जुहर से पहले, दो रकअत सुन्नत जुहर के बाद, दो रकअत सुन्नत मरिब के बाद, दो रकअत सुन्नत इशा के बाद अपने घर में और दो रकअत सुन्नत सुबह की नमाज़ से पहले और ये वो वक़्त होता था, जब आप (ﷺ) के पास कोई नहीं जाता था।

(राजेअ: 937)

1181. मुझको उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा (रज़ि.) ने बतलाया कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता और फ़ज़्र हो जाती तो आप (ﷺ) दो रकअत पढ़ते। (राजेअ: 617)

1182. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि

٣٤ - بَابُ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

١١٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

((حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ:

رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا،

وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ

الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ

ﷺ فِيهَا)). [راجع: ٩٣٧]

١١٨١ - حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ((أَنَّكَ كَانَ إِذَا

أُذِنَ الْمَوْزُونُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى

رَكَعَتَيْنِ)). [راجع: ٦١٨]

١١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने, कहा कि हमसे शुअबा ने, उनसे इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने, उनसे उनके बाप मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जुहर से पहले चार रकअत सुन्नत और सुबह की नमाज़ से पहले दो रकअत सुन्नत नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ते थे यहा के साथ इस हदीष को इब्ने अबी अदी और अम्र बिन मरज़ूक ने शुअबा से रिवायत किया है।

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ
بِْنِ الْمُتَشِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ
الْعَدَاةِ)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرُو عَنْ
شُعْبَةَ.

ये हदीष बाब के मुताबिक नहीं क्योंकि बाब में दो रकअतें जुहर से पहले पढ़ने का ज़िक्र है और शायद बाब के तर्जुमा का ये मतलब हो कि जुहर से पहले दो ही रकअतें पढ़ना ज़रूरी नहीं, चार भी पढ़ सकता है।

बाब 35 : मग़रिब से पहले सुन्नत पढ़ना

1173. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उनसे हुसैन मुअमल ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुगफ़फल मुज़नी (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे नबी करीम (ﷺ) ने इशाद फ़र्माया कि मग़रिब के फ़र्ज़ से पहले (सुन्नत की दो रकअत) पढ़ा करो। तीसरी मर्तबा आपने यूँ फ़र्माया कि जिसका जी चाहे क्योंकि आपको ये बात पसन्द नहीं कि लोग इसे लाज़मी समझ बैठें। (दीगर मक़ाम : 7368)

٣٥- بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
١١٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ الْمَعْلَمُ
عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((صَلُّوا
قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ)) - قَالَ فِي الْفَالِغَةِ:-
((لِمَنْ شَاءَ)). كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ
سُنَّةً. [طرفه في: ٧٣٦٨].

हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि मग़रिब की जमाअत से पहले इन दो रकअतों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकता है।

1184. हमसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे यज़ीद बिन अबी हबीब से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मरषद बिन अब्दुल्लाह यज़नी से सुना कि मैं इब्रबा बिन आमिर जुहनी सहाबी (रज़ि.) के पास आया और अज़र्ज़ किया आप को अबू तमीम अब्दुल्लाह बिन मालिक पर ता'जुब नहीं आया कि वो मग़रिब की नमाज़े-फ़र्ज़ से पहले दो रकअत नफ़्ल पढते हैं। इस पर इब्रबा ने फ़र्माया कि हम भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इसे पढते थे। मैंने कहा फिर अब इसके छोड़ने की क्या वजह है? उन्होंने फ़र्माया कि दुनिया का कारोबार मानेअ है।

١١٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: ((أَتَيْتُ عَقْبَةَ بْنَ
عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أَعْجَبُكَ مِنْ أَبِي
تَمِيمٍ، يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
فَقَالَ عَقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟
قَالَ: الشُّغْلُ)).

तशरीह:

दोनों अहदादीष से प़ाबित हुआ कि अब भी मौक़ा मिलने पर मग़रिब से पहले उन दो रकअतों को पढ़ा जा सकता है, अगरचे पढ़ना ज़रूरी नहीं मगर कोई पढ़ ले तो यकीनन मोजिबे अज़्रो-घ़वाब होगा। कुछ लोगों ने कहा कि

बाद में उनके पढ़ने से रोक दिया गया। ये बात बिलकुल गलत है पिछले सफ़्हात में उन दो रकअतों के इस्तिहबाब पर रोशनी डाली जा चुकी है। अब्दुल्लाह बिन मालिक जघानी ये ताबेई मुखज्म था या'नी आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में मौजूद था, पर आपसे नहीं मिला। ये मिस्र में हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में आया था फिर वहीं रह गया। एक जमाअत ने उनको सहाबा में गिना। इस हदीष से ये भी निकला कि मरिब का वक़्त लम्बा है और जिसने इसको थोड़ा करार दिया उसका क़ौल बेदलील है। मगर ये रकअतें जमाअत खड़ी होने से पहले पढ़ लेना मुस्तहब है। (वहीदी)

बाब 36 : नफ़ल नमाज़ें जमाअत से पढ़ना, इसका ज़िक्र अनस (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से किया है

۳۶- بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً،
ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

तशरीह: इमाम बुखारी (रह.) ने इस बाब के मतलब पर अनस (रज़ि.) की हदीष से दलील ली जो ऊपर गुजर चुकी है और हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीष भी बाब क़यामुल्लैल में गुजर चुकी है। कस्तलानी (रह.) ने कहा हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीष से मुराद कुसूफ़ की हदीष है। जिसमें आप (ﷺ) ने जमाअत से नमाज़ पढ़ी। इन अहादीष से नफ़ल नमाज़ों में जमाअत का जवाज़ प्राबित होता है और कुछ ने तदाई या'नी बुलाने के साथ उनमें इमामत मकरूह रखी है। अगर खुद बखुद कुछ आदमी जमा हो जाएँ तो इमामत मकरूह नहीं है। (वहीदी)

1185. हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे बाप इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे महमूद बिन रबीअ अन्सारी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्हें नबी करीम (ﷺ) याद हैं और आप (ﷺ) की वो कुली भी याद है जो आप (ﷺ) ने उनके घर के कुएँ से पानी लेकर उनके मुँह में की थी।

۱۱۸۵- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ ((أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بَنَرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ)).

1186. महमूद ने कहा कि मैंने इत्बान बिन मालिक अन्सारी (रज़ि.) से सुना जो बद्र की लड़ाई में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ शरीक थे, वो कहते थे कि मैंने अपनी क़ौम बनी सालिम को नमाज़ पढ़ाया करता था, मेरे (घर) और क़ौम की मस्जिद के बीच में एक नाला था, और जब बारिश होती तो उसे पार करके मस्जिद तक पहुँचाना मेरे लिये मुश्किल हो जाता था। चुनाँचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे मैंने कहा कि मेरी आँखें ख़राब हो गई हैं और एक नाला है जो मेरे और मेरी क़ौम के दरम्यान पड़ता है, वो बारिश के दिनों में बहने लग जाता है और मेरे लिये उसका पार करना मुश्किल हो जाता है। मेरी ये ख़वाहिश है कि आप तशरीफ़ लाकर मेरे घर किसी जगह नमाज़ पढ़ दें ताकि मैं उसे अपने लिये नमाज़ पढ़ने की जगह

۱۱۸۶- فَرَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَكَانَ مِنْ شَهِدِ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ- يَقُولُ ((كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمِي بِنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَإِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قَبْلَ مَسْجِدِهِمْ. فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنَّ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسْبِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ

मुक़रर कर लूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी करूँगा। फिर दूसरे ही दिन आप (ﷺ) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को साथ लेकर सुबह तशरीफ़ ले आए और आपने इजाज़त चाही, मैंने इजाज़त दे दी। आप (ﷺ) तशरीफ़ लाकर बैठे भी नहीं बल्कि पूछा कि तुम अपने घर में किस जगह मेरे लिये नमाज़ पढ़ना पसन्द करोगे। मैं जिस जगह को नमाज़ के लिये पसन्द कर चुका था, उसकी तरफ़ मैंने इशारा कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहाँ खड़े होकर तकबीरे-तहरीमा कही और हम सबने आपके पीछे सफ़ बाँध ली। आप (ﷺ) ने हमें दो रक़अत पढ़ाई फिर सलाम फेरा। हमने भी आप (ﷺ) के साथ सलाम फेरा। मैंने हलीम खाने के लिये आप (ﷺ) को रोक लिया, जो तैयार हो रहा था। मुहल्ले वालों ने जो सुना कि आप (ﷺ) मेरे घर तशरीफ़ फ़र्मा हैं तो लोग जल्दी-जल्दी जमा होने शुरू हो गए और घर में एक ख़ासा मज़मा हो गया। उनमें से एक शख्स बोला, मालिक को क्या हो गया है? यहाँ दिखाई नहीं देता। इस पर दूसरा बोला वो तो मुनाफ़िक़ है, उसे अल्लाह और रसूल से मुहब्बत नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया, ऐसा मत कहो! देखते नहीं कि वो लाइलाह इलल्लाह पढ़ता है और इससे उसका मक़सद अल्लाह तआला की खुशनुदी है। तब वो कहने लगा कि (असल हाल) तो अल्लाह और रसूल ही को मा'लूम है। लेकिन वल्लाह! हम तो उनकी बातचीत और मेलजोल ज़ाहिर में मुनाफ़िक़ों ही से देखते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, लेकिन अल्लाह तआला ने हर उस आदमी पर दोज़ख़ हराम कर दी है, जिसने ला इलाह इलल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिये कह लिया। महमूद बिन रबीअ ने बयान किया कि मैंने ये हदीष एक ऐसी जगह में बयान की जिसमें आँ हज़रत (ﷺ) के मशहूर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) भी मौजूद थे। ये रूम के उस जिहाद का ज़िक्र है, जिसमें आपकी मौत वाक़ेअ हुई थी। फौज का सरदार यज़ीद बिन मुआविया था। अबू अय्यूब ने इस हदीष से इन्कार किया और फ़र्माया कि अल्लाह

تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَجِدُهُ مُصَلًى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَأَفْعَلُ)). فَقَدَا عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: ((أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشْرَفَتْ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَّقَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكَعَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلَ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَتَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟)) فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَا نَحْنُ قَوْمُ اللَّهِ لَا نَرَى وَدَّهَ وَلَا حِدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّا اللَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ)). قَالَ مَخْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: فَحَدَّثْتَهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ— فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوْفِيَ فِيهَا وَزَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمُ بَارِضُ الرُّومِ— فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتُ قَطُّ. فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ اللَّهُ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمْتَنِي حَتَّى أَقْفَلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ

की क्रम! मैं नहीं समझता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी बात कभी भी कही हो। आपकी गुफ्तगू मुझको बहुत नागवार गुजरी और मैंने अल्लाह तआला की मन्नत मानी कि अगर मैं इस जिहाद से सलामती के साथ लौटा तो वापसी पर इस हदीष के बारे में इत्बान बिन मालिक (रज़ि.) से ज़रूर पूछूँगा, अगर मैंने उन्हें उनकी क़ौम की मस्जिद में ज़िन्दा पाया। आख़िर मैं जिहाद से वापस हुआ। पहले तो मैंने हज़्ज व उम्रह का एहराम बाँधा फिर जब मदीना वापसी हुई तो मैं क़बीला बनू सालिम में आया। हज़रत इत्बान (रज़ि.) जो बूढ़े और नाबीना हो गये थे, अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते हुए मिले। सलाम फेरने के बाद मैंने हाज़िर होकर आपको सलाम किया और बतलाया कि मैं फलौं हूँ। फिर मैंने इस हदीष के मुता'ल्लिक दरयाफ्त किया तो आपने मुझ से इस मर्तबा भी उसी तरह ये हदीष बयान की, जिस तरह पहले बयान की थी। (राजेअ : 424)

तशरीह : यह 50 हिज्री का वाक़िआ है। जब हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने कुस्तुन्तुनिया पर फ़ौज भेजी थी और उसका मुहासरा (घेराव) कर लिया था। इस लश्कर के अमीर मुआविया (रज़ि.) का बेटा यज़ीद था। जो बाद में ह्रादष-ए-करबला की वजह से तारीखे इस्लाम में मलज़ून हुआ। इस फ़ौज में अबू अय्यब अंसारी (रज़ि.) भी शामिल थे जो आँहज़रत (ﷺ) की मदीना में तशरीफ़ आवरी पर अब्वलीन मेज़बान हैं। उनकी मौत उसी मौके पर हुई और कुस्तुन्तुनिया के क़िले की दीवार के नीचे दफ़न हुए। बाब का तर्जुमा इस हदीष से यँ निकला कि आँहज़रत (ﷺ) खड़े हुए और हाज़िरीने ख़ाना ने आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बाँधी और ये नफ़ल नमाज़ जमाअत से अदा की गई क्योंकि दूसरी हदीष में मौजूद है कि आदमी की नफ़ल नमाज़ घर ही में बेहतर है और फ़ज़ं नमाज़ का मस्जिद में बाजमाअत अदा करना ज़रूरी है। हज़रत अबू अय्यब अंसारी (रह.) को इस हदीष पर शुबहा इसलिये हुआ कि उसमें अअमाल के बग़ैर सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेने पर जन्नत की बशारत दी गई है। मगर ये हदीष इस बारे में मुजमल है दीगर अहदादीष में तफ़सील मौजूद है कि कलिमा तय्यिबा बेशक जन्नत की कुँजी है, मगर हर कुँजी के लिये दँदाने ज़रूरी है। इसी तरह कलिमा तय्यिबा के दँदाने फ़राइज व वाजिबात को अदा करना है। सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेना और उसके मुताबिक़ अमल न करना बेनतीजा है।

हज़रत अमीरे मुहदिप्पीन इमाम बुखारी (रह.) अगरचे इस तवील हदीष को यहाँ अपने मक्सदे बाब के तहत लाए हैं कि नफ़ल नमाज़ ऐसी हालत में बाजमाअत पढ़ी जा सकती है। मगर उसके अलावा भी और बहुत से मसाइल इससे प्राबित होते हैं मज़लन मा'ज़ूर लोग अगर जमाअत में आने की सकत न रखते हों तो वो अपने घर ही में एक जगह मुक़रर करके वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये भी प्राबित हुआ कि मेहमाने खुसूरी को उम्दा से उम्दा खाना खिलाना मुनासिब है और ये भी मा'लूम हुआ कि बग़ैर सोचे समझे किसी पर निफ़ाक़ या कुफ़्र का फ़त्वा लगा देना जाइज़ नहीं। लोगों ने आँहज़रत (ﷺ) के सामने उस शख्स मालिक नामी का ज़िक़्र बुरे लफ़ज़ों में किया जो आपको नागवार गुजरा और आपने फ़र्माया कि वो कलिमा पढ़नेवाला है उसे तुम लोग मुनाफ़िक़ कैसे कह सकते हो। आप (ﷺ) को ये भी मा'लूम था कि वो सिर्फ़ रस्मी रिवाजी कलिमा-गो नहीं है बल्कि कलिमा पढ़ने से अल्लाह की खुशनूदी उसके मदेनज़र है। फिर उसे कैसे मुनाफ़िक़ कहा जा सकता है। उससे ये भी निकला कि जो लोग अहले हदीष हज़रात पर तअन करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं वो सख़्त ख़ताकार हैं। जबकि अहले हदीष हज़रात न सिर्फ़ कलिमा-ए-तौहीद पढ़ते हैं बल्कि इस्लाम के सच्चे आभिल व कुआन व हदीष के सहीह ताबेदार हैं।

وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ - أَوْ بَعْمَرَةَ - ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا عَيْنَانِ شَيْخٍ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوْلَ مَرَّةٍ.

[راجع: ٤٢٤]

तशरीह:

इस पर हज़रत मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम फ़र्माते हैं कि मुझे उस वक़्त वो हिकायत याद आई कि शैख़ मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी पर आँहज़रत (ﷺ) की ख़्वाब में ख़फ़ी हुई थी। हुआ ये था कि उनके पीर शैख़ अबू मुदय्यन मरिबी को एक शख़्स बुरा भला कहा करता था। शैख़ इब्ने अरबी उससे दुश्मनी रखते थे। आँहज़रत (ﷺ) ने आलमे ख़्वाब में उन पर अपनी ख़फ़ी जाहिर की। उन्होंने वजह पूछी, इर्शाद हुआ कि तू फ़लाँ शख़्स से क्यूँ दुश्मनी रखता है? शैख़ ने कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ) वो मेरे पीर को बुरा कहता है। आपने फ़र्माया कि तूने अपने पीर को बुरा कहने की वजह से उससे दुश्मनी रखी और अल्लाह और उसके रसूल से जो वो मुहब्बत रखता है उसका ख़्याल करके तूने उससे मुहब्बत क्यूँ न रखी। शैख़ ने तौबा की और सुबह को मअज़रत के लिये उसके पास गए। मोमिनीन को लाज़िम है कि अहले हदीष से मुहब्बत रखें क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत रखते हैं और गो मुत्तहिदों की राय और क़यास को नहीं मानते मगर वो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत की वजह से पैग़म्बर साहब के ख़िलाफ़ वो किसी की राय और क़यास को क्यूँ मानें सच है

मा आशीक़ैम बे दिल दिलदार मा मुहम्मद (ﷺ)

मा बुलबुलैम नालाँ गुलज़ार मा मुहम्मद (ﷺ)

हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) के इंकार की वजह ये भी थी कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेना और अमल उसके मुताबिक़ न होना नजात के लिये काफ़ी नहीं है। उसी ख़्याल की बिना पर उन्होंने अपना ख़्याल जाहिर किया कि रसूले करीम (ﷺ) ऐसा क्यूँकर फ़र्मा सकते हैं। मगर वाकिअतन महमूद बिन अरबीअ सच्चे थे और उन्होंने अपनी मज़ीद तक्वियत के लिये दोबारा इल्बान बिन मालिक (रज़ि.) के यहाँ हाज़िरी दी और दोबारा इस हदीष की तस्दीक़ की। हदीषे मज़कूर में आँहज़रत (ﷺ) ने मुजमल एक ऐसा लफ़ज़ भी फ़र्मा दिया था जो उस चीज़ का मज़हर है कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। बल्कि उसके साथ इब्तिगा लिवज्हिल्लाह (अल्लाह की रज़ामन्दी व तलाश) भी ज़रूरी है और ज़ाहिर है कि ये चीज़ कलिमा पढ़ने और उसके तकाज़ों को पूरा करने ही से हासिल हो सकती है। इस लिहाज़ से यहाँ आप (ﷺ) ने एक इज्माली ज़िक़र फ़र्माया। आपका मक़्सद न था कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ने से वो शख़्स जन्नती हो सकता है। बल्कि आप (ﷺ) का इर्शाद जामेअ था कि कलिमा पढ़ना और उसके मुताबिक़ अमल दरआमद करना और ये चीज़ें आपको शख़्स मुतनाज़े के बारे में मा'लूम थीं। इसलिये आप (ﷺ) ने उसके ईमान की तौषीक़ फ़र्माई और लोगों को उसके बारे में बदगुमानी से मना फ़र्माया। वल्लाहु आलमा

बाब 37 : घर में नफ़्ल नमाज़ पढ़ना

۳۷- بَابُ النُّطُوعِ فِي الْبَيْتِ

1187. हमसे अब्दुल्लाह बिन हम्माद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी और अबैदुल्लाह बिन इमर ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने इमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने घरों में भी कुछ नमाज़ें पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रें न बना लो (कि जहाँ नमाज़ ही न पढ़ी जाती हो) वुहैब के साथ इस हदीष को अब्दुल वट्हाब प्रक़फ़ी ने भी अय्यूब से रिवायत किया है।

۱۱۸۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَغَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ.

(राजेअ: 432)

[راجع: ۴۳۲].

तशरीह:

नमाज़ से मुराद यहाँ नफ़ली नमाज़ है क्योंकि दूसरी हदीष में है कि आदमी की अफ़ज़ल नमाज़ वो है जो घर में हो। मगर फ़र्ज़ नमाज़ का मस्जिद में पढ़ना अफ़ज़ल है। क़ब्र में मुर्दा नमाज़ नहीं पढ़ता लिहाज़ा जिस घर में नमाज़ न पढ़ी जाए वो भी क़ब्र हुआ। क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना मन्मूअ है। इसलिये भी फ़र्माया कि घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ। अब्दुल वट्हाब की रिवायत को इमाम मालिक (रह.) ने अपनी जामेउस्सहीह में निकाला है।

20. किताब फ़ज़लुस्सलात

फ़ी मक्का वल मदीना

मक्का और मदीना में नमाज़ की फ़ज़ीलत

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : मक्का और मदीना (जादहुमल्लाह शरफ़न व ता'ज़ीमन) की मसाजिद में नमाज़ की फ़ज़ीलत का बयान

1188. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल मलिक ने क़ज़आ से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद (रज़ि.) से चार बातें सुनीं और उन्होंने बतलाया कि मैंने उन्हें नबी करीम (ﷺ) से सुना था, आपने नबी करीम (ﷺ) के साथ बारह जिहाद किये थे। (राजेअ: 582)

1189. (दूसरी सनद) हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे जुहरी ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन मस्जिदों के सिवा किसी के लिये कज़ावे न बाँधें (या'नी सफ़र न किया जाए) एक मस्जिदे हराम, दूसरी रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद (मस्जिदे नबवी) और तीसरी मस्जिदे अक्सा या'नी बैतुल मक्दिस। (उन चार बातों का बयान आगे आ रहा है)

۱ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

۱۱۸۸ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ فَرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسِي عَشْرَةَ غَزْوَةً. [راجع: ۵۸۶]

۱۱۸۹ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَتْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)).

तशरीह: मस्जिदे अक्सा की वजह तस्मिया क़स्तलानी के लफ़्ज़ों में ये है। व सुम्मिय बिही लिबुअ दिही अन मस्जिदि मक्कत फ़िल मसाफ़ति या'नी इसलिये उसका नाम मस्जिदे अक्सा रखा गया कि मस्जिद मक्का से मुसाफ़त में ये दूर वाक़ेअ है। लफ़्जे रिहाल ये रहल की जमा है ये लफ़्ज़ ऊँट के कज़ावा पर बोला जाता है। उस ज़माने में सफ़र के लिये ऊँट का इस्ते'माल ही आम था। इसलिये यही लफ़्ज़ इस्ते'माल किया गया।

मत्तलब ये हुआ कि ये तीन मसाजिद ही ऐसा मन्सब रखती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ने के लिये, उनकी ज़ियारत करने

के लिये सफ़र किया जाए इन तीन के अलावा कोई भी जगह मुसलमानों के लिये ये दर्जा नहीं रखती कि उनकी ज़ियारत के लिये सफ़र किया जा सके। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत से यही हदीष बुखारी शरीफ़ में दूसरी जगह मौजूद है। मुस्लिम शरीफ़ में ये इन अल्फ़ाज़ में है **अन क़ज़अत अन अबी सईदिन क़ाल समिअतु मिन्हु हदीषन फ़अअजबनी फकुल्लु लहू अन्त समिअत हाज़ा मिन रसूलिल्लाहि क़ाल फअकूलु अला रसूलिल्लाहि मा लम अम्मअ क़ाल समिअतुहू यकूलु क़ाल क़ाल रसूलिल्लाहि (ﷺ) ला तशुहुरिहाल इल्ला इला प्रलाप्रति मसाजिद मस्जिदी हाज़ा वल्मस्जिदिल्हराम वल्मस्जिदिल्अक्सा अल्हदीष**

या'नी क़ज़आ नामी एक बुजुर्ग का बयान है कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से हदीष सुनी जो मुझको बेहद पसंद आई। मैंने उनसे कहा कि क्या फ़िल वाकेअ आपने इस हदीष को रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? वो बोले क्या ये मुम्किन है कि मैं रसूले करीम (ﷺ) की ऐसी हदीष बयान करूँ जो मैंने आप (ﷺ) से सुनी ही न हो। हर्गिज़ नहीं! बेशक मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना। आपने फ़र्माया कि कज़ावे न बाँधो मगर सिर्फ़ उन ही तीन मसाजिद के लिये। या'नी ये मेरी मस्जिद और मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक्सा। तिमिज़ी में भी ये हदीष मौजूद है और इमाम तिमिज़ी कहते हैं कि **हाज़ा हदीषुन हसनुन सहीह** या'नी ये हदीष हसन-सहीह है। मुअजम तबरानी सग़ीर में ये हदीष हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत से भी इन्हीं लफ़्ज़ों में मौजूद है और इब्ने माजा में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस की रिवायत से ये हदीष इन्हीं लफ़्ज़ों में ज़िक्र हुई है और हज़रत इमाम मालिक (रह.) ने मौता में उसे बसरा बिन अबी बसरा ग़िफ़ारी से रिवायत किया है। वहाँ व इला मस्जिदि ईलिया औ बैतिल्मक्दिदस के लफ़्ज़ है।

ख़ुलासा ये है कि हदीष सनद के लिहाज़ से बिल्कुल सहीह और क़ाबिले ए'तिमाद है और इसी दलील की बिना पर बग़र्ज़े हुसूल तक़्रूब इललल्लाह सामाने सफ़र तैयार करना और ज़ियारत के लिये घर से निकलना ये सिर्फ़ इन्हीं तीन मस्जिदों के साथ मख़्सूस है। दीगर मसाजिद में नमाज़ अदा करने जाना या क़ब्रिस्तान में अम्वाते मुस्लिमीन की दुआ-ए-मफ़िरत के लिये जाना ये उमूर मन्मूअ नहीं। इसलिये कि उनके बारे में दीगर अहदादीषे सहीहा मौजूद हैं। नमाज़ बा-जमाअत के लिये किसी भी मस्जिद में जाना इस दर्जे का प्रवाब है कि हर क़दम के बदले दस-दस नेकियों का वा'दा दिया गया है। इसी तरह क़ब्रिस्तान में दुआ-ए-मफ़िरत के लिये जाना ख़ुद हदीषे नबवी के तहत है; जिसमें ज़िक्र है, **फ़इन्नहा तज़क्किरुल आख़िर**: या'नी वहाँ जाने से आख़िरत की याद ताज़ा होती है। बाक़ी बुजुर्गों के मज़ारात पर इस निय्यत से जाना कि वहाँ जाने से वो बुजुर्ग ख़ुश होकर हमारी हाज़त-रवाई के लिये वसीला बन जाएँगे बल्कि वो खुद ऐसी ताक़त के मालिक हैं कि हमारी मुसीबत को दूर कर देंगे ये सारे बातिल वहम हैं और इस हदीष के तहत क़तअन नाजाइज़ उमूर है। इस सिलसिले में अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं,

व अव्वलु मन वज़अल्अहादीष फ़िस्सफ़रि लिज़ियारतिल्मशाहिदिल्लती अललकु बूरि अहलुल्बदइर्राफ़िजति व नहविहिमिल्लज़ीन युअत्तिलूनल्मसाजिद व युअज़्ज़िमूनल्मशाहिद यदज़न बुयूतल्लाहिल्लती उमिर अय्युज़्कर फीहस्मुहू व युअबद वहदुहू ला शरीक लहू व युअज़्ज़िमूनल्मशाहिदिल्लती युशक़ फ़ीहा व युक्ज़ब फ़ीहा व युब्तदअ फ़ीहा दीनुन लम युनज्जिलिल्लाहु बिही सुल्ताना फ़इन्नल्किताब वस्सुन्नत इन्नमा फ़ीहा जुकिरल्मसाजिद दूनल्मशाहिदि व हाज़ा कल्लुहू फ़ी शहिर्रिहालि व अम्मज़्ज़ियारतु फमशरूअतुन बिदूनिही (नैलुल औतार)

या'नी अहले बिदअत और रवाफ़िज़ ही अव्वलीन वो हैं जिन्होंने मशाहिद व मक़ाबिर की ज़ियारत के लिये अहादीष वज़अ कीं, ये वो लोग हैं जो मसाजिद को मुअत्तल करते और मक़ाबिर व मशाहिद व मज़ारात की हद दर्जा ता'ज़ीम बजा लाते हैं। मसाजिद जिनमें अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म है और ख़ालिस अल्लाह की इबादत जहाँ मक़सूद है उनको छोड़कर ये फ़र्ज़ी मज़ारात पर जाते हैं और उनकी इस दर्जा ता'ज़ीम करते हैं कि वो दर्जा शिक़ तक पहुँच जाती है और वहाँ झूठ बोलते और ऐसा नया दीन इजाद करते हैं जिस पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। किताब व सुन्नत में कहीं भी ऐसा मशाहिदा व मज़ारात व मक़ाबिर का ज़िक्र नहीं है जिनके लिये इस तौर पर शदे रिहाल किया जा सके। हाँ, मसाजिद की हाजिरी में किताब व सुन्नत में बहुत सी ताक़ीदात मौजूद हैं। उन मुन्किरात के अलावा शरई तरीक़ पर क़ब्रिस्तान जाना और ज़ियारत करना मशरूअ है।

रहा आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ पर हाज़िर होना और वहाँ जाकर आप पर सलात व सलाम पढ़ना ये हर मुसलमान के लिये ऐन सज़ादत है। मगर गर फ़र्क़-मरातिब न कुनी ज़िन्दीक़ी के तहत वहाँ भी फ़र्क़े मरातिब की ज़रूरत है। जिसका मतलब ये है कि ज़ियारत से पहले मस्जिदे नबवी का हक़ है वो मस्जिदे नबवी जिसमें एक रकअत एक हज़ार रकअतों के बराबर दर्जा रखती है और ख़ास तौर पर रौज़तुम्पिरियाज़ुल जन्ना का दर्जा और भी बढ़कर है। उस मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और वहाँ अदाए नमाज़ की निय्यत से मदीना मुन्वरा का सफ़र करना उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ पर भी हाज़िर होना और आप पर सलात व सलाम पढ़ना। आप (ﷺ) के बाद हज़रत सिदीक़ (रज़ि.) व उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के ऊपर सलाम पढ़ना फिर बक्रीउल गरक़द क़ब्रिस्तान में जाकर वहाँ जुम्ला अम्वात के लिये दुआ-ए-मफ़िरत करना। उसी तरह मस्जिद कुबा में जाना और वहाँ दो रकअत अदा करना, ये सारे काम मस्नून हैं जो सुन्नत सहीहा से षाबित हैं।

इस तफ़्सील के बाद कुछ अहले बिदअत क्रिस्म के लोग ऐसे भी हैं जो अहले हदीष पर और उनके अस्लाफ़ पर ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ पर सलात व सलाम से मना करते हैं। ये सरीह किज़्ब (झूठ) और बोह्तान है। अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने इस सिलसिले में जो फ़र्माया है वो यही है जो ऊपर बयान हुआ है। बाक़ी रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र पर हाज़िर होकर दुरूदो सलाम भेजना, ये अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) के मसलक में मदीना शरीफ़ जाने वालों और मस्जिद नबवी में हाज़िरी देनेवालों के लिये ज़रूरी है।

चुनाँचे साहब सियानतुल इन्सानि अन वस्वसतिशशौखिदहलान मुहम्मद बशीर साहब सहसवानी मरहूम तहरीर फ़र्माते हैं,

ला नज़ाअ लना फ़ी नफ़िस मशरूइय्यति ज़ियारति क़ब्रि नबिय्यिना (ﷺ) व अम्मा मा नुसिब इला शौखिल्इस्लाम इब्नि तैमिया मिनलक़ौलि बिअदमि मशरूइय्यति ज़ियारति क़ब्रि नबिय्यिना (ﷺ) फइफ़ितराउन बुहतुन क़ालल्इमाम अलअल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल्हादी अल्मुक़द्दिसी अल्हंबली फ़िस्सारिमिल्मुन्की अन्न शौखिल्इस्लाम लम युहरिम ज़ियारतल्कुबूरि अललवजहिल्मशरूइ फ़ी शौइम्मिन किताबिही व लम यन्हा अन्हा व लम यकरिहहा बल इस्तहब्बहा व हज़्ज़ अलैहा व मुसन्नफ़ातुहू व मनासिकुहू ताफ़िहतुन बिज़िकि इस्तिहबाबि ज़ियारति कबिन्नबिय्यि (ﷺ) साइरल्कुबूरि क़ाल फ़ी बअज़ि मनासिकिही बाबु ज़ियारति क़ब्रिन्नबिय्यि (ﷺ) इज़ा अशरफ़ अला मदीनतिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ब्लल्हज्जि औ बअदहू फल्यकुल मा तक्रहम फइज़ा दखल इस्तहब्ब लहू अय्यगतसिल नस्सुन अलैहिल्इमामु अमद फइज़ा दखलल्मस्जिद बदअ बिरहलिही अल्युम्ना व क़ाल बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्माफ़िली जुनूबी वफ़्तह ली अब्बाव रहमतिक शुम्म शतिर्राजत बैनल्क़ब्रि वल्मिम्बरि फयुस्लली बिहा व यदक्र बिमा शाअ शुम्म याती क़ब्रन्नबिय्यि (ﷺ) फयस्तक़िबलु जिदारल्क़ब्रि ला यमस्सह व ला युक्क़िबिलुहू व यज्जअलुल्किन्दीलल्लज़ी फिल्लिक्बलति इन्दल्क़ब्रि अला रासिही लियकून क़ाइमन वज्जन्नबिय्यि (ﷺ) यकिफु मुतबाइदुन कमा यकिफु औ ज़हर फ़ी हयातिही बिखुशुइन व सुकूनिन व मुन्कसिर्रासि खाजत्तफ़ि मुस्तहज़िरन बिक़ल्बिही जलालत मौकिफ़िही शुम्म यकूलु अस्सलामु अलैक या रसूलिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामुअलैक या नबियिल्लाहि वखीरतुहू मिन खल्किही अस्सलामुअलैक या सय्यदल मुसलीन व या खातमन्नबिय्यिन व क़ाइदल्गुरल्मुहज्जलीन अशहदु अंल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु इन्नक़ क़द बल्लगत रिसालति रब्बिक व नसहत लिउम्मतिक व दओवत इला सबीलि रब्बिक बिल्हक्मति वल्मौइजतिल्हसनति व अबत्तल्लाह हत्ता अताकल्थक़ीन फजज़ाक़ल्लाहु अफ़ज़लु मा आतिहिल्वसीलत वल्फ़ज़ीलत वबअहू मक़ामम्हूमदल्लज़ी वअत्तहू लियगबितहू बिहिल्अव्वलून वल्आख़रून अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा मल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक़ हमीदुन मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारक्त अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक़ हमीद मजीद अल्लाहुम्महशुर्ना फ़ी जुम्तिही व तवफ़फ़ना अला सुन्नतिन व औरिदना हौजहू वस्किना बिकासिही शर्बन्नरूया ला नज्मन बअदहू अब्दन शुम्म याती अबा बक्र व उमर फ़यकूलु अस्सलामुअलैक या अबा बक्रनिस्मिदिक़ अस्सलामुअलैक या उमरू अल्फ़ारूक़ अस्सलामुअलैकुमा या साहबयर्सूलिल्लाहि व ज़जीऐहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ज़ाकुमुल्लाहु अन मुहबति नबिय्यिकुमा व अनिल्इस्लामि ख़ैरस्सलामि अलैकुम बिमा सबर्तुम फ़निअम इक्वाहार क़ाल यज़रू कुबूर अहलिल्बकीअ व कुबूरशशुहदाइ इन अम्कन हाज़ा कलामुशशौख़ रहिमुहल्लाहु बिहुरुफ़िही इन्तिहा मा फिस्सारिम (सियानतुल इन्सान अन वस्वसतिदहलान, पेज : 03)

या'नी शरई तरीके पर आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र की ज़ियारत करने में कत्अन कोई नज़ाअ नहीं है और इस बारे में अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) पर ये सिर्फ़ झूठा बोहतान है कि वे क़ब्रे नबवी (ﷺ) की ज़ियारत को नाजाइज़ कहते थे, ये सिर्फ़ इल्ज़ाम है। अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद ने अपनी मशहूर किताब अज़्ज़ारिमुल मनकी में लिखा है कि शरई तरीके पर ज़ियारते कुबूर से अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने हर्गिज़ मना नहीं किया और न इसे मकरूह समझा। बल्कि वो इसे मुस्तहब करार देते हैं और उसके लिये रग़बत दिलाते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी किताब बाबत ज़िक्र मनासिके हज़्ज आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के सिलसिले में बाब मुनअक़िद फ़र्माया है और उसमें लिखा है कि जब कोई मुसलमान हज़्ज से पहले या बाद में मदीना शरीफ़ जाए तो पहले वो दुआ-ए-मसनून पढ़े जो शहरों में दाखिले के वक़्त पढ़ी जाती है। फिर गुस्ल करे और बाद में मस्जिदे नबवी में पहले दायीं पांव रखकर दाखिल हों और ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मगाफ़िलीं जुनूबी वफ़्तह ली अब्बाब रहमतिक फिर उस जगह आए जो जन्नत की क्यारी है और वहाँ नमाज़ पढ़े और जो चाहे दुआ मांगे। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्रे मुबारक पर आए और दीवार की तरफ़ मुँह करे न उसे बोसा दे और न हाथ लगाए। आँहज़रत (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो और फिर वहाँ सलाम और दरूद पढ़े (जिनके अल्फ़ाज़ पीछे नक़ल किये गये हैं) फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) की क़ब्र के सामने आए और वहाँ भी सलाम पढ़े जैसा कि मज़कूर हुआ और फिर अगर मुम्किन हो तो बक़ीउल गरक़द नामी क़ब्रिस्तान में वहाँ भी कुबूरे मुस्लिमीन व शुहदा की ज़ियारते-मस्नूना करे।

साबिक़ उम्मतों में कुछ लोग कोहे तूर और तुर्बत बाबरकत हज़रत यह्या (अलैहिस्सलाम) की ज़ियारत के लिये दूर-दराज़ से सफ़र करके आया करते थे। अल्लाह के सच्चे रसूल (ﷺ) ने ऐसे तमाम सफ़रों से मना फ़र्मा कर अपनी उम्मत के लिये सिर्फ़ ये तीन ज़ियारतगाहें मुकर्रर फ़र्माईं। अब जो अराम अजमेर और पाक पट्टन वगैरह मज़ारात के लिये सफ़र करते हैं, वे इशदि रसूल (ﷺ) की मुख़ालफ़त करने की वजह से आसी (नाफ़र्मान) और आप (ﷺ) के बागी ठहरते हैं। हाँ कुबूरिल मुस्लिमीन अपने शहर या क़र्या में हों; वो अपनों की हों या बेगानों की वहाँ मस्नून तरीके पर ज़ियारत करना मशरूअ है कि क़ब्रिस्तान वालों के लिये दुआ-ए-मफ़िरत करें और अपनी मौत को याद करके दुनिया से बेरग़बती इख़्तियार करें। सुन्नत तरीका सिर्फ़ यही है।

अल्लामा इब्ने हज़र इस हदीष की बहस के आख़िर में फ़र्माते हैं, फमअनलहदीषि ला तुशहुरिहालु इला मस्जिदिम्मिनलमसाजिदि औ इला मकानिम्मिनल अम्किनति लिअजल्लिल ज़ालिकल्मकान इल्ला इल्लफ़लातिल्मज़कूरति व शहुरिहालि इला ज़ियारतिन और तलबि इल्मिन लैस इलल्मकानि वल इला मन फ़ी ज़ालिकल्मकानि वल्लाहु आलमु (फ़तहुल्कदीर) या'नी हदीष का मतलब इसी क़दर है कि किसी भी मस्जिद या मकान के लिये सफ़र न किया जाए इस गर्ज़ से कि उन मसाजिद या मकानात की सिर्फ़ ज़ियारत ही मोजिबे रज़ा-ए-इलाही है। हाँ ये मसाजिद ये दर्जा रखती हैं कि जिनकी तरफ़ शदे रिहाल किया जाना चाहिये और किसी की मुलाक़ात या तहज़ीले इल्म के लिये शदे रिहाल करना उस मुमानअत में दाखिल नहीं इसलिये कि ये सफ़र किसी मकान या मदरसे की इमारत के लिये नहीं किया जाता बल्कि मकान के मकान की मुलाक़ात और मदरसा में तहज़ीले इल्म के लिये किया जाता है।

1190. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ज़ैद बिन रबाह और अब्दुल्लाह बिन अबी अब्दुल्लाह अग़र से ख़बर दी, उन्हें अबू अब्दुल्लाह अग़र ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज़, मस्जिद हराम के अलावा तमाम मस्जिदों में नमाज़ से एक हज़ार दर्जे ज़्यादा अफ़ज़ल है।

۱۱۹۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ
وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((صَلَاةٌ لِي
مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا
سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)).

मेरी मस्जिद से मस्जिदे नबवी मुराद है। हज़रत इमाम का इशारा यही है मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के लिये शदे रिहाल किया जाए और जो वहाँ जाएगा लाज़िमन रसूले करीम (ﷺ) व हज़रत शैखेन पर भी दुरूदो सलाम की सज़ादतें उसको हासिल होंगी।

बाब 2 : मस्जिदे-कुबा की फ़ज़ीलत

٢- بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءَ

1191. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिय्या ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अय्यूब सुखितयानी ने ख़बर दी और उन्हें नाफ़ेअ ने कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) चाशत की नमाज़ सिर्फ़ दो दिन पढ़ते थे। जब मक्का आते क्योंकि आप मक्का में चाशत ही के वक़्त आते थे। उस वक़्त आप पहले तवाफ़ करते और फिर मक़ामे-इब्राहीम के पीछे दो रकअत पढ़ते। दूसरे जिस दिन आप मस्जिदे-कुबा में तशरीफ़ लाते, आपका यहाँ हर हफ़्ते आने का मा'मूल था। जब आप मस्जिद के अन्दर आते तो नमाज़ पढ़े बग़ैर बाहर निकलना बुरा जानते। आप बयान करते थे रसूलुल्लाह (ﷺ) यहाँ सवार और पैदल दोनों तरह आया करते थे।

(दीगर मक़ाम: 1193, 1194, 7326)

١١٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ (رَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الصُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمٍ يَفْتَمُّ مَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا صُحَى فَيَطُوفُ بِالنَّيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا)).

[أطرافه في: ١١٩٣، ١١٩٤، ٧٣٢٦].

1192. नाफ़ेअ ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि मैं उसी तरह करता हूँ, जिसे मैंने अपने साथियों (सहाबा रज़ि.) को करते देखा है। लेकिन तुम्हें रात या दिन के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकता। सिर्फ़ इतनी बात है कि क़स्द (इरादा) करके तुम सूरज निकलते या डूबते वक़्त न पढ़ो।

١١٩٢- قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ لَهُ: ((إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَتَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ صَلَّى لِي أَيْ سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَصْحَرُوا طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا)).

तशरीह: कुबा शहर मदीना से 3 मील के फ़ासले पर एक मशहूर गांव है। जहाँ हिज़रत के वक़्त आप (ﷺ) ने चंद रोज़ क़याम किया था और यहाँ आपने अव्वलीन मस्जिद की बुनियाद रखी जिसका ज़िक्र कुआन मजीद में मौजूद है। आप (ﷺ) को अपनी उस अव्वलीन मस्जिद से इस क़दर मुहब्बत थी कि आप हफ़्ते में एक बार यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाते और इस मस्जिद में दो रकअत नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ा करते थे। इन दो रकअतों का बहुत बड़ा षवाब है।

आजकल हज़मे नबवी के मुत्सिल बस अड्डे से कुबा को बसें दौड़ती रहती हैं। अलहम्दुलिल्लाह कि पहले 1951 फिर 1962 के दोनों सफ़रों में मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी की सज़ादत पर अनेक बार मस्जिदे कुबा भी जाने का इतिफ़ाक़ हुआ था। 62 का सफ़रे हज़मे मेरे ख़ासुल ख़ास मेहरबान, क़द्रदान हज़रत अल्हाज़ मुहम्मद पारा ऑफ़ रंगून वारिदे हाल कराची अदामल्लाहु इन्बालहुम व बारिक लहुम व बारिक अलैहिम के मुहतरम वालिदे माजिद हज़रत अल्हाज़ इस्माईल पारा (रह.) के हज़्जे बदल के लिये गया था। अल्लाह पाक कुबूल फ़र्माकर मरहूम इस्माईल पारा के लिये वसील-ए-आख़िरत

बनाए और गिरामी क़द्र हाजी मुहम्मद पारा और उनके बच्चों और जुम्ला मुअल्लिक़ीन को दारैन की नेअमतों से नवाज़े और तरक्कियात नज़ीब करे और मेरी आजिज़ाना दुआएँ इन सबके हक़ में कुबूल फ़र्माए। आमीन घुम्म आमीना

बाब 3 : जो शब्द मस्जिदे कुबा में हर हफ़्ते हाज़िर हो

1193. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर हफ़्ते को मस्जिदे-कुबा आते, पैदल भी (बाज़ दफ़ा) और सवारी पर भी और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी ऐसा ही करते। (राजेअ : 1191)

۳- بَابُ مَنْ آتَى مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلِّ سَبْتٍ

۱۱۹۳- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلِّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ)).

[راجع: ۱۱۹۱]

मा'लूम हुआ कि मस्जिदे कुबा की इन दो रकअतों का अज़ीम प्रवाब है। अल्लाह हर मुसलमान को नज़ीब फ़र्माए, आमीन! यही वो तारीख़ी मस्जिद है जिसका ज़िक्र कुर्आन में इन अल्फ़ाज़ में किया गया है, लमस्जिदुन उस्सिस अलत्तक्वा मिन अब्वलि यौमिन अहक्कु अन तकूम फीहि फीहि रिजालनय्युहिब्बुन अंय्यत तह्ररू वल्लाहु युहिब्बुल मुतहिहरीन (अत् तौबा : 108) 'या' नी यक़ीनन इस मस्जिद की बुनियाद अब्वल दिन से तक्वा पर रखी गई है। इसमें तेरा नमाज़ के लिये खड़ा होना असब है क्योंकि इसमें ऐसे नेक दिल लोग हैं जो पाकीज़गी चाहते हैं और अल्लाह पाकी चाहने वालों से मुहब्बत करता है।

बाब 4 : मस्जिदे-कुबा आना कभी सवारी पर और कभी पैदल (ये सुन्नते-नबवी है)

1194. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) कुबा आते, कभी पैदल और कभी सवारी पर। इब्ने नुमैर ने इसमें ये ज़्यादाती की है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन उमैर ने बयान किया और उनसे नाफ़ेअ ने कि फिर आप उसमें दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे। (राजेअ : 1191)

۴- بَابُ إِيَّانِ مَسْجِدِ قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

۱۱۹۴- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا)) زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. [راجع: ۱۱۹۱]

आजकल तो सवारियों की इस क़द्र बहुतायत हो गई है कि हर घड़ी सवारी मौजूद है। इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने दोनों अमल करके दिखलाए। फिर भी पैदल जाने में ज़्यादा प्रवाब यक़ीनी है। मस्जिदे कुबा में हाज़िरी मस्जिदे नबवी ही की ज़ियारत का एक हिस्सा समझना चाहिये। लिहाज़ा उसे हदीष ला तशदुरिहाल के तहत नहीं लाया जा सकता। वल्लाहु आलम।

बाब 5 : आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ और मिम्बरे-मुबारक के दरम्यानी हिस्से की फ़ज़ीलत का बयान

۵- بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

1195. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन अबी बुकैर ने, उन्हें उबादा बिन तमीम ने और उन्हें (उनके चचा) अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर और मेरे इस मिम्बर के दरम्यान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है।

۱۱۹۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِئْبَرِي رَوْضَةٌ مِنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)).

नीज़ यही मस्जिद नबवी है जिसमें एक रकअत हज़ार रकअतों के बराबर दर्जा रखती है। एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ों को इस तरह बाजमाअत अदा किया कि तकबीरे तहरीमा फ़ौत न हो सकी तो उसके लिये मेरी शिफ़ाअत वाजिब हो गई।

1196. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, उनसे यह्या ने बयान, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे खुबैब बिन अब्दुररहमान ने बयान किया, उनसे हफ़स बिन आसिम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर और मेरे मिम्बर के दरम्यान की ज़मीन जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा।

۱۱۹۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِئْبَرِي رَوْضَةٌ مِنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِئْبَرِي عَلَى حَوْضِي)).

(दीगर मक़ाम: 1888, 6588, 7335)

[أطرافه في: ۱۸۸۸, ۶۵۸۸, ۷۳۳۵].

तशरीह:

चूँकि आप (ﷺ) अपने घर या 'नी हज़रते आइशा (रज़ि.) के हुज्रे में मदफून हैं, इसलिये हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष पर 'क़ब्र और मिम्बर के बीच' बाब मुनअक़िद फ़र्माया हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) की एक रिवायत में (बैत) घर की बजाए क़ब्र ही का लफ़ज़ है। गोया आलमे तकदीर में जो कुछ होना था, उसकी आप (ﷺ) ने पहले ही ख़बर दे दी थी। बिला शक व शुब्हा क़े ये हिस्सा जन्नत ही का है और आलमे आख़िरत में ये जन्नत ही का एक हिस्सा बन जाएगा। 'मेरा मिम्बर मेरे हौज़ पर है।' इसका मतलब यही है कि हौज़ यहीं पर होगा। या ये कि जहाँ भी मेरा हौज़े कौषर होगा वहाँ ये मिम्बर रखा जाएगा। आप उस पर तशरीफ़ फ़र्मा होंगे और अपने हाथ से मुसलमानों को जामे कौषर पिलाएँगे। मगर अहले बिदअत को वहाँ हाज़िरी से रोक दिया जाएगा। जिन्होंने अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) के दीन का हुलिया बिगाड़ दिया हुज़ूर (ﷺ) उनका हाल जानकर कहेंगे। सुहक़न लिमन बदल सुहक़न लिमन गय्यर दूरी हो उनको जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया।

बाब 6 : बैतुल-मक्दि़स की मस्जिद का बयान

1197. हमसे अबू वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने बयान किया, उन्होंने ज़ियाद के गुलाम क़ज़आ से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के हवाले से चार हदीषें बयान करते हुए सुना जो मुझे बहुत पसन्द आईं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि औरत अपने शौहर या किसी

۶ - بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
۱۱۹۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ قُرْعَةَ مَوْلَى زَيْدٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْتَنِي وَأَنْقَنِي قَالَ: لَا تُسَافِرِ

ज़ी-रहम महरम के बग़ैर दो दिन का भी सफ़र न करे और दूसरे ये कि ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा दोनों दिन रोज़े न रखे जाएँ। तीसरी हदीष ये कि सुबह की नमाज़ के बाद सूरज के निकलने तक और अज़र के बाद सूरज छुपने तक कोई नफ़ल नमाज़ न पढ़नी चाहिये, चौथी ये कि तीन मस्जिदों के सिवा किसी के लिये कजावे न बाँधे जाएँ, मस्जिद-हराम, मस्जिद-अक्सा और मेरी मस्जिद (या'नी मस्जिद-नबवी)

(राजेअ: 586)

الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو
مَخْرَمٍ. وَلَا صَوْمٌ لِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى. وَلَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ
الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
حَتَّى تَقْرُبَ. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى
ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ
الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي. (راجع: ٥٨٦)

21. किताबुल अमल फ़िस्सलात

नमाज़ में काम के बारे में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : नमाज़ में हाथ से नमाज़ का कोई काम करना

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ में आदमी अपने जिस्म के जिस हिस्से से भी चाहे, मदद ले सकता है। अबू इस्हाक़ ने अपनी टोपी नमाज़ पढ़ते हुए रखी और उठाई और हज़रत अली (रज़ि.) अपनी हथेली बाएँ पुन्चे पर रखते, अलबत्ता अगर खुजलाना या कपड़ा दुरुस्त करना होता (तो कर लेते थे)

मसलन नमाज़ी के सामने से कोई गुज़र रहा हो उसको हटा देना या सज्दे के मुक़ाम पर कोई ऐसी चीज़ आन पड़े जिस पर सज्दा न हो सके, तो उसको सरका देना। आगे जाकर हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हज़रत अली (रज़ि.) का जो अप्र नक़ल किया है, उससे ये निकाला कि बदन खुजलाना या कपड़ा संवारना नमाज़ का काम नहीं मगर ये मुस्तज़ना (अलग) है या'नी नमाज़ में जाइज़ है। मगर ऐसे कामों की नमाज़ में आदत बना लेना खुशूअ व ख़ुजूअ के मनाफ़ी है।

1198. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें मख़रमा बिन

١ - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا
شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوْتَهُ فِي
الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْنِهِ الْإَيْسَرِ. إِلَّا أَنْ
يَخْلُقَ جِلْدًا أَوْ يُصَلِّحَ ثَوْبًا.

١١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَرْنَا مَالِكَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ

सुलैमान ने खबर दी, उन्हें इब्ने अब्बास के गुलाम कुरैब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से खबर दी कि आप एक रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोए। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) आपकी खाला थीं। आपने बयान किया कि मैं बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी बीवी उसके तूल में लेट गये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) सो गये यहाँ तक कि आधी रात हुई या उससे थोड़ी देर पहले या बाद। तो आप (ﷺ) बेदार होकर बैठ गए और चेहरे पर नींद के ख़ुमार को अपने दोनों हाथों से दूर करने लगे। फिर सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयतें पढ़ीं। इसके बाद एक पानी की मश्क के पास गए जो लटक रही थी। उससे आप (ﷺ) ने अच्छी तरह वुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ शुरू की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि मैं भी उठा और जिस तरह आँहज़रत (ﷺ) ने किया था, मैंने भी किया और फिर जाकर आप (ﷺ) के पहलू में खड़ा हो गया तो आँहज़रत ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे दाहिने कान को पकड़कर उसे अपने हाथ से मोड़ने लगे। फिर आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअत पढ़ी, फिर दो रकअत पढ़ी, फिर दो रकअत पढ़ी, फिर दो रकअत पढ़ी, उसके बाद (एक रकअत) वित्र पढ़ा और लेट गये। जब मुअज़्ज़िन आया तो आप (ﷺ) दोबारा उठे और दो हल्की रकअतें पढ़कर बाहर नमाज़े (फ़ज़) के लिये तशरीफ़ ले गये।

(राजेअ: 117)

كَوْتِبَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ
بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا - وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ فَاضْطَجَعْتُ
عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَأَمَلُهُ فِي طَوْلِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ
بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَجَلَسَ لَمَسَحِ النَّوْمِ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ
قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ خَوَائِمِ سُورَةِ آلِ
عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَوَضَّأَ
مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ
فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي
الْيُمْنَى يَفْعُلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ
رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ
رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، ثُمَّ
اضْطَجَعْتُ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى
رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى

[راجع: ١١٧]

तशरीह: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का कान मरोड़ने से आप (ﷺ) की गर्ज़ उनकी इस्लाह करनी थी कि वो बाएँ तरफ़ से दाएँ तरफ़ को फिर जाएँ क्योंकि मुक्तदी का मुक़ाम इमाम के दाएँ तरफ़ होता है। यहीं से इमाम बुखारी (रह.) ने बाब का तर्जुमा निकाला क्योंकि जब नमाज़ी को दूसरे की नमाज़ दुरुस्त करने के लिये हाथ से काम लेना पड़े तो अपनी नमाज़ दुरुस्त करने के लिये तो बतरीक़ औला हाथ से काम लेना जाइज़ होगा। (वहीदी) इस हदीष से ये भी निकला कि आप कभी तहज़ुद की नमाज़ तेरह रकअतें भी पढ़ते थे। नमाज़ में अमदन काम करना बिल इत्तिफ़ाक़ मुफ़सिदे सलात है। भूल चूक के लिये दरगुजर की उम्मीद है। यहाँ आप (ﷺ) का नमाज़ तहज़ुद के आख़िर में एक रकअत वित्र पढ़कर सारी नमाज़ का ताक़ कर लेना भी प्राबित हुआ। इस क़दर वज़ाहत के बावजूद तअज़ुब है कि बहुत से ज़ी इल्म हज़रत एक रकअत वित्र का इंकार करते हैं।

बाब 2 : नमाज़ में बात करना मना है

1199. हमसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, हमसे मुहम्मद बिन फुज़ैल ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक्रमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि (पहले) नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते होते और हम सलाम करते तो आप (ﷺ) उस का जवाब देते थे। जब हम नज्जाशी के यहाँ से वापस हुए तो हमने (पहले की तरह नमाज़ ही में) सलाम किया। लेकिन उस वक़्त आप (ﷺ) ने जवाब नहीं दिया बल्कि नमाज़ से फ़ारिग हो कर फ़र्माया कि नमाज़ में आदमी को फुर्सत कहाँ। (दीगर मक़ाम : 1216, 3870)

हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नुमैर ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उनसे हुरैम बिन सुफ़यान ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे इब्राहीम नखई ने, उनसे अलक्रमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से फिर ऐसी ही रिवायत बयान की।

तरीह:

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) भी उन बुजुर्गों में से हैं जिन्होंने इस्लाम के शुरूआती दौर में हब्शा में जाकर पनाह ली थी और नज्जाशी शाहे हब्शा ने जिनको बड़ी अक़ीदत से अपने यहाँ जगह दी थी। इस्लाम का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, उस वक़्त नमाज़ में बाहमी कलाम जाइज़ था बाद में जब वो हब्शा से लौटे तो नमाज़ में आपस में बातचीत करने की मुमानअत हो चुकी थी। आँहज़रत (ﷺ) के आख़िरी जुम्ले का मफ़हूम ये कि नमाज़ में तो आदमी हक़ तअाला की याद में मशगूल होता है उधर दिल लगा रहता है इसलिये ये लोगों से बातचीत का मौक़ा नहीं है।

1200. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको ईसा बिन यूनस ने ख़बर दी, उन्हें इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने, उन्हें हारि़ि़ बिन शुबैल ने, उन्हें अबू अम्र बिन सअद बिन अबी अयास शौबानी ने बताया कि मुझसे ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने बतलाया कि हम नबी करीम (ﷺ) के अहद में नमाज़ पढ़ने में बातें कर लिया करते थे। कोई भी अपने क़रीब के नमाज़ी से अपनी ज़रूरत बयान कर देता। फिर आयत हाफ़िज़ू अलइस्लाम वात अल-अख़ उतरी और हमें (नमाज़ में) ख़ामोश रहने का हुक्म हुआ।

۲- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

۱۱۹۹- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لُصَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِدُّ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ: ((إِنَّ فِي الصَّلَاةِ سُفْلًا)).

[طرفاء في: ۱۲۱۶، ۳۸۷۰]

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ بْنُ سَفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

۱۲۰۰- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شَيْبٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: ((إِنْ كُنَّا لَتَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يَكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَةً بِحَاجَتِهِ، حَتَّى تَنْزِلَ ﴿وَاحْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الْآيَةَ، فَأَمَرْنَا

आयत का तर्जुमा ये है 'नमाज़ों का ख्याल रखो और बीच वाली नमाज़ का और अल्लाह के सामने अदब से चुपचाप खड़े रहो (सूरह बकरः) दरम्यानी नमाज़ से अज़र की नमाज़ मुराद है। आयत और हदीष से ज़ाहिर हुआ कि नमाज़ में कोई भी दुनियावी बात करना क़त्अन मना है।

बाब 3 : नमाज़ में मर्दों का सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना

1201. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अनबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके बाप अबी हाज़िम सलमा बिन दीनार ने और उनसे सहल बिन सअद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) बनू अम्र बिन औफ़ (कुबा) के लोगों में मिलाप करने तशरीफ़ ले गये और जब नमाज़ का वक़्त हो गया तो बिलाल (रज़ि.) ने अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) से कहा कि नबी करीम (ﷺ) तो अब तक नहीं तशरीफ़ लाए इसलिये आप नमाज़ पढ़ा दीजिए। उन्होंने फ़र्माया, अच्छा तुम्हारी ख़्वाहिश है तो मैं नमाज़ पढ़ा देता हूँ। ख़ैर बिलाल (रज़ि.) ने तक्बीर कही। अबूबक्र (रज़ि.) आगे बढ़े और नमाज़ शुरू की। इतने में नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले लाए और आप (ﷺ) सफ़ों से गुज़रते हुए पहली सफ़ तक पहुँच गए। लोगों ने हाथ पर हाथ बजाना शुरू किया। (सहल ने) कहा कि जानते हो तस्बीह क्या है और अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में किसी तरफ़ भी ध्यान नहीं किया करते थे, लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा तालियाँ बजाई तो आप मुतवज्जह हुए। क्या देखते हैं कि नबी करीम (ﷺ) सफ़ में मौजूद हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने इशारे से उन्हें अपनी जगह रहने के लिये कहा। इस पर अबूबक्र (रज़ि.) ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया और उल्टे पाँव पीछे आ गए और नबी करीम (ﷺ) आगे बढ़ गए। (राजेज़ : 673)

۴-بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

۱۲۰۱- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْلُحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَخَانَتِ الصَّلَاةَ، فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حَسْبَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَمَّ النَّاسُ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفْرِ يَشْفُقُهَا شَفَقًا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ - وَ قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيحُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْتَرُوا التَّفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ)). (راجع: ۶۸۴)

तशरीह: इस रिवायत की मुताबक़त बाब के तर्जुमे से मुश्किल हैं क्योंकि उसमें सुब्हानल्लाह कहने का ज़िक्र नहीं और शायद हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा किया जो ऊपर गुज़र चुका है और उसमें साफ़ यूँ है कि तुमने तालियाँ बहुत बजाई नमाज़ में कोई वाकिआ हो तो सुब्हानल्लाह कहा करो ताली बजाना औरतों के लिये है। अब रहा अल हम्दुलिल्लाह कहना तो वो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के इस फ़ेअल से निकलता है कि उन्होंने नमाज़ में दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया। कुछ ने कहा कि इमाम बुखारी (रह.) ने तस्बीह को तहमीद पर क़यास किया तो ये रिवायत भी बाब का तर्जुमा के मुताबिक़ हो गई। (वहीदी)

बाब 4: नमाज़ में नाम लेकर दुआया बंद दुआ करना या किसी को सलाम करना बग़ैर उसको मुखातब किये और नमाज़ी को मा'लूम न हो कि इससे नमाज़ में खलल आता है

٤- بَابُ مَنْ سَمِيَ قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مَوَاجِهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

ग़र्ज़ इमाम बुखारी (रह.) की ये है कि इस तरह सलाम करने से नमाज़ फ़ासिद न होगी। अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु में आँहज़रत (ﷺ) को सलाम करता है लेकिन नमाज़ी आपको मुखातब नहीं करता और न आँहज़रत (ﷺ) को ख़बर होती है। जब तक फ़रिश्ते आपको ख़बर नहीं देते तो उससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

1202. हमसे अम्र बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अब्दुस्समद अलअमी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हुसैन बिन अब्दुरहमान ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने बयान किया, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि हम पहले नमाज़ में यूँ कहा करते थे फलों पर सलाम और नाम लेते थे और आपस में एक शख्स दूसरे को सलाम कर लेता। नबी करीम (ﷺ) ने सुनकर फ़र्माया, इस तरह कहा करो! (तर्जुमा) या'नी सारी तहिय्यात, बन्दगियाँ और अच्छी बातें ख़ास अल्लाह ही के लिये हैं और ऐ नबी! आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत नाज़िल हो। हम पर सलाम हो और अल्लाह के सब नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो गोया तुमने अल्लाह के उन तमाम मालेहीन बन्दों पर सलाम पहुँचा दिया जो आसमान व ज़मीन में हैं।

(राजेअ: 831)

١٢٠٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْقَزَيْرِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَقُولُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنَسَمِي وَيَسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)). [راجع: ٨٣١]

तशरीह:

बाब और इदीष में मुताबक़त है लफ़्ज़ अतहिय्यात से मुराद जुबान से की जाने वाली इबादत और लफ़्ज़े सलवात से मुराद बदन से की जाने वाली इबादत और तय्यिबात से मुराद हलाल माल से की जानेवाली इबादत, ये सब ख़ास अल्लाह ही के लिये हैं। उनमें से जो ज़रा बराबर भी किसी ग़ैर के लिये करेगा वो इन्दल्लाह शिर्क ठहरेगा। लफ़्ज़ नबवी कूलू अल्ख़ से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि उस वक़्त तक अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को ये मसला मा'लूम नहीं था कि नमाज़ में इस तरह सलाम करने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं फ़र्माया।

बाब 5 : ताली बजाना या'नी हाथ पर हाथ मारना सिर्फ़ औरतों के लिये है

٥- بَابُ التَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

1203. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफयान बिन उययना ने बयान किया, कहा कि हमसे जुहरी ने बयान किया, उनसे अबू सलमान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (नमाज़ में अगर कोई बात पेश आ जाए तो) मर्दों को सुब्हानल्लाह कहना और औरतों को हाथ पर हाथ मार कर या'नी ताली बजाकर इमाम को इत्तिला देनी चाहिये।

तशरीह: कस्तलानी (रह.) ने कहा कि औरत इस तरह ताली बजाए कि दाएँ हाथ की हथेली को बाएँ हाथ की पुश्त पर मारे अगर खेल के तौर पर बाएँ हाथ पर मारे तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और अगर किसी मर्द को मसला मा'लूम न हो और वो भी ताली बजा दे तो उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उन सहाबा को जिन्होंने अनजाने में तालियाँ बजाई थीं नमाज़ के इआदे का हुक्म नहीं दिया। (वहीदी)

1204. हमसे यह्या बलख़ी ने बयान किया, कहा कि हमको वकीअ ने ख़बर दी, उन्हें सुफ़सान ब्रौरी ने, उन्हें अबू हाज़िम सलमान बिन दीनार ने और उन्हें सहल बिन सअद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सुब्हानल्लाह कहना मर्दों के लिये है और औरतों के लिये ताली बजाना। (राजेअ: 673)

तशरीह: मा'लूम हुआ कि इमाम भूल जाए और उसको होशियार करना हो तो लफ़्ज़े सुब्हानल्लाह बुलन्द आवाज़ से कहें और अगर किसी औरत को लुक़मा देना हो तो ताली बजाए, इससे औरतों का बाजमाअत नमाज़ पढ़ना भी श्राबित हुआ।

बाब 6 : जो शख़्स नमाज़ में उल्टे पाँव पीछे सरक जाए या आगे बढ़ जाए किसी हादसे की वजह से तो नमाज़ फ़ासिद न होगी सहल बिन सअद (रज़ि.) ने ये नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है

1205. हमसे बिशर बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्हें इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमसे यूनस ने बयान किया, उनसे जुहरी ने बयान किया कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि पीर के रोज़ मुसलमान अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक नबी करीम (ﷺ) हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज़्ने का पर्दा हटाए हुए दिखाई दिये। आप (ﷺ) ने देखा कि सहाबा मफ़ बाँधे खड़े हुए हैं। ये देखकर आप (ﷺ) खुलकर मुस्कुरा दिये। अबूबक्र (रज़ि.) उल्टे पाँव पीछे हटे। उन्होंने समझा कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमान नबी करीम (ﷺ) को देखकर

۱۲۰۳- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ)).

۱۲۰۴- حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ)).

[راجع: ۶۸۴]

۶- بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرِي فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

۱۲۰۵- حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ((أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتِمُّنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ، فَجَاءَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَتَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَسَبَّحُوا بِصُحُفِهِمْ فَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبِهِ

इस दर्जा खुश हुए कि नमाज़ ही तोड़ डालने का इरादा कर लिया। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) ने हाथ के इशारे से हिदायत की कि नमाज़ पूरी करो। फिर आप (ﷺ) ने पर्दा डाल दिया और हुज़्रे में तशरीफ़ ले गये। फिर उसी दिन आप (ﷺ) ने इन्तिक़ाल फ़र्माया।

(राजेअ: 680)

وَلَمَّا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَبِحُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَيْمُوا. ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّرِي. وَتُوفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ﷺ.

[راجع: 680]

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद ये है कि अब भी कोई खास मौक़ा अगर इस किसम का आ जाए कि इमाम को पीछे की तरफ़ हटना पड़े या कोई ह्वादा भी ऐसा दाई हो तो इस तरह से नमाज़ में नुक़स न आएगा।

बाब 7 : अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और उसकी माँ उसको बुलाए तो क्या करे?

1206. और लैष बिन सअद ने कहा कि मुझे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन हुर्मुज़ अअरज ने कि हज़रत अबू हुँरैह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (बनी इस्राईल की) एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा, उस वक़्त वो इबादतखाने में था। माँ ने पुकारा, ऐ जुरैज! जुरैज (पशोपेश में पड़ गया और दिल में) कहने लगा, ऐ अल्लाह! मैं अब माँ को देखूँ या नमाज़ को। फिर माँ ने पुकारा, ऐ जुरैज! (वो अब भी पशोपेश में था) कि ऐ अल्लाह! मेरी माँ और मेरी नमाज़! माँ ने फिर पुकारा ऐ जुरैज! वो (अब भी यही) सोचे जा रहा था। ऐ अल्लाह! मेरी माँ और मेरी नमाज़! (आख़िर) माँ ने तंग होकर बददुआ की कि ऐ अल्लाह! जुरैज को मौत न आए जब तक वो फ़ाहिशा औरत का चेहरा न देख ले। जुरैज की इबादतगाह के करीब ही एक चराने वाली आया करती थी, जो बकरियाँ चराती थी। इत्तेफ़ाक़ से उसे बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि ये किसका बच्चा है? उसने कहा जुरैज का है। वो एक मर्तबा अपनी इबादतगाह से निकल कर मेरे पास रहा था। जुरैज ने पूछा कि वो औरत कौन है? जिसने मुझ पर तोहमत लगाई है कि उसका बच्चा मुझसे है। (औरत बच्चे को ले आई तो) उन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे! तुम्हारा बाप कौन? बच्चा बोल पड़ा कि एक बकरी चराने वाला गडरिया मेरा बाप है। (दीगर मक़ाम: 2472, 3436, 3466)

۷- بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ

۱۲۰۶- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَّيْ. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَّيْ. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَّيْ. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ لِي وَجْهَ السَّمَاوِيْسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةً. تَرَعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ. قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ النِّبْيِ تَرَعُمُ أَنْ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ. مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الْغَنَمِ.))

[أطرافه في 2482, 3436, 3466]

तशरीह:

माँ की इत्ताअत फ़र्ज़ है और बाप से ज़्यादा माँ का हक़ है। इस मसले में इख़्तिलाफ़ है कुछ ने कहा जवाब न दे, अगर देगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। कुछ ने कहा जवाब दे और नमाज़ फ़ासिद न होगी और इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया कि जब तू नमाज़ में हो और तेरी माँ तुझको बुलाए तो जवाब दे और अगर बाप बुलाए तो जवाब न दे। इमाम बुखारी (रह.) जुरैज की हदीष इस बाब में लाए हैं कि माँ का जवाब न देने से वो (तंगी में) मुब्तला हुए। कुछ ने कहा जुरैज की शरीअत में नमाज़ में बात करना मुबाह था तो उनको जवाब देना लाज़िम था। उन्होंने न दिया तो माँ की बहुआ उनको लग गई।

एक रिवायत में है कि अगर जुरैज को मा'लूम होता तो जवाब देता कि माँ का जवाब देना भी अपने रब की इबादत है। बाबूस हर शीर-ख़वार बच्चे को कहते हैं या उस बच्चे का नाम होगा। अल्लाह ने उसको बोलने की ताक़त दी। उसने अपना बाप बतलाया। जुरैज इस तरह इस इल्ज़ाम से बरी हुए। मा'लूम हुआ कि माँ को हर हाल में ख़ुश रखना औलाद के लिये ज़रूरी है वरना उनकी बहुआ औलाद की ज़िन्दगी तबाह कर सकती है।

बाब 8 : नमाज़ में कंकरियाँ उठाना कैसा है?

1207. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यह्या बिन क़शीर ने, उनसे अबू सलमान ने, उन्होंने कहा कि मुझसे मुएक्किब बिन अबी तल्हा सहाबी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स से जो हर मर्तबा सज्दा करते हुए कंकरियाँ बराबर कर देता था, फ़र्माया अगर ऐसा करना है तो सिर्फ़ एक ही बार कर।

۸- بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ
۱۲۰۷- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْتِيبٌ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي الرَّجُلُ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً)).

क्योंकि बार-बार ऐसा करना नमाज़ में ख़ुशूअ व ख़ुजूअ के ख़िलाफ़ है।

बाब 9 : नमाज़ में सज्दे के लिये कपड़ा बिछाना कैसा है?

1208. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे बिशर बिन मुफ़ज़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ालिब बिन क़त्तान ने बयान किया, उनसे बुकैर बिन अब्दुल्लाह मज़नी ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि हम सख़्त गर्मियों में जब नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते और चेहरे को ज़मीन पर पूरी तरह रखना मुश्किल होता तो अपना कपड़ा बिछा कर उस पर सज्दा करते थे। (राजेअ : 380)

۹- بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ
لِلسُّجُودِ
۱۲۰۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِي سِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ لَسَجْدَةٍ عَلَيْهِ)).

(راجع: ۳۸۰)

तशरीह:

मस्जिदे नबवी इब्तिदा में एक मा'मूली छप्पर की शक़ल में थी। जिसमें बारिश और धूप का पूरा अपहर हुआ करता था। इसलिये शिद्दते गर्मी में सहाबा किराम (रज़ि.) ऐसा कर लिया करते थे। अब भी कहीं ऐसा ही मौक़ा हो तो ऐसा कर लेना दुरुस्त है।

बाब 10 : नमाज़ में कौन-कौन से काम दुरुस्त है?

1209. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अनबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे अबुन्नज़र सालिम बिन अबू उमय्या ने, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं अपना पाँव नबी करीम (ﷺ) के सामने फैला लेती थी और आप नमाज़ पढ़ते होते। जब आप (ﷺ) सज्दा करने लगते तो आप मुझे हाथ लगाते मैं पाँव समेट लेती। फिर जब आप (ﷺ) खड़े हो जाते तो मैं फिर फैला लेती। (राजेअ : 382)

1210. हमसे महमूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, कहा कि हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने एक मर्तबा एक नमाज़ पढ़ी फिर फ़र्माया कि मेरे सामने एक शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज़ तोड़ दे। लेकिन अल्लाह तआला ने उसको मेरे क़ाबू में कर दिया, मैंने उसका गला घोंटा और उसको धकेल दिया। आख़िर में मेरा इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक सुतून से बाँध दूँ और जब सुबह हो तो तुम भी देखो। लेकिन मुझे सुलैमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी सलतनत अत्रा कीजियो, जो मेरे बाद किसी और को न मिले। (इसलिये मैंने उसे छोड़ दिया) और अल्लाह तआला ने उसे ज़िल्लत के साथ भगा दिया। इसके बाद नज़र बिन शुमैल ने कहा कि जअतुहू ज़ाल से है जिसके मा'नी है कि मैंने उसका गला घोंट दिया और दअत अल्लाह तआला के इस क़ौल से लिया गया है यौम युदऔन जिस के मा'नी हैं क़यामत के दिन वो दोज़ख़ की तरफ़ धकेले जाएंगे। दुरुस्त पहला ही लफ़ज़ है। अलबत्ता शुअबा ने इसी तरह ऐन और ताअ की तश्दीद के साथ बयान किया है।

(राजेअ : 461)

١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

١٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كُنْتُ أُمِدُّ رِجْلِي فِي قَدَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَرَفَعْتَهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا)) .

[راجع : ٣٨٢]

١٢١٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَأَمَكَّنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَدَعَعْتُهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَوْتِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تَصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَرَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي)) فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِنًا)) ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ : فَدَعَعْتُهُ بِالذَّالِ، أَيْ حَقَّقْتُهُ. وَقَدَعَعْتُهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : هَيَوْمَ يُدْعُونَكَ أَيُّ يُدْفَعُونَ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْنِيدِ الْعَيْنِ وَالنَّاءِ .

[راجع : ٤٦١]

तशरीह : यहाँ ये ए' तिराज़ न होगा कि दूसरी हदीष में है कि शैतान उमर के साये से भी भागता है। जब हज़रत उमर (रज़ि.) से शैतान डरता है तो आँहज़रत (ﷺ) के पास क्योंकर आया? आँहज़रत (ﷺ) उमर (रज़ि.) से कहीं ज़्यादा

अफ़ज़ल हैं। इसका जवाब ये है कि चोर-डाकू-बदमाश, कोतवाल से ज़्यादा डरते हैं बादशाह से उतना नहीं डरते, वो ये समझते हैं कि बादशाह को हम पर रहम आ जाएगा। तो उससे ये नहीं निकलता कि कोतवाल बादशाह से अफ़ज़ल है, इस रिवायत से इمام बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि दुश्मन को धकेलना या उसको धक्का देने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। इمام इब्ने क़थ़ीम (रह.) ने किताबुस्सलात में अहले हदीष का मज़हब करार दिया कि नमाज़ में खंखारना या कोई घर में न हो तो दरवाज़ा खोल देना, सांप-बिच्छू निकले तो उसका मारना, सलाम का जवाब हाथ के इशारे से देना, किसी ज़रूरत से आगे-पीछे सरक जाना ये सब काम दुरुस्त है। इनसे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। (वहीदी) कुछ नुस्खों में घुम्म क़ालन्नज़रुनु शुमैल वाली इबारत नहीं है।

बाब 11 : अगर आदमी नमाज़ में हो और उसका जानवर भाग पड़े और क़तादा ने कहा कि अगर किसी का कपड़ा चोर ले भागे तो उसके पीछे दौड़े और नमाज़ छोड़ दे

1211. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अरज़क बिन क़ैस ने बयान किया, कहा कि हम अहवाज़ में (जो कई बस्तियाँ है बसरा और ईरान के बीच में) ख़ारजियों से जंग कर रहे थे। एक बार मैं नहर के किनारे बैठा था। इतने में एक शख़्स (अबू बरज़ा सहाबी रज़ि.) आया और नमाज़ पढ़ने लगा। क्या देखता हूँ कि उनके घोड़े की लगाम उनके हाथ में है। अचानक घोड़ा उनसे छूटकर भाग गया, तो वो भी उसका पीछा करने लगे। शुअबा ने कहा कि अबू बरज़ा असलमी (रज़ि.) थे। ये देख कर ख़वारिज में से एक शख़्स कहने लगा कि ऐ अल्लाह! इस शैख़ का नास कर। जब वो शैख़ वापस लौटे तो फ़र्माया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है और (तुम क्या चीज़ हो?) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ छह या सात जिहाद में शिरकत की है और मैंने आप (ﷺ) की आसानियों को देखा है। इसलिये मुझे ये अच्छा मा'लूम हुआ कि अपना घोड़ा साथ लेकर लोटूँ न कि उसको छोड़ दूँ कि जहाँ चाहे चल दे और मैं तकलीफ़ उठाऊँ। (दीगर मक़ाम : 6127)

1212. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमको यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उनसे उर्वा ने बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि जब सूरज ग्रहण लगा तो

١١ - بَابُ إِذَا انْفَلَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ أَحْدَثَ تَوْبَةً يَتَّبِعُ السَّارِقَ وَيَدْعُ الصَّلَاةَ

١٢١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ ((كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نَقَائِلَ الْحَوْرِيَّةِ، قَبِينَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِحَامٌ ذَائِبَةٌ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَارِعُهُ، وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَيْتَ غَزَوَاتٍ أَوْ مَتَعَ غَزَوَاتٍ أَوْ فَمَانَ وَشَهَدْتُ تَسِيرَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ أَنْ أَرَا جِعَ مَعَ ذَائِبِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْهَبَهَا تَرْجِعَ إِلَيَّ مَالِيهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ)).

[طرفه ن: ٦١٢٧.]

١٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَابِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ

नबी करीम (ﷺ) (नमाज़ के लिये) खड़े हुए और एक लम्बी सूरत पढ़ी फिर रुकूअ किया और बहुत लम्बा रुकूअ किया। फिर सर उठाया उसके बाद दूसरी सूरत शुरू कर दी, फिर रुकूअ किया और रुकूअ पूरा करके इस रकअत को खत्म किया और सज्दे में गये। फिर दूसरी रकअत में भी आप (ﷺ) ने इसी तरह किया। नमाज़ से फ़ारिग होकर आपने फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। इसलिये जब तुम इनमें ग्रहन देखो तो नमाज़ शुरू कर दो जब तक कि ये साफ़ हो जाए और देखो मैंने अपनी इसी जगह से उन तमाम चीज़ों को देख लिया है जिनका मुझसे वा'दा है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि मैं जन्नत का एक खोशा लेना चाहता हूँ। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं आगे बढ़ने लगा था और मैंने दोज़ख भी देखी (इस हालत में कि) बाज़ आग, आग को खाए जा रही थी। तुम लोगों ने देखा होगा कि जहन्नम के इस हौलनाक मन्ज़र को देख कर मैं पीछे हट गया था। मैंने जहन्नम के अन्दर अम्र बिन लुहय्य को देखा। ये वो शख्स है जिसने साँड की रस्म अरब में जारी की थी।

(राजेअ: 1044)

तशरीह:

सायबा उस ऊँटनी को कहते हैं जो जाहिलियत में बुतों की नज़्र मानकर छोड़ दी जाती थी। न उस पर सवार होते और न उसका दूध पीते। यही अम्र बिन लुहय्य अरब में बुतपरस्ती और दूसरी बहुत सी मुन्किरात का बानी (संस्थापक) हुआ है। हदीष की मुताबकत तर्जुमा से जाहिर है इसलिये कि खोशा लेने के लिये आप (ﷺ) का आगे बढ़ना और जहन्नम की हैबत खाकर पीछे हटना हदीष से प्राबित हो गया और जिसका चौपाया छूट जाता है वो उसके थामने के वास्ते भी कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे हटता है। (फ़त्हुलबारी) ख़वारिज एक गिरोह है जिसने हज़रत अली (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का इंकार किया था। साथ ही हदीष का इंकार करके हसबुनल्लाहु किताबिल्लाहि का नारा लगाया था। ये गिरोह भी इफ़्हात व तफ़रीत में मुब्तला होकर गुमराह हुआ।

बाब 12 : इस बारे में कि नमाज़ में थूकना और फूंक मारना कहाँ तक जाइज़ है? और अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से ग्रहन की हदीष में मन्कूल है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ग्रहन की नमाज़ में सज्दे में फूंक मारी

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((حَسَفَتِ الشَّمْسُ،
فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ لَقْرًا سُورَةَ طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ
فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ
أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى لَقَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ
فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْفَائِيَةِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّهُمَا
آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ
فَصَلُّوا حَتَّى يَفْرَجَ عَنْكُم. لَقَدْ رَأَيْتُ فِي
مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدَّتُهُ، حَتَّى لَقَدْ
رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أَخُذَ قِطْفًا مِنَ الْحَبَةِ حِينَ
رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ
جَهَنَّمَ يَخْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي
تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ
الَّذِي سَبَّ السُّؤَالِبَ)).

[راجع: ١٠٤٤]

١٢- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبِصَاقِ
وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَيَذْكَرُ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ ﷺ فِي
سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

तशरीह:

या'नी ऐसे साफ़ तौर पर उफ़ निकाली कि जिससे फ़े पूरी और लम्बी आवाज़ से ज़ाहिर हुई। इब्ने बत्ताल ने कहा कि नमाज़ में थूक डालने के जवाज़ पर इलमा ने इत्तिफ़ाक़ किया है। इससे मा'लूम हुआ कि फूंक मारना भी

जाइज है क्योंकि उन दोनों में फ़र्क नहीं है। इब्ने दक्कीक ने कहा कि नमाज़ में फूँक मारने को इसलिये मुब्तले नमाज़ कहते हैं कि वो कलाम के मुशाबेह है और ये बात मर्दूद है क्योंकि सहीह तौर पर प्राबित है कि आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ में फूँक मारी (फ़तहलबारी)

12 13. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक दफ़ा मस्जिद में क़िब्ला की तरफ़ रेंट देखी। आप (ﷺ) मस्जिद में मौजूद लोगों पर बहुत नाराज़ हुए और फ़र्माया कि अल्लाह तआला तुम्हारे सामने है इसलिये नमाज़ में थूकना न करो, या ये फ़र्माया कि रेंट न निकाला करो। फिर आप उतरे और खुद ही अपने हाथ से उसे खुरच डाला, इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि जब किसी को थूकना ही ज़रूरी हो तो अपनी बाईं तरफ़ थूक ले।

(राजेअ: 406)

तशरीह:

इससे ये मा'लूम हुआ कि बुरे काम को देखकर तमाम जमाअत पर नाराज़ होना जाइज है ताकि सबको तम्बीह हो और आइन्दा के लिये उसका लिहाज़ रखें। नमाज़ में क़िबले की तरफ़ थूकने से मना किया न कि मुल्लक थूक डालने से बल्कि अपने पांव के नीचे थूकने की इजाज़त फ़र्माई जैसा कि अगली हदीष में मज़कूर है। जब थूक मस्जिद में पुख़्ता फ़र्श होने की वजह से दफ़न हो सके तो रूमाल में थूकना चाहिये। फूँक मारना भी किसी शदीद ज़रूरत के तहत जाइज है बिला ज़रूरत फूँक मारना नमाज़ में खुशूअ के खिलाफ़ है।

12 14. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उन्होंने कहा कि मैंने क़तादा से सुना, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम में से कोई नमाज़ में हो तो वो अपने रबी से सरगोशी (बातें) करता है। इसलिये उसके सामने न थूकना चाहिये और न दायें तरफ़ अलबत्ता बायें तरफ़ अपने क़दम के नीचे थूक ले। (राजेअ: 241)

बाब 13 : अगर कोई मर्द मसलान जानने की वजह से नमाज़ में दस्तक दे तो उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगी

इस बाब में सहल बिन सअद (रज़ि.) की एक रिवायत नबी करीम (ﷺ) से सुना

۱۲۱۳ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَامَةً لِي بَيْتَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَهَّطَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَيَلْ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَتَزَوَّنُ - أَوْ قَالَ: (لَا يَتَخَمَّنُ)) - ثُمَّ نَزَلَ فَحَثَّهَا بِيَدِهِ)). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا بَرَّقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَزَوَّقْ عَلَى يَسَارِهِ.

[راجع: ۴۰۶]

۱۲۱۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتَزَوَّنُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيَسْرَى)).

[راجع: ۲۴۱]

۱۳ - بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنْ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

जो ऊपर गुज़र चुकी है और आगे भी आएगी।

बाब 14 : इस बारे में कि अगर नमाज़ी से कोई कहे कि आगे बढ़ जा या ठहर जा और वो आगे बढ़ जाए या ठहर जाए तो कोई क़बाहत नहीं है

۱۴- بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّيِ:
تَقَدَّمَ أَوْ انْتَهَرَ فَاَنْتَهَرَ -
فَلَا بَأْسَ

1215. हमसे मुहम्मद बिन क़शीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफ़यान श़ौरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू हाज़िम ने, उनको सहल बिन सअद (रज़ि.) ने बतलाया कि लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ तरह पढ़ते कि तहबन्द छोटे होने की वजह से उन्हें अपनी गर्दनो से बाँधे रखते और औरतों को (जो मर्दों के पीछे जमाअत में शरीक रहती थीं) कह दिया जाता कि जब तक मर्द पूरी तरह सिमट पर न बैठ जाए, तुम अपने सर (सज्दे से) न उठाना। (राजेअ: 362)

۱۲۱۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَائِدُونَ أُرْوَاهُمْ مِنَ الصَّفْرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَيَقِيلُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَوَقَّعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ (جُلُوسًا)). [راجع: ۳۶۲]

तशरीह: इमाम नमाज़ में भूल जाए या किसी दीगर ज़रूरी अम्र पर उसे आगाह करना हो जो मर्द सुबहानल्लाह कहें और औरते ताली बजाएँ अगर किसी मर्द ने नादानी की वजह से तालियाँ बजाईं तो उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी। चुनाँचे सहल (रज़ि.) की हदीष में जो दो बाबों के बाद आ रही है कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने नादानी की वजह से ऐसा किया और आप (ﷺ) ने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया। हदीष और बाब में यूँ मुताबक़त हुई कि ये बात औरतों को हालते नमाज़ में कही गई या नमाज़ से पहले। शक़ अक्वल में मा'लूम हुआ कि नमाज़ी को मुखातिब करना और नमाज़ के लिये किसी का इतिज़ार करना जाइज़ है और शक़े श़ानी में मा'लूम हुआ कि नमाज़ में इतिज़ार करना जाइज़ है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के कलाम का हासिल ये है कि किसी का इतिज़ार अगर शरई है तो जाइज़ है वरना नहीं। (फ़तहलबारी)

बाब 15 : नमाज़ में सलाम का जवाब

(ज़बानसे) नदे

1216. हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने फ़ुज़ैल ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने कहा कि (इब्तिदाए-इस्लाम में) नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़ में होते तो मैं आपको सलाम करता तो आप (ﷺ) जवाब देते थे। मगर जब हम (हब्शा से, जहाँ हजरत की थी) वापस आये तो मैंने (पहले की तरह नमाज़ में) सलाम किया। मगर आप (ﷺ) ने कोई जवाब नहीं दिया (क्योंकि अब नमाज़ में बातचीत वग़ैरह की मुमानअत नाज़िल हो गई थी) और फ़र्माया कि नमाज़ में इससे मशगूलियत होती है। (राजेअ: 1199)

۱۵- بَابُ لَا يَرُدُّ السَّلَامُ فِي

الصَّلَاةِ

۱۲۱۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لُصَيْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كَتَبْتُ أَسَلَمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَرَدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ وَقَالَ: ((إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَسَلَّمَ)).

[راجع: ۱۱۹۹]

तशरीह:

उलमा का इसमें इख़ितालाफ़ है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसरूद (रज़ि.) की ये वापसी मक्का शरीफ़ को थी या मदीना मुनव्वरा को। हाफ़िज़ ने फ़त्हुल बारी में उसे तर्जीह दी है कि मदीना मुनव्वरा को थी जिस तरह पहले गुजर चुकी है और जब ये वापस हुए तो आप (ﷺ) बद्र की लड़ाई के लिये तैयारी कर रहे थे। अगली हदीस से भी इसी की ताईद होती है कि नमाज़ के अंदर कलाम करना मदीना में हराम हुआ क्योंकि हज़रत जाबिर अंसारी मदीना शरीफ़ के बाशिन्दे थे।

1217. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे कफ़ीर बिन शिन्ज़ैर ने बयान किया, उनसे अत्ताअ बिन अबी रबाह ने उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी एक ज़रूरत के लिये (ग़ज़्वा-ए-बनी मुस्तलिक़ में) भेजा मैं जाकर वापस आया, मैंने काम पूरा कर दिया था। फिर मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आपको सलाम किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में अल्लाह जाने क्या बात आई और मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझ पर इसलिये ख़फ़ा हैं कि मैं देर से आया हूँ। मैंने फिर दोबारा सलाम किया और जब इस मर्तबा भी आपने कोई जवाब नहीं दिया तो अब मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा ख़याल आया। फिर मैंने (तीसरी मर्तबा) सलाम किया और अब आप (ﷺ) ने जवाब दिया और फ़र्माया कि पहले जो दो बार मैंने जवाब नहीं दिया तो वो इस वजह से था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और आप (ﷺ) उस वक़्त अपनी कूँटनी पर थे और उसका रुख़ क़िब्ला की तरफ़ न था, बल्कि दूसरी तरफ़ था।

۱۲۱۷- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ حُنَظَيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لِي، فَأَنْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ لِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَكْظَمُ بِهِ، فَقُلْتُ لِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ لِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَ قَالَ: ((إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي)). وَكَانَ عَلَيَّ رَاجِعِيهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ)).

तशरीह:

मुस्लिम की रिवायत में हैं ये ग़ज़्वा-ए-बनी मुस्तलिक़ में था और मुस्लिम ही की रिवायत में ये भी वज़ाहत है कि आपने हाथ के इशारे से जवाब दिया। और जाबिर (रज़ि.) का मग़मूम व मुतफ़किर (ग़मज़दा और फ़िक्रमन्द) होना इसलिये था कि उन्होंने ये न समझा कि ये इशारा सलाम का जवाब है क्योंकि पहले आप (ﷺ) जुबान से सलाम का जवाब देते थे न कि हाथ के इशारे से।

बाब 16 : नमाज़ में कोई हादसा पेश आए तो हाथ उठाकर दुआ करना

1317. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने और उनसे सहल बिन सअद

۱۶- بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ

۱۲۱۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْزِزِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह को ये खबर पहुँची कि कुबा के कबीला बनू अम्र बिन औफ़ में कोई झगड़ा हो गया है। इसलिये आप (ﷺ) कई अम्हाब को साथ लेकर उनमें मिलाप कराने के लिये तशरीफ़ ले गये। वहाँ आप (ﷺ) सुलह-सफ़ाई के लिये ठहर गए। इधर नमाज़ का वक़्त हो गया तो बिलाल (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि.) से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नहीं आए और नमाज़ का वक़्त हो गया, तो क्या आप लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे। आपने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम चाहते हो तो पढ़ा दूँगा। चुनाँचे बिलाल (रज़ि.) ने तक्बीर कही और अबूबक्र ने आगे बढ़कर निश्चयत बाँध ली। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आए और सफ़ों से गुज़रते हुए आप पहली सफ़ में आ खड़े हुए। लोगों ने हाथ पर हाथ मारने शुरू कर दिये। (सह्ल रज़ि. ने कहा तस्फ़ीह के मा'नी तस्फ़ीक़ के हैं) आपने बयान किया कि अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में किसी तरफ़ मुतवज्जह नहीं होते थे। लेकिन जब लोगों ने बहुत दस्तकें दी तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हैं। हुजुरे-अकरम (ﷺ) ने इशारे से अबूबक्र को नमाज़ पढ़ाने के लिये कहा। इस पर अबूबक्र (रज़ि.) ने हाथ उठाकर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और फिर उल्टे पाँव पीछे की तरफ़ चले आये और सफ़ में खड़े हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया कि लोगों! ये क्या बात है कि जब नमाज़ में कोई बात पेश आती है तो तुम तालियाँ बजाने लगते हो, ये मसला तो औरतों के लिये है। तुम्हें अगर नमाज़ में कोई हादसा पेश आए तो सुब्हानल्लाह कहा करो। इसके बाद आप (ﷺ) अबूबक्र (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया कि अबूबक्र! मेरे कहने के बावजूद तुमने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाई? अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि अबूक्रहाफ़ा के बेटे को ज़ेबा नहीं देता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में नमाज़

أَنْ يَبِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ بَقَاءِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحَسِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَسِبَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثِرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَسْقُهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ مِنَ الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ - قَالَ سَهْلٌ: التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيحُ - قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْفَهْقَرِيُّ وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ. فَلَمَّا قَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَاهَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ)). ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشْرَزْتَ إِلَيْكَ؟) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْهَى لَأَبِي أَنْ يَخَافَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ

पढ़ाए। (राजेअ: 673)

يَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ٦٨٤]

तशरीह:

हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने ख के सामने हाथों को उठाकर अलहम्दुलिल्लाह कहा। सो अगर उसमें कुछ हर्ज होता तो आप (ﷺ) ज़रूर मना कर देते और उससे हदीष की मुनासबत बाब से ज़ाहिर हुई।

बाब 17 : नमाज़ में कमर पर हाथ रखना कैसा है?

1219. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नमाज़ में कमर पर हाथ रखने से मना किया गया था। हिशाम और अबू हिलाल मुहम्मद बिन सुलैम ने, इब्ने सीरीन से इस हदीष को रिवायत किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने। (दीगर मक़ाम: 1220)

1220. हमसे अम्र बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन हस्सान फ़िरदौसी ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) ने कमर पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया। (राजेअ: 1219)

तशरीह:

या'नी कोख पर हाथ रखने से मना किया। हिक्मत उसमें ये है कि इब्लीस उसी हालत में आसमान से उतारा गया और यहूद अक़्ब़र ऐसा किया करते थे या जहन्नमी इसी तरह राहत लेंगे। इसलिये भी मना किया गया कि ये मुतकब्बिरो (धमण्डियों) की भी अलामत है।

बाब 18 : आदमी नमाज़ में किसी बात का फ़िक्र करे तो कैसा है?

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता रहता हूँ और नमाज़ ही में जिहाद के लिये अपनी फ़ौज का सामान किया करता हूँ

तशरीह:

बाब का मज़सद ये है कि नमाज़ में कुछ सोचने से नमाज़ बातिल न होगी क्योंकि इससे बचना दुश्वार है फिर अगर सोचना दीन और आख़िरत के बारे में हो तो ख़फ़ीफ़ बात है और अगर दुनियावी काम हो तो बहुत भारी है। इलमा (रह.) ने उस नमाज़ी को जिसका नमाज़ में दुनियावी उमूर पर ध्यान हो और अल्लाह से गाफ़िल हो ऐसे शख्स के साथ तशबीह दी है जो किसी बादशाह के सामने बतौर तोहफ़ा एक मरी हुई लौण्डी पेश करे। ज़ाहिर है कि बादशाह उस तोहफ़े से इतिहाई नाख़ुश होगा। इसीलिये कहा गया है कि,

बरज़बाँ तस्बीहो - दिल दर गाव ख़र

ई चुनी तस्बीह के दारद अ़र

١٧- بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

١٢١٩- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى عَنْ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ)). وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ١٢٢٠].

١٢٢٠- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا)).

[راجع: ١٢١٩]

١٨- بَابُ يُفَكِّرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي

الصَّلَاةِ

وَقَالَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِي لِأَجْهَزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

या'नी जब जुबान पर तस्बीह जारी हो और दिल घर के जानवरों में लगा हुआ हो तो ऐसी तस्बीह क्या अषर पैदा कर सकती है। हज़रत उमर (रज़ि.) के अषरे मज़कूर को इब्ने अबी शैबा ने बइस्नादे सहीह रिवायत किया है। हज़रत उमर (रज़ि.) को अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत व नुसरत के लिये पैदा फ़र्माया था। उनको नमाज़ में भी वही ख्यालात दामनगीर रहते थे, नमाज़ में जिहाद के लिये फ़ौजकशी और जंगी तदबीरें सोचते थे चूँकि नमाज़ नफ़्स और शैतान के साथ जिहाद है और उन हबी तदाबीर को सोचना भी अज़ क़िस्मे जिहाद है लिहाज़ा मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं। (हवाशी सल्फ़िया, पारा नं. 5 पेज नं. 443)

1221. हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, कहा कि हमसे रौह बिन इबादा ने, कहा कि हमसे उमर ने जो सईद के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ अस्स की नमाज़ पढ़ी, आप (ﷺ) सलाम फेरते ही बड़ी तेज़ी से उठे और अपनी एक बीवी के हुज़रे में तशरीफ़ ले गये, फिर बाहर तशरीफ़ लाए। आपने अपनी जल्दी पर इस ता'जुब व हैरत को महसूस किया जो सहाबा के चेहरे से जाहिर हो रहा था, इसलिये आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ में मुझे सोने का एक डला याद आ गया जो हमारे पास तक्सीम से बाक़ी रह गया था। मुझे बुरा मा'लूम हुआ कि हमारे पास वो शाम तक या रात तक रह जाए। इसलिये मैंने उसे तक्सीम करने का हुक्म दे दिया।

(राजेअ: 851)

۱۲۲۱- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيحًا وَدَخَلَ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا لِي وَجُوهَ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِي فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - بِرَأٍ عِنْدَنَا فَكْرِهْتُ أَنْ يُنْسَى - أَوْ يَنْتَ - عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)). [راجع: ۸۵۱]

नमाज़ में आँहज़रत (ﷺ) को सोने का बकाया डला तक्सीम के लिये याद आ गया यहीं से बाब का मतलब प्राबित होता है।

1222. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने उनसे जा'फ़र बिन रबीआ ने और उनसे अअरज ने और उनसे हज़रत अबू हुदैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती तो शैतान पीठ मोड़ कर हवा खारिज करता हुआ भाग जाता है ताकि अज़ान न सुन सके। जब मुअज़्ज़िन चुप हो जाता है तो मर्दूद फिर आ जाता है और जब जमाअत खड़ी होने लगती है (और तक्बीर कही जाती है) तो फिर भाग जाता है। लेकिन जब मुअज़्ज़िन चुप हो जाता है, फिर आ जाता है और आदमी के दिल में बराबर वस्वसा पैदा करता रहता है। कहता है कि (फलाँ-फलाँ बात) याद कर। कमबख़्त वो बातें याद दिलाता है जो उस नमाज़ी के ज़हन में भी न थी। इस तरह नमाज़ी को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी है। अबू सलमा अब्दुरहमान न

۱۲۲۲- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَدْنِ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانَ لَهُ ضَرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النَّادِينَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا نُوبَ أَذْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَذْهَبَ كَمَّ صَلَّى)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ،

कहा कि जब कोई ये भूल जाए (कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं) तो बैठे-बैठे (सह्व के) दो सज्दे कर ले। अबू सलमान ने ये अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना था। (राजेअ: 607)

وَسَمِعَهُ أَبُو سَلْمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ٦٠٨]

तशरीह: मा'लूम हुआ कि नमाज़ में शैतान वस्वसों के लिये पूरी कोशिश करता है, इसलिये इस बारे में इंसान मजबूर है। पस जब नमाज़ के अंदर शैतानी वस्वसों की वजह से ये न मा'लूम रहे कि कितनी रकअतें पढ़ चुका है तो अपने यक़ीन पर भरोसा रखे, अगर उसके फ़हम में नमाज़ पूरी न हो तो पूरी करके सह्व के दो सज्दे कर ले। (कस्तलानी रह.)

1223. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा हमसे इब्मान बिन इमर ने कहा कि मुझे इब्ने अबी जिब ने खबर दी, उन्हें सईद मन्बरी ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा लोग कहते हैं कि अबू हुरैरह बहुत ज़्यादा हदीषें बयान करता है (और हाल ये है कि) मैं एक शख्स से एक मर्तबा मिला और उससे मैंने (बतौर इम्तिहान) दरयाफ़्त किया कि गुजिशता रात नबी करीम (ﷺ) ने इशा में कौन-कौन सी सूरतें पढ़ी थीं? उसने कहा कि मुझे नहीं मा'लूम। मैंने पूछा कि तुम नमाज़ में शरीक थे? कहा कि हाँ शरीक था। मैंने कहा लेकिन मुझे तो याद है कि आप (ﷺ) ने फ़लाँ-फ़लाँ सूरतें पढ़ी थीं।

١٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
أَبِي ذُنَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((يَقُولُ النَّاسُ:
أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمِ
قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَمَةِ?
فَقَالَ: لَا أَدرِي. فَقُلْتُ: لِمَ تَشْهَدُنَا?
قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدرِي، قَرَأَ
سُورَةَ كَذَا وَكَذَا)).

तशरीह: इस रिवायत में अबू हुरैरह (रज़ि.) ने उसकी वजह बताई है कि मैं अहादीष दूसरे बहुत से सहाबा के मुकाबले में ज़्यादा क्यूँ बयान करता हूँ। उनके कहने का मतलब ये है कि आप (ﷺ) की बातों को और दूसरे अज़माल को याद रखने की कोशिश दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा करता था। एक रिवायत में आपने ये भी फ़र्माया था कि मैं हर वक़्त आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ रहता था, मेरे अहलो-अयाल नहीं थे, खाने कमाने की फ़िक्र नहीं थी। 'सुफ़फ़ा' में रहने वाले ग़रीब सहाबा के साथ मस्जिदे नबवी में दिन गुज़रता था और आँहुज़ूर (ﷺ) का साथ नहीं छोड़ता था। इसलिये मैंने अहादीष आपसे ज़्यादा सुनीं और चूँकि महफूज़ भी रखीं इसलिये उन्हें बयान करता हूँ। ये हदीष किताबुल इल्म में पहले भी आ चुकी है। वहीं इसकी बहष का मौक़ा भी था। इन अहादीष को इमाम बुखारी (रह.) ने एक ख़ास इनवान के तहत इसलिये जमा किया है कि वो बताना चाहते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए किसी चीज़ का ख़याल आने या कुछ सोचने से नमाज़ नहीं टूटती। ख़यालात और तफ़र्रकात ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना मुम्किन नहीं होता। लेकिन हालात और ख़यालात की नोइयत के फ़र्क का यहाँ भी लिहाज़ ज़रूर होगा। अगर उमूरे आख़िरत के बारे में ख़यालात नमाज़ में आएँ तो वो दुनियावी उमूर की बनिस्बत नमाज़ की ख़ुबियों पर कम अषर अंदाज़ होंगे। (तफ़हीमुल बुखारी) बाब और हदीष में मुताबक़त ये है कि वो सहाबी नमाज़ में और ख़तरात में मुस्तगरक़ रहता था। फिर भी वो इआद-ए-सलात के साथ मामूर नहीं हुआ।

22. किताबुस्सह्व

सह्व का बयान

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : अगर चार रकअत नमाज़ में पहला
क़अदा

۱ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّهُوِّ إِذَا قَامَ
مِنْ رَكَعَتَيْ الْفَرِيضَةِ

न करे और भूले से उठ खड़ा हो तो सुज्द-ए-कर

सह्व भूल-चूक से होने वाली ग़फलती को कहते हैं। उसके बारे में इलमा-ए-मज़ाहिब का इख़ितलाफ़ है। शाफ़िइया के नज़दीक सह्व के सारे सज्दे मसनून हैं और मालिकिया खास नुक़सान के सुजूदे सह्व को वाजिब कहते हैं और हुनाबिला अरकान के सिवा और वाजिबात के तर्क पर वाजिब कहते हैं और सुन्नन क़ौलिया के तर्क पर ग़ैर वाजिब। नीज़ ऐसे क़ौल या फ़ेअल के ज़्यादा पर वाजिब जानते हैं जिसके अम्दन करने से नमाज़ बातिल हो जाती है और हुन्फ़िया के यहाँ सह्व के सब सज्दे वाजिब हैं (फ़त्हुल बारी)। भूल-चूक इंसानी फ़ितरत में दाख़िल है इसलिये नमाज़ में सह्व के मसाइल का बयान करना ज़रूरी हुआ।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं। व सन्न रसूलुल्लाहि (ﷺ) फीमा इज़ा क सरल्इन्सानु फ़ी सलातिही अंय्यस्जुद सज्दतैनि तदारकन लिमा फ़रत फ़फ़ीहि शिबहुल्कज़ा व शिबहुल्कफ़ररति वल्मवाजिउल्लाती ज़हर फीहन्नस्सु अर्बअतुन अल्अव्वलु कौलुहु (ﷺ) इज़ा शक़ अहदुकुम फ़ी सलातिही व लम यदरि कम सल्ला स़लाप्न औ अर्बअन फ़ल्त्यतरिहिश्शक़ल्वल्त्यब्न अला मस्तैक़न शुम्म यस्जुद सज्दतैनि क़ब्ल अंय्युसल्लिम या'नी नबी (ﷺ) ने इस सूरत में कि इंसान अपनी नमाज़ में कोई क़सूर करे दो सज्दे करने का हुक्म दिया करते थे ताकि उस कोताही की तलाफ़ी हो जाए। पस उसको क़ज़ा के साथ भी मुनासबत है और कफ़ारा के साथ भी और वो मवाज़ेअ जिनमें नस्से हदीष से सज्दा करना प्राबित है, चार हैं। अव्वल ये कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया जब तुममें कोई नमाज़ में शक़ करे और न जाने तीन या चार कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो वो शक़ दूर करके, जिस मिक्दार पर यक़ीन हो सके उस पर नमाज़ की बिना कर ले। फिर सलाम फेरने से पेशतर दो सज्दे कर ले। पस अगर उसने पाँच रकआत पढ़ी हैं तो वो उन दो सज्दों से उसको शिफ़ा कर लेगा और उसने पढ़कर चार को पूरा किया है तो ये दोनों सज्दे शैतान के लिये सरज़निस होंगे और नेकी में ज़्यादाती होगी और रकूअ व सुजूद में शक़ करना भी उसी किस्म से है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा)

1224. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,
हमको इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब

۱۲۲۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ

ने, उन्हें अब्दुर्रहमान अअरज ने और उनसे अब्दुर्रहमान बिन बुहैना (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी (चार रकअत) नमाज़ की दो रकअत पढ़ाने के बाद (क़अद-ए-तशहहुद के बग़ैर) खड़े हो गये। जब आप नमाज़ पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इन्तिज़ार करने लगे। लेकिन आप ने सलाम से पहले बैठे-बैठे अल्लाहु-अक्बर कहा और सलाम ही से पहले दो सज्दे बैठे-बैठे किये फिर सलाम फेरा। (राजेअ : 829)

1225. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन सईद अन्सारी ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुर्रहमान अअरज ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन बुहैना (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर की दो रकअत पढ़ने के बाद बैठे बग़ैर खड़े हो गये और क़अदा ऊला नहीं किया। जब नमाज़ पूरी कर चुके तो दो सज्दे किये। फिर उनके बाद सलाम फेरा। (राजेअ : 829)

इसमें उन पर रद्द है जो कहते हैं कि सह्व के सब सज्दे सलाम के बाद हैं। (फ़तहूल बारी)

बाब 2 : अगर किसी ने पाँच रकअत नमाज़ पढ़ ली तो क्या करे?

۲- بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

तशरीह : शायद मक्सूद इमाम बुखारी (रह.) का ये है कि अगर नमाज़ में कोई बात रह जाए तो सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करे जिस तरह कि पूरा ऊपर गुज़रा और अगर नमाज़ में कुछ ज़्यादाती हो जाए जिस तरह कि उस बाब की हदीष में है तो सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व करे। मज़नी, मालिक, अबू धार इसी के क़ाइल हैं। इब्ने अब्दुल बर ने भी इस क़ौल को औला बतलाया है और हन्फिया अगरचे सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करना औला नहीं कहते लेकिन जवाज़ के वो भी क़ाइल हैं। साहिबे हिदाया ने इसकी तशरीह की है। ख़ताबी ने कहा कि ज़्यादाती और नुक़सान का फ़र्क करना ये चर्दा सहीह नहीं क्योंकि जुलयदन की हदीष में बावजूद नुक़सान के सज्दे सलाम के बाद किये। कुछ उलमा ने कहा कि इमाम अहमद का तरीका सबसे अक्वा है क्योंकि वो कहते हैं कि हर एक हदीष को उसके महल में इस्तेमाल करना चाहिये और जिस सूत में कोई हदीष वारिद नहीं हुई उसमें सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करे और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये हदीषें मरवी न होती तो तेरे नज़दीक सब सज्दे सलाम से पहले होते क्योंकि ये भी शान नमाज़ से है। पस इनका बजा लाना सलाम से पहले ठीक है। (फ़तह)

1226. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे हकम ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्क़द ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुहर में पाँच रकअत पढ़ लिये। इसलिये

شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَةً كَثِيرًا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ)). [راجع: ۸۲۹]

۱۲۲۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ التَّيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ)).

[راجع: ۸۲۹]

۱۲۲۶- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

आपसे पूछा गया कि क्या नमाज़ की रकअतें ज़्यादा हो गई हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्या बात है? कहने वाले ने कहा आप (ﷺ) ने पाँच रकअतें पढ़ी हैं। इस पर आप (ﷺ) ने सलाम के बाद दो सज्दे किये। (राजेअ: 401)

बाब 3 : दो रकअतें या तीन रकअतें पढ़कर सलाम फेर दे तो नमाज़ के सज्दों की तरह या उनसे लम्बे सत्व के दो सज्दे करना

1227. हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे सअद बिन इब्राहीम ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने जुहर या अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो जुल्यदैन कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ की रकअतें घट गई हैं? (क्योंकि आप (ﷺ) ने भूलकर सिर्फ़ दो रकअतों पर सलाम फेर दिया था) नबी करीम (ﷺ) ने अपने अज़हाब से दरयाफ़्त किया कि क्या ये सच कहते हैं? सहाबा ने कहा जी हाँ! इसने सहीह कहा है। तब नबी करीम (ﷺ) ने दो रकअत और पढ़ाई फिर दो सज्दे किये। सअद ने बयान किया कि उर्वा बिन जुबैर को मैंने देखा कि आपने मरिब की दो रकअतें पढ़ कर सलाम फेर दिया और बातें भी कही। फिर बाक़ी एक रकअत पढ़ी और दो सज्दे किये और फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने इसी तरह किया था।

बाब 4 : सत्व के सज्दों के बाद फिर तशहहूद न पढ़े

और अनस (रज़ि.) और हसन बसरी ने सलाम फेरा (या'नी सज्द-ए-सत्व के बाद) और तशहहूद नहीं पढ़ा और क़तादा ने कहा कि तशहहूद न पढ़े

1228. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें अय्यूब बिन अबी तमीमा सुख़ितयानी ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद

ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَرِيدُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: ((صَلَّيْتُ حَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمْتُ)). (راجع: ٤٠١)

٣- بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

١٢٢٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ - أَوْ الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((أَحَقُّ مَا يَقُولُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)) قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُزْرَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.

٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السُّهُورِ

وَسَلَّمَ أَنْسَ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَشَهَّدُ

١٢٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السُّخَيْطِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ

बिन सीरीन ने और उन्हें हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दो रकअत पढ़कर उठ खड़े हुए तो जुल्यदैन ने पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ कम कर दी गई है? या आप भूल गये हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों से पूछा कि क्या जुल्यदैन सच कहते हैं। लोगों ने कहा जी हाँ! ये सुनकर रसूलुल्लाह खड़े हुए और दो रकअत जो रह गई थीं उनको पढ़ा फिर सलाम फेरा, फिर अल्लाहु-अक्बर कहा और अपने सज्दे की तरह (या'नी नमाज़ के मा'मूली सज्दे की तरह) सज्दा किया या उससे लम्बा फिर सर उठाया।

(राजेअ: 482)

سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انصَرَفَ مِنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصِرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَصْدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَيْنِ أُخْرَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَثُرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ)).

[راجع: ٤٨٢]

तशरीह: दूसरे मुकाम पर हज़रत इमाम बुखारी ने दूसरा तरीका ज़िक्र किया है जिसमें दूसरा सज्दा भी मज़कूर है लेकिन तशहूद मज़कूर नहीं तो मा'लूम हुआ कि सज्द-ए-सहव के बाद तशहूद नहीं है। चुनाचे मुहम्मद बिन सीरीन से महफूज़ है और जिस हदीष में तशहूद मज़कूर है उसको बैहक़ी और इब्ने अब्दुल बर वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (खुलासा फ़तुल बारी)

हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अलक़मा ने, उन्होंने कहा कि मैंने मुहम्मद बिन सीरीन से पूछा कि सज्द-ए-सहव में तशहूद है? आपने जवाब दिया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीष में तो इसका ज़िक्र नहीं है।

बाब 5 : सहव के सज्दों में तकबीर कहना

इसमें इख़िताफ़ है कि नमाज़ से सलाम फेरकर जब सहव के सज्दे को जाएं तो तकबीर-तहरीमा कहें या सज्दे की तकबीर काफ़ी है। जुम्हूर के नज़दीक यही काफ़ी है और अह्लादीष का ज़ाहिर भी यही है। (फ़तुल बारी)

1229. हमसे हफ़स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने तीसरे पहर की दो नमाज़ों (ज़ुहर और अज़र) में से कोई नमाज़ पढ़ी। मेरा ग़ालिब गुमान है कि वो अज़र ही की नमाज़ थी। इसमें आप (ﷺ) ने दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। फिर आप एक पेड़ के तने से जो मस्जिद की अगली सफ़ में था, टेक लगाकर खड़े हो गए। आप अपना हाथ उस पर रखे हुए थे। हाज़िरीन में अबूबक्र (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) भी थे, लेकिन उन्हें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई।

حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عُلْفَمَةَ قَالَ: ((قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فِي سَجْدَتِي السُّهُوَ تَشَهُدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)).

٥- بَابُ يُكْبَرُ فِي سَجْدَتِي السُّهُوَ

١٢٢٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْقَصْرُ - رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةٍ فِي مَقْدِمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ

जो लोग (जल्दबाज़ क्रिस्म के) लोग नमाज़ पढ़ते ही मस्जिद से निकल जाने के आदी थे, वो बाहर जा चुके थे। लोगों ने कहा, क्या नमाज़ की रकअतें कम हो गई? एक शख्स जिन्हें नबी करीम (ﷺ) जुल्यदैन कहते थे। वो बोले या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप भूल गये या नमाज़ में कमी हो गई? ओहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, न मैं भूला हूँ और न नमाज़ की रकअतें कम हुई हैं। जुल्यदैन बोले नहीं आप भूल गये हैं। इसके बाद आप (ﷺ) ने दो रकअतें और पढ़ीं और सलाम फेरा, फिर तक्बीर कही और मा'मूल के मुताबिक़ या उससे भी तवील सज्दा किया। जब सज्दे से सर उठाया तो फिर तक्बीर कही और फिर तक्बीर कहकर सज्दे में गये। ये सज्दा भी मा'मूल की तरह या उससे तवील था। इसके बाद आप (ﷺ) ने सर उठाया और तक्बीर कही। (राजेअ: 482)

1230. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैप्र बिन सअद ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अअरज ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बुहैना असदी ने जो बनू अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ़ थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुहर की नमाज़ में क़अदा ऊला किये बग़ैर खड़े हो गये। हालाँकि उस वक़्त आपको बैठना चाहिये था। जब आपने नमाज़ पूरी की तो आपने बैठे-बैठे ही सलाम से पहले दो सज्दे सहव किये और हर सज्दे में अल्लाहु-अक्बर कहा। मुक्तदियों ने भी आपके साथ ये दो सज्दे किये। आप बैठना भूल गये थे। इसलिये ये सज्दे उसी के बदले में किये थे। इस रिवायत की मुताबअत इब्ने जुरैज ने इब्ने शिहाब से तक्बीर के ज़िक्र में की है।

बाब 6 : अगर किसी नमाज़ी को ये याद न रहे कि तीन रकअतें पढ़ी है या चार तो वो सलाम से पहल बैठे-बैठे ही दो सज्दे कर ले

1231. हमसे मआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कफ़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

يَكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانِ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَتَصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَسَيِّتُ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: لَمْ أُنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ. قَالَ: بَلَى قَدْ نَسَيْتُ. فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ)).

[راجع: ٤٨٢]

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ)). تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ.

٦- بَابُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْكُمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

١٢٣١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

फर्माया कि जब नमाज़ के लिये अज़ान होती है तो शैतान हवा खारिज करता हुआ भागता है, ताकि अज़ान न सुने। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो फिर आ जाता है। फिर जब इक्रामत होती है तो फिर भाग पड़ता है। लेकिन इक्रामत खत्म होते ही फिर आ जाता है और नमाज़ी के दिल में तरह-तरह के वस्वसे डालता है और कहता है कि फलाँ-फलाँ बात याद कर। इस तरह वो बातें याद दिलाता है जो उसके ज़हन में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ़ नमाज़ी को ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकअतें उसने पढ़ी हैं। इसलिये अगर किसी को ये याद न रहे कि तीन रकअत पढ़ी या चार तो बैठे ही बैठे सह्व के दो सज्दे कर लो।

(राजेअ : 608)

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَتَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْإِذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْإِذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا تَوَلَّى بِهَا آذَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّوَلَّى أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا وَكَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَذْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَذْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى - فَلَا تَأْ أَوْ أَرْبَعًا - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)).

[راجع: ٦٠٨]

तशरीह :

या'नी जिसको इस क्रम में बेअंदाज़ वस्वसे पड़ते हों उसके लिये सिर्फ़ सह्व के दो सज्दे काफी हैं। हसन बसरी और सलफ़ का एक गिरोह उसी तरफ़ गये हैं कि इस हदीष से कफ़ीर वसाविस आदमी मुराद है और इमाम बुखारी (रह.) के बाब से भी यही मा'लूम होता है (लिल अल्लामतुल ग़ज़नवी) और इमाम मालिक (रह.), शाफ़िई (रह.) और अहमद (रह.) इस हदीष को मुस्लिम वग़ैरह की हदीष पर महमूल करते हैं तो अबू सईद (रज़ि.) से मरवी है कि अगर शक दो या तीन में है तो दो समझे और अगर तीन या चार में है तो तीन समझे। बक़िया को पढ़कर सह्व के दो सज्दे सलाम से पहले दे दे। (नस्रूल बारी, जिल्द नं. 1, पेज नं. 447)

बाब 7 : सज्द-ए-सह्व फ़र्ज और नफ़्ल दोनों नमाज़ों में करना चाहिये और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने वित्र के बाद ये दो सज्दे किये

1232. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने और उन्हें हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम में से जब कोई नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज़ में शुब्हा पैदा कर देता है फिर उसे ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकअतें पढ़ीं। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो बैठे-बैठे दो सज्दे कर ले।

(राजेअ : 608)

٧- بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّطْوُعِ وَسَجْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

١٢٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)).

[راجع: ٦٠٨]

तशरीह :

या'नी नफ़ल नमाज़ में भी फ़र्ज़ की तरह सज्द-ए-सह्व करना चाहिये या नहीं। फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) के फ़ेअल और हदीषे मज़कूर से षाबित किया कि सज्द-ए-सह्व करना चाहिये। इसमें उन पर रद्द है जो इस बारे में फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ों का इम्तियाज़ करते हैं।

बाब 8 : अगर नमाज़ी से कोई बात करे और वो सुनकर हाथ के इशारे से जवाब दे तो नमाज़ फ़ासिद न होगी

1233. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मुझे अहमद बिन हारिष ने ख़बर दी, उन्हें बुकैर ने, उन्हें कुरैब ने कि इब्ने अब्बास, मिस्वर बिन मख़रमा और अब्दुर्रहमान बिन अज़हर (रज़ि.) ने उन्हें हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा और कहा हज़रत आइशा (रज़ि.) से हम सबका सलाम कहना और उसके बाद अस्त्र के बाद की दो रकअतों के बारे में दरयाफ़्त करना। उन्हें ये भी बता देना कि हमें ख़बर हुई है कि आप ये दो रकअतें पढ़ती हैं। हालाँकि हमें आहज़रत (ﷺ) से ये हदीष पढ़ चुकी है कि नबी करीम (ﷺ) ने इन दो रकअतों से मना किया है और इब्ने अब्बास ने कहा कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ इन रकअतों के पढ़ने पर लोगों को मारा भी था। कुरैब ने बयान किया कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पैग़ाम पढ़ाया। इसका जवाब आपने ये दिया कि उम्मे सलमा (रज़ि.) से इसके मुता'ल्लिक दरयाफ़्त करूँ। चुनाँचे मैं उन हज़रत की ख़िदमत में वापस हुआ और आइशा (रज़ि.) की गुफ़्तगू नक़ल कर दी। उन्होंने मुझे उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा, उन्हीं पैग़ामात के साथ जिनके साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भेजा था। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ये जवाब दिया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है कि आप अस्त्र के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि अस्त्र के बाद आप (ﷺ) खुद ये दो रकअतें पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप मेरे घर तशरीफ़ लाए। मेरे पास अन्सार के कबीला बनू हुराम की चन्द औरतें बैठी हुई थीं इसलिये मैंने एक बाँदी को आप (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। मैंने उससे कह दिया था कि वो आपके बाज़ू में होकर ये पूछे कि उम्मे सलमा कहती है, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप तो इन दो रकअतों से मना किया करते थे, हालाँकि मैं देख रही हूँ कि आप खुद उन्हें

۸- بَابُ إِذَا كَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

۱۲۳۳- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلِّمْهَا عَنْ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيَهُمَا، وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا. فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَقَّيْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلْمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمَّ سَلْمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى غَائِشَةَ. فَقَالَتْ أُمَّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيَهُمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حُرَّامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنَبِهِ قَوْلِي لَه: تَقُولُ لَكَ أُمَّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيَهُمَا، فَإِنِ أَشَارَ بِيَدِهِ

पढ़ते हैं। अगर आँ हज़रत हाथ से इशारा करें तो तुम पीछे हट जाना। बाँदी ने फिर इसी तरह किया और आप (ﷺ) ने हाथ से इशारा किया तो वो पीछे हट गई। फिर जब आप फ़ारिग हुए तो (आप ﷺ ने उम्मे सलमा से) फ़र्माया कि ऐ अबू उमर्या की बेटी! तुमने अम्र के बाद की दो रकअतों के मुताल्लिक्र पूछा, बात ये है कि मेरे पास अब्दे क़ैस के कुछ लोग आ गये थे और उनके साथ बात करने में जुहर के बाद की दो रकअतें नहीं पढ़ सका था, सो ये वही दो रकअतें हैं।

(दीगर मक़ाम : 7380)

नमाज़ी से कोई बात करे और वो सुनकर इशारा से कुछ जवाब दे दे तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। जैसा कि खुद नबी करीम (ﷺ) का जवाबी इशारा इस हदीष से षाबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के फ़ेअल से हस्बे मौक़ा किसी खिलाफ़े शरीअत काम पर मुनासिब तौर पर मारना और सख़्ती से मना करना भी षाबित हुआ।

बाब 9 : नमाज़ में इशारा करना, ये कुरैब ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से नक़ल किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से

1234. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे यअकूब बिन अब्दुररहमान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहद बिन सअद साएदी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर पहुँची कि अम्र बिन औरफ़ के लोगों में बाहम कोई झगड़ा पैदा हो गया है तो आप चन्द सहाबा (रज़ि.) के साथ मिलाप कराने के लिये वहाँ तशरीफ़ ले गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी मशगूल ही थे कि नमाज़ का वक़्त हो गया। इसलिये बिलाल (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, इधर नमाज़ का वक़्त हो गया है। क्या आप लोगों की इमामत करेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ अगर तुम चाहो। चुनौचे हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने तक्बीर कही और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आगे बढ़कर तक्बीरे (तहरीमा) कही। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी सफ़ों से गुज़रते हुए पहली

فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: ((يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَنَا لِنَاسٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَسْتَعْلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهَمَّا هَاتَانِ)).

[طرفه في: ٤٣٧٠.]

٩- بَابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَه كَرِيبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٢٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانُوا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاسٍ مَعَهُ، فَخَرَجَ لِحَيْسِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخَاتِمِ الصَّلَاةِ، فَبَاءَ بِلَالٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقَدْ خَبَسَ، وَقَدْ خَاتِمَ الصَّلَاةَ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُوَظِّمَ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ حِيفَتْ. فَأَقَامَ بِلَالٌ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِكَبْرِ

सफ़ में आकर खड़े हो गये। लोगों ने (हज़रत अबूबक्र रज़ि. को आगाह करने के लिये) हाथ पर हाथ बजाने शुरू कर दिये। लेकिन हज़रत अबूबक्र नमाज़ में किसी तरफ़ ध्यान नहीं दिया करते थे। जब लोगों ने बहुत तालियाँ बजाई तो आप मुतवज्जह हुए और क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने इशारे से उन्हें नमाज़ पढ़ाते रहने के लिये कहा। इस पर अबूबक्र सिदीक (रज़ि.) ने हाथ उठाकर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और उल्टे पाँव पीछे की तरफ़ आकर सफ़ में खड़े हो गये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों! नमाज़ में एक अग्र पेश आया तो तुम लोग हाथ पर हाथ क्यों मारने लगे थे, ये दस्तक देना तो सिर्फ़ औरतों के लिये है। जिसको नमाज़ में कोई हादसा पेश आए तो सुब्हानल्लाह कहे, क्योंकि जब भी कोई सुब्हानल्लाह सुनेगा वो इधर ख़याल करेगा और ऐ अबूबक्र! मेरे इशारे के बावजूद तुम लोगों को नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाते रहे? अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि भला अबू क़हाफ़ा के बेटे की क्या मजाल थी कि रसूलुल्लाह के आगे नमाज़ पढ़ाए।

(राजेअ: 673)

لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي الصَّفِيْقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَمِئُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْتَرَ النَّاسُ التَّفَتَ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرِيُّ/وَرَأَاهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ تَأْتِكُمْ حُرَّةٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي الصَّفِيْقِ؟ إِنَّمَا الصَّفِيْقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَاهَهُ حُرَّةٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا التَّغْت. يَا أَيُّهَا بَكْرُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشْرَتْ إِلَيْكَ؟)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْهَى لِأَنَّ أَبِي لِحَاوَلَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)).

[راجع: ٦٨٤]

तशरीह:

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने खुद इशारा से हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को नमाज़ पढ़ाते रहने का हुक्म फ़र्माया। इससे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की फ़ज़ीलत भी षाबित हुई और ये भी जब आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी हयाते मुक़द्दसा में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को अपना नाइब मुकरर फ़र्माया तो नबी (ﷺ) की वफ़ात के बाद आपकी ख़िलाफ़त बिलकुल हक़ बजानिब थी। बहुत अफ़सोस है उन लोगों पर जो आँखें बन्द करके सिर्फ़ तअस्सुब की बुनियाद पर ख़िलाफ़ते सिदीकी से बग़ावत करते हैं और जुम्हूर उम्मत का ख़िलाफ़ करके मअसियते रसूल (ﷺ) के मुर्तकिब होते हैं।

1235. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मुझ से अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उनसे सुफ़यान घ़ौरी ने, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे फ़ातिमा बिनते मुन्ज़िर ने और उसने अस्मा बिनते अबूबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि

١٢٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:

मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गई। उस वक़्त वो खड़ी नमाज़ पढ़ रही थी। लोग भी खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई? तो उन्होंने सर से आसमान की तरफ़ इशारा किया। मैंने पूछा कि क्या कोई निशानी है? उन्होंने अपने सर से इशारा किया कि हाँ। (राजेअ : 76)

इस रिवायत से भी बहालते-नमाज़ हाथ से इशारा करना प्राबित हुआ।

1236. हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके बाप इर्वा बिन जुबैर ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ौज: मुत्तहहरा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार थे। इसलिये आपने घर ही में नमाज़ पढ़ी, लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। लेकिन आप (ﷺ) ने उन्हें बैठने का इशारा किया और नमाज़ के बाद फ़र्माया कि इमाम इसलिये है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिये जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ। (राजेअ : 688)

«دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ».. [راجع: ٨٦]

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ - وَهُوَ شَاكٍ - جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا»..

[راجع: ٦٨٨]

तशरीह: या'नी आँहज़रत (ﷺ) ने बहालते बीमारी बैठकर नमाज़ पढ़ी और मुक्तदियों की तरफ़ नमाज़ में इशार्द फ़र्माया कि बैठ जाओ। उससे मा'लूम होता है कि जब इमाम बैठकर नमाज़ पढ़े तो मुक्तदी भी बैठकर नमाज़ पढ़ें लेकिन वफ़ात की बीमारी में आपने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और सहाबा ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, इससे मा'लूम हुआ कि पहला अम्र मन्सूख है। (किरमानी)

23. किताबुल जनाइज़

जनाजे के अहकामो-मसाइल

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तशरीह: जनाइज़ जनाजे की जमा है। जिसके मा'नी मय्यत के हैं। लफ़्ज़ जनाइज़ की वज़ाहत हज़रत मौलाना शैखुल हदीप् उबैदुल्लाह मुबारकपुरी किताबुलजनाइज़ि बिफ़तहिल्जीम जम्उ जनाज़तिन बिल्फ़तहि वल्कस्त्रि

वल्कस्रु अफ्सहु इस्मुल्लिमय्यति फिन्नअशि औ बिल्फतहि इस्मुन लिजालिक व बिल्कस्रि इस्मुन्नअशि व अलैहिलमय्यतु व क्रील अक्सुहु व कील हुमा लुगतानि फीहिमा फइल्लम यकुन अलैहि मय्यतुन फहुव सरीरुन व नअशुन व हिय मिन जनजहू यज्जिजहू बाबु जरब इजा सतरहू जकरहू इब्नु फारिस व गेरूहू औरद किताबल्जनाइज बअदस्सलाति कअक्परिलमुसन्निफीन मिनल्मुहद्दिषीन वल्फुकहाइ लिअन्नल्लजी युफअलु बिल्मय्यति मिन गुस्लिन व तक्फीनिन व गैर जालिक लहिमुस्सलातु अलैहि लिमा फीहा मिन फाइदतिदआइ लहू बिन्नजाति मिनल्अजाबि ला सीमा अजाबल्कब्रि अल्लजी सयुदफनु फीहि व क्रील लिअन्न लिलइन्सानि हालतैनि हालतुल्हयाति व हालतुल्ममाति व यतअल्लकु बिकुल्लिम्निहुमा अहकामल्इबादाति व अहकामुल्मुआमलाति व अहम्मुल्इबादाति अस्सलातु फलम्मा फरगू मिन अहकामिल्मुतअल्लिकति अहयाइ जकरू मा यतअल्लक बिल्मौता मिनस्सलाति व गैरहा क्रील शरअत सलातुल्जनाजति बिल्मदीनति फिस्सनतिलऊला मिनल्हिज्जति बिमक्कत कब्बल्हिज्जति लम युमल्ल अलैहि (मिअंत, जिल्द 02, पेज 402)

खुलासा ये कि लफज़ जनाइज़ जीम के ज़बर के साथ जनाजे की जमा है और लफ़जे जनाज़ा जीम के ज़बर और ज़ेर दोनों के साथ जाइज़ है मगर ज़ेर के साथ लफज़ जनाज़ा ज़्यादा फ़रीह है। मय्यत जब चारपाई या तख़्ता में छुपा दी जाए तो उस वक़्त लफ़ज़ जनाज़ा मय्यत पर बोला जाता है। या ख़ाली उस तख़्ते पर जिस पर मय्यत को रखा जाए। जब इस पर मय्यत न हो तो वो तख़्ता या चारपाई है। ये बाब जरब यज़्जिबु से है जब मय्यत को छुपाले (अल्लामा शौकानी ने भी नैलुल औतार में तकर्रीबन ऐसा ही लिखा है) मुहद्दिषीन और फुकहा की अक़्परियत नमाज़ के बाद ही किताबुल जनाइज़ लाते हैं, इसलिये कि मय्यत की तज्हीज़ व तक्फीन व गुस्ल वगैरह नमाज़े जनाज़ा ही के पेशेनज़र की जाती है। इसलिये कि इस नमाज़ में उसके लिये नजाते उख़रवी और अज़ाबे क़ब्र से बचने की दुआ की जाती है और ये भी कहा गया है कि इंसान के सामने दो ही हालतें होती हैं एक हालत ज़िन्दगी के बारे में, दूसरी हालत मौत के बारे में और हर हालत के बारे में इबादात और मुआमलात के अहकामात वाबस्ता हैं और इबादात में अहम चीज़ नमाज़ है। पस जब ज़िन्दगी के मुता'ल्लिकात से फ़रागत हुई तो अब मौत के बारे में नमाज़ वगैरह का बयान ज़रूरी हुआ। कहा गया है कि नमाज़े जनाज़ा हिज्रत के पहले ही साल मदीना शरीफ़ में मशरूअ हुई। जो लोग हिज्रत से पहले मक्का ही में फ़ौत हुए उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गई। इन्तिहा, वल्लाहु अज़लमु बिस्सवाब।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) वाली हदीष बाब के ज़ेल में मुहतरम शैखुल हदीष फ़र्माते हैं, क़ालल्हाफ़िज़ु लैस फ़ी कौलिही इल्ला दखलल्जन्नत मिनल्इश्कालि मा तक्रद्म फिस्सियाकिल्माज़ी अय फ़ी हदीषि अनसिन अल्मुतकद्मु लिअन्नहू अअम्मु मिन अय्यकून कब्बल्तअज़ीबि औ बअदहू इन्तिहा फ़फ़ीहि इशारतुन इला अन्नहू मक्त्तुउन लहू बिदुखूलिलजन्नति लाकिन इल्लम यकुन साहिब कबौरतिन मात मुसिरिन अलैहा फ़हुव तहतल्मशीअति फ इन उफिय अन्हु दखल अव्वलन व इल्ला उज़्जिब बिकरिहा शुम्म उख़िज मिन्नारि व ख़ल्लद फिलजन्नति कजा कररू फ़ी शर्हिल्हदीषि (मिअंत, जिल्द 1, पेज 57)

या'नी हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष में कोई इश्काल नहीं है। उसमें इशारा है कि कलिमा तय्यिबा तौहीद व रिसालत का इक़्रार सहीह करने वाला और शिके-जली और ख़फी से पूरे तौर पर परहेज़ करने वाला ज़रूर जन्नत में जाएगा ख़्वाह उसने ज़िना और चोरी भी किया हो। उसका ये जन्नत में जाना या तो गुनाहों का अज़ाब भुगतने के बाद होगा या पहले भी हो सकता है। ये अल्लाह की मशिय्यत पर मौकूफ़ है। उसका जन्नत में एक न एक दिन दाख़िल होना क़दई है और अगर वो गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब नहीं हुआ और कलिमा तय्यिबा ही पर रहा तो वो अव्वल ही में जन्नत में दाख़िल हो जाएगा।

इस बारे में जो मुख्तलिफ़ अह्लादीष वारिद हुई हैं। सब में तब्बीक़ यही है कि किसी हदीष में इज्माल है और किसी में तफ़्सील है सबको पेशे-नज़र रखना ज़रूरी है। एक शिके ही ऐसा गुनाह है जिसके लिये ज़हन्नम में हमेशगी की सज़ा मुक़्रर की गई है। खुद कुआन मजीद में है इन्ल्लाह ला यगफ़िरु अय्युशरक बिही व यगफ़िरू मा दून जालिक लिमंय्यशा (अन् निसा : 116) या'नी 'बेशक अल्लाह पाक हर्गिज़ नहीं बख़्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए और उस गुनाह के अलावा वो जिस भी गुनाह को चाहे बख़्श सकता है। अआज़नल्लाहु मिनशिशिकिल्जली वल्ख़फी आमीन

बाब 1 : जनाइज़ के बाब में जो हदीषें आई हैं

उनका बयान और जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाह इलल्लाह हो, उसका बयान और वुहैब बिन मुनब्बा (रह.) से कहा गया कि क्या ला इलाह इलल्लाह जन्मत की कुन्जी नहीं है? तो उन्होंने फ़र्माया कि ज़रूर है लेकिन कोई कुन्जी ऐसी नहीं होती जिसमें दाने न हो। इसलिये अगर तुम दाने वाली कुन्जी लाओगे तो ताला (कुफ़्ल) खुलेगा वरना नहीं।

١ - بَابُ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ

آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَقِيلَ لَوَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ

مِفْتَاحَ إِلَّا لَهُ اسْمَانِ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحِ لَهُ

اسْمَانِ فَحَبَّ لَكَ، وَإِلَّا تَمَّ يَفْتَحُ لَكَ.

तशीह:

बाब मा जाअ हदीषे बाब की शरह और तफ़्सीर है। या'नी हदीषे बाब में जो आया है कि मेरी उम्मत में से जो शख्स तौहीद पर मरेगा वो बहिश्त में दाखिल होगा अगरचे उसने जिना चोरी वगैरह भी की हो। उससे ये मुराद है कि उसका आखिरी कलाम जिस पर उसका ख़ातिमा हो ला इलाहा इलल्लाह मुहम्मदुरसूलल्लाह नाम है सारे कलिमे का जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद नाम है सारी सूरह का। कहते हैं कि मैंने कुल हुवल्लाह पढ़ी और मतलब ये होता है कि वो सूरत पढ़ी जिसके अव्वल में कुल हुवल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं। (लिल अल्लामतुल ग़ज़नवी)

इसकी वज़ाहत हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शौखुल हदीष (रह.) यूँ फ़र्माते हैं वत्तल्कीनु अंग्यज़कुरहु इन्दहु व यकूलुहु बिहज़रतिही व यतलफ़ज़ु बिही इन्दहु हत्ता यस्मअ लियतफत्तन फयकूलुहु ला अंग्यामुरहु बिही व यकूलु ला इलाह इलल्लाहु इल्ला अंग्यकून काफ़िरन फयकूलु लहु कुल कमा क़ाल रसूल (ﷺ) लिअम्मिही अबी तालिब व लिलगुलामिल्यहूदी (मिआत, जिल्द 2, पेज 447) या'नी तल्कीन का मतलब ये कि उसके सामने उस कलिमा का ज़िक्र करे और उसके सामने उसके लफ़ज़ अदा करे ताकि वो खुद ही समझकर अपनी जुबान से ये कहने लग जाए। उसे हुक्म न करे बल्कि उसके सामने ला इलाहा इलल्लाह कहता रहे और अगर ये तल्कीन किसी काफ़िर को करनी है तो इस तरह तल्कीन करे जिस तरह आँहज़रत (ﷺ) ने अपने चचा अबू तालिब और एक यहूदी लड़के को तल्कीन की थी या'नी तौहीद व रिसालत दोनों के इकरार के लिये ला इलाहा इलल्लाह मुहम्मदुरसूलल्लाह के साथ तल्कीन करे। मुसलमान के लिये तल्कीन में सिर्फ़ कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इलल्लाह ही काफ़ी है। इसलिये कि वो मुसलमान है और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत पर उसका इमान है। लिहाज़ा तल्कीन में सिर्फ़ कलिमा तौहीद ही उसके लिये मन्कूल है। व नक़ल जमाअतुम्मिनलअस्हाबि अन्नह्यूज़ीफ़ इलैहा मुहम्मदुरसूलुल्लाहि (ﷺ) (मिआत, हवाला मज़कूर)। या'नी कुछ अस्हाब से ये भी मन्कूल है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) का भी इज़ाफ़ा किया जाए मगर जुम्हूर से सिर्फ़ ला इलाहा इलल्लाह के ऊपर इक़तिसार करना मन्कूल है। मगर ये हक़ीक़त पेशे-नज़र रखनी ज़रूरी है कि कलिमा तय्यिबा तौहीद व रिसालत के दोनों अज़ाअ या'नी ला इलाहा इलल्लाह मुहम्मदुरसूलल्लाह ही का नाम है। अगर कोई शख्स सिर्फ़ पहला जुज़ तस्लीम करे और दूसरे जुज़ से इंकार करे तो वो भी इन्दल्लाह काफ़िरे मुत्लक़ ही है।

1237. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे महदी बिन मैमून ने, कहा कि हमसे वासिल बिन अहदब (कुबड़े) ने, उनसे मअरूर बिन सुवैद ने बयान किया और उन से हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया (कि ख़वाब में) मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला (फ़रिश्ता) आया। उसने मुझे ख़बर दी, या आप (ﷺ) ने ये फ़र्माया कि उसने मुझे खुश ख़बरी दी कि मेरी उम्मत में से जा

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ

حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ

الْأَخَذَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي

زُرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ: ((أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي -

أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتٍ مِنْ أُمَّتِي لَا

कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह तआला के साथ उसने कोई शरीक न ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा कि अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ अगरचे जिना किया हो, अगरचे चोरी की हो।

(दीगर मक्काम : 1408, 2388, 3222, 7528, 6268, 6443, 6444, 7478)

يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)). قُلْتُ:
وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى
وَإِنْ سَرَقَ)).

[أطرافه ن: ١٤٠٨, ٢٣٨٨, ٣٢٢٢,
٥٨٢٧, ٦٢٦٨, ٦٤٤٣, ٦٤٤٤,
٧٤٨٧.]

तशरीह: इब्ने रशीद ने कहा अन्देशा है कि इमाम बुखारी (रह.) की ये मुराद हो कि जो शख्स इखलास के साथ ये कलिम-ए-तौहीद मौत के वक़्त पढ़ ले तो उसके गुज़िश्ता गुनाह साक़ित होकर मुआफ़ हो जाएँगे और इखलास मुल्तज़िमे तौबा और नदामत है और इस कलिमे का पढ़ना इस के लिये निशानी हो और अबू ज़र की हदीष इस वास्ते लाए ताकि ज़ाहिर हो कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ना काफ़ी नहीं बल्कि ए'तिक़ाद और अमल ज़रूरी है। इस वास्ते किताबुल्लिबास में अबू ज़र (रज़ि.) की हदीष के आखिर में है कि अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं कि ये हदीष मौत के वक़्त के लिये है या उससे पहले जब तौबा करे और नादिम हो। वुहैब के अष्रर को मुअल्लिफ़ ने अपनी तारीख़ मे मौसूलन रिवायत किया है और अबू नुएम ने हुलिया में। (फ़तहूलबारी)

1238. हमसे इमर बिन हफ़्स ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप हफ़्स बिन गुयास ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि हमसे शक़ीक़ बिन सलमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्क़द (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता था तो जहन्नम में जाएगा और मैं ये कहता हूँ कि जो इस हाल में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक न ठहराता हो वो जन्नत में जाएगा। (दीगर मक्काम : 4497, 6673)

١٢٣٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا
شَيْقِقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ مَاتَ يُشْرِكًا
بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ)). وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
[طرفاه ن: ٤٤٩٧, ٦٦٨٣.]

तशरीह: उसकी मज़ीद वज़ाहत हदीषे अनस (रज़ि.) में मौजूद है कि अल्लाह पाक ने फ़र्माया ऐ इब्ने आदम! तू दुनिया भर के गुनाह लेकर मुझसे मुलाक़ात करे मगर तूने शिकं न किया हो तो मैं तेरे पास दुनिया भर की मफ़िरत लेकर आऊँगा (खाहुतिर्मिज़ी) खुलासा ये कि शिकं बदतरीन गुनाह है और तौहीद अज़म तरीन नेकी है। मुअह्हिद गुनाहगार मुशिक़ इबादत गुज़ार से बहरहाल हज़ार दर्जे बेहतर है।

बाब 2 : जनाजे में शरीक होने का हुक्म

1239. हमसे अबू वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अशअष बिन अबी अशअशा ने, उन्होंने कहा कि मैंने मुआविया बिन सुवैद बिन मुक़रिन से सुना, वो बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से नक़ल करते थे कि हमें नबी करीम (ﷺ) ने सात कामों का हुक्म दिया और सात कामों से रोका। हमें आप (ﷺ) ने हुक्म दिया था जनाजे के साथ

٢- بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
١٢٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
بْنَ سُوَيْدٍ بْنَ مَقْرُونٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ عَارِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنَا
النَّبِيُّ ﷺ بِسِتْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سِتْعٍ: أَمَرَنَا

चलने, मरीज़ की मिज़ाजपुरसी, दा'वत कुबूल करने, मज़लूम की मदद करने का, क़सम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का, छींक पर यरहमुक़ल्लाह कहने का और उ:।प (ﷺ) ने हमें मना किया था चाँदी का बर्तन (इस्ते'माल में लाने) से, सोने की अंगूठी पहनने से, रेशम और रिबाज (के कपड़ों के पहनने) से, क़सी से, इस्तबरक़ से।

(दीगर मक़ाम : 2445, 5175, 5635, 5650, 5838, 5849, 5863, 6222, 6235, 6654)

بَاتِبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَاللَّيْجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ))

[أطرافه في: ٥١٧٥، ٥٢٤٤٥، ٥٦٣٥،

٥٨٦٣، ٥٨٤٩، ٥٨٣٨، ٥٦٥٠.

[٦٦٥٤، ٦٢٣٥، ٦٢٢٢

तशरीह: दीबाज और क़सी और इस्तबरक़ ये भी रेशमी कपड़ों की किस्में हैं। क़सी कपड़े शाम से या मिस्र से बनकर आते और इस्तबरक़ मोटा रेशमी कपड़ा। ये सब छ: चीज़ें हुईं। सातवीं चीज़ का बयान इस रिवायत में छूट गया है। वो रेशमी चारजामों पर सवार होना या रेशमी गदियों पर जो ज़ीन के ऊपर रखी जाती हैं।

1240. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अम्र बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने, उन्होंने कहा कि मुझे इब्ने शिहाब ने खबर दी, कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने खबर दी कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ है, सलाम का जवाब देना, मरीज़ का मिज़ाज मा'लूम करना, जनाजे के साथ चलना, दा'वत कुबूल करना और छींक पर (अलहम्दुलिल्लाह के जवाब में) यरहमुक़ल्लाह कहना। इस रिवायत की मुताबअत अब्दुरज़्ज़ाक़ ने की है। उन्होंने कहा कि मुझे मअमर ने खबर दी थी। और इसकी रिवायत सलमा ने भी अक़ील से की है।

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ)). تَابِعُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.

तशरीह: इस हदीज़ से मा'लूम हुआ कि मुसलमान के जनाजे में शिर्कत करना भी हुक्के मुस्लिमीन में दाख़िल है। ह्राफ़िज़ ने कहा कि अब्दुरज़्ज़ाक़ की रिवायत को इमाम मुस्लिम (रह.) ने निकाला है और सलाम की रिवायत को ज़ेहली ने ज़हरियात में।

बाब 3 : मथ्यित को जब कफ़न में लिपटाया जा चुका हो तो उसके पास जाना (जाइज़ है)

1241. 1242. हमसे बिश्र बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक़ ने खबर दी, कहा कि मुझे मअमर बिन राशिद और यूनुस ने खबर दी, उन्हें जुहरी ने, कहा कि मुझे अबू

٣ - بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

١٢٤١، ١٢٤٢ - حَدَّثَنَا بِيْشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي

सलमा ने खबर दी कि नबी करीम (ﷺ) की जौजा मुतहहरा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने खबर दी कि (जब आँहज़रत ﷺ की वफ़ात हो गई) अबूबक्र (रज़ि.) अपने घर से जो सुन्ह में था, घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गये। फिर आप किसी से गुफ्तगू किये बग़ैर आइशा (रज़ि.) के हुज़े में आए (जहाँ नबी करीम ﷺ की नअश मुबारक रखी हुई थी) और नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ गये। हज़ूरे अकरम को बुर्दे हिबरा (यमन की बनी हुई धारीदार चादर) से ढाँप दिया गया था। फिर आपने हज़ूर (ﷺ) का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हो ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला दो मौतें आप पर जमा नहीं करेगा। सो एक मौत के जो आपके मुक़द्दर में थी सो आप वफ़ात पा चुके। अबू सलमा ने कहा कि मुझे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने खबर दी कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर (रज़ि.) उस वक़्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। हज़रत सिद्दीक़े-अक़बर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बैठ जाओ। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) नहीं माने। आख़िर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कलिम-ए-शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ़ मुतवज्जह हो गया और हज़रत उमर को छोड़ दिया। आपने फ़र्माया, अम्मा बाद! अगर कोई शख़्स तुम में से मुहम्मद (ﷺ) की इबादत करता था तो उसे मा'लूम होना चाहिये कि मुहम्मद (ﷺ) की वफ़ात हो चुकी और अगर कोई अल्लाह तआला की इबादत करता है, तो अल्लाह बाक़ी रहने वाला है और वो कभी मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक फ़र्माता है, और मुहम्मद सिर्फ़ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल इस दुनिया से पहले भी गुज़र चुके हैं। (सूरह आले इमरान : 144) (आपने आयत तिलावत की) क़सम अल्लाह की! ऐसा मा'लूम हुआ कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के आयत की तिलावत से पहले जैसे लोगों को मा'लूम ही न था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुर्आन मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख़्स की ज़बान पर यही आयत थी।

مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: ((أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكِيهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَتِمَّمَ النَّبِيُّ ﷺ - وَهُوَ مُسْتَجِي بِبُرْدِ حَبْرَةٍ - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: يَا بِي أَنْتِ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ: أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى. فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى. فَشَهِدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا لِيَ النَّاسُ وَتَوَكَّأُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَا بَعْدُ لَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، إِلَى الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 144]. وَاللَّهُ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، لَمَّا يَسْمَعُ بَشْرًا إِلَّا يَتْلُوَهَا)).

[أطرافه فی: ٣٦٦٧، ٣٦٦٩، ٤٤٥٢، ٥٧١٠، ٣٦٦٨، ٤٤٥٣، ٣٦٧٠، ٤٤٥٤، ٥٧١١]

[أطرافه فی: ٣٦٦٨، ٣٦٧٠، ٤٤٥٣، ٥٧١١]

[٥٧١١، ٤٤٥٧، ٤٤٥٤]

तशरीह:

आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) का चेहर-ए-मुबारक खोला और आप को बोसा दिया। यहीं से बाब का तर्जुमा प्रभावित हुआ। वफ़ाते नबी पर सहाबा किराम में एक तहलका मच गया था। मगर बरवक़्त हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उम्मत को सम्भाला और हकीक़ते हाल का इज़हार फ़र्माया जिससे मुसलमानों में एकबारगी सुकून हो गया और सबको इस बात पर पूरा इत्मीनान हासिल हो गया कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है वो अल्लाह हमेशा जिन्दा रहने वाला है। आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात से इस्लाम की बका पर कोई अप्रर नहीं पड़ सकता, आप (ﷺ) रसूलों की जमाअत के एक फ़र्दे-फ़रीद हैं और दुनिया में जो भी रसूल आएँ हैं अपने अपने वक़्त पर सब दुनिया से रुख़सत हो गये। ऐसे ही आप भी अपना मिशन पूरा करके मलअे आला से जा मिले। सल्लल लाहु अलैहि व सल्लिम, अला हबीबिही व बारिक व सल्लिम। कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) का ये ख्याल भी हो गया था कि आँहज़रत (ﷺ) दोबारा जिन्दा होंगे। इसीलिये हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह पाक आप (ﷺ) पर दो मौत त्तारी नहीं करेगा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।

1243. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने कहा, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने फ़र्माया कि मुझे ख़ारजा बिन ज़ैद बिन प्ऱाबित ने ख़बर दी कि उम्मे अलअलाअ अन्सार की एक औरत ने, जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) से बैअत की थी, ने उन्हें ख़बर दी कि मुहाजिरीन कुआँ डालकर अन्सार में बाँट दिये गये तो हज़रत इम्रान बिन मज़ज़न (रज़ि.) हमारे हिस्से में आए। चुनाँचे हमने उन्हें अपने घर में रखा। आख़िर वो बीमार हुए और उसी में वफ़ात पा गये। वफ़ात के बाद गुस्ल दिया गया और कफ़न में लपेट दिया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अबू साइब! आप पर अल्लाह की रहमतें हों मेरी आपके मुता'ल्लिक़ शहादत ये है कि अल्लाह तआला ने आपकी इज़ज़त फ़र्माई है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हें कैसे मा'लूम हुआ कि अल्लाह तआला ने इनकी इज़ज़त फ़र्माई है? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हो, फिर किसकी अल्लाह तआला इज़ज़त-अफ़ज़ाई करेगा? आपने फ़र्माया, इसमें शुब्हा नहीं कि उनकी मौत आ चुकी, कसम अल्लाह की कि मैं भी इनके लिये ख़ैर की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन वल्लाह! मुझे खुद अपने मुता'ल्लिक़ भी मा'लूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला होगा। हालाँकि मैं

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ لَابِثٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ انْقَسَمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُفْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَأَتَرْنَا فِي أَبِيَانَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ، فَلَمَّا تُوَفِّيَ وَغَسِّلَ وَكَفَّنَ لِي أَنْوَابِي دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا السَّائِبِ، فَشَهِدَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَمَا يُنْرِيكَ أَنْ اللَّهُ قَدْ أَكْرَمَهُ؟)) فَقُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ. وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو لَكَ الْخَيْرَ، وَاللَّهُ مَا أُذْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ - مَا يُفْعَلُ بِي)). قَالَتْ:

अल्लाह का रसूल हूँ। उम्मे अल-अलाअ ने कहा कि खुदा की क़सम! अब मैं कभी किसी के मुता'ल्लिक (इस तरह की) गवाही नहीं दूँगी।

لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَا أَرْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

तशरीह: इस रिवायत में कई उमूर का बयान है। एक तो उसका कि जब मुहाजिरीन मदीना में आए तो आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी परेशानी दूर करने के लिये अंसार से उनका भाईचारा कायम करा दिया। इस बारे में कुर्आ-अंदाज़ी की गई और जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आया वो उसके हवाले कर दिया गया। उन्होंने सगे भाई से ज़्यादा उनकी खातिर तवाजोअ की। बाब का तर्जुमा इससे निकला कि आँहज़रत (ﷺ) ने गुस्ल व कफ़न के बाद उम्मान बिन मज़ऊन को देखा। हदीष से ये भी निकला कि किसी भी बन्दे के बारे में हक़ीक़त का इल्म अल्लाह ही को हासिल है। हमें अपने ज़त्र के मुताबिक़ उनके हक़ में नेक गुमान करना चाहिये। हक़ीक़ते ह़ाल को अल्लाह के हवाले करना चाहिये।

कई मुआनिदीने इस्लाम ने यहाँ ए'तिराज़ किया है कि जब आँहज़रत (ﷺ) को खुद अपनी भी नजात का यक़ीन न था तो आप अपनी उम्मत की क्या सिफ़ारिश करेंगे।

इस ए'तिराज़ के जवाब में पहली बात जो ये है कि आँहज़रत (ﷺ) का ये इर्शाद गिरामी इब्तिदा-ए-इस्लाम का है, बाद में अल्लाह ने आपको सूरह फ़तह में ये बशारत दी कि आपके अगले और पिछले गुनाह बख़्श दिये गये तो ये ए'तिराज़ खुद दूर हो गया और प्राबित हुआ कि उसके बाद आपको अपनी नजात के बारे में यक़ीने कामिल हासिल हो गया था। फिर भी शाने बन्दगी उसको मुस्तलज़िम है कि परिवारदिगार की शाने समदियत हमेशा मल्हूज़े खातिर रहे। आप (ﷺ) का शफ़ाअत करना बरहक़ है बल्कि शफ़ाअते कुबरा का मुक़ामे महमूद आप (ﷺ) को हासिल है।

हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया और उनसे लैष ने साबिक़ा रिवायत की तरह बयान किया, नाफ़ेअ बिन यज़ीद ने अक़ील से (मा युफ़अलु बी के बजाय) मा युफ़अलु बिही के अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं और इस रिवायत की मुताबअत शुऐब, अम्र बिन दीनार और मअमर ने की है।

(दीगर मक़ाम : 2678, 3929, 7003, 7004, 7018)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِثْلَهُ. وَقَالَ نَالِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
عُقَيْلٍ: مَا يَفْعَلُ بِهِ. وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو
بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ.

[أطرافه في : ٢٦٨٧, ٣٩٢٩, ٧٠٠٣]

[٧٠١٨, ٧٠٠٤]

इस सूरत में तर्जुमा ये होगा कि क़सम अल्लाह की मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या मुआमला किया जाएगा। हालाँकि उसके हक़ में मेरा गुमान नेक है।

1244. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे गुन्दर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मुहम्मद बिन मुन्कदिर से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि जब मेरे वालिद शहीद कर दिये गये तो उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोलता और रोता था। दूसरे लोग तो मुझे इससे रोकते थे लेकिन नबी करीम (ﷺ) कुछ नहीं कह रहे थे। आख़िर मेरी चची फ़ातिमा (रज़ि.) भी रोने

١٢٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ :
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ :
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : ((لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ
أَكْثِفُ التُّرْبَ عَنْ وَجْهِ أَبِي، وَتَهَوَّيْتُ
عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي، لَجَعَلْتُ عَمِّي

लगी तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग रोओ या चुप रहो। जब तक तुम लोग मय्यित को उठाते नहीं मलाइका तो बराबर इस पर अपने परों का साया किये हुए हैं। इस रिवायत की मुताबअत शुअबा के साथ इब्ने जुरैज ने की, उन्हें इब्ने मुन्कदिर ने ख़बर दी और उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से सुना।

(दीगर मक़ाम: 1293, 2816, 4080)

فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ نَظْلُهُ بِأَجْبَحِيهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ)) تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[أطرافه في: ١٢٩٣، ٢٨١٦، ٤٠٨٠.]

मना करने की वजह ये थी कि काफ़िरों ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वालिद को क़त्ल करके उनके नाक-कान भी काट डाले थे। ऐसी हालत में स़हाबा ने ये मुनासिब जाना कि जाबिर (रज़ि.) उनको न देखें तो बेहतर होगा ताकि उनको मज़ीद सदमा न हो। हदीष से निकला कि मुद्दे को देख सकते हैं। इसीलिये आँहज़रत (ﷺ) ने जाबिर को मना नहीं फ़र्माया।

बाब 5 : आदमी अपनी ज़ात से मौत की ख़बर मय्यित के वारिषों को सुना सकता है

٥- بَابُ الرَّجُلِ يَنْبَغِي إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

1240. हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्जाशी की वफ़ात की ख़बर उसी दिन दे दी जिस दिन उसकी वफ़ात हुई थी। फिर आप नमाज़ पढ़ने की जगह गये और लोगों के साथ सफ़ बाँधखर (जनाजे की नमाज़ में) चार तकबीरें कहीं।

(दीगर मक़ाम: 1318, 1327, 1228, 1333, 3880, 3881)

١٢٤٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَنَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)).

[أطرافه في: ١٣١٨، ١٣٢٧، ١٢٢٨]

[٣٨٨١، ٣٨٨٠، ١٣٢٣]

कुछ ने उसको बुरा समझा है, इमाम बुखारी (रह.) ने ये बाब लाकर उनका रद्द किया क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने खुद नज्जाशी और ज़ैद और जा'फ़र और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की मौत की ख़बरें उनके लोगों को सुनाई, आप (ﷺ) ने नज्जाशी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। हालाँकि वो हब्शा के मुल्क में मरा था। आप (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ फ़र्मा थे तो मय्यिते ग़ायब पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ हुआ। अहले हदीष और जुम्हूर इलमा के नज़दीक ये जाइज़ है और हन्फ़िया ने उसमें ख़िलाफ़ किया है। ये हदीष उन पर हुज्जत है। अब ये तावील कि उसका जनाज़ा आँहज़रत के सामने लाया गया था फ़ासिद है क्योंकि उसकी कोई दलील नहीं। दूसरे अगर सामने भी लाया गया हो तो आँहज़रत (ﷺ) के सामने लाया गया होगा न कि स़हाबा के, उन्होंने तो ग़ायब पर नमाज़ पढ़ी। (वहीदी)

नज्जाशी के बारे में हदीष को मुस्लिम व अहमद व निसाई व तिर्मिज़ी ने भी रिवायत किया है और सबने ही उसकी तस्हीह की है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, व क़दिस्तदल्ल बिहाजिहिल्कस्सति अल्काइलून बिमशरूइय्यतिस्सलाति अलल्गाइबि अनिल्बलदि क़ाल फिल्फत्हि व बिज़ालिक कालशशाफ़िइ व अहमद व जुम्हूरुस्सलफ़ि हत्ता क़ाल इब्नु हज़म लैम याति अन अहदिन मिनस्सहाबति मनअहू क़ालशशाफ़िइ

अस्सलातु अलल्मय्यति दुआउन लहू फकैफ ला युदआ लहू व हुव गाइबुन औ फिल्कब्रि (नैलुल औतार) या'नी जो हज़रत नमाज़े गायबाना के काइल हैं उन्होंने इसी वाकिअे से दलील पकड़ी है और फ़तहलबारी में है कि इमाम शाफ़िई और अहमद और जुम्हूरे सलफ़ का यही मसलक है। बल्कि अल्लामा इब्ने हज़म का क़ौल तो ये है कि किसी भी सहाबी से उसकी मुमानअत नक़ल नहीं हुई। इमाम शाफ़िई कहते हैं कि जनाज़े की नमाज़, मय्यत के लिये दुआ है। पस वो गायब हो या क़ब्र में उतार दिया गया हो, उसके लिये दुआ क्यूँ न की जाएगी।

नज्जाशी के अलावा आँहज़रत (ﷺ) ने मुआविया बिन मुआविया लैषी का जनाज़ा गायबाना अदा किया जिनका इंतिकाल मदीना में हुआ था और आँहज़रत (ﷺ) तबूक में थे और मुआविया बिन मुकर्रिन और मुआविया बिन मुआविया मुज़नी के बारे में ऐसे वाकिआत नक़ल हुए हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसके जनाज़े गायबाना अदा फ़र्माए। अगरचे ये रिवायात सनद के लिहाज़ से ज़ईफ़ है। फिर भी वाकिआ-ए-नज्जाशी से उनकी तक्वियत होती है।

जो लोग नमाज़े जनाज़ा गायबाना के काइल नहीं हैं वो उस बारे में मुख्तलिफ़ ए'तिराज़ करते हैं। अल्लामा शौकानी (रह.) बहष के आखिर में फ़र्माते हैं वल्हासिल अन्नहू लम यातिल्मानिऊन मिनस्सलाति अलल्ग़ाइबि बिशयइन युअतहु बिही या'नी मानेईन कोई ऐसी दलील न ला सके हैं जिसे गिनती में शुमार किया जाए। पस ष़ाबित हुआ कि नमाज़े जनाज़ा गायबाना बिला कराहत जाइज़ और दुरुस्त है तफ़्सील मज़ीद के लिये नैलुल औतार (जिल्द नं. 3, पेज नं. 55, 56) का मुतालआ किया जाए।

1246. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे हुमैद बिन बिलाल ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ज़ैद (रज़ि.) ने झण्डा सम्भाला लेकिन वो शहीद हो गये, फिर जा'फ़र (रज़ि.) ने सम्भाला और वो भी शहीद हो गये। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) ने सम्भाला और वो भी शहीद हो गये। उस वक़्त आप (ﷺ) की आँखों से आँसू बह रहे थे। (आप (ﷺ) ने फ़र्माया) और फिर ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने खुद अपने तौर पर झण्डा उठा लिया और उनको फ़तह हासिल हुई।

(दीगर मक़ाम : 2798, 3063, 3630, 3707, 6242)

۱۲۴۶- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَمِيبٌ، ثُمَّ أَخْلَعَهَا جَعْفَرُ فَأَمِيبٌ، ثُمَّ أَخْلَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَمِيبٌ - وَإِنْ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْدِرَفَانِ - ثُمَّ أَخْلَعَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ)).

[أطرافه في: ۲۷۹۸، ۳۰۶۳، ۳۶۳۰]

[۲۷۰۷، ۶۲۴۲]

तशरीह: ये ग़ज़व-ए-मौता का वाकिआ है जो 8 हिज्री में मुल्के शाम के पास बल्क़ान की सरज़मीन पर हुआ था। मुसलमान तीन हज़ार थे और काफ़िर बेशुमार, आपने ज़ैद बिन हारिषा को अमीरे लश्कर बनाया था कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएँ तो उनकी जगह हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) क़यादत करें; अगर वो शहीद हो जाएँ तो फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा, ये तीनों सरदार शहीद हो गए। फिर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने (अज़ख़ुद) कमान सम्भाली और (अल्लाह ने उनके हाथ पर) काफ़िरों को शिकस्त दी। नबी करीम (ﷺ) ने लश्कर के लौटने से पहले ही सब ख़बरें लोगों को सुना दीं। इस हदीष में हज़ूर (ﷺ) के कई मोअज़ज़ात भी मज़कूर हुए हैं।

बाब 5 : जनाज़ा तैयार हो तो लोगों को ख़बर देना
और अबू राफ़ेअ ने अबू हुदैरह (रज़ि.) से रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोगों ने मुझे ख़बर

۵- بَابُ الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

क्यों न दी।

1247. हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, उन्हें अबू मुआविया ने खबर दी, उन्हें अबू इस्हाक़ शैबानी ने, उन्हें शुअबी ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि एक शख़्स की वफ़ात हो गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी इयादत को जाया करते थे। चूँकि उनका इन्तिक़ाल रात में हुआ था, इसलिये रात ही में लोगों ने उन्हें दफ़न कर दिया और जब सुबह हुई तो आँहज़रत (ﷺ) को खबर दी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (जनाज़ा तैयार होते वक़्त) मुझे बताने में (क्या) रुकावट थी? लोगों ने कहा रात थी और अंधेरा भी था, इसलिये हमने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आपको तकलीफ़ हो। फिर आँहज़रत (ﷺ) उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ी। (राजेअ: 857)

इस हदीष से प्राबित हुआ कि मरने वालों के जनाजे के लिये सबको इत्तिला होनी चाहिये और अब भी ऐसे मौक़े में जनाज़ा क़ब्र पर भी पढ़ा जा सकता है।

बाब 6 : उस शख़्स की फ़ज़ीलत जिसकी कोई औलाद मर जाए और वो अजर की निव्यत से स़ब्र करे

और अल्लाह तआला ने (सूरह बक्र में) फ़र्माया है कि स़ब्र करने वालों को खुशख़बरी सुना।

1248. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने, उनसे अब्दुल अज़ीज़ ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी मुसलमान के अगर तीन बच्चे मर जाएँ जो बुलूग़त को न पहुँचे हों तो अल्लाह तआला उस रहमत के नतीजे में जो उन बच्चों से वह रखता है, मुसलमान (बच्चे के बाप और माँ) को भी जन्नत में दाख़िल करेगा। (दीगर मक़ाम: 1381)

1249. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, उनसे अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह अस्बहानी ने, उनसे ज़क्वान ने और उनसे हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.)

عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((أَلَا كُتِمَ أَذْتُمُونِي؟))

١٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَذَفَنُوهُ لَيْلًا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلِمُونِي؟)) قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكْرِهْنَا - وَكَانَ ظَلَمَةً - أَدْنَى نَشَقِّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

[راجع: ٨٥٧]

٦- بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

[البقرة: ٥٥١]

١٢٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا مِنْ نَاسٍ مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَلْفُوا الْحَبْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ لِيَاهُمْ)).

[طرفه بي: ١٣٨١].

١٢٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكَرَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

ने कि औरतों ने नबी करीम (ﷺ) से दरख्वास्त की कि हमें भी नसीहत करने के लिये आप (ﷺ) एक दिन ख़ास फ़र्मा दीजिए। आँहज़रत (ﷺ) ने (उनकी दरख्वास्त मंज़ूर फ़र्माते हुए एक ख़ास दिन में) उनको वा'ज़ फ़र्माया और बतलाया कि जिस औरत के तीन बच्चे मर जाएँ तो वो उसके लिये जहन्नम से पनाह बन जाते हैं। इस पर एक औरत ने पूछा, हुज़ूर! अगर किसी के दो ही बच्चे मर जाएँ? आपने फ़र्माया कि दो बच्चों पर भी।

(राजेअ : 101)

1250. शरीक ने इब्ने अस्बहानी से बयान किया कि उनसे अबू सलालेह ने बयान किया और उनसे अबू सईद और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये भी कहा कि वो बच्चे मुराद है जो अभी बुलूग़त को न पहुँचे हों। (राजेअ : 102)

1251. हमसे अली ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उन्होंने कहा कि मैंने जुहरी से सुना, उन्होंने सईद बिन मुसय्यिब से सुना और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी के अगर तीन बच्चे मर जाएँ तो वो दोज़ख़ में नहीं जाएगा और अगर जाएगा भी तो सिर्फ़ क़सम पूरी करने के लिये। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं। (कुआन की आयत ये है) तुम में से हर एक को दोज़ख़ के ऊपर से गुज़रना होगा। (दीगर मक़ाम : 6606)

((أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعظَهُنَّ وَقَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)).

[راجع: ١٠١]

١٢٥٠- وَقَالَ شَرِيكَ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((لَمْ يَتْلُفُوا الْحَبْثَ)). [راجع: ١٠٢]

١٢٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ فَيَلْجَأَ النَّارَ إِلَّا تَجَلَّةً الْقَسَمِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا». [طرنه في: ٦٦٥٦].

तशरीह:

नाबालिग़ बच्चों की वफ़ात पर अगर माँ-बाप सज़ा करें तो उस पर प्रवाब मिलता है। कुदरती तौर पर औलाद की मौत माँ-बाप के लिये बहुत बड़ा ग़म होता है और इसीलिये अगर कोई इस पर ये समझकर सज़ा कर ले कि अल्लाह तआला ही ने ये बच्चा दिया था और अब उसी ने उठा लिया तो इस ह्रादप्से की संगीनी के मुताबिक़ इस पर प्रवाब भी उतना ही मिलेगा। उसके गुनाह मुआफ़ हो जाएँगे और आखिरत में उसकी जगह जन्नत में होगी। आखिर में ये बताया गया है कि जहन्नम से यूँ तो हर मुसलमान को गुज़रना होगा लेकिन जो मोमिन बन्दे उसके मुस्तहिक़ नहीं होंगे, उनका गुज़रना बस ऐसा ही होगा जैसे क़सम पूरी की जा रही है। इमाम बुखारी (रह.) ने इस पर कुआन की आयत भी लिखी है। कुछ इलमा ने उसकी ये तौजीह बयान की है कि पुल-सिरात चूँकि है ही जहन्नम पर और उससे हर इंसान को गुज़रना होगा। अब जो नेक है वो उससे बा-आसानी गुज़र जाएगा लेकिन बदअमल या काफ़िर उससे गुज़र न सकेगा और जहन्नम में चला जाएगा तो जहन्नम से यही मुराद है।

यहाँ इस बात का भी लिहाज़ रहे कि हदीष में नाबालिग़ औलाद के मरने पर उस अज़े अज़ीम का वा'दा किया गया है। बालिग़ का जि़क़्र नहीं है हालाँकि बालिग़ और खुसूसन जवान औलाद की मौत का रंज सबसे बड़ा होता है। उसकी वजह ये है कि बच्चे माँ-बाप की अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करते हैं। कुछ रिवायतों में है कि एक बच्चे की मौत पर भी यही वा'दा मौजूद है। जहाँ तक सज़ा का ता'ल्लुक है वो बहरहाल बालिग़ की मौत पर भी मिलेगा।

अल ग़र्ज़ जहन्नम के ऊपर से गुजरने का मतलब पुल सिरात के ऊपर से गुजरना मुराद है जो जहन्नम के पुश्त पर नज़ब है पस मोमिन का जहन्नम में जाना यही पुलसिरात के ऊपर से गुजरना है। आयते शरीफ़ा में है, व इम्मिन्कुम इला नारिदुहा का यही मफ़हूम है।

बाब 7 : किसी मर्द का किसी औरत से क़ब्र के पास ये कहना कि सब्र कर

1252. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे श्राबित ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक औरत के पास से गुज़रे जो एक क़ब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि अल्लाह से डर और सब्र कर।

(दीगर मक़ाम : 1273, 1302, 7154)

(तफ़्सील आगे आ रही है)

बाब 8 : मय्यित को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना और वुजू कराना

और इब्ने उमर (रज़ि.) ने सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) के बच्चे (अब्दुर्रहमान) के खुशबू लगाई फिर उसकी नअश उठाकर ले गये और नमाज़ पढ़ी, फिर वुजू नहीं किया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुसलमान नजिस नहीं होता, जिन्दा हो या मुर्दा। सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर (सईद बिन ज़ैद रज़ि.) की नअश नजिस होती तो मैं उसे छूता ही नहीं। नबी करीम (ﷺ) का इशार्द है कि मोमिन नापाक नहीं होता।

1253. हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने और उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, उनसे उम्मे अत्तिया अन्सारिया (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह की बेटी (ज़ैनब या उम्मे कुलसुम (रज़ि.)) की वफ़ात हुई, आप वहाँ तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दे दो और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज्यादा दे सकती हो। गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते मिला लो और आख़िर में काफ़ूर या (ये कहा कि) कुछ काफ़ूर का इस्तेमाल कर लेना और गुस्ल से फ़ारिग होने पर मुझे ख़बर कर देना।

7- باب قول الرجل للمرأة عند

القبر : اصبري

١٢٥٢- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَرُّ النَّبِيِّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: ((اتَّقِي اللَّهَ، وَاصْبِرِي)).

[أطرافه في: ١٢٨٣، ١٣٠٢، ٧١٥٤.]

8- بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ

بِالْمَاءِ وَالسَّنْدَرِ

وَخَطَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَخَمَلَهُ، وَصَلَّى وَكَمْ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدُ: لَوْ كَانَ نَجَسًا مَا مَسَسْتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ)).

١٢٥٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِينَرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَفَّيْتِ ابْنَتَهُ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِنْدَرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ

चुनाँचे हमने जब गुस्ल दे लिया तो आप (ﷺ) को ख़बर दे दी। आप (ﷺ) ने हमें अपना इज़ार दिया और फ़र्माया कि इसे उनकी क़मीज़ बना दो। आपकी मुराद अपने इज़ार (तहबंद) से थी। (राजेअ: 168)

كَأَنَّهُمْ. فَإِذَا فَرَعْتُمْ قَدْ دُنِيْتُمْ. فَلَمَّا فَرَعْنَا
أَذْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِفْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَاهَا
يَأَاهُ))، يَعْنِي إِزَارَهُ. [راجع: ١٦٧]

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मतलब ये है कि मोमिन मरने से नापाक नहीं हो जाता और गुस्ल सिर्फ़ बदन को पाक-साफ़ करने के लिये दिया जाता है। इसलिये गुस्ल के पानी में बेरी के पत्तों का डालना मसनून हुआ। इब्ने उमर (रज़ि.) के अग्रर को इमाम मालिक ने मौता में वस्ल किया। अगर मुर्दा नजिस होता तो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) उसको न छूते न उठाते अगर छूते तो अपने अज़ा को धोते। इमाम बुखारी (रह.) ने उससे इस हदीष के जुअफ़ की तरफ़ इशारा किया कि जो मय्यत को नहलाए वो गुस्ल करे और जो उठाए वो वुजू करे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के क़ौल को सईद बिन मंसूर ने सनदे सहीह के साथ वस्ल किया और ये कि 'मोमिन नजिस नहीं होता।' इस रिवायत को मर्फूअन खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल गुस्ल में रिवायत किया है और सअद बिन अबी वक्कास के क़ौल को इब्ने अबी शैबा ने निकाला कि सअद (रज़ि.) को सईद बिन ज़ैद के मरने की ख़बर मिली। वो गये और उनको गुस्ल और कफ़न दिया, खुशबू लगाई और घर में आकर गुस्ल किया और कहने लगे कि मैंने गर्मी की वजह से गुस्ल किया है न कि मुर्दे को गुस्ल देने की वजह से। अगर वो नजिस होता तो मैं उसे हाथ ही क्यों लगाता। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी को अपना इज़ार तबर्क के तौर पर इनायत फ़र्माया। इसलिये इशाद हुआ कि उसे क़मीज़ बना दो कि ये उनके बदन मुबारक से मिला रहे। जुम्हूर के नज़दीक मय्यत को गुस्ल दिलाना फ़र्ज़ है।

बाब 9 : मय्यत को त्राक़ मर्तबा गुस्ल देना मुस्तहब है

1254. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वहाब बक्रफ़ी ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे मुहम्मद ने, उनसे उम्मे अत्रिया (रज़ि.) ने कि हम रसूले करीम (ﷺ) की बेटी को गुस्ल दे रही थी कि आप तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दो या उससे भी ज़्यादा। पानी और बेरी के पत्तों से और आख़िर में काफ़ूर भी इस्तेमाल करना। फिर फ़ारिग़ होकर मुझे ख़बर दे देना। जब हम फ़ारिग़ हुए तो आपको ख़बर कर दी। आपने अपना इज़ार इनायत फ़र्माया और फ़र्माया कि ये अन्दर उसके बदन पर लपेट दो। (राजेअ: 168)

अय्यूब ने कहा कि मुझसे हफ़्स ने भी मुहम्मद बिन सीरीन की हदीष की तरह बयान किया था। हफ़्स की हदीष में था कि त्राक़ मर्तबा गुस्ल देना और उसमें ये तफ़सील थी कि तीन या पाँच या सात मर्तबा (गुस्ल देना) और उसमें ये भी बयान था कि मय्यत के दाईं तरफ़ से और अज़ाए-वुजू से गुस्ल शुरू किया जाए। ये भी इसी हदीष में था कि हम अत्रिया (रज़ि.) ने

٩- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وَتَرًا
١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّوَّابِ التَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخَنُ نَفْسِلُ ابْنَتَهُ
فَقَالَ: ((أَغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ
كَأَنُورًا. فَإِذَا فَرَعْتُمْ قَدْ دُنِيْتُمْ.)) فَلَمَّا فَرَعْنَا
أَذْنَاهُ فَالَقَى إِلَيْنَا حِفْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَاهَا
يَأَاهُ)). [راجع: ١٦٧]

فَقَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ
مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ:
((أَغْسِلْنَاهَا وَتَرًا)) وَكَانَ فِيهِ ((ثَلَاثًا أَوْ
خَمْسًا أَوْ سَبْعًا)) وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
((ابْدَأْنَ بِمَيَامِينِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا))

कहा कि हमने कंधी करके उनके बालों को तीन लटों में तक्रसीम कर दिया था।

وَكَانَ فِيهِ أَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا
ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

मा'लूम हुआ कि औरत के सर में कंधी करके उसके बालों को तीन लटें गोंध कर पीछे डाल दें। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का यही कौल है।

बाब 10 : इस बयान में कि (गुस्ल) मय्यित की दाईं तरफ़ से शुरू किया जाए

١٠- بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِينِ الْمَيِّتِ

1255. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे खालिद ने बयान किया, उनसे हफ़स बिनत सीरीन ने और उनसे उम्मे अत्रिया (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी के गुस्ल के वक़्त फ़र्माया था कि दाईं तरफ़ से और अज़ाए-वुजू से गुस्ल शुरू करना। (राजेअ: 168)

١٢٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ
عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ﷺ) ((لِيُغْسَلَ ابْنَتِي:)) ((أَبْدَانُ بِمَيَامِينِهَا
وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)). [راجع: ١٦٧]

हर अच्छा काम दाईं तरफ़ से शुरू करना मशरूअ है और इस बारे में कई अहदीष वारिद हुई हैं।

बाब 11 : इस बारे में कि पहले मय्यित के अज़ा-ए-वुजू को धोया जाए

١١- بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

1256. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे रबीअ ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे खालिद हज़्जाअ ने, उनसे हफ़सा बिनते सीरीन ने और उनसे उम्मे अत्रिया ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहबज़ादी को हम गुस्ल दे रही थी। जब हमने गुस्ल शुरू कर दिया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि गुस्ल दाईं तरफ़ से और अज़ा-ए-वुजू से शुरू करे। (राजेअ: 168)

١٢٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا غَسَلْنَا ابْنَةَ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا - وَتَخُنْ نَفْسِهَا - :
)) ((أَبْدُرُوا بِمَيَامِينِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
مِنْهَا)). [راجع: ١٦٧]

इससे मा'लूम हुआ कि पहले इस्तिंजा वगैरह कराके वुजू कराया जाए और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी षाबित हुआ फिर गुस्ल दिलाया जाए और गुस्ल दाईं तरफ़ से शुरू किया जाता है।

बाब 12 : इसका बयान कि क्या औरत को मर्द के इज़ार का कफ़न दिया जा सकता है?

١٢- بَابُ هَلْ تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

1257. हमसे अब्दुरहमान बिन हम्माद ने बयान किया, कहा कि हमको इब्ने औन ने खबर दी, उन्हें मुहम्मद ने, उनसे उम्मे अतिया ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की एक साहबजादी का इन्तिक़ाल हो गया। इस मौके पर आपने हमें फ़र्माया कि तुम उसे तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दो और अगर मुनासिब समझो तो इससे ज़्यादा मर्तबा भी गुस्ल दे सकती हो। फिर फ़ारिग़ होकर मुझे खबर कर देना। चुनाँचे जब हम गुस्ल दे चुके तो आपको खबर दी और आप ने अपना इज़ार इनायत फ़र्माया और फ़र्माया कि इसे उसके बदन से लपेट दो। (राजेअ: 168)

इब्ने बत्ताल ने कहा कि उसके जवाज़ पर इत्तिफ़ाक़ है और जिसने ये कहा कि आँहज़रत (ﷺ) की बात और थी दूसरों को ऐसा न करना चाहिये। उसका क़ौल बे-दलील है।

बाब 13 : मय्यित के गुस्ल में काफ़ूर का इस्ते'माल आख़िर में एक बार किया जाए

1258. हमसे हामिद बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे मुहम्मद ने और उनसे उम्मे अतिया (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की एक बेटी का इन्तिक़ाल हो गया था। इसलिये आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि उसे तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दो और अगर तुम मुनासिब समझो तो उससे भी ज़्यादा पानी और बेरी के पत्तों से नहलाओ और आख़िर में काफ़ूर या (ये कहा कि) कुछ काफ़ूर का भी इस्ते'माल करना फिर फ़ारिग़ होकर मुझे खबर देना। उम्मे अतिया (रज़ि.) ने बयान किया कि जब हम फ़ारिग़ हुए तो हमने कहला भिजवाया। आपने अपना तहबन्द हमें दिया और फ़र्माया कि इसके अन्दर जिस्म पर लपेट दो। अय्यूब ने हफ़्सा बिनते सीरीन से रिवायत की, उनसे उम्मे अतिया (रज़ि.) ने इसी तरह हदीष बयान की। (राजेअ: 168)

1259. और उम्मे अतिया ने इस रिवायत में यूँ कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन या पाँच या सात मर्तबा या अगर तुम मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा गुस्ल दे सकती हो। हफ़्सा ने बयान किया कि उम्मे अतिया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमने उनके सर के बाल तीन लटों में तक्सिम कर दिये थे।

۱۲۵۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ((تَوَقَّيْتُ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا فَأَذَنَاهُ، فَفَرَعْنَا مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَةً وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). (راجع: ۱۶۷)

۱۳- بَابُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ

فِي آخِرِهِ

۱۲۵۸- حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((تَوَقَّيْتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَرَّجَ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَمِسْكِ وَاجْتَلَنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي)). قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِخَوْرِهِ.

[راجع: ۱۶۷]

۱۲۵۹- وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ)) قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ

(राजेअ: 168)

बाब 14. मय्यित औरत हो तो गुस्ल के वक्त उसके बाल खोलना

और इब्ने सीरीन (रह.) ने कहा कि मय्यित (औरत) के सर के बाल खोलने में कोई हर्ज नहीं

1260. हमसे अहमद बिन सालिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने खबर दी, उनसे अय्यूब ने बयान किया कि मैंने हफ़सा बिनते सीरीन से सुना, उन्होंने कहा कि हज़रत उम्मे अत्रिया (रज़ि.) ने हमसे बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहबजादी के बालों को तीन लट्टों में तक्रसीम कर दिया था। पहले बाल खोले गये फिर उन्हें धोकर तीन चोटियाँ कर दी गई। (राजेअ: 168)

बाब 15 : मय्यित पर कपड़ा क्योंकर लपेटा जाए

और हसन बसरी (रह.) ने फ़र्माया कि औरत के लिये एक पाँचवा कपड़ा चाहिये जिससे क़मीस के तले राने और सुरीन बाँधे जाएँ

तशरीह: इसको इब्ने अबी शैबा ने वस्ल किया। इमाम हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि औरत के कफ़न में पाँच कपड़े सुन्नत है। अहमद और अबू दाऊद की रिवायत में लैला बिनते क़ानिफ़ से ये है कि मैं भी उन औरतों में थी जिन्होंने हज़रत उम्मे कुल्थुम (रज़ि.) बिनते रसूले करीम (ﷺ) को गुस्ल दिया था। पहले आपने कफ़न के लिये तहबन्द दिया फिर कुर्ता और ओढ़नी या नी सरबन्द फिर चादर फिर लिफ़ाफ़ा में लपेट दी गई। मा'लूम हुआ कि औरत के कफ़न में ये पाँच कपड़े सुन्नत हैं अगर मयस्सर हो तो वरना मजबूरी में एक भी जाइज़ है।

1261. हमसे अहमद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने खबर दी, उन्हें अय्यूब ने खबर दी, कहा कि मैंने इब्ने सीरीन से सुना, उन्होंने कहा कि उम्मे अत्रिया के यहाँ अन्सार की उन खवातीन में से, जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) से बैअत की थी, एक औरत आई। बसरा में उन्हें अपने एक बेटे की तलाश थी। लेकिन वो न मिला। फिर उसने हमसे ये हदीष बयान की कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की साहबजादी को गुस्ल दे रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दे दो और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा दे सकती हो। गुस्ल पानी और बेरी के पत्तों से होना चाहिये और आख़िर में

[रुव: 167]

١٤ - بَابُ نَقْضِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعْرُ الْمَيِّتِ.

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ

أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ

قَالَتْ: حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

((أَنَّهَا جَعَلَتْ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ، نَقَضَتْهُ ثُمَّ غَسَلَتْهُ ثُمَّ جَعَلَتْهُ

ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ)). [راجع: ١٦٧]

١٥ - بَابُ كَيْفِ الْإِشْعَارِ لِلْمَيِّتِ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تُشَدُّ بِهَا

الْفَجْدَيْنِ وَالْوَرَكَيْنِ تَحْتَ النَّزْعِ

١٢٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ

أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ

يَقُولُ: ((جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

- امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّيْلِ بَايِعْنَ -

لَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تَبَادُرَ ابْنَانَا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ،

فَحَدَّثَنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ

ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ لِقَالَ: ((وَأَغْسَلْنَاهَا

ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ

काफूर का भी इस्ते'माल कर लेना। गुस्ल से फ़ारिग़ा होकर मुझे ख़बर कर देना। उन्होंने बयान किया कि जब हम गुस्ल दे चुकीं (तो इत्तिला दी) और आपने इज़ार इनायत किया, आपने फ़र्माया कि इसे अन्दर बदन से लपेट दो। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं फ़र्माया। मुझे ये नहीं मा'लूम कि ये आपकी कौनसी बेटी थी। (ये अय्यूब ने कहा) और उन्होंने बताया कि इश्आर का मतलब ये है कि इसमें नअश लपेट दी जाए। इब्ने सीरीन (रह.) भी यही फ़र्माया करते थे कि औरत के बदन में इसे लपेटा जाए, इज़ार के तौर पर बाँधा जाए। (राजेअ : 168)

बाब 16 : इस बयान में कि क्या औरत मय्यित के बाल तीन लटों में तक्सीम कर दिये जाएँ?

1262. हमसे कुबैसा ने हदीष बयान की, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उम्मे हुज़ैल ने और उनसे उम्मे अत्तिया (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि हमने आँहज़रत (ﷺ) की बेटी के सर के बाल गूँध कर तीन चोटियाँ कर दी और वकीअ ने सुफ़यान से यँ रिवायत किया, एक पेशानी के तरफ़ के बालों की चोटी और दो इधर-उधर के बालों की। (राजेअ : 168)

बाब 17 : औरत के बालों की तीन लटें बनाकर उसके पीछे डाल दी जाए

1263. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन हस्सान ने बयान किया, कहा कि हमसे हफ़सा ने बयान किया, उनसे उम्मे अत्तिया (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक साहबज़ादी का इन्तिक़ाल हो गया, तो नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि उनको पानी और बेरी के पत्तों से तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दे लो। अगर तुम मुनासिब समझो तो इससे ज़्यादा भी दे सकती हो और आख़िर में काफूर या (आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि) थोड़ी सी काफूर इस्ते'माल करो, फिर जब गुस्ल दे चुको तो मुझे ख़बर दो। चुनाँचे फ़ारिग़ा होकर हमने आपको ख़बर दी

رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بَمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ لِي
الْآخِرَةَ كَأُولَى كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِّنِي))
قَالَ : فَلَمَّا فَرَعْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ :
(أَشْعُرُهَا إِيَّاهُ)) ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ .
وَلَا أَذْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ . وَرَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ
الْفَقْفَهَاءَ فِيهِ . وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سَيْرِينَ يَأْمُرُ
بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشَعِّرَ وَلَا تُؤَزَّرَ .

[راجع : ١٦٧]

١٦- بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ
ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

١٢٦٢- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ أُمِّ الْهَدَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ : ((صَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ
ﷺ)) - تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ - وَقَالَ وَكَيْفَ
قَالَ سُفْيَانُ : ((نَاصِيئَهَا وَقَرْنَيْهَا)) .

[راجع : ١٦٧]

١٧- بَابُ يُلْقَى شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا
ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

١٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ ((تَوَفَّيْتِ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ
ﷺ ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ((اغْسِلِيهَا
بِالسِّدْرِ وَتَرَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، وَاجْعَلْنَ لِي الْآخِرَةَ
كَأُولَى مِنْ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ

तो आप (ﷺ) ने (उनके कफ़न के लिये) अपना इज़ार इनायत किया। हमने उसके सर के बालों की तीन चोटियाँ करके उन्हें पीछे की तरफ़ डाल दिया था। (राजेअ: 168)

فَأَذْنِبِي)). فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا جَفْوَةً، فَضَقَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)). [راجع: ١٦٧]

सहीह इब्ने हिब्बान में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसा हुक्म दिया था कि बालों की तीन चोटियाँ कर दो। इस हदीष से मय्यत के बालों का गूथना भी प्राबित है।

बाब 18 : इस बारे में कि कफ़न के लिये सफ़ेद कपड़े होने मुनासिब है

١٨ - بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ لِلْكَفْنِ

1264. हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन इर्वा ने ख़बर दी, उन्हें उनके बाप इर्वा बिन जुबैर ने और उन्हें (उनकी खाला) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को यमन के तीन सफ़ेद सूती धुले हुए कपड़ों में कफ़न दिया गया, उनमें न क़मीज़ थी न अमामा।

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ لِي ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ نَبَسَ فِيهِمْ قَيْمِصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)).

(दीगर मक़ाम: 1271, 1272, 1273, 1374)

[أطرافه في: ١٢٧١, ١٢٧٢, ١٢٧٣]

[١٢٨٧]

तशरीह: बल्कि एक इज़ार थी, एक चादर, एक लिफ़ाफ़ा पस सुन्नत यही तीन कपड़े हैं अमामा बाँधना बिदअत है। हनाबिला और हमारे इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने उसको मकरूह रखा है और शाफ़िइया ने क़मीज़ और अमामा का बढाना भी जाइज़ रखा है। एक हदीष में है कि सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया करो। तिमिज़ी ने कहा आँहज़रत (ﷺ) के कफ़न के बारे में जितनी हदीषें वारिद हुई हैं उन सब में हज़रत आइशा (रज़ि.) की ये हदीष ज़्यादा सहीह है। अफ़सोस है कि हमारे ज़माने के लोग ज़िंदगी भर शादी-गामी की रस्मों और बिदआत में गिरफ़्तार रहते हैं और मरते वक़्त भी बेचारी मय्यत का पीछा नहीं छोड़ते। कहीं कफ़न खिलाफ़े सुन्नत करते हैं लिफ़ाफ़े के ऊपर एक चादर डाल देते हैं। कहीं सन्दल शीरीनी चादर चढ़ाते हैं। कहीं क़न्न पर मेला और मजमा करते हैं और उसका नाम उर्स रखते हैं। कहीं क़न्न पर चिराग़ जलाते हैं, उस पर इमारत और गुम्बद उठाते हैं। ये सब उमूर बिदअत और मन्ज़ूअ है। अल्लाह तआला मुसलमानों की आँखें खोले और उनको नेक तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन (वहीदी)

रिवायत में कफ़न नबवी के बारे में लफ़ज़ सहूलिय: आया है। जिसकी तशरीह अल्लामा शौकानी (रह.) के लफ़ज़ों में ये है। सहूलियतुन बिजम्मिलमुहमलतैनि व युर्वा बिफ़त्हिन अब्वलुहु निस्बतुन इला सहूल कर्यतुम्बिलियमन क़ालन्नववी वल्फ़त्हु अशहरू व हुव रिवायतुलअक्शरीन काल इब्नुलआराबी बीजुन नक़ियतुन ला तकूनु इल्ला मिनल्कुत्नि व फ़ी रिवायतिन लिलबुख़ारी सुहूल बिदूनि निस्बतिन व हुव जम्उ सहलिन वस्सहलु अश्रौबुलअब्यज़ु नक़ियतु वला यकूनु इल्ला मिन कुत्नि कमा तक़दम व काललअजहरी बिल्फ़त्हिल्मदीनति व बिजम्मि अश्रियाबु व काल अन्निस्बतु इलल्क़र्यति बिज्जम्यि व अम्मा बिल्फ़त्हि फनिस्बतुन इलल्क़िसारि लिअन्नहू युस्हलुश्रियाबु अय युनक्किहा क़ज़ा फिल्फ़त्हि (नैलुल औतार, जिल्द 3, पेज 40)

खुलास-ए-कलाम ये है कि लफ़्ज़ सहूलियः सीन और हाअ के ज़म्मा के साथ है और सीन का फ़्तह भी रिवायत किया गया है। जो एक गांव की तरफ़ निस्बत है जो यमन में वाक़ेअ था। इब्ने अअराबी वग़ैरह ने कहा कि वो सफ़ेद साफ़-सुथरा कपड़ा है जो सूती होता है। बुखारी शरीफ़ की एक रिवायत में लफ़्ज़ सुहूल आया है जो सहूल की जमा है और वो सफ़ेद धुला हुआ कपड़ा होता है, अज़हरी कहते हैं कि सहूल सीन के फ़्तह के साथ शहर मुराद होगा और सीन के ज़म्मा के साथ धोबी मुराद होगा जो कपड़े को धोकर साफ़ शफ़ाफ़ कर देता है।

बाब 19 : दो कपड़ों में कफ़न देना

1265. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद ने, उन्होंने बयान किया कि एक शख्स मैदाने-अरफ़ात में (एहराम बाँधे हुए) खड़ा हुआ था कि अपनी सवारी से गिर पड़ा और उसकी सवारी ने उन्हें कुचल दिया। या (वक्रस्तहू के बजाय ये लफ़्ज़) औक्रस्तहू कहा। नबी करीम (ﷺ) ने उनके लिये फ़र्माया कि पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दे कर दो कपड़ों में इन्हें कफ़न दो और ये भी हिदायत फ़र्माई कि इन्हें खुशबू न लगाओ और न इनका सर छुपाओ, क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।

(दीगर मक़ाम : 1266, 1267, 1268, 1839, 1849, 1850, 1851)

١٩- بَابُ الْكَفْنِ فِي ثَوْبَيْنِ

١٢٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ- أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَحْطَرُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَبْتَغِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلِيًّا)).

[أطرافه في: ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨،

١٨٣٩، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١].

तरीह: षाबित हुआ कि मुहरिम को दो कपड़ों में दफ़नाया जाए। क्योंकि वो हालते एहराम में है और मुहरिम के लिये एहराम की सिर्फ़ दो ही चादरें हैं, बरख़िलाफ़ उसके दीगर मुसलमानों के लिये मर्द के लिये तीन चादरें और औरत के लिये पाँच कपड़े मसनून हैं।

बाब 20 : मय्यित को खुशबू लगाना

1266. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख्स नबी करीम (ﷺ) के साथ मैदाने-अरफ़ात में वुकूफ़ किये हुए था कि वो अपने कूँट से गिर पड़ा और कूँट ने उन्हें कुचल दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन्हें पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देकर दो कपड़ों का कफ़न दो, खुशबू न लगाना और न सर ढाँपना, क्योंकि अल्लाह तआला क़यामत के दिन इन्हें लब्बैक कहते

٢٠- بَابُ الْخُطُوطِ لِلْمَيِّتِ

١٢٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْقَصَتْهُ- أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَحْطَرُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، لِإِنَّ اللَّهَ

हुए उठाएगा।

يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا)).

तशरीह : मुहरिम को खुशबू न लगाई जाए, इससे प्राबित हुआ कि गैर मुहरिम मय्यत को खुशबू लगानी चाहिये। बाब का मक़सद यही है। मुहरिम को खुशबू के लिये इस वास्ते मना फ़र्माया कि वो हालते एहराम ही में है और क़यामत के दिन इसी हाल में लब्बैक कहता हुआ उठेगा और ज़ाहिर है कि मुहरिम को हालते एहराम में खुशबू लगाना मना है।

बाब 21 : मुहरिम को क्योंकर कफ़न दिया जाए

1267. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबू अवाना ने ख़बर दी, उन्हें अबू बशीर जा'फ़र ने, उन्हें सईद बिन जुबैर ने, उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ एहराम बाँधे हुए थे कि एक शख़्स की गर्दन उसके ऊँट ने तोड़ डाली तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन्हें पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दे दो और दो कपड़ों का कफ़न दो और खुशबू न लगाओ और न सर को ढँको। इसलिये कि अल्लाह तआला इन्हें उठाएगा इस हालत में कि वो लब्बैक पुकार रहा होगा।

1268. हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उनसे अम्र और अय्यूब ने, उसने सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के साथ मैदाने-अरफ़ात में खड़ा हुआ था। अचानक वो अपनी सवारी से गिर पड़ा। अय्यूब ने कहा कि ऊँटनी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली और अम्र ने ये कहा कि ऊँटनी ने उसको गिरते ही मार डाला और उसका इन्तिक़ाल हो गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और दो कपड़ों का कफ़न दो और खुशबू न लगाओ, न सर ढको क्योंकि क़यामत में ये उठाया जाएगा। अय्यूब ने कहा कि (या'नी) तल्बिया कहते हुए (उठाया जाएगा) और अम्र ने (अपनी रिवायत में युलब्बी के बजाय) मुलब्बियान का लफ़ज़ नक़ल किया है। (या'नी लब्बैक कहता हुआ उठेगा)

मा'लूम हुआ कि मुहरिम मर जाए तो उसका एहराम बाक़ी रहेगा। शाफ़िइया और अहले हदीष का यही क़ौल है।

बाब 22 : क़मीस में कफ़न देना, उसका हाशिया सिला हुआ हो या बग़ैर सिला हुआ हो

۲۱- بَابُ كَيْفِ يُكْفَنُ الْمُحْرِمُ؟

۱۲۶۷- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلًا وَقَصَّ بَعِيرُهُ وَتَخَنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا)). وَفِي نُسْخَةٍ مُلَبَّيًّا.

۱۲۶۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصْتَهُ- وَقَالَ عَمْرُو: فَاقْصَعْتَهُ- فَمَاتَ، فَقَالَ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُخَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَيُّوبُ: يَلْبِي، وَقَالَ عَمْرُو: مُلَبَّيًّا)).

۲۲- بَابُ الْكَفْنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكْفَى أَوْ لَا يُكْفَى، وَمَنْ كَفَّنَ

और बगैर क़मीस के कफ़न देना

1249. हमसे मुसद्द ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन उबैय (मुनाफ़िक़) की मौत हुई तो उसका बेटा (अब्दुल्लाह सहाबी) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! वालिद के कफ़न के लिये आप अपनी क़मीस इनायत फ़र्माइये और उन पर नमाज़ पढ़ें और मग़्फ़िरत की दुआ कीजिए। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने अपनी क़मीस (गायत मुर्व्वत की वजह से) इनायत की और फ़र्माया कि मुझे बताना मैं नमाज़े जनाज़ा पढ़ूँगा। अब्दुल्लाह ने इत्तिला भिजवाई। जब आप (ﷺ) पढ़ाने के लिये आगे बढ़े तो उमर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) को पीछे से पकड़ लिया और अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह तआला ने आपको मुनाफ़िक़ीन की नमाज़े-जनाज़ा पढ़ने से मना नहीं किया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे इख़्तियार दिया गया है। जैसा कि इशादे-बारी है, तू उनके लिये इस्तग़फ़ार कर या न कर और अगर तू सत्तर मर्तबा भी इस्तग़फ़ार करे तो भी अल्लाह उन्हें हर्गिज़ माफ़ नहीं करेगा। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद ये आयत उतरी, किसी भी मुनाफ़िक़ की मौत पर उसकी नमाज़े जनाज़ा कभी न पढ़ाना। (दीगर मक़ाम: 4670, 4672, 5796)

1270. हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे इब्ने उययना ने बयान किया, उनसे अम्र ने, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्लाह बिन उबय को दफ़न किया जा रहा था। आप (ﷺ) ने उसे क़ब्र से निकलवाया और अपना लुआबे-दहन उसके मुँह में डाला और उसे अपनी क़मीस पहनवाई।

(दीगर मक़ाम: 1350, 3007, 5795)

तशरीह: अब्दुल्लाह बिन उबय मशहूर मुनाफ़िक़ है जो जंगे उहुद के मौक़े पर रास्ते में से कितने ही सीधे-सादे मुसलमानों को बहकाकर वापस ले आया था और उसी ने एक मौक़े पर ये भी कहा था कि हम मदनी और शरीफ़ लोग हैं और ये मुहाजिर मुसलमान ज़लील परदेसी हैं। हमारा दाँव लगेगा तो हम आपको मदीना से निकाल बाहर करेंगे। उसका बेटा अब्दुल्लाह सच्चा मुसलमान सहाबी-ए-रसूल था। आप (ﷺ) ने उनकी दिल-शिकनी गवारा नहीं की और करम का मुआमला करते हुए अपना कुर्ता उसके कफ़न के लिये इनायत फ़र्माया। कुछ ने कहा कि जंगे बद्र में जब हज़रत अब्बास

بَغَيْرِ قَمِيصٍ
 ١٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
 بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (رَأَى عَبْدَ
 اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ
 ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ،
 وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرَ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ
 ﷺ قَمِيصَهُ فَقَالَ: ((أَذِنِي أَصَلِّيَ عَلَيْهِ)).
 فَاذَنَّهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ
 عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللَّهُ
 نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ:
 ((أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
 ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ
 تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
 لَهُمْ﴾ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَتَرَكْتُ: ﴿وَلَا تُصَلِّ
 عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾)).

[أطرافه في: ٤٦٧٠، ٤٦٧٢، ٥٧٩٦].

١٢٧٠- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ
 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ وَسَمِعَ جَابِرًا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ
 اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَكَفَّنَتْ
 فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ)).

[أطرافه في: ١٣٥٠، ٣٠٠٨، ٥٧٩٥].

(रज़ि.) कैद होकर आए तो वो नंगे थे। उनका ये हाले ज़ार देखकर अब्दुल्लाह बिन उबय ने अपना कुर्ता उनको पहुँचा दिया था, आँहज़रत (ﷺ) ने उसका बदला अदा कर दिया कि ये एहसान बाक़ी न रहे।

उन मुनाफ़िक़ों के बारे में पहली आयत इस्तग़फ़िरलहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम (तौबा, 80) नाज़िल हुई थी। इस आयत से हज़रत उमर (रज़ि.) समझे कि उन पर नमाज़ पढ़ना मना है। आँहज़रत (ﷺ) ने उनको समझाया कि इस आयत में मुझको इख़्तियार दिया गया है। तब हज़रत उमर (रज़ि.) ख़ामोश रहे। बाद में आयत व ला तुमल्लि अहदिम्मिन्हुम (तौबा, 84) नाज़िल हुई। जिसमें आप (ﷺ) को अल्लाह ने मुनाफ़िक़ों पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने से क़तअन रोक दिया। पहली और दूसरी रिवायतों में तत्बीक़ ये है कि पहले आप (ﷺ) ने कुर्ता देने का वा'दा फ़र्मा दिया था फिर अब्दुल्लाह के अज़ीजों ने आप (ﷺ) को तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना और अब्दुल्लाह का जनाज़ा तैयार करके क़ब्र में उतार दिया कि आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और आप (ﷺ) ने वो किया जो रिवायत में मज़कूर है।

बाब 23: बग़ैर क़मीस के कफ़न देना

۲۳- بَابُ الْكَفْنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

मुस्तम्ली के नुस्खे में ये तर्जुम-ए-बाब नहीं है और वही ठीक है क्योंकि ये मज़मून अगले बाब में बयान हो चुका है।

1271. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़सान प्रौरी ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उर्वा बिन जुबैर ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) को तीन सूती धुले हुए कपड़ों में कफ़न दिया गया था। आप (ﷺ) के कफ़न में न क़मीस थी न अमामा।

(राजेअ: 1264)

1272. हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे यह्या ने, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके बाप उर्वा बिन जुबैर ने, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को तीन कपड़ों का कफ़न दिया गया था, जिनमें न क़मीस थी और न अमामा था। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी (रह.) फ़र्माते हैं अबू नुऐम ने लफ़ज़ षलाषा नहीं कहा और अब्दुल्लाह बिन वलीद ने सुफ़यान से लफ़ज़ षलाषा नक़ल किया है। (राजेअ: 1264)

बाब 24 : अमामा के बग़ैर कफ़न देने का बयान

1273. हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझ से मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके बाप उर्वा बिन जुबैर ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सहूल के तीन सफ़ेद कपड़ों का कफ़न दिया गया था न उनमें क़मीस थी और न अमामा था।

۱۲۷۱- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَفَّنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مَحْوُولٍ كَرُسْفَرٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)). (راجع: ۱۲۶۴)

۱۲۷۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَبُو نَعِيمٍ لَا يَقُولُ ثَلَاثَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَفْيَانَ يَقُولُ ثَلَاثَةً)). (راجع: ۱۲۶۴)

۲۴- بَابُ الْكَفْنِ وَلَا عِمَامَةٍ

۱۲۷۳- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ مَحْوُولَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)).

मतलब ये है कि चौथा कपड़ा न था। कस्तलानी ने कहा इमाम शाफ़िई ने कमीस पहनाना जाइज़ रखा है मगर उसको सुन्नत नहीं समझा और उनकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का फ़ेअल है जिसे बैहकी ने निकाला कि उन्होंने अपने बेटे को पाँच कपड़ों में कफ़न दिया। तीन लिफ़ाफ़े और एक कमीस और एक अमामा लेकिन शरहे मुहज़ज़ब में हैं कि कमीस और अमामा न हो। अगरचे कमीस और अमामा मकरूह नहीं मगर औला के ख़िलाफ़ है (वहीदी)। बेहतर यही है कि सिर्फ़ तीन चादरों में कफ़न दिया जाए।

बाब 25 : कफ़न की तैयारी मध्यित के सारे माल में से करना चाहिये

٢٥ - بَابُ الْكَفْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

और अता और जुहरी और अम्र बिन दीनार और क़तादा (रज़ि.) का यही क़ौल है और अम्र बिन दीनार ने कहा खुशबूदार का ख़र्च भी सारे माल से किया जाए। और इब्राहीम नख़ई ने कहा पहले माल में से कफ़न की तैयारी करें, फिर क़र्ज़ अदा करें, फिर वसिय्यत पूरी करें और सुफ़यान श़ौरी ने कहा क़ब्र और गुस्ल देने वाले की उजरत भी कफ़न में दाख़िल है।

وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَوَاطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبَدَأُ بِالْكَفْنِ، ثُمَّ بِالذِّئِينَ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْفَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفْنِ.

1273. हमसे अहमद बिन मुहम्मद मक्की ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने, उनसे उनके बाप सअद ने और उनसे उनके वालिद इब्राहीम बिन अब्दुरहमान ने बयान किया कि अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के सामने एक दिन खाना रखा गया तो उन्होंने फ़र्माया कि मुसअब बिन उमैर (रज़ि.) (ग़ज्व-ए-उहद में) शहीद हुए, वो मुझ से अफ़ज़ल थे लेकिन उनके कफ़न के लिये एक चादर के सिवा और कोई चीज़ मुहैया न हो सकी। इसी तरह हम्ज़ा (रज़ि.) शहीद हुए या किसी दूसरे सहाबी का नाम लिया, वो भी मुझसे अफ़ज़ल थे लेकिन उनके कफ़न के लिये भी सिर्फ़ एक ही चादर मिल सकी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे चैन और आराम के सामान हमको जल्दी से दुनिया ही में दे दिये गये हों फिर वो रोने लगे। (दीगर मक़ाम : 1275, 4045)

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ : ((أَبِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بَطْعَامِهِ، فَقَالَ: قِيلَ مُضْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ - وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي - فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ. وَقِيلَ حَمْرَةٌ - أَوْ رَجُلٌ آخَرٌ - خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ. لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَجَلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي)). [طرفاه في: ١٢٧٥، ٤٠٤٥].

तशरीह :

इमामे मुहदिषीन (रह.) ने इस हदीष से ये प़ाबित किया है कि हज़रत मुसअब और हज़रत अमीर हम्ज़ा (रज़ि.) का कुल माल इतना ही था। बस एक चादर कफ़न के लिये तो ऐसे मौक़े पर सारा माल ख़र्च करना चाहिये। उसमें इख़्तिलाफ़ है कि मय्यत क़र्ज़दार हो तो सिर्फ़ इतना कफ़न दिया जाए कि सतरपोशी हो जाए या सारा बदन ढाँका जाए। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने उसको तर्जीह दी है कि सारा बदन ढाँका जाए, ऐसा कफ़न देना चाहिये। हज़रत मुसअब बिन उमैर

(रज़ि.) कुरैशी जलीलुल-क़द्र सहाबी (रज़ि.) हैं। रसूले करीम (ﷺ) ने हिजरत से पहले ही उनको मदीना शरीफ़ बतौर मुअल्लिमुल कुर्आन व मुबल्लिग़े इस्लाम भेज दिया था। हिजरत से पहले ही उन्होंने मदीना में जुम्आ कायम फ़र्माया जबकि मदीना खुद एक गांव था। इस्लाम से पहले ये कुरैश के हसीन नौजवानों में ऐश व आराम में ज़ेबो-ज़ीनत में शोहरत रखते थे मगर इस्लाम लाने के बाद ये कामिल दुर्वेश बन गये। कुर्आन पाक की आयत रिजालुन स़दकू मा आहदुल्लाह अलैहि (अल अहज़ाब : 23) उन्हीं के हक़ में नाज़िल हुई। जंगे उहुद में ये शहीद हो गए थे। (रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु)

बाब 26 : अगर मय्यित के पास एक ही कपड़ा निकले

۲۶- بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

1275. हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमको शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें सअद बिन इब्राहीम ने, उन्हें उनके बाप इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान ने कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के सामने खाना हाज़िर किया गया। वो रोज़े से थे, उस वक़्त उन्होंने फ़र्माया कि हाय! मुसअब बिन उमैर (रज़ि.) शहीद किये गये। वो मुझसे बेहतर थे, लेकिन उनके कफ़न के लिये एक ही चादर मयस्सर आ सकी कि अगर उससे उनका सर ढाँका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव ढाँके जाते तो सर खुल जाता और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी फ़र्माया हम्ज़ा (रज़ि.) भी (इसी तरह) शहीद हुए, वो भी मुझसे अच्छे थे। फिर उनके बाद दुनिया की कुशादगी ख़ूब हुई या ये फ़र्माया कि दुनिया हमें बहुत दी गई और हमें तो इसका डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में हमको मिल गया हो। फिर आप इस तरह रोने लगे कि खाना भी छोड़ दिया। (राजेअ : 1264)

۱۲۷۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَابِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِطَعَامٍ - وَكَانَ صَائِمًا - فَقَالَ : قِيلَ مُصْنَبُ بْنُ غَمَيْرٍ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي - كَفَنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِيَ رَأْسُهُ بَدَتِ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِيَ رِجْلَاهُ بَدَتِ رَأْسُهُ. وَأَرَاهُ قَالَ: وَقِيلَ حَمْزَةُ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي - ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ - أَوْ قَالَ : أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا - وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتِنَا عَجَلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَتَكَبَّرُ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

[راجع: ۱۲۶۴]

तशरीह : हज़रत मुसअब (रज़ि.) के यहाँ सिर्फ़ एक चादर ही उनका कुल मताअ (सम्पत्ति) थी, वो भी तंग, वही उनके कफ़न में दे दी गई। बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

हालाँकि हज़रत अब्दुर्रहमान रोज़ेदार थे, दिनभर के भूखे थे फिर भी उन तसव्वुरात (यादों) में खाना छोड़ दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अशर-ए-मुबशशरा में से थे और इस क़दर मालदार थे कि रईसतुज्जार का लक़ब उनको हासिल था। इतिक़ाल के वक़्त दौलत के अम्बार वारिषों को मिले। उन हालात में भी मुसलमानों की हर मुम्किन खिदमात के लिये हर वक़्त हाज़िर रहा करते थे। एक बार उनके कई सौ ऊँट अनाज के साथ मुल्के शाम से आए थे। वो सारा अनाज मदीना वालों के लिये मुफ़्त तक्सीम कर दिया। (रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु)

बाब 27 : जब कफ़न का कपड़ा छोटा हो कि सर

۲۷- بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا

और पाँव दोनों न ढँक सकें तो सर छुपा दें
(और पाँव पर घास वगैरह डाल दें)

1276. हमसे इमर बिन हफ़्स बिन गयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि हमसे शक्रीक ने बयान किया, कहा कि हमसे खब्बाब बिन अरत (रज़ि.) ने बयान किया, कि हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ अल्लाह के लिये हिजरत की। अब हमें अल्लाह तआला से अज़्र मिलना ही था। हमारे बाज़ साथी तो इन्तिक़ाल कर गये और (इस दुनिया में) उन्होंने अपने किये का कोई फल नहीं देखा। मुस्अब बिन इमैर (रज़ि.) भी उन्हीं लोगों में से थे और हमारे बाज़ साथियों का मेवा पक गया और वो चुन-चुन कर खाता है। (मुस्अब बिन इमैर रज़ि.) उहुद की लड़ाई में शहीद हुए, हमको उनके कफ़न में एक चादर के सिवा और कोई चीज़ न मिली और वो भी ऐसी कि अगर उससे सर छुपाते हैं तो पाँव खुल जाता है और अगर पाँव छुपाते हैं तो सर खुल जाता। आख़िर ये देख कर नबी करीम (ﷺ) ने इशाद फ़र्माया कि सर को छुपा दें और पाँव पर सबज़ घास इज़ख़र नामी डाल दें। (दीगर मक़ाम : 3797, 3913, 3914, 4047, 4082, 6432, 6447)

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है क्योंकि हज़रत मुस्अब बिन इमैर (रज़ि.) का कफ़न जब नाकाफ़ी रहा तो उनके पैरों को इज़ख़र नामी घास से ढँक दिया गया।

बाब 28 : उनके बयान में जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में अपना कफ़न खुद ही तैयार रखा और आप (ﷺ) ने इस पर किसी तरह का ए'तिराज़ नहीं फ़र्माया

1288. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे सहल (रज़ि.) ने कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक बुनी हुई हाशियेदार चादर आपके लिये तोहफ़ा लाई। सहल बिन सअद (रज़ि.) ने (हाज़िरीन से) पूछा कि तुम जानते हो चादर क्या? लोगों ने कहा कि जी हाँ! शमला। सहल (रज़ि.) ने कहा, हाँ शमला (तुमने

يُؤَارِي رَأْسَهُ أَوْ لَدَمَتِيهِ غُطِّي بِرَأْسِهِ

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْرَأْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِنَلْبَسُ رِجَّةَ اللَّهِ، فَوَقَعَ اجْرَأْنَا عَلَى اللَّهِ: فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصَنَّبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْبَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْلِيهَا. قِيلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ غَوَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ غَوَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ).

[أطرافه في: ٣٨٩٧, ٣٩١٣, ٣٩١٤, ٤٠٤٧, ٤٠٨٢, ٦٤٣٢, ٦٤٤٨.]

٢٨ - باب من استعد الكفن

في زمن النبي ﷺ

فلم يُنكر عليه

١٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (رَأَى امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا. أَنْتَرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ. قَالَ:

ठीक बताया) खैर उस औरत ने कहा कि मैंने अपने हाथ से इसे बुना है और आप (ﷺ) को पहनाने के लिये लाई हूँ। नबी करीम (ﷺ) ने वो कपड़ा कुबूल किया। आप (ﷺ) को उस वस्त्र उसकी ज़रूरत भी थी। फिर उसे इज़ार के तौर पर बाँध कर बाहर तशरीफ़ लाए तो एक साहब (अब्दुरहमान बिन औफ़ रज़ि.) ने कहा ये तो बड़ी अच्छी चादर है, ये आप मुझे पहना दीजिए। लोगों ने कहा कि आपने (मांग कर) कुछ अच्छा नहीं किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे अपनी ज़रूरत की वजह से पहना था और तुमने ये माँग लिया, हालाँकि तुमको मा'लूम है कि आँहज़रत (ﷺ) किसी का सवाल रद्द नहीं करते। अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि अल्लाह की क्रसम! मैंने अपने पहनने के लिये आपसे ये चादर नहीं मांगी थी, बल्कि मैं इसे अपना कफ़न बनाऊँगा। सहल (रज़ि.) ने बयान किया कि वही चादर उनका कफ़न बनी। (दीगर मक़ाम : 2093, 5710, 6036)

نعم. قالت: نسجتُها يدي، فجئت لأكسوكها، فأخلفنا النبي ﷺ محتاجاً إليها، فعرّخ إتنا وإنها إزاره، فحسنتها فلأن لقان: اكسيتها ما أحسنتها. قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي ﷺ محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يؤدّ قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته ليكون كفي. قال سهل: فكانت كفته. ٦١

[أطرافه ٣: ٢٠٩٣، ٥٨١٠، ٦٠٣٦].

तशरीह : गोया हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने अपनी ज़िन्दगी ही में अपना कफ़न मुहय्या कर लिया। यही बाब का मक़सद है। ये भी प्राबित हुआ कि किसी मुखय्यिर मुअदमद बुजुर्ग से किसी वाकिई ज़रूरत के मौक़ों पर जाइज़ सवाल भी किया जा सकता है। ऐसी अहदादीष ने नबी अकरम (ﷺ) पर क़यास करके जो आज के पीरों का तबरूक ह्रासिल किया जाता है ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये आप (ﷺ) की खुसूसियात और मुअजिज़ात में से हैं और आप ज़रिये ख़ैरो-बरकत हैं कोई और नहीं।

बाब 29 : औरतों का जनाजे के साथ जाना कैसा है?

1278. हमसे क़बीसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान प्रौरी ने बयान किया, उनसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने, उनसे उम्मे हज़ैल हफ़सा बिनत सीरीन ने, उनसे उम्मे अत्रिया (रज़ि.) ने बयान किया कि हमें (औरतों को) जनाजे के साथ चलने से मना किया गया मगर ताकीद से मना नहीं हुआ। (राजेअ : 313)

٢٩- بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ
١٢٧٨- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِنْتُ عُنْبَةَ قَالَتْ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
(نُهِنَّا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمَ
عَلَيْنَا). [راجع: ٣١٣]

बहरहाल औरतों के लिये जनाजे के साथ जाना मना है क्योंकि औरतें जईफ़ुल क़ल्ब होती हैं। वो ख़िलाफ़े शरअ हरकतें कर सकती हैं। शारेअ की और भी बहुत सी मसलहतें हैं।

बाब 30 : औरत का अपने ख़ाविन्द के सिवा और किसी पर सोग करना कैसा है?

1279. हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, उन्होंने कहा

٣٠- بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ
زَوْجِهَا

١٢٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَتْ حَدَّثَنَا بَشْرٌ

कि हमसे बिश्र बिन मुफ़ज़्जल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सलमा बिन अलक्रमा ने और उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने कि उम्मे अतिया (रज़ि.) के एक बेटे का इन्तिक़ाल हो गया। इन्तिक़ाल के तीसरे दिन उन्होंने सुफ़्रह ख़लूक (एक क्रिस्म की ज़र्द ख़ुशबू) मंगवाई और उसे अपने बदन पर लगाया और फ़र्माया कि खाविन्द के सिवा किसी दूसरे पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करने से हमें मना किया गया है। (राजेअ : 313)

1280. हमसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान शौरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे हुमैद बिन नाफ़ेअ ने, ज़ैनब बिनते अबी सलमा से ख़बर दी कि अबू सुफ़यान (रज़ि.) की वफ़ात की ख़बर जब शाम से आई तो उम्मे हबीबा (रज़ि.) (अबू सुफ़यान रज़ि. की साहबजादी और उम्मुल मोमिनीन) ने तीसरे दिन सुफ़रा (ख़ुशबू) मंगवाकर अपने दोनों रुख़सार और बाजूओं पर मला और फ़र्माया कि अगर मैंने नबी करीम (ﷺ) से ये न सुना होता कि कोई भी औरत जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर इमान रखती हो उसके लिये जाइज़ नहीं है कि वो शौहर के सिवा किसी का सोग तीन दिन से ज़्यादा मनाए और शौहर का सोग चार महीने दस दिन करे। तो मुझे इस वक़्त इस ख़ुशबू के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी। (दीगर मक़ाम : 1281, 5334, 5339, 5345)

तारीह:

जबकि मैं विधवा और बुढ़िया हूँ, मैंने इस हदीष पर अमल करने के ख़याल से ख़ुशबू का इस्तेमाल कर लिया, क़ाल इब्नु हज़र हुव वहमुन लिअन्नहु मात बिल्मदीनति बिला ख़िलाफ़िन व इन्नमल्लज़ी मात बिशशामि अखूहा यज़ीद बिन अबी सुफ़यान वल्हदीषु फ़ी मुस्नद इब्नि अबी शौबा वद्वारमी बिलाफ़िज़ जाअ नई लिअख़ी उम्मि हबीबत औ हमीमुन लहा व लिअहमद नहवुहू फकविथ्युन कौनुहू अखाहा या'नी अल्लामा इब्ने हज़र (रह.) ने कहा कि ये वहम है। इसलिये कि अबू सुफ़यान (रज़ि.) का इतिक़ाल बिला इख़ितलाफ़ मदीना में हुआ था। शाम में इतिक़ाल करने वाले उनके भाई यज़ीद बिन अबी सुफ़यान थे। मुस्नद इब्ने अबी शौबा और दारमी और मुस्नद अहमद वग़ैरह में ये वज़ाहत मौजूद है। इस हदीष से ज़ाहिर हुआ कि सिर्फ़ बीवी अपने शौहर पर चार माह दस दिन सोग कर सकती है और किसी भी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करना जाइज़ नहीं है। बीवी के शौहर पर इतना सोग करने की सूरत में भी बहुत से इस्लामी मसले पेशे-नज़र हैं।

1281. हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बुकैर ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन

بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بِنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوَفِّي ابْنُ لَأْمٍ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: ((لَهُنَا أَنْ نُجِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ)). [راجع: ٣١٣]

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلْمَةَ قَالَتْ: ((لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَتَمَسَّحَتْ عَارِضِيهَا وَذِرَاعِيهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَفَيَّةً لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ((لَا يَجِلُّ لَامْرَأَةٍ تَزْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ لِأَنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [أطرافه في: ١٢٨١، ٥٣٣٤، ٥٣٣٩، ٥٣٤٥].

١٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ

हज़म ने, उनसे हुमैद बिन नाफ़ेअ ने, उनसे ज़ैनब बिनत अबी सलमा ने ख़बर दी वो नबी करीम (ﷺ) की ज़ौजा मुतहहरा हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) के पास गई तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि कोई भी औरत जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो उसके लिये शौहर के सिवा किसी मर्द पर भी तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं है। हाँ! शौहर पर चार महीने दस दिन तक सोग मनाए।

(राजेअ: 1280)

1282. फिर मैं हज़रत ज़ैनब बिनत जहश के यहाँ गई, जबकि उनके भाई का इन्तिकाल हुआ। उन्होंने खुशबू मंगवाई और उसे लगाया, फिर फ़र्माया कि मुझे खुशबू की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने नबी करीम (ﷺ) को मियम्बर पर ये कहते हुए सुना है कि किसी भी औरत को जो अल्लाह और यौमे-आख़िरत पर ईमान रखती हो, जाइज़ नहीं है कि किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे। लेकिन शौहर का सोग (इहत) चार महीने दस दिन तक करे।

(दीगर मक़ाम: 5335)

बाब 31 : क़ब्रों की ज़ियारत करना

1273. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे ब्राबित ने बयान किया और उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रह.) ने कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र एक औरत पर हुआ जो क़ब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह से डर और सन्न कर। वो बोली जाओ जी! दूर हटो! ये मुसीबत तुम पर पड़ी होती तो पता चलता। वो आप (ﷺ) को पहचान न सकी थी। फिर जब लोगों ने उसे बताया कि ये नबी करीम (ﷺ) थे, तो अब वो (घबराकर) आँहज़रत (ﷺ) के दरवाज़े पर पहुँची। वहाँ उसे कोई दरबान न मिला। फिर उसने कहा कि मैं आपको पहचान न सकी थी। (मुआफ़ फ़र्माएँ) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि

بِنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرْتُهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

[راجع: 1280]

1282- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوْفِي أَخُوَهَا، فَدَعَتِ بَطِيبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَسْبَرِ يَقُولُ: ((لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [طرنه بي: 5335].

31- بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

1273- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: ((الْقِيَّ اللَّهُ وَأَصْبِرِي))). قَالَتْ: إِنَّكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمَعْصِيَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ؛ فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ؛ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

सब्र तो जब सदमा शुरू हो उस वक़्त करना चाहिये। (अब क्या होता है) (राजेअ: 1252)

الأولى). [راجع: 1252]

तशरीह: मुस्लिम की एक हदीष में है कि 'मैंने तुम्हें क़ब्र की ज़ियारत करने से मना किया था लेकिन अब कर सकते हो, इससे मा'लूम हुआ कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में मुमानअत थी और फिर बाद में उसकी इजाज़त मिल गई।' दीगर अह्दादीष में ये भी है कि क़ब्रों पर जाया करो कि उससे मौत याद आती है या'नी उससे आदमी के दिल में रिक्कत पैदा होती है। एक हदीष में है कि 'अल्लाह ने उन औरतों पर लअनत की है जो क़ब्रों की बहुत ज़ियारत करती हैं।' उसकी शरह में कुर्तुबी ने कहा कि ये लअनत उन औरतों पर है जो रात-दिन क़ब्रों ही में फिरती रहें और शौहरों के कामों का ख़याल न रखें, न ये कि मुत्लक़ ज़ियारत औरतों को मना है क्योंकि मौत को याद करने में मर्द-औरत दोनों बराबर हैं। लेकिन औरतें अगर क़ब्रिस्तान में जाकर जज़अ-फ़ज़अ करें और ख़िलाफ़े शरअ उमूर की मुर्तकिब हों तो फिर उनके लिये क़ब्रों की ज़ियारत जाइज़ नहीं होगी।

अल्लामा ऐनी हनफ़ी फ़र्माते हैं, इन्न ज़ियारतलकुबूर मक्रूहुन लिन्निसाइ बल हरामुन फ़ी हाज़ज़मानि व ला सीमा निसाउ मिस्त्र या'नी हालाते मौजूदा में औरतों के लिये ज़ियारते कुबूर मक्रूह बल्कि हराम है ख़ास तौर पर मिस्त्री औरतों के लिये। ये अल्लामा ने अपने हालात के मुताबिक़ कहा है वरना आजकल हर जगह औरतों का यही हाल है।

मौलाना वहीदुज़्जमाँ साहब मरहूम फ़र्माते हैं। इमाम बुखारी (रह.) ने साफ़ बयान नहीं किया कि क़ब्रों की ज़ियारत जाइज़ है या नाजाइज़ क्योंकि उसमें इख़ितलाफ़ है और जिन हदीषों में ज़ियारत की इजाज़त आई है वो उनकी शराइत पर न थीं, मुस्लिम ने मफ़ूअन निकाला, 'मैंने तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था अब ज़ियारत करो क्योंकि उससे आख़िरत की याद पैदा होती है।' (वहीदी)

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने जो हदीष यहाँ नक़ल फ़र्माई है उससे क़ब्रों की ज़ियारत यूँ प्राबित हुई कि आप (ﷺ) ने उस औरत को वहाँ रोने से मना किया। मुत्लक़ ज़ियारत से आप (ﷺ) ने कोई तज़ारुज़ नहीं फ़र्माया। उसी से क़ब्रों की ज़ियारत प्राबित हुई। मगर आजकल अक़्सर लोग क़ब्रिस्तान में जाकर मुर्दों का वसीला तलाश करते और बुजुर्गों से हाजत त़लब करते हैं। उनकी क़ब्रों पर चादर चढ़ाते, फूल डालते, वहाँ झाड़ व बत्ती का इतिज़ाम करते और फ़र्श व फ़रोश बिछाते हैं। शरीअत में ये सारे काम नाजाइज़ हैं बल्कि ऐसी ज़ियारत क़तअन हराम हैं जिनसे अल्लाह की हूदूद को तोड़ा जाए और वहाँ ख़िलाफ़े शरइयत काम किये जाएँ।

बाब 32 : आँहज़रत (ﷺ) का ये फ़र्माना कि

मद्यित पर उसके घरवालों के रोने से

अज़ाब होता है। या'नी जब रोना, मातम करना मद्यित के खानदान की रस्म हो क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह तहरीम में फ़र्माया कि अपने नपस को और अपने घरवालों को दोज़ख़ की आग से बचाओ। या'नी उनको बुरे कामों से मना करो और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर कोई निगहबान है और अपने मातहतों से पूछा जाएगा और अगर ये रोना-पीटना उसके खानदान की रस्म न हो और फिर अचानक कोई उस पर रोने लगे तो हज़रत आइशा (रज़ि.) का दलील लेना इस आयत से सहीह है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे को अपना बोझ उठाने को

32- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ

(يُعَذِّبُ الْمَيِّتَ بِبَعْضِ بَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)

(إِذَا كَانَ النُّوحُ مِنْ سَبِيهِ) يَقُولُ تَعَالَى

﴿لَوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ وَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: ﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ

رَعِيَّتِهِ﴾ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سَبِيهِ فَهُوَ كَمَا

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿وَلَا تَرِيرُ

وَأَزْرَةٌ وَرَزٌّ أُخْرَى﴾.

وَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿وَرِإْن تَدْعُ مَغْلَلَةً - ذُنُوبًا

- إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ وَمَا

बुलाए तो वो उसका बोझ नहीं उठाएगा। और बगैर नोहा, चिल्लाए-पीटे रोना दुरुस्त है। और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि दुनिया में जब कोई नाहक़ ख़ून होता है तो आदम के पहले बेटे क़ाबील पर उस ख़ून का कुछ वबाल पड़ता है, क्योंकि नाहक़ ख़ून की बिना सबसे पहले उसी ने डाली।

1284. हमसे अब्दान और मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमको आसिम बिन सुलैमान ने ख़बर दी, उन्हें अबू इम्रान अब्दुर्रहमान नहदी ने, कहा कि मुझसे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की एक स़ाहबज़ादी (हज़रत ज़ैनब रज़ि.) ने आपको इज़ितला करवाई कि मेरा एक लड़का मरने के करीब है, इसलिये आप तशरीफ़ लाएँ। आप (ﷺ) ने उन्हें सलाम कहलवाया और (यह भी) कहलवाया कि अल्लाह तआला ही का सारा माल है, जो ले लिया वो उसी का था और जो दिया वो भी उसी का था और हर चीज़ उसकी बारगाह से वक़्ते-मुकर्ररा पर ही वाक़ेअ होती है। इसलिये सब्र करो और अल्लाह तआला से प्रवाब की उम्मीद रखो। फिर हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने क़सम देकर अपने यहाँ बुलवा भेजा। अब रसूलुल्लाह (ﷺ) जाने के लिये उठे, आपके साथ सअद बिन उबादा, मआज़ बिन जबल, उबय बिन कअब, ज़ैद बिन ष़ाबित और बहुत से दूसरे स़हाबा (रज़ि.) भी थे। बच्चे को रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने किया गया, जिसकी जाँकनी का आलम था। अबू इम्रान ने कहा कि मेरा ख़याल है कि उसामा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जैसे पुराना मशकीज़ा होता है और पानी के टकराने की अन्दर से आवाज़ होती है, उसी तरह जाँकनी के वक़्त बच्चे के हलक़ से आवाज़ आ रही थी, ये देखकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखों से आँसू बह निकले। सअद (रज़ि.) बोल उठे कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! ये रोना कैसा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तो अल्लाह की रहमत है कि जिसे अल्लाह तआला ने अपने (नेक) बन्दों के दिलों में रखा है और अल्लाह तआला भी अपने रहमदिल बन्दों पर रहम फ़र्माता है, जो दूसरों पर रहम करते हैं। (दीगर मक़ाम : 5655,

يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَائِهَا)) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

١٢٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أُرْسِلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قَبِيضٌ، فَأَيْنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبِ)). فَأَرْسِلَتْ إِلَيْهِ تُقَسِّمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ مَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ وَمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بْنُ كَسْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَفَقَّعُ - قَالَ: حَسْبُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شُرٌّ - فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ مَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: ((هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).

[أطرافه في : ٥٦٥٥، ٦٦٠٢، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨].

तशरीह : इस मसले में इब्ने उमर और आइशा (रज़ि.) का एक मशहूर इखितलाफ़ था कि मय्यत पर उसके घरवालों के नोहा की वजह से अज़ाब होगा या नहीं? इमाम बुखारी (रह.) ने इस बाब में उसी इखितलाफ़ पर ये लम्बी

मुहाकमा किया है। उसके बारे में मुसन्निरु (रह.) बहुत सी अहदीष जिक्र करेंगे और एक लम्बी हदीष में जो इस बाब में आणी। दोनों की इस सिलसिले में इखितलाफ़ की तफ़्सील भी मौजूद है। आइशा (रज़ि.) का ख़याल ये था कि मय्यत पर उसके घर वालों के नोहा से अज़ाब नहीं होता क्योंकि हर शख्स सिर्फ़ अपने अमल का जिम्मेदार है। कुआन में खुद है कि किसी पर दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं ला तज़िरु वाज़िरतुं व बिज़्रा उख़रा (अल अन्आम : 164) इसलिये नोहा की वजह से जिस गुनाह के मुर्तकिब मुर्दे के घरवाले होते हैं उसकी जिम्मेदारी मुर्दे पर कैसे डाली जा सकती है?

लेकिन इब्ने उमर (रज़ि.) के पेशे-नज़र ये हदीष थी, 'मय्यत पर उसके घरवालों के नोहा से अज़ाब होता है।' हदीष साफ़ थी और ख़ास मय्यत के लिये लेकिन इसमें एक आम हुक्म बयान हुआ है। आइशा (रज़ि.) का जवाब ये था कि इब्ने उमर (रज़ि.) से ग़लती हुई, आँहुज़ूर (ﷺ) का इशाद एक ख़ास वाक़िऐ के बारे में था। किसी यहूदी औरत का इतिकाल हो गया था। इस पर असल अज़ाब कुफ़्र की वजह से हो रहा था लेकिन मज़ीद इज़ाफ़ा घरवालों के नोहा ने भी कर दिया था कि वो उसके इस्तिहाक़ के ख़िलाफ़ उसका मातम कर रहे थे और ख़िलाफ़े वाक़िआ नेकियों को उसकी तरफ़ मन्सूब कर रहे थे। इसलिये हुज़ूर (ﷺ) ने उस मौक़े पर जो कुछ फ़र्माया वो मुसलमानों के बारे में नहीं था। लेकिन उलमा ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के ख़िलाफ़ हज़रत आइशा (रज़ि.) के इस इस्तिदाल को तस्लीम नहीं किया है। दूसरी तरफ़ इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीष को भी हर हाल में नाफ़िज़ नहीं किया बल्कि उसकी नोक पलक दूसरे शरई उसूल व शवाहिद की रोशनी में दुरुस्त किये गये हैं और फिर उसे एक उसूल की हैषियत से तस्लीम किया गया है।

उलमा ने इस हदीष को जो मुख्तलिफ़ वजहें व तफ़्सीलात बयान की हैं उन्हें हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने तफ़्सील के साथ लिखा है। इस पर इमाम बुखारी (रह.) के मुहाकमे का हासिल ये है कि शरीअत का एक उसूल है। हदीष में है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्उलुन अन रइय्यतिही हर शख्स निगारौ है और उसके मातहतों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। ये हदीष मुतअद्दिद और मुख्तलिफ़ रिवायतों से कुतुबे अहदीष और खुद बुखारी में मौजूद है। ये एक मुफ़्स्सल हदीष है और उसमें तफ़्सील के साथ ये बयान हुआ है कि बादशाह से लेकर एक मा' मूली से मा' मूली ख़ादिम तक राई और निगारौ की हैषियत रखता है और उस सबसे उनकी मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ साहिबे तफ़्हीमुल बुखारी ने एक फ़ाज़िलाना बयान लिखा है जिसे हम शुक्रिया के साथ (तशरीह) में नक़ल करते हैं।

कुआन मज़ीद में है कि कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा (अत् तहरीम : 6) खुद को और अपने घरवालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इमाम बुखारी (रह.) ने इस मौक़े पर वाज़ेह किया है कि जिस तरह अपनी इस्लाह का हुक्म शरीअत ने दिया है उसी तरह अपनी मातहत की इस्लाह का भी हुक्म है, इसलिये उनमें से किसी एक की इस्लाह से ग़फलत तबाहकुन है। अब अगर मुर्दे के घर ग़ैर-शरई नोहा व मातम का रिवाज था लेकिन अपनी ज़िन्दगी में उसने उन्हें उससे नहीं रोका और अपने घर में होने वाले उस मुन्कर पर वाक़िफ़ियत के बावजूद उसने तसाहुल से काम लिया, तो शरीअत की नज़र में वो भी मुजरिम है। शरीअत ने अम्प बिल मअरूफ़ और नही अनिल मुन्कर का एक उसूल बना दिया था। ज़रूरी था कि इस उसूल के तहत अपनी ज़िन्दगी में अपने घरवालों को उससे दूर रखने की कोशिश करता। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो गोया वो खुद उस अमल का सबब बना है। शरीअत की नज़र इस सिलसिले में बहुत दूर तक है। इसी मुहाकमे में इमाम बुखारी (रह.) ने ये हदीष नक़ल की है कि 'कोई शख्स अगर जुल्मन (ज़ालिमाना तौर पर) क़त्ल कर दिया गया है तो उस क़त्ल की एक हद तक जिम्मेदारी आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे (क़ाबिल) पर आइद होती है।' क़ाबिल ने अपने भाई हाबील को क़त्ल कर दिया था। ये रूए ज़मीन पर सबसे पहला ज़ालिमाना क़त्ल था। उससे पहले दुनिया उससे नावाक़िफ़ थी। अब चूँकि इस तरीक़ा-ए-जुल्म की ईजाद सबसे पहले आदम (अलैहिस्सलाम) के बेटे क़ाबिल ने की थी, इसलिये क़यामत तक होने वाले ज़ालिमाना क़त्ल के गुनाह का एक हिस्सा उसके नाम भी लिखा जाएगा। शरीअत के इस उसूल को अगर सामने रखा जाए तो अज़ाब व प्रवाब की बहुत सी बुनियादी गिरहें खुल जाएँ।

हज़रत आइशा (रज़ि.) के बयानकर्दा उसूल पर भी एक नज़र डाल लीजिए। उन्होंने फ़र्माया था कि कुआन ने खुद फ़ैसला कर दिया है कि 'किसी इंसान पर दूसरे की कोई जिम्मेदारी नहीं।' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि मरनेवाले

को क्या इख्तियार है? उसका रिश्ता अब इस आलमे फानी से ख़तम हो चुका है। न वो किसी को रोक सकता है और न उस पर कुदरत है। फिर उस नाकर्दा गुनाह की ज़िम्मेदारी उस पर आइद करना किस तरह सहीह हो सकता है?

इस मौके पर ग़ौर किया जाए तो मा'लूम हो जाएगा कि शरीअत ने हर चीज़ के लिये अगरचे ज़ाब्ते और क़ायदे मुतअय्यन (निर्धारित) किये हैं लेकिन बाज़ औक़ात किसी एक में बहुत से उस्लूल बयक वक़त जमा हो जाते हैं और यहीं से इज्तिहाद की हद शुरू हो जाती है। सवाल पैदा होता है कि ये जुज़ई किस ज़ाब्ते के तहत आ सकती है? और उन मुख्तलिफ़ उस्लूल में अपने मुज्मरात के ए'तिबार से जुज़ई किस उस्लूल से ज़्यादा करीब है? इस मसले में हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने इज्तिहाद से ये फ़ैसला किया था कि मय्यत पर नोह्रा व मातम का मय्यत के बारे कुआन के बयानकर्दा उस उस्लूल के बारे में है कि 'किसी इंसान पर दूसरे की ज़िम्मेदारी नहीं।' जैसा कि हमने तफ़सील से बताया कि आइशा (रज़ि.) के इज्तिहाद को उम्मत ने इस मसले में कुबूल नहीं किया है। इस बाब पर हमने ये तवील नोट इसलिये लिखा कि उसमें रोज़मरा की ज़िन्दगी के बारे में कुछ बुनियादी उस्लूल सामने आए थे। जहाँ तक नोह्रा व मातम का सवाल है उसे इस्लाम उन ग़ौर ज़रूरी और लम्ब हरकतों की वजह से रद्द करता है जो इस सिलसिले में की जाती थीं वना अज़ीज़ व करीब या किसी भी मुता'ल्लिक (सम्बन्धी) की मौत या ग़म कुदरती चीज़ है और इस्लाम न सिर्फ़ उसके इज़हार की इजाज़त देता है बल्कि हदीष से मा'लूम होता है कि कुछ अफ़राद को जिनके दिल में अपने अज़ीज़ो-क़रीब की मौत से कोई ठेस नहीं लगी, आँहुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें सख़्त दिल कहा। ख़ुद हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ज़िन्दगी में कई ऐसे वाकिआत पेश आए जब आप (ﷺ) के किसी अज़ीज़ो-क़रीब की वफ़ात पर आप (ﷺ) का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और आँखों से आंसू छलक पड़े। (तफ़हीमुल बुखारी)

नसूसे शरइया की मौजदूगी में उनके इज्तिहाद काबिले कुबूल नहीं है। ख़वाह इज्तिहाद करने वाला कोई हो। राय और क़यास ही वो बीमारियाँ हैं जिन्होंने उम्मत का बेड़ा ग़र्क कर दिया और उम्मत तक्सीम दर तक्सीम होकर रह गई। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के क़ौल की मुनासिब तौजीह फ़र्मा दी है, वही ठीक है।

1285. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आमिर अक्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अली ने और उनसे अनस बिन मालिक (रह.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) की एक बेटी (हज़रत उम्मे कुलषुम रज़ि.) के जनाजे में हाज़िर थे। (वो हज़रत इम्रान ग़नी रज़ि. की बीबी थीं, जिनका 5 हिजरी में इन्तिक़ाल हुआ) हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) क़ब्र पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आपकी आँखें आँसुओं से भर आई थीं। आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा, क्या तुममें से कोई ऐसा शख़्स भी है कि जो आज की रात औरत के पास न गया हो। इस पर अबू तल्हा (रज़ि.) ने कहा कि मैं हूँ। रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया फिर क़ब्र में तुम उतरो। चुनाँचे वो उनकी क़ब्र में उतरे। (दीगर मक़ाम: 1342)

١٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ لَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذَمَعَانِ، قَالَ فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: ((فَأَنْزِلْ)). قَالَ: فَتَزَلَّ فِي قَبْرِهَا.

[طرفه في: 1342].

तश्रीह:

हज़रत इम्रान (रज़ि.) को आप (ﷺ) ने नहीं उतारा। ऐसा करने से उनको तम्बीह करना मंज़ूर थी। कहते हैं कि हज़रत इम्रान (रज़ि.) ने उस शब में जिसमें हज़रत उम्मे कुलषुम (रज़ि.) ने इन्तिक़ाल फ़र्माया, अपनी एक लौण्डी से सुहबत की थी। आँहज़रत (ﷺ) को उनका ये काम पसंद न आया। (वहीदी)

हज़रत उम्मे कुल्थुम (रज़ि.) से पहले रसूले करीम (ﷺ) की साहबज़ादी हज़रत रुक़य्या (रज़ि.) हज़रत उम्मान (रज़ि.) के अक़द में थीं। उनके इतिक़ाल पर आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत उम्मे कुल्थुम (रज़ि.) से आपका अक़द फ़र्मा दिया जिनके इतिक़ाल पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अगर मेरे पास तीसरी बेटी होती तो उसे भी उम्मान (रज़ि.) ही अक़द में देता उससे हज़रत उम्मान (रज़ि.) की जो वक़अत आँहज़रत (ﷺ) के दिल में थी वो ज़ाहिर है।

1286. हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने ख़बर दी कि उम्मान (रज़ि.) की एक साहबज़ादी (उम्मे उबान) का मक्का में इत्तिक़ाल हो गया था। हम भी जनाजे में हाज़िर हुए। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) भी तशरीफ़ लाए। मैंने उन दोनों हज़रात के दरम्यान बैठा हुआ था या ये कहा कि मैं एक बुजुर्ग के करीब बैठ गया और दूसरे बुजुर्ग बाद में आए और मेरे बाजू में बैठ गए। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उमर बिन उम्मान से कहा (जो उम्मे उबान के भाई थे) रोने से क्यों नहीं रुकते। नबी करीम (ﷺ) ने तो फ़र्माया है कि मरियत पर घरवालों के रोने से अज़ाब होता है।

۱۲۸۶- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: ((تَوَفَّيْتُ ابْنَةَ لِعُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِشَهَدَاتِهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنِي - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَرِ بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)).

1287. इस पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने भी ताईद की कि उमर (रज़ि.) ने भी ऐसा ही फ़र्माया था। फिर आप बयान करने लगे कि मैं उमर (रज़ि.) के साथ मक्का से चला, जब हम बैदा तक पहुँचे तो सामने एक बबूल के पेड़ के नीचे चन्द सवार नज़र पड़े। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि जाकर देखो तो सही ये कौन लोग हैं? उनका बयान है कि मैंने देखा तो सुहैब (रज़ि.) थे। फिर जब इसकी इत्तिला दी तो आपने फ़र्माया कि उन्हें बुला लाओ। मैं सुहैब (रज़ि.) के पास दोबारा आया और कहा कि चलिये अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। चुनाँचे वो ख़िदमत में हाज़िर हुए। (ख़ैर ये क्रिस्सा तो हो चुका) फिर जब हज़रत उमर (रज़ि.) ज़ख्मी किये गये तो सुहैब (रज़ि.) रोते हुए अन्दर दाख़िल हुए। वो कह रहे थे हाय मेरे भाई! मेरे साहब! इस पर उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया सुहैब! तुम मुझ पर रोते हो, तुम नहीं

۱۲۸۷- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَقِصَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ لِنَنْظُرَ مَنْ هَؤُلَاءِ الرُّكْبِ. قَالَ لَنْظُرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اذْغُهُ لِي. فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقِّ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَتَكِي يَقُولُ: وَآخَاهُ وَآصَاحِبَاهُ.

जानते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि मध्यित पर उसके घरवालों के रोने से अज़ाब होता है। (दीगर मक़ाम : 1290, 1292)

1288. इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब उमर (रज़ि.) का इन्तिक़ाल हो गया तो मैंने इस हदीष का ज़िक्र आइशा (रज़ि.) से किया। उन्होंने फ़र्माया रहमत उमर पर हो। अल्लाह की क़सम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये नहीं फ़र्माया है कि अल्लाह मोमिनो पर उसके घरवालों के रोने की वजह से अज़ाब करेगा बल्कि आँहज़रत (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया कि अल्लाह तआला काफ़िर का अज़ाब उसके घरवालों के रोने की वजह से और ज़्यादा कर देता है। इसके बाद कहने लगी कि कुआन की ये आयत तुमको बस करती है कि कोई किसी के गुनाह का ज़िम्मेदार और उसका बोझ उठाने वाला नहीं। इसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उस वक़्त (या'नी उम्मे उबान के जनाजे में) सूरह नज्म की ये आयत पढ़ी और अल्लाह ही हँसाता है और वही रुलाता है। इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि अल्लाह की क़सम! इब्ने अब्बास की ये तक्ररीर सुनकर इब्ने उमर (रज़ि.) ने कुछ जवाब नहीं दिया।

(दीगर मक़ाम : 1289, 3978)

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا صُهَيْبُ! أَنْتَ كَيْفَ عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بَيْتَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ)). [طرفه ب: ١٢٩٠، ١٢٩٢].

١٢٨٨- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ((فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَايَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُ لَعَذَابِ الْمُؤْمِنِ بَيْتَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَوْبَهُ الْكَافِرِ عَذَابًا بِبَيْتَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)), وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: ﴿وَلَا تَرَوْا وَارِدًا وَّزَرَ أَخْرَجِي﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهِ ﴿هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي﴾. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّىٰ.

[طرفاه ب: ١٢٨٩، ٣٩٧٨].

तशरीह: ये आयत सूरह फ़ातिर में है। मतलब इमाम बुखारी (रह.) का ये है। कि किसी शख्स पर ग़ैर के फ़ेअल से सज़ा न होगी मगर हाँ जब उसको भी इस फ़ेअल में एक तरह की शिकत हो। जैसे किसी के खानदान की रस्म रोना पीटना, नोह्ना करना हो और वो उससे मना न कर जाए तो बेशक उसके घरवालों के नोह्ना करने से उस पर अज़ाब होगा। कुछ ने कहा हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीष इस पर महमूल है कि जब मध्यित नोह्ना करने की वसियत कर जाए। कुछ ने कहा कि अज़ाब से ये मतलब है कि मध्यित को तकलीफ़ होती है उसके घरवालों के नोह्ना करने से। इमाम इब्ने तैमिया (रह.) ने इसकी ताईद की है हदीष ला तुक्त्लु नफ़्सुन को खुद इमाम बुखारी (रह.) ने दियात वग़ैरह में वस्ल किया है। उससे इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि नाहक खून कोई और भी करता है तो क़ाबिल पर उसके गुनाह का एक हिस्सा डाला जाता है और उसकी वजह आँहज़रत (ﷺ) ने ये बयान फ़र्माई कि उसने नाहक खून की बिना सबसे पहले कायम की तो उसी तरह जिसके खानदान में नोह्ना करने और रोने पीटने की रस्म है और उसने मना न किया तो क्या अज़ाब है कि नोह्ना करनेवालों के गुनाह का एक हिस्सा इस पर भी डाला जाए और उसको अज़ाब हो। (वहीदी)

1289. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

١٢٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

उन्हें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन अबी बुकैर ने, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें अम्रा बिनत अब्दुर्रहमान ने, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना। आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र एक यहूदी औरत पर हुआ जिस के मरने पर उसके घरवाले रो रहे थे। उस वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये लोग रो रहे हैं, हालाँकि इस को क़ब्र में अज़ाब दिया जा रहा है।

(राजेअ: 1288)

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: ((إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ يَهُودِيَّةً يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلَهَا، فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ يَتَكُونُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ لِي قَبْرَهَا)).

[راجع: ١٢٨٨]

तशरीह: उसके दोनों मा'नी हो सकते हैं या'नी उसके घरवालों के रोने से या उसके कुफ़्र की वजह से दूसरी सूत्र में मत्लब ये होगा कि ये तो इस रंज में हैं कि हमसे जुदाई हो गई और उसकी जान अज़ाब में गिरफ़्तार है। इस हदीष से इमाम बुखारी (रह.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) की अगली हदीष की तफ़्सीर की कि आँहज़रत (ﷺ) की मुराद वो मय्यत है जो काफ़िर हैं लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसको आम समझा और इसी लिये सुहैब (रज़ि.) पर इंकार किया। (वहीदी)

1290. हमसे इस्माईल बिन खलील ने बयान किया, उनसे अली बिन मुस्हिर ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ शैबानी ने, उनसे अबू बुर्दा ने और उनसे उनके वालिद अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) को ज़ख़मी किया गया तो सुहैब (रज़ि.) ये कहते हुए आए, हाथ मेरे भाई! इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि क्या तुझ को मा'लूम नहीं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया है कि मुद्दे को उसके घरवालों के रोने से अज़ाब दिया जाता है। (राजेअ: 1278)

١٢٩٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((لَمَّا أَصِيبَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صَهْتَبٌ يَقُولُ: وَآخَاهُ. فَقَالَ عَمْرُ: أَمَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنْ أَلَمَّتْ لِعَذَابٍ بِنَاءِ الْحَيِّ؟)).

[راجع: ١٢٨٧]

तशरीह: शौकानी (रह.) ने कहा रोना और कपड़े फाड़ना और नोहा करना ये सब काम हुराम है। एक जमाअत सलफ़, जिनमें हज़रत उमर और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हैं, का ये क़ौल है कि मय्यत के लोगों के रोने से मय्यत को अज़ाब होता है और जुम्हूर उलमा उसकी ये तावील करते हैं कि अज़ाब उसे होता है जो रोने की वसियत कर जाए और हम कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) से मुत्तलक़न ये प़ाबित हुआ कि मय्यत पर रोना—पीटन से उसको अज़ाब होता है। हमने आप (ﷺ) के इश्राद को माना और सुन लिया। उस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं करते। इमाम नववी (रह.) ने इस पर इज्माअ नक़ल किया कि जिस रोने से मय्यत को अज़ाब होता है वो रोना पुकार कर रोना और नोहा करना है न कि सिर्फ़ आंसू बहाना। (वहीदी)

बाब 33 : मय्यत पर नोहा करना

मकरूह है

٣٣- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّيَاحَةِ عَلَى

الْمَيِّتِ

और हजरत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, औरतों को अबू सुलैमान (ख़ालिद बिन वलीद) पर रोने दे जब तक वो ख़ाक न उड़ाए और चिल्लाए नहीं। नक्रअ सर पर मिट्टी डालने को और लक़लक़ा चिल्लाने को कहते हैं।

नोहा कहते हैं मय्यत पर चिल्लाकर रोना और उसकी ख़ुबियाँ बयान करना।

1291. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन इबैद ने, उनसे अली बिन रबीआ ने और उनसे मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे कि मेरे मुता'ल्लिक़ कोई झूठी बात कहना आम लोगों से मुता'ल्लिक़ झूठ बोलने की तरह नहीं है, जो शख़्स जानबूझ कर मेरे ऊपर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले और मैंने नबी करीम (ﷺ) से ये भी सुना कि किसी मय्यित पर अगर नोहा व मातम किया जाए तो उस नोहा की वजह से भी उस पर अज़ाब होता है।

1292. हमसे अब्दान अब्दुल्लाह बिन इम्रान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने ख़बर दी, उन्हें शोअबा ने, उन्हें क़तादा ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अपने बाप हजरत उमर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मय्यित को उस पर नोहा किये जाने की वजह से भी क़ब्र में अज़ाब होता है। अब्दान के साथ इस हदीष को अब्दुल अअला ने भी यज़ीद बिन ज़रीअ से रिवायत किया। उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबू अरूबा ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने और आदम बिन अयास ने शोअबा से यू रिवायत किया कि मय्यित पर ज़िन्दा के रोने से अज़ाब होता है (राजेअ: 1278)

बाब : 34

1293. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मेरे वालिद की लाश उहुद के मैदान से लाई गई। (मुश्रिकों

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعَاهُنَّ يَتَكَيَّنَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَفْعَ أَوْ لَقْلَقَةً وَالنَّفْعُ: التَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ.

١٢٩١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ كَذِبًا عَلَى نَسِ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ يَبِحَ عَلَيَّ يُعَذَّبُ بِمَا يَبِحَ عَلَيَّ)).

١٢٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا يَبِحَ عَلَيْهِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِكَيْفِ الْخَبَرِ عَلَيْهِ)).

[راجع: ١٢٨٧]

باب - ٣٤

١٢٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ

ने) आपकी सूरत तक बिगाड़ दी थी। नअश रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने रखी गई। ऊपर से एक कपड़ा ढँका हुआ था, मैंने चाहा कि कपड़े को हटाऊँ, लेकिन मेरी क़ौम ने मुझे रोका। फिर दोबारा कपड़ा हटाने की कोशिश की। इस मर्तबा भी मेरी क़ौम ने मुझको रोक दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से जनाजा उठाया गया। उस वक़्त किसी ज़ोर-ज़ोर से रोने वाले की आवाज़ सुनाई दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये अम्र की बेटी या (ये कहा कि) अम्र की बहन है। (नाम में सुफ़यान को शक हुआ था) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रोती क्यों है? या ये फ़र्माया कि रोओ नहीं कि मलाइका बराबर अपने परों का साया किये रहे हैं जब तक इसका जनाजा उठाया गया। (राजेअ : 1244)

बाब 35 : आँहज़रत का ये फ़र्माना कि गिरेबान चाक करने वाले हम में से नहीं हैं

1294. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान श़ौरी ने, उनसे जुबैन यामी ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्रूद (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह ने फ़र्माया कि जो औरतें (किसी की मौत पर) अपने चेहरे को पीटती और गिरेबान को चाक करती है और जाहिलियत की बातें बकती हैं वो हम में से नहीं है। (दीगर मक़ाम : 1297, 1298, 3519)

या'नी हमारी उम्मत से ख़ारिज हैं। मा'लूम हुआ कि ये हरकत सख़्त नापसंदीदा है।

बाब 36 : नबी करीम (ﷺ) का सअद बिन ख़ौला (रज़ि.) की वफ़ात पर अफ़सोस करना

1295. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें आमिर बिन सअद बिन अबी वक्रकास ने और उन्हें उनके वालिद सअद बिन अबी वक्रकास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जुल-विदाअ के साल (10 हिजरी) मेरी इयादत के लिये तशरीफ़

قَدْ مَلَئَ بِهِ حَتَّى وَضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَجَّيْتُ نَوْبًا فَلَمَقَبْتُ أَرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو - قَالَ: ((فَلِمَ تَبْكِي؟ - أَوْ لَا تَبْكِي -، لِمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَطْلُئُهُ بِأَجْبِئِهَا حَتَّى رُفِعَ)). [راجع: 1244]

35- بابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُبُوبَ

1294- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ الْأَسَدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُبُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

[أطرافه ن: 1297, 1298, 3519].

36- بابُ رِثَاءِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ

1295- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي رِقَابٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْدُمُنِي

लाए। मैं सख्त बीमार था। मैंने कहा मेरा मर्ज़ शिद्दत इखितयार कर चुका है, मेरे पास मालो-अस्बाब बहुत है और मेरी सिर्फ़ एक लड़की है जो वारिष होगी तो क्या मैं अपने दो तिहाई माल को ख़ैरात कर दूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नहीं। मैंने कहा आधा। आपने फ़र्माया नहीं। फिर आपने फ़र्माया कि एक तिहाई कर दो और ये भी बहुत बड़ी ख़ैरात है या बहुत ख़ैरात है अगर तू अपने वारिषों को अपने पीछे मालदार छोड़ जाए तो ये इससे बेहतर होगा कि मुहताजी में उन्हें इस तरह छोड़ जाए कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे, ये याद रखो कि जो खर्च भी तुम अल्लाह की रज़ा की निय्यत से करोगे तो उस पर भी तुम्हें प्रवाब मिलेगा। यहाँ तक कि उस लुक़मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुँह में रखो। फिर मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे साथी तो मुझे छोड़कर (हज्जतुल-विदाअ करके) मक्का से जा रहे हैं और मैं उनसे पीछे रह रहा हूँ। इस पर आँहज़रत ने फ़र्माया कि यहाँ रह कर भी अगर तुम कोई नेक अमल करोगे तो उससे तुम्हारे दर्जे बुलन्द होंगे और शायद अभी तुम ज़िन्दा रहोगे और बहुत से लोगों को (मुसलमानों को) तुमसे फ़ायदा पहुँचेगा और बहुत से लोगों को (कुफ़र व मुर्तदीन को) नुक़सान। (फिर आप ﷺ ने दुआ फ़र्माई) ऐ अल्लाह! मेरे साथियों को हिजरत पर इस्तिक़्लाल अत्रा फ़र्मा और उनके क़दम पीछे की तरफ़ न लौटा। लेकिन मुस्लीबतज़दा सअद बिन ख़ौला थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके मक्का में वफ़ात पा जाने की वजह से इज़्हारे-ग़म किया था।

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِيثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِبَلْتَنِي مَالِي؟ قَالَ: ((لَا)). فَقُلْتُ: بِالشُّطْرِ؟ فَقَالَ: ((لَا)). ثُمَّ قَالَ: ((اللُّتُ وَاللُّتُ كَثِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَنْفِي بِهَا وَحَةَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَخْفَلَ فِي لِي أَمْرَاتُكَ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَلَفْتُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ لِتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمِضْ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. يَرِيثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ)).

तशरीह: इस मौक़े पर हज़ूर अकरम (ﷺ) ने इस्लाम का वो ज़री (सुनहरा) उसूल बयान किया है जो इज्तिमाई ज़िन्दगी की जान है। अह्दादीष के ज़ख़ीरे में इस तरह की अह्दादीष की कमी नहीं है और उससे हमारी शरीअत के मिज़ाज का पता चलता है कि वो अपनी इत्तिबाअ करने वालों से किस तरह की ज़िन्दगी का मुतालबा करती है। अल्लाह तआला खुद शारेअ हैं और उसने अपनी तमाम दूसरी मख़लूक़ात के साथ इंसानों को भी पैदा किया है। इसलिये इंसान की तबीयत में फ़ित्ती तौर पर जो रुज़्हानात और स़लाहियतें मौजूद हैं अल्लाह तआला अपने अहक़ाम व अवामिर में उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करता। शरीअत में मुआद व मुआश के बारे में जिन अहक़ाम अमल करने का हमसे मुतालबा किया गया है, उनका मक़्सद ये है कि अल्लाह की इब्दादत उसकी रज़ा के मुताबिक़ हो सके और ज़मीन में शरो-फ़साद न फैले। अहलो-अयाल पर खर्च करने की अहमियत और उस पर अज़्रो-प्रवाब का इस्तिहक़ाक़ स़िलारहमी और ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत के पेशे-नज़र है कि जिन पर मुआशारे की स़लाह व बक़ा का मदार है। हदीष का ये हिस्सा कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के मुँह में लुक़मा दे तो उस पर भी अज़्रो-प्रवाब मिलेगा इसी बुनियाद पर है। कौन नहीं जानता कि उसमें ख़ित्त-ए-नफ़्स भी है। लेकिन अगर अज़दवाजी ज़िन्दगी के ज़रिये मुसलमान इस ख़ानदानी निज़ाम को परवान चढ़ाता है जिसकी तर्तीब इस्लाम ने दी और उसके मुक्तज़ियात पर अमल की कोशिश करता है तो क़ज़ा-ए-शहवत (इच्छाओं का दमन) भी अज़्रो-प्रवाब का बाअिष है।

शैख नववी (रह.) ने लिखा है कि ख़िन्न-ए-नफ़स अगर हक़ के मुताबिक़ हो तो अज़्रो-प्रवाब में उसकी वजह से कोई कमी नहीं होती। मुस्लिम में इस सिलसिले की एक हदीष बहुत ज़्यादा वाजेह है, आँहज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हारी शर्मगाह में स़दका है। स़हाबा (रिज़.) ने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या हम अपनी शहवत भी पूरी करें और अज़्र भी पाएँगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ! क्या तुम इस पर ग़ौर नहीं करते कि अगर हराम में मुब्तला हो गए तो फिर क्या होगा? उससे समझा जा सकता है कि शरीअत हमें किन हूद में रखना चाहती है और उसके लिये उसने क्या-क्या जतन किये हैं और हमारे कुछ फ़ित्री रुज़हानात (प्राकृतिक आकर्षणों और भावनाओं) की वजह से जो बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो सकती थीं, उनके स़दे-बाब (निराकरण) की किस तरह कोशिश की है।

ह्राफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) ने लिखा है कि इसके बावजूद कि बीबी के मुँह में लुक़मा देने और दूसरे तरीकों से ख़र्च करने का दाइया नफ़आनी और शह्वानी भी है। ख़ुद ये लुक़मा जिस जिस्म का हिस्सा बनेगा शौहर उसी से मुन्तफ़अ (फ़ायदा) उठाता है लेकिन शरीअत की तरफ़ से फिर भी अज़्रो-प्रवाब का वा'दा है। इसलिये अगर दूसरों पर ख़र्च किया जाए जिनसे कोई निस्बत व क़राबत नहीं और जहाँ ख़र्च करने के लिये कुछ ज़्यादा मुजाहदे की भी ज़रूरत होगी तो उस पर अज़्रो-प्रवाब किस क़दर मिल सकता है। ताहम ये याद रहे कि हर तरह के ख़र्च अख़राजात में मुक़द्दम अइज़्जा व अक़रबा (क़रीब लोग) हैं और फिर दूसरे लोग कि अइज़्जा पर ख़र्च करके आदमी शरीअत के कई मुतालबों को एक साथ पूरा करता है।

सअद बिन ख़ौला (रज़ि.) मुहाजिरीन में से थे लेकिन आपकी वफ़ात मक्का में हो गई थी। ये बात पसंद नहीं की जाती थी कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से ता'ल्लुक़ की वजह से और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिये हिज़रत की थी वो बिला किसी सख़्त ज़रूरत के मक्का में क़याम करें। चुनाँचे सअद बिन वक्कास (रज़ि.) मक्का में बीमार हुए तो वहाँ से जल्द निकल जाना चाहा कि कहीं वफ़ात न हो जाए और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी सअद बिन ख़ौला (रज़ि.) पर इसलिये इज़्हारे ग़म किया था कि मुहाजिर होने के बावजूद उनकी वफ़ात मक्का में हो गई। इसी के साथ आप (ﷺ) इसकी भी दुआ की कि अल्लाह तआला स़हाबा को हिज़रत पर इस्तिक़्लाल अत्ता फ़र्माए। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि ये नुक़सान किस तरह का होगा क्योंकि ये तक्वीनियात के बारे में है। (तफ़हीमुल बुखारी)

बाब का तर्जुमा रफ़ाअ से वही इज़्हारे अफ़सोस, रंजो-ग़म मुराद है न कि मर्षिया पढ़ना। मर्षिया उसको कहते हैं कि मय्यत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किये जाएँ और लोगों को बयान करके रुलाया जाए। ख़्वाह वो नज़म हो या नज़्र ये तो हमारी शरीअत में मना है। ख़ुसूसन लोगों को जमा करके सुनाना और रुलाना। इसकी मुमानअत में किसी का इख़ितलाफ़ नहीं है। स़हीह हदीष में वारिद है जिसको अहमद और इब्ने माजा ने निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने मर्षिया से मना फ़र्माया।

सअद (रज़ि.) का मतलब ये था कि और स़हाबा तो आप (ﷺ) के साथ मदीना तय्यिबा रवाना हो जाएँगे और मैं मक्का ही में पड़े-पड़े मर जाऊँगा। आप (ﷺ) ने पहले गोल-मोल फ़र्माया जिससे सअद (रज़ि.) ने मा'लूम कर लिया कि मैं इस बीमारी से मरूँगा नहीं। फिर आगे स़ाफ़ फ़र्माया कि शायद तू ज़िन्दा रहेगा और तेरे हाथ से मुसलमानों को फ़ायदा और काफ़िरों का नुक़सान होगा। इस हदीष में आप (ﷺ) का एक बड़ा मोअजज़ा है। जैसी आपकी पेशानगोई थी वैसा ही हुआ, सअद (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद मुद्त तक ज़िन्दा रहे। इराक और ईरान उन्होंने ही फ़तह किया। (वहीदी)

बाब 37 : ग़म के वक़्त सर मुण्डाने की मुमानअत

1296. और हक़म बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन हम्ज़ा ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन जाबिर ने कि क़ासिम बिन मुख़ैमिरा ने उनसे बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू बुर्दा बिन अबू मूसा ने बयान किया कि अबू

۳۷- بَابُ مَا يُنْهَىٰ عَنِ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

۱۲۹۶- وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ حَمَّوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مَخْمُومَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:

मूसा अशअरी (रज़ि.) बीमार पड़े, ऐसे कि उन पर गश तारी थी और उनका सर उनकी एक बीवी उम्मे अब्दुल्लाह बिनत रूमैया की गोद में था (वो एक ज़ोर की हिचकी मार कर रोने लगी) अबू मूसा (रज़ि.) उस वक़्त कुछ बोल न सके। लेकिन जब उनको होश हुआ तो उन्होंने फ़र्माया कि मैं भी उस काम से बेज़ार हूँ, जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेज़ारी का इज़हार फ़र्माया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (किसी ग़म के वक़्त) चिल्लाकर रोने वाली, सर मुण्डाने वाली, गिरेबान चाक करने वाली औरतों से अपनी बेज़ारी का इज़हार फ़र्माया था।

मा'लूम हुआ कि ग़मी में सर मुँडाना गिरेबान चाक करना और चिल्लाकर नोहा करना ये जुम्ला हरकतें हराम हैं।

बाब 38 : रुख़सार पीटने वाली हम में से नहीं है

(या'नी हमारी उम्मत से ख़ारिज है)

1297. हमसे मुहम्मद बिन बशशार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन महदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान शौरी ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुरह ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्रूद (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़स (किसी मय्यित पर) अपने रुख़सार पीटे, गिरेबान फाड़े और अहदे-जाहिलियत की सी बातें करे वो हम में से नहीं है। (राजेअ: 1294)

जो लोग एक लम्बे असें पहले शहीद हो चुके बुजुर्गों पर सीना-कूबी करते हैं वो ग़ौर करें कि वो किस तरह आँहज़रत (ﷺ) की शरीअत से बगावत कर रहे हैं।

बाब 39 : इस बारे में कि मुस्लीबत के वक़्त जाहिलियत की बातें और वावेला करने की मुमानअत है

1298. हमसे अम्र बिन हफ़स ने बयान किया, उनसे उनके बाप हफ़स ने और उनसे आ'मश ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मुरह ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो (किसी की मौत पर) अपने रुख़सार पीटे, गिरेबान चाक करे और जाहिलियत की

حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَجَعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا لَفْشِيًّا عَلَيْهِ، وَرَأَسُهُ فِي حَجَرٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: أَنَا بَرِيءَةٌ مِمَّنْ بَرِيَءٌ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيَءٌ مِنَ الصَّالِفَةِ وَالْحَالِفَةِ وَالشَّالِفَةِ)).

۳۸- بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الْخُدُودَ

۱۲۹۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). [راجع: ۱۲۹۴]

۳۹- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ
وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

۱۲۹۸- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ،

बातें करे वो हम में से नहीं है। (राजेअ : 1294)

وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

[راجع: 1294]

या'नी उसका ये अमल उन लोगों जैसा है जो गैर मुस्लिम हैं या ये कि वो हमारी उम्मत से खारिज हैं। बहरहाल इससे भी नोहा की हुर्मत प्राबित होती है।

बाब 40 : जो शख्स मुस्लीबत के वक्त ऐसा बैटे कि वो गमगीन दिखाई दे

1299. हमसे मुहम्मद बिन मुप्त्रना ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहहाब ने बयान किया, कहा कि मैंने यह्या से सुना, उन्होंने कहा कि मुझे अग्र ने खबर दी, कहा कि मैंने आइशा (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) को ज़ैद बिन हारिषा, जा'फ़र और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) की शहादत की खबर (गज़व-ए-मूता में) मिली, तो आप (ﷺ) उस वक्त इस तरह तशरीफ़ फ़र्मा थे कि ग़म के आषार आपके चेहरे पर ज़ाहिर थे। मैं दरवाजे के सुराख से देख रही थी। इतने में एक साहब आए और जा'फ़र (रज़ि.) के घर की औरतों के रोने का ज़िक्र किया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें रोने से मना कर दे। वो गये लेकिन वापस आकर कहा कि वो तो नहीं मानती। आपने फिर फ़र्माया कि उन्हें मना कर दे। अब वो तीसरी मर्तबा वापस हुआ और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम अल्लाह की, वो हम पर ग़ालिब आ गई हैं। (अग्र ने कहा कि) हज़रत आइशा (रज़ि.) को यक़ीन हुआ कि (उनके इस कहने पर) रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उनके मुँह में मिट्टी झोंक दे। इस पर मैंने कहा तेरा बुरा हो, नबी करीम (ﷺ) अब जिस काम का हुक्म दे रहे हैं वो तो करोगे नहीं, लेकिन आप (ﷺ) को तकलीफ़ में डाल दिया।

(दीगर मक़ाम : 1305, 4262)

तशरीह : आप (ﷺ) ने औरतों का बाज़ न आने पर सख़्त नाराज़गी का इज़हार फ़र्माया और गुस्से में कहा कि उनके मुँह में मिट्टी झोंक दो। आप (ﷺ) खुद भी बेहद ग़मगीन थे। बाब का यही मक़सद है।

1300. हमसे अग्र बिन अली ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, उनसे आसिम अहवल ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि जब कारियों की एक जमाअत शहीद कर दी गई तो रसूले-करीम (ﷺ) एक महीना तक कुनूत पढ़त

٤٠ - بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو قَالَ: سَمِعْتُ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا جَاءَ

النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ ابْنَ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنَ

رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ

مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقَّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ

فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ

- فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ

الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِغْنَهُ، فَقَالَ: أَنَّهُنَّ، فَأَتَاهُ

الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللَّهِ غَلَبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَرَعَمْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ لِي أَفْوَاهِي

الْتِرَابِ. فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، لَمْ

تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ تَتْرَكَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّعَاءِ.

[طرفه ب: 1300, 4262]

١٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

الْأَخُوْلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

रहा मैंने आँहजरत को कभी नहीं देखा कि आप (ﷺ) उन दिनों से ज़्यादा कभी गमगीन रहे हों। (राजेअ : 1001)

﴿رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قِيلَ الْقُرَاءُ : فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزَنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ﴾. [راجع: 1001]

तशरीह :

ये शुहदा-ए-किराम कारियों की एक मुअज्जतरीन जमाअत थी जिसमें 70 लोग थे। हज़रत मौलाना शौखुल हदीष उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी (रह.) के लफ़्ज़ों में इस जमाअत का तआरुफ़ ये है, व कानू मिन औजाइन्नासि यन्जिलूनस्सुफ़फ़त यतफ़क्रक़हूनलइल्म व यतअल्लमूनलकुआन व कानू रिदाअल्लिल्मुस्लिमीन इज़ा नजलत बिहिम नाजिलतुन व कानू हक्कन अम्मारुल्मस्जिदि व लुयूषल्मलाहिमि बअषहुम रसूलुल्लाहि (ﷺ) इला अहलि नजद मिम्बनी आमिर लियदरुहुम इललइस्लाम व यक्ऊ अलैहिमुल कुआन फ़लम्मा नज़लू बिअर मऊनत क़सदहुम आमिरूब्नु तुफ़ैल फ़ी अहयाइम्मिम बनी सुलैम व हुम रअल व जकवान व इसिय्या फ़क्रातिलुहुम (फ़असीबू) अय फ़कतलूहुम जमीअन व कील व लम मिन्हुम इल्ला कअब बिन जैद अलअन्सारी फ़इन्नहू तखल्लस व बिही रमकुन व जन्नू अन्नहू मात फ़आश हत्ता उस्तुशहिद यौमल्खन्दक्रि व असर्र अम् बिन उमिय्या अज़्ज़मी व कान ज़ालिक फिस्सनतिराबिअति मिनल्हिजरति अय फ़ी सफ़र अला रासि अर्बअत अशहुर मिन उहुद फहज़िन रसूलुल्लाहि (ﷺ) हुजन्न शदीदा क़ाल अनस मा राइतु रसूलुल्लाहि (ﷺ) वजद अला अहदिम्मा वजद अलैहिम (मिअत, जिल्द 2, पेज 222)

या'नी कुछ अइहाबे सुफ़फ़ा में से ये बेहतरीन अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जो कुआने पाक और दीनी इलूम में महारत हासिल रखते थे और ये वो लोग थे कि मस्ज़ीबतों के वक़्त उनकी दुआएँ अहले इस्लाम के लिये पुशतपनाही का काम देती थी। ये लोग मस्जिदे नबवी के हकीफ़ी तौर पर आबाद करने वाले अहले हक़ लोग थे जो जंगो-जिहाद के मौक़ों पर बहादुर शेरों की तरह मैदान में काम किया करते थे। उन्हें हुज़ूर (ﷺ) ने अहले नजद के कबीला बनू आमिर में तब्लीगे इस्लाम और ता'लीमे कुआन मजीद के लिये रवाना किया था। जब ये बीरे मऊना के पास पहुँचे तो आमिर बिन तुफ़ैल नामी एक गद्दार ने रअल और ज़कवान नामी कबीलों के बहुत से लोगों को साथ लेकर उन पर हमला कर दिया और ये सब वहाँ शहीद हो गए, जिनका रसूले करीम (ﷺ) को इस क्रूर सदमा हुआ कि आप (ﷺ) ने पूरे एक माह तक कबीले रअल और ज़कवान के लिये कुनूते नाज़िला पढ़ी। ये सन चार हिजरी का वाक़िआ है। कहा गया है कि उनमें से सिर्फ़ एक बुजुर्ग कअब बिन जैद अन्सारी (रज़ि.) किसी तरह बच निकले जिन्हें ज़ालिमों ने मुर्दा समझकर छोड़ दिया था। ये बाद तक ज़िन्दा रहे यहाँ तक कि जंगे खंदक में शहीद हो गए। अल्लाह इनसे राज़ी हो, आमीन।

बाब 41 : जो शख़्स मुस्ज़ीबत के वक़्त (अपने नफ़्स पर ज़ोर डालकर) अपना रंज़ ज़ाहिर करे

٤١- بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

और मुहम्मद बिन कअब करज़ी ने कहा कि जज़अ उसको कहते हैं कि बुरी बात मुँह से निकालना और परवरदिगार से बदगुमानी करना, और हज़रत यअकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तो इस बेकरारी और रंज़ का शिकवा अल्लाह ही से करता हूँ। (सूरह यूसुफ़)

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ : الْحَزْءُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ وَقَالَ يَتَقَوَّبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

1301. हमसे बिशर बिन हकम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा ने बयान किया, कि उन्होंने अनस

١٣٠١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ

बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आप ने बतलाया कि अबू तलहा (रज़ि.) का एक बच्चा बीमार हो गया, उन्होंने कहा कि उसका इन्तिकाल भी हो गया। उस वक़्त अबू तलहा घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी (उम्मे सुलैम) ने जब देखा कि बच्चे का इन्तिकाल हो गया तो उन्होंने कुछ खाना तैयार किया और बच्चे को घर के एक कोने में लिटा दिया। जब अबू तलहा (रज़ि.) तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा कि बच्चे की तबियत कैसी है? उम्मे सुलैम ने कहा कि उसे आराम मिल गया है और मेरा ख़याल है कि अब वो आराम ही कर रहा होगा। अबू तलहा (रज़ि.) ने समझा कि वो सहीह कह रही है। (अब बच्चा अच्छा है) फिर अबू तलहा ने उम्मे सुलैम के पास रात गुज़ारी और जब सुबह हुई तो गुस्ल किया, लेकिन जब बाहर जाने का इरादा किया तो बीवी (उम्मे सुलैम) ने इज़्जिला दी कि बच्चे का इन्तिकाल हो चुका है। फिर उन्होंने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी और आपसे उम्मे सुलैम का हाल बयान किया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि शायद अल्लाह तआला तुम दोनों को इस रात में बरकत अता फ़र्माएगा। सुफ़यान बिन इययना ने बयान किया कि अन्सार के एक शख़्स ने बताया कि मैंने अबू तलहा (रज़ि.) की उन्हीं बीवी से नौ बेटे देखे जो सब के सब कुआन के आलिम थे। (दीगर मक़ाम : 5470)

بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((اشْتَكَى ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَنَّ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارَجَ. فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ مَيَاتَ شَيْئًا وَنَحْتَهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغَلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَاتُ نَفْسَهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاخَ. وَظَنُّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. قَالَ قَبَاتٌ. فَلَمَّا اصْتَبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا)). قَالَ سَفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهَا بِسَعَةِ أَوْلَادٍ كُلَّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

[طرفه بی: ۵۴۷۰.]

तशरीह: हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) की नेकतरीन, सालिहा, साबिरा बीवी के कहने का मतलब ये था कि बच्चे का इन्तिकाल हो गया है और अब वो पूरे सुकून के साथ लेटा हुआ है। लेकिन हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने ये समझा कि बच्चे को इफ़ाका हो गया है और अब वो आराम से सो रहा है। इसलिये वो खुद भी आराम से सो गए, ज़रूरत से फ़ारिग हुए और बीवी के साथ हमबिस्तर भी हुए और इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने बरकत की बशारत दी। ये कि उनके ग़ैर-मा' मूली सब्र व ज़ब्त और अल्लाह तआला की हिकमत पर कामिल यकीन का प्रमा था। बीवी की इस अदा-शनासी पर कुर्बान जाईए कि किस तरह उन्होंने अपने शौहर को एक ज़ेहनी कोफ़्त से बचा लिया।

मुहहिष अली बिन मदीनी ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के उन नौ लड़कों के नाम नक़ल किये हैं जो सब आलिमे कुआन हुए और अल्लाह ने उनको बड़ी तरक्की अता की। इस्हाक़, इस्माईल, यअकूब, इमैर, उमर, मुहम्मद, अब्दुल्लाह, अज़ीज़ और क़ासिम। इन्तिकाल करने वाले बच्चे को अबू इमैर कहते थे। आँहज़रत (ﷺ) उसको प्यार से फ़र्माया करते थे अबू इमैर तुम्हारी नगीर या'नी चिड़िया कैसी है? ये बच्चा बड़ा खूबसूरत और वजीह था। अबू तलहा (रज़ि.) उससे बड़ी मुहब्बत किया करते थे। बच्चे की माँ उम्मे सुलैम के इस्तिक्लाल को देखिए कि मुँह पर त्यौरी न आने दी और रंज को ऐसा छुपाया कि अबू तलहा (रज़ि.) समझे कि वाकिई बच्चा अच्छा हो गया है। फिर ये देखिए कि उम्मे सुलैम ने बात भी ऐसी कही कि झूठ न हो क्योंकि मौत दरहकीकत राहत है। वो मा'सूम जान थी उसके लिये तो मरना आराम ही आराम था। इधर बीमारी की तकलीफ़ गई, उधर दुनिया के फ़िक्रों से जो मुस्तक़्बल में होते, नजात पाई। बाब का तर्जुमा यहीं से निकलता है कि उम्मे सुलैम ने रंज और सदमे को पी लिया बिलकुल ज़ाहिर न होने दिया।

दूसरी रिवायत में यँ है कि उम्मे सुलैम ने अपने शौहर से कहा कि अगर कुछ लोग आरियत (उधार) की चीज़ लें फिर

वापस देने से इंकार करें तो कैसा है? इस पर अबू तलहा (रज़ि.) बोले कि हर्गिज़ इंकार न करना चाहिये। बल्कि आरियत की चीज़ वापस कर देना चाहिये, तब उम्मे सुलैम ने कहा कि ये बच्चा भी अल्लाह की अमानत था। आपको आरियतन मिला हुआ था, अल्लाह ने उसे ले लिया तो आपको रंज नहीं होना चाहिये। अल्लाह ने उनको सब्र व इस्तिक्लाल के बदले नौ लड़के अत्ता किये जो सब आलिमे कुर्आन हुए। सच है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।

बाब 42 : सब्र वही है जो मुसीबत आते ही किया जाए

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि दोनों तरफ़ के बोझ और बीच का बोझ क्या ही अच्छे हैं। या'नी सूरह बक्र की एक आयत में खुशख़बरी सुनो, सब्र करने वालों को जिन को मुसीबत आती है तो कहते हैं हम सब अल्लाह ही की मिल्क हैं और अल्लाह के पास लौट कर जाने वाले हैं। ऐसे लोगों पर उनके मालिक की तरफ़ से शाबाशियाँ हैं और मेहरबानियाँ और यही लोग रास्ता पाने वाले हैं। और अल्लाह ने सूरह बक्र में फ़र्माया सब्र और नमाज़ से मदद माँगो और वो नमाज़ बहुत मुश्किल है मगर अल्लाह से डरने वालों पर मुश्किल नहीं।

1302. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उनसे श्राबित ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने अनस (रज़ि.) से सुना, आप नबी करीम (ﷺ) के हवाले से नक़ल करते थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सब्र तो वही है जो स़दमे के शुरू में किया जाए। (राजेअ: 1252)

तशरीह: बाब के तर्जुमा में हज़रत उमर (रज़ि.) के इशार्द का मतलब ये है कि आपने मुसीबत के वक़्त सब्र की फ़ज़ीलत बयान की कि उससे साबिर बन्दे पर अल्लाह की रहमतें होती हैं और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ मिलती है। हज़रत उमर (रज़ि.) वाले क़ौल को हाकिम ने मुस्तदरक में वसूल किया है हज़रत उमर (रज़ि.) ने स़ल्वात और रहमत को जानवर के दोनों तरफ़ के बोझे क़रार दिया और बीच का बोझ जो पीठ पे रहता है उसे उलाइक़ हुमुल मुहतदून से ता'बीर किया है। पीछे बयान हुआ कि एक औरत क़ब्र पर बैठी हुई रो रही थी आपने उसे मना किया तो वो ख़फ़ा हो गई। फिर जब उसको आपके बारे में पता चला तो वो दौड़ी हुई मअज़रत-ख़वाही के लिये चली आई। उस वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब क्या रखा है सब्र तो मुसीबत के शुरू ही में हुआ करता है।

बाब 43 : नबी करीम (ﷺ) का फ़र्माना कि ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी जुदाई पर ग़मगीन हैं

और इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया कि (आप ﷺ ने फ़र्माया) आँख आँसू बहाती है और दिल ग़म से निढाल है।

٤٢- بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نِعَمَ الْمِدْلَانِ وَنِعَمَ الْعِلَاوَةِ: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا تَعَيَّنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾.

١٣٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى)). [راجع: ١٢٥٢]

٤٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ))

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((تَلْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ)).

1303. हमसे हसन बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यहाा बिन हस्सान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे कुरैश ने जो हय्यान के बेटे हैं, ने बयान किया और उनसे प्राबित ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अबू यूसुफ़ लोहार के यहाँ गये। ये इब्राहीम (रसूलुल्लाह ﷺ के साहबजादे) को दूध पिलाने वाली आया के खाविन्द थे। आँहज़रत ने इब्राहीम (रज़ि.) को गोद में लिया और प्यार किया और सूँघा। फिर इसके बाद हम उनके यहाँ घर गये। देखा कि उस वक़्त इब्राहीम (रज़ि.) दम तोड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखें आँसुओं से भर आईं तो अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) बोल पड़े कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप भी लोगों कि तरह बेसब्री करने लगे? हुज़ुरे-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने औफ़! ये बेसब्री नहीं, ये तो रहमत है। फिर आप (ﷺ) दोबारा रोए और फ़र्माया, आँखों से आँसू जारी है और दिल ग़म से निढाल है, पर ज़बान से हम कहेंगे वही जो हमारे परवरदिगार को पसन्द है और ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी जुदाई से ग़मगीन हैं। इस हदीष को मूसा बिन इस्माइल ने सुलैमान बिन मुगीरा से, उनसे प्राबित ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

۱۳۰۳ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيِّفٍ الْقَيْنِ - وَكَانَ ظَفِرًا لِإِبْرَاهِيمَ - فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ - وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ - فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَرَفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)). ثُمَّ أَتَيْتُهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَخْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ)). رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये बतलाना चाहते हैं कि इस तरह आँखों से आंसू निकल आएँ और दिल ग़मगीन हो और जुबान से कोई अल्फ़ाज़ अल्लाह की नाराज़गी का न निकले तो ऐसा रोना बेसब्री नहीं ये आँसू रहमत हैं और ये भी प्राबित हुआ कि मरने वाले को मुहब्बत आमेज़ लफ़ज़ों से मुखातब करके उसके हक़ में कलिम-ए-ख़ैर कहना चाहिये। आँहज़रत (ﷺ) के ये साहबजादे मारिया क़िब्तिया (रज़ि.) के बतन से पैदा हुए थे जो मशिय्यते ऐज़दी के तहत हालते शीर-ख़्वारगी (दूध पीने की उम्र में) ही में इतिक़ाल कर गए। (रज़ियल्लाहु अन्हु व अज़ाहा)

बाब 44 : मरीज़ के पास रोना कैसा है?

1304. हमसे अस्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने कहा कि मुझे ख़बर दी अम्र बिन हारिष ने, उन्हें सईद बिन हारिष अन्सारी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि सअद बिन इबादा (रज़ि.) किसी मर्ज़ में मुब्तला हुए। नबी करीम (ﷺ) इयादत के लिये अब्दुरहमान बिन औफ़, सअद बिन अबी वक्रकास और

۴۴ - بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ ۱۳۰۴ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَجُودُهُ

अब्दुल्लाह बिन मस्कूद (रज़ि.) के साथ उनके यहाँ तशरीफ़ ले गये। जब आप (ﷺ) अन्दर रह गये तो तीमारदारों के हुजूम में उन्हें पाया। आप (ﷺ) ने दरयाफ्त फ़र्माया कि क्या वफ़ात हो गई? लोगों ने कहा नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! नबी करीम (ﷺ) (उनकी मर्ज़ की शिद्दत को देखकर) रो पड़े। लोगों ने जो रसूले-अकरम (ﷺ) को रोते देखा तो वो सब भी रोने लगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सुनो! अल्लाह तआला आँखों से आँसू निकलने पर अज़ाब नहीं करेगा और न दिल के ग़म पर। हाँ इसका अज़ाब, इस वजह से होता है, आप (ﷺ) ने ज़बान की तरफ़ इशारा किया (और अगर इस ज़बान से अच्छी बात निकले तो) ये इसकी रहमत का भी बाइस बनती है और मय्यित को उसके घरवालों के नोहा व मातम की वजह से भी अज़ाब होता है। हज़रत उमर (रज़ि.) मय्यित पर मातम करने पर डण्डे से मारते, फिर चीखने और रोने वालों के मुँह में मिट्टी झोंक देते।

مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ أَهْلِهِ فَقَالَ : ((لَمَّا قَضَى؟)) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بَيْكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوا. فَقَالَ: ((أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِمَنْعِ الْقَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا)) - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَوْحَمَ. وَإِنْ أَلَمَّتْ يُعَذِّبُ بِبَيْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). وَكَانَ غَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَخْشِي بِالْتُّرَابِ.

तशरीह: फ़वजदहू फ़ी गाशियते अहलिही का तर्जुमा कुछ ने यूँ किया है देखा तो वो बेहोश हैं और उनके चारों ओर लोग जमा हैं। आपने लोगों को इकट्ठा देखकर ये गुमान किया कि शायद सअद (रज़ि.) इंतिकाल कर गए। आपने जुबान की तरफ़ इशारा करके ज़ाहिर फ़र्माया कि यही जुबान बाअिप्पे रहमत है अगर उससे कलिमाते ख़ैर निकलें और यही बाअिप्पे अज़ाब है अगर उससे बुरे अल्फ़ाज़ निकाले जाएँ। इस हृदीष से हज़रत उमर (रज़ि.) के जलाल का भी इज़हार हुआ कि आप ख़िलाफ़े शरीअत रोने-पीटने वालों पर इतिहाई सरख़ती फ़र्माते। फ़िल वाक़ेअ अल्लाह ताक़त दे तो शरई अवामिर व नवाही के लिये पूरी ताक़त से काम लेना चाहिये।

हज़रत सअद (रज़ि.) बिन उबादा अंसारी ख़ज़रजी (रज़ि.) बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। इक़ब-ए-प्रानिया में शर्फुल इस्लाम से मुशरफ़ हुए। उनका शुमार बारह नक्बामे है। अंसार के सरदारों में से थे और शान व शौकत में सबसे बढ़-चढ़कर थे। बद्र की मुहिम के लिये आँहज़रत (ﷺ) ने जो मुशावराती इज्लास तलब फ़र्माया था उसमें हज़रत सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपका इशारा हमारी तरफ़ है। अल्लाह की क़सम! अगर आप (ﷺ) हम अंसार को समुन्दर में कूदने का हुक्म फ़र्माएँगे तो हम उसमें भी कूद पड़ेंगे और अगर ख़ुश्की में हुक्म फ़र्माएँगे तो हम वहाँ भी ऊँटों के कलेजे पिघला देंगे। आपकी इस पुरजोश तक्रीर से नबी करीम (ﷺ) बेहद ख़ुश हुए। अक़भर ग़ज़वात में अंसार का झण्डा आप ही के हाथों में रहता था। सख़ावत में उनका कोई पानी नहीं था। ख़ास तौर पर अस्ह़ाबे सुफ़फ़ा पर आपके जूदो करम की बारिश बक़रत बरसा करती थी। नबी करीम (ﷺ) को आपसे बेइतिहा मुहब्बत थी। उसी वजह से आपकी बीमारी में हज़ूर (ﷺ) आपकी इयादत के लिये तशरीफ़ लाए तो आपकी बीमारी की तकलीफ़देह हालत देखकर हज़ूर (ﷺ) की आँखों से आंसू जारी हो गए। 15 हिजरी में बज़माना ख़िलाफ़ते फ़ारूकी सरज़मीने शाम में बमुक़ाम हौरान आपकी शहादत इस तरह हुई कि किसी दुश्मन ने नअश मुबारक को गुस्लख़ाने में डाल दिया। इंतिकाल के वक़्त एक बीवी और तीन बेटे आपने छोड़े और हौरान ही में सुपुर्दे ख़ाक किये गये। (रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहा)

करना और उस पर झिड़कना चाहिये

1305. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहहाब प्रक़फ़ी ने, उनसे यह्या बिन सईद अन्सारी ने, कहा कि मुझे अम्रा बन्ते अब्दुरहमान अन्सारी ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, आप ने फ़र्माया कि जब ज़ैद बिन हारिषा, जा'फ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) की शहादत की ख़बर आई तो हज़ुरे-अकरम (ﷺ) इस तरह बैठे की ग़म के आघार आपके चेहरे पर नुमाँया थे। मैं दरवाज़े के एक सुराख़ से आप (ﷺ) को देख रही थी। इतने में एक साहब आए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! जा'फ़र (रज़ि.) के घर की औरतें नोहा और मातम कर रही हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने उन्हें न रोने के लिये कहा। वो साहब गये, लेकिन फिर वापस आ गये और कहा कि वो नहीं मानती। आपने दोबारा रोकने के लिये भेजा। वो गये और फिर वापस चले आए। कहा कि अल्लाह की क़सम! वो तो मुझ पर ग़ालिब आ गई हैं या ये कहा कि हम पर ग़ालिब आ गई हैं। शक मुहम्मद बिन हौशब को था। (आइशा रज़ि. ने बयान किया कि) मेरा यक़ीन ये है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उनके मुँह में मिट्टी झाँक दे। इस पर मेरी ज़बान से निकला कि अल्लाह तेरी नाक ख़ाकआलूद करे तू न तो वो काम कर सका जिसका आँहज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया था और न आपको तकलीफ़ देना छोड़ता है। (राजेअ : 1299)

وَالْبُكَاءِ، وَالزُّجْرَ عَنْ ذَلِكَ

۱۳۰۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْسِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي عُمَرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ - وَأَنَا أَطَّلَعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يَطِيعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَنِي - أَوْ غَلَبْنَا، الشُّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْسِبٍ - فَزَعَمَتْ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((فَاخْتُ فِي أَوَاهِيهِنَّ التُّرَابَ)). فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، فَوَ اللَّهُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، وَمَا تَرَحَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ. [راجع: ۱۲۹۹]

तशरीह:

ज़ैद बिन हारिषा की वालिदा का नाम सअदिया और बाप का नाम हारिषा और अबू उसामा कुत्रियत थी। बनी कुज़ाआ के चश्मो-चिराग़ थे जो यमन का एक मुअज़ज़ कबीला था। बचपन में क़ज़ाक़ आपको उठाकर ले गए। उकाज़ के बाज़ार में गुलाम बनकर चार सौ दिरहम में हकीम बिन हिज़ाम के हाथ बिककर उनकी फूफी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा (रज़ि.) की ख़िदमत में पहुँच गए और वहाँ से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आ गए। उनके वालिद को यमन में ख़बर हुई तो वो दौड़े हुए आए और दरबारे नुबुव्वत में उनकी वापसी के लिये दरख़वास्त की। आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ैद बिन हारिषा को पूरा इख़्तियार दे दिया कि अगर वो घर जाना चाहें तो खुशी से अपने वालिद के साथ चले जाएँ और अगर चाहें तो मेरे पास रहें। ज़ैद बिन हारिषा (रज़ि.) ने अपने घरवालों पर आँहज़रत (ﷺ) को तर्जीह दी और वालिद और चचा के साथ नहीं गए। इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) के अहसानात और अख़लाके फ़ाज़िला उनके दिल में घर कर चुके थे। इस वाक़िये के बाद आँहज़ुर (ﷺ) उनको मुक़ामे हज़र में ले गए और हाज़िरीन को ख़िताब करते हुए कहा कि लोगों! गवाह रहो मैंने ज़ैद को अपना बेटा बना लिया। वो मेरे वारिष हैं और मैं उसका वारिष हूँ। उसके बाद वो ज़ैद बिन मुहम्मद पुकारे जाने लगे। यहाँ तक कि कुआन मजीद की ये आयत नाज़िल हुई कि मुँहबोले लड़कों को उनके वालिदैन की तरफ़ मन्सूब करके

पुकारो, यह अल्लाह के यहाँ इंसाफ़ की बात है। फिर वो ज़ैद बिन हारिषा के नाम से पुकारे जाने लगे।

आँहज़रत (ﷺ) ने उनका निकाह अपनी आज़ादकर्दा लौण्डी उम्मे ऐमन से करा दिया था। जिनके बतन से उनका लड़का उसामा पैदा हुआ। उनकी फ़ज़ीलत के लिये यही काफ़ी है कि अल्लाह ने कुआन मजीद में एक आयत में उनका नाम लेकर उनका वाक़िया बयान किया है जबकि कुआन मजीद में किसी भी सहाबी का नाम लेकर कोई तज़क़िरा नहीं है। ग़ज़्व-ए-मौता 8 हिज्री में ये बहादुराना शहीद हुए। उस वक़्त उनकी उम्र 55 साल की थी।

उनके बाद फ़ौज़ की कमान हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) ने सम्भाली। ये नबी करीम (ﷺ) के मुहतरम चचा अबू तालिब के लड़के थे। वालिदा का नाम फ़ातिमा था ये शुरू ही में 31 आदमियों के साथ इस्लाम ले आए थे। हज़रत अली (रज़ि.) से दस साल बड़े थे। सूत और सीरत में रसूलुल्लाह (ﷺ) से बहुत मुशाबेह थे। कुरैश के मज़ालिम से तंग आकर हिज़रते हब्शा में ये भी शरीक हो गए और नज़ाशी के दरबार में उन्होंने इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम के बारे में ऐसी पुरजोश तक्रीर की कि शाहे हब्शा मुसलमान हो गया। 7 हिज्री में ये उस वक़्त मदीना तशरीफ़ लाए जब फ़रज़न्दाने तौहीद ने ख़ैबर को फ़तह किया। आपने उनको अपने गले से लगा लिया और फ़र्माया कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारे आने से ज़्यादा खुशी हासिल हुई है या फ़तहे ख़ैबर से हुई है। ग़ज़्व-ए-मौता में ये भी बहादुराना शहीद हुए और इस ख़बर से आँहज़रत (ﷺ) को सख़्ततरीन सदमा हुआ। हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) का घर मातमकदा बन गया। उसी मौक़े पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया जो यहाँ हदीष में मज़कूर है।

उनके बाद अब्दुल्लाह बिन ख़ाज़ा (रज़ि.) ने फ़ौज़ की कमान सम्भाली। बैअते उक़्बा में ये मौजूद थे। बद्र, उहुद, ख़न्दक़ और उसके बाद के तमाम ग़ज़वात में सिवाए फ़तहे मक्का और बाद के ग़ज़वात में ये शरीक रहे। बड़े ही फ़र्माबरदार इत्ताअतशिआर सहाबी थे। क़बील-ए-ख़ज़रज से उनका रिश्ता था। लैलतुल उक़्बा में इस्लाम लाकर बनू हारिषा के नक़ीब मुकरर हुए और हज़रत मिक्दाद बिन अस्वद कुन्दी (रज़ि.) से सिलसिले भाईचारा कायम हुआ। फतहे बद्र की खुशख़बरी मदीना में सबसे पहले लाने वाले आप ही थे। जंगे मौता में बहादुराना शहीद हुए। उनके बाद आँहज़रत (ﷺ) की पेशीनगोई के मुताबिक़ अल्लाह की तलवार हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने क़यादत सम्भाली और उनके हाथ पर मुसलमानों को फ़तहे अज़ीम हासिल हुई।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से षाबित फ़र्माया कि पुकारकर, बयान कर करके मरनेवालों पर नोहा व मातम करना यहाँ तक नाजाइज़ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) के घरवालों के लिये इस हरकते नाज़ेबा नोहा व मातम की वजह से उनके मुँह में मिट्टी डालने का हुक्म दिया जो आपकी नाराज़गी की दलील है और ये एक मुहावरा है जो इतिहाई नाराज़गी पर दलालत करता है।

1306. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे मुहम्मद ने और उनसे उम्मे अत्रिया (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअत लेते वक़्त हम से ये अहद भी लिया था कि हम (मय्यित पर) नोहा नहीं करेंगी। लेकिन इस इकरार को पाँच औरतों के सिवा किसी ने पूरा नहीं किया। ये औरतें उम्मे सुलैम, उम्मे अत्ताअ, अबू सबरा की साहबज़ादी जो मुआज़ के घर में थीं और इनके अलावा दो औरतें या (ये कहा कि) अबू सबरा की साहबज़ादी, मुआज़ की बीवी और एक दूसरी ख़ातून (रज़ि.)।

(दीगर मक़ाम : 4892, 7210)

۱۳۰۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الرَّوَّابِ قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (رَأَيْتُ عَلِيًّا النَّبِيَّ
ﷺ عِنْدَ النَّبِيِّ أَنْ لَا تَنُوحَ، فَمَا وَقَّتْ مِنَّا
امْرَأَةٌ غَيْرَ عَمْسِ بِنْتِ بِنْتِ أُمِّ سَلِيمٍ، وَأُمِّ
الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةَ مُعَاذِ
وَأَمْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةَ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةَ مُعَاذِ
وَامْرَأَةَ أُخْرَى)».

तशरीह: हदीष के रावी को ये शक है कि ये अबू सबरा की वही साहबजादी हैं जो मुआज़ (रज़ि.) के घर में थीं या किसी दूसरी साहबजादी का यहाँ ज़िक्र है और मुआज़ की जो बीवी उस अहद का हक़ अदा करने वालों में थीं वो अबू सबरा की साहबजादी नहीं थीं। मुआज़ की बीवी उम्मे अमर बिनते खल्लाद थी।

औहज़रत (ﷺ) वक्रतन फ़वक्रतन मुसलमान मर्दों, औरतों से इस्लाम पर षाबितक़दमी की बैअत किया करते थे ऐसे ही एक मौके पर आप (ﷺ) ने औरतों से ख़सूसियत से नोहा करने पर भी बैअत ली। बैअत के इस्तिलाही मा'नी इकरार करने के हैं। ये एक तरह का हलफ़नामा होता है। बैअत की बहुत सी किस्में होती हैं। जिनका तप्सलीली बयान अपने मौके पर आया।

इस हदीष से ये भी पता चलता है कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों न हो फिर भी कमजोरियों का मुजस्समा है। सहाबियात की शान मुसल्लम है फिर भी उनमें बहुत से ख्वातीन से इस अहद पर कायम न रहा गया जैसा कि मज़कूर हुआ है।

बाब 46 : जनाज़ा देखकर खड़े होना

٤٦ - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

1307. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे जुहरी ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके बाप अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, उनसे आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और खड़े रहो यहाँ तक कि जनाज़ा तुम से आगे निकल जाए। सुफ़यान ने बयान किया, उनसे जुहरी ने बयान किया कि मुझसे सालिम ने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ख़बर दी। आपने फ़र्माया कि हमें आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से ख़बर दी थी। हुमैदी ने ये ज़्यादती की है, यहाँ तक कि जनाज़ा आगे निकल जाये या रख दिया जायो (दीगर मक़ाम: 1308)

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ)) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: ((حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ)).

[طرفه في: ١٣٠٨].

बाब 47 : अगर कोई जनाज़ा देखकर खड़ा हो जाए तो कब बैठना चाहिये?

٤٧ - بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ

لِلْجَنَازَةِ

1308. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) के हवाले से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम में से कोई जनाज़ा देखे तो अगर उसके साथ नहीं चल रहा है तो खड़ा ही हो जाए यहाँ तक कि जनाज़ा आगे निकल जाए या आगे जाने की बजाय खुद जनाज़ा रख

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيُقِمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ

दिया जाये। (राजेअ: 1307)

बाब 48 : जो शख्स जनाजे के साथ हो वो उस वक़्त तक न बैठे जब तक जनाजा लोगों के काँधों से उतारकर ज़मीन पर न रख दिया जाए और अगर पहले बैठ जाए तो उससे खड़ा होने के लिये कहा जाए

[أن تُخَلَّفَهُ] . [راجع: 1307]

٤٨ - بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوَضَّعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ لِإِنْ قَعَدَ أَمْرًا بِالْقِيَامِ

1309. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी जिब ने, उनसे सईद मक्बरी ने और उनसे उनके वालिद ने कि हम एक जनाजे में शरीक थे कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मरवान का हाथ पकड़ा और ये दोनों साहब जनाजे के रखे जाने से पहले बैठ गये। इतने में अबू सईद (रज़ि.) तशरीफ़ लाए और मरवान का हाथ पकड़कर फ़र्माया, उठो! अल्लाह की क़सम! ये (ये अबू हुरैरह रज़ि.) जानते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें इससे मना फ़र्माया है। अबू हुरैरह (रज़ि.) बोले कि अबू सईद (रज़ि.) ने सच कहा है। (दीगर मक़ाम: 1310)

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوَضَّعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَرَّاهُ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ)).

[طرفه في: 1310]

तशरीह: हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये हदीष याद नहीं रही थी। जब हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने याद दिलाई तो आपको याद आ गई और आपने उसकी तस्दीक की। अक़षर साहबा और ताबेईन उसको मुस्तहब जानते हैं और शअबी और नखई ने कहा कि जनाजा ज़मीन पर रखे जाने से पहले बैठ जाना मकरूह है और कुछ ने खड़े रहने को फ़र्ज कहा है। निसाई ने अबू हुरैरह (रज़ि.) और अबू सईद खुदरी (रज़ि.) से निकाला कि हमने आँहज़रत (ﷺ) को किसी जनाजे में बैठते हुए नहीं देखा है जब तक जनाजा ज़मीन पर न रख दिया जाता।

1310. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम दस्वाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी क़षीर ने, उनसे अबू सलमा और उनसे अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ और जो शख्स जनाजे के साथ चल रहा हो वो उस वक़्त तक न बैठे जब तक जनाजा रख न दिया जाए। (राजेअ: 1309)

١٣١٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوَضَّعَ)).

[راجع: 1309]

तशरीह: इस बारे में बहुत कुछ बहस व मुबाहज़ा के बाद शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं, वल्क़ौलुराजिह इन्दी हुव मा ज़हब इलैहिल्जुम्हुरू मिनअन्नहू यस्तहिब्बु अल्लला यज़िलसत्ताबिउ वल्माशी लिलजनाज़ति हत्ता तूज़अ बिल्अज़ि व इन्नन्हय फ़ी क़ौलिही फ़ला यक़उद महमूलुन अलत्तन्जीहि

वल्लाहु तआला आलमु

व यदुल्लु अला इस्तिहबाबिल्क्रियामि इला अन तूजअ मा र्वाहुल्बैहक्री (जिल्द 04, पेज 27) मिन तरीकि अबी हाज़िम क़ालः मशैतु मअ अबी हुरैरत वब्निज़्जुबैर वल्हसन बिन अली अमामल्जनाजति हत्ता इन्तहैना इलल्मक्बिरति फ़क़ामू हा वुज़िअत शुम्म जलसू फ़कुल्लु लिबअज़िहिम फ़क़ाल इन्ल्काइम मि़्लुल हामिल यअनी फ़िल्अज़ि (मिआत, जिल्द 2, पेज 471)

या'नी मेरे नज़दीक क़ौले राजेह वही है जिधर जुम्हूर गए हैं और वो ये कि जनाजे के साथ चलने वालों और उसके रखरत करने वालों के लिये मुस्तहब है कि जब तक जनाज़ा ज़मीन पर न रख दिया जाए न बैठें और हदीष में न बैठने की नही तंज़ीही है और उस क़याम के इस्तिहबाब पर बैहक्री की वो हदीष भी दलालत करती है जिसे उन्होंने अबू हाज़िम की सनद से रिवायत किया है कि हम हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हसन बिन अली (रज़ि.) के साथ एक जनाजे के साथ गए। पस ये तमाम हज़रत खड़े ही रहे जब तक वो जनाज़ा ज़मीन पर न रख दिया गया उसके बाद वो सब भी बैठ गए। मैंने उनमें से कुछ से मसला पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि खड़ा रहने वाला भी उसी के मि़्ल (समान) है जो खुद जनाजे को उठा रहा है या'नी फ़वाब में ये दोनों बराबर हैं।

बाब 49 : उस शख़्स के बारे में जो यहूदी का

۴۹- بَابُ مَنْ قَامَ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

जनाज़ा देखकर खड़ा हो गया

1311. हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी क़षीर ने बयान किया, उनसे अबैदुल्लाह बिन मिक्सम ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि हमारे सामने से एक जनाज़ा गुज़रा तो नबी करीम (ﷺ) खड़े हो गये और हम भी खड़े हो गये। फिर हमने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो यहूदी का जनाज़ा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम लोग जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाया करो।

۱۳۱۱- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَرُّ بِنَا حَنَازَةَ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَكُنَّا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُومُوا)).

तशरीह: आँहज़रत (ﷺ) का यहूदी के जनाजे के लिये भी खड़ा होना ज़ाहिर कर रहा है कि आपके दिल में सिर्फ़ इंसानियत के रिश्ते की बिना पर हर इंसान से किस क़दर मुहब्बत थी। यहूदी के जनाजे को देखकर खड़े होने की कई वजहें बयान की गई हैं। आइन्दा हदीष में भी कुछ ऐसा ही ज़िक्र है। वहाँ आँहज़रत (ﷺ) ने खुद इस सवाल का जवाब फ़र्माया है, अलैस्त नफ़सन या'नी जान के मुआमले में मुसलमान या ग़ैर-मुसलमान बराबर हैं। ज़िन्दगी और मौत दोनों पर वारिद होती हैं। हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में मज़ीद तफ़्सील मौजूद है। मरत जनाज़तुन फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) व कुम्ना मअहू फ़कुल्लना या रसूलुल्लाहि (ﷺ) इन्हा यहूदिय्या फ़क़ाल इन्ल्मौता फ़ज़उन फ़इज़ा राइतुमुल जनाज़त फ़कुमू (मुत्तफ़क़ अलैहि) या'नी एक जनाज़ा गुज़रा जिस पर आँहज़रत (ﷺ) और आपकी इक्तिदा में हम सब सहाबा किराम (रज़ि.) खड़े हो गए। बाद में हमने कहा कि हज़ूर ये एक यहूदिया का जनाज़ा था। आपने फ़र्माया कि कुछ भी हो बेशक मौत बहुत ही घबराहट में डाल देने वाली चीज़ है। मौत किसी की भी हो उसे देखकर घबराहट होनी चाहिये पस तुम जब भी कोई जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाया करो।

निसाई और हाकिम में हज़रत अनस (रज़ि.) की हदीष में है कि इन्मा कुम्ना लिल्मलाइकति हम फ़रिशतों की ता'ज़ीम के लिये खड़े होते हैं और अहमद में भी हदीषे अबू मूसा से ऐसी ही रिवायत मौजूद है।

पस खुलास-ए-कलाम ये कि जनाजे को देखकर धर्म-मज़हब का भेद किये बगैर इब्रत हासिल करने के लिये मौत को याद करने के लिये, फ़रिश्तों की ता'ज़ीम के लिये खड़े हो जाना चाहिये। हदीष और बाब में मुताबकत ज़ाहिर है।

13 12. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन मुरह ने बयान किया कि मैंने अब्दुरहमान बिन अबी लैला से सुना। उन्होंने कहा कि सहल बिन हनीफ़ और कैस बिन सअद (रज़ि.) क़ादिसिया में किसी जगह बैठे हुए थे। इतने में कुछ लोग उधर से जनाज़ा लेकर गुज़रे तो ये दोनों बुजुर्ग खड़े हो गये। अर्ज़ किया गया कि जनाज़ा तो जिम्मियों का है (जो काफ़िर है) इस पर उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के पास से इसी तरह से एक जनाज़ा गुज़रा था, आप (ﷺ) उसके लिये खड़े हुए थे। फिर आप (ﷺ) से कहा गया कि ये तो यहूदी का जनाज़ा था। आपने फ़र्माया कि क्या यहूदी की जान नहीं है?

13 13. और अबू हम्ज़ा ने अज़मश से बयान किया, उनसे अम्र ने, उनसे इब्ने अबी लैला ने कि मैं कैस और सहल (रज़ि.) के साथ था। इन दोनों ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे और ज़करिया ने कहा उनसे शुअबी ने और उनसे इब्ने अबी लैला ने कि अबू मस्ज़ुद और कैस (रज़ि.) जनाजे के लिये खड़े हो जाते थे।

बाब 50 : इस बारे में कि औरतें नहीं बल्कि मर्द ही जनाजे को उठाएँ

13 16. हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद मक्बरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप कैसान ने कि उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब मय्यित चारपाई पर रखी जाती है और मर्द उसे काँधों पर उठाते हैं तो अगर वो नेक हो तो कहता है कि मुझे आगे ले चलो। लेकिन अगर नेक नहीं होता तो कहता है, हाय बर्बादी! मुझे कहाँ लिये जा रहे हो। इस आवाज़ को इन्सान के सिवा अल्लाह की तमाम मख़लूक सुनती है। अगर इन्सान कहीं सुन पाए तो बेहोश

۱۳۱۲- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ فَاعْتَدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - أَيْ مِنْ أَهْلِ الدُّمَةِ - فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟)).

۱۳۱۳- وَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ قَيْسِ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا: كَمَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)). وَقَالَ زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ.

۵۰- بَابُ حَمْلِ الرَّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

۱۳۱۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَائِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدَّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَلْقَوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا

हो जाए। (दीगर मक़ाम : 1316, 1380)

बाब 51 : जनाजे को जल्दी ले चलना

और अनस (रज़ि.) ने कहा कि तुम जनाजे को पहुँचा देने वाले हो, तुम उसके सामने भी चल सकते हो, पीछे भी, दाएँ भी और बाएँ भी सब तरफ़ चल सकते हो और अनस (रज़ि.) के सिवा और लोगों ने कहा जनाजे के करीब चलना चाहिये।

1315. हमस अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमने जुहरी से सुनकर ये हदीस याद की, उन्होंने सईद बिन मुसय्यिब से और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जनाजा लेकर जल्दी चला करो क्योंकि अगर वो नेक है तो तुम उसको भलाई की तरफ़ नज़दीक कर रहे हो और अगर इसके सिवा है तो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनो से उतार रहे हो।

बाब 52 : नेक मय्यित चारपाई पर कहता है कि मुझे आगे बढ़ाए चलो (जल्दी दफ़नाओ)

1316. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद मक्बरी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद (कैसान) ने और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, आप ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि जब मय्यित चारपाई पर रखी जाती है और लोग उसे काँधों पर उठाते हैं उस वक़्त अगर वो मरने वाला नेक होता है तो कहता है कि मुझे जल्दी आगे बढ़ाए चलो लेकिन अगर नेक नहीं होता है तो कहता है, हाथ बर्बादी! मुझे कहाँ लिये जा रहो हो। उसकी ये आवाज़ इन्सान के सिवा अल्लाह की हर मख़्लूक सुनती है। कहीं अगर इन्सान सुन पाए तो बेहोश हो जाए। (राजेअ: 1314)

كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ
لَصَبَقَ)). [طرفه في: 1316, 1380].

51- بَابُ السَّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ
وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ.
لَأَمَشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا
وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا.

1315- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً
فَخَيْرٌ تَقْدُمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سَوَى ذَلِكَ
فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)).

52- بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى
الْجَنَازَةِ: قَدِّمُونِي

1316- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا
وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى
أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ:
قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ:
لَأَهْلِيهَا: يَا تَلْهِيهَا، أَيْنَ يَلْقَوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ
صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ
الْإِنْسَانَ لَصَبَقَ)). [راجع: 1314]

बाब 53 : इमाम के पीछे जनाजे की नमाज़ के लिये दो या तीन सफ़ें करना

1317. हमसे मुसद्द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना वजायशकरी ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अताअ ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नज्जाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो मैं दूसरी या तीसरी सफ़ मे था।

(दीगर मक़ाम : 1320, 1334, 3788, 3787, 3789)

۵۳- بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

۱۳۱۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ لِي الصَّفَّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثَةَ)).

[أطرافه في: ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۳۸۷۷،

[۳۸۷۸، ۳۸۷۹]

बहरहाल दो सफ़ हो या तीन सफ़ हर तरह जाइज़ है। मगर तीन सफ़ें बनाना बेहतर है।

बाब 54 : जनाजे की नमाज़ में सफ़ें बनाना

1317. हमसे मुसद्द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रीअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मअमर ने, उनसे सईद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने अस्थाब को नज्जाशी की वफ़ात की ख़बर सुनाई, फिर आप आगे बढ़ गये और लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बना ली, फिर आप (ﷺ) ने चार मर्तबा तक्बीर कही। (राजेअ : 1240)

1319. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबानी ने, उनसे शुअबी ने बयान किया कि मुझे नबी करीम (ﷺ) के एक सहाबी ने ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) एक क़ब्र पर आए जो और क़ब्रों से अलग थी। सहाबा ने सफ़बन्दी की और आप (ﷺ) ने चार तक्बीरें कहीं। मैंने पूछा कि ये हदीष आपसे किसने बयान की है? उन्होंने बयान किया कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने। (राजेअ : 875)

1320. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी कि उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने ख़बर दी, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना कि

۵۴- بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۱۳۱۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَمَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيِّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا)). [راجع: ۱۲۴۰]

۱۳۱۹- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ آتَى عَلَيَّ قَبْرِ مَنْبُؤٍ فَصَفُّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ۸۰۷]

۱۳۲۰- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि आज हब्शा के एक सालेह मर्द (हब्शा का बादशाह नज्जाशी) का इन्तिकाल हो गया है। आओ उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो। जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर हमने सफ़बन्दी कर दी और नबी करीम (ﷺ) ने उनकी नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाई। हम सफ़ बान्धे खड़े थे, अबू जुबैर ने जाबिर (रज़ि.) के हवाले से नक़ल किया कि मैं दूसरी सफ़ में था। (राजेअ: 1317)

بِنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ تُوَفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمُّ لَصَلُّوا عَلَيْهِ)). قَالَ: فَصَفَّقْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَتَخُنُ صُفُوفٍ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي. [راجع: ١٣١٧]

तशरीह: इन सब हदीषों से मय्यते ग़ायब पर नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना प्राबित हुआ। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद (रह.) और अक़्बर सलफ़ का यही क़ौल है। अल्लामा इब्ने हज़म कहते हैं कि किसी सहाबी से इसकी मुमानअत प्राबित नहीं और क़यास भी उसी को मुक्तज़ा है कि जनाजे की नमाज़ में दुआ करना है और दुआ करने में ये ज़रूरी नहीं कि जिसके लिये दुआ की जा रही है वो मौजूद भी हो।

नबी करीम (ﷺ) ने शाहे हब्शा नज्जाशी का जनाज़ा ग़ायबाना अदा किया। इससे वाजेह होता है कि नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना सही है मगर इस बारे में इलम-ए-अहनाफ़ ने बहुत कुछ तावीलात से काम किया है। कुछ लोगों ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) के लिये ज़मीन का पर्दा हटाकर अल्लाह ने नज्जाशी का जनाज़ा ज़ाहिर कर दिया था। कुछ कहते हैं कि ये खुसूसियाते नबवी से है। कुछ ने कहा कि ये खास नज्जाशी के लिये था। बहरहाल ये तावीलात ग़ैर मुनासिब हैं। नबी करीम (ﷺ) से नज्जाशी के लिये, फिर मुआविया बिन मुआविया मज़नी के लिये नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना प्राबित है। हज़रत मौलाना ओबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, व उजीब अन ज़ालिक बिअन्नल्असल अदमुल्खुसूसियत व लौ फुतिह बाबु हाज़लखुसूसि लन्सद् क़प्पीरुम्मिन अहकामिश शरइ कालल्खत्ताबी जुइम अन्नन्नबिय्य (ﷺ) कान मख़सूसन बिहाजल्फिअलि फ़ासिदुन लिअन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) इज़ा फअल शयअन मिन अफ़आलिशशरीअति कान अलैना इत्तिबाउहू वल्ईतिसाबुहू वत्तख़सीसु ला युअलमु इल्ला बिदलीलिन व मिम्मा युबय्यिनु ज़ालिक अन्नहू (ﷺ) ख़रज बिन्नासि इलम्सलाति फसफ़्फ़ बिहिम व सल्लू मअहुम फउलिम अन्न हाज़त्तावील फ़ासिदुन व क़ाल इब्नु कुदामा नक़्तदी बिन्नबिय्यि (ﷺ) मा लम यष्बुत मा यक़्तज़ी इख़ितसाहुहू. (मिआंत)

या'नी नज्जाशी के लिये आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना को मख़सूस करने का जवाब ये दिया गया है कि अज़ल में अदमे खुसूसियत है और अगर ख़वाह-मख़वाह ऐसे खुसूस का दरवाज़ा खोला जाएगा, तो बहुत से काम शरीअत यही कहकर मस्दूद कर दिये जाएँगे कि ये खुसूसियाते नबवी में से है। इमाम ख़त्ताबी ने कहा कि ये गुमान कि नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना आँहज़रत (ﷺ) के साथ मख़सूस थी बिल्कुल फ़ासिद है। इसलिये कि जब रसूले करीम (ﷺ) कोई काम करें तो उसका इत्तिबाअ हम पर वाज़िब है। तख़सीस के लिये कोई खुली दलील होनी ज़रूरी है। यहाँ साफ़ बयान किया गया है कि रसूले करीम (ﷺ) लोगों को साथ लेकर नज्जाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिये निकले। सफ़ बन्दी हुई और आपने नमाज़ पढ़ाई। ज़ाहिर हुआ कि ये तावील फ़ासिद है। इब्ने कुदामा ने कहा कि जब तक किसी अम्र में आँहज़रत (ﷺ) की खुसूसियात सहीह दलील से प्राबित न हो हम उसमें आँहज़रत (ﷺ) की इक्तिदा करेंगे।

कुछ रिवायात जिनसे कुछ इख़ितसास पर रोशनी पड़ सकती है मरवी हैं मगर वो सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले इस्तिनाद है। अल्लामा इब्ने हज़र ने फ़र्माया कि उन पर तवज्जह न दी जा सकती। और वाक़दी की ये रिवायत कि आँहज़रत (ﷺ) के लिये नज्जाशी के जनाजे और ज़मीन का दरम्यानी पर्दा हटा दिया गया था बग़ैर सनद के है जो हर्गिज़ इस्दिलाल के क़ाबिल नहीं है। शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिष देहलवी ने शरह सफ़रुस्सआदत में ऐसा ही लिखा है।

बाब 55 : जनाजे की नमाज़ में बच्चे भी मर्दों के

٥٥ - بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ

बराबर खड़े हों

1321. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबानी ने बयान किया, उनसे आमिर ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले-करीम (ﷺ) का गुज़र एक क़ब्र पर हुआ मय्यित को अभी रात ही दफ़नाया गया था। आँहज़रत (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया कि दफ़न कब किया गया है? लोगों ने कहा, गुज़िश्ता रात। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे क्यों नहीं इत्तिला करवाई? लोगों ने अर्ज़ किया कि अन्धेरी रात में दफ़न किया गया, इसलिये हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। फिर आप (ﷺ) खड़े हो गये और हमने आपके पीछे सफ़ेक बना लीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं भी उन्हीं में था (नाबालिग़ था लेकिन) नमाज़े-जनाज़ा में शिक़त की।

बाब 56 : जनाजे पर नमाज़ का

मशरूअ होना

और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स जनाजे पर नमाज़ पढ़े और आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, तुम अपने साथी पर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ लो। और आपने फ़र्माया कि नज्जाशी पर नमाज़ पढ़ो। इसको नमाज़ कहा, इसमें न रुकूअ है न सज्दा और न इसमें बात की जा सकती है और इसमें तक्बीर भी है और सलाम भी। और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जनाजे की नमाज़ न पढ़ते जब तक बावुजू न होते और सूरज निकलने और डूबने के वक़्त न पढ़ते और जनाजे की नमाज़ में रफ़य़देन करते और इमाम हसन बज़री (रह.) ने कहा कि मैंने बहुत से सहाबा और ताबेईन को पाया वो जनाजे की नमाज़ में इमामत का ज़्यादा हक़दार उसी को जानते जिस को फ़र्ज़ नमाज़ में इमामत का ज़्यादा हक़दार समझते और जब ईद के दिन या जनाजे पर वुजू न हो तो पानी तलाशे, तयम्मूम न करे और जब जनाजे पर उस वक़्त पहुँचे कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो अल्लाहु-अक्बर कह कर शरीक हो जाए। और सईद बिन मुसय्यिब (रह.) ने कहा रात हो या दिन, सफ़र हो या हज़र जनाजे में चार तक्बीर

الرّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

۱۳۲۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ: ((مَتَى دُفِنَ هَذَا؟)) قَالُوا: الْبَارِحَةَ. قَالَ: ((أَلَا أَدْتُمُونِي؟)) قَالُوا: ذَلَنَاهُ لِي ظَلَمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. لَقَامَ فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

۵۶- بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى

الْجَنَائِزِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ)) وَقَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) وَقَالَ ((صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ)) سَمَاعًا صَلَاةَ نِسٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُكَلِّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا، وَتَوَقَّعَ يَدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقَّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضَوْهُمْ لِغَرَائِظِهِمْ. وَإِذَا أَخَذْتَ يَوْمَ الْعَيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَائِزِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتِمُّ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَائِزِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ

कहें। और अनस (रज़ि.) ने कहा पहली तक्बीर जनाजे की नमाज़ शुरू करने की है और अल्लाह तआला ने (सूरह तौबा में) फ़र्माया इन मुनाफ़िकों में जब कोई मर जाए तो उन पर कभी जनाज़ा न पढ़ो। और इसमें सफ़े हैं और इमाम होता है।

(राजेअ : 875)

الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَاخُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾. وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ. [راجع:

[۸۵۷

तशरीह: कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाजे जनाज़ा को सिर्फ़ दुआ की हद तक मानते हैं और उसे बे वुजू पढ़ना भी जाइज़ कहते हैं। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी खुदादाद बसीरत की बिना पर ऐसे ही लोगों का यहाँ रद्द फ़र्माया है और बतलाया है कि जनाजे की नमाज़, नमाज़ है इसे सिर्फ़ दुआ कहना ग़लत है। कुआन मजीद में, फ़रामीने दरबारे रिसालत में, अक्वाले सहाबा, ताबेईन और तबअ ताबेईन में उसे लफ़्जे नमाज़ ही से ता'बीर किया गया है। उसके लिये बावजू होना शर्त है।

क़स्तलानी (रह.) कहते हैं कि इमाम मालिक और औज़ाई और अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक औकाते मकरूहा में नमाजे जनाज़ा जाइज़ नहीं। लेकिन इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक जनाज़ा की नमाज़ औकाते मकरूहा में भी जाइज़ है।

इस नमाज़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हर तक्बीर के साथ रफ़उलयदैन करते थे। इस रिवायत को हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने किताब रफ़उलयदैन में निकाला है। उसमें और नमाज़ों की तरह तक्बीरे तहरीमा भी होती है और उसके अलावा चार तक्बीरों से नमाज़ मसनून है। इसकी इमामत के लिये भी वही शख्स ज़्यादा हक़दार है जो पंजवक्ता नमाज़ पढ़ाने के लायक़ हो। अल ग़र्ज़ नमाजे जनाज़ा, नमाज़ है। ये महज़ दुआ नहीं है जो लोग ऐसा कहते हैं उनका क़ौल सही नहीं है।

तक्बीराते जनाज़ा मे हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन करना; इस बारे में इमाम शाफ़िई (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ि.) से भी यही रिवायत किया है कि वो तक्बीराते जनाज़ा में अपने हाथ उठाया करते थे। इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं, वख़्तलफ़ू फ़ी रफ़इलअयदी फ़ी हाज़िहित्तक्बीराति मजहबुशाफ़िइ व उमरबिन अब्दिलअज़ीज़ व अता व सालिम बिन अब्दुल्लाह व कैस इब्नि अबी हाज़िम व ज़ुहरी वलऔज़ाई व अहमद व इस्हाक़ वख़तारहुब्नुल्मुज़िर व कालष़ौरी व अबू हनीफ़त व अस्हाबुराय ला युफ़उ इल्ला फ़ित्तक्बीरिल्ऊला (मुस्लिम मअ नववी मत्बूआ कराची, जिल्द नं. 1) या'नी तक्बीराते जनाज़ा में हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन करने में उलमा ने इख़ितलाफ़ किया है। इमाम शाफ़िई (रह.) का मज़हब ये है कि हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन किया जाए। उसको अब्दुल्लाह बिन उमर और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रज़ि.) और अता और सालिम बिन अब्दुल्लाह और कैस इब्ने अबी हाज़िम और जुस्री और औज़ाई और अहमद और इस्हाक़ से नक़ल किया है और इब्ने मुज़िर के नज़दीक मुख़तार मज़हब यही है और इमाम शौरी और इमाम अबू हनीफ़ा और अस्हाबुराय का क़ौल ये है कि सिर्फ़ तक्बीरे ऊला में हाथ उठाए जाएँ हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन के बारे में कोई सहीह हदीषे मफ़ूअ मौजूद नहीं है। वल्लाहु अअलम।

1322. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, उनसे शैबानी ने और उनसे शुअबी ने बयान किया कि मुझे उस सहाबी ने ख़बर दी थी जो नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अलग-थलग क़ब्र पर से गुज़रे। वो कहते थे कि

۱۳۲۲ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى

आप (ﷺ) ने हमारी इमामत की और हमने आपके पीछे सफ़े बना लीं। हमने पूछा कि अबू अग्र (ये शुअबी की कुत्रियत है) ये आपसे बयान करने वाले कौन सहाबी हैं? फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.)

قَبْرٍ مَبْنُودٍ فَأَمَّا لَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا).

तशरीह: इस बाब का मक़सद ये है कि नमाज़े जनाज़ा भी नमाज़ है और तमाम नमाज़ों की तरह उसमें वही चीज़ें ज़रूरी हैं जो नमाज़ों के लिये होनी चाहिये। इस मक़सद के लिये हदीष और अक़्वाले सहाबा और ताबईन के बहुत से टुकड़े ऐसे बयान किये गये हैं जिनमें नमाज़े जनाज़ा के लिये 'नमाज़' का लफ़्ज़ प्राबित हुआ और हदीषे वारिदा में भी उस पर नमाज़ ही का लफ़्ज़ बोला गया जबकि आँहज़रत (ﷺ) इमाम हुए और आप (ﷺ) के पीछे सहाबा (रज़ि.) ने सफ़् बाँधी। इस हदीष से ये भी प्राबित हुआ कि अगर कोई मुसलमान जिस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़नी ज़रूरी थी और उसको बग़ैर नमाज़ पढ़ाए दफ़न कर दिया गया तो उसकी क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है।

बाब 57 : जनाजे के साथ जाने की फ़ज़ीलत

और ज़ैद बिन प्राबित (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ पढ़कर तुमने अपना हक़ अदा कर दिया। हुमैद बिन हिलाल (ताबेई) ने फ़र्माया कि हम नमाज़ पढ़ कर इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझते। जो शख़्स भी नमाज़े-जनाज़ा पढ़े और फिर वापस आए तो उसे एक क़ीरात का प्रवाब मिलता है।

57- بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَائِزِ إِذْنَا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ لِلَّهِ قِيرَاطٌ.

(राजेअ: 875)

[راجع: 807]

तशरीह: हाफ़िज़ ने कहा कि ये अषर मुझको मौसूलन नहीं मिला। और इमाम बुखारी (रह.) की गर्ज़ उन लोगों का रह करना है जो कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा पढ़कर घर को लौट जाना चाहे तो जनाजे के वारिषों से इजाज़त लेकर जाना चाहिये और इस बारे में एक मफ़ूअन हदीष वारिद है जो ज़ईफ़ है (वहीदी)

1323. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उनसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, कहा कि मैंने नाफ़ेअ से सुना, आप ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू हरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि जो दफ़न तक जनाजे के साथ रहे उसे एक क़ीरात का प्रवाब मिलेगा। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अबू हरैरह अह्दादीष बहुत ज़्यादा बयान करते हैं।

1323- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ: ((مَنْ تَبِعَ جَنَائِزَ لِلَّهِ قِيرَاطٌ، لَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا)).

(राजेअ: 48)

[راجع: 47]

1324. फिर अबू हरैरह (रज़ि.) की हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी तस्दीक की और फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये इशार्द खुद सुना है। इस पर इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि फिर तो हमने बहुत से क़ीरातों का नुक़सान उठाया। (सूरह जुमर में जो लफ़्ज़) फ़रतत आया है उसके यही मा'नी है, मैंने ज़ाए किया।

1324- فَصَدَّقَتْ - يَعْنِي عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ. لَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِنَا كَثِيرًا.

فَرُطْتُ: ضَيَعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की आदत है कि कुर्आन की आयतों में जो लफ़्ज़ वारिद हुए हैं अगर हदीष में कोई वही लफ़्ज़ आ जाता है तो आप उसके साथ-साथ कुर्आन के लफ़्ज़ की भी तफ़्सीर कर देते हैं। यहाँ अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) के कलाम में फ़रत्तु का लफ़्ज़ आया और कुर्आन में भी फ़रत्तु फ़ी जम्बिल्लाह (अज्जुमर, 56) आया है तो उसकी भी तफ़्सीर कर दी या'नी मैंने अल्लाह का हुक्म, कुछ ज़ाया (नष्ट) किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की निस्बत कहा, उन्होंने बहुत हदीषें बयान कीं। उससे ये मतलब नहीं था कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) झूठे हैं बल्कि उनको ये शुब्हा रहा कि शायद अबू हुरैरह (रज़ि.) भूल गए हों या हदीष का मतलब और कुछ हो वो न समझे हों। जब हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने भी उनकी शहादत दी तो उनको पूरा यकीन आया और उन्होंने अफ़सोस से कहा कि हमारे बहुत से क़ीरात का प्रवाब मिलेगा। क़ीरात एक बड़ा वज़न उहूद पहाड़ के समान मुराद है और जो शख्स दफ़न होने तक साथ रहे उसे दो क़ीरात बराबर प्रवाब मिलेगा।

बाब 58 : जो शख्स दफ़न होने तक ठहरा रहे

1325. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने जिब के सामने ये हदीष पढ़ी, उनसे अबू सईद मक्बरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा तो आप ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था। (दूसरी सनद) हमसे अहमद बिन शबीब ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया कि इब्ने शिहाब ने कहा कि (मुझे फ़लाँ ने ये भी हदीष बयान की) (राजेअ : 48)

और मुझसे अब्दुरहमान अअरज ने भी कहा कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने जनाजे में शिकत की फिर नमाजे-जनाजा पढ़ी तो उसे एक क़ीरात का प्रवाब मिलता है, जो दफ़न तक साथ रहा तो उसे दो क़ीरात का प्रवाब मिलता है। पूछा गया कि दो क़ीरात कितने होंगे? फ़र्माया कि दो अज़ीम पहाड़ों के बराबर।

या'नी दुनिया का क़ीरात मत समझो जो दिरहम का बारहवाँ हिस्सा होता है। दूसरी रिवायत में है कि आख़िरत के क़ीरात उहूद पहाड़ के बराबर हैं।

बाब 59 : बड़ों के साथ बच्चों का भी नमाजे जनाजा में शरीक होना

58- بَابُ مَنْ أَنْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

1325- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ح. [راجع: 47]

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ)). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْمُظِيمَيْنِ.

59- بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

1326. हमसे यअकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन अबी बुकैर ने, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ाएद ने बयान किया, उन्होंने उनसे अबू इस्हाक़ शौबानी ने, उनसे आमिर ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक क़ब्र पर तशरीफ़ लाए, सहाबा ने अर्ज़ किया कि इस मय्यित को गुज़िश्ता रात में दफ़न किया गया है। (साहिबे क़ब्र मर्द था या औरत थी) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि फिर हमने आपके पीछे सफ़बन्दी की और आप (ﷺ) ने नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाई। (राजेअ: 875)

बाब और हदीष की मुताबक़त ज़ाहिर है। क्यूँकर इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस वाक़िआ के वक़्त बच्चे ही थे। मगर आप (ﷺ) के साथ बराबर सफ़ में शरीक हुए।

बाब 60 : नमाज़े-जनाज़ा ईदगाह में और मस्जिद में (दोनों जगह जाइज़ है)

1327. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा ने बयान किया और उनसे दोनों हज़रात से अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हबशा के नज्जाशी की वफ़ात की ख़बर दी, उसी दिन जिस दिन उनका इन्तिक़ाल हुआ था। आपने फ़र्माया कि अपने भाई के लिये अल्लाह से मफ़िरत चाहो।

(राजेअ: 1240)

1328. और इब्ने शिहाब से यूँ भी रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदगाह में सफ़बन्दी करवाई फिर (नमाज़े-जनाज़ा की) चार तकबीरें कहीं।

(राजेअ: 1240)

۱۳۲۶ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ غَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوا: هَذَا دُفْنٌ - أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ)). [راجع: ۸۵۷]

۶۰- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلِّيِّ وَالْمَسْجِدِ

۱۳۲۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)).

[راجع: ۱۲۴۰]

۱۳۲۸ - وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَقَ بِهِمْ بِالْمُصَلِّيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)).

[راجع: ۱۲۴۰]

तशरीह: इमाम नववी फ़र्माते हैं, क़ाल इब्नु अब्दिलबर व इन्अकदलइज्माइ बअद ज़ालिक अला अर्बइन व अज्मअल्फु क़हा व अहलुल्फ़त्वा बिल्अम्सारि अला अर्बइन अला मा जाअ फ़ी अहादीषिस्सिहाहि व मा सिवा ज़ालिक इन्धुम शुज़ुजुन ला युल्तफतु इलैहि (नववी) या'नी इब्ने अब्दुल बर'ने

कहा कि तमाम फुक़हा और अहले फ़त्वा का चार तकबीरों पर इज्माअ हो चुका है जैसा कि अहदादीषे सहीहा में आया है और जो उसके खिलाफ़ है वो नवादिर में दाख़िल है जिसकी तरफ़ तवज्जह नहीं किया जा सकता।

शेख़ुल हदीष मौलाना अब्दुल्लाह मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, वर्राजिह इन्दी अन्नहू ला यम्बगी अय्युज़ाद अला अब्दइन् लिअन्न फ़ीहि ख़ुरूजम्मिनलिख़लाफ़ि व लि अन्न ज़ालिक हुवल्गालिब मिन फ़िअलिही लाकिन्नलइमाम इज़ा कब्बर खम्मसन ताबअहूल्लामूम लिअन्न शुबूतलखम्मिस ला मरह लहू मिन हैषिरिवायतिल्अमल (मिअ्त, जिल्द 2, पेज 477)

या'नी मेरे नज़दीक राजेह यही है कि चार तकबीरों से ज़्यादा न हों। इख़ितलाफ़ से बचने के लिये यही रास्ता है नबी करीम (ﷺ) के फ़ेअल से अक़्ब्र यही प्राबित है। लेकिन अगर इमाम पाँच तकबीरें कहें तो मुक्तदियों को उसकी पैरवी करनी चाहिये। इसलिये कि ये रिवायत और अमल के लिहाज़ से पाँच का भी शुबूत मौजूद है जिससे इंकार की गुंजाइश नहीं है।

1329. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िद ने बयान किया, उनसे अबू ज़मरह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मूसा बिन इक्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि यहूद नबी करीम (ﷺ) के हुज़ूर में अपने हम मज़हब एक मर्द और औरत का जिन्होंने ज़िना किया था, मुक़द्दमा लेकर आए। आँहज़रत (ﷺ) के हुक्म से मस्जिद के नज़दीक नमाज़े-जनाज़ा पढ़ने की जगह के पास उन्हें संगसार कर दिया गया।

(दीगर मक़ाम: 3635, 4556, 6819, 6841, 7332, 7543)

۱۳۲۹ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيًا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ)).

أطرافه في : ۳۶۳۵ ، ۴۵۵۶ ، ۶۸۱۹

[۷۰۴۳ ، ۷۳۳۲ ، ۶۸۴۱]

तशरीह : जनाजे की नमाज़ मस्जिद में बिला कराहत जाइज़ व दुरुस्त है। जैसा कि नीचे लिखी हदीष से ज़ाहिर है अन आइशत अन्नहा क़ालत लम्मा तुवफ़्रिफ़य सअदुब्नुअबी वक्क़ास अदख़िलू बिहिल्मस्जिद हत्ता उसल्लिय अलैहि फ़अन्करू ज़ालिक अलैहा फ़क़ालत वल्लाहि लक़द मल्ला रसूलुल्लाहि (ﷺ) अला इब्ना बैज़ा फिल्मस्जिदि सुहैल व अख़ीहि रवाहु मुस्लिम व फ़ी रिवायतिन मा सल्ला रसूलुल्लाहि (ﷺ) अला सुहैलिब्नि बैज़ा इल्ला फ़ी जौफिल्मस्जिदि रवाहुल्जमाअतु इल्लल्बुख़ारी.

या'नी हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि सअद बिन अबी वक्क़ास के जनाज़ा पर उन्होंने फ़र्माया कि उसे मस्जिद में दाख़िल करो यहाँ तक कि मैं भी उस पर नमाज़े जनाज़ा अदा करूँ। लोगों ने उस पर कुछ इंकार किया तो आपने फ़र्माया कि क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैज़ा के दोनों बेटों सुहैल और उसके भाई पर नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ही में अदा की थी।

और एक रिवायत में है कि सुहैल बिन बैज़ा की नमाज़े जनाज़ा आँहज़रत (ﷺ) ने मस्जिद के बीचों-बीच पढ़ाई थी। इससे मा'लूम हुआ कि नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी जा सकती है।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) दोनों का जनाज़ा मस्जिद ही में अदा किया गया था।

अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, वल्हदीषु यदुल्लु अला जवाज़ि इदख़ालिल्मय्यति फिल्मस्जिदि वस्सलातु अलैहि फ़ीहि व बिही क़ालश़ाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ वल्जुम्हूर या'नी ये हदीष दलालत करती है

कि मय्यत को मस्जिद में दाखिल करना और वहाँ उसका जनाजा पढ़ना सही है। इमाम शाफ़िई और अहमद और इस्हाक और जुम्हूर का भी यही क़ौल है। जो लोग मय्यत के नापाक होने का ख़याल रखते हैं उनके नज़दीक मस्जिद में न मय्यत का लाना दुरुस्त है और न वहाँ नमाजे जनाजा जाइज। मगर ये ख़याल बिलकुल ग़लत है। मुसलमान मुर्दा और जिन्दा नजिस नहीं हुआ करता। जैसा कि हदीष में साफ़ मौजूद है, इन्नल मूमिन ला युन्जिसु हय्यन व ला मय्यितन बेशक मोमिन मुर्दा और जिन्दा नजिस नहीं होता या'नी नजासते हक़ीक़ी से वो दूर होता है।

बन् बैज़ा तीन भाई थे। सहल व सुहैल और सफ़वान उनकी वालिदा को बतौरै वस्फ़ बैज़ा कहा गया। उसका नाम दअद था और उनके वालिद का नाम वहब बिन रबीआ कुरैशी फ़हरी था।

इस बहष के आख़िर में हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं, वल्हक्कु अन्नहू यजुज़ुस्सलातु अलल्जनाइज़ि फिल्मस्जिदि मिन गैरि कराहतिन वल्अफ़ज़लु अस्सलातु अलैहा खारिजल्मस्जिदि लिअन्न अक्षर मलवातिही (ﷺ) अलल्जनाइज़ि कान फिल्मुसल्ला (मिआत) या'नी हक़ यही है कि मस्जिद में नमाजे जनाजा बिला कराहत दुरुस्त है और अफ़ज़ल ये है कि मस्जिद से बाहर पढ़ी जाए क्योंकि अक्षर नबी करीम (ﷺ) ने इसको ईद्गाह में पढ़ा है।

इस हदीष से ये भी साबित होता है कि इस्लामी अदालत में अगर कोई गैर—मुस्लिम का कोई मुकद्दमा दायर हो तो फ़ैसला बहरहाल इस्लामी क़ानून के तहत किया जाएगा। आप (ﷺ) ने उन यहूदी ज़ानियों के लिये संगसारी का हुक्म इसलिये भी सादिर फ़र्माया कि खुद तौरात में भी यही हुक्म था जिसे उलम-ए-यहूद ने बदल दिया था। आप (ﷺ) ने गोया उन ही की शरीअत के मुताबिक़ फ़ैसला फ़र्माया। (ﷺ)

बाब 61 : क़ब्रों पर मस्जिद बनाना

मकरूह है

और जब हसन बिन हसन बिन अली (रज़ि.) गुज़र गये तो उनकी बीवी (फ़ातिमा बिनते हुसैन) ने एक साल तक क़ब्र पर ख़ैमा लगाए रखा। आख़िर ख़ैमा उठाया गया तो लोगों ने एक आवाज़ सुनी, क्या लोगों ने जिनको खोया था, उनको पा लिया? दूसरे ने जवाब दिया नहीं बल्कि नाउम्मीद होकर लौट गये।

तशीह:

ये हसन, हज़रत हसन बिन अली (रज़ि.) के बेटे और बड़े षिक़ात ताबेईन में से थे। उनकी बीवी फ़ातिमा हज़रत हुसैन (रज़ि.) की बेटी थीं और उनके एक लड़का था उनका नामे-नामी भी हसन था। गोया तीन पुश्त तक यही मुबारक नाम रखा गया। उनकी बीवी ने अपने दिल को तसल्ली देने और ग़म ग़लत करने के लिये साल भर तक अपने महबूब शौहर की क़ब्र के पास डेरा रखा। इस पर उनको हातिफ़े ग़ैब से मलामत हुई और वो वापस हो गई।

1330. हमसे अबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे शैबान ने, उनसे हिलाल वज़्ज़ान ने, उनसे उर्वा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने मर्जे-वफ़ात में फ़र्माया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लअनत हो कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि अगर ऐसा डर न होता तो आपकी क़ब्र खुली रहती (और हुज़रे में न होती) क्योंकि मुझ

٦١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ

الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

وَمَا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقَبْرَةَ عَلَى قَبْرِهِ سَبْعَةَ، ثُمَّ رُفِقَتْ، لَسَمِعُوا صَوِيحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا لَقُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يُسَوُّوْا فَاثَقَلُوا.

١٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ

شَيْبَانَ عَنْ هِلَالِ مَوَ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ لِي مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ((لَعْنُ اللَّهِ

الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

डर इसका है कि कहीं आपकी क़ब्र भी मस्जिद न बनाली जाए

(राजेअ: 430)

مَسْجِدًا)). قَالَتْ : وَكَوْ لَا ذَلِكْ لِأَبْرَزُوا

قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

[راجع: ٤٣٥]

तशरीह:

या'नी खुद क़ब्रों को पूजने लगे या क़ब्रों पर मस्जिद और गिर्जाघर बनाकर वहाँ अल्लाह की इबादत करने लगे तो बाब की मुताबकत हासिल होगई। इमाम इब्ने क़थ्थिम ने कहा कि जो लोग क़ब्रों पर वक्त मुअय्यन (निर्धारित) करके जमा होते हैं वो भी गोया क़ब्र को मस्जिद बनाते हैं। दूसरी हदीष में है मेरी क़ब्र को ईद न कर लेना या'नी ईद की तरह वहाँ मेले और मजमा न करना। जो लोग ऐसा करते हैं वो भी उन यहूदियों और नसरानियों की तरह हैं जिन पर आँहज़रत (ﷺ) ने लअनत की।

अफ़सोस! हमारे जमाने में क़ब्रपरस्ती ऐसी शाए हो रही है कि ये नाम के मुसलमान अल्लाह और रसूल से ज़रा भी नहीं शर्माते, क़ब्रों को इस क़दर पुख़्ता शानदार बनाते हैं कि उनकी इमारत को देखकर मसाजिद का शुब्हा होता है। हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) ने सख़्ती के साथ क़ब्रों पर ऐसी ता'मीरात के लिये मना किया है। हज़रत अली (रज़ि.) ने अबू हियाज अस्दी को कहा था अब्अषुक अला मा बअघनी अलैहि रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला तदउतिम्पालन इल्ला तमस्तहू वला कब्रन मुशरफ़न इल्ला सव्वैतहू रवाहुल्जमाअतु इल्ललबुखारी वबनु माजा या'नी क्या मैं तुमको उस खिदमत के लिये न भेजूँ जिसके लिये मुझे आँहज़रत (ﷺ) ने भेजा था। वो ये कि कोई मूरत ऐसी न छोड़ जिसे तू मिटा न दे और कोई ऊँची क़ब्र न रहे जिसे तू बराबर न कर दे।

इस हदीष से मा'लूम होता है क़ब्रों का हद से ज़्यादा ऊँचा करना भी शारेअ (ﷺ) को नापसंद है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, फ़ीहि अन्नस्मुन्नत इन्नल्कबर ला युफ़उ रफ़अन कषीरा मिन गैरि फ़किन्न बैन कान फ़ाज़िलन व मन कान गैर फ़ाज़िलिन वज़्ज़ाहिरू अन्न रफ़अल्कुबूरि ज़ियादतुन अलल्कद्रिल्माज़ुबि हुरामुन या'नी सुन्नत यही है कि क़ब्र को हद से ज़्यादा बुलन्द न बनाया जाए ख़वाह वो किसी फ़ाज़िल, आलिम या सूफ़ी की हो या किसी गैर फ़ाज़िल की और ज़ाहिर है कि शरई इजाज़त से ज़्यादा क़ब्रों को ऊँचा करना हुराम है। आगे अल्लामा फ़र्माते हैं, व मिन रफ़इल्कुबूरि अहाख़िलु तहतलहदीषि दुखूलन औलियाउ अल्कुब्बु वल्मशाहिदुल्मअमूरतु अलल्कुबूरि व अयज़न हुव मिन इत्तिख़ाज़िल्कुबूरि मसाजिदु व कद लअन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ाइल ज़ालिक कमा सयाती व कम क़द सराअन तशईदि अब्नियतिल्कुबूरि व तहसीनिहा मिम्मफ़ासिदिन यक्की लहल्इस्लामु मिन्हा इतिकादुल्जहलति लहा कइतिकादिल्कुफ़फ़ारि लिलअस्नामि व अजुम ज़ालिक फ़ज़न्नू अन्नाहा क़ादिरतुन अला जलबिल्मनाफ़िइ व दफ़इज़्ज़ररि फ़जअलूहा मक्सदत्तलबि कज़ाअल्हवाइजि व मल्जअलिनजाहिल्मतालिबि व सालू मिन्हा मा यस्अलुहूल्इबादु मिन रब्बिहिम व शहू इलयहरिहाल व तम्सहू बिहा वस्तगाषू व बिल्जुम्लति अन्नहुम लम यदरू शयअम्मिम्मा कानतिल्ज़ाहिलिय्यतु तफ़अलुहू बिल्अस्नामि इल्ला फ़अलुहू फ़इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मअ हाजल्मुन्करिशशनीइ वल्कुफ़िल्फ़जीइ ला नजिदु मय्यगजबु लिल्लाहि व युगारू हमिय्यल लिदीनिल्हनीफ़ि ला आलिमन व ला मुतअल्लिमन व ला अमीरन व ला वज़ीरन व ला मलिकन तुवारिदु इलैना मिनल्अख़बारि मा ला यशुकु मअहू अन्न कषीरम्मिन हाउला इल्मकबूरीन औ अक्फ़रूहुम इज़ा तवज्जहत अलैहि यमीनुन मिन जिहति ख़म्मिही हल्फ़ बिल्लाहि फ़ाज़िरन व इज़ा कील लहू बअद ज़ालिक इल्हफ़ बिशैख़िफ़ व मुअतकदिकल्वलियल्फुल्लानी तल्अषिमु व तल्कउ व अ बा वअतरफ़ बिल्हक्कि व हाज़ा मिन अब्निल्अदिल्लतिहाल्लति अला अन्न शिक़हुम क़द बलग़ फ़ौक शिक़म्मन क़ाल अन्नहू तआला शानियन्नैनि औ शालिषु शलाषतिन फ़ या उलमाअदीनि व या मुल्कल्मुस्लिमीन अय्यु रजदूनलिल्इस्लामि अशहू मिनल्कुफ़ि व अय्यु बलाइन लिहाज़दीनि अज़रू अलैहि मिन इबादिही गैरल्लाहि व अय्यु मुस्लीबतिन युस्नाबु बिहल्मुस्लिमून तअदिलु हाज़िल्मुस्लीबत व अय्यु मन्करिन इन्कारहू इन लम यकुन इन्कार हाज़िशिक़िल्बय्यिन वाजिबन

लक़द अस्मअत लौ नादैत हय्यन

व ला किन ला हयात लिमन तुनादी

व लौ नारन नफ़ख़त बिहा अजाअत

व ला किन अन्त तन्फ़ख़ु फ़िरिमादि

(नैलुल औतार, जिल्द नं. 4, पेज नं. 90)

या'नी बुजुर्गों की क़ब्र पर बनाई हुई इमारात, कुब्बे और ज़ियारतगाहें ये सब इस हदीष के तहत दाखिल होने की वजह से क़त्अन नाजाइज़ है। यही क़ब्रों को मसाजिद बनाना है जिस पर आँहज़रत (ﷺ) ने लअनत की और उन कुबूर के पुख़्ता बनाने और उन पर इमारात को मुजय्यन (सुसज्जित) करने से इस क़दर मफ़ासिद पैदा हो रहे हैं कि आज उन पर इस्लाम रो रहा है। उनमें से मस़लन ये कि ऐसे मज़ारों के बारे में जाहिल लोग वही ए' तिकादात रखते हैं जो कुफ़्रार बुतों के बारे में रखते हैं बल्कि उनसे भी बढ़कर। ऐसे जाहिल उन कुबूर वालों को नफ़ा देने वाले और नुक़सान पहुँचाने वाले तसव्वुर करते हैं। इसलिये उनसे हाजतें तलब करते हैं। अपनी मुरादें उनके सामने रखते हैं और उनसे ऐसे ही दुआएँ करते हैं जैसे अल्लाह के बन्दों को अल्लाह से दुआएँ करनी चाहिये। उन मज़ारात की तरफ़ कजावे बाँध-बाँधकर सफ़र करते हैं और वहाँ जाकर उन क़ब्रों को मसह करते हैं और उनसे फ़रियादरसी चाहते हैं। मुख़्तसर ये कि जाहिलियत में जो कुछ बुतों के साथ किया जाता था वो सब कुछ इन क़ब्रों के साथ हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन

और उस खुले हुए बदतरीन कुफ़्र होने के बावजूद हम किसी भी अल्लाह के बन्दे को नहीं पाते जो अल्लाह के लिये इस पर गुस्सा करे और दीने हनीफ़ की कुछ ग़ैरत उसको आए। आलिम हो या मुतअल्लिम, अमीर हो या ग़रीब या बादशाह, इस बारे में सब ख़ामोशी इख़ितयार किये हुए हैं। यहाँ तक कि सुना गया है कि ये क़ब्र-परस्त दुश्मन के सामने अल्लाह की झूठी क़सम खा जाता है। मगर अपने पैरोकार की झूठी क़समों के वक़्त उनकी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। इससे ज़ाहिर है कि उनका शिकं उन लोगों से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो दो खुदा या तीन खुदा को मानते हैं। पस ऐ दीन के आलिमों! और मुसलमानों के बादशाहों! इस्लाम के लिये ऐसे कुफ़्र से बढ़कर और मुसीबत क्या होगी और ग़ैरुल्लाह की परस्तिश से बढ़कर दीने इस्लाम के लिये और नुक़सान की चीज़ क्या होगी और मुसलमान उससे भी बढ़कर और किस मुसीबत का शिकार होंगे और अगर इस खुले हुए शिकं के ख़िलाफ़ ही आवाज़े इंकार बुलन्द न की जा सकी तो और कौनसा गुनाह होगा जिसके लिये जुबानें खुल सकेंगी? किसी शाइर ने सच कहा है,

'अगर तू ज़िन्दों को पुकारता तो सुना सकता था। मगर जिन (मुर्दों) को तू पुकार रहा है वो तो ज़िन्दगी से क़त्अन महरूम हैं। अगर तुम आग में फूँक मारते तो वो रोशन होती लेकिन तुम राख में फूँक मार रहे हो जो कभी भी रोशन नहीं हो सकती।'

खुलासा ये कि ऐसी कुबूर और ऐसे मज़ारात और उन पर ये उर्स, क़व्वालियाँ, मेले-ठेले, गाने बजाने क़त्अन हराम और शिकं और कुफ़्र हैं। अल्लाह हर मुसलमान को शिकं जली और ख़फ़ी से बचाए। आमीन

हदीषे अली (रज़ि.) के ज़ेल में हज़तुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम फ़र्माते हैं, व नहा अय्युखस्सिसलक़्ब व अय्यब्निय अलैहि व अय्यकअुद अलैहि व क़ाल ला तुसल्लू इलैहा लिअन्न ज़ालिक ज़रीअतुन अय्यत्तखिज़हन्नासु मअबूदन व अय्यफ़रतू फी तअज़ीमिहा बिमा लैस बिहक्किन्न फयुहरिफु दीनहुम कमा फअल अहलुल्लिकताबि व हुव क़ौलुहू (ﷺ) लअनल्यहूद वन्नसारा इत्तखज़ू कुबूर अम्बियाइहिम मसाजिद (हुज्जतुल्लाहिलबालिगा, जिल्द 02, पेज 126 करातिशी)

और क़ब्र को पुख़्ता करने और इस पर इमारात बनाने और उस पर बैठने से मना किया और ये भी फ़र्माया कि क़ब्रों की तरफ़ नमाज़ न पढ़ो क्योंकि ये इस बात का ज़रिया है कि लोग क़ब्रों की परस्तिश करने लगे और लोग उन क़ब्रों की इतनी ज़्यादा ता'ज़ीम करने लगे कि जिसकी मुस्तहिक़ नहीं हैं। पस लोग अपने दीन में तहरीफ़ कर डालें जैसा कि अहले किताब ने किया। चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया यहूद और नसारा पर अल्लाह की लअनत हो। उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को सज़दागाह बना लिया। पस हक़ ये है कि तवस्सुत इख़ितयार करे। न तो मुर्दा की इस क़दर ता'ज़ीम करे कि वो शिकं हो जाए और न उसकी अहानत और उसके साथ अ़दावत करे कि मरने के बाद अब ये सारे मुआमलात ख़त्म करके; मरने वाला अल्लाह के हवाले हो चुका है।

बाब 62 : अगर किसी औरत का निफ़ास की हालत में इन्तिक़ाल हो जाए तो उस पर नमाज़े-

जनाज़ा पढ़ना

1331. हमसे मुसद्दन ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रीअ ने, उनसे हुसैन मुअल्लम ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उनसे समुरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में एक औरत (उम्मे कअब) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी जिसका निफ़ास में इन्तिक़ाल हो गया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी कमर के मुक़ाबले खड़े हुए।

(राजेअ: 332)

बाब 63. : इस बारे में कि औरत और मर्द की नमाज़े जनाज़ा में कहाँ खड़ा हुआ जाए?

1332. हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उनसे हुसैन ने बयान किया और उनसे इब्ने बुरैदा ने कि हमसे समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के पीछे एक औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी, जिसका जचगी की हालत में इन्तिक़ाल हो गया था। आप उसके बीच में खड़े हुए। (राजेअ: 332)

٦٢- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّفْسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، لَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا)). [راجع: ٣٣٢]

٦٣- بَابُ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

١٣٣٢- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَسْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، لَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا)). [راجع: ٣٣٢]

तशरीह:

मसनून ये है कि इमाम औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो और मर्द के सर के मुक़ाबिल। सुनन अबू दाऊद में हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि उन्होंने ऐसा ही किया और बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) भी ऐसा ही करते थे। मगर इमाम बुखारी (रह.) ने ग़ालिबन अबू दाऊद वाली रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया और तर्जीह उसको दी कि इमाम मर्द और औरत दोनों की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो। अगरचे उस हदीष में सिर्फ़ औरत के वस्त में खड़ा होने का ज़िक्र है और यही मसनून भी है। मगर हज़रत इमाम (रह.) ने बाब में औरत और मर्द दोनों को एक जैसा करार दिया है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, व क़द ज़हब बअज़ु अहलिलइल्मि इला हाज़ौ अय अन्नल्इमाम यकूमु हज़ाअ रासिरज़ुलि व हज़ाअ अज़ीजतिल्मअति व हुव क़ौलु अहमद व इस्हाक़ व हुव क़ौलुशशाफ़िई व हुवलहक़क़ व हुव रिवायतु अन हनीफ़त क़ाल फिलहिदाया व अन अबी हनीफ़त अन्नहू यकूमु मिनरज़ुलि बिहज़ाइ रासिही व मिनल्मआति बिहज़ाइ वस्तिहा लिअन्न अनसन फअल कज़ालिक व क़ाल हुवस्सुन्नतु (तुहफ़तुल अहवज़ी)

या'नी कुछ अहले इल्म इसी तरफ़ गए हैं कि नमाज़ में इमाम मर्द मय्यत के सर के पास खड़ा हो और औरत के बदन के वस्त में कमर के पास। अहमद (रह.) और इस्हाक़ (रह.) और इमाम शाफ़िई का यही क़ौल है और यही हक़ है और हिदाया में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से एक रिवायत ये भी है कि इमाम मर्द मय्यत के सर के पास और औरत के वस्त में खड़ा हो इसलिये कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने ऐसा ही किया था और फ़र्माया था कि सुन्नत यही है।

बाब 64 : नमाजे जनाजा में चार तक्बीरें कहना

और हुमैद त्रवील ने बयान किया कि हमें हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई तो तीन तक्बीरें कहीं फिर सलाम फेर दिया। इस पर उन्हें लोगों ने याददिहानी करवाई तो दोबारा क़िबला रुख होकर चौथी तक्बीर भी कही फिर सलाम फेरा।

तशरीह :

अक़षर इलमा जैसे इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) और इस्हाक़ (रह.) और सुफ़यान प्रोरी (रह.) और अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) का यही क़ौल है और सलफ़ का इसमें इख़्तिलाफ़ है। किसी ने पाँच तक्बीरें कहीं, किसी ने तीन, किसी ने सात। इमाम अहमद (रह.) ने कहा कि चार से कम न हो और सात से ज़्यादा न हो। बैहक़ी ने रिवायत किया कि आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में जनाजा पर लोग सात और छः और पाँच और चार तक्बीरें कहा करते थे। हज़रत उमर ने चार पर लोगों का इत्तिफ़ाक़ करा दिया।

1333. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नज्जाशी का जिस दिन इन्तिक़ाल हुआ उसी दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी वफ़ात की ख़बर दी और आप (ﷺ) सहाबा के साथ ईदगाह गये। फिर आप (ﷺ) ने सफ़बन्दी करवाई और चार तक्बीरें कहीं। (राजेअ : 1240)

1334. हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैम बिन हय्यान ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन मैनाअ ने बयान किया और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अर्रहमा नज्जाशी की नमाजे जनाजा पढ़ाई तो चार तक्बीरें कहीं। यज़ीद बिन हारून वास्ती और अब्दुस्समद ने सुलैम से अर्रहमा नाम नक़ल किया है और अब्दुल वारिष ने इसकी मुताबअत की है।

(राजेअ : 1317)

नज्जाशी हब्श के हर बादशाह का लक़ब हुआ करता था। जैसा कि मुल्क में बादशाहों के खास लक़ब हुआ करते हैं शाहे हब्श का असल नाम अर्रहमा था।

बाब 65 : नमाजे जनाजा में सूरह फ़ातिहा पढ़ना (ज़रूरी है)

और इमाम हसन बसरी (रह.) ने फ़र्माया कि बच्चे की नमाजे जनाजा में पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाए, फिर ये दुआ पढ़ी जाए

٦٤- بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

أَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَثِرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَمَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى لَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)). [راجع: ١٢٤٥]

١٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَمْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا)). وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمٍ ((أَمْحَمَةَ)). [راجع: ١٣١٧]

٦٥- بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى

अल्लाहुम्मज्जल्हू लना फ़रतन व सलफ़न व अज़रन; ऐ अल्लाह! इस बच्चे को हमारा अमीरे सामान कर दे और आगे चलने वाला, प्रवाब देने वाला।

الطُّفْلُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلْفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا.

1335. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर (मुहम्मद बिन जा'फ़र) ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे सअद बिन इब्राहीम ने और उनसे तलहा ने कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी (दूसरी सनद) हमसे मुहम्मद बिन क़बीर ने बयान किया, कहा कि हमें सुफ़यान प्रौरी ने ख़बर दी, उन्हें सअद बिन इब्राहीम ने, उन्हें तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ ने, उन्होंने बतलाया कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो आपने सूरह फ़ातिहा (ज़रा पुकार कर) पढ़ी। फिर फ़र्माया कि तुम्हें मा'लूम होना चाहिये कि यही तरीक़-ए-नबवी है।

۱۳۳۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ: قَالَ ((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَهَا سُنَّةٌ)).

तशरीह: जनाजे की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ऐसे ही वाजिब है जैसा कि दूसरी नमाज़ों में क्योंकि हदीष ला सलात लमल्लम यक्रा बिफ़ातिहतिल किताब हर नमाज़ को शामिल है। इसकी तफ़्सील हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब (रह.) के लफ़्ज़ों में ये है,

वलहक्रकु वस्सवाबु अन्नकिरातल्फ़ातिहति फ़ी सलातिल्जनाज़ति वाजिबतुन कमा जहब इलैहिश्शाफ़िई व अहमद व इफ़ाक़ व ग़ैरुहुम लिअन्नहुम अज्मक्रअला अन्नहा सलातुन व क्रद प्रबत हदीषु ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल्किताबि फ़हिय दाखिलतुन तहतलउमूमि व इख़राजुहा मिन्दु यहताजु इला दलीलिन व लिअन्नहा सलातुन यजिबु फ़ीहिल्क्रियामु फवजबत फ़ीहिल्किरातु कसाइरिस्मलवाति व लिअन्नहु वरदल्अम्रु बिकिरातिहा फ़क्रद रवा इब्नु माजा बिइस्नादिन फ़ीहि जुअफ़ुन यसीरून अन्न उम्मि शरीकिन कालत अमरना रसूलुल्लाहि (ﷺ) अन नक्रअ अला मय्यतिना बिफ़ातिहतिल्किताबि व रवत्तब्रानी फिल्कबीर मिन हदीषि उम्मि अफ़ीफ़िन क़ालत अमरना रसूलुल्लाहि (ﷺ) अन नक्रअ अला मय्यतिना बिफ़ातिहतिल्किताब कालल्हैप्रमी व फ़ीहि अब्दुल्मुन्डम अबू सईद व हुव जईफ़ुन इन्तिहा

वलअम्फ़ मिन अदिल्लतिल्वुजूबि व रवत्तब्रानी फिल्कबीर ईजाउन मिन हदीषि अस्मा बिन्ति यज़ीद क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा सल्लैतुम अलल्जनाज़ति फ़क्रऊ बिफ़ातिहतिल्किताब क़ालल्हैप्रमी व फ़ीहि मुअला बिन हम्रान ब लम अजिद मन जकरहू व बक्रिय्यत रिजालिही मूषकून व फ़ी बअज़िहिम कलामु हाज़ा क्रद सन्नफ़ हसन अश्शर्नब्लानी मिम्तुतअख़िख़रिल्हनफिच्यति फ़ी हाज़िहिल्यस्अलति रिसालतन इस्मुहा अन्नज्मुल्मुस्तताब लिहुक्मिल्किराति फ़ी सलातिल्जनाज़ति उम्मुल्किताब व हक्रक्रफ़ फ़ीहा अन्नल्किरात औला मिन तर्किल्किरात व ला दलील अलल्कराहति व हुवलज़ी इख़तारहुशैख़ु अब्दुल्हय अल्लक्नवी फ़ी तसानीफ़िही लि उम्दतिरिआयति वत्तअलीक्लिम्मुम्जिदि व इमामुल्कलामि शुम्म अन्नहू इस्तदल्ल बिहदीषि इब्नि अब्बास अलल्जहरि बिल्किराति फ़िस्सलाति अलल्जनाज़ति लिअन्नहु यदुल्लु अला अन्हू जहर बिहा हत्ता समिअ ज़ालिक मन सल्ला मअहू व अस्महू मिन ज़ालिक मा जकराहु मिन रिवायतिन्नसई बिलाफ़िज़ सल्लैतु ख़ल्फ़ इब्नि अब्बास अला जनाज़तिन फ़क्रअ बिफ़ातिहतिल्किताब व सूरतन व जहर हत्ता अस्मअन फलम्मा फ़राग अख़ज़्तु बियदिही फ़सअल्लतुहु फ़क्राल सुन्नतुन व हक्रकुन व फ़ी रिवायतिन उख़रा लहू अयज़न सल्लैतु ख़ल्फ़ इब्नि अब्बास अला जनाज़ति फ़समिअतु यक्रउ बिफ़ातिहतिल्किताब व यदुल्लु अलल्जहरि बिहुआइ हदीषु औफ़िब्नि मालिक अल्आती फ़इनज़ाहिर अन्नहू हफ़िज़हुआअलम्जकूर लम्मा जहर बिहिन्नबिय्य (ﷺ) फिस्सलाति अलल्जनाज़ति अस्हू मिन्दु हदीषु वाषिला फिल्फ़स्लिष्वानी

वखतलफलउलमाउ फ़ी ज़ालिक फज़हब बअज़हुम इला अन्नहु यस्तहिब्बुलजहरु बिल्किराति वहुआई फ़ीहा वस्तदल्लु बिरिवायातिलज़ी ज़कर्नाहा अन्फन व जहबलजुमहरु इला अन्नहु ला यन्दुबुलजहरु बल यन्दुबुलइसारु क़ाल इब्नु कुदामः व युसूरुल्किरातु वहुआउ फ़ी म़लातिल्जनाज़ति ला नअलमु बैन अहलिलइल्मि फ़ीहि ख़िलाफ़न इन्तिहा

वस्तदल्लु लिज़ालिक बिमा ज़कर्ना मिन हदीषि अबी उमामत क़ाल अस्सुन्नतु फ़िःम़लाति अलल्जनाज़ति अय्युक्अ फ़िक्तक्बीरतिल्उला बिउम्मिल्कुर्आनि म़खाफ़ततन लिहदीषिन अखरजहुन्नसई व मिन तरीक्लिहि इब्नि हज़म फिल्मुहल्ला (जिल्द 05, पेज 129) क़ालन्नववी फ़ी शहिल्मुहज़ज़ब रवाहुन्नसई बिइस्नादिन अला शर्तिस्सहीहैन व क़ाल अबू उमामा हाज़ा म़हाबी इन्तिहा व बिमा रवशशाफ़िइ फिल्उम्म (जिल्द 01, पेज 239, वल्बैहकी : जिल्द 04, पेज 39) मिन तरीक्लिही अन मुतरफ़ बिन माज़िन अन मअमर अनिज़्जुहरी क़ाल अखबरनी अबू उमामा बिन सुहैल अन्नहु अखबरहु रजुलुन मिन अस्हाबिन्नबिथिय (ﷺ) इन्नस्सुन्नतु फ़िःम़लाति अलल्जनाज़ति अय्युक बिबरल्इमामु घुम्म यक्तरउ बिफ़ातिहतिल्किताब बअदत्तक्बीरतिल्उला सिर्न फ़ी नफ़िस्ही अल्हदीष व ज़उफ़त हाज़िहिरिवायतु बिमुतरफ़ लाकिन क़वाहा अल्बैहकी बिमा रवाहु फिल्अरिफ़ति वस्सुननि मिन तरीक्लि अब्दिल्लाहि बिन अबी ज़ियाद अरस्माफ़ी अनिज़्जुहरी बिमअना रिवायति मुतरफ़ व बिमा रवल्हाकिम (जिल्द 01, पेज 359, वल्बैहकी : जिल्द 04, पेज 421) अन शुरहबील बिन सअद क़ाल हज़रतु अब्दिल्लाहि बिन मस्ऊद म़ल्ला अला जनाज़ति बिल्अब्वा फकब्बर घुम्म करअ बिउम्मिल्कुर्आनि राफ़िअन सौतहू बिहा घुम्म म़ल्ला अलन्नबिथिय (ﷺ) घुम्म क़ाल अल्लाहुम्म अब्दुक वब्नु अब्दिक अल्हदीष व फ़ीआखिरिही घुम्मन्सरफ़ फ़क़ाल या अय्युहन्नासु लम अक् आलुनन अय जहरन इल्ला लितअलमून अन्नहा सुन्नतुन क़ालल्हाफ़िज़ फिल्फ़तिह व शुरहबील मुख्तलिफ़न फ़ी तौषीक्लिही इन्तिहा

व अखरजब्नुल्जारूद फिल्मुन्तक़ा मिन तरीक्लि जैदिब्नि तल्हत अतैमी क़ाल समिअतुब्न अब्बास अला जनाज़तिन फ़ातिहतिल्किताब व सूरतन व जहर बिल्किराति व क़ाल इन्मा जहरतु लिउअल्लिमकुम अन्नहा सुन्नतुन

वज़हब बअज़हुम इला अन्नहु युखथियरु बैनल्जहरि वल्इसारि व क़ाल बअज़ु अस्हाबिशशाफ़िइ अन्नहु यज़हरु बिल्लैलि कल्लैलि व युसूरुल् बिनहारि क़ाल शैख़ुना फ़ी शर्हित्तिर्मिज़ी कौलु इब्नि अब्बास इन्मा जहरतु लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन यदुल्लु अला अन्न जहरहु कान लित्तअलीमि अय ला लिबयानिन अन्नल्जहर बिल्किरात सुन्नतुन क़ाल व अम्मा क़ौलु बअज़िशशाफ़िइ यज़हरु बिल्लैलि व हाज़ा यदुल्लु अला अन्नशैख़ माल इला क़ौलिल्जुम्हूरि अन्नल्इसार बिल्किराति मन्दूबुन हाज़ा व रिवायतु इब्नि अब्बासिन इन्दन्नसई बिलाफ़िज़ फ़करअ बिफ़ातिहतिल्किताब व सूरतन तदुल्लु अला मशरूइय्यति क़िराति सूरतिम्मअल्फ़ातिहति फ़िःम़लातिल्जनाज़ति क़ालशशौकानी ला महीस अनिल्मसीर इला ज़ालिक लिअन्नहा ज़ियादतुन खारिजतुन मिम्मख़रजिन म़हीहिन कुल्लु व यदुल्लु अलैहि अयजन मा ज़करहु इब्नु हज़म फिल्मुहल्ला. (जिल्द 05, पेज 129)

हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब (रह.) के इस तवील बयान का खुलासा ये है कि सूरह फ़ातिहा जनाज़ा में पढ़नी वाजिब है जैसा कि इमाम शाफ़िई और अहमद और इस्हाक़ वग़ैरह का मज़हब है। इन सबका इज्माअ है कि सूरह फ़ातिहा ही नमाज़ है और हदीष में मौजूद है कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती। पस नमाज़े जनाज़ा भी उमूम के तहत दाखिल है और इस उमूम से खारिज करने की कोई दलीले सहीहा नहीं है और ये भी कि जनाज़ा एक नमाज़ है जिसमें क़याम वाजिब है। पस दीगर नमाज़ों की तरह उसमें भी क़िरअत वाजिब है और इसलिये भी कि उसकी क़िरअत का स़रीह हुक्म मौजूद है। जैसा कि इन्ने माजा में उम्मे शुरैक से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है। अगरचे इस हदीष की सनद में कुछ जुअफ़ है मगर दीगर दलाईल व शवाहिद की बिना पर उससे इस्तिदलाल दुरुस्त है और तब्रानी में भी उम्मे अफ़ीफ़ से ऐसा ही मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें जनाज़े की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया और अमर वजूब के लिये होता है। तब्रानी में अस्मा बित्ते यज़ीद से भी ऐसा ही मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम जनाज़े पर नमाज़ पढ़ो तो सूरह फ़ातिहा पढ़ा करो।

मुताख़िख़रीने हनफ़िया में एक मौलाना हसन शुरम्बलानी मरहूम ने इस मसले पर एक रिसाला बनाम अन्नज्मुल मुस्तताबु लिह्विक्मिल किराति फ़ी म़लातिल जनाज़ति बि उम्मिल किताब कहा है। जिसमें षाबित किया है कि जनाज़े की नमाज़ में

सूरह फ़ातिहा पढ़ना न पढ़ने से बेहतर है और उसकी कराहियत पर कोई दलील नहीं है। ऐसा ही मौलाना अब्दुल हई लखनवी (रह) ने अपनी तस्नानीफ़ इम्दतुर रखाया और तअलीकुल मुम्जिद और इमामुल कलाम वगैरह में लिखा है।

फिर हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नमाजे जनाजा में सूरह फ़ातिहा के जहर पर दलील पकड़ी गई है कि वो हदीषे साफ़ दलील है कि उन्होंने उसे बिलजहर पढ़ा। यहाँ तक कि मुक्तदियों ने उसे सुना और उससे भी ज्यादा सरीह दलील वो है जिसे निसाई ने रिवायत किया है। रावी का बयान है कि मैंने एक जनाजा की नमाज़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पीछे पढ़ा। आपने सूरह फ़ातिहा और एक सूरह को जहर के साथ हमको सुनाकर पढ़ा। जब आप फ़ारिग हुए तो मैंने आपका हाथ पकड़कर ये मसला आपसे पूछा। आपने फ़र्माया कि बेशक यही सुन्नत है और हक़ है और जनाजा की दुआओं को जहर से पढ़ने पर औफ़ बिन मालिक की हदीषे दलील है। जिन्होंने आहज़रत (ﷺ) के पीछे आपके बुलन्द आवाज़ से पढ़ने पर सुन-सुनकर उन दुआओं को याद कर लिया था और उससे भी ज्यादा सरीह वाषिला की हदीषे है।

और इलमा का इस बारे में इख़िताफ़ है। कुछ ने रिवायाते मज़कूरा की बिना पर जहर को मुस्तहब माना है जैसा कि हमने अभी उसका जिक्र किया है। जुम्हूर ने आहिस्ता पढ़ने को मुस्तहब समझा है। जुम्हूर की दलील हदीषे उमामा है जिसमें आहिस्ता से पढ़ने को सुन्नत बताया गया है अख़रजहुन्नसई। अल्लामा इब्ने हज़र ने मुहल्ला में और इमाम शाफ़िई ने किताबुल उम्म में और बैहकी वगैरह ने भी रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक सहाबी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाजे जनाजा में सूरह फ़ातिहा आहिस्ता पढ़ी जाए।

शुरहबील बिन सअद कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पीछे एक नमाजे जनाजा में ब-मक़ाम अबवा में शरीक हुआ। आपने सूरह फ़ातिहा और दरूद और दुआओं को बुलन्द आवाज़ से पढ़ा फिर फ़र्माया कि मैं जहर से न प्रदता मगर इसलिये पढ़ा ताकि तुम जान लो कि ये सुन्नत है।

और मुन्तक़ा इब्ने जारूद में है कि जैद बिन त़लहा तैमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पीछे एक जनाजा की नमाज़ पढ़ी जिसमें उन्होंने सूरह फ़ातिहा और एक सूरह बुलन्द आवाज़ से पढ़ा और बाद में फ़र्माया कि मैंने इसलिये जहर पढ़ा ताकि तुम जान लो कि ये सुन्नत है।

कुछ इलमा कहते हैं कि जहर और सिर दोनों के लिये इख़ितयार है। कुछ शाफ़िई हज़रत ने कहा कि रात को जनाजा में जहर (बुलन्द किअत के साथ) और दिन में सिर (ख़ामोश किअत) के साथ पढ़ा जाए। हमारे शैख़ मौलाना अब्दुरहमान साहब (रह) कौले जुम्हूर की तरफ़ गए हैं और फ़र्माते हैं कि क़िरअत आहिस्ता ही मुस्तहब है और निसाई वाली रिवायात अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) में दलील है कि जनाजा में सूरह फ़ातिहा एक सूरह के साथ पढ़ना मशरूअ है। मिस्वर बिन मख़रमा ने एक जनाजा में पहली तक्बीर में सूरह फ़ातिहा और एक मुख़तसर सी सूत पढ़ी। फिर फ़र्माया कि मैंने क़िरअते जहर से इसलिये की है कि तुम जान लो कि उस नमाज़ में भी क़िरअत है और ये नमाज़ गूंगी नहीं है।

ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि जनाजा में सूरह फ़ातिहा साथ एक सूरह के साथ पढ़ना ज़रूरी है। हज़रत काज़ी प्रनाउल्लाह पानीपती हनफ़ी (रह) ने अपनी मशहूर किताब मा ला बुद मिन्दु में अपना वसिय्यत नामा भी दर्ज किया है। जिसमें आप फ़र्माते हैं कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जो उसमें सूरह फ़ातिहा पढ़े। पस प्राबित हुआ कि तमाम अहले हक़ का यही मुख़तार मस्लक है।

इलम-ए-अहनाफ़ का फ़त्वा : फ़ाज़िल मुहतरम साहिबे तफ़हीमुल बुखारी ने इस मौक़े पर फ़र्माया कि हन्फ़िया के नज़दीक भी नमाजे जनाजा में सूरह फ़ातिहा पढ़नी जाइज है। जब दूसरी दुआओं से उसमें जामिइयत भी ज्यादा है तो इसके पढ़ने में हर्ज़ क्या हो सकता है। अलबत्ता दुआ और प्रना की निय्यत से इसे पढ़ना चाहिये क़िरअत की निय्यत से नहीं। (तफ़हीमुल बुखारी, पारा नं. 5, पेज नं. 122)

फ़ाज़िल मौसूफ़ ने आखिर में जो कुछ इशार्द फ़र्माया है वो सहीह नहीं जबकि साबिक़ा रिवायात मज़कूर में उसे क़िरअत के तौर पर पढ़ना प्राबित है। पस इस फ़र्क़ की क्या ज़रूरत बाक़ी रह जाती है। बहरहाल अल्लाह करे हमारे मुहतरम हनफ़ी भाई जनाजे में सूरह फ़ातिहा पढ़नी शुरू फ़र्मा दें ये भी एक नेक इक़दाम होगा।

रिवायते बाला में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह ने जो ये फ़र्माया कि ये सुन्नत और हक़ है उसकी वज़ाहत हज़रत मौलाना शैख़ुल हदीष (रह.) ने यूँ फ़र्माई है,

वल्मुरादु बिस्सुन्नति त्तरीक़ातिल्मालूफ़ति अन्हु (ﷺ) ला मा युक्राबिलुल्फ़रीज़त फ़इन्नहू इस्ति लाहुन उर्फ़ियुन हादिषुन फ़क़ाल अल्लअशरफ़ुज़्ज़मीरुल्मुअन्नषु लि किरातिल्फ़ातिहति वलैसल्मुरादु बिस्सुन्नति इन्नहा लैसत बिवाजिबतिन बल मा युक्राबिलुल्बिदअत अय इन्नहा तरीक़तुन मर्बिघ्यतुन व कालल्कस्तलानी अन्नहा अय किरातिल्फ़ातिहति फ़िल्जनाजति सुन्नतुन अय तरीक़तुशशारिइ फ़ला युनाफ़ी कौनुह वाजिबतन व क़द उलिम अन्न कौलस्सहाबी मिनस्सुन्नति कज़ा हदीषुन मर्फूउन इन्दल्अक्परि क़ालशशाफ़िइ फ़िल्उम्मि व अस्हाबुन्नबिघ्यि (ﷺ) ला यकूलून अस्सुन्नतु रसूलिल्लाहि (ﷺ) इन्शाअल्लाहु इन्तिहा (मिअतुल मफ़ातीह, पेज 477)

या'नी यहाँ लफ़्जे सुन्नत से तरीक़-ए-मालूफ़ा नबी करीम (ﷺ) मुराद है न वो सुन्नत जो फ़र्ज़ के मुकाबले पर होती है। ये एक इफ़ी इस्ति लाह इस्ते'माल की गई है ये मुराद नहीं कि ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुराद है जो बिदअत के मुकाबले पर बोली जाती है। या'नी ये तरीक़ा मरविया है और क़स्तलानी (रह) ने कहा कि जनाज़ा में सूह फ़ातिहा पढ़नी सुन्नत है या'नी शारेअ का तरीक़ा है और ये वाजिब होने की मनाफ़ी नहीं है। इमाम शाफ़िई (रह) ने किताबुल उम्म में फ़र्माया है कि सहाबा किराम (रिज़.) लफ़्जे सुन्नत का इस्ते'माल सुन्नत तरीक़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) पर करते थे। अक्वाले सहाबा में हदीषे मर्फूअ पर भी सुन्नत का लफ़्ज़ बोला गया। बहरहाल यहाँ सुन्नत से मुराद ये है कि सूह फ़ातिहा नमाज़ में पढ़ना तरीक़-ए-नबवी है और ये वाजिब है कि उसके पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती जैसा कि ऊपर वाली तफ़्सील में बयान किया गया है।

बाब 66 : मुर्दे को दफ़न करने के बाद क़ब्र

पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना

٦٦ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ

مَا يُدْفَنُ

1336. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे सुलैमान शैबानी ने बयान किया, कहा कि मैंने शुअबी से सुना, उन्होंने बयान किया कि मुझे उस सहाबी ने ख़बर दी जो नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अलग-थलग क़ब्र से गुज़र रहे थे। क़ब्र पर आप (ﷺ) इमाम बने और सहाबा ने आपके पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। शैबानी ने कहा कि मैंने शुअबी से पूछा कि अबू अम्र! आप से किस सहाबी ने बयान किया था, तो उन्होंने बतलाया कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने। (राजेअ: 875)

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَنُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ٨٥٧]

1337. हमसे मुहम्मद बिन फुज़ैल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे प्राबित ने बयान किया, उनसे अबू राफ़ेअ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि काले रंग का एक मर्द या काले रंग की एक औरत मस्जिद में ख़िदमत किया करती थी, उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन नबी करीम (ﷺ) को किसी ने ख़बर नहीं दी। एक दिन आपने खुद याद फ़र्माया कि वो शख़्स दिखाई नहीं देता। सहाबा ने

١٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((رَأَى أَسْوَدَ - رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً - كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَلَيْهِ

कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! उनका इन्तिकाल हो गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया फिर तुमने मुझे ख़बर क्यों नहीं दी? सहाबा ने अर्ज किया कि ये वजह थी (इसलिये आपको तकलीफ़ नहीं दी गई) गोया लोगों ने उनको हक़ीर जानकर क़ाबिले तवज्जह नहीं समझा। लेकिन आपने फ़र्माया कि चलो मुझे उनकी क़ब्र बता दो। चुनाँचे आप उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। (राजेअ : 458)

तशरीह :

ये काला मर्द या काली औरत मस्जिदे नबवी की जारूबकश बड़े-बड़े बादशाहाने हफ़्ते अक्तीम से अल्लाह के नज़दीक मर्तबे और दर्जे में जाइद थी। हबीबुल्लाह (ﷺ) ने दूँढ़कर उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी। वाह रे किस्मत! आपकी कफ़श-बरदारी अगर हमको बहिश्त में नज़ीब हो जाए तो ऐसी दुनिया की लाखों सल्तनतों इस पर तस्दीक कर दें। (वहीदी)

हज़रत इमाम बुखारी (रह) ने उससे प़ाबित फ़र्माया कि अगर किसी मुसलमान मर्द या औरत का जनाज़ा न पढ़ा गया हो तो क़ब्र पर दफ़न करने के बाद भी पढ़ा जा सकता है। कुछ ने उसे नबी करीम (ﷺ) के साथ ख़ास कर दिया है मगर दा'वा बेदलील है।

बाब 68 : इस बयान में कि मुर्दा लौटकर जाने वालों के जूतों की आवाज़ सुनता है

٦٧- بَابُ الْمَيِّتِ يَسْمَعُ خَفَقَ النَّعَالِ

यहाँ से ये निकला कि क़्रिस्तान में जूते पहनकर जाना जाइज़ है। इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुखारी (रह) ने ये बाब इसलिये क़ायम किया कि दफ़न के आदाब का लिहाज़ रखें और शोरो-गुल और ज़मीन पर जोर-जोर से चलने से परहेज़ करें जैसे ज़िन्दा सोते आदमी के साथ करता है।

1338. हमसे अय्याश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, (दूसरी सनद) इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे ख़लीफ़ा बिन ख़याज़ ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन ज़रिअ ने, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी जब क़ब्र में रखा जाता है और दफ़न करके उसके लोग-बाग पीठ मोड़कर रुख़सत होते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। फिर दो फ़रिश्ते आते हैं, उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि उस शख़्स (मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ) के मुता'ल्लिक तुम्हारा क्या एतिक़ाद है? वो जब जवाब देता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। इस जवाब पर उससे कहा जाता है कि ये देख जहन्नम का अपना एक ठिकाना लेकिन अल्लाह तआला ने जन्नत में तेरे लिये एक मकान इसके बदले में बना दिया है। नबी करीम

١٣٣٨- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح.. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْقَبْرُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَقَبَ أَصْحَابُهُ - حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ بَعَالِهِمْ - أَنَاهُ مَلَكَانَ فَأَقْبَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: لَهَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَيَقَالُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبَدَلَكِ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ)). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَيَرَاهُمَا

(ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उस बन्दा-ए-मोमिन को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाई जाती है और रहा काफ़िर या मुनाफ़िक़ तो उसका जवाब ये होता है कि मुझे मा'लूम नहीं। मैंने लोगों को एक बात कहते सुना था, वही मैं भी कहता रहा। फिर उससे कहा जाता है कि न तूने समझा और न (अच्छे लोगों की) पैरवी की। इसके बाद उसे एक लोहे के हथौड़े से बड़े जोर से मारा जाता है और वो इतने भयानक तरीक़े से चीखता है कि इन्सान और जिन्न के सिवा इर्द-गिर्द की तमाम मख़लूक़ सुनती है। (राजेअ : 1374)

جَمِينًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوْ الْمُنَافِقُ -
فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ
النَّاسُ. فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ
يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ
أُذُنَيْهِ، فَيَصْرُخُ صَرْخَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا
الْقَلْبَيْنِ)).

[طرفه في : 1374]

तशरीह : इस हदीष से ये निकला कि हर शख्स के लिये दो-दो ठिकाने बने हैं, एक जन्नत में और जहन्नम में, और ये कुआन शरीफ़ से भी षाबित है कि काफ़िरो के ठिकाने जो जन्नत में हैं उनके दो ज़ख में जाने की वजह से उन ठिकानों को इमानदार ले लेंगे।

क़ब्र में तीन बातों का सवाल होता है, 'मन रब्बुका?' तेरा रब कौन है? मोमिन जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है फिर सवाल होता है, तेरा दीन क्या है? मोमिन जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम था। फिर पूछा जाता है कि तेरा नबी कौन है? वो बोलता है मेरे नबी रसूल हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हैं। इन जवाबात पर उसके लिये जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाएंगे और काफ़िर हर सवाल के जवाब में कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता जैसा लोग कहते थे मैं भी कह दिया करता था। मेरा दीन मज़हब कुछ न था। इस पर उसके लिये जहन्नम के दरवाज़े खोल दिये जाएंगे।

लिमा ला दरैत व लिमा ला तलैत के ज़ेल मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम (रह) फ़र्माते हैं। या'नी न मुज्तहिद हुआ न मुकल्लिद अगर कोई ए'तिराज़ करता है कि मुकल्लिद तो हुआ क्योंकि उसने पहले कहा कि लोग जैसा कहते थे मैंने भी वैसा ही कहा। तो उसका जवाब ये है कि ये तक्लीद कुछ काम की नहीं कि सुने सुनाए पर हर शख्स अमल करने लगा। बल्कि तक्लीद के लिये भी ग़ौर लाज़िम है कि जिस शख्स की हम तक्लीद कर रहे हैं आया वो लायक़ और फ़ाज़िल और समझदार था या नहीं और दीन का इल्म उसको था या नहीं। सब बातें बखूबी तहक़ीक़ करनी ज़रूरी हैं।

बाब 68 : जो शख्स अर्ज़े-मुक़द्दस या ऐसी ही किसी बरकत वाली जगह दफ़न होने का आरज़ूमन्द हो

٦٨- بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي

الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوَهَا

1339. हमसे महमूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुरज़्ज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमको मअमर ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन तारुस ने, उन्हें उनके वालिद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मलकुल-मौत (आदमी की शक़ल में) मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजे गये। वो जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने (न पहचान कर) उन्हें एक जोर का तमाचा मार दिया ओर उनकी आँख फोड़ डालीं। वो वापस अपने रब के हुज़ूर में पहुँचे और अर्ज़ किया कि या अल्लाह तूने मुझे ऐसे बन्दे की तरफ़ भेजा जो मरना नहीं चाहता।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرِّزَائِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: ((أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَقَالَ:

عَيْنُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ:

أُرْسِلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ. فَرَدَّ

अल्लाह तआला ने उनकी आँख पहले की तरह कर दी और फ़र्माया कि दोबारा जा और उनसे कह कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखिये और पीठ पर जितने बाल आपके हाथ के तले आ जाएँ उनके हर बाल के बदले एक साल की जिन्दगी दी जाती है। (मूसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह तआला का ये पैग़ाम पहुँचा तो) आपने कहा कि ऐ अल्लाह! फिर क्या होगा? अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि फिर भी मौत आनी है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो अभी क्यों न आ जाए। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक पत्थर की मार पर अज़े मुक़द्दस से करीब कर दिया जाए। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें उनकी क़ब्र दिखाता कि लाल टीले के पास रास्ते के करीब है।

बेतुल मक्दिस हो या मक्का-मदीना ऐसे मुबारक मुक़ामात में दफ़न होने की आरजू करना जाइज़ है। इमाम बुखारी (रह) का मक़सदे बाब यही है।

बाब 69 : रात में दफ़न करना कैसा है? और अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) रात में दफ़न किये गये

1340. हमसे इब्माम बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जर्रीर ने बयान किया, उनसे शैबानी ने, उसने शुअबी ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक ऐसे शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जिनका इन्तिक़ाल रात में हो गया था (और उसे रात ही में दफ़न कर दिया गया था) आप (ﷺ) और आपके सहाबा खड़े हुए और आपने उनके मुता'ल्लिक पूछा था कि ये किन की क़ब्र है? लोगों ने बताया कि फ़लाँ की है जिसे कल रात ही दफ़न किया गया है। फिर सब ने (दूसरे रोज़) नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। (राजेअ: 875)

मा'लूम हुआ कि रात को दफ़न करने में कोई क़बाहत नहीं है बल्कि बेहतर यही है कि रात हो या दिन मरने वाले का कफ़न-दफ़न में देर न करना चाहिये।

बाब 70 : क़ब्र पर मस्जिद ता'मीर करना कैसा है?

1341. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.)

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَيْنُهُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَعَلَّ
لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ نَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا
غَطَّتْ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً. قَالَ: أَيُّ
رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ:
فَلَا أَلَانَ. فَسَأَلَ اللّٰهُ أَنْ يُدِينَهُ مِنَ الْأَرْضِ
الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ ﷺ: ((لَلْوُ كُنْتُ ثُمَّ، لِأَرْضِكُمْ قَبْرَةٌ
إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَيْبِ
الْأَخْمَرِ)).

٦٩- بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا

١٣٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ
بَلَيْلَةً، فَمِمُّهُ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ
فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقَالُوا: فَلَانَ، دُفِنَ
الْبَارِحَةَ. فَصَلُّوا عَلَيْهِ)).

[راجع: ٨٥٧]

٧٠- بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

١٣٤١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي
مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

ने कि जब नबी करीम (ﷺ) बीमार पड़े तो आपकी बाज़ बीवियों (उम्मे सलमा रज़ि और उम्मे हबीबा रज़ि.) ने एक गिरजे का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था, जिसका नाम मारिया था। उम्मे सुलैम और उम्मे हबीबा (रज़ि.) दोनों हब्शा के मुल्क में गई थीं। उन्होंने उसकी खूबसूरती और उसमें रखी गई तस्वीरों का ज़िक्र किया। इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने सरे मुबारक उठाकर फ़र्माया कि ये वो लोग है कि जब उनमें कोई सालेह शख्स मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद ता'मीर कर देते। फिर उसकी मूरत उसमें रखते। अल्लाह के नज़दीक ये लोग सारी मख़लूक में बुरे हैं।

(राजेअ: 428)

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا اشْتَكَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرْتَ بَعْضَ نِسَائِهِ كَيْسَةَ رَأَيْتَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يَقْفَانُ لَهَا مَارِيَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْتَا مِنْ حُسْنِيهَا وَتَصَاوُرِي فِيهَا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)). [راجع: ٤٢٧]

तशरीह: इमाम क्रस्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, क़ालक़ुर्तुबी इन्ना सव्वरू अवाइलहुम अस्सुवर लियतानसौ बिहा व यतज़क्करु अफ़्आलहुमुस्सालिहत फयज्तिहिदून कइज्तिहादिहिम व यअबुदूनल्लाह इन्द कुबूरिहिम शुम्म खल्फुहुम क़ौमुन जहलू मुरादुहुम व वस्वस लहुमुशतानु अन्न अस्लाफ़ुकुम कानू यअबुदून हाजिहिस्सुवर व युअज्जिमूनहा फहज़रन्नबिय्यु (ﷺ) अन मप्पिल ज़ालिक सहन लिज्जरीअतिलमुदियति इला ज़ालिक बिकौलिही उलाइक शिरारुल्खल्कि इन्दल्लाहि व मौज़इत्तर्जुमति बनौ अला कबिही मस्जिदन व हुव मुल अला मज्जमतिम्मतिखज़ल्कब्र मस्जिदन व मुक्तजाहु अत्तहरीमु ला शीमा व कद षबतल्लअनु अलैहि या'नी कुर्तुबी ने कहा कि बनी इस्राईल ने शुरू मे अपने बुजुर्गों के बुत बनाए ताकि उनसे उन्स हासिल करें और उनके नेक कामों को याद करके खुद भी ऐसे ही नेक काम करें और उनकी क़ब्रों के पास बैठकर इबादते इलाही करें। पीछे और भी ज़्यादा जाहिल लोग पैदा हुए। जिन्होंने इस मक़सद को फ़रामोश कर दिया और उनको शैतान ने वस्वसे में डाल दिया कि तुम्हारे अस्लाफ़ उन ही मूरतों को पूजते थे और उन्हीं की ता'ज़ीम करते थे। पस नबी करीम (ﷺ) ने इसी शिर्क का सद्देबाब (काट) करने के लिये सख्ती के साथ डराया और फ़र्माया कि अल्लाह के नज़दीक यही लोग बदतरीन मख़लूक हैं और बाब का तर्जुमा लफ़ज़ हदीष बनौ अला कबिही मस्जिदन से षाबित होता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख्स की मुजम्मत की जो क़ब्र को मस्जिद बना ले। उससे इस फ़ेअल की हुर्मत भी प्राबित होती है और ऐसा करने पर लअनत भी वारिद हुई है।

हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) की क़ौम ने भी शुरू में इसी तरह किया उन्होंने अपने बुजुर्गों के बुत बनाए, बाद में फिर उन बुतों की पूजा होने लगी और उन्हें खुदा का दर्जा दे दिया गया। उमूमन सारी बुतपरस्त क़ौमों का यही हाल है। जबकि वो खुद कहते भी हैं कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियकरिबुना इलल्लाहि जुल्फ़ा (अज्जुमर: 3) या'नी हम उन बुतों को महज़ इसलिये पूजते हैं कि ये हमको अल्लाह से करीब कर देगे। बाक़ी मअबूद नहीं हैं ये तो हमारे लिये वसीला हैं। अल्लाह पाक ने मुशिकीन के इस ख़्याले बातिल की तदीद में कुआनि करीम का बेशतर हिस्सा नाज़िल फ़र्माया।

सद अफ़सोस! कि किसी न किसी शकल में बहुत से इस्लाम के दा'वेदारों में भी इस किस्म का शिर्क दाखिल हो गया है। हालाँकि शिर्क अकबर हो या अस्फ़ार; उसके मुर्तकब पर जन्नत हमेशा के लिये हराम है। मगर इस सूत्र में कि वो मरने से पहले उससे तौबा करके ख़ालिस अल्लाह वाला बन जाए। अल्लाह पाक हर किस्म के शिर्क से बचाए, आमीन!

बाब 71 : औरत की क़ब्र में कौन उतरे?

٧١- بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

1342. हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, उनसे फुलैह

١٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ

बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी के जनाजे में हाज़िर थे। आँहज़रत (ﷺ) क़ब्र पर बैठे हुए थे। मैंने देखा कि आप (ﷺ) की आँखों से आँसू जारी थे। आपने पूछा कि क्या ऐसा आदमी भी कोई यहाँ है जो आज रात को औरत के पास न गया हो। इस पर अबू तल्हा (रज़ि.) बोले कि मैं हाज़िर हूँ। हज़ूरे-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम क़ब्र में उतर जाओ। अनस (रज़ि.) ने कहा कि वो उतर गये और मय्यित को दफ़न किया। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान कि फुलैह ने कहा कि मेरा खयाल है कि युकारिफ़ का मा'नी ये है कि जिसने गुनाह न किया हो। इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि सूरह अन्-आम में जो लियक्तरिफ़ आया है उसका मा'नी यही है ताकि गुनाह करें। (राजेअ : 1285)

حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنَهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عَلَى الْقَبْرِ - فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: ((هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: ((فَأَنْزِلْ فِي قَبْرِهَا)) فَانزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبْرُهَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ: أَرَأَاهُ يُعْنِي اللَّذْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿لِيَقْتَرِفُوا﴾ أَي لِيَكْتَسِبُوا.

[راجع: ١٢٨٥]

एक बात अजीब मशहूर हो गई है कि मौत के बाद शौहर अपनी बीवी के लिये अजनबी और आम आदमी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, ये इतिहाई लजब और गलत तस्वुर है। इस्लाम में शौहर का रिश्ता बीवी का रिश्ता इतना मा'मूली नहीं कि वो मरने के बाद ख़त्म हो जाए और मर्द औरत के लिये अजनबी बन जाए। पस औरत के जनाजे को खुद उसका शौहर भी उतार सकता है और हल्के ज़रूरत दूसरे लोग भी जैसा कि इस हदीष से प्रामित है।

बाब 42 : शहीद की नमाजे जनाजा पढ़ें या नहीं?

1343. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन कअब बिन मालिक ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने उहुद के दो-दो शहीदों को मिला कर एक ही कपड़े का कफ़न दिया। आप दरयाफ़्त फ़र्माते कि इनमें कुआन किसे ज़्यादा याद है? किसी एक की तरफ़ इशारे से बताया जाता तो आप बग़ली क़ब्र में उसी को आगे करते और फ़र्माते कि मैं क़यामत में इनके हक़ में शहादत दूंगा। फिर आप (ﷺ) ने सबको उनके ख़ून समेत दफ़न करने का हुक्म दिया। न उन्हें गुस्ल दिया गया और न उनकी नमाजे जनाजा पढ़ी गई।

٧٧- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

١٣٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ؟)) لِذَا أُخِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَمُهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: ((أَنَا شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُفْسَلُوا

(दीगर मक़ाम: 1345, 1346, 1347, 1348, 1353, 4089)

1344. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे अबुल ख़ैर यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे इब्बा बिन आमिर ने कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन बाहर तशरीफ़ लाए और उहुद के शहीदों पर इस तरह नमाज़ पढ़ी जिस तरह मद्यित पर नमाज़ पढ़ी जाती है। फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, देखो मैं तुमसे पहले जाकर तुम्हारे लिये मीरे सामान बनूंगा और मैं तुम पर गवाह रहूंगा और क़सम अल्लाह की मैं इस वक़्त अपने हौज़ को देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुन्जियाँ दी गई है या (ये फ़र्माया कि) मुझे ज़मीन की कुन्जियाँ दी गई है और क़सम अल्लाह की मुझे इसका डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे बल्कि इसका डर है कि तुम लोग दुनिया हासिल करने में रग़बत करोगे। (नतीजा ये कि आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाओगे)

(दीगर मक़ाम: 3596, 4042, 6085, 6426, 6590)

तशरीह:

अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जो मैदाने जंग में मारा जाए इस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने न पढ़ने के बारे में इख़ितलाफ़ है। इसी बाब के ज़ेल में दोनों अह्दादीष में ये इख़ितलाफ़ मौजूद है। उनमें तत्बीक़ ये है कि दूसरी हदीष जिसमें शुहदा-ए-उहुद पर नमाज़ का ज़िक़र है उससे मुराद सिर्फ़ दुआ और इस्तिफ़ार है। इमाम शाफ़िई (रह) कहते हैं कअन्नहू (ﷺ) दआ लहुम वस्तग़फ़र लहुम हीनक़रूब अजलुहू बअदप्रमानि सिनीन कलमुवहड़ लिलअहयाइ वल्अम्वात (तुहफतुल्अहवज़ी) या'नी इस हदीष में जो ज़िक़र है ये ग़ज्व-ए-उहुद के आठ साल बाद का है या'नी आहज़रत (ﷺ) अपने आख़िरी वक़्त में शुहदा-ए-उहुद से भी रुख़सत होने के लिये वहाँ गए और उनके लिये दुआए मफ़िरत फ़र्माई।

लम्बी बहष के बाद मौलाना अब्दुर्रहमान साहब (रह) फ़र्माते हैं, कुल्लु अज़ज़ाहिर इन्दी अन्नइसलात अलशहीदि लैसत बिवाजिबतिन फयजूजू अंध्युसल्लिय अलैहा व यजूजू तुकुहा वल्लाहु आलमु या'नी मेरे नज़दीक शहीद पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और न पढ़ना दोनों उमूर जाइज़ हैं, वल्लाहु आलम

बाब 73 : दो या तीन आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न करना

1345. हमसे सईद बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने

وَأَمَّ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

[أطرافه في: 1345, 1346, 1347, 1348, 1353, 4089]

1344 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي
الْخَيْرِ عَنْ غَفَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاةً
عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى الْمُنْبَرِ
فَقَالَ: ((إِنِّي لَرَطٌ لَكُمْ، وَمَا أَنَا شَهِيدٌ
عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي
الآن، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ
الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا
أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَاسَرُوا فِيهَا)).

[أطرافه في: 3596, 4042, 6085, 6426, 6590]

[6090, 6426]

73 - بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ
فِي قَبْرِ وَاحِدٍ

1345 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ

शिहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन कअब ने कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उन्हें खबर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने उहुद के दो-दो शहीदों को दफ़न करने में एक साथ जमा फ़र्माया। (राजेअ: 1343)

हदीष और बाब में मुताबकत ज़ाहिर है।

बाब 74 : उस शख्स की दलील जो शुहदा का गुस्ल मुनासिब नहीं समझता

1346. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अब्दुरहमान बिन कअब ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि उन्हें खून समेत दफ़न कर दो या'नी उहुद की लड़ाई के मौक़े पर और उन्हें गुस्ल नहीं दिया था। (राजेअ: 1343)

बाब 75 : बग़ली क़ब्र में कौन आगे रखा जाए

इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि बग़ली क़ब्र को लहद इसलिये कहा गया कि ये एक कोने में होती है और हर जाइर (अपनी जगह से हटी हुई चीज़ को लहद कहेंगे। इसी से है (सूरह कहफ़ में) लफ़ज़ मुल्तहदा या'नी पनाह का कोना और अगर क़ब्र सीधी (सन्दूकी) है तो उसे ज़रीह कहते हैं।

1347. हमसे मुहम्मद बिन मुक्रातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उन्होंने कहा हमें लैष बिन सअद ने खबर दी, उन्होंने कहा मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन कअब बिन मालिक ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उहुद के दो-दो शहीदों को एक ही कपड़े में कफ़न देते और पूछते कि इन में कुआन किसने ज़्यादा याद किया है। फिर जब किसी एक तरफ़ इशारा कर दिया जाता तो लहद में उसी को आगे बढ़ाते और फ़र्माते जाते कि मैं इन पर गवाह हूँ। आपने खून समेत उन्हें दफ़न करने का हुक्म दिया। न उनकी नमाज़े जनाज़ा

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلِي أَخِي)). [راجع: 1343]

٧٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسَلَ الشَّهَدَاءِ

١٣٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ)), يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يُغْسَلُوهُمْ. [راجع: 1343]

٧٥- بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ.

وَسُمِّيَ اللَّحْدُ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةِ وَكُلُّ جَابِرٍ مُلْحَدٌ. ((مُلْتَحَدًا)): مَقْدِلًا. وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرْبًا.

١٣٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلِي أَخِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: ((أَنَا

पढ़ी और न उन्हें गुस्ल दिया।

(राजेअ: 1343)

1348. फिर हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने और उनसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पूछते जाते कि इनमें कुआन ज़्यादा किसने हासिल किया है? जिसकी तरफ़ इशारा कर दिया जाता आप लहद में उसी को दूसरे से आगे बढ़ाते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे वालिद और चंचा को एक ही कम्बल में कफ़न दिया गया था।

(राजेअ: 1343)

और सुलैमान बिन क़शीर ने बयान किया कि मुझे जुहरी ने बयान किया, उनसे उस शख़्स ने बयान किया जिन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना था।

मसलके राजेह यही है जो हज़रत इमाम ने बयान फ़र्माया कि शहीद फ़ी सबीलिल्लाह पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए। तफ़सील पीछे गुज़र चुकी है।

बाब 76 : इज़्रर और सूखी घास क़ब्र में बिछाना

1349. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद हुज़ज़ाअ ने, उनसे इकरमा ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने मक्का को हरम किया है। न मुझसे पहले किसी के लिये (यहाँ क़त्ल व ख़ून) हलाल था और न मेरे बाद होगा और मेरे लिये भी थोड़ी देर के लिये (फ़तहे मक्का के दिन) हलाल हुआ था। पस न इसकी घास उखाड़ी जाए, न इसके पेड़ क़लम किये जाएँ। न यहाँ के जानवरों को (शिकार के लिये) भगाया जाए और सिवा उस शख़्स के जो ऐलान करना चाहता हो (कि ये गिरी हुई चीज़ किसकी है) किसी के लिये वहाँ से कोई गिरी

شَيْئًا عَلَى هَوْلَاءِ)).

وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ،
وَلَمْ يُسَلِّهُمْ)). [راجع: 1343]

1348 - وَأَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلِي
أَحَدٍ: ((أَيُّ هَوْلَاءِ أَكْثَرَ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ؟))
فَإِذَا أُشِيرَ لَهٗ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ
قَبْلَ صَاحِبِهِ - وَقَالَ جَابِرٌ - فَكَفَّنَ أَبِي
وَعَمِي فِي نَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ)).

[راجع: 1343]

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَيْسِرٍ: حَدَّثَنِي قَالَ
الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ.

٧٦- بَابُ الْإِذْخَرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

1349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حَوْشِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ:
حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
((حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ
لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا أَحَدٍ بَعْدِي، أَجَلَتْ لِي
سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ: لَا يُخْتَلَى خِلَافَهَا، وَلَا
يُغَضَّدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُفْرَسُ صَيْدُهَا، وَلَا
تُلْتَقَطُ لِقَطْنُهَا إِلَّا لِمَعْرُوفٍ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ

हुई चीज उठाना जाइज नहीं। इस पर हजरत अब्बास (रज़ि.) ने कहा, लेकिन इससे इज़्रखर का इस्तफ़ना कर दीजिए कि ये हमारे सुनारों के और हमारी क़ब्रों में काम आती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया मगर इज़्रखर की इजाज़त है। अबू हुरैरह (रज़ि.) की नबी करीम (ﷺ) से रिवायत में है, हमारी क़ब्रों और घरों के लिये। और अबान बिन स़ालेह ने बयान किया, उनसे हसन बिन मुस्लिम ने, उनसे स़फ़िया बिनत शैबा ने कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसी तरह सुना था। और मुजाहिद ने ताऊस के वास्ते से बयान किया और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये, हमारे क़ैन (लोहारों) और घरों के लिये (हरम से इज़्रखर उखाड़ना) जाइज कर दीजिए।

(49, 1578, 1833, 1734, 2090, 2433, 2783, 2825, 3088, 3189, 4313)

पस आपने इज़्रखर नामी घास उखाड़ने की इजाज़त दे दी।

तशरीह: इस हदीष से जहाँ क़ब्र में इज़्रखर या किसी सूखी घास का डालना प्राबित हुआ। वहाँ हरम मक़तुलमुकर्रमा का भी इश्बात हुआ। अल्लाह ने शहर मक्का को अमन का शहर बताया है। कुआन मजीद में उसे बलद अमीन कहा गया है। या'नी वो शहर जहाँ अमन है, वहाँ न किसी का क़त्ल जाइज है न किसी जानवर का मारना जाइज है यहाँ तक कि घास तक भी उखाड़ने की इजाज़त नहीं। ये वो अमन वाला शहर है जिसे अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही से बलदे अमीन करार दिया है।

बाब 77 : कि मय्यित को किस ख़ास वजह से क़ब्र या लहद से बाहर निकाला जा सकता है?

इमाम बुखारी (रह) ने इस बाब में उसका जवाज़ प्राबित किया अगर किसी पर ज़हर खिलाने या ज़र्ब लगाने से मौत का गुमान हो तो उसकी लाश भी क़ब्र से निकालकर देख सकते हैं। अलबत्ता मुसलमान की लाश को चीरना किसी हदीष से प्राबित नहीं है।

1350. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, अम्र ने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक़) को उसकी क़ब्र में डाला जा चुका था। लेकिन आप (ﷺ) के इशारे पर उसे क़ब्र से निकाल लिया गया। फिर आप (ﷺ) ने उसे अपने घुटनों पर रखकर लुआबे-दहन उसके मुँह में डाला और अपना कुर्ता उसे पहनाया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। (शालिबन मरने के बाद एक मुनाफ़िक़ के साथ इस एहसान की वजह ये थी कि)

رَضِيََ اللهُ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاحِبَاتِنَا وَتَبُورِنَا. فَقَالَ: ((لَا الْإِذْخِرَ)).

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَتَبُورِنَا وَتَبُورَاتِنَا)).

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ)) مِثْلَهُ. وَقَالَ

مُجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((لَقَبْتَهُمْ وَتَبُورَهُمْ)).

[٤٩] ، ١٠٨٧ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٤

٢٠٩٠ ، ٢٤٣٣ ، ٢٧٨٣ ، ٢٨٢٥

[٣٠٧٧ ، ٣١٨٩ ، ٤٣١٣]

٧٧- بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ.

١٣٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ

بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَعْدَةَ مَا

أَدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ

عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَتَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ،

وَأَلْبَسَهُ لَبِيصَةً، فَأَلَّهُ أَكْظَمُ وَكَانَ كَسَا

उसने हज़रत अब्बास को एक क़मीस पहनाई थी। (ग़ज़व-ए-बद्र में जब हज़रत अब्बास (रज़ि.) मुसलमानों के क़ैदी बन कर आए थे) सुफ़यान ने बयान किया कि अबू हारून मुसा बिन अबी ईसा कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस्ते'माल में दो कुर्ते थे। अब्दुल्लाह के बेटे (जो मोमिने-मुख़िलस थे) ने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद को आप वो क़मीस पहना दीजिए जो आपके जिस्मे-अत्हर के करीब रहती है। सुफ़यान ने कहा कि लोग समझते हैं कि आँ हज़रत (ﷺ) ने अपना कुर्ता उसके कुर्ते के बदले पहना दिया जो उसने हज़रत अब्बास (रज़ि.) को पहनाया था।

1351. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमको बिशर बिन मुफ़ज़ज़ल ने ख़बर दी, कहा कि हमसे हुसैन मुअल्लम ने बयान किया, उनसे अताअ बिन अबी रबाह ने, उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि जब जंगे उहुद का वक़्त करीब आ गया तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्लाह ने रात को बुलाकर कहा कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि नबी करीम (ﷺ) के अरूहाब में सबसे पहला मक़तूल मैं ही होऊँगा। और देखो नबी करीम (ﷺ) के सिवा दूसरा कोई भी (अपने अज़ीज़ों और वारिषों में) तुमसे ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है, मैं मक़रूज़ हूँ इसलिये तुम मेरा क़र्ज़ अदा कर देना और अपनी (नौ) बहनों से अच्छा सुलूक करना। चुनौचे जब सुबह हुई तो सबसे पहले मेरे वालिद शहीद हुए। क़ब्र में आपके साथ मैंने एक दूसरे शख़्स को भी दफ़न किया था। पर मेरा दिल नहीं माना कि उन्हें दूसरे साहब के साथ यूँ ही क़ब्र में रहने दूँ। चुनौने महीने के बाद मैंने उनकी लाश को क़ब्र से निकाला देखा तो सिर्फ़ कान थोड़ा-सा गलने के सिवा बाक़ी सारा जिस्म उसी तरह था, जैसे दफ़न किया गया था।

(दीगर मक़ाम : 1352)

तशरीह : जाबिर (रज़ि.) के वालिद अब्दुल्लाह (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के सच्चे जाँनिषार थे और उनके दिल में जंग का जोश भरा हुआ था। उन्होंने ये ठान ली थी कि मैं काफ़िरों को मारूँगा और मरूँगा। कहते हैं कि उन्होंने एक ख़्वाब में भी देखा था कि मुबशिशर बिन अब्दुल्लाह जो जंगे बद्र में शहीद हो गए थे वो उनको कह रहे थे कि तुम हमारे पास इन्हीं दिनों में आना चाहते हो। उन्होंने ये ख़्वाब आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में बयान किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हारी क़िस्मत में शहादत लिखी हुई है। चुनौचे ये ख़्वाब सच्चा प्राबित हुआ। इस हदीस से एक मोमिन की शान भी मा'लूम हो गई कि उसको आँहज़रत (ﷺ) सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हों।

عَبَّاسًا قَمِيصًا وَ قَالَ سَفِيَانُ وَقَالَ
أَبُوهُرَيْرَةَ : وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي
جَنْدَكَ. قَالَ سَفِيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مَكَالَاةً لِمَا
صَنَعَ)).

۱۳۵۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ
بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
(لَمَّا حَضَرَ أَخَذَ دَعَائِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ
فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا لِي أَوَّلِ مَنْ
يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَإِنِّي لَا
أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. لِإِنَّ عَلَيَّ دِينًا، فَأَقْضِ،
وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَالِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا،
فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَذَلِيقَ مَعَهُ آخِرُ لِي قَبْرِ،
ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخِرِ
فَأَسْتَخْرِجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ
كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيْةً، غَيْرَ أَذِيَّةً)).

[طرفه ن: ۱۳۵۲]

1352. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन आमिर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उनसे इब्ने अबी नजीह ने, उनसे अत्ताअ बिन अबी रबाह ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे बाप के साथ एक ही क़ब्र में एक और सहाबी (हज़रत जाबिर रज़ि. के चचा) दफ़न थे। लेकिन मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं हो रहा था। इसलिये मैंने उनकी लाश निकालकर दूसरी क़ब्र में दफ़न कर दी। (राजेअ: 1351)

बाब 78 : बग़ली या सन्दूकी क़ब्र बनाना

1353. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें लैष बिन सअद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुरहमान बिन कअब बिन मालिक ने, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) ने बयान किया कि उहुद के शहीदों को आँहज़रत (ﷺ) एक क़फ़न में दो-दो को एक साथ करके पूछते थे कि कुआन किस को ज़्यादा याद था। फिर जब किसी एक की तरफ़ इशारा कर दिया जाता तो बग़ली क़ब्र में उसे आगे कर दिया जाता। फिर आप फ़र्माते कि मैं क़यामत को इन (के ईमान) पर गवाह बनूँगा। आप (ﷺ) ने उन्हें बग़ैर गुस्ल दिए खून समेत दफ़न करने का हुक्म दिया था।

(राजेअ: 1343)

बाब 79 : एक बच्चा इस्लाम लाया फिर उसका इन्तिक़ाल हो गया, तो क्या उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी? और क्या बच्चे के सामने इस्लाम की दा'वत पेश की जा सकती है?

हसन, शुरैह, इब्राहीम और क़तादा (रह.) ने कहा कि वालिदैन में से जब कोई इस्लाम लाए तो उनका बच्चा भी मुसलमान समझा जाएगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) भी अपने वालिद के साथ (मुसलमान समझे गये थे और मक्का के) कमज़ोर मुसलमानों में से थे। आप अपने वालिद के साथ नहीं थे जो अभी तक अपनी

۱۳۵۲- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((ذُلِفْنَ مَعَ أَبِي رَجُلٍ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتَهُ، فَبَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلِيٍّ حِدَّةً)). (راجع: ۱۳۵۱)

۷۸- بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِ فِي الْقَبْرِ ۱۳۵۳- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ نَمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغْسَلْهُمْ)). (راجع: ۱۳۴۳)

۷۹- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُغْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ؟

وقال الحسنُ وشريحُ وإبراهيمُ وقادةُ: إذا أسلمَ أحدُهُما فالوَلدُ مَعَ المُسَلِّدِ وكان ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهُما مَعَ أمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ. ولم يكن مَعَ أبي

क्रौम के दीन पर कायम थे। हजुरे-अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि इस्लाम ग़ालिब रहता है मज़्लूब नहीं हो सकता।

1354. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें जुहरी ने, कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उमर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कुछ दूसरे अरह़ाब के साथ इब्ने सय्याद के पास गये। आपको वो बनू मुग़ाला मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला उन दिनों इब्ने सय्याद जवानी के करीब था। उसे आँहज़रत (ﷺ) के आने की कोई ख़बर ही नहीं हुई थी। लेकिन आप (ﷺ) ने उस पर अपना हाथ रखा तो उसे मा'लूम हुआ। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने सय्याद! क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ! इब्ने सय्याद रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ देखकर बोला, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर उसने नबी करीम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया, क्या आप भी इसकी गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये बात सुनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे छोड़ दिया और फ़र्माया, मैं अल्लाह और उसके पैग़म्बरों पर इमाम लाया। फिर आप (ﷺ) ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता हूँ? इब्ने सय्याद बोला कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों ख़बरें आती हैं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया फिर तो तेरा सब काम गडु-मडु हो गया। फिर आप (ﷺ) ने (अल्लाह तआला के लिये) उससे फ़र्माया अच्छा मैंने एक बात दिल में रखी है, वो बतला। (आप (ﷺ) ने सूरह दुख़ान की आयत का तसव्वुर किया फ़र्तिकब्र यौम तातिसमाउ बिदुखानिम्मुबीन; इब्ने सय्याद ने कहा वो दुख़ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया चल दूर हो तू अपनी बिसात से आगे भी न बढ़ सकेगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मुझको छोड़ दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर ये दज्जाल है तो तू इस पर ग़ालिब न होगा और अगर दज्जाल नहीं है तो इसका मार डालना तेरे लिये बेहतर न होगा। (दीगर मक़ाम: 3055, 6173, 6618)

1355. और सालिम ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना वो कहते थे फिर एक दिन आँहज़रत (ﷺ) और

عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الْإِسْلَامُ يَغْلِبُ وَلَا يَغْلَبُ.

۱۳۵۴ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِي رَهْطٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْقَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ عِنْدَ أَطْمِ بَنِي مُغَالَةَ - وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلْمَ - فَلَمَّ يَشْتَعِرُ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: ((تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟)) فَظَهَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِينِ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: ((أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)). فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَا نَبِيَّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ)). ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَيْئًا)). فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: ((أَخْشَا، فَلَمْ تَعْدُو قَدْرَكَ)). فَقَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ يَكُنْهُ لَنْ تَسْلُطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)).

[أطرافه في: ۳۰۵۵، ۶۱۷۳، ۶۶۱۸].

۱۳۵۵ - وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((انْطَلَقَ بَعْدَ

उबय बिन कअब (रज़ि.) दोनों मिलकर उन खजूर के पेड़ों में गये। जहाँ इब्ने सय्याद था (आप ﷺ चाहते थे कि इब्ने सय्याद आपको न देखे और) इससे पहले कि वो आपको देखे आप (ﷺ) गफ़लत में उससे कुछ बातें सुन लें। आख़िर आँहज़रत (ﷺ) ने उसको देखा। वो एक चादर ओढ़े पड़ा था। कुछ गुन-गुन या फन-फन कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इब्ने सय्याद की माँ ने दूर ही से आँहज़रत (ﷺ) को देख पाया। आप (ﷺ) खजूर के तनों में छुप-छुपकर जा रहे थे। उसने पुकार कर इब्ने सय्याद से कह दिया साफ़! ये इब्ने सय्याद का नाम था। देखो मुहम्मद आन पहुँचे। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। आँहज़रत ने फ़र्माया काश! इब्ने सय्याद की माँ उसको बातें करने देती तो वो अपना हाल खोलता। शुऐब ने अपनी रिवायत में ज़म्ज़मतुन फ़रफ़सहू अक़ील ने रम्रमा नक़ल किया है और मअमर ने रम्रजा कहा है।

(दीगर मक़ाम: 2638, 3033, 3056, 6174)

ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَنِي كَعْبٍ إِلَى
النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ
يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ
ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْطَجِعٌ
- يَغِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ، أَوْ زَمْرَةٌ
- فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
يَطْفِي بِجَلْوَعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ
: يَا صَافٍ - وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ - هَذَا
مُحَمَّدٌ ﷺ، فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَوْ تَرَكَتَهُ بَيْنَ)).. وَقَالَ شُعَيْبٌ
فِي حَدِيثِهِ: زَمْرَةٌ فَرَمَضَةٌ. زَمْرَةٌ. وَقَالَ
إِسْحَاقُ وَغُفَيْلٌ زَمْرَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ:
زَمْرَةٌ. [أطرافه في: ٢٦٣٨، ٣٠٣٣]

[٣٠٥٦، ٦١٧٤]

तशरीह: इब्ने सय्याद एक यहूदी लड़का था जो मदीना में दज़्लो-फ़रेब की बातें कर करके अवाम को बहकाया करता था। आँहज़रत (ﷺ) ने उस पर इस्लाम पेश फ़र्माया। उस समय वो नाबालिग़ था। उससे इमाम बुखारी (रह.) का मक़सद बाब हुआ। आप (ﷺ) उसकी तरफ़ से मायूस हो गए कि वो ईमान लाने वाला नहीं या आप (ﷺ) ने जवाब में उसको छोड़ दिया या'नी उसकी निस्बत ला व नअम कुछ नहीं कहा सिर्फ़ इतना फ़र्मा दिया कि मैं अल्लाह के सब पैग़म्बरों पर ईमान लाया।

कुछ रिवायतों में फ़रफ़सहू स़ाद मुहमला से है कि या'नी एक लात उसको जमाई। कुछ ने कहा कि आप (ﷺ) ने उसे दबाकर भींचा आप (ﷺ) ने जो कुछ उससे पूछा उससे आपकी गर्ज़ महज़ ये थी कि उसका झूठ खुल जाए और उसका पैग़म्बरी का दा'वा ग़लत हो। इब्ने सय्याद ने जवाब में कहा कि मैं कभी सच्चा कभी झूठा ख़्वाब देखता हूँ, ये शख़्स काहिन था उसकी झूठी सच्ची ख़बरें शैतान दिया करते थे। दुखान की जगह सिर्फ़ लफ़ज़ दुख कहा। शैतानों की इतनी ही ताक़त होती है कि एक आध कलिमा उचक लेते हैं, उसी में झूठ मिलाकर मशहूर करते हैं (ख़ुलासा वहीदी) मज़ीद तफ़्सील दूसरी जगह आएगी।

1356. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे श़ाबित ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि एक यहूद लड़का (अब्दुल कुदूस) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत किया करता था, एक दिन वो बीमार हो गया। आप (ﷺ) उसका मिजाज़ मा'लूम करने के लिये तशरीफ़ लाए और उसके सिरहाने बैठ गये और फ़र्माया मुसलमान हो जा। उसने अपने

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ لَابِتٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ رَحِيحٍ أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ غُلَامٌ
يَهُودِيٌّ يَخْتَلِمُ النَّبِيَّ ﷺ لَمَرُوضٍ، فَاتَاهُ
النَّبِيُّ ﷺ يَخُودُهُ، فَغَدَّ حَيْثُ رَأَسِهِ فَقَالَ

बाप की तरफ देखा, बाप वहीं मौजूद था। उसने कहा कि (क्या मुज़ायक़ा है) अबुल क़ासिम (ﷺ) जो कुछ कहते हैं मान ले। चुनौचे वो बच्चा इस्लाम ले आया। जब आँहज़रत (ﷺ) बाहर निकले तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने इस बच्चे को जहन्नम से बचा लिया।

(दीगर मक़ाम : 5656)

1357. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन इययना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) को ये कहते सुना था कि मैं और मेरी वालिदा (आँहज़रत ﷺ की हिजरत के बाद में) कमज़ोर मुसलमानों में से थे। मैं बच्चों में और मेरी वालिदा औरतों में।

(दीगर मक़ाम : 4578, 4588, 4597)

जिसका ज़िक्र सूरह निसा की आयतों में है, वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनरिजालि वन्निसाइ वल्विलदानि और इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनरिजालि वन्निसाइ वल्विलदानि

1358. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐब ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि इब्ने शिहाब, हर उस बच्चे की जो वफ़ात पा गया हो, नमाज़े जनाज़ा पढ़ते थे। अगरचे वो हाराम ही का बच्चा क्यों न हो क्योंकि उसकी पैदाइश इस्लाम की फ़ितरत पर हुई। या'नी उस सूरत में जबकि उसके वालिदैन मुसलमान होने के दावेदार हों। अगर सिर्फ़ बाप मुसलमान हो ओर माँ का मज़हब इस्लाम के सिवा कोई और हो जब भी। बच्चे के रोने की पैदाइश के वक़्त अगर आवाज़ सुनाई देती तो उस पर नमाज़ पढ़ी जाती। लेकिन अगर पैदाइश के वक़्त कोई आवाज़ न आती तो उसकी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी। बल्कि ऐसे बच्चे को कच्चा हम्मल गिर जाने के दर्जे में समझा जाता था क्योंकि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर बच्चा फ़ितरत (इस्लाम) पर पैदा होता है। फिर उसके माँ-बाप उसे यहूदी या नस्रानी या मजूसी बना देते हैं, जिस तरह तुम देखते हो कि जानवर सहीह सालिम बच्चा जनता है। क्या तुमने कोई कान

لَهُ: ((أَسْلِمَ)). قَنَطَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عَيْدُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. فَأَسْلَمَ. فَنَخَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)).

[طرفه ن: ٥٦٥٦.]

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ: أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ)).

[أطرافه ن: ٤٥٨٧، ٤٥٨٨، ٤٥٩٧.]

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: يُصَلِّي عَلَىٰ كُلِّ مَوْلُودٍ مَوْتًا وَإِنْ كَانَ لِقَيْةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهْلَ صَارِحًا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلِّي عَلَىٰ مَنْ لَا يَسْتَهْلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَاهُ أَوْ يُنصِّرَاهُ أَوْ يُمَجْسِئَاهُ، كَمَا تَتَّبِعُ الْهَيْمَةَ هَيْمَةً جَمَاعَةً: هَلْ تَجْسُونَ فِيهَا مِنْ جَذَاهَا؟))

कटा हुआ बच्चा भी देखा है? फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने इस आयत को तिलावत किया, ये अल्लाह की फ़ितरत है, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। (दीगर मक़ाम : 1309, 1380, 4775)

तशरीह:

कस्तलानी ने कहा कि अगर वो चार महीने का बच्चा हो तो उसको गुस्ल और कफ़न देना वाजिब है, इसी तरह दफ़न करना लेकिन नमाज़ वाजिब नहीं क्योंकि उसने आवाज़ नहीं की और अगर चार महीने से कम का हो तो एक कपड़े में लपेटकर दफ़न कर दिया जाए।

1359. हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमको यूनस ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने ख़बर दी और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ-बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जानवर एक सहीह सालिम जानवर जनता है। क्या तुम उसका कोई अज़व (पैदाइशी तौर) पर कटा हुआ देखते हो? फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये अल्लाह तआला की फ़ितरत है जिस पर लोगों को उसने पैदा किया है। अल्लाह तआला की ख़िल्कत में कोई तब्दीली मुम्किन नहीं, यही दीने-क़य्यिम है। (राजेअ : 1307)

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الْآيَةَ.
[أطرافه في: ١٣٥٩، ١٣٨٥، ٤٧٧٥]

[٥٦٩٩]

١٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَلْتَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَاهُ أَوْ يُنَصِّرَاهُ أَوْ يُمَجْسِبَاهُ، كَمَا تَتَّجِبُ الْبَيْهَمَةُ بِبَيْهَمَةِ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ لِيَهَا مِنْ جَذَعَاءَ؟))
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾.

[راجع: ١٣٥٨]

बाब का मतलब इस हदीष से यूँ निकलता है कि जब हर एक आदमी की फ़ितरत इस्लाम पर हुई तो बच्चे पर भी इस्लाम पेश करना और उसका इस्लाम लाना सही होगा। इब्ने शिहाब ने इस हदीष से ये निकाला कि हर बच्चे पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए क्योंकि वो इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा हुआ है। उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ़ देखा गोया उससे इजाज़त चाही जब उसने इजाज़त दे दी तो वो शौक़ से मुसलमान हो गया। बाब और हदीष में मुताबक़त ये है कि आप (ﷺ) ने उस बच्चे से मुसलमान होने के लिये फ़र्माया। इस हदीष से अख़लाके मुहम्मदी पर भी रोशनी पड़ती है कि आप अज़ राहे हमददी मुसलमान और ग़ैर-मुसलमान सबके साथ मुहब्बत का बर्ताव करते और जब भी कोई बीमार होता तो उसकी मिज़ाजपुरी के लिये तशरीफ़ ले जाते थे।

बाब 80 : जब एक मुश्रिक मौत के वक़्त
ला इलाह इल्लल्लाह कह ले

٨٠- بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

या'नी जब तक मौत का यक़ीन न हुआ हो और मौत की निशानियाँ ज़ाहिर न हुई हों क्योंकि उनके ज़ाहिर होने के बाद फिर ईमान लाना फ़ायदा नहीं करता। अबू तालिब को भी आप (ﷺ) ने नज़अ से पहले ईमान लाने को फ़र्माया होगा या अगर नज़अ की

हालत शुरू हो गई थी तो ये अबू तालिब की खुसूसियत होगी जैसे आपकी दुआ से उसके अज़ाब में तख्फ़ीफ़ हो जाएगी।

1360. हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मेरे बाप (इब्राहीम बिन सअद) ने मालेह बिन कैसान से ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्होंने बयान किया कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने अपने बाप (मुसय्यिब बिन हज़्ज़ रज़ि.) से ख़बर दी, उनके बाप ने उन्हें ख़बर दी कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाए। देखा तो उनके पास उस वक़्त अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन उमय्या बिन मुगीरह मौजूद थे। आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि चचा! आप एक कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह (अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं) कह दीजिए ताकि मैं अल्लाह तआला के यहाँ इस कलिमे की वजह से आपके हक़ में गवाही दे सकूँ। इस पर अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या वग़ैरह ने कहा अबू तालिब! क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) बार-बार कलिम-ए-इस्लाम उन पर पेश करते रहे। अबू जहल और इब्ने अबी उमय्या भी अपनी बात दोहराते रहे। आख़िर अबू तालिब की आख़िरी बात ये थी कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही रहे। उन्होंने ला इलाह इल्लल्लाह कहने से इन्कार कर दिया फिर भी रसूलुल्लाह ने फ़र्माया कि मैं आपके लिये इस्तिफ़ार करता रहूँगा। यहाँ तक कि मुझे मना न कर दिया जाए। इस पर अल्लाह तआला ने आयत व मा कान लिन्नबिद्यि नाज़िल फ़र्माई। (सूरह तौबा : 113)

(दीगर मक़ाम : 3884, 4670, 4882, 6681)

तशरीह : जिसमें कुफ़र व मुश्रिकीन के लिये इस्तिफ़ार की मुमानअत कर दी गई थी। अबू तालिब के आँहज़रत (ﷺ) पर बड़े एहसानात थे। उन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा आँहज़रत (ﷺ) को पाला और परवरिश की और काफ़िरों की इज़ादेही से आपको बचाते रहे। इसलिये मुहब्बत की वजह से आपने ये फ़र्माया कि ख़ैर में तुम्हारे लिये दुआ करता रहूँगा और आपने उनके लिये दुआ शुरू की। जब सूरह तौबा की आयत व मा लिन्नबिद्यि नाज़िल हुई कि पैग़म्बर और ईमानवालों को चाहिये कि मुश्रिकों के लिये दुआ न करें, उस वक़्त आप रुक गए। हदीष से ये निकला कि मरते वक़्त भी अगर मुश्रिक शिक़ से तौबा कर ले तो उसका ईमान सही होगा। बाब का यही मतलब है। मगर ये तौबा सकरात से पहले होनी चाहिये। सकरात की तौबा कुबूल नहीं जैसा कि कुआनी आयत फ़लम यकु यन्फ़इहुम ईमानुहुम लम्मा रअौ बासना (गाफ़िर : 85) में मज़कूर है।

۱۳۶۰ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَ أَبِي جَهْلٍ بَنِ هِشَامٍ وَعِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: ((يَا عَمُّ، لَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِبَلِّكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرًا مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنَا وَاللَّهِ لَا أَسْتَغْفِرُونَ لَكَ مَا لَمْ أَنَا عَنْكَ)) فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ الآية.

[أطرافه في: ۳۸۸۴، ۴۶۷۰، ۴۷۷۲]

[۶۶۸۱]

बाब 18 : कब्र पर खजूर की डाल लगाना

और बुरैदा अस्लमी सहाबी (रज़ि.) ने वसिधत की थी कि उनकी कब्र पर दो शाखें लगा दी जाएँ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) की कब्र पर खैमा तना हुआ देखा तो कहने लगे कि ऐ गुलाम! इसे उखाड़ डाल, अब इन पर इनका अमल साया करेगा। और खारिजा बिन ज़ैद ने कहा कि इम्रान (रज़ि.) के ज़माने में मैं जवान था और फलाँग लगाने में सबसे ज़्यादा समझा जाता था जो इम्रान बिन मज़ऊन (रज़ि.) की कब्र पर फलाँग लगा कर उस पार को जाता और इम्रान बिन हकीम ने बयान किया कि खारिजा बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़कर एक कब्र पर मुझको बिठाया और अपने चचा यज़ीद बिन श़ाबित से रिवायत किया कि कब्र पर बैठना उसको मना है जो पेशाब या पाखाना के लिये उस पर बैठे। और नाफ़ेअ ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कब्रों पर बैठा करते थे।

1361. हमसे यह्या बिन जा'फ़र बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताऊस ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र ऐसी दो कब्रों पर हुआ जिन पर अज़ाब हो रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उन पर अज़ाब किसी बहुत बड़ी बात पर नहीं हो रहा है, सिर्फ़ ये कि इनमें एक शख्स पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप (ﷺ) ने खजूर की एक हरी डाली ली और उसके दो टुकड़े करके दोनों कब्रों पर एक-एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ने ऐसा क्यों किया? आपने फ़र्माया कि शायद उस वक़्त तक के लिये उन पर अज़ाब कुछ हल्का हो जाए, जब तक ये खुश्क न हो। (राजेअ: 216)

٨١- بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ
وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انزَعُهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظَلُّهُ عَمَلُهُ.
وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنِ اشْتَدْنَا وَتَبَتِ الْأَيْدِي يَتَبُّ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرِ قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِّهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.

١٣٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ: أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ التُّبُولِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)).
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةَ رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا بِصَفْتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: ((رَأَيْتُهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَتَسَاءَلَا)).

तशीह:

आँहजरत (ﷺ) ने एक क़ब्र पर खजूर की डालियाँ लगा दी थीं। कुछ ने कहा कि ये मसनून है, कुछ कहते हैं कि ये आँहजरत (ﷺ) का ख़ास्सा था और किसी को डालियाँ लगाने में कोई फ़ायदा नहीं। चुनौचे इमाम बुखारी (रह) इब्ने उमर (रज़ि.) का अषर उसी बात को प्राबित करने के लिये लाए। इब्ने उमर और बुरैदा (रज़ि.) के अषर को इब्ने सअद ने वस्ल किया। ख़ारजा बिन ज़ैद के अषर को इमाम बुखारी (रह) ने तारीख़े सगीर में वस्ल किया। इस अषर और उसके बाद के अषर को बयान करने से इमाम बुखारी (रह) की गुर्ज़ ये है कि क़ब्रवालों को उसके अमल ही फ़ायदा देते हैं। ऊँची चीज़ लगाना जैसे शाख़ें वग़ैरह या क़ब्र की इमारत ऊँची बनाना या क़ब्र पर बैठना ये चीज़ें जाहिर में कोई फ़ायदा या नुक़सान देने वाली नहीं हैं। ये ख़ारजा बिन ज़ैद अहले मदीना के सात फुक़हा में से हैं। उन्होंने अपने चचा यजीद बिन प्राबित से नक़ल किया कि क़ब्र पर बैठना उसको मकरूह है जो उस पर पाख़ाना या पैशाब करे। (वहीदी)

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, क़ाल इब्नु रशीद व यज़हरु मिन तसरूफ़िल्बुख़ारी अन्न ज़ालिक ख़ास्सुन बिहिमा फ़लिज़ालिक अकबहू बि कौलिब्नि उमर इन्नमा यज़िल्लुहू अमलहू (फ़तुल बारी) या'नी इब्ने रशीद ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) के तसरूफ़ से यही जाहिर होता है कि शाख़ों के गाड़ने का अमल उन ही दोनों क़ब्रों के साथ ख़ास था। इसलिये इमाम बुख़ारी (रह) इस ज़िक़ के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का क़ौल लाए हैं कि उस मरने वाले का अमल ही उसको साया कर सकेगा। जिनकी क़ब्रों पर ख़ैमा देखा गया था वो अब्दुरहमान बिन अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ये ख़ैमा दूर करा दिया था। क़ब्रों पर बैठने के बारे में जुम्हूर का क़ौल यही है कि नाजाइज़ है। इस बारे में कई एक अह्दादीष भी वारिद हैं चंद हदीष मुलाहिज़ा फ़र्माएँ।

अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) लिअन्यज़्लिस अहदुकुम अला जमरतिन फतुहरिंकु प्रियाबहू फतखल्लस इला जिल्दिही खैरुन लहू मिन अन्यज़्लिस अला क़ब्रिन रवाहुल्जमाअतु इल्लुबुख़ारी व तिमिर्ज़ी या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से कोई अगर किसी अंगारे पर बैठे कि वो उसके कपड़े और जिस्म को जला दे तो उससे बेहतर है कि क़ब्र पर बैठे।

दूसरी हदीष अमर बिन हज़म से मरवी है, 'रअनी रसूलुल्लाहि (ﷺ) मुत्तकिअन क़ब्रिन फ़क़ाल ला तूज़ि स़ाहिब हाज़ल क़ब्रि औ ला तुज़हु रवाहु अहमद' या'नी मुझे आँहजरत (ﷺ) ने एक क़ब्र पर तकिया लगाए हुए देखा तो आपने फ़र्माया इस क़ब्र वाले को तकलीफ़ न दे। इन्हीं अह्दादीष की बिना पर क़ब्रों पर बैठना मना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का फ़ेअल जो मज़कूर हुआ कि आप क़ब्रों पर बैठा करते थे, तो शायद उनका ख़याल ये हो कि बैठना उसके लिये मना है जो उस पर पाख़ाना पेशाब करे। मगर दीगर अह्दादीष की बिना पर मुतलक़ बैठना भी मना है जैसा कि मज़कूर हुआ या उनका क़ब्र पर बैठने से मुराद सिर्फ़ टेक गलाना है न कि ऊपर बैठना।

हदीषे मज़कूर से क़ब्र का अज़ाब भी प्राबित हुआ जो बरहक़ है जो कई आयाते कुर्आनी व अह्दादीषे नबवी से प्राबित है। जो लोग अज़ाबे क़ब्र का इंकार करते और अपने आपको मुसलमान कहलाते हैं। वो कुर्आन व हदीष से बेबहरा (नावाकिफ़) और गुमराह हैं। हदाहुमुल्लाहु आमीन!

बाब 82 : क़ब्र के पास आलिम का बैठना और लोगों को नसीहत करना और लोगों का उसके इर्दगिर्द बैठना

सूरह क्रमर में आयत यख़तरुज़न मिनलअज्दाषि में अज्दाष से क़ब्रें मुराद हैं और सूरह इन्फ़ितार में बुअषिरत के मा'नी उठाए जाने के है। अरबों के क़ौल में बअषर्तु हौज़ी का मतलब ये कि हौज़ का

٨٢- بَابُ مَوْعِظَةِ الْمَحَدَّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾
﴿بَغْيَرَاتٍ﴾ الْقَبُورِ. أَيْرَت:

निचला हिस्सा ऊपर कर दिया। ईफ़ाज़ के मा'नी जल्दी करना। और आ'मश की क़िरात में इला नसब बिफ़त्हिनून है या'नी एक शय मन्सूब की तरफ तेज़ी से दौड़ी जा रही है ताकि उससे आगे बढ़ जाए। नुस्ब बिज़म्मिनून वाहिद है और नसबीब बिफ़त्हिनून मस्दर रहे और सूरह क़ाफ़ में यौमल ख़ुरूज से मुराद मुदों का क़ब्रों से निकलना है और सूरह अंबिया में यन्सिलून यख़रूजुन के मा'नी में है।

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी आदत के मुताबिक़ यहाँ भी कई एक कुआनी अल्फ़ाज़ की तशरीह फ़र्मा दी। क़ब्रों की मुनासबत से अज्दाफ़ के मा'नी और बुअख़िरत के मा'नी बयान कर दिये। आयत में है कि क़ब्रों से इस तरह निकलकर भागेंगे जैसे थानों की तरफ़ दौड़ पड़ते हैं। इस मुनासबत से ईफ़ाज़ और नसब के मा'नी बयान किये। ज़ालिक यौमल ख़ुरूज में ख़ुरूज से क़ब्रों से निकलना मुराद है। इसलिये यन्सिलून का मा'नी बयान कर दिया क्योंकि वो भी यख़रूजून के मा'नी में है।

हज़रत मुज्ताहिदे मुत्तलक़ इमाम बुखारी (रह) ने ये प़ाबित किया कि क़ब्रिस्तान में अगर फ़ुर्सत नज़र आए तो इमाम, आलिम, मुहदिष वहाँ लोगों को आख़िरत याद दिलाने और प़वाब और अज़ाबे क़ब्र पर मुत्तलअ करने के लिये कुआन व हदीष की रोशनी में वा'ज़ सुना सकता है जैसा कि ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने वा'ज़ सुनाया।

मगर किस क़दर अफ़सोस की बात है कि बेशतर लोग जो क़ब्रिस्तान में जाते हैं वो महज़ तफ़रीह वहाँ वक़्त गुज़ार देते हैं और बहुत से हुक्का-सिगरेटनोशी में मस्रूफ़ रहते हैं और बहुत से मिट्टी लगने तक इधर-उधर मटरग़त करते रहते हैं। इसलिये ऐसे लोगों को सोचना चाहिये कि आख़िर उनको भी आना है और क़ब्र में दाख़िल होना है। किसी न किसी दिन तो क़ब्रों को याद कर लिया करें या क़ब्रिस्तान में जाकर तो मौत और आख़िरत की याद से अपने दिलों को पिघलाया करें। अल्लाह तआला सबको नेक समझ अत्ता करे। आमीन।

अहले बिदअत ने बजाय मसनून तरीक़ा के क़ब्रिस्तानों में और नित नए तरीक़े ईजाद कर लिये हैं और अब तो नई बिदअत ये निकाली गई है कि दफ़न करने के बाद क़ब्र पर अज़ान देते हैं। अल्लाह जाने अहले बिदअत को ऐसी नई बिदअत कहाँ से सूझती हैं। अल्लाह तआला बिदअत से बचाकर सुन्नत पर अमलपैरा होने की तौफ़ीक़ बरख़शे। आमीन!

1362. हमसे इफ़्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझ से जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर बिन मुअतमिर ने बयान किया, उनसे सअद बिन अब्दुने, उनसे अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन हबीब ने और उनसे हज़रत अली (रज़ि.) ने बयान किया कि हम बक़ीअ गरक़द में एक जनाज़े के साथ थे। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और बैठ गये हम भी आप के इर्दगिर्द बैठ गये। आपके पास एक छड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेदने लगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम में से कोई ऐसा नहीं या कोई जान ऐसी नहीं जिसका ठिकाना जन्नत और दोज़ख़ दोनों जगह न लिखा गया हो और ये

بَعَثَتْ حَوْصِي: أَى جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَغْلَاهُ.
الإيفاض: الإسراع. وقراً الأغمش:
إلى نصب: إلى شيء منصوب
يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ. وَالنَّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ
مَصْنَعٌ. يَوْمَ الْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ:
«يَنْسِلُونَ» يَخْرُجُونَ.

۱۳۶۲ - حَدَّثَنَا عُفْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: ((كُنَّا لِي جَنَازَةً لِي بِقَبْرِ الْفَرَقِدِ،
فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَفَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ
مِخْصَرَةٌ. فَكُنَّسَ لِمَجْعَلٍ يَنْكُتُ
بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ
أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا

भी कि वो नेक बख्त होगी या बदबख्त। इस पर एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर क्यों न हम अपनी तकदीर पर भरोसा कर लें कि अमल छोड़ दें क्योंकि जिसका नाम नेक दफ्तर में लिखा गया है वो जरूर नेक काम की तरफ रुजूअ होगा और जिसका नाम बदबख्तों में लिखा है वो जरूर बदी की तरफ जाएगा। हज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि बात ये है कि जिनका नाम नेकबख्तों में है उनको अच्छे काम करने में ही आसानी मा'लूम होती है और बदबख्तों को बुरे कामों में आसानी नज़र आती है। फिर आप (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत फ़र्माई, फ़अम्मा मन आता वक्तका।

(दीगर मक़ाम : 4945, 4946, 4947, 4948, 6217, 6605, 7752)

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا لَقَدْ كُنَيْتَ حَيَّةً أَوْ سَعِيدَةً)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تَتَكَلَّمُ عَلَيَّ كَيْبَابًا وَتَدْعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَمِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَمِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ: ((أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَسْرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيَسْرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَغْطَىٰ وَآتَىٰ﴾ (الآية)).

وأطرانه في: ٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧،

٤٩٤٨، ٦٢١٧، ٦٦٠٥، ٧٧٥٢.]

या'नी जिसने अल्लाह तआला की राह में दिया और परहेज़गारी इख्तियार की और अच्छे दीन को सच्चा माना उसको हम आसानी के घर या'नी जन्नत में पहुँचाने की तौफ़ीक़ देंगे। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष की शरह वल्लैल की तफ़सीर में आएगी और ये हदीष तकदीर के इश्बात में एक असल्ले अज़ीम है। आपके फ़र्माने का मतलब ये है कि अमल करना और मेहनत करना ज़रूरी है। जैसे हकीम कहता है कि दवा खाए जाओ हालाँकि शिफ़ा देना अल्लाह का काम है।

बाब 83 : बाब जो शख्स खुदकुशी कर ले उसकी सज़ा का बयान

٨٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

तशरीह : इस बाब के लाने से हज़रत इमाम बुखारी (रह) की गर्ज़ ये है कि जो शख्स खुदकुशी करे जब वो जहन्नमी हुआ तो उस पर जनाजे की नमाज़ न पढ़ना चाहिये और शायद इमाम बुखारी (रह) ने उस हदीष की तरफ़ इशारा किया जिसे अह्लुबे सुन्नन ने जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) के सामने एक जनाज़ा लाया गया। उसने अपने तई तीरों से मार डाला था तो आँहज़रत (ﷺ) ने उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ाई। मगर निसाई की रिवायत से मा'लूम हुआ कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने पढ़ ली तो मा'लूम हुआ कि और लोगों की इबरत के लिये जो इमाम और मुक्तदा (अगुवाई करने वाला) हो वो इस पर नमाज़ न पढ़े लेकिन अवाम पढ़ सकती है। और इमाम शाफ़िई (रह) और अबू हनीफ़ा (रह) और जुम्हूर इलमा ये कहते हैं कि फ़ासिक़ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। ये भी फ़ासिक़ है और उत्तरत और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और औज़ाई के नज़दीक़ फ़ासिक़ पर नमाज़ न पढ़ें, इसी तरह बागी और डाकू पर भी। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) इब्ने मुनीर का कौल यूँ नक़ल करते हैं, आदतुलबुखारी इज़ा तवक्क़फ़ फ़ी शैइन तरज्जम अलैहि तर्जमतुन मुब्हमतुन कअन्नहू युनब्बिह अला तरीकिल्इज्तिहादि व क़द नुकिल अन मालिक अन कातिलन्नफ़िस ला तुक्बलु तौबतुहू व मुक्तजाहू अल्ला युसल्लिय अलैहि व हुव नफ़्सु कौलिल्लुखारी

या'नी इमाम बुखारी (रह) की आदत ये है कि जब उनको किसी अम्र में तवक्कुफ़ होता है तो उस पर मुबहम बाब मुनक्रिद फ़र्माते हैं। गोया वो तरीक़े इज्तिहाद पर आगाह करना चाहते हैं और इमाम मालिक (रह) से मन्कूल है कि कातिले नफ़्स की तौबा कुबूल नहीं होती और उसी का मुक्तजा है कि उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए। इमाम बुखारी (रह.) का यही मंशा है।

1363. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ैद बिन जुरीअ ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे प्राबित बिन ज़ह्हाक़ (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन पर होने की झूठी क़सम क़स्दन खाए तो वो ऐसा ही हो जाएगा कि जैसा कि उसने अपने लिये कहा है और जो शख़्स अपने को धारदार चीज़ से ज़िबह कर ले उसे जहन्नम में ऐसे ही हथियार से अज़ाब होता रहेगा।

(दीगर मक़ाम: 4171, 4743, 6047, 6105, 6652)

1364. और हज़्ज़ाज बिन मिन्हाल ने कहा कि हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उनसे इमाम हसन बसरी ने कहा कि हमसे जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बज्ली (रज़ि.) ने इसी (बसरा की) मस्जिद में हदीष बयान की थी न हम उस हदीष को भूले हैं और न ये डर है कि जुन्दुब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बाँधा होगा। आपने फ़र्माया कि एक शख़्स को ज़ख़म लगा, उसने (ज़ख़म की तकलीफ़ की वजह से) खुद को मार डाला। इस पर अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मेरे बन्दे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की। इसकी सज़ा में जन्नत हराम करता हूँ।

(दीगर मक़ाम: 3463)

1365. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमको अबुज़्ज़िनाद ने ख़बर दी, उनसे अअरज ने कहा, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स खुद अपना गला घोट कर जान दे डालता है वो जहन्नम में भी अपना गला घोटता रहेगा और जो बरछे या तीर से अपने आपको मारे वो दोज़ख़ में भी इसी तरह अपने आपको मारता रहेगा। (दीगर मक़ाम: 5778)

बाब 74 : मुनाफ़िक़ों पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और मुश्रिकों के लिये त़लबे-मफ़िरत करना नापसन्दीदा है

इसको अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

۱۳۶۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصُّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ خَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَادِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)). [أطرافه في: ٤١٧١، ٤٨٤٣، ٦٠٤٧، ٦١٠٥، ٦٦٥٢].

۱۳۶۴- وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنِ الْحَسَنِ ((قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ لَمَّا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَ بَرَجُلٍ جَرَّاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ، لَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَدَرَنِي عَنَدِي بِنَفْسِهِ، حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). [طرفه في: ٣٤٦٣].

۱۳۶۵- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((الَّذِي يَخْتَنُقُ نَفْسَهُ يَخْتَنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ)). [طرفه في: ٥٧٧٨].

۸۴- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1366. हमसे यहा बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक्रील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे इब्ने अब्बास ने और उनसे उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई इब्ने सलूल मरा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस पर नमाज़े जनाज़ा के लिये कहा गया। नबी करीम (ﷺ) जब इस इरादे से खड़े हुए तो मैंने आपकी तरफ बढ़कर अर्ज किया या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप इब्ने उबई की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते हैं? हालाँकि इसने फ़लों दिन फ़लों बात कही थी और फ़लों दिन फ़लों बात। मैं उसके कुफ़ की बातें गिनने लगा लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ये सुनकर मुस्कुरा दिये और फ़र्माया या उमर! इस वक़्त पीछे हट जाओ। लेकिन जब मैं बार-बार अपनी बात दोहराता रहा तो आपने मुझे फ़र्माया कि मुझे अल्लाह की तरफ़ से इख़्तियार दिया गया है, मैंने नमाज़ पढ़ानी पसन्द की अगर मुझे मा'लूम हो जाए कि सत्तर मर्तबा से ज़्यादा मर्तबा इसके लिये मग़्फ़िरत माँगने पर इसे मग़्फ़िरत मिल जाए तो इसके लिये इतनी ही ज़्यादा मग़्फ़िरत माँगूंगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और वापस होने के थोड़ी देर बाद आप पर सूरह बराअत की दो आयतें नाज़िल हुई। किसी भी मुनाफ़िक़ की मौत पर उसकी नमाज़े जनाज़ा आप हर्गिज़ न पढ़ाएँ। आयत व हुम फ़ासिकून तक और इसकी क़ब्र पर भी मत खड़ा हो, इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं माना और मरे भी तो नाफ़र्मान रह कर। हज़रत उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हज़ूर अपनी उस दिन की दिलेरी पर ता'ज्जुब होता है। हालाँकि अल्लाह और उसके रसूल (हर मस्लहत को) ज़्यादा जानते हैं। (दीगर मक़ाम : 4671)

۱۳۶۶- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ جِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ سَأَلُوا دُعِيًّا لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَتَبَّتْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ وَكَذَا قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا - أَعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: قَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((أَحْزَنَ عَنِّي يَا عُمَرُ)). فَلَمَّا أَكْتَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: ((إِنِّي خَيْرٌ فَاتَّخَرْتُ. لَوْ أَغْلَمْتُ أَنِّي إِنْ رَدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ لَفَعَرْتُ لَهُ لِرَدَّتْ عَلَيْهَا)). قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ انصَرَفَ، فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا بَسِيرًا حَتَّى تَوَلَّتِ الْآيَاتُ مِنْ بَرَاءَةِ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ - إِلَى - ﴿وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ قَالَ: فَصَحِبْتُ بَعْدُ مِنْ جِرَاعَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَيْلِدِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. [أَطْرَافُهُ فِي: ٤٦٧١].

तारीख: अब्दुल्लाह बिन उबई मदीना का मशहूरतरीन मुनाफ़िक़ था जो उम्रभर इस्लाम के खिलाफ़ साज़िशें करता रहा और उसने हर नाजुक मौक़े पर मुसलमानों को और इस्लाम को धोखा दिया। मगर आँहज़रत (ﷺ) रहमतुल लिल आलमीन थे। इतिक़ाल के वक़्त उसके लड़के की दरख़वास्त पर जो सच्चा मुसलमान था, आप उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने के लिये तैयार हो गए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने मुखालफ़त की और याद दिलाया कि फ़लों-फ़लों मौक़ों पर उसने ऐसे-ऐसे गुस्ताख़ाना अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये थे। मगर आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी फ़ित्ती मुहब्बत व शफ़क़त की बिना पर उस पर नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद वज़ाहत के साथ इशादे बारी नाज़िल हुआ कि व ला तुसल्लि अला अहदिम्मिन्हुम मात अबदा (अत्तौबा: 84) या'नी किसी मुनाफ़िक़ की आप कभी भी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ें। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) रुक गए। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि काश! मैं उस दिन आँहज़रत (ﷺ) के सामने ऐसी बात न करता। बहरहाल

अल्लाह पाक ने हज़रत उमर (रज़ि.) की राय की मुवाफ़क़त फ़र्माई और मुनाफ़िक़ीन और मुश्रिकीन के बारे में खुले लफ़्ज़ों में नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाने से रोक दिया गया।

आजकल निफ़ाक़े ए' तिक़ादी का इल्म नामुम्किन है क्योंकि वह्य व इल्हाम का सिलसिला बन्द है। लिहाज़ा किसी कलिमा-गो मुसलमान को जो बज़ाहिर अरकाने इस्लाम का पाबन्द हो, ए' तिक़ादी मुनाफ़िक़ नहीं कहा जा सकता और अमली मुनाफ़िक़ फ़ासिक़ के दर्जे में है जिस पर नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है। वल्लाहु आलम!

बाब 85 : लोगों की ज़बान पर मध्यित की ता'रीफ़ हो तो बेहतर है

1367. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि सहाबा का गुज़र एक जनाज़े पर हुआ, लोग उसकी ता'रीफ़ करने लगे। (कि क्या अच्छा आदमी था) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया कि वाजिब हो गई। फिर दूसरे जनाज़े का ज़िक्र हुआ तो लोग उसकी बुराई करने लगे। आँहज़रत ने फिर फ़र्माया कि वाजिब हो गई। इस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने पूछा कि क्या चीज़ वाजिब हो गई? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस मध्यित की तुम लोगों ने ता'रीफ़ की है उसके लिये तो जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई की है उसके लिये दोज़ख़ वाजिब हो गई। तुम लोग ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो। (दीगर मक़ाम : 2642)

1368. हमसे अफ़फ़ान बिन मुस्लिम सफ़ार ने बयान किया, कहा कि हमसे दाऊद बिन अबुल फ़रात ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उनसे अबुल अस्वद देइली ने कि मैं मदीना हाज़िर हुआ। उन दिनों वहाँ एक बीमारी फैल रही थी। मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िदमत में था कि एक जनाज़ा सामने से गुज़रा। लोग उस मध्यित की तअरीफ़ करने लगे तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि वाजिब हो गई। फिर एक और जनाज़ा गुज़रा तो लोग उसकी भी ता'रीफ़ करने लगे। इस मर्तबा भी आपने ऐसा ही फ़र्माया कि वाजिब हो गई। फिर तीसरा जनाज़ा निकला, लोग उसकी बुराई करने लगे, और इस मर्तबा भी आपने यही फ़र्माया कि वाजिब हो गई। अबुल

۸۵- بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ
۱۳۶۷- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سُهَيْبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ: ((مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَتَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَجِبَتْ)). ثُمَّ مَرُّوا
بِأُخْرَى فَأَتَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ:
((وَجِبَتْ)). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجِبَتْ؟ قَالَ: ((هَذَا
أَتَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا
أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ. أَلَمْ
شَهِدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)).
[طرفه في: ۲۶۴۲.]

۱۳۶۸- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ
الْمَدِيْنَةَ - وَكَانَ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ -
فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَتَيْتُ عَلَى
صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجِبَتْ: ثُمَّ
مَرُّ بِأُخْرَى فَأَتَيْتُ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا،
فَقَالَ عُمَرُ: وَجِبَتْ. ثُمَّ مَرُّ بِالْقَائِلَةِ

अस्वद दइली ने बयान किया कि मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन क्या चीज वाजिब हो गई? आप ने फ़र्माया कि मैंने इस वक़्त वही कहा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि जब मुसलमानों की अच्छाई पर चार शख्स गवाही दे दें अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। हमने कहा और अगर तीन गवाही दें? आपने फ़र्माया कि तीन पर भी, फिर हमने पूछा और अगर दो मुसलमान गवाही दें? आपने फ़र्माया कि दो पर भी। फिर हमने ये नहीं पूछा कि अगर एक मुसलमान गवाही दे तो क्या?

(दीगर मक़ाम : 2643)

فَأْتَيْ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ.
فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ
بِغَيْرِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ)). فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟
قَالَ: ((وَرِثَانَةٌ)). فَقُلْنَا: وَاثْنَانٍ؟ قَالَ:
((وَرِثَانَةٌ)). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.
[طرنه ن: ۲۶۴۳]

तशरीह:

बाब का मक़सद ये है कि मरने वालों की नेकियों का ज़िक्र ख़ैर करना और उसे नेक लफ़्ज़ों से याद करना बेहतर है। अल्लामा इब्ने हज़र (रह) फ़र्माते हैं, फ़ी रिवायतिन्नज्जि बिन अनसिन अन अबीहि इन्दल्हाकिम कुन्तु क़ाइदन इन्दन्नबिद्यि (ﷺ) फ़मरं बिजनाज़तिन फ़क़ाल मा हाज़िहिल्जनाज़त क़ालू जनाज़तु फ़ुलानिन अल्फ़ुलानि कान युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व यज़लमु बिताअतिल्लाहि व यस्आ फ़ीहा तफ़्सीरुन मा अब्हम मिनल्ख़ैरि वशरि फ़ी रिवायति अब्दिअल्ज़ीजि वल्हाकिमि अयज़न हदीषि जाबिरिन फ़क़ाल बअजुहुम लिनिअमल्मर्रा लक़द कान अफ़ीफ़न मुस्लिमन व फ़ीहि अयज़न फ़क़ाल बअजुहुम बिअसल्मर्रा कान इन्ना कान लफ़ज़ज़न ग़लीजा. (फत्हुल्बारी)

या'नी मुस्नद हाकिम में नज़्र बिन अनस अन अबीह की रिवायत में यूँ है कि मैं हज़ूर (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि एक जनाज़ा वहाँ से गुज़रा। आप (ﷺ) ने पूछा कि ये किसका जनाज़ा है? लोगों ने कहा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का है जो अल्लाह और रसूल से मुहब्बत रखता और इताअते इलाही में अमल करता और कोशों रहता था और जिस पर बुराई की गई उसका ज़िक्र उसके बरअक्स किया गया। पस इस रिवायत में इब्हामे ख़ैरो-शर की तफ़्सील मज़कूर है और हाकिम में हदीषे जाबिर भी यूँ है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये शख्स बहुत अच्छा पाकदामन मुसलमान था और दूसरे के लिये कहा गया कि वो बुरा आदमी और बदअख़लाक़ सख़्तकलामी करने वाला था।

ख़ुलासा ये कि मरने वाले के बारे में अहले इमान नेक लोगों की शहादत जिस तौर पर भी हो वो बड़ा वज़न रखती है। लफ़ज़ अन्तुम शुहदाउल्लाहि फिलअर्ज़ि में इसी हकीकत की तरफ़ इशारा है। खुद कुर्आन मजीद में भी ये मज़मून इन लफ़्ज़ों में मज़कूर है, व जअल्नाकु उम्मतं व्वसता लितकून शुहदाअ अलन्नसि (अल बक़रः: 143) मैंने तुमको दरम्यानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। शहादत की एक सूत य भी है कि जो यहाँ हदीष में मज़कूर है।

बाब 86 : अज़ाबे-क़ब्र का बयान

और अल्लाह तआला ने (सूरह अनआम में) फ़र्माया

और ऐ पैग़म्बर! काश तो उस वक़्त को देखे, जब ज़ालिम काफ़िर मौत की सख़्तियों में गिरफ़्तार होते हैं और फ़रिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो आज तुम्हारी सज़ा में तुम को रुस्वाई का अज़ाब (या'नी क़ब्र का अज़ाब) होना है।

۸۶- باب ما جاء في عذاب القبر،

وقوله تعالى

هُوَكَذَا تَرَىٰ إِلَى الظَّالِمُونَ فِي حَمْرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُنُونِ ﴿[الأنعام: ۹۳]

इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि लफ़्ज़ हून कुआन में हवान के मा'नी में है। या'नी ज़िल्लत और रुस्वाई और हून का मा'नी नर्मी और मलामत है।

और अल्लाह ने सूरह तौबा में फ़र्माया कि मैं इनको दो बार अज़ाब दूंगा (या'नी दुनिया में और क़ब्र में) फिर बड़े अज़ाब में लौटाए जाएंगे। और सूरह मोमिन में फ़र्माया फ़िर्ऑन वालों को बुरे अज़ाब ने घेर लिया, सुबह-शाम आग के सामने लाए जाते हैं और क़यामत के दिन तो फ़िर्ऑन वालों के लिये कहा जाएगा कि इनको सख़्त अज़ाब में ले जाओ। (ग़ाफ़िर : 45)

इमाम बुखारी (रह.) ने इन आयतों से क़ब्र का अज़ाब प्राबित किया है। उसके सिवा और आयतें भी हैं। आयत युषब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू बिल क़ौलिष्शाबित (इब्राहीम: 27) आख़िर तक। ये बिल इत्तिफ़ाक़ सवाले क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई है। जैसा कि आगे मज़कूर है।

1369. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, उनसे अलक्रमा बिन मरूद ने, उनसे सअद बिन उबैदा ने और उनसे बराअ बिन अज़िब (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मोमिन जब अपनी क़ब्र में बैठाया जाता है तो उसके पास फ़रिश्ते आते हैं। वो शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अल्लाह के फ़र्मान की ताबीर है जो सूरह इब्राहीम में है कि अल्लाह इमान वालों को दुनिया की ज़िन्दगी और आख़िरत में ठीक बात या'नी तौहीद पर मज़बूत रखता है।

हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे गुन्दर ने कहा कि हमसे शुअबा ने यही हदीस बयान की। उनसे रिवायत में ये ज़्यादाती भी है कि आयत व युषब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू अल्लाह मोमिनों को प्राबितक़दमी बख़शता है। अज़ाबे-क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई है।

1370. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे स़ालेह ने, उनसे नाफ़ेअ ने कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) कुएँ (जिसमें बद्र के मुशरिक मक्कतूलीन को डाल दिया गया था) वालों के क़रीब आए और फ़र्माया तुम्हारे मालिक ने जो तुमसे सच्चा वा'दा किया था उसे तुम लोगों ने पा लिया। लोगों ने अज़्र किया कि आप मुर्दों को

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُونُ: هُوَ الْهُونُ: وَالْهُونُ الرَّفْقُ.

وقوله جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبة: ١٠١].
وقوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [طه: ٤٥].

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أُمِّدَ الْمُؤْمِنُ لِي قَبْرِهِ أَمِنَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَبْتَئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا، وَزَادَ: ﴿يَبْتَئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.
[طهره في: ٤٦٩٩].

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: ((أَطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَلْبِيبِ فَقَالَ: ﴿وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾). فَقِيلَ لَهُ:

खिताब करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम कुछ उनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो, बल्कि वो जवाब नहीं दे सकते।

(दीगर मक़ाम: 3980, 4026)

1371. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उययना ने, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र के काफ़िरों को ये फ़र्माया था कि मैं जो उनसे कहा करता था अब उनको मा'लूम हुआ होगा कि वो सच्चे हैं। और अल्लाह ने सूरह रूम में फ़र्माया, ऐ पैग़म्बर! तू मुदों को नहीं सुना सकता।

(दीगर मक़ाम: 3979, 3981)

1372. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझको मेरे बाप (इज़्मान) ने ख़बर दी, उन्हें शुअबा ने, उन्होंने अशअष से सुना, उन्होंने अपने वालिद अबू अशअशा से, उन्होंने मस्रूक़ से और उन्होंने आइशा (रज़ि.) से कि एक यहूदी औरत उनके पास आई। उसने अज़ाबे-क़ब्र का ज़िक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अज़ाबे-क़ब्र से महफूज़ रखे। इस पर आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अज़ाबे-क़ब्र के बारे में दरयाफ़्त किया। आप (ﷺ) ने इसका जवाब ये दिया कि हाँ! अज़ाबे-क़ब्र बरहक़ है। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने कोई नमाज़ पढ़ी हो और उसमें अज़ाबे-क़ब्र से अल्लाह की पनाह न माँगी हो। गुन्दर ने अज़ाबे क़ब्र बरहक़ के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये।

1373. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे यूनुस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे इर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी, उन्होंने अस्मा बिनते अबीबक्र (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए तो आप (ﷺ) ने क़ब्र के इम्तिहान का ज़िक्र किया जहाँ इन्सान जाँचा जाता है। जब हज़ुरे-अकरम (ﷺ) उसका ज़िक्र कर रहे थे तो मुसलमाना

أَنْدَعُوا أَمْوَالَهُمْ لِقَالٍ: ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعُ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ)).

[طرفه فی : ٤٠٢٦ ، ٣٩٨٠.]

١٣٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ، وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِيَأْتِكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾)).

[طرفاه فی : ٣٩٧٩ ، ٣٩٨١.]

١٣٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَلَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ لِقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لِقَالَتْ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِسْلَامِ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). زَادَ حُنَيْرٌ: ((عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ)).

١٣٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي شَيْهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَلَذَكَرَ نِسَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَقْتَنِينَ فِيهَا الْمَرْءُ)).

की हिचकियाँ बँध गई।

(राजेअ: 86)

1374. हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क्रतादा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी जब अपनी क़ब्र में रखा जाता है और जनाजे में शरीक होने वाले लोग उससे रुख़्सत होते हैं तो अभी वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फ़रिश्ते (मुन्कर नकीर) उसके पास आते हैं, वो उसे बैठाकर पूछते हैं कि उस शख़्स या'नी मुहम्मदुरसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में तू क्या ए'तिक़ाद रखता था? मोमिन तो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। उससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नम का ठिकाना लेकिन अल्लाह तआला ने इसके बदले में तुम्हारे लिये जन्नत में ठिकाना दे दिया। उस वक़्त उसे जहन्नम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएँगे। क्रतादा ने बयान किया कि उसकी क़ब्र ख़ूब कुशादा कर दी जाएगी (जिससे आराम व राहत मिले)। फिर क्रतादा ने अनस (रज़ि.) की हदीष बयान करनी शुरू की, फ़र्माया और मुनाफ़िक़ व काफ़िर से जब कहा जाएगा कि उस शख़्स के बारे में तू क्या कहता था तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मा'लूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर उससे कहा जाएगा कि न तूने जानने की कोशिश की और न समझने वालों की राय पर चला। फिर उसे लोहे की गरज़ों से बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा कि वो चीख पड़ेगा और उसकी चीख को जिन्न और इन्सानों के सिवा इसके आसपास की तमाम मख़लूक सुनेगी।

(राजेअ: 1338)

बाब 87 : क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगना

1375. हमसे मुहम्मद बिन मुसन्नान ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क्रतान ने, कहा हमसे शुअबाने, कहा कि मुझसे औन बिन अबी जुहैफ़ा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद अबू जुहैफ़ा ने, उनसे बराअ बिन अज़िब ने और उनसे

لَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ

(ضجّة)۔ [راجع: ٨٦]

١٣٧٤- حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ- وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ بَعَالِهِمْ - أَنَاهُ مَلَكَانَ يَقْعِدَانِيهِ يَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ يَقُولُ أَحْتَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. يَقُولُ لَهُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبَدَلَكِ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَبْرَاهُمَا جَوْنِيًّا)) قَالَ قَادَةُ: ((وَذَكِّرْ لَنَا أَنَّهُ يَنْسَحُ فِي قَبْرِهِ)). ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : ((وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ يَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ. يَقُولُ: لَا ذَرْتَهُ وَلَا تَلَيْتَ. وَتَضَرَّبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ حَرَبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ النَّفْلَيْنِ)). [راجع: ١٣٣٨]

٨٧- بَابُ التَّعَوُّدِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

١٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي هُوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ

अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गये। सूरज गुरूब हो चुका था, उस वक़्त आपको एक आवाज़ सुनाई दी (यहूदियों पर अज़ाबे-क़ब्र की) फिर आपने फ़र्माया कि यहूदी पर अज़ाबे-क़ब्र हो रहा है। और नज़र बिन शमईल ने बयान किया कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, उनसे और ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप अबू जुहैफ़ा से सुना, उन्होंने बराअ से सुना, उन्होंने अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

1376. हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक्रबा ने बयान किया, कहा कि मुझसे ख़ालिद बिन सईद बिन आस की साहबज़ादी (उम्मे ख़ालिद) ने बयान किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगते हुए सुना। (राजेअ: 6364)

1377. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी क़प्पीर ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस तरह दुआ करते थे, ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ और दोज़ख़ के अज़ाब से और ज़िन्दगी और मौत की आजमाइश से और काने दज्जाल की बला से तेरी पनाह चाहता हूँ।

तशरीह:

अज़ाबे क़ब्र के बारे में अल्लामा शैख़ सिफ़ारीनी अल अफ़री अपनी मशहूर किताब लवामिअ अनवारुल बहिय्या में फ़र्माते हैं, व मिन्हा अय अल्उमूरुल्लती यजिबुल इमानु बिहा व इन्नहा हक़ून ला तुरदु अज़ाबुल क़ब्रि क़ालल्हाफ़िज़ जलालुद्दीन सियूती फ़ी किताबिही शरहुस्सुदूर फ़ी अहवालिल मौता क़द ज़करल्लाहु अज़ाबिल क़ब्रि फ़िल कुअनि फ़ी इद्दति अमाकिन कमा बय्यन्तुहु फ़िल अबलील फ़ी अस्वारित्तज़ील इन्तिहा. क़ालल्हाफ़िज़ इब्नु रजब फ़ी किताबिही अहवालुल कुबूर फ़ी क़ौत्बिही तअ़ाला, फ़लौल इज़ा बलाग़तिल हुल्कुम इला क़ौलिही तअ़ाला इन्ना हाज़ा लहुवल हक़ूल मुबीन. अन अब्दिर्हम्मानिब्नि अबी लैला क़ाल, तला रसूलुल्लाहि (ﷺ) हाज़िहिल आयातु क़ाल इज़ा कान इन्दल मौति क़ील लहु हाज़ा फ़इन कान मिन अस्हाबिल यमीनि अहब्बु लिक्काअल्लाहि व अहब्बुल्लाहि लिक्काअहु व इन कान मिन अस्हाबिशिमालि करिह लिक्काअल्लाहि व करिहल्लाहु लिक्काअहु.

व क़ालल इमामुल मुहक्किकु इब्नुल क़थ्थिम फ़ी किताबिर्रूह क़ौलुस्साइल मल्हिकमतु फ़ी अन्न अज़ाबलक़ब्रि लम युज़्कर फ़िल कुअनि सरीहन मअ शिद्दतिल हाज़ति इला मअरिफ़तिही वल्ईमानु बिही लियहज़रहुन्नासु व यत्क़ी फ़अज़ाब अन ज़ालिक बिवज्हेनि मुज़्मलुन व मुफ़स्सलुन अम्मल मुज़्मलु फ़इन्नल्लाह तअ़ाला नज़्जल अत्वा रसूलिही वय्यैनि फ़ौज़ब अला इबादिहील इमान बिहिमा वल अमलु बिमा फ़ीहिमा व हुमुल किताबु वल्हिकमतु क़ाल तअ़ाल हुवल्लज़ी

بِنِ عَرَابٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَقَدْ وَجَّهَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: ((يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي ثَوْبِهَا)). وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَوْثِ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1376- حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي ((أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). [طرفه بي: 1376].

1377- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)).

बअष फ़िलउम्मियिन रसूलम मिन्हुम इला क्रौलिही तआला व युअल्लिमुहुमुल किताब वल्हिक्मत व क़ाल तआला वज्कुर्ना मा युल्ला फ़ी बुयूतिकुन्न अल्आया वल्हिक्मतु हिस्सुन्नतु बिइत्तिफ़ाकिस्सलफ़ि व मा अख़बर बिहिर्सूलु अनिल्लाहि फ़हुव फ़ी मुजुबि तस्दीकिही वल ईमानु बिही कमा अख़बर बिहिर्रब्बु अला लिसानि रसूलिही फ़हाज़ा अस्तुन मुत्तफ़कुन अलैहि बैन अहलिल इस्लामि ला युन्किरुहू इल्ला मन लैस मिन्हुम व क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लुहु मअहू क़ालल मुहक्किर व अम्मल जवाबुल मुफ़्फ़लु फ़हुव इन्न नईमिल बर्ज़िख व अज़ाबहू मज्कूरुन फ़िल कुर्आनि मवाज़िअ मिन्हा क्रौलिही तआला व लौ तरा इज़िज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौति अल्आया व हाज़ा ख़िताबुन लहुम इन्दल मौति क़तअन व क़द अख़बरतिल मलाइकतु व हुमुस्सादिकून अन्नहुम हीन इज़िन युज़ौन अज़ाबुल हूनि बिमा कुन्तुम तकूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक्कि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तक्बिरून व लौ तअख़बर अन्हुम ज़ालिक इलल क़ज़ाइद्निया लम्मा स्रह अंय्युक़ाल लहुमुल यौम तुज़ौन अज़ाबुल हूनि व क्रौलिही तआला फ़वकाहुल्लाहु सय्यिआतिन मा मकरू इला क्रौलिही युअरज़ून अलैहा गुदुव्वुन व अशिय्यन अल्आया फ़ ज़कर अज़ाबह्वरैनि सरीहन ला यहतमिलु ग़ैरुहू व मिन्हा क्रौलिही तआला फ़ज़रहुम हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युम्अकून यौम ला युगनी अन्हुम कैदुहुम शौअन व ला हुम युन्सरून इन्तिहा कलामुहू.

व अख़जल बुख़ारी मिन हदीषि अबी हु़रैत रज़ि. क़ाल, कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) यदऊ अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबिक मिन अज़ाबिल क़ब्बि व अख़जत्तिर्मिज़ी अन अलिथ्यिन रज़ि. अन्नहू क़ाल मा ज़िल्ना फ़ी शक्किम्मिन अज़ाबिल क़ब्बि हत्ता नज़लत अल्हाकुमुत्तकापुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर व क़ाल इब्नु मस्ऊद इज़ा मातल काफ़िरु उज्लिस फ़ी कबिही फ़युक़ालु लहू मन रब्बुक व मा दीनुक फ़यकूलु ला अदरी फ़यज़ीकु अलैहि क़ब्बहु शुम्म करअ इब्नु मस्ऊद फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का क़ाल अल्मइशतुज्ज़न्क हिय अज़ाबुल क़ब्बि व क़ाल बराअ बिन आजिब फ़ी क्रौलिही तआला व लनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अक्बरि क़ाल अज़ाबुल क़ब्बि व क़ज़ा क़ाल क़तादा वरबीअ बिन अनस फ़ी क्रौलिही तआला सनुअज़िबुहुम मरतैनि अहदुहुमा फ़िद्निया वलउख़ा अज़ाबुल क़ब्ब.

इस तवील इब़ारत का खुलासा ये है कि अज़ाबे क़न्न हक़ है जिस पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह पाक ने कुर्आन की अनेक आयतों में इसका ज़िक़र किया है। तफ़्सीली ज़िक़र हाफ़िज़ जलालुद्दीन सियूति (रह.) की किताब, 'शरहुस्सुदूर' और अक्लील फ़ी अस्रातिन्नज़ील में मौजूद है। हाफ़िज़ इब्ने रजब ने अपनी किताब अहवालुल कुबूर में आयते शरीफ़ा फ़लौला इज़ा बलगतिल हुलकूम (अल वाकिआ: 83) की तफ़्सीर में अब्दुरहमान बिन अबी लैला से रिवायत किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने इन आयात को तिलावत फ़र्माया और फ़र्माया कि जब मौत का वक़्त आता है तो मरने वाले से कहा जाता है। पस अगर वो मरने वाला दाएँ तरफ़ वालों में से है तो वो अल्लाह से मिलने को महबूब रखता है और अल्लाह तआला उससे मिलने को पसंद करता है और अगर वो मरने वाला बाएँ तरफ़ वालों में से है तो वो अल्लाह की मुलाक़ात को मकरूह जानता है और अल्लाह पाक उसकी मुलाक़ात को मकरूह रखता है।

और अल्लामा मुहक्किर इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने किताबुरूह में लिखा है कि किसी ने उनसे पूछा कि इस अम्र में क्या हिक्मत है कि सराहत के साथ कुर्आन मजीद में अज़ाबे क़न्न का ज़िक़र नहीं है, हालाँकि ये ज़रूरी था कि उस पर ईमान लाना ज़रूरी है ताकि लोगों को उससे डर पैदा हो। हज़रत अल्लामा ने उसका जवाब मुजमल और मुफ़्फ़ल दोनों तौर पर दिया। मुजमल तो ये दिया कि अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) पर दो किस्म की वद्दा नाज़िल की है और उन दोनों पर ईमान लाना और उन दोनों पर अमल करना वाजिब करार दिया गया है और वो किताब और हिक्मत हैं जैसा कि कुर्आन मजीद की कई आयात में मौजूद है और सलफ़ सालेहीन से मुत्तफ़का तौर पर हिक्मत से सुन्नत (हदीषे नबवी) मुराद है। अब अज़ाबे क़न्न की ख़बर अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने सहीह अहदादीष में दी है। पस वो ख़बर यक़ीनन अल्लाह की तरफ़ से है जिसकी तस्दीक़ वाजिब है और जिस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। (जैसा कि रब्बे तआला ने अपने रसूले की जुबानी हक्कीक़ते तर्जुमान से सहीह हदीष में अज़ाबे क़न्न के बारे में बयान कराया है) पस ये उसूल अहले इस्लाम में मुत्तफ़का है उसका वही शख़्स इंकार करेगा जो अहले इस्लाम से बाहर है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ख़बरदार रहो कि मैं कुर्आन मजीद दिया गया हूँ और उसके जैसी एक और किताब (हदीष) भी दिया गया हूँ।

फिर मुहक्किर अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने तफ़्सील में जवाब फ़र्माया कि बरज़ख़ का अज़ाब कुर्आन मजीद की

बहुत सी आयात से षाबित है और बरज़ख की बहुत सी नेअमतों का भी कुआन मजीद में ज़िक्र मौजूद है। (यही अज़ाब व षवाबे क़ब्र है); उन आयात में से एक आयत व लौ तरा इज़िज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौत (अल अन्आम : 93) भी है (जिसमें ज़िक्र है कि अगर तू ज़ालिमो को मौत की बेहोशी के आलम में देखे) उनके लिये मौत के वक़्त ये खिताबे क़दई है और इस मौक़े पर फ़रिश्तों ने ख़बर दी जो बिल्कुल सच्चे हैं उन काफ़िरों को उस दिन रुस्वाई का अज़ाब दिया जाता है और कहा जाता है ये अज़ाब तुम्हारे लिये इस वजह से है कि तुम अल्लाह पर नाहक़ झूठी बातें बाँधा करते थे और तुम उसकी आयात से तकब्बुर किया करते थे। यहाँ अगर अज़ाब को दुनिया के खातिमे पर मुअख़्खर माना जाए तो ये सही नहीं होगा यहाँ तो 'आज का दिन' इस्ते'माल किया गया है और कहा गया है कि तुमको आज के दिन रुस्वाई का अज़ाब होगा। उस आज के दिन से यक़ीनन क़ब्र का अज़ाब का दिन मुराद है।

और दूसरी आयत में यूँ मज़कूर है कि व हाक़ बि आलि फ़िऑन सूउल अज़ाब अन्नार युअरज़ून अलैहा गुदुवंव्व अशिथ्या (अल मोमिन : 45-46) या'नी फ़िऑनियों को सख़्ततरीन अज़ाब ने घेर लिया जिस पर वो हर सुबह व शाम पेश किये जाते हैं। इस आयत में अज़ाबे दारैन का सरीह ज़िक्र है उसके सिवा और किसी का अन्देशा ही नहीं (दारैन से क़ब्र का अज़ाब और फिर क़यामत के दिन का अज़ाब मुराद है)।

तीसरी आयत शरीफ़ा में है, फ़जहुम हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्अकून (अत् तूर: 45) है। या'नी ऐ रसूल! इन काफ़िरों को छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि वो उस दिन से मुलाक़ात करें जिसमें वो बेहोश कर दिये जाएँगे, जिस दिन उनका कोई मक़्र उनके काम नहीं आ सकेगा और न वो मदद किये जाएँगे। (इस आयत में भी उस दिन से मौत और क़ब्र का दिन मुराद है)।

बुखारी शरीफ़ में हदीषे अबी हुरैरह (रज़ि.) में ज़िक्र है कि रसूले करीम (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अरज़ुबिक मिन अज़ाबिल क़ब्र ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ और तिमिज़ी में हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि अज़ाबे क़ब्र के बारे में हम मशकूक रहा करते थे। यहाँ तक कि आयात अल्हाकुमुत्तक़ाधुर हत्ता जुर्तुमुल मक़ाबिर (अत् तकाधुर : 1,2) नाज़िल हुई (गोया इन आयात में भी मुराद क़ब्र का अज़ाब ही है) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब काफ़िर मरता है तो उसे क़ब्र में बिठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है? और तेरा दिन क्या है? वो जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। पस उसकी क़ब्र उस पर तंग कर दी जाती है। पस हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने आयत व मन अअरज़ अन ज़िकरी फ़इन्न लहू मइशतन ज़न्का (ताहा : 124) को पढ़ा (कि जो कोई मेरी याद से मुँह मोड़ेगा उसका निहायत तंग ज़िन्दगी मिलेगी) यहाँ तंग ज़िन्दगी से क़ब्र का अज़ाब मुराद है। हज़रत बराअ बिन आज़िब ने आयते शरीफ़ा वल नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर (अस्सज्दा : 21) की तपसीर में फ़र्माया कि यहाँ भी अज़ाबे क़ब्र ही का ज़िक्र है। या'नी काफ़िरों को बड़े सख़्ततरीन अज़ाब से पहले एक अदना अज़ाब में दाख़िल किया जाएगा (और वो अज़ाबे क़ब्र है)। ऐसा ही क़तादा और रबीआ बिन अनस ने आयते शरीफ़ा सनुअज़िबुहुम मरतैनि (अत् तौबा : 101) (मैं उनको दो बार अज़ाब में मुब्तला करूँगा) की तपसीर में फ़र्माया कि एक अज़ाब से मुराद दुनिया का अज़ाब और दूसरे से मुराद क़ब्र का अज़ाब है।

क़ालल हाफ़िज़ु इब्नु रजब व क़द तवारतिल अहादीषु अनिन्नबिथ्यि (ﷺ) फ़ी अज़ाबिल क़ब्रि या'नी हाफ़िज़ इब्ने रजब फ़र्माते हैं कि अज़ाबे क़ब्र के बारे में नबी करीम (ﷺ) से मुतवातिर अहादीष मरवी हैं जिनसे अज़ाबे क़ब्र बरहक़ होना षाबित है। फिर अल्लामाने उन अहादीष का ज़िक्र फ़र्माया है। जैसा कि यहाँ भी चंद अहादीष मज़कूर हुई हैं।

बाबु इष्बाति अज़ाबिल क़ब्रि पर हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह) फ़र्माते हैं, लम यतअरज़िल मुसन्निफ़ु फ़िक्तर्जुमति लिक्कौनि अज़ाबिल क़ब्रि यक़द अलरूहि फ़क़त औ अलैहा व अलल्जसदि व फ़ीहि ख़िलाफ़ुन शहीरून इन्दल मुतकल्लिमीन व कअन्नहू तरकहू लिअन्नल अदिल्लतल्लज़ी यज़ाहा लैसत कातिअतुन फ़ी अहदिल अमैनि फ़लम यतकल्लदिल्हुक्मुफ़ी ज़ालिक वक्तफ़ा बिइष्बाति वुजूदिही ख़िलाफ़ुन लिमन नफ़ाहू मुत्लक़न मिनल ख़वारिजि व बअन्जुल मुअतज़िला कज़रार बिन अमर व बिशर अल्मुरैसी व मन वाफ़क़हुमा व ख़ालफ़हुम फ़ी ज़ालिक अक्सल मुअतज़िला व जमीउ अहलिस्सुन्नति व ग़ैरहुम व अक्षरु मिनल इहतियाजि लहू व जहब बअन्जुल मुअतज़िला कल्जयानी इत्वा अन्नहू

यक़ज़ल कुफ़्फ़ारु दूनल मूमिनीन व बअज़ुल अहादीषिल आतिया तरहु अलैहिम अयज़न. (फ़तुहल बारी)

खुलासा ये कि मुसन्निफ़ (इमाम बुखारी रह.) ने इस बारे में कुछ तआरुज़ नहीं फ़र्माया कि अज़ाबे क़ब्र फ़क़त रूह को होता है या रूह और जिस्म दोनों पर होता है। इस बारे में मुतकल्लिमीन का बहुत इख़ितलाफ़ है। हज़रत इमाम ने क़स्दन इस बहस को छोड़ दिया है। इसलिये कि उनके हस्बे मंशा कुछ क़तई दलीलें इस बारे में नहीं हैं। पस आपने उन मबाहिष को छोड़ दिया और सिर्फ़ अज़ाबे क़ब्र के वजूद को प्राबित कर दिया। जबकि ख़वारिज और कुछ मुअतज़िला उसका इंकार करते हैं जैसे ज़रार बिन अम्, बिशर मुरैसी वग़ैरह और उन लोगों की जुम्ला अहले सुन्नत बल्कि कुछ मुअतज़िला ने भी मुखालफ़त की है और कुछ मुअतज़िला जियानी वग़ैरह इधर गए हैं कि अज़ाबे क़ब्र सिर्फ़ काफ़िरो को होता है इमानवालों को नहीं होता। मज़कूर कुछ हदीषों उनके इस ग़लत अक़ीदा की तर्दीद कर रही है।

बहरहाल अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है जो लोग इस बारे में शुक्क व शुब्हात पैदा करें उनकी सुहबत से हर मुसलमान को बचना चाहिये और दूर रहना वाजिब है और इन खुले हुए दलाइल के बाद भी जिनकी तशफ़्फ़ी न हो उनकी हिदायत के लिये कोशाँ होना बेकार है। वबिल्लाहि तौफ़ीक़

तफ़्फ़ीले मज़ीद के लिये हज़रत मौलाना अबैदुल्लाह साहब (रह) फ़र्माते हैं कि हज़रत मौसूफ़ लिखते हैं,

बाबु इब्बाति अज़ाबिल क़ब्रि क़ाल फ़िल्लमआत अल्मुरादु बिल्क़ब्रि हाहुना आलमुल बरज़ख़ क़ाल तआला व मिंव्वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युब्अषून व हुव आलमुन बेनहुनिया वल आख़िरा ललू तअल्लकु बिकुल्लिम मिन्हुमा व लैसल मुरादु बिहिल हुप्तुल्लती युदफ़नु फ़ीहिल मय्यितु फ़रूबब मय्यितिन ला युदफ़नु कल ग़रीक़ वल हरीक़ वल्माकूल फ़ी बतनिल हैवानाति युअज़बु व युन्अमु व युस्अलु व इन्नमा ख़स्सल अज़ाबु बिज्जिक़ि लिलइहतिमामि व लिअन्नल अज़ाब अक्सरु लिक़प्रतिल कुफ़्फ़ारि वल्उम्माति इन्तिहा क़ल्तु हासिलुन मा क़ील फ़ी बयानिल मुरादि मिनल बरज़ख़ि अन्नहू इस्मुन लिइन्किताइल हयाति फ़ी हाज़ल आलमिल मशहूदि अय दारुहुनिया व इब्तिदाउ हयातिन उख़्रा फ़यब्दशशैउ मिनल अज़ाबि अविन्नइमि बअद इन्किताइल हयातिहुन्यविय्यति फ़हुव अव्वलु दारिल जज़ा शुम्म तुवफ़फ़ा कुल्लु नफ़िसिन मा कसबत यौमल क्रियामति इन्द दुखूलिहा फ़ी जहन्नम अविल जन्नति व इन्नमा उज़ीफ़ अज़ाबुल बरज़ख़ि व नईमिही इलल्क़ब्रि लि कौनि मुअज्जमिही यक़उ फ़ीहि व लि कौनिल ग़ालिब अलल्मौता अय्यक्बिरु व इल्ला फ़ल्काफ़िरु व मन शाअल्लाहु अज़ाबुहु मिनल इसाति युअज़बु बअद मौतिही व लौ लम युदफ़न व लाकिन ज़ालिक़ महज्जुबुन अनिल ख़ल्कि इल्ला मन शाअल्लाहु व कील ला हाजत इलत्तावीलि फ़इन्नल क़ब्इ इस्मुन लिल्मकान अल्लज़ीयकूनु फ़ीहिल मय्यितु मिनल अज़िं व ला शक़ अन्न महिल्ल इन्सानि व मस्कनहू बअद इन्किताइल हयातिहुन्यविय्यति हियल अर्जु कमा इन्नहा कानत मस्कनन लंहू फ़ी हयातिही क़बल मौतिही क़ाल तआला अलम नज्जअलिल अर्ज किफ़ाता अहयाअन व अम्वातन अय ज़ाम्मतुन लिल अहयाइ वल अम्वाति तज्मतुहुम वतज्जम्मुनुहुम व तहव्वुजुहुम फ़ला महिल्लल मय्यिति इल्लल अर्जि सवाउन कान ग़रीक़न औ हरीक़न औ माकूलन फ़ी बत्निल हैवानाति मिनस्सुबाइ अलल अर्जि वत्तुयूरि फ़िल हवाइ वल्हीतानि फ़िल बहरि फ़इन्नल ग़रीक़ यर्सबु फ़िलमाइ फ़यस्कुतु इला अस्फ़लिही मिनल अर्जि अविल जबलि इन कान तहतहू जबलुन व कज़ल हरीक़ बअद मा यस्रीरु रमादन ला यस्तकिरू इल्ला अलल अर्जि सवाउन अज़ा फ़िल बरि अविल बहरि कज़लमाकूल फ़इन्नल हैवानातिल्लती ताकुलुहू ला तज़हबु बअद मौतिहा इल्ला इलल अर्जि फ़तस्रीरु तुराबन वल्हासिलु अन्नल अर्ज महिल्लु जमीइल अज्जामिस्सलैफ़ियति व मुकिरूहा ला मल्जअ लहा इल्ला इलैहा फ़हिय किफ़ातुन लहा व आलमु अन्नहू क़द तज़ाहरतिइलाइलु मिनल किताबि वस्सुन्नति अला शुबूति अज़ाबिल क़ब्रि व अज्मअ अलैहि अहलुस्सुन्नति व क़द क़षुरतिल अहादीषु फ़ी अज़ाबिल क़ब्रि हत्ता क़ाल ग़ैर वाहिदिन अन्नहा मुतवातिरतुन ला यस्मिहू अलैहा अत्तवातिक़ व इल्लम यसिह मिस्नुहा लम यसिह शैउन मिन अम्पिदीनि इला आख़िरीही (मिअ्त, जिल्द नं. 1, पेज नं. 130)

मुख्तस़र मतलब ये है कि लम्आत मे हैं कि यहाँ क़ब्रों से मुराद आलमे बरज़ख़ है जैसा कि कुआन मज़ीद में है कि मरनेवालों के लिये क़यामत से पहले एक आलम और है जिसका नाम आलमे बरज़ख़ है और ये दुनिया और आख़िरत के बीच एक आलम है जिसका रिश्ता दोनों से है और क़ब्र से वो ग़ड्ढा मुराद नहीं जिसमें मय्यत को दफ़न किया जाता है क्योंकि बहुत सी मय्यत दफ़न नहीं की जाती हैं जैसे डूबनेवाला और जलनेवाला और जानवरों के पेटों में जाने वाला। हालाँकि उन सबको अज़ाब व प्रवाब होता है और उन सबसे सवाल जवाब होते हैं और यहाँ अज़ाब का ख़ास तौर पर ज़िक़र किया गया

है, इसलिये कि उसका खास एहतिमाम है और इसलिये कि अकषर तौर पर गुनाहगारों और जुम्ला काफ़िरो के लिये अज़ाब ही मुक़द्दर है।

मैं कहता हूँ कि हासिल ये है कि बरज़ख़ उस आलम का नाम है जिसमें दुनिया से इंसान ज़िन्दगी मुन्कतअ करके इब्तिदाए दारे आख़िरत में पहुँच जाता है। पस दुनियावी ज़िन्दगी के इन्किताअ के बाद वो पहला जज़ा और सज़ा का घर है फिर क़यामत के दिन हर नफ़स को उसका पूरा-पूरा बदला जन्नत या जहन्नम की शक़्ल में दिया जाएगा और बरज़ख़ के अज़ाब व ष़वाब को क़ब्र की तरफ़ इसलिये मन्सूब किया गया है कि इंसान उसी के अंदर दाख़िल होता है और इसलिये भी कि ज़्यादातर मरने वाले क़ब्र ही में दाख़िल किये जाते हैं वरना काफ़िर और गुनाहगार जिनको अल्लाह अज़ाब करना चाहे इस सू़रत में भी वो अज़ाब कर सकता है कि वो दफ़न न किये जाएँ। ये अज़ाब मख़लूक से पर्दा में होता है। (इल्ला मनशाअल्लाह)

और ये भी कहा गया है कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि क़ब्र उसी जगह का नाम है जहाँ मय्यत का ज़मीन में मकान बने और इसमें कोई शक नहीं कि मरने के बाद इंसान का आख़िरी मकान ज़मीन ही है। जैसा कि कुआन मज़ीद में है कि हमने तुम्हारे लिये ज़मीन को ज़िन्दगी और मौत हर हाल में ठिकाना बनाया है। वो ज़िन्दा और मुर्दा सबको जमा करती है और सबको शामिल है पस मय्यत डूबने वाले की हो या जलने वाले की या हैवानों के पेट में जाने वाले की ख़्वाह ज़मीन के भेड़ियों के पेट में जाए या हवा में परिन्दों के पेट में या दरिया में मछलियों के पेट में, सबका नतीजा मिट्टी में मिलना है और जान लो कि किताब व सुन्नत के ज़ाहिर दलाइल की बिना पर अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है जिस पर तमाम अहले इस्लाम का इज्माअ है और इस बारे में इस क़दर तवातुर के साथ अहदादीष मरवी हैं कि अगर उनको भी सहीह न तस्लीम करें तो दीन का फिर कोई भी अम्र सहीह नहीं करार दिया जा सकता। मज़ीद तफ़्सील के लिये किताबुरुह अल्लामा इब्ने क़य्यिम का मुतालआ कीजिए।

बाब 88 : ग़ीबत और पेशाब की आलूदगी

से क़ब्र का अज़ाब होना

1378. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताऊस ने कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गुज़र दो क़ब्रों पर हुआ। आपने फ़र्माया कि उन दोनों के मुर्दों पर अज़ाब हो रहा है और ये भी नहीं कि किसी बड़ी अहम बात पर हो रहा है। फिर आप ने फ़र्माया कि हाँ! उनमें एक शख्स तो चुगलखोरी किया करता था और दूसरा पेशाब से बचने के लिये एहतिताज़ नही करता था। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर आप (ﷺ) ने एक हरी टहनी ली और उसके दो टुकड़े करके दोनों क़ब्रों पर गाड़ दिया और फ़र्माया कि शायद जब तक ये ख़ुश्क न हों इन पर अज़ाब कम हो जाए। (राजेअ : 216)

88- بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغَيْبَةِ

وَالْبَوْلِ

1378- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
إِنَّ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيِّ
عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا
يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَا
أَخَذْتُمَا لَكَانَ يَسْقَى بِالنَّوْمَةِ، وَأَمَا
الْآخَرَ لَكَانَ لَا يَسْتَبْرِ مِنْ بَوْلِهِ)). قَالَ:
((ثُمَّ أَخَذَ عُرْوَةً رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِالْتَّيْنِ، ثُمَّ
غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ:
لَعَلَّهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَتَيَسَّرْ)).

[راجع: 216]

तशीह:

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) फ़र्माते हैं, क़ालज़ज़ीनुब्नुल्मुनीर अल्मुरादु बितखसीसि हाज़ैनिलअम्रैनि बिज़्ज़िकरि तअज़ीमु अम्रिहिमा ला नफ्युल्हुक्मि अम्मा अदाहुमा फअला हाज़ा ला यल्ज़िमु मिन जिक्रिहिमा हज़रू अज़ाबिक़ब्रि फीहिमा लाकिन्नज़ाहिर मिनल्इक्तिसारि अला जिक्रिहिमा अन्नहुमा अम्कन फ़ी ज़ालिक मिन गैरिहिमा व कद रवा अस्हाबुस्सुननि मिन हदीषि अबी हुरैरत इस्तजहू मिनल्बौलि

फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल्कब्बि मिन्हु शुम्म औरदल्मुसन्निफु हदीष इब्न अब्बासिन फी क्रिस्सतिल्कब्बैन व लैस फ़ीहि लिलग़ैबति ज़क़रू इन्नमा वरद बिलफ़िज़न्नमीमति व क़द तक्रहमल्कलामु अलैहि मुस्तौफ़ा फ़ित्तहारति (फ़तहूल बारी)

या'नी ज़ैन बिन मुनीरी ने कहा कि बाब में सिर्फ़ दो चीज़ों का ज़िक्र उनकी अहमियत के पेशे—नज़र किया गया है उसके अलावा दूसरे गुनाहों की नफ़ी मुराद नहीं। पस उनके ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि अज़ाबे क़ब्र उन ही दो गुनाहों पर मुन्हसिर है। यहाँ उनके ज़िक्र पर किफ़ायत करना इशारा है कि उनके इर्तिक़ाब करने पर अज़ाब का होना ज़्यादा मुम्किन है। हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) के लफ़ज़ ये हैं कि पैशाब से पाकी हासिल करो क्योंकि आम तौर पर अज़ाबे क़ब्र उस से होता है। बाब के बाद मुसन्निफ़ (रह.) ने यहाँ हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) से दो क़ब्रों का क्रिस्सा नक़ल किया। उसमें ग़ीबत का लफ़ज़ नहीं है बल्कि चुगलख़ोर का लफ़ज़ वारिद हुआ है। मज़ीद वज़ाहत किताबुत्तहारत में गुज़र चुकी है।

ग़ीबत और चुगली करीब करीब एक ही क्रिस्म की गुनाह हैं इसलिये दोनों अज़ाबे क़ब्र के अस्बाब हैं।

बाब 89 : मुर्दे को दोनों वक़्त सुबह और शाम उसका ठिकाना बतलाया जाता है

— 89 - بَابُ الْمَيِّتِ يُغْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

1379. हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे नाफ़े अ ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम में से कोई शख़्स मर जाता है तो उसका ठिकाना सुबह व शाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्मती है तो जन्नत वालों में और दोज़ख़ी है तो दोज़ख़ वालों में फिर कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझको उठाएगा। (दीगर मक़ाम : 3240, 6515)

۱۳۷۹ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ غُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[طرفاه ن : ۳۲۴۰، ۶۵۱۵].

तशरीह : मतलब ये है कि अगर जन्नती है तो सुबह शाम उस पर जन्नत पेश करके उसको तसल्ली दी जाती है कि जब तू इस क़ब्र से उठेगा तो तेरा आखिरी ठिकाना ये जन्नत होगी और इसी तरह दोज़ख़ी को जहन्नम दिखाई जाती है कि वो अपने आखिरी अंजाम को देख ले। मुम्किन है कि ये अर्ज़ करना सिर्फ़ रूह पर हुआ और ये भी मुम्किन है कि रूह और जिस्म दोनों पर हो। सुबह व शाम से उनके औक़ात मुराद हैं जबकि आलमे बरज़ख़ में उनके लिये न सुबह का वजूद है और न शाम का वयहतमिलु अय्युक़ाल अन्न फ़ाइदतल्अर्ज़ि फ़ी हक्किहम तब्शरीरन अर्वावाहहम बिइस्तिक्वारिहा फिलजन्नति मुक्तरिनतन बिअजसादिहा (फ़तह) या'नी इस पेश करने का फ़ायदा मोमिन के लिये उनके हक्क में उनकी रूहों को ये बशारत देना कि उनका आखिरी ठिकाना -ए- क़रार उनके जिस्मों समेत जन्नत है। इसी तरह दोज़ख़ियों को डराना कि उनका आखिरी ठिकाना उनके जिस्मों समेत दोज़ख़ है। क़ब्र में अज़ाब व षवाब की सूरत ये भी है कि जन्नती के लिये जन्नत की तरफ़ एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे उसको जन्नत की तरताज़गी हासिल होती रहती है और जहन्नमी के लिये जहन्नम की तरफ़ एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे उसको जहन्नम की गर्म-गर्म हवाएँ पहुँचती रहती है। सुबह व शाम उन ही खिड़कियों से उनको जन्नत और जहन्नम के कामिल नज़ारे कराए जाते हैं। या अल्लाह! अपने फ़ज्लो-करम से नाशिर बुखारी शरीफ़ मुतर्जिम उर्दू व हिन्दी को उसके वालिदैन व असातिज़ा व तमाम मुआविनीन किराम व शाएक़ीन इज़ाम को क़ब्र में जन्नत की तरफ़ से

तरौताज़गी नज़ीब फ़र्मा और क़यामत के दिन जन्नत में दाख़िल फ़र्माइया और दोज़ख़ से हम सबको महफूज़ रखियो। आमीन!

बाब 90 : मय्यित का चारपाई पर बात करना

1380. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब जनाज़ा तैयार हो जाता है, फिर मर्द उसको अपनी गर्दनो पर उठा लेते हैं तो अगर वो मुर्दा नेक हो तो कहता है कि हाँ आगे ले चलो, मुझे बढ़ाए चलो और अगर नेक नहीं होता तो कहता है, हाय रे ख़राबी! मेरा जनाज़ा कहाँ ले जा रहे हो। इस आवाज़ को इन्सान के सिवा तमाम मख़लूक सुनती है। अगर कहीं इन्सान सुन पाए तो बेहोश हो जाएँ।

(राजेअ: 1314)

۹۰- بَابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

۱۳۸۰- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَعْيُنِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدْ مُؤِنِي، قَدْ مُؤِنِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا رَبِّهَا، أَيَّنْ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَبَقَ)). [راجع: ۱۳۱۴]

तशरीह: जनाज़ा उठाए जाते वक़्त अल्लाह पाक बरज़ख़ी जुबान मय्यत को अ़ता कर देता है। जिसमें वो अगर जन्नती है तो जन्नत के शौक़ में कहता है कि मुझे जल्दी-जल्दी ले चलो ताकि जल्द अपनी मुराद को हासिल करूँ और अगर वो जहन्नमी है तो वो घबराकर कहता है कि हाय मुझे कहीं लिये जा रहे हो। उस वक़्त अल्लाह पाक उनको इस तौर पर मख़फ़ी (पोशीदा, गुप्त) तरीक़े से बोलने की ताक़त देता है और उस आवाज़ को इन्सान और जिन्न के अलावा तमाम मख़लूकात सुनती है।

इस हदीष से सिमाअे-मौता पर कुछ लोगों ने दलील पकड़ी है जो बिल्कुल ग़लत है। कुआन मजीद में साफ़ सिमाअे मौता की नफ़ी मौजूद है। इन्नक ला तुस्मिउल मौता (अन नम्ल : 80) अगर मरनेवाले हमारी आवाज़ें सुन पाते तो उनको मय्यत ही न कहा जाता। इसीलिये तमाम अइम्म-ए-हुदा ने सिमाअे मौता का इन्कार किया है। जो लोग सिमाअे मौता के क़ायल हैं उनके दलाइल बिल्कुल बेवज़न हैं। दूसरे मक़ाम पर उसका तफ़्सीली बयान होगा।

बाब 91 : मुसलमानों की नाबालिग़ औलाद कहाँ रहेगी?

۹۱- بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया कि जिस के तीन नाबालिग़ बच्चे मर जाएँ तो ये बच्चे उसके लिये दोज़ख़ से रोक बन जाएँगे या ये कहा कि वो जन्नत में दाख़िल होगा।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ لَمْ يَتَلَفُوا الْجَنَّةَ كَلَّا لَهْ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

1381. हमसे यअकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन उलय्या ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस मुसलमान के भी तीन नाबालिग बच्चे मर जाएँ तो अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल व रहमत से जो उन बच्चों पर करेगा, उनको बहिश्त में ले जाएगा। (राजेअ : 1238)

۱۳۸۱- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ نَاسٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ لَمْ يَتْلُفُوا الْجَنَّةَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يَا أَيُّهَا)). [راجع: ۱۲۴۸]

तशरीह: बाब मुनअक्रिद करने और इस पर हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) लाने से इमाम बुखारी (रह) का मक्सद साफ़ ज़ाहिर है कि मुसलमानों की औलाद जो नाबालिगी में मर जाए वो जन्नती है, तब ही तो वो अपने वालिदैन के लिये दोज़ख़ से रोक बन सकेंगे। अक़षर उलम-ए-किराम का यही क़ौल है और इमाम अहमद (रह.) ने हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत किया है कि मुसलमानों की औलाद जन्नत में होगी।

फिर आपने ये आयत पढ़ी, वल्लज़ील आमनू वत्तबअतुम ज़ुरिय्यतहुम (अत तूर: 21) जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी उनकी इतिबाअ की मैं उनकी औलाद को उनके साथ जन्नत में जमा कर दूंगा। क़ालन्नववी अज्मअ मंय्युअतह बिही मिन उलमाइल्मुस्लिमीन अला इन्न मम्मात मिन अत्फ़ालिल्मुस्लिमीन फ़हुव अहलिल्जन्नति व तवक्कफ़ बअज़ुहुम अल्हदीषुलिआइशत यअनी अल्लज़ी अखरजहू मुस्लिम बिलफ़िज़ तुवफ़िफ़य सबिय्युन मिनलअन्सारि फ़कुल्लु तूबा लहू लम यअलम सूअन व लम युदरिकहु फ़क़ालन्नबिय्यु और गैर ज़ालिक या आइशतु इन्नल्लाह ख़लक़ लिल्जन्नति अहलन अल्हदीष क़ाल वलज़वाब अन्हु अन्हू लअल्लहू नहाहा अनिल्मुसारअति इलक़ल्द मिन गैर दलीलिन औ क़ाल ज़ालिक क़ब्ल अंय्युअलम अन्न अल्फ़ालल्मुस्लिमीन फिल्जन्नति (फ़तहल बारी)

या'नी इमाम नववी (रह.) ने कहा कि उलम-ए-किराम की एक बड़ी ता'दाद का इस पर इज्माअ है कि जो मुसलमान बच्चा इतिक़ाल कर जाए वो जन्नती है और कुछ उलमा ने इस पर तवक्कुफ़ भी किया है। जिनकी दलील हज़रत आइशा (रज़ि.) वाली हदीष है जिसे मुस्लिम ने रिवायत किया है कि अंसार के एक बच्चे का इतिक़ाल हो गया था, मैंने कहा कि उसके लिये मुबारक हो उस बच्चे ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया या ये कि किसी बुरे काम ने उसको नहीं पाया। आँहज़रत (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया कि ऐ आइशा (रज़ि.)! क्या इस ख़याल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह ने जन्नत के लिये भी एक मख़लूक को पैदा फ़र्माया है और जहन्नम के लिये भी। इस शुब्हा का जवाब ये दिया गया है कि शायद बग़ैर दलील के आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रते आइशा (रज़ि.) को उसके बारे में कोई क़तअी इल्म नहीं दिया गया था। बाद में आपको अल्लाह पाक ने बतला दिया कि मुसलमानों की औलाद यक़ीनन जन्नती होगी।

1382. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अदी बिन ष़ाबित ने बयान किया, उन्होंने बराअ बिन अज़िब (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि जब इब्राहीम (आँहज़रत (ﷺ) के साहबज़ादे) का इन्तिक़ाल हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बहिश्त में उनके लिये एक दूध पिलाने वाली है।

۱۳۸۲- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِيَ إِبرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ لَهُ مَرَضِيًا فِي الْجَنَّةِ)).

(दीगर मक़ाम: 3255, 6190)

[طرفاه في: ۳۲۰۰, ۶۱۹۰]

इस हदीष से भी साबित हुआ कि मुसलमानों की औलाद जन्नत में दाखिल होगी। आँहज़रत (ﷺ) के साहबज़ादे के लिये अल्लाह ने मज़ीद फ़ज़ल फ़र्माया कि चूँकि आपने हालते रज़ाअत में इंतिक़ाल किया था लिहाज़ा अल्लाह पाक ने उनको दूध पिलाने के लिये जन्नत में एक आया को मुकर्रर फ़र्मा दिया। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिव्वं अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम

खातिमा

अल्हम्दुलिल्लाहि वल मन्नह कि रात और दिन की सफ़र व हज़र की मुतवातिर मेहनत के नतीजे में आज इस पाक व मुकद्दस किताब के पाँचवें पारे के तर्जुमे व तशरीहात से फ़रागत हासिल हुई। इस ख़िदमत के लिये जिस क़दर मेहनत की गई उसे अल्लाह पाक ही जानता है। ये महज़ उसका करम है कि उसने इस मेहनते शाक्का (कड़ी मेहनत) की तौफ़ीक़ अता फ़र्माई और इस अज़ीम ख़िदमत को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी जुबान में ताक़त नहीं कि मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा कर सकूँ। अल्लाह पाक इसे कुबूल करे और कुबूले आम अता करे और जहाँ कहीं भी मुझसे कोई लज़ि़श हुई हो या कलामे रसूल (ﷺ) की असल मंशा के ख़िलाफ़ कहीं कोई लफ़ज़ दर्ज हो गया हो, तो अल्लाह पाक उसे मुआफ़ कर दे। मैंने अपनी दानिस्त में इस अम्र की पूरी-पूरी सई (कोशिश) की है कि किसी जगह भी अल्लाह और उसके हबीब (ﷺ) की मंशा के ख़िलाफ़ तर्जुमा व तशरीह में कोई लफ़ज़ न आने पाए फिर भी हक़ीर नाचीज़ जुलूम व जुहूले मुअतरिफ़ हूँ कि अल्लाह जाने कहाँ कहाँ मेरे क़लम को लज़ि़श हुई होगी। लिहाज़ा यही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी क़लमी लज़ि़शों को मुआफ़ कर दे और मेरी निय्यत में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुलूस अता फ़र्माए।

मैंने ये भी ख़ास कोशिश की है कि इख़्तिलाफ़ी उमूर में मसालिके मुख्तलिफ़ा की तफ़सील में किसी भी आला और अदना बुजुर्ग, इमाम, मुहदिष, आलिम, फ़ाज़िल की शान में कोई गुस्ताख़ाना जुम्ला क़लम पर न आने पाए। अगर किसी जगह कोई ऐसा फ़िक्का नज़र आए तो उम्मीद है कि इलमात इत्तिलाअ देकर शुक्रिया का मौक़ा देंगे और हर ग़लती को बनज़रे इस्लाह मुतालाआ फ़र्माकर नज़रे घानी की तरफ़ रहनुमाई कराएँगे। मेरा मक़सद सिर्फ़ कलामे रसूल (ﷺ) की ख़िदमत है जिससे कोई ग़र्जे फ़ासिद मक़सूद नहीं है, फिर भी इंसान हूँ, जईफ़ुल बुनियान हूँ, अपनी जुम्ला ग़लतियों का मुझको ए'तिराफ़ है। उन इलम-ए-किराम का बेहद मशकूर हूँगा जो मेरी इस्लाह फ़र्माकर मेरी दुआएँ हासिल करेंगे।

आखिर में मैं अपने इन जुम्ला शाइकीने किराम का भी अज़बुद मशकूर हूँ जिनकी मसाई जमीला के नतीजे में ये ख़िदमत यहाँ तक पहुँची है। दुआ है कि अल्लाह पाक जुम्ला भाईयों को दारैन की नेअमतों से नवाजे और इस ख़िदमत की तकमील कराये। व बिल्लाहितौफ़ीकि व हुव खैरुरफ़ीकि वस्सलामु अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, आमीन!

मुहम्मद दाऊद राज वल्द अब्दुल्लाह

रबी उल अब्वल 1389 हिजरी

नोट : अल्लामा दाऊद राज (रह.) ने 43 साल पहले पाँचवें पारे की तकमील पर ये अल्फ़ाज़ लिखे थे। वे आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। तमाम क़ारेईने किराम से गुज़ारिश है कि अपनी दुआओं में अल्लामा दाऊद राज (रह.) को याद रखें और उनके लिये दुआ-ए-मफ़िरत फ़र्माएँ।

सहीह बुखारी के इस नुस्खे को उर्दू से हिन्दी में अनुवादित करते समय हमने पूरा एहतियाम रखा है कि कलामे-रसूल (ﷺ) की ऐन मंशा को ज़र्ब (चोट) न पहुँचे। तमाम क़ारेईने किराम से गुज़ारिश है कि सहीह बुखारी के इस हिन्दी नुस्खे में अगर कोई ख़ामी नज़र आए तो इस्लाह की निय्यत से हमें ज़रूर इत्तिला दें, हम आपके मशकूर रहेंगे। आपसे यह भी इल्तिमास है कि अपनी दुआओं में उन तमाम हज़रत को शामिल करें जिनके तआवुन से सहीह बुखारी मुकम्मल हिन्दी आप तक पहुँची है। वस्सलाम,

सलीम ख़िलजी

(हिन्दी अनुवादक) शाबान 1432 हिजरी

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

छठा पारा

बाब 92 : मुश्किनी की नाबालिग
औलाद का बयान

۹۲- بَابُ مَا قِيلَ فِيْ اَوْلَادِ
الْمُشْرِكِيْنَ

हाफिज इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, हाज़िहित्तर्जुमतु तुशइरू अयज़न बिअन्नहू कान मुतवक्किफ़न फ़ी ज़ालिक व कद जज़मा बअद हाज़ा फ़ी तफ़्सीरि सूरतिरूम बिमा यदुल्लु अला इखितयारिल्कौलिस्साइरि इला अन्नहुम फिल्जन्नति कमा सयाती तहरीरूहू व क़द रत्तब अयज़न अहादीषु हाजल बाबि तर्तीबन युशीरू इलल्मजहबिल्मुख्तारि फ़इन्नहू सदरहू बिल्हदीषिहाल्लि अलत्तवक्कुफ़ि शुम्म घना बिल्हदीषिल्मुर्ज्जहि लिक्ौनिहिम फिल्जन्नति बिल्हदीषिल्मुसिरी बिज़ालिक फ़इन्नहू क़ौलहू फ़ी सियाकिहि अम्मस्सिब्यानु हौलहू फ़औलादुन्नासि क़द अख़जहू फ़ित्तअबीरि बिलफ़िज़ अम्मल्विल्दानुल्लज़ीन हौलहू फ़कुल्लु मौलूदिन यूलद अल्लिफ़त्ति फ़क़ाल बअजुल्मुस्लिमीन व औलादुल्मुश्किनीन फ़क़ाल औलादुल्मुश्किनीन व युअय्यिदुहू मा र्वाहू अबू यअला मिन हदीषि अनसिन मफ़ूअन सअलतु रब्बी अल्लाहीन फ़ी ज़ुरियतिल्बशरि अल्ला युअज़्ज़िबहुम फ़आतानीहिम इस्नादुहू हसनुन (फ़तुहल बारी जुज़ुः सादिस, पेज 01)

काल इब्नुल्क़थ्थिम लैसल्मुरादु बिक्ौलिही यूलदु अल्लिफ़त्ति अन्नहू खरज मिन बत्नि उम्मिही यअलमुद्दीन लिअन्नल्लाह यकूलु अल्लाहु अख़जकुम मिम्बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शौअन वला किन्नल्मुरादु अल्लिफ़त्तु मुक्त्तज़ीहि लिमअरिफ़ति दीनिल्इस्लामि व महब्बतुहू फ़नफ़सुल्फ़त्ति लिज़ालिक लिअन्नहू ला यतगय्यरु बितहवीदिल्अबवैनि मग़लन युख़रिजानिल्फ़त्त अनिल्कुबूलि व इन्नमल्मुरादु इन्न कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला इक्वारिही बिरूबूबिय्यति फ़लौ ख़ला व अदमुल्मुआरिज़िलम यअदिल अन ज़ालिक इला गैरिही कमा अन्नहू यूलदु अला महब्बतिन मा युलाइमु बदनुहू मिन इत्तिज़ाल्लबनि हत्ता युसरिफ़ अन्हुस्सारिफ़ु मिन शुम्बिहतिल्फ़त्तु बिल्लबनि बल कानत इय्याहु फ़ी तावीलिरूया वल्लाहु आलम (फ़तुहल बारी, जिल्द 6, पेज 3)

मुख्तसर मतलब ये है कि ये बाब ही ज़ाहिर कर रहा है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) इस बारे में मुतवक्किफ़ थे। उसके बाद सूरह रूम में आपने इसी ख़याल पर जज़म किया है कि वो ज़न्नती हैं। यहाँ भी आपने अहादीष को उसी तर्ज़ पर मुत्तब किया है जो मज़हबे मुख्तार की तरफ़ रहनुमाई कर रही है। पहली हदीष तो तवक्कुफ़ पर दाल है। दूसरी हदीष से ज़ाहिर है कि उनके ज़न्नती होने की तर्ज़िह हासिल है। तीसरी हदीष में उसी ख़याल की मज़ीद सराहत मौजूद है जैसा लफ़ज़ 'अम्मस्सिबयान फ़औलादुन्नासि' से ज़ाहिर है। उसी को किताबुत्तअबीर में लफ़ज़ों में निकाला है लेकिन बच्चे जो उस बुजुर्ग के आसपास नज़र आए पस हर बच्चा भी फ़ितरत पर पैदा होता है। कुछ ने कहा कि वो मुसलमानों की औलादें थीं, उसकी ताईद अबू यअला की रिवायत से भी होती है कि मैंने औलादे आदम में बेख़बरों की बख़िश का सवाल किया तो अल्लाह ने मुझे उन सबको अत्ता फ़र्मा दिया।

अल्लामा इब्ने क़थ्थिम ने फ़र्माया कि हदीष कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल्लिफ़त्ति से मुराद ये नहीं कि हर बच्चा

दीन का इल्म हासिल करके पैदा होता है। अल्लाह ने खुद कुआन पाक में फ़र्माया है कि तुमको अल्लाह ने माँओं के पेट से इस हाल में पैदा किया कि तुम कुछ न जानते थे। लेकिन मुराद ये है कि बच्चे की फ़ितरत इस बात की मुक्तज़ा है कि वो दीने इस्लाम की मअरिफ़त और मुहब्बत हासिल कर सके। पस नपसे फ़ितरत इकरार और मुहब्बत को लाज़िम है ख़ाली कुबूले फ़ितरत मुराद नहीं। बई तौर पर कि वो माँ-बाप के डराने-धमकाने से मुतगय्यर नहीं हो सकती। पस मुराद यही है कि हर बच्चा इकरारे रुबूबियत पर पैदा होता है पस अगर वो ख़ाली ज़हन ही रहे और कोई मुआरिज़ा उसके सामने न आए तो वो इस ख़याल से नहीं हट सकेगा। जैसा कि वो अपनी माँ की छातियों से दूध पीने की मुहब्बत पर पैदा हुआ है यहाँ तक कि कोई हटानेवाला भी उसे उस मुहब्बत से हटा नहीं सकता। इसलिये फ़ितरत को दूध से तश्बीह दी गई है बल्कि ख़वाब में भी उसकी ता'बीर यही है।

1383. हमसे हिब्बान बिन मूसा मरवज़ी ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें अबू बिशर जा'फ़र ने, उन्हें सईद बिन जुबैर ने, उनको इब्ने अब्बास (रज़ि) ने कि नबी करीम (ﷺ) से मुश्रिकों की नाबालिग़ बच्चों के बारे में पूछा गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने जब उन्हें पैदा किया था उसी वक़्त वो ख़ूब जानता था कि ये क्या अमल करेंगे।

(दीगम मक़ाम : 6097)

۱۳۸۳- حَدَّثَنَا جِبَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((سَيَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: ((اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)).

[طرفه في : ۶۰۹۷.]

तशरीह : मतलब ये है कि अल्लाह तआला उनसे अपने इल्म के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) सुलूक करेगा। बज़ाहिर ये हदीष इस मज़हब की ताईद करती है कि मुश्रिकों की औलाद के बारे में तवक्कुफ़ करना चाहिये। इमाम अहमद और इस्हाक़ और अक़षर अहले इल्म का यही क़ौल है और बैहक़ी ने इमाम शाफ़िई से भी ऐसा ही नक़ल किया है। उसूलन भी ये कि नाबालिग़ बच्चे शरअन ग़ैर मुकल्लफ़ हैं, फिर भी इस बहष का उम्दा अमल ये है कि वो अल्लाह के हवाले है जो ख़ूब जानता है कि वो जन्नती हैं या जहन्नमी। मोमिनीन की औलाद तो बहिश्ती है लेकिन काफ़िरों की औलाद में जो नाबालिग़ी की हालत में मर जाएँ बहुत इख़्तिलाफ़ है। इमाम बुखारी (रह.) का मज़हब ये है कि वो बहिश्ती हैं क्योंकि बग़ैर गुनाह के अज़ाब नहीं हो सकता और वो मा'सूम मरे हैं। कुछ ने कहा अल्लाह को इख़्तियार है और उसकी मशिय्यत पर मौक़ूफ़ (इच्छा पर आधारित) है चाहे बहिश्त में ले जाए, चाहे दोज़ख़ में। कुछ ने कहा अपने माँ-बाप के साथ वो भी दोज़ख़ में रहेंगे। कुछ ने कहा खाक हो जाएँगे। कुछ ने कहा अअराफ़ में रहेंगे। कुछ ने कहा उनका इम्तिहान किया जाएगा। वल्लाहु आलम (वहीदी)

1384. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने जुह्सी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अता बिन यज़ीद लैषी ने ख़बर दी, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुश्रिकों के नाबालिग़ बच्चों के बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया कि अल्लाह ख़ूब जानता है जो भी वो अमल करने वाले होंगे।

(दीगर मक़ाम : 6597, 6600)

۱۳۸۴- حَدَّثَنَا أَبُو أَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رُوَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَيَلَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ((اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)). [طرفاه في : ۶۰۹۸, ۶۱۰۰.]

तशरीह : अगर उसके इल्म में ये है कि वो बड़े होकर अच्छे काम करने वाले थे तो बहिश्त में जाएँगे वरना दोज़ख़ में। बज़ाहिर ये हदीष मुशकिल है क्योंकि उसके इल्म में जो होता है वो ज़रूर ज़ाहिर होता है। तो उसके इल्म में तो यही था कि वो बचपन में ही मर जाएँगे। उस इश्काल (अनुमान) का जवाब ये है कि क़तई बात तो यही थी कि वो बचपन में ही मर जाएँगे

और परवरदिगार को उसका इल्म बेशक था मगर उसके साथ परवरदिगार ये भी जानता था कि अगर ये जिन्दा रहते तो नेकबख्त होते या बदबख्त। वल इल्मु इन्दल्लाह!

1385. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी जिब ने, उनसे जुहरी ने, उनसे अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया हर बच्चे की पैदाइश फ़ितरत पर होती है फिर उसके माँ-बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जानवर के बच्चे सहीह सालिम होते हैं। क्या तुमने (पैदाइशी तौर पर) कोई उनके जिस्म का हिस्सा कटा हुआ देखा है? (राज़ेअ: 1358)

۱۳۸۵- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَهْوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ يُمَجِّسَانِيَةً، كَمَثَلِ الْهَيْمَةِ تَنْتَجُ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءً؟)). [راجع: ۱۳۵۸]

तशरीह: मगर बाद में लोग उनके कान वगैरह काटकर उनको ऐबदार कर देते हैं। इस हदीष से इमाम बुखारी (रह.) ने अपना मज़हब प्रामाणिक किया कि जब हर बच्चा इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा होता है तो अगर वो बचपन ही में मर जाए तो इस्लाम पर मरेगा और जब इस्लाम पर मरा तो जन्नती होगा। इस्लाम में सबसे बड़ा जुज़ तौहीद है तो हर बच्चे के दिल में अल्लाह की मअरिफ़त और उसकी तौहीद की क़ाबिलियत होती है। अगर बुरी सोहबत में न रहे तो ज़रूर वो मुवह्हिद हो लेकिन मुश्रिक माँ-बाप अज़ीज़ व अकरबा इस फ़ितरत से उसका दिल फिराकर शिक में फ़सा देते हैं। (वहदीदी)

बाब : 93

باب - ۹۳

तशरीह: इस बाब के ज़ेल हज़रत इब्ने हज़र फ़र्माते हैं :

कज़ा षबत लिजमीइहिम इल्ला लिअब्बीज़रिन व हुब कल्फस्लि मिनल्बाबिल्लज़ी क़बलहू व तअल्लुकल्हदीषि बिहीज़ाहिरुन मिन क़ौलिही फ़ी हदीषि समुरतिल्मज़कूर वशशैखु फ़ी अस्लिश्शजरति इब्राहीम वस्सिब्बयानु हौलहू औलादुन्नासि व क़द तक्रहमत्तम्बीहु अला अन्नहू वरदहू फित्तअबीरि बिज़ियादतिन क़ालू व औलादुल्मुश्रिकीन फ़क़ाल औलादुल्मुश्रिकीन सयाती अल्कलामु अला बक्रियतिल्हदीषि मुस्तौफ़न फ़ी किताबित्तअबीरि इन्शाअल्लाहु तआला. (फ़तहूल बारी, जिल्दनं. : 1, पेज नं. 3)

या'नी तमाम नुस्खों में (बजुज़ अबू ज़र के) ये बाब इसी तरह दर्ज है और गोया पिछले बाब से फ़स्ल के लिये है और हदीष का ता'ल्लुक समुरा मज़कूर की रिवायत में लफ़ज़ वशशैखु फ़ी अस्लिश्शजरति इब्राहीम वस्सिब्बयानु हौलहू औलादुन्नासि से ज़ाहिर है और पीछे कहा जा चुका है कि हज़रत इमाम ने उसे किताबुत्तअबीरि में इन लफ़ज़ों की ज़्यादाती के साथ रिवायत किया है कि क्या मुश्रिकों की औलाद के लिये भी यही हुक्म है। फ़र्माया, हाँ! औलादे मुश्रिकीन के लिये भी और पूरी तफ़्सीलात का बयान किताबुत्तअबीरि में आया। (वहदीदी)

ये हक़ीकत मुसल्लम है कि अंबिया के ख़्वाब भी वह्य और इल्हाम के दर्जे में होते हैं, इस लिहाज़ से आँहज़रत (ﷺ) का अगरचे ये एक ख़्वाब है मगर उसमें जो कुछ आपने देखा वो बिल्कुल बरहक़ है जिसका इख़ित्सार (सारांश) ये है कि पहला आपने वो शख्स देखा जिसके जबड़े दोज़खी आँकड़ों से चरि जा रहे थे। ये वो शख्स हे जो दुनिया में झूठ बोलता और झूठी बातों को फैलाता रहता है। दूसरा शख्स आपने वो देखा जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। ये वो है जो दुनिया में कुआन का आलिम था मगर अमल से बिल्कुल ख़ाली रहा और कुआन पर न रात को अमल किया न दिन को, क़यामत तक उसको यही अज़ाब होता रहेगा। तीसरा आपने तन्नूर की शक़्ल में दोज़ख का एक गढ़ा देखा जिसमें बदकार मर्द व औरत जल रहे थे। चौथा आपने एक नहर में ग़र्क़ आदमी को देखा जो निकलना चाहता था मगर फ़रिश्ता उसको मार-मारकर वापस उसी नहर में डुबो रहा था। ये वो शख्स था जो दुनिया में सूद खाता था और पेड़ की जड़ में बैठने वाले बुजुर्ग हज़रत सय्यदना ख़लीलुल्लाह

इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और आपके आसपास वो मा'सूम बच्चे जो बचपन ही में इतिक़ाल कर गए। वो बच्चे मुसलमानों के हों या दीगर क़ौमों के।

ये तमाम चीज़ें आँहज़रत (ﷺ) को आलमें रूया में दिखलाई गईं और आपने अपनी उम्मत की हिदायत व इब्रत के लिये उनको बयान कर दिया। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इससे प्राबित फ़र्माया कि मुश्किनी की औलाद जो बचपन में इतिक़ाल कर जाए ज़न्नती है। लेकिन दूसरी रिवायात की बुनियाद पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आखिरी बात यही है कि अगर वो रहते तो जो कुछ वो करते अल्लाह को ख़ूब मा'लूम है। पस अल्लाह पाक मुख्तार है वो जो मुआमला चाहे उनके साथ करे। हाँ! मुसलमानों की नाबालिग़ औलाद यकीनन सब ज़न्नती हैं जैसाकि अनेक दलीलों से प्राबित है।

1386. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू रजाअ इमरान बिन तमीम ने बयान किया और उनसे समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़े (फ़ज़्र) पढ़ने के बाद (उमूमन) हमारी तरफ़ मुँह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख़्वाब देखा हो तो बयान करो। रावी ने कहा कि अगर किसी ने कोई ख़्वाब देखा होता तो उसे वो बयान कर देता और आप उसकी ता'बीर अल्लाह को जो मंज़ूर होती बयान फ़र्माते। एक दिन आपने मा'मूल के मुताबिक़ हमसे दरयाफ़्त फ़र्माया क्या आज रात किसी ने तुममें कोई ख़्वाब देखा है? हमने अर्ज़ किया कि किसी ने नहीं देखा। आपने फ़र्माया लेकिन मैंने आज रात एक ख़्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिये और वो मुझे अर्ज़े-मुक़द्दस की तरफ़ ले गये। (और वहाँ से आलमे-बाला की मुझको सैर करवाई) वहाँ क्या देखता हूँ कि एक शख़्स तो बैठा हुआ है और एक शख़्स खड़ा है और उसके हाथ में (इमाम बुखारी ने कहा कि) हमारे बाज़ अस्हाब ने (ग़ालिबन अब्बास बिन फ़ुज़ैल अस्क्राती ने मूसा बिन इस्माईल से ये रिवायत किया है) लोहे का आँकस था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर उसके सर के पीछे तक चीर देता फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान में उसका पहला जबड़ा सहीह और अपनी असल हालत पर आ जाता और फिर पहले की तरह वो उसे दोबारा चीरता। मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ के दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलो। चुनाँचे हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख़्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ

۱۳۸۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا)) قَالَ: فَإِنِ رَأَى أَحَدٌ قَصَبًا، فَيَقُولُ: ((مَا شَاءَ اللَّهُ)). فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ: ((هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدًا رُؤْيَا)) قُلْنَا: لَا. قَالَ: ((لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَانِي، فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ - قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كَلُوبٌ مِنْ حَدِيثِهِ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ - حَتَّى يَتَلَعَّ قَفَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَمِمُ شِدْقَهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُصْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدُقُ بِهَا رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرْبَةٌ تَنْهَدُهُ

था और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिये उसके सर पर खड़ा था। उस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स के सर को कुचल देता था। जब वो उसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लग कर वो पत्थर दूर चला जाता और वो उसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सर दोबारा दुरुस्त हो जाता। बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनाँचे हम आगे बढ़े तो एक तन्नूर जैसे गढ़े की तरफ चले। जिसके ऊपर का हिस्सा तो तंग था लेकिन नीचे से खूब फ़राख़। नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शोले भड़क कर ऊपर उठते तो उसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठ आते और ऐसा मा'लूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएँगे, लेकिन जब शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। इस तन्नूर में नंगे मर्द और औरतें थीं। मैंने इस मौक़े पर भी पूछा कि ये क्या है? लेकिन इस मर्तबा भी जवाब यही मिला कि अभी और आगे चलो, हम आगे चले। अब हम खून की एक नहर के ऊपर थे। नहर के अन्दर एक शख्स खड़ा था और उसके बीच में (यज़ीद बिन हारून और वुहैब बिन जरीर ने हाज़िम के वास्ते से वस्तुन्नहर के बजाय शततन्नहर, नहर के किनारे के अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं) एक शख्स था। जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख्स उसके मुँह पर इतनी ज़ोर से पत्थर मारता कि वो अपनी पहली जगह पर चला जाता और इसी तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता वो शख्स उसके मुँह पर पत्थर उतनी ही ज़ोर से फिर मारता कि वो अपनी असल जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनाँचे हम और आगे बढ़े और एक हरे-भरे बाग़ में आए। जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ की जड़ में एक बड़ी इमर वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। पेड़ से करीब ही एक शख्स अपनी आगे आग सुलगा रहा था। वो मेरे दोनों साथी मुझे लेकर उस पेड़ पर चढ़े। इस

الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ
إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمَّ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ
كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ لَفُضْرَتِهِ، قُلْتُ : مَنْ
هَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ فَانْطَلِقْنَا إِلَى نَفْسِ
مِثْلِ النَّوْرِ ابْنِ غَلَاةٍ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ
يَتَوَقَّدُ نَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا
حَتَّى كَادَ وَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ
رَجَعُوا لِيْنَهَا، وَلِيْنَهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ.
قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ. فَانْطَلِقْنَا
حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ
قَائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
حِجَارَةٌ - قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَارِثٍ: وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ
رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ - فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ
الَّذِي فِي النَّهْرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ
رَمَى الرَّجُلُ بِحِجَارَةٍ فِيهِ فَرْدَةٌ حَيْثُ
كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي
فِيهِ بِحِجَارَةٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ: مَا
هَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ. فَانْطَلِقْنَا حَتَّى آتَيْنَا
إِلَى رَوْحَةِ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ،
وَلِي أَصْلُهَا شَيْخٌ وَصِييَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ
قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ
يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي إِلَى الشَّجَرَةِ
وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرْ قَطُّ أَحْسَنَ وَ
أَفْضَلَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُبُوحٌ وَشَبَابٌ
وَ نِسَاءٌ وَصِييَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا
فَصَعِدَا بِي إِلَى الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا

तरह वो मुझे एक ऐसे घर के अन्दर ले गये कि उससे ज़्यादा हज़ीन व ख़ूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे (सब ही क्रिस्म के लोग) थे। मेरे साथी मुझे इस घर से निकाल कर फिर एक और पेड़ पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गये जो निहायत ख़ूबसूरत और बेहतर था। उसमें भी बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा तुम लोग मुझे रातभर ख़ूब सैर करवाई। क्या जो कुछ मैंने देखा उसकी तफ़्सील भी कुछ बताओगे? उन्होंने कहा हाँ! वो जो तुमने देखा था उस आदमी का जबड़ा लोहे के आँकस से फाड़ा जा रहा था वो झूठा आदमी था, जो झूठी बातें बयान करता था। उससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते। इस तरह एक झूठी बात दूर-दूर तक फैल जाया करती थी। उसे क्रयामत तक यही अज़ाब होता रहेगा जिस शख्स को तुमने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा था तो वो एक ऐसा इन्सान था जिसे अल्लाह तआला ने कुआन का इल्म दिया था लेकिन वो रात को पड़ा सोता रहता और दिन में उस पर अमल नहीं करता था। उसे भी ये अज़ाब क्रयामत तक होता रहेगा और जिन्हें तुमने तन्नूर में देखा वो जिनाकार थे। और जिसको तुमने नहर में देखा वो सूद खाया करता था और वो बुजुर्ग जो पेड़ की जड़ में बैठे हुए थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्दगिर्द वाले बच्चे, लोगों की नाबालिग औलादें थी और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दारोगा था और वो घर जिसमें तुम पहले दाखिल हुए जन्नत में आम मोमिनों का घर था और ये घर जिसमें तुम अब खड़े हो, ये शहीदों का घर है और मैं जिब्रईल हूँ और ये मेरे साथ मीकाईल हैं। अच्छा अब अपना सर उठाओ। मैंने अपना सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है। मेरे साथियों ने कहा कि ये तुम्हारा मकान है। इस पर मैंने कहा कि फिर मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इब्र बाक़ी है जो तुमने पूरी नहीं की, अगर आप वो पूरी कर लेते तो अपने मकान में आ जाते।

(राजेअ: 840)

هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شَيْخٌ وَحَبَابٌ. فَقُلْتُ: طَوْفَمَايَ اللَّيْلَةَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالَ: نَعَمْ. أَمَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ حِدْقَهُ لَكَذَابٍ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآبَاقَ، فَيَصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدُّ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَسَمَّ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمْ الرُّبَاةُ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُوا الرِّبَا. وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالصَّبَّانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ. وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَا لِكَ حَارِثِ النَّارِ. وَالذَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ. وَأَنَا جِبْرِئِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ. فَارْفَعْ رَأْسَكَ. فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَبَادَا قَوْفِي مِنْ السَّحَابِ، قَالَ: ذَاكَ مَنْزِلُكَ. فَقُلْتُ: دَعَايَ أَذْخُلُ مَنْزِلِي. قَالَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)).

[راجع: ٨٤٥]

बाब 94 : पीर के दिन मरने की फ़ज़ीलत

۹۴- بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

तशरीह: जुम्'अे के दिन की मौत की फ़ज़ीलत इसी तरह जुम्'अे की रात में मरनेवाले की फ़ज़ीलत दूसरी अहदादीष में आई है। पीर के दिन भी मौत के लिये बहुत अफ़ज़ल है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उसी दिन वफ़ात पाई और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसी दिन की आरजू की मगर आपका इतिक़ाल मंगल की शब में हुआ। (वहीदी)

1387. हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि मैंने (वालिदे माजिद हज़रत) अबूबक्र (रज़ि.) की ख़िदमत में (उनकी मर्जुलमौत में) हाज़िर हुई तो आपने पूछा कि नबी करीम (ﷺ) को तुम लोगों ने कितने कपड़ों में कफ़न दिया था? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि तीन सफ़ेद धुले हुए कपड़ों का, आपको कफ़न में कमीज़ और अमामा नहीं दिया गया था। और अबूबक्र (रज़ि.) ने उनसे ये भी पूछा कि आपकी वफ़ात किस दिन हुई थी। उन्होंने जवाब दिया कि पीर के दिन। फिर पूछा कि आज कौनसा दिन है? उन्होंने कहा आज पीर का दिन है। आपने फ़र्माया कि मुझे भी उम्मीद है कि अब से रात तक मैं भी रुख़सत हो जाऊँ। उसके बाद आपने अपना कपड़ा दिखाया जिसे मर्ज़ के दौरान मैं पहन रहे थे। इस कपड़े पर ज़ा'फ़रान का धब्बा लगा हुआ था। आपने फ़र्माया मेरे इस कपड़े को धो लेना और इसके साथ दो और मिला लेना, फिर मुझे कफ़न उन्हीं का देना। मैंने कहा कि ये तो पुराना है। फ़र्माया कि ज़िन्दा आदमी नये का मुर्दे से ज्यादा मुस्तहिक़ है, ये तो पीप और ख़ून की नज़र हो जाएगी फिर मंगल की रात का कुछ हिस्सा गुज़रने पर आपका इन्तक़ाल हुआ और सुबह होने से पहले आपको दफ़न किया गया।

तशरीह: सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने पीर (सोमवार) के दिन मौत की आरजू की, उससे बाब का मतलब प्राबित हुआ। हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने अपने कफ़न के लिये अपने रोज़मर्रा के कपड़ों को ही ज्यादा पसंद फ़र्माया जिनमें आप रोज़ाना इबादते इलाही किया करते थे। आपकी साहबज़ादी हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जब आपका ये हाल देखा तो वो हाय-हाय करने लगीं मगर आपने फ़र्माया कि ऐसा न करो बल्कि इस आयत को पढ़ो व जाअत सक्तरुल मौत बिलहक़्रिया'नी आज सकरात मौत का वक़्त आ गया। हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) के फ़ज़ाइल व मनाकिब के लिये दफ़्तर भी नाकाफ़ी है।

अल्लामा इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, व रवा अबू दाऊद मिन हदीषि अलिथ्यिन मफ़ूअन ला तरगालू फिल्कफ़िन फ़इन्नहू युस्लबू सरीअन व ला युआरिज़ुहू हदीषु जाबिरिन फिल्अमि बितहसीनिल्कफ़िन अखरजहू मुस्लिम फ़इन्नहू यज्मउ बैनहुमा बिहमलित्तहसीनि अलस्सिफ़ति व हमलिलगालाति अलछ़मनि व क़ील अत्तहसीनु फ़ी हक्किल्मय्यति फ़इज़ा औसा बितकिंही उत्तुबिअ कमा फ़अलस्सिद्दीकु व यहतमिलु अय्यकून इख़तार

۱۳۸۷- حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ((رَدَّخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: لِي كَمْ كَفْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ بِيضٍ سَخْرِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَبِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: لِي أَيُّ يَوْمٍ تُوْفِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو لِيْمَا بَيْتِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَظَنَرَ إِلَى تَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اغْسِلُوا تَوْبِي هَذَا وَزِينُوا عَلَيْهِ تَوْبَتِي فَكَفْتُونِي فِيْهَآ. قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقَ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ، وَذُلْنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)).

ज़ालिक़ प्रौब बिअयनिही लिमअना फ़ीहि मिनत्तबरूकि बिही लिकौनिही मार इलैहि मिनन्नबिद्यि (ﷺ) औ लिकौनिही जाहद फ़ीहि औ तअब्बद फ़ीहि व युअय्यिदुहू मा र्वाहु इब्नु सअदिन मिन तरीक्लिक्कासिम इब्नु मुहम्मद इब्नु अबी बक्किन क़ाल क़ाल अबू बक्क कफ़िफ़नूनी फ़ी प्रौबयिल्लजैनि कुन्तु उमल्ली फ़ीहा. (फ़तुल बारी जिल्द 6, पेज 5) और अबू दाऊद ने हदीष अली (रज़ि.) से मफूअन रिवायत किया है कि क़ीमती कपड़ा कफ़न में न दो, वो तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। हदीषे जाबिर (रज़ि.) में उम्दा कफ़न देने का भी हुक्म आया है। उम्दा से मुराद साफ़-सुथरा कपड़ा और क़ीमती से ज़्यादा क़ीमत का कपड़ा मुराद है। दोनों हदीष में यही तल्बीक़ है और ये भी कहा गया है कि तहसीन मय्यत के हक़ में है अगर वो छोड़ने की वसियत कर जाए तो उसकी इत्तिबा की जाएगी। जैसा कि हज़रत सिदीक़ (रज़ि.) ने किया। ये भी अंदाज़ा है कि हज़रत सिदीक़े अकबर (रज़ि.) ने अपने उन कपड़ों को बतौर तबरूक पसंद किया हो क्योंकि वो आपको नबी करीम (ﷺ) से हासिल हुए थे या ये कि उनमें आपने बड़े-बड़े मुजाहदे किये थे या उनमें इबादते इलाही की थी। उसकी ताईद में एक रिवायत में आपके ये लफ़ज़ भी मन्कूल हैं कि मुझे मेरे उन ही दो कपड़ों में कफ़न देना जिनमें मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं।

व फ़ी हाज़ल्हदीषि इस्तिहबाबुत्तक्फ़ीनि फिफ़िषयाबिल्बीज़ि व तषलीषिल्कफ़िन व तलबिल्मुवाफ़क़ति फ़ीमा वक्रअ लिल्अकाबिरि तबरूकन बिज़ालिक व फ़ीहि जवाजुत्तक्फ़ीनि फिफ़िषयाबिल्मगसूलति व ईषारिल्हय्यि बिल्दजदीदि वदफ़िन बिल्लैलि व फज़िल अबी बक्क व सिह्हति फ़रासतिही व षिबातिही इन्द वफ़ातिही व फ़ीहि उख़जुल्मरइ अल्इल्म अम्मन दूनहू व क़ाल अबू उमर फ़ीहि अन्नत्तक्फ़ीनि फिफ़िषौबिल्जदीदि वल्खल्कि सवाउन.

या'नी इस हदीष से प्राबित हुआ कि सफ़ेद कपड़ों का कफ़न देना और तीन कपड़ों का इस्ते'माल करना मुस्तहब है और अकाबिर से नबी अकरम (ﷺ) की बतौर तबरूक मुवाफ़क़त (समानता की) तलब करना भी मुस्तहब है। जैसे सिदीक़े अकबर (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) के यौमे वफ़ात पीर के दिन की मुवाफ़क़त की ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी और इस हदीष से धुले हुए कपड़े का कफ़न देना भी जाइज़ प्राबित हुआ और ये भी कि उम्दा नये कपड़ों के लिये ज़िन्दों पर ईषार (त्याग) करना मुस्तहब है जैसा कि सिदीक़े अकबर (रज़ि.) ने फ़र्माया और रात में दफ़न करने का जवाज़ भी प्राबित हुआ और हज़रत अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत व फ़िरासत भी प्राबित हुई और ये भी प्राबित हुआ कि इल्म हासिल करने में बड़ों के लिये छोटों से भी फ़ायदा उठाना जाइज़ है। जैसाकि सिदीक़े अकबर (रज़ि.) ने अपनी साहबज़ादी से इस्तिफ़ादा फ़र्माया। अबू उमर ने कहा कि इससे ये भी प्राबित होता है नए और पुराने कपड़ों का कफ़न देना बराबर है।

बाब 95 : नागहानी मौत का बयान

1388. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा मुझे हिशाम बिन इव्रा' ने ख़बर दी, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि मेरी माँ का अचानक इन्तक़ाल हो गया और मेरा खयाल है कि अगर उन्हें बात करने का मौक़ा मिलता तो वो कुछ न कुछ ख़ैरात करती। अगर मैं उनकी तरफ़ से कुछ ख़ैरात करूँ तो क्या उन्हें इसका प्रवाब मिलेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मिलेगा।

(दीगर मक़ाम : 2860)

٩٥- بَابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْتَةِ

١٣٨٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنْ أُمِّي أَقْبَلَتْ نَفْسَهَا، وَأَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، لَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

[طرفه في : ٢٧٦٠.]

तशरीह:

बाब की हदीष लाकर इमाम बुखारी (रह.) ने ये प्राबित किया है कि मोमिन के लिये मौत से कोई जरूर नहीं। गो आँहजरत (ﷺ) ने उससे पनाह मांगी है क्योंकि उसमें वसियत करने की मुहलत नहीं मिलती। इब्ने अबी शैबा ने रिवायत की है कि नागहानी मौत मोमिन के लिये राहत है और बदकार के लिये गुस्से की पकड़ है। (वहीदी)

बाब 96 : नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) की क़ब्र का बयान

और सूरह अबस में जो आया है, फ़अक्बरहू तो अरब लोग कहते हैं अक्बर्तुरूजुल या 'नी मैंने उसके लिये कुर्बानी और फ़अक्बरहु के मा'नी मैंने उसे दफ़न किया और सूरह मुर्सिलात में जो किफ़ाता का लफ़ज़ है जिन्दगी भी ज़मीन ही पर गुज़ारेंगे और मरने के बाद भी इसी में दफ़न होंगे।

1389. हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया और उनसे हिशाम बिन इर्वा ने (दूसरी सनद-इमाम बुखारी ने कहा) और मुझसे मुहम्मद बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे अबू मरवान यह्या बिन अबी ज़करिया ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे इर्वा बिन जुबैर ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने मर्जुल वफ़ात में गोया इजाज़त लेना चाहते थे (दरयाफ़्त फ़र्माते) आज मेरी बारी किनके यहाँ है। कल किन के यहाँ होगी? आइशा (रज़ि.) की बारी के दिन के मुता'ल्लिक़ ख़याल फ़र्माते थे कि बहुत दिन बाद आएगी। चुनाँचे जब मेरी बारी आई तो अल्लाह तआला ने आपकी रूह इस हाल में क़ब्ज़ की कि आप मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे और मेरे ही घर में आप दफ़न किये गये। (राजेअ: 890)

۹۶- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَقْبِرَ﴾. الْبَرِّ الرَّجُلُ: إِذَا جَمَلَتْ لَهُ قَبْرًا. وَقَبْرُهُ: ذَنْبُهُ ﴿كِفَاتًا﴾ يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءَ وَيَذْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَالًا

۱۳۸۹- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَعْتَلِرُ لِي مَرْوَاهُ: ((أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا)) اسْتَبْطَأَ يَوْمَ عَائِشَةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ قَبْضَةِ اللَّهِ تَبَنَ سَخْرِي وَنَخْرِي وَذَلَيْنَ لِي نَحْسِي)).

[راجع: ۸۹۰]

तशरीह:

29 सफ़र 11 हिज्री का दिन था रसूले पाक (ﷺ) को तकलीफ़ शुरू हुई और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि जो रूमाल हुज़ूर (ﷺ) के सरे मुबारक पर था वो बुखार की वजह से ऐसा गर्म था कि मेरे हाथ को बर्दाश्त न हो सका। आप 13 दिन या 14 दिन बीमार रहे। आखिरी हफ़्ता आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर पर ही पूरा किया। उन अय्याम में ज़्यादातर आप मस्जिद में जाकर नमाज़ भी पढ़ाते रहे मगर चार रोज़ पहले हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आखिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिज्री यौमे इन्नैन (सोमवार के दिन) चाशत के वक़्त आप दुनिय-ए-फ़ानी से मुँह मोड़कर मल-ए-आला से जा मिले। उम्रे मुबारक 63 साल क़मरी पर चार दिन ऊपर थी। अल्लाहुम्मा इल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। पर सहाब-ए-किराम (रज़ि.) ने आपके दफ़न के बारे में तो आख़िरी राय यही क़रार पाई कि हुज़ूर-ए-मुबारक में आपको दफ़न किया जाए क्योंकि अंबिया जहाँ इतिहास करते हैं उसी जगह दफ़न किये जाते हैं। यही हुज़ूर-ए-मुबारक है जो आज गुम्बदे ख़ज्राअके नाम से दुनिया के करोड़ों इंसानों का अक़ीदत का केन्द्र है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हुज़ूर (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ की निशानदेही करते ये प्राबित फ़र्माया कि मरने वाले को अगर उसके घर में ही दफ़न कर दिया जाए तो शरअन

उसमें कोई क़बाहत नहीं है।

आपके अख़लाके हस्ना में से है कि आप बीमारी के दिनों में दूसरी बीवियों से हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर में जाने के लिये मअज़रत फ़र्माते रहे। यहाँ तक कि तमाम अज्वाजे मुतहहरात ने आपको हुज़्र-ए-आइशा (रज़ि.) के लिये इजाज़त दे दी और आख़िरी वक़्त में आपने वहीं बसर किये। इससे हज़रत आइशा (रज़ि.) की भी कमाले फ़ज़ीलत प्राबित होती है। तुफ़ (अफ़सोस) है उन नामो-निहाद मुसलमानों पर जो हज़रत आइशा (रज़ि.) जैसी माय-ए-नाज़ इस्लामी ख़ातून की फ़ज़ीलत का इंकार करते हैं। अल्लाह तआला उनको हिदायत अता करे।

1390. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन हुपैद ने, उनसे इर्वा और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने उस मर्ज़ के मौक़े पर फ़र्माया था, जिससे आप जाँबर (तंदुरुस्त) न हो सके थे कि अल्लाह तआला की यहूदो-नसारा पर ला'नत हो, उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया। अगर ये डर न होता तो आपकी क़ब्र खुली रहने दी जाती। लेकिन डर इसका है कि कहीं उसे भी लोग सज्दागाह न बना लें। और हिलाल से रिवायत है कि इर्वा बिन जुबैर ने मेरी कुन्नियत (अबू अवाना या अवाना के वालिद) रख दी थी, वना मेरी कोई औलाद न थी। (राजेअ: 435)

हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबूबक्र बिन अयास ने ख़बर दी, उनसे सुफ़यान तम्मार ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की क़ब्रे-मुबारक देखी जो कोहान-नुमा थी

हमसे फ़र्वा बिन अबी मुगीरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अली बिन मिस्हर ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे उनके वालिद ने कि वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहदे हुकूमत में (जब नबी करीम (ﷺ) के हुज़े मुबारक की) दीवार गिरी और लोग उसे (ज़्यादा ऊँची) उठाने लगे तो वहाँ एक क़दम ज़ाहिर हुआ। लोग ये समझकर घबरा गये कि ये नबी करीम (ﷺ) का क़दम मुबारक है। कोई शख़्स ऐसा नहीं था जो क़दम को पहचान सकता। आख़िर इर्वा बिन जुबैर ने बताया कि नहीं अल्लाह गवाह है ये रसूलुल्लाह का क़दम नहीं बल्कि ये तो इमर (रज़ि.) का क़दम है।

۱۳۹۰ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)). لَوْ لَا ذَلِكَ أَثْبَرَتْ قُبُورُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خَشِيَ - أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا)). وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ: كُنَّي غُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ

لي. [راجع: ٤٣٥]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَمًا.

حَدَّثَنَا قُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَرَّغُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ غُرْوَةُ: لَا وَاللَّهِ، مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

1391. हिशाम अपने वालिद से और वो आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आपने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) को वसियत की थी कि मुझे हुजुरे-अकरम (ﷺ) और आपके साथियों के साथ दफन न करना। बल्कि मेरी दूसरी सौकन के साथ बक्रीअ गरकत में मुझे दफन करना। मैं ये नहीं चाहती कि उनके साथ मेरी भी ता'रीफ़ हुआ करे। (दीगर मक़ाम : 7428)

۱۳۹۱- وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَا تَدْفِنِي مَعَهُمْ، وَأَدْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَيْعِ، لَا أُرَىٰ بِهِ أَهْدَاءًا. [طرفه ن: ۷۴۲۷].

तशीह: हुआ ये कि वलीद की खिलाफ़त के ज़माने में उसने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जो उसकी तरफ़ से मदीना शरीफ़ के आमिल थे, ये लिखा कि अज़्वाजे मुतहहरात के हुजरे गिराकर मस्जिदे नबवी को वसीअ कर दो और आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र मुबारक की जानिब दीवार बुलन्द कर दो कि नमाज़ में इधर मुँह न हो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये हुजरे गिराने शुरू किये तो एक पांव ज़मीन से नमूदार हुआ जिसे हज़रत इर्वा ने शिनाख़्त किया और बतलाया कि ये हज़रत उमर (रज़ि.) का पांव है जिसे यूँ ही एहतिराम से दफन किया गया।

हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपनी कसरे नफ़्सी के तौर पर फ़र्माया था कि मैं आँहज़रत (ﷺ) के साथ हुजुर-ए-मुबारक में दफन होऊंगी तो लोग आपके साथ मेरा भी ज़िक्र करेंगे और दूसरी बीवियों में मुझको तर्ज़ीह देंगे जिसे मैं पसंद नहीं करती। लिहाज़ा मुझे बक्रीअ में दफन होना पसंद है जहाँ मेरी बहनें अज़्वाजे मुतहहरात मदफून हैं और मैं अपनी ये जगह जो खाली है हज़रत उमर (रज़ि.) के लिये दे देती हूँ। सुबहानल्लाह कितना बड़ा इप्सार (त्याग) है। सलामुल्लाह तआला अलौहिम अज्मईन।

हुजुर-ए-मुबारक की दीवारें बुलन्द करने के बारे में हज़रत हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, अय हाइतु हुजुरतिन्नबिय्यि (ﷺ) व फ़ी रिवायतिल्हम्वी अन्हुम वस्सबबु फ़ी ज़ालिक मा रवाहु अबू बकर अल्अज़री मिन तब्री शुऐब इस्हाक़ अनहिशाम अन उर्वत क़ाल अख़बरनी अबी क़ाल कानन्नासु युसल्लून इललक़ब्बि फअमर बिही उमरुब्नु अब्दिल अज़ीज़ फरूफ़िअ हत्ता ला युसल्ली इलैहि अहदुन फलम्मा हुदिय बदत कदम बिसाकिन व रुक्बतिन फफज़िअ उमरुब्नु अब्दिल फअताह उर्वतु फक़ाल हाज़ा साकु उमर व रुक्बतुहू फसुरिय अन उमरब्नि अब्दिलअज़ीज़ व रवल्अज़री मिन तरीकि मालिक बिन मगलूल अन रजाअ बिन हयात क़ाल कतबल्वलीदु बु अब्दिल मालिक इला उमरब्नि अब्दिलअज़ीज़ व कान कद इशतरा हुज अज्वाजिन्नबिय्यि (ﷺ) इन अहदमहा व वस्सअ बिहल्मस्जिद फकअद उमरु फ़ी नाहियतिन शुम्म अमर बिहदमिहा फमा राइतुहू बाक़ियन अक्षर मिन यौमइज़िन शुम्म बनाहु कमा अराद फलम्मा इन बुनियल्बैतु अललक़ब्बि व हुदिमल्बैतुल्अव्वलु जहरतिल्कुबूरुफ़्लाप़तु व कानरंम्लुल्लज़ी अलयहा क़द अन्हारून फफ़ज़िअ उमरुब्नु अब्दिलअज़ीज़ व अराद अय्यकूम फयस्वीहा बिनफ़िसही फकुल्लु लहू अस्लहकल्लाहु इन्नक इन कुम्त क़ामन्नासु मअअ फ लौ अमरतु रज़ुनल अय्युस्लिहहा व रज़ौतु अन्नहू यामुरूनी बिज़ालिकफ़क़ाल मा मज़ाहिम यअनी मौला हुकुम फअस्लिहहा क़ाल फअस्लहहा क़ाल रजाअु व कान कब्रु अबी बकर इन्द वसतिन्नबिय्यि (ﷺ) व उमरु खल्फ़ अबी बकर रासुहु इन्द वस्तिही. (फ़हलु बारी, जिल्द नं. 6, पेज नं. 6)

1392. हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अब्दुरह्मान ने बयान किया, उनसे अम्र बिन मैमून ऊदी ने बयान किया कि मेरी मौजूदगी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से फ़र्माया कि ऐ अब्दुल्लाह! उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में जा और कहना कि उमर बिन ख़त्ताब ने आपको सलाम कहा है और फिर उनसे मा'लूम

۱۳۹۲- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، انْقَبْ إِلَىٰ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

करना कि क्या मुझे मेरे दोनों साथियों के साथ दफन होने की आप की तरफ से इजाज़त मिल सकती है? हज़रत आइशा ने कहा कि मैंने उस जगह को अपने लिये पसन्द कर रखा था लेकिन आज मैं अपने ऊपर इमर (रज़ि.) को तरजीह देती हूँ। जब इब्ने इमर (रज़ि.) वापस आये तो इमर (रज़ि.) ने दरयाफ्त किया कि क्या पैगाम लाए हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है। इमर (रज़ि.) ये सुनकर बोले कि इस जगह दफन होने से ज्यादा मुझे और कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं थी। लेकिन जब मेरी रूह क़ब्ज़ हो जाए तो मुझे उठाकर ले जाना और फिर दोबारा आइशा (रज़ि.) को मेरा सलाम पहुँचाकर उनसे कहना कि इमर ने आपसे इजाज़त चाही है। अगर उस वक़्त भी वो इजाज़त दे दे तो मुझे वहीं दफन कर देना वरना मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफन कर देना। मैं इस अग्ने-खिलाफ़त का उन चन्द सहाबा से ज्यादा और किसीको मुस्तहिक़ नहीं समझता, जिनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वफ़ात के वक़्त तक खुश और राज़ी रहे। वो हज़रात मेरे बाद जिसे भी ख़लीफ़ा बनाए, ख़लीफ़ा वही होगा और तुम्हारे लिये ज़रूरी है कि तुम अपने ख़लीफ़ा की बातें तवज्जह से सुनो और उसकी इताअत करो। आप ने इस मौक़े पर हज़रत इब्मान, अली, तल्हा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और सअद बिन अबी वक्रकास (रज़ि.) के नाम लिये। इतने में एक अन्सारी नौजवान दाख़िल हुआ और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! आपको बशारत हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ से, आपका इस्लाम में पहले दाख़िला होने की वजह से जो मर्तबा था वो आपको मा'लूम है। फिर जब आप ख़लीफ़ा हुए तो आपने इन्साफ़ किया, फिर आपने शहादत पाई। हज़रत इमर (रज़ि.) बोले, ऐ मेरे भाई के बेटे! काश मैं इनकी वजह से मैं बराबर में छूट जाऊँ। मुझे न कोई अज़ाब हो और न कोई प्रवाब। हाँ! मैं अपने बाद आने वाले ख़लीफ़ा को वसियत करता हूँ कि वो मुहाजिरीने अब्वलीन के साथ अच्छा बर्ताव रखे, उनके हुकूक पहचाने और उनकी इज़्जत की हिफ़ाज़त करे और मैं उसे अन्सार के बारे में भी अच्छा बर्ताव रखने की वसियत करता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमान वालों को अपने घरों में जगह दी (मेरी वसियत है कि) उनके अच्छे

عَنْهَا قُلْتُ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامَ، ثُمَّ سَلَهَا أَنْ أَدْفِنَ مَعَ صَاحِبِي. قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، فَلَأُوثِرْتُهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَتَيْتُ قَالَ لَهَا: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنْتُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءَ أَهَمٍّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجِعِ، فَإِذَا قَبِضْتُ فَأَحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلْتُمُونَا ثُمَّ قُلْتُ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنِ أَذِنْتُ لِي فَأَذِنْتُنِي، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لَا أَغْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَمِيَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. وَوَلَّجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَبَشِّرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَشْرَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتَخْلَفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ. فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَقَوْلِي لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. أَوْصِي الْخَلِيفَةَ حُرْمَتَهُمْ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأَوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَوَرَّأُوا النَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُخِيبِهِمْ

लोगों के साथ भलाई की जाए और उनमें जो बुरे हो उनसे दरगुजर किया जाए और मैं होने वाले खलीफा को वसियत करता हूँ उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की जो अल्लाह और रसूल (ﷺ) की ज़िम्मेदारियाँ हैं। (या' नी ग़ैर मुस्लिमों की जो इस्लामी हुकूमत के तहत ज़िन्दगी गुज़ारते हैं) कि उनके साथ किये हुए वादों को पूरा किया जाए। उन्हें बचाकर लड़ा जाए और ताक़त से ज़्यादा उन पर कोई भार न डाला जाए। (दीगर मकाम : 3052, 3162, 3700, 4888, 7207)

وَرَفَعَىٰ عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِبِلْمَةِ اللَّهِ
وَدَمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ
وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا
فَوْقَ طَائِفِهِمْ))

[اطرافه في : ٣٠٥٢ ، ٣١٦٢ ، ٣٧٠٠ ،

٤٨٨٨ ، ٧٢٠٧]

तशरीह : सय्यिदना हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) की कुत्रियत अबू हफ़सा है। अदवी कुरैशी हैं। नबुव्वत के छठे साल इस्लाम में दाखिल हुए कुछ ने कहा कि पाँचवें साल में उनसे पहले चालीस मर्द और ग्यारह औरतें इस्लाम ला चुकी थीं और कहा जाता है कि चालीसवें मर्द हज़रत उमर (रज़ि.) ही थे। उनके इस्लाम कुबूल करने के दिन ही से इस्लाम नुमायाँ होना शुरू हो गया। उसी वजह से उनका लक़ब फ़ारूक़ (हक़ और बातिल में फ़र्क़ करने वाला) हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से पूछा था कि आपका लक़ब फ़ारूक़ कैसे हुआ? फ़र्माया कि हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) मेरे इस्लाम लाने से तीन दिन पहले मुसलमान हुए थे। उसके बाद अल्लाह तआला ने इस्लाम के लिये मेरा सीना भी खोल दिया तो मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा लहुल अस्माउल हुस्ना अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं उसी के लिये सब अच्छे नाम हैं। उसके बाद कोई जान मुझको रसूलुल्लाह (ﷺ) की जान से प्यारी न थी। उसके बाद मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कहाँ तशरीफ़ फ़र्माएँ हैं? तो मेरी बहन ने कहा कि वो अरक़म बिन अबी अरक़म में जो कोहे सफ़ा के पास है, वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं अबू अरक़म के मकान पर हाज़िर हुआ जबकि हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) भी आपके सहाबा के साथ मकान में मौजूद थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी घर में तशरीफ़ फ़र्माएँ थे। मैंने दरवाज़े को पीटा तो लोगों ने बाहर निकलना चाहा। हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम लोगों को क्या हो गया? सबने कहा कि उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) आए हैं फिर आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ लाए और मुझे कपड़ों से पकड़ लिया। फिर ख़ूब ज़ोर से मुझको अपनी तरफ़ खींचा कि मैं रुक न सका और घुटने के बल गिर गया। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने इशार्द फ़र्माया कि उमर इस कुफ़्र से कब तक बाज़ नहीं आओगे? तो बेसाख़्ता मेरी जुबान से निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इलल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदनु अब्दुहु वरसूलुहु इस पर दारे अरक़म ने नअराए तक्बीर बुलन्द किया कि जिसकी आवाज़ हरम शरीफ़ में सुनी गई उसके बाद मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! क्या हम मौत और हयात में दीने हक़ पर नहीं हैं? आपने फ़र्माया क्यूँ नहीं क़सम है उस ज़ात पाक की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम सब हक़ पर हो, अपनी मौत में भी और हयात में भी। इस पर मैंने कहा कि फिर उस हक़ को छुपाने का क्या मतलब। क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है हम ज़रूर हक़ को लेकर बाहर निकलेंगे।

चुनाँचे हमने हज़र (ﷺ) को दो सफ़ों के बीच निकाला। एक सफ़ में हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) और दूसरी सफ़ में मैं था और मेरे अंदर जोशो ईमान की वजह से एक चक्की जैसी गड़गड़ाहट थी। यहाँ तक कि हम मस्जिदे हराम में पहुँच गए तो मुझको और हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) को कुरैश ने देखा और उनको इस क़दर स़दमा हुआ कि ऐसा स़दमा उन्हें उससे पहले नहीं पहुँचा था। उसीदिन आँहज़रत (ﷺ) ने मेरा नाम फ़ारूक़ रख दिया कि अल्लाह ने मेरी वजह से हक़ और बातिल में फ़र्क़ कर दिया। रिवायतों में है कि आपके इस्लाम लाने पर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आज उमर (रज़ि.) के इस्लाम लाने से तमाम आसमान वाले बेहद खुश हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि क़सम अल्लाह की मैं यक्नीन रखता हूँ कि हज़रत उमर (रज़ि.) के इल्म को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी में तमाम ज़िन्दा इंसानों का इल्म तो यक्नीनन हज़रत उमर (रज़ि.) के इल्म वाला पलड़ा झुक जाएगा।

आप हज़रत नबी करीम (ﷺ) के साथ तमाम ग़ज़्वात में शरीक हुए और ये पहले खलीफ़ा है जो अमीरुल मोमिनीन लक़ब से पुकारे गए। हज़रत उमर (रज़ि.) रंग में गोरे लम्बे क़द वाले थे। सर के बाल अकषर गिर गए थे। आँखों में सुर्ख झलक रहा करती थी। अपनी खिलाफ़त में हुकूमत के तमाम कामों को अहसन (भले) तरीक़ पर अंजाम दिया।

आख़िर मदीना में बुध के दिन 26 ज़िल्हिज्ज 23 हिज्री में मुगीरह बिन शुअबा के गुलाम अबू लूलूअने आपको खंजर से ज़ख़मी किया और पहली मुहर्रमुल हुराम को आपने जामे-शहादत नोश फ़र्माया। 63 साल की उमर पाई। मुद्दते खिलाफ़त दस साल छः माह है। आपके जनाजे की नमाज़ हज़रत सुहैब रूमी ने पढ़ाई। वफ़ात से पहले हुज़्र-ए-नबवी में दफ़न होने के लिये हज़रत आइशा (रज़ि.) से बाज़ाबता इजाज़त हासिल कर ली।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, व फ़ीहि अल्हिस् अला मुजावरतिस्सालिहीन फिल्कुबूरि तम्अन फ़ी इसाबतिरिहमति इज़ा नजलत अलैहिम व फ़ी दुआइहिम मय्यज़रुहूम मिन अहलिलखैरि. या'नी आपके इस वाकिआ में ये पहलू भी है कि सालेहीन बन्दों के पड़ोस में दफ़न होने की हिंस करना दुस्त है। इस तमअ में कि उन सालेहीन बन्दों पर रहमते इलाही होगा तो उसमें उनको भी शिरक़त का मौक़ा मिलेगा और जो अहले खैर उनके लिये दुआ-ए-खैर करने आएँगे वो उनकी क़ब्र पर भी दुआ करके जाएँगे। इस तरह दुआओं में भी कषरत रहेगी।

सुब्हानल्लाह क्या मुक़ाम है! हर साल लाखों मुसलमान मदीना शरीफ़ पहुँचकर आँहज़रत (ﷺ) पर दरूदो-सलाम पढ़ते हैं। साथ ही आपके जौनिषारों हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) और फ़ारूक़े आजम (रज़ि.) पर भी सलाम भेजने का मौक़ा मिल जाता है। सच है

निगाहे नाज़ जिसे आशाना-ए-राज़ करे

वो अपनी ख़ूबी-ए-क़िस्मत पे क्यूँ न नाज़ करे

अशरा-ए-मुबशशरा में से यही लोग मौजूद थे जिनका हज़रत उमर (रज़ि.) ने खलीफ़ा बनाने वाली कमेटी के लिये नाम लिया। अबू उबैदा बिन जराह का इतिक़ाल हो चुका था और सईद बिन जैद गो ज़िन्दा थे मगर वो हज़रत उमर (रज़ि.) के रिश्तेदार या'नी चचाज़ाद भाई होते थे, इसलिये उनका नाम भी नहीं लिया। दूसरी रिवायत में है कि आपने ताकीद के साथ फ़र्माया कि देखो मेरे बेटे अब्दुल्लाह का खिलाफ़त में कोई हक़ नहीं है। ये आपका वो कारनामा है जिस पर आज की नामो-निहाद जुम्हूरियतें हज़ारों बार कुर्बान की जा सकती हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) की कसरे नफ़्सी का ये आलम है कि सारी उम्र खिलाफ़त कमाले अदल के साथ चलाई फिर भी अब आख़िर वक़्त में उसी को ग़नीमत तसव्वुर फ़र्मा रहे हैं कि खिलाफ़त का भले ही षवाब न मिले पर अज़ाब न हो बल्कि मामला बराबर-बराबर में उतर जाए तो यही ग़नीमत है। अख़ीर में आपने मुहाजिरीन व अंसार के लिये बेहतरीन वसिय्यतें फ़र्माई और सबसे बड़ा कारनामा ये कि उन ग़ैर मुस्लिमों के लिये जो खिलाफ़ते इस्लामी के ज़ेरे नगी अम्न व अमान की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, खुमूसी वसिय्यत फ़र्माई कि हर्गिज़-हर्गिज़ उनसे बदअहदी न की जाए और त़ाक़त से ज़्यादा उन पर कोई भार न डाला जाए।

बाब 97 : इस बारे में कि मुदों को बुरा कहने की मुमानअत है

۹۷- بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

1393. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया उनसे आ'मश ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुदों को बुरा न कहो क्योंकि उन्होंने जैसा अमल किया उसका बदला पा लिया। इस रिवायत की मुताबअत अली बिन जअद, मुहम्मद बिन अरअरा और इब्ने अबी अदी ने शुअबा से की है। और इसकी

۱۳۹۳- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَلْفَضُوا إِلَيَّ مَا قَدَّمُوا)). تَابِعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَفْصِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ وَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

रिवायत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल कुदूस ने आ'मश और मुहम्मद बिन अनस ने भी आ'मश से की है।

(दीगर मक़ाम : 5616)

या'नी मुसलमान जो मर जाएँ उनका मरने के बाद ऐब न बयान करना चाहिये। अब उनको बुरा कहना उनके अज़ीज़ों को ईजा (तकलीफ़) देना है।

बाब 98 : बुरे मुर्दों की बुराई बयान करना दुरुस्त है

1394. हमसे उमर बिन हफ़्स ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया आ'मश से, उन्होंने कहा कि मुझसे अम्र बिन मुरह ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने, और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू लहब ने नबी करीम (ﷺ) से कहा कि सारे दिन तुझ पर बर्बादी हो। इस पर ये आयत उतरी (तब्बत यदा अबी लहबिं व तब्ब) या'नी टूट गये हाथ अबू लहब के और वो खुद ही बर्बाद हो गया।

(दीगर मक़ाम : 3525, 3526, 4770, 4801, 4971, 4972, 4973)

شَعْبَةَ وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَدُوسِ
عَنِ الْأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ
الْأَعْمَشِ. [طرفه في: ٥٦١٦].

٩٨- بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى
١٣٩٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: تَبَا لَكَ
سَائِرَ أَيَّامٍ، فَتَزَلَّتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ
وَتَبَّ﴾.

[أطرافه في: ٣٥٢٥, ٣٥٢٦, ٤٧٧٠,

٤٨٠١, ٤٩٧١, ٤٩٧٢, ٤٩٧٣].

तशरीह :

जब ये आयत उतरी वन्ज़िर अशीरतकबल अकरबीन (अश्शुअरा : 214) या'नी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ तो आप कोहे सफ़ा पर चढ़े और कुरैश के लोगों को पुकारा, वो सब इकट्ठे हुए। फिर आपने उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया तब अबू लहब मर्दूद कहने लगा तेरी ख़राबी हो सारे दिन क्या तूने हमको उसी बात के लिये इकट्ठा किया था? उस वक़्त ये सूरात उतरी तब्बत यदा अबी लहबिं व तब्ब या'नी अबू लहब ही के दोनों हाथ टूटे और वो हलाक हुआ। मा'लूम हुआ कि बुरे लोगों काफ़िरो, मुल्हिदों को उनके बुरे कामों के साथ याद करना दुरुस्त है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़रमते हैं :

अय वसलू इला मा अमिलु मिन ख़ैरिन व शारिन वशतद् बिही अला मनइ सबबिल् अम्वाति मुतलकन व क़द तकद्म अन्न उमूमहू मख़सूसुन व असहहु मा क़ील फ़ी ज़ालिक अन्न अम्वातल्कु फ़फ़ारि वल्फुस्साक्रियजूजू जिक्लू मसावीहिम लिक्तहज़ीरि मिन्हुम वक्तन्फ़ीरि अन्हुम व क़द अज्मअल उलमाउ अला जवाज़ि जर्हिल्मज़रूहीन मिनरूवाति अहयाअन व अम्वातन. या'नी उन्होंने जो कुछ बुराई भलाई की वो सब कुछ उनके सामने आ गया। अब उनकी बुराई करना बेकार है और उससे दलील पकड़ी गई है कि मर चुके लोगों को बुराइयों से याद करना मुत्लक़न मना है और पीछे गुज़र चुका है कि उसका उमूमन मख़सूस है और इस बारे में सहीहतरिन ख़याल ये है कि मरे हुए काफ़िरो और फ़ासिकों की बुराइयों का ज़िक्र करना जाइज़ है। ताकि उनके जैसे बुरे कामों से नफ़रत पैदा हो और उलमा ने इज्माअ किया है कि रावियाने हदीष ज़िन्दों मुर्दों पर जरह करना जाइज़ है।

24. किताबुज्जकात

जकात के मसाइल का बयान

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : जकात देना फ़र्ज है

और अल्लाह अज़्ज़वजल्ल ने फ़र्माया कि नमाज़ कायम करो और जकात दो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अबू सुफयान (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से मुता'ल्लिक (कैसरे-रूम से अपनी) गुफ्तगूनक़ल की कि उन्होंने कहा था कि हमें वो नमाज़, जकात, सिलारहमी, नात्ता जोड़ने और हरामकारी से बचने का हुक्म देते हैं।

١ - بَابُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ)).

तशरीह :

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) अपनी रविश के मुताबिक पहले कुर्आन मजीद की आयत लाए और फ़र्जियते जकात को कुर्आन मजीद से प्राबित किया। कुर्आन मजीद में जकात की बाबत बयासी आयात में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है और ये इस्लाम का एक अज़ीम रुक्न है। जो इसका इंकार करता है वो बिल इतिफ़ाक़ काफ़िर और इस्लाम से ख़ारिज है। जकात न देने वालों पर हज़रत सय्यिदना अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने जिहाद का ऐलान किया था।

जकात दो हिज्री में मुसलमानों पर फ़र्ज हुई। ये दरहकीकत उस सिफ़ते हमदर्दी व रहम के बकाइदा इस्ते'माल का नाम है जो इंसान के दिल में अपने हम-जिन्स लोगों के साथ कुदरतन फ़ित्री तौर पर मौजूद है। ये अम्वाले नामिया या'नी तरक्की करने वालों में मुकरर की गई है, जिनमें से अदा करना नागवार भी नहीं गुजर सकता। अम्वाले नामिया में तिजारत से हासिल होने वाली दौलत, ज़राअत (खेती) और मवेशी (भेड़-बकरी, गाय वगैरह) और नक़द रुपया और मअदन्यात और दफ़ाइन (ज़मीन में दफ़न ख़ज़ाने) शुमार होते हैं। जिनके मुख्तलिफ़ निज़ाब हैं। उनके तहत एक हिस्सा अदा करना फ़र्ज है। कुर्आन मजीद में अल्लाह पाक ने जकात की तक्सीम इन लफ़्ज़ों में फ़र्माई, **إِذْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنبَأُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ إِذْ يَسْرِونَ وَإِذْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنبَأُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ إِذْ يَسْرِونَ وَإِذْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنبَأُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ إِذْ يَسْرِونَ** लिल फ़ुकराइ वल मसाकीनि वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति कुलूबुहुम व फ़िर्रिकाबि वल ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निससबीलि (अत् तौबा : 60) या'नी जकात का माल फ़कीरों और मिस्कीनों के लिये है और तहसीलदाराने जकात के लिये (जो इस्लामी स्टेट की तरफ़ से जकात की वसूली के लिये मुकरर होंगे उनकी तन्ख्वाह उसमें से अदा की जाएगी) और उन लोगों के लिये जिनकी दिल अफ़ज़ाई इस्लाम में मंज़ूर हो या'नी नौ मुस्लिम और गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिये और ऐसे क़र्जदारों का क़र्ज चुकाने के लिये जो क़र्ज न उतार सकें और अल्लाह के रास्ते में (इस्लाम की इशाअत व तरक्की व

सरबुलन्दी के लिये) और मुसाफिरों के लिये।

लफ्जे जकात की लुवी और शरई तशरीह के लिये अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) अपनी मायानाज़ किताब फ़तहलबारी शरहे सहीह बुखारी शरीफ़ में लिखते हैं,

वज़्जकातु फिल्लुगति अनिमाउ युकालु जकज्जर्ड इजानमा व यरिदु अयज़न फिल्मालि व तरिदु अयज़न बिमअनत्तहीरि व शअन बिइअतिबारैनि मअन अम्मा बिल्अव्वलि फुलानन अख्रजहा सबबुल्लिनुमाइ फिल्मालि औ बिमअना अन्नलअजर बिसबबिहा यक्षुरू अन्न बिमअन अन्न मुत्अल्लिकहा अल्अम्वालु ज़ातनुमाइ कत्तिजारति वज़्जराअति व दलीलुअव्वलि मा नक्रस मालुन मिन सदक़तिन व लिअन्नहा युजाइफु प्रवाबुहा कमा जाअअन्नल्लाह युबिस्सदक़त व अम्मा बिष्पानी फलिअन्नहा तुहरतुन लिन्नफ़िस मिन रज़ीलतिल्बुखिल व तत्हीरुन मिनज़्ज़ुनूबि व हियरूक्नुष्प़ालिषु मिनलअर्कानिल्लती बुनियल्इस्लामु अलैहा कमा तक्रहम फ़ी किताबिल्इमानि व क़ाल इब्नुलअरबी तुत्लकुज़्जकातु अलअसदक़तिल्वाजिबति वल्मन्दूबति वन्नफ़क़ति वल्हक्कि वल्अफ़िव व तअरीफ़ुहा फिश्शरइ इअताउ जुज्जम्मिननिंसाबिल्हौलि इल्लफ़क़ीरि व नहवुहू गैर हाशिमी वला मुत्तलिबी घुम्म लहा रुक्नुन व हुवलइख़लासु व शर्तुन हुवस्सबबु व हुव मिल्कुन्निंसाबिल्हौलि व शर्तुनु मन तजिबु अलैहि व हुवल अक्लुल्बुलूग व ल्हुरियतु फिल्उख़्रा व हिक्मतुन व हिय तत्हीरूमिल्अदनासि व रफ़इइर्जति व इस्तिरक़ाक़िल्अहरारि इन्तिहा व हुव जय्यिदुन लाकिन्न फ़ी शर्तिम्मन तजिबु अलैहि इश्ख़ितलाफ़ुन वज़्जकातु अम्फ़न मक्तूउन बिही फिश्शरइ यस्तगनी अन तक्ल्लुफ़िन लिइहतिजाजिन लहू व इन्नमा वकअल्इश्ख़ितलाफ़ु फ़ी बअजि फरूइही व अम्मा अस्तु फ़र्ज़ियतिज़्जकाति फमन जहदहा कफ़र व इन्नमा तरज्जुमुल्मुसन्निफि बिज़ालिक अला आदतिही फ़ी ईरादिल्अदिल्लतिश्शरइय्यति वल्मुत्तफ़कि अलैहा वल्मुख्तलफ़ि फ़ीहा. (फ़तहल बारी, जिल्द 3, पेज 308)

इश्ख़तलफ़ल्उल्माउ फ़ी अव्वलि वक्त्रि फ़र्ज़िज़्जकाति फजहबल अक्प्ररु इला अन्नहू वकअबअदल्हिज्जति फक़ील कान फिस्सनतिष्प़ानियति क़ब्ल फ़र्ज़ि रमज़ान अशार इलैहिन्नववी.

ख़ुलासा ये कि लफ्ज़ जकात नशोनुमा पर बोला जाता है। कहते हैं कि जकज्जर्अु या'नी ज़राअत खेती ने नशोनुमा पाई जब वो बढ़ने लगे तो ऐसा बोला जाता है। इसी तरह माल की बढ़ोतरी पर भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। और पाक करने के लिये भी आया है और शरअन दोनों ए'तिबार से उसका इस्ते'माल हुआ है। अव्वल तो ये कि उसकी अदायगी से माल में बढ़ोतरी होती है और ये भी कि सबब अज़्रो-प्रवाब की नशोनुमा हासिल होती है या ये भी कि ये जकात उन अम्वाल से अदा की जाती है जो बढ़नेवाले हैं जैसे तिजारत, ज़राअत वगैरह। अव्वल की दलील हदीष है जिसमें वारिद है कि सदक़ा निकालने से माल कम नहीं होता बल्कि वो बढ़ता ही जाता है और यह भी कि इसका प्रवाब दोगुना तक बढ़ता है। जैसा कि आया है कि अल्लाह पाक सदक़ा (देने वाले) के माल को बढ़ाता है। और दूसरे ए'तिबार से नफ़्स को कंजूसी के रोग से पाक करने वाली चीज़ है और गुनाहों से भी पाक करती है और इस्लाम का ये तीसरा अज़ीम रुकन है। इब्नुल अरबी ने कहा कि लफ्ज़ जकात, सदक़-ए-फ़र्ज़ और सदक़-ए-नफ़ल और दीगर अतिया पर भी बोला जाता है।

इसकी शरई ता'रीफ़ ये कि मुकर्रर निस्बाब पर साल गुजरने के बाद फुकराअ व दींगर मुस्तहिक़ीन को उसे अदा करना फुकरा हाशमी और मुत्तलिबी न हो कि उनके लिये अम्वाले जकात का इस्ते'माल नाजाइज़ है। जकात के लिये भी कुछ और शराइत हैं। अव्वल इसकी अदायगी के वक्त्र इख़लास होना ज़रूरी है। रिया व नमूद के लिये जकात अदा करे तो वो इन्द्ल्लाह जकात नहीं होगी। ये भी ज़रूरी है कि एक हद्दे मुकर्ररह के अंदर वो माल हो और उस पर साल गुज़र जाए और जकात आक़िल बालिग़ा, आज़ाद पर वाजिब है। इससे दुनिया में वजूब की अदायगी और आख़िरत में प्रवाब हासिल करना मक्सूद है और इसमें हिक्मत ये है कि ये इंसानों को गुनाहों के साथ ख़साइल व रज़ालत से भी पाक करती है और दर्जात बुलन्द करती है।

और ये इस्लाम में एक बेहरीतन अमल है मगर जिस पर ये वाजिब है उसकी तफ़्सील में कुछ इश्ख़ितलाफ़ है और ये इस्लाम में एक ऐसा क़तई फ़रीज़ा है कि जिसके लिये किसी और ज़्यादा दलील की ज़रूरत ही नहीं और दरअसल ये क़तई फ़र्ज़ है। जो इसकी फ़र्ज़ियत का इंकार करे वो काफ़िर है। यहाँ भी मुसन्निफ़ ने अपने आदत के मुताबिक़ शरई दलीलों से इसकी फ़र्ज़ियत

प्राबित की है। वो दलीलें जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं जिनमें पहले आयते शरीफ़ा फिर छः अहदादीष हैं।

1395. हमसे अबुल आसिम ज़हाक़ ने बयान किया, उनसे ज़करिया बिन इस्हाक़ ने बयान किया, उनसे यहा बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने बयान किया, उनसे अबू मअबद ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जब मअज़ (रज़ि.) को यमन (का हाकिम बनकर) भेजा तो फ़र्माया तुम उन्हें इस कलिमे की गवाही की दा'वत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो लोग ये बात मान लें तो फिर उन्हें बतलाना कि अल्लाह तआला ने उन पर रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो लोग ये बात भी मान लें तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उनके माल पर कुछ सदका फ़र्ज़ किया है जो उनके मालदार लोगों से लेकर उन्हीं के मुहताजों में लौटा दिया जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 1458, 1496, 2448, 4347, 7371, 7372)

۱۳۹۵- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَبٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)).

[أطرافه في : ۱۴۵۸، ۱۴۹۶، ۲۴۴۸]

[۴۳۴۷، ۷۳۷۱، ۷۳۷۲]

1396. हमसे हज़रत बिन इमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने मुहम्मद बिन इम्रान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब से बयान किया है, उनसे मूसा बिन तल्हा ने और उनसे अबू अय्यूब (रज़ि.) ने कि एक शख्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएँ जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आख़िर ये क्या चाहता है? लेकिन नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया ये तो बहुत अहम ज़रूरत है। (सुनो) अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक न ठहराओ। नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो और सिलारहमी करो और बहज़ ने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया कि हमसे मुहम्मद बिन इम्रान और उनके बाप इम्रान बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि उन दोनों साहिबान ने मूसा बिन तल्हा से सुना और उन्होंने अबू अय्यूब से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसी हदीष की तरह (सुना) अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी)

۱۳۹۶- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ غُمَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرَبَ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُمَّانَ وَأَبُوهُ غُمَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ

ने कहा कि मुझे डर है कि मुहम्मद से रिवायत ग़ैर महफूज़ है और रिवायत अम्र बिन इम्मान से (महफूज़ है)

(दीगर मक़ाम : 5982, 5983)

1397. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे अफ़फ़ान बिन मुस्लिम ने बयान किया, हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद बिन हय्यान ने, उनसे अबू ज़रआ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि एक देहाती नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया कि आप मुझे कोई ऐसा काम बताएँ, जिस पर मैं हमेशगी करूँ तो जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह की इबादत कर, उसका किसी को शरीक न ठहरा, फ़र्ज़ नमाज़ कायम कर, फ़र्ज़ ज़कात दे और रमज़ान के रोज़े रख। देहाती ने कहा उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, इन अमलों पर कोई ज़्यादाती नहीं करूँगा। जब वो पीठ मोड़कर जाने लगा तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर कोई ऐसे शख़्स को देखना चाहे जो जन्नत वालों में से हो तो वो उस शख़्स को देख ले।

हमसे मुसहद बिन मुस्हद ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उनसे अबू हय्यान ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू ज़रआ ने नबी करीम (ﷺ) से यही हदीष रिवायत की।

तशरीह:

मगर यह्या बिन सईद क़त्तान की ये रिवायत मुर्सल है क्योंकि अबू ज़रआ ताबेई है। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से नहीं सुना। वुहैब की रिवायत जो ऊपर गुज़री वो मौसूल है और वुहैब षिक़ा हैं। उनकी ज़ियारत मक्क़ूल हैं। इसलिये हदीष में कोई इल्लत नहीं। (वहीदी)

इस हदीष के जेल में हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, क़ालकुर्तुबी फ़ी हाज़ल्हदीषि व क़जा हदीषु तल्हत फ़ी क्रिस्सतिल्आराबी व ग़ैरहुमा दलालतुन अला जवाज़ि तर्कित्तव्वआति लाकिन मन दावम अला तर्किस्सुननि काम नक़्सन फ़ी दीनिही फ़इन कान तरकहा तहावुनन बिहा व रगबतन अमनहा कान ज़ालिक फिस्क्रन लिवुरुदिल्वईदि अलैहि हैषु कालन्न्बिय्यु (ﷺ) मन रगिब अन सुन्नती फ़लैस मित्री व क़द कान सदरुस्सहाबति व मन तबिअहुम युवाज़िबून अलस्सुननि मुवाज़बतुहुम अलल्फ़राइज़ि व ला युफ़रिक्कून बैनहुमा फ़ी इगतिनामि ष्वाबिहिमा. (फ़ल्हल बारी)

या'नी कुर्तुबी ने कहा कि इस हदीष में और नीज़ हदीषे तलहा में जिसमें एक देहाती का ज़िक्र है उस पर दलील है कि नफ़्लियात का छोड़ देना भी जाइज़ है। मगर जो शख़्स सुन्नतों के छोड़ने पर हमेशगी करेगा वो उसके दीन में नक़्स होगा और बेरबती और सुस्ती से तर्क कर रहा हो तो ये फिस्क्र (नाफ़रमानी) होगा इसलिये तर्क सुन्नत के बारे में वईद आई है जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो मेरी सुन्नतों से बेरबती करे वो मुझसे नहीं। और सद्दे अव्वल में सहाबा किराम और ताबेईने

اللّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.

[طرفه في ٥٩٨٢، ٥٩٨٣].

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ: ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)). قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أُرِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَتَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَيَّانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

इजाम सुन्नतों पर फ़र्जों ही की तरह हमेशगी किया करते थे और प्रवाब हासिल करने के ख़याल में वो लोग फ़र्ज और सुन्नतों में फ़र्क नहीं करते थे।

ऊपर की हदीष में हज्ज का ज़िक्र नहीं है इस पर हाफ़िज़ फ़र्माते हैं लम यज़कुरिल्हज्ज लिअन्नहू कान हीनइज़िन हाज्जन व लअल्लहू ज़करहू लहू फख़्तसरहू. या'नी हज्ज का जिक्र नहीं। फ़र्माया इसलिये कि वो उस वक़्त हाजी था। या आपने जिक्र किया मगर रावी ने बतौर इख़्तिसार उसका जिक्र छोड़ दिया।

कुछ मुहतरम हनफ़ी हज़रात ने अहले हदीष पर इल्जाम लगाया है कि ये लोग सुन्नतों का एहतिमाम नहीं करते। ये इल्जाम सरासर ग़लत है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीष का बुनियादी उ़सूल तौहीद और सुन्नत पर कारबन्द होना है। सुन्नत की मुहब्बत अहले हदीष का शैवा है। लिहाज़ा ये इल्जाम बिलकुल बेहकीकत है। हाँ! मुआनिदीने अहले हदीष के बारे में अगर कहा जाए कि उनके यहाँ अक्वाले अइम्मा अक़्फ़र सुन्नतों पर मुक़द्दम समझे जाते हैं तो ये एक हद तक दुरुस्त है। जिसकी तप़सील के लिये ईलामुल मुक़िईन अज़ अल्लामा इब्ने क़य्यिम का मुतालाआ (अध्ययन) मुफ़ीद होगा।

1397. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने हदीष बयान की, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हम्ज़ा नसर बिन इमरान ज़बई ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना, आपने बतलाया कि क़बीला अब्दे क़ैस का वफ़्द नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम रबीआ क़बीला की एक शाख़ हैं और क़बीला मुज़र के काफ़िर हमारे और आपके दरम्यान पड़ते हैं। इसलिये हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ हुर्मत के महीनों ही में हाज़िर हो सकते हैं (क्योंकि इन महीनों में लड़ाइयाँ बन्द हो जाती है और रास्ते पुरअमन हो जाते हैं) आप हमें कुछ ऐसी बातें बतला दीजिए जिस पर हम खुद भी अमल करें और अपने क़बीले वालों से भी उन पर अमल करने के लिये कहें, जो हमारे साथ नहीं आ सके हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ। अल्लाह तआला पर ईमान लाने और उसकी वहदानियत की शहादत देने का (ये कहते हुए) आपने अपनी अंगुली की तरफ़ इशारा किया। नमाज़ क़याम करना, फिर ज़कात अदा करना और माले-ग़नीमत से पाँचवाँ हिस्सा अदा करने (का हुक्म देता हूँ) और मैं तुम्हें कद्दू के तुम्बे से और हन्तुम (सब्ज़ रंग का छोटा सा मर्तबान जैसा घड़ा) नक़ीर (खजूर की जड़ से खोदा हुआ एक बर्तन) के इस्तेमाल से मना करता हूँ। सुलैमान और अबू नोअमान ने हम्माद के वास्ते से यही रिवायत इस तरह बयान की है, अल ईमानु बिल्लाहि शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु या'नी अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ला इलाह इल्लल्लाह की गवाही देना। (राजेअ: 53)

۱۳۹۸- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((قَدِمَ وَلَدٌ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَيْبَةٍ قَدْ خَالَتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَقَارٍ مُضَرٍّ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا. قَالَ: ((أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَعَقْدُ يَدَيْهِ هَكَذَا - وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِتْيَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَتَمِ وَالْقَبْرِ وَالْمُرْلَةِ)). وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَادٍ: ((الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)).. [راجع: ۵۳]

तशरीह:

ये हदीष पहले कई बार गुजर चुकी है। सुलैमान और अबन नोअमान की रिवायत में ईमान बिल्लाह के बाद वाव अत्फ नहीं है और हज्जाज की रिवायत में वो अत्फ थी, जैसे ऊपर गुजरी। ईमान बिल्लाह और शहादत अल्ला इलाहा इलल्लाह दोनों एक ही हैं। अब ये ए' तिराज न होगा कि ये पाँच बातें हो गईं और हज्ज का जिक्र नहीं किया क्योंकि उन लोगों पर शायद हज्ज फर्ज न होगा। इस हदीष से भी जकात की फर्जियत निकलती है क्योंकि आपने इसका अम्र किया और अम्र वजूब के लिये हुआ करता है। मगर जब कोई दूसरा करीना हो जिसमें अदमे वजूब प्राबित हो। हाफिज़ ने कहा कि सुलैमान की रिवायत को खुद मुअल्लिफ़ ने मगाज़ी में और अबन नोअमान की रिवायत को भी खुद मुअल्लिफ़ ने खमीस में वस्ल किया। (वहीदी)

चार क्रिस्म के बर्तन जिनके इस्ते' माल से आपने उनको मना किया, वो ये थे जिनमें अरब लोग शराब बतौरि जखीरा (स्टॉक के तौर पर) रखा करते थे और अक़र उन्हीं से सुराही और जाम का काम लिया करते थे। इन बर्तनों में रखने से शराब और ज़्यादा नशाआवर हो जाया करती थी। इसलिये आपने उसके इस्ते' माल से मना किया था। ज़ाहिर है कि ये मुमानअत वक़ती मुमानअत थी। इससे ये भी मा' लूम हुआ कि न सिर्फ़ गुनाहो से बचना बल्कि उनके अस्बाब और दवाई से भी परहेज़ करना चाहिये। जिनसे उन गुनाहों के लिये आमादगी पैदा हो सकती हो। इसी आधार पर कुआन मजीद में कहा गया कि ला तक़्रबुज़्जिना या' नी इन कामों के भी करीब न जाओ जिनसे जिना के लिये आमदगी का इम्कान हो।

1399. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ख़बर दी, उनसे जुहरी ने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मस्ऊद ने बयान किया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फौत हो गये और अबूबक्र (रज़ि.) खलीफ़ा हुए तो अरब के कुछ क़बीले काफिर हो गये। (और कुछ ने जकात से इन्कार कर दिया और हज़रत अबूबक्र रज़ि. ने उनसे लड़ना चाहा) तो उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस फ़र्मान की मौजूदगी में क्योंकर जंग कर सकते हैं, मुझे हुक्म है लोगों से उस वक़्त तक जंग करूँ जब तक कि वो ला इलाह इलल्लाह की शहादत न दे दें और जो शख्स इसकी शहादत दे दे तो मेरी तरफ़ से उसका माल व जान महफूज़ हो जाएगा। सिवा किसी के हक़ के) (या' नी क्रिसास वग़ैरह की मूरतों के) और उसका हिसाब अल्लाह तआला के जिम्मे होगा।

(दीगर मक़ाम : 1457, 6924, 7284)

1400. इस पर हज़रत अबूबक्र सिदीक़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि क़सम अल्लाह की, मैं हर उस शख्स से जंग करूँगा जो जकात और नमाज़ में तफ़रीक़ करेगा। (या' नी नमाज़ तो पढ़े मगर जकात के लिये इन्कार कर दे) क्योंकि जकात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर उन्हीं जकात में चार महीने की (बकरी के) बच्चे को देने से भी इन्कार किया जिसे वो रसूलुल्लाह (ﷺ) को देते थे तो

۱۳۹۹- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَمَّا تَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَيْفَ تُقَابِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَمِرْتُ أَنْ أَقَابِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)).

[أطرافه في : ۱۴۵۷، ۶۹۲۴، ۷۲۸۴.]

۱۴۰۰- فَقَالَ : ((وَاللَّهِ لِأَقَابِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا لَأَكُونُوا يَدُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَاتِلَتِهِمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ أَنَّ

मैं उनसे लड़ूंगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह की क्रसम ये बात इसका नतीजा थी कि अल्लाह तंआला ने अबूबक्र (रज़ि.) का सीना इस्लाम के लिये खोल दिया था और बाद में मैं भी इस नतीजे पर पहुँचा कि अबूबक्र (रज़ि.) हक़ पर थे। (दीगर मक़ाम : 1406, 6925, 7285)

तशरीह :

वफ़ाते नबी के बाद मदीने के अतराफ़ में मुख्तलिफ़ क़बीले जो पहले इस्लाम ला चुके थे। अब उन्होंने समझा कि इस्लाम ख़त्म हो गया लिहाज़ा उनमें कुछ बुतपरस्त बन गये। कुछ मुसैलमा कज़ाब के ताबेअ हो गए। जैसे यमामा वाले और कुछ मुसलमान रहे। मगर ज़कात की फ़र्जियत का इंकार करने लगे और कुआन की यूँ तावील करने लगे कि ज़कात लेना आँहज़रत (ﷺ) से ख़ास था क्योंकि अल्लाह ने फ़र्माया, **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** और पैग़म्बर के सिवा और किसी की दुआ से उनको तसल्ली नहीं हो सकती। **व** हिसाबुहू अलल्लाह का मतलब ये है कि दिल मे उसके ईमान है या नहीं उससे हमको गर्ज नहीं। उसकी पूछ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने होगी और दुनिया में जो कोई जुबान से ला इलाहा इलल्लाह कहेगा उसको मोमिन समझेंगे और उसके माल और जान पर हमला न करेंगे। सिद्दीकी अल्फ़ाज़ में फ़रक़ बैनस्सलात वज़्जकात का मतलब ये है कि जो शख्स नमाज़ को फ़र्ज कहेगा मगर ज़कात की फ़र्जियत का इंकार करेगा हम ज़रूर ज़रूर उससे जिहाद करेंगे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी बाद में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की राय से इत्तिफ़ाक़ किया और सब सहाबा मुत्तफ़िक़ हो गए और ज़कात न देने वालों से जिहाद किया। ये हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) की फ़हमो-फ़रासत थी। अगर वो इस अज़म से काम न लेते तो उसी वक़्त इस्लामी निज़ाम दरहम-बरहम हो जाता मगर हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने अपने अज़मे मुसम्मम से इस्लाम को एक बड़े फ़ित्ने से बचा लिया। आज भी इस्लामी क़ानून यही है कि कोई शख्स सिफ़ कलिमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता जब तक कि वो नमाज़, रोज़ा, हज़्ज, ज़कात की फ़र्जियत का इकरारी न हो और वक़्त आने पर उनको अदान करे। जो कोई किसी भी इस्लाम के रुकन की फ़र्जियत का इंकार करे वो मुत्तफ़क़ तौर पर इस्लाम से ख़ारिज और काफ़िर हैं। नमाज़ के लिये तो साफ़ मौजूद है **मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र**. जिसने जान-बूझकर बिला किसी बहाने के एक वक़्त की नमाज़ भी छोड़ दी तो उसने कुफ़्र का इर्तिकाब किया।

अदमे ज़कात के लिये हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) का फ़त्व-ए-जिहाद मौजूद है और हज़्ज के बारे में फ़ारूके आजम का वो फ़र्मान क़ाबिले ग़ौर है जिसमें आपने मम्लिकते इस्लामिया से ऐसे लोगों की फ़ेहरिस्त त़लब की थी जो मुसलमान हैं और जिन पर हज़्ज फ़र्ज है मगर वो फ़र्ज नहीं अदा करते हैं तो आपने फ़र्माया था कि उन पर जिज़्या क़ायम कर दो वो मुसलमानों की जमाअत से ख़ारिज हैं।

बाब 2 : ज़कात देने पर बैअत करना और अल्लाह पाक ने (सूरह बराअत में) फ़र्माया कि अगर वो (कुफ़र व मुश्रिकीन) तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात देने लगे तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं

1401. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे क़ैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया कि जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़वाही करने पर बैअत की थी।

مَا هُوَ إِلَّا أَنْ لَدَّ شَرَحَ اللَّهُ صَنْزَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ))
[أطرافه في : ١٤٥٦ ، ٦٩٢٥ ، ٧٢٨٥]

٢- بَابُ التَّيَعُّدِ عَلَى إِنْتَاءِ الزَّكَاةِ
﴿إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لِاخْوَاتِكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة : ١١].

١٤٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ ثَمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ تَمِيمٍ قَالَ :
﴿قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِنْتَاءِ
الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ﴾.

(राजेअ: 57)

[راجع: 57]

मा'लूम हुआ कि दीनी भाई बनने के लिये कुबूलियते ईमान व इस्लाम के साथ साथ नमाज़ कायम करना और साहिबे निस्बाब होने पर ज़कात अदा करना भी ज़रूरी है।

बाब 3 : ज़कात न अदा करने वाले का गुनाह

और अल्लाह तआला ने (सूरह बराअत में) फ़र्माया,

कि जो लोग सोना और चाँदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते आखिर आयत फ़ज्रूकू मा कुन्तु तक्निज़ून तक। या'नी अपने माल को गाड़ने का मज़ा चखो। (अत्तौबा: 34-35)

आयत में कन्ज़ का लफ़्ज़ है। कन्ज़ उसी माल को कहेंगे जिसकी ज़कात न दी जाए। अक़षर सहाबा और ताबेईन का यही क़ौल है कि आयत अहले किताब और मुश्किनीन और मोमिनीन सबको शामिल है। इमाम बुखारी (रह.) ने भी इसी तरफ़ इशारा किया है और कुछ सहाबा ने इस आयत को काफ़िरों के साथ ख़ास किया है। (वहीदी)

1402. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया कि अब्दुरह्मान बिन हुर्मुज़ अल अअरज ने उनसे बयान किया, कहा कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आप ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऊँट (क़यामत के दिन) अपने मालिकों के पास जिन्होंने उनका हक़ (ज़कात) न अदा किया कि उससे ज़्यादा मोटे-ताज़े होकर आएँगे (जैसे दुनिया में थे) और उन्हें अपने खुरों से रौँदेंगे। बकरियाँ भी अपने उन मालिकों के पास जिन्होंने उनके हक़ नहीं दिये थे, पहले से ज़्यादा मोटी-ताज़ी होकर आएँगी और उन्हें अपने खुरों से रौँदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसका हक़ ये भी है कि उसे पानी ही पर (या'नी जहाँ वो चारागाह में चर रही हो) दुहा जाए। आपने फ़र्माया कि कोई शख़्स क़यामत के दिन इस तरह न आएगा कि वो अपनी गर्दन पर एक ऐसी बकरी उठाए हुए हो जो चिल्ला रही हो और वो मुझसे कहे कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मुझे अज़ाब से बचाइये। मैं उसे ये जवाब दूँ कि तेरे लिये मैं कुछ नहीं कर सकता (मेरा काम पहुँचाना था) सो मैंने पहुँचा दिया। इसी तरह कोई शख़्स अपनी गर्दन पर ऊँट ले हुए

۳- بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ، وَقَوْلِ
اللّٰهِ تَعَالٰی

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ اللَّعْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهِ فَلَؤَلٰٓئِمْ
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [العوبة: ۳۴-۳۵].

۱۴۰۲- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ
نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنْ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: ((تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا
عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا
حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَائِهَا. وَتَأْتِي النَّعَمَ عَلَى
صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ
فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ
بِقُرُونِهَا)). قَالَ: ((وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُخَلَبَ
عَلَى الْمَاءِ)) قَالَ: ((وَلَا يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَخْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارَ
فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ
شَيْئًا، فَذُ بَلْفَتٌ. وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَخْمِلُهُ
عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ،
فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، فَذُ بَلْفَتٌ)).

क्रयामत के दिन न आए कि ऊँट चिल्ला रहा हो और वो खुद मुझसे फरियाद करे, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मुझे बचाइये और मैं ये जवाब दे दूँ कि तेरे लिये मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुझको (अल्लाह का हुक्म जकात) पहुँचा दिया।

(दीगर मक़ाम : 2378, 3073, 9685)

तशरीह : (मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि मुँह से काँटेंगे। पचास हजार बरस का जो दिन होगा उस दिन यही करते रहेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह बन्दों का फ़ैसला करे और वो अपना ठिकाना देख लें। बहिश्त में या जहन्नम में इस हदीष में आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत को चेतावनी फ़र्माई है कि जो लोग अपने अम्वाले ऊँट या बकरी वगैरह में से मुकर्ररा निज़ाब के तहत ज़कात नहीं अदा करेंगे। क्रयामत के दिन उनका ये हाल होगा जो यहाँ मज़कूर हुआ फिल वाक़ेअ वो जानवर इन हालात में आँगे और उस शख्स की गर्दन पर ज़बरदस्ती सवार हो जाएँगे। वो शख्स हज़ूर (ﷺ) को मदद के लिये पुकारेगा मगर आपका ये जवाब होगा जो मज़कूर हुआ। बकरी को पानी पर दुहने से गर्ज़ ये है कि अरब में पानी पर अक़षर ग़रीब मुहताज लोग जमा रहते हैं। वहाँ वो दूध निकालकर मिस्कीन—फ़ुक़रा को पिलाया जाए। कुछ ने कहा कि ये हुक्म ज़कात की फ़र्ज़ियत से था। जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो अब तो ये सदका या हक़ वाजिब नहीं रहा। एक हदीष में है कि ज़कात के सिवा माल में दूसरा हक़ भी है। इसे तिमिज़ी ने रिवायत किया है। एक हदीष में है कि ऊँट का भी यही हक़ है कि उनका दूध पानी के किनारे पर दुहा जाए।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं, व इन्नमा ख़स्सल हल्ब बिमौज़इल माइ लियकून अस्हलु अललमुहताजि मिन क्रसदिल मनाज़िलि व अफ़कु बिल माशियति या'नी पानी पर दूध दुहने की खुसूसियत का ज़िक्र इसलिये किया कि वहाँ मुहताज और मुसाफ़िर लोग आराम के लिये क्रयाम पज़ीर रहते हैं।

इस हदीष से ये भी प्राबित होता है कि क्रयामत के दिन गुनाह मिषाली जिस्म इख़ितयार कर लेंगे वो जिस्मानी शक्लों में सामने आँगे। इसी तरह नेकियाँ भी मिषाली शक्लों इख़ितयार करके सामने लाई जाएँगी। दोनों किस्म की तफ़्सीलात बहुत सी अह्दादीष में मौजूद है। आइन्दा अह्दादीष में भी एक ऐसा ही ज़िक्र मौजूद है।

1403. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हाशिम बिन क़ासिम ने बयान किया कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू सालेह समान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात नहीं अदा की तो क्रयामत के दिन उसका माल निहायत ज़हरीले गंजे साँप की शक्ल इख़ितयार कर लेगा। उसकी आँखों के पास दो स्याह नुक़ते होंगे। जैसे साँप के होते हैं, फिर वो साँप उसके दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल और ख़ज़ाना हूँ। इसके बाद आपने ये आयत पढ़ी और वो लोग ये गुमान न करे कि अल्लाह तआला ने उन्हें जो कुछ अपने फ़ज़ल से दिया है वो उस पर बुख़ल से काम लेते हैं कि उनका माल उनके लिये बेहतर है। बल्कि वो बुरा है जिस

١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مَثَلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَغَ لَهُ زَيْتَانِ - يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَزْك. ثُمَّ تَلَا: هُوَ لَا يَخْسِنُ الَّذِينَ يَتَخَلَوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

माल के मामले में उन्होंने बुखल किया है। क़यामत में उसका तौक बना कर उनकी गर्दन में डाला जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 4565, 4689, 4957)

عَمْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿الآيَةَ﴾. [آل

عمران : १८०]

[أطرافه ن : ४९०४, ४६०९, ४०६०]

तशरीह : निसाई में ये अल्फ़ाज़ और हैं, व यकूनु कन्ज़ु अहदिकुम यौमल्लिक्रियामति शुआअन अक्वअ यफ़रुह्मि मिन्हु साहिबुहू व यत्लुबुहू अना कन्ज़ुक फला यज़ालु हता युल्लिक्रमुहू इस्बअहू. या'नी वो गंजा सांप उसकी तरफ लपकेगा और वो शख्स उससे भागेगा। वो सांप कहेगा कि मैं तेरा ख़जाना हूँ। पस वो उसकी उँगलियों का लुक्मा बना लेगा। ये आयते करीमा उन मालदारों के हक़ में नाज़िल हुईं जो साहिबे निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते बल्कि दौलत को ज़मीन में बतौर ख़जाना ग़ड़ देते थे। आज भी उसका हुक्म यही है जो मालदार मुसलमान ज़कात हज़म कर जाएँ उनका भी यही हश्र होगा। आज सोना-चाँदी की जगह करंसी ने ले ली है जो चाँदी और सोने ही के हुक्म में दाखिल है। अब ये कहा जाएगा कि जो लोग उन नोटों की गड़ियाँ बना-बनाकर रखते हैं और ज़कात नहीं अदा करते उनके वही नोट उनके लिये जहन्नम का सांप बनकर उनके गलों का हार बनाए जाएँगे।

बाब 4 : जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कंज़ (ख़जाना) नहीं है क्योंकि नबी (ﷺ) करीम ने फ़र्माया कि पाँच औक्रिया से कम चाँदी में ज़कात नहीं है

1404. हमसे अहमद बिन शबीब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मेरे वालिद शबीब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे शिहाब ने, उनसे ख़ालिद बिन असलम ने, उन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के साथ कहीं जा रहे थे। एक अज़राबी ने आपसे पूछा कि मुझे अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तफ़सीर बतलाइये, जो लोग सोने और चाँदी का ख़जाना बनाकर रखते हैं। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसका जवाब दिया कि अगर किसी ने सोना चाँदी जमा किया और उसकी ज़कात न दी तो उसके लिये वैल (ख़राबी) है। ये हुक्म ज़कात के अहकाम नाज़िल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह तआला ने ज़कात का हुक्म नाज़िल कर दिया तो अब वही ज़कात माल-दौलत को पाक करने वाली है।

(दीगर मक़ाम : 4661)

٤- بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ
بِكَتْرٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسِيَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ))

١٤٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
سَمِعَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
فَقَالَ أَغْرَابِيُّ: أَخْبَرَنِي قَوْلِ اللَّهِ:
﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. قَالَ ابْنُ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَتَمَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ
زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ مَدًا قَبْلَ أَنْ
تُنزَلَ الرِّكَاتُ، فَلَمَّا أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ
ظَهْرًا لِلْأَمْوَالِ)). [طرفه ن : ٤٦٦١]

तशरीह : या'नी इस माल के बारे में ये आयत नहीं है, वल्लज़ीन यक्निज़ूनज़हब वल फ़िज़त (अत'तौबा: 34) मा'लूम हुआ कि अगर कोई माल जमा करे तो गुनाहगार नहीं बशर्ते कि ज़कात दिया करे। गो तक्वा और फ़ज़ीलत के खिलाफ़ है। ये बाब का तर्जुमा खुद एक हदीष है। जिसे इमाम मालिक ने इब्ने उमर (रज़ि.) से मौकूफ़न निकाला है और अबू दाऊद ने एक मफ़ूअ हदीष निकाली जिसका मतलब यही है। हदीष लैस फ़ीमा दून ख़मिस अवाक़ सदक़ह ये हदीष इसी बाब में आती है।

इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से दलील ली कि जिस माल की जकात अदा की जाए वो कन्ज़ नहीं है। उसका दबाना और रख छोड़ना दुरुस्त है क्योंकि पाँच औकिया से कम चाँदी में हदीष की दलील की बुनियाद पर जकात नहीं है। पस इतनी चाँदी का रख छोड़ना और दबाना कन्ज़ न होगा और आयत में से उसको खास करना होगा और खास करने की वजह यही हुई कि जकात उस पर नहीं है तो जिस माल की जकात अदा कर दी गई वो भी कन्ज़ न होगा क्योंकि इस पर भी जकात (बाक़ी) नहीं रही। एक औकिया चालीस दिरहम का होता है पाँच औकियों के दो सौ दिरहम हुए या'नी साढ़े बावन तौला चाँदी। यही चाँदी का निज़ाब है उससे कम में जकात नहीं है।

कन्ज़ के बारे में बैहक़ी में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत में है कुल्लु मा अदैत जकातहू व इन कान तहत सब्द अज़ीन फलैस बिकन्ज़िन व कल्लु मा ला तुअही जकातहू फहुव कन्ज़ुन व कान ज़ाहिरन अला वज़िहल अज़ि. (फ़तुहल बारी)

या'नी हर वो माल जिसकी तूने जकात अदा कर दी है वो कन्ज़ नहीं है अगरचे वो सातवीं ज़मीन के नीचे दफ़न हो और हर वो माल जिसकी जकात नहीं अदा की वो कन्ज़ है अगरचे वो ज़मीन की पीठ पर रखा हुआ हो। आपका ये क़ौल भी मरवी है मा उबाली लौ कान ली मिफ़्लु उहुदिन ज़हबन आलमु अददहू उज़क्कीहि व आमलु फ़ीहि बिता अतिल्लाहि तआला. (फ़तुहल कदीर) या'नी मुझको कुछ परवाह नहीं जबकि मेरे पास उहुद पहाड़ जितना सोना हो और मैं जकात अदा करके उसे पाक करूँ और उसमें अल्लाह की इत्ताअत के काम करूँ या'नी इस हालत में इतना खज़ाना भी मेरे लिये मुज़िर (नुक़सानदायक) नहीं है।

1405. हमसे इस्हाक़ बिन यज़ीद ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब बिन इस्हाक़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे यह्या बिन अबी क़रीर ने ख़बर दी कि अग्र बिन यह्या बिन इमारह ने उन्हें ख़बर दी अपने वालिद इमारह बिन अबुल हसन से और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से उन्होंने बयान किया कि रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया पाँच औकिया से कम चाँदी में जकात नहीं है और पाँच ऊँटों से कम में जकात नहीं है और पाँच वस्क़ से कम (अनाज) में जकात नहीं है।

(दीगर मक़ाम : 1447, 1459, 1474)

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عَمَّارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عَمَّارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).

[أطرافه في : ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤]

तशीह : एक औकिया चालीस दिरहम का होता है। पाँच औकिया के दो सौ दिरहम हम या'नी साढ़े बावन तौला चाँदी होती है, ये चाँदी का निज़ाब है। वस्क़ साठ साअ का होता है साअ चार मुद् का। मुद् एक रत्नल और तिहाई रत्नल का। हिन्दुस्तान के वज़न (इसी तौला सेर के हिसाब से) एक वस्क़ साढ़े चार मन या पाँच मन के करीब होता है। पाँच वस्क़ बाईस मन या 25 मन हुआ। उससे कम में जकात (उ़र) नहीं है।

1406. हमसे अली बिन अबी हाशिम ने बयान किया, उन्होंने हुशैम से सुना, कहा कि हमें हुसैन ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन बुहैब ने कहा कि मैं मक़ामे-रबज़ह से गुज़र रहा था कि अबू ज़र (रज़ि.) दिखाई दिये। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाम में था तो मुआविया (रज़ि.) से मेरा

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَمِيعٍ مَشَيْمًا قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: ((مَرَّتْ بِالرَّبْدَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنزِلَكَ

इख़ितलाफ़ (कुआन की आयत) जो लोग सोना-चाँदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते; के मुता'ल्लिक्र हो गया। मुआविया का कहना था कि ये आयत अहले किताब के बारे में नाज़िल हुई है और मैं ये कहता था कि अहले किताब के साथ हमारे मुता'ल्लिक्र भी नाज़िल हुई है। इस इख़ितलाफ़ के नतीजे में मेरे और उनके दरम्यान कुछ तलख़ी पैदा हो गई। चुनाँचे उन्होंने इप्मान (रज़ि.) (जो उन दिनों ख़लीफ़तुल-मुस्लिमीन थे) के यहाँ मेरी शिकायत लिखी। इप्मान (रज़ि.) ने मुझे लिखा कि मैं मदीना चला आऊँ। चुनाँचे मैं चला आया। (वहाँ जब पहुँचा) तो लोगों का मेरे यहाँ इस तरह हुजूम होने लगा, जैसे उन्होंने मुझे पहले देखा ही न हो। फिर जब मैंने लोगों के इस तरह अपनी तरफ़ आने के मुता'ल्लिक्र इप्मान (रज़ि.) से कहा तो उन्होंने फ़र्माया कि अगर मुनासिब समझो तो यहाँ का क़याम छोड़कर मदीना के करीब ही कहीं अलग क़याम इख़ितयार कर लो। यही बात है जो मुझे यहाँ (रब्ज़ह) तक ले आई है। अगर वो मेरे ऊपर एक हब्शी को भी अमीर मुकर्रर कर दें तो मैं उसकी भी सुनूँगा और इताअत करूँगा। (दीगर मक़ाम : 4660)

هَذَا قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَاحْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةَ فِي: «الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِيْنَا وَلِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ. وَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشِكْوِي، فَكُتِبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنْ أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَانَتْهُمْ لَمْ يَرَوْني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَصَحَّحْتَ، فَكُنْتُ قَرِيْبًا. فَذَلِكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَكُوْا أَمْرُوا عَلَيَّ حَبْشِيًّا لَسِمِعْتُ وَأَطَعْتُ».

[طرفه في : ٤٦٦٠.]

तशरीह:

हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) बड़े आलीशान सहाबी और जुहद व दरवेशी में अपनी नज़ीर नहीं रखते थे, ऐसी बुजुर्ग शख्सियत के पास ख़्वाह-मख़्वाह लोग बहुत जमा होते हैं। हज़रत मुआविया ने उनसे ये अंदेशा किया कि कहीं कोई फ़साद न उठ खड़ा हो। हज़रत इप्मान (रज़ि.) ने उनको वहाँ बुला भेजा तो फ़ौरन चले आए। ख़लीफ़ा और हाकिमे इस्लाम की इत्ताअत फ़र्ज है। अबू ज़र ने ऐसा ही किया। मदीना आए तो शाम से भी ज़्यादा उनके पास मज्मअ होने लगा। हज़रत इप्मान (रज़ि.) को भी वही अंदेशा हुआ जो मुआविया (रज़ि.) को हुआ था। उन्होंने साफ़ तो नहीं कहा कि तुम मदीना से निकल जाओ मगर इस्लाह के तौर पर बयान किया। अबू ज़र (रज़ि.) ने उनकी मर्जी पाकर मदीना को भी छोड़ा और रब्ज़ा नामी एक मक़ाम पर जाकर रह गए और तादमे वफ़ात (मरते दम तक) वहाँ मुकीम रहे। आपकी क़ब्र भी वहाँ है।

इमाम अहमद और अबू यअला ने मफ़ूअन निकाला है कि आँहज़रत (रज़ि.) ने अबू ज़र से फ़र्माया था जब तू मदीना से निकाला जाएगा तो कहीं जाएगा? तो उन्होंने कहा शाम के मुल्क में। आपने फ़र्माया कि जब तू वहाँ से भी निकाला जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं फिर मदीना शरीफ़ में आ जाऊँगा। आपने फ़र्माया जब फिर वहाँ से निकाला जाएगा तो क्या करेगा? अबू ज़र ने कहा मैं अपनी तलवार सम्भाल लूँगा और लडूँगा। आपने फ़र्माया बेहतर बात ये है कि इमामे वक़्त की बात सुन लेना और मान लेना। वो तुमको जहाँ भेजें चले जाना। चुनाँचे हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने उसी इर्शाद पर अमल किया और दम न मारा और आख़िर दम तक रब्ज़ा ही में रहे।

जब आपके इतिक़ाल का वक़्त करीब आया तो आपकी बीवी जो साथ थीं उस मौत गुर्बत का तसव्वुर करके रोने लगीं। कफ़न के लिये भी कुछ न था। आख़िर अबू ज़र (रज़ि.) को एक पेशीनगोई याद आई और बीवी से फ़र्माया कि मेरी वफ़ात के बाद इस टीले पर जा बैठना कोई क़ाफ़िला आएगा वही मेरे कफ़न का इतिज़ाम करेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अचानक एक क़ाफ़िला के साथ इधर से गुज़रे और सूतेहाल मा'लूम करके रोने लगे, फिर कफ़न-दफ़न का इतिज़ाम किया। कफ़न में अपना अमामा उनको दे दिया। (रज़ि.)

अल्लामा हाफिज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं,

व फ़ी हाज़लहंदीषि मिनल्फ़वाइदि गैस्मा तक्रहम अन्नल्कुफ़्फ़ार मुखातबून बिफुरूइशशरीअति लिइत्तिफ़ाकि अबी ज़रिन व मुआवियत अन्नल्आयत नज़लत फ़ी अहलिक्किताबि व फ़ीहि मुलातफ़तुल्अइम्पति लिलउलमाइ फ़इन्न मुआवियत लम यज़सुर अलल्इन्कारि अलैहि हत्ता कातब मन हुव आला मिन्हु फ़ी अम्हिी व उम्मानु लम यहनुक़ अला अबी ज़रिन मिनशिशक्राकि वल्बुरूजि अलल्अइम्पति वत्तर्गीबि फ़ित्ताअति लिउलिलअम्नि व अम्फ़ल्अफ़ज़लि बिताअतिल्मफ़ज़ूलि ख़श्यतल्मफ़्सति व जवाज़ल्इख़ितलाफ़ि फ़िल्इज्तिहादि वल्अख़िज बिशिशइति फ़िल्अम्नि बिल्मअरूफ़ि व इन अद्वा ज़ालिक इला फ़ि राक्लिबतनि व तक्रदीमि दफ़इल्मुफ़्सदति अला जल्बिल्मन्फ़अति लिअन्न फ़ी बक्राइ अबी ज़रिन बिल्मदीनति मस्लहतुहु कबीरतुन मम्बष़ अमलहु फ़ी तालिबिल्इल्मि व मज़ ज़ालिक फ़रजअ इन्द उम्मान दफ़अ मा यतवक्कइ इन्दल्मफ़्सदति मिनल्अख़िज बिमज्हबिशशदीद फ़ी हाज़िहिल्मस्अलति व लम यअमुहु बअद ज़ालिक बिरूजुइ अन्हु लिअन्न कुल्लम्मिन्हुमा मुज्तहिदन.

या'नी इस हदीष से बहुत से फ़ायदे निकलते हैं। हज़रत अबू ज़र और हज़रत मुआविया यहाँ तक मुत्तफ़िक्क थे कि ये आयत अहले किताब के हक़ में नाज़िल हुई है पस मा'लूम हुआ कि शरीअत के फ़ुरूई अहक़ामात के कुफ़्फ़ार भी मुखातब हैं और इससे ये भी निकला कि हुक्कामे इस्लाम को उलमा के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिये। हज़रत मुआविया ने ये ज़सारत नहीं की कि खुल्लम खुल्ला हज़रत अबू ज़र की मुख़ालफ़त करें बल्कि ये मुआमला हज़रत उम्मान तक पहुँचा दिया जो उस वक़्त मुसलमानों के ख़लीफ़-ए-बरहक़ थे और वाकिआत मा'लूम होने पर हज़रत उम्मान (रज़ि.) ने भी हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के साथ कोई संख़ती नहीं की हालाँकि वो उनकी तावील के ख़िलाफ़ थे। उससे ये भी निकला कि अहले इस्लाम को बाहमी निफ़ाक़ व शिक़ाक़ से डरना ही चाहिये और अइम्म-ए-बरहक़ पर ख़ुरूज नहीं करना चाहिये बल्कि उलुल-अम् की इत्ताअत करनी चाहिये और इज्तिहादी उमूर में उससे इख़ितालाफ़ का जवाज़ भी प्राबित हुआ और ये भी कि अम् बिलमअरूफ़ करना ही चाहिये ख़्वाह उसके लिये वतन छोड़ना पड़े और फ़साद की चीज़ को दफ़ा ही करना चाहिये अगरचे वो नफ़ा के ख़िलाफ़ भी हो। हज़रत उम्मान (रज़ि.) जो हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को हुक्म दिया उसमें बड़ी मस्लिहत थी कि ये यहाँ मदीने में रहेंगे तो लोग उनके पास बक़रत इल्म हासिल करने आएँगे और इस मसल-ए-तनाज़ज़ामें उनसे इसी शिद्दत का अप्र लेंगे। हज़रत उम्मान (रज़ि.) ने हज़रत अबू ज़र को उस शिद्दत से रज़ूअ करने का भी हुक्म नहीं दिया इसलिये कि ये सब मुज्तहिद थे और हर मुज्तहिद अपने-अपने इज्तिहाद का ख़ुद ज़िम्मेदार है।

ख़ुलासा-ए-कलाम ये है कि हज़रत अबू ज़र अपने जुहद व तक्वा की बुनियाद पर माल के मुता'ल्लिक बहुत शिद्दत बरतते थे और वो अपने ख़याल पर अटल थे। मगर दीगर अकाबिर सहाबा ने उनसे इत्तिफ़ाक़ नहीं किया और न उनसे ज़्यादा तज़रीज़ किया। हज़रत उम्मान (रज़ि.) ने ख़ुद उनकी मज़ी देखकर उनको रब्ज़ा में आबाद फ़र्माया था। बाहमी नाराज़गी न थी। जैसा कि बाज़ ख़वारिज ने समझा। तफ़्सील के लिये फ़त्हूलबारी का मुतालआ किया जाए।

1407. हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अअला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद जरीरी ने अबू अलाअ यज़ीद से बयान किया, उनसे अहनफ़ बिन कैस ने, उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ था

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا عِيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي
الْعَلَاءِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
(جَلَسْتُ) ح.

(दूसरी सनद) और इमाम बुखारी ने फ़र्माया कि मुझसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सईद जरीरी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अलाअ बिन शख़री ने बयान किया,

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا
الْجَرِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ
الشَّخِيرِ أَنَّ الْأَخْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ

उनसे अहनफ़ बिन कैस ने बयान किया कि मैं कुरैश की एक मजलिस में बैठा हुआ था। इतने में सख्त बाल, मोटे कपड़े और मोटी-झोटी हालत में एक शख्स आया और खड़े होकर सलाम किया और कहा कि खज़ाना जमा करने वालों को उस पत्थर की बशारत हो जो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसकी छाती पर रख दिया जाएगा जो मूँढे की तरफ़ से पार हो जाएगा और मूँढे की पतली हड्डी पर रख दिया जाएगा तो सीने की तरफ़ से पार हो जाएगा। इस तरह वो पत्थर बराबर ढलकता रहेगा। ये कह कर वो साहब चले गये और एक सुतून (खम्भे) के पास टेक लगाकर बैठ गये। मैं भी उनके साथ चला और उनके करीब बैठ गया। अब तक मुझे ये मा'लूम न था कि ये कौन साहब हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा ख़याल है कि आपकी बात क़ौम ने पसन्द नहीं की। उन्होंने कहा ये सब तो बेवकूफ़ हैं।

1408. (उन्होंने कहा) मुझसे मेरे ख़लील ने कहा था। मैंने पूछा कि आपके ख़लील कौन हैं? जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, ऐ अबूज़र क्या उहुद पहाड़ तू देखता है? अबूज़र (रज़ि.) का बयान था कि उस वक़्त मैंने सूरज की तरफ़ नज़र उठाकर देखा कि कितना दिन अभी बाक़ी है? क्योंकि मुझे (आपकी बात से) ये ख़याल गुज़रा कि आप अपने किसी काम के लिये मुझे भेजेंगे। मैंने जवाब दिया जी हाँ! (उहुद पहाड़ मैंने देखा है)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो, मैं इसके सिवा दोस्त नहीं रखता कि सिर्फ़ तीन दीनार बचाकर बाक़ी का तमाम (अल्लाह के रास्ते में) दे डालूँ। (अबूज़र रज़ि. ने फिर फ़र्माया कि) उन लोगों को कुछ मा'लूम नहीं, ये दुनिया जमा करने की फ़िक्र करते हैं, हर्गिज़ नहीं अल्लाह की क्रसम न मैं उनकी दुनिया उनसे माँगता हूँ और न दीन का कोई मसला उनसे पूछता हूँ यहाँ तक कि मैं अल्लाह से जा मिलूँ। (राजेअ: 1237)

तशीह: शायद तीन अशरफ़ियाँ उस वक़्त आप पर क़र्ज़ होंगी या ये आपका रोज़ाना का खर्च होगा। हाफ़िज़ ने कहा कि इस हदीष से ये निकलता है कि माल जमा न करे। मगर ये उलुवियत पर महमूल है क्योंकि जमा करने वाला गो ज़कात दे तब भी उसको क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। इसलिये बेहतर यही है कि जो आए खर्च कर डाले मगर इतना भी नहीं कि कुआन पाक की आयात के ख़िलाफ़ हो जिसमें फ़र्माया, व ला तब्सुत्हा कुल्लल बसति फ़तक़उद मलूमम महसूरा (बनी इस्राईल: 29) या'नी इतने भी हाथ कुशादा न करो कि तुम खाली होकर शर्मिन्दा और आजिज़ बन जाओ। खुद

قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لَجَاءَ رَجُلٌ خَشِينُ الشَّعْرِ وَالْيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَتْ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَافِرِينَ بِرِضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوَضَعُ عَلَى حَلْمَةِ نَذِي أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَفْصِ كَيْفِهِ، وَتُوضَعُ عَلَى نَفْصِ كَيْفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةِ نَذِيهِ. يَتَزَلَّزَلُ. ثُمَّ وُلِيَ فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. وَتَبَعَتْهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَلَقْتُ لَهُ: لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا)).

۱۴۰۸- قَالَ لِي خَلِيلِي - قَالَ قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَبْصِرُ أَحَدًا؟)) قَالَ فَتَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا أَحْبَبَ أَنْ لِي مِثْلَ أَحَدٍ ذَعَبًا أَنْفَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. وَإِنْ هُوَ لَاءَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لَا وَاللَّهِ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)). [راجع: ۱۲۳۷]

आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि एक मुसलमान के लिये उसके ईमान को बचाने के लिये उसके हाथ में माल का होना मुफ़ीद होगा। इसीलिये कहा गया है कि कुछ दफ़ा मुहताजगी काफ़िर बना देती है। खुलासा ये है कि दरम्यानी रास्ता बेहतर है।

बाब 5 : अल्लाह की राह में माल खर्च करने की फ़ज़ीलत का बयान

1409. हमसे मुहम्मद बिन मुन्नान ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से बयान किया, कहा कि मुझसे कैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, और उनसे इब्ने मसूद (रज़ि.) ने बयान किया कि हसद (रश्क) करना सिर्फ़ दो ही आदमियों के साथ जाइज़ हो सकता है। एक तो उस शख्स के साथ जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसे हक़ और मुनासिब जगहों में खर्च करने की तौफ़ीक़ दी। दूसरे उस शख्स के साथ जिसे अल्लाह तआला ने हिकमत (अक़्ल, कुआन-हदीष का इल्म और मामला फ़हमी) दी और वो अपनी हिकमत के मुताबिक़ हक़ फ़ैसला करता है और लोगों को इसकी ता'लीम देता है। (राजेअ : 73)

तरीह : अमीर और आलिम दोनों अल्लाह के यहाँ मक्बूल भी हैं और मदद भी। मक्बूल वो जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करें, ज़कात और सद्कात से मुस्तहिक़ीन (हक़दारों) की खबरगिरो करें और इस बारे में रिया नमूद से भी बचें, ये मालदार इस काबिल हैं कि हर मुसलमान को उन जैसा मालदार बनने की तमन्ना करनी जाइज़ है। इसी तरह आलिम जो अपने इल्म पर अमल करें और लोगों को इल्मी फ़ैज़ पहुँचाएँ और रिया नमूद से दूर रहे, ख़शियत व मुहब्बत इलाही बहरहाल मुक़दम रखें, ये आलिम भी काबिले रश्क हैं। इमाम बुखारी (रह.) का मक्सद ये कि अल्लाह के लिये खर्च करने वालों का बड़ा दर्जा है ऐसा कि उन पर रश्क करना जाइज़ है जबकि आम तौर पर हसद करना जाइज़ नहीं मगर नेक निव्यती के साथ उन पर हसद करना जाइज़ है।

बाब 6 : सद्के में रियाकारी करना, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि

ऐलोगों! जो ईमान ला चुके हो अपने सद्कात को एहसान जताकर और (जिस ने तुम्हारा सद्का ले लिया है उसे) इज़ा देकर बर्बाद मत करो, जैसे वो शख्स (अपने सद्के बर्बाद करता है) जो लोगों को दिखाने के लिये माल खर्च करता है और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाता। (से) अल्लाह तआला के इशाद और अल्लाह अपने मुन्किरों को हिदायत नहीं करता (तक)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (कुआन मर्जीद) में लफ़्ज़ सल्दन से मुराद साफ़ और चिकनी चीज़ है। इकरमा (रज़ि.) ने कहा (कुआन मर्जीद) में लफ़्ज़ वाबिल से मुराद ज़ोर की बारिश

5- بَابُ إِتْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي

قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي

التَّيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَى

هَلَكِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً

فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). (راجع: ٧٣)

6- بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ، لِقَوْلِهِ

تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُبْفِقُ

مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿ [البقرة: ٢٦٤، ٢٦٥]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

﴿صَدَقَاتِكُمْ﴾ قَيْسٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ

है और लफ़्ज़ तुल से मुराद शबनम (ओस) है।

عَكْرِمَةٌ: ﴿وَابِلٌ﴾: مَطَرٌ شَدِيدٌ.
وَالطَّلُ: النَّدَى.

तशरीह: यहाँ फ़र्ज़ सद्का या'नी ज़कात और नफ़ल सद्का या'नी ख़ैरात दोनों शामिल है। रियाकारी के दख़ल से दोनों बजाय प्रवाब के अज़ाब के बाअिष (कारक) होंगे। जैसा कि दूसरी हदीष में आया है कि क़यामत के दिन रियाकार को दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तूने नामवरी के लिये खर्च किया था सो तेरा नाम दुनिया में जव्वाद सख़ी मशहूर हो गया अब यहाँ आख़िर तेरे लिये क्या रखा है। रियाकार से बदतर वो लोग हैं जो ग़रीबों व मिस्कीनों पर एहसान जतलाते हैं और उनको रूहानी ईज़ा पहुँचाते हैं। इस तरह के ज़कात व सद्कात इन्दल्लाह बातिल हैं।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ बाब में उन आयात ही पर इक्तिफ़ा किया और आयात में एहसान जतलाने और ईज़ा देने वाले रियाकार काफ़िरो के सद्का के साथ तशबीह देकर उनकी इतिहाई क़बाह़त पर दलील ली है। सल्दन वो साफ़ पत्थर जिस पर कुछ भी न हो हाज़ा मप्रलुन ज़रबहुल्लाहु लिआमालिल्कुफ़रि यौमल्क्रियामति बिकौलि ला यक्रिदरून अला शयइम्मिमा कसबू यौमइज़िन कमा तरक हाजल्मतरूससल्द नक्रियन लैस अलैहि शौउन. या'नी ये मिषाल अल्लाह ने उन काफ़िरो के लिये बयान की कि क़यामत के दिन उनके आमाल कलअदम (निरस्त) हो जाएँगे और वो वहाँ कुछ भी न पा सकेंगे जैसा कि बारिश ने उस पत्थर को साफ़ कर दिया।

बाब 7 : अल्लाह पाक चोरी के माल में से ख़ैरात नहीं कुबूल करता और वो सिर्फ़ पाक कमाई से कुबूल करता है

क्योंकि अल्लाह तआला का इशाद है, भली बात करना और फ़कीर की सख़्त बातों को माफ़ कर देना उस सद्के से बेहतर है जिसके नतीजे में (उस शख्स को जिसे सद्का दिया गया है) अज़ियत (तकलीफ़) दी जाए कि अल्लाह बड़ा बेनियाज़, निहायत बुर्दबार है।

इस आयत से इमाम बुखारी (रह.) ने बाब का मतलब यूँ निकाला कि जब कोई चोर, चोरी के माल में से ख़ैरात करेगा तो जिन लोगों पर ख़ैरात करेगा उनको जब उसकी ख़बर होगी तो वो रंजीदा होंगे, उनको ईज़ा होगी।

बाब 8 : हलाल कमाई में से ख़ैरात कुबूल होती है

क्योंकि अल्लाह तआला का इशाद है कि

अल्लाह तआला सूद को घटाता है और सद्के को बढ़ाता है और अल्लाह तआला किसी नाशुके गुनाहगार को पसन्द नहीं करता। वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किये, नमाज़ क़ायम की और ज़कात दी, उन्हें इन आमाल का उनके परवरदिगार के यहाँ प्रवाब मिलेगा और न उन्हें कोई ख़ौफ़ होगा और न वो ग़मगीन होंगे।

٧- بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ
غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ
لِقَوْلِهِ: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ
صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾
[البقرة: ٢٦٣].

٨- بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: [البقرة: ٢٧٦-٢٧٧]
﴿وَتَزَيَّي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

1410. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने अबू नज़र सालिम बिन अबी उमय्या से सुना, उन्होंने बयान किया कि मुझसे अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू सालेह ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर स़दका करे और अल्लाह तआला सिर्फ़ हलाल कमाई के स़दके को कुबूल करता है तो अल्लाह तआला उसे अपने दाहिने हाथ से कुबूल करता है। फिर स़दका करने वाले के फ़ायदे के लिये उसमें ज़्यादाती करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला-पिलाकर बढ़ाता है, यहाँ तक कि उसका स़दका पहाड़ के बराबर हो जाता है। अब्दुरहमान के साथ इस रिवायत की मुताबअत सुलैमान ने अब्दुल्लाह बिन दीनार की रिवायत से की है। और वरकाअ ने इब्ने दीनार से कहा, उनसे सईद बिन यसार ने कहा, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने और इसकी रिवायत मुस्लिम बिन अबी मरयम, ज़ैद बिन असलम और सुहैल ने अबू सालेह से की, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने।

(दीगर मक़ाम : 7430)

तशरीह: हदीष में है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं या'नी ऐसा नहीं कि उसका एक हाथ दूसरे हाथ से कुव्वत में कम हो जैसे मख्लूक़ात में हुआ करता है। अहले हदीष इस किस्म की आयतों और हदीषों की तावील नहीं करते और उनको उनके ज़ाहिर मा'नी पर महमूल रखते हैं। सुलैमान की रिवायत मज़कूर को खुद मुअल्लिफ़ ने और अबू अवाना ने वस्ल किया है। और वरकाअ की रिवायत को इमाम बैहकी और अबूबक्र शाफ़िई ने अपने फ़वाइद में और मुस्लिम की रिवायत को काज़ी यूसुफ़ बिन यअक़ूब ने किताबुज्जकात में और ज़ैद बिन असलम और सुहैल की रिवायतों को इमाम मुस्लिम ने वस्ल किया। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, क़ाल अहलुल इल्मि मिन अहलुस्सुन्नति वल जमाअति नूमिनु बिहाज़िहिल अहादीषि व ला नतवहहमु फ़ीहा तशबीहन व ला नक़लु कैफ़ या'नी अहले-सुन्नत वल जमाअत के तमाम अहले-इल्म का क़ौल है कि हम बिला चूँ व चरा अहादीष पर ईमान लाते हैं और इसमें तशबीह का वहम नहीं करते और न हम कैफ़ियत की बहष में जाते हैं।

बाब 9 : स़दका उस ज़माने से पहले कि लेने वाले कोई बाक़ी न रह जाए

1411. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने

١٤١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ سَمِعَ
أَبَا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ
ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ
تَمَرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ
إِلَّا الطَّيِّبَ - فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ
يَرْتَبُهَا لِصَحَابِهِ كَمَا يَرْتَبِي، أَحَدَكُمْ فَلَوْةٌ،
حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)).

تَابَعَهُ سَلِيمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ . وَقَالَ وَرَقَاءُ
عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَبِي مَرْثَمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرنه بی : ٧٤٣٠]

٩ - بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

١٤١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने हारिष बिन वुहैब (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था कि स़दका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख़्स अपने माल का स़दका लेकर निकलेगा और कोई उसे कुबूल करने वाला नहीं पाएगा।

(दीगर मक़ाम : 1424, 7120)

तशीह :

जिसके पास स़दका लेकर जाएगा वो ये जवाब देगा कि अगर तुम कल उसे लाए होते तो मैं ले लेता। आज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। क़यामत के करीब ज़मीन की सारी दौलत बांहर निकल आएगी और लोग बहुत कम रह जाएँगे। ऐसी हालत में किसी को माल की हाज़त न होगी। हदीष का मतलब ये है कि इस वक़्त को ग़नीमत जानो जब तुममें मुहताज़ हैं और जितनी हो सके ख़ैरात दो। इस हदीष से ये भी निकला कि क़यामत के करीब ऐसे जल्दी-जल्दी इंकिलाब होंगे कि आज आदमी मुहताज़ है कल मालदार होगा। आज इस दौर में ऐसा ही हो रहा है। सारी रूप ज़मीन पर एक तूफ़ान बरपा है मगर वो ज़माना अभी दूर है कि लोग ज़कात व स़दकात लेने वाले बाक़ी न रहेंगे।

1412. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुअब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे अब्दुरह्मान बिन हुर्मुज़ अल अअरज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया क़यामत आने से पहले माल-दौलत की इस क़दर क़षरत हो जाएगी और लोग इस क़दर मालदार हो जाएँगे कि उस वक़्त साहिबे-माल को इसकी फ़िक्र होगी कि उसकी ज़कात कौन कुबूल करे और अगर किसी को देना भी चाहेगा तो उसको ये जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी हाज़त नहीं है।

(राजेअ : 80)

क़यामत के करीब जब ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी, तब ये हालत पेश आएगी।

1413. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, कहा कि हमें सअदान बिन बिशर ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबू मुजाहिद सअद त्राई ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहिल बिन ख़लीफ़ा त्राई ने बयान किया, कहा कि मैंने अदी बिन हातिम त्राई (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद था कि दो शख़्स आए, एक फ़क्रो-फ़ाक्रा की शिकायत लिये हुए था और दूसरे को रास्तों के ग़ैर-महफूज़ होने की शिकायत थी। इस

قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((تَصَدَّقُوا، فَإِنَّه يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا)). [طرفاه ن: ١٤٢٤، ٧١٢٠].

١٤١٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ، فَيَبْغِضُ، حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَغْرِبَ يَقُولَ الَّذِي يَغْرِبُ عَلَيْهِ : لَا أَرَبَ لِي)). [راجع: ٨٥]

١٤١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَجْلُ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِي قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حَتِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَفَجَاءَهُ

पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जहाँ तक रास्तों के ग़ैर-महफूज़ होने का ता'ल्लुक है तो बहुत जल्द ऐसा ज़माना आने वाला है कि जब एक क़ाफ़िला मक्का से किसी मुहाफ़िज़ के बग़ैर निकलेगा (और उसे रास्ते में कोई ख़तरा न होगा) और रहा फ़क्रो-फ़ाक्रा तो क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक (माल-दौलत की क़य़रत की वजह से ये हाल न हो जाए कि) एक शख़्स अपना सदक़ा लेकर तलाश करे लेकिन कोई उसे लेने वाला न मिले। फिर अल्लाह तआला के सामने एक शख़्स इस तरह खड़ा होगा कि उसके और अल्लाह तआला के दरम्यान कोई पर्दा न होगा और न तर्जुमानी के लिये कोई तर्जुमान होगा। फिर अल्लाह तआला उससे पूछेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में माल नहीं दिया था? वो कहेगा कि हाँ दिया था। फिर अल्लाह तआला पूछेगा कि क्या मैंने तेरे पास पैग़म्बर नहीं भेजा था? वो कहेगा कि हाँ भेजा था। फिर वो शख़्स अपनी दाईं तरफ़ देखेगा तो आग के सिवा और कुछ नज़र नहीं आएगा फिर बाईं तरफ़ देखेगा, उधर भी आग ही आग होगी। पस तुम्हें जहन्नम से डरना चाहिये, ख़वाह एक खज़ूर के टुकड़े ही (का सदक़ा करके उससे अपना बचाव कर सको) अगर ये भी मयस्सर न आ सके तो अच्छी बात ही मुँह से निकाले।

(दीगर मक़ाम : 1417, 3595, 6032, 6539, 6540, 6563, 7443, 7512)

رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا يَشْكُوا الْعَيْلَةَ، وَالْآخَرَ
يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
: ((أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ
إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِزْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ
خَفِيرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ
حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدَ مَنْ
يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ
اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ
يُتْرَجَمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُؤْتِكَ
مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ : أَلَمْ
أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى.
فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ
يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ.
فَلَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)).

[أطرافه في : ١٤١٧، ٣٥٩٥، ٦٠٢٣،

٦٥٣٩، ٦٥٤٠، ٦٥٦٣، ٧٤٤٣]

[٧٥١٢]

तशरीह:

ये भी एक बड़ा सदक़ा है या'नी अगर ख़ैरात न दे तो उसको नरमी से ही जवाब दे कि इस वक़्त में मजबूर हूँ, मुआफ़ कर दो, लड़ना-झगड़ना मना है। तर्जुमान वो है जो तर्जुमा करके बन्दे का कलाम अल्लाह से अर्ज़ करे और अल्लाह का इशार्द बन्दे को सुनाए बल्कि खुद अल्लाह पाक कलाम फ़र्माएगा। इस हदीष से उन लोगों का रद्द हुआ जो कहते हैं कि अल्लाह का कलाम में आवाज़ और हरूफ़ नहीं, अगर आवाज़ और हरूफ़ न हों तो बन्दा सुनेगा कैसे और समझेगा कैसे? (वहीदी)

इस हदीष में ये पेशगोई भी है कि एक दिन अरब में अमनो-अमान आम होगा, चोर-डाकू आम तौर पर खत्म हो जाएँगे, यहाँ तक कि क़ाफ़िले मक्का शरीफ़ से (ख़फ़ीर) के बग़ैर निकला करेंगे। ख़फ़ीर उस शख़्स को कहा जाता था जो अरब में हर क़बीले से क़ाफ़िला के साथ सफ़र करके अपने क़बीले की सरहद अमन व आफ़ियत के साथ पार करा देता था वो रास्ता भी बतलाता और लूटमार करने वालों से भी बचाता था।

आज इस चौदहवीं सदी में हुकूमते अरबिया सज़ुदिया ने हरमैन-शरीफ़िन को अमन का इस क़दर गहवारा बना दिया है कि मजाल नहीं कि कोई किसी पर दस्तअंदाज़ी कर सके। अल्लाह पाक इस हुकूमत को कायम रखे और हासिदीन (ईष्या करने वालों) व मुआनिदीन (बुराई करने वालों) के ऊपर इसको हमेशा ग़लबा अत्ता करे। आमीन!

1414. हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ

कि हमसे अबू उसामा (हम्माद बिन उसामा) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे बुर्दा बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबूबुर्दा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि लोगों पर ज़रूर एक ज़माना ऐसा आएगा कि एक शख्स सोने का स़दका लेकर निकलेगा लेकिन कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा और ये भी होगा कि एक मर्द की पनाह में चालीस-चालीस औरतें हो जाएंगी क्योंकि मर्दों की कमी हो जाएगी और औरतों की ज़्यादाती होगी।

क़यामत के करीब या तो औरतों की पैदाइश बढ़ जाएगी, मर्द कम हो जाएँगे या लड़ाइयों की क़षरत से मर्दों की क़िल्लत हो जाएगी। ऐसा कई दफ़ा हो चुका है।

बाब 10 : इस बारे में कि जहन्नम की आग से बचो ख़्वाह ख़जूर के एक टुकड़े या किसी मा'मूली स़दके के ज़रिये हो

और (कुआन मजीद में है) व मषलुल्लज़ीन युन्फ़िकून अम्वालहुम उन लोगों की मिषाल जो अपना माल ख़र्च करते हैं, से फ़र्माने बारी व मिन कुल्लिषमराति तक

ये आयत सूरह बकर: के रूकूअ 35 में है। इस आयत और हदीष से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि स़दका थोड़ा हो या बहुत हर तरह उस पर श़वाब मिलेगा क्योंकि आयत में मुत्लक़ अम्वालहुम का ज़िक्र है जो क़लील और क़षीर सबको शामिल है।

1415. हमसे अबू कुदामा उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अबुन नोअमान हकम बिन अब्दुल्लाह बसरी ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा बिन हज्जाज ने बयान किया, उनसे सुलैमान आ'मश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अबू मसूद अन्सारी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब आयत स़दका नाज़िल हुई तो हम बोझ ढोने का काम किया करते थे। (ताकि इस तरह जो मज़दूरी मिले उसे स़दका कर दिया जाए) इसी ज़माने में एक शख्स (अब्दुरहमान बिन औफ़) आया और उसने स़दके के तौर पर काफ़ी चीज़ें पेश कीं। इस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि ये आदमी रियाकार है। फिर एक और शख्स (अबू अक़ील नामी) आया और उसने सिर्फ़ एक साअ का स़दका किया। उसके बारे में लोगों ने ये कह दिया कि अल्लाह तआला को एक साअ स़दका की क्या हाज़त है? इस पर ये आयत नाज़िल हुई, वो लोग जो उन

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُورِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْدُنَّ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)).

۱- بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ - وَإِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَمَنْ كُلُّ التَّمَرَاتِ﴾.

۱۴۱۵ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّمِيمِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي وَإِيلَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحْمِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَاءٍ. وَجَاءَ رَجُلٌ فَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا. فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ﴾ (الآية)).

मोमिनों पर ऐब लगाते हैं जो सद्का ज्यादा देते हैं और उन पर भी जो मेहनत से कमाकर लाते हैं। (और कम सद्का करते हैं) आखिर तक। (दीगर मक़ाम : 1416, 2272, 6468, 4669)

[أطرافه فی : ١٤١٦، ٢٢٧٢، ٤٦٦٨، ٤٦٦٩]

तशरीह :

ये ता'ना मारनेवाले कमबख्त मुनाफ़िक़ीन थे, उनको किसी तरह चैन न था। हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ ने अपना आधा माल आठ हज़ार दिरहम सद्का कर दिया तो उनको रियाकार कहने लगे। अबू अक़ील (रज़ि.) बेचारे ग़रीब ने मेहनत मजदूरी से कमाई करके एक साअ ख़जूर अल्लाह की राह में दी तो इस पर ठठा मारने लगे कि अल्लाह को उसकी ज़रूरत न थी।

अरे मर्दूदों! अल्लाह को तो किसी चीज़ की एहतियाज (ज़रूरत) नहीं। आठ हज़ार क्या आठ करोड़ हो तो उसके आगे बेहक़ीक़त है। वो दिल की निव्यत को देखता है। एक साअ ख़जूर भी बहुत है। एक ख़जूर भी कोई खुलूस के साथ हलाल माल से दे तो वो अल्लाह के नज़दीक़ मक्बूल है। इज़ील शरीफ़ में है कि एक बुढ़िया ने ख़ैरात में एक दमड़ी दी, लोग उस पर हँसे। हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़र्माया कि इस बुढ़िया की ख़ैरात तुम सबसे बढ़कर है। (वहीदी)

1416. हमसे सईद बिन यह्या ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ'मश ने बयान किया, उनसे शक़ीक़ ने और उनसे अबू मस्क़द अन्सारी (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब हमें सद्का करने का हुक्म दिया तो हम में से बहुत से बाज़ार जाकर बोझ उठाने की मजदूरी करते और इस तरह एक मुद (अनाज या ख़जूर वगैरह) हासिल करते। (जिसे सद्का कर देते) लेकिन आज हम में से बहुत सों के पास लाख-लाख (दिरहमो-दीनार) मौजूद है। (राजेअ : 1415)

١٤١٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيبِ بْنِ أَبِي سَعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحَامِلُ، فَيَصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنْ لَبِصْتِهِمْ الْيَوْمَ لِمَاةِ أَلْفٍ)). [راجع: ١٤١٥]

1417. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया और उनसे अबू इस्हाक़ अम्र बिन अब्दुल्लाह सबीई ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मअक़िल से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अदी बिन हातिम (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये कहते सुना कि जहन्नम से बचो अगरचे ख़जूर का एक टुकड़ा दे कर ही सही। (मगर ज़रूर सद्का करके दोज़ख़ की आग से बचने की कोशिश करो)

١٤١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)). [راجع: ١٤١٣]

तशरीह :

इन दोनों अहादीष से सद्के की फ़जीलत ज़ाहिर है और ये भी कि दौरे अब्वल में सहाबा किराम (रिज) जबकि वो खुद निहायत तंगी की हालत में थे, उस पर भी उनको सद्का ख़ैरात का किस दर्जा शौक था कि खुद मजदूरी करते, बाज़ार में कुली बनते, खेतों में काम करते, फिर जो हासिल होता उसमें ग़रीबों व मिस्कीन मुसलमानों को इमदाद करते। अहले इस्लाम में ये ज़ब्बा उस चीज़ का यक़ीनी षुबूत है कि इस्लाम ने अपने पैरोकारों में बनी नोअे इंसान के लिये हमदर्दी व सुलूक का ज़ब्बा कूट-कूटकर भर दिया है। कुआन मजीद की आयत हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून (आले इमरान : 92) में अल्लाह पाक ने रबत दिलाई है कि सद्का व ख़ैरात में घटिया चीज़ न दो बल्कि प्यारी से प्यारी चीज़ों का सद्का करो। बरख़िलाफ़ उसके बख़ील की हददर्जा मुजम्मत की गई और फ़र्माया कि बख़ील जन्नत की बूतक न पा सकेंगे। यही सहाबा किराम (रिज) थे जिनका हाल आपने सुना फिर अल्लाह ने इस्लाम की बरकत से उनको इस क़दर बढ़ाया कि लाखों के मालिक बन गए।

हदीष लौ बिशिक्रि तम्तिन में मुख्तलिफ़ तरीकों से वारिद हुई है। तबरानी में है, इजअलू बैनकुम व बैनन्नारि हिजाबन व लौ बिशिक्रि तम्तिन (और जहन्नम के दरम्यान सदका करके हिजाब पैदा करो अगरचे सदका एक खजूर की फाँक ही क्यों न हो। नीज़ मुस्नद अहमद में यूँ है कि लियत्तकि अहदुकुम वज्हहू व लौ बिशिक्रि तम्तिन या'नी तुमको अपना चेहरा आग से बचाना चाहिये जिसका वाहिद ज़रिया सदका है अगरचे वो आधी खजूर ही क्यों न हो और मुस्नद अहमद ही में हदीषे आइशा (रज़ि) से यूँ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने खुद हज़रत आइशा (रज़ि.) को खिताब फ़र्माया या आइशतु इस्तततिरी व लौ बिशिक्रि तम्तिन अल्हदीष या'नी ऐ आइशा! जहन्नम से पर्दा करो चाहे वो खजूर की एक फाँक ही के साथ क्यों न हो।

आखिर में अल्लामा हाफिज़ इब्ने हज़र (रह.) फर्माते हैं, व फ़िल हदीषि अल्हदुषु अलम्सदकति बिमा क़ल्ल व मा जल्ल व अल्ला यहतकिर मा यतसदकु बिही व अन्नल यसीर मिनम्सदकति यस्तिरुल मुतसदिक़ मिनन्नारि (फ़तहल बारी) या'नी हदीष में तर्गीब है कि थोड़ा हो या ज़्यादा सदका बहरहाल करना चाहिये और थोड़े सदके का हक़ीर न जानना चाहिये कि थोड़े से थोड़ा सदका मुतसदिक़ (सदका करने वाले) के लिये दोज़ख़ से हिजाब बन सकता है।

1418. हमसे बिशर बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें मअमर ने जुहदी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन हज़म ने बयान किया, उनसे उर्वा बिन जुबैर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि एक औरत अपनी दो बच्चियों को लिये माँगती हुई आई। मेरे पास एक खजूर के सिवा उस वक़्त कुछ भी नहीं था, मैंने वही दे दी। वो एक खजूर उसने अपने दोनों बच्चों में तक्सीम कर दी और खुद नहीं खाई। फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे उसका हाल बयान किया। आपने फ़र्माया कि जिसने बच्चों की वजह से खुद को मा'मूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बच्चियाँ उसके लिये दोज़ख़ से बचाव के लिये आड़ बन जाएँगी।

(दीगर मक़ाम : 5995)

तशरीह : इस हदीष की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यूँ है कि औरत ने एक खजूर के दो टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों को दे दिये जो निहायत क़लील (छोटा) सदका था और बावजूद उसके आँहज़रत (ﷺ) ने उसको दोज़ख़ से बचाव की बशारत दी। मैं कहता हूँ इस तकल्लुफ़ की हाज़त नहीं। बाब में दो मज़मून थे एक तो खजूर का टुकड़ा देकर दोज़ख़ से बचना, दूसरे क़लील सदका देना। तो अदी की हदीष से पहला मतलब प्राबित हो गया और हज़रत आइशा (रज़ि) की हदीष से दूसरा मतलब। उन्होंने बहुत क़लील सदका दिया या'नी एक खजूर। (वहीदी)

इससे हज़रत आइशा (रज़ि.) की सदका ख़ैरात के लिये हिर्स भी प्राबित हुई और ये इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ला यर्जिअ मिन इन्दिकि साइलुन व लौ बिशिक्रि तम्तिन रवाहुल बज़्जार मिन हदीषि अबी हुदैरत (फ़तह) या'नी तुम्हारे पास से किसी साइल को ख़ाली हाथ न जाना चाहिये, अगरचे खजूर की आधी फाँक ही क्यों न हो।

बाब 11 : तन्दुरुस्ती और माल की ख़्वाहिश के ۱۱ - بَابُ أَيِّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

۱۴۱۸ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْتِنَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتَهَا إِيَّاهَا، فَكَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْتِنَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَنْ ابْتَلَى مِنْ هَلْوِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)).

[طرفه في : ۵۹۹۵].

जमाने में सद्का देने की फ़ज़ीलत

और अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जो रिज़क मैंने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुमको मौत आ जाए

और अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ऐ ईमान वालों! मैंने तुम्हें जो रिज़क दिया है उसमें से खर्च करो; इससे से पहले की वो दिन (क्रयामत) आ जाए जब न ख़रीद-फ़रोख़्त होगी और न दोस्ती और न शफ़ाअत आख़िर तक।

इन दोनों आयतों से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि सद्का करने में जल्दी करनी चाहिये ऐसा न हो कि मौत आ दबोचे। उस वक़्त अफ़सोस से हाथ मलता रहे कि अगर मैं और ज़िन्दा रहता तो सद्का देता, ये करता वो करता। बाब का मतलब भी करीब-करीब यही है। (वहीदी)

1419. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्मारा बिन क़अकाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़रआ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हु़रैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! किस तरह के सद्के में ज़्यादा षबाब है? आपने फ़र्माया कि उस सद्के में जिसे तुम सेहत के साथ बुख़ल के बावजूद करो। तुम्हें एक तरफ़ तो फ़क़ीरी का डर हो और दूसरी तरफ़ मालदार बनने की तमन्ना और उम्मीद हो और (उस सद्का-ख़ैरात में) ढील न होनी चाहिये कि जब जान हलक़ तक आ जाए तो उस वक़्त तू कहने लगे कि फ़लाँ के लिये इतना और फ़लाँ के लिये इतना, हालाँकि वो तो अब फ़लाँ का हो चुका। (दीगर मक़ाम : 2748)

وَصَدَقَةَ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ إِلَى آخِرِهَا [المالكون : ١٠] الآية.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا تَبِخُ فِيهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٤] الآية.

١٤١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْفَيْسَى، وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)).

[طرفه في : ٢٧٤٨].

تشریح :

हदीष में तर्ज़ीब है कि तंदरुस्ती की हालत में जबकि माल की मुहब्बत भी दिल में मौजूद हो, सद्का ख़ैरात की तरफ़ हाथ बढ़ाना चाहिये, न कि जब मौत करीब आ जाए और जान हलक़ में पहुँच जाए। मगर ये शरीअत की मेहरबानी है कि आख़िर वक़्त तक भी जबकि होश व ह्वास कायम हों, मरने वालों को तिहाई माल की वसियत करना जाइज़ करार दिया है, वरना अब वो माल तो मरने वाले की बजाय वारिषों का हो चुका है। पस अक्लमन्दी का तकाज़ा यही है कि तन्दरुस्ती में ह्स्बे तौफ़ीक़ सद्का व ख़ैरात में जल्दी करनी चाहिये और याद रखना चाहिये कि गया वक़्त फिर वापस हाथ नहीं आता।

बाब 12 :

- بَابٌ -

1420. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

अबूअवाना वजाहस्करी ने बयान किया, उनसे फरास बिन यह्या ने, उनसे शुअबी ने, उनसे मस्कूक ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की बाज़ बीवियों ने आपसे पूछा कि सबसे पहले हममें से आखिरत में आपसे कौन जाकर मिलेगी तो आपने फ़र्माया, जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लम्बा होगा। अब हमने लकड़ी से नापना शुरू कर दिया तो सौदा (रज़ि.) सबसे लम्बे हाथ वाली निकली। हमने बाद में समझा कि लम्बे हाथ वाली होने से आपकी मुराद सद्का ज़्यादा करने वाली से थी। और सौदा (रज़ि.) ही सबसे पहले नबी करीम (ﷺ) से जाकर मिलीं, सद्का करना आपको बहुत महबूब था।

فَالْحَدِيثُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ)) ((أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحُوقًا؟)) فَال: ((أَطْوَلُكُمْ يَدًا)). فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَنْدَرُغُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةَ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا. فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدَيْهَا الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحُوقًا بِهِ ﷺ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ)).

तशरीह:

अक़्बुर इलमा ने कहा कि तूले यदहा और कानत की ज़मीरों में से हज़रत ज़ैनब मुराद हैं मगर उनका ज़िक्र इस रिवायत में नहीं है क्योंकि इस अमर से इतिफ़ाक़ है कि आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद बीवियों में से सबसे पहले हज़रत ज़ैनब का ही इतिक़ाल हुआ था। लेकिन इमाम बुखारी (रह.) ने तारीख़ में जो रिवायत की है उसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा (रज़ि.) की सराहत है और यहाँ भी इस रिवायत में हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम आया है और ये मुश्किल है और मुष्किन है यूँ जवाब देना कि जिस जल्से में ये सवाल आँहज़रत (ﷺ) से हुआ था वहाँ हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) मौजूद न हों और जितनी बीवियाँ वहाँ मौजूद थीं, उन सबसे पहले हज़रत सौदा (रज़ि.) का इतिक़ाल हुआ। मगर इब्ने हिब्वान की रिवायत में यूँ है कि उस वक़्त आपकी सब बीवियाँ मौजूद थीं, कोई बाकी न रही थी, उस हालत में ये अन्देशा भी नहीं चल सकता। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं,

क़ाल लना मुहम्मदुब्नु उमर यअनी अल्वाक़िदी हाज़ल्हदीषु व हल फ़ी सौदत इन्नमा हुव फ़ी ज़ैनब बिन्ति जहश फहिय अव्वलु निसाइही बिही लुहक़न व तुवफ़ियत फ़ी ख़िलाफ़ति उमर व बक्रियत सौदतु इला अन तुवफ़ियत फ़ी ख़िलाफ़ति मुआवियत फ़ी शव्वाल सनत अर्बइंव्व खम्सीन क़ाल इब्नु बत्ताल हाज़ल्हदीषु सुक़ित मिन्हु ज़िक़रु ज़ैनब लिइत्तिफ़ाकि अहलिस्सियरि अला अन्न ज़ैनब अव्वलु मम्मात मिन अज्वाजिन्नबिय्यि (ﷺ) यअनी अन्नस्वाब व कानत ज़ैनबु अस्रउना (अलख) व लाकिन युन्करु अला हाज़त्तावीलि तिल्क रिवायातुल्मुतक़दमतु लमुस्सिहू फ़ीहा बिअन्नज़्ज़मीर लि सौदत व किरातु बिखत्तिल्हाफ़िज़ि अबी अली अस्मदफ़ी ज़ाहिरु हाज़ल्लफ़िज़ि अन्न सौदत कानत अस्रअ व हुव ख़िलाफ़ल्म अरूफ़ि इन्द अहलिइल्मि अन्न ज़ैनब अव्वलु मम्मात मिन्नज्वाति घुम्म नक़लहू अन मालिक मिन रिवायतिही अनिल्वाक़िदी क़ाल युक्व्वीहि रिवायतु आइशत बिन्ति तल्हत व क़ाल इब्नुल्जौजी हाज़ल्हदीषु गलतुन मिम्बअज़िर्वातिल्अजबि मिनलबुखारी कैफ़ लम युनब्बिह अलैहि व इल्ला अस्हाबुहू अत्तआलीकु व ला इलिम बिफ़सादिन ज़ालिकल्खत्ताबी फइन्हू फस्सरहू व क़ाल लुहक़कु सौदत बिही इल्मुन मिन आलामिन्नुबुव्वति व कुल्लु ज़ालिक व हमुन इन्नमा कमा र्वाहु मुस्लिम मिन्न तरीक़ि आइशत बिल्फ़िज़ि कान अत्तवलुनायदन ज़ैनबु लिन्नहा कानत तअमलु व तत्सद्क व फ़ी रिवायति कानत ज़ैनबु इम्मतन सन्नाअतन बिल््यदि व कानत तदबगु व तख़रुजु व तसद्क फ़ी सबीलिल्लाहि.

या'नी हमसे वाक़िदी ने कहा कि इस हदीष में रावी से भूल हो गई है। दरहकीक़त सबसे पहले इतिक़ाल करने वाली ज़ैनब ही हैं जिनका इतिक़ाल हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त में हुआ और हज़रत सौदा (रज़ि.) का इतिक़ाल ख़िलाफ़ते मुआविया (रज़ि.) 54 में हुआ। इब्ने बत्ताल ने कहा कि इस हदीष में हज़रत ज़ैनब का ज़िक़र साक़ि़त हो गया है क्योंकि अहले सीरत का इतिफ़ाक़ है कि उम्माहातुल मोमिनीन में सबसे पहले इतिक़ाल करनेवाली ख़ातून हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश ही हैं और

जिन रिवायतों में हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम आया है उनमें रावी से भूल हो गई है। इब्ने जौज़ी ने कहा है कि उसमें कुछ रावियों ने गलती से हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम ले लिया है और तअज्जुब है कि हज़रत इमाम बुखारी (रह.) को इस पर इत्तिला न हो सकी और न उन अफ़्हाबे तअलीक़ को जिन्होंने यहाँ हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम लिया है और वो हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ही है जैसा कि मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हममें सबसे ज़्यादा दराज़ हाथ वाली (या'नी स़दक़ा—ख़ैरात करने वाली) हज़रत ज़ैनब थीं। वो सूत काता करती थीं और दीगर मेहनत और मशक़त दबागत बग़ैरह करके पैसा हासिल करतीं और फ़ी सबीलिल्लाह स़दक़ा—ख़ैरात किया करती थीं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नाप के लिहाज़ से हज़रत सौदा (रज़ि.) के हाथ लम्बे थे, नबी (ﷺ) की बीवियों ने शुरू में यही समझा कि दराज़ हाथ वाली बीवी का इतिक़ाल पहले होना चाहिये। मगर जब हज़रत ज़ैनब का इतिक़ाल हो गया तो ज़ाहिर हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) की मुराद हाथों का दराज़ होना न था बल्कि स़दक़ा—ख़ैरात करने वाले हाथ मुराद थे और ये सबक़त हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) को हासिल थी, पहले उन्हीं का इतिक़ाल हुआ, मगर कुछ रावियों ने अपनी लाइल्मी की वजह से सौदा (रज़ि.) का नाम ले लिया। कुछ उलमा ने ये तत्बीक़ भी दी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने जिस वक़्त ये इर्शाद फ़र्माया था इस मज्मअे में हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) नहीं, आपने उस वक़्त की हाज़िर होने वाली बीवियों के बारे में फ़र्माया और उनमें से पहले हज़रत सौदा (रज़ि.) का इतिक़ाल हुआ मगर इस तत्बीक़ पर भी कलाम किया गया है।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहदिष देहलवी फ़र्माते हैं। वल्हदीषु यूहिमु ज़ाहिरुहू अन्न अब्वल मम्मातत मिन उम्महातिल्मुमिनीन बअद वफ़ातिही (ﷺ) सौदत व लैस कज़ालिक फतअम्मल व ला तअज्जल फ़ी हाजल्मक़ाम फइन्नहू मिम्मज़ालिकिल्अक़दाम. (शरह तराजुम अब्बाबे बुखारी)

बाब 12 : सबके सामने स़दक़ा करना जाइज़ है और अल्लाह तआलाने (सूरह बक्रः में) फ़र्माया कि जो लोग अपने माल ख़र्च करते हैं सांत में और दिन में, पोशीदा तौर पर और ज़ाहिर, उन सबका उनके ख़ब के पास ध़वाब मिलेगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा और न उन्हें किसी क्रिस्म का ग़म होगा

١٢ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَايَةِ

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة : ٢٧٤].

इस आयत से ऐलानिया ख़ैरात करने का जवाज़ निकला। गो पोशीदा (छुपाकर) ख़ैरात करना बेहतर है क्योंकि उसमें रिया का अदेशा नहीं। कहते हैं कि ये आयत हज़रत अली (रज़ि.) की शान में उतरी। उनके पास चार अशरफ़ियाँ थीं। एक दिन को दी, एक रात को दी, एक ऐलानिया, एक छुपकर (वहीदी)

यहाँ हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने बाब के मज़मून को मुदल्लल करने के लिये सिर्फ़ आयते कुर्आनी का नक़ल करना काफ़ी समझा। जिनमें ज़ाहिर लफ़्ज़ों में बाब का मज़मून मौजूद है।

बाब 13 : छुपकर ख़ैरात करना अफ़ज़ल है

١٣ - بَابُ صَدَقَةِ السَّرِّ

और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है कि, एक शख्स ने स़दक़ा किया और उसे इस तरह छुपाया कि उसके बाएँ हाथ को ख़बर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने क्या ख़र्च किया है। और अल्लाह तआलाने फ़र्माया, अगर तुम स़दक़े को ज़ाहिर कर दो तो ये भी अच्छा है और अगर पोशीदा तौर पर दो और दो फुकरा को तो ये भी तुम्हारे लिये बेहतर है और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ جِمَالُهُ مَا تَفِيقَ يَمِينِهِ)).
وَقَوْلُهُ: ﴿إِنْ تَبَدَّلُوا الصَّدَقَاتِ فَعِيمًا هِيَ وَإِنْ تُعْطَوْهَا وَتَوَدُّوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا

खबरदार है। (अल बक्रर: : 271)

तशरीह:

यहाँ हज़रत इमाम ने बाब के मज़मून को प्राबित करने के लिये हदीषे नबवी और आयते कुर्आनी दोनों से इस्तिदलाल फ़र्माया, मक़सद रियाकारी से बचना है। अगर उससे दूर रहकर सद्का दिया जाए तो ज़ाहिर हो या पोशीदा हर तरह से दुरुस्त है और अगर रिया का एक शाइबा भी नज़र आए तो फिर इतना पोशीदा दिया जाए कि बाएँ हाथ को भी खबर न हो। अगर सद्का ख़ैरात ज़कात में रिया नमूद का कुछ दख़ल हुआ तो वो सद्का व ख़ैरात व ज़कात मालदार के लिये उलटा वबाले जान हो जाएगा।

बाब 14 : अगर लाइल्मी में किसी ने मालदार को सद्का दे दिया (तो उस को प्रवाब मिल जाएगा)

1421. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने खबर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे अअरज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक शख़्स ने (बनी इस्राईल में से) कहा कि मुझे ज़रूर सद्का (आज रात) देना है। चुनाँचे वो अपना सद्का लेकर निकला और (नावाक्रिफ़ी से) एक चोर के हाथ में रख दिया। सुबह हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आज रात किसी ने चोर को सद्का दे दिया। उस शख़्स ने कहा कि ऐ अल्लाह! तमाम ता'रीफ़ तेरे ही लिये है। (आज रात) मैं फिर ज़रूर सद्का करूँगा। चुनाँचे वो दोबारा सद्का लेकर निकला और इस मर्तबा एक फ़ाहिशा (बदकार औरत) के हाथ में दे आया। जब सुबह हुई तो फिर लोगों में चर्चा हुआ कि आज रात किसी ने फ़ाहिशा औरत को सद्का दे दिया। उस शख़्स ने कहा ऐ अल्लाह! तमाम ता'रीफ़ तेरे ही लिये है, मैं ज़ानिया को अपना सद्का दे आया। अच्छा आज रात फिर ज़रूर सद्का निकालूँगा। चुनाँचे अपना सद्का लिये हुए वो फिर निकला और इस मर्तबा एक मालदार के हाथ पर रख दिया। सुबह हुई तो लोगों की ज़बान पर ज़िक्र था कि एक मालदार को किसी ने सद्का दे दिया है। उस शख़्स ने कहा कि ऐ अल्लाह! हम्द तेरे ही लिये है। मैंने अपना सद्का (लाइल्मी से) चोर, फ़ाहिशा और मालदार को दे आया। (अल्लाह तआला की तरफ़ से) बतलाया गया कि जहाँ तक चोर के हाथ में सद्का चले जाने का सवाल है तो उसमें इसका इम्कान है कि वो चोरी से रुक जाए, इसी तरह फ़ाहिशा को सद्के का माल मिल जाने पर इसका इम्कान है कि वो ज़िना से रुक जाए और मालदार के हाथ में पड़

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿[البقرة : 271] الآية.

۱۴ - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

۱۴۲۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لِاتَّصَدَّقَنُ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لِاتَّصَدَّقَنُ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لِاتَّصَدَّقَنُ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَتَى فَعِيلٌ لَهُ: أَمَا صَدَقْتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّ أَنْ يَسْتَعِيفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَا الزَّانِيَةَ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِيفَ عَنِ زَنَائِمَا، وَأَمَا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَغْتَبِرُ، فَيَنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ)).

जाने का ये फ़ायदा है कि उसे इब्रत हो और फिर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे दिया है, वो ख़र्च करे।

तशरीह: इस हदीष बनी इस्राईल के एक सखी का ज़िक्र है जो स़दका ख़ैरात तक्सीम करने की निय्यत से रात को निकला मगर उसने लाइल्मी में पहली रात में अपना स़दका एक चोर के हाथ पर रख दिया और दूसरी रात में एक फ़ाहिशा औरत को दे दिया और तीसरी रात में एक मालदार को दे दिया, जो मुस्तहिक्र न था। ये सब कुछ लाइल्मी में हुआ। बाद में जब ये वाकिआत उसको मा'लूम हुए तो उसने अपनी लाइल्मी का इकरार करते हुए अल्लाह की हम्द बयान की गोया ये कहा अल्लाहुम्म लकल्हम्दु अय ला ली इन्न सदकती वक्रअत बियदि मल्ला यस्तहिक्रकुहा फलकल्हम्दु हैषु कान ज़ालिक बिइरादतिक अय ला बिइरादती फइन्न इरादतल्लाहि कुल्लहा जमीलतुन. या'नी या अल्लाह! हम्द तेरे लिये ही है न कि मेरे लिये। मेरा स़दका ग़ैर मुस्तहिक्र के हाथ में पहुँच गया पस हम्द तेरे ही लिये है। इसलिये कि ये तेरे ही इरादे से हुआ न कि मेरे इरादे से और अल्लाह पाक जो भी चाहे और वो जो इरादा करे वो सब बेहतर ही है।

इमाम बुखारी (रह.) का मक़सदे बाब ये है कि उन हालात में अगरचे ग़ैर मुस्तहिक्र को मिल गया मगर इन्दल्लाह वो कुबूल हो गया। हदीष से भी यही ज़ाहिर हुआ कि नावाकिफ़ी से अगर किसी ग़ैर मुस्तहिक्र को स़दका दे दिया जाए तो उसे अल्लाह कुबूल कर लेता है और देने वाले को ष़वाब मिल जाता है।

लफ़्ज़े स़दका में नफ़ली स़दका और फ़र्ज़ी स़दका या'नी ज़कात दोनों दाख़िल है।

इस्राईली सखी को ख़्वाब में बतलाया गया या हातिफ़े ग़ैब ने ख़बर दी या उस ज़माने के पैग़म्बर ने उससे कहा कि जिन ग़ैर मुस्तहिक्रकीन को तूने ग़लती से स़दका दे दिया, शायद वो इस स़दके से इब्रत हासिल करके अपनी ग़लतियों से बाज़ आ जाएँ। चोर, चोरी से और ज़ानिया, ज़िना से रुक जाए और मालदार को खुद उसी तरह ख़र्च करने की राबत हो। इन सूरतों में तेरा स़दका तेरे लिये बहुत कुछ मोज़िबे अज़्रो ष़वाब हो सकता है। हाज़ा हुवल मुराद।

बाब 15 : अगर बाप नावाकिफ़ी से अपने बेटे को ख़ैरात दे दे कि उसे मा'लूम न हो?

1422. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्राईल बिन यूनस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू जुवैरिया (हत्तान बिन ख़फ़फ़ा) ने बयान किया कि मअन बिन यज़ीद ने उनसे बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे वालिद और दादा (अख़फ़श बिन हबीब) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ पर बैअत की थी। आपने मेरी मंगनी भी करवाई और आप ही ने मेरा निकाह भी पढ़ाया था और मैं आपकी ख़िदमत में एक मुकद्दमा लेकर हाज़िर हुआ था। वो ये कि मेरे वालिद यज़ीद ने कुछ दीनार ख़ैरात की निय्यत से निकले और उनको उन्होंने मस्जिद में एक शख़्स के पास रख दिया। मैं गया और मैंने उनको उससे ले लिया, फिर जब मैं उन्हें लेकर वालिद साहब के पास आया तो उन्होंने फ़र्माया कि क़सम अल्लाह की! मेरा इरादा तुझे देने का नहीं था।

١٥ - بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْثَرِيَّةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلِيٌّ فَأَنكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِيَّو. وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَابِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِلَيْكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَكَ مَا نَوَيْتُ

यही मुकद्दमा मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ और आपने ये फ़ैसला दिया कि देखो यंजीद जो तुमने निय्यत की थी उसका प्रवाब तुमको मिल गया और मअन! जो तूने ले लिया वो अब तेरा हो गया।

يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ

तशरीह :

इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद का यही क़ौल है कि अगर नावाकिफ़ी में बाप बेटे को फ़र्ज़ ज़कात भी दे दे तो ज़कात अदा हो जाती है और दूसरे उलमा कहते हैं कि इआदा (दुहराना) वाजिब है और अहले हदीष के नज़दीक बहरहाल अदा हो जाती है बल्कि अज़ीज़ और क़रीब लोगों को जो मुहताज हो ज़कात देना और ज़्यादा प्रवाब है। सय्यद अल्लामा नवाब सिद्दीक़ हसन खान साहब मरहूम ने कहा कि अनेक दलाइल इस पर कायम हैं कि अज़ीज़ों को ख़ैरात देना ज़्यादा अफ़ज़ल है, ख़ैरात फ़र्ज़ हो या नफ़ल और अज़ीज़ों में शौहर, औलाद की सराहत अबू सईद खुदरी (रज़ि) की हदीष में मौजूद है। (मौलाना वहीदी)

मज़मूने हदीष पर ग़ौर करने से मा'लूम होता है कि नबी करीम (ﷺ) किस क़दर शफ़ीक़ और मेहरबान थे और किस वुस्अते क़ल्बी के साथ आपने दीन का तसव्वुर पेश फ़र्माया था। बाप और बेटे दोनों को ऐसे तौर पर समझा दिया कि दोनों का मक़सद हासिल हो गया और कोई झगड़ा बाक़ी न रहा। आपका इशाद उस बुनियादी उस्ूल पर मब्नी था। जो हदीष इन्नमलआमालु बिन्निय्यात में बतलाया गया है कि अमलों का दरोमदार निय्यतो पर है।

आज भी ज़रूरत है कि इलमा व फ़ुक़हा ऐसी वसीइज़फ़ी (अत्यधिक गम्भीरता) से काम लेकर उम्मत के लिये बजाय मुश्किलात पैदा करने के शरई हूदूद में आसानियाँ बहम पहुँचाएँ और दीने फ़ितरत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़राख़ क़लबी (बड़े दिल) के साथ मुतालाआ करें कि हालाते हाज़रा में उसकी शदीद ज़रूरत है। फ़ुक़हा का वो दौर गुज़र चुका जब एक-एक जुज पर मैदाने मुनाज़रा कायम कर दिया जाता था। जिनसे तंग आकर हज़रत शैख़ सअदी को कहना पड़ा,

फकीहाँ तरीकि जदल साखतन्द लम ला नुसल्लिम दर अन्दाखतन्द

बाब 16 : ख़ैरात दाहिने हाथ से देना बेहतर है

1423. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहा बिन सईद क़त्तान ने बयान किया इब्बैदुल्लाह इमरी से, उन्होंने कहा कि मुझसे खुबैब बिन अब्दुरह्मान ने हफ़्म बिन आसिम से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया सात क्रिस्म के आदमियों को अल्लाह तआला अपने (अर्श) के साये में रखेगा, जिस दिन उसके सिवा और कोई साया न होगा। इन्साफ़ करने वाला हाकिम, वो नौजवान जो अल्लाह तआला की इबादत में जवान हुआ हो, वो शख़्स जिसका दिल हर वक़्त मस्जिद में लगा रहे, दो ऐसे शख़्स जो अल्लाह के लिये मुहब्बत रखते हैं, उसी पर जमा हुए और उसी पर जुदा हुए, ऐसा शख़्स जिसे किसी ख़ूबसूरत और इज़्ज़तदार औरत ने बुलाया लेकिन उसने ये जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इन्सान जो सद्का करे

١٦- بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

١٤٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاوِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَحَابٌ تَشَأُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ

और उसे इस दर्जा छुपाए कि बाएँ हाथ को भी खबर न हो कि दाएँ हाथ ने क्या खर्च किया और वो शख्स जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे और उसकी आँखें आँसुओं से बहने लगे।

(राजेअ: 660)

اللَّهُ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ لَأَخْفَا مَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَلِيًّا لَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

[راجع: ٦٦٠]

तशरीह: क़ायमत के दिन अर्शे अज़ीम का साया पाने वाले ये सात खुश किस्मत इंसान मर्द हा या औरत इन पर हसर नहीं है। कुछ अहदीष में और भी ऐसे नेक आमाल का जिक्र आया है जिनकी वजह से अश अज़ीम का साया मिल सकेगा। कुछ उलमा ने इस मौजूअ पर मुस्तक़िल रिसाले तहरीर फ़र्माए हैं और उन सारे आमाल सालिहा का जिक्र किया है जो क़ायमत के दिन अर्शे इलाही के नीचे साया मिलने का ज़रिया बन सकेंगे। कुछ ने इस फ़हरिस्त को चालीस तक भी पहुँचा दिया है।

यहाँ बाब और हदीष में मुताबक़त उस मुतसद्दि़क़ से है जो अल्लाह की राह में इस क़दर पोशीदा खर्च करता है कि दाएँ हाथ से खर्च करता है और बाएँ हाथ को भी खबर नहीं होती। उससे ग़ायते खुलूस मुराद है।

इसाफ़ करने वाला हाकिम, चौधरी, पंच, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने वाला जवान और मस्जिद से दिल लगाने वाला नमाज़ी और दो बाहमे-इलाही मुहब्बत रखने वाले मुसलमान और साहिबे इस्मत व इफ़्त मर्द या औरत मुसलमान और अल्लाह के डर से आंसू बहाने वाली आँखें ये तमाम आमाले हसना ऐसे हैं कि उन पर कारबन्द होनेवालों को अर्शे इलाही का साया मिलना ही चाहिये। इस हदीष से अल्लाह के अर्श और उसके साये का भी इब्बात हुआ जो कि बिना कैफ़ व कमो तावील तस्लीम करना ज़रूरी है। कुआन पाक की बहुत सी आयात में अर्शे अज़ीम का जिक्र आया है। बिला शक व शुब्हा अल्लाह पाक साहबे अर्शे अज़ीम है। उसके लिये अर्श का इस्तिवा और जिहते फ़ौक़ प्राबित और बरहक़ है जिसकी तावील नहीं की जा सकती और न उसकी कैफ़ियत मा'लूम करने के हम मुकल्लफ़ है।

1424. हमसे अली बिन जअद ने बयान किया, कहा कि हमें शुअबा ने खबर दी, कहा कि मुझे मअबद बिन ख़ालिद ने खबर दी, कहा कि मैंने हारिष बिन वुहैब ख़ुज़ाई (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया कि स़दका किया करो पस अनक़रीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब आदमी अपना स़दका लेकर निकलेगा (कोई उसे कुबूल करले, मगर जब वो किसी को देगा तो वो) आदमी कहेगा कि अगर उसे तुम कल लाए होते तो मैं ले लेता लेकिन आज मुझे इसकी हाजत नहीं रही। (राजेअ: 1411)

١٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبِ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي لِيُهَا)). [راجع: ١٤١١]

प्राबित हुआ कि मर्दे मुख़्लिस अगर स़दका ज़कात ऐलानिया लेकर तक्सीम के लिये निकले बशर्ते कि खुलूस व लिल्लाहियत मदेनज़र हो तो ये भी मज़मूम (निन्दनीय) नहीं है। यूँ बेहतर है कि जहाँ तक हो सके रिया व नमूद से बचने के लिये पोशीदा तौर पर स़दका ज़कात ख़ैरात दी जाए।

बाब 17 : इस बारे में कि जिसने अपने ख़िदमतगार को स़दका देने का हुक्म दिया और खुद अपने हाथ से नहीं दिया

١٧ - بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاولُ بِنَفْسِهِ

और अबू मूसा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से यूँ बयान किया कि खादिम भी सद्का देने वालों में समझा जाएगा।

1425. हमसे इब्मान बिन अबी शौबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरिर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे शक्रीक ने, उनसे मस्कूक ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ खर्च करे और उसकी निधयत शौहर की पूँजी बर्बाद करने की न हो तो उसे खर्च करने का प्रवाब मिलेगा और शौहर को भी उसका प्रवाब मिलेगा कि उसने कमाया है और ख़जान्ची का भी यही हुकम है। एक का प्रवाब दूसरे के प्रवाब में कोई कमी नहीं करता।

(दीगर मक़ाम : 1437, 1439, 1440, 1441, 2065)

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ))

١٤٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَنْسُورٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)).

[أطرافه في : ١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠]

[٢٠٦٥، ١٤٤١]

तशरीह : मतलब ज़ाहिर है कि मालिक के माल की हिफ़ाज़त करने वाले और उसके हुकम के मुताबिक़ उसी में से सद्का ख़ैरात निकालने वाले मुलाज़िम, खादिम, ख़जान्ची सब ही अपनी अपनी हैशियत के मुताबिक़ प्रवाब के मुस्तहिक़ होंगे। यहाँ तक कि बीवी भी जो शौहर की इजाज़त से उसके माल में से सद्का ख़ैरात करे वो भी प्रवाब की मुस्तहिक़ होगी। इसमें एक तरह से खर्च करने की तर्ज़ीब है और दयानत व अमानत की तालीम व तल्कीन है। आयते शरीफ़ा में लन तनालुल बिर् का एक मफ़हूम ये भी है।

बाब 18 : सद्का वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार रह जाए
(बिल्कुल खाली हाथ न हो बैठे)

और जो शख्स ख़ैरात करे कि खुद मुहताज हो जाए या उसके बाल-बच्चे मुहताज हो (तो ऐसी ख़ैरात दुरुस्त नहीं) इसी तरह अगर क़र्ज़दार हो तो सद्का और आज़ादी और हिबा पर क़र्ज़ अदा करना मुक़द्दम होगा और उसका सद्का उस पर फेर दिया जाएगा और उसको ये दुरुस्त नहीं कि (क़र्ज़ न अदा करे और ख़ैरात देकर) लोगों (क़र्ज़ देने वालों) की रक़म तबाह कर दे और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख्स लोगों का माल (बतौर क़र्ज़) तल्फ़ करने (या'नी न देने) की निधयत से ले तो अल्लाह उसको बर्बाद कर देगा। अलबत्ता अगर सब्र व तकलीफ़ उठाने में मशहूर हो तो अपनी ख़ास हाजत पर (क़र्ज़ की हाजत को) मुक़द्दम कर सकता है। जैसे अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने अपना सारा माल ख़ैरात में दे

١٨- بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرِ عَنِي

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُخْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُخْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالِدَيْنِ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعَنِي وَالْهَيْبَةُ، وَهُوَ رَدُّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلَفَ أَمْوَالُ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِبْتِلَاقَهَا أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ))، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْتِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خِصَاصَةٌ، كَفَعَلَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آتَى الْأَنْصَارَ

दिया और इसी तरह अन्सार ने अपनी ज़रूरत पर मुहाजिरीन की ज़रूरियात को मुकद्दम किया और आँहज़रत (ﷺ) ने माल को तबाह करने से मना फ़र्माया है, तो जब अपना माल तबाह करना मना हुआ तो पराये लोगों का माल तबाह करना किस तरह जाइज़ होगा। और कअब बिन मालिक (रज़ि.) ने (जो जंगे तबूख़ से पीछे रह गये थे) अर्ज़ की, या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं अपनी तौबा को इस तरह पूरा करता हूँ कि अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल पर तसद्दुक (सद्का) कर दूँ। आपने फ़र्माया कि नहीं कुछ थोड़ा माल रहने भी दे, वो तेरे हक़ में बेहतर है। कअब ने कहा, बहुत ख़ूब मैं अपने ख़ैर का हिस्सा रहने देता हूँ।

الْمُهَاجِرِينَ.
وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ.
(وَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخِيرَ.

तशरीह : हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस बाब में अहादीषे नबवी और आपारे सहाबा की रोशनी में बहुत से अहम उमूर मुताल्लिके सद्का—ख़ैरात पर रोशनी डाली है। जिनका खुलासा ये है कि इंसान के लिये सद्का ख़ैरात करना उसी वक़्त बेहतर है जबकि वो शरई हुदूद को मद्देनज़र रखे। अगर एक शख्स के अहल व अयाल खुद ही मुहताज हैं या वो खुद दूसरों का कर्ज़दार है फिर इन हालात में भी सद्का करे और न ये अहलो अयाल का ख़याल रखे न दूसरों का कर्ज़ अदा करे तो वो ख़ैरात उसके लिये बाअिषे अज़न न होगी बल्कि वो एक तरह से दूसरों की हक़तलफ़ी करना और जिनको देना ज़रूरी था उनकी रक़म को तलफ़ करना होगा। इशादि नबवी (ﷺ) मन अख़ज़ अम्वालन्नासि युरीदु अत्लाफहा का यही मंशा है। हाँ सन्न और ईषार अलग चीज़ है। अगर कोई हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) जैसा साबिर व शाकिर मुसलमान हो और अंसार जैसा ईषार पेशा हो तो उसके लिये ज़्यादा से ज़्यादा ईषार पेश करना जाइज़ होगा। मगर आजकल ऐसी मिषालें तलाश करना बेकार है। जबकि आजकल ऐसे लोग नापैद (दुर्लभ) हो चुके हैं।

हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) वो बुजुर्गतरिन जलीलुल कद्र सहाबी थे जो जंगे तबूक में पीछे रह गये थे। बाद में उनको जब अपनी ग़लती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी तौबा की कुबूलियत के लिये अपना सारा माल फ़ी सबीलिल्लाह दे देने का ख़याल ज़ाहिर किया। आँहज़रत (ﷺ) ने सारे माल को फ़ी सबीलिल्लाह देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी जायदादे ख़ैबर को बचा लिया, बाकी ख़ैरात कर दिया। उससे भी अंदाज़ा लगाना चाहिये कि कुर्आन व हदीष की ये गर्ज़ हर्गिज़ नहीं कि कोई मुसलमान अपने अहलो—अयाल से बेनियाज़ होकर अपनी जायदाद फ़ी सबीलिल्लाह बख़श दे और वारिषीन को मुहताज मुफ़लिस करके दुनिया से जाए। ऐसा हर्गिज़ न होना चाहिये कि ये वारिषीन की हक़तलफ़ी होगी। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष सय्यिदना हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का यही मंशा-ए-बाब है।

1426. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें जुहरी ने, उन्होंने कहा मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतरीन ख़ैरात वो है जिसके देने के बाद आदमी मालदार रहे। फिर सद्का पहले उन्हें दो जो तुम्हारे ज़ेरे परवरिश हैं।

١٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ)).

(दीगर मकाम : 1428, 5355, 5356)

इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर होता है कि अपने अज़ीज़ों अकरबा जुम्ला मुता'ल्लिकीन अगर वो मुस्तहिक हैं तो सद्का-खैरात जकात में सबसे पहले उन्हीं का हक़ है। इसलिये ऐसे सद्के करने वालों को दोगुने प्रवाब की बशारत दी गई है।

1427. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने अपने बाप से बयान किया, उनसे हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और पहले उन्हें दो जो तुम्हारे बाल-बच्चे और अज़ीज़ हैं और बेहतरीन सद्का वो है जिसे देकर आदमी मालदार रहे और जो कोई सवाल से बचना चाहेगा उसे अल्लाह तआला भी महफूज़ रखता है और जो दूसरों (के माल) से बेनियाज़ रहता है, उसे अल्लाह तआला बेनियाज़ ही बना देता है।

۱۴۲۷- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَفِيفْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَفِيفْ يُغْنِهِ اللَّهُ)).

1428. और वुहैब ने बयान किया कि हमसे हिशाम ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने ऐसा ही बयान फ़र्माया। (राजेअ: 1426)

۱۴۲۸- وَعَنْ وَهَيْبٍ: قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِذَا. [راجع: ۱۴۲۶]

1429. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने इमर (रज़ि.) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, (दूसरी सनद) और हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जबकि आप मिम्बर पर तशरीफ़ रखे थे। आपने सद्का और किसी के सामने हाथ न फैलाने का और दूसरों से माँगने का ज़िक्र फ़र्माया और फ़र्माया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर का हाथ खर्च करने वाले का है और नीचे का हाथ माँगने वाले का।

۱۴۲۹- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعْفُفَ وَالْمَسْأَلَةَ)) ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ)).

तशरीह:

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने मुनअक़िद किये हुए बाब के तहत इन अह्दादीष को लाकर प्राबित फ़र्माया कि हर एक मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वो साहिबे दौलत बनकर और दौलत में से अल्लाह का हक़ जकात अदा करके ऐसा रहने की कोशिश करे कि उसका हाथ हमेशा ऊपर का हाथ रहे और ताज़ीसत नीचे वाला न बने या 'नी देने वाला बनकर

रहे न कि लेने वाला और लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला। हदीष में इसकी भी तरगीब है कि एहतियाज के बावजूद भी लोगों के सामने हाथ न फैलाना चाहिये बल्कि सब्र व इस्तिक्लाल से काम लेकर अपने तवक्कल अल्लाह और खुदारी को कायम रखते हुए अपनी कुव्वते बाजू की मेहनत पर गुजारा करना चाहिये।

बाब 19 : जो देकर एहसान जताए उसकी मज़म्मत क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और जो कुछ उन्होंने खर्च किया है उसकी वजह से न एहसान जताते हैं और न तकलीफ़ देते हैं

۱۹- بَابُ الْمَنِّانِ بِمَا أُعْطِيَ، لِقَوْلِهِ

: [البقرة : ۲۶۲]

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى﴾ الْآيَةَ

बाब 20 : ख़ैरात करने में जल्दी करना चाहिये

۲۰- بَابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ

مِنْ يَوْمِهَا

1430. हमसे अबू आसिम नबील ने उमर बिन सईद से बयान किया, उनसे इब्ने अबी मुलैका ने कि उक्बबा बिन हारिष (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अस्स की नमाज़ अदा की फिर जल्दी से आप घर में तशरीफ़ ले गये। थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ़ ले आए। इस पर मैंने पूछा या किसी और ने पूछा तो आपने फ़र्माया कि मैं घर के अन्दर सदक़े के सोने का एक टुकड़ा छोड़ आया था, मुझे ये बात पसन्द नहीं आई कि उसे तक्सीम के बग़ैर रात गुज़ारूँ, पस मैंने उसको बाँट दिया।

۱۴۳۰- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْخَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْفَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ - أَوْ قِيلَ - لَهُ لَقَالَ: «كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ بَرًّا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكْرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ،

(राजेअ: 851)

فَقَسَمْتُهُ».) [راجع: ۸۵۱]

(हदीष से प्राबित हुआ कि ख़ैरात और सदक़ा करने में जल्दी करना बेहतर है। ऐसा न हो कि मौत आ जाए या माल बाक़ी न रहे और प्रवाब से महरूम रह जाए। बाब का एक मफ़हूम ये भी हो सकता है कि साहिबे निज़ाब साल में तमाम होने से पहले ही अपने माल की ज़कात अदा कर दे। इस बारे में मज़ीद वज़ाहत इस हदीष में है, अन अलिथियन अन्नलअब्बास सअल रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी तअजीलि सदक़तिन कब्ल अन तहिल्लल फरखखस लहू फ़ी ज़ालिक रवाहु अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी वब्नु माजा वहारमी या'नी हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने रसूले करीम से पूछा कि क्या वो अपनी ज़कात साल गुज़रने से पहले भी अदा कर सकते हैं? इस पर आपने उनको इजाज़त दे दी। क़ाल इब्नु मालिक हाज़ा यदुल्लु अला जवाज़ि तअजीलिज़्ज़काति बअद हुसूलिन्निसाबि कब्ल तमामिल्हौलि (मिअत) या'नी इब्ने मालिक ने कहा कि ये हदीष दलालत करती है कि निज़ाबे मुकर्ररा हासिल होने के बाद साल पूरा होने से पहले भी ज़कात अदा की जा सकती है।

बाब 21 : लोगों को सदक़ा की तरगीब दिलाना और इसके लिये सिफ़ारिश करना

۲۱- بَابُ التَّخْرِيسِ عَلَى الصَّدَقَةِ،

وَالشَّفَاعَةَ فِيهَا

1471. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अदी बिन प्राबित ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईद के दिन निकले। पस आपने (ईदगाह में) दो रकअत नमाज़ पढ़ाई। न आपने उससे पहले कोई नमाज़ पढ़ी और न उसके बाद। फिर आप औरतों की तरफ आए, बिलाल (रज़ि.) आपके साथ थे। उन्हें आपने वा'ज़ व नसीहत की और उनको सदका करने के लिये हुक्म फ़र्माया। चुनौचे औरतें कंगन और बालियाँ (बिलाल रज़ि. के कपड़े में) डालने लगीं। (राजेअ : 98)

۱۴۳۱ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ وَلَا بَعْدَ. ثُمَّ مَالَ عَلَى النَّسَاءِ - وَ بِلَالٍ مَعَهُ - فَوَعظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَلْقِي الْقَلْبَ وَالْخُرُوصَ)). [راجع: ۹۸]

बाब की मुताबकत ज़ाहिर है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने औरतों को ख़ैरात करने के लिये ख़बत दिलाई। उससे सदका और ख़ैरात की अहमियत पर भी इशारा है। हदीष में आया है कि सदका अल्लाह पाक के ग़ज़ब और गुस्से को बुझा देता है। कुआन पाक में जगह जगह इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के लिये तर्बात मौजूद हैं। फ़ी सबीलिल्लाह का मफ़हूम बहुत आम है।

1432. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबुर्दा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबुर्दा बिन अबी मूसा ने बयान किया, और उनसे उनके बाप अबू मूसा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अगर कोई माँगने वाला आता या आपके सामने कोई हाजत पेश की जाती तो आप सहाबा किराम से फ़र्माते कि तुम सिफ़ारिश करो कि इसका प्रवाब पाओगे और अल्लाह पाक अपने नबी की ज़बान से जो फ़ैसला चाहेगा वो देगा।

۱۴۳۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلَبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: ((اشْفَعُوا تَوْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ)). [أطرافه في: ۶۰۲۷, ۶۰۲۸, ۷۴۷۶].

(दीगर मक़ाम : 6027, 6028, 7472)

मा'लूम हुआ कि हाजतमन्दों की हाजत और ग़र्ज़ पूरी कर देना या उनके लिये सई और सिफ़ारिश कर देना बड़ा प्रवाब है। इसीलिये आँहज़रत (ﷺ) सहाबा किराम (रज़ि.) को सिफ़ारिश करने की ख़बत दिलाते और फ़र्माते कि अगरचे ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी सिफ़ारिश ज़रूर कुबूल हो जाए। होगा वही जो अल्लाह को मंज़ूर है। मगर तुमको सिफ़ारिश का प्रवाब ज़रूर मिल जाएगा।

1433. हमसे सिद्दीक़ बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दह ने हिशाम से ख़बर दी, उन्हें उनकी बीवी फ़ातिमा बिनत मुन्ज़िर ने और उनसे अस्मा (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ख़ैरात को मत रोक वरना तेरा रिज़क़ भी रोक दिया जाएगा।

۱۴۳۳ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُوكِي قِيُوكِي عَلَيْكَ)).

हमसे इब्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, और उनसे अब्दह

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ

وَقَالَ: ((لَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ)).

ने यह ही हदीष रिवायत की कि गिनने न लग जाना वरना फिर अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर ही देगा।

(दीगर मक़ाम : 1438, 2590, 2591)

[أطرافه في : ١٤٣٤، ٢٥٩٠، ٢٥٩١].

मक़सद सदका के लिये ख़बत दिलाना और बुख़ल से नफ़रत दिलाना है। ये मक़सद भी नहीं है कि सारा घर लुटाके कंगाल बन जाओ। यहाँ तक फ़र्माया कि तुम अपने वरषा को ग़नी छोड़कर जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ न फैलाते फिरें। लेकिन कुछ लोगों के लिये कुछ इस्तिस्ना भी होता है जैसे सय्यिदना हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) जिन्होंने अपना तमाम ही अघ़ाषा (सम्पत्ति) फ़्री सबीलिल्लाह पेश कर दिया था और कहा था कि घर में सिर्फ़ अल्लाह और रसूल (ﷺ) का नाम बाक़ी छोड़कर आया हूँ बाक़ी सब कुछ ले आया हूँ। ये सिद्दीके अक़बर (रज़ि.) जैसे मुतवक़िले आज़म ही की शान हो सकती है हर किसी का ये मक़ाम नहीं। बहरहाल अपनी त्राक़त के अंदर-अंदर सदका-ख़ैरात करना बहुत ही मोज़िबे बरकात है। दूसरा बाब इस मज़मून की मज़ीद वज़ाहत कर रहा है।

बाब 22 : जहाँ तक हो सके ख़ैरात करना

1434. हमसे अबू आसिम (ज़िहाक) ने बयान किया और उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद बिन अब्दुरहीम ने बयान किया, उनसे हज़ाज बिन मुहम्मद ने किया कि मुझे इब्ने अबी मुलैका ने ख़बर दी, उन्हें अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अस्मा बिनते अबीबक्र (रज़ि.) से ख़बर दी के वो नबी करीम (ﷺ) के यहाँ आईं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (माल को) थैली में बन्द करके न रखना वरना अल्लाह पाक भी तुम्हारे लिये अपने ख़ज़ाने बन्द कर देगा। जहाँ तक हो सके लोगों में ख़ैरात तक्सीम करती रहो।

(राजेअ : 1433)

٢٢- بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

١٤٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((لَا تَوْعِي قُبُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ. ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ)). [راجع: ١٤٣٣]

बाब 23 : सदका ख़ैरात से गुनाह माफ़ हो जाते हैं

1435. हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरिर ने आ'मश से बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, उन्होंने हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) से कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फ़ित्ने से मुता'ल्लिक रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष आप लोगों में से किसको याद है? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने कहा कि मैं इस तरह याद रखता हूँ, जिस तरह नबी करीम (ﷺ) ने उसको बयान फ़र्माया था। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम्हें उसके बयान पर जुअत है। अच्छा तो आँ हज़रत (ﷺ) ने फ़ित्नों के बारे में क्या फ़र्माया था? मैंने कहा कि (आपने फ़र्माया था)

٢٣- بَابُ الصَّدَقَةِ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

١٤٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جُرَيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِتَنِ؟ قَالَ: قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: ((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ

इन्सान की आजमाइश (फ़िल्ना) उसके खानदान, औलाद और पड़ोसियों में होती है और नमाज़, स़दका और अच्छी बातों के लिये लोगों को हुक्म देना, बुरी बात से रोकना, ये उस फ़िल्ने को मिटा देने वाले नेक काम हैं। फिर उस फ़िल्ने के बारे में पूछना चाहता हूँ जो समन्दर की तरह ठाठे मारता हुआ फैलेगा। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया, मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप उस फ़िल्ने की फ़िक्र न कीजिए आपके और उस फ़िल्ने के दरम्यान एक बन्द दरवाज़ा है। उमर (रज़ि.) ने पूछा कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ़ खोला जाएगा। उन्होंने बतलाया नहीं बल्कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो फिर कभी भी बन्द हो सकेगा। अबू वाइल ने कहा कि हाँ! फिर हम रौब की वजह से हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से ये न पूछ सके कि वो दरवाज़ा कौन है? इसलिये हमने मस्रूक़ से कहा कि तुम पूछो। उन्होंने कहा कि मस्रूक़ (रह.) ने पूछा तो उमर (रज़ि.) जानते थे कि आपकी मुराद कौन थी? उन्होंने कहा, हाँ जैसे दिन के बाद रात के आने को जानते हैं और ये इसलिये कि मैंने जो हदी़्त बयान की वो ग़लत नहीं थी।

(राजेज़: 525)

وَالْمَعْرُوفُ)) - قَالَ سَلِيمَانُ : قَدْ كَانَ يَقُولُ : ((الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)) - قَالَ : لَيْسَ هَذِهِ أَرِيدُ، وَلَكِنِّي أَرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ : قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلُوقٌ. قَالَ : فَيَكْسِرُ الْبَابُ أَمْ يَفْتَحُ؟ قَالَ قُلْتُ : لَا، بَلْ يُكْسِرُ. قَالَ : فَإِنَّهُ إِذَا كَسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قَالَ قُلْتُ : أَجَلٌ. قَالَ : فَهَيْتَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلُهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ : قُلْنَا : أَلَعَلِمَ عَمْرٌ مَنْ نَعِي؟ قَالَ : نَعَمْ، كَمَا أَنْ ذُونَ عَدِ لَيْلَةً. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهِ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعْيَانِطِ)). (راجع: ٥٢٥)

तशरीह:

हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के बयान की ता'रीफ़ की क्योंकि वो अक़़बर आँहज़रत (ﷺ) से फ़िल्नों और फ़साद के बारे में जो आपके बाद होने वाले थे, पूछते रहा करते थे। जबकि दूसरे लोगों को इतनी जुर्नत न होती थी। इसलिये हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे फ़र्माया कि बेशक तू दिल खोलकर उनको बयान करेगा क्योंकि तू उनको ख़ूब जानता है। इस हदी़्त को हज़रत इमाम बुखारी (रह.) यहाँ ये प्राबित करने के लिये लाए कि स़दका गुनाहों का कफ़ारा है।

बाब 24 : इस बारे में कि जिसने शिर्क की हालत में स़दका दिया और फिर इस्लाम ले आया

1436. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमें मअमर ने जुहरी से ख़बर दी, उन्हें उर्वा ने और उनसे हकीम बिन हिज़ाम

٢٤ - بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشَّرْكِ ثُمَّ

أَسْلَمَ

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

(रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! उन नेक कामों से मुता'ल्लिक आप क्या फ़र्माते हैं, जिनमें जहालत के ज़माने में सद्क़ा, गुलाम आज़ाद करने और सिलारहमी की सूरत में किया करता था। क्या उनका मुझे ष़वाब मिलेगा? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम अपनी उन तमाम नेकियों के साथ इस्लाम लाए हो जो पहले गुजर चुकी है।

(दीगर मक़ाम : 2220, 2538, 5992)

الرُّهُرِيُّ عَنْ غُرُوَّةَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَنَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَسَلَّمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)).

[أطرافه ن : ٢٢٢٠، ٢٥٣٨، ٥٩٩٢.]

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष से ये प्राबित किया है कि अगर काफ़िर मुसलमान हो जाए तो कुफ़्र के ज़माने की नेकियों का भी ष़वाब मिलेगा। ये अल्लाह पाक की इनायत है। उसमें किसी का क्या इजारा है। बादशाह हकीक़ी के पैग़म्बर ने जो कुछ फ़र्मा दिया वही क़ानून है। इससे ज़्यादा सराहत दारे कुत़नी की रिवायत में है कि जब काफ़िर इस्लाम लाता है और अच्छी तरह मुसलमान हो जाता है तो उसकी हर नेकी जो उसने इस्लाम लाने से पहले की थी, लिख ली जाती है और हर बुराई जो इस्लाम से पहले की थी मिटा दी जाती है। उसके बाद हर नेकी का ष़वाब दस गुनाह से सात सौ गुनाह तक मिलता रहता है और हर बुराई के बदले एक बुराई लिखी जाती है। बल्कि मुम्किन है अल्लाह पाक उसे भी मुआफ़ कर दे।

बाब 25 : ख़ादिम-नौकर का ष़वाब, जब वो मालिक के हुक्म के मुताबिक़ ख़ैरात देने और कोई बिगाड़ की निव्यत न हो

1437. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जर्री ने आ'मश से बयान किया, उनसे अबूवाइल ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब बीवी अपने ख़ाविन्द के खाने में से कुछ सद्क़ा करे और उसकी निव्यत उसे बर्बाद करने की नहीं होती तो उसे भी उसका ष़वाब मिलता है और उसके ख़ाविन्द को कमाने का ष़वाब मिलता है। इस तरह ख़ज़ान्ची को भी इस का ष़वाब मिलता है।

٢٥- بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ

بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرِ مُفْسِدٍ

١٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَصَدَّقَتِ

الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ رَزَوَجَهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ كَانَ

لَهَا أَجْرُهَا، وَلِرِزْوَجِهَا بِمَا كَسَبَ،

وَلِلْخَادِمِ مِثْلُ ذَلِكَ)).

तशरीह : या'नी बीवी की शौहर के माल को बेकार तबाह करने की निव्यत न हो तो उसको भी ष़वाब मिलेगा। ख़ादिम के लिये भी यही हुक्म है। मगर बीवी और ख़िदमतगार में फ़र्क़ है। बीवी बग़ैर शौहर की इजाज़त के उसके माल में से ख़ैरात कर सकती है लेकिन ख़िदमतगार ऐसा नहीं कर सकता। अक़़र इलमा के नज़दीक़ बीवी को भी उस वक़्त तक शौहर के माल से ख़ैरात दुरुस्त नहीं जब तक कि इन्मालन या तफ़सीलन उसने इजाज़त न दी हो और इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक़ भी यही मुख़्तार है। कुछ ने कहा ये उर्फ़ और दस्तूर पर मौक़ूफ़ है या'नी बीवी पका हुआ खाना वग़ैरह ऐसी थोड़ी चीज़ें जिनके देने से कोई नाराज़ नहीं होता, ख़ैरात कर सकती है गो शौहर की इजाज़त न मिले।

1438. हमसे मुहम्मद बिन अत्ताअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे बुरैद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बुरैदा ने और उनसे अबू मूसा (रज़ि.) ने कि नबी करीम

١٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَاءِ قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(ﷺ) ने फ़र्माया। ख़ाज़िन मुसलमान अमानतदार जो कुछ भी खर्च करता है और बाज़ दफ़ा फ़र्माया वो चीज़ पूरी तरह देता है, जिसका उसे सरमाये के मालिक की तरफ़ से हुक्म दिया गया और उसका दिल भी उससे खुश है और इसी को दिया है जिसे देने के लिये मालिक ने कहा था तो वो देने वाला भी सद्का देने वालों में से एक है। (दीगर मक़ाम : 2260, 2319)

बाब 26 : औरत का ष़वाब जब वो अपने शौहर की चीज़ में से सद्का दे या किसी को खिलाए और इरादा घर बिगाड़ने का न हो

1439. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, कहा कि हमें मन्सूर बिन मअमर और आ'मश दोनों ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से कि जब कोई औरत अपने शौहर के घर (के माल) से सद्का करे।

1440. (दूसरी सनद) इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे उमर बिन हफ़स ने बयान किया, कहा कि मुझ से मेरे बाप हफ़स बिन गयाष ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे अबू वाइल शक्रीक़ ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब बीवी अपने शौहर के माल में से किसी को खिलाए और उसका इरादा घर को बिगाड़ने का भी न हो तो उसे उसका ष़वाब मिलता है और शौहर को भी वैसा ही ष़वाब मिलता है और ख़ज़ान्ची को भी वैसा ही ष़वाब मिलता है। शौहर को कमाने की वजह से ष़वाब मिलता है और औरत को खर्च करने की वजह से।

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِدُ - وَرَبِّمَا قَالَ: يُعْطَى - مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا مُوقِرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدَ الْمُتَصَدِّقِينَ)).

[طرفاه في : 2260, 2319].

٢٦- بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

١٤٣٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ح.

١٤٤٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَكَهْ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا كَتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ)).

तरीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को तीन तरीकों से बयान किया और ये तकरार नहीं है क्योंकि हर एक बाब के अल्फ़ाज़ जुदा हैं। किसी में इज़ा तसद्कतिल मअंतु है किसी में इज़ा अत्अमतिल मअंतु है किसी में मिम बैति ज़ौजिहा है और ज़ाहिर हदीष से ये निकलता है कि तीनों को बराबर-बराबर मिलेगा। दूसरी रिवायत में है कि औरत को मर्द का आधा ष़वाब मिलेगा। कस्तलानी ने कहा कि दारोग़ा को भी ष़वाब मिलेगा। मगर मालिक की तरह उसको दोगुना ष़वाब न होगा। (वहीदी)

1441. हमसे यह्या बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे जरिर बिन अब्दुल हमीद ने मन्सूर से बयान किया, उनसे अबू वाइल शक्कीक ने, उनसे मस्रूक ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब औरत अपने घर के खाने की चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च करे और उसका इरादा घर को बिगाड़ने का न हो तो उसे उसका प्रवाब मिलेगा और शौहर को कमाने का प्रवाब मिलेगा, इसी तरह खज़ान्ची को भी ऐसा ही प्रवाब मिलेगा।

तशरीह: औरत का खर्च करना इस शर्त के साथ है कि उसकी निर्यत घर बर्बाद करने की न हो। कुछ दफ़ा ये भी जरूरी है कि वो शौहर की इजाज़त हासिल करे। मगर मा' मूली खाने-पीने की चीज़ों में हर वक़्त इजाज़त की जरूरत नहीं है। हाँ ख़ाज़िन या ख़ादिम के लिये बग़ैर इजाज़त कोई पैसा इस तरह खर्च कर देना जाइज़ नहीं है। जब बीवी और ख़ादिम इसी तौर पर खर्च करेंगे तो असल मालिक या'नी शौहर के साथ वो भी प्रवाब में शरीक होंगे। अगरचे उनके प्रवाब की हैषियत अलग अलग होगी। हदीष का मक़सद भी सबके प्रवाब को बराबर करार देना नहीं है।

बाब 28 : (सूरह वल्लैल में) अल्लाह तआला ने फ़र्माया

जिसने (अल्लाह के रास्ते में) दिया और उसका ख़ौफ़ इख़ितयार किया और अच्छाइयों की (या'नी इस्लाम की) तस्दीक़ की तो मैं उसके लिये आसानी की जगह या'नी जन्नत आसान कर दूंगा। लेकिन जिसने बुख़ल किया और बेपरवाही बरती और अच्छाइयों (या'नी इस्लाम को) झुठलाया तो उसे मैं दुश्वारियों में (या'नी दोज़ख़ में) फंसा दूंगा और फ़रिश्तों की इस दुआ का बयान कि ऐ अल्लाह! माल खर्च करने वाले को उसका अच्छा बदला अता फ़र्मा।

1442. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे भाई अबूबक्र बिन अबी उवैस ने बयान किया, उनसे सुलैमान बिन बिलाल ने, उनसे मुआविया बिन अबी मुज़रद ने, उनसे अबुल हुबाब सईद बिन यसार ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बन्दे सुबह को उठते हैं तो दो फ़रिश्ते आसमान से न उतरते हों। एक फ़रिश्ता तो ये कहता है कि ऐ अल्लाह! खर्च करने वाले को उसका बदला दे और दूसरा कहता है कि ऐ अल्लाह! मुम्सिक और बख़ील के माल को तलफ़ कर दे।

۱۴۴۱- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لِّهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا كَتَسَبَ، وَلِلْعَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ)).

۲۷- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنِ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الآيَةُ [الليل: 5] اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلْفًا.

۱۴۴۲- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُرْزُوقٍ عَنْ أَبِي الْحَبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا)).

इन्ने अबी हातिम की रिवायत में इतना ज्यादा है। तब अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी फ़अम्मा मन आता वक्तका आखिर तक और इस रिवायत को बाब में उस आयत के तहत ज़िक्र करने की वजह भी मा'लूम हो गई।

बाब 28 : सदका देने वाले की और बखील की मिषाल का बयान

1443. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ताऊस ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि बखील और सदका देने वाले की मिषाल ऐसे दो शख्सों की तरह है जिनके बदन पर लोहे के दो कुर्ते हैं। (दूसरी सनद) इमाम बुखारी ने कहा और हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने खबर दी, कहा कि हमें अबुज्जिनाद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन हुमुर्ज़ अल अउरज़ ने उनसे बयान किया और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि बखील और खर्च करने वाले की मिषाल ऐसे दो शख्सों की सी है जिनके बदन पर लोहे के दो कुर्ते हों, छातियों से हंसली तक, जब खर्च करने का आदी (सखी) खर्च करता है तो उसके तमाम जिस्म को (वो कुर्ता) छुपा लेता है या (रावी ने ये कहा कि) तमाम जिस्म पर फैल जाता है और उसकी अंगुलियाँ उसमें छुप जाती है और चलने में उसके पाँव के निशान मिटता जाता है। लेकिन बखील जब भी खर्च करने का इरादा करता है तो उस कुर्ते का हर हल्का अपनी जगह से चिमट जाता है। बखील उसे कुशादा करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुशादा नहीं हो पाता। अब्दुल्लाह बिन ताऊस के साथ इस हदीष को हसन बिन मुस्लिम ने भी ताऊस से रिवायत किया, उसमें दो कुर्ते हैं।

(दीगर मक्राम : 1444, 2917, 5299, 5797)

1444. और हन्ज़ला ने ताऊस से दो ज़िरहें नक़ल किया है और लैब्र बिन सअद ने कहा मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उन्होंने अब्दुरहमान बिन हुमुर्ज़ से सुना कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से फिर यही हदीष बयान की उसमें दो ज़िरहें हैं। (राजेअ : 1443)

۲۸- بَابُ مَثَلِ الْمُتَّصِدِّقِ وَالْبَخِيلِ

۱۴۴۳- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ

قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ

عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ)). ح. وَحَدَّثَنَا

أَبُو أَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا

أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ

وَالْمُتَّصِدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ

حَدِيدٍ مِنْ تَلْدِيهِمَا إِلَى تَرَاتِيهِمَا. فَأَمَّا

الْمُتَّصِدِّقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتْ - أَوْ وَفَّرَتْ

- عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوا

آثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا

إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسَعُهَا

(وَلَا تَسْعُ)). تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ.

[أطرافه في : ۱۴۴۴، ۲۹۱۷، ۵۲۹۹،

۵۷۹۷].

۱۴۴۴- وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ

((جُبَّتَانِ)). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((جُبَّتَانِ)).

[راجع : ۱۴۴۳]

तशीह: इस हदीष में बखील और मुतसद्दिक की हदीषों बयान की गई हैं। सखी की ज़िरह इतनी नीची हो जाती है जैसे बहुत नीचा कपड़ा आदमी जब चले तो वो ज़मीन पर घिसटता रहता है और पांव के निशान मिटा देता है। मतलब ये है कि सखी आदमी का दिल रुपया खर्च करने से खुश होता है और कुशादा हो जाता है। बखील की ज़िरह पहले ही मरहले पर उसके सीने से चिमटकर रह जाती है और उसको सखावत की तौफ़ीक़ ही नहीं होती। उसके साथ ज़िरह के अंदर मुक़य्यिद होकर रह जाते हैं।

हसन बिन मुस्लिम की रिवायत को इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल्लिबास में और हज़ला की रिवायत को इस्माईल ने वस्ल किया और लैष बिन सअद की रिवायत इस सनद से नहीं मिली। लेकिन इब्ने हिब्बान ने उसको दूसरी सनद से लैष से निकाला। जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने हजर ने बयान किया है।

बाब 29 : मेहनत और सौदागरी के माल में से ख़ैरात करना प्रवाब है

क्योंकि अल्लाह तआला ने (सूरह बकर: में) फ़र्माया कि ऐ ईमान वालों! अपनी कमाई की उम्दा पाक चीज़ों में से (अल्लाह की राह में) खर्च करो और उनमें से भी जो तुमने तुम्हारे लिये ज़मीन से पैदा की है। आखिर आयत ग़ानिय्युन हमीद तक।

۲۹- بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ

وَالتَّجَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

[البقرة: 267].

तशीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इशारा किया उस रिवायत की तरफ़ जो मुजाहिद से मन्कूल है कि कस्ब और कमाई से इस आयत में तिजारत और सौदागरी मुराद है और ज़मीन से जो चीज़ उगाई उनसे अनाज और खजूर वगैरह मुराद है।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, हाकज़ा औरदहू हाज़त्तर्जुमत मुक्तसिरन अललआयति बिगैरि हदीषिन व कअन्नहू अशार इला मा रवाहु शुअबतु अनिल्हकमि अन मुजाहिद फी हाजलआयति याअय्युहल्लज़ीन आमनू अनफ़िक्कू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम (अलआयह) क़ाल मिनत्तिजारतिल्हलालि अखरजहुत्तबी वबु अबी हातिम मिन तरीक़ि आदम अन्हू व अखरजहुत्तबी मिन तरीक़ि हुशैम अन शुअबत व लफ़ज़ुहू मिनत्तय्यिबाति मा कसब्तुम क़ाल मिनत्तिजारति व मिम्मा अखरज्ना लकुम मिनलअर्ज़ि क़ाल मिनत्तिजारति व मिन तरीक़ि अबी बकर अल्हज़ली अन मुहम्मदिब्नि सीरीन अन उबैदब्नि अम्मिन अन अलिय्यिन क़ाल फ़ी क़ौलिही व मिम्मा अखरज्ना लकुम मिनलअर्ज़ि क़ाल यअनी मिनल्हुब्बि वत्तमि व कुल्लु शैइन अलैहि ज़कातुन व क़ालज़ज़ीनुबुल्मुनीरु लम युक्य्यिदिल्कसब फ़ित्तर्जुमति बित्तय्यिबि कमा फिलआयति इस्तिगनाउन अन ज़ालिक बिमा तक्रहम फ़ी तर्जुमतिन बाबुस्सदक़ति मिन कस्बिन तय्यिबिन. (फ़तुल बारी)

या'नी यहाँ इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने सिर्फ़ इस आयत के नक़ल कर देने को काफ़ी समझा और कोई हदीष यहाँ नहीं लाए। गोया आपने उस रिवायत की तरफ़ इशारा किया जिसे शुअबा ने हक़म से और हक़म ने मुजाहिद से इस आयत की तफ़्सीर में नक़ल किया है कि मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम से मुराद हलाल तिजारत है। उसे तबरानी ने रिवायत किया है और इब्ने अबी हातिम ने तरीक़ आदम से और तबरानी ने तरीक़े हशीम से भी शुअबा से उसे रिवायत किया है। और उनके अल्फ़ाज़ ये कि तय्यिबाति मा कसब्तुम मुराद तिजारत है और मिम्मा अखरज्ना लकुम से मुराद फल वगैरह हैं जो ज़मीन से पैदा होते हैं। और तरीक़ अबूबक्र हुज़ली में मुहम्मद बिन सीरीन से, उन्होंने उबैदा बिन अम्र से, उन्होंने हज़रत अली से कि मिम्मा अखरज्ना लकुम से मुराद दाने और खजूर हैं और हर वो चीज़ें जिस पर ज़कात वाजिब है, मुराद है। ज़ैन इब्ने मुनीर ने कहा कि यहाँ बाब में इमाम बुखारी ने कसब को तय्यब के साथ मुकय्यद नहीं किया। जैसा कि आयत मज़कूर में है, ये इसलिये कि हज़रत इमाम पहले एक बाब में कस्ब के साथ तय्यब की कैद लगा चुके हैं।

बाब 30 : हर मुसलमान पर सद्का करना ज़रूरी है अगर (कोई चीज़ देने के लिये) न हो तो उसके लिये अच्छी बात पर अमल करना या अच्छी बात दूसरे को बतला देना भी ख़ैरात है

1445. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी बुर्दा ने बयान किया, उनसे उनके बाप अबूबुर्दा ने उनके दादा अबूमूसा अशअरी (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर मुसलमान पर सद्का करना ज़रूरी है। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! अगर किसी के पास कुछ न हो? आपने फ़र्माया कि फिर अपने हाथ से कुछ कमाकर जो खुद भी नफ़ा पहुँचाए और सद्का भी करे। लोगों ने कहा अगर इसकी ताक़त न हो? फ़र्माया कि फिर किसी हाजतमन्द फ़रियादी की मदद करे। लोगों ने कहा कि अगर इसकी भी सकत न हो। फ़र्माया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज़ रहे उसका यही सद्का है।

(दीगर मक़ाम : 6022)

۳۰- بَابُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

۱۴۴۵- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)). فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ)).

[طرفه في : 6022]

तशरीह : इमाम बुखारी (रह.) ने अदब में जो किताब निकाली है उसमें यँ है कि अच्छी या नेक बात का हुक्म करे। अबू दाऊद तियालिसी ने इतना और ज़्यादा किया और बुरी बात से मना कर। मा'लूम हुआ जो शख्स नादार हो उसके लिये वा'ज़ और नज़ीहत में सद्के का प्रवाब मिलता है। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं,

क्रालशशैखु अबू मुहम्मद बिन अबी जमरत नफअल्लाहुबिही तर्तीब हाज़लहदीषि अन्नहु नुदुबुन इलससदक्रति व इन्दलइज़िज़ अन्हा नुदुबुन इला मा यक्लरबु मिन्हा औ यक्कूम मक़ामहा व हुवलअमलु वल्इन्तिफाउ व इन्दलइज़िज़ अन ज़ालिक नुदुबुन इला मा यक्कूम मक़ामहू व हुवलइगाप्रतु व इन्द अदमि ज़ालिक नुदुबुन इला फिअलिल्लमअरूफ़िअय मिन सिवा मा तकहम कइमाततिलअज़ा इन्द अदमि ज़ालिक आखिरुलमरातिबि क्राल व मनशशरि हाहुना मा मजइशशरउ फफीहि तसल्लियतुन लिलआज़िज़ि अन फिअलिल्लमन्दूबाति इज़ा कान अजज़हु अन ज़ालिक अन ग़ैरि इखितयारिन. (फ़ुहल बारी)

मुख्तसर ये कि इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष को लाकर यहाँ दर्जा-ब-दर्जा सद्का करने की तर्तीब दिलाई है। जब माली सद्का की तौफ़ीक़ न हो तो जो भी काम उसके क़ायम मुक़ाम हो सके वही सद्का है। मषलन अच्छे काम करना और दूसरों को अपनी ज़ात से नफ़ा पहुँचाना, जब उसकी भी तौफ़ीक़ न हो तो किसी मुसीबतज़दा की फ़रियाद-रसी करना और ये भी न हो सके तो कोई और नेक काम कर देना मषलन ये कि रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना। फिर नमाज़ की तरफ़ रबत दिलाई कि ये भी बेहतरीन काम है। आख़िरी बार ये कि बुराई को तर्क करना जिसे शरीअत ने मना किया है। ये भी प्रवाब के काम हैं और उसमें उस शख्स के लिये तसल्ली दिलाना है जो नेक कामों से बिलकुल आजिज़ है। इशादि बारी तआला है, व मा यफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़लय्यक्फुरूहु (आले इमरान : 115) लोग जो कुछ भी नेक काम करते हैं वो बर्बाद नहीं

होते। बल्कि उसका बदला किसी न किसी शक्ल में मिल ही जाता है। कुदरत का यही क़ानून है, फ़मंय्यअमल मिष्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरय्यरह व मंय्यअमल मिष्क़ाल ज़र्रतिन शर्रय्यरह (अल ज़िलज़ाल : 99) जो एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे भी देख लेगा और एक ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे भी देख लेगा।

बाब 31 : ज़कात या स़दक़े में कितना माल देना दुरुस्त है और अगर किसी ने एक पूरी बकरी दे दी?

1446. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू शिहाब ने बयान किया, उनसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने, उनसे हफ़्सा बिनते सीरीन ने और उनसे उम्मे अतिया (रज़ि.) ने नुसैबा नामी एक अन्सारी औरत के यहाँ किसी ने एक बकरी भेजी (ये नुसैबा नामी अन्सारी खुद उम्मे अतिया ही का नाम है) उस बकरी का गोश्त उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ भी भेज दिया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने उनसे दरयाफ़्त किया कि तुम्हारे पास खानेको कोई चीज़ है? आइशा (रज़ि.) ने कहा कि और तो कोई चीज़ नहीं अलबत्ता उस बकरी का गोश्त जो नुसैबा ने भेजा था, वो मौजूद है। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि वही लाओ अब उसका खाना दुरुस्त हो गया।

(दीगर मक़ाम : 1494, 2579)

तशरीह : बाब का मतलब यूँ प्राबित हुआ कि पूरी बकरी बतौर स़दक़ा नुसैबा को भेजी गई। अब उम्मे अतिया ने जो थोड़ा गोश्त उस बकरी में से हज़रत आइशा (रज़ि.) को तोहफ़ा के तौर पर भेजा। उससे ये निकला कि थोड़ा गोश्त भी स़दक़ा दे सकते हैं क्योंकि उम्मे अतिया का हज़रत आइशा (रज़ि.) को भेजना गो स़दक़ा न था मगर हदिया था। पस स़दक़ा को उस पर क़यास किया। इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुखारी (रह.) ने ये बाब लाकर उन लोगों का रद्द किया है जो ज़कात में एक फ़कीर को इतना दे देना मकरूह समझते हैं कि वो साहिबे निस्बाब हो जाए। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से ऐसा ही मन्कूल है लेकिन इमाम मुहम्मद ने कहा उसमें कोई क़बाहत नहीं। (वहीदी)

आँहज़रत (ﷺ) ने उस बकरी के गोश्त को इसलिये खाना हलाल करार दिया कि जब फ़कीर ऐसे माल से तोहफ़ा के तौर पर कुछ भेज दे तो वो दुरुस्त है क्योंकि मिल्क के बदल जाने से हुक्म भी बदल जाता है। यही मज़मून बरीरा की हदीष में भी वारिद है। जब बरीरा ने स़दक़ा का गोश्त हज़रत आइशा (रज़ि.) को तोहफ़ा भेजा था तो आपने फ़र्माया था। हुब लहा स़दक़तुन व लना हदयतुन (वहीदी) वो उसके लिये स़दक़ा है और हमारे लिये उसकी तरफ़ से तोहफ़ा है।

बाब 23 : चाँदी की ज़कात का बयान

1447. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अग्र बिन माज़िनी ने, उन्हें उनके बाप यह्या ने, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

३१- بَابُ قَدْرَ كَمْ يُعْطَى مِنَ

الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ وَمَنْ أُعْطِيَ شَاةً

١٤٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((بُعِثَ إِلَى نَسِيَةِ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلْتُ بِهِ نَسِيَةَ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: ((هَاتِي، فَقَدْ بَلَغَتْ مَجْلَهَا)).

[طرفاه في : ١٤٩٤، ٢٥٧٩.]

٣٢- بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

١٤٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

ने फ़र्माया कि पाँच ऊँट से कम में ज़कात और पाँच औक़िया से कम (चाँदी) में ज़कात नहीं। इसी तरह पाँच वस्क्र से कम (अनाज) में ज़कात नहीं।

हमसे मुहम्मद बिन मुषन्नाने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वट्टहाब बरक़फ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे अम्र बिन यह्या ने ख़बर दी, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इस हदीष को सुना। (राजेअ: 1405)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُؤْدِ صَدَقَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَمْعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

بِهَذَا. (راجع: 1400)

तशरीह: ये हदीष अभी ऊपर बाब मा उद्दिय ज़कातुहू फ़लैस बिकन्ज़िन में गुज़र चुकी है और वस्क्र और औक़िया की मिक्ददार भी वहीं मज़कूर हो चुकी है। पाँच औक़िया दो सौ दिरहम के होते हैं। हर दिरहम छः दाँक़ का। हर दाँक़ 8 जौ और 2/5 जौ का। तो दरम 50 जौ या 2/5 जौ का हुआ। कुछ ने कहा कि दिरहम चार हज़ार और दो सौ राई के दानों का होता है। और एक दीनार एक दरम और 3/7 दरम का या छः हज़ार राई के दानों का। एक क़ीरात 3/8 दाँक़ का होता है।

मौलाना क़ाज़ी फ़नाउल्लाह पानीपती मरहूम फ़र्माते हैं कि सोने का निज़ाब बीस मिष्क़ाल है जिसका वज़न साढ़े सात तौला होता है और चाँदी का निज़ाब दो सौ दिरहम है जिनके सिक्के राइजुल वक़्त देहली से 56 रुपये का बनते हैं।

व क़ाल शैख़ु मशाइख़िना अलल्लअल्लामतुशशैख़ु अब्दुल्लाह अल्गाज़ीफ़ूरी फ़ी रिसालतिही मा मुअरिबुहू निसाबुल्फ़िज़्ज़काति मिअता दिरहमिन अय ख़म्सून व इफ़्नतानि तौलजतन व निस्फु तौलजतु व हिय तसावी सितीन रूबिय्यतन मिनरूबिय्यतिल्इन्कलैजियह अल्मुनाफ़ज़तु फिलिहिन्दि फ़ी जमनिल्इन्कलैजिल्लती तकूनु बिकदरि अशर माहिजह व निस्फुन माहिजह व क़ालशैख़ बहरुलउलूम अल्लवनवी अल्हनफ़ी फ़ी रसाइलिल्अर्कानिल्अर्बइ सफ़ा 178 वज़नु मिअतय दिरहमिन वज़नु ख़म्सुव्वं ख़म्सून रूबिय्यतन व कुल्लु रूबिय्यतिन अहद अशर माशिज. (मिअति जिल्द 3, पेज 41)

हमारे शैख़ुल मशाइख़ अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल्लाह गाज़ीपुरी फ़र्माते हैं कि चाँदी का निज़ाब दो सौ दिरहम है या'नी साढ़े बावन तौला और ये अंग्रेज़ी दौर के मुरव्वजा चाँदी के रुपये से साठ रुपयों के बराबर होती है। जो रुपया तक्रीबन साढ़े ग्यारह माशा का मुरव्वज था। मौलाना बहरुल उलूम लखनवी फ़र्माते हैं कि दो सौ दिरहम वज़न चाँदी 55 रुपये के बराबर है और हर रुपया ग्यारह माशा का होता है। हमारे ज़माने में चाँदी का निज़ाब औज़ाने हिन्दया की मुनासबत से साढ़े बावन तौला चाँदी है।

ख़ुलासा ये कि अनाज में पाँच वस्क्र से कम पर उशर नहीं है और पाँच वस्क्र इक्कीस मन साढ़े सैंतीस सेर वज़न 80 तौला के सेर के हिसाब से होता है क्योंकि एक वस्क्र साठ स़ाअ का होता है और स़ाअ 234 तौले (6 तौला कम 3 सेर) का होता है। पस एक वस्क्र चार मन साढ़े पन्द्रह सेर का होगा।

औक़िया चालीस दिरहम का होता है इस हिसाब से साढ़े सात तौला सोना पर चालीसवाँ हिस्सा ज़कात फ़र्ज़ है और चाँदी का निज़ाब साढ़े बावन तौला है। वल्लाहु आलम!

बाब 33 : ज़कात में (चाँदी-सोने के सिवा और)

۳۳- بَابُ الْعَرَضِ فِي الزَّكَاةِ

अस्बाब का बयान

जुम्हूर उलमा के नज़दीक ज़कात में चाँदी-सोने के सिवा दूसरे अस्बाब का लेना दुरुस्त नहीं लेकिन हन्फिया ने इसको जाइज़ कहा है और इमाम बुखारी (रह.) ने भी इसको इख़्तियार किया है।

और ताऊस ने बयान किया कि मुआज़ (रज़ि.) ने यमन वालों से कहा था कि मुझे तुम स़दक़े में जौ और ज्वार की जगह सामान और असबाब या 'नी ख़मीसा (धारीदार चादरें) या दूसरे लिबास दे सकते हो, जिसमें तुम्हारे लिये भी आसानी होगी और मदीने में नबी करीम (ﷺ) के अज़हाब के लिये भी बेहतर होगी और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ख़ालिद ने तो अपनी ज़िरहें और हथियार और घोड़े सब अल्लाह की रास्ते में वक्फ़ कर दिये हैं। (इसलिये उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर ज़कात वाजिब होती। ये हदीष का टुकड़ा है वो आइन्दा तफ़्सील से आएगी) और नबी करीम (ﷺ) ने (ईद के दिन औरतों से) फ़र्माया कि स़दक़ा करो, ख़्वाह तुम्हें अपने ज़ेवर ही क्यों न देने पड़ जाए तो आपने ये नहीं फ़र्माया था कि अस्बाब का स़दक़ा दुरुस्त नहीं। चुनाँचे (आपके इस फ़र्मान पर) औरतें अपनी बालिया और हार डालने लगीं औ हज़रत (ﷺ) ने (ज़कात के लिये) सोने-चाँदी की भी कोई तख़सीस नहीं फ़र्माई।

तशरीह:

हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने यमन वालों को इसलिये ये फ़र्माया कि अब्वल तो जौ और ज्वार का यमन से मदीना तक लाने में ख़र्च बहुत पड़ता। फिर उस वक़्त मदीना में स़हाबा को ग़ल्ले से भी ज़्यादा कपड़ों की हाज़त थी तो मुआज़ (रज़ि.) ने ज़कात में कपड़ों वग़ैरह अस्बाब ही का लेना मुनासिब जाना। ख़्वाह हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के अस्बाब को वक्फ़ करने से हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि ज़कात में अस्बाब देना दुरुस्त है। अगर ख़ालिद (रज़ि.) ने इन चीज़ों को वक्फ़ नहीं किया होता तो ज़रूर उनमें से कुछ ज़कात में देते। कुछ ने तो यूँ तौज़ीह की है कि जब ख़ालिद (रज़ि.) ने मुजाहिदीन की सरबराही सामान से ही की और ये भी ज़कात का एक मसरफ़ है तो गोया ज़कात में सामान दिया। व हुवल मत्लूब। ईद में औरतों के ज़ेवर स़दक़ा में देने से इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि ज़कात में अस्बाब का देना दुरुस्त है क्योंकि उन औरतों के सब ज़ेवर चाँदी-सोने के न थे। जैसे कि हार व मशक और लौंग से बनाकर गलों में डालतीं।

मुख़ालिफ़िन ये जवाब देते हैं कि ये नफ़ल स़दक़ा था न कि फ़र्ज़ ज़कात क्योंकि ज़ेवर में अक़षर उलमा के नज़दीक ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। (वहीदी)

ज़ेवर की ज़कात के बारे में हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह शैख़ुल हदीष स़ाहब ने हज़रत शैख़ुल मुहदिषुल कबीर मौलाना अब्दुर्रहमान स़ाहब मुबारकपुरी (रह.) के क़ौल पर फ़त्वा दिया कि ज़ेवर में ज़कात वाजिब है। मौलाना फ़र्माते हैं (वहुवल हक़) (मिर्आत)

वाक़िया हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के बारे में हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह स़ाहब (रह.) फ़र्माते हैं,

क्रिस्सतु ख़ालिदिन तूविल अला वुजूहिन अहदुहा अन्नहुम तालबू ख़ालिदिन बिज़्ज़काति अन उम्मानिल्आतादि अल्लअदरइ बिज़्ज़न्निन अन्नहा लिच्चिज़ारति व इन्नज़्ज़कात फ़ीहा वाजिबतुन फ़क़ाल लहुम ला ज़कात फ़ीहा अलय्य फ़क़ालू लिन्नबिद्यि (ﷺ) अन्न ख़ालिदिन मनअज़्ज़कात फ़क़ाल इन्नकुम तज़्लिमूनहु लिअन्नहु हबसहा व वक्फ़फ़हा फ़ी सबीलिल्लाहि क़ब्लल्लहौलि फला ज़कात फ़ीहा. (मिर्आत)

या'नी वाक़िय-ए-ख़ालिद (रज़ि.) की कई तरह से तावील की जा सकती है। एक तो ये कि मुख़्लिसीने ज़कात ने ख़ालिद (रज़ि.) से उनके हथियारों और ज़िरह वग़ैरह की इस गुमान से ज़कात त़लब की कि ये सब अम्वाले तिजारत है। और उनमें ज़कात अदा करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं। ये मुक़द्दमा आँहज़रत (ﷺ) तक पहुँचा तो आपने फ़र्माया कि तुम लोग ख़ालिद पर जुल्म कर रहे हो। उसने तो साल के पूरा होने से पहले ही अपने तमाम सामान को फ़ी सबीलिल्लाह वक़फ़ कर दिया है। पस उस पर इस माल में ज़कात वाजिब नहीं है।

अअतुदहू के बारे में मौलाना फ़र्माते हैं, बिजम्मिलमुषन्नाति जम्उ अतदिन बिफ़त्हतैनि व फ़ी मुस्लिमिन अतादुहू बिजियादतिल्अलिफ़ बअदत्ताइ व हुव अयज़न जम्उहू व क़ालन्नववी वाहिदुहू अतादुन बिफत्हिल्ऐनि व कालजज़री अल्आतद अल्आतादु जम्उ अतादिन व हुव मा उइदुहू मिस्सलाहि वदवाब्बि वल्आलातिल्हर्बि व यज़्मउ अला आतिदहू बिकस्तिताइ अयज़न व क़ील हुवल्लैलु ख़ास्सतन युक़ालु फ़र्सुन अतीद सुल्बुन औ मुइदुन लिर्कूबि व सरीउल्वुषूबि.

ख़ुलासा ये है कि अअतिदुन अतिदुन की जमा है और मुस्लिम में इसकी जमा (बहुवचन) अलिफ़ के साथ अअतिदा भी आई है। नववी ने कहा कि इसका वाहिद इताद है। जज़री ने कहा कि इअतिदा और इताद इतादुन की जमा है। हर वो चीज़ हथियार से और जानवरों से उन आलाते जंग से जो कोई जंग के लिये उनको तैयार करे और उसकी जमा इअतदहू भी है। और कहा गया है कि इससे ख़ास घोड़ा ही मुराद है। फ़रसुन अतीदुन उस घोड़े पर बोला जाता है जो बहुत ही तेज़ मंज़बूत सवारी के क़ाबिल हो। नीज़ क़दम जल्द कुदाने और दौड़ने वाला हो।

1448. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि मुझसे शुमामा बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उन्हें (अपने दौरे-ख़िलाफ़त में फ़र्ज़ ज़कात से मुता'ल्लिक़ हिदायत देते हुए) अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक़ ये फ़र्मान लिखा कि जिसका स़दक़ा बिन्त मजाज़ तक पहुँच गया हो और उसके पास बिन्ते मजाज़ नहीं बल्कि बिन्ते लबून है। तो उससे वही ले लिया जाएगा और उसके बदले में स़दक़ा वसूल करने वाला बीस दिरहम या दीनार या दो बकरियाँ ज़ाइद दे देगा और अगर उसके पास बिन्ते मजाज़ नहीं है बल्कि इब्ने लबून है तो ये इब्ने लबून ही ले जाएगा और उस सूरत में कुछ नहीं दिया जाएगा। वो मादा या नर कैंट जो तीसरे साल में लगा हो।

(दीगर मक़ाम : 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 2478,

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ ((وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَكَانَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ لَبُونٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمَصْدُوقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنٌ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ)).

[أطرافه في : ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣،

١٤٥٤، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ٢٤٨٧،

٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥.]

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

1449. हमसे मुअम्मिल बिन हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल ने अय्यूब से बयान किया और उनसे अत्ताअ बिन अबी रबाह ने कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बतलाया। उस वक़्त मैं मौजूद था जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ (ईद) पढ़ी। फिर आपने देखा कि औरतों तक आपकी आवाज़ नहीं

पहुँची, इसलिये आप उनके पास भी आए। आपके साथ बिलाल (रज़ि.) थे जो अपना कपड़ा फैलाए हुए थे। आप ने औरतों को वा'ज़ सुनाया और उनसे सद्का करने के लिये फ़र्माया और औरतें (अपना सद्का बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में) डालने लगीं। ये कहते वक्रत अय्यूब ने कान और गले की तरफ़ इशारा किया। (राजेअ: 97)

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने मक़सदे बाब के लिये इससे ये भी इस्तिदलाल किया कि औरतों ने सद्का में अपने ज़ेवरात पेश किये जिनमें बाज़ ज़ेवर चाँदी-सोने के न थे।

बाब 34 : ज़कात लेते वक्रत जो माल जुदा-जुदा हो वो इकट्ठे न किये जाएँ और जो इकट्ठे हों वो जुदा-जुदा न किये जाएँ और सालिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से ऐसा ही रिवायत किया है

1450. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि मुझसे पुमामा ने बयान किया, और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने उन्हें वही चीज़ लिखी थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़रूरी करार दिया था। ये कि ज़कात (की ज़्यादाती) के ख़ौफ़ से जुदा-जुदा माल को यकजा और यकजा माल को जुदा-जुदा न किया जाए।

तशरीह : सालिम की रिवायत को इमाम अहमद और अबू यअला और तिर्मिज़ी वग़ैरह ने वस्ल किया है। इमाम मालिक ने मौता में इसकी तफ़्सीर यूँ बयान की है मसलन तीन आदमियों की अलग अलग 40-40 बकरियाँ हों तो हर एक पर एक बकरी ज़कात की वाजिब है। ज़कात लेने वाला जब आया तो तीनों ने अपनी बकरियाँ एक जगह कर दी। उस सूत में एक ही बकरी देनी पड़ेगी। इसी तरह दो आदमियों की शिकत के माल में मसलन दो सौ बकरियाँ हों तो तीन बकरियाँ ज़कात की लाज़िम होगी और अगर वो ज़कात लेने वाला जब आए उसको अलग अलग कर दें तो दो ही बकरियाँ देनी होंगी। इससे मना किया गया है क्योंकि ये हक़ तआला के साथ फ़रेब करना है, मआज़ अल्लाह वो तो सब जानता है। (वहीदी)

बाब 35 : अगर दो आदमी साझी हो तो ज़कात का ख़र्चा हिसाब से बराबर-बराबर एक दूसरे से मजरा कर लें

और ताऊस और अत्ताअ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब दो शरीकों के जानवर अलग-अलग हों, अपने-अपने जानवर को पहचानते हों

لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ
النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ
فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتْ
الْمَرْأَةُ تَلْفِيًا. وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ
وَأَبَى حَلْفِهِ. [راجع: ٩٨]

٣٤- بَابُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذَكَّرُ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

١٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي
ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الْبَنِيُّ قُرَيْشُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ،
وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ)).

٣٥- بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ
أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالَهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ:

तो उनको इकट्ठा न करें और सुफयान घ़ौरी ने फ़र्माया कि ज़कात उस वक़्त तक वाजिब नहीं हो सकती कि दोनों शरीकों के पास चालीस-चालीस बकरियाँ न हो जाएँ। (राजेअ : 1448)

1451. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि मुझसे घुमामा ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उन्हें फ़र्ज़ ज़कात में वही बात लिखी थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुकर्रर फ़र्माई थी, इसमें ये भी लिखवाया गया कि जब दो शरीक हो तो वो अपना हिसाब बराबर कर लें। (राजेअ : 1448)

لَا تَجِبُ حَتَّى يَمَّ لَهُذَا أَرْبَعُونَ شَاةً
وَلَهُذَا أَرْبَعُونَ شَاةً [راجع: ١٤٤٨]

١٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ
الَّتِي قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيطَيْنِ لِإِنَّهُمَا يَتَرَاغَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسُّوَيْةِ)). [راجع: ١٤٤٨]

तशरीह:

अत्ता के क़ौल को अबू उबैद ने किताबुल अम्वाल में वज़्ल किया। उनके क़ौल का मतलब ये है कि जुदा-जुदा रहने देंगे और अगर हर एक का माल बक़द्रे निसाब होगा तो उसमें से ज़कात लेंगे वरना न लेंगे। मषलन दो शरीकों की 40 बकरियाँ हैं मगर हर शरीक को अपनी अपनी बीस बकरियाँ अलग और मुअय्यिन तौर से मा'लूम है तो किसी पर ज़कात न होगी और ज़कात लेने वाले को ये नहीं पहुँचता कि दोनों के जानवर एक जगह करके चालीस बकरियाँ समझकर एक बकरी ज़कात की ले और सुफयान ने जो कहा इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही क़ौल है लेकिन इमाम अहमद, इमाम शाफ़िई और अहले हदीष का ये क़ौल है कि जब दोनों शरीकों के जानवर मिलकर हदे निसाब को पहुँच जाए तो ज़कात ली जाएगी। (वहीदी)

बाब 36 : ऊँटों की ज़कात का बयान

इस बाब में हज़रत अबूबक्र, अबूज़र और अबूहुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है

1452. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि मुझसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अत्ताअ बिन यज़ीद ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हिजरत के मुता'ल्लिक़ पूछा (या'नी ये कि आप इज़ाज़त दें तो मैं मदीना में हिजरत कर आऊँ) आपने फ़र्माया, अफ़सोस! इसकी तो शान बड़ी है। क्या तेरे पास ज़कात देने के लिये कुछ ऊँट हैं जिनकी तू ज़कात दिया करता है? उसने कहा हाँ! इस पर आपने फ़र्माया कि फिर क्या है समन्दरों के पार (जिस मुल्क में तू रहे वहाँ) अमल करता रह अल्लाह तेरे किसी अमल का प्रवाब कम नहीं करेगा।

٣٦- بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ
وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ : ((وَيْحَلِكُ، إِنَّ
شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي
صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : ((فَاعْمَلْ
مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ
عَمَلِكَ شَيْئًا)).

(दीगर मक़ाम : 2633, 3923, 6165)

तशरीह : मतलब आपका ये था कि जब तुम अपने मुल्क में अरकाने इस्लाम आज़ादी के साथ अदा कर रहे हो यहाँ तक कि ऊँट की ज़कात तक भी बाक़ायदा निकालते रहते हो तो ख़्वाह—मख़्वाह हिजरात का ख़याल करना ठीक नहीं, हिजरात कोई मा' मूली काम नहीं है। घर—दर छोड़ने के बाद जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उनको हिजरात करने वाले ही जानते हैं। मुसलमानाने हिन्द को इस हदीष से सबक़ लेना चाहिये। अल्लाह नेक समझ अता करे, आमीन!

बाब 37 : जिसके पास इतने ऊँट हो कि ज़कात में एक बरस की ऊँटनी देना हो और वो उसके पास न हो

1453. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस (रज़ि.) ने कि अबूबक्र (रज़ि.) ने उनके पास फ़र्ज़ ज़कात के उन फ़र्ज़ों के मुता'ल्लिक़ लिखा था जिनका अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) को हुक्म दिया है। ये कि जिसने ऊँटों की ज़कात जज़आ तक पहुँच जाए और वो जज़आ उसके पास न हो बल्कि हिक्का हो तो उससे ज़कात में हिक्का ही लिया जाएगा लेकिन उसके साथ दो बकरियाँ भी ली जाएगी, अगर उनके देने में उसे आसानी हो, वरना बीस दिरहम लिये जाएंगे (ताकि हिक्का की कमी पूरी हो जाए) और अगर किसी पर ज़कात में हिक्का वाजिब हो जाए और हिक्का उसके पास न हो बल्कि जज़आ हो तो उससे जज़आ ही ले लिया जाएगा और ज़कात वसूल करने वाला ज़कात देने वाले को बीस दिरहम या दो बकरियाँ दे देगा और अगर किसी पर ज़कात हिक्का के बराबर वाजिब हो गई और उसके पास सिर्फ़ बिनत लबून है तो उससे बिनत लबून ले ली जाएगी और ज़कात देने वाले को दो बकरियाँ या बीस दिरहम साथ में और देने पड़ेंगे और अगर किसी पर ज़कात बिनत लबून वाजिब हो और उसके पास हिक्का हो तो हिक्का ही उससे ले लिया जाएगा और इस सूरत में ज़कात वसूल करने वाला बीस दिरहम या दो बकरियाँ ज़कात देने वाले को देगा और किसी के पास ज़कात में बिनत लबून वाजिब हो और बिनत लबून उसके पास नहीं बल्कि बिनत मखाज़ है तो उससे बिनत मखाज़ ही ले लिया जाएगा। लेकिन ज़कात देने वाला उसके साथ बीस दिरहम या दो बकरियाँ देगा।

(राजेअ : 1448)

۳۷- بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ
بِنْتِ مَخَاضٍ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ

۱۴۵۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ ((مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتًا لَبُونٍ فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتًا لَبُونٍ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ

شَاتَيْنِ)). [راجع: ۱۴۴۸]

तशरीह:

ऊँट की ज़कात पाँच रास से शुरू होती है, इससे कम पर ज़कात नहीं। पस इस सूत्र में चौबीस ऊँट तक एक बिनत मखाज़ वाजिब होगी या'नी वो ऊँटनी जो एक साल पूरा करके दूसरे में लग रही हो वो ऊँटनी हो या ऊँट 36 पर बिनते लबून या'नी वो ऊँट जो दो साल का हो। तीसरे में चल रहा हो। फिर चालीस पर एक हिक़ा या'नी वो ऊँट जो तीन साल का होकर चौथे में चल रहा हो। फिर 61 पर जिज़आ या'नी वो ऊँट जो चार साल का होकर पाँचवें में चल रहा हो। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये बतलाना चाहते हैं कि ऊँट की ज़कात मुख्तलिफ़ उम्र के ऊँट जो वाजिब हुए हैं अगर किसी के पास इस उम्र का ऊँट न हो जिसका देना स़दका के तौर पर वाजिब हुआ था तो उससे कम या ज़्यादा उम्र वाला ऊँट भी लिया जा सकेगा। मगर कम देने की सूत्र में खुद अपनी तरफ़ से और ज़्यादा देने की सूत्र में स़दका वसूल करने वालों की तरफ़ से रुपया या कोई और चीज़ इतनी मालियत की दी जाएगी जिससे इस कमी या ज़्यादती का हक़ अदा हो जाए। जैसा कि तफ़सीलात हदीषे मज़कूर में दी गई है और मज़ीद तफ़सीलात हदीषे ज़ेल में आ रही है।

बाब 38 : बकरियों की ज़कात का बयान

1454. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना अन्सारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे घुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि अबूबक्र (रज़ि.) ने जब उन्हें बहरीन (का हाकिम बनाकर) भेजा तो उनको ये परवाना लिखा।

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला हा ये ज़कात का वो फ़रीज़ा है, जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों के लिये फ़र्ज़ करार दिया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) को अल्लाह तआला ने इसका हुक्म दिया। इसलिये जो शख़्स मुसलमानों से इस परवाने के मुताबिक़ ज़कात माँगे तो मुसलमानों को उसे दे देना चाहिये और अगर कोई इससे ज़्यादा माँगे तो हर्गिज़ न दे। चौबीस या इससे कम ऊँटों में हर पाँच ऊँट पर एक बकरी दी जाएगी। (पाँच से कम में कुछ नहीं) लेकिन जब ऊँटों की ता'दाद पच्चीस तक पहुँच जाए तो पच्चीस से पैतीस तक एक-एक बरस की ऊँटनी वाजिब होगी जो मादा होती है। जब ऊँट की ता'दाद छत्तीस तक पहुँच जाए (तो छत्तीस से) पैतालीस तक दो बरस की मादा वाजिब होगी। जब ता'दाद छियालीस तक पहुँच जाए (तो छियालीस से) साठ तक में तीन बरस की ऊँटनी वाजिब होगी जो जुफ़्ती के क़ाबिल होती है। जब ता'दाद इकसठ तक पहुँच जाए (तो इकसठ से) पचहत्तर तक चार बरस की मादा वाजिब होगी। जब ता'दाद छिहत्तर तक पहुँच जाए (तो पचहत्तर से) नब्बे तक दो

۳۸- بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

۱۴۵۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سِيلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا، وَمَنْ سِيلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ لَمَّا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٍ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاصِرِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ

बरस की दो ऊँटनियाँ वाजिब होगी। जब ता'दाद इक्यानवे तक पहुँच जाए तो (इक्यानवे से) एक सौ बीस तक तीन तीन बरस की दो ऊँटनियाँ वाजिब होगी। जो जुफ़्ती के क़ाबिल हो। फिर एक सौ बीस से भी ता'दाद आगे बढ़ जाए तो हर चालीस पर दो बरस की ऊँटनी वाजिब होगी और हर पचास पर एक तीन बरस की। और अगर किसी के पास चार ऊँट से ज़्यादा नहीं तो उस पर ज़कात वाजिब न होगी। मगर उनका मालिक अपनी खुशी से कुछ दे और उन बकरियों की ज़कात (साल के अक़्र हिस्से जंगल या मैदान वग़ैरह में) चर कर गुज़ारती है, अगर उनकी ता'दाद चालीस तक पहुँच गई हो तो (चालीस से) एक सौ बीस तक एक बकरी वाजिब होगी और जब एक सौ बीस से ता'दाद बढ़ जाए (तो एक सौ बीस से) दो सौ तक दो बकरियाँ वाजिब होगी। अगर दौ सौ से भी ता'दाद बढ़ जाए तो (दो सौ से) तीन सौ तक तीन बकरियाँ वाजिब होगी और जब तीन सौ से भी ता'दाद आगे निकल जाए तो अब हर एक सौ पर एक बकरी वाजिब होगी। अगर किसी शख़्स की चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम हो तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मगर अपनी खुशी से मालिक कुछ देना चाहे तो दे सकता है। और चाँदी में ज़कात चालीसवाँ हिस्सा वाजिब होगी लेकिन अगर किसी के पास एक सौ नौ (दिरहम) से ज़्यादा नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी मगर खुशी से कुछ अगर मालिक देना चाहे तो और बात है। (राजेअ: 6448)

يَعْنِي سِتًا وَسِتَيْنِ - إِلَى سِتَيْنِ فِيهَا
بِتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِيهَا حِقَّتَانِ طَرَوْقًا
الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةً. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا
أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ
فِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ لِي سَائِمَتِهَا
إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ
شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى
ثَلَاثِمِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ
عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِيهَا كُلُّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا
كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ
شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
رَبُّهَا. وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ، فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. [راجع: ٦٤٤٨]

तशरीह:

ज़कात उन्हीं गाय, बैल या ऊँटों या बकरियों में वाजिब है जो आधे साल से ज़्यादा जंगल में चर लेती हों और अगर आधे साल से ज़्यादा उनको घर से निकालना पड़ता है तो उन पर ज़कात नहीं है। अहले हदीष के नज़दीक सिवाए इन तीन जानवरों या'नी ऊँट, गाय, बकरी के सिवा और किसी जानवर में ज़कात नहीं है। मज़लन घोड़ों या खच्चरों या गधों में (वहीदी)

बाब 39 : ज़कात में बूढ़ा या ऐबदार जानवर न लिया जाएगा मगर जब ज़कात वसूल करने वाला मुनासिब समझे तो ले सकता है

٣٩- بَابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا
مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

1455. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने

١٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे पुमामा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के बयानकर्दा अहकाम ज़कात के मुताबिक़ लिखा कि ज़कात में बूढ़े, ऐबी और नर न लिये जाएँ, अलबत्ता अगर स़दका वसूल करने वाला मुनासिब समझे तो ले सकता है।

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الْيَئِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ ((وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدَّقُ)).

मसलन ज़कात के जानवर सब मादाएं ही मादाएं हो। नर की ज़रूरत हो तो नर ले सकता है। या किसी उम्दा नस्ल के ऊँट या गाय या बकरी की ज़रूरत हो और गो इसमें ऐब हो उसकी नस्ल लेने में आइन्दा फ़ायदा हो तो ले सकता है।

बाब 40 : बकरी का बच्चा ज़कात में लेना

1456. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी और उन्हें जुहरी ने (दूसरी सनद) और लैष बिन सअद ने बयान किया कहा कि मुझसे अब्दुरहमान बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन इत्बा बिन मस्ऊद ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बतलाया कि अबूबक्र (रज़ि.) ने (आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के फौस्रन बाद ज़कात देने से इन्कार करने वालों के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया था) क़सम अल्लाह की! अगर ये मुझे बकरी के एक बच्चे को भी देने से इन्कार करेंगे जिसे ये रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं उनके इस इन्कार पर उनसे जिहाद करूँगा। (राजेअ: 1400)

٤٠ - بَابُ أَخَذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ
١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا)).

[راجع: ١٤٠٠]

1457. उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया इसके सिवा और कोई बात नहीं थी जैसा कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह तआला ने अबूबक्र (रज़ि.) को जिहाद के लिये शरहे-सद्र अत्ता फ़र्माया था और फिर मैंने भी यही समझा कि फ़ैसला उन्हीं का हक़ था।

١٤٥٧ - قَالَ غَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لَمَّا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَنْدَرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)). [راجع: ١٣٩٩]

(राजेअ: 1399)

तशरीह:

बकरी का बच्चा उस वक़्त ज़कात में लिया जाएगा कि तहसीलदार मुनासिब समझे या किसी शख्स के पास सिर्फ़ बच्चे ही बच्चे रह जाए। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हदीष के उन्वान में ये इशारा हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के उन लफ़्ज़ों से निकाला कि अगर ये लोग बकरी का एक बच्चा जिसे आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में दिया करते थे। इससे भी इन्कार करेंगे तो मैं उन पर जिहाद करूँगा। पहले पहल हज़रत उमर (रज़ि.) को उन लोगों से जो ज़कात न देते थे लड़ने में तअम्मूल हुआ क्योंकि वो कलिमा-गो थे। लेकिन हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को उनसे ज़्यादा इल्म था। आख़िर में हज़रत उमर (रज़ि.) भी इनसे मुत्तफ़िक़ हो गए। इस हदीष से ये स़ाफ़ निकलता है कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेने से आदमी का इस्लाम पूरा नहीं होता

जब तक कि इस्लाम के तमाम उस्ूल और क़तई फ़राइज़ को न मानें। अगर इस्लाम के एक क़तई फ़राइज़ का कोई इंकार करे जैसे नमाज़ या रोज़ा या ज़कात या जिहाद या हज्ज तो काफ़िर हो जाता है और उस पर जिहाद करना दुस्स्त है। (वहीदी)

बाब 41 : ज़कात में लोगों से उम्दा और छंटे हुए माल न लिये जाएंगे

1458. हमसे उमय्या बिन बिस्ताम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ैद बिन ज़रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे रोह बिन क़ासिम ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन उमय्या ने, उनसे यहा बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने, उनसे अबू मअबद ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआज (रज़ि.) को यमन भेजा तो उनसे फ़र्माया कि देखो! तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब (ईसाई-यहूदी) हैं। इसलिये सबसे पहले उन्हें अल्लाह की इबादत की दा'वत देना। जब वो अल्लाह तआला को पहचान लें (या'नी इस्लाम कुबूल कर लें) तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उनके लिये दिन और रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो इसे भी अदा करें तो उन्हें बतलाना कि अल्लाह तआला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ करार दी है जो उनके सरमाएदारों से ली जाएगी (जो साहिबे निसाब होंगे) और उन्हीं के फ़क़ीरों में तक्सीम कर दी जाएगी। जब वो इसे भी मान लें तो उनसे ज़कात वसूल कर। अलबत्ता उनकी उम्दा चीज़ें (ज़कात के तौर पर लेने से) परहेज़ करना। (राजेअ : 1390)

तशरीह : उनके फ़क़ीरों में बांटने का मतलब ये है कि उन्हीं के मुल्क के फ़क़ीरों को इस मा'नी के तहत एक मुल्क की ज़कात दूसरे मुल्क के फ़क़ीरों को भेजना नाजाइज़ करार दिया गया है। मगर जुम्हूर उलमा कहते हैं कि मुराद मुसलमान फ़क़ीर हैं। ख़्वाह वो कहीं हों और किसी भी मुल्क के हों, इस मा'नी के तहत ज़कात का दूसरे मुल्क में भेजना दुस्स्त रखा गया है। हदीष और बाब की मुताबकत ज़ाहिर है। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं, व क़ाल शैखुन फ़ी शहिंत्तिर्मिजी वज्जाहिरू इन्दी अदमुन्नक़लि इल्ला इज़ा फकदलमुस्तहिक्कून लहा औ तकूनु फिन्नकलि मस्लहतुन अन्फउ व अहम्मु मिन अदमिही वल्लाहु तआला आलमु. (मिआत)

या'नी हमारे शैख मौलाना अब्दुर्रहमान साहब शरह तिर्मिजी में फ़र्माते हैं कि मेरे नज़दीक ज़ाहिर यही है कि सिर्फ़ इसी सूरत में वहाँ से ज़कात दूसरी जगह दी जाए जब वहाँ मुस्तहिक्क लोग न हों या वहाँ से नक़ल करने में कोई मस्लिहत हो या बहुत ही अहम हो और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा-बख़्श हो कि वो न भेजने की सूरत में हासिल न हो तो ऐसी हालत में दूसरी जगह में ज़कात भेजी जा सकती है।

बाब 46 : पाँच ऊँटों से कम में

46 - بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ

41 - بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

1458 - حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: ((إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلِيهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)). [راجع: 1390]

ज़कात नहीं

ذُوْدِ صَدَقَةٍ

1459. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन अबी सअसआ माज़नी ने, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि पाँच वस्क्र से कम खजूरों में ज़कात नहीं और पाँच औक्रिया चाँदी से कम चाँदी में ज़कात नहीं। इसी तरह पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं।

(राजेअ : 1405)

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَفْصَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ)). [راجع: ١٤٠٥]

इस हदीष के ज़ेल हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, अन अबी सईदिन खम्मस अवाक़ मिनल्वरक़ि सदक़तुन व हुव मुताबिकुन लिलफ़िज़त्तर्जुमति व कान लिलमुसन्निफ़ि अराद अंय्युबय्थिन बित्तर्जुमति मा अब्हम फ़ी लफ़िज़ल्हदीषि इतिमादन अला तरीक़िलउख़रा व अवाकुन बित्तनवीनि व बिइष्बातित्तहतानिय्यति मुशहदुन व मुखक्कफ़न जम्उ ऊक्रिय्यतिन बिज़म्मिलहम्जति व तशदीदित्तहतानिय्यति व हकलजयानी व फ़ीहि बिहज़िफ़लअलिफ़ि व फत्हिल्लावि व मिक्दारुलऊक्रिय्यति फ़ी हाज़ल्हदीषि अर्बऊन दिहमन बिल्इत्तिफ़ाक़ि वल्मुरादु बिदिहमिलखास्सि मिनल्फ़िज़्जति सवाअन कान मज़रूबन औ गैर मज़रूबिन.

औसक जम्उ वसकिन बिफत्हिल्लावि व यजूजू कस्रूहा कमा हकाहू साहिबुल्मुहकम व जम्उहू हीनइज़िन औसाक़ कहम्मिलिन व अहमाल व क़द वकअ कज़ालिक फ़ी रिवायतिल्मुस्लिम व हुव सित्तून साअन बिल्इत्तिफ़ाक़ि व वकअ फ़ी रिवायतिब्नि माजा मिन तरीक़ि अबिलबख़तरी अन अबी सईदिन नहव हाज़ल्हदीषि व फ़ीहि वल्वसकु सित्तून साअन व कद उज्मउ अला ज़ालिक फ़ी खम्मसति औसकिन फ़मा ज़ाद अज्मअलउलमाउ अला इशतिरातिल्हौलि फिल्माशिय्यति वन्नक्रुदू नल्मअशराति वल्लाहु आलमु. (फ़्तुल बारी)

इबारत का खुलासा ये है कि पाँच औक्रिया चाँदी में ज़कात है। यही लफ़ज़ बाब के बारे में ह और दूसरी रिवायत पर ए' तिमाद करते हुए लफ़ज़े हदीष में जो इब्हाम था, उसे तर्जुमा के ज़रिये बयान कर दिया। और लफ़ज़ अवाक़ औक्रिया का बहुवचन है। जिसकी मिक्दार मुत्फ़का तौर पर चालीस दिरहम है। दिरहम से खालि़स चाँदी का सिक्का मुराद है जो मज़रूब हो या गैर मज़रूब।

लफ़ज़ औसक़ वस्क्र की जमा है और वो मुत्फ़का तौर पर साठ साअ पर बोला गया है। इस पर इज्माअ है कि उशर के लिये पाँच वस्क्र का होना ज़रूरी है और जानवरों के लिये नक़दी के लिये एक साल का गुजर जाना भी शर्त है। इस पर इलमा का इज्माअ है। अज्नास जिनसे उशर निकाला जाता है उनके लिये साल गुजरने की शर्त नहीं है। हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब फ़र्माते हैं, कुलतु हाज़ल्हदीषु सरीहुन फ़ी अन्नन्निसाब शर्तुन लिवुजूबिल्अशरि औ निस्फुलअशरि फला तजिबुज़्जकातु फ़ी शैइन मिनज़्ज़ुरूइ वग्घिमरि हत्ता तब्लुग़ खम्मसत औसक व हाज़ा मज़हबु अक़षरि अहलिल्इल्मि वम्माइ अर्बअत अम्दाद वल्मुदु रत्तुन औ धुलुषु रत्तुन फ़म्माउ खम्मसत अर्तालिन व धुलुष रत्तुन ज़ालिक बिर्तलिल्लज़ी मिअत दिरहम व प्रमानियत इशरुन दिरहमन बिहराहिमुल्लती कुल्लु उशरतिम्मिन्हा वज़्नु सब्अति मषाकील. (मिआत)

या'नी मैं कहता हूँ कि ये हदीष सराहत के साथ बतला रही है कि उशर या निस्फ़े उशर के लिये निसाब शर्त है पस खेती और फलों में कोई ज़कात फ़र्ज़ न होगी जब तक वो पाँच वस्क्र को न पहुँच जाए और अक़षर अहले इल्म का यही मज़हब है

और एक वस्कर साठ साअ का होता है और साअ चार मुद् का होता है और मुद् एक रत्न और तिहाई रत्न का। पस साअ के पाँच और तिहाई रत्न हुए और ये हिसाब रत्न से है जिसका वजन एक सौ अठ्ठाईस दिरहम के बराबर हों और दिरहम से मुराद वो जिसके लिये दस दिरहम का वजन सात मिक्काल के बराबर हो।

कुछ उलम-ए-अहनाफ़ हिन्द ने यहाँ की ज़मीनियों से उशर को साक़ित करार देने की कोशिश की है जो यहाँ कि अराज़ी को ख़िराज़ी करार देते हैं। इस बारे में हज़रत मौलाना शैख़ुल हदीष उबैदुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं, इख़्तलफ़ अस्हाबुल्फ़त्वा मिनल्हनफ़िय्यति फ़ी अराज़िल्मुस्लिमीन फ़ी बिलादिल्हिन्दि फ़ी ज़मनिल्इन्कलैज़ि व तख़ब्बतू फ़ी ज़ालिक फ़क़ाल बअज़ुहुम अन्न अराज़िल्हिन्दि लैसत बिउशरिय्यतिन व ला ख़राजिय्यतिन बल अराज़िल्हौज़ि अय अराज़ी बैतिल्मालि व अराज़िल्मम्लिकति वल्हक्कु इन्दन वुजूबुल्उशरि फ़ी अराज़िल्हिन्दि मुत्लक़न अय अला सिफ़तिन कानत फयजिबुल्उशरू अराज़िल्हिन्दि मुत्लक़न अय अला सिफ़तिन कानत फयजिबुल्उशरू औ निस्फ़ुहू अलल्मुस्लिमि फ़ीमा यहसुलु लहू मिनल्अर्ज़ि इज़ा बलगन्निसाब सवाअन कानतिल्अर्ज़ु मिलक़न लहू औ लिग़ैरिही जर्डन फ़ीहा अला सबीलिल्इज़ारति अविल्आरिय्यति अविल्मुजारअति लिअन्नल्उशर फिल्हब्बि वज़ज़रइ वल्इबरति लिमय्यम्लिकुहू फयजिबुज़ज़क़ातु फ़ीहि अला मालिकिल्हिल्मुस्लिम व लैस मिम्मूनतिल्अर्ज़ि फ़ला युब्हषु अन सिफ़तिहा वल्फ़रबिय्यतुत्लती ताख़ुजुहल्मम्लिकतु मिन अस्हाबिल्मज़ारिइ फिल्हिन्दि लैसत ख़राजन शरइय्यन व ला मिम्मा यस्कुतु फ़रीज़तुल्उशरि कमा ला यख़फ़ा वर्ज़िअ इल्मुग़नी. (पेज 728, जिल्द 2, मिअ्तत : जिल्द 3, पेज 38)

या'नी अंग्रेज़ी, उर्दू में हिन्दी मुसलमानों की अराज़ियात के बारे में उलम-ए-अहनाफ़ ने जो साह्बाने फ़त्वा थे कुछ ने ये ख़ब्त इख़ितयार किया कि इन ज़मीनियों की पैदावार में उशर नहीं है। इसलिये कि ये आराज़ी दारुल ह़रब हैं। कुछ ने कहा कि ये ज़मीनें न तो उशरी हैं और न ख़िराज़ी बल्कि ये हुकूमत की ज़मीनें हैं और हमारे नज़दीक अम्मे हक्क ये है कि आराज़िये हिन्द में मुत्लक़न पैदावार निज़ाब पर मुसलमानों के लिये उशर वाजिब है और इस बारे में ज़मीन पर अख़्राजात और सरकारी मालियाना वग़ैरह का कोई 'ए' तिबार नहीं किया जाएगा क्योंकि हिन्दुस्तान में सरकार जो टैक्स लेती है, वो ख़िराजे शरई नहीं है और न उससे उशर साक़ित हो सकता है।

बाब 43 : गाय-बैल की ज़कात का बयान

और अबू हुमैद साएदी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तुम्हें (क्रयामत के दिन इस हाल में) वो शख़्स दिखाऊँगा जो अल्लाह की बारगाह में गाय के साथ इस तरह आएगा कि वो गाय बोलती हुई होगी। (सूरह मोमिनून में लफ़ज़) ज्वार (ख़वार के हम मा'नी) यज़ारून (उस वक़्त कहते हैं जब) इस तरह लोग अपनी आवाज़ बुलन्द करें जैसे गाय बोलती है।

1460. हमसे उमर बिन हफ़्स बिन गयाष ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने मअरूर बिन सुवैद से बयान किया, उनसे अबूज़र (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के करीब पहुँच गया था और आप फ़र्मा रहे थे। उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है या (आप ने क़सम इस तरह खाई) उस ज़ात की क़सम, जिसके

٤٣ - بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَأُغْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَقْرَةٍ لَهَا خَوَارٌ)) وَيَقَالَ: ((خَوَارٌ)). تَخَارُونَ: أَي تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَخَارُ الْبَقْرَةُ

١٤٦٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي بِيَدِي - أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ

सिवा कोई मा'बूद नहीं। या जिन अल्फ़ाज़ के साथ भी आपने क्रसम खाई हो (इस ताकीद के बाद फ़र्माया) कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास ऊँट, गाय या बकरी हो और वो उसका हक़ अदा न करता हो तो क़यामत के दिन उसे लाया जाएगा, दुनिया से बड़ी और मोटी-ताज़ी करके। फिर वो अपने मालिक को अपने खुरों से रौदेगी और सींग मारेगी। जब आख़िरी जानवर उस पर से गुज़र जाएगा तो पहला जानवर फिर लौट कर आएगा (और उसे अपने सींग मारेगा और खुरों से रौदेगा) उस वक़्त तक (ये सिलसिला बराबर क़ायम रहेगा) जब तक लोगों का फ़ैसला नहीं हो जाता। इस हदीष को बुकैर बिन अब्दुल्लाह ने अबू स़ालेह से रिवायत किया है, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से। (दीगर मक़ाम: 6638)

इस हदीष से बाब का मतलब या'नी गाय-बैल की ज़कात देने का वुजूब प्राबित हुआ क्योंकि अज़ाब इस अम्र के तर्क पर होगा जो वाजिब है। मुस्लिम की रिवायत में इस हदीष के ये लफ़ज़ भी हैं और वो इसकी ज़कात न अदा करता हो। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) की शराइत के मुताबिक़ उन्हें गाय की ज़कात के बारे में कोई हदीष नहीं मिली। इसलिये इस बाब के तहत आपने इस हदीष को ज़िक्र करके गाय की ज़कात की फ़र्ज़ियत पर दलील पकड़ी।

बाब 44 : अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना

और नबी करीम (ﷺ) ने (ज़ैनब के हक़ में फ़र्माया जो अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद की बीवी थी) उसको दोगुना प्रवाब मिलेगा, नात्ता जोड़ने और स़दके का।

अहले हदीष के नज़दीक ये मुत्लक़न जाइज़ है। जब अपने रिश्तेदार मुहताज हों तो बाप बेटे को या बेटा बाप को, या शौहर बीवी को या बीवी शौहर को दे। कुछ ने कहा अपने छोटे बच्चे को फ़र्ज़ ज़कात देना बिल इच्माअदुरुस्त नहीं और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) ने अपने शौहर को भी देना दुरुस्त नहीं रखा और इमामे शाफ़िई, इमाम अहमद ने हदीष के मुवाफ़िक़ इसको जाइज़ रखा है। मुतर्जिम (मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम) कहते हैं कि रिश्तेदारों को अगर वो मुहताज हों ज़कात देने में दुहरा प्रवाब मिलेगा। नाजाइज़ होना कैसा? (वहीदी)

रायह का मा'नी बेखटके आमदनी का माल या बेमेहनत और मशक़त की आमदनी का ज़रिया रूह की रिवायत खुद इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल बुयूअ में और यद्दा बिन यद्दा की किताब किताबुल वसाया में और इस्माईल की किताबुत्तप्सीर में वस्ल की। (वहीदी)

1461. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़ल्हा ने, कि उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि अबू त़ल्हा (रज़ि.) मदीना में अन्सार में सबसे ज़्यादा मालदार थे। अपने खज़ूर के बागात की वजह से। और अपने बागात में सबसे ज़्यादा पसन्द उन्हें बेरिहा का बाग़ था।

غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا خَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَىٰ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تُطَوَّرُ بِأَخْفَالِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَارَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ)).
رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[طرفه في : ٦٦٣٨].

٤٤ - بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقْرَابِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ))

١٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ

ये बाग मस्जिदे-नबवी के बिल्कुल सामने था और रसूलुल्लाह (ﷺ) इसमें तशीफ़ ले जाया करते थे और इसका मीठा पानी पिया करते थे। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि जब ये आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फ़िकू मा तुहिब्बून या'नी तुम नेकी को उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ न ख़र्च कर दो। ये सुनकर अबू तल्ह्हा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है कि तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ न ख़र्च कर दो। और मुझे बीरेहा का बाग़ सबसे ज़्यादा प्यारा है। इसलिये मैं उसे अल्लाह तआला के लिये ख़ैरात करता हूँ इसकी नेकी और इसके ज़ख़ीर—आख़िरत होने का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह के हुक्म से जहाँ आप मुनासिब समझें इसे इस्ते'माल कीजिए। रावी ने बयान किया कि ये सुनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ूब! ये तो बड़ा ही आमदनी का माल है। ये तो बहुत ही नफ़ाबख़्श है। और जो बात तुमने कही है मैंने वो सुन ली। और मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम इसे अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को दे डालो। अबू तल्ह्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं ऐसा ही करूँगा। चुनाँने उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों और चचा के लड़कों को दे दिया। यह्या बिन यह्या और इस्माईल ने मालिक के वास्ते से (राबेह के बजाय) रायेह नक़ल किया है। (दीगर मक़ाम: 2318, 2852, 2858, 2869, 4554, 4555, 5611)

أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنِّي صَدَقْتُ اللَّهَ أَرْجُو بَرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَخَّ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا لِي الْأَقْرَبِينَ)). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَعْمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ لِي أَقْرَبِيهِ وَبَنِي عَمِّي)).

تَابِعُهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ بَالِيًا)).

[أطرافه في: ٢٣١٨، ٢٧٥٢، ٢٧٥٨،

٢٧٦٩، ٤٥٥٤، ٤٥٥٥، ٥٦١١.]

तशीह:

इस हदीष से साफ़ निकला कि अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करना दुरुस्त है। यहाँ तक कि बीवी भी अपने मुफ़्लिस शौहर और मुफ़्लिस बेटे पर ख़ैरात कर सकती है और गोया ये सदक़ा फ़र्ज़ ज़कात न था मगर फ़र्ज़ ज़कात को भी इस पर क़यास किया है। कुछ ने कहा जिसका नफ़का आदमी पर वाजिब हो जैसे बीवी का या छोटे लड़के का तो उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं और चूँकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) जिन्दा थे इसलिये उनके होते हुए बच्चे का ख़र्च माँ पर वाजिब न था। लिहाज़ा माँ को उस पर ख़ैरात ख़र्च करना जाइज़ हुआ। वल्लाहु आलम (वहीदी)

1462. हमसे सईद बिन अबू मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुहम्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें अयाज़ बिन अब्दुल्लाह

١٤٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

ने, और उनसे अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने बयान किया, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़हा या ईदुल फ़ित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गये। फिर (नमाज़ के बाद) लोगों को वा'ज़ फ़र्माया और स़दका का हुक्म दिया। फ़र्माया, लोगों! स़दका दो। फिर आप (ﷺ) औरतों की तरफ़ गये और उनसे भी यही फ़र्माया कि औरतों! स़दका दो कि मैंने जहन्नम में बक़रत तुम्ही को देखा है। औरतों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! ऐसा क्यों है? आपने फ़र्माया, इसलिये कि तुम लअन व तअन ज़्यादा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज़्यादा अक्ल और दीन के ऐतबार से नाक़िस ऐसी कोई मख़लूक नहीं देखा जो कारआज़मूदा मर्द की अक्ल को भी अपनी मट्टो में ले लेती हो। हाँ ऐ औरतों! फिर आप वापस घर पहुँचे तो इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) आई और इजाज़त चाही। आप (ﷺ) से कहा गया कि ये ज़ैनब आई हैं। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया कौनसी ज़ैनब? (क्योंकि ज़ैनब नाम की बहुत सी औरतें थी) कहा गया कि इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की बीवी। आपने फ़र्माया, अच्छा उन्हें इजाज़त दे दो। चुनाँचे इजाज़त दी गई, उन्हाने आकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आज आपने स़दका का हुक्म दिया था। और मेरे पास भी कुछ ज़ेवर है जिसे मैं स़दका करना चाहती हूँ। लेकिन (मेरे ख़ाविन्द) इब्ने मस्ऊद ये ख़याल करते हैं कि वो और उनके लड़के उन (मिस्कीनों) से ज़्यादा मुस्तहिक़ है जिन पर मैं स़दका करूँगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया कि इब्ने मस्ऊद ने सहीह कहा। तुम्हारे शौहर और तुम्हारे लड़के इस स़दके के उनसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है, जिन्हें तुम स़दके के तौर पर दोगी। (मा'लूम हुआ कि अकारिब अगर मुहताज हो तो स़दका के अब्वलीन मुस्तहिक़ वही है।)

(राजेअ: 304)

زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ لَيْلٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَوَعظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا)). فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). فَقُلْنَ: وَيْمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((تَكْثِيرُ اللَّعْنِ، وَتَكْفُرُ الْعَشِيرَةَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبِّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ)). ثُمَّ انصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ. فَقَالَ: ((أَيُّ الزَّيْنَبِ؟)) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ ((نَعَمْ، ائْذِنُوا لَهَا)), فَأْذِنَ لَهَا. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي خَلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَصَدِّقَ بِهِ، فَرَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ٣٠٤]

बाब 45 : मुसलमान पर उसके घोड़ों की जकात देना ज़रूरी नहीं

٤٥ - بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

1463. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सुलैमान बिन यसार से सुना, उनसे ईराक बिन मालिक ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुसलमान पर उसके घोड़े और गुलाम की ज़कात वाजिब नहीं।

बाब 46 : मुसलमान को अपने गुलाम (लौण्डी) की ज़कात देनी ज़रूरी नहीं है

1464. हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे खुशैम बिन इराक बिन मालिक ने, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से (दूसरी सनद) और हमसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे से वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे खुशैम बिन इराक बिन मालिक ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुसलमान पर न उसके गुलाम में ज़कात फ़र्ज है और न घोड़े में।

(राजेअ : 1463)

۱۴۶۳- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَعِلاَمِهِ صَدَقَةٌ)).

۴۶- بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

۱۴۶۴- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُنَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ)).

[راجع: ۱۴۶۳]

अहले हदीष का मुहक़क़ मज़हब यही है कि गुलामों और घोड़ों में मुत्लक़न ज़कात नहीं है भले ही वे तिजारत के लिये हों। मगर इब्ने मुंज़िर ने इस पर इज्माअ नक़ल किया है कि अगर तिजारत के लिये हो तो उनमें ज़कात है। असल ये है कि उन्हीं जिनसों पर लाज़िम है जिनका बयान आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्मा दिया। या'नी चौपायों में से ऊँट, गाय और बैल-बकरियों में और नक़दी माल से सोने-चाँदी में और अनाजों में से गेहूँ और जौ और ज्वार और मेवों में से खजूर और सूखी अंगूर में। बस इनके सिवा और किसी माल में ज़कात नहीं। भले तिजारत और सौदागरी ही के लिये हो और इब्ने मुंज़िर ने जो इज्माअ इसके खिलाफ़ पर नक़ल किया है वो सही नहीं है। जब ज़ाहिरिया और अहले हदीष इस मसले में मुख्तलिफ़ हैं तो इज्माअ क्यूँकर हो सकता है और अबू दाऊद की हदीष और दारे कुल्नी की हदीष की जिस माल को हम बेचने के लिये रखें उसमें आपने ज़कात का हुक्म दिया या कपड़ों में ज़कात है, ज़ईफ़ है। हुज्जत के लिये लायक़ नहीं।

और आयते कुआन **رَبُّج مِينِ اَمْوَالِهِمْ** में अम्वाल से वही माल मुराद हैं जिनकी ज़कात की तसरीह हदीष में आई है ये इमाम शौकानी (रह.) की तहक़ीक़ है और सय्यिद अल्लामा ने इसकी ताईद की है इस आधार पर जवाहरात, मोती, मूंगा, याक़ूत, अलमास और दूसरी सैकड़ों तिजारती चीज़ों में जैसे घोड़े, गाड़ियाँ, किताबें, काग़ज़ में ज़कात वाजिब न होगी। मगर चूँकि अइम्म-ए-अरब़ा और जुम्हूर इलमा अम्वाले तिजारती में वुजूबे ज़कात की तरफ़ गए हैं लिहाज़ा

एहतियात और तक्रवा यही है कि इनमें से जकात निकाले। (वहीदी)

बाब 47 : यतीमों पर सद्का करना

1465. हमसे मुआज बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि मुझसे हिशाम दस्तवाई ने यहा से बयान किया, उनसे हिलाल बिन अबू मैमूना ने बयान किया, कहा कि हमसे अत्ताब बिन यसार ने बयान किया, और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर तशीफ़ फ़र्मा हुए हम भी आपके इर्दगिर्द बैठ गये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारे मुता'ल्लिक इस बात से डरता हूँ कि तुम पर दुनिया की खुशहाली और उसकी ज़ेबाइश व आराइश के दरवाज़े खोल दिये जाएँगे। एक शख़्स ने अज़्र किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या अच्छाई बुराई पैदा करेगी? इस पर नबी करीम (ﷺ) ख़ामोश हो गये। इसलिये उस शख़्स से कहा जाने लगा कि क्या बात थी? तुमने नबी करीम (ﷺ) से एक बात पूछी लेकिन आँहज़रत (ﷺ) तुमसे बात नहीं करते। फिर हमने महसूस किया कि आप (ﷺ) को वह्य नाज़िल हो रही है। बयान किया गया कि फिर आँहज़रत (ﷺ) ने पसीना साफ़ किया (जो वह्य के नाज़िल होते वक़्त आपको आता था) फिर पूछा कि सवाल करने वाले साहब कहाँ है। हमने महसूस किया कि आप (ﷺ) ने उसके (सवाल की) ता'रीफ़ की फिर आपने फ़र्माया कि अच्छाई बुराई पैदा नहीं करती (मगर बेमौक़ा इस्ते'माल से बुराई पैदा होती है) क्योंकि मौसमे-बहार में बाज़ ऐसी घास भी उगती है जो जानलेवा या तकलीफ़देह प्राबित होती है। अलबत्ता हरियाली चरने वाला वो जानवर बच जाता है कि ख़ूब चरता है और जब उसकी दोनों कोखें भर जाती हैं तो सूरज की तरफ़ रुख़ करके पाखाना-पेशाब कर देता है और फिर चरता है। इसी तरह ये माल-दौलत भी एक खुशगवार सब्ज़ा ज़ार है। और मुसलमान का वो माल कितना उम्दा है जो मिस्कीन, यतीम और मुसाफ़िर को दिया जाए। या जिस तरह नबी करीम (ﷺ) ने इशार्द फ़र्माया। हौ अगर कोई शख़्स ज़कात हक़दार होने के बग़ैर लेता है तो उसकी मित्राल ऐसे शख़्स की सी है जो खाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। और क़यामत के दिन ये माल

٤٧- بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى
١٤٦٥- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي
مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا غَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ
(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى
الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : ((إِنِّي مِمَّا
أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ
مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنِهَا)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ يَأْتِي الْخَيْرَ بِالشَّرِّ؟
فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟
تَكَلَّمُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ
يُنزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَصَاءَ،
وَقَالَ : ((أَبْنِ السَّائِلَ؟)) - وَكَأَنَّهُ حَمِيدَةٌ
- فَقَالَ : ((إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرَ بِالشَّرِّ، وَإِنْ
مِمَّا نَبَيْتُ الرِّبِيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يَلِيْمٌ، إِلَّا أَكَلَةَ
الْخَضْرَاءِ، أَكَلْتُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ
خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَلَطَطَتْ
وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ. وَإِنْ هَذَا الْمَالُ خَطِيْرَةٌ
حُلُوَّةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أُعْطِيَ
مِنْهُ الْمُسْكِينِ وَالْيَتِيْمِ وَابْنِ السَّبِيْلِ)) -
أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ
بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ،
وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[راجع: ٩٢١]

उसके खिलाफ गवाह होगा। (राजेअ: 921)

तशीह: इस लम्बी हदीष में आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत के मुस्तक़िबल की बाबत कई एक इशारे फ़र्माए जिनमें ज़्यादातर बातें वजूद में आ चुकी हैं। इस सिलसिले में आपने मुसलमानों के उरूजो इक़बाल के दौर पर भी इशारा किया और ये भी बतलाया कि दुनिया की तरक्की माल व दौलत की फ़रावानी यहाँ का ऐशो-आराम ये चीज़ें बज़ाहिर ख़ैर हैं मगर कुछ मर्तबा इनका नतीजा शर से भी तब्दील हो सकता है। इस पर कुछ ने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) क्या ख़ैर कभी शर का सबब बन जाएगी। इस सवाल के जवाब के लिये आँहज़रत (ﷺ) वद्व के इतिज़ार में खामोश हो गए। जिससे कुछ लोगों को ख़याल हुआ कि आप इस सवाल से नाराज़ हो गए हैं। काफ़ी देर बाद जब अल्लाह ने आपको बज़रिये वद्व जवाब से आगाह कर दिया तो आप (ﷺ) ने ये मिषाल देकर जो हदीष में मज़कूर है समझाया और बतलाया कि भले ही दौलत हक़ तआला की नेअमत और अच्छी चीज़ है लेकिन जब बेमौका और गुनाहों में सफ़र की जाए तो यही दौलत अज़ाब बन जाती है। जैसे फ़सल की हरी घास वो जानवरों के लिये बड़ी उम्दा नेअमत है मगर जो जानवर एक ही मर्तबा गिरकर उसको हद से ज़्यादा खा जाए तो उसके लिये यही घास ज़हर का काम देती है। जानवर पर क्या मुन्हसिर है। यही रोटी जो आदमी के लिये ज़िन्दगी का सबब है अगर इसमें बे-ए'तिदाली की जाए तो मौत का सबब बन जाती है। तुमने देखा होगा कि क़हत से मुता'ष्षिर (अकालग्रस्त) भूखे लोग जब एक ही बार खाना पा लेते हैं और हद से ज़्यादा खा जाए तो कुछ दफ़ा ऐसे लोग पानी पीते ही दम तोड़ देते हैं और हलाक हो जाते हैं। ये खाना उनके लिये ज़हर का काम देता है।

पस जो जानवर एक ही मर्तबा रबीअ की पैदावार पर नहीं गिरता बल्कि सूखी घास पर जो बारिश से ज़रा ज़रा हरी निकलती है उसके खाने पर क़नाअत करता है और फिर खाने के बाद सूरज की तरफ़ मुँह करके खड़े होकर उसके हज़म होने का इतिज़ार करता है। पाखाना-पेशाब करता है तो वो हलाक नहीं होता।

उसी तरह दुनिया का माल भी है जो ए'तिदाल से हुराम व हलाल की पाबन्दी के साथ उसको कमाता है उससे फ़ायदा उठाता है आप खाता है। मिस्कीन, यतीम, मुसाफ़िरों की मदद करता है तो वो बचा रहता है। मगर जो हरीस कुत्ते की तरह दुनिया के माल व अस्बाब पर गिर पड़ता है और हलाल व हुराम की क़ैद उठा देता है। आख़िर वो माल उसको हज़म नहीं होता। और इस्तिफ़ाग़ की ज़रूरत पड़ती है। कभी बदहज्मी होकर उसी को माल की धुन में अपनी जान भी गंवा देता है। पस माल दुनिया की ज़ाहिरी ख़ूबसूरती पर फ़रेब मत खाओ, होशियार रहो, हलवे के अंदर ज़हर लिपटा हुआ है।

हदीष के आख़िरी अल्फ़ाज़ फ़निअम साहिबुल्मुस्लिमि मा आता मिन्हुल्मिस्कीन वल्यतीम वबनस्सबील में ऐसे लालची तिमाम लोगो पर इशारा है जिनको जूठल बकर की बीमारी हो जाती है और किसी तरह उनकी हिंस नहीं जाती।

बाब 48 : औरत का खुद अपने शौहर को या अपनी ज़ेरे तर्बियत यतीम बच्चों को जकात देना

इसको अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

1466. हमसे इमर बिन हफ़स बिन गयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे शक़ीक़ ने, उनसे अग्र बिन अल हारिष ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब ने (आ'मश ने)

٤٨- بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ

وَالْإِنْتِظَامِ فِي الْحَجْرِ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٦٦- حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ

عِيَّاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ

कहा कि मैंने इस हदीष का ज़िक्र इब्राहीम नखई से किया। तो उन्होंने भी मुझसे अबू उबैदा से बयान किया। उनसे अम्र बिन हारिष ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब ने, बिल्कुल इसी तरह हदीष बयान की (जिस तरह शक्रीक ने की कि) ज़ैनब ने बयान किया कि मैं मस्जिदे नबवी में थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने देखा। आप ये फ़र्मा रहे थे, स़दका करो, ख़वाह अपने ज़ेवर ही में से दो। और ज़ैनब अपन स़दका अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद और चन्द यतीमों पर भी जो उनकी परवरिश में थे ख़र्च किया करती थी। इसलिये उन्होंने अपने ख़ाबिन्द से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछिये कि क्या वो स़दका भी किफ़ायत करेगा जो मैं आप पर और उन चन्द यतीमों पर ख़र्च करूँ जो मेरी सुपुर्दगी में हैं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ने कहा कि तुम ख़ुद जाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ लो। आख़िर मैं ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। उस वक़्त मैंने आपके दरवाज़े पर एक अन्सारी ख़ातून को पाया। जो मेरी ही जैसी ज़रूरत लेकर मौजूद थीं। (जो ज़ैनब अबू मस्ऊद अन्सारी की बीवी थी) फिर हमारे सामने से बिलाल गुज़रे। तो हमने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये मसला दरयाफ़्त कीजिए कि क्या वो स़दका मुझसे किफ़ायत करेगा जिसे मैं अपने शौहर और अपनी ज़ेरे तहवील चन्द यतीमों पर ख़र्च करदूँ। हमने बिलाल से ये भी कहा कि हमारा नाम न लिया जाए। वो अन्दर गये और आपसे अज़र्ज किया कि दो औरतें मसला दरयाफ़्त करती है। तो हज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये दोनों कौन हैं? बिलाल (रज़ि.) ने कह दिया कि ज़ैनब नाम की है। आपने फ़र्माया कि कौन सी ज़ैनब? बिलाल ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद की बीवी। आपने फ़र्माया कि हाँ! बेशक दुरुस्त है और उन्हें दोगुना प्रवाब मिलेगा। एक क़राबतदारी का और दूसरा ख़ैरात का।

तशरीह: इस हदीष में स़दका या'नी ख़ैरात का लफ़्ज़ है जो फ़र्ज़ स़दका या'नी ज़कात और नफ़ल ख़ैरात दोनों को शामिल है। इमाम शाफ़ई (रह.) और प्रौरी (रह.) और साहेबैन और इमाम मालिक (रह.) और इमाम अहमद (रह.) से एक रिवायत ऐसी ही है अपने शौहर को और बेटों को (बशर्ते कि वो ग़रीब-मिस्कीन हों) देना दुरुस्त है। कुछ कहते हैं कि माँ-बाप और बेटे को देना दुरुस्त नहीं। और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक शौहर को भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। वो कहते हैं कि उन हदीषों में स़दका से नफ़ल स़दका मुराद है। (वहीदी)

الْحَارِثِ عَنِ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عْتِيدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِهِ سَوَاءً قَالَتْ: ((كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((صَدَقَنَ وَلَوْ مِنْ خَلِيْقٍ)). وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا. فَقَالَتْ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي. فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْصَدَقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي فِي حَجْرِي. وَقُلْنَا: لَا تُغَيِّرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((مَنْ هُمَا؟)) فَقَالَ زَيْنَبُ. قَالَ: ((أَيُّ الزَّيْنَبِ؟)) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ)).

लेकिन खुद हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने यहाँ ज़काते फ़र्ज़ को मुराद लिया है। जिससे उनका मसलक ज़ाहिर है हदीष के जाहिर अल्फ़ाज़ से भी हज़रत इमाम के ख़याल ही की ताईद होती है।

1467. हमसे उम्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्द ने, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उनसे ज़ैनब बिनत उम्मे सलमा ने, उनसे उम्मे सलमा ने, उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं अबू सलमा (अपने पहले खाविन्द) के बेटों पर खर्च करूँ तो दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि वो मेरी भी औलाद हैं। आपने फ़र्माया कि हाँ उन पर खर्च कर। तू जो कुछ भी उन पर खर्च करेगी, उसका प्रवाब तुझको मिलेगा। (दीगर मक़ाम : 5369)

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِي. فَقَالَ : ((أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلكِ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)).

[طرفه في : ٥٣٦٩]

मुहताज औलाद पर सद्का ख़ैरात यहाँ तक कि ज़कात का माल देने का जवाज़ प्राबित हुआ।

बाब 49 : अल्लाह तआला के फ़र्मान

(ज़कात के मसालिक बयान करते हुए कि ज़कात) गुलाम आज़ाद कराने में, मक़रूज़ के क़र्ज़ अदा करने में और अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाए।

٤٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَلِي الرِّقَابِ وَالْفَارِسِينَ وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة : ٦٠].

वफ़िरिकाब से यही मुराद है। कुछ ने कहा मुकातब की मदद करना मुराद है और अल्लाह की राह से मुराद गाज़ी और मुजाहिद लोग हैं। और इमाम अहमद (रह.) और इस्हाक़ ने कहा कि हाज़ियों को देना भी फ़ी सबीलिल्लाह में दाख़िल है। मुकातब वो गुलाम जो अपनी आज़ादी का मामला अपने मालिक से तै कर ले और मामले की तफ़्सीलात लिख जाएँ।

और इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मन्कूल है कि अपनी ज़कात में से गुलाम आज़ाद कर सकता है और हज्ज के लिये दे सकता है। और इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा कि अगर कोई ज़कात के माल से अपने आप को जो गुलाम हो ख़रीद कर आज़ाद करदे तो जाइज़ है। और मुजाहिदीन के अख़राजात के लिये भी ज़कात दी जाए। इसी तरह उस शख़्स को भी ज़कात दी जा सकती है जिसने हज्ज न किया हो। (ताकि उसकी इमदाद से हज्ज कर सके) फिर उन्होंने सूरह तौबा इन्नमसद्कातु लिल फ़ुकराए आख़िर तक की तिलावत की और कहा कि (आयत में बंधानशुदा तमाम मसालिक-ज़कात में से) जिसको भी ज़कात दी जाए काफी है। और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ख़ालिद (रज़ि.) ने तो

وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يُعْتَقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي لِي الْحَجِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَارًا، وَيُعْطِي لِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يُحَجَّ ثُمَّ تَلَا : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الْآيَةَ. لِي أَيُّهَا أُعْطِيَتْ أَجْزَاءُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنْ خَالِدًا اخْتَسَمَ أَذْرَاعَهُ لِي سَبِيلِ اللَّهِ)). وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ : (حَمَلْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ إِبِلَ الصَّدَقَةِ

अपनी ज़िरहें अल्लाह तआला के रास्ते में वक़फ़ कर दी हैं। अबुल आस (ज़ियादा ख़ुजाई म्हाबी रज़ि.) से मन्कूल है कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें ज़कात के ऊँटों पर सवार करके हज्ज कराया।

للحجّ

तशरीह: कुआन शरीफ़ में जकात के आठ मस़ारिफ़ मज़कूर हैं। फ़ुकरा, मसाकीन, आमिलीने ज़कात, मुअल्लिफ़तुल कुलूब, रिक्काब, गारेमीन फ़ी सबीलिल्लाह, इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर। इमाम हसन बसरी (रह.) के क़ौल का मतलब ये है कि ज़कात वाला उनमें से किसी में भी ज़कात का माल ख़र्च करे तो काफ़ी होगा। अगर हो सके तो आठों किस्मों में दे मगर ये ज़रूरी नहीं है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और जुम्हूर उलमा और अहले हदीष का यही क़ौल है और शाफ़िइआ से मन्कूल है कि आठों मस़रफ़ में ज़कात ख़र्च करना वाजिब है भले ही किसी मस़रफ़ का एक ही आदमी मिले। मगर हमारे ज़माने में इस पर अमल मुश्किल है। अक़षर मुल्कों में मुजाहिदीन और मुअल्लिफ़तुल कुलूब और रिक्काब नहीं मिलते। इसी तरह आमिलीने ज़कात। (वहीदी) आयत मस़ारिफ़े ज़कात के तहत इमामुल हिन्द हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह.) फ़र्माते हैं, 'ये आठ मस़ारिफ़ जिस तर्तीब से बयान किये गये हैं हक़ीक़त में मामला की कुदरती तर्तीब भी यही है सबसे पहले फ़ुकरा और मसाकीन का ज़िक्र किया जो इस्तिहक़ाक़ में सबसे मुकद्दम हैं फिर आमिलीन का ज़िक्र आया जिनकी मौजूदगी के बग़ैर ज़कात का निज़ाम क़ायम नहीं रह सकता। फिर उनका ज़िक्र आया जिनका दिल हाथ में लेना ईमान की तक्विद्यत और हक़ की इशाअत के लिये ज़रूरी था। फिर गुलामों को आज़ाद कराने और क़र्ज़दारों को क़र्ज़ के भार से सुबुकदोश कराने के मक़ासिद नुमायाँ हुए फिर फ़ी सबीलिल्लाह का मक़सद रखा गया जिसका ज़्यादा इत्लाक़ दिफ़ाअ पर हुआ। फिर दीन के और उम्मत के आम मस़ालेह उसमें शामिल हैं। मषलन कुआन और उलमे दीनी की तर्तीब व इशाअत, मदारिस का इज्रा व क़ायाम, दअवात व मुबल्लिगीन के ज़रूरी मस़ारिफ़, हिदायत व इशादात के तमाम मुफ़ीद व साईल।

फ़ुक्कहा व मुफ़स्सिरीन का एक गिरोह उस तरफ़ गया है। कुछ ने मस्जिद, कुँआ, पुल जैसी ता'मीराते ख़ैरिया को भी उसमें दाख़िल कर दिया। (नैलुल औतार) फ़ुक्कहा-ए-हम्फ़िया में से स़ाहिबे फ़तावा ज़हीरिया ये लिखते हैं, अल्मुरादु तलबुल इल्म और स़ाहिबे बदाए के नज़दीक वो तमाम काम जो नेकी और ख़ैरात के लिये हों उसमें दाख़िल हैं। सबके आख़िर में इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर को जगह दी।

जुम्हूर के मज़हब का मतलब ये है कि तमाम मस़ारिफ़ में एक ही वक़्त में तक्सीम करना ज़रूरी नहीं है। जिस वक़्त जैसी हालत और जैसी ज़रूरत हो उसी के मुताबिक़ ख़र्च करना चाहिये और यही मज़हब कुआनो-सुन्नत की तस़रीहात और रूह के मुताबिक़ भी है। अइम्म-ए-अरबअ में सिर्फ़ इमाम शाफ़िइ (रह.) उसके ख़िलाफ़ गए हैं। (इक़्तिबास अज़ तप्सीर तर्जुमानुल कुआन आज़ाद जिल्द 2 पेज नं. 130)

फ़ी सबीलिल्लाह की तप्सीर में नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ मरहूम लिखते हैं: व अम्मा सबीलुल्लाहि फल्मुरादु हाहुनत्तरीकु इलैहि अज़्ज़ व जल्ल वल्लिहादु व इन कान आजमुत्तरीकि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल लाकिन ला दलील अला इख़्तिस़ासि हाज़स्सहमि बिही बल यसिद्हु सफ़ु ज़ालिक़ फ़ी कुल्लि मा कान तरीक़न इलल्लाहि हाज़ा मअनल्आयति लुगतन वल्वाजिबु अल्लुक्फ़ु अलल्मअनल्लु गविय्यति हैषु लम यसिद्हुन्नक्लु हुन शअन व मिन जुम्लति सबीलिल्लाहिस्सफ़ु फिलउलमाइल्लिज़ीन यकूमून बिमसालिहिल मुस्लिमीनदीनिय्यति फइन्न लहुम फ़ी मालिल्लाहि नसीबन बिलिस्सफ़ु फ़ी हाज़िहिल्लिजहति मिन अहम्मिल्लुमूरि लिअन्नल्माउ वरप्रतुलअम्बिया व हम्लतुहीनि व बिहिम तहफ़ज़ु बैजतुलइस्लामि व शरीअतु सय्यिदिल्आनाम व क़द कान उलमाउस्सहाबति याख़ुज़ून मिनल्अत्ताइ मा यकूमु बिमा यहताज़ून इलैहि

और अल्लामा शौकानी अपनी किताब वब्लुल ग़ामाम में लिखते हैं, व मिन जुम्लति फ़ी सबीलिल्लाहि अस्सफ़ु फिलउलमाइ फइन्न लहुम फ़ी मालिल्लाहि नसीबन सवाअन कानू अगनियाउ औ फ़ुक्क़राउ बलिस्सफ़ु फ़ी हाज़िहिल्लिजहति मिन अहम्मिल्लुमूरि व क़द कान उलमाउस्सहाबति याख़ुज़ून मिन जुम्लति हाज़िहिल्लुमूर्ि कानत तुफ़रकु बैनल्मुस्लिमीन अला हाज़िहिल्लिस्सफ़ति मिनज़्ज़काति. (मुलख़खस अज़ किताबु दलीलित्तालिब, पेज 432) खुलासा ये कि यहाँ सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद है जो वसूल इलल्लाह का बहुत ही बड़ा

रास्ता है। मगर उस हिस्से के साथ सबीलिल्लाह की तख्सीस करने पर कोई दलील नहीं है। बल्कि हर वो नेक जगह मुराद है जो तरीक़ इल्लाह के बारे में हो। आयत के लुवी मज़ानी यही हैं। जिन पर वाक़िफ़ियत ज़रूरी है और सबीलिल्लाह में उन इलमा पर खर्च करना भी जाइज़ है जो ख़िदमाते मुस्लिमीन में दीनी हैषियत से लगे हुए हैं। उनके लिये अल्लाह के माल में यक़ीनन हिस्सा है बल्कि ये अहम्मूल उमूर है। इसलिये कि इलमा अंबिया किराम के वारिष हैं। उन ही की नेक कोशिशों से इस्लाम और शरीअते सय्यिदुल अनाम महफूज़ है। इलम-ए-सहाबा भी अपनी हाजात के मुताबिक़ उससे अतिया लिया करते थे।

अल्लामा शौकानी (रह.) कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह में इलम-ए-दीन के मसारिफ़ में खर्च करना भी दाख़िल है उनका अल्लाह के माल में हिस्सा है अगरचे वो ग़नी भी क्यूँ न हों। इस मसूफ़ में खर्च करना बहुत ही अहम है और इलम-ए-सहाबा भी अपनी हाजात के लिये इस सिफ़त पर ज़कात के माल में से अतिये लिया करते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

1468. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुरेब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने अअरज से ख़बर दी और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कात वसूल करने का हुक़्म दिया। फिर आप से कहा गया कि इब्ने जमील और ख़ालिद बिन वलीद और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ज़कात देने से इन्कार कर दिया है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इब्ने जमील ये शुक्र नहीं करता कि कल तक तो वो फ़क़ीर था। फिर अल्लाह तआला ने अपने रसूल की दुआ की बरकत से उसे मालदार बना दिया। बाक़ी रहे ख़ालिद, तो उन पर तुम लोग जुल्म करते हो। उन्होंने तो अपनी ज़िरहें अल्लाह तआला की राह में वक्फ़ कर रखी हैं और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, तो वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचा हैं। और उनकी ज़कात उन्हीं पर स़दका हैं और उतना ही और उन्हें मेरी तरफ़ से देना है। इस रिवायत की मुताबिअत अबुज़्ज़िनाद ने अपने वालिद से की और इब्ने इस्हाक़ ने अबुज़्ज़िनाद से ये अल्फ़ाज़ बयान किये हिय अलैहा व मिप्लुहा मअहा (स़दका के लफ़्ज़ के बग़ैर) और इब्ने जुरैज ने कहा कि मुझसे अअराज से इसी तरह ये हदीष बयान की गई।

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَبْرِيلَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَبْرِيلَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالِدًا، قَدْ اخْتَسَنَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ لِي سَبِيلَ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلَهَا مَعَهَا)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ: ((هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلَهَا مَعَهَا)). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ.

तशरीह: इस हदीष में तीन अस्हाब का वाक़िया है। पहला इब्ने जमील है जो इस्लाम लाने से पहले महज़ कल्लाश और मुफ़्लिस (ग़रीब) था। इस्लाम की बरकत से मालदार बन गया तो उसका बदला ये है कि अब वो ज़कात देने में कराहता है और ख़फ़ा होता है और हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के बारे में आँहज़रत (ﷺ) ने खुद फ़र्मा दिया जब उन्होंने अपना सारा माल व अस्बाब हथियार वग़ैरह फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ़ कर दिया है जो अब वक्फ़ी माल की ज़कात क्यूँ देने लगा? अल्लाह की राह में मुजाहिदीन को देना ये खुद ज़कात है। कुछ ने कहा कि मत्तलब ये है कि ख़ालिद तो ऐसा सख़ी है कि उसने हथियार छोड़े वग़ैरह सब अल्लाह की राह में दे डाले हैं। वो भला फ़र्ज़ ज़कात कैसे न देगा तुम ग़लत कहते हो कि वो ज़कात नहीं देता? हज़रत अब्बास (रज़ि.) के बारे में आप (ﷺ) ने फ़र्माया न सिर्फ़ ज़कात बल्कि उससे दोगुना मैं उन पर खर्च करूँगा। मुस्लिम

की रिवायत में यँ है कि अब्बास (रज़ि.) की ज़कात बल्कि उसका दोगुना रुपया मैं दूँगा। हज़रत अब्बास (रज़ि.) दो बरस की ज़कात पेशगी आँहज़रत (ﷺ) को दे चुके थे। इसलिये उन्होंने उन तहसील करने वालों को ज़कात न दी। कुछ ने कहा मतलब ये है कि बिल फ़ैअल उनको मुह्लत दो। अगले साल उनसे दोहरी या'नी दो बरस की ज़कात वसूल करना। (मुख्तस़र अज़्वहीदी)

बाब 50 : सवाल से बचने का बयान

1469. हमसे अब्दुल्लाह बिन युसूफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने, इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें अत्ताब बिन यज़ीद लैप्पी ने और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि अन्सार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया तो आपने उन्हें दिया। फिर उन्होंने सवाल किया और आपने फिर दिया। यहाँ तक कि जो माल आप के पास था अब वो ख़त्म हो गया। फिर आपने फ़र्माया कि अगर मेरे पास जो माल-दौलत हो तो मैं उसे बचाकर नहीं रखूँगा मगर जो शख़्स सवाल करने से बचता है तो अल्लाह तआला उसे बेनियाज़ बना देता है और जो शख़्स अपने ऊपर जोर डालकर भी स़ब्र करता है तो अल्लाह तआला भी उसे स़ब्र व इस्तिक़्लाल दे देता है। और किसी को भी स़ब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा पायेदार चीज़ नहीं मिली। (सब्र तमाम नेअमतों से बढ़कर है) (दीगर मक़ाम : 6470)

٥٠- بَابُ الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

١٤٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّثَمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ : (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَلَّذِينَ أَدْخَرُوا عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَمَّرْ يُصَرِّهِ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)).

[طرفه في : ٦٤٧٠.]

तशरीह : शरीअते इस्लामिया के बेशुमार खूबियों में से एक ये खूबी भी किस क़दर अहम है कि लोगों के सामने हाथ फैलाने, सवाल करने से मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मुमानअत की है और साथ ही अपने दो बाजुओं से कमाने और रिज़क़ हासिल करने की तर्गीबात दिलाई है। मगर फिर भी कितने ही ऐसे मअज़ूर मर्द-औरत होते हैं जिनको बग़ैर सवाल किये चारा नहीं। उनके लिये फ़र्माया व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर या'नी सवाल करने वालों को न डाँटो बल्कि नमी से उनको जवाब दे दो।

इस हदीष के रावी हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) हैं जिनका नाम सअद बिन मालिक है और ये अंसारी हैं। जो कुत्रियत ही से ज़्यादा मशहूर हैं। हाफ़िज़े हदीष और साहब फ़ज़्ल व अक्ल उलमा-ए-किबार साहाबा किराम (रज़ि.) में उनका शुमार होता है। 84 साल की उम्र पाई और 74 हिज्री में इंतिक़ाल कर गए और जन्नतुल बक़ीअ में सुपुर्दे खाक किये गये। (रज़ियल्लाहु अन्हु व अज़ाह)

1470. हमसे अब्दुल्लाह बिन युसूफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअरज़ ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने किरसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख़्स रस्सी से लकड़ियों का बोझ बाँधकर कर अपनी पीठ पर जंगल से उठा लाए (फिर उन्हें बाज़ार में बेचकर अपना रिज़क़ हासिल करे) ता

١٤٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ

वो उस शख्स से बेहतर है जो किसी के पास आकर सवाल करे।
फिर जिससे सवाल किया गया है वो दे या न दे।

(दीगर मक़ाम : 1480, 2074, 2374)

خَيْرَ لَهٗ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ
أَوْ مَنَعَهُ))

[أطرافه في : ١٤٨٠، ٢٠٧٤، ٢٣٧٤]

तशरीह :

इस हदीष से ये निकलता है कि हाथ से मेहनत करके खाना कमाना निहायत अफ़ज़ल है। इलमा ने कहा है कि कमाई के तीन उसूल होते हैं। एक ज़राअत, दूसरी तिजारत, तीसरी सनअत व हिफ़त। कुछ ने कहा इन तीनों में तिजारत अफ़ज़ल है। कुछ ने कहा ज़राअत अफ़ज़ल है क्योंकि उसमें हाथ से मेहनत की जाती है और हदीष में है कि कोई खाना उससे बेहतर नहीं है जो हाथ से मेहनत करके पैदा किया जाए, ज़राअत के बाद फिर सनअत अफ़ज़ल है। उसमें भी हाथ से काम किया जाता है और नौकरी तो बदतरीन कस्ब है। इन अह्दादीष से ये भी ज़ाहिर होता है कि रसूले करीम (ﷺ) ने मेहनत करके कमाने वाले मुसलमान पर किस क्रदर मुहब्बत का इज़हार किया कि उसकी खूबी पर आपने अल्लाह पाक की कसम खाई। पस जो लोग महज़ निकम्मे बनकर बैठे रहते हैं और दूसरों के दस्तेनिगराँ रहते हैं। फिर क़िस्मत का शिकवा करने लगते हैं। ये लोग इन्दल्लाह व इन्दरसूल अच्छे नहीं है।

1481. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे जुबैर बिन अवाम (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया तुम में से कोई भी अगर (ज़रूरतमन्द हो तो) अपनी रस्सी लेकर आए और लकड़ियों का गड्ढर बाँध कर अपनी पीठ पर रख कर लाए और उसे बेचे। इस तरह अल्लाह तआला उसकी इज़ज़त को महफूज़ रख ले तो ये उससे अच्छा है कि वो लोगों से सवाल करता फिरे, उसे वो दे या न दे।

(दीगर मक़ाम : 2075, 3373)

١٤٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ
قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ قَبْلَئِي بِحُزْمَةٍ
الْحَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ لَيْبَتَهَا لَيْكُفَ اللَّهُ
بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهٗ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ
أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ))

[طرفاه في : ٢٠٧٥، ٢٣٧٣]

इस हदीष के रावी हज़रत जुबैर बिन अवाम हैं जिनकी कुत्रियत अबू अब्दुल्लाह कुरैशी है। उनकी वालिदा हज़रत सफ़िया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और आँहज़रत (ﷺ) की फूफी हैं। ये और इनकी वालिदा शुरू में ही इस्लाम ले आए थे जबकि उनकी उम्र सोलह साल की थी। इस पर उनके चचा ने धुँए से उनका दम घोटकर उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई ताकि ये इस्लाम छोड़ दें मगर उन्होंने इस्लाम को न छोड़ा। ये तमाम गज़वात में आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ रहे और ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तलवार के जौहर दिखलाए और आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ जंगे उहुद में डटे रहे और अशर-ए-मुबशशरा में इनका भी नाम शुमार है। 64 साल की उम्र में बसरा में शहीद कर दिये गये। ये हादसा 36 हिजरी में पेश आया। अब्बल वादी सबाअ में दफ़न हुए। फिर बसरा में मुतक़िल कर दिये गये। (रज़ि.)

1472. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें यूनस ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्हें इर्वा बिन जुबैर और सईद बिन मुसय्यिब ने कि हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ माँगा। आपने अत्रा फ़र्माया। मैंने फिर माँगा तो आपने फिर

١٤٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَعِينِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

अता फर्माया। मैंने फिर माँगा आपने फिर भी अता फर्माया। इसके बाद आपने इशाद फर्माया, ऐ हकीम! ये दौलत बड़ी सरसब्ज और शीरीं है। लेकिन जो शख्स इसे अपने दिल को सखी रखकर ले तो उसकी दौलत में बरकत होती है और जो लालच के साथ लेता है तो उसकी दौलत में कुछ भी बरकत नहीं होगी। उसका हाल उस शख्स जैसा होगा जो खाता है लेकिन आसूदा नहीं होता (याद रखो) ऊपर वाला हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। हकीम बिन हिजाम (रजि.) ने कहा कि मैंने अर्ज़ की उस ज्ञात की क्रसम! जिसने आपको सच्चाई के साथ मब्रूज़ किया है, अब मैं इसके बाद किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा यहाँ तक कि दुनिया ही से मैं जुदा हो जाऊँ। चुनाँचे हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) हकीम (रजि.) को उनका मा'मूल देने को बुलाते तो वो लेने से इन्कार कर देते। फिर जब हज़रत उमर (रजि.) ने भी उन्हें उनका हिस्सा देना चाहा तो उन्होंने उसके लेने से इन्कार कर दिया। इस पर हज़रत उमर (रजि.) ने फर्माया कि मुसलमानों! मैं तुम्हें हकीम बिन हिजाम के मामले में गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनका हक उन्हें देना चाहा लेकिन उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। गर्ज़ हकीम बिन हिजाम (रजि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसी तरह किसी से भी कोई चीज़ लेने से हमेशा इन्कार ही करते रहे। यहाँ तक कि वफ़ात पा गये। हज़रत उमर (रजि.) माले-फ़ैया'नी मुल्की आमदनी से उनका हिस्सा उनको देना चाहते थे मगर उन्होंने वो भी नहीं लिया।

(दीगर मक़ाम : 2750, 3243, 6441)

तशरीह :

हकीम बिन हिजाम (रजि.) की कुत्रियत अबू ख़ालिद कुरैशीं असदी है। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा (रजि.) के भतीजे हैं। वाक्रिया फ़ील से तेरह साल पहले का'बा में पैदा हुए। ये कुरैश के मुअज़्ज़तरीन लोगों में से हैं। जाहिलियत और इस्लाम दोनों ज़मानों में बड़ी इज़्ज़त व मंज़िलत के मालिक रहे। फ़तहे मक्का के दिन इस्लाम लाए। 64 हिज़री में अपने मकान के अंदर मदीना में वफ़ात पाई। उनकी उम्र 120 साल की हुई थी। साठ साल अहदे जाहिलियत में गुज़ारे और साठ साल ज़मान-ए-इस्लाम में ज़िन्दगी पाई। बड़े ज़ेरक और फ़ाज़िल मुत्तक़ी सहाबा में से थे ज़मान-ए-ज़हिलियत में सौ गुलामों को आज़ाद किया और सौ ऊँट सवारी के लिये बख़्शे। वफ़ाते नबवी के बाद ये मुद्दत तक ज़िन्दा रहे यहाँ तक कि मुआविया (रजि.) के अहद में भी दस साल की ज़िन्दगी पाई। मगर कभी एक पैसा भी उन्होंने किसी से नहीं लिया। जो बहुत बड़े दर्जे की बात है।

इस हदीष में हकीमे इंसानियत रसूले करीम (ﷺ) ने क़ानेअ (सब्र करने वाले) और हरीस (लालची) की मिषाल बयान फर्माई कि जो भी कोई दुनियावी दौलत के सिलसिले में क़नाअत से काम लेगा और हिर्स और लालच की बीमारी से बचेगा उसके लिये बरकतों के दरवाज़े खुलेंगे और थोड़ा माल भी उसके लिये काफ़ी होगा। उसकी ज़िन्दगी बड़े ही इत्मीनान

((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: ((يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضْرَةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. أَيْدِي الْمَلَأِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بِغَدَاكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبْرِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوْفِيَ)).

[أطرافه ن : ٢٧٥٠، ٣١٤٣، ٦٤٤١].

और सुकून की ज़िन्दगी होगी। और जो शख्स हिर्स की बीमारी और लालच के बुखार में मुब्तला होगा उसका पेट भर ही नहीं सकता ख्वाह उसको सारी दुनिया की दौलत ही क्यों न मिल जाए वो फिर भी उसी चक्कर में रहेगा कि किसी न किसी तरह से और ज़्यादा माल हासिल कर लूँ। ऐसे लालची लोग न अल्लाह के नाम पर खर्च करना जानते हैं न मंखलूक को फ़ायदा पहुँचाने का ज़ब्बा रखते हैं। न कुशादगी के साथ अपने और अपने अहलो-अयाल ही पर खर्च करते हैं। अगर सरमायादारों की ज़िन्दगी का मुतालआ किया जाए तो एक बहुत ही भयानक तस्वीर नज़र आती है। फ़ख़रे मौजूदात (ﷺ) ने उन्हीं हक़ाइक़ को इस हदीषे मुक़द्दस में बयान किया है।

बाब 51 : अगर अल्लाह पाक किसी को बिन माँगे और बिन दिल लगाये और उम्मीदवार रहे कोई चीज़ दिला दे (तो उसको ले ले) अल्लाह तआला ने फ़र्माया, इनके मालों में माँगने वाले और ख़ामोश रहने वाले दोनों का हिस्सा है।

٥١- بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ

غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسِي

﴿وَلِي أَنْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ

وَالْمَخْرُومِ﴾ [الذاريات : ١٩]

इस आयत से इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि बिन माँगे जो अल्लाह दे दे उसका लेना दुरुस्त है। वरना महरूम ख़ामोश फ़कीर का हिस्सा कुछ न रहेगा। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि बग़ैर सवाल जो आए उसका ले लेना दुरुस्त है बशर्ते कि हलाल का माल हो अगर मशकूक माल हो तो वापस कर देना ही परहेज़गारी है।

1473. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैप्र ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे जुहरी ने, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे कोई चीज़ अत्रा फ़र्माते तो मैं अर्ज़ करता कि आप मुझे ज़्यादा मुहताज को दे दीजिए। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते कि ले लो, अगर तुम्हें कोई ऐसा माल मिले जिस पर तुम्हारा ख़याल न लगा हुआ हो और न तुमने उसे माँगा हो तो उसे कुबूल कर लिया करो और जो न मिले तो उसकी परवाह न करो और उसके पीछे न पड़ो।

(दीगर मक़ाम : 7163, 716)

١٤٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ

سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ((كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ:

أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ:

((خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ

وَأَنْتَ خَيْرٌ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا

لَا فَلَا تَبِيعَهُ نَفْسَكَ)).

[طرفاه في : ٧١٦٣، ٧١٦٤].

बाब 52 : अगर कोई शख्स अपनी दौलत बढ़ाने के लिये लोगों से सवाल करे?

٥٢- بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثِيرًا

1474. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैप्र ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी जा'फ़र ने कहा, कि मैंने हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, उन्होंने कहा

١٤٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाता रहता है यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके चेहरे पर ज़रा भी गोश्त न होगा।

1475. और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़यामत के दिन सूरज इतना क़रीब हो जाएगा कि पसीना आधे बदन तक पहुँच जाएगा। लोग इसी हाल में अपनी मुख़िलसी के लिये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रियाद करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से। फिर मुहम्मद (ﷺ) से। अब्दुल्लाह ने अपनी रिवायत में ये ज़्यादाती की है कि मुझसे लैष ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी जा'फ़र ने बयान किया, फिर आँहज़रत (ﷺ) शफ़ाअत करेंगे कि मख़लूक का फ़ैसला किया जाए। फिर आप बढेंगे और जन्नत के दरवाज़े का हल्का थाम लेंगे। और इसी दिन अल्लाह तआला आपको मक़ामे-महमूद अज़ा फ़र्माएगा। जिसकी तमाम अहले-महशर ता'रीफ़ करेंगे। और मुअल्ला बिन असद ने कहा कि हमसे वुहैब ने नोअमान बिन राशिद से बयान किया, उनसे ज़ुह्री के भाई अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने, उनसे हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह ने और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से फिर इतनी ही हदीष बयान की जो सवाल के बाब में है।

(दीगर मक़ाम : 4817)

तशरीह :

हदीष के बाब में भी सवाल करने की मज़म्मत की गई है और बतलाया गया है कि ग़ैर-मुस्तहिक्कीन सवाल करने वालों का हशर में ये हाल होगा कि उनके चहरे पर गोश्त न होगा और इस ज़िल्लत व ख़वारी के साथ मैदाने हशर में महशूर होंगे।

सवाल करने की तफ़्सील में अल्लामा ऐनी (रह.) फ़र्माते हैं, व हिय अला प्रलाप्रति औजहिन हरामुन व मक्रूहुन व मुबाहुन फ़ल्हरामु लिमन सअल वहुव गनिय्युन मिन ज़कातिन औ अज़हर मिनल्फ़क्रि फौक़ मा हुव बिही वल्मक्रूहु लिमन सअल मा इन्दहू मा यम्नउहू अन ज़ालिक वलम यज़हर मिनल्फ़क्रि फौक़ मा हुव बिही वल्मुबाहु लिमन सअल बिल्मअरूफ़ि करीबन औ सदीक़न व अम्मस्सुवालु इन्दज़ज़रूरति वाजिबुन लिइहयाइन्नफ़िस व अदख़लहुद्वावुदी फ़िल्मुबाहि व अम्मल्अख़ज़ु मिन ग़ैरि मस्अलतिन व ला अशरफ़ि नफ़िसन फ़ला बास बिही. (ऐनी)

या'नी सवाल की तीन किस्में हैं। हराम, मक्रूह और मुबाह। हराम तो उसके लिये जो मालदार होने के बावजूद ज़कात में से माँगे और ख़वाह-मख़वाह अपने को मुहताज ज़ाहिर करे। मक्रूह उसके लिये जिसके पास वो चीज़ मौजूद है जिसे वो माँग रहा है, वो ये नहीं सोचता कि ये चीज़ तो मेरे पास मौजूद है। साथ ही ये भी कि अपने आपको मुहताज भी ज़ाहिर नहीं करता फिर भी सवाल कर रहा है और मुबाह उसके लिये है जो हकीक़ी हाज़त के वक़्त अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार से सवाल करे। कुछ मर्तबा सख़्ततरीन ज़रूरत के तहत जहाँ मौत व ज़िन्दगी का सवाल आ जाए सवाल करना भी ज़रूरी हो जाता है और

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ)).

١٤٧٥- وَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَتَلَعَّ الْعَرَقُ يَصْفُ الْأُذُنَ. قِيَمًا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ)). وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: ((فَيَسْتَفْتَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْسِي حَتَّى يَأْخُذَ بِخَلْقَةِ الْبَابِ.

فَيَوْمَئِذٍ يَنْعَثُ اللَّهُ مَقَامًا مَخْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ)). وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا وَعَبَّابُ بْنُ الْوَعْتَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْأَلَةِ.

[طرفة في : ٤٧١٨].

बग़ैर सवाल किये और ताँके-झाँके कोई चीज़ अज़बुद मिल जाए तो उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है।

ग़ैर- मुस्तह्विक़ीन सवाल करने वाले की सज़ा के बयान के साथ इस हदीष में आँहज़रत की शफ़ाअते कुबरा का भी बयान किया गया है जो क़यामत के दिन आपको हासिल होगी। जहाँ किसी भी नबी व रसूल को कलाम करने की मजाल न होगी वहाँ आप (ﷺ) नोअे इंसान के लिये शफ़ेअ और मुशफ़ेअ बनकर तशरीफ़ लाएँगे। अल्लाहुम्मजुबना शफ़ाअत हबीबिक (ﷺ) यौमल्क़ियामति आमीन

बाब 53 : (सूरह बक्रर: में) अल्लाह तआला का इर्शाद

कि जो लोगों से चिमटकर नहीं मांगते और कितने माल से आदमी मालदार कहलाता है। इसका बयान और नबी (ﷺ) का ये फ़र्माना कि वो शख्स जो बक्रदे-किफ़ायत नहीं पाता (गोया उसको ग़नी नहीं कह सकते) और (अल्लाह तआला ने इसी सूरह में फ़र्माया है कि) स़दक़ा-ख़ैरात तो उन फ़ुक़रा के लिये हैं जो अल्लाह के रास्ते में धिर गये हैं। किसी मुल्क में जा नहीं सकते कि वो तिजारत ही कर लें। नावाक़िफ़ लोग उन्हें सवाल न करने की वजह से ग़नी समझते हैं। आख़िर आयत फ़इन्नल्लाह बिही अलीम तक (या'नी वो हद क्या है जिससे सवाल नाजाइज़ हो) (अल बक्रर : 273)

बाब की हदीष में उसकी तसरीह नहीं है। शायद इमाम बुखारी (रह.) को इसके बारे में कोई हदीष ऐसी नहीं मिली जो उनकी शर्त पर हो।

1476. हमसे हज़्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मिस्कीन वो नहीं जिसे दो लुक़मे दर-दर फिराये। मिस्कीन तो वो है जिसके पास माल नहीं। लेकिन उसे सवाल से शम आती है और वो लोगों से चिमट कर नहीं माँगता (मिस्कीन वो जो कमाए मगर बक्रदे-ज़रूरत न पा सके)

(दीगर मक़ाम : 1479, 4539)

तशरीह : अबू दाऊद ने सहल बिन हज़्जाला से निकाला कि सहाबा ने पूछा तवंगरी क्या है (जिसमें सवाल करना मना हो)? आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब सुबह शाम का खाना उसके पास मौजूद हो। इन्हे खुज़ैमा की रिवायत में यूँ है जब दिन-रात का पेट भर खाना उसके पास हो। कुछ ने कहा ये हदीष मन्सूख है दूसरी हदीषों से जिसमें मालदार उसको फ़र्माया है जिसके पास पचास दिरहम हों या इतनी मालियत की चीज़ें। (वहीदी)

1477. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन इलय्या ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्जाअ ने बयान किया, उनसे इब्ने अशवाअ ने, उनसे

53- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْصَاءًا﴾ [البقرة: 273] وَكَمْ أَلْفِي، ٢ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَلَا يَجِدُ غَنِي يُغْنِيهِ)) (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُوفِ) - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273].

1476- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمُسْكِينِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَتَسْتَحْيِي وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِحْصَاءً)).

[طرفاه في: 1479, 4539].

1477- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

आमिर शुअबी ने, कहा कि मुझसे मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) के मुन्शी वर्राद ने बयान किया, कि मुआविया (रज़ि.) ने मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) को लिखा कि उन्हें कोई ऐसी हदीष लिखिये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो। मुगीरह (रज़ि.) ने लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आपने फ़र्माया कि अल्लाह तआला तुम्हारे लिये तीन बातें पसन्द नहीं करता, बिला वजह की गपशप, फ़िज़ूलखर्ची, लोगों से बहुत माँगना।

(राजेअ: 844)

الْحَدَاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((كُتِبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. فَكُتِبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)). [راجع: ٨٤٤]

तशरीह: फ़िज़ूल कलामी भी ऐसी बीमारी है जिससे इंसान का वक्कर खाक में मिल जाता है। इसलिये कम बोलना और सोच-समझकर बोलना अक्लमन्दों की अलामत है। इसी तरह फ़िज़ूलखर्ची करना भी इंसान की बड़ी भारी हिमाक़त है जिसका एहसास उस वक्त्र होता है जब दौलत हाथ से निकल जाती है। इसलिये कुआनी ता'लीम ये है कि न बख़ील बनो और न इतने हाथ कुशादा कर लो कि परेशान हाली में मुब्तला हो जाओ। दरम्यानी चाल बहरहाल बेहतर है। तीसरा ऐब कप्ररत के साथ दस्ते-सवाल दराज़ करना (माँगने के लिये हाथ फैलाना) ये भी इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिसको लग जाए उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो बुरी तरह से उसमें गिरफ़तार हो जाता है और दुनिया व आख़िरत में ज़लील व ख़वार हो जाता है। हज़रत मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने ये हदीष लिखकर हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) को पेश की। इशारा था कि आपकी कामयाबी का राज़ इस हदीष में मुज़मर है जिसे मैं आपको लिख रहा हूँ। आँहज़रत (ﷺ) के जवामिउल कलिम में इस हदीष शरीफ़ को भी बड़ा मक़ाम हासिल है। अल्लाह पाक हमको ये हदीष समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन!

1478. हमसे मुहम्मद बिन गु़रैर जुहरी ने बयान किया, कहा कि हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने अपने बाप से बयान किया, उनसे स़ालेह बिन कैसान ने उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने ने कहा कि मुझे आमिर बिन सअद बिन अबी वक्क्रास ने अपने बाप सअद बिन अबी वक्क्रास (रज़ि.) से ख़बरी दी, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चन्द अश्रवास को कुछ माल दिया। उस जगह मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके साथ ही बैठे हुए शख़्स को छोड़ दिया और उन्हें कुछ नहीं दिया। हालाँकि उन लोगों में वही मुझे ज़्यादा पसन्द था। आख़िर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़रीब जाकर चुपके से अज़्र किया, फ़लाँ शख़्स को आपने कुछ भी नहीं दिया? वल्लाह मैं उसे मोमिन ख़याल करता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, या मुसलमान? उन्होंने बयान किया कि इस पर मैं थोड़ी देर तक ख़ामोश रहा। लेकिन मैं उनके मुता'ल्लिक़ जो कुछ जानता था उसने मुझे मजबूर किया और मैंने अज़्र किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप फ़लाँ

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ - وَهُوَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ - فَقَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)). قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)). قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا،

शख्स से क्यों ख़फ़ा हैं, वल्लाह! मैं उसे मोमिन समझता हूँ। आपने फ़र्माया, या मुसलमान? तीन मर्तबा ऐसा ही हुआ। आपने फ़र्माया कि एक शख्स को देता हूँ (और दूसरे को नज़रअंदाज कर जाता हूँ) हालाँकि वो दूसरा मेरी नज़र में पहले से ज़्यादा प्यारा होता है। क्योंकि (जिसको मैं देता हूँ न देने की सूरत में) मुझे डर इस बात का रहता है कि कहीं इसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में न डाल दिया जाए। और (यअक़ूब बिन इब्राहीम) अपने वालिद से, वो झालेह से, वो इस्माइल बिन मुहम्मद से, उन्होंने बयान किया कि मैंने अपने वालिद से सुना कि वो यही हदीष बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर आँहज़रत (ﷺ) ने अपना हाथ मेरी गर्दन और मूँढ़ों के बीच में मारा। और फ़र्माया, सअद! इधर सुनो, मैं एक शख्स को (कुअर्नमजीद में लफ़ज़) कुब्बिबू आँधे लिटा देने के मा'ने में है। और सूरह मुल्क में जो मुकिब्बन का लफ़ज़ है वो अकब्ब से निकला है। अकब्ब लाज़िम है या'नी आँधा गिरा। और उसका मुतअदी कब्बा है। कहते हैं कि कब्बहुल्लाहु लिवजहिही या'नी अल्लाह ने उसे आँधे मुंह गिरा दिया। और कबबुहू या'नी मैंने उसको आँधे मुंह गिराया। इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि झालेह बिन कैसान उमर जुहरी से बड़े थे वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मिले हैं।

(राजेअ: 27)

तरीह:

ये हदीष किताबुल ईमान में गुज़र चुकी है। इब्ने इस्हाक़ ने मग़ाज़ी में निकाला, आँहज़रत (ﷺ) से कहा गया कि आपने उययना बिन हसन और अक़्रअ बिन हाबिस को सौ-सौ रुपये दे दिये। और जईल सुराक़ा को कुछ नहीं दिया। आपने फ़र्माया, क़सम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है जईल बिन सुराक़ा उययना और अक़्रअ ऐसे सारी ज़मीन भर लोगों से बेहतर है। लेकिन मैं उययना और अक़्रअ को रुपया देकर दिल मिलाता हूँ और जईल के ईमान पर तो मुझको भरोसा है। (वहीदी)

1479. हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने अबुज्ज़िनाद से बयान किया, उनसे अअरज ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मिस्कीन वो नहीं है जो लोगों का चक्कर काटता फिरता है ताकि उसे दो-एक लुक़मे या दो-एक खजूर मिल जाए बल्कि अमली मिस्कीन वो है जिसके पास इतना माल नहीं कि वो उसके ज़रिये से बेपरवाह हो जाए। इस हाल में भी किसी को

ثُمَّ خَلَّتِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) فَلَا تَمْرَاتٍ فَقَالَ: ((إِنِّي لِأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشِيْتُ أَنْ يُكَبَّ لِي النَّارُ عَلَى وَجْهِهِ)). وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ لِي حَدِيثُهُ: ((فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتَفِي ثُمَّ قَالَ: ((أَقْبِلْ أَيُّ سَعْدٍ، إِنِّي لِأَعْطِي الرَّجُلَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : ((لَكُنْتُ كُنُوزًا)) فَلِينُوا. ((مَكِينًا)) أَكْبَرُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فَعَلَهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتُ : كَبَّةُ اللَّهِ يَوْجُهُ، وَكَبَّتُهُ أَنَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي كَيْسَانَ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ لَقَدْ أَذْرَكَ ابْنَ عُمَرَ. [راجع: ٢٧]

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطْلُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَتَانِ وَالْبَعْرَةَ وَالْمَمْرَتَانِ، وَلَكِنْ

मा'लूम नहीं कि कोई उसे सद्का ही दे दे और न वो खुद हाथ फैलाने के लिये उठाता है। (राजेअ: 1476)

1480. हमसे इमर बिन हफ़स्र बिन ग़ियाष ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू झालेह जकवान ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम में से कोई शख़्स अपनी रस्सी लेकर (मेरा ख़याल है कि आपने यूँ फ़र्माया) पहाड़ में चला जाए फिर लकड़ियाँ जमा करके उन्हें फ़रोख़्त करे। उससे खाए भी और सद्का भी करे। ये उसके लिये इससे बेहतर है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए।

(राजेअ: 1470)

बाब 54 : खजूर का पेड़ पर अंदाज़ा कर लेना दुरुस्त है

٥٤ - بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ

तशरीह : जब खजूर या अंगूर या और कोई मेवा पेड़ पर पक जाए तो एक जानने वाले को बादशाह भेजता है वो जाकर अंदाज़ा लगाता है कि उसमें इतना मेवा उतरेगा। फिर उसी का दसवाँ हिस्सा ज़कात के तौर पर लिया जाता है उसको खरस कहते हैं। आँहज़रत (رضي الله عنه) ने हमेशा ये जारी रखा और खुलफ़ा-ए-राशिदीन ने भी। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और अहले हदीष सब इसको जाइज़ कहते हैं। लेकिन हन्फ़िया ने बरख़िलाफ़ अहदीषे सहीहा के सिर्फ़ अपनी राय से उसको नाजाइज़ करार दिया है। उनका क़ौल दीवार पर फेंक देने के लायक है। (अज़ मौलाना वहीदुज़्जमाँ मरहूम)

अंदाज़ा लगाने के लिये खजूर का ज़िक्र इसलिये आ गया कि मदीना शरीफ़ में बक़रत खजूर ही हुआ करती है वरना अंगूर वगैरह का अंदाज़ा भी किया जा सकता है जैसा कि हदीषे ज़ेल से ज़ाहिर है।

अन इताबिब्नि उसैदिन अन्नन्नबिय्य (رضي الله عنه) कान यब्अषु अलन्नासि अलैहिम कुरुमहुम व षिमारहुम र्वाहुत्तिर्मिज़ी वब्नु माजा र्वाहू अबू दाऊद व तिर्मिज़ी) या'नी नबी करीम (ﷺ) लोगों के पास अन्दाज़ा करने वालों को भेजा करते थे, जो उनके अंगूरों और फलों का अन्दाज़ा लगाते। व अन्हु अयज़न क़ाल अमर रसूलुल्लाहि (ﷺ) अय्यखरसल्ज़नब अल्हदीष र्वाहु अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी) या'नी आँहज़रत (رضي الله عنه) ने हुकम दिया कि खजूरों की तरह अंगूरों का भी अंदाज़ा लगा लिया जाए फिर उनके खुश्क होने पर उनमें से उसी अंदाज़े के मुताबिक़ उश्र में मुनक्का लिया जाएगा।

हज़रत इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, वल्अहदीषुल्मज्कूरतु तदुल्लु अला मश्रूइय्यतिल्खरसिं फिल्एनबि वन्नखलि व क़द कालश्शाफ़िइ फ़ी अहदि क़ौलिही बिबुजूबिही मुस्तदिल्लन बिमा फ़ी हदीषि इताबिन मिन अन्नन्नबिय्य (رضي الله عنه) अमर बिज़ालिक वजहबतिल्अतरतु व मालिक व र्वश्शाफ़िइ अन्नहु जाइज़ुन फ़क़त व जहबतिल्हादविय्यतु व रूविय अनिश्शाफ़िइ अयज़न इला अन्नहु मन्दूबुन व क़ाल अबू हनीफ़त ला यजूज़ु लिअन्नहु रम्ज़ुम्बिल्ग़ैबि वल्अहदीषुल्मज्कूरत तरहु अलैहि. (नेलुल औतार)

या'नी बयान की गई अहदीष खजूर और अंगूरों में अंदाज़े करने की मशरूइयत पर दलालत करती है और इताब की हदीषे मज्कूर से दलील पकड़ते हुए इमाम शाफ़िई (रह.) ने अपने एक क़ौल में उसे वाजिब करार दिया है और अत्त और इमाम

المُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يَغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ

النَّاسِ)). (راجع: ١٤٧٦)

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ

غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَخْمَشِيُّ

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ قَالَ: ((لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ

يَقْتُلُو - أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ -

لِيَخْطِبُ فَيَسْبِغَ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ)). (راجع: ١٤٧٠)

मालिक और एक क़ौल में इमाम शाफ़िई (रह.) ने भी उसे सिर्फ़ जवाज़ के दर्जे में रखा है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) उसे नाजाइज़ कहते हैं इसलिये कि ये अंदाज़ा एक ग़रीबी अंदाजा है और अह्दादीषे मज़क़ूर उनके इस क़ौल की तर्दीद करती हैं।

इस हदीष के ज़ेल में हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, हक़त्तिर्मिज़ी अन बअज़ि अहलिल्डिल्मि अन्न तप्सीरहू अन्न ष्शिमार इज़ा अदरकत मिन रूतबि वल्डिनबि मिम्मा तजिबु फ़ीहिज़्ज़कातु बअप्ससुल्तानु खारिसन यन्ज़ुरु फयकुलू यखरुजु मिन हाज़ा कज़ा व कजा तमरन फयुहसीहि व यन्ज़ुरु मब्लगल्डशरि फयुस्बितुहू अलैहिम व यखला बैनहुम व बैन ष्शिमारि फ़इज़ा जाअ वक्तुल्जजाज़ि उखिज़ मिन्हुमुल्डशरू इला आखिरिही. (फ़तहलु बारी)

या'नी ख़रस की तप्सीर कुछ अहले इल्म से यूँ मन्कूल है कि जब अंगूर और खज़ूर इस हाल में हों कि उन पर ज़कात लागू हो तो बादशाह एक अंदाजा लगाने वाला भेजेगा। जो उन बाग़ों में जाकर उनका अंदाजा करके बतलाएगा कि उसमें इतना अंगूर और इतनी इतनी खज़ूर निकलेगी। इसका सही अंदाजा करके देखेगा कि उश्र के निज़ाब को ये पहुँचता है या नहीं। अगर उश्र का निज़ाब मौजूद है तो फिर वो उन पर उश्र ष्श़ाबित कर देगा और मालिकों को फलों के लिये इख़ितयार दे देगा कि वो जो चाहें करें। जब कटाई का वक़्त आएगा तो उसी अंदाजे के मुताबिक़ उससे ज़कात वसूल की जाएगी। अगरचे उलमा का अब इसके बारे में इख़ितलाफ़ है मगर सहीह बात यही है कि ख़रस अब भी जाइज़ है और इस बारे में अस्हाबुराय का फ़त्वा दुरुस्त नहीं है। हदीषे ज़ेल में जंगे तबूक 9 हिज़्री का ज़िक्र है। उसी मौक़े पर ऐला के ईसाई हाकिम ने आँहज़रत (ﷺ) से सुलह कर ली थी जो इन लफ़्ज़ों में लिखी गई थी, बिस्मिल्लाहिरिहमानिरिहीम हाज़िही अमनतुम्पिनल्लाहि व मुहम्मदिन्नबिद्यि रसूलिल्लाहि लयोहन्ना बिन रूबा व अहलु ईला सुफुनुहुम व सय्यारतुहुम फिलबरि वल्बहरि लहुम जिम्मतुल्लाहि व मुहम्मदुन्नबिद्यु (ﷺ)

या'नी अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से ये यूहन्ना बिन रूबा और अहले ऐला के लिये अमन का परवाना है। ख़ुशकी और तरी में हर जगह उनके सफ़ीने और उनकी गाड़ियाँ सब के लिये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से अमन व अमान की गारण्टी है।

1481. हमसे सहल बिन बक्कार ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने, उनसे अम्र बिन यह्या ने, उनसे अब्बास बिन सहल साअदी ने, उनसे अबू हुमैद साएदी ने बयान किया कि हम ग़ज्व-ए-तबूक के लिये नबी करीम (ﷺ) के साथ जा रहे थे। जब आप वादी-ए-कुआँ (मदीना मुनव्वरा और शाम के दरम्यान एक क़दीम आबादी) से गुज़रे तो हमारी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने बाग़ में खड़ी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा-किराम से फ़र्माया कि इसके फलों का अंदाज़ा लगाओ (कि इसमें कितनी खज़ूरें निकलेंगी) हुज़ुरे-अकरम (ﷺ) ने दस वस्क़ का अंदाज़ा लगाया। फिर उस औरत से फ़र्माया कि याद रखना इसमें से जितनी खज़ूरें निकले। जब हम तबूक पहुँचे तो आपने फ़र्माया कि याद रखना इसमें से जितनी खज़ूर निकले। जब हम तबूक पहुँचे तो आपने फ़र्माया कि आज रात बड़े ज़ोर की आँधी चलेगी इसलिये कोई शख़्स खड़ा न रहे और जिसके पास ऊँट हो तो वो उसे बाँध दे। चुनाँचे हमने ऊँट बाँध लिये और आँधी बड़े ज़ोर की आई। एक शख़्स खड़ा हुआ था, तो हवा ने जबले-तै पर जा फेंका। और

١٤٨١- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ
حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ
عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((عَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِي الْقُرَى
إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
لَأَصْحَابِهِ: ((اعْرُضُوا))، وَعَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: ((أَخْصِي
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ:
((أَمَا إِنِّي سَتَيْبُ اللَّيْلَةِ رَيْحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا
يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَحْمِلْهُ،
فَعَمَلْنَاهَا، وَهَبْتُ رَيْحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ
فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَوِيلٍ)). وَأَمَدَى مَلِكٌ أُنْبَلَى

ऐलिया के हाकिम (यूहन्ना बिन रूबा) ने नबी करीम (ﷺ) को सफ़ेद खच्चर और एक चादर का तोहफ़ा भेजा। आँहुज़ूर (ﷺ) ने तहरीरी तौर पर उसे उसकी हुकूमत पर बरकरार रखा फिर जब वादी-ए-कुर्आ (वापसी में) पहुँचे तो आपने उसी औरत से पूछा कि तुम्हारे बाग़ में कितना फल आया था। उसने कहा कि आपके अंदाज़े के मुताबिक़ दस वस्क़ आया था। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं मदीना जल्दी जाना चाहता हूँ। इसलिये जो कोई मेरे साथ जल्दी चलना जाहे वो मेरे साथ जल्दी रवाना हो फिर जब (इब्ने बक्कार इमाम बुखारी रह. के शौख़ ने एक ऐसा जुम्ला कहा जिसके मा'ने ये थे) कि मदीना दिखाई देने लगा तो आपने फ़र्माया कि ये है तूबा! फिर आपने उहुद पहाड़ दिखा तो फ़र्माया कि ये पहाड़ हमसे मुहब्बत रखता है और हम भी उससे मुहब्बत रखते हैं। फिर आपने फ़र्माया क्या मैं अन्सार के सबसे अच्छे ख़ानदान की निशानदही न करूँ? सहाबा ने अज़ किया कि ज़रूर कीजिए। आपने फ़र्माया कि बनू नज़ार का ख़ानदान। फिर अबू अब्द अशहल का ख़ानदान, फिर अबू सअद का या (ये फ़र्माया कि) बनी हारिष बिन खज़रज का ख़ानदान। और फ़र्माया कि अन्सार के तमाम ही ख़ानदानों में ख़ैर है, अबू अब्दुल्लाह (कासिम बिन सलाम) ने कहा कि जिस बाग़ की चारदीवारी हो उसे हदीक़ा कहेंगे और जिस की चारदीवारी न हो उसे हदीक़ा नहीं कहेंगे।

(दीगर मक़ाम: 1782, 3161, 3791, 4422)

1482. और सुलैमान बिन बिलाल ने कहा कि मुझसे अग्र ने इस तरह बयान किया कि फिर बनी हारिष बिन खज़रज का ख़ानदान और फिर बनू सअद का ख़ानदान। और सुलैमान ने सअद बिन सईद से बयान किया, उनसे अम्मारा ग़ज़निय्या ने, उनसे अब्बास ने, उनसे उनके बाप (सहल) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया उहुद वो पहाड़ है जो हमसे मुहब्बत रखता है और हम उससे मुहब्बत रखते हैं।

तशरीह:

इस लम्बी हदीष में जहाँ खज़ूरों का अंदाज़ा कर लेने का ज़िक्र है वहाँ और भी बहुत से हक़ाइक़ का बयान है। ग़ज़्व-ए-तबूक़ 9 हिजरी में ऐसे वक़्त में पेश आया कि मौसम गर्मी का था और अपने पूरे शबाब पर था और मदीना में खज़ूर की फ़सल बिल्कुल तैयार थी। फिर भी सहाबा किराम (रज़ि.) ने बड़ी जाँ-निषारी का धुबूत दिया और हर परेशानी

لِلنَّبِيِّ ﷺ بِمَلَّةٍ بَيْضَاءَ، وَكَسَاءَهُ بُرْدًا،
وَكَتَبَ لَهُ تَبَخْرُومًا. فَلَمَّا آتَى وَادِي
الْفُرَيْ قَالَ لِلْمَرَاةِ: ((كَمْ جَاءَتْ
حَدِيثُكُمْ؟)) قَالَتْ: عَشْرَةٌ أَوْ سِتِّي عَرَصَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي
مُنْعَجِلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ
يَتَمَعَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَمَعَّلْ)) فَلَمَّا - قَالَ ابْنُ
بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ
قَالَ: ((مَلِيهِ طَابَتْ)) فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ:
((هَذَا جَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ)) قَالُوا: بَلَى. قَالَ:
((دُورُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ
الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي
الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَلِي كُلِّ دُورٍ
الْأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ كُلُّ
بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيثَةٌ وَ مَا لَمْ
يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطًا لَا يَقَالُ حَدِيثَةً)).

[أطرافه في: 1872, 3161, 3791]

[4422]

١٤٨٢ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي
عَمْرُو ((ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ)). وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ غَرْبَةَ عَنْ عَبَّاسِ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
((أَحَدٌ جَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)).

का मुकाबला करते हुए वो इस तवील (लम्बे) सफ़र में शरीक हुए। सरहद का मुआमला था, आप दुश्मन के इंतज़ार में वहाँ काफ़ी देर ठहरे रहे मगर दुश्मन मुकाबले को न आए बल्कि करीब ही ऐला शहर के ईसाई हाकिम यूहन्ना बिन रूबा ने आपको सुलह का पैगाम भेजा। आपने उसकी हुकूमत उसके लिये बरकरार रखी क्योंकि आपका मंशा मुल्कगिरी (साम्राज्यवाद) हरिज़ न था। वापसी में आपको मदीना की मुहब्बत ने सफ़र में उज्जलत (जल्दी) पर आमादा कर दिया तो आपने मदीना जल्द से जल्द पहुँचने का ऐलान फ़र्मा दिया। जब ये पाक शहर नज़र आने लगा तो आप इस क़द्र खुश हुए कि आपने इस मुकद्दस शहर को लफ़्ज़े तैबा से मौसूम किया। जिसका मतलब पाकीज़ा और उम्दा के हैं। उहद पहाड़ के हक़ में भी अपनी इतिहाई मुहब्बत का इज़हार किया फिर आप (ﷺ) ने क़बाईले अंसार की दर्जा-ब-दर्जा फ़ज़ीलत बयान की जिनमें अब्वलीन दर्जा बनू नज़ार को दिया गया। उन्हीं लोगों में आपकी ननिहाल थी और सबसे पहले जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे ये लोग हथियार बाँधकर आपके इस्तिक्बाल के लिये हाज़िर थे। फिर तमाम क़बाइले अंसार ता'रीफ़ के क़ाबिल हैं जिन्होंने दिलो-जान से इस्लाम की ऐसी मदद की कि तारीख़ में हमेशा के लिये याद रह गए। (रजियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्ह)

बाब 55 : उस ज़मीन की पैदावार से दसवाँ हिस्सा लेना होगा जिसकी सैराबी बारिश या जारी (नहर, दरया वगैरह) पानी से हुई हो और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शहद में ज़कात को ज़रूरी नहीं जाना

1483. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्हें शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने, उन्हें उनके वालिद ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। वो ज़मीन जिसे आसमान (बारिश का पानी) या चश्मा सैराब करता हो। यो वो ख़ुद ब ख़ुद नमी से सैराब हो जाती हो तो उसकी पैदावार से दसवाँ हिस्सा लिया जाएगा और वो ज़मीन जिसे कुओं से पानी खींचकर सैराब किया जाता हो तो उसकी पैदावार से बीसवाँ हिस्सा लिया जाए। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी) ने कहा कि ये हदीष या'नी अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीष या'नी अबू सईद की हदीष की तफ़्सीर है। इसमें ज़कात की कोई मिक्ददार मज़कूर नहीं है और इसमें मज़कूर है। और ज़्यादती कुबूल की जाती है और गोलमोल हदीष का हुकम साफ़-साफ़ हदीष के मुवाफ़िक़ लिया जाता है। जब उसका रावी सिक्का हो। जैसे फ़ुज़ैल बिन अब्बास (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने का'बा में नमाज़ नहीं पढ़ी। लेकिन बिलाल

٥٥- بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ
مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي
وَلَمْ يَرِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَسَلِ
شَيْئًا

١٤٨٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ : ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ
أَوْ كَانَ عَشْرًا الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ
يَصْنَفُ الْعُشْرُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هَذَا
تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْتَقَ فِي الْأَوَّلِ،
يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ((فِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ الْعُشْرُ)) وَتَمَّ فِي هَذَا وَوَقَّتَ.
وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضَى عَلَى
الْمَنْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبْتِ، كَمَا رَوَى
الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ
فِي الْكَعْبَةِ)) وَقَالَ بَلَّالُ : ((لَقَدْ صَلَّى))

(रज़ि.) ने बतलाया कि आपने नमाज़ (का'बा में) पढ़ी थी। इस मौक़े पर बिलाल (रज़ि.) की बात कुबूल की गई और फ़ज़ैल (रज़ि.) का क़ौल छोड़ दिया गया।

فَأَخَذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتَرَكَ قَوْلَ الْفَضْلِ.

तशरीह: उसूले हदीष में ये षाबित हो चुका है कि षिका और ज़ाबित शख़्स की ज़्यादती मक़बूल है। इसी बिना पर अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की हदीष है जिसमें ये मज़कूर है कि ज़कात में माल का कौनसा हिस्सा लिया जाएगा या'नी दसवाँ हिस्सा या बीसवाँ हिस्सा इस हदीष या'नी इब्ने उमर की हदीष में ज़्यादती है तो ये ज़्यादती वाजिबुल मक़बूल होगी। कुछ ने यूँ तर्जुमा किया है ये हदीष या'नी अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की हदीष पहली हदीष या'नी इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीष की तफ़सीर करती है क्योंकि इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीष में निज़ाब की मिक्दार मौजूद नहीं है। बल्कि हर एक पैदावार से दसवाँ हिस्सा या बीसवाँ हिस्सा लिये जाने का ज़िक्र है। चाहे पाँच वस्क्र हो या कम हो। अबू सईद (रज़ि.) की हदीष में तफ़सील है कि पाँच वस्क्र से कम में ज़कात नहीं है। तो ये ज़्यादती है और ज़्यादती षिका और मो'तबर रावी की मक़बूल है। (वहीदी)

बाब 56 : पाँच वस्क्र से कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।

٥٦- بَابُ نَيْسٍ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٍ

1474. हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान बिन अबी सअसआ ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच वस्क्र से कम में ज़कात नहीं है और पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है और चाँदी के पाँच औक़िया से कम में ज़कात नहीं है।

(राजेअ: 1405)

١٤٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((نَيْسٌ فِيمَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٍ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ اللَّوْدِ صَدَقَةٍ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً)). [راجع: ١٤٠٥]

तशरीह: अहले हदीष का मज़हब ये है कि गेहूँ और जौ और जवार और खजूर और अंगूर में जब उनकी मिक्दार पाँच वस्क्र या ज़्यादा हो तो ज़कात वाजिब है। और उनके सिवा दूसरी चीज़ों में जैसे तरकारियाँ और मेवे वगैरह में मुत्लकन ज़कात नहीं ख़वाह वो कितने ही हों। क़स्तलानी (रह.) ने कहा मेवों में से सिर्फ़ खजूर और अंगूर में और अनाजों में से हर एक अनाज में जो ज़खीरा रखे जाते हैं जैसे गेहूँ, जौ, जवार, मसूर, माश, या बाजरा, चना, लोबिया वगैरह उन सब में ज़कात है और हन्फ़िया के नज़दीक पाँच वस्क्र की क़ैद भी नहीं है, क़लील हो या क़षीर सब में ज़कात वाजिब है। और इमाम बुखारी (रह.) ने ये हदीष लाकर उनका रद्द किया। (वहीदी)

बाब 57 : खजूर के फल तोड़ने के वक़्त ज़कात ली जाए

٥٧- بَابُ أَخَذِ الصَّدَقَةِ الْعَمْرِ عِنْدَ صِبْرَامِ النَّخْلِ

और ज़कात की खजूर को बच्चे का हाथ लगाना और उसमें से कुछ खा लेना

وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ لَيْمَسَ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ؟

1485. हमसे उमर बिन हसन असदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन तहमान ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास तोड़ने के वक़्त ज़कात की खजूर लाई जाती, हर शख़्स अपनी ज़कात लाता और नौबत यहाँ तक पहुँचती कि खजूर का एक ढेर लग जाता। (एक मर्तबा) हसन और हुसैन (रज़ि.) ऐसी ही खजूरों से खेल रहे थे कि एक ने एक खजूर उठाकर अपने मुँह में रख ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज्यों ही देखा तो उनके मुँह से खजूर निकाल ली। और फ़र्माया कि क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि मुहम्मद (ﷺ) की औलाद ज़कात का माल नहीं खा सकती।

(दीगर मक़ाम: 1491, 3082)

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيَْادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِي بِالْفِئْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِعَمْرٍو وَهَذَا مِنْ تَمْرٍو، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَيَجْعَلُ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْتَمَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ: ((أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ)).

[طرفاه في: ١٤٩١، ٣٠٧٢.]

मा'लूम हुआ कि ये फ़र्ज़ ज़कात थी क्योंकि वही आँहज़रत (ﷺ) की आल पर हुराम है। हदीष से ये निकला कि छोटे बच्चों को दीन की बातें सिखाना और उनको तम्बीह करना ज़रूरी है।

बाब 57 : जो शख़्स अपना मेवा या खजूर का पेड़ या खेत बेच डाले

हालाँकि उसमें दसवाँ हिस्सा या ज़कात वाजिब हो चुकी हो अब वो अपने दूसरे माल से ये ज़कात करे तो ये दुरुस्त है या वो मेवा बेचे जिसमें स़दक़ा वाजिब ही न हुआ हो और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मेवा उस वक़्त तक न बेचो जब तक उसकी पुख्तगी न मा'लूम हो जाए और पुख्तगी मा'लूम हो जाने के बाद किसी को बेचने से आपने मना नहीं फ़र्माया। और यूँ नहीं फ़र्माया कि ज़कात वाजिब हो गई हो तो न बेचे और वाजिब न हुई हो तो बेचे।

तशरीह: इमाम बुखारी (रह.) का मतलब ये है कि हर हाल में मालिक को अपना माल बेचना दुरुस्त है ख़वाह उसमें ज़कात और उर्र वाजिब हो गया हो या न हुआ हो। इस हदीष से इमाम बुखारी (रह.) ने इमाम शाफ़िई (रह.) के क़ौल को रद्द किया जिन्होंने ऐसे माल का बेचना जाइज़ नहीं रखा जिसमें ज़कात वाजिब हो गई हो, जब तक ज़कात अदा न करे। इमाम बुखारी (रह.) ने फ़र्मिने नबवी (ﷺ) ला तबीहुष्षमत अल्लख़ के उम्मू से दलील ली कि मेवे की पुख्तगी के जब आधार मा'लूम हो जाएँ तो उसका बेचना आँहज़रत (ﷺ) ने मुत्तलक़न दुरुस्त रखा है और ज़कात के वुजूब या अदमे वुजूब की आपने कोई

٥٨ - بَابُ مَنْ بَاعَ لِمَاةً أَوْ نَخْلَةً أَوْ أَرْضَةً أَوْ زَرْعَةً

وَقَدْ وَجِبَ فِيهِ الْفِئْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَذَى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ لِمَاةً وَكَمْ تَجِبَ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا تَبِيعُوا التَّمْرَةَ حَتَّى يَتَدَوَّ صَلَاحُهَا)) فَلَمْ يَخْطُرِ النَّبِيَّ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَكَمْ يَخْصُ مِنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

कैद नहीं निकाली। (वहीदी)

1486. हमसे हज्जाज मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने खबर दी, कहा मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने खजूर को (पेड़ पर) उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया है जब तक उसकी पुख़्तगी जाहिर न हो और इब्ने उमर (रज़ि.) से जब पूछते कि उसकी पुख़्तगी क्या है, वो कहते कि जब ये मा'लूम हो जाए कि अब ये फल आफ़त से बच रहेगा।

(दीगर मक़ाम : 2183, 2194, 2199, 2247, 2249)

1487. हमसे अब्दुल्लाह बिन युसूफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ख़ालिद बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे अत्ताअ बिन रबाह ने बयान किया कि उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल को उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया जब तक कि उनकी पुख़्तगी खुल न जाए।

(दीगर मक़ाम : 2189, 2196, 2381)

1488. हमसे कुतैबा ने इमाम मालिक से बयान किया, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब तक फल पर सुख़ीं न आए, उन्हें बेचने से मना फ़र्माया है। उन्होंने बयान किया कि मुराद ये है कि जब तक वो पक कर सुख़ न हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 2190, 2197, 2198, 2208)

या'नी ये यक़ीन न हो जाए कि अब मेवा ज़रूर उतरेगा और किसी आफ़त का डर न रहे। पुख़ता होने का मतलब ये कि उसके रंग से उसकी पुख़्तगी जाहिर हो जाए। उससे पहले बेचना इसलिये मना हुआ कि कभी कोई आफ़त आती है तो सारा मेवा ख़राब हो जाता है या गिर जाता है। अब गोया मुश्तरी का माल मुफ़्त खा लेना ठहरा।

बाब 59 : क्या आदमी अपनी चीज़ जो स़दका में दी हो फिर ख़रीद सकता है? और दूसरे का दिया हुआ स़दका ख़रीदे तो कोई हर्ज

नहीं, क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ास स़दका देने वाले को फिर उसके

۱۴۸۶- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا)). وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: ((حَتَّى تَذَهَبَ عَاقَتُهُ)).

[اطرافه فی : ۲۱۸۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۹،

۱۴۸۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهَا)).

[اطرافه فی : ۲۱۸۹، ۲۱۹۶، ۲۲۳۸۱.]

۱۴۸۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى تُرْهِمَ)). قَالَ: ((حَتَّى تَحْمَرَ)).

[اطرافه فی : ۲۱۹۵، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸،

[۲۲۰۸]

۵۹- بَابُ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟ وَلَا

بِأَسْ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ

لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً

ख़रीदने से मना फ़र्माया। लेकिन दूसरे शख़्स को मना नहीं फ़र्माया।

1489. हमसे यहा बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे शिहाब ने, उनसे सालिम ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते थे कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में स़दका किया, फिर उसे आपने देखा कि वो बाज़ार में फ़रोख़्त हो रहा है, इसलिये उनकी ख़्वाहिश हुई कि उसे वो खुद ही ख़रीद ले। और इजाज़त लेने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपना स़दका वापस न लो। इस वजह से अगर इब्ने उमर (रज़ि.) अपना दिया हुआ कोई स़दका ख़रीद लेते, तो फिर उसे स़दका कर देते थे। (अपने इस्ते'माल में न रखते थे) बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

(दीगर मक़ाम : 2775, 2971, 3002)

1490. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया, कि मैंने उमर (रज़ि.) को ये कहते सुना कि उन्होंने एक घोड़ा अल्लाह तआला के रास्ते में एक शख़्स को सवारी के लिये दे दिया। लेकिन उस शख़्स ने घोड़े को ख़राब कर दिया। इसलिये मैंने चाहा कि उसे ख़रीद लूँ। मेरा भी ये ख़याल था कि वो उसे सस्ते दामों में बेच डालेगा। चुनाँचे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसके मुता'ल्लिक पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपना स़दका वापस न लो। ख़्वाह वो तुम्हें एक दिरहम में क्यों न दे क्योंकि दिया हुआ स़दका वापस लेने वाले की मिषाल कै करने के चाटने वाले की सी है।

(दीगर मक़ाम : 2623, 2636, 2970, 3003)

बाब की हदीषों से बज़ाहिर ये निकलता है कि अपना दिया हुआ स़दका तो ख़रीदना हराम है लेकिन दूसरे का दिया हुआ स़दका फ़क़ीर से फ़रागत के साथ ख़रीद सकता है।

बाब 60 : नबी करीम (ﷺ) और आपकी आल

عَنِ الشَّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

۱۴۸۹ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يَتَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: ((لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَتْرُكُ أَنْ يَتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً)).

[أطرافه في : ۲۷۷۵، ۲۹۷۱، ۳۰۰۲.]

۱۴۹۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ - وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَخْطَاكَ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَالِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَالِدِ فِي تَبَعِهِ)).

[أطرافه في : ۲۶۲۳، ۲۶۳۶، ۲۹۷۰.]

[۳۰۰۳.]

۶۰ - بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الصَّدَقَةِ

पर सद्का का हराम होना

1491. हमसे आदम इब्ने अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हुदैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि हसन बिन अली (रज़ि.) ने जकात की खजूरों के ढेर से एक खजूर उठाकर अपने मुँह में डाल ली तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, छी-छी! निकालो इसे! फिर आपने फ़र्माया कि क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि हम लोग सद्के का माल नहीं खाते। (राजेअ: 1475)

क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि हमारे अस्हाब के नज़दीक सहीह ये हैं कि फ़र्ज़ जकात आप (ﷺ) की आल के लिये हराम है। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का भी यही क़ौल है। इमाम जा'फ़र सादिक से शाफ़िई (रह.) और बैहकी (रह.) ने निकाला कि वो सबीलों में से पानी पिया करते। लोगों ने कहा कि ये तो सद्के का पानी है, उन्होंने कहा हम पर फ़र्ज़ जकात हराम है।

बाब 61 : नबी करीम (ﷺ) की लौण्डी-गुलामों को सद्का देना दुरुस्त है

1492. हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मैमूना (रज़ि.) की बान्दी को जो बकरी सद्का में किसी ने दी थी वो मरी हुई देखी। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोग इसके चमड़े को क्यों नहीं काम में लाए। लोगों ने कहा कि ये तो मरी हुई है। आपने फ़र्माया कि हराम तो सिर्फ़ इसका खाना है।

(दीगर मक़ाम: 3221, 5531, 5532)

1493. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे हकम बिन उतैबा ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि उनका इरादा हुआ कि बरीरा (रज़ि.) जो बान्दी थीं) आज़ाद कर देने के लिये ख़रीद लें। लेकिन उसके

لِلنَّبِيِّ ﷺ

۱۴۹۱ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعْرَةً مِنْ تَمْرٍ الصَّدَقَةَ لِيَجْعَلَهَا لِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كَيْفَ، كَيْفَ)) لِيَطْرَحَهَا. ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا شَعْرَتُ أَأَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟)) [راجع: ۱۴۷۰]

۶۱ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

۱۴۹۲ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَلَأَ انْتَفَعُمْ بِجَلْدَيْهَا)) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: ((إِنَّمَا حَرَمَ أَكْلِهَا))

[أطرافه في: ۳۲۲۱، ۵۵۳۱، ۵۵۳۲]

۱۴۹۳ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ

असल मालिक ये चाहते थे कि वलाअ उन्हीं के लिये रहे। इसका जिक्र आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से किया। तो आपने फ़र्माया कि तुम ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वलाअ उसी की होती है जो आज़ाद करे। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में गोशत पेश किया गया। मैंने कहा कि ये बरीरा (रज़ि.) को किसी ने स़दक़ा के त़ौर पर दिया है तो आपने फ़र्माया कि ये उनके लिये स़दक़ा था, लेकिन अब हमारे लिये ये हदिया है। (राजेअ: 456)

مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرُوا وِلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوِلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
قَالَتْ: وَأَيُّ النَّبِيِّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٤٥٦]

गुलाम के आज़ाद कर देने के बाद मालिक और आज़ादशुदा गुलाम में भाईचारे के रिश्ते को वलाअ कहा जाता है। गोया गुलाम आज़ाद होने के बाद भी असल मालिक से कुछ न कुछ रिश्ता रहता है। इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तो उस शख्स का हक़ है जो उसे ख़रीदकर आज़ाद कर रहा है अब भाईचारे का रिश्ता असल मालिक की बजाय इस ख़रीदकर आज़ाद करने वाले से होगा। बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 62 : जब स़दक़ा मुहताज की मिल्क हो जाए

1494. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद हज़ज़ाअ ने बयान किया, उनसे हफ़्स बिनते सीरीन ने और उनसे उम्मे अत्रिया अन्सारिया (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ लाए और दरयाफ़्त फ़र्माया कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि नहीं कोई चीज़ नहीं। हाँ नुसेबा (रज़ि.) का भेजा हुआ उस बकरी का गोशत है जो उन्हें स़दक़े के त़ौर पर मिली है। तो आपने फ़र्माया लाओ ख़ैरात तो अपने ठिकाने पहुँच गई। (राजेअ: 1446)

٦٢- بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
١٤٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَبْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَخَّتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسِيَةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَخَّتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا قَدْ بَلَّغْتِ مَجْلَهَا)). [راجع: ١٤٤٦]

मा'लूम हुआ कि स़दक़ा का माल यक़ीनी त़ौर पर मालदारों की तहवील में भी आ सकता है क्योंकि वो मुहताज आदमी की मिल्कियत में होकर अब किसी को भी मिस्कीन की तरफ़ से दिया जा सकता है।

1495. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वकीअ ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, क़तादा से और वो अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में वो गोशत पेश किया गया जो बरीरा (रज़ि.) को स़दक़ा के त़ौर पर मिला था। आपने फ़र्माया कि ये गोशत उन पर स़दक़ा था। लेकिन हमारे लिये ये हदिया है। अबू दाऊद ने कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी। उन्हें क़तादा ने कि उन्होंने अनस (रज़ि.)

١٤٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَبَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

से सुना, वो नबी करीम (ﷺ) से बयान करते थे।

(दीगर मक़ाम : 2577)

मक़सद ये है कि सद्का मिस्कीन की मिल्लिकयत में आकर अगर किसी को बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया जाए तो जाइज़ है अगरचे वो तोहफ़ा पाने वाला ग़नी ही क्यों न हो।

**बाब 63 : मालदारों से ज़कात वसूल की जाए
और फ़ुकरा पर खर्च कर दी जाए ख़वाह
वो कहीं भी हो**

٦٣- بَابُ أَخَذِ الصَّدَقَةِ مِنَ
الْأَغْيِيَاءِ، وَتَرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ
كَانُوا

1496. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें ज़करिया इब्ने इस्हाक़ ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने, उन्हें इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम अबू मअबद ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मअज़ज़ (रज़ि.) को जब यमन भेजा, तो उनसे फ़र्माया कि तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। इसलिये जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो पहले उन्हें दा'वत दो कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो इस बात में जब तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह तआला ने उन पर रोज़ाना दिन रात में पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो उन्हें बताओ कि उनके लिये अल्लाह तआला ने ज़कात देना ज़रूरी करार दिया है, ये उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके ग़रीबों पर खर्च की जाएगी। फिर जब वो उसमें भी तुम्हारी बात मान लें तो उनके अच्छे माल लेने से बचो और मज़लूम की आह से डरो कि उसके और अल्लाह तआला के बीच कोई रुकावट नहीं होती। (राजेअ : 1395)

١٤٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِقْرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِقْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنَ أَغْيَابِهِمْ قَرْدٌ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّكَ وَأَنْتَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) [راجع : ١٣٩٥]

तशरीह : इस हदीष के ज़ेल मौलाना अब्दुल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं क़ालल्लाहाफ़िज्जु उस्तुदिल्ल बिही अला अन्नल्लइमाम हुवल्लज़ी यतवल्ला क़ब्ज़ज़काति व सफ़िहा अम्मा बिनफ़िसही व अम्मा बिनाइबिही फ़मन इम्तनअ मिन्हा उख़िज़त मिन्हु क़हरन या नी हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने कहा कि इस हदीष के जुम्ले तूख़ज़ु मिन अमनियाइहिम से दलील ली गई है कि ज़कात इमामे वक़्त वसूल करेगा और वही उसे उसके मस़ारिफ़ में खर्च करेगा। वो

खुद करे या अपने नायब से कराए। अगर कोई जकात उसे न दे तो वो जबरदस्ती उससे वसूल करेगा। कुछ लोगों ने यहाँ जानवरों की जकात मुराद ली है और सोने-चाँदी की जकात में मुख्तार करार दिया है। फ़इन उदिय जकातुहुमा बुफ़यतन यज़ज़उल्लाहु लेकिन हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं, वज़ज़ाहिरु इन्दी अन्न विलायत अख़िज़लइमामि ज़ाहिरतुन बातिनतुन फइल्लम यकुन इमामुन फरकहल्मालिकु फ़ी मसारिफ़िहा व क्रद हक्रक़ ज़ालिकशौकानी फिस्सैलिल जरारि बिमाला मज़ीद अलैहि फलयज़िअ इलैहि. या'नी मेरे नज़दीक तो ज़ाहिर व बातिन हर क्रिस्म के अम्वाले के लिये इमामे वक़्त की तौलियत ज़रूरी है। और अगर इमाम न हो (जैसे कि दौरे हाज़रा में कोई इमाम ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन नहीं) तो मालिक को इख्तियार है कि उसके मसारिफ़ में खुद उस माले जकात को ख़र्च कर दे इस मसले को इमाम शौकानी (रह.) ने सैलुल जरार में बड़ी ही तफ़्सील के साथ लिखा है जिससे ज़्यादा मुम्किन नहीं। जो चाहे उधर रुजूअ कर सकता है।

ये मसला कि अम्वाले जकात को दूसरे शहरों में भेजना जाइज़ है या नहीं, इस बारे में भी हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मसलक इस बाब से ज़ाहिर है कि मुसलमान फुकरा जहाँ भी हों उन पर वो ख़र्च किया जा सकता है। हज़रत इमाम बुखारी (रह.) के नज़दीक तुरहु अला फुकरा इहिम की ज़मीर अहले इस्लाम की तरफ़ लौटती है, क़ाल इब्नुल्मुनीर इख़्तारलबुखारी जवाज़ नक्लिज़ज़काति मिम्बलदिल्मालि लिउमूमि कौलिही फतुरहु फ़ी फुकरा इहिम लिअन्नज़ज़मीर यऊदु लिलमुस्लिमीन फअय्यु फकीरिन मिन्हुम रूहत फीहिस्सदक़तु फी अय्यि जिहातिन कान फक्रद वाफ़क़ उमूमुल्हदीषि इन्तिहा.

अल मुहद्दिषुल कबीर अब्दुर्रहमान साहब (रह.) फ़र्माते है, वज़ज़ाहिरु इन्दी अदमुन्नक़िल इल्ला इज़ा फक्रदल्मुस्तहिक्कुन लहा औ तकूनु फिन्नक़िल मस्तलहतुन अन्फउव अहम्मु मिन अदमिही वल्लाहु तआला आलामु. (मिआत, जिल्द 3, पेज 4) या'नी जकात नक़ल न होनी चाहिये मगर जब मुस्तहिक्कीन मफ़कूद हों या नक़ल करने में ज़्यादा फ़ायदा हो।

बाब 64 : इमाम (हाकिम) की तरफ़ से जकात देने वाले के हक्र में दुआ-ए-खैरो-बरकत करना

अल्लाह तआला का (सूरह तौबा में) इर्शाद है कि आप उनके माल से खैरात लीजिए जिसके जरिये आप उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें और उनके हक्र में खैरो-बरकत की दुआ आख़िर आयत तक.

1497. हमसे हफ़्स बिन इमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अम्र बिन मुरह से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि जब कोई क्रौम अपनी जकात लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होती तो आप उनके लिये दुआ फ़र्माते। ऐ अल्लाह! आले फ़र्लों को खैरो-बरकत अत्ता फ़र्मा, मेरे वालिद भी अपनी जकात लेकर हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा को खैरो-बरकत अत्ता फ़र्मा। (दीगर मक़ाम : 4166, 6232, 6359)

तशरीह :

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने प्राबित किया है कि रसूले करीम (ﷺ) के बाद भी खुलफ़-ए-इस्लाम के लिये मुनासिब है कि वो जकात अदा करने वालों के हक्र में खैरो-बरकत की दुआएँ करें। लफ़ज़ इमाम से ऐसे ही ख़लीफ़-ए-इस्लाम मुराद हैं जो फ़िल वाक़ेअ मुसलमानों के लिये इन्नमल इमामु जुन्नतुन युक्रातिलु मिम्बराइही (इमाम लोगों के लिये ढाल है जिसके पीछे होकर लड़ाई की जाती है) के मिस्दाक़ हों।

٦٤ - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَحَابِ الصَّدَقَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾
الآية [التوبة: ١٠٣].

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ لَوْلَانِ)). فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوَيْسٍ)).

[أطرافه في: ٤١٦٦، ٦٢٣٢، ٦٣٥٩].

ज़कात इस्लामी स्टेट के लिये और उसके बैतुलमाल के लिये एक अहम जरिय-ए-आमदनी है जिसके वजूद पज़ीर होने से मिल्लत के कितने ही मसाइल हल होते हैं। अहदे रिसालत और फिर अहदे ख़िलाफ़ते राशिदा के तजुर्बात इस पर शाहिदे आदिल हैं। मगर स़द अफ़सोस कि अब न तो कहीं वो सहीह इस्लामी निज़ाम और न वो हक़ीक़ी बैतुलमाल है। इसलिये ख़ुद मालदारों के लिये ज़रूरी है कि वो अपनी दयानत के पेशे—नज़र ज़कात निकालें और जो मस़ारिफ़ हैं उनमें दयानत के साथ ख़र्च करें। दौरे हाज़िर में किसी मौलवी या मस्जिद के पेश इमाम या किसी मदरसे के मुदरिस को इमामे वक़्त ख़लीफ़ा-ए-इस्लाम तसव्वुर करके और ये समझकर के उनको दिये बग़ैर ज़कात अदा न होगी, ज़कात उनके हवाले करना बड़ी नादानी बल्कि अपनी ज़कात को ग़ैर मस़रफ़ में ख़र्च करना है।

बाब 65 : जो माल समुन्दर से निकाला जाए

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अम्बर को रिकाज़ नहीं कह सकते अम्बर तो एक चीज़ है जिसे समुन्दर किनारे पर फेंक देता है।

और इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा अम्बर और मोती में पाँचवाँ हिस्सा लाज़िम है। हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) ने रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा मुकर्रर फ़र्माया है तो रिकाज़ उसको नहीं कहते जो पानी में मिले।

1498. और लैज़ ने कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उन्होंने अब्दुर रहमान बिन हुर्मुज़ से, उन्होंने अबू हुर्रैह (रज़ि.) से, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कि बनी इस्राईल में एक शख़्स था जिसने दूसरे बनी इस्राईल के शख़्स से हज़ार अशरफ़ियाँ क़र्ज़ माँगीं। उसने अल्लाह के भरोसे पर उसको दे दीं। अब जिसने क़र्ज़ लिया था वो समुन्दर पर गया कि सवार हो जाए और क़र्ज़ ख़्वाह का क़र्ज़ अदा करे लेकिन सवारी न मिली। आख़िर उसने क़र्ज़ ख़्वाह तक पहुँचने से नाउम्मीद होकर एक लकड़ी ली उसको कुरैदा और हज़ार अशरफ़ियाँ उसमें भरकर वो लकड़ी समुन्दर में फेंक दी। इतिफ़ाक़ से क़र्ज़ ख़्वाह काम काज को बाहर निकला, समुन्दर पर पहुँचा तो एक लकड़ी देखी और उसको घर में जलाने के ख़याल से ले आया। फिर पूरी हदीष बयान की। जब लकड़ी को चीरा तो उसमें अशरफ़ियाँ पाईं।

(दीगर मक़ाम : 2063, 2291, 2430, 2734, 6261)

٦٥- بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ
الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ ذَسْرَةٌ الْبَحْرِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ
الْخُمْسُ، لِإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّكَازِ
الْخُمْسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي
الْمَاءِ.

١٤٩٨- وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ
بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
(أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ بَانَ يُسَلِّفُهُ أَلْفَ دِينَارٍ،
فَدَقَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ
مَرَكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَقَرَمَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا
أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ
الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْأَلَهُ إِذَا بِالْخَشَبَةِ،
فَأَخَذَهَا لِأَهْلِيهِ حَطْبًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثُ -
فَلَمَّا تَشَرَّهَا وَجَدَ الْمَالَ)).

[أطرافه في : ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٣٠،

٤٢٧٣٤، ٦٢٦١.]

तशरीह :

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ये घ़ाबित फ़र्माना चाहते हैं कि दरिया मे से जो चीज़ें मिलें अम्बर, मोती वग़ैरह उनमें ज़कात नहीं है और जिन हज़रात ने ऐसी चीज़ों को रिकाज़ में शामिल किया है उनका क़ौल सहीह नहीं। हज़रत

इमाम इस दलील में ये इस्माईली वाकिया लाए हैं जिसके बारे में हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं,

कालल्डस्माईली लैस फ़ी हाजल्हदीषि शौउन युनासिबुत्तर्जुमत रजुलुन इक्तरज़ कर्ज़न फर्तजअ कर्ज़ह व कज़ा कालदावुदी हदीषुल्ख़शबति लैस मिन हाज़ल्बाबि फ़ी शौइन व अज़ाब अब्दुल्मलिक बिअन्नहू अशार बिही इला अन्न कुल्ल माअल्क्राहूल्बहरू जाज़ अख़्जुहू व ला खुम्स फ़ीहि... (फ़त्हुल बारी)

या'नी इस्माईली ने कहा कि इस हदीष में बाब से कोई वजहे मुनासबत नहीं है ऐसा ही दाऊदी ने भी कहा कि हदीष ख़शबा को (लकड़ी जिसमें रुपया मिला) उससे कोई मुनासबत नहीं। अब्दुल मलिक ने उन हज़रात को ये जवाब दिया है कि उसके ज़रिये से इमाम बुखारी (रह.) ने ये इशारा किया है कि हर वो चीज़ जिसे दरिया बाहर फेंक दे उसका लेना जाइज़ है और उसमें खुम्स नहीं है इस लिहाज़ से हदीष और बाब में मुनासबत मौजूद है।

हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, व जहबल्जुम्हूर इला अन्नहू ला यजिबु फ़ीहि शौउन या'नी जुम्हूर इस तरफ़ गए हैं कि दरिया से जो चीज़ें निकाली जाएँ उनमें ज़कात नहीं है।

इस्माईली हज़रात का ये वाकिया क़ाबिले इबरात है कि देने वाले ने महज़ अल्लाह की ज़मानत पर उसको एक हज़ार अशरफ़ियाँ दे डालीं और उसकी अमानत व दयानत को अल्लाह ने इस तरह प़ाबित रखा कि लकड़ी को अशरफ़ियों के साथ क़र्ज़ देने वाले तक पहुँचा दिया और उसने इसी तरह अपनी अशरफ़ियों को वसूल कर लिया। फ़िल वाक़ेअ अगर क़र्ज़ लेने वाला वक़््त पर अदा करने की सही निय्यत दिल में रखता हो तो अल्लाह पाक ज़रूर ज़रूर किसी न किसी ज़रिये से ऐसे सामान मुहय्या करा देता है कि वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता है। ये मज़मून एक हदीष में भी आया है। मगर आजकल ऐसे दयानतदार ओनका हैं। इल्ला माशा अल्लाह वबिल्लाहितौफ़ीक़।

बाब 66 : रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा वाजिब है

और इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा रिकाज़ जाहिलियत के ज़माने का ख़ज़ाना है। उसमें थोड़ा माल निकले या बहुत पाँचवाँ हिस्सा लिया जाएगा और खान रिकाज़ नहीं है। और आँहज़रत (ﷺ) ने खान के बारे में फ़र्माया उसमें अगर कोई गिर कर या काम करता हुआ मर जाए तो उसकी जान मुफ़्त गई। और रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा है। और इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा खानों में से चालीसवाँ हिस्सा लिया करते थे। दो सौ रुपयों में से पाँच रुपया। और इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा जो रिकाज़ दारुल हरब मे पाए तो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा लिया जाए और जो अमन और सुलह के मुल्क मे मिले तो उसमें से ज़कात चालीसवाँ हिस्सा ली जाए। और अगर दुश्मन के मुल्क में पड़ी हुई चीज़ मिले तो उसको पहुँचवा दे (शायद मुसलमान का माल हो) अगर दुश्मन का माल हो तो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा अदा करे। और कुछ लोगों ने कहा मअदिन भी रिकाज़ है जाहिलियत के दफ़ीने की तरह क्योंकि अरब लोग कहते हैं अरक़ज़ल मअदिन जब उसमें से कोई चीज़ निकले। उनका जवाब ये है अगर किसी

٦٦- بَابُ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ ذُوْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلْبِهِ وَكَيْفِهِ الْخُمْسُ، وَابْنُ الْمَعْدِنِ بَرِكَازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خُمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السَّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقْطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرَّفَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمْسُ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ وَمِثْلُ ذِيْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرَكَزَ الْمَعْدِنُ

शख्स को कोई चीज हिबा की जाए या वो नफ़ा कमाए या उसके बाग़ में मेवा बहुत निकले। तो कहते हैं अरकज़त (हालाँकि ये चीज़ें बिल इत्तिफ़ाक़ रिकाज़ नहीं हैं) फिर उन लोगों ने अपने क़ौल के आप ख़िलाफ़ किया। कहते हैं रिकाज़ का छुपा लेना कुछ बुरा नहीं पाँचवाँ हिस्सा न दे।

إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: لَقَدْ بُقَالَ
لِمَنْ وَهَبَ لَهُ شَيْءٌ وَ رِبِحَ رَبْحًا كَثِيرًا
أَوْ كَثَرَ فَمَرَّةً أُرْكَبَتْ. ثُمَّ نَاقَضَهُ وَقَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمْسَ.

तशरीह: ये पहला मौक़ा है कि इमामुल मुहदिप्पीन अमीरुल मुज्ताहिदीन हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने लफ़्जे 'बअजुनास' का इस्ते'माल किया है। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, क़ाल इब्नुत्तीनु अल्मुरादु बिबअजिन्नासि अबू हनीफ़त कुलतु व हाज़ा अब्वलु मौज़इन जकरहू फ़ीहिल्बुखारी बिहाजिहिस्सीगति व यहतमिलु अय्युरीद बिही अब्बा हनीफ़त व गैरिही मिनल्कूफ़ीयीन म्मिन क़ाल बिजालिक काल अबू हनीफ़त वष़्पौरी व गैरुहुमा इला अन्नल्मअदिन करिकाज़ि वहतज्ज लहुम बिक्ौलिलअरबि रकज़लिरजुलिन इज़ा असाब रकाज़न व हिय किल्दम्मिनज़ज़हबि तख़रजु मिनल्मअदिनि व हुज्जतुल्लिल्जुम्हूरि व तप्फ़कंतुन्नबिद्यि (ﷺ) बैनल्मअदिनि वरकाज़ि बिवाबिल्अत्फ़ि फ़सहह अन्नहू गैरूहू (फत्हुल बारी)

या'नी इब्ने तीन ने कहा कि मुराद यहाँ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) हैं। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) कहते हैं कि ये पहला मौक़ा है कि इनको इमाम बुखारी (रह.) ने इस स़ेगे के साथ बयान किया है और ये भी अन्देशा है कि उससे मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और उनके अलावा दूसरे कूफ़ी भी हों जो ऐसा कहते हैं। इब्ने बत्ताल ने कहा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और प़ौरी वग़ैरह हमने कहा कि मअदिन या'नी खान भी रिकाज़ (दफ़ीना, भूमिगत खज़ाना) में दाख़िल है क्योंकि जब कोई शख्स खान से कोई सोने का डला पा ले तो अरब लोग बोलते हैं, रकज़र्रज़ुलु फ़लां को रिकाज़ मिल गया और वो सोने का टुकड़ा होता है जो खान से निकलता है। और जुम्हूर की दलील इस बारे में ये है कि नबी करीम (ﷺ) ने मअदिन और रिकाज़ का वाव अत्फ़ के साथ अलग अलग ज़िक्र किया गया है। पस सहीह ये हुआ कि मअदिन और रिकाज़ दो अलग अलग हैं।

रिकाज़ वो पुराना दफ़ीना जो किसी को मिल जाए उसमें से बैतुलमाल में पाँचवाँ हिस्सा दिया जाएगा और मअदिन खान को कहते हैं। दोनों में फ़र्क़ ज़ाहिर है। पस उनका हुक्म भी अलग अलग है। खुद रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्मा दिया कि जानवर से जो नुक़सान पहुँचे उसका कुछ बदला नहीं और कुँए का भी मुआफ़ है और खान के हादषे में कोई मर जाए तो उसका भी यही हुक्म है और रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा है। इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि मअदिन और रिकाज़ दो अलग अलग हैं।

हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं,

वहतज्जल्जुम्हूरु अयजन बिअन्नरिकाज़ फ़ी अहलि लुगतिल्हिजाज़ि हुव दफ़ीनुल्जाहिलियति व ला शक़ फ़ी अन्नन्नबिद्यिल्हिजाज़ी (ﷺ) तकल्लम बिलुगतिल्हिजाज़ि व अराद बिही मा युरीदून मिन्हु काल इब्नुअप्पीरुल्ज़ौज़ी फिन्निहायति अरिकाज़ु इन्द अहलिल्हिजाज़ि कुनूजुल्जाहिलियतिल्मदफूना फिल्अर्ज़ि व इन्द अहलिल्इराक़ि अल्मआदिनु वल्कौलानि तहतमिलुहुमल्लगतु लिअन्न कुल्लाम्मिन्हुमा मर्कूज़ुन फिल्अर्ज़ि अय प्राबितुन युकालु रकज़हू युक्ज़ुहू रकज़न इज़ा दफ़नहू व अर्कज़र्रज़ुलु इज़ा वजदरिकाज़ वल्हदीषु इन्नमा जाअ फित्तप्सीरिल्अव्वलि व हुवल्कल्ज़ुल्जाहिलिय्यु व इन्नमा कान फ़ीहि अल्खुम्सु लिक्षति नफ़इही व सुहूलति अख़िज़ही. (मिआत, जिल्द 3, पेज 63)

या'नी जुम्हूर ने इससे भी हुज्जत पकड़ी है कि हिजाज़ियों की लुगत में रिकाज़ जाहिलियत के दफ़ीने पर बोला जाता है। और कोई शक़ नहीं कि रसूले करीम (ﷺ) भी हिजाज़ी हैं और आप अहले हिजाज़ ही की लुगत में कलाम फ़र्माते थे। इब्ने अप्पीर जज़री ने कहा कि अहले हिजाज़ के नज़दीक रिकाज़ जाहिलियत के गड़े हुए खज़ानों पर बोला जाता है और अहले इराक़ के यहाँ खानों पर भी और लु'वी ए'तिबार से दोनों का एहतिमाल है इसलिये कि दोनों ही ज़मीन में गड़े हुए होते हैं और हदीषे

मज़कूर तफ़सीरे अब्वल (या'नी अहदे जाहिलियत के दफ़ीनों) ही के बारे में है और वो कन्जे जाहिली है और उसमें खुम्स है इसलिये उसका नफ़ा कफ़ीर है और वो आसानी से हासिल हो जाता है।

इस सिलसिले में अहनाफ़ के भी कुछ दलाइल हैं जिनकी बिना पर वो मअदिन को भी रिकाज़ में दाखिल करते हैं क्योंकि लुगत में अरकज़ल मअदिनु इस्तेमाल हुआ है जब खान से कोई चीज़ निकले तो कहते हैं, अरकज़ल मअदिनु हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने उसका इल्ज़ामी जवाब दिया है कि लफ़्जे अरकज़ तो मिजाज़न कुछ बार बड़े नफ़ पर भी बोला जाता है। वो बड़ा नफ़ा किसी को किसी की बख़्शिश से हासिल हो या त्तिजारती मुनाफ़े से हो या कफ़रते पैदावार से ऐसे मौक़ों पर भी लफ़्ज़ अर्कज़त बोल देते हैं या'नी मुझे ख़ज़ाना मिल गया। तो क्या इस तरह बोल देने से उसे भी रिकाज़ में दाखिल नहीं है। उसका मज़ीद षुबूत ख़ुद हनफ़ी हज़रत का ये फ़त्वा है कि खान कहीं पोशीदा जगह में मिल जाए तो पाने वाला उसे छुपा भी सकता है और उनके फ़त्वे के मुताबिक़ जो पाँचवाँ हिस्सा उसे अदा करना ज़रूरी था, उसे वो अपने ही ऊपर ख़र्च कर सकता है। ये फ़त्वा भी दलालत कर रहा है कि रिकाज़ और मअदिन दोनों अलग अलग हैं। चंद रिवायात भी हैं जो मसलके हन्फ़िया की ताईद में पेश की जाती हैं। लेकिन सनद के ए'तिबार से वो बुखारी शरीफ़ की रिवायाते मज़कूरा के बराबर नहीं हैं। लिहाज़ा उनसे इस्तिदलाल ज़ईफ़ है।

सारे तूले—तवील मबाहिष (लम्बी-चौड़ी बहष) के बाद हज़रत शैख़ुल हदीष मौसूफ़ फ़र्माते हैं,

वल्कौलुराजिहु इन्दना हुव मा ज़हब इलैहिल्लजुम्हूरू मिन अन्नरिकाज़ हुव कन्ज़ुल्जाहिलियति अल्मौज़ूउ फ़िल्अर्जि व अन्नहू ला यउम्मुल्मअदिनु बल हुव गैरूहू वल्लाहु तआला आलाम या'नी हमारे नज़दीक रिकाज़ के बारे में जुम्हूर ही का क़ौल राजेह है कि वो दौरे जाहिलियत के दफ़ीने हैं जो पहले लोगों ने ज़मीन में दफ़न कर दिये हैं। और लफ़्ज़ रिकाज़ में मअदिन दाखिल नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग हैं और रिकाज़ में खुम्स है।

रिकाज़ के बारे में और भी बहुत सी तफ़सीलात है कि उसका निज़ाब क्या है? क़लील या कफ़ीर में कुछ फ़र्क़ है या नहीं? और उस पर साल गुज़रने की क़ैद है या नहीं? और वो सोने-चाँदी के अलावा लोहा, तांबा, सीसा, पीतल वग़ैरह को भी शामिल है या नहीं? और रिकाज़ का मस्रफ़ क्या है? और क्या हर पाने वाले पर इसमें खुम्स वाजिब है? पाने वाला गुलाम हो या आज़ाद हो, मुस्लिम हो या ज़िम्मी हो? रिकाज़ की पहचान क्या है? क्या ये ज़रूरी है कि उसको सिक्कों पर पहले किसी बादशाह का नाम या उसकी तफ़वीर या कोई और अलामत होनी ज़रूरी है वग़ैरह वग़ैरह इन सारी बहषों के लिये अहले इल्म हज़रत मिर्ज़ात जिल्द नं. 3 पेज 64, 65 का मुतालआ करें जहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह (रह.) ने तफ़सील के साथ रोशनी डाली है जज़ाहुल्लाह ख़ैरुल जज़ा फ़िद्दारेन। मैं अपने मुख्तसर सफ़हात में तफ़सीले मज़ीद से कासिर हूँ और अ़वाम के लिये मैंने जो लिख दिया है वो काफ़ी समझता हूँ।

1499. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जानवर से जो नुक़्सान पहुँचे उसका कुछ बदला नहीं और कुँए का भी यही हाल है और कान का भी यही हुक्म है और रिकाज़ से पाँचवाँ हिस्सा लिया जाए।

١٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (الْعَمَاءُ جَبَارٌ، وَالْبَنَرُ جَبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ، وَلِي الرِّكَازِ الْعَمْسُ) .

[اطرافه ٣ : ٢٣٥٥ ، ٦٩١٢ ، ٦٩١٣ .]

बाब 67 : अल्लाह तआला ने सूरह तौबा में

٦٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

फ़र्माया ज़कात के तहसीलदारों को भी ज़कात से दिया जाएगा।

﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [العبرة: ٦٠]
وَمَحَاسِبِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

1500. हमसे यूसुफ़ बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन इर्वा ने बयान किया, उनसे उनके बाप इर्वा बिन जुबैर ने बयान किया, उनसे हज़रत अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी असद के एक शख्स अब्दुल्लाह बिन लत्बिवा को बनी सुलैम की ज़कात वसूल करने पर मुक़र्र किया। जब वो आए तो आपने उनसे हिसाब लिया। (राजेअ: 925)

١٥٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ نَبِيِّ سَلَمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَةً)) [راجع: ٩٢٥]

तशरीह: ज़कात वसूल करने वालों से हाकिमे इस्लाम हिसाब लेगा ताकि मामला साफ़ रहे, किसी को बदरुमानी का मौक़ा न मिले। इब्ने मुनीर ने कहा कि अन्देशा है कि आमिले मज़कूर ने ज़कात में से कुछ अपने मसारिफ़ में खर्च कर दिया हो, लिहाज़ा उससे हिसाब लिया गया। कुछ रिवायात से ये भी जाहिर है कि कुछ माल के बारे में उसने कहा था कि ये मुझे बतौर तोहफ़ा मिला है, लिहाज़ा उस पर हिसाब लिया गया और तोहफ़े के बारे में फ़र्माया गया कि ये सब बैतुलमाल ही का है जिसकी तरफ़ से तुमको भेजा गया था। तोहफ़े में तुम्हारा कोई हक़ नहीं।

बाब 68 : ज़कात के ऊँटों से मुसाफ़िर लोग काम ले सकते हैं और उनका दूध पी सकते हैं

1501. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहया क़तान ने बयान किया, उनसे शुअबा ने कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया, और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि ड़ैना के कुछ लोगों को मदीना की आबो हवा मुवाफ़िक़ नहीं आई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें उसकी इजाज़त दे दी कि वो ज़कात के ऊँटों में जाकर उनका दूध और पेशाब इस्ते'माल करें (क्योंकि वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थे जिसकी दवा यही थी) लेकिन उन्होंने (उन ऊँटों के) चरवाहे को मार डाला और ऊँटों को लेकर भाग निकले। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए आखिर वो लोग पकड़ लिये गये। आँहज़ूर (ﷺ) ने उनके हाथ और पाँव कटवा दिये और उनकी आँखों में गर्म सलाइचों फिरवा दीं फिर उन्हें धूप में डलवा दिया (जिसकी शिद्दत की वजह से) वो पत्थर चबाने लगे थे। इस

٦٨ - بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَبْيَاهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

١٥٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْبَةِ اجْتَرَوْا الْمَدِينَةَ، فَرُخِصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْيَاهَا وَأَبْوَالِهَا. فَفَعَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَأْفَرُوا النَّوْذَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بِهِمْ فَفَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْطُونَ الْحِجَارَةَ)). تَابِعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَتَابَتْ عَنْ أَنَسِ

रिवायत की मुताबअत अबू क़लाबा प्राबित और हुमैद ने अनस (रज़ि.) के वास्ते से की है। (राजेअ: 233)

तशरीह: आँहज़रत (ﷺ) ने उनको मुसाफ़िर और बीमार जानकर ज़कात के ऊँटों की चरागाह में भेज दिया क्योंकि वो मर्जे इस्तिस्का के मरीज़ थे। मगर वहाँ उन ज़ालिमों ने न सिर्फ़ ऊँटों के मुहाफ़िज़ को क़त्ल किया बल्कि उसका मुषला कर डाला और ऊँटों को लेकर भाग गए। बाद में पकड़े गए और क़िसास में उनको ऐसी ही सज़ा दी गई।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने इससे प्राबित फ़र्माया कि मुसाफ़िरो के लिये ज़कात के ऊँटों का दूध वगैरह दिया जा सकता है और उनकी सवारी भी उन पर हो सकती है। गरजुल्मुसन्निफ़ि फ़ी हाज़ल्बाबि इफ़्बातु वज्इस्सदक़ति फ़ी सिन्फिन वाहिदिन लिमन क़ाल यजिबु इस्तीआबुल्अस्नाफिष्मानियह (फ़त्हुल बारी) या'नी मुसन्निफ़ का मक़सद इस बाब से ये निकलता है कि अम्वाले ज़कात को सिर्फ़ एक ही मस्रफ़ पर भी खर्च किया जा सकता है बरख़िलाफ़ उनके जो आठों मस़ारिफ़ का इस्तीआब ज़रूरी जानते हैं। उन लोगों की ये संगीन सज़ा क़िसास ही में थी और बस।

बाब 69 : ज़कात के ऊँटों पर हाकिम का अपने हाथ से दाग़ देना

1502. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अमर औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ कि आप उनकी तहनीक कर दें। (या'नी अपने मुँह से कोई चीज़ चबाकर उनके मुँह में डाल दें) मैंने उस वक़्त देखा कि आपके हाथ में दाग़ लगाने का आला था और आप ज़कात के ऊँटों पर दाग़ लगा रहे थे।

(दीगर मक़ाम: 5542, 5824)

मा'लूम हुआ कि जानवर को ज़रूरत से दाग़ देना दुरुस्त है और इससे हन्फ़िया का रद्द हुआ जिन्होंने दाग़ देने को मकरूह और उसको मुषला समझा है। (वहीदी) और बच्चों के लिये तहनीक भी सुन्नत है कि खजूर वगैरह कोई चीज़ किसी नेक आदमी के मुँह से कुचलवाकर बच्चे के मुँह में डाली जाए ताकि उसके भी नेक फ़ितरत हासिल हो।

बाब 70 : स़दक़-ए-फ़ितर का फ़र्ज़ होना

अबुल आलिया, अत्ता और इब्ने सीरीन (रह.) ने भी स़दक़-ए-फ़ितर को फ़र्ज़ समझा है।

तशरीह: हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुज्जकात को ख़त्म फ़र्माते हुए स़दक़-ए-फ़ितर के मसाइल भी पेश कर दिये, मन तज़क्का व जकरस्म रब्बिही फ़सल्ला रूक़िय अन इब्नि इमर व अम्मिब्नि औफ़िन काला नज़लत फ़ि जकातिल्फ़ित्ति व रूक़िय अन अबिल्आलियह व इब्निल्मुसश्यिब व इब्नि सीरीन व ग़ैरिहिम क़ालू युअता

٦٩- بَابُ وَاسْمِ الْإِمَامِ ابْنِ الصَّدَقَةِ
بِيَدِهِ

١٥٠٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((عَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَدِي اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِحَنَكَةٍ، فَأَوَانَتْهُ لِي يَدِيوُ الْمَيْسَمِ يَعْمُ إِلَيْ الصَّدَقَةِ)).

[طرفاه: ٥٥٤٢, ٥٨٢٤.]

٧٠- بَابُ فَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءُ وَابْنُ سَيْرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

सदकतुल्फितीरि धुम्म युसल्ली रवाहुल्बैहक्री व गैरूहू (मिआत) या'नी कुआनी आयत, फ़लाहा पाई उस शख्स ने जिसने तज्किया हासिल किया और अपने ख का नाम याद किया और नमाज़ पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) और अमर बिन औफ़ (रज़ि.) कहते हैं कि ये आयात सदक-ए-फ़ि़र के बारे में नाज़िल हुई हैं। ये हज़रत ये भी कहते हैं कि पहले सदक-ए-फ़ि़र अदा किया जाए और फिर नमाज़ पढ़ी जाए। लफ़ज़ तज़क़ा के तज्किया से रोज़ों को पाक साफ़ करना मुराद है जिसके लिये सदक-ए-फ़ि़र अदा किया जाता है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं फ़रज़ रसूलुल्लाहि (ﷺ) ज़कातल्फि़रि तुहरतुल्लिस्माइमि मिनल्लगवि वरफ़ि़रि वल्हदीष रवाहु अबू दाऊद वब्नु माजा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़काते फ़ि़र को फ़र्ज़ करार दिया जो रोज़ेदार को लाव और गुनाहों से (जो उससे हालते रोज़ा में सादिर होते हैं) पाक-साफ़ कर देती है। पस आपका लफ़ज़ तज़क़ा से मुराद सदक-ए-फ़ि़र अदा करना हुआ। इस हदीष के तहत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं: फ़ीहि दलीलुन अला अन्न सदकतल्फि़रि मिनल्फ़राइज़ि व कद नकलब्नुल्मुन्ज़िर व गैरहू अल्इज्माइ ज़ालिक व लाकिन्नल्हनफ़ियत यकूलून बिल्वुजूबि दूनल्फ़र्ज़ियति अला क़ाइदतिहिम फि़त्तफ़रक़ति बैनल्फ़र्ज़ि वल्वुजूबि (नैलुल औतार)

या'नी इस हदीष में दलील है कि सदक-ए-फ़ि़र फ़राइज़े इस्लामिया मे से है। इब्ने मुंज़िर वगैरह ने इस पर इज्माअ किया है मगर हन्फ़िया उसे वाजिब करार देते हैं क्योंकि उनके यहाँ उनके क़ायदे के तहत फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क़ है इसलिये वो उसको फ़र्ज़ नहीं बल्कि वाजिब के दर्जे में रखते हैं। अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि ये सिर्फ़ लफ़ज़ी निज़ाअ है।

कुछ कुतुबे फ़ि़रहा हन्फ़िया में इसे सदकतुल फ़ि़र या'नी ता की ज़्यादती के साथ लिखा गया है और उससे मुराद वो फ़ि़रत ली गई है जो आयते शरीफ़ा फ़ि़रतुल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा में है। मगर हज़रत मौलाना इब्नेदुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं,

व अम्मा लफ़ज़ुल्फि़रि बिदूनि ताइन फ़ला कलाम फ़ी अन्नहू मअन लुगविथ्युन मुस्तअमलुन कब्लशशरइ लिअन्नहू ज़िद्दस्सौमि व युक़ालु लहा अयज़न ज़कातुल्फि़रि व ज़कातु रमज़ान व ज़कातुस्सौमि व सदकतु रमज़ान व सदकतुस्सौमि (मिआत)

लेकिन लफ़ज़ फ़ि़र बगैर ताअ के कोई शक नहीं कि ये लफ़्वा मा'नी मे मुश्तमिल है, शरीअत के नुज़ूल से पहले भी ये रोज़ा की ज़िद पर बोला जाता रहा है। उसे ज़कातुल फ़ि़र, ज़कातु रमज़ान, ज़काते सौम व सदक़ा, रमज़ान व सदक-ए-सौम के नामों से भी पुकारा गया है।

1503. हमसे यह्या बिन मुहम्मद बिन सकन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जट्टजम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे उमर बिन नाफ़ेअ ने उनसे उनके बाप ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ि़र की ज़कात (सदक-ए-फ़ि़र) एक साअ खजूर या एक साअ जौ फ़र्ज़ करार दी थी। गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर। आपका हुक्म ये था कि नमाज़े (ईद) के लिये जाने से पहले ये सदक़ा अदा कर दिया जाए।

(दीगर मक़ाम: 1504, 1507, 1509, 1511, 1512)

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرٌ بِهَا
أَنْ تُوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ)).

أُضْرَافُهُ فِي : ١٥٠٤ ، ١٥٠٧ ، ١٥٠٩

बाब 71 : सद्क-ए-फ़ित्र का मुसलमानों पर यहाँ तक कि गुलाम लौण्डी पर भी फ़र्ज़ होना

۷۱- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1504. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने, और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ित्र की ज़कात आज़ाद या गुलाम, मर्द या औरत तमाम मुसलमानों पर एक साअ ख़जूर या जौ फ़र्ज़ की थी। (राजेअ : 1504)

۱۵۰۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَالِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). [راجع: ۱۵۰۴]

तशरीह : गुलाम और लौण्डी पर सद्क-ए-फ़ित्र फ़र्ज़ होने से ये मुराद है कि उनका मालिक उनकी तरफ़ से सद्का दे। कुछ ने कहा ये सद्का पहले गुलाम लौण्डी पर फ़र्ज़ होता है फिर मालिक उनकी तरफ़ से अपने ऊपर उठा लेता है। (वहीदी)

सद्क-ए-फ़ित्र की फ़र्ज़ियत यहाँ तक है कि ये उस पर भी फ़र्ज़ है जिसके पास एक दिन की ख़ुराक से ज़ाइद अनाज या खाने की कोई चीज़ मौजूद हो क्योंकि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, साअमिन बुरिन औ कुम्हिन अन कुल्लि इन्नैनि सगीरुन औ कबीरुन हुरून औ अब्दुन ज़करुन औ उन्ना अम्मा गानिय्युकुम फ़युजक़ीहुल्लाहु व अम्मा फ़क़ीरुकुम फ़युरहु अलैहि अक़्शर मिम्मा आताहू (अबू दाऊद) या नी एक साअ गेहूँ छोटे-बड़े दोनों आदमियों आज़ाद-गुलाम, मर्द-औरत की तरफ़ से निकाला जाए इस सद्के की वजह से अल्लाह पाक मालदार को गुनाहों से पाक कर देगा (उसका रोज़ा पाक हो जाएगा) और गरीब को उससे भी ज़्यादा देगा जितना कि उसने दिया है।

साअ से मुराद साअे हिजाज़ी है जो रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में मुरव्वज (प्रचलित) था, न कि साअे इराक़ी मुराद है। साअे हिजाज़ी का वज़न उसी तौले के सेर के हिसाब से पौने तीन सेर के करीब होता है, हज़रत अब्दुल्लाह (रह.) शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं कि,

व हुव ख़म्सतु अर्तालिन व षुलुषु रत्लिन बग़दादी व युक़्ालु लहुस्साउल्हिजाज़ी कान मुस्तअमलन फ़ी ज़मनिन्नबिद्यि (ﷺ) व बिही कानू युखरिज़ून सद्क़तल्फ़िति व ज़कातल्मुअशराति व गैरहुमा मिनल्हुक़क़िल् वाजिबतिल्मुक़हरति फ़ी अहदिन्नबिद्यि (ﷺ) व बिही क़ाल मालिक वशशाफ़िइ व अहमद व अबू यूसुफ़ व उलमाउल्हिजाज़ि व क़ाल अबू हनीफ़त व मुहम्मद बिस्साइल्इराक़ी व हुव प्रमानियत अर्ताल बिर्त्लिलमज़क़ूरि व इन्नमा क़ील लहुल्इराक़ी लिअन्नहू कान मुस्तअमलन फ़ी बिलादिल्इराक़ि व हुवल्लज़ी युक़्ालु लहुस्साउल्हिजाज़ी लिअन्नहुल्हज्जाजुल्वाली व कान अबू यूसुफ़ यकूलु ककौलि अबी हनीफ़त षुम्म रजअ इला कौलिल्जुम्हूरि लम्मा तनाज़र मअ मालिक बिल्मदीनति फ़अराहुल्मीआनल्लती तवारिषहा अहलुल्मदीनति अन अस्लाफ़िहिम फ़ी ज़मनिन्नबिद्यि (ﷺ) (मिआत जिल्द 3, पेज 93)

साअ का वज़न पाँच रत्ल और तीन रत्ल बग़दादी है, इसी को साअे हिजाज़ी (अरब का पैमाना) कहते हैं जो रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में हिजाज़ में मुरव्वज था और अह्दरे रिसालत में सद्क-ए-फ़ित्र और उशर का अनाज और दीगर हुकूके वाजिबा बसूरत अज्नास उसी साअ से वज़न करके अदा किये जाते थे। इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) और इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) और इलम-ए-हिजाज़ का यही क़ौल है। और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मुहम्मद (रह.) साअे इराक़ी मुराद लेते हैं जो इराक़ के इलाक़ों में मुरव्वज था जिसे साअे हिजाज़ी भी कहा जाता है। उसका वज़न आठ रत्ल मज़क़ूर के बराबर होता है इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) भी अपने उस्तादे गिरामी अबू हनीफ़ा (रह.) के

क्रौल पर फ़त्वा देते थे मगर जब आप मदीना तशरीफ़ लाए और इस बारे में इमामुल मदीना इमाम मालिक (रह.) से तबादला-ए-ख़्याल (विचार-विमर्श) फ़र्माया तो इमाम मालिक (रह.) ने मदीना के बहुत से पुराने सा़अ (पैमाने) जमा कराए। जो अहले मदीना को ज़मान-ए-रिसालते मआब (ﷺ) से बतौर विराषत मिले थे और जिनका अहदे नबवी में रिवाज था, उनका वज़न किया गया तो 5 रतल और तीन रतल बग़दादी था। चुनाँचे हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) ने इस बारे में क्रौले जुम्हूर की तरफ़ रूजूअ किया। सा़अे हिजाजी इसलिये कहा गया कि उसे हिजाज वालों ने जारी किया था।

ऊपर बताए गये हिसाब की रू से हिजाज़ी का वज़न 234 तौला होता है जिसके तौले कम तीन सेर होते हैं जो अस्सी (80) तौला वाले सेर के मुताबिक़ होते हैं।

बाब 72 : स़दक़-ए-फ़ितर में अगर जौ दे तो एक सा़अ अदा करे

1505. हमसे क़बीसा बिन इक्रबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हम एक सा़अ जौ का स़दक़ा दिया करते थे।

(दीगर मक़ाम: 1506, 1508, 1510)

۷۲- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ

شَعِيرٍ

۱۵۰۵- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)).

[أطرافه في: ۱۵۰۶، ۱۵۰۸، ۱۵۱۰.]

तफ़्सील से बतलाया जा चुका है कि सा़अ से मुराद सा़अे हिजाज़ी है जो अहदे रिसालत (ﷺ) में मुरव्वज था, जिसका वज़न तीन सेर से कुछ कम होता है।

बाब 73 : गेहूँ या दूसरा अनाज भी स़दक़-ए-फ़ितर में एक सा़अ होना चाहिये

1506. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सिरह आमरी ने बयान किया, कि उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना। आप फ़र्माते थे कि हम फ़ितरा की ज़कात एक सा़अ अनाज या गेहूँ या एक सा़अ जौ या एक सा़अ ख़जूर या एक सा़अ पनीर या एक सा़अ ज़बीब (ख़ुश्क अंगूर या अंजीर) निकाला करते थे। (राज़ेअ: 1505)

۷۳- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ

طَعَامٍ

۱۵۰۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْغَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كُنَّا نَخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِينٍ)). [راجع: ۱۵۰۵]

तशरीह: तआम से अक़रर लोगों के नज़दीक गेहूँ ही मुराद है। कुछ ने कहा जौ के सिवा दूसरे अनाज और अहले हदीष और शाफ़िइया और जुम्हूर इलमा का यही क्रौल है कि अगर स़दक़-ए-फ़ितर में गेहूँ दे तो भी एक सा़अ देना काफ़ी समझा। इब्ने ख़ुज़ैमा और हाकिम ने अबू सईद (रज़ि.) से निकाला। मैं तो वही स़दक़ा दूँगा जो नबी करीम (ﷺ) के ज़माने

में दिया करता था। या'नी एक साअ खजूर या गेहूँ या पनीर या जौ। एक शख्स ने कहा या दो मुद निस्फ साअ गेहूँ, उन्होंने कहा नहीं ये मुआविया (रज़ि.) की ठहराई हुई बात है। (वहीदी)

बाब 74 : सदक-ए-फ़ित्र में खजूर भी एक साअ निकाली जाए

1507. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैप्र ने नाफ़ेअ के वास्ते से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक साअ खजूर या एक साअ जौ की जकाते फ़ित्रा देने का हुक्म फ़र्माया था। अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर लोगों ने उसी के बराबर दो मुद (आधा साअ) गेहूँ कर लिया था। (राजेअ : 1506)

बाब 75 : सदक-ए-फ़ित्र में मुनक्का भी एक साअ देना चाहिये

1508. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने यज़ीद बिन अबी हकीम अदनी से सुना, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान प्रौरी ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सदक-ए-फ़ित्र एक साअ गेहूँ या एक साअ खजूर या एक साअ जौ या एक साअ जबीब (ख़ुश्क अंगूर या ख़ुश्क अंजीर) निकालते थे। फिर जब मुआविया (रज़ि.) मदीना में आए और गेहूँ की आमदनी हुई तो कहने लगे मैं समझता हूँ उसका एक मुद दूसरे अनाज के दो मुद के बराबर है। (राजेअ : 1505)

बाब 76 : सदक-ए-फ़ित्र नमाज़ ईद से पहले अदा करना

1509. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हफ़स बिन मैसरा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मूसा बिन इब्रबाने ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से सदक-ए-फ़ित्र नमाज़े (ईद) के लिये जाने से पहले पहले निकालने का हुक्म दिया था। (राजेअ : 1503)

۷۴- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

۱۵۰۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَيْنٍ مِنْ حِنْطَةٍ)). [راجع: ۱۵۰۳]

۷۵- بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

۱۵۰۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ سَمِعَ يَزِيدَ ابْنَ حَكِيمٍ الْعَدَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمَوَاءُ، قَالَ: ((أَرَى مُدًا مِنْ هَذَا يَقْدِلُ مُدَيْنٍ)). [راجع: ۱۵۰۵]

۷۶- بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

۱۵۰۹- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)). [راجع: ۱۵۰۳]

1510. हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उमर हफ़्स बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन सअद ने, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ईदुल फ़ित्र के दिन (खाने के अनाज से) एक साअ निकालते थे। अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया कि हमारा खाना (उन दिनों) जौ, ज़बीब, पनीर और खजूर था।

(राजेअ: 1505)

١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ - وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ - وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَفْطُ وَالْتَمْرُ)).

[راجع: ١٥٠٥]

तशरीह: सदक-ए-फ़ित्र ईद से एक दो दिन पहले भी निकाला जा सकता है मगर नमाज़ से पहले तो उसे अदा कर देना चाहिये। जैसा कि दूसरी रिवायात में साफ़ मौजूद है, फ़मन अद्दाहा क़बल इस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक्बूलतुन व मन अद्दाहा बअद इस्सलाति फ़हिय सदकतुम्मिन इस्सदक़ाति (अबू दाऊद व इब्ने माजा) या'नी जो उसे नमाज़ से पहले अदा कर देगा उसकी ये ज़कातुल फ़ित्र मक्बूल होगी और जो नमाज़ के बाद निकालेगा उस सूत में ये ऐसा ही मा' मूली सदक़ा होगा जैसे आम इस्सदक़ात होते हैं।

बाब 77 : सदक-ए-फ़ित्र, आज़ाद और गुलाम पर वाजिब होना

٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

और जुहरी ने कहा जो गुलाम-लौण्डी, सौदागरी का माल हों तो उनकी सालाना ज़कात भी दी जाएगी और उनकी तरफ़ से सदक-ए-फ़ित्र भी अदा किया जाए।

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتَّجَارَةِ : يُزَكَّى فِي التَّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

तशरीह: पहले एक बाब इस मज़मून का गुज़र चुका है कि गुलाम वगैरह पर जो मुसलमान हों सदक-ए-फ़ित्र वाजिब है फिर इस बाब के दोबारा लाने से क्या गर्ज़ है? इब्ने मुनीर ने कहा कि पहले ये बाब से इमाम बुखारी (रह.) का मतलब ये था कि काफ़िर की तरफ़ से सदक-ए-फ़ित्र न निकालें। इसलिये इसमें मिनल मुस्लिमीन की कैद है। और इस बाब का मतलब ये है कि मुसलमान होने पर सदक-ए-फ़ित्र किस-किस पर और किस-किस तरफ़ से वाजिब होता है। (वहीदी)

1511. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से सदक-ए-फ़ित्र या ये कहा कि सदक-ए-रमज़ान मर्द, औरत, आज़ाद और गुलाम (सब पर) एक साअ खजूर या एक साअ जौ फ़र्ज़ करार दिया था। फिर लोगों ने आधा साअ गेहूँ उसके बराबर करार दे लिया। लेकिन इब्ने उमर (रज़ि.) खजूर दिया करते थे।

١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَغَدَلَ النَّاسُ بِهِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ

एक बार मदीना में खजूर का क्रहज़ पड़ा तो आपने जौ स़दका में निकाला। इब्ने उमर (रज़ि.) छोटे बड़े सबकी तरफ़ से यहाँ तक कि मेरे बेटों की तरफ़ से भी स़दक़-ए-फ़ितर निकालते थे। इब्ने उमर (रज़ि.) स़दक़-ए-फ़ितर हर फ़क़ीर को जो उसे कुबूल करता, दे दिया करते थे। और लोग स़दक़-ए-फ़ितर एक या दो दिन पहले ही दे दिया करते थे। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा मेरे बेटों से नाफ़ेअ के बेटे मुराद हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा वो ईद से पहले जो स़दका दे देते थे तो इकट्ठा होने के लिये न कि फ़क़ीरों के लिये (फिर वो जमा करके फ़क़ीर में तक्सीम कर दिया जाता)
(राजेअ: 1503)

بُرِّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْرَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شُعَيْرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنِ بَنِي. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الْبَيْنَ يَقْبَلُونَهَا. وَكَانُوا يَعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي يُعْطِي بَنِي نَالِعٍ قَالَ كَانُوا يُعْطُونَ لِجَمْعٍ لَا لِلْفُقَرَاءِ.

[راجع: ١٥٠٣]

बाब 78 : स़दक़-ए-फ़ितर बड़ों और छोटों पर वाजिब है

और अबू अम्र ने बयान किया, कि उमर, अली, इब्ने उमर, जाबिर, आइशा, त्राऊस, अत्रा और इब्ने सीरीन (रज़ि.) का ख़याल ये था कि यतीम के माल से भी ज़कात दी जाएगी। और जुहरी दीवाने के माल से ज़कात निकालने के क़ाइल थे।

1512. हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने इब्नेदुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक साअ जौ या एक साअ खजूर का स़दक़-ए-फ़ितर, छोटे, बड़े, आज़ाद और गुलाम सब पर फ़र्ज़ करार दिया।

(राजेअ 1503)

٧٨- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى

الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَ

رَعَا عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ ابْنُ عُمَرَ

وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ وَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَ ابْنُ

سَبْرِينَ أَنْ يُؤْتَى مَا الْيَتِيمِ وَ قَالَ

الزُّهْرِيُّ يُؤْتَى مَا الْمَخْنُونِ.

١٥١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ

عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَالِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ ذَقَّةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شُعَيْرٍ أَوْ

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ)).

[راجع: ١٥٠٣]

25. किताबुल हज्ज

हज्ज के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : हज्ज की फ़र्ज़ियत और उसकी फ़ज़ीलत का बयान

और अल्लाह पाक ने (सूरह आले इमरान में) फ़र्माया, लोगों पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह के लिये खान-ए-का'बा का हज्ज करें जिसको वहाँ तक राह मिल सके और जो न माने (और बावजूद कुदरत के हज्ज को न जाए) तो अल्लाह सारे जहाँ से बेनियाज़ है।

1- بَابُ وَجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آلِ عَمْرٍاءِ 97]

तशरीह:

अपने मा'मूल के मुताबिक़ अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने हज्ज की फ़र्ज़ियत प्राबित करने के लिये कुआन पाक की आयत मज़कूरा को नक़ल किया। ये सूरह आले इमरान की आयत है जिसमें अल्लाह ने इस्तिताअत (सामर्थ्य) वालों के लिये हज्ज को फ़र्ज़ करार दिया है। हज्ज के लफ़्ज़ी मा'नी क़स्द (इरादा) करने के है, व अस्तुल्हज्जि फिल्लुगति अल्कस्तु व फिशशरइ अल्कस्तु इलल्बैतिल्हरामि बिआमालिन मखसूसतिन मा'नी हज्ज के क़स्द (इरादे) के हैं और शरई मा'नी ये है कि बैतुल्लाह शरीफ़ का कुछ मखसूस आमाल के साथ क़स्द करना। इस्तिताअत का लफ़्ज़ इतना जामेअ है कि उसमें माली, जिस्मानी, मिलकी हर किस्म की ताक़त होनी चाहिये हज्ज इस्लाम का पाँचवां रक्न है और वो सारी उम्र में एक बार फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत 9 हिजरी में हुई। कुछ का ख़याल है कि 5 हिजरी या 6 हिजरी में हज्ज फ़र्ज़ हुआ। हज्ज की फ़र्ज़ियत का इन्कार करने वाला काफ़िर है और बावजूद कुदरत के हज्ज न करने वालों के हक़ में कहा गया है कि कुछ ता'ज्बु नहीं अगर वो यहूदी या नसरानी होकर मरे। हज्ज का फ़रीज़ा हर मुसलमान पर उसी वक़्त आइद होता है जबकि उसको जिस्मानी और माली और मुल्की तौर पर ताक़त हासिल हो। जैसा कि आयते शरीफ़ा मनिस्तताअ इलैहि सबीला से ज़ाहिर है।

हज़रत इमाम बुखारी (रह.) कुआन की आयत लाने के बाद वो हदीष लाए जिसमें साफ़-साफ़ इन्न फ़रीज़तल्लाहि अला इबादिही फिल्हज्जि अदकरत अबी के अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। अगरचे ये एक कबीला ख़फ़्म की मुसलमान औरत के अल्फ़ाज़ हैं मगर आँहज़रत (ﷺ) ने उनको सुना और आपने उन पर कोई ए'तिराज़ नहीं किया। इस लिहाज़ से ये हदीष तक्ररीरी हो गई और इससे फ़र्ज़ियत हज्ज का वाज़ेह लफ़्ज़ों में षुबूत हो गया।

तिर्मिज़ी शरीफ़ बाब मा जाअ मिनत्तग़लीजि तर्किल हज्जि में हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है, काल काल

रसूलुल्लाहि (ﷺ) मम्मलक जादन व राहिलतन तुबल्लिगुहू इला बैतिल्लाहि व लम यहुज फला अलैहि अय्यमूत यहूदियन औ नस्रानियन. या'नी आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जिस शख्स को खर्च अख़राजात, सवारी वग़ैरह बैतुल्लाह के सफ़र के लिये रुपया मयस्सर हो (और वो तन्दरुस्त हो) फिर उसने हज्ज न किया तो उसको इख़ितयार है यहूदी होकर मरे या नस्रानी होकर। ये बड़ी से बड़ी वर्ईद (चेतावनी) है जो एक सच्चे मर्दे मुसलमान के लिये हो सकती है। पस जो लोग बावजूद ताक़त रखने के मक्का शरीफ़ का रुख नहीं करते है बल्कि यूरोप और दूसरे मुल्कों की सैर सपाटे में हज़ारों रुपये बर्बाद कर देते हैं मगर हज्ज के नाम से उनकी रूह सूख जाती है, ऐसे लोगों को अपने ईमान व इस्लाम की ख़ैर मनानी चाहिये। इसी तरह जो लोग दिन-रात दुनियावी धंधों में खोए रहते हैं और इस पाक सफ़र के लिये उनको फुर्सत नहीं होती। उनका भी दीनो-ईमान सख़्त ख़तरे में है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस शख्स पर हज्ज फ़र्ज हो जाए उसको उसकी अदायगी में हत्तल इम्कान जल्दी करनी चाहिये और काश और शायद में वक़्त नहीं टालना चाहिये।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में ममालिके महरूसा में मन्दर्जाज़ेल पैगाम शाय़ा कराया था, लक़द हममन्तु अन अब्अघ़ रिजालन इला हाज़िहिल अम्सारि फ़यन्ज़ुरु कुल्ल मन कान लहू जिहूतन व ला यहुज फ़यज़िबू अलैहिमुल्जिज्यत मा हुम बि मुस्लिमीन मा हुम बिमुस्लिमीन (नैलुल औतार जिल्द 4 पेज 865) मेरी दिली ख़्वाहिश है कि मैं कुछ आदमियों को शहरों और देहातों में तफ़तीश के लिये रवाना करूँ जो उन लोगों की लिस्ट तैयार करें तो ताक़त रखने के बावजूद इज्तिमाए हज्ज में शिक़त नहीं करते। उन पर कुफ़्रार की तरह टैक्स मुक़रर कर दें क्योंकि उनका दा'वा-ए-इस्लाम फ़िज़ूल और बेकार है वो मुसलमान नहीं है।

वो मुसलमान नहीं है। इससे ज़्यादा बदनस़ीबी और क्या होगी कि बैतुल्लाह शरीफ़ जैसी बुजुर्ग और मुक़द्दस जगह इस दुनिया में मौजूद हो। वहाँ तक जाने की हर तरह से आदमी ताक़त भी रखता हो और फिर कोई मुसलमान उसकी ज़ियारत को न जाए जिसकी ज़ियारत के लिये बाबा आदम (अलैहिस्सलाम) सैंकड़ों बार पैदल सफ़र करके गए। अख़रजब्नु ख़ुजैमत व अबुशशैख़ फ़िल्अज़मति वहैलमी अनिब्नि अब्बासिन अनिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ाल इन्न आदम अता हाज़लबैत अल्फ़ आतियतिन लम यर्कब क़त्तु फ़ीहिन्न मिनल हिन्दि अला रिहलतिही या'नी इब्ने अब्बास (रज़ि.) मफ़ूअन रिवायत करते हैं कि आदम (अलैहिस्सलाम) ने बैतुल्लाह शरीफ़ का मुल्के हिन्द से एक हज़ार बार पैदल चलकर हज्ज किया। इन हज्जों में आप कभी सवारी पर सवार नहीं होकर गए।

आँहज़रत (ﷺ) ने जब काफ़िरों के जुल्मों से तंग आकर मक्का मुअज्जमा से हिजरत की तो रुख़सती के वक़्त आपने हज़रे अस्वद को चूमा और आप मस्जिद के बीच में खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह हुए। आबदीद-ए-नम होकर (भीगी आँखों से) आपने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम तू अल्लाह के नज़दीक तमाम जहाँ से प्यारा और बेहतर घर है और ये शहर भी अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा शहर है। अगर कुफ़्रारे कुरैश मुझको हिजरत पर मजबूर न करते तो मैं तेरी जुदाई हर्गिज़ इख़ितयार नहीं करता। (तिर्मिज़ी)

जब आप मक्का शरीफ़ से बाहर निकले तो फिर आपने अपनी सवारी का मुँह मक्का की तरफ़ करके कहा, वल्लाहि इन्नकि लखैरु अर्ज़िल्लाहि व अहब्बु अर्ज़िल्लाहि इलल्लाहि व लौ ला उख़िर्ज्तु मिन्कि मा ख़रज्तु (अहमद, तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) अल्लाह की क़सम! ऐ शहरे मक्का! तू अल्लाह के नज़दीक बेहतर शहर है, तेरी ज़मीन अल्लाह को तमाम रूपे ज़मीन से प्यारी है। अगर मैं यहाँ से निकलने पर मजबूर न किया जाता तो कभी यहाँ से न निकलता।

फ़ज़ीलते हज्ज के बारे में आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं मन हज्ज हाज़लबैत फ़लम यफ़स व लम यफ़सुक़ रज़अ कमा वलदतहु उम्मुहू (इब्ने माजा पेज 213) या'नी जिसने पूरे अदबो-शराइत के साथ बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज किया, न जिमाअ के क़रीब गया और न कोई बेहूदा हरकत की, वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक-साफ़ होकर लौटता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने के दिन पाक-साफ़ था।

अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में ये भी आया कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो कोई हज्जे बैतुल्लाह के इरादे से रवाना होता है उस शख्स की सवारी जितने क़दम चलती है हर क़दम के बदले अल्लाह उसके एक गुनाह को मिटाता है। उसके

लिये एक नेकी लिखता है और एक दर्जा जन्नत में उसके लिये बुलन्द करता है। जब वो शख्स बैतुल्लाह शरीफ में पहुँच जाता है और वहाँ पर तवाफ़े बैतुल्लाह और सफ़ा व मरवह की सई करता है फिर बाल मुँडवाता या कतरवाता है तो गुनाहों से इस तरह पाक—साफ़ हो जाता जैसे माँ के पेट से पैदा होने के दिन था। (तर्गीब व तरहीब पेज 224)

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मर्फूअन इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है कि जो शख्स मक्का मुअज्जमा से हज्ज के लिये निकला और पैदल अरफ़ात गया फिर वापस भी वहाँ से पैदल ही आया तो उसको हर क़दम के बदले करोड़ों नेकियाँ मिलती हैं।

बैहकी ने हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत की है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया हज्ज, उम्रह साथ—साथ अदा करो। इस पाक अमल से फ़क्र (ग़रीबी) को अल्लाह तआला दूर कर देता है और गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे भट्टी लोहे को मैल से पाक कर देती है।

मुस्नद अहमद में इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि आपने फ़र्माया कि जिस मुसलमान पर हज्ज फ़र्ज़ हो जाए उसको अदायगी में जल्दी करनी चाहिये और फ़ुर्सत को ग़नीमत जानना चाहिये। नामा'लूम कल क्या पेश आए। मैदाने अरफ़ात में जब हाजी साहिबान अपने रब के सामने हाथ फैलाकर दीन—दुनिया की भलाई के लिये दुआ करते हैं तो अल्लाह तआला आसमानों पर फ़रिश्तों में उनकी ता'रीफ़ करता है।।

अबू यअला की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ है कि जो हाजी रास्ते में इंतिक़ाल कर जाएँ उसके लिये क़यामत तक हर साल हज्ज का प्रवाब लिखा जाता है।

अल ग़र्ज़ फ़र्ज़ियते हज्ज के बारे में और फ़ज़ाइल के बारे में और भी बहुत सी मरवियात हैं। मोमिन मुसलमान के लिये इसी क़दर काफ़ी वाफ़ी है। अल्लाह तआला जिस मुसलमान को इतनी त़ाक़त दे कि वो हज्ज को जा सके उसको ज़रूर बिल ज़रूर वक़्त को ग़नीमत जानना चाहिये और तौहीद की इस अज़ीमुशशान सालाना कॉन्फ़्रेंस में बिला हीलो—हुज्जत शिर्कत करनी चाहिये। वो कॉन्फ़्रेंस जिसकी बुनियाद आज से चार हज़ार साल पहले ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने हाथों से रखी थी उस दिन से आज तक हर साल ये कॉन्फ़्रेंस होती चली आ रही है। पस उसकी शिर्कत के लिये हर मुसलमान हर इब्राहीमी और मुहम्मदी को मुतमन्नी (आरज़ूमंद) रहना चाहिये।

हज्ज की फ़र्ज़ियत के शराइत क्या हैं ? हज्ज फ़र्ज़ होने के लिये नीचे लिखी शर्तें हैं, उनमें से अगर एक चीज़ भी फ़ौत हो जाए तो हज्ज के लिये जाना फ़र्ज़ नहीं है। क़ायदा कुल्लिया है **इज़ा फ़ातशशर्तु फ़ातल्मशरूतु** शर्त के फ़ौत हो जाने से मशरूत भी साथ ही फ़ौत हो जाता है। शराइत ये हैं (1) मुसलमान होना (2) आक़िल होना (3) रास्ते में अमन व अमान का पाया जाना (4) अख़राजाते सफ़र के लिये पूरी रक़म का मौजूद होना (5) तन्दुरुस्त होना (6) औरतों के लिये उनके साथ किसी महरम का होना, महरम उसको कहते हैं जिससे औरत के लिये निकाह करना हमेशा के लिये क़तअन ह़राम हो जैसे बेटा या सगा भाई या बाप या दामाद वग़ैरह। महरम के अलावा मुनासिब तो यही है कि औरत के साथ उसका शौहर हो। अगर शौहर न हो तो किसी महरम का होना ज़रूरी है। **अन अबी हुरैरत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला तुसाफ़िरू इम्रातुन मसीरत यौमिन व लैलतिन व मअहा जूमहरमिन** (मुत्तफ़क्र अलैहि) अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत एक रात—दिन की मुसाफ़त का सफ़र भी न करे जब तक उसके साथ कोई महरम न हो।

अनिब्नि अब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला यख़लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन व ला तुसाफ़िरन्न इम्रातुन इला व मअहा महरमुन अल्हदीष (मुत्तफ़क्र अलैहि) इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्मा दिया। मर्द किसी ग़ैर औरत के साथ हर्गिज़ तंहाई में न हो और न हर्गिज़—हर्गिज़ कोई औरत बग़ैर शौहर या किसी ज़िम्मी महरम को साथ लिये सफ़र करे। एक शख्स ने कहा, हुज़ूर! मेरा नाम मुजाहिदीन की फ़ेहरिस्त में आ गया और मेरी औरत हज्ज के लिये जा रही है। आपने फ़र्माया, जाओ तुम अपनी औरत के साथ हज्ज करो।

हज के महीनों और अय्याम (दिनों) का बयान : चूँकि हज के लिये उमूमन माहे शव्वाल से तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिये शव्वाल व ज़िक्रअदा व अशरा ज़िल्हिज्ज को अशहरुल हज्ज या 'नी हज्ज के महीने कहा जाता है। अरकाने हज्ज की अदायगी के लिये खास दिन मुकरर हैं जो आठ ज़िल्हिज्ज से शुरू होते हैं और तेरह ज़िल्हिज्ज पर खत्म होते हैं। जाहिलियत के दिनों में कुफ़ारे अरब अपने अराज़ (कामों) के हिसाब से हज्ज के महीनों का उलट-फेर कर लिया करते थे। कुआन पाक ने उनके इस काम को कुफ़र में ज्यादाती से ता'बीर किया है और सख्ती के साथ उस हरकत से रोका है। उमरह मुत्लक़न ज़ियारत को कहते हैं। इसलिये ये साल भर में हर महीने में हो सकता है। इसके लिये दिनों की खास क्रैद नहीं है। आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी पूरी उम्र में चार बार उमरह किया। जिसमें तीन उमरह आपने ज़िक्रअद के महीने में किये और एक उमरह आप (ﷺ) का हज्जतुल विदाअ के साथ हुआ। (मुत्फ़क़ अलैह)

1513. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सुलैमान बिन यसार ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि फ़ज़ल बिन अब्बास (हज्जतुल विदाअ में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सवारी के पीछे बैठे हुए थे कि कबीला ख़अम की एक ख़ूबसूरत औरत आई। फ़ज़ल उसको देखने लगे वो भी उन्हें देख रही थी। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज़ल (रज़ि.) का चेहरा बार बार दूसरी तरफ़ मोड़ देना चाहते थे। उस औरत ने कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! अल्लाह का फ़रीज़ा हज्ज मेरे वालिद के लिये अदा करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं ऊँटनी पर बैठ नहीं सकते। क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्ज (बदल) कर सकती हूँ? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ। ये हज्जतुल विदाअ का वाक़िया था।

(1854, 1855, 4399, 6228)

١٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ لِي الْحَجُّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)).

[أطرافه في : ١٨٥٤ ، ١٨٥٥ ، ٤٣٩٩ ، ٦٢٢٨]

[٦٢٢٨]

तशरीह :

इस हदीष से ये निकला कि दूसरे की तरफ़ से हज्ज किया जा सकता है। मगर वही शख्स दूसरे की तरफ़ से हज्ज कर सकता है जो अपना फ़र्ज़ हज्ज अदा कर चुका हो और हन्फ़िया के मज़दीक़ मुत्लक़न दुरुस्त है और उनके मज़हब को वो हदीष रद्द कर देती है जिसको इब्ने ख़ुज़ैमा और अर्रहाबे सुनन ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने एक शख्स को शिब्रमा की तरफ़ से लब्बैक पुकारते हुए सुना, फ़र्माया क्या तू अपनी तरफ़ से हज्ज कर चुका है? उसने कहा नहीं। आपने फ़र्माया तो पहले अपनी तरफ़ से हज्ज कर फिर शिब्रमा की तरफ़ से कर लेना। इसी तरह किसी शख्स के मर जाने के बाद भी उसकी तरफ़ से हज्ज दुरुस्त है। बशर्ते कि वो वसियत कर गया हो और कुछ ने माँ-बाप की तरफ़ से बिला वसियत भी हज्ज दुरुस्त रखा है। (वहीदी)

हज्ज की एक किस्म हज्जे बदल है। जो किसी मअज़ूर या मुत्वफ़ा (मय्यित) की तरफ़ से नियाबतन किया जाता है। उसकी नियत करते वक़्त लब्बैक के साथ जिसकी तरफ़ से हज्ज के लिये आया है उसका नाम लेना चाहिये। मज़लन एक शख्स ज़ैद की तरफ़ से हज्ज के लिये गया तो वो यूँ पुकारेगा, 'लब्बैक अन ज़ैद नियाबत' की तरफ़ से हज्ज करना

जाइज है। इसी तरह किसी मरे हुए की तरफ से भी हज्जे बदल कराया जा सकता है। एक सहाबी ने नबी करीम (ﷺ) से कहा था कि मेरा बाप बहुत ही बूढ़ा हो गया है वो सवारी पर भी चलने की ताकत नहीं रखता। आप इजाजत दें तो मैं उनकी तरफ से हज्ज अदा कर लूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! कर लो (इब्ने माजा) मगर उसके लिये ये ज़रूरी है कि जिस शख्स से हज्जे बदल कराया जाए वो खुद पहले अपना हज्ज अदा कर चुका हो। जैसा कि नीचे लिखी हदीष से ज़ाहिर है।

अनिब्नि अब्बासिन अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) समिअ रजुलन यकूलु लब्बैक अन शिबरमत फक़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) मन शिबरम: क़ाल करीबुन ली क़ाल हल हज्जत कतु क़ाल ला क़ाल फज्जअल हाज़िही अन नफ़िसक घुम्म हुज्ज अन शिबरमा (रवाहु इब्ने माजा) या'नी इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख्स को सुना वो लब्बैक पुकारते वक़्त किसी शख्स शिब्रमा नामी की तरफ से लब्बैक पुकार रहा है। आपने उससे पूछा कि भाई ये शिब्रमा कौन है? उसने कहा कि शिब्रमा मेरा एक करीबी है। आपने पूछा तूने कभी हज्ज अदा किया है? उसने कहा नहीं। आपने फ़र्माया, पहले अपने नफ़स की तरफ से अदा कर, फिर शिब्रमा की तरफ से अदा करना।

इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर होता है कि हज्जे बदल वही शख्स कर सकता है जो पहले अपना हज्ज कर चुका हो। बहुत से अइम्मा और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) का यही मज़हब है। लम्बात मे मुल्ला अली क़ारी मरहूम लिखते हैं, अल्अम्रु यदुल्लु बिज़ाहिरिही अला अन्ननिय़ाबत इन्नमा यजुजु बअद अदाइ फ़र्ज़िल्हज्जि व इलैहि ज़हब जमाअतुम्मिनलअइम्मित वशशाफ़िइ व अहमद या'नी अम्मे नबवी बज़ाहिर इस बात पर दलालत करता है कि नियाबत उसी के लिये जाइज है जो अपना फ़र्ज़ हज्ज अदा कर चुका हो। अल्लामा शौकानी (रह.) ने अपनी मायानाज़ किताब नैलुल औतार में ये बाब नक़ल किया है, बाबुन मन हज्ज अन गैरिही व लम यकुन हज्ज अन नफ़िसही या'नी जिस शख्स ने अपना हज्ज नहीं किया वो ग़ैर का हज्जे बदल कर सकता है या नहीं? इस पर आप हदीषे बाला शिब्रमा वाली लाए हैं और उस पर फ़ैसला दिया है कि व लैस फि हाज़ल्बाबि असहहु मिन्हु या'नी हदीष शिब्रमा से ज़्यादा इस बाब में और कोई सहीह हदीष वारिद नहीं हुई है। फिर फ़र्माते हैं, व ज़ाहिरुल्हदीषि अन्नहू ला यजुजु लिमन लम यहुज्ज अन नफ़िसही अंत्यहुज्ज अन गैरिही सवाअन कान यस्तफ़सिल हाज़ा लिरजुल्लिज़ी समिअहू युलब्बी अन शिबरमा व हुव यन्ज़ि लु मन्ज़िलतलउमूमि व इला ज़ालिक जहबशशाफ़िइ वन्नासिर (जिल्द 4, नैलुल औतार पेज 173) या'नी इस हदीष से ज़ाहिर है कि जिस शख्स ने नफ़स की तरफ से पहले हज्ज न किया हो वो हज्जे बदल किसी दूसरे की तरफ से नहीं कर सकता। ख़वाह वो अपना हज्ज करने की ताकत रखने वाला हो या ताकत न रखने वाला हो। इसलिये कि नबी करीम (ﷺ) ने जिस शख्स को शिब्रमा की तरफ से लब्बैक पुकारते हुए सुना था उससे आपने ये तफ़्सील नहीं पूछी थी। पस ये बमज़िला उमूम है और इमाम शाफ़िई और नासिर (रह.) का यही मज़हब है।

पस हज्जे बदल करने और कराने वालों को सोच-समझ लेना चाहिये। अमर ज़रूरी यही है कि हज्जे बदल करने के लिये ऐसे आदमी को तलाश करना चाहिये जो अपना हज्ज अदा कर चुका हो ताकि बिला शक व शुब्हा हज्ज के फ़रीज़े की अदायगी हो सके। अगर किसी बग़ैर हज्ज किये हुए को भेज दिया तो ऊपर बयान हुई हदीष के ख़िलाफ़ होगा। नीज़ हज्ज की कुबूलियत और अदायगी में पूरा-पूरा तरहुद भी बाक़ी रहेगा। कोई अक्लमन्द आदमी ऐसा काम क्यूँ करेगा जिसमें काफ़ी रुपया ख़र्च हो और कुबूलियत में तरहुद शक व शुब्हा हाथ आए।

बाब 2 : अल्लाह पाक का सूरह हज्ज में ये इशार्द

कि लोग पैदल चलकर तेरे पास आएँ और दुबले ऊँटों पर दूर दराज़ रास्तों से इसलिये कि दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करें। इमाम बुखारी ने कहा सूरह नूह में जो फ़िजाजा का लफ़ज़ आया है उसके मा'नी खुले और कुशादा रास्ते के हैं।

٢- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

هُيَأَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَنِيبٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴿
لِجَاخَا: الطَّرِيقِ الوَاسِعَةِ. [الحج: ٢٧].

अगली आयत सूरह हज्ज की इस बाब के बारे में थी और चूँकि उसमें फ़ज्ज का लफ़्ज़ है और फ़िजाजा उसी की जमा (बहुवचन) है जो सूरह नूह में वारिद है इसलिये उसकी भी तफ़्सीर बयान कर दी।

तशरीह : इस आयते करीमा के ज़ैल मुफ़स्सिरीन लिखते हैं, फ़नादा अला जबलि अबू कैस याअय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम बना बैतन व औजब अलैकुमल्हज्ज इलैहि फअजीबू रब्बकुम वलतफत बिवजिही यमीन व शिमालन व शर्कन व गर्बन फ़ज़ाबहू कुल्लू मन कतब लहू अंय्यहुज्ज मिन अस्लाबिरिंजालि व अर्हामिल्उम्महाति लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक (जलालैन) या'नी हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जबले अबू कुबैस पर चढ़कर पुकारा, ऐ लोगों! तुम्हारे रब ने अपनी इबादत के लिये एक घर बनवाया है और तुम पर हज्ज फ़र्ज़ किया है। आप ये ऐलान करते हुए शिमाल व जुनूब (उत्तर-दक्षिण), मशरिफ़ व मशिब (पूरब-पश्चिम) की तरफ़ मुँह करते जाते और आवाज़ बुलन्द करते जाते थे। पस जिन इंसानों की क़िस्मत में हज्जे बैतुल्लाह की सज़ादते अज़ली लिखी जा चुकी है। उन्होंने अपने बापों की पुश्त से और अपने माँओं के अरहाम (कोखों) से इस मुबारक निदा को सुनकर जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह! हम हाज़िर हैं। या अल्लाह हम तेरे पाक घर की ज़ियारत के लिये हाज़िर है।

कुआन मजीद की मज़क़ूरा पेशगोई की झलक तौरात में आज भी मौजूद है। जैसा कि नीचे लिखी आयत से ज़ाहिर है, ऊँटनियाँ क़षरत से तुझे आकर छुपा लेगी मदयान और ऐफ़ा की जो ऊँटनियाँ हैं और वो सब जो सबा की हैं आएँगी। (सअयाह : 6/60)

'क़ैदार की सारी भेड़ें (क़ैदार इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है) तेरे पास जमा होंगी। नबीत (इस्माईल के बेटे) के मेंढे तेरी ख़िदमत में हाज़िर होंगे। वो मेरी मंज़ूरी के वास्ते मेरे मज़बह पर चढ़ाए जाएँगे। अपने शौकत के घर को बुजुर्गी दूँगा। ये कौन हैं जो बदली की तरह उड़ते हैं और कबूतर की तरह अपने काबुक की तरफ़ जाते हैं। यकीनन बहरी मुमालिक तेरी राह तर्केंगे और नरसीस के जहाज पहले आएँगे। (सअयाह 13/60)

इन सारी पेशीनगोइयों से अज़मते का'बा ज़ाहिर है। वलित्तफ़्सील मुक़ामे आख़र

1514. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें बिन शिहाब ने कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर ने फ़र्माया, कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जुल हुलैफ़ह में देखा कि अपनी सवारी पर चढ़ रहे हैं। फिर जब वो सीधी खड़ी हुई तो आप (ﷺ) ने लब्बैक कहा।

(राजेअ : 166)

١٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِلَدِي الْخَلِيفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً)).

[راجع: ١٦٦]

1515. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें वलीद बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने अत्ता बिन अबी रिबाह से सुना, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुल हुलैफ़ह से एहराम बाँधा। जब सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई। इब्राहीम बिन मूसा की ये

١٥١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ دِي الْخَلِيفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ)).

हदीष इब्ने अब्बास और अनस (रज़ि.) से भी मरवी है।

رَوَاهُ أَنَسٌ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
بِعْنِي حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى

इमाम बुखारी (रह.) की गर्ज इन हदीषों के लाने से ये हैं कि हज्ज पैदल हो या सवार होकर दोनों तरह दुरुस्त है। कुछ ने कहा उन लोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि हज्ज पैदल अफ़ज़ल है, अगर ऐसा होता तो आप भी पैदल हज्ज करते मगर आपने ऊँटनी पर सवार होकर हज्ज किया और आँहज़रत (ﷺ) की पैरवी सबसे अफ़ज़ल है। (वहीदी) ऊँट की जगह आजकल मोटर-कारों ने ले ली है और अब हज्ज बेहद आरामदेह हो गया है।

बाब 3 : पालान पर सवार होकर हज्ज करना

۳- بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

1516. और अबान ने कहा हमसे मालिक बिन दीनार ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मुहम्मद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने उनके साथ उनके भाई अब्दुर्रहमान को भेजा और उन्होंने आइशा (रज़ि.) को तनईम से उम्रह कराया और पालान की पिछली लकड़ी पर उनको बिठा लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हज्ज के लिये पालानें बाँधो क्योंकि ये भी एक जिहाद है। (राजेअ: 294)

۱۵۱۶- حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنِيمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ)). وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَدُّوا الرَّحَالَ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ. [راجع: ۲۹۴]

1517. मुहम्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया कि हमसे जैद बिन जुरैअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अज़रा बिन घ़ाबित ने बयान किया, उनसे घुमात्रा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया कि हज़रत अनस (रज़ि.) एक पालान पर हज्ज के लिये तशरीफ़ ले गये और आप बख़ील नहीं थे। आपने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) भी पालान पर हज्ज के लिये तशरीफ़ ले गये थे, उसी पर आपका अस्बाब भी लदा हुआ था।

۱۵۱۷- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَلَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْعِيًّا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَائِلَةً)).

तशरीह: मतलब ये है कि हज्ज में तकल्लुफ़ करना और आराम की सवारी ढूँढ़ना सुन्नत के खिलाफ़ है। सादे पालान पर चढ़ना काफी है। शुज़फ़ और महमल और उम्दा कज़ावे और गद्दे और तकिये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इबादत में जिस क़दर मशक़त हो उतना ही ज़्यादा ष़वाब है। (वहीदी) ये बातें आज के सफ़र में ख़्वाब व ख़याल बनकर रह गई हैं। अब हर जगह मोटर-कार, हवाई जहाज़ दौड़ते फिर रहे हैं। हज्ज का मुबारक सफ़र भी रेल, पानी के जहाज़, मोटर-कार और हवाई जहाज़ से हो रहा है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आराम हर हर क़दम पर मौजूद है। इन तकल्लुफ़ात के साथ हज्ज उस हदीष की तस्दीक़ करता है जिसमें कहा गया है आख़िर ज़माने में सफ़रे हज्ज भी एक तप़रीह का ज़रिया बन जाएगा। लेकिन सुन्नत के शैदाई उन हालात में भी चाहें तो सादगी के साथ ये मुबारक सफ़र करते हुए क़दम-क़दम पर अल्लाह की रज़ा और सुन्नत शिआरी का षुबूत दे सकते हैं। मक्का शरीफ़ से पैदल चलने की इजाज़त है। हुकूमत मजबूर नहीं करती कि हर शाख्स मोटर-कार ही का सफ़र करें मगर आराम त़लबी की दुनिया में ये सब बातें दक़ियानूसी समझी जाती है। बहरहाल हक़ीक़त है कि सफ़रे हज्ज जिहाद से कम नहीं है बशर्ते कि हक़ीक़ी हज्ज नसीब हो।

लफ़्जे ज़ामिला ऐसे ऊँट पर बोला जाता है जो हालते सफ़र में अलग से सामान अस्बाब और खाने-पीने की चीज़ों को उठाने के लिये इस्ते'माल में आता हो, यहाँ रावी का मक़सद ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ये सफ़रे मुबारक इस क़दर सादगी से किया कि एक ही ऊँट से सवारी और सामान उठाना दोनों काम ले लिये गए।

1518. हमसे अमर बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमसे ऐमन बिन नाबिल ने बयान किया। कहा कि हमसे क़ासिम बिन मुहम्मद ने बयान किया और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आप लोगों ने तो उम्रह कर लिया लेकिन मैं न कर सकी। इसलिये आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया अब्दुर्रहमान अपनी बहन को ले जा और उन्हें तन्ईम से उम्रह करा ला। चुनाँचे उन्होंने आइशा (रज़ि.) को अपने ऊँट के पीछे बिठा लिया और आयशा (रज़ि.) ने उम्रह अदा किया। (राजेअ : 294)

١٥١٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَلَيْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَمَّرْتُمْ وَلَمْ أَغْمِرْ. فَقَالَ: ((بِأَعْيُنِ الرَّحْمَنِ، أَذْهَبَ بِأَخِيكَ فَأَغْمِرْتُمَا مِنَ التَّيْمِيمِ)) فَأَخْفَقَهَا عَلَى نَاقَةٍ، فَأَغْمَرْتُمْ)).

[راجع: ٢٩٤]

तशरीह : आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) को उम्रह का एहराम बाँधने के लिये तन्ईम भेजा। इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (रह.) फ़र्माते हैं,

”مِيقَاتُ حِلِّ اسْتِزْبَاحِ الْمَكِّيِّ بِحَدِيثِ صَحِيحِينَ وَغَيْرِهِمَا كَمَا أَنْحَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَأَى فَرْمُودَ بَا عَائِشَةَ بَسُو لِي تَعْمِيمٍ بَرَأَيْدٍ وَوَلِي أَزَالِجَا عَمْرَهُ بَرَأَرْدٍ وَهَرَكَةَ أَنْرَا أَلِ مَسْكِنٍ وَمَكَّةَ صَحِيحٍ كُورِيدٍ جَوَابِ دَادِهِ كَمَا أَيْنَ أَمْرٍ بِنَابِرٍ تَطِيبِ عَطَاطِ عَائِشَةَ بُوَدَ تَا أَزَا حِلِّ بَكَّةَ دَرَأَيْدٍ جَنَانِكَةَ دِهْغَرِ أَزْوَاكِ كَرْدَنْدِ وَأَيْنِ وَاجِبِ خِلَافِ ظَاهِرِ اسْتِ - بِأَصْلِ أَنْكَهَ أَزْوَعِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمِينَ مِيقَاتِ عَمْرِهِ وَتَعْمِينَ مِيقَاتِ حِجِّ أَزْبَرَا لِي أَهْلِ بَرَجِثِ ثَابِتِ كَشْتِهِ بِسِ أَكْرَ عَمْرِهِ دَرِي مَوَالِثِ بِمَجْزُوحِ جَاشِدِ أَنْحَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرِ حَدِيثِ صَحِيحٍ كُفْتَهُ فَمَنْ كَانِ دُونَهُمْ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكُلْمَلِكِ أَهْلِ مَكَّةَ يَهْلُونِ مِنْهَا وَأَيْنِ دَرِ صَحِيحِينَ اسْتِ بَلْكَهَ دَرِ حَقِيقَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذِكْرِ مَوَالِثِ أَهْلِ بَرِجِثِ تَصْرِيحِ أَمَدِهِ بِأَنْكَهَ رَسُولِ خَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْمُودِ حَدِيثِ فِهِنْ لَأَهْلِيهِمْ وَلَمَنْ أَلِي عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيهِمْ لَمَنْ كَانِ يَرِيدُ الْحِجَّ وَالْعَمْرَةَ وَأَيْنِ حَدِيثِ دَرِ صَحِيحِينَ اسْتِ وَدَرَانِ تَصْرِيحِ بِمَعْنِيهِ اسْتِ (بُرُورِ الْأَبْرَةِ ص: ١٥٢)

अहले मक्का के लिये उम्रह का मीक़ात हल है। जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) को फ़र्माया कि वो अपनी बहन आइशा (रज़ि.) को तन्ईम ले जाएँ और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँधकर आएँ और जिन इलमा ने ये कहा कि उम्रह का मीक़ात अपना घर और मक्का ही है, उन्होंने उस हदीष के बारे में जवाब दिया कि ये आँहज़रत (ﷺ) ने सिर्फ़ हज़रत आइशा (रज़ि.) की दिलजोई के लिये फ़र्माया था ताकि वो हल से कर आएँ जैसा कि दीगर अज्वाजे मुतहहरत ने किया था और ये जवाब ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। हासिल ये कि आँहज़रत (ﷺ) से उम्रह के लिये मीक़ात का तअय्युन वाक़ेअ नहीं हुआ और मीक़ाते हज्ज का तअय्युन हर जिहत वालों के लिये प्राबित हुआ है। पस अगर उम्रह उन मवाक़ीत में हज्ज की तरह हो तो आँहज़रत (ﷺ) ने सहीह हदीष में फ़र्माया है कि जो लोग मीक़ात के अंदर हों उनका मीक़ात उनका घर है वो अपने घरों से एहराम बाँधें, इसी तरह मक्कावाले भी मक्का ही से एहराम बाँधें और हदीष सहीह में है। बल्कि हदीष इब्ने अब्बास (रज़ि.) में हर जगह की मीक़ात का ज़िक्र करने के बाद सराहतन आया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया पस ये मीक़ात उन लोगों के लिये हैं जो उनके अहल हैं और जो भी उधर से गुज़रें हालाँकि वो यहाँ के बाशिन्दे न हों। फिर उनके लिये मीक़ात यही मुक़ामात हैं जो भी हज्ज और उम्रह का इरादा करके आएँ। पस इस हदीष में सराहतन उम्रह लफ़्ज मौजूद है।

नवाब मरहूम का इशारा यही मा'लूम होता है कि जब हज्ज का एहराम मक्का वाले मक्का ही से बाँधेंगे और उनके घर ही उनके मीकात होंगे तो उम्रह के लिये भी यही हुक्म है क्योंकि हदीषे हाज़ा में रसूले करीम (ﷺ) ने हज्ज और उम्रह का एक ही जगह ज़िक्र किया है। मीकात के सिलसिले में जिस क़दर अहकामात हज्ज के लिये हैं वही सब उम्रह के लिये हैं। उनकी बिना पर सिर्फ़ मक्का शरीफ़ से उम्रह का एहराम बाँधनेवालों के लिये तन्ईम जाना ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु आलाम बिस्सवाब

बाब 4 : हज्जे मबरूर की फ़ज़ीलत का बयान

1519. हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन स'अद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुहरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से किसी ने पूछा कि कौन्सा काम बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया कि फिर उसके बाद? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि फिर उसके बाद? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हज्जे मबरूर। (राज़ेअ : 26)

तशरीह :

मबरूर लफ़्जे बिर से बना है जिसके मा'नी नेकी के हैं। कुआन मजीद में लैसल बिरा में या'नी लफ़्ज है। यही वो हज्ज है जिसमें शुरू से आखिर तक सिर्फ़ नेकियाँ ही नेकियाँ की गई हों, उसमें गुनाह का शायबा भी न हो। ऐसा हज्ज किस्मत वालों को ही नसीब होता है। इन्दल्लाह यही हज्ज मक्बूल है फिर ऐसा हाजी उम्रभर के लिये मिषाली मुसलमान बन जाता है और उसकी जिन्दगी सरापा इस्लाम और ईमान के रंग में रंग जाती है। अगर ऐसा हज्ज नसीब नहीं तो वही मिषाल होगी, खरे ईसा गर बमक्का खद चूँ बयाद हनुज खर बाशद.

हज्जे मबरूर की ता'रीफ़ में हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, अल्लज़ी ला युख़ालितुहू शौउन मिनल इम्मि या'नी हज्जे मबरूर वो है जिसमें गुनाह का मुत्लक़न दख़ल न हो। हदीषे जाबिर में है खाना खिलाना और सलाम फैलाना जो हाजी अपना शिआर बना ले उसका हज्ज, हज्जे मबरूर है। यही हज्ज वो है जिससे गुज़िशता सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और ऐसा हाजी उस हालत में लौटता है गोया वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह पाक हर हाजी को ऐसा हज्ज करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन!

मगर अफ़सोस है कि आज की मादी (भौतिक) तरक़ियों ने नई नई ईजादात ने रूहानी आलम को बिलकुल मसख़ करके रख दिया है। बेशतर हाजी मक्का शरीफ़ के बाज़ारों में जब मरिबी साज़ो-सामान देखते हैं, उनकी आँखें चकाचौंध हो जाती है। वो जाइज़ और नाजाइज़ से उठकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं कि वापस अपने वतन आकर हाजियों की बदनामी का कारक बनते हैं। हुक्मत की नज़रों में ज़लील होते हैं।

1520. हमसे अब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अबी अमर ने ख़बर दी, उन्हें आइशा बिनते तलहा ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कहा कि उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)!

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ مَلْحَةَ (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ

٤ - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

١٥١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((جِهَادٌ لِي سَبِيلِ اللَّهِ)). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)). (راجع: ٢٦)

हम देखते हैं कि जिहाद सब नेक कामों से बढ़कर है। फिर हम भी क्यों न जिहाद करें? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि नहीं बल्कि सबसे अफ़ज़ल जिहाद हज्ज है जो मबरूर हो।

(दीगर मक़ाम: 1861, 2784, 2875)

1521. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सय्यार बिन अबुल हक़म ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हज़म से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सुना कि आपने फ़र्माया जिस शख़्स ने अल्लाह के लिये उस शान के साथ हज्ज किया कि न कोई फ़हश बात हुई और न कोई गुनाह तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था। (दीगर मक़ाम: 1819, 1820)

हदीषे बाला में लफ़्ज़े मबरूर से मुराद वो हज्ज है जिसमें रियाकारी का दख़ल न हो, ख़ालिस अल्लाह की रज़ामन्दी के लिये हो जिसमें शुरू से आख़िर तक कोई गुनाह न किया जाए और जिसके बाद हाजी की पहले वाली हालत बदलकर अब वो सरापा नेकियों का मुजस्समा बन जाए। बिना शक़ उसका हज्ज, हज्जे मबरूर है हदीषे मजकूर में हज्जे मबरूर के कुछ औस़ाफ़ खुद ज़िक़्र में आ गए हैं, उसी तफ़्सील के लिये हज़रत इमाम इस हदीष को यहाँ लाए।

बाब 5 : हज्ज और उम्रह की मीक़ातों का बयान

1522. हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुहैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ज़ैद बिन जुबैर ने बयान किया कि वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की क़यामगाह पर हाज़िर हुए। वहाँ क़नात के साथ शामियाना लगा हुआ था (ज़ैद बिन जुबैर ने कहा कि) मैंने पूछा कि किस जगह से उम्रह का एहराम बाँधना चाहिये। अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्द वालों के लिये क़र्न, मदीना वालों के लिये जुल हुलैफ़ह और शाम वालों के लिये जोहफ़ा मुक़रर किया है। (राजेअ: 133)

मीक़ात उस जगह को कहते हैं जहाँ हज्ज और उम्रह के लिये एहराम बाँधे जाते हैं और वहाँ से बग़ैर एहराम बाँधे आगे बढ़ना नाजाज़ है और इधर हिन्दुस्तान की तरफ़ से जानेवालों के लिये यलमलम पहाड़ के मुहाज़ से एहराम बाँध लेना चाहिये। जब

اللّٰهُ عَنْهَا أَنهَآ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَلَا نُبَاجِدُ؟ قَالَ : ((لَا) ، لَكِنِ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)).

[أطرافه في: 1861, 2784, 2875]

1521 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَارِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْتَفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

[طرفاه في: 1819, 1820]

5- بَابُ فَرَضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

1522 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: زَيْدُ بْنُ جَبْرِ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسَرَادِقٌ - فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أُعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ

[الجحفة]. [راجع: 133]

जहाज़ यहाँ से गुज़रता है तो कप्तान खुद सारे हाजियों को खबर कर देता है कि ये जगह अदन के करीब पड़ती है। कर्ने-मनाज़िल मक्का से दो मंज़िल पर तार्इफ़ के करीब है और जुल हुलैफ़ा मदीना से छः मील पर है और जुहफ़ा मक्का से पाँच-छः मंज़िल पर है। कस्तलानी (रह.) ने कहा अब लोग जुहफ़ा के बदले राबेअ से एहराम बाँध लेते हैं जो जहफ़ा के बराबर है और अब जुहफ़ा वीरान है वहाँ की आबो-हवा खराब है न वहाँ कोई जाता है और न उतरता है। (वहीदी) वरखतस्सतिल्जुहफतु बिल्हुमा फला यन्ज़िलुहा अहदुन इल्ला हम्म (फ़तह) या'नी जुहफ़ा बुखार के लिये मशहूर है। ये वो जगह है जहाँ अमालिका ने क़याम किया था जबकि उनको यस्त्रिब से बनू अबील ने निकाल दिया था मगर यहाँ ऐसा सैलाब आया कि उसने उनको बर्बाद कर दिया। इसीलिये इसका नाम जुहफ़ा पड़ा। ये भी मा'लूम हुआ कि उम्रह के मीक़ात भी वही हैं जो हज्ज के हैं।

बाब 6 : फ़रमानि बारी तआला

कि तौशा साथ में ले लो और सबसे बेहतर तौशा तक्वा है।

٦- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَتَزَوَّدُوا، لِأَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾

[البقرة : 197]

1523. हमसे यह्या बिन बिश्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शबाबा बिन सवार ने बयान किया, उनसे वरका बिन अमर ने, उनसे अमर बिन दीनार ने, उनसे इक्रिमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि यमन के लोग रास्ते का खर्च साथ लाए बग़ैर हज्ज के लिये आ जाते थे। कहते तो ये थे कि हम तक्कल करते हैं लेकिन जब मक्का आते तो लोगों से मांगने लगते। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल की, और तौशा ले लिया करो सबसे बेहतर तौशा तो तक्वा ही है। इसको इब्ने उययना ने अमर से बवास्त़ा इक्रिमा मुसलन नक़ल किया है।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَخْبُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَتَزَوَّدُوا لِأَنَّ خَيْرَ الزَّادِ

तशरीह: मुसल उस हदीष को कहते हैं कि ताबेई आँहज़रत (ﷺ) की हदीष बयान करे और जिस सहाबी से वो नक़ल कर रहा है उसका नाम न ले। सहाबी का नाम लेने से यही हदीष फिर मफ़ूअ कहलाती है जो कुबूलियत के दर्जे में ख़ास मुक़ाम रखती है। या'नी सहीह मफ़ूअ हदीषे नबवी (ﷺ)

आयते शरीफ़ा में तक्वा से मुराद माँगने से बचना और अपने मस़ारिफ़े सफ़र का खुद इतिज़ाम करना मुराद है और ये भी कि उस सफ़र से भी ज़्यादा अहम सफ़रे आख़िरत दर्पेश है। उसका तौशा भी तक्वा परहेज़गारी, गुनाहों से बचना और पाक ज़िन्दगी गुज़ारना है। ब-सिलसिला-ए-हज्ज तक्वा की तल्फ़ीन यही हज्ज का मा हज़ल है। आज भी लोग जो हज्ज में माँगने के लिये हाथ फैलाते हैं, उन्होंने हज्ज का मक़सद ही नहीं समझा। क़ालल्मुहल्लब फ़ी हाज़ल्हदीषि मिनल्फ़िक्हिह अन्न तर्कस्सुवालिन मिनत्तक्वा व युअय्यिदुहू अन्नल्लाह मदह लम यस्अलिन्नास इल्हाफ़न फ़इन्न कौलहू फ़इन्न ख़ैरज़्जादि अत्तक्वा अय तज़व्वदू वत्तकू अज़न्नासि बिसुवालिकुम इय्याहुम वल्इम्म फ़ी ज़ालिक (फ़तह) या'नी मेह्लब ने कहा कि इस हदीष से ये समझा गया कि सवाल न करना तक्वा से है और उसकी तार्इद उससे होती है कि अल्लाह-पाक ने उस शख्स की ता'रीफ़ की है जो लोगों से चिमटकर सवाल नहीं करता। ख़ैरु जादित्क्वा का मतलब ये कि साथ में तौशा लो और सवाल कर करके लोगों को तकलीफ़ न पहुँचाओ और सवाल करने के गुनाह से बचो।

मांगने वाला मुतवक्किल नहीं हो सकता। हकीकती तवक्कल यही है कि किसी से भी किसी चीज़ में मदद न मांगी जाए और अस्बाब मुहय्या करने के बावजूद भी अस्बाब से क़त्अे-नज़र करना ये तवक्कल से है जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने ऊँट वाले से फ़र्माया था कि उसे मज़बूत बाँध फिर अल्लाह पर भरोसा रख।

बाब 7 : मक्का वाले हज्ज और उम्रह का एहराम कहाँ से बाँधें

1524. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन त्राऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के एहराम के लिये जुल हुलैफ़ह, शाम वालों के जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल, यमन वालों के लिये यलमलम मुतअय्यन किया। यहाँ से इन मक़ामात वाले भी एहराम बाँधें और उनके अलावा वो लोग भी जो इन रास्तों से आएँ और हज्ज या उम्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जिनकी क्रयाम मीक़ात और मक्का के बीच है तो वो एहराम उसी जगह से बाँधें जहाँ से उन्हें सफ़र शुरू करना है। यहाँ तक कि मक्का के लोग मक्का ही से एहराम बाँधें।

(दीगर मक़ाम: 1526, 1529, 1530)

मा'लूम हुआ कि हज्ज और उम्रह की मीक़ात में कोई फ़र्क़ नहीं है। यही हज़रत इमाम बुखारी (रह.) का मक़सदे बाब है।

बाब 8 : मदीना वालों का मीक़ात और उन्हें जुल हुलैफ़ह से पहले एहराम न बाँधना चाहिये

1526. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मदीना के लोग जुल हुलैफ़ा से एहराम बाँधें, शाम के लोग जुहफ़ा से और नज्द के लोग क़र्नुल मनाज़िल से। अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझे मा'लूम हुआ है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया और यमन के लोग यलमलम से एहराम बाँधें।

(राजेअ: 133)

٧- بَابُ مَهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٥٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ، مَنْ لَهْنُ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)).

[اطرافه فی : ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠]

٨- بَابُ مَيْقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهَلُّونَ قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

١٥٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ((وَيُهَلُّ))

أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمٍ)). [راجع: ١٣٣]

तशरीह: शायद हज़रत इमाम बुखारी का मज़हब ये है कि मीकात से पहले एहराम बाँधना दुरुस्त नहीं है, इस्हाक और दाऊद का भी यही क़ौल है। जुम्हूर के नज़दीक दुरुस्त है। ये मीकात मकानी में इख़ितालाफ़ है लेकिन मीकात ज़मानी या नौ हज्ज के महीनों से पहले हज्ज का एहराम बाँधना बिल इतिफ़ाक़ दुरुस्त नहीं है। नज्द वो मुल्क है जो अरब का बालाई हिस्सा तहामा से इराक़ तक वाक़ेअ है। कुछ ने कहा कि जरश से लेकर कूफ़ा के नवाह तक उसकी मग़्िबी हद हिजाज़ है। (वहीदी)

बाब 9 : शाम के लोगों के एहराम बाँधने की जगह कहाँ है?

1526. हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अमर बिन दीनार ने बयान किया, उनसे त़ाऊस ने बयान किया, और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये जुल हुलैफ़ा को मीकात मुकरर किया। शाम वालों के लिये जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल और यमन वालों के लिये यलमलम। ये मीकात उन मुल्क वालों के हैं और उन लोगों के लिये भी जो इन मुल्कों से गुज़र कर हरम में दाख़िल हों और हज्ज या उम्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मीकात के अंदर रहते हों उनके लिये एहराम बाँधने की जगह उनके घर हैं। यहाँ तक कि मक्का के लोग एहराम मक्का ही से बाँधें। (राजेअ : 1524)

٩- بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

١٥٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَتَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمٍ، فَهِنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيْنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا)). [راجع: ١٥٢٤]

जो हज़रात उम्रह के लिये तर्द्म जाना ज़रूरी जानते हैं ये हदीष उन पर हुज्जत है बशर्ते कि बनज़रे तहकीक़ मुतालाआ फ़र्माएँ।

बाब 10 : नज्द वालों के लिये एहराम बाँधने की जगह कौनसी है?

1527. हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कहा हमने जुहरी से ये हदीष याद रखी, उनसे सालिम ने कहा और उनसे उनके वालिद ने बयान किया था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मीकात मुतअय्यन कर दिये थे। (राजेअ : 133)

1528. (दूसरी सनद) और इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि मुज़से अहमद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुज़े यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना,

١٠- بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ

١٥٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ((وَقَتَّ النَّبِيُّ ﷺ)) ح. [راجع: ١٣٣]

١٥٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مُهَلُّ

आपने फ़र्माया था कि मदीना वालों के लिये एहराम बाँधने की जगह जुल हुलैफ़ा और शाम वालों के लिये मद्यआ या'नी जुहफ़ा और नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि लोग कहते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि यमन वाले एहराम यलमलम से बाँधें लेकिन मैंने इसे आपसे नहीं सुना। (राजेअ : 133)

أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْخَلِيفَةِ، وَمَهْلُ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةٌ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلُ نَجْدٍ قَرْنٌ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ - ((وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ)).

[راجع: ١٢٣]

बाब 11 : जो लोग मीक़ात के इधर रहते हों उनके एहराम बाँधने की जगह

١١ - بَابُ مَهْلٍ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

1529. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अमर बिन दीनार ने, उनसे त्राऊस ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये जुल हुलैफ़ा मीक़ात ठहराया और शाम वालों के लिये जुहफ़ा, यमन वालों के लिये यलमलम और नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल। ये उन मुल्कों के लोगों के लिये हैं और दूसरे उन तमाम लोगों के लिये भी जो उन मुल्कों से गुज़रें। और हज और उम्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हों। तो वो अपने शहरों से एहराम बाँधें, यहाँ तक कि मक्का के लोग मक्का से एहराम बाँधें।

(राजेअ 1524)

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخَلِيفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُمْ وَلِسَمَنْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ فَمَنْ أَهْلُهُ، حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا)).

[راجع: ١٥٢٤]

बाब 12 : नज्द वालों के लिये एहराम बाँधने की जगह कौनसी है?

١٢ - بَابُ مَهْلٍ أَهْلِ الْيَمَنِ

1530. हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन त्राऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये जुल हुलैफ़ा को मीक़ात मुक़रर किया, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल और यमन वालों के लिये यलमलम। ये उन मुल्कों के बाशिन्दों के मीक़ात हैं और तमाम उन दूसरे मुसलमानों के भी जो उन मुल्कों से

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخَلِيفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ، هُنَّ لِأَهْلِهِمْ وَلِكُلِّ آتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ

गुज़रकर आएँ और हज्ज और उम्ह का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मीकात के अंदर रहते हैं तो (वो एहराम वहीं से बाँधें) जहाँ से सफ़र शुरू करें यहाँ तक कि मक्का के लोग एहराम मक्का ही से बाँधें। (राजेअ 1524)

बाब 13 : इराक़ वालों के एहराम बाँधने की जगह ज़ाते इर्क़ है

1531. हमसे अली बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह ने नाफ़ेअ से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि जब ये दो शहर (बसरा और कूफ़ा) फ़तह हुए तो लोग हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आए और कहा कि या अमीरल मोमिनीन! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्द के लोगों के लिये एहराम बाँधने की जगह कर्नुल मनाज़िल करार दी है और हमारा रास्ता उधर से नहीं है, अगर हम कर्न की तरफ़ जाएँ तो हमारे लिये बड़ी दुश्चारी होगी। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर तुम लोग अपने रास्ते में इसके बराबर कोई जगह तजवीज़ कर लो। चुनाँचे उनके लिये ज़ाते इर्क़ की तअय्यन कर दी।

तशरीह : ये जगह मक्का शरीफ़ से 42 मील पर है। बज़ाहिर ये मा'लूम होता है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये जगह अपनी राय और इज्तिहाद से मुकर्रर किया। मगर जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में आँहज़रत (ﷺ) से इराक़ वालों का मीकात ज़ाते इर्क़ मरवी है गो उसके मफ़ूअ होने में शक़ है। इस रिवायत से ये भी निकला कि अगर कोई मक्का में हज्ज या उम्ह की निय्यत से और किसी रास्ते से आए जिसमें कोई मीकात राह में न पड़े तो जिस मीकात के मुकाबिल पहुँचे वहाँ से एहराम बाँध ले। कुछ ने कहा कि अगर कोई मीकात की बराबरी मा'लूम न हो सके तो जो मीकात सबसे दूर है इतनी दूर से एहराम बाँध ले। मैं कहता हूँ कि अबू दाऊद और निसाई ने सहीह सनदों से हज़रत आइशा (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने इराक़ वालों के लिये ज़ाते इर्क़ मुकर्रर कर दिया और अहमद और दारे कुत्नी ने अब्दुल्लाह बिन अम्म बिन आस से भी ऐसा ही निकाला है। पस हज़रत उमर (रज़ि.) का इज्तिहाद हदीष के मुताबिक़ पड़ा। (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

इस बारे में हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने बड़ी तफ़्सील से लिखा है। आख़िर में आप फ़र्माते हैं, लाकिन्न लम्मा सन्न उमरू ज़ात इर्क़ व तबिअहू अलैहिस्सहाबतु वस्तमर्र अलैहिलअमल कान औला बिल्इत्तिबाइ या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे मुकर्रर फ़र्मा दिया और सहाबा-ए-किराम ने इस पर अमल किया तो अब उसकी इत्तिबाअ ही बेहतर है।

बाब 14 : जुल हुलैफ़ा में एहराम बाँधते वक़्त नमाज़ पढ़ना

1532. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्कामे जुल हुलैफ़ा के पथरीले मैदान में अपनी सवारी रोकी और फिर

مَمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْمُعْرَةَ، فَمَنْ كَانَ
دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلَ
مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)). [راجع: ١٥٢٤]

١٣- بَابُ ذَاتِ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ
١٥٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ
اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ
آتَا عُمَرَ لِقَاؤَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا وَهُوَ
جَوَزٌ عَنِ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِن أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ
عَلَيْنَا. قَالَ: فَانظُرُوا حُدُومَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ.
فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ)).

١٤- بَابُ الصَّلَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

١٥٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ
قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالنَّبْطَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

वहीं आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) भी ऐसा ही किया करते थे। (राजेअ 484)

बाब 15 : नबी करीम (ﷺ) का शजरह पर से गुज़रकर जाना

1533. हमसे इब्राहीम बिन मुज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इमरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शजरह के रास्ते से गुज़रते हुए, मुअर्रिस के रास्ते से मदीना आते। नबी करीम (ﷺ) जब मक्का जाते तो शजरह की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते लेकिन वापसी में जुलहुलैफ़ा के नशीब में नमाज़ पढ़ते। आप रात वहीं गुज़ारते यहाँ तक कि सुबह हो जाती।

शजरह एक पेड़ था जुलहुलैफ़ा के पास। आँहज़रत (ﷺ) उसी रास्ते से आते और जाते। अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। आजकल उस जगह का नाम बीरे अली है, ये अली हज़रत अली बिन अबी तालिब नहीं हैं बल्कि कोई और अली हैं जिनकी तरफ़ से जगह और यहाँ का कुँआ मन्सूब है। मुअर्रिस अरबी में उस जगह को कहते हैं जहाँ मुसाफ़िर रात को उतरे और वहाँ डेरालगाएँ। ये मज़कूरा मुअर्रिस जुलहुलैफ़ा की मस्जिद तले वाक़ेअ है और यहाँ से मदीना बहुत ही करीब है। अल्लाह हर मुसलमान को बार-बार इन जगहों की ज़ियारत नसीब फ़र्माए, आमीन! आप दिन की रोशनी में मदीना में दाख़िल हुआ करते थे। पस सुन्नत यही है।

बाब 16 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद कि वादी अक़ीक़ मुबारक वादी है

1534. हमसे अबूबक्र अब्दुल्लाह हुमैदी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद और बिशर बिन बक्र तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन अबी क़षीर ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने इमर (रज़ि.) से सुना, उनका बयान था कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से वादी अक़ीक़ में सुना। आपने फ़र्माया था कि रात मेरे पास ख़ का एक फ़रिश्ता आया और कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ और ऐलान कर

فَصَلِّ بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ)). (راجع: ٤٨٤)
١٥- بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

١٥٣٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرَسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي لِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِوَيْ الْخَلِيفَةِ بِطَنْ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ)).

١٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((الْعَقِيقُ وَادٍ مَبَارَكٌ))

١٥٣٤- حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرِ التَّيْسِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي

कि उम्रह हज में शरीक हो गया।

الْعَقِيقِي يَقُولُ : ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي
فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ:
عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).

हज के दिनों में उम्रह अहदे जाहिलियत में सख्त ऐब समझा जाता था। इस्लाम ने इस ग़लत ख्याल की भी इस्लाह की और ऐलान कराया कि अब अय्यामे हज में उम्रह भी दाखिल हो गया। या'नी जाहिलियत का ख्याल ग़लत और झूठा था।

अय्यामे हज में उम्रह किया जा सकता है। इसीलिये तमतोअ को अफ़ज़ल करार दिया गया कि उसमें पहले उम्रह करके जाहिलियत की रस्म की रद्द करता है। फिर उसमें जो आसानियाँ हैं कि यौमे तर्विया तक एहराम खोलकर आज़ादी मिल जाती है। ये आसानी भी इस्लाम को मतलूब है। इसीलिये तमतोअ हज की बेहतरीन सूरत है।

1535. हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुज़ैल बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन इब्रबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से कि मुअरिस के करीब जुल हलैफ़ा की बतने वादी (वादी-ए-अक़ीक़) में आप (ﷺ) को ख़्वाब दिखाया गया। (जिसमें) आपसे कहा गया था कि आप उस वक़्त बतहा मुबारका में हैं। मूसा बिन इब्रबा ने कहा कि सालिम ने हमको भी वहाँ ठहराया वो उस मुक़ाम को ढूँढ़ रहे थे जहाँ अब्दुल्लाह ऊँट बिठाया करते थे या'नी जहाँ आँहज़रत (ﷺ) रात को उतरा करते थे। वो मुक़ाम उस मस्जिद के नीचे की तरफ़ में है जो नाले के नशीब में है। उतरने वालों और रास्ते के बीचों बीच (वादी अक़ीक़ मदीना से चार मील बक़ीअ की जानिब है।

(राजेअ: 483)

١٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ
حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ مُعْرَسٌ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ بِيَطْنِ الْوَادِي قَبْلَ لَهُ: إِنَّكَ
بِيَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٍ
يَتَوَخَى بِالْمَسَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُبْنِعُ
يَتَخَرَّى مُعْرَسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ
أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِيَطْنِ الْوَادِي،
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ٤٨٣]

हदीष से वादी की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है। उसमें क़याम करना और यहाँ नमाज़ें अदा करना बाअिषे अज़ो-षवाब और इत्तिबाअे सुन्नत है। तिबअ जब मदीना से वापस हुआ तो उसने यहाँ क़याम किया था और उस ज़मीन की ख़ूबी देखकर कहा था कि ये तो अक़ीक़ की तरह है। उसी वक़्त से उसका नाम अक़ीक़ हो गया (फ़्तहल बारी)

बाब 17 : अगर कपड़ों पर ख़लूक (एक किस्म की खुशबू) लगी हो तो उसको तीन बार धोना

١٧- بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ مِنَ الْغِيَابِ

1536. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम जिहाक बिन मुख़्लद ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अत्ता बिन अबी रिबाह ने ख़बर

١٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
عَاصِمٍ النَّبِيلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي

दी, उन्हें सफ़वान बिन यअला ने, कहा कि उनके बाप यअला बिन उमय्या ने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा कि कभी आप मुझे नबी करीम (ﷺ) को इस हाल में दिखाइये जब आप पर वह नाज़िल हो रही हो। उन्होंने बयान किया कि एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) जिअराना में अपने अरहाब की एक जमाअत के साथ ठहरे हुए थे कि एक शख्स ने आकर पूछा या रसूलुल्लाह (ﷺ)! उस शख्स के बारे में आपका क्या हुक्म है जिसने उम्रह का एहराम इस तरह बाँधा कि उसके कपड़े खुशबू में बसे हुए हों। नबी करीम (ﷺ) उस पर थोड़ी देर के लिये चुप हो गये। फिर आप पर वह नाज़िल हुई तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने यअला (रज़ि.) को इशारा किया। यअला आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) पर एक कपड़ा था जिसके अंदर आप तशरीफ़ रखते थे। उन्होंने कपड़े के अंदर अपना सर बाहर किया तो क्या देखते हैं कि रूए मुबारक सुख है और आप खरटि ले रहे हैं। फिर ये हालत खत्म हुई तो आपने फ़र्माया कि वो शख्स कहाँ है जिसने उम्रह के बारे में पूछा था। शख्स मज़कूर हाज़िर किया गया तो आपने फ़र्माया कि जो खुशबू लगा रखी है उसे तीन बार धो ले और अपना जुब्बा उतार दे। उम्रह में भी इसी तरह कर जिस तरह हज्ज में करते हो। मैंने अत्रा से पूछा कि क्या आँहुज़ूर (ﷺ) के तीन बार धोने के हुक्म से पूरी तरह सफ़ाई मुराद थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ।

(दीगर मक़ाम: 1789, 1847, 4329, 4985)

عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره (رأى)
يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرنبي
النبي ﷺ حين يوحى إليه. قال: فبينما
النبي ﷺ بالجعرانة - ومعه نفر من
أصحابه - جاءه رجل فقال: يا رسول
الله، كيف ترى في رجل أحرّم بعمره
وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ﷺ
ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي
الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى - وعلى
رسول الله ﷺ توب قد أظّل به - فأدخل
رأسه، فإذا رسول الله ﷺ محمراً الوجه وهو
يعط، ثم سري عنه فقال: ((أين الذي
سأل عن العمرة؟)) فأتي برجل فقال:
((اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات،
وانزع عنك الحجّة، واصنع في عمرتك
كما تصنع في حجتك)). فقلت لعطاء:
أزاد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث
مرات؟ فقال: ((نعم)).

[أطرافه في: 1789, 1847, 4329, 4985]

[4985]

तशरीह: इस हदीष से उन लोगों ने दलील ली है जो एहराम के समय खुशबू लगाना जाइज़ नहीं जानते क्योंकि आँहुज़ूरत (ﷺ) ने उस खुशबू के अषर को तीन बार धोने का हुक्म फ़र्माया। इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद का यही कौल है और जुम्हूर उलमा के नज़दीक एहराम बाँधते वक़्त खुशबू लगाना दुरुस्त है भले ही उसका अषर एहराम के बाद बाक़ी रहे। वो कहते हैं कि यअला की हदीष 8 हिजरी की है और 10 हिजरी में या'नी हज्जतुल विदा में हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एहराम बाँधते वक़्त आप (ﷺ) के खुशबू लगाई और ये आखिरी काम पहले का नासिख है। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हज़र फ़र्माते हैं व अजाबलजुम्हूरू बिअन्न क्रिस्सत यअला कानत बिल्जिअराना कमा प्रबत फ़ी हाज़लहदीषि व हिय फ़ी सनत प्रमानिन बिला ख़िलाफ़िन व कद प्रबत अन आइशत अन्नहा तय्यिबतु रसूलिल्लाहि (ﷺ) बियादिहा इन्द इहरामिहा कमा सयाती फ़िल्लज़ी बअदहू व कान ज़ालिक फ़ी हज्जतिल्वदाइ सनत अशर बिला ख़िलाफ़िन व इन्नमा बिल्आख़िरी फ़लआख़िरी मिनलअम्रि (फ़तहुल्बारी) खुलासा इस इबारात का वही है जो ऊपर मज़कूर हुआ।

बाब 18 : एहराम बाँधने के वक़्त खुशबू लगाना
और एहराम के इरादे के वक़्त क्या पहनना चाहिये और कंधा करे और तैल लगाए और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुहरिम खुशबूदार फूल सूँघ सकता है। इसी तरह आईना देख सकता है और उन चीज़ों को जो खाई जाती हैं बतौर दवा भी इस्ते'माल कर सकते हैं। मसलन जैतून का तैल और घी वगैरह। और अत्रा ने फ़र्माया कि मुहरिम अंगूठी पहन सकता है और हमयानी बाँध सकता है। इब्ने उमर ने तवाफ़ किया उस वक़्त आप मुहरिम थे लेकिन पेट पर एक कपड़ा बाँध रखा था। आइशा (रज़ि.) ने जाँगिये में कोई मुजायका नहीं समझा था। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी रह) ने कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) की मुराद इस हुक्म से उन लोगों के लिये थी जो कि होदज को ऊँट पर कसा करते थे।

इसको सईद बिन मंसूर ने वस्ल किया। दारे कुत्नी की रिवायत में यूँ है और हम्माम मे जा सकता है और दाढ़ में दर्द हो तो उखाड़ सकता है; फोड़ा फोड़ सकता है, अगर नाखून टूट गया हो तो उतना टुकड़ा निकाल सकता है। जुम्हूर उलमा के नज़दीक एहराम में जाँगिया पहनना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये पायजामा ही के हुक्म में है।

1537. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ध़ौरी ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) सादा तैल इस्ते'माल करते थे (एहराम के बावजूद) मैंने उसका ज़िक्र इब्राहीम नख़ई से किया तो उन्होंने फ़र्माया कि तुम इब्ने उमर (रज़ि.) की बात नक़ल करते हो।

1538. मुझसे तो अस्वद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुहरिम हैं और गोया मैं आपकी मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ।

۱۸- بَابُ الطَّيِّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ،
وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَعْرَجُلُ
وَيَذْهَبُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: يَسْمُ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي
الْمِرَاةِ، وَيَتَذَوَّى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ
وَالسَّمْنِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَحْتَمُ وَيَلْبَسُ
الْهَمِيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ
بَثْرِبَ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
بِالْتِّبَانِ بَأْسًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَعْنِي لِلَّذِينَ
يُوحَلُونَ هَوْدَجَهَا.

۱۵۳۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا يَذْهَبُ بِالزَّيْتِ، فَلَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ
فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ:

۱۵۳۸- حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
وَبِئْسَ الطَّيِّبُ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَهُوَ مُحْرِمٌ)).

तशरीह: इब्राहीम नख़ई का मतलब ये है कि इब्ने उमर ने जो एहराम लगाते वक़्त खुशबू से परहेज किया और सादा बग़ैर खुशबू का तैल डाला तो हमें उस फ़ेअल से कोई ग़र्ज़ नहीं जब आँहज़रत (ﷺ) की हदीष मौजूद है। जिससे ये प्राबित होता है कि एहराम बाँधते वक़्त आपने खुशबू लगाई। यहाँ तक कि एहराम के बाद भी उसका अपर आपकी मांग में रहा। इस रिवायत से हनफ़िया को सबक लेना चाहिये। इब्राहीम नख़ई हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताजुल उस्ताज़ हैं उन्होंने हदीष के ख़िलाफ़ इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल व फ़ैल रद्द कर दिया तो और किसी मुज्ताहिद और फ़कीह का क़ौल हदीष के ख़िलाफ़ कब क़ाबिले कुबूल हो गया। (मौलाना वहीदुज्जमाँ)

इस मुकाम पर हदीषे नबवी लौ कान मूसा हय्यन वत्तबअतुमूहु भी याद रखनी ज़रूरी है। या'नी आपने फ़र्माया कि अगर आज मूसा (अलैहिस्सलाम) जिन्दा हों और तुम मेरे खिलाफ़ उनकी इत्तिबाअ करने लगो तो तुम गुमराह हो जाओगे मगर मुकल्लिदीन का हाल इस क़दर अजीब है कि वो अपने इमामों की मुहब्बत में न कुआन को क़ाबिले गौर समझते हैं न अह्लादीष को। उनका आखिरी जवाब यही होता है कि हमको बस क़ौले इमाम काफ़ी है। ऐसे मुकल्लिदीन जामेदीन के लिये हज़रत इमाम महदी (अलैहिस्सलाम) ही शायद रहनुमा बन सकें वरना सरासर नाउम्मीदी है।

1539. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुरहमान बिन क़ासिम ने, उन्हें उनके वालिद ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) एहराम बाँधते तो मैं आपके एहराम के लिये और इसी तरह बैतुल्लाह के तवाफ़े ज़ियारत से पहले हलाल होने के लिये खुशबू लगाया करती थी।

(दीगर मक़ाम: 1754, 5922, 5928, 5930)

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : ((كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِجَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالنَّبِيِّ)) .
[أطرافه في : ١٧٥٤، ٥٩٢٢، ٥٩٢٨، ٥٩٣٠.]

बाब 19 : बालों को जमाकर एहराम बाँधना

एहराम बाँधते वक़्त इस ख़याल से कि बाल परेशान न हों, उनमें गर्दों-गुबार न समाए, बालों को गूंद या ख़त्मी या किसी और लुआब से जमा लेते हैं। अरबी जुबान में उसे तल्बीद कहते हैं।

1540. हमसे अब्बास बिन फ़र्ज ने बयान किया। कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनस ने, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से तल्बीद की हालत में लब्बैक कहते सुना।

(दीगर मक़ाम: 1549, 5914, 5915)

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهْلُ مَلْبَدًا)) .
[أطرافه في : ١٥٤٩، ٥٩١٤، ٥٩١٥.]

या'नी किसी लैसदार चीज़ गूंद वग़ैरह से आपने बालों को इस तरह जमा लिया था कि एहराम की हालत में वो परागन्दा न होने पाएँ (या'नी उलझें नहीं)। उसी हालत में आपने एहराम बाँधा था।

बाब 20 : जुल हुलैफ़ा की मस्जिद के पास एहराम बाँधना

1541. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उक्रबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सुना, उन्होंने कहा कि

٢٠ - بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ

मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना (दूसरी सनद) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा और हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे मूसा बिन इक्रबा ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उन्होंने अपने बाप से सुना, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद जुल हुलैफ़ा के करीब ही पहुँचकर एहराम बाँधा था।

इसमें इख़ितलाफ़ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने किस जगह से एहराम बाँधा था। कुछ लोग जुल हुलैफ़ा की मस्जिद से बताते हैं जहाँ आपने एहराम का दोगाना अदा किया। कुछ कहते हैं जब मस्जिद से निकलकर ऊँटनी पर सवार हुए। कुछ कहते हैं जब आप बैदाअ की बुलन्दी पर पहुँचे। ये इख़ितलाफ़ दर हक़ीक़त इख़ितलाफ़ नहीं है क्योंकि इन तीनों मुक़ामों में आपने लम्बैक पुकारी होंगी। कुछ ने अब्वल और दूसरे मुक़ाम की न सुनी होगी कुछ ने अब्वल की न सुनी होगी दूसरे की सुनी होगी तो उनको यही गुमान हुआ कि यहीं से एहराम बाँधा। (वहीदी)

बाब 21 : मुहरिम को कौनसे कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं

1542. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने पूछा कि या रसूलुल्लाह! मुहरिम को किस तरह के कपड़े पहनना चाहिये? आँहज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया न कुर्ता पहने न अमामा बाँधे न पाजामा पहने न बारान कोट न मोज़े। लेकिन अगर उसके पास जूती न हो तो वो मोज़े उस वक़्त पहन सकता है जब टख़नोंके नीचे से उनको काट लिया हो। (और एहराम में) कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसमें जा' फ़रान या विर्स लगा हुआ हो। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि मुहरिम अपना सर धो सकता है लेकिन कँघा न करे। बदन भी न खुजलाना चाहिये और जूँ सर और बदन से निकालकर डाली जा सकती है। (राजेअ: 134)

٢١- بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

١٥٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنْ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرَائِسَ وَلَا الْخِطَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَفْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَلَا يَتَرَجَّلُ وَلَا يَحْكُ جَسَدَهُ وَيَلْقَى الْقَمَلَ مِنْ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الْأَرْضِ. [راجع: ١٣٤]

विर्स एक पीली घास होती है खुशबूदार और उस पर सबका इतिफ़ाक़ है कि मुहरिम को ये कपड़े पहनने नाजाइज़ हैं। हर सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्द को एहराम में नाजाइज़ है लेकिन औरतों को दुरुस्त है। खुलासा ये कि एक लुन्गी और एक चादर,

मर्द का यही एहराम है। ये एक फ़कीरी लिबास है, अब ये हाजी अल्लाह का फ़कीर बन गया, उसको उस लिबासे फ़कर का ताज़िन्दगी लिहाज़ रखना ज़रूरी है। इस मौक़े पर कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यूँ न हो सबको यही लिबास ज़ैबतन करके मसावाते इंसानी (बराबरी) का एक बेहतरीन नमूना पेश करना है और हर अमीर व ग़रीब को एक ही सतह पर आ जाना है ताकि वहदते इंसानी का ज़ाहिरन और बातिनन बेहतर मुजाहिरा हो सके और उमरा के दिमाग़ों से नख्वते अमीरी निकल सके और गुरबा को तसल्ली व इत्मीनान हो सके। अलगाज़ लिबासे एहराम के अंदर बहुत से रूहानी व मादी व समाजी फ़वाइद मुज़्मर हैं मगर उनका मुतालआ करने के लिये बज़ीरत वाली आँखों की ज़रूरत है और ये चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। इन्नमा यतज़क्करू उलुलअल्बाब

बाब 22 : हज्ज के लिये सवार होना या सवारी पर किसी के पीछे बैठना दुरुस्त है

1543, 44. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे वहब बिन जर्रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद जर्रीर बिन हाज़िम ने बयान किया। उनसे यूनुस बिन ज़ैद ने, उनसे जुहरी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा तक उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। फिर मुज़दलिफ़ा से मिना तक हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) पीछे बैठ गये थे, दोनों हज़रात ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जमरह उक्बा की रमी तक बराबर तल्बिया कहते रहे।

(दीगर मक़ाम: 1686, 1670, 1685, 1687)

बाब 23 : मुहरिम चादरें और तहबन्द और कौन कौनसे कपड़े पहने

और हज़रत आइशा (रज़ि.) मुहरिम थीं लेकिन कस्म (कैसू के फूल) में रंगे हुए कपड़े पहने हुए थी। आपने फ़र्माया कि औरतें एहराम की हालत में अपने होंठ न छुपाएँ न चेहरे पर नकाब डालें और न विर्स या ज़ा'फ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनें और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने औरतों के लिये ज़ेवर स्याह या गुलाबी कपड़े और मोज़ों के पहनने में कोई मुजायका नहीं समझा और इब्राहीम नख़ई ने कहा कि औरतों को एहराम की हालत में कपड़े बदल लेने में कोई हर्ज नहीं।

۲۲- بَابُ الرُّكُوبِ وَالْإِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

۱۵۴۳، ۱۵۴۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْبِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (رَأَى أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِذْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِئَةِ، قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يَلْمِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)). [طرفه في: ۱۶۸۶].

[أطرافه في: ۱۶۷۰، ۱۶۸۵، ۱۶۸۷].

۲۳- بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأَزْرِ

وَلَبَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعْصَفَرَةَ - وَهِيَ مُحْرِمَةٌ - وَقَالَتْ: لَا تَلْبَسُ وَلَا تَتَرَقَّعُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا بَرُوسًا وَلَا زَعْفَرَانَ. وَقَالَ جَابِرٌ: لَا أَرَى الْمُعْصَفَرَ طَيِّبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحَلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُورِدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَدَلَ

قیابہ.

1545. हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मुकद्दमी ने बयान किया, कहा कि हमसे फुजैल बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन इक्बा ने बयान किया, कहा कि मुझे कुरैब ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि हजतुल विदाअ में जुहर और अस्र के बीच हफ्ता के दिन) नबी करीम (ﷺ) कँघा करने और तैल लगाने और इज़ार और रिदा (चादर) पहनने के बाद अपने सहाबा के साथ मदीना से निकले। आपने उस वक़्त ज़ा'फ़रान में रंगे हुए ऐसे कपड़े के सिवा जिसका रंग बदन पर पर लगता हो किसी किसम की चादर या तहबन्द पहनने से मना नहीं किया। दिन में आप जुल हुलैफ़ा पहुँच गये (और रात वहीं गुज़ारी) फिर आप सवार हुए और बैदा से आपके और आपके साथियों ने लब्बैक कहा और एहराम बाँधा और अपने ऊँटों को हार पहनाया। ज़िक्रअदा के महीने में अब पाँच दिन रह गये थे। फिर आप जब मक्का पहुँचे तो ज़िल्हिज्ज के चार दिन गुज़र चुके थे। आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की, आप अभी हलाल नहीं हुए क्योंकि कुर्बानी के जानवर आपके साथ थे और आपने उनकी गर्दन में हार डाल दिया था। आप हिजून पहाड़ के नज़दीक मक्का के बालाई हिस्से में उतरे। हज्ज का एहराम अब भी बाक़ी था। बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद फिर आप वहाँ उस वक़्त तक तशरीफ़ नहीं ले गये जब तक मैदाने अरफ़ात से वापस न हो लिये। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया था कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करें और सफ़ा व मरवा के बीच सई करें, फिर अपने सरों के बाल तरशवा कर हलाल हो जाएँ। ये फ़र्मान उन लोगों के लिये था जिनके साथ कुर्बानी के जानवर न थे। अगर किसी के साथ उसकी बीवी थी तो वो उससे हम बिस्तर हो सकता था। इसी तरह खुशबूदार और (सिले हुए) कपड़े का इस्ते'माल भी उसके लिये जाइज़ था।

(दीगर मक्काम : 1625, 1731)

۱۵۴۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
الْمَقْدِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ قَالَ:
أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ
مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبَسَ
إِزَارَةً وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ
شَيْءٍ مِنَ الْأَزْدِيَّةِ وَالْأَزْرِ تَلْبَسُ إِلَّا
الْمَرْغَفَةَ الَّتِي تُرَدَّغُ عَلَى الْجِلْدِ، فَاصْبَحَ
بِلَدِي الْخُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى
اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ،
وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي
الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ
ذِي الْحِجَّةِ، فَطَافَ بِالنَّبِيِّ، وَسَعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَمْ يَجِلُّ مِنْ أَجْلِ بَدَنِهِ
لَأَنَّهُ قَلْدَهَا. ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ
الْحَجُّونِ وَهُوَ مُهَلِّبٌ بِالسَّحْبِ، وَكَمْ يَقْرَبُ
لِكَلِمَةِ بَعْدَ طَوَائِفِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ
عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالنَّبِيِّ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَقْصُرُوا مِنْ
رُؤُوسِهِمْ ثُمَّ يُحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلْدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ
مَرَاتُهُ فَهِيَ لَهُ حِلَالٌ وَالطَّيْبُ وَالْقِيَابُ)).

[طرفاه في : ۱۶۲۵، ۱۷۳۱].

तशरीह :

नबी करीम (ﷺ) हफ्ते के दिन मदीना मुनव्वरा से बतारीख 25 ज़िक्रअदा को निकले थे। अगर महीना तीस दिन का होता तो पाँच दिन बाक़ी रहे थे। लेकिन इतिफ़ाक़ से महीना 29 दिन का हो गया और ज़िल्हिज्ज की

पहली तारीख जुमेरात को वाक्रेअ हुई। क्योंकि दूसरी रिवायतों से प्राबित है कि आप अरफ़ात में जुम्आ के दिन ठहरे थे। इब्ने हज़म ने जो कहा कि आप जुम्अरात के दिन मदीना से निकले थे ये ज़हन में नहीं आता। अल्बत्ता आप जुम्अे को मदीना से निकले हों। मगर सहीहैन की रिवायतों में है कि आपने उस दिन जुहर की नमाज़ मदीना में चार रकअतें पढ़ीं और अर्र की जुल हुलैफ़ा में दो रकअतें। इन रिवायतों से साफ़ मा'लूम होता है कि वो जुम्आ का दिन था। हज़ून पहाड़ मुहस्सब के करीब मस्जिद उक्बा के बराबर है।

बाब 24 : (मदीना से चलकर) जुल हुलैफ़ा में सुबह तक ठहरना

ये अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं

1546. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन मुंकदिर ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना में चार रकअतें पढ़ीं लेकिन जुल हुलैफ़ा में दो रकअत अदा फ़र्माई फिर आपने रात वहीं गुज़ारी। सुबह के वक़्त जब आप अपनी सवपारी पर सवार हुए तो आपने लब्बैक पुकारी। (राजेअ: 1089)

1547. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुखितयानी ने बयान किया, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में जुहर चार रकअत पढ़ी लेकिन जुल हुलैफ़ा में अर्र दो रकअत। उन्होंने कहा कि मेरा ख़याल है कि रात सुबह तक आपने जुल हुलैफ़ा में ही गुज़ार दी। (राजेअ: 1089)

जुल हुलैफ़ा वही जगह है जो आजकल बीरे अली के नाम से मशहूर है आज भी हाजी साहिबान का यहाँ पड़ाव होता है।

बाब 25 : लब्बैक बुलन्द आवाज़ से कहना

1548. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबू अय्यूब ने, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े जुहर मदीना मुनव्वरा में चार रकअत

٢٤- بَابُ مَنْ بَاتَ بِبَيْدِ الْخَلِيفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٥٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّبِ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِئِدِ

الْخَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ

بِئِدِ الْخَلِيفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ

وَاسْتَوَتْ بِهِ أَقْلٌ)). [راجع: ١٠٨٩]

١٥٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا،

وَصَلَّى الْمَصْرَ بِئِدِ الْخَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ،

قَالَ: وَأَخْبَيْتُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ)).

[راجع: ١٠٨٩]

٢٥- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

١٥٤٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

पढ़ी। लेकिन नमाज़े अस्स जुल हुलैफ़ा में दो रकअत पढ़ी। मैंने खुद सुना कि लोग आवाज़ से हज्ज और उम्रह दोनों के लिये लब्बैक कह रहे थे।

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا
وَالْقَصْرَ بِذِي الْحَلِيفَةِ رَكَعَتَيْنِ
وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا)).

तशरीह: जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है कि लब्बैक पुकार कर कहना मुस्तहब है। मगर ये मर्दों के लिये है, औरतें आहिस्ता कहें। इमाम अहमद (रह.) ने मर्फूअन हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल किया है कि अल्लाह तआला ने मुझको लब्बैक पुकारकर कहने का हुक्म दिया है। अब लब्बैक कहना इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद के नज़दीक सुन्नत है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक बग़ैर लब्बैक कहे एहराम पूरा न होगा। आखिरी जुम्ला का मतलब ये है कि हज्जे क़िरान की नियत करने वाले लब्बैक बिहज्जतिन व उम्रतिन पुकार रहे थे। पस क़िरान वालों को जो हज्ज व उम्रह दोनों मिलाकर करना चाहते हों वो ऐसे ही लब्बैक पेश करें और ख़ाली हज्ज करने वाले लब्बैक बिहज्जतिन कहें। और ख़ाली उम्रह करनेवाले लब्बैक बि उम्रतिन के अल्फ़ाज़ कहें। हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं फ़ीहि हुज्जतुन लिलजुम्हूरि फ़ी इस्तिहबाबि रफ़इल्अस्वाति बित्तल्बिद्यति व कद रवा मालिक फिल्मुअता व अस्हाबुस्सुननि व सहहहुत्तिर्मिजी व इब्नु खुज़ैमा वल्हाकिम मिन तरीक़ि ख़ल्लाद बिन अस्साइब अन अबीहि मर्फूअन जाअनी जिब्रीलु फामरनी अन आमुर अस्हाबी यफूऊन अस्वातहुम बिल्इहलालिया'नी लब्बैक के साथ आवाज़ बुलन्द करना मुस्तहब है। मौता बग़ैरह में मर्फूअन मरवी है कि हुजूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे पास जिब्रैल (अलैहिस्सलाम) आए और फ़र्माया कि अपने अस्हाब से कह दीजिए कि लब्बैक के साथ आवाज़ बुलन्द करें। पस अस्हाबे किराम (रज़ि.) इस क़दर बुलन्द आवाज़ से लब्बैक कहा करते थे कि पहाड़ गूँजने लग जाते। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक के मा'नी या अल्लाह! मैं तेरी इबादत पर कायम हूँ और तेरे बुलाने पर हाज़िर हुआ हूँ या मेरा इख़लास तेरे ही लिये है। मैं तेरी तरफ़ मुतवज्जह हूँ, तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ। लब्बैक उस दा'वत की कुबूलियत है जो तक्मीले इमारते काबा के बाद हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने व अज़्जिन फ़िन्नासि बिल्हज्जि की ता'मील में पुकारी थी कि लोगों! आओ अल्लाह का घर बन गया है पस इस आवाज़ पर हर हाजी लब्बैक पुकारता है कि मैं हाज़िर हो गया हूँ या ये कि गुलाम हाज़िर है।

बाब 26 : तल्बिया का बयान

हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का तल्बिया ये था, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह! हाज़िर हूँ मैं, तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ, तमाम हम्द तेरे ही लिये है और तमाम नेअमतें तेरी ही तरफ़ से हैं, मुल्क तेरा ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। (राजेअ 1540)

1550. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान श़ौरी ने आ'मश से बयान किया, उनसे अम्मारा ने, उनसे अत्रिया ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि मैं जानती हूँ कि किस तरह नबी करीम (ﷺ) तल्बिया कहते थे। आप तल्बिया यूँ कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक

٢٦- بَابُ التَّلْبِيَةِ

١٥٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ، لَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتِكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)).

[راجع: ١٥٤٠]

١٥٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنِّي لِأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक (तर्जुमा गुज़र चुका है) इसकी मुताबअत सुफ़यान प्रौरी की तरह अबू मुआविया ने आ'मश से भी की है और शुअबा ने कहा कि मुझको सुलैमान आ'मश ने ख़बर दी कि मैंने ख़ैषमा से सुना और उन्होंने अबू अत्रिया से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना। फिर यही हदीष बयान की।

बाब 27 : एहराम बाँधते वक़्त जब जानवर पर सवार होने लगे तो लब्बैक से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना

1551. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़ितयानी ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में... हम भी आपके साथ थे... जुहर की नमाज़ चार रकअत पढ़ी और जुल हुलैफ़ा में असर की नमाज़ दो रकअत। आप रात को वहीं रहे। सुबह हुई तो मक़ामे बैदा से सवारी पर बैठते हुए अल्लाह तआला की हम्द, उसकी तस्बीह और तक्बीर कही। फिर हज्ज और उम्रह के लिये एक साथ एहराम बाँधा और लोगों ने भी आपके साथ दोनों का एक साथ एहराम बाँधा (या'नी क़िरान किया) जब हम मक्का आए तो आपके हुक्म से (जिन लोगों ने हज्जे तमत्तोअ का एहराम बाँधा था उन) सबने एहराम खोल दिया। फिर आठवीं तारीख़ में सबने हज्ज का एहराम बाँधा। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथ से खड़े होकर बहुत से ऊँट नहर किये। हुज़ूर अकरम ने (ईदुल अज़हा के दिन) मदीना में भी दो चितकबरे सींगों वाले मेंढे ज़िबह किये थे। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि कुछ लोग इस हदीष को यूँ रिवायत करते हैं अय्यूब से, उन्होंने एक शाख़्स से, उन्होंने अनस से। (राजेअ: 1089)

बाब 28 : जब सवारी सीधी लेकर खड़ी हो उस वक़्त लब्बैक पुकारना

بَلَى : لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. نَابِعَةُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ قَالَ خَيْثَمَةُ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

۲۷- بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

۱۵۵۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبٌ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ - الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بَدِيءِ الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِيدَ اللَّهِ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهْلَ النَّاسَ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ. [راجع: ۱۰۸۹]

۲۸- بَابُ مَنْ أَهْلَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

1552. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने खबर दी, कहा कि मुझे झालेह बिन कैसान ने खबर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को लेकर आपकी सवारी पूरी तरह खड़ी हो गई थी, तो आपने उस वक़्त लब्बैक पुकारा। (राजेअ: 166)

बाब 29 : क़िब्ला रुख होकर एहराम बाँधते हुए लब्बैक पुकारना

1553. और अबू मअमर ने कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब सुखितयानी ने नाफ़ेअ से बयान किया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब जुल हुलैफ़ा में सुबह की नमाज़ पढ़ चुके तो अपनी ऊँटनी पर पालान लगाने का हुक्म फ़र्माया, सवारी लाई गई तो आप उस पर सवार हुए और जब वो आपको लेकर खड़ी हो गई तो आप खड़े होकर क़िब्ला रू हो गये और फिर लब्बैक कहना शुरू किया यहाँ तक कि हरम में दाख़िल हो गये। वहाँ पहुँचकर आपने लब्बैक कहना बंद कर दिया। फिर ज़ी तुवा में तशरीफ़ लाकर रात वहीं गुज़ारते सुबह होती तो नमाज़ पढ़ते और गुस्ल करते (फिर मक्का में दाख़िल होते) आप यक़ीन के साथ ये जानते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसी तरह किया था। अब्दुल वारिष की तरह इस हदीष को इस्माईल ने भी अय्यूब से रिवायत किया। उसमें गुस्ल का ज़िक्र है।

(दीगर मक़ाम: 1554, 1573, 1574)

1554. हमसे अबू रबीअ सुलैमान बिन दाऊद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब मक्का जाने का इरादा करते थे पहले खुशबू के बग़ैर तैल इस्ते'माल करते। उसके बाद मस्जिदे जुल हुलैफ़ा में तशरीफ़ लाते यहाँ सुबह की नमाज़ पढ़ते, फिर सवार होते, जब ऊँटनी आप (ﷺ) को लेकर पूरी तरह खड़ी हो जाती तो एहराम बाँधते। फिर फ़र्माते कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह करते देखा था। (राजेअ: 1553)

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ
كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: (أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ
بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً)). [راجع: ١٦٦]

٢٩ - بَابُ الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
١٥٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا
صَلَّى بِالْفِدَاةِ بِلَدِي الْخَلِيفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ
فَرُجِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ
الْحَرَمَ، ثُمَّ يُمَسِّكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ذَا
طَوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى
الْفِدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَعَلَ ذَلِكَ)).

تَابِعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ: فِي الْفَسْلِ.

[أطرافه في: ١٥٥٤, ١٥٧٣, ١٥٧٤].

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو
الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا
أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ هُنَّ بَدْعُنِ لَيْسَ
لَهُ رَاحِلَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْخَلِيفَةِ
فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرَكِبُ. وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ
رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ)). [راجع: ١٥٥٣]

बाब 30 : नाले में उतरते वक़्त लब्बैक कहे

३०- بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي

الْوَادِي

1555. हमसे मुहम्मद बिन मुषत्रा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अदी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औन ने, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, कहा कि हम अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर थे। लोगों ने दज्जाल का ज़िक्र किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि उसकी दोनों आँखों के बीच काफ़िर लिखा हुआ होगा। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने तो ये नहीं सुना। हाँ! आपने ये फ़र्माया था कि गोया मैं मूसा (अलैहिस्सलाम) को देख रहा हूँ कि जब आप नाले में उतरे तो लब्बैक कह रहे थे। (दीगर मक़ाम : 3355, 5913)

तस्रीह : मा'लूम हुआ कि आलामे मिषाल में आँहुज़रत (ﷺ) ने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को हज्र के लिये लब्बैक पुकारते हुए देखा। एक रिवायत में ऐसे ही हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र है। इस हदीष में हज़रत ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) का फ़ज्रुर्रोहा से एहराम बाँधने का ज़िक्र है। ये भी अन्देशा है कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को आपने इस हालत में ख़वाब में देखा हो। हाफ़िज़ ने इसी पर ए'तिमाद किया है। मुस्लिम शरीफ़ में ये वाक़िया हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यूँ मरवी है कि कअत्री अन्जुरु इला मूसा हाबितन मिन ष़नियति वाज़िअन इस्बैहि फ़ी उज़्ज़ैहि मा रआ बिहाज़ल्लादी व लहू जवारुन इलल्लाहि बिच्चल्लियति या'नी आँहुज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया गोया कि मैं हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को देख रहा हूँ। आप घाटी से उतरते हुए कानों में उँगलियाँ डाले हुए लब्बैक बुलन्द आवाज़ से पुकारते हुए इस वादी से गुजर रहे हैं। उसके ज़ेल में हाफ़िज़ साहब की पूरी तक्रीर ये है, वख़्तलफ़ अहलुत्तहक़ीक़ि फ़ी मअना क़ौलिही कअन्नी अन्जुरु अला औजहिन अलअव्वलु हुव अललहक़ीक़ति वलअम्बियाउ अहयाउन इन्द रब्बिहिम युर्ज़कून फ़ला मानिअ अय्यहुज़्ज़ु फ़ी हाज़लहालि कमा ष़बत फ़ी सहीहि मुस्लिम मिन हदीषि अनसिन अन्नहू (ﷺ) राअ मूसा काइमन फ़ी क़बिही युसल्ली काललकुर्तुबी हुब्बिबत इलैहिमुल्इबादतु फ़हुम यतअब्बदून बिमा यजिदूनहू मिन दवाई अन्फुसिहिम बिमा ला यल्लिज़मून बिही कमा युल्हमु अहलुल्जन्नति अज़्ज़िक्न व युअय्यिदुहू अन्न अमललआख़िरति ज़िक्न व दुआउन लिक्ौलिही तआला दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्म अलआया लियकून तमाम हाजत्तौजीहि अय्युकाल अन्नल्मन्ज़ूर इलैहि हिय अर्वाहुहुम फलअल्लहा मुषल्लतुन लहू (ﷺ) फिहुनिया कमा मुषल्लतुन लहू लैलतल्अस्रा व अम्मा अज्सादुहुम फहिय फिल्कुबूरि क़ाल इब्नुल्मुनीर व गैरुहु यज्जअलुल्लाहु लिरुहिही मिषालंन फयरा फिल्यक्ज़ति कमा यरा फिन्नौमि ष़ानीहा कअन्नहु मुषल्लतुन लहू अहवालुहुमल्लती कानत फिल्हयातिहुनिया कैफ़ तअब्बदू व कैफ़ हज़्ज़ू व कैफ़ लब्बू व लिहाज़ा क़ाल कअन्नी अन्जुरु ष़ालिषुहा कअन्नहू उख़िबर बिल्वहयि अन ज़ालिक फलिशिदति कत्इही बिही क़ाल कअन्नी अन्जुरु इलैहि राबिउहा कअन्नहा रूयतु मनामिन तक्रहमत लहू तुकुद्दमत लहू फउख़िबर अन्हा लिमा हज़्ज़ इन्द मातज़क्कर ज़ालिक व रूयल्अम्बियाइ वहयुन व हाज़ा हुवल्मुअतमदु इन्दी कमा सयाती फ़ी अहादीषिल्अम्बियाइ मिनत्तस्रीहि बिनहवि ज़ालिक फ़ी अहादीषिन आख़र व कौनु ज़ालिक फिल्मनामि वल्लज़ी कब्लहू लैस बिबइदिन वल्लाहु आलामु (फ़तहुल बारी)

या'नी आँहुज़रत (ﷺ) के फ़र्मान कअत्री अन्जुरु इलैहि (गोया कि मैं उनको देख रहा हूँ) अहले तहक़ीक़ ने मुख़्तलिफ़ तौजीहात की है। अव्वल तो ये है कि ये हक़ीक़त पर मन्बी है कि क्योकि अंबिया किराम अपने रब के यहाँ से रिज़क़

۱۵۵۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَذَكَرُوا الدَّجَالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلْبِي.)) [طرفاه في : ۳۳۵۵، ۵۹۱۳].

मुहम्मद बिन मुषत्रा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अदी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औन ने, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, कहा कि हम अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर थे। लोगों ने दज्जाल का ज़िक्र किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि उसकी दोनों आँखों के बीच काफ़िर लिखा हुआ होगा। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने तो ये नहीं सुना। हाँ! आपने ये फ़र्माया था कि गोया मैं मूसा (अलैहिस्सलाम) को देख रहा हूँ कि जब आप नाले में उतरे तो लब्बैक कह रहे थे। (दीगर मक़ाम : 3355, 5913)

या'नी आँहुज़रत (ﷺ) के फ़र्मान कअत्री अन्जुरु इलैहि (गोया कि मैं उनको देख रहा हूँ) अहले तहक़ीक़ ने मुख़्तलिफ़ तौजीहात की है। अव्वल तो ये है कि ये हक़ीक़त पर मन्बी है कि क्योकि अंबिया किराम अपने रब के यहाँ से रिज़क़

दिये जाते हैं और अपने कुबूर में ज़िन्दा हैं पस कुछ मुश्किल नहीं कि वो इस हालत में हज्ज भी करते हों जैसा कि सहीह मुस्लिम में हदीसे अनस (रज़ि.) से प्राबित है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने मूसा (अलैहिस्सलाम) को देखा कि वो अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हुए थे। कर्तुबी (रह.) ने कहा कि इबादत उनके लिये महबूबतरीन चीज़ थी पस वो आलमे आख़िरत में भी इसी हालत में बतय्यिबे खातिर मशगूल हैं हालाँकि ये उनके लिये वहाँ लाज़िम नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि अहले जन्नत को ज़िक्रे इलाही का इल्हाम होता रहेगा और उसकी ताईद इससे भी होती है कि अमल आख़िरे ज़िक्र और दुआ है। जैसा कि आयते शरीफ़ा **دَاوَا هُمْ فَرِيحًا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** (यूनस : 10) में मज़कूर है। लेकिन इस तौजीह की तक्मील इस पर है कि आपको उनकी रूहें नज़र आईं और आलमे मि़्ज़ाल में उनको दुनिया में आपको दिखलाया गया जैसा कि मेअराज में आपकी तम्प्रीली शक्लों में उनको दिखलाया गया था। हालाँकि उनके जिस्म उनकी क़ब्रों में थे। इब्ने मुनीर ने कहा कि अल्लाह पाक उनकी पाक रूहों को आलमे मि़्ज़ाल में दिखला देता है। ये आलमे बेदारी में भी ऐसे ही दिखाई दिये जाते हैं जैसे आलमे ख़्वाब में। दूसरी तौजीह ये है कि इनकी तम्प्रीली हालात दिखलाए गए। जैसा कि वो दुनिया में इबादत और हज्ज और लब्बैक वगैरह किया करते थे। तीसरी ये कि वह्य से ये हाल मा'लूम कराया गया जो इतना क़तई था कि आपने कअत्री अन्ज़ुरु इलैहि से उसे ता'बीर फ़र्माया। चौथी तौजीह ये कि ये आलमे ख़्वाब का मुआमला जो आपको दिखलाया गया और अंबिया के ख़्वाब भी वह्य के दर्जे में होते हैं और मेरे नज़दीक इसी तौजीह को तर्जीह है जैसा कि अह्दादीधुल अंबिया में सराहत आएगी और उसका हालाते ख़्वाब में नज़र आना कोई बईद चीज़ नहीं है।

ख़ुलासतुल मराम ये है कि आलमे ख़्वाब में या आलमे मि़्ज़ाल में आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को सफ़रे हज्ज में लब्बैक पुकारते हुए और मज़कूरा वादी में से गुज़रते हुए देखा। (ﷺ)

बाब 31 : हैज़ वाली और निफ़ास वाली औरतें किस तरह एहराम बाँधें

۳۱- بَابُ كَيْفَ تَهْلُ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ؟

अरब लोग कहते हैं अहल्ल या'नी बात मुँह से निकाल दी व अस्तहल्लना व अहल्लल्ल हिलाल इन सब लफ़्ज़ों का मा'नी ज़ाहिर होना है और अस्तहल्लल मत्रर का मा'नी पानी अब्र में से निकला। और कुआन शरीफ़ (सूरह माइदह) में जो वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही) है इसके मा'नी जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए और बच्चा के इस्तिहलाल से निकला है। या'नी पैदा होते वक़्त उसका आवाज़ करना।

أَهْلٌ: تَكَلَّمَ بِهِ. وَاسْتَهَلَّلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهَيْلَانَ:
كَلَّمُهُ مِنَ الظُّهُورِ. وَاسْتَهَلَّ الْمَطْرُ: خَرَجَ
مِنَ السَّحَابِ. ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾
وَهُوَ مِنَ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ

1556. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें उर्व बिन जुबैर ने, उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम हज्जतुल विदाअ में नबी करीम (ﷺ) के साथ ख़ाना हुए। पहले हमने उम्रह का एहराम बाँधा लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके साथ कुर्बानी हो तो उसे उम्रह के साथ हज्ज का भी एहराम बाँध लेना चाहिये। ऐसा शख्स दरम्यान में हलाल नहीं हो सकता बल्कि हज्ज और उम्रह दोनों से एक साथ हलाल होगा। मैं भी

۱۵۵۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةَ، ثُمَّ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةَ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى

मक्का आई थी उस वक़्त मैं हाइज़ा हो गई, इसलिये न बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकी और न सफ़ा व मरवा की सई। मैंने उसके बारे में नबी करीम (ﷺ) से शिकवा किया तो आपने फ़र्माया कि अपना सर खोल डाल, कँधा कर और उम्रह छोड़कर हज्ज का एहराम बाँध ले। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया। फिर जब हम हज्ज से फ़ारिग हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र के साथ तन्ईम भेजा। मैंने वहाँ से उम्रह का एहराम बाँधा (और उम्रह अदा किया) आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तुम्हारे उस उम्रे के बदले में है। (जिसे तुमने छोड़ दिया था) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि जिन लोगों ने (हज्जतुल विदाअ में) सिर्फ़ उम्रह का एहराम बाँधा था, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ सफ़ा और मरवा की सई करके हलाल हो गये। फिर मिना से वापस होने पर दूसरा तवाफ़ (या'नी तवाफ़े ज़ियारा) किया लेकिन जिन लोगों ने हज्ज और उम्रह का एक साथ एहराम बाँधा था, उन्होंने सिर्फ़ एक ही तवाफ़ किया या'नी तवाफ़ुज़्ज़ियारा किया (राजेअ 294)

بِحِلٍّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)). فَقَدَمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِأَنْتِ وَلَا تَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((انْقُضِي رَأْسَكُمْ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ)), فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هَلِوَهُ مَكَانٌ عُمَرُوكِ. قَالَتْ: لَطَافُ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلًا بِالْعُمْرَةِ بِأَنْتِ وَتَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِأَنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)).

[رأج: ٢٩٤]

तशरीह:

हज़रत नबी करीम (ﷺ) ने इस मौक़े पर हज़रत आइशा (रज़ि.) को उम्रह छोड़ने के लिये फ़र्माया। यहीं से बाब का तर्जुमा निकला कि हैज़वाली औरत को सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधना दुरुस्त है, वो एहराम का दोगाना न पढ़े। सिर्फ़ लब्बैक कह कर हज्ज की निय्यत कर ले। इस रिवायत ये साफ़ निकला कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रह छोड़ दिया और हज्जे मुफ़द का एहराम बाँधा। हनफ़िया का यही क़ौल है और शाफ़िई कहते हैं कि मत्तलब ये है कि उम्रह को बिल फ़ेअल रहने दे। हज्ज के अरकान अदा करना शुरू कर दे, तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क़िरान किया, और सर खोलने और कँधी करने में एहराम की हालत में क़बाहत नहीं। अगर बाल न गिरें मगर ये तावील ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। (वहीदी)

व अम्मल्लज़ीन जमउल्हज्ज वल्उम्रत से मा'लूम हुआ कि क़िरान को एक ही तवाफ़ और एक ही सई काफ़ी है और उम्रे के अफ़आल हज्ज में शरीक हो जाते हैं। इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है। उसके ख़िलाफ़ कोई पुख़्ता दलील नहीं।

बाब 32 : जिसने आँहज़रत (ﷺ) के सामने एहराम में ये निय्यत की जो निय्यत आँहज़रत (ﷺ) ने की है

ये अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से नक़ल किया है।

1557. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे अत्ता बिन रिबाह ने बयान किया कि जाबिर (रज़ि.) ने फ़र्माया नबी करीम (ﷺ) ने अली (रज़ि.) को हुक्म

٣٢- بَابُ مَنْ أَهَلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١٥٥٧- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ

दिया था कि वो अपने एहराम पर कायम रहें। उन्होंने सुराक्रा का क़ौल भी ज़िक्र किया था। और मुहम्मद बिन अबीबक्र ने इब्ने जुरैज से यूँ रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पूछा अली! तुमने किस चीज़ का एहराम बाँधा है? उन्होंने अर्ज़ किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जिसका एहराम बाँधा हो (उसी का मैंने भी बाँधा है) आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर कुर्बानी कर और अपनी इसी हालत पर एहराम जारी रख।

(1568, 1570, 1785, 2506, 4352, 7230, 7367)

1558. हमसे हसन बिन अली खल्लाल हुज़ली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुलैम बिन हय्यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मरवान असफ़र से सुना और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया था कि हज़रत अली (रज़ि.) यमन से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने पूछा कि किस तरह का एहराम बाँधा है? उन्होंने कहा कि जिस तरह का आँहुज़ूर (ﷺ) ने बाँधा हो। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरे साथ कुर्बानी न होती तो मैं हलाल हो जाता।

1559. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान श़ौरी ने बयान किया, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक़ बिन शिहाब ने और उनसे अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने मेरी क़ौम के पास यमन भेजा था। जब (हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर) मैं आया तो आपसे बतहा में मुलाक़ात हुई। आपने पूछा कि किसका एहराम बाँधा है? मैंने अर्ज़ किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने जिसका बाँधा हो आपने पूछा क्या तुम्हारे साथ कुर्बानी है? मैंने अर्ज़ किया नहीं, इसलिये आपने मुझे हुक़म दिया कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सड़ करूँ। उसके बाद आपने एहराम खोल देने का हुक़म फ़र्माया। चुनाँचे मैं अपनी क़ौम की एक ख़ातून के पास आया। उन्होंने मेरे सर का कँघा किया या मेरा सर धोया। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) का

عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ)) وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَه النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتُ يَا عَلِيُّ قَالَ يَا أَهْلٌ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَأَمَكْتُ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ.

[اطرافه في: ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٧٨٥]

[٢٥٠٦، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧]

١٥٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهَدْيِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتُ؟)) قَالَ: بِمَا أَهْلٌ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيِ لِأَخْلَلْتُ)).

١٥٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتُ؟)) قُلْتُ أَهْلَلْتُ كِهَالِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟)) قُلْتُ: لَا. فَأَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَخْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي. فَقَدِمَ عُمَرُ

जमाना आया तो आपने फ़र्माया कि अगर हम अल्लाह की किताब पर अमल करें तो वो ये हुक्म देती है कि हज्ज और उम्रह पूरा करो। अल्लाह तआला फ़र्माता है, और हज्ज और उम्रह पूरा करो अल्लाह की रज़ा के लिये। और अगर हम आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत को लें तो आँहज़रत (ﷺ) ने उस वक़्त तक एहराम नहीं खोला जब तक आपने कुर्बानी से फ़रागत नहीं हासिल कर ली।

(1565, 1724, 1795, 4346, 4397)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَالَ : إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ
إِلَهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. وَإِنْ نَأْخُذَ
بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِلْ حَتَّى نَخْرُ
الْهَدْيِ)).

[أطرافه في : ١٥٦٥ ، ١٧٢٤ ، ١٧٩٥ ،

. [٤٣٩٧ ، ٤٣٤٦

तशरीह : हज़रत उमर (रज़ि.) की राय इस बाब में दुरुस्त नहीं। आँहज़रत (ﷺ) ने एहराम नहीं खोला इसकी वजह भी आपने खुद बयान की थी कि आपके साथ हदी थी। जिनके साथ हदी नहीं थी उनका एहराम खुद आँहज़रत (ﷺ) ने खुलवाया। पस जहाँ साफ़ सरीह हदीष नबवी मौजूद हो वहाँ किसी की भी राय कुबूल नहीं की जा सकती ख्वाह हज़रत उमर (रज़ि.) ही क्यों न हों। हज़राते मुकत्लिदीन को गौर करना चाहिये कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) जैसे खलीफ़ा-ए-राशिद जिनकी पैरवी करने का खास हुक्म नबवी (ﷺ) है, इकतदू बिल्लज़ीन मिम्बअदी अबी बक़्र व उमर हदीष के खिलाफ़ काबिले इक्तिदा न ठहरे तो और किसी इमाम या मुज्ताहिद की क्या बिसात है। (वहीदी)

बाब 33 : अल्लाह पाक का सूरह बकर: में ये फ़र्माता कि

हज्ज के महीने मुकरर हैं जो कोई इनमें हज्ज की ठान ले तो शहवत की बातें न करे न गुनाह और झगड़े के करीब जाए क्योंकि हज्ज में ख़ास तौर पर ये गुनाह और झगड़े बहुत ही बुरे हैं। ऐ रसूल (ﷺ)! लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि चाँद से लोगों के कामों के और हज्ज के औकात मा'लूम होते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि हज्ज के महीने शव्वाल, ज़िक्रअदा और ज़िल्हिज्ज के दस दिन हैं।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा सुन्नत ये है कि हज्ज का एहराम सिर्फ़ हज्ज के महीनों ही में बाँधें और हज़रत उम्रान (रज़ि.) ने कहा कि कोई ख़ुरासान या करमान से एहराम बाँधकर चले तो ये मकरूह है।

तशरीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के अप्र को इब्ने जरीर और तबरी ने वस्ल किया। उसका मतलब ये है कि हज्ज का एहराम पहले से पहले गुरा शव्वाल से बाँध सकते हैं। लेकिन उससे पहले दुरुस्त नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के अप्र को इब्ने ख़ुजैमा और दारे कुत्नी ने वस्ल किया है। हज़रत उम्रान (रज़ि.) के क़ौल का मतलब ये है कि मीकात या मीकात के करीब से एहराम बाँधना सुन्नत और बेहतर है चाहे मीकात से पहले भी बाँध लेना दुरुस्त

٣٣- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ
لِنَفْسِهِ الْإِسْلَامَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. (البقرة: ١٧٩)،
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَيَّامِ الَّتِي
هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو
الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ((مِنْ
السَّنَةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ)). وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ
يُحْرَمَ مِنْ خُرَّاسَانَ أَوْ كُرْمَانَ.

है। उसको सईद बिन मंसूर ने बयान किया और अबू अहमद बिन सय्यार ने तारीखे मर्व में निकाला कि जब अब्दुल्लाह बिन आमिर ने खुरासान फतह किया तो उसके शुक्रिया में उन्होंने मन्नत मा'नी कि मैं यहीं से एहराम बाँधकर निकलूँगा। हज़रत उम्मान (रज़ि.) के पास आए तो उन्होंने उनको मलामत की। कहते हैं उसी साल हज़रत उम्मान (रज़ि.) शहीद हो गए। हदीष में आया हुआ मुक़ाम सर्फ़ मक्का से दस मील की दूरी पर है। उसे आजकल वादी-ए-फ़ातिमा कहते हैं।

एहराम में क्या हिक्मत है :

शाही दरबारों के आदाब में से एक खास लिबास भी है जिसको ज़ेबतन किये बग़ैर जाना सूअे अदबी समझा जाता है। आज इस रोशन तहज़ीब के ज़माने में भी हर हुकूमत अपने निशानात मुकर्रर किये हुए है और अपने दरबारों, ऐवानों के लिये खास-खास लिबास मुकर्रर किये हुए है। चुनाँचे उन ऐवानों में शरीक होने वाले मेम्बरों को एक खास लिबास तैयार कराना पड़ता है। जिसको ज़ेबतन करके वो शरीके इज़लास होते हैं। हज़्ज अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन का सालाना जश्न है। उसके दरबार की हाज़िरी है। पस उसके लिये तैयारी न करना और ऐसे ही गुस्ताखाना चले आना क्यूँकर मुनासिब हो सकता है? इसलिये हुकम है कि मीक़ात से इस दरबार की हज़ूर की तैयारी शुरू कर दो और अपनी वो हालत बना लो जो पसंदीदा बारगाहे इलाही है, या'नी आजिज़ी, मिस्कीनी, तर्के ज़ीनत, तबत्तुल इलल्लाह इसलिये एहराम का लिबास भी ऐसा ही सादा रखा जो सबसे आसान और सहलुल हूसूल है और जिसमें मुसावात इस्लाम का बखूबी ज़हूर होता है। उसमें कफ़न की भी मुशाबिहत होती है जिससे इंसान को ये भी याद आ जाता है कि दुनिया से रुख़सत होते वक़्त उसको इतना ही कपड़ा नसीब होगा। नीज़ उससे इंसान को इतनी इब्तिदाई हालत भी याद आती है जबकि वो इब्तिदाई दौर में था और हज़रो-शजर के लिबास से निकलकर उसने अपने लिये कपड़े का लिबास ईजाद किया था। एहराम के इस सादे लिबास में एक तरफ़ फ़क़ीरी की तल्कीन है तो दूसरी तरफ़ एक फ़क़ीरी फ़ौज में डिसीप्लेन भी कायम करना मवसूद है।

लब्बैक पुकारने में क्या हिक्मत है :

लब्बैक का नारा अल्लाह की फ़ौज का क़ौमी नारा है। जो जश्ने खुदावन्दी की शिर्कत के लिये अक़साए आलम से खींची चली आ रही है। एहराम बाँधने से खोलने तक हर हाज़ी को निहायत खुशूअ व खुजूअ के साथ बार-बार लब्बैक का नारा पुकारना ज़रूरी है। जिसके मुक़द्दस अल्फ़ाज़ ये हैं, 'लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नलहम्द वन्निअमत लक वल्मुल्क ला शरीक लक हाज़िर हूँ। इलाही! फ़क़ीराना व गुलामाना ज़ब्बात में तेरे जश्न की शिर्कत के लिये हाज़िर हूँ। हाज़िर हूँ तूझे वाहिद बेमिषाल समझकर हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं हाज़िर हूँ। तमाम तअरीफ़ें तेरे ही लिये ज़ैबा हैं और सब नेअमतें तेरी ही अता की हुई हैं। राज-पाठ सबका मालिक हक़ीक़ी तू ही है। उसमें कोई तेरा शरीक नहीं। इन अल्फ़ाज़ों की गहराई पर अगर ग़ौर किया जाए तो बेशुमार हिक्मतें उनमें नज़र आएँगी। इन अल्फ़ाज़ में एक तरफ़ सच्चे बादशाह की खुदाई का ए'तिराफ़ है तो दूसरी तरफ़ अपनी खुदी को भी एक दर्ज-ए-खास में रखकर उसके सामने पेश किया गया है।

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक्दीर से पहले खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है

- (01) बार बार लब्बैक कहना ये इक़्रार करना है कि ऐ अल्लाह! मैं पूरे तौर पर तस्लीम व रज़ा का बन्दा बनकर तेरे सारे अहक़ाम को मानने के लिये तैयार होकर तेरे दरबार में हाज़िर हूँ।
- (02) ला शरीक लकामें अल्लाह की तौहीद का इक़्रार है जो असल्ले उसूल ईमान व इस्लाम है और जो दुनिया में क़ायमे अमन का सिर्फ़ एक ही रास्ता है। दुनिया में जिस क़द्र तबाही व बरबादी, फ़साद, बदअम्नी फैली हुई है वो सब तर्के तौहीद की वजह से है।
- (03) फिर ये ए'तिराफ़ है कि सब नेअमतें तेरी ही दी हुई हैं। लेना-देना सिर्फ़ तेरे ही हाथ में है। लिहाज़ा हम तेरी ही हम्दो-घना करते हैं और तेरी ही ता'रीफ़ों के गीत गाते हैं।
- (04) फिर इस बात का इक़्रार है कि मुल्क व हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह ही की है। हक़ीक़ी बादशाह सच्चा हाकिम असल

मालिक वही है। हम सब उसके आजिज़ बन्दे हैं। लिहाज़ा दुनिया में उसी का क़ानून नाफ़िज़ होना चाहिये और किसी को अपनी तरफ़ से नया क़ानून बनाने का इख़्तियार नहीं है। जो कोई क़ानून इलाही से हटकर क़ानून-साज़ी करेगा वो अल्लाह का हरीफ़ ठहरेगा। दुनियावी हुक़ाम सिर्फ़ अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं। अगर वो समझे तो उन पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है, उनको अल्लाह ने इसलिये बइख़्तियार बनाया है कि वो अल्लाह तआला के क़वानीन का निफ़ाज़ करें। इसलिये उनकी इत्ताअत बन्दों पर उसी वक़्त तक फ़र्ज़ है जब तक वो हुदूदे इलाही क़वानीने फ़ितरत से आगे न बढ़ें और खुद अल्लाह न बन बैठें उसके बरअक्स उनकी इत्ताअत हाराम हो जाती है। ग़ौर करो जो शख्स बार-बार उन सब बातों का इकरार करेगा तो हज के बाद किस क़िस्म का इंसान बन जाएगा। बशर्ते कि उसने ये तमाम इकरार सच्चे दिल से किये हों और समझ-बूझ कर ये अल्फ़ाज़ मुँह से निकाले हों।

1560. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबक्र हनफ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे अफ़लह बिन हुमैद ने बयान किया, कहा कि मैंने क़ासिम बिन मुहम्मद से सुना, उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज के महीनों में हज की रातों में और हज के दिनों में निकले। फिर सरिफ़ में जाकर उतरे। आपने बयान किया कि फिर नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा को ख़िताब किया जिसके साथ हदी न हो और वो चाहता हो कि अपने एहराम को सिर्फ़ उम्रह का बना ले तो उसे ऐसा कर लेना चाहिये लेकिन जिसके साथ कुर्बानी है वो ऐसा न करे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) के कुछ अस्हाब ने इस फ़र्मान पर अमल किया और कुछ ने नहीं किया। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके कुछ अस्हाब जो इस्तिताअत व हौसला वाले थे (कि वो एहराम के मन्नाअत से बच सकते थे) उनके साथ हदी भी थी, इसलिये वो तंहा उम्रह नहीं कर सकते थे (पस उन्होंने एहराम नहीं खोला) आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आपने पूछा कि (ऐ भोली भाली औरत! तू) क्यों रो रही है? मैंने अज़ब किया कि मैंने आपके अपने सहाबा से इर्शाद को सुन लिया अब तो मैं उम्रह न कर सकूंगी। आपने पूछा क्या बात है? मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ने के क़ाबिल न रही (या'नी हाइज़ा हो गई) आपने फ़र्माया कोई हर्ज नहीं। आख़िर तुम भी तो आदम की बेटियों की तरह एक औरत हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिये भी वो मुक़द्दर किया है जो तमाम औरतों के लिये किया है। इसलिये (उम्रह छोड़कर) हज करती

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَفْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَلْفَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيْالِي الْحَجِّ، وَحُرْمِ الْحَجِّ، فَتَزَلْنَا بِسَرَفٍ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا غَمْرَةً لِيَفْعَلَ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا)). قَالَتْ: فَلَاخِذْ بِهَا وَالنَّارُكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْغَمْرَةِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيكِ يَا هَتَاة؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَفُيْتُ الْغَمْرَةَ. قَالَ: ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لَا أَصَلِّي. قَالَ: ((فَلَا يَضِيرُكَ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حُجَّتِكَ لَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرَزُقَكِيهَا)).

रह अल्लाह तआला तुम्हें जल्द ही उम्रह की तौफ़ीक़ दे देगा। आइशा (रज़ि.) ने ये बयान किया कि हम हज्ज के लिये निकले। जब हम (अरफ़ात से) मिना पहुँचे तो मैं पाक हो गई। फिर मिना से जब मैं निकली तो बैतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत किया। आपने बयान किया कि आख़िर में आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ जब वापस होने लगी तो आप वादी मुहम्मद में आकर उतरे। हम भी आपके साथ ठहरे। आपने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को बुलाकर कहा कि अपनी बहन को लेकर हरम से बाहर जा और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँध फिर उम्रह से फ़ारिग़ होकर तुम लोग यहीं वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम (आँहुज़ूर ﷺ की हिदायत के मुताबिक़) चले और जब मैं और मेरे भाई तवाफ़ से फ़ारिग़ हो लिये तो मैं सेहरी के वक़्त आपकी ख़िदमत में पहुँची। आपने पूछा कि फ़ारिग़ हो लीं? मैंने कहा हाँ, तब आपने अपने साथियों से सफ़र शुरू कर देने के लिये कहा। सफ़र शुरू हो गया और आप मदीना मुनव्वरा वापस हो रहे थे। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि जो ला यज़ीरुका है वो ज़ारा यज़ीरु ज़यरन से मुशतक़ है ज़ारा यज़ूरु ज़वरन भी इस्ते'माल होता है और जिस रिवायत में ला यज़ूरुका है वो ज़र्रा यज़ूरु ज़रन से निकला है। (राजेअ : 294)

बाब 34 : हज्ज में तमत्तोअ, क़िरान और इफ़राद का बयान और जिसके साथ हदी न हो, उसे हज्ज फ़सख़ करके उम्रह बना देने की इजाज़त है

1561. हमसे इब्मन बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जर्रीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि हम हज्ज के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले। हमारी निय्यत हज्ज के सिवा और कुछ न थी। जब हम मक्का पहुँचे तो (और लोगों ने) बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। आँहुज़ूर (ﷺ) का हुक्म था कि जो कुर्बानी अपने साथ न लाया हो वो हलाल हो जाए। चुनाँचे जिनके पास हदी न थी वो हलाल हो गये। (अफ़आले उम्रह के बाद) आँहुज़ूर (ﷺ) की अज़्वाजे मुतदहरात हदी नहीं

قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مَنَى فَطَهَّرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مَنَى فَأَقْبَضْتُ بِالنَّيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: ((أَخْرُجْ بِأَخِيكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهْلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرَغَا ثُمَّ ائْتِيَا مَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُ كَمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي)). قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَعْتُ وَفَرَّغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُ بِسَخِرٍ فَقَالَ: ((هَلْ فَرَعْتُمُ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ ضَيْرٌ مِنْ ضَارٍ يَضِيرُ ضَيْرًا. وَيُقَالُ ضَارٌ يَضُورُ ضُورًا، وَضُرٌّ يَضُرُّ ضِرًّا. [راجع: ٢٩٤]

٣٤- بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ

وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَقَسَخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

١٥٦١- حَدَّثَنَا عُمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالنَّيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ أَنْ يَجِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيِ وَنَسَاؤُهُ لَمْ يَسْفَنْ

ले गई थीं, इसलिये उन्होंने भी एहराम खोल डाले, आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई थी इसलिये मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी (या'नी उम्रह छूट गया और हज्ज करती चली गई) जब मुहम्मद की रात आई, मैंने कहा या रसूलुल्लाह! और लोग तो हज्ज और उम्रह दोनों करके वापस हो रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ़ हज्ज कर सकी हूँ। इस पर आपने फ़र्माया क्या जब हम मक्का आए थे तो तुम तवाफ़ न कर सकी थी? मैंने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने भाई के साथ तन्दईम तक चली जा और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँध (फिर उम्रह अदा कर) हम लोग तुम्हारा फ़लाँ जगह इतिज़ार करेंगे और सफ़िया (रज़ि.) ने कहा कि मा'लूम होता है मैं भी आप (लोगों) को रोकने का सबब बन जाऊँगी। आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया मुरदार सर मुँडी क्या तूने यौमुन्नहर का तवाफ़ नहीं किया था? उन्होंने कहा क्यों नहीं मैं तो तवाफ़ कर चुकी हूँ। आपने फ़र्माया फिर कोई हर्ज नहीं चल कूचकर। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि फिर मेरी मुलाक़ात नबी करीम (ﷺ) से हुई तो आप मक्का से जाते हुए ऊपर के हिस्से पर चढ़ रहे थे और मैं नशीब में उतर रही थी या ये कहा कि मैं ऊपर चढ़ रही थी और आँहुज़ूर (ﷺ) इस चढ़ाव के बाद उतर रहे थे। (राजेअ: 294)

فَأَخْلَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطْفِ بِالنَّيْتِ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَضْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَالَ: ((وَمَا طُفْتُ لَيْلِي قَدِمْنَا مَكَّةَ؟)) قُلْتُ: لَا. قَالَ: ((فَأَذْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدِكَ كَذَا وَكَذَا)). قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسْتِكُمْ. قَالَ: ((عَفْرَى حَلْقِي، أَوْ مَا طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: ((لَا بَأْسَ، انْفِرِي)). قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَلَقِينِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع: 294]

तशीह:

हज्ज की तीन क़िस्में हैं। एक तमतोअ वो ये है कि मीक़ात से उम्रह का एहराम बाँधे और मक्का में जाकर तवाफ़ और सई करके एहराम को खोल डाले। फिर आठवीं तारीख़ को हरम ही से हज्ज का एहराम बाँधे। दूसरा क़िरान वो ये है कि मीक़ात से हज्ज और उम्रह दोनों का साथ एहराम बाँध ले या पहले सिर्फ़ उम्रह का बाँधे फिर हज्ज को भी उसमें शरीक कर ले। इस सूरत में उम्रे के अफ़आल, हज्ज में शरीक हो जाते हैं और उम्रह के अफ़आल अलग से नहीं करने पड़ते। तीसरा हज्जे इफ़राद या'नी मीक़ात से सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधे और जिसके साथ हदी न हो उसका हज्ज फ़स्ख़ करके उम्रह बना देना। ये हमारे इमाम अहमद बिन हंबल और जुम्ला अहले हदीष के नज़दीक जाइज़ है और इमाम मालिक और शाफ़िई और अबू हनीफ़ा और जुमहूर उलमा के नज़दीक ये अमर ख़ास़ था उन सहाबा से जिनको आँहुज़रत (ﷺ) ने उसकी इजाज़त दी थी और दलील लेते हैं हिलाल बिन हारिष की हदीष से जिसमें ये है कि ये तुम्हारे लिये ख़ास़ है और ये रिवायत ज़ईफ़ है ए'तिमाद के लायक़ नहीं। इमाम इब्ने क़य्यिम और शौकानी और मुहक्किनीने अहले हदीष ने कहा है कि फ़स्ख़े हज्ज को चौबीस सहाबा ने ज़िक़र किया है। हिलाल बिन हारिष की एक ज़ईफ़ रिवायत इनका मुक़ाबला नहीं कर सकती। आपने उन सहाबा को, जो कुर्बानी नहीं लाए थे, उम्रह करके एहराम खोल डालने का हुक़म दिया। उससे तमतोअ और हज्ज फ़स्ख़ करके उम्रह कर डालने का जवाज़ ष़ाबित हुआ और हज़रत आइशा (रज़ि.) को जो हज्ज की निय्यत कर लेने का हुक़म दिया उससे क़िरान का जवाज़ निकला। भले ही इस रिवायत में उसकी सराहत नहीं है मगर जब उन्होंने हज़ की वजह से उम्रह अदा नहीं किया था और हज्ज करने लगीं तो ये मत्लब निकल आया। ऊपर वाली रिवायतों में उसकी सराहत मौजूद है। (वहीदुज्माँ मरहूम)

1562. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें अबुल अस्वद मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने, उन्हें उर्वा बिन जुबैर ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चले। कुछ लोगों ने उम्रह का एहराम बाँधा था, कुछ ने हज्ज और उम्रह दोनों का और कुछ ने सिर्फ़ हज्ज का। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (पहले) सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधा था, फिर आपने उम्रह भी शरीक कर लिया, फिर जिन लोगों ने हज्ज का एहराम बाँधा था या हज्ज या उम्रह दोनों का, उनका एहराम दसवीं तारीख तक न खुल सका।

(राजेअ 294)

1563. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे हकम ने, उनसे अली बिन हुसैन (हज़रत ज़ैनुल आबेदीन) ने और उनसे मरवान बिन हकम ने बयान किया कि हज़रत उम्मान और अली (रज़ि.) को मैंने देखा है। उम्मान (रज़ि.) हज्ज और उम्रह को एक साथ करने से रोकते थे लेकिन हज़रत अली (रज़ि.) ने उसके वाबजूद दोनों का एक साथ एहराम बाँधा और कहा लब्बैक बिउम्रतिन व हज्जतिन आपने फ़र्माया था कि मैं किसी एक शख्स की बात पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष को नहीं छोड़ सकता।

तशरीह: हज़रत उम्मान (रज़ि.) शायद हज़रत उमर (रज़ि.) की तक्लीद से तमत्तोअ को बुरा समझते थे उनको भी यही ख्याल हुआ आँहज़रत (ﷺ) ने हज्ज को फ़सख़ करार कर जो हुक्म उम्रह का दिया था वो ख़ास था सहाबा (रज़ि.) से। कुछ ने कहा मकरूहे तंज़ीही समझा और चूँकि हज़रत उम्मान (रज़ि.) का ये ख्याल हदीष के खिलाफ़ था। इसलिये हज़रत अली (रज़ि.) ने इस पर अमल नहीं किया और फ़र्माया कि मैं आँहज़रत (ﷺ) की हदीष को किसी के क़ौल से नहीं छोड़ सकता।

मुसलमान भाइयों! ज़रा हज़रत अली (रज़ि.) के इस क़ौल को ग़ौर से देखो, हज़रत उम्मान (रज़ि.) ख़लीफ़-ए-वक़््त और ख़लीफ़ा भी कैसे? ख़लीफ़ा-ए-राशिद और अमीरुल मोमिनीन। लेकिन हदीष के खिलाफ़ उनका क़ौल भी फ़ैक़ दिया गया और खुद उनके सामने उनका खिलाफ़ किया गया। फिर तुमको क्या हो गया है जो तुम इमाम अबू हनीफ़ा या शाफ़िई के क़ौल को लिये रहते हो और सहीह हदीष के खिलाफ़ उनके क़ौल पर अमल करते हो, ये सरीह गुमराही है। अल्लाह के लिये

۱۵۶۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ: وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بِالْحَجِّ، وَأَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَجْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ)). [راجع: ۲۹۴]

۱۵۶۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: ((شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُصْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَ بِهِمَا: لَيْكِ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدْعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ)). [طرفه ب: ۱۵۶۹].

इससे बाज़ आ जाओ और हमारा कहना मानो हमने जो हक़ बात थी वो तुमको बता दी आइन्दा तुमको इख़्तियार है। तुम क़यामत के दिन जब आँहज़रत (ﷺ) के सामने खड़े होंगे अपना उज़्र बयान कर लेना वस्सलाम (मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम)

1564. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि अहले अरब समझते थे कि हज के दिनों में उम्रह करना रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह है। ये लोग मुहर्रम को सफ़र बना लेते और कहते कि जब ऊँट की पीठ सुस्ता ले और उस पर ख़ूब बाल उग जाएँ और सफ़र का महीना ख़त्म हो जाए (या'नी हज के अय्याम गुज़र जाएँ) तो उम्रह हलाल होता है। फिर जब नबी करीम (ﷺ) अपने सहाबा के साथ चौथी की सुबह को हज का एहराम बाँधे हुए आए तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि अपने हज को उम्रह बना लें, ये हुक्म (अरब के पुराने रिवाज के आधार पर) आम सहाबा पर बड़ा भारी गुज़रा। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह! उम्रह करके हमारे लिये क्या चीज़ हलाल हो गई? आपने फ़र्माया कि तमाम चीज़ें हलाल हो जाएँगी। (राजेअ: 1085)

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْغَجْرِ الْفَجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمَحْرَمَ صَفْرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ، وَعَقَا الْأَثَرُ، وَأَسْلَخَ صَفْرَ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اغْتَمَرَ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَهْلَيْنِ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِجْلِ؟ قَالَ: ((حِجْلٌ كُلُّهُ)). [راجع: ١٠٨٥]

तशरीह:

हर आदमी के दिल में क़दीमी रस्मों-रिवाज का बड़ा अषर रहता है। जाहिलियत के ज़माने से उनका ये ए'तिक्राद चला आता था कि हज के दिनों में उम्रह करना बड़ा गुनाह है, उसी वजह से आपका ये हुक्म उन पर गिरा गुज़रा।

ईमान अफ़रोज़ तक्रीर: इस हृदीष के तहत हज़रत मौलाना वहीदुज्जमाँ मरहूम ने एक ईमान अफ़रोज़ तक्रीर हवाला-ए-किरतास फ़र्माई है (या'नी काग़ज़ पर लिखा है) जो अहले बसीरत के मुतालआ के क़ाबिल है।

सहाबा-ए-किराम ने जब कहा या रसूलल्लाहि अय्युल्हल्लिल क़ाल हल्ल कुल्लुहू या'नी या रसूलल्लाह! उम्रह करके हमको क्या चीज़ हलाल होगी। आपने फ़र्माया सब चीज़ें या'नी जितनी चीज़ें एहराम में मना थीं वो सब दुरुस्त हो जाएँगी। उन्होंने ये ख़याल किया कि शायद औरतों से जिमाअ दुरुस्त न हो। जैसे रमी और हलक़ और कुर्बानी के बाद सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं लेकिन जिमाअ दुरुस्त नहीं होता जब तक तवाफ़ुज़ियारत न करे तो आप (ﷺ) ने इशाद फ़र्माया कि नहीं! बल्कि औरतें भी दुरुस्त हो जाएँगी।

दूसरी रिवायत में है कि कुछ सहाबा को उसमें तअम्मुल (भ्रम, असमंजस) हुआ और उनमें से कुछ ने ये भी कहा कि क्या हम हज को इस हाल में जाएँ कि हमारे ज़कर से मनी टपक रही हो। आँहज़रत (ﷺ) को उनका ये हाल देखकर सख़्त मलाल हुआ कि मैं हुक्म देता हूँ और ये उसकी ता'मील में तअम्मुल करते हैं और किन्तु-परन्तु करते हैं। लेकिन जो सहाबा क़वियुल ईमान (ठोस ईमानवाले) थे उन्होंने फ़ौरन आँहज़रत (ﷺ) के इशाद पर अमल कर लिया और उम्रह करके एहराम खोल दिया। पैग़म्बर (ﷺ) जो कुछ हुक्म दें वही अल्लाह का हुक्म है और ये सारी मेहनत और मशक़त उठाने से गर्ज़ क्या है? अल्लाह और रसूल की खुशनुदी। उम्रह करके एहराम खोल डालना तो क्या चीज़ है? आप (ﷺ) जो भी हुक्म दे उसकी ता'मील करना हमारे लिये ऐन सआदत (सौभाग्य) है। जो हुक्म आप दें उसी में अल्लाह की मर्ज़ी है, भले ही सारा ज़माना उसके खिलाफ़ बकता रहे। उनका क़ौल और ख़याल उनको मुबारक रहे। हमको मरते ही अपने पैग़म्बर (ﷺ) के साथ रहना है। अगर बिल फ़र्ज़ दूसरे मुज्ताहिद या इमाम या पीर व मुशिद, दुर्वेश, कुतुब, अब्दाल अगर पैग़म्बर की पैरवी करने में हमसे

खफा हो जाएँ तो हमको उनकी नाराज़गी की ज़रा भी परवाह नहीं है। हमको क़यामत में हमारे पैग़म्बर का साया-ए-आतिफ़त बस करता है। सारे वली और दुर्वेश और गौष और कुतुब और मुज्ताहिद और इमाम उस बारगाह के एक अदना कफ़श बरदार (कैदी) हैं। कफ़श बरदारों को राज़ी रखें या अपने सरदार को अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबिही व ज़ुक्ना शफ़ा अतहू यौमल्लिक़ियामति व हशुर्ना फ़ी जुम्ति इत्तिबाइही व षब्बितना अला मुताब अतिही व लअमलु बिसुन्नतिही आमीन।

1565. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक़ बिन शिहाब ने और उनसे अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में (हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर यमन से) हाज़िर हुआ तो आपने (मुझको उम्रह के बाद) एहराम खोल देने का हुक्म दिया। (राजेअ 155)

۱۵۶۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ بِالْحِجْلِ)).

[راجع: ۱۵۵]

1566. हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया (दूसरी सनद) और इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि हुज़ूर (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा हज़रत हफ़सा (रज़ि.) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा या रसूलुल्लाह! क्या बात है और लोग तो उम्रह करके हलाल हो गये लेकिन आप हलाल नहीं हुए? औ हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने अपने सर की तल्बीद (बालों को जमाने के लिये एक लैसदार चीज़ का इस्ते'माल) की है और अपने साथ हदी (कुर्बानी का जानवर) लाया हूँ इसलिये मैं कुर्बानी करने से पहले एहराम नहीं खोल सकता। (दीगर मक़ाम: 1697, 1725, 4398, 5916)

۱۵۶۶- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنِ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَحْلِلُوا أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَذِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرُ)).

[أطرافه في: ۱۶۹۷، ۱۷۲۵، ۴۳۹۸]

[۵۹۱۶]

1567. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू जमरा नसर बिन इमरान ज़ब्ई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने हज्ज और उम्रह का एक साथ एहराम बाँधा तो कुछ लोगों ने मुझे मना किया। इसलिये मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा। आपने तमत्तोअ करने के लिये कहा। फिर मैंने एक शख़्स को देखा कि मुझसे कह रहा है, हज्ज भी मबरूर हुआ और उम्रह भी कुबूल हुआ मैंने ये ख़वाब इब्ने अब्बास (रज़ि.) को सुनाया, तो आपने फ़र्माया कि ये नबी करीम (ﷺ) की

۱۵۶۷- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّعْمِيُّ قَالَ: ((كَمَنْعَتْ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْعَمَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُقْبَلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سَلِّتَهُ النَّبِيُّ ﷺ

सुन्नत है। फिर आपने फ़र्माया कि मेरे यहाँ क़याम कर, मैं अपने पास से तुम्हारे लिये कुछ मुक़र्रर करके दिया करूँगा। शुअबा ने बयान किया कि मैंने (अबू जमरह से) पूछा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ये क्या किया था? (या'नी माल किस बात पर देने के लिये कहा) उन्होंने बयान किया कि उसी ख़्वाब की वजह से जो मैंने देखा था। (दीगर मक़ाम : 1688)

तशरीह: हज़रत इब्ने अब्बास(रज़ि.) को अबू जमरह का ये ख़्वाब बहुत भला लगा क्योंकि उन्होंने जो फ़त्वा दिया था उसकी स़ेहत उससे निकली। ख़्वाब कोई शरई हुज्जत नहीं है, मगर नेक लोगों के ख़्वाब जब शरई उमूर की तार्ईद में हो तो उनके स़हीह होने का गुमान ग़ालिब होता है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज्जे तमत्तोअ को रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत बतलाया और सुन्नत के मुताबिक़ जो कोई काम करे वो ज़रूर अल्लाह की बारगाह में मक्बूल होगा। सुन्नत के मुवाफ़िक़ थोड़ी सी इबादत भी ख़िलाफ़े सुन्नत की बड़ी इबादत से ज़्यादा ष़्वाब रखती है। उलमा-ए-दीन से मन्कूल है कि अदना सुन्नत की पैरवी जैसे फ़ज़्र की सुन्नतों के बाद लेट जाना दर्जे में बड़े ष़्वाब की चीज़ है। ये सारी नेअमत आँहज़रत (ﷺ) की कफ़श बरदारी की वजह से मिलती है। परवरदिगार को किसी की इबादत की हाज़त नहीं। उसको यही पसंद है कि उसके हबीब (ﷺ) की चाल-ढल इख़ितयार की जाए। हाफ़िज़ (रह.) फ़र्मातेहैं,

व यूखज़ु मिन्हु इक्रामुम्मन अखबरल्मअर्ब बिमा यसुरूहू व फरिहल्आलिमु बिमुवाफ़क़तिही वल्इस्तिस्नासु बिर्रुया लिमुवाफ़क़तिहलीलिशशरई व अज़िरुया अललआलमि वक्तकबीरि इन्दल्मसररति वल्अमलु बिल्अदिल्लतिज़ज़ाहिरति अला इख़ितलाफ़ि अहलिल्इल्मि लियअमल बिर्राज़िहि मिन्दुल्मुवाफ़िक़ लिदलीलि (फ़त्ह) या'नी उससे ये निकला कि अगर कोई भाई किसी के पास कोई खुश करने वाली ख़बर लाए तो वो उसका इकराम करे और ये भी कि किसी आलिम की कोई बात हक़ के मुवाफ़िक़ पड़ जाए तो वो खुशी का इज़हार कर सकता है और ये भी कि शरई दलील के मुवाफ़िक़ कोई ख़्वाब नज़र आ जाए तो उससे दिली मुसरत (खुशी) हासिल करना जाइज़ है और ये भी कि ख़्वाब किसी आलिम के सामने पेश करना चाहिये और ये भी कि खुशी के वक़्त नारा-ए-तक्बीर बुलन्द करना दुरुस्त है और ये भी कि ज़ाहिर दलीलों पर अमल करना जाइज़ है और ये भी कि इख़ितलाफ़ के वक़्त अहले इल्म को तम्बीह की जा सकती है कि वो उस पर अमल करें जो दलील से राजेह़ ष़ाबित हो।

1568. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उनसे अबू शिहाब ने कहा कि मैं तमत्तोअ की निय्यत से उम्रह का एहराम बाँध के यौमे तरविया से तीन दिन पहले मक्का पहुँचा। उस पर मक्का के कुछ लोगों ने कहा अब तुम्हारा हज्ज मक्की होगा। मैं अत्ता बिन अबी रिबाह की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। यही पूछने के लिये। उन्होंने फ़र्माया कि मुझसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ वो हज्ज किया था जिसमें आप (ﷺ) अपने साथ कुर्बानी के ऊँट लाए थे (या'नी हज्जतुल विदाअ) स़हाबा ने सिर्फ़ मुफ़रद हज्ज का एहराम बाँधा था। लेकिन आँहज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि (उम्रह का एहराम बाँध लो और) बैतुल्लाह के त़वाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई के बाद अपने एहराम खोल डालो और बाल तरशवा लो। यौमे तरविया तक बराबर इसी तरह हलाल रहो।

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ قَالَ : قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِمُفْرَدٍ ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَقَالَ لِي أَنَسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ : تَصَيِّرُ الْآنَ حَجَّتَكَ مَكِّيَّةً ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ اسْتَفْتَيْهِ فَقَالَ : ((حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَقِ الْبَيْتِ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ : ((أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَرُوا ثُمَّ

फिर यौमे तरविया में मक्का ही से हज्ज का एहराम बाँधो और इस तरह अपने हज्जे मुफ़रद को जिसकी तुमने पहले निर्यत की थी, अब उसे तमत्तोअ बना लो। सहाबा ने अर्ज किया कि हम उसे तमत्तोअ कैसे बना सकते हैं? हम तो हज्ज का एहराम बाँध चुके हैं। इस पर आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। अगर मेरे साथ हदी न होती तो खुद मैं भी इसी तरह करता जिस तरह तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ अब मेरे लिये कोई चीज़ उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक मेरे कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी न हो जाए। चुनाँचे सहाबा ने आपके हुक्म की ता'मील की। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि अबू शिहाब की इस हदीष के सिवा और कोई मफ़ूअ हदीष मरवी नहीं है। (राजेअ 1556)

أَتَمُّوا حَلَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالسَّحَجِ وَاجْتَلَوْا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مَعَةً))، فَقَالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُهَا مَعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا السَّحَجَ؟ فَقَالَ: ((افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْ لَا أَنِّي سَمَّيْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ بِمِثْلِ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ))، فَقَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو شَيْهَابٍ لَيْسَ لَكَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا هَذَا.

[راجع: 1006]

मक्की हज्ज से ये मुराद है कि मक्का वाले जो मक्का ही से हज्ज करते हैं उनको चूँकि तकलीफ़ और मेहनत कम होती है लिहाज़ा प्रवाब भी ज़्यादा नहीं मिलता। उन लोगों की गर्ज़ ये थी कि जब तमत्तोअ किया और हज्ज का एहराम मक्का से बाँधा, तो अब हज्ज का प्रवाब इतना न मिलेगा जितना हज्जे मुफ़रद में मिलता जिसका एहराम बाहर से बाँधा होता। जाबिर (रज़ि.) ने ये हदीष बयान करके मक्का वालों का रद्द किया और अबू शिहाब का शुब्हा दूर कर दिया कि तमत्तोअ में प्रवाब कम मिलेगा। तमत्तोअ तो सब क़िस्मों में अफ़ज़ल है और उसमें इफ़राद और क़िरान दोनों से ज़्यादा प्रवाब है।

1569. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हज्जाज बिन मुहम्मद आ'वर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उनसे अमर बिन मुरह ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने कि जब हज़रत उम्मान और हज़रत अली (रज़ि.) इस्फ़ान आए तो उनमें बाहम तमत्तोअ के सिलसिले में इख़ितलाफ़ हुआ तो हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जिसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है इससे आप क्यों रोक रहे हैं? इस पर उम्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे अपने हाल पर रहने दो। ये देखकर अली (रज़ि.) ने हज्ज और उम्ह दोनों का एहराम एक साथ बाँधा।

(राजेअ 1563)

١٥٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِجَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْوَرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((إِخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُمَمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهَمَّا بِمُسْتَفَانِ فِي الْمَعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تَرِيدُ إِلَيَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهْلًا بِهِمَا جَمِيعًا))، [راجع:

[1062]

तशरीह:

इस्फ़ान एक जंगह है मक्का से 36 मील पर यहाँ के तरबूज मशहूर हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने गो खुद तमत्तोअ नहीं किया था मगर दूसरे लोगों को उसका हुक्म दिया तो गोया खुद किया। यहाँ ये ए'तिराज़ होता है कि बहष तो तमत्तोअ में थी फिर हज़रत अली (रज़ि.) ने क़िरान किया, उसका मतलब क्या है। जवाब ये है कि क़िरान और तमत्तोअ दोनों का एक ही हुक्म है। हज़रत उम्मान (रज़ि.) दोनों को नाजाइज़ समझते थे। अजीब बात है कुर्आन शरीफ़ में साफ़ ये मौजूद है। फ़मन तमत्तोअ बिल्उमरति इलल्हज्जि और अहदीषे सहीहा मुतअदिद सहाबा की मौजूद हैं। जिनसे ये बात प्राबित होती है कि आँहज़रत (ﷺ) ने तमत्तोअ का हुक्म दिया। फिर उन साहिबों का उससे मना करना समझ में नहीं आता। कुछ ने कहा कि हज़रत उमर और उम्मान (रज़ि.) इस तमत्तोअ से मना करते थे कि हज्ज की निर्यत करके हज्ज का फ़स्ख कर देना

उसको उम्रह बना देना। मगर ये भी सराहतन अहादीष से प्राबित है। कुछ ने कहा कि ये मुमानअत बतौर तंजीह के थी, या'नी तमतोअ को फ़ज़ीलत के खिलाफ़ जानते थे। ये भी सहीह नहीं है, इसलिये कि हदीष से साफ़ ये प्राबित होता है कि तमतोअ सबसे अफ़ज़ल है। हासिले कलाम ये कि ये मुक़ाम मुशकिल है और यही वजह है कि हज़रत उम्मान (रज़ि.) को हज़रत अली (रज़ि.) के मुक़ाबिल कुछ जवाब न बन पड़ा। इस सिलसिले में हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं,

व फ़ी क्रिस्सति उम्मान व अली मिनल्फ़वाइदि इशाअतुल्इल्मि मा इन्दहू मिनल्इल्मि व इज़हारिही व मुनाज़रति वुलातिल्उमूरि व गैरिहिम फ़ी तहक्कीक्रिही लिमन क़विद्युन अला ज़ालिक लिक्कसदिम्मिन्ना सिह्त्तुल्मुस्लिमीन वल्बयानि बिल्फ़ेअलि मअल्क़ौलि व जवाज़ि इस्तिम्बातिम्मिन्स्सि लिअन्न उम्मान लम यख़फ़ अलैहि अन्तमत्तुअ वल्किरान जाइज़ानि व इन्नमा नहा अन्हुमा लियअमूला बिल्अफ़ज़लि कमा वक्रअ लिउमर व लाकिन ख़शिय अला अय्यहमिल गैरहू अन्नहयु अलत्तहरीमि फ़अशाअ जवाज़ ज़ालिक व कुल्लम्मिन्हुमा मुज्त्हिदुन माजूज़ुन (फ़तहूल बारी)

या'नी हज़रत उम्मान और हज़रत अली (रज़ि.) के बयान किये गये वाक़िये में बहुत से फ़वाइद हैं। मषलन जो कुछ किसी के पास इल्म हो उसकी इशाअत करना और अहले इस्लाम की ख़ैर-ख़वाही के लिये अम्मे हक़ का इज़हार करना यहाँ तक कि अगर मुसलमान हाकिमों से मुनाज़रा तक की नौबत आ जाए तो ये भी कर डालना और किसी अम्मे हक़ का सिर्फ़ बयान ही न करना बल्कि उस पर अमल भी करके दिखलाना और नस्स से किसी मसले का इस्तिम्बात करना। क्योंकि हज़रत उम्मान (रज़ि.) से ये चीज़ छुपी हुई न थी हज्जे तमतोअ और क़िरान भी जाइज़ हैं मगर उन्होंने अफ़ज़ल पर अमल करने के ख़्याल से तमतोअ को मना फ़र्माया। जैसा कि हज़रत उमर (रज़ि.) से भी वाक़िया हुआ और हज़रत अली (रज़ि.) ने उसे इस पर महमूल कर लिया कि अवामुत्रास कहीं इस नहीं को तहरीम पर महमूल न कर ले। इसलिये उन्होंने उसके जवाज़ का इज़हार किया बल्कि अमल भी करके दिखला दिया। पस उनमें दोनों ही मुज्त्हिद हैं और दोनों को अज़ो-षवाब मिलेगा।

इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि नेक निय्यती के साथ कोई फ़ुरूई इख़ितलाफ़ वाक़ेअ हो तो उस पर एक-दूसरे को बुरा-भला नहीं कहना चाहिये। बल्कि सिर्फ़ अपनी तहक्कीक़ पर अमल करते हुए दूसरे का मुआमला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिये। ऐसे फ़ुरूई उमूर में इख़ितलाफ़े फ़हम (समझ का फेर) का होना कुदरती चीज़ है। जिसके लिये सैकड़ों मिषालें सलफ़े-सालेहीन में मौजूद हैं। मगर स़द अफ़सोस कि आज के दौर के कम-फ़हम उलमा ने ऐसे ही इख़ितलाफ़ात को राई का पहाड़ बनाकर उम्मत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। अल्लाहुम्महम अला उम्मति हबीबिक

बाब 35 : अगर कोई लब्बैक में हज्ज का नाम ले ۳۵- بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَاءُ

या'नी लब्बैक हज्ज की पुकारे और हज्ज का एहराम बाँधे तब भी मक्का में पहुँचकर हज्ज को फ़स्ख़ कर सकता है और उम्रह करके एहराम खोल सकता है।

1570. हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, कहा कि मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आए तो हमने हज्ज की लब्बैक पुकारी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया तो हमने उसे उम्रह बना लिया।

۱۵۷۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((أَلْبَيْتًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَخَنُ قَوْلُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجَعَلَنَاهَا عُمْرَةً)).

[راجع: ۱۵۵۹]

बाब 36 : नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में

۳۶- بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ

तमत्तोअ का जारी होना

ﷺ

1571. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हममाम बिन यह्या ने क़तादा से बयान किया, कहा कि मुझसे मुत्तरिफ़ ने इमरान बिन हुसैन से बयान किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हमने तमत्तोअ किया था और ख़ुद कुआन में तमत्तोअ का हुक्म नाज़िल हुआ था। अब एक शख़्स ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

(दीगर मक्कम : 4518)

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تَمَتَّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ)).

[طرفه في : ٤٥١٨].

बाब 37 : अल्लाह का सूरह बकर: में ये फ़र्मांना

तमत्तोअ या कुर्बानी का हुक्म उन लोगों के लिये है जिनके घर वाले मस्जिदे हराम के पास न रहते हों

٣٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

तशरीह:

इख़्तिलाफ़ है कि हाज़िरिल मस्जिदिल हराम कौन लोग हैं। इमाम मालिक के नज़दीक अहले मक्का मुराद हैं। कुछ के नज़दीक अहले हरम। हमारे इमाम अहमद बिन हंबल और शाफ़िई का क़ौल है कि वो लोग मुराद हैं जो मक्का से मसाफ़ते क़सर के अंदर रहते हों। हन्फ़िया के नज़दीक मक्का वालों को तमत्तोअ दुरुस्त नहीं और शाफ़िई वग़ैरह का क़ौल है कि मक्का वाले तमत्तोअ कर सकते हैं लेकिन उन पर कुर्बानी या रोज़े वाजिब नहीं और ज़ालिक का इशारा उसी तरफ़ है या'नी ये कुर्बानी और रोज़ा का हुक्म। हन्फ़िया कहते हैं कि ज़ालिक का इशारा तमत्तोअ की तरफ़ है या'नी तमत्तोअ उसी को जाइज़ है जो मस्जिदे हराम के पास न रहता हो या'नी आफ़ाकी हो। (वहीदी)

1572. और अबू कामिल फ़ुज़ैल बिन हुसैन बज़री ने कहा कि हमसे अबू मअशर यूसुफ़ बिन यज़ीद बरा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्मान बिन ग़याब्र ने बयान किया, उनसे इक्सिमा ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने, इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हज्ज में तमत्तोअ के बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया कि हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर मुहाजिरीन अंसार नबी करीम (ﷺ) की अज़्वाज और हम सबने एहराम बाँधा था। जब हम मक्का आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने एहराम को हज्ज और इम्रह दोनों के लिये कर लो लेकिन जो लोग कुर्बानी का जानवर अपने साथ लाए हैं (वो इम्रह करने के बाद हलाल नहीं होंगे) चुनाँचे हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई कर ली तो अपना एहराम खोल डाला और हम अपनी बीवियों के पास गये और सिले हुए कपड़े पहने। आपने फ़र्माया था कि जिसके साथ कुर्बानी का जानवर है उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकता जब तक हदी अपनी जगह न पहुँच ले (या'नी

١٥٧٢ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنَى الْبَرَاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَبَّلَ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ: فَقَالَ ((أَهْلُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَأَهْلُنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اجْعَلُوا إِهْلَاكَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةَ إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، طَفَأَ بِالنِّسَاءِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ

कुर्बानी न हो ले) हमें (जिन्होंने हदी साथ नहीं ली थी) आप (ﷺ) ने आठवीं तारीख की शाम को हुक्म दिया कि हम हज का एहराम बाँध लें। फिर जब हम मनासिके हज से फ़ारिग हो गये तो हमने आकर बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई की, फिर हमारा हज पूरा हो गया और अब कुर्बानी हम पर लाजिम हुई। जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है, जिसे कुर्बानी का जानवर मयस्सर हो (तो वो कुर्बानी करे) और अगर किसी को कुर्बानी की ताक़त न हो तो तीन रोजे हज में और सात दिन घर वापस होने पर रखे (कुर्बानी में) बकरी भी काफ़ी है। तो लोगों ने हज और उम्रह दोनों इबादतें एक ही साल में एक साथ अदा कीं। क्योंकि अल्लाह तआला ने खुद अपनी किताब में ये हुक्म नाज़िल किया था और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर खुद अमल करके तमाम लोगों के लिये जाइज़ करार दिया था। अल्बत्ता मक्का के बाशिन्दों का इससे इस्तिज़्ना है। क्योंकि अल्लाह तआला का फ़र्मान है, ये हुक्म उन लोगों के लिये है जिनके घर वाले मस्जिदुल हुराम के पास रहने वाले न हों और हज के जिन महीनों का कुर्बानि में जिक्र है वो शव्वाल, ज़िक्रअद और ज़िल्हिज्ज हैं। इन महीनों में जो कोई भी तमत्तोअ करे वो या कुर्बानी दे या अगर मक्दूर (सामर्थ्य) न हो तो रोज़े रखे और रफ़घुन का मा'नी जिमाअ (या फ़हश बातें) और फुसूक गुनाह और जिदाल लोगों से झगड़ना।

बाब 38 : मक्का में दाख़िल होते वक़्त गुस्ल करना

1573. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उन्हें अय्यूब सुखितयानी ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने, उन्होंने बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हरम की सरहद के पास पहुँचते तो तल्बिया कहना बन्द कर देते। रात ज़ी तवा में गुज़ारते, सुबह की नमाज़ वहीं पढ़ते और गुस्ल करते (फिर मक्का में दाख़िल होते) आप बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे। (राजेअ : 1553)

مَجَلَّةٌ)) ثُمَّ أَمَرْنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نَهْلُ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَعْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جُنَا لَطْفُنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّأُ تَجْزِي. فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي غَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ)). وَالرَّقْتُ الْجَمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

۳۸- بَابُ الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ

مَكَّةَ

۱۵۷۳- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ. ثُمَّ بَيَّنْتُ بِيَدِي طَوِي، ثُمَّ يُصَلِّي بِدِ الصُّبْحِ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [رَاجِع: ۱۵۵۳]

ये गुस्ल हर एक के लिये मुस्तहब है गोया वो हाइज़ा हो या निफ़ास वाली औरत हो। अगर कोई तन्दईम से उम्रे का एहराम बाँधकर आए तो मक्का में घुसते वक़्त फिर गुस्ल करना मुस्तहब नहीं क्योंकि तन्दईम मक्का से बहुत करीब है। अल्बत्ता अगर दूर से एहराम बाँधकर आया हो जैसे जिअराना या हुदैबिया से तो फिर गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। (क़स्तलानी रह)

बाब 39 : मक्का में रात और दिन में दाख़िल होना بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

नुस्खा मत्बूआ मिस्र में उसके बाद इतनी इबारत ज़्यादा है, बातन्नबिय्यु (ﷺ) बिज़ीतवा हत्ता अस्बह घुम्म दख़ल मक्कत या'नी आप रात को ज़ी त़वा में रह गए सुबह तक फिर मक्का में दाख़िल हुए। बाब के तर्जुमा में रात को भी दाख़िल होना मज़कूर है। लेकिन कोई हदी़ इस मज़मून की हज़रत इमाम बुखारी (रह.) नहीं लाए। अस्हाबे सुन्न ने रिवायत किया कि आप जिअराना के उम्रह में मक्का में रात को दाख़िल हुए और शायद इमाम बुखारी (रह.) ने इस तरफ़ इशारा किया। कुछ ने यूँ जवाब दिया कि ज़ी त़वा खुद मक्का में है और आप शाम को वहाँ पहुँचे थे तो उससे रात में दाख़िल होने का जवाज़ निकल आया। बहरहाल रात हो या दिन दोनों हाल में दाख़िल होना जाइज़ है।

हाफ़िज़ साहब फ़माते हैं, व अम्महुख़ूलु लैलन फ़लम यक़अ मिन्हु (ﷺ) इल्ला फ़ी उमरतिल्जिअरानति फइन्नहू (ﷺ) अहरम मिनल्जिअरानति व दख़ल मक्कत लैलन फ़कज़ा अमरल्उमरति घुम्म रजअ लैलन फअस्बह बिल्जिअरानति कबाइतिन कमा रवाहुस्सुननिफ़लाप्रति मन हदी़ि मिअरशिल्कअबी व तरज्जम अलैहिन्नसई दुख़ूल मक्कत लैलन व रवा सअदुब्नु मन्सूरिन अन इब्राहीम अन्नखड़ क़ाल कानू यस्तहिब्बून अय्यदख़ूलू मक्कत नहारन व यख़रूजु मिन्हा लैलन व अख़ज अन अताइन इन शिअतुम फदख़ूलू लैलन इन्नकुम लस्तुम करसूलिल्लाहि (ﷺ) अन्नहू कान इमामुन फअहब्बु अय्यदख़ूलुहा नहारन लियराहुन्नास इन्तिहा व कज़िय्यतु हाज़ा इन्न मन कान इमामन युक्तदा बिही अस्तहिब्बु लहू अय्यदख़ूलुहा नहारन

या'नी आँहज़रत (ﷺ) का मक्का शरीफ़ में रात को दाख़िल होना ये सिर्फ़ उम्रह-ए-जजअराना में प्राबित है जबकि आपने जजअराना से एहराम बाँधा और रात को आप मक्का शरीफ़ में दाख़िल हुए और उसी वक़्त उम्रह करके रात ही को वापस हो गए और सुबह आपने जजअराना ही में की। गोया आपने सारी रात यहीं गुज़ारी है जैसा कि अस्हाबे सुन्नने प्रलाप्रह ने रिवायत किया है। बल्कि निसाई ने इस पर बाब बाँधा कि मक्का में रात को दाख़िल होना और इब्राहीम नख़ई से मरवी है कि वो मक्का शरीफ़ में दिन को दाख़िल होना मुस्तहब जानते थे और रात को वापस होना और अत्ता ने कहा कि अगर तुम चाहो रात को दाख़िल हो जाओ तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसे नहीं हो, आप (ﷺ) इमाम और मुक्तदा थे, आपने इसी को पसंद किया कि दिन में आप दाख़िल हों और लोग आपको देखकर मुत्मईन हों। खुलासा ये कि जो कोई भी इमाम हो उसके लिये यही मुनासिब है कि दिन में मक्का शरीफ़ में दाख़िल हो।

1574. हमसे मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान किया, आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ी तुवा में रात गुज़ारी। फिर जब सुबह हुई तो आप मक्का में दाख़िल हुए। इब्ने उमर (रज़ि.) भी इसी तरह किया करते थे।

(राजेअ: 1553)

बाब 40 : मक्का में किधर से दाख़िल हों

1575. हमसे इब्राहीम बिन मुँज़िर ने बयान किया, उनसे

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَاتَ النَّبِيُّ

ﷺ بِلَيْ طُوى حَتَّى أَمْتَحَ ثُمَّ دَخَلَ

مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

يَقَعُلُهُ)). [راجع: ١٥٥٣]

٤٠ - بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ:

मअन बिन ईसा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में बुलंद घाटी (या'नी जन्नतुल मुअल्ला) की तरफ़ से दाख़िल होते और निकलते षनिय्या सुफ़्ला की तरफ़ से या'नी नीचे की घाटी (बाबे शबीकत) की तरफ़ से। (दीगर मक़ाम 1576)

बाब 41 : मक्का से जाते वक़्त कौनसी राह से जाए

1576. हमसे मुसद्द बिन मुसहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इमरी ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) षनिय्या इलिया या'नी मुक़ामे कदाअ की तरफ़ से दाख़िल होते जो बह्रा में है। और षनिय्या सुफ़्ला की तरफ़ से निकलते थे या'नी नीचे वाली घाटी की तरफ़ से।

(राजेअ 1575)

तशरीह :

इन हदीषों से मा'लूम हुआ कि मक्का में एक राह से आना और दूसरी राह से जाना मुस्तहब है। नुस्खा मन्बूआ मिस्र में यहाँ इतनी इबारत ज्यादा है, क़ाल अबू अब्दिल्लाहि कान युकालु हुव मुसद्द कइस्मिही क़ाल अबू अब्दिल्लाहि समिअतु यह्या बिन मईन यकूलु समिअतु यह्या बिन सईद अलक़त्तान यकूलु लौ अन्न मुसद्द अतैतुहू फ़ी बैतिही फहदष्टुहू लिइस्हाक़ ज़ालिक व मा उबाली कुतुबी कानत इन्दी औ इन्द मुसद्द या'नी इमाम बुखारी (रह.) ने कहा मुसद्द इस्मे बामुस्मा थे या'नी मुसद्द के मा'नी अरबी जुबान में मज़बूत और दुरुस्त के हैं तो वो हदीष की रिवायत में मज़बूत और दुरुस्त थे और मैंने यह्या बिन मुईन से सुना, वो कहते हैं मैंने यह्या क़त्तान से सुना, वो कहते थे अगर मैं मुसद्द के घर जाकर उनको हदीष सुनाया करता तो वो इसके लायक़ थे और मेरी किताबें हदीष की मेरे पास रहीं या मुसद्द के पास मुझे कुछ परवाह नहीं। गोया यह्या क़त्तान ने मुसद्द की बेहद तारीफ़ की।

1577. हमसे हुमैदी और मुहम्मद बिन मुषत्रा ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन इययना ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन इर्वा ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में तशरीफ़ लाए तो ऊपर की बुलन्द जानिब से शहर के अंदर दाख़िल हुए और (मक्का से) वापस जब गये तो नीचे की तरफ़ से निकल गये।

(दीगर मक़ाम 1578, 1579, 1580, 1581, 4290, 4291)

حَدَّثَنِي مَعْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَالِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ النَّبِيَةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّبِيَةِ السُّفْلَى).

[طرفه في : 1076]

٤١- بابُ من أين يخرجُ من مكة
١٥٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ نَالِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ مِنَ النَّبِيَةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّبِيَةِ السُّفْلَى). [راجع : 1070]

١٥٧٧- حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا).

[أطرافه في : 1078, 1079, 1080,

1081, 4290, 4291]

1578. हमसे महमूद बिन गीलान मरवज़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया। उनसे उनके वालिद उर्वा बिन जुबैर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर शहर में कदाअ की तरफ़ से दाख़िल हुए और कुदा की तरफ़ से निकले जो मक्का के बुलन्द जानिब है। (राजेअ 1577)

1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدَا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ)). [راجع: 1577]

कदाअ बिल मद एक पहाड़ है मक्का के नज़दीक और कुदाअ बिज़्जम काफ़ भी एक दूसरा पहाड़ है जो यमन के रास्ते है। ये रिवायत बज़ाहिर अगली रिवायतों के ख़िलाफ़ है। लेकिन किरमानी ने कहा कि ये फ़तहे मक्का का ज़िक्र है और अगली रिवायतों में हज्जतुल विदाअ का। हाफ़िज़ ने कहा ये रावी की ग़लती है और ठीक ये है कि आप कदाअ या 'नी बुलन्द जानिब से दाख़िल हुए थे ये इबारत मिआला कदा मक्कत के बारे में है न कदाअ बिल क़सर से। (वहीदी)

1579. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह इब्ने वहब ने बयान किया, कहा कि हमें अमर बिन हारिष ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उर्वा ने, उन्हें उनके वालिद उर्वा बिन जुबैर ने और उन्हें आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर दाख़िल होते वक़्त मक्का के बालाई इलाक़े कदाअ से दाख़िल हुए। हिशाम ने बयान किया कि उर्वा अगरचे कदाअ और कुदा दोनों तरफ़ से दाख़िल होते थे लेकिन अक़षर कदाअ से दाख़िल होते क्योंकि ये रास्ता उनके घर से करीब था। (राजेअ: 1577)

1579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ)). قَالَ هِشَامُ وَكَانَ عُرْوَةَ يَدْخُلُ عَلَى كِلَيْهِمَا - مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَا - وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. [راجع: 1577]

1580. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हातिम बिन इस्माईल ने हिशाम से बयान किया, उनसे उर्वा ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर मक्का के बालाई इलाक़े कदाअ की तरफ़ से दाख़िल हुए थे। लेकिन उर्वा अक़षर कदाअ की तरफ़ से दाख़िल होते थे क्योंकि ये रास्ता उनके घर से करीब था। (राजेअ: 1577)

1580 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَوَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ عُرْوَةَ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ)). [راجع: 1577]

1581. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने अपने बाप से बयान किया, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर कदाअ से दाख़िल

1581 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةَ

हुए थे। उर्वा खुद अगरचे दोनों तरफ से (कदाअ और कुदा) दाखिल होते लेकिन अक़बर कदाअ की तरफ से दाखिल होते थे क्योंकि ये रास्ता उनके घर से करीब था। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि कदाअ और कुदा दो मक़ामात के नाम हैं।

बाब 42 : फ़ज़ाइले मक्का और का'बा की बिना का बयान

और अल्लाह तआला का इर्शाद, और जबकि मैंने ख़ान-ए-का'बा को लोगों के लिये बार बार लौटने की जगह बना दिया और उसको अमन की जगह कर दिया और (मैंने हुक्म दिया) कि मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ और मैंने इब्राहीम और इस्माईल से अहद लिया कि वो दोनों मेरे मकान को तवाफ़ करने वालों और ए'तिकाफ़ करने वालों और रुकूअ सज्दा करने वालों के लिये पाक कर दें। ऐ अल्लाह! इस शहर को अमन की जगह कर दे और यहाँ के इन रहने वालों को फलों से रोज़ी दे जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान लाएँ सिर्फ़ उनको, उसके जवाब में अल्लाह तआला ने फ़र्माया और जिसने कुफ़्र किया उसको मैं दुनिया में चंद रोज़ मज़े करने दूँगा फिर उसे दोज़ख़ के अज़ाब में खींच लाऊँगा और वो बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहीम व इस्माईल (अलैहिमस्सलाम) ख़ान-ए-का'बा की बुनियाद उठा रहे थे (तो वो यूँ दुआ कर रहे थे) ऐ हमारे रब! हमारी इस कोशिश को कुबूल फ़र्मा। तू ही हमारी (दुआओं को) सुनने वाला और (हमारी निर्यतों को) जानने वाला है। ऐ हमारे रब! हमें अपना फ़र्माबरदार बना और हमारी नस्ल से एक जमाअत बना जो तेरी फ़र्माबरदार हो। हमको अहकामे हज्ज सिखा और हमारे हाल पर तवज्जह फ़र्मा कि तू बहुत ही तवज्जह फ़र्माने वाला है और बड़ा रहीम है। (अल बकर : 125-128)

1582. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अमर बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि (जमान-ए-जाहिलियत में) जब का'बा की ता'मीर हुई तो नबी करीम (ﷺ) और अब्बास (रज़ि.) भी पत्थर उठाकर ला रहे थे। अब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ)

يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَدَاءٌ وَكُدَاءٌ مَوْضِعَانِ.

[راجع: 1077]

٤٢- بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبَيْتِهَا

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة:

[١٢٨-١٢٥]

١٥٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((لَمَّا بُيِّتَ الْكَعْبَةَ ذَهَبَ

स कहा कि अपना तहबन्द उतारकर काँधे पर डाल लो (ताकि पत्थर उठाने में तकलीफ न हो) आँहुजूर (ﷺ) ने ऐसा किया तो नंगे होते ही बेहोश होकर आप ज़मीन पर गिर पड़े और आपकी आँखें आसमान की तरफ़ लग गईं। आप कहने लगे मुझे मेरा तहबन्द दे दो। फिर आप (ﷺ) ने उसे मज़बूत बाँध लिया। (राजेअ: 126)

तशरीह: उस ज़माने में मेहनत-मज़दूरी के समय नंगे होने में बुराई नहीं समझी जाती थी। लेकिन चूँकि ये काम मुरुब्बत और ग़ैरत के खिलाफ़ था, अल्लाह ने अपने हबीब के लिये उस वक़्त भी ये गवारा न किया हालांकि उस वक़्त तक आपको पैगम्बरी नहीं मिली थी।

1583. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (र.ह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने कि अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबीबक्र ने उन्हें ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन इमर (र.जि.) ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की पाक बीवी हज़रत आइशा सिद्दीका (र.जि.) ने कि आँहुजूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया क्या तुझे मा'लूम है जब तेरी क़ौम ने का'बा की ता'मीर की तो बुनियादे इब्राहीम को छोड़ दिया था मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (ﷺ)! फिर आप बुनियादे इब्राहीम पर उसको क्यूँ नहीं बना देते? आपने फ़र्माया कि अगर तुम्हारी क़ौम का ज़माना कुफ़्र से बिलकुल नज़दीक न होता तो मैं बेशक ऐसा कर देता।

अब्दुल्लाह बिन इमर (र.जि.) ने कहा कि अगर आइशा सिद्दीका (र.जि.) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है (और यक़ीनन हज़रत आइशा र.जि. सच्ची हैं) तो मैं समझता हूँ यही वजह थी जो आँहुजूर (ﷺ) हत्तीम से मुत्तसिल (लगी हुई) दीवारों के जो कोने हैं उनको नहीं चूमते थे क्योंकि ख़ान-ए-का'बा इब्राहीमी बुनियादों पर पूरा न हुआ था। (राजेअ: 126)

तशरीह: क्योंकि हत्तीम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बिना में का'बा में दाख़िल था। कुरैश ने पैसा कम होने की वजह से का'बा को छोटा कर दिया और हत्तीम की ज़मीन का'बा के बाहर छूटी हुई रहने दी। इसलिये तवाफ़ में हत्तीम को शामिल कर लेते हैं। (वहीदी)

1584. हमसे मुसद्द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबुल अहवस सलाम बिन सुलैम ने बयान किया, उनसे

النَّبِيِّ ﷺ وَعَبَّاسُ يُنْقَلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ
الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ لِإِرَاكَ عَلَيَّ
رَقِيْعًا، فَعَمَرَ إِلَى الْأَرْضِ، فَطَمَحَتْ عَنَّا
إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَرَبِي إِرَارِي، فَشَدَّهُ
عَلَيْهِ)). [راجع: ١٢٦]

١٥٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ لَهَا: ((أَلَمْ تَرِي أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ
بَنَوْا الْكَعْبَةَ أَتَصَرَّوْا عَنْ قَوَاعِدِ
إِبْرَاهِيمَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا
تَرَدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: ((لَوْ لَا
حَدَّثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ)).

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَئِنْ كَانَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
تَرَكَ اسْتِئْلَامَ الرُّسْتَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ
إِلَّا أَنْ اتَّيْتَهُ لَمْ يُنْعِمَ عَلَيَّ قَوَاعِدِ
إِبْرَاهِيمَ. [راجع: ١٢٦]

١٥٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ عَنْ الْأَسْوَدِ

अशअष ने बयान किया, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या हत्तीम भी बैतुल्लाह में दाखिल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ, फिर मैंने पूछा कि फिर लोगो ने उसे का'बा में क्यों नहीं शामिल किया? आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि तुम्हारी क्रौम के पास खर्च की कमी पड़ गई थी। फिर मैंने पूछा कि ये दरवाज़ा क्यों ऊँचा बनाया? आपने फ़र्माया कि ये भी तुम्हारी क्रौम ही ने किया ताकि जिसे चाहें अंदर आने दें और जिसे चाहें रोक दें। अगर तुम्हारी क्रौम की जाहिलियत का ज़माना ताज़ा-ताज़ा न होता और मुझे इसका डर न होता कि उनके दिल बिगड़ जाएँगे तो इस हत्तीम को भी मैं ख़ान-ए-का'बा में शामिल कर देता और का'बा का दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। (राजेअ 126)

1585. हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिदीका (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, अगर तुम्हारी क्रौम का ज़माना कुफ़्र से अभी ताज़ा न होता तो मैं ख़ान-ए-का'बा को तोड़कर उसे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियाद पर बनाता क्योंकि कुरैश ने उसमें कमी कर दी है। उसमें एक दरवाज़ा और उस दरवाज़े के मुक़ाबिल रखता। अबू मुआविया ने कहा हमसे हिशाम ने बयान किया। हदीष में ख़ल्फ़ से दरवाज़ा मुराद है। (राजेअ 126)

तशरीह:

अब का'बा में एक ही दरवाज़ा है वो भी आदमी के क़द से ज़्यादा ऊँचा है। दाखिले के वक़्त लोग बड़ी मुश्किल से सीढ़ी पर चढ़कर का'बा के अंदर जाते हैं और एक ही दरवाज़ा होने से उसके अंदर ताज़ी हवा मुश्किल से आती है। दाखिले के लिये का'बा शरीफ़ को हज के दिनों में बहुत थोड़ी मुद्दत के लिये खोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि 1351 हिजरी के हज में का'बा शरीफ़ में मुतर्जिम को दाखिला नसीब हुआ था। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक

1586. हमसे बयान बिन अमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन रूमान ने बयान किया, उनसे उर्वा ने और उनसे

بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَنَرِ أَمِنَ النَّبِيُّ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قُلْتُ: لِمَا لَهُمْ لَمْ يَدْخِلُوهُ فِي النَّبِيِّ؟ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكَ فَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)).

قُلْتُ: لِمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَّ ذَلِكَ قَوْمَكَ لِيَدْخِلُوا مِنْ شَاءُوا وَيَسْتَنْوُوا مِنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثَ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنَكِّرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَنَرُ فِي النَّبِيِّ وَأَنْ أَلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ)). [راجع: 126]

١٥٨٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ لَا حَدَاثَةُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ النَّبِيَّةَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَإِنْ فُرِشْنَا اسْتَفْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا)). قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ:

خَلْفًا يَعْنِي بَابًا. [راجع: 126]

١٥٨٦- حَدَّثَنَا يَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

उम्मुल मोमिनीन हजरत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा (रज़ि.)! अगर तेरी कौम का ज़माना जाहिलियत अभी ताज़ा न होता, तो मैं बैतुल्लाह को गिराने का हुक्म दे देता ताकि (नई ता'मीर में) इस हिस्से को भी दाखिल कर दूँ जो उससे बाहर रह गया है और उसकी कुर्सी ज़मीन के बराबर कर दूँ और उसके दो दरवाज़े बना दूँ, एक मशरिफ़ में और एक मशरिब में। इस तरह इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियाद पर उसकी ता'मीर हो जाती। अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) का का'बा को गिराने से यही मक़सद था। यज़ीद ने बयान किया कि मैं उस वक़्त मौजूद था जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) ने उसे गिराया था और उसकी नई ता'मीर करके हत्तीम को उसके अंदर कर दिया था। मैंने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की ता'मीर के पाए भी देखे जो ऊँट की कोहान की तरह थे। जर्री बिन हाज़िम ने कहा कि मैंने उनसे पूछा, उनकी जगह कहाँ है? उन्होंने फ़र्माया कि मैं अभी दिखाता हूँ। चुनाँचे मैं उनके साथ हत्तीम में गया और आपने एक जगह की तरफ़ इशारा करके कहा कि ये वो जगह है। जर्री ने कहा कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो जगह हत्तीम में से छः हाथ होगी या ऐसी ही कुछ।

(राजेअ 126)

तशरीह:

मा'लूम हुआ कि कुल हत्तीम की ज़मीन का'बा में शरीक न थी क्योंकि परनाले से लेकर हत्तीम की दीवार तक सत्रह हाथ जगह है और एक तिहाई हाथ दीवार का अर्ज दो हाथ और तिहाई है। बाकी 5 हाथ हत्तीम के अंदर है। कुछ कहते हैं कुल हत्तीम की ज़मीन का'बा में शरीक थी और हजरत उमर (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त में इम्तियाज़ (फ़र्क) के लिये हत्तीम के गिर्द एक छोटी सी दीवार उठा दी। (वहीदी)

जिस मुक़दस जगह पर आज खान-ए-का'बा की इमारत है ये वो जगह है जहाँ फ़रिशतों ने पहले-पहल इबादते इलाही के लिये मस्जिद ता'मीर की थी। कुआन मजीद में है, इन्न अब्वन बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक़त मुबारकव्व हुदन लिल आलमीन (आले इमरान : 96) या'नी अल्लाह की इबादत के लिये और लोगों की हिदायत के लिये बरकत वाला घर जो सबसे पहले दुनिया के अंदर ता'मीर हुआ वो मक्का शरीफ़ वाला घर है।

इब्ने अबी शौबा, इस्हाक़ बिन राहवै, अब्द बिन हुमैद, हर्ष बिन अबी उसामा, इब्ने जर्री, इब्ने अबी हातिम और बैहकी ने हजरत अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) से रिवायत किया है, इन्न रज़ुलन क़ाल लहू अ ला तुख़िबरनी अनिल्लबैति वुज़िअ फिलअर्ज़ि क़ाल ला व लाकिन्नहू अब्वलु बैतिन वुज़िअ लिन्नासि फीहिल्लबर्कतु वलहुदा व मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहू कान अम्ननएक शख़्स ने हजरत अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) से पूछा कि आया वो सबसे पहला मकान है जो रूए ज़मीन पर बनाया गया तो आपने इर्शाद फ़र्माया कि ये बात नहीं है बल्कि ये मुतबर्क मुक़ामात में सबसे पहला मुक़ाम है जो लोगों के लिये ता'मीर किया गया इसमें बरकत और हिदायत है और मुक़ामे इब्राहीम है जो शख़्स वहाँ दाख़िल हो जाए उसको अमन मिल जाता है।

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِأَنْتِ فَهَيْمٍ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَّغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ)). فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ: وَشَهَدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْمَةِ الْإِبِلِ. قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أَرِنَاكَ الْآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَيَّ مَكَانَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَزْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

[راجع: ١٢٦]

हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) का बैतुल्लाह को ता'मीर करना :

अब्दुर्रज़ाक़, इब्ने ज़रार, इब्ने मुज़िर, हज़रत अता से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, क़ाल आदमु अय रब्बि मा ली ला अस्मउ अस्वातल्मलाइकति क़ाल लिखती अतिक व लाकिन इहबित इलल्अर्ज़ि फब्नि ली बैतन घुम्म अहफिफ बिही कमा राइतल्मलाइकत तहुफ़फु बैतियल्लज़ी फिस्समाइ फज़अमन्नासु अन्नहू खम्सत अज्बुलिन मिन हरा व लबनान व तूरि ज़ीता व तूरि सीना व लज़ूदी फकान हाज़ा बना आदमु हत्ता बनाहु इब्राहीमु बअद (तर्जुमा) हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि परवरदिगार क्या बात है कि मुझे फ़रिश्तों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इशादि इलाही हुआ ये तुम्हारी उस लज़िश का सबब है जो शज़रे मन्नुआ के इस्ते'माल के बाअिष तुमसे हो गई। लेकिन एक सूत अभी बाकी है कि तुम ज़मीन पर उतरो और हमारे लिये एक मकान तैयार करो और उसको घेरे रहो जिस तरह तुमने फ़रिश्तों को देखा है कि वो हमारे मकान को जो आसमान पर है घेरे हुए हैं। लोगों का ख्याल है कि इस हुक्म की बिना पर हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) ने कोहे हिरा, तूरे ज़ेता, तूरे सीना और जूदी ऐसे पाँच पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह शरीफ़ की ता'मीर की, यहाँ तक कि उसके आषार मिट गए तो हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने उसके बाद नये सिरे से उसकी ता'मीर की। इब्ने ज़रार, इब्ने अबी ह्वातिम और तब्बानी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया लम्मा अहबतल्लाहु आदम मिनल्जन्नति क़ाल इन्नी मुहबितन मअक बैतन युताफु हौलहू कमा युताफु हौल अशीं व युसल्ली इन्दहू कमा युसल्ली इन्द अशीं फलम्मा कान जमनत्तूफानि रफअहुल्लाहु इलैहि फकानतिल्अम्बिया यहुज्जूनहू व ला यअलमून मकानहू हत्ता तवल्लाहुल्लाहु बअद लिइब्राहीम व आलमहू महानहू फबनाहु मिन खम्सति अज्बुलिन हरा व लबनान व प्रबीर व जबलुत्तूर व जबलुल्हमर व हुव जबलु बैतिल्मक्दिस

(तर्जुमा) अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम (अलैहिस्सलाम) को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो इशादि फ़र्माया कि मैं तुम्हारे साथ एक घर भी उतारूँगा। जिसका त्वाफ़ उसी तरह किया जाता है जैसा कि मेरे अर्श का त्वाफ़ होता है और उसके पास नमाज़ उसी तरह अदा की जाएगी जिस तरह की मेरे अर्श के पास अदा की जाती है। फिर जब तूफ़ाने नूह का ज़माना आया तो अल्लाह तआला ने उसको उठा लिया। उसके बाद अंबिया (अलैहिस्सलाम) बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज तो किया करते थे मगर उसका मुक़ाम किसी को मा'लूम न था। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उसका पता हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को दिया और उसकी जगह दिखा दी तो आपने उसको पाँच पहाड़ों से बनाया। कोहे हिरा, लिब्नान प्रबीर, जबलुल हम्र, जबलुत्तूर (जबलुल हम्र को जबले बैतुल मक्दिस भी कहते हैं)।

अज़रकी और इब्ने मुज़िर ने हज़रत वहब बिन मुनब्बह से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम (अलैहिस्सलाम) की तौबा कुबूल की तो उनको मक्का मुकर्रमा जाने का इशादि हुआ। जब वो चलने लगे तो ज़मीन और बड़े-बड़े मैदान लपेटकर मुख्तसर कर दी गई। यहाँ तक कि एक एक मैदान जहाँ से वो गुज़रते थे एक क़दम के बराबर हो गया और ज़मीन में जहाँ कहीं समुन्दर या तालाब थे उनके दहाने में इतने छोटे कर दिए गये कि एक क़दम में उस तरफ़ पार हों। लेकिन दूसरा ये लुत्फ़ था कि आपका क़दम ज़मीन पर जिस जगह पड़ता वहाँ एक एक बस्ती हो जाती और उसमें अजीब बरकत नज़र आती। चलते-चलते आप मक्का मुकर्रमा पहुँच गये। मक्का आने से पहले आदम (अलैहिस्सलाम) की आह व ज़ारी और आपका रंज व ग़म जन्नत से चले आने की वजह से बहुत था, यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी आपके गिर्या की वजह से गिर्या करते और आपके रंज में शरीक होते थे। इसलिये अल्लाह तआला ने आपका ग़म दूर करने के लिये जन्नत का एक ख़ैमा इनायत फ़र्माया था जो मक्का में का'बा शरीफ़ के मुक़ाम पर नसब किया गया था। ये वक़्त वो था कि अभी का'बतुल्लाह को का'बा का लक़ब नहीं दिया गया था। उसी दिन का'बतुल्लाह के साथ रुक्न भी नाज़िल हुआ। उस दिन वो सफ़ेद याकूत और जन्नत का एक टुकड़ा था। जब हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) मक्का शरीफ़ आए तो अल्लाह तआला ने उनकी हिफ़ाज़त अपने ज़िम्मे ले ली और उस ख़ैमे की हिफ़ाज़त फ़रिश्तों के ज़रिये कराई। ये ख़ैमा आपके आखिरी वक़्त तक वहीं लगा रहा। जब अल्लाह तआला ने आपकी रूह कब्ज़ फ़र्माई तो उस ख़ैमे को अपनी तरफ़ उठा लिया और आदम (अलैहिस्सलाम) के साहबज़ादों ने उसके बाद उस ख़ैमे की जगह मिट्टी और पत्थर का एक मकान बनाया। जो हमेशा आबाद रहा। आदम (अलैहिस्सलाम) के साहबज़ादे और उनके बाद वाली नस्लें एक के बाद एक उसकी आबादी का

इतिज़ाम करती रहीं जब नूह (अलैहिस्सलाम) का ज़माना आया तो वो इमारत ग़र्क हो गई और उसका निशान छुप गया। हज़रत हूद और स़ालेह (अलैहिमस्सलाम) के सिवा तमाम अंबिया—ए—किराम ने बैतुल्लाह की ज़ियारत की है : इब्ने इस्हाक़ और बैहकी ने हज़रत उर्वट (रज़ि.) से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया, मामिन नबिय्यिन इल्ला व क़द हज्जलबैत इल्ला मा कान मिन हूदिन व सालिहिन व लक़ हज्जहू नूहुन फलम्मा कान फिल्अर्जि मा कान मिनलार्कि अ साबलबैत मा असाबलअर्ज रब्वतन हम्राअ फबअसल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हूदन फतगाशल बिम्मि कौमिही हत्ता क़ब्बजहुल्लाहु इलैहि फलम यहुज्जहू हत्ता मात फलम्मा बव्वाहुल्लाहु लिइब्राहीम अलैहिस्सलाम हज्जहू घुम्म लम यब्क़ नबिय्युन बअदहू इल्ला हज्जहू (तर्जुमा) जिस क़दर अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) मब्रूफ़ हुए सबने बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज किया, मगर हज़रत हूद और हज़रत स़ालेह (अलैहिमस्सलाम) को इसका मौक़ा न मिला। हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) ने भी हज्ज अदा किया है लेकिन जब आपके ज़माने में ज़मीन पर तूफ़ान आया और सारी ज़मीन पानी में डूब गई तो बैतुल्लाह को भी उससे द्विस्सा मिला। बैतुल्लाह शरीफ़ एक लाल रंग का टीला रह गया था। फिर अल्लाह तआला ने हज़रत हूद (अलैहिस्सलाम) को मब्रूफ़ फ़र्माया तो आपने हुक्मे इलाही के मुताबिक़ फ़रीज़ा—ए—तब्लीग़ की अदाएगी में मशगूल रहे और आपकी मशगूलियत इस दर्जा रही कि आपको आख़िर दम तक हज्ज करने का मौक़ा न मिला। फिर जब हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को बैतुल्लाह शरीफ़ बनाने का मौक़ा मिला तो उन्होंने हज्ज अदा किया और आपके बाद जिस क़दर अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) तशरीफ़ लाए सबने हज्ज अदा किया।

हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का बैतुल्लाह को ता'मीर करना :

तब्कात इब्ने सअद में हज़रत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि जनाब नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया औहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला इब्राहीम यामुरूहू बिल्मसीरि इला बलदिहिल्हरामि फरकिब इब्राहीमुल्बुराक़ व जअल इस्माइलु अमामहू व हुव इब्नु सनतनि व हाजिर खल्फ़हू व मअहू जिबइल यदुल्लुहू अला मौज़इलबैति हत्ता क़दिम बिही मक्कत फअन्ज़ल इस्माईल व उम्महू इला जानिबलबैति घुम्म इन्सरफ़ इब्राहीमु इलशामि घुम्म औहल्लाहु इला इब्राहीम अन तब्नियलबैत व हुव यौमइज़िन इब्नु मिअति सनतनि व इस्माईलु यौमइज़िन इब्नु प्रलाषीन सनतन फबनाहू मअहू व तुवफ़िफ़य इस्माइलु बअद अबीहि फदुफिन दाखिलल्हुज्जि मिम्मा यली या'नी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को बज़रिये वद्व हक्म भेजा कि बलदुल ह्राम मक्का की तरफ़ चलें। चुनाँचे आप हुक्मे इलाही की ता'मील में बुराक़ पर सवार हो गए। अपने प्यारे नूरे नज़र हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) को जिनकी उम्र शरीफ़ दो साल की थी, को अपने सामने और बीबी हाजरा को अपने पीछे ले लिया। हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) बैतुल्लाह शरीफ़ की जगह बतलाने की ग़र्ज़ से आपके साथ थे। जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) और आपकी वालिदा माजिदा को बैतुल्लाह के एक जानिब उतारा और हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) शाम को वापस हुए। फिर अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को जबकि आपकी उम्र शरीफ़ पूरे एक सौ साल थी, बज़रिये वद्व बैतुल्लाह शरीफ़ बनाने का हुक्म फ़र्माया। उस वक़्त हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की उम्रे मुबारक़ तीस बरस थी। चुनाँचे अपने साहबज़ादे को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने का'बा की बुनियाद डाली। फिर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की वफ़ात हो गई और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) ने भी आपके बाद वफ़ात पाई जो हज़रे अस्वद और का'बा शरीफ़ के बीच अपनी वालिदा माजिदा हज़रत हाजरा के साथ दफ़न हुए और आपके साहबज़ादे हज़रत प्राबित बिन इस्माईल (अलैहिस्सलाम) अपने वालिदे मुहतरम के बाद अपने मामुंओं के साथ मिलकर जो बनी जुरहम से थे का'बा शरीफ़ के मुतवल्ली करार पाए।

इब्ने अबी शैबा, इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और बैहकी की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को का'बतुल्लाह बनाने का हुक्म हुआ तो आपको मा'लूम न हो सका कि उसको किस तरह बनाएँ। इस नौबत पर अल्लाह पाक ने सकीना या'नी एक हवा भेजी जिसके दो किनारे थे। उसने बैतुल्लाह शरीफ़ के मुक़ाम पर तौक़ की तरह एक हलक़ा बाँध दिया। इधर आपको हुक्म हो चुका था कि सकीना जहाँ ठहरे पस वहीं ता'मीर होनी चाहिये। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने उस मुक़ाम पर बैतुल्लाह शरीफ़ को ता'मीर किया।

देलमी ने हज़रत अली (रज़ि.) से मफूअन रिवायत की है। ज़ेरे तफ़सीर आयत व इज़ यफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद

(अल बकर: : 127) कि बैतुल्लाह शरीफ जिस तरह मुरब्बअ (चौकोर) है उसी तरह एक चौकोनी अब्र (चार कोने वाला बादल) नमूदार हुआ उसमें से आवाज़ आती थी कि बैतुल्लाह का इतिफ़ाअ ऐसा ही चौकूना होना चाहिये जैसा कि मैं या'नी अब्र हूँ। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने बैतुल्लाह को उसी तरह मुरब्बअ फ़र्माया।

सईद बिन मंसूर ने अब्दुल्लाह बिन हुमैद, इब्ने अबी हातिम वगैरह ने सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत किया है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने हवा के डाले हुए निशान के नीचे खोदना शुरू किया पस बैतुल्लाह शरीफ़ के सुतून बरामद हो गए। जिसको तीस-तीस आदमी भी हिला नहीं सकते थे।

आयते बाला की तफ़सीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, अल्क्रवाइदुल्लती कानत क्रवाइदुल्लबैति क्रब्ल ज़ालिक सुतून जिनको हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने बनाया, ये वही सुतून हैं जो बैतुल्लाह शरीफ़ में पहले के बने हुए थे। उन्हीं को हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने बुलन्द किया।

इस रिवायत से मा'लूम होता है कि बैतुल्लाह शरीफ़ अगरचे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का ता'मीर किया हुआ है लेकिन उसकी संगे बुनियाद उन हज़रत ने नहीं रखी है बल्कि उसकी बुनियाद क़दीम है आपने सिर्फ़ उसकी तजदीद फ़र्माई (पुनर्निर्माण किया)। जब हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ता'मीरे का'बा फ़र्मा रहे थे तो ये दुआएँ आपकी जुबान पर थीं, रब्बना तक्रब्ल मिन्ना इन्नक अन्तस्समीडलअलीम ऐ रब! हमारी इस खिदमतते तौहीद को कुबूल फ़र्मा, तू जाननेवाला सुननेवाला है।

रब्बना वजअल्ना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियातिना उम्मतम्मुस्लिमतल्लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नक अन्तत्त्वाबुरहीम (अल बकर: : 128) ऐ रब! हमें अपना फ़रमाँबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमाअत हमेशा इस मिशन को ज़िन्दा रखने वाली बना दे और मनासिके हज्ज से हमें आगाह कर दे और हमारे ऊपर अपनी इनायात की नज़र कर दे तू निहायत ही तव्वाब और रहीम है।

व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बिजअल हाज़लबलद आमिन्वज्जुब्नी व बनिय्य अन नअबुदल अस्नाम (सूरह इब्राहीम: 35) ऐ रब! इस शहर को अमन व अमान वाला मकान बना दे और मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुतपरस्ती की हिमाक़त से बचाते रहना।

रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरिन ज़ी ज़िअिन इन्द बैतिकल मुहरमि रब्बना लियुकीमुस्सलात फ़जअल अफ़्दतम मिनन्नसि तह्वी इलैहिम वज़ुक्रहुम मिनफ़्मराति लअल्लहुम यश्कुरून (सूरह इब्राहीम: 37) ऐ रब! मैं अपनी औलाद को एक बंजर नाक़ाबिले काशत बयाबान में तेरे पाक घर के करीब आबाद करता हूँ। ऐ रब! मेरी ग़र्ज़ उनको यहाँ बसाने से सिर्फ़ यही है कि ये तेरी इबादत करें। नमाज़ कायम करें। मेरे मौला! लोगों के दिल उनकी तरफ़ फेर दे और उनको मेवों से रोज़ी अत्ता कर ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें।

क़ाल इब्नु अब्बास बना इब्राहीमुल्बैत मिन खम्सति अज्बुलिम्मिन तूर सीना व तूर जैता व लबन्नान जबलुन बिश्शामि वल्जूदी जबनुल बिल्जज़ीरति बना क्रवाइदहू मिन हरा जबलुन बिमक्कत फ़लम्मा इन्तहा इब्राहीमु इला मौज़ल्हज़िल्लअस्वदि क़ाल लिइस्माइल इतीनी बिहजरिन हसनिन यकूनु लिन्नासि अलमन फअताहू बिहजरिन फ़क़ाल इतीनी बिअहसनिम्मिन्हु फमज़ा इस्माइलु लियतलुब हजरन अहसनु मिन्हु फसाह अबू कुबैस या इब्राहीमु इन्न लका इन्दी वदीअतुन फखुज़हा फ़कज़फ़ बिल्हज़िल्लअस्वदि फअख़जहू इब्राहीमु फवज़अहू मकानहू (खाज़िन जिल्द 1 पेज 94) या'नी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने तूरे सीना और तूरे जैता व जबलुल लिबान जो शाम में है और जबले जूदी जो जज़ीरह में है उन चारों पहाड़ों के पत्थरों का इस्ते'माल किया। जब आप हज़रे अस्वद के मुक़ाम पर पहुँच गए तो आपने हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) से फ़र्माया कि एक ख़ूबसूरत सा पत्थर लाओ जिसको निशानी के तौर पर (तवाफ़ों की गिनती के लिये) मैं कायम कर दूँ। हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) एक पत्थर लाए, उसको आपने वापस कर दिया और फ़र्माया कि और मुनासिब पत्थर लाओ। हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) पत्थर तलाश कर ही रहे थे कि जबले अबू कुबैस से एक ग़ैबी आवाज़ बुलन्द हुई कि ऐ इब्राहीम! मेरे पास आपको देने की एक अमानत है, उसे ले जाइये। चुनाँचे उस पहाड़ ने हज़रे अस्वद को

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के हवाल कर दिया और आपने पत्थर को उसके मुकाम पर रख दिया। कुछ रिवायात में यँ भी है कि हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने हज़रे अस्वद को लाकर आपके हवाले कर दिया। (इब्ने कफ़ीर) और शर्की गोशा (पूर्वी हिस्से) में बाहर की तरफ़ ज़मीन से डेढ़ गज़ की बुलन्दी पर एक त़ाक़ में उसको नसब किया गया। ता'मीरे इब्राहीमी बिलकुल सादा थी न उस पर छत थी, न दरवाज़ा, न चूना। मिट्टी से काम लिया गया था। सिर्फ़ पत्थर की चार दीवारी थी।

अल्लामा अज़रकी ने ता'मीरे इब्राहीमी की लम्बाई चौड़ाई हस्बे ज़ैल लिखा है, बुलन्दी ज़मीन से छत तक नौ गज़, लम्बाई हज़रे अस्वद से रुक्ने शामी तक 32 गज़। अज़र रुक्ने शामी से गर्बी तक 22 गज़।

घर बन चुका। हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने मनासिके हज़्ज से आगाह कर दिया। अब इशादे बारी त़आला हुआ, व तह्तिहर बैतिय लिताइफ़ीन वल्काइमीन वर्क़इस्सुजूद व अज़्जिन फ़िन्नासि बिल्हज्जि यातूक रिज़ालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज़्जिन अमीक़ (अल हज़्ज : 27) या'नी मेरा घर त़वाफ़ करनेवालों, नमाज़ में क़ायम करने वालों, रूकूअ करने वालों और सज़्दा करने वालों के लिये पाक कर दे और तमाम लोगों को पुकार दे कि हज़्ज को आएँ पैदल भी और दुबली कँटनियों पर भी हर दूर दराज़ गोशा से आएँगे। उंस ज़माने में ऐलान व इश्तिहार के वसाइल (साधन) नहीं थे। वीरान जगह थी, आदमज़ाद का कोसों तक पता न था। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की आवाज़ हूदूदे हरम से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन इस मा'मूली आवाज़ को कुदरते हक़ त़आला ने मरिक्क से मरिब (पूरब से पश्चिम) तक और शिमाल से जुनूब (उत्तर से दक्षिण) तक और ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया।

मुफ़स्सिरीन आयते बाला के ज़ैल में लिखते हैं, फ़नादा अला जबलिन अबू कैस याअय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम बना बैतन व औजब अलैकुमुल्हज्ज इलैहि फअजीबू रब्बकुम वल्लतफ़त बिवज्हिही यमीनन व शिमालन व शर्कन व गर्बन फअजाबहू कुल्लु मन कतब लहू अय्यहुज्ज मिन अस्लाबिरिज़ालि व अर्हांमिल्उम्महाति लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक (जलालैन)

या'नी हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जबले अबू कुबैस पर चढ़कर पुकारा ऐ लोगों! तुम्हारे रब ने अपनी इबादत के लिये एक मकान बनवाया और तुम पर उसका हज़्ज फ़र्ज़ किया है। आप ये ऐलान करते हुए शिमाल व जुनूब और मरिक्क व मरिब की तरफ़ मुँह करते जाते और आवाज़ बुलन्द करते जाते थे। पस जिन इंसानों की क़िस्मत में हज़्ज बैतुल्लाह की सआदते अज़ली लिखी जा चुकी है। उन्होंने अपने बापों की पुशत से और अपनी माँओं के अरहाम से इस मुबारक निदा को सुनकर जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह! हम हाज़िर हैं, या अल्लाह! हम तेरे पाक घर की ज़ियारत के लिये हाज़िर है।

बिनाए इब्राहीमी के बाद : इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की ये ता'मीर एक मुदत तक क़ायम रही और उसकी तौलियत व निगरानी सय्यिदना इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की औलाद में मुंतक़िल होती चली आई, यहाँ तक कि उसकी मरम्मत की ज़रूरत पेश आई। तब बनू जुरहुम ने उसी इब्राहीमी नक्शे व हियत पर मरम्मत का काम अंजाम दिया न कोई छत बनवाई और न कोई तग़य्युर किया। बनू जुरहुम के बाद अमालिका ने तजदीद की मगर ता'मीर में कोई इज़ाफ़ा नहीं किया।

ता'मीर कुसई बिन किलाब : इब्राहीमी ता'मीर के बाद चौथी बार खाना का'बा को कुसई बिन किलाब कुरैशी ने ता'मीर किया। कुसई कुरैश के मुम्ताज़ अफ़राद में से थे ता'मीर का'बा के साथ साथ क़ौमी ता'मीर के लिये भी उसने बड़े बड़े अहम काम अंजाम दिये। तमाम कुरैश को जमा करके तक्ररीरों के ज़रिये उनमें इत्तिहाद की रूह फूँकी। दारुन्नदवा का बानी भी यही शख्स है जिसमें कुरैश अपने क़ौमी इज्तिमाआत को अंजाम देते थे व मज़हबी तक्ररीबात वगैरह के लिये वहाँ जमा होते थे। सिकाया (हाजियों को आबे ज़मज़म पिलाना) और रिफ़ादा (या'नी हाजियों के खाने-पीने का इतिज़ाम करना) ये महकमे उसी ने क़ायम किये कुरैश के क़ौमी फण्ड से एक सालाना रकम मिना और मक्का मुअज़्जमा में लंगरखानों के लिये मुकरर की। उसके साथ चिरमी हौज़ बनवाए जिनमें हुज़्जाज के लिये हज़्ज के दिनों में पानी भरवा दिया जाता था। कुसई ने अपने सारे खानदान कुरैश को मुज्तमअ करके का'बा शरीफ़ के पास बसाया। ख़िदमते का'बा के बारे में पेड़ों की बाड़ लगा दी और उस पर स्याह गिलाफ़ डाला। ये ता'मीर हज़रत रसूल पाक (ﷺ) के ज़मान-ए-तिफ़्लियत (बाल्यकाल) तक बाक़ी रही थी आपने अपने बचपन में इसको मुलाहज़ा फ़र्माया।

ता'मीरे कुरैश : ये ता'मीर नुबुव्वते मुहम्मदी (ﷺ) से पाँच साल पहले जब आँहज़रत (ﷺ) की उम्र 35 साल की थी,

हुई उस ता'मीर में और बिनाए इब्राहीमी में 1675 साल का ज़माना बयान किया जाता है। उसकी वजह ये हुई कि एक औरत का'बा के पास बख़ूर जला रही थी, जिससे पर्दा शरीफ़ में आग लग गई और फैल गई, यहाँ तक कि का'बा शरीफ़ की छत भी जल गई और पत्थर भी चटक गए, जगह-जगह से दीवारें फट गईं। कुछ ही दिनों बाद सैलाब आया। जिसने उसकी बुनियादों को हिला दिया कि गिर जाने का बड़ा ख़तरा हुआ। कुरैश ने उस ता'मीर के लिये चन्दा जमा किया। मगर शर्त ये रखी कि सूद, उजरते ज़िना, गारतगिरी और चोरी का पैसा न लगाया जाए इसलिये खर्च में कमी हो गई। जिसका तदारुक ये किया गया कि शिमाली रुख से छः सात ज़िराअ ज़मीन बाहर छोड़कर इमारत बना दी। इस छोड़े गये हिस्से का नाम हतीम है।

आयते शरीफ़ा व इज़ यर्फ़उ इब्राहीमुल कवाइद (अल बकर: : 127) की तफ़सीर में इब्ने कफ़ीर में यूँ तफ़सीलात आई हैं, क़ाल मुहम्मदुब्नु इस्हाक़ इब्नि यसारिन फिस्सीरत व लम्मा बलग़ा रसूलुल्लाहि (ﷺ) ख़म्संव्वषलाघीन सनतन इज़मअत कुरैश लिबुन्यानिल्कअबति व कानू यहम्मून बिज़ालिक यस्क्फूहा व यहाबून हदमहा व इन्नमा कानत रज़मन फौकल्क़ामति फअराद व अर्फअहा व तस्क्रीफ़हा व ज़ालिक अन्न नफ़रन सरकू कन्ज़ल्कअबति व इन्नमा व इन्नमा कानल्कन्ज़ु जौफल्कअबति व कानल्लज़ी वुजिद इन्दहूल्कन्ज़ दवैक मौला बनी मुलैहि बिनि अमिन मिन ख़ुज़ाअत फकतअत कुरैश यहदू व यजअमुन्नासु अन्नल्लज़ीन सरकूहु वज़रुहु इन्द दवैक व कानल्बहरु क़द रमा बिसफीनिही इला जद्दा लिरजुलिन मिन तुज्जारिऊम फतहतत फअख़ज़ू ख़शबहा किब्तिव्युन नज्जारुन फहयालहुम फ़ी अन्फु सिहिम बअज़ु मा युस्लिहुहा व कानत हय्यतुन तख़ज़ु मिम्बिरिल्कअबितिल्लती कानत तत्हु फ़ीहा मा यहदी लहा कल्ल यौमिन फतशरफ़ अला जिदारिल्कअबति व कानत मिम्मा यहाबून व ज़ालिक अन्नहू कान ला यदनु मिन्हा अहदुन इल्ला रज्जुन अलत व कशत व फतहत फाहा फकानू यहाबूनहा फबनयाहा यौमन तशरफ़ अला जिदारिल्कअबति कमा कानत तस्नउ बअषल्लाहु इलैहा ताइरन फख़तफहा फज़हब बिहा फक़ालत कुरैश इन्ना नजू अंध्यकूनल्लाहु क़द रज़िय मा अर्दना इन्दना आमिलुन रफ़ीकुन व इन्दना ख़शबुन व क़द फकानल्लाहुल्हय्यत फलम्मा उज्मऊ अम्हुम फी हदमिहा व बुनयानिहा क़ाम इब्नु वहबु व्नु अमिन फतनावल मिनल्कअबति हजरन फवषब मिन यदिही हत्ता रजअ इला मौजिइही फक़ाल या मअशर कुरैशिन ला तदख़ुलूहा फ़ी बुनयानिहा मिन कस्बिकु इल्ला तय्यिबन ला युदख़लु फ़ीहा महरुन बशियुन वला बैउन रिबा व ला मुज्लमतु अहदिम्मिनन्नासि इला आख़िरिही

ख़ुलासा इबारत का ये है कि नबी करीम (ﷺ) की उम्र शरीफ़ 35 साल की थी कि कुरैश ने का'बा की अज़सर नौ ता'मीर का फ़ैसला किया और उसकी दीवारों को बुलन्द करके छत डालने की तज्वीज़ पास की। कुछ दिनों के बाद और हादसों के साथ-साथ का'बा शरीफ़ में चोरी का भी हादसा हो चुका था। इतिफ़ाक़ से चोर पकड़ा गया, उसका हाथ काट दिया गया और ता'मीरी प्रोग्राम में मज़ीद पुख़्तगी हो गई। हुस्ने इतिफ़ाक़ से बाकूम नामी एक रूमी ताजिर की कशती तूफ़ानी मौजों से टकराती हुई जद्दा के किनारे आ पड़ी और लकड़ी का सामान अरज़ाँ मिल जाने की अहले मक्का को तवक्कअ हुई। वलीद बिन मुगीरा लकड़ी खरीदने के ख़याल से जद्दा आया और सामाने ता'मीर के साथ ही बाकूम को जो फ़ने मिअमारी में उस्ताद था अपने साथ ले गया। उन्हीं दिनों का'बा शरीफ़ की दीवारों में एक ख़तरनाक अज़्दहा (अजगर साँप) पाया गया जिसको मारने की किसी को हिम्मत न होती थी। इतिफ़ाक़ वो एक दिन दीवारे का'बा पर बैठा हुआ था कि अल्लाह तआला ने एक ऐसा परिन्दा भेजा जो उसको देखते ही देखते उसे उचककर ले गया। अब कुरैश ने समझा कि अल्लाह तआला की मज़ी व मशिय्यत हमारे साथ है इसलिये ता'मीर का काम फ़ौरन शुरू कर दिया जाए मगर किसी की हिम्मत न होती थी कि छत पर चढ़े और बैतुल्लाह को मुन्हदिम करे। आख़िर जुरअत करके इब्ने वहब आगे बढ़ा और एक पत्थर जुदा किया तो वो पत्थर हाथ से छूटकर फिर अपनी जगह पर जा ठहरा। उस वक़्त इब्ने वहब ने ऐलान किया कि नाजाइज़ कमाई का पैसा हर्गिज़-हर्गिज़ ता'मीर में न लगाया जाए। फिर वलीद बिन मुगीरा ने कुदाल लेकर ये कहते हुए कि ऐ अल्लाह! तू जानता है हमारी निय्यत बख़ैर है उसका हदम शुरू कर दिया। बुनियाद निकल आई तो उसके मुख़तलिफ़ हिस्सों की ता'मीर मुख़तलिफ़ कबीलों में बांट दी गई और काम शुरू हो गया।-

आँहज़रत (ﷺ) भी अपने चचा हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ शरीकेकार थे और क़न्धों पर पत्थर रखकर लाते थे। जब हज़रे अस्वद रखने का वक़्त आया तो कबीलों में इख़्तिलाफ़ पड़ गया। हर ख़ानदान इस शर्फ़ के हुसूल करने का

दावेदार था। आखिर मरने-मारने तक नौबत पहुँच गई, मगर वलीद बिन मुगीरह ने ये तज्वीज़ पेश की कि कल सुबह को जो शरूख भी सबसे पहले हरम में क़दम रखे, उसके फ़ैसले को वाजिबुल अमल समझो। चुनाँचे सुबह को सबसे पहले हरम शरीफ़ में आने वाले सय्यिदना मुहम्मद (ﷺ) थे। सबने एक जुबान होकर आपके फ़ैसले को बखुशी मानने का ए'तिराफ़ किया आपने हज़रे अस्वद को अपनी चादर मुबारक के बीच में रखा और हर क़बीले के एक-एक सरदार को उस चादर के उठाने में शरीक कर लिया जब वो चादर गोश-ए-का'बा तक पहुँच गई तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हज़रे अस्वद को उठाकर दीवार में नज़ब फ़र्मा दिया। दीवारें 18 हाथ ऊँची कर दी गईं। अंदरूनी फ़र्श भी पत्थर का बनाया। अपनी इम्तियाज़ी शान कायम रखने के लिये दरवाज़ा इन्सान की क़द से ऊँचा रखा। बैतुल्लाह के अन्दर उत्तरी दक्षिणी और तीन-तीन सुतून कायम किये। जिन पर शहतीर डालकर छत पाट दी और रुकने इराक़ी की तरफ़ अंदर ही अंदर ज़ीना चढ़ाया कि छत पर पहुँच सकें और शिमाली सिम्त (उत्तरी छोर) पर परनाला लगाया ताकि छत का बारिशी पानी हज़र में आकर पड़े।

बाब हरम की ज़मीन की फ़ज़ीलत और अल्लाह ने सूरह नमल में फ़र्माया

मुझको तो यही हुक्म है कि इबादत करूँ इस शहर के रब की जिसने इसको हुर्मत वाला बनाया और हर चीज़ उसी के क़ब्ज़े व कुदरत में है और मुझको हुक्म है ताबेदार बनकर रहने का।

और अल्लाह तआला ने सूरह क़सस में फ़र्माया, क्या हमने उनको जगह नहीं दी हरम में जहाँ अमन है उनके लिये और खींचे चले आते हैं उसकी तरफ़, मेवे हर किसम के जो रोज़ी है हमारी तरफ़ से लेकिन बहुत से उनमें नहीं जानते। (अल क़सस : 57)

1587. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने मंसूर से बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताउस ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का पर फ़र्माया था कि अल्लाह तआला ने इस शहर (मक्का) को हुर्मत वाला बनाया है (या'नी इज़्जत दी है) पस उसके (पेड़ों के) कांटे तक भी नहीं काटे जा सकते यहाँ के शिकार भी नहीं हॉके जा सकते और उनके अलावा जो ऐलान करके (मालिक तक पहुँचाने का इरादा रखते हों) कोई शरूख़ यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ भी नहीं उठा सकता है। (राजेअ 1349)

तश्रीह:

मुस्नद अहमद (रह.) वगैरह में अयाश बिन अबी रबीआ से मरवी है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाज़िहिलउम्मत्तु ला तज़ालु बिखैरिम्मा अज़्जमुहू हाज़िहिलहुर्मत यअनी अल्कअबत हक्क तअज़ीमिहा फइज़ा जय्यअू ज़ालिक हलकू या'नी ये उम्मत हमेशा खैर-भलाई के साथ रहेगी जब तक कि पूरे तौर पर का'बा की ता'ज़ीम करती रहेगी और जब इसको ज़ाया कर देंगे, हलाक हो जाएँगे। मा'लूम हुआ कि का'बा शरीफ़ और उसके अत्राफ़ की सारी ज़मीने हरम हैं बल्कि सारा शहर उम्मते मुस्लिमा के लिये इतिहाई मुअज़्ज़ व मुअक्कर मुक़ाम है। उनके बारे

٤٣- بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ، وَقَوْلُهُ
تَعَالَى:

وَإِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ آتَيْتَهُ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدِ
الَّذِي حَرَمَهَا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَمْرُهُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [النمل : ٩١].
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ((أَوْ لَمْ نَمَكِّنْ لَهُمْ
حَرَمًا آمِنًا يُجَبِّي إِلَيْهِ نَمْرَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ
رَزَقًا مِنْ لَدُنَّا، وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ)) [القصص : ٥٧].

١٥٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَةٌ
اللَّهِ، لَا يَنْقُطُ لِقَطْعَتِهِ شَوْكَةٌ، وَلَا يَنْقُرُ صَيْدَةٌ،
وَلَا يَنْقَطُ لِقَطْعَتِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا)).

[راجع: ١٣٤٩]

में जो भी ता'जीम व तक्रीम के बारे में हिदायात किताबो-सुन्नत में दी गई हैं, उनको हर वक़्त मलहूज रखना बेहद ज़रूरी है बल्कि हक़ीक़त ये है कि हुर्मते का'बा के साथ मिल्लते इस्लामिया की हयात वाबस्ता है। बाब के तहत जो आयाते कुआनी हज़रत इमाम बुखारी (रह.) लाए हैं उनमें बहुत से हक़ाइक़ का बयान है ख़ास तौर पर उसका कि अल्लाह पाक ने शहर मक्का में ये बरकत रखी है यहाँ चारों ओर से हर किस्म के मेवे, फल, अनाज खिंचे चले आते हैं। दुनिया का हर एक फल यहाँ के बाज़ारों में दस्तयाब हो जाता है। ख़ास तौर पर आज के ज़माने में हूकूमते सऊदिया खल्लदल्लाहु तआला ने उस मुक़दस शहर को जो तरक़्की दी है और उसकी ता'मीरे जदीद जिन-जिन खुतूत पर की है और कर रही है वो पूरी मिल्लते इस्लामिया के लिये हद दर्जा काबिले तशक़ुर हैं। अय्यदहुमुल्लाहु बिनस्लिल अज़ीज़

बाब 44 : मक्का शरीफ़ के घर मकान मीराष हो सकते हैं उनका बेचना और ख़रीदना नाजाइज़ है

٤٤ - بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا

मस्जिद हुराम में सब लोग बराबर हैं या'नी ख़ास मस्जिद में क्योंकि अल्लाह तआला ने (सूरह हज) में फ़र्माया, जिन लोगों ने कुफ़ किया और जो लोग अल्लाह की राह और मस्जिद हुराम से लोगों को रोकते हैं कि जिसको मैंने तमाम लोगों के लिये यक़्साँ मुक़रर किया है। ख़वाह वो वहीं के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले और जो शख़्स वहाँ शरारत के साथ हद से तजावुज़ करे, मैं उसे दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाऊँगा। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि लफ़ज़े बादी बाहर से आने वाले के मा'नी में है और मअकूफ़ा का लफ़ज़ रुके हुए के मा'नी में है।

وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَنَمٍ لَّيْلُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. البادي: الطارىء. مفكوفًا: محبوسًا.

158. हमसे अस्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अली बिन हुसैन ने, उन्हें अमर बिन उप्रमान ने और उन्हें हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मक्का में क्या अपने घर में क्रयाम फ़र्माएँगे। इस पर आपने फ़र्माया कि अक़ील ने हमारे लिये मुहल्ला या मकान छोड़ा ही कब है। (सब बेचकर बराबर कर दिये) अक़ील और तालिब, अबू तालिब के वारिष हुए थे। जा'फ़र और अली (रज़ि.) को विराषत में कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गये थे और अक़ील रज़ि. (इब्तिदा में) और तालिब (अंत तक) इस्लाम नहीं लाए थे। उसी बुनियाद पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि मुसलमान काफ़िर का वारिष नहीं होता। इब्ने शिहाब ने कहा कि लोग अल्लाह तआला के उस इशा'द स

١٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزَلُ، فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ؟)) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرْتِدْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عَمْرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ)) قَالَ ابْنُ

दलील लेते हैं कि, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही एक-दूसरे के वारिष होंगे।

(दीगर मक़ाम : 3058, 4282, 6764)

شَهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى :
﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ﴾ [الأنفال : ٧٢].

[أطرافه في : ٣٠٥٨، ٤٢٨٢، ٦٧٦٤].

तशरीह : मुजाहिद से मन्कूल है कि तमाम मक्का मुबाह है न वहाँ के घर को बेचना दुरुस्त है और न किराया पर देना और इब्ने उमर (रज़ि.) से भी ऐसा ही मन्कूल है और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शैरी (रह.) का यही मज़हब है और जुम्हूर उलमा के नज़दीक मक्का के घर मकान मिल्क हैं और मालिक के मर जाने के बाद वो वारिषों की मिल्कियत हो जाते हैं। इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) (शागिद इमाम अबू हनीफ़ा रह.) का भी ये क़ौल है और इमाम बुखारी (रह.) ने भी इसी को इख्तियार किया है। हाँ ख़ास मस्जिदे हुराम में मुसलमानों का हक़ बराबर है जो जहाँ बैठ गया उसको वहाँ से कोई उठा नहीं सकता। ऊपर की आयत में चूँकि अक़िफ़ और मज़कूफ़ का मादा एक ही है। इसलिये मज़कूफ़ की भी तफ़सीर बयान कर दी।

हदीषे बाब में अक़ील का ज़िक्र है। अबू तालिब के चार बेटे थे, अक़ील, तालिब, जा'फ़र और अली। अली और जा'फ़र ने तो आँहज़रत (ﷺ) का साथ दिया और आपके साथ मदीना आ गये, मगर अक़ील मुसलमान नहीं हुए थे। इसलिये अबू तालिब की सारी जायदाद के वारिष वो हुए, उन्होंने उसे बेच डाला। आँहज़रत (ﷺ) ने उसी का ज़िक्र फ़र्माया था जो यहाँ मज़कूर है। कहते हैं कि बाद में अक़ील मुसलमान हो गए थे। दाऊदी ने कहा जो कोई हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चला जाता उसका अज़ीज़ जो मक्का मे रहता वो सारी जायदाद दबा लेता। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के बाद इन मुआमलात को क़ायम रखा ताकि किसी की दिल-शिकनी न हो। कहते हैं कि अबू तालिब के ये मकानात लम्बे अरसे बाद मुहम्मद बिन यूसुफ़, हज्जाज ज़ालिम के भाई ने एक लाख दीनार में ख़रीद लिये थे। असल में ये जायदाद हाशिम की थी, उनसे अब्दुल मुत्तलिब को मिली। उन्होंने सब बेटों को बांट दी, उसी में आँहज़रत (ﷺ) का हिस्सा भी था।

आयते मज़कूर-ए-बाब शुरु इस्लाम में मदीना मुनव्वरा में उतरी थी। अल्लाह पाक ने मुहाजिरीन और अंसार को एक-दूसरे का वारिष बना दिया था। बाद में ये आयत उतरी व उलुलअर्हामि बअज़हुम औला बिबअज़िन (अन्फ़ाल : 75) या'नी ग़ैर आदमियों की निस्बत रिश्तेदार ज़्यादा हक़दार हैं। ख़ैर इस आयत से मोमिनों का एक दूसरों का वारिष होना निकलता है। उसमें ये ज़िक्र नहीं है कि मोमिन काफ़िर का वारिष न होगा और शायद इमाम बुखारी (रह.) ने उस मज़मून की तरफ़ इशारा किया जो उसके बाद है। वल्लज़ीन आमनू व लम युहाजिरु (अन्फ़ाल : 72) या'नी जो लोग ईमान ले आए मगर काफ़िरों के मुल्क से हिजरत नहीं कि तो तुम उनके वारिष नहीं हो सकते। जब उनके वारिष न हुए तो काफ़िरों के बतरीके औला वारिष न होंगे। (वहीदी)

बाब 45 : नबी करीम (ﷺ) मक्का में कहाँ उतरे थे?

1589. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमसे शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने कहा कि मुझसे अबू सलमा ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब (मिना से लौटते हुए हज्जतुल वदा अके मौक़े पर) मक्का आने का इरादा किया तो फ़र्माया कि कल

٤٥ - بَابُ نَزُولِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَكَّةَ
١٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو
سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ :

इंशा अल्लाह हमारा क्रयाम उसी खैफे बनी किनाना (या'नी मुहम्मद) में होगा जहाँ (कुरैश ने) कुफ्र पर अड़े रहने की क्रसम खाई थी।

(दीगर मक़ाम: 1590, 3882, 4284, 4285, 4289)

1590. हमसे हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे जुहरी ने बयान किया, उनसे अबू सलमान ने बयान किया और उनसे अबू हुदैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि ग्यारहवीं की सुबह को जब आँहज़रत (ﷺ) मीना में थे तो ये फ़र्माया था कि कल हम खैफे बनी किनाना में क्रयाम करेंगे जहाँ कुरैश ने कुफ्र की हिमायत की क्रसम खाई थी। आपकी पुराद मुहम्मद से थी क्योंकि यहीं कुरैश और किनाना ने बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब या (राबी ने) बनू अल मुत्तलिब (कहा) के ख़िलाफ़ हल्लफ़ उठाया था कि जब तक वो नबी करीम (ﷺ) को उनके हवाले न कर दें, उनके यहाँ ब्याह शादी न करेंगे और न उनसे ख़रीद व फ़रोख़्त करेंगे और सलामा बिन रौह ने अक़ील और यह्या बिन ज़िहाक से रिवायत किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया कि मुझे इब्ने शिहाब ने ख़बर दी, उन्होंने (अपनी रिवायत में) बनू हाशिम और बनू अल मुत्तलिब कहा। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि बनू अल मुत्तलिब ज़्यादा सहीह है।

(राजेअ: 1589)

(مَنْزِلًا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ).

[أطرافه في: ١٥٩٠، ٣٨٨٢، ٤٢٨٤،

٤٢٨٥]

١٥٩٠- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

ﷺ: ((مَنْ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ - وَهُوَ بَيْنِي

- نَحْنُ نَأْزِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ

حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَغْنَى بِذَلِكَ

الْمُخَصَّبَ وَذَلِكَ أَنْ قَرِنَشًا وَكِنَانَةَ

تَخَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَنْ لَا

يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا

إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ)). وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عَقِيلٍ،

وَيَحْيَى عَنِ الصَّخَاكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ:

أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ.

وَقَالَا: بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ: بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

तशरीह: कहते हैं कि इस मज़मून की एक तहरीरी दस्तावेज़ मुरतब की गई थी। उसको मंसूर बिन इक्रमा ने लिखा था। अल्लाह तआला ने उसका हाथ शल (सुन्न, लकवाग्रस्त) कर दिया। जब ये मुआहिदा बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब ने सुना तो वो घबराए मगर अल्लाह की कुदरत कि उस मुआहिदे के कागज़ को दीमक ने खा लिया। जो का'बा शरीफ़ में लटका हुआ था। कागज़ में फ़क़त वो मुक़ाम रह गया जहाँ अल्लाह का नाम था। आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी ख़बर अबू तालिब को दी। अबू तालिब ने उन काफ़िरो को कहा कि मेरा भतीजा ये कहता है कि जाकर उस कागज़ को देखो अगर उसका बयान सही निकले तो उसकी ईजादेही से बाज़ आ जाओ, अगर झूठ निकले तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँगा फिर तुमको इख़्तियार है। कुरैश ने जाकर देखा तो जैसा आँहज़रत (ﷺ) ने कहा था वैसा ही हुआ था कि सारी तहरीर को दीमक ने खा लिया था, सिर्फ़ अल्लाह का नाम रह गया था। तब वो बहुत शर्मिन्दा हुए। आँहज़रत (ﷺ) जो उस मुक़ाम पर जाकर उतरे तो आपने अल्लाह का शुक्र किया और याद किया कि एक दिन तो वो था। आज मक्का पर इस्लाम की हुकूमत है।

बाब 46 : अल्लाह तआला ने सूरह इब्राहीम में फ़र्माया

और जब इब्राहीम ने कहा मेरे रब! इस शहर को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को उससे महफूज़ रखियो कि हम तुम्हें की इबादत करें। मेरे रब! इन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया है अल्लाह तआला के फ़र्मान (लअल्लहुम यश्कुरून) तक. (अल बकर : 35)

तशरीह :

इस बाब में इमाम बुखारी (रह.) ने सिर्फ़ आयते कुआनी पर इक्तिफ़ा किया और इशाद फ़र्माया कि कुआनी मजीद की रू से मक्का शहर अमन का शहर है। यहाँ बदनम्नी क़त्ल हाराम है और इस शहर को बुतपरस्ती जैसे जुर्म से पाक रहना है और यहाँ के इस्माईली खानदान वालों को बुतपरस्ती से दूर ही रहना है। अल्लाह पाक ने एक लम्बे अर्से के बाद अपने खलील की दुआ कुबूल की कि सय्यिदना मुहम्मद (ﷺ) तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत खलीलुल्लाह की दुआ के मुताबिक़ इस शहर को अमन वाला शहर बना दिया।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं, लम यज़कुर फ़ी हाज़िहित्तर्जुमति हदीषन व कअन्नहू अशार इला हदीषि इब्नि अब्बासिन फ़ी क्रिस्सति इस्कानि इब्राहीम लिहाज़िर व बनाहा फ़ी मक्कत हज़रत इमाम बुखारी (रह.) ने गोया इस आयत को लाकर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के हज़रत हाज़रा और उनके बेटे को यहाँ लाकर आबाद करने की तरफ़ इशारा फ़र्माया। आगे खुद मौजूद है, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन जुर्रियती बिवादिन ग़ैरिन ज़ी ज़िर्न इन्द बैतिकल मुहर्मि रब्बना लियुकी मुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनत्रासि तहवी इलैहिम वर्जुकहुम मिनषमराति लअल्लहुम यश्कुरून (इब्राहीम : 37) या'नी या अल्लाह! मैंने इस बंजर बयाबान में अपनी औलाद को लाकर सिर्फ़ इसलिये आबाद किया है ताकि यहाँ ये तेरे घर का'बा की ख़िदमत करें। यहाँ नमाज़ क़ायम करें। पस तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ फेर दे (कि वो सालाना हज के लिये बड़ी ता'दाद में यहाँ आया करें, जिनकी आमद इनका ज़रिया-ए-मुआश बन जाए) और इनको फलों से रोज़ी अता कर ताकि ये शुक्र करें। हज़ारों साल गुज़र जाने के बाद भी ये इब्राहीमी दुआ आज भी फ़िजाए मक्का की लहरों में गूँजती नज़र आ रही है। इसकी कुबूलियत के पूरे-पूरे अषरात दिन-ब-दिन मुस्तहकम ही होते जा रहे हैं।

बाब 47 : अल्लाह तआला ने सूरह माइदह में फ़र्माया

अल्लाह ने का'बा को इज़त वाला घर और लोगों के क़ायम की जगह बनाया है और इस तरह हमत वाले महीने को बनाया। अल्लाह तआला के फ़र्मान, व इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम तक (साथ ही ये भी है जो हदीषे ज़ेल में मज़कूर है)

हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ियाद बिन सअद ने बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि का'बा को दो पतली पिण्डलियों वाला एक हक़ीर हब्शी तबाह कर देगा। (दीगर मक़ाम : 1596)

- 46 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَتَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلْنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ الآية. [البرهيم : 35].

- 47 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. [المائدة : 97].

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُنْحَرَبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)). [طرفه ن : 1096].

मगर ये क्रयामत के करीब उस वक़्त होगा जब ज़मीन पर एक भी मुसलमान बाकी न रहेगा। उसका दूसरा मतलब ये है कि जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान कलिमा-गो बाकी है का'बा शरीफ़ की तरफ़ कोई दुश्मन आँख उठाकर नहीं देख सकता। ये भी ज़ाहिर है कि अहले इस्लाम ता'दाद के लिहाज़ से हर ज़माने में बढ़ते ही रहे हैं। अल्लाह का शुक़ है कि आज भी साठ सत्तर करोड़ मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं। (सन् 2011 में इस किताब का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हो जाने तक दुनिया में मुस्लिमों की ता'दाद बढ़कर 175 करोड़ हो गई है।)

1592. हमसे यहाया बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे इर्वाने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया (दूसरी सनद इमाम बुखारी रह. ने कहा) और मुझसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें मुहम्मद बिन अबी हफ़्सा ने ख़बर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्हें इर्वाने और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने बयान किया कि रमज़ान (के रोज़े) फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान आशूरा का रोज़ा रखते थे। आशूरा ही के दिन (जाहिलियत में) का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। फिर जब अल्लाह तआला ने रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया कि अब जिसका जी चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे छोड़ दे।

(राजेज़ 1893, 2001, 2002, 3831, 4502, 4504)

۱۵۹۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرَى فِي الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ)).

[أطرافه في : ۱۸۹۳، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۳۸۳۱]

[۴۵۰۴، ۴۵۰۲]

इस हदीष की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यँ है कि इसमें आशूरा के दिन का'बा पर पर्दा डालने का ज़िक्र है जिससे का'बा शरीफ़ की अज़मत षाबित हुई जो कि बाब का मक्सूद है।

1593. हमसे अहमद बिन हफ़्स ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन तह्मान ने बयान किया, उनसे हज़ाज बिन हज़ाज असलमी ने, उनसे क़तादा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी इत्बा ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया बैतुल्लाह का हज़्ज और उम्ह याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी होता रहेगा। अब्दुल्लाह बिन अबी इत्बा के साथ इस हदीष को अबान और इमरान ने क़तादा से रिवायत किया और अब्दुरहमान ने शुअबा के वास्ते से यँ बयान किया

۱۵۹۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُثْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ : ((لَيَحْجُنَّ النَّبِيُّ وَلَيَغْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)). تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ عَبْدُ

कि क़ायामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज्ज बन्द न हो जाए। इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि पहली रिवायत को ज़्यादा रावियों ने रिवायत की है और क़तादा ने अब्दुल्लाह बिन उतबा से सुना और अब्दुल्लाह ने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना।

तशरीह :

याजूज—माजूज दो काफ़िर क़ौमों याफ़ि़ बिन नूह की औलाद में से हैं जिनकी औलाद में रूसी और तुर्क भी हैं क़ायामत के करीब वो सारी दुनिया पर काबिज़ होकर बड़ा कोहराम मचाएगी। पूरा ज़िक्र अलामाते क़ायामत में आया। इमाम बुखारी (रह.) ने इस हृदीष को यहाँ इसलिये लाए कि दूसरी रिवायत में बज़ाहिर तआरुज़ है और फ़िल हक़ीक़त तआरुज़ नहीं, इसलिये कि क़ायामत तो याजूज—माजूज के निकलने और हलाक होने के बहुत दिनों बाद क़ायम होगी तो याजूज और माजूज के वक़्त में लोग हज्ज और उम्ह्र करते रहेंगे। उसके बाद फिर क़ायामत के करीब लोगों में कुफ़ फैल जाएगा और हज्ज और उम्ह्र मौकूफ़ (स्थगित) हो जाएगा। अबान की रिवायत को इमाम अहमद (रह.) और इमरान की रिवायत को अबू यअला और इब्ने ख़ुज़ैमा ने वस्ल किया है। हज़रत हसन बसरी (रह.) ने कहा ला यज़ालुन्नासु अला दीनिम्मा हज्जुलबैत वस्तक्बलुल्लिक़ब्लत (फ़तह) या'नी मुसलमान अपने दीन पर उस वक़्त तक क़ायम रहेंगे जब तक कि वो का'बा का हज्ज और उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहेंगे।

बाब 48 : का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना

٤٨ - بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

इमाम बुखारी (रह.) का मतलब ये है कि का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना जाइज़ है या उसके ग़िलाफ़ का तक्सीम करना। कहते हैं सबसे पहले तबअ हमीरी ने उस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया, इस्लाम से नौ सौ बरस पहले। कुछ ने कहा अदनान ने और रेशामी ग़िलाफ़ अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने चढ़ाया और आँहज़रत (ﷺ) के अहद में उसका ग़िलाफ़ इन्ताअ और कम्बल का था। फिर आपने यमनी कपड़े का ग़िलाफ़ चढ़ाया।

1594. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब ने बयान किया; कहा कि हमसे ख़ालिद बिन हारि़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान प्रौरी ने बयान किया, कहा कि हमसे वासिल अहदब ने बयान किया और उनसे अबू वाइल ने बयान किया कि मैं शैबा की ख़िदमत में हाज़िर हुआ (दूसरी सनद) और हमसे कुबैसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने वासिल से बयान किया और उनसे अबू वाइल ने बयान किया कि मैं शैबा के साथ का'बा में कुर्सी पर बैठा हुआ था तो शैबा ने फ़र्माया कि उसी जगह बैठकर उमर (रज़ि.) ने (एक मर्तबा) फ़र्माया कि मेरा इरादा ये होता है कि का'बा के अंदर जितना सोना चाँदी है उसे न छोड़ूँ (जिसे ज़मान-ए-जाहिलियत में कुफ़कार ने जमा किया था) बल्कि सबको निकालकर (मुसलमानों में) तक्सीम कर दूँ। मैंने अर्ज़ किया कि आपके साथियों (आँहज़रत ﷺ और अबूबक्र रज़ि.) ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने फ़र्माया कि मैं भी उन्हीं की पैरवी कर रहा हूँ (इसीलिये मैं उसके हाथ नहीं लगाता) (दीगर मक़ाम : 7275)

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَخْذَبِ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ ح
وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : ((جَلَسْتُ مَعَ
شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ لِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ : لَقَدْ
جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا
صَفْرَاءَ وَلَا يَمْنَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ إِنَّ
صَاحِبَيْكَ لَمْ يَقْعَلَا. قَالَ : هُمَا الْمَرَّانِ
الْقَتَيْبِيُّ بِيَمَانٍ)). [طرفه ن : ٧٢٧٥].

तशरीह :

क्रालइस्माईली लैस फ्री हदीप्रिलबाबि लिक्स्वतिल्कअबति जिक्करुन यअनी फ़ला युताबिकुत्तर्जुमत व क्राल इब्नु बत्तल मअनत्तर्जुमति सहीहुन व वज्हुहा अन्नहू मअलूमन अन्नल्मुलूक फ़ी कुल्लि ज़मानिन कानू यत फ़ाखरून बिकिस्वतिल्कअबति बिरफी इष्टिबिल्मन्सूजति बिज़्जहबि व गैरिही कमा यत फ़ाखरून बितस्बीलिलअम्वालि लहा फअरादल्बुख़ारी अन्न उमर लम्मा राअ किस्मतज़्जहबि वल्फिज़्जति सवाबन कान हुक्मुल्किस्वति तज्जु किस्मतुहा बल मा फ़ज्जल मिन किस्वतिहा औला व क्राल इब्नुल्मुनीर फिलहाशिय्यति यहतमिलु अन्न मक्सूदहू अत्तम्बीहु अला अन्न किस्वतिल्कअबति मशरूउन वल्हुज्जतु फ़ीहि अन्नहा लम तज़ल तक्सुदु बिल्मालि यूज़द फ़ीहा अला मअनज़्ज़ीनति इअज़ामन लहा फल्किस्वतु मिन हाज़ल्कबीलि (फ़ल्हुल्बारी)

बैतुल्लाह शरीफ़ पर ग़िलाफ़ डालने का रिवाज क़दीम ज़माने से है। मुअरिख़ीन (इतिहासकार) लिखते हैं कि जिस शख्स ने सबसे पहले ग़िलाफ़ का'बा मुकद्दस को पहनाया वो हिमयर का बादशाह अस्अद अबू कुर्ब था। ये शख्स जब मक्का शरीफ़ आया तो निहायत बुर्द यमानी से ग़िलाफ़ तैयार कराकर अपने साथ लाया और भी मुख्तलिफ़ किस्म की सूती और रेशमी चादरों के पर्दे साथ थे।

कुरैश जब खान-ए-का'बा के मुतवल्ली हुए तो आम चन्दा से उनका नया ग़िलाफ़ सालाना तैयार कराकर का'बा शरीफ़ को पहनाने का दस्तूर हो गया। यहाँ तक कि अबू रबीआ बिन मुगीरह मख़ज़ूमी का ज़माना आया जो कुरैश में बहुत ही सखी और साहिबे षरवत था। उसने ऐलान करवाया कि एक साल चन्दे से ग़िलाफ़ तैयार किया जाए और एक साल में अकेला उसके सारे अख़राजात बर्दाश्त किया करूंगा। इसी बिना पर उसका नाम अदले कुरैश पड़ गया।

हज़रत अब्बास (रज़ि.) की वालिदा माजिदा नबीला बिन्ते हराम ने क़ब्ल अज़ इस्लाम एक ग़िलाफ़ चढ़ाया था जिसकी सूत ये हुई कि नौ उम्र बच्चा या'नी हज़रत अब्बास (रज़ि.) का भाई ख़वार नामी गुम हो गया था और उन्होंने मन्नत मा'नी थी कि मेरा बच्चा मिल गया तो का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाऊँगी चुनाँचे मिलने पर उन्होंने अपनी मन्नत पूरी की।

8 हिजरी में मक्का दारुल इस्लाम बन गया और आँहज़रत (ﷺ) ने यमनी चादर का ग़िलाफ़ डाला। आपकी वफ़ात के बाद अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने आपकी पैरवी की। हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ि.) के अहदे ख़िलाफ़त में जब मिस्र फ़तह हो गया तो आपने क़बाती मिस्री का जो कि बेशक़ीमती कपड़ा है, बैतुल्लाह पर ग़िलाफ़ चढ़ाया और सालाना उसका एहतिमाम फ़र्माया। आप पिछले साल का ग़िलाफ़ हाज़ियों पर तक्सीम कर देते और नया ग़िलाफ़ चढ़ा दिया करते थे। शुरू में हज़रत उम्मान ग़नी (रज़ि.) के ज़माने में भी यही अमल रहा। एक बार आपने ग़िलाफ़े का'बा का कपड़ा किसी हाइज़ा औरत को पहने हुए देखा तो बांटने की आदत बदल दी और क़दीम ग़िलाफ़ दफ़न किया जाने लगा। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने मश्वरा दिया कि ये माल की बर्बादी है, इसलिये बेहतर है कि पुराना पर्दा बेच दिया जाए। चुनाँचे उसकी क़ीमत ग़रीबों में तक्सीम होने लगी। धीरे-धीरे बनू शैबा बिला शिर्कते ग़ैर उसके मालिक बन गए।

अक़्ब्र सलातीने इस्लाम का'बा पर ग़िलाफ़ डालने को अपना फख़्र समझते रहे और किस्म-किस्म के क़ीमती ग़िलाफ़ का'बा पर सालाना चढ़ाते रहे हैं। हज़रत मुआविया (रज़ि.) की तरफ़ से एक ग़िलाफ़ दीबा का 10 मुहर्रम को और दूसरा क़बाती का 29 रमज़ान को चढ़ा दिया गया था। खलीफ़ा मामून रशीद ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में बजाय एक के तीन ग़िलाफ़ भेजे। जिनमें एक मिस्री पारचा का था और दूसरा सफ़ेद दीबा का और तीसरा सुर्ख़ दीबा का था ताकि पहला यकुम रजब को और दूसरा 27 रमज़ान को और तीसरा आठवीं जिल्हिज्ज को बैतुल्लाह पर चढ़ाया जाए। खुलफ़ा-ए-अब्बासिया को इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम था और स्याह कपड़ा उनका शिआर था। इसलिये अक़्ब्र स्याह रेशम ही का ग़िलाफ़ का'बा के लिये तैयार होता था। सलातीन के अलावा दीगर उम्मा व अहले षरवत भी इस ख़िदमत में हिस्सा लेते थे और हर शख्स चाहता था कि मेरा ग़िलाफ़ देर तक लिपटा रहे। इसलिये ऊपर-नीचे बहुत से ग़िलाफ़ बैतुल्लाह पर जमा हो गए।

160 हिजरी में सुल्तान महदी अब्बासी जब हज्ज के लिये आए तो खुद्दामे का'बा ने कहा कि बैतुल्लाह पर इतने ग़िलाफ़ जमा हो गए हैं कि बुनियादों को उनके बोझ का तहम्मूल दुश्वार है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि तमाम ग़िलाफ़ उतार दिये जाएँ और आइन्दा एक से ज़्यादा ग़िलाफ़ न चढ़ाया जाए।

अब्बासी हुक्मत जब ख़त्म हो गई तो 659 हिजरी में शाहे यमन मलिक मुज़फ़्फ़र ने इस ख़िदमत को अंजाम दिया। उसके बाद मुद्दत तक ख़ालि़स यमन से ग़िलाफ़ आता रहा और कभी शाहाने मिस्र की शिर्कत में मुशतरका। ख़िलाफ़त

अब्बासिया के बाद शाहाने मिस्र में सबसे पहले इस खिदमत का फ़ख्र मलिक जाहिर बैरिस को नसीब हुआ। फिर शाहाने मिस्र ने मुस्तक़िल तौर पर उसके औकाफ़ कर दिये और ग़िलाफ़े का'बा सालाना मिस्र से आने लगा। 751 हिजरी में मलिक मुजाहिद ने चाहा कि मिस्री ग़िलाफ़ उतार दिया जाए और मेरे नाम का ग़िलाफ़ चढ़ाया जाए मगर शरीफ़ मक्का के जरिये जब ये ख़बर शाहे मिस्र को पहुँची तो मलिक मुजाहिद गिरफ़्तार कर लिया गया।

का'बा शरीफ़ को बैरूनी ग़िलाफ़ पहनाने का दस्तूर तो ज़मान-ए-क़दीम से चला आ रहा है मगर अंदरूनी ग़िलाफ़ के बारे में तक्वीउद्दीन फ़ारसी के बयान से मा'लूम होता है कि सबसे पहले मलिक नासिर हसन चरकसी ने 761 हिजरी में का'बा का अंदरूनी ग़िलाफ़ रवाना किया था जो तक्ररीबन 817 हिजरी तक का'बा के अंदर की दीवारों पर लटका रहा। उसके बाद मलिक अशरफ़ अबू नस्र सैफ़ुद्दीन सुल्ताने मिस्र ने 825 हिजरी में सुख़ रंग का अंदरूनी ग़िलाफ़ का'बा के लिये रवाना किया। आजकल ये ग़िलाफ़ खुद हुकूमते सऊदिया अरबिया ख़ल्लदल्लाह तआला के ज़ेरे एहतियाम तैयार कराया जाता है।

बाब 49 : का'बा के गिराने का बयान

और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया एक फ़ौज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करेगी और वो ज़मीन में धंसा दी जाएगी।

1595. हमसे अमर बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन अख़नस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैका ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, गोया मेरी नज़रों के सामने वो पतली टांगों वाला स्याह आदमी है जो ख़ान-ए-का'बा के एक एक पत्थर को उखाड़ फेंकेगा।

1596. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने ने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया का'बा को दो पतली पिण्डलियों वाला हब्शी ख़राब करेगा।

(राजेअ: 1591)

तश्रीह:

ऊपर वाली हदीष में अफ़हज का लफ़ज़ है। अफ़हज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलते में दोनों पंजे तो नज़दीक रहें और दोनों ऐड़ियों में फ़ासला रहे। वो हब्शी मर्द जो क़यामत के करीब का'बा ढहाएगा वो उसी शक़ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आँखें नीली, नाक फैली हुई होगी, पेट बड़ा होगा। उसके साथ और लोग होंगे, वो का'बा का एक-एक पत्थर उखाड़ डालेगा और समुन्दर में ले जाकर फेंक देगा। ये क़यामत के बिलकुल नज़दीक होगा। अल्लाह हर फ़ितने से बचाए आमीन!

व क़रअ हाज़लहदीषु इन्द अहमद मिन तरीकि सईद बिन समआन अन अबी हुरैरत बिअतम्मि मिन हाज़स्सिमाक़ि व लफ़िज़ही युबायउ लिरज़ुलि बैनरूबिन् वल्मक़ामि व लन यस्तहिल्ल हाज़ल्लबैतु इल्ला अहलुहु फ़इज़ा इस्तहल्लुहु फ़ला

٤٩- بَابُ هَذِمِ الْكَعْبَةِ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَغْزُو جَيْشَ الْكَعْبَةِ فَيُخَسَفُ)).

١٥٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْتَسِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ الْفَحَجِ يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا)).

١٥٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يُخْرَبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)). [راجع: ١٥٩١]

तुस्अलु अन हलकतिल्अरबि शुम्म तजीउल्हब्शतु फयुखरिबूनहू खराबन ला युअम्मरू बअदहू अबदन व हुमुल्लजीन यस्तखिरजून कन्जहू व लिअबी कुरंत फिस्सुफुनि मिन वज्जिन आखर मिन अन अबी हुरैरत मर्फूअन ला यस्तखिरजू कन्जल्कअबति इल्ला जवस्सवीक़तैनि मिनल्हबशति व नहवुहू लिअबी दाऊद मिन हदीषि अब्दिल्लाहिब्नि अम्बिन्लिआसि व ज़ाद अहमद व ज़बानी मिन तरीक़ि मुजाहिद अन्हु फयस्लिबुहा हियल्लहा व युजरिदुहा मिन किस्वतिहा कअन्नी अन्जुरू इलैहि उसैलउ उफ़ेदअ यक्लूबु अलैहा बिमस्हातिही औ बिमुअव्वलिही क़ील हाज़ल्हदीषु युखालिफु कौलहू तआला अव लम यरौ अन्ना जअल्ना हरामन आमिनन व लिअन्नल्लाह हबस अन मक्कत अल्फ़ील व लम युमक्किन अस्हाबुहू मिन तखरीबिल्कअबति व लम तकुन इज़ ज़ाक कब्लतन फकैफ़ युसल्लतु अलैहल्हबशतु बअद इन सारत किब्लतल्मुस्लिमीन व उजीब बिअन्न ज़ालिक महमूलुन अला अन्नहू यक़उ फी आखिरिज़्ज़मानि कुर्ब क्रियामिस्साअति ला यक्क़ फ़िल्अर्जि अहदुन यकूलु अल्लाह अल्लाह कमा ष़बत फ़ी सहीहि मुस्लिम ला तकूमस्साअतु हत्ता ला युक्क़ाल फ़िल्अर्जि अल्लाह अल्लाह व अतरज़ बअज़ुल्मुल्हिदीन अलल्हदीषिल्माजी फ़क़ाल कैफ़ सवदतहु ख़तायल्मुश्रिकीन व लम तबयज्जत ताआतु अहलितीहीद व उजीब बिमा क़ाल इब्नु कुतैबत लौ शाअल्लाहु लकान ज़ालिक व इन्नमा अजरल्लाहुलादत बिअन्नस्सवाद यस्बिगु व ला यन्सबिगु अलल्अक्सि मिनल्बयाज़ि (फ़त्हुल्बारी)

बाब 50 : हज़रे अस्वद का बयान

1597. हमसे मुहम्मद बिन क़प्पीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें सुफ़यान प्रौरी ने ख़बर दी, उन्हें आ' मश ने, उन्हें इब्राहीम ने, उन्हें आबिस ने, उन्हें रबीआ ने कि हज़रत उमर (रज़ि.) हज़रे अस्वद के पास आए और उसे बोसा दिया और फ़र्माया मैं ख़ूब जानता हूँ कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है, न किसी को नुक़सान पहुँचा सकता है न नफ़ा। अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए मैं न देखता तो मैं भी कभी तुझे बोसा न देता। (दीगर मक़ाम : 1605, 1610)

• ۵۰ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

۱۵۹۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَائِشِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَلْتُكَ)).

[طرفه ن : ۱۶۰۵، ۱۶۱۰]

तशरीह : हज़रे अस्वद वो काला पत्थर है जो का'बा के मशिकी (पूर्वी) कोने में लगा हुआ है। सहीह हदीष में है कि हज़रे अस्वद जन्नत का पत्थर है। पहले वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था फिर लोगों के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। हाकिम की रिवायत में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) की ये बात सुनकर अली (रज़ि.) ने फ़र्माया था ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये पत्थर बिगाड़ और फ़ायदा कर सकता है, क़यामत के दिन उसकी आँखें होंगी और जुबान और होंठ और वो गवाहो यहा हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये सुनकर फ़र्माया, अबुल हसन! जहाँ तुम न हो वहाँ अल्लाह मुझको न रखे। ज़हबी ने कहा कि हाकिम की रिवायत साक़ि़त है। खुद मर्फूअन हदीष में आँहज़रत (ﷺ) से ष़ाबित है कि आप (ﷺ) ने भी हज़रे अस्वद को बोसा देते वक़्त ये कहा था और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने भी ऐसा ही कहा। अख़रजहू इब्नु अबी शैबा उसका मतलब ये है कि तेरा चूमना सिर्फ़ आँहज़रत (ﷺ) की इत्तिबाअ की निय्यत से है।

इस रिवायत से साफ़ ये निकला कि क़ब्रों की चौखट चूमना या क़ब्रों की ज़मीन चूमना या खुद क़ब्र को चूमना सब नाजाइज़ काम हैं। बल्कि बिदआते सइय्या हैं क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रे अस्वद को सिर्फ़ इसलिये चूमा कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसे चूमा था और आँहज़रत (ﷺ) से या सहाबा से कहीं मन्कूल नहीं है कि उन्होंने क़ब्रों का बोसा लिया हो। ये सब काम जाहिलों ने निकाले हैं और शिर्क हैं क्योंकि जिनकी क़ब्रों को चूमते हैं उनको अपने नफ़ा-नुक़सान का मालिक जानते हैं और उनकी दुहाई देते हैं और उनसे मुरादे मांगते हैं, लिहाज़ा इसके शिर्क होने में क्या कलाम है? कोई ख़ालिस मुहब्बत से चूमे तो ये भी ग़लत और बिदअत होगा इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) और आपके सहाबा से कहीं किसी क़ब्र को चूमने का षुबूत नहीं है।

अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) फर्माते हैं, क़ालत्तबरी इन्नमा क़ाल ज़ालिक उमरू लिअन्ननास कानू हदीषि अहदिम्बिइबादल्अस्नामि फखशिय उमरू अय्यजुन्नल्जुह्हालु अन्न इस्तिलामल्हजि मिम्बाबि तअज़ीमि बअजिल्अहजारि कमा कानतिल्अरबू तफ़अलु फिल्जाहिलिय्यति फअराद उमरू अय्युअल्लिमन्नास अन्न इस्तिलामहू इत्तिबाअ लिफिअलि रसूलिल्लाहि (ﷺ) ला लिअन्नल्हजर यन्फउ और यज़ुरू बिज़ातिही कमा कानतिल्जाहिलिय्यतु तअतक्रिदुहू फिल्औषानि. (फ़तहुल्बारी)

ये वो तारीखी पत्थर है जिसे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और आपके बेटे हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के मुबारक जिस्मों से छुए होने का शर्फ़ हासिल है। जिस वक़्त खाना का 'बा की इमारत बन चुकी तो हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) से कहा कि एक पत्थर उठा लाओ ताकि उसको उस जगह लगा दूँ जहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाए। तारीख़े मक्का में है फ़क़ाल इब्राहीमु लिइस्माईल अलैहिस्सलाम या इस्माईलु इतीनीं बिहज्जिन अज़अहू हत्ता यकून अलमल्लिन्नासि यत्तदून मिन्हुत्तवाफ़ या'नी हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) से कहा कि एक पत्थर लाओ ताकि उसे उस जगह रख दूँ जहाँ से लोग तवाफ़ शुरू करें।

कुछ लोगों की रिवायात के आधार पर इस पत्थर की तारीख़ हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) के जन्नत से निकलने के साथ साथ शुरू होती है। चुनाँचे तूफ़ाने नूह के वक़्त ये पत्थर बहकर कोहे अबू क़बीस पर चला गया। इस मौक़े पर कोहे अबू क़बीस से सदा बुलन्द हुई कि ऐ इब्राहीम! ये अमानत एक मुद्दत से मेरे सुपुर्द है। आपने वहाँ से उस पत्थर को हासिल करके का'बा के एक कोने में नसब कर दिया और का'बा का तवाफ़ करने के लिये उसको शुरू करने और ख़त्म करने की जगह ठहराया।

हाजियों के लिये हज़रे अस्वद को बोसा देना हाथ लगाना ये काम मस्नून और कारे षवाब हैं। क़यामत के दिन ये पत्थर उन लोगों की गवाही देगा जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिये आते हैं और उसको हाथ लगाकर हज्र या उम्रह की शहादत षब्त (दर्ज) कराते हैं।

कुछ रिवायात की बिना पर ज़माना-ए-इब्राहीमी में पैमान लेने का ये आम दस्तूर था कि एक पत्थर रख दिया जाता जिस पर लोग आकर हाथ मारते। इसका मतलब ये होता कि जिस ज़माने के लिये वो पत्थर गाढ़ा गया है उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया बल्कि अपने दिलों में उस पत्थर की तरह मज़बूत गाड़ लिया। इसी दस्तूर के मुवाफ़िक़ हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने मुक़तदा क़ौम के लिये ये पत्थर नसब किया ताकि जो शख़्स बैतुल्लाह शरीफ़ में दाखिल हो उस पत्थर पर हाथ रखे। जिसका मतलब ये है कि उसने तौहीदे इलाही के बयान को कुबूल कर लिया। अगर जान भी देनी पड़ेगी तो उससे मुन्हरिफ़ न होगा। गोया हज़रे अस्वद का इस्तिलाम अल्लाह तआला से बैअत करना है। इस तम्प़ील की तशरीह एक हदीष में यूँ आई है, अनिब्नि अब्बासिन मर्फूअन अल्हज़रल्अस्वदु यमीनुल्लाहि फ़ी अज़िही युसाफ़िहु बिही ख़ल्क़हू (तबरानी) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) मर्फूअन रिवायात करते हैं कि हज़रे अस्वद ज़मीन में गोया अल्लाह का दायँ हाथ है जिसे अल्लाह तआला अपने बन्दों से मुसाफ़ा फ़र्माता है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की दूसरी रिवायात में ये अल्फ़ाज़ आए हैं, नज़लल्हज़रल्अस्वदु मिनल्जन्नति व हुव अशदु बयाज़न मिनल्लबनि फसवदत्तु ख़ताया बनी आदम (रवाहुत्तिर्मिज़ी वअहमद) या'नी हज़रे अस्वद जन्नत से नाज़िल हुआ तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था मगर इंसानों की ख़ताकारियों ने उसको स्याह कर दिया। इससे हज़रे अस्वद की शराफ़त व बुजुर्गी मुराद है।

एक रिवायात में यूँ आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह तआला इस तारीख़ी पत्थर को नुत्क़ और बस़ारत से सरफ़राज़ फ़र्माएगा। जिन लोगों ने हक्कानिय्यत के साथ तौहीदे इलाही का अहद करते हुए उसको चूमा है उन पर ये गवाही देगा। इन फ़ज़ाइल के बावजूद किसी मुसलमान का ये अक़ीदा नहीं है कि ये पत्थर मा'बूद है उसके इख़्तियार नफ़ा और ज़रर है।

एक बार हज़रत फ़ारूके अज़म (रज़ि.) ने हज़रे अस्वद को बोसा देते हुए साफ़ ऐलान किया था इन्नी आलमु इन्नक हज़रुन ला तज़ुरू व ला तन्फ़उ व लौला इन्नी राइतु रसूलिल्लाहि (ﷺ) युक्ब्बिलुक मा कब्बलतुक (रवाहुस्सिक्तु व अहमद) या'नी मैं ख़ूब जानता हूँ कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है, तेरे क़ब्जे में न किसी का नफ़ा है और नुक़सान

और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी भी बोसा न देता।

अल्लामा तबरी मरहूम लिखते हैं, इन्नमा काल जालिक उमरू लिअन्ननास कानू हदीषि अहदि बिइबादतिल्अस्नामि फखशियं उमरू अय्यजुन्नल्हुहहालु अन्न इस्तिलामल्हज्रि मिम्बाबि तअजीमि बअजिल्अहजारि कमा कानतिल्अरबु तफ्रअलु फिल्जाहिलियति फ़अराद उमरु अय्यअल्लिमन्नास अन्न इस्तिलामहू इत्तिबाउ लिफिअलि रसूलिल्लाहि (ﷺ) कानल्हज्रू यन्फउ व यजुरू बिजातिही कमा कानतिल्जाहिलियतु तअतक्रिदुहू फिल्औषानि या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये ऐलान इसलिये किया कि अकषर लोग बुतपरस्ती से निकलकर करीबी ज़माने में इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस ख़तरे को महसूस कर लिया कि जाहिल लोग ये न समझ बैठे कि ज़मान-ए-जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक पत्थरों की ता'ज़ीम है। इसलिये आपने लोगों को आगाह किया है कि हज़रे अस्वद का इस्तिलाम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल (ﷺ) की इत्तिबाअ में किया जाता है। वरना हज़रे अस्वद अपनी ज़ात में नफ़ा या नुक़सान पहुँचाने की ताक़त नहीं रखता। जैसा कि अहदे जाहिलियत के लोग बुतों के बारे में ए'तिकाद रखते थे।

इन्ने अबी शैबा और दारे कुत्नी ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के भी यही अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं कि आपने भी हज़रे अस्वद के इस्तिलाम करनेके समय यूँ फ़र्माया, मैं जानता हूँ कि तेरी हक़ीक़त एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं। नफ़ा या नुक़सान की कोई ताक़त तेरे अंदर नहीं। अगर मैंने आँहज़रत (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझको बोसा न देता।

कुछ मुहदिषीन ने खुद नबी करीम (ﷺ) के अल्फ़ाज़ भी नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने हज़रे अस्वद को बोसा देते हुए फ़र्माया, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है जिसमें नफ़ा व नुक़सान की ताषीर नहीं है। अगर मुझे मेरे रूब का हुक्म न होता तो मैं तुझे बोसा न देता।

इस्लामी रिवायत की रोशनी में हज़रे अस्वद की हैषियत एक तारीख़ी पत्थर की है जिसको अल्लाह के ख़लील इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने खान-ए-का'बा की ता'मीर के वक़्त एक बुनियादी पत्थर की हैषियत से नसब किया। इस लिहाज़ से दीने हनीफ़ की हज़ारों साल का इतिहास इस पत्थर के साथ जुड़ जाता है। अहले इस्लाम इसकी जो भी ता'ज़ीम इस्तिलाम वग़ैरह की शक़ल में करते हैं वो सब कुछ सिर्फ़ इसी बिना पर है मिल्लते इब्राहीमी का अल्लाह के यहाँ मक्बूल होना और मज़हबे इस्लाम की हक़ानियत पर भी ये पत्थर एक तारीख़ी शाहिदे आदिल की हैषियत से बड़ी अहमियत रखता है जिसको हज़ारों साल के बेशुमार इक़लाब फ़ना न कर सके। वो जिस तरह हज़ारों साल पहले नसब किया गया था आज भी उसी शक़ल में उसी जगह तमाम दुनिया के हादिषात, इक़लाबों का मुकाबला करते हुए मौजूद है। उसको देखने से, उसको चूमने से एक सच्चे मुसलमान मुबहिहद की नज़रों के सामने दीने हनीफ़ के चार हज़ार साला तारीख़ी औराक एक के बाद एक उलटने लग जाते हैं। हज़रत ख़लीलुल्लाह और हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिमस्सलाम की पाक ज़िन्दगियाँ सामने आकर मज़रिफ़ते हक़ की नई-नई राहें दिमाग़ों के सामने खोल देती हैं। रूहानियत वज्द में आ जाती है। तौहीद परस्ती का जज़्बा जोश मारने लगता है। हज़रे अस्वद बिनाए तौहीद का एक बुनियादी पत्थर है। दुआए ख़लील व नवीदे मसीहा हज़रत सय्यिदुल अंबिया (ﷺ) की सदाक़त के इज़हार के लिये एक ग़ैर फ़ानी यादगार है। इस मुख़्तसर से तब्सरा के बाद किताबुल्लाह सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की रोशनी में इस हक़ीक़त को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिये कि मस्नूआते इलाहिया में जो चीज़ भी मुहतरम है वो बिज़ात मुहतरम नहीं है बल्कि पैग़म्बरे इस्लाम की ता'लीमे इशाद की वजह से मुहतरम है। इसी कुल्लिया के खातिर खान-ए-का'बा, हज़रे अस्वद, सफ़ा-मरवा वग़ैरह वग़ैरह मुहतरम करार पाए। इसीलिये इस्लाम का कोई फ़ेअल भी जिसको वो इबादत या लायके अज़मत करार देता हो ऐसा नहीं है जिसकी सनद सय्यिदना मुहम्मदुरसूलुल्लाह (ﷺ) के वास्ते से हक़ तआला तक न पहुँचती हो। अगर कोई मुसलमान ऐसा फ़ेअल ईजाद करे जिसकी सनद पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) तक न पहुँचती हो तो वो फ़ेअल नज़रों में कैसा भी अच्छा और अक़ल के नज़दीक़ कितना ही मुस्तहसन क्यूँ न हो, इस्लाम फ़ौरन इस पर बिदअत होने का हुक्म लगा देता है और सिर्फ़ इसलिये उसको नज़रों से गिरा देता है कि उसकी सनद हज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) तक नहीं पहुँचती बल्कि वो एक ग़ैर मुल्हम इंसान का ईजाद किया हुआ फ़ेअल है।

उसी पाक ता'लीम का अषर है कि सारा का'बा बावजूद ये कि एक घर है मगर हज़रे अस्वद और रुक्ने यमानी व

मुल्तजिम पर पैगम्बरे इस्लाम (अलैहिस्सलाम) ने जो तरीक़-ए-इस्तिलाय या चिमटने का बतलाया है मुसलमान उससे इंच भर आगे नहीं बढ़ते न दूसरी दीवारों के पत्थरों को चूमते हैं क्योंकि मुसलमान मख़लूक़ाते इलाहिया के साथ रिश्ता कायम करने में पैगम्बर (ﷺ) के इर्शाद व अमल के ताबेअ हैं।

बाब 51 : का'बा का दरवाज़ा अंदर से बन्द कर लेना और उसके हर कोने में नमाज़ पढ़ना जिधर चाहे

1598. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सालिम ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद और बिलाल व उम्मान बिन अबी तलहा चारों खान-ए-का'बा के अंदर गये और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जब दरवाज़ा खोला तो मैं पहला शख़्स था जो अंदर गया। मेरी मुलाक़ात बिलाल से हुई। मैंने पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने (अंदर) नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने बतलाया कि हाँ! दोनों यमनी सतूनों के दरम्यान आपने नमाज़ पढ़ी है। (राजेअ 397)

हदीष और बाब में मुताबक़त जाहिर है। हज़रत इमाम ये बतलाना चाहते हैं कि का'बा शरीफ़ में दाख़िल होकर और दरवाज़ा बन्द करके जिधर चाहे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। दरवाज़ा बन्द करना इसलिये ज़रूरी है कि अगर वो खुला रहे तो उधर मुँह करके नमाज़ी के सामने का'बा को कोई हिस्सा नहीं रह सकता जिसकी तरफ़ रख करना ज़रूरी है। आँहज़रत (ﷺ) ने दोनों यमनी सुतून के बीच नमाज़ पढ़ी जो इतिफ़ाकी चीज़ थी।

बाब 52 : का'बा के अंदर नमाज़ पढ़ना

1599. हमसे अहमद बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमें मूसा बिन उक़्बा ने खबर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब का'बा के अंदर दाख़िल होते तो सामने की तरफ़ चलते और दरवाज़ा पीठ की तरफ़ छोड़ देते। आप उसी तरह चलते रहते और जब सामने की दीवार तक़रीबन तीन हाथ रह जाती तो नमाज़ पढ़ते थे। इस तरह आप उस जगह नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करते थे जिसके बारे में बिलाल (रज़ि.) से मा'लूम हुआ था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहीं नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं का'बा में जिस जगह भी कोई चाहे नमाज़ पढ़ ले।

(राजेअ 397)

٥١- بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

١٥٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَيَلَانٌ وَغُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقَيْتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)).

[راجع: ٣٩٧]

٥٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

١٥٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَيَجْعَلَ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ قَبْضِي، يَتَوَخَى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ بِأَسْرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ

बाब 53 : जो का'बा में दाखिल न हुआ

और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अक़बर हज्ज करते मगर का'बा के अंदर नहीं जाते थे.

1600. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्हें इस्माइल बिन अबी ख़ालिद ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्रह किया तो आपने का'बा का तवाफ़ करके मक़ाम इब्राहीम के पीछे दो रक़अतें पढ़ीं। आपके साथ कुछ लोग थे जो आपके और लोगों के दरम्यान आड़ बने हुए थे। उनमें से एक साहब ने इब्ने अबी औफ़ा से पूछा क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गये थे तो उन्होंने बताया कि नहीं।

(दीगर मक़ाम : 1791, 4188, 4255)

या'नी का'बा के अंदर दाखिल होना कोई लाज़िमी रुकन नहीं। न हज्ज की कोई इबादत है। अगर कोई का'बा के अंदर न जाए तो कुछ क़बाहत नहीं। आँहुज़ूर (ﷺ) खुद हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर अंदर नहीं गए न उम्रतुल क़ज़ाअ में आप अंदर गए और न उम्र-ए-जिअराना के मौक़े पर। ग़ालिबन इसलिये भी नहीं कि उन दिनों का'बा में बुत रखे हुए थे। फिर फ़तहे मक्का के वक़्त आपने का'बा शरीफ़ की तह्नीर की और बुतों को निकाला। तब आप (ﷺ) अंदर तशरीफ़ ले गए। हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर आप (ﷺ) अंदर नहीं गए हालाँकि उस समय का'बा के अंदर बुत भी नहीं थे। ग़ालिबन इसलिये भी कि लोग उसे लाज़िम न समझ लें।

बाब 54 : जिसने का'बा के चारों कोनों में तक्बीर कही

1601. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे इक्रिमा ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान किया, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (फ़तहे मक्का के दिन) तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने का'बा के अंदर जाने से इसलिये इंकार फ़र्माया कि उसमें बुत रखे हुए थे। फिर आप (ﷺ) ने हुक्म दिया और वो निकाले गये, लोगों ने इब्राहीम और इस्माइल (अलैहिमस्सलाम) के बुत भी निकाले उनके हाथों में फ़ाल निकालने के तीर दे रखे थे। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह उन मुश्रिकों को ग़ारत करे, अल्लाह की

نَوَاحِي أَلَيْتِ شَاءَ)). [راجع: ٢٩٧]

٥٣- بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ

١٦٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا)).

[أطرافه في : ١٧٩١، ٤١٨٨، ٤٢٥٥].

٥٤- بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

١٦٠١- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ أَلَيْتِ وَفِيهِ الْإِلَهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرَجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَاتِلَهُمْ

क्रसम! उन्हें अच्छी तरह मा'लूम था कि उन बुजुर्गों ने तीर से फ़ाल कभी नहीं निकाली। उसके बाद आप का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गये और चारों तरफ़ तक्बीर कही। आपने अंदर नमाज़ नहीं पढ़ी। (राजेअ : 398)

اللَّهُ، أَنَا وَاللَّهُ فَذَلَعِلْمُوا أَنَّهُمَا لَمْ
يَسْتَفْسِمَا بِهَا قَطُّ)). فَذَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ
فِي نَوَاحِيهِ، وَأَمَّ يُصَلِّ فِيهِ)).

[راجع : ٣٩٨]

मुशिकीने मक्का ने खान-ए-का'बा में हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) व हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के बुतों के हाथों में तीर दे रखे थे और उनसे फ़ाल निकाला करते। अगर इफ़अल (उस काम को कर) वाला तीर निकलता तो करते अगर लातफ़अल (न कर) वाला होता तो वो काम न करते। ये सब कुछ हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) पर उनका इफ़तिरा था। कुआन ने उनको रिज्मुम्मिन अमलिशैतान कहा कि ये गन्दे शैतानी काम है। मुसलमानों को हर्गिज-हर्गिज ऐसे काम में न पड़ना चाहिये। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़तहे मक्का में का'बा को बुतों से पाक किया। फिर आप अंदर दाखिल हुए और खुशी में का'बा के चारों कोनों में आपने नारा-ए-तक्बीर बुलन्द फ़र्माया। जाअल हक्क व ज़हक़ल बातिल (बनी इस्राईल : 81)

बाब 55 : रमल की इब्तिदा कैसे हुई?

1602. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अरयूब सुखितयानी ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि (उम्रतुल क़ज़ा 7 हिजरी में) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (मक्का) तशरीफ़ लाए तो मुशिकों ने कहा कि मुहम्मद (ﷺ) आए हैं, उनके साथ ऐसे लोग आए हैं जिन्हें यज़िब (मदीना मुनव्वरा) के बुखार ने कमज़ोर कर दिया है। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले तीन चक्रों में रमल (तेज़ चलना जिससे इज़हारे कुव्वत हो) करें और दोनों यमानी रुक्नों के दरम्यान हस्बे मा'मूल चलें और आपने ये हुक्म नहीं दिया कि सब फेरों में रमल करें इसलिये कि उन पर आसानी हो। (दीगर मक़ाम : 4252)

٥٥- بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمْلِ؟

١٦٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَفْتَدِمُ
عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ
النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ
يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعَهُ أَنْ
يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا
الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ)). [طرفه في : ٤٢٥٦].

तशरीह : रमल का सबब हदीषे बाला में खुद ज़िक्र है। मुशिकीन ने समझा था कि मुसलमान मदीने की मरतूब आबो हवा से बिलकुल कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने सहाबा-ए-किराम (रज़ि.) को हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले तीन चक्रों में ज़रा अकड़कर तेज़ चाल चलें, मूँढ़े को हिलाते हुए ताकि कुफ़फ़ारे मक्का देखें और अपने ग़लत ख़याल को वापस ले लें। बाद में ये अमल बतौर सुन्नते रसूल (ﷺ) जारी रहा और अब भी जारी है। अब यादगार के तौर पर रमल करना चाहिये ताकि इस्लाम के उरूज की तारीख़ याद रहे। उस वक़्त कुफ़फ़ारे मक्का दोनों शामी रुक्नों की तरफ़ जमा हुआ करते थे, इसलिये इसी हिस्से में रमल सुन्नत करार पाया।

बाब 56 : जब कोई मक्का में आए तो पहले हजे अस्वद को चूमे तवाफ़ शुरू करते वक़्त और

٥٦- بَابُ اسْتِئْلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
حِينَ يَفْتَدِمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ،

तीन फेरों में रमल करे

1603. हमसे अस्बग बिन फ़रज ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने खबर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें जुहरी ने, उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा। जब आप मक्का तशरीफ़ लाते तो पहले तवाफ़ शुरू करते वक़्त हजे अस्वद को बोसा देते और सात चक्करों में से पहले तीन चक्करों में रमल करते थे।

(दीगर मक़ाम: 1604, 1616, 1617, 1644)

बाब 57 : हज्ज और उम्रह में रमल करने का बयान

1604. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुरैज बिन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैह ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पहले तीन चक्करों में रमल किया और बक़िया चार चक्करों में हस्बे मा'मूल चले, हज्ज और उम्रह दोनों में। सुरैज के साथ इस हदीष को लैष ने रिवायत किया है। कहा कि मुझसे क़बीर बिन फ़रक़द ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से। (राजेअ: 1603)

मुराद हज्जतुल विदाअ और उम्रतुल क़ज़ाअ है। हुदैबिया में आप का'बा तक पहुँच ही न सके थे और जिअराना में इब्ने उमर (रज़ि.) आपके साथ न थे।

1605. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन जा'फ़र ने खबर दी, कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने खबर दी, उन्हें उनके वालिद ने कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हजे अस्वद को ख़िताब करके फ़र्माया। अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूब मा'लूम है कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है जो न कोई नफ़ा पहुँचा सकता है न नुक़सान और अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं कभी बोसा न देता

وَيَوْمَلُ ثَلَاثًا

١٦٠٣- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَفْتَدِمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّمْلَيْنِ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَغْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ)).

[أطرافه في: ١٦٠٤, ١٦١٦, ١٦١٧]

[١٦٤٤]

٥٧- بَابُ الرَّمْلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُورِجُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ١٦٠٣]

١٦٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّمْلَيْنِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَعْظِمُ أَلْكَ حَجْرًا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ

उसके बाद आपने बोसा दिया। फिर फ़र्माया और अब हमें रमल की भी क्या ज़रूरत है? हमने उसके ज़रिये मुश्रिकों को अपनी कुव्वत दिखाई थी तो अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया, फिर फ़र्माया जो अमल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है उसे अब छोड़ना भी हम पसंद नहीं करते। (राजेअ : 1597)

لَا أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمَكَ. فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لَنَا وَاللَّزْمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَأْيَنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَا نَحِبُّ أَنْ تَتْرُكَهُ)).

[راجع: 1097]

हज़रत उमर (रज़ि.) ने पहले रमल की इल्लत और सबब पर खयाल करके उसको छोड़ देना चाहा। फिर उनको खयाल आया कि आँहज़रत (ﷺ) ने ये फ़ेअल किया था। शायद इसमें और कोई हिकमत हो और आपकी पैरवी ज़रूरी है। इसलिये इसको जारी रखा। (वहीदी)

1606. हमसे मुसहद ने बयान किया, उनसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया। जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन दोनों रुक्ने यमानी को चूमते हुए देखा मैंने भी उसके चूमने को ख़्वाह सख़्त हालात हों या नरम नहीं छोड़ा। मैंने नाफ़ेअ से पूछा क्या इब्ने उमर (रज़ि.) उन दोनों यम्नी रुक्नों के दरम्यान मा'मूल के मुत्ताबिक़ चलते थे? तो उन्होंने बताया कि आप मा'मूल के मुत्ताबिक़ इसलिये चलते थे ताकि हज़रे अस्वद को छूने में आसानी रहे। (दीगर मक़ाम : 1611)

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا تَرَكْتُ اسْتِئْلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رِخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاسْتِئْلَامِهِ)). [طرفه في: 1611].

बाब 58 : हज़रे अस्वद को छड़ी से छूना और चूमना.

1607. हमसे अहमद बिन सॉलेह और यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि हमें यूनुस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़तुल वदाअ के मौके पर अपनी कँटनी पर तवाफ़ किया था और आप हज़रे अस्वद का इस्तिलाम एक छड़ी के ज़रिये कर रहे थे और उस छड़ी को चूमते थे। और यूनुस के साथ इस हदीष को दरावदी ने जुहरी के भतीजे से रिवायत किया और उन्होंने अपने चचा (ज़ुहरी) से।

(दीगर मक़ाम : 1612, 1613, 1632, 5293)

٥٨ - بَابُ اسْتِئْلَامِ الرُّكْنَيْنِ بِالْمِخْجَنِ

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَانٍ)) تَابَعَهُ النَّزَّارِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ.

[أطرافه في: 1612, 1613, 1632]

जुम्हूर उलमा का ये कौल है कि हज्रे अस्वद को मुँह लगाकर चूमना चाहिये। अगर ये न हो सके तो हाथ लगाकर हाथ को चूम ले, अगर ये भी न हो सके तो लकड़ी लगाकर उसको चूम ले। अगर ये भी न हो सके तो जब हज्रे अस्वद के सामने पहुँचे हाथ से उसकी तरफ इशारा करके उसको चूम ले।

जब हाथ या लकड़ी से दूर से इशारा किया जाए जो हज्रे अस्वद को लग न सके तो उसे चूमना नहीं चाहिये।

बाब 59 : उस शख्स के बारे में जिसने सिर्फ दोनों अरकाने यमानी का इस्तिलाम किया

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

1608. और मुहम्मद बिन बक्र ने कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझको अमर बिन दीनार ने खबर दी कि अबुशशाअषा ने कहा बैतुल्लाह के किसी भी हिस्से से भला कौन परहेज कर सकता है और मुआविया (रजि.) चारों रुकनों का इस्तिलाम करते थे, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) ने उनसे कहा कि हम इन दो अरकाने शामी और इराक़ी का इस्तिलाम नहीं करते तो मुआविया (रजि.) ने फ़र्माया कि बैतुल्लाह का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसे छोड़ दिया जाए और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि.) भी तमाम अरकान का इस्तिलाम करते थे।

١٦٠٨- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ((وَمَنْ يَطْفِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ. فَقَالَ لَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ)).

1609. हमसे अबुल वलीद त्रयालिसी ने बयान किया, उनसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को सिर्फ़ दोनों यमानी अरकान का इस्तिलाम करते देखा। (राजेअ: 166)

١٦٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمْ أَرِ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)). [راجع: ١٦٦]

का'बा के चार कोने हैं हज्रे-अस्वद, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराक़ी। हज्रे अस्वद और रुकने यमानी को रुकने यमानीयैन और शामी और इराक़ी को शामैन कहते हैं। हज्रे अस्वद के अलावा रुकने यमानी को छूना यही रसूले करीम (ﷺ) और आपके सहाबा-ए-किराम का तरीक़ा रहा है। उसी पर अमल-दरामद है। हज़रत मुआविया (रजि.) ने जो कुछ फ़र्माया वो उनकी राय थी मगर फ़ेअले नबवी (ﷺ) मुकद्दम है।

बाब 60 : हज्रे अस्वद को बोसा देना

٦٠- بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

1610. हमसे अहमद बिन सिनान ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उन्हें वरक़ा ने खबर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने खबर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने देखा हज़रत उमर बिन खत्ताब (रजि.) ने हज्रे

١٦١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

अस्वद को बोसा दिया और फिर फर्माया कि अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते न देखता तो मैं कभी तुझे बोसा न देता।

(राजेअ: 1597)

1611. हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे जुबैर बिन अरबी ने बयान किया कि एक शख्स ने इब्ने उमर (रज़ि.) से हज्जे अस्वद के बोसा देने के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उसको बोसा देते देखा है। उस पर उस शख्स ने कहा अगर हजूम हो जाए और मैं आजिज़ हो जाऊँ तो क्या करूँ? इब्ने उमर (रज़ि.) ने फर्माया कि इस अगर-वगर को यमन में जाकर रखो मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप उसको बोसा देते थे।

बाब 61 : हज्जे अस्वद के सामने पहुँचकर उसकी तरफ़ इशारा करना (जब चूमना न हो सके)

1612. हमसे मुहम्मद बिन मुसना ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद हज़्ज़ाअ ने इकिरमा से बयान किया, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक ऊँटनी पर (सवार होकर का'बा का) तवाफ़ कर रहे थे और जब भी आप हज्जे अस्वद के सामने पहुँचते तो किसी चीज़ से उसकी तरफ़ इशारा करते थे।

(राजेअ: 1607)

बाब 62 : हज्जे अस्वद के सामने आकर तक्बीर कहना

हमसे मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे खालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे इकिरमा ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया नबी करीम (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ एक ऊँटनी पर सवार रहकर किया। जब भी आप हज्जे अस्वद के सामने पहुँचते तो किसी चीज़ से उसकी तरफ़ इशारा करते और तक्बीर कहते। खालिद तहान के साथ इस हदीष को

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَبَلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: ((لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ)).

[راجع: 1097]

1611- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: ((سَأَلَ
رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ
اسْتِغْلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ رُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ
غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْتَمَلَ ((أَرَأَيْتَ)) بِالْيَمَنِ،
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ)).

61- بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا
أَتَى عَلَيْهِ

1612- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ،
كَلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ)).

[راجع: 1607]

62- بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

1613- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ
كَلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَلَّمَ

इब्राहीम बिन तह्मान ने भी खालिद हज्जाअ से रिवायत किया है। (राजेअ: 1607)

عَنْهُ وَكَثِيرٌ. تَابِعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ. [راجع: ١٦٠٧]

तशरीह: या'नी छड़ी से इशारा करते। इमाम शाफिई (रह.) और हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने यही कहा कि तवाफ़ शुरू करते वक़्त जब हज्जे अस्वद चूमे तो ये कहे बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बर अल्लाहुम्म ईमानन बिक व तस्दीक़न बिकिताबिक व वफ़ाअन बिअहदिक व इत्तिबाअन लिस्नुन्नति नबिद्यिक मुहम्मदिन (ﷺ) इमामे शाफिई (रह.) ने अबू नजीह से निकाला कि सहाबा ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा कि हज्जे अस्वद को चूमते वक़्त हम क्या कहें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया यूँ कहो, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बर ईमानन बिल्लाहि व तस्दीक़न लिज़ाबति मुहम्मदन (ﷺ) (वहीदी)

बाब 63 : जो शख़्स (हज्ज या उम्रह की नियत से) मक्का में आए तो अपने घर लौट जाने से पहले तवाफ़ करे, फिर दोबारा तवाफ़ अदा करे फिर सफ़ा पहाड़ पर जाए.

1614, 1615. हमसे अब्दुल ग़ाबिब बिन फ़रज ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया कि मुझे अम्र बिन हारिश् ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अबुल अस्वद से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने उर्वा से (हज्ज का मसला) पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि आइशा (रज़ि.) ने मुझे ख़बर दी थी कि नबी करीम (ﷺ) जब (मक्का) तशरीफ़ लाए तो सबसे पहला काम आपने ये किया वुजू किया फिर तवाफ़ किया और तवाफ़ करने से उम्रह नहीं हुआ। उसके बाद अबूबक्र और उमर (रज़ि.) ने भी इसी तरह हज्ज किया। फिर उर्वा ने कहा कि मैंने अपने वालिद जुबैर के साथ हज्ज किया, उन्होंने भी सबसे पहले तवाफ़ किया। मुहाजिरीन और अंसार को भी मैंने इसी तरह करते देखा था। मेरी वालिदा (अस्मा बिन्ते अबीबक्र रज़ि.) ने भी मुझे बताया कि उन्होंने अपनी बहन (आइशा रज़ि.) और जुबैर और फ़लाँ फ़लाँ के साथ उम्रह का एहराम बाँधा था। जब उन लोगों ने हज्जे अस्वद को बोसा दे लिया तो एहराम खोल डाला था। (दीगर मक़ाम: 1641, 1642, 1796)

٦٣- بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ
مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

١٦١٥، ١٦١٤- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ
وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَتْ
فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ
أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ
تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ غَمْرَةَ. ثُمَّ
حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
مَقْلَةً)). ((ثُمَّ حَجَّجَتْ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ. ثُمَّ
رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَتَوَضَّأُونَ.
وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ فِيهَا وَأَحْتَمَى
وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِغَمْرَةَ، فَلَمَّا
سَخَّوْا الرُّكْنَ حَلَّوْا.

[طرفه في: ١٦٤١]

[طرفاه في: ١٦٤٢، ١٧٩٦]

तशरीह: इमाम बुखारी (रह.) का ये मतलब है कि उम्रह में सिर्फ़ तवाफ़ कर लेने से आदमी का उम्रह पूरा नहीं होता जब तक सफ़ा व मरवा की सई न करे। भले ही इब्ने अब्बास (रज़ि.) से उसके खिलाफ़ मन्कूल है, लेकिन ये कौल जुम्हूर इलमा के खिलाफ़ है और इमाम बुखारी (रह.) ने भी उसका रद्द किया है। कुछ कहते हैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मज़हब यही है कि जो कोई हज्जे मुफ़रद की नियत करे वो जब बैतुल्लाह में दौखिल हो तो तवाफ़ न करे जब तक कि वो

अरफ़ात से लौटकर न आए। अगर तवाफ़ कर लेगा तो हलाल हो जाएगा। ये कौल (और सफ़ा व मरवा दौड़े और सर मुँडाय़ा) भी जुम्हूर उलमा के ख़िलाफ़ है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर इस कौल का रद्द किया। (वहीदी)

1616. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़मरह अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मक्का) आने के बाद सबसे पहले हज्ज और इम्रह का तवाफ़ किया था। उसके तीन चक्करों में आपने सई (रमल) की और बाक़ी चार में हस्बे मा' मूल चले। फिर तवाफ़ की दो रक़अत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरवा की सई की।

(राजेअ: 1603)

1617. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब बैतुल्लाह का पहला तवाफ़ (या'नी तवाफ़े कुदूम) करते तो उसके तीन चक्करों में आप दौड़कर चलते और चार में मा' मूल के मुवाफ़िक़ चलते फिर जब सफ़ा और मरवा की सई करते तो बत्ने मसील (वादी) में दौड़कर चलते।

(राजेअ: 1603)

बाब 64 : औरतें भी मर्दों के साथ तवाफ़ करें

1618. इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुझसे अमर बिन अली ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया और उन्हें अत्ता ने ख़बर दी कि जब इब्ने हिशाम (जब वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक की तरफ़ से मक्का का हाकिम था) ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से मना कर दिया तो उससे उन्होंने कहा कि तुम किस दलील पर औरतों को इससे मना कर रहे हो? जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की पाक बीवियों ने मर्दों के साथ तवाफ़ किया था। इब्ने जुरैज ने पूछा ये पर्दा (की आयत नाज़िल होने)

۱۶۱۶ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْلَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)).

[راجع: ۱۶۰۳]

۱۶۱۷ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافِ الْأَوَّلِ يَحْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)).

[راجع: ۱۶۰۳]

۶۴ - بَابُ طَوَّافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

۱۶۱۸ - وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ - إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَّافِ مَعَ الرِّجَالِ - قَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعَدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعْمَرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ

के बाद का वाक़िया है या उससे पहले का? उन्होंने कहा मेरी उम्र की क़सम! मैंने उन्हें पर्दा (की आयत नाज़िल होने) के बाद देखा। इस पर इब्ने ज़ुरैज ने पूछा कि फिर मर्द औरत मिल-जुल जाते थे। उन्होंने फ़र्माया कि इख़ितलात नहीं होता था, आइशा (रज़ि.) मर्दों से अलग रहकर एक अलग कोने में तवाफ़ करती थीं, उनके साथ मिलकर नहीं करती थीं। एक औरत (वक्रह नामी) ने उनसे कहा उम्मुल मोमिनीन! चलिये (हज़रे अस्वद को) बोसा दें। तो आपने इंकार कर दिया और कहा तू जा चूम, मैं नहीं चूमती और अज़्वाजे मुतहहरात रात में पर्दा करके निकलती थीं कि पहचानी न जातीं और मर्दों के साथ तवाफ़ करती थीं। अल्बत्ता औरतें जब का'बा के अंदर जाना चाहतीं तो अंदर जाने से पहले बाहर खड़ी हो जातीं और मर्द बाहर आ जाते (तो वो अंदर जातीं) मैं और अबैद बिन उमैर आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में उस वक़्त हाज़िर हुए जब आप षबीर (पहाड़) पर ठहरी हुई थीं, (जो मुज़दलिफ़ा में है) इब्ने ज़ुरैज ने कहा कि मैंने अत्ता से पूछा कि उस वक़्त पर्दा किस चीज़ से था? अत्ता ने बताया कि एक तुर्की कुब्बा में ठहरी हुई थीं। उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे और उनके दरम्यान उसके सिवा और कोई चीज़ हाइल न थी। उस वक़्त मैंने देखा कि उनके बदन पर एक गुलाबी रंग का कुर्ता था।

الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطُنَ الرِّجَالُ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُخَالِطُنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةَ مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكَ، وَأَبْتُ. فَكُنْتُ يَخْرُجُنَ مُتَكْرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطْفَنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ النَّيْتَ قَدْ جِئْنَ يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتَى عَائِشَةَ أَنَا وَعُيَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ نَيْبِرٍ، قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قَبَةِ تَرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مَوْرَدًا».

1619. हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने बयान किया, उनसे इर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उनसे ज़ैनब बन्ते अबी सलमा ने, उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने बीमार होने की शिकायत की (कि मैं पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती) तो आपने फ़र्माया कि सवारी पर चढ़कर और लोगों से अलग रहकर तवाफ़ कर ले। चुनाँचे मैंने आम लोगों से अलग रहकर तवाफ़ किया। उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) का'बा के बाज़ू में नमाज़ पढ़ रहे थे और आप

١٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: «شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْكِي فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ))، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَنِينًا يُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى جَنْبِ النَّيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿هُوَ الطُّورُ وَكِتَابٌ

सूरह (वत्तूर व किताबिम् मस्तूर) किरअत कर रहे थे। (राजेअः 464)

مَسْطُورٌ. [راجع: ٤٦٤]

मताफ़ का दायरा वसीअ है। हज़रत आइशा (रज़ि.) एक तरफ़ अलग रहकर तवाफ़ करतीं और मर्द भी तवाफ़ करते रहते। कुछ नुस्खों में हजिज़हू के साथ है या'नी आड़ में रहकर तवाफ़ करतीं। आजकल तो हुकूमते सरुदिया ने मताफ़ ही नहीं बल्कि सारे हिस्से को इस क़दर वसीअ और शानदार बनाया कि देखकर हैरत होती है।

बाब 65 : तवाफ़ में बातें करना

1620. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया कि इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी, कहा कि मुझे सुलैमान अहवल ने ख़बर दी, उन्हें त्राउस ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) का'बा का तवाफ़ करते हुए एक ऐसे शख्स के पास से गुज़रे जिसने अपना हाथ एक-दूसरे शख्स के हाथ से तस्मा या रस्सी या किसी और चीज़ से बाँध रखा था। नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथ से उसे काट दिया और फिर फ़र्माया कि अगर साथ ही चलना है तो हाथ पकड़ के चलो।

(दीगर मक़ाम : 1621, 6702, 6703)

शायद वो अँधा होगा मगर तबरानी की रिवायत से मा'लूम होता है कि वो बाप-बेटे थे। या'नी तल्क बिन शब् और एक रस्सी से दोनों बँधे हुए थे। आपने हाल पूछा तो शब् कहने लगा कि अगर अल्लाह तआला मेरा माल और मेरी औलाद दिला देगा तो मैं बँधा हुआ हज्ज करूँगा। आँहज़रत (ﷺ) ने रस्सी काट दी और फ़र्माया दोनों हज्ज करो मगर ये बाँधना शैतानी काम है। हदीष से ये निकला कि तवाफ़ में कलाम करना दुरुस्त है क्योंकि आपने ऐन तवाफ़ में फ़र्माया कि हाथ पकड़कर ले चल। (वहीदी)

बाब 66 : जब तवाफ़ में किसी को बाँधा देखे या कोई और मकरूह चीज़ तो उसको काट सकता है

1621. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे सुलैमान अहवल ने, उनसे त्राउस ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा कि एक शख्स का'बा का तवाफ़ रस्सी या किसी और चीज़ के ज़रिये कर रहा है तो आपने उसे काट दिया। (राजेअः 1620)

बाब 67 : बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई नंगा आदमी नहीं कर सकता और न कोई मुश्रिक हज्ज कर सकता है

٦٥- بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

١٦٢٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بَسِيرٍ - أَوْ بَخِيظٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ - فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : ((قُدَّةٌ بِيَدِهِ)).

[أطرافه في : ١٦٢١، ٦٧٠٢، ٦٧٠٣]

٦٦- بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا

يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

١٦٢١- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ)). [راجع: ١٦٢٠]

٦٧- بَابُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ غُرْيَانٌ،

وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

1622. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया कि मुझसे हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया और उन्हें अबू हुदैरह (रज़ि.) ने खबर दी कि अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने उस हज्ज के मौक़े पर जिसका अमीर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें बनाया था। उन्हें दसवीं तारीख़ को एक मजमे के सामने ये ऐलान करने के लिये भेजा था कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज्जे बैतुल्लाह नहीं कर सकता और न कोई शख्स नंगा रहकर तवाफ़ कर सकता है। (राजेअ 369)

अहदे जाहिलियत में आम अहले अरब ये कहकर कि हमने इन कपड़ों में गुनाह किए हैं उनको उतार देते और फिर या तो कुरैश से कपड़े मांग कर तवाफ़ करते या फिर नंगे ही तवाफ़ करते। इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने ये ऐलान कराया।

बाब 68 : अगर तवाफ़ करते करते बीच में ठहर जाए तो क्या हुक्म है? एक ऐसे शख्स के बारे में जो तवाफ़ कर रहा था कि नमाज़ खड़ी हो गई या उसे उसकी जगह से हटा दिया गया, अता ये फ़र्माया करते थे कि जहाँ से उसने तवाफ़ छोड़ा वहीं से बिनाअ (या'नी दोबारा वहीं से शुरू कर दे) इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) से भी इस तरह मन्कूल है।

तशीह: इमाम हसन बसरी (रह.) से मन्कूल है कि अगर कोई तवाफ़ कर रहा हो और नमाज़ की तकबीर हो तो तवाफ़ छोड़ दे नमाज़ में शरीक हो जाए और बाद में नये सिरे से तवाफ़ करे। इमाम बुखारी (रह.) ने अता का क़ौल लाकर उन पर रद्द किया। इमाम मालिक (रह.) और शाफ़िई (रह.) ने कहा कि फ़र्ज़ नमाज़ के लिये अगर तवाफ़ छोड़ दे तो बिनाअ कर सकता है या'नी पहले चक्करों की गिनती से मिला ले। लेकिन नफ़्ल नमाज़ के वास्ते छोड़े तो नये सिरे से शुरू करना औला है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक बिनाअ हर हाल में दुरुस्त है। हनाबिला कहते हैं तवाफ़ में मवालात वाजिब है अगर अम्दन (जान-बूझकर) या सह्वन (भूलकर) मवालात छोड़ दे तो तवाफ़ सहीह न होगा। मगर नमाज़ फ़र्ज़ या जनाज़े के लिये क़ह्रान करना दुरुस्त जानते हैं। (वहीदी)

या'नी जितने फेरे कर चुका उनको कायम रखकर सात फेरे पूरे करे। अता के क़ौल को अब्दुर्रज़ाक़ ने और इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल को सईद बिन मसूर (रज़ि.) ने और अब्दुर्रहमान के क़ौल को भी अब्दुर्रज़ाक़ ने वस्ल किया है।

बाब 69 : नबी करीम (ﷺ) का तवाफ़ के सात चक्करों के बाद दो रकअतें पढ़ना

और नाफ़ेअ ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.)

۱۶۶۲- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا قَالِ بْنِ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّخْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَدُّنَ فِي النَّاسِ: (رَأَى لَأَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا) [راجع: ۳۶۹]

۶۸- بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتَقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفِعُ عَنْ مَكَابِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قَطَعَ عَلَيْهِ. وَيَذَكِّرُ نَعْوَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

۶۹- بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسَبُوعِهِ رَكَعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

हर सात चक्करोँ पर दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे। इस्माईल बिन उमर ने कहा कि मैंने जुहरी से पूछा कि अत्ता कहते थे कि तवाफ़ की नमाज़ दो रकअत फ़र्ज़ नमाज़ से भी अदा हो जाती है तो उन्होंने फ़र्माया कि सुन्नत पर अमल ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सात चक्कर पूरे किये हों और दो रकअत नमाज़ न पढ़ी हो।

ये दोहरा तवाफ़ कहलाता है जो जुम्हूर के नज़दीक सुन्नत है।

1623. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा कि क्या कोई इम्रह में सफ़ा मरवा की सई से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तर हो सकता है? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और का'बा का तवाफ़ सात चक्करोँ से पूरा किया। फिर मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरवा की सई की। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के तरीक़े में बेहतरीन नमूना है।

(राजेअ: 295)

अमर ने कहा कि फिर मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इसके बारे में मा'लूम किया तो उन्होंने बताया कि सफ़ा मरवा की सई से पहले अपनी बीवी के करीब भी न जाए।

(राजेअ: 396)

बाब 70 : जो शख़्स पहले तवाफ़ या'नी तवाफ़े कुदूम के बाद फिर का'बा के नज़दीक न जाए और अरफ़ात में हज्ज करने के लिये जाए

या'नी इसमें कोई क़बाहत नहीं अगर कोई नफ़ल तवाफ़ हज्ज से पहले न करे और का'बा के पास भी न जाए फिर हज्ज से फ़ारिग़ होकर तवाफ़ुज्जियारह करे जो फ़र्ज़ है।

عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سَوْعٍ رَكَعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنْ عَطَاءٌ يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَتِي الطَّوَافِ، فَقَالَ: السَّنَةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطْفِئِ النَّبِيُّ ﷺ سَوْعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عُمَرَوِ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْفَعُ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ ((قَدِيمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالنَّبِيِّ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)) [الأحزاب

[٢١]. [راجع: ٢٩٥]

١٦٢٤ - قَالَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لَا يَقْرُبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)). [راجع: ٣٩٦]

٧٠- بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطْفِئْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ

1625. हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, उन्होंने : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ :

कहा कि हमसे फुजैल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन इक्बा ने बयान किया, कहा कि मुझे कुरैब ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से खबर दी, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाए और सात (चक्करोँ के साथ) तवाफ़ किया। फिर मफ़ा मरवा की सई की। उस सई के बाद आप का'बा उस वक़्त तक नहीं गये जब तक अरफ़ात से वापस न लौटे। (राजेअ : 1545)

حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَقِيمَ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَمَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَتَمَّ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ)).

[راجع: ١٥٤٥]

इससे कोई ये न समझे कि हाजी को तवाफ़े कुदूम के बाद फिर नफ़ल तवाफ़ करना मना है, नहीं बल्कि आँहज़रत (ﷺ) दूसरे कामों में मशगूल होंगे और आप का'बा से दूर ठहरे थे या'नी मुहस्सब में। इसलिये हज्ज से फ़ारिग़ होने तक आपको का'बा में आने की और नफ़ल तवाफ़ करने की फ़ुर्सत न थी।

बाब 71: उस शख़्स के बारे में जिसने तवाफ़ की दो रक़अतें मस्जिदुल हुराम से बाहर पढ़ीं उमर (रज़ि.) ने भी हरम से बाहर पढ़ी थीं

1626. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने खबर दी, उन्हें मुहम्मद बिन अब्दुरहमान ने, उन्हें इर्वा ने, उन्हें ज़ैनब ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की। (दूसरी सनद) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू मरवान यह्या बिन अबी ज़करिया ग़स्सानी ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे इर्वा ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुतहहरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का में थे और वहाँ से चलने का इरादा हुआ तो... उम्मे सलमा (रज़ि.) ने का'बा का तवाफ़ नहीं किया और वो भी रवानगी का इरादा रखती थीं... आपने उनसे फ़र्माया कि जब सुबह की नमाज़ खड़ी हो और लोग नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो जाएँ तो तुम अपनी कूँटनी पर तवाफ़ कर लेना। चुनाँचे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ऐसा ही किया

٧١- بَابُ مَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

١٦٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَاءَ الْفَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.)) (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ - وَتَمَّ تَكُنُّ أُمِّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالنَّبِيِّ وَارَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ الصُّبْحُ فَطُوفِي عَلَيَّ بِعَبْرِكَ

और उन्होंने बाहर निकलने तक तवाफ़ की नमाज़ नहीं पढ़ी।
(राजेअ: 464)

बाब 72 : उसके बारे में जिसने तवाफ़ की दो रकअतें मक़ामे इब्राहीम के पीछे पढ़ीं

1627. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अमर बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) (मक्का में) तशरीफ़ लाए तो आपने खान-ए-का'बा का सात चक्करों से तवाफ़ किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी फिर सफ़ा की तरफ़ (सड़ कर) गये और अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है। (राजेअ: 395)

बाब 73 : सुबह और अस्र के बाद तवाफ़ करना

सूरज निकलने से पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) तवाफ़ की दो रकअत पढ़ लेते थे। और हज़रत उमर (रज़ि.) ने सुबह की नमाज़ के बाद तवाफ़ किया फिर सवार हुए और (तवाफ़ की) दो रकअतें ज़ी तुवा में पढ़ीं।

1628. हमसे हसन बिन उमर बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, उनसे हबीब ने, उनसे अत्ता ने, उनसे उर्वा ने, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने कि कुछ लोगों ने सुबह की नमाज़ के बाद का'बा का तवाफ़ किया। फिर एक वा'ज़ करने वाले के पास बैठ गये और जब सूरज निकलने लगा तो वो लोग नमाज़ (तवाफ़ की दो रकअत) पढ़ने के लिये खड़े हो गये। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने (नागवारी के साथ) फ़र्माया जबसे तो ये लोग बैठे थे और जब वो वक़्त आया कि जिसमें नमाज़ मकरूह है तो नमाज़ के लिये खड़े हो गये।

وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ)). فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَلَمْ

تُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتُ)). [راجع: ٤٦٤]

٧٢- بَابُ مَنْ صَلَّى رَكَعَتِي

الطَّوَّافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

١٦٢٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ

ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ((قَدِمَ

النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالنَّبِيِّتِ سَبْعًا وَصَلَّى

خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ

عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)). [راجع: ٣٩٥]

٧٣- بَابُ الطَّوَّافِ بَعْدَ الصُّبْحِ

وَالفَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

يُصَلِّي رَكَعَتِي الطَّوَّافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ

الشمسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ بِيَدِي طَوَّى

١٦٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ

الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ

حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالنَّبِيِّتِ

بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى

الْمَذَكْرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا

يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ

فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ)).

1629. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़मरह ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उत्रबा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है। आप (ﷺ) सूरज तुलूअ होते और गुरुब होते वक़्त नमाज़ पढ़ने से रोकते थे।

1630. हमसे हसन बिन मुहम्मद ज़ा'फ़रानी ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदह बिन हुमैद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अजीज़ बिन रुफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) को देखा कि आप फ़ज्र की नमाज़ के बाद तवाफ़ कर रहे थे और फिर आपने दो रकअत (तवाफ़ की) नमाज़ पढ़ी।

1631. अब्दुल अजीज़ ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) को अस्र के बाद भी दो रकअत नमाज़ पढ़ते देखा था। वो बताते थे कि आइशा (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी उनके घर आते (अस्र के बाद) तो ये दो रकअत ज़रूर पढ़ते थे। (राजेअ: 590)

बाब 74 : मरीज़ आदमी सवार होकर तवाफ़ कर सकता है

1632. हमसे इस्हाक़ वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद तिहान ने ख़ालिद हज़ज़ाअ से बयान किया, उनसे इक्मिमा ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ ऊँट पर सवार होकर किया। आप जब भी (तवाफ़ करते हुए) हज़रे अस्वद के नज़दीक आते तो अपने हाथ को एक चीज़ (छड़ी) से इशारा करते और तक्बीर कहते। (राजेअ: 1607)

इस हदीष में चाहे ये ज़िक्र नहीं है कि आप बीमार थे और बज़ाहिर बाब के तर्जुमा से मुताबिक़ नहीं है मगर इमाम बुखारी (रह.) ने अबू दाऊद की रिवायत की तरफ़ इशारा किया जिसमें साफ़ ये है कि आप बीमार थे। कुछ ने कहा जब बग़ैर बीमारी या उम्र के सवारी पर तवाफ़ दुरुस्त हुआ तो बीमारी में बतरीके औला दुरुस्त होगा। इस तरह बाब का मतलब निकल आया।

1633. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा कअम्बी ने बयान

۱۶۲۹- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صُمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا))

۱۶۳۰- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزُّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ))

۱۶۳۱- قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ((وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْنَهَا إِلَّا صَلَاةً))

[راجع: ۵۹۰]

۷۴- بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

۱۶۳۲- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعْضِ كَلِمَاتٍ آتَى عَلَى الرَّسْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ))

[راجع: ۱۶۰۷]

۱۶۳۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने, उनसे उर्वा ने बयान किया, उनसे ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा ने, उनसे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की कि मैं बीमार हो गई हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया फिर लोगों के पीछे सवार होकर तवाफ़ कर ले। चुनाँचे मैंने जब तवाफ़ किया तो उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के बाज़ू में (नमाज़ के अंदर) (वत्तूर व किताबिम्मस्तूर) की क़िरअत कर रहे थे।

(राजेअ: 464)

बाब 75 : हाजियों को पानी पिलाना

1634. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबुल अस्वद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़म्मह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने पानी (ज़मज़म का हाजियों को) पिलाने के लिये मिना के दिनों में मक्का ठहरने की इजाज़त चाही तो आप (ﷺ) ने उनको इजाज़त दे दी।

(दीगर मक़ाम: 1743, 1744, 1745)

मा'लूम हुआ कि अगर कोई उज़्र न हो तो 11वीं 12वीं शब को मिना ही में रहना ज़रूरी है। हज़रत अब्बास (रज़ि.) का उज़्र मा'कूल था। हाजियों को ज़मज़म से पानी निकालकर पिलाना उनका क़दीमी ओहदा था। इसलिये आँ हज़रत (ﷺ) ने उनको इजाज़त दे दी।

1635. हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद त्रिहान ने ख़ालिद हज़्ज़ाअ से बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी पिलाने की जगह (ज़मज़म के पास) तशरीफ़ लाए और पानी मांगा (हज्ज के मौक़े पर) अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि फ़ज़ल! अपनी माँ के यहाँ जा और उनके यहाँ से खज़ूर का शरबत ला। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे (यही) पानी पिलाओ। अब्बास (रज़ि.) ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हर शख्स अपना हाथ इसमें डाल देता है। इसके बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) यही कहते रहे कि मुझे (यही)

قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيَّ جَنْبَ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَنْطُورٍ)). [راجع: ٤٦٤]

٧٥- بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

١٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ لِيَأْتِيَ مِنِّي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ)).

[أطرافه في: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥].

١٦٣٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السَّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمَّكَ فَاتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: ((اسْقِينِي)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ.

पानी पिलाओ। चुनाँचे आपने पानी पिया फिर ज़मज़म के करीब आए। लोग कुएँ से पानी खींच रहे थे और काम कर रहे थे। आपने (उन्हें देखकर) फ़र्माया काम करते जाओ कि एक अच्छे काम पर लगे हुए हो। फिर फ़र्माया (अगर ये ख़याल न होता कि आइन्दा लोग) तुम्हें परेशान कर देंगे तो मैं भी उतरता और रस्सी अपने इस पर रख लेता। मुराद आपकी शाना से थी, आपने उसकी तरफ़ इशारा करके कहा था।

قَالَ: ((اسْتَفِينِي)). فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ: ((اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ)). ثُمَّ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ تَغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ)). يَعْنِي عَائِقَهُ. وَأَشَارَ إِلَى عَائِقِهِ.

मतलब ये है कि अगर मैं उतरकर खुद पानी खींचूंगा तो सैंकड़ों आदमी मुझको देखकर पानी खींचने के लिये दौड़ पड़ेंगे और तुमको तकलीफ़ होगी।

बाब 76 : ज़मज़म का बयान

٧٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

तशीह:

ज़मज़म वो मशहूर कुँआ है जो का'बा के सामने मस्जिदे हुराम में हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के पर मारने से फूट निकला था। कहते हैं ज़मज़म उसको इसलिये कहते हैं कि हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने वहाँ बात की थी। कुछ ने कहा कि उसमें पानी बहुत होने से उसका नाम ज़मज़म हुआ। ज़मज़म अरब की जुबान में बहुत पानी को कहते हैं। एक हदीष में है कि ज़मज़म जिस मक्क़द के लिये पिया जाए वो हासिल होता है।

ज़मज़म का कुँआ दुनिया का वो क़दीम तारीखी कुँआ है जिसकी इब्तिदा सय्यिदना इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की शीर-ख़वारी से शुरू होती है। ये मुबारक चश्मा प्यास की बेताबी में आपकी ऐडियाँ रगड़ने से फ़व्वारे की तरह उस पथरीली ज़मीन में उबला था। आपकी वालिदा हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के सात चक्कर लगाकर आई तो बच्चे के ज़ेरे क़दम ये नेअमते ग़ैर मुतरक़बा देखकर बाग़ बाग़ हो गई। तौरात में इस मुबारक कुँए का ज़िक्र इन लफ़ज़ों में है,

'अल्लाह के फ़रिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा कि ऐ हाजरा! तुझको क्या हुआ मत डर कि उस लड़के की आवाज़ जहाँ वो पड़ा है अल्लाह ने सुनी, उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से सम्भाल कि मैं उसको बड़ी क़ौम बनाऊँगा। फिर अल्लाह ने उसकी आँखें खोलीं और उसने पानी का एक कुँआ देखा और जाकर अपनी मशक को पानी से भर लिया और लड़के को पिला लिया।' (तौरात सफ़रे पैदाइश बाब 21)

कहते हैं कि सय्यिदना इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़मज़म का चश्मा खुशक हो गया, ज्यों-ज्यों ये खुशक होता गया लोग इसे और गहरा करते गए यहाँ तक कि वो एक गहरा कुँआ बन गया।

मुद्तों तक ख़ान-ए-का'बा की तौलियत बनू ज़ुरहुम के हाथों में रही। जब बनू ख़ुज़ाआ को इक़्तिदार मिला तो बनू ज़ुरहुम ने हज़रे अस्वद और ग़िलाफ़े का'बा को ज़मज़म में डाल दिया और उसका मुँह बन्द करके भाग गये। बाद में मुद्तों तक ये मुबारक चश्मा ग़ायब रहा। यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब ने बहुक्मे इलाही ख़वाब में इसके सही मुक़ाम को देखकर इसको निकाला। उसके बारे में अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि मैं सोया हुआ था कि ख़वाब में मुझे एक शख्स ने कहा तय्यिबा को खोदो। मैंने कहा कि तय्यिबा क्या चीज़ है? वो शख्स बग़ैर जवाब दिये चला गया और मैं बेदार हो गया। दूसरे दिन सोया तो ख़वाब में फिर वही शख्स आया और कहा कि मज़नूना को खोदो। मैंने कहा कि मज़नूना क्या चीज़ है? इतने में मेरी आँख खुल गई और वो शख्स ग़ायब हो गया। तीसरी रात फिर वही वाक़िया पेश आया और अबकी दफ़ा उस शख्स ने कहा कि ज़मज़म को खोदो। मैंने कहा कि ज़मज़म क्या है? उसने कहा तुम्हारे दादा इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का चश्मा है। उसमें बहुत पानी निकलेगा और खोदने में तुमको ज़्यादा परेशानी भी न होगी। वो उस जगह है जहाँ लोग कुर्बानियाँ करते

हैं। (अहदे जाहिलियत में यहाँ बुतों के नाम पर कुर्बानियाँ होती थीं) वहाँ चींटियों का बिल है। तुम सुबह को एक कौआ वहाँ चोंच से ज़मीन कुरेदता हुआ देखोगे।

सुबह होने पर अब्दुल मुत्तलिब खुद कुदाल लेकर खड़े हो गए और खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में पानी नमूदार हो गया। जिसे देखकर उन्होंने जोर से तक्बीर कही। कहा जाता है कि ज़मज़म के कुँए में से दो सोने के हिरण और बहुत सी तलवारों और ज़िरहें भी निकलीं। अब्दुल मुत्तलिब ने हिरणों का सोना तो खाना का 'बा के दरवाजों पर लगा दिया। तलवारें खुद रख लीं। अल्लामा इब्ने खल्दून लिखते हैं कि ये हिरण ईरानी ज़ायरीनों ने का'बा पर चढ़ाए थे।

ज़मज़म का कुँआ पानी की कमी की वजह से कई बार खोदा गया। 223 हिजरी में उसकी अकषर दीवारों मुन्हदिम हो गई (गिर गई) और अंदर बहुत सा मलबा जमा हो गया था। उस वक़्त तार्इफ़ के एक शख्स मुहम्मद बिन बशीर नामी ने उसकी मिट्टी निकाली और ज़रूरत के अनुसार उसकी मरम्मत की कि पानी भरपूर आने लगा।

मशहूर मुअर्रिख अज़रकी कहते हैं कि उस वक़्त में भी कुँए के अंदर उतरा था। मैंने देखा कि उसमें तीन तरफ़ से चश्में जारी हैं। एक हज़रे अस्वद की जानिब से दूसरा जबले क़बीस की तरफ़ से और तीसरा मरवह की तरफ़ से, तीनों मिलकर कुँए की गहराई में जमा होते हैं और रात दिन कितना ही खींचो मगर पानी नहीं टूटता।

इसी मुअर्रिख का क़ौल है कि मैंने कअरे आब की भी पैमाइश की तो 40 हाथ कुँए की ता'मीर में और 29 हाथ पहाड़ी ग़ार में, कुल 69 हाथ पानी था। मुम्किन है आजकल ज़्यादा हो गया हो।

145 हिजरी में अबू जा'फ़र मंसूर ने इस पर क़ब्ज़ा बनाया और अंदर संगे—मरमर का फ़र्श लगाया। फिर मामून रशीद ने चाहे ज़मज़म की मिट्टी निकलवाकर उसको गहरा किया।

एक बार कोई दीवाना कुँए के अंदर कूद पड़ा था। उसके निकालने के लिये साहिले जिद्दा (जद्दा के समुद्र तट) से ग़व्वास (गोताखोर) बुलाए गए। बमुश्किल उसकी नअश मिली और कुँए को पाक—साफ़ करने के लिये बहुत सा पानी निकाला गया। इसलिये 1020 हिजरी में सुल्तान अहमद ख़ाँ के हुक्म से चाहे ज़मज़म के अंदर पानी की सतह से सवा तीन फीट नीचे लोहे का जाल डाल दिया गया। 1039 हिजरी मुराद ख़ाँ मरहूम ने जब का'बा शरीफ़ को नये सिरे से ता'मीर किया तो चाहे ज़मज़म की भी नई बेहतरीन ता'मीर की गई। पानी की तह से ऊपर तक संगमरमर से मुजय्यन कर दिया और ज़मीन से एक गज़ ऊँची 2 गज़ चौड़ी मुँडेर बनवा दी। आसपास चारों तरफ़ दो-दो गज़ तक संगमरमर का फ़र्श बनाकर दीवारें उठा दीं और उन पर छत पाटकर एक कमरा बनवा दिया जिसमें सब्ज (हरी) जालियाँ लगा दीं।

1636. और अब्दान ने कहा कि मुझको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमें यूनुस ने खबर दी, उन्हें जुहरी ने, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू ज़र (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जब मैं मक्का में था तो मेरी (घर की) छत खुली और जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) नाज़िल हुए। उन्होंने मेरा सीना चाक किया और उसे ज़मज़म के पानी से धोया। उसके बाद एक सोने का त़शत लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उसे उन्होंने मेरे सीने में डाल दिया और

۱۶۳۶ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ. فَتَزَلَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا. فَأَفْرَغَهَا

फिर सीना बन्द कर दिया। अब वो मुझे हाथ से पकड़कर आसमाने दुनिया की तरफ ले चले। आसमाने दुनिया के दारोगा से जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा दरवाजा खोलो। उन्होंने पूछा कौन है? कहा जिब्रईल (अ.)! (राजेअ : 349)

1637. हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मरवान बिन मुआविया फ़ज़ारी ने ख़बर दी, उन्हें आसिम ने और उन्हें शअबी ने कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उनसे बयान किया, कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़मज़म का पानी पिलाया था। आपने पानी खड़े होकर पिया था। आसिम ने बयान किया कि इक्स्मा ने क़सम खाकर कहा कि आँहुज़ूर (ﷺ) उस दिन ऊँट पर सवार थे। (दीगर मक़ाम : 5617)

तश्रीह : ये मेअराज की हदीष का एक टुकड़ा है। यहाँ इमाम बुखारी (रह.) उसको इसलिये लाए कि इसमें ज़मज़म के पानी की फ़ज़ीलत निकलती है। इसलिये कि आपका सीना उसी पानी से धोया गया था। उसके अलावा और भी कई अह्लादीष ज़मज़म के पानी की फ़ज़ीलत में वारिद हैं मगर हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष की शर्त पर यही हदीष थी। सहीह मुस्लिम में आबे ज़मज़म को पानी के साथ खुराक भी करार दिया गया है और बीमारों के लिये दवा भी फ़र्माया गया है। हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) में मफ़ूअन ये भी है कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू कि ज़मज़म का पानी जिस लिये पिया जाता है, अल्लाह वो देता है।

हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते हैं व सुम्मियत ज़मज़म लिक्षतिहा युक़ालु माउ ज़मज़म अय कषीरुन व क़ील लिइज्तिमाइहा या'नी उसका नाम ज़मज़म इसलिये रखा गया कि ये बहुत है और ऐसे ही मुक़ाम पर बोला जाता है। माउे ज़मज़मअय कषीर या'नी ये पानी बहुत बड़ी मिक्दार में है और उसके जमा होने की वजह से भी उसे ज़मज़म कहा गया है।

मुजाहिद ने कहा कि ये लफ़ज़ हज़मः से मुश्तक़ है। लफ़ज़ हज्मा के मा'नी हैं ऐडियों से ज़मीन में इशारे करना। चूँकि मशहूर है कि हज़रत इस्माइल (अलैहिस्सलाम) के ज़मीन में ऐड़ी रगड़ने से ये चश्मा निकला लिहाज़ा उसे ज़मज़म कहा गया, वल्लाहु आलम

बाब 77 : क़िरान करने वाला एक तवाफ़ करे या दो करे

1638. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें उर्वा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कहा कि हज़तुल विदाअ में हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (मदीना से) निकले और हमने उम्रह का एहराम बाँधा। फिर आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके साथ कुर्बानी का जानवर हो वो हज़ और उम्रह दोनों का एक साथ एहराम बाँधे। ऐसे लोग दोनों के एहराम से एक साथ

فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَمَرَجَّ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيْلُ لِعَارِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا : التَّخ. قَالَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيْلُ)). [راسع : 349]

١٦٣٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ: ((سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرَمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ)). [طرفه في : 5617]

٧٧- بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

١٦٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ ((مَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى

हलाल होंगे। मैं भी मक्का आई थी लेकिन मुझे हैज आ गया था इसलिये जब हमने हज के काम पूरे कर लिये तो आँहुजूर (ﷺ) ने मुझे अब्दुर्रहमान के साथ तन्ईम की तरफ भेजा। मैंने वहाँ से उम्रह का एहराम बाँधा। आँहुजूर (ﷺ) ने फ़र्माया ये तुम्हारे उस उम्रह के बदले में है (जिसे तुमने हैज की वजह से छोड़ दिया था) जिन लोगों ने उम्रह का एहराम बाँधा था उन्होंने सई के बाद एहराम खोल दिया और दूसरा तवाफ़ मिना से वापसी पर किया लेकिन जिन लोगों ने हज और उम्रह का एहराम एक साथ बाँधा था उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया।

(राजेअ: 294)

يَجِلُّ مِنْهُمَا)). فَقَدَرْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّزْمِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ، فَقَالَ ﷺ: ((هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ)). فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٩٤]

तशरीह: तन्ईम एक मशहूर मुकाम है जो मक्का से तीन मील दूर है। आँहुजूर (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की तल्बीह के लिये वहाँ भेजकर उम्रह का एहराम बाँधने के लिये फ़र्माया था। आखिर हदीष में जिक्र है कि जिन लोगों ने हज और उम्रह का एक ही एहराम बाँधा था। उन्होंने भी एक ही तवाफ़ किया और एक ही सई की। जुम्हूर उलमा और अहले हदीष का यही क़ौल है कि क़ारिन के लिये एक ही तवाफ़ और एक ही सई हज और उम्रह दोनों की तरफ से काफ़ी है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने दो तवाफ़ और दो सई लाज़िम रखा है और जिन रिवायतों से दलील ली है, वो सब ज़ईफ़ हैं। (वहीदी)

1639. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कह कि हमसे इस्माईल बिन उलथ्या ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने, उनसे नाफ़ेअ ने कि इब्ने उमर (रज़ि.) के लड़के अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उनके यहाँ गये। हज के लिये सवारी घर में खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है कि इस साल मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाएगी और आपको वो बैतुल्लाह से रोक देंगे। इसलिये अगर आप न जाते तो बेहतर होता। इब्ने उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ ले गये थे (उम्रह करने सुलह हुदेबिया के मौक़े पर) और कुफ़ारे कुरैश ने आपको बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया था। इसलिये अगर मुझे भी रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था और तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतर नमूना है। फिर आपने फ़र्माया कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रह के साथ हज (अपने ऊपर) वाजिब कर लिया है। उन्होंने बयान

١٦٣٩ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهَرَهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ فِتْنًا فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتُ. فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كِفَارًا فُرَيْشَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا. قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهَا طَوَافًا وَاحِدًا)).

किया कि फिर आप मक्का आए और दोनों उम्रह और हज्ज के लिये एक ही तवाफ़ किया। (दीगर मक़ाम: 1640, 1693, 1708, 1729, 1806, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 4183, 4184, 4185)

1640. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने नाफ़ेअ से बयान किया कि जिस साल हज्जाज, अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) के मुक्काबले में लड़ने आया था। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जब उस साल हज्ज का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि मुसलमानों में बाहम जंग होने वाली है और ये भी ख़तरा है कि आपको हज्ज से रोक दिया जाए। आपने फ़र्माया तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। ऐसे वक़्त मैं भी वही काम करूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उम्रह वाजिब कर लिया है। फिर आप चले और जब बैदा के मैदान में पहुँचे तो आपने फ़र्माया कि हज्ज और उम्रह तो एक ही तरह के हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रह के साथ हज्ज भी वाजिब कर लिया है। आपने एक कुर्बानी भी साथ ले ली जो मक़ामे कुदैद से ख़रीदी थी। उसके सिवा और कुछ नहीं किया। दसवीं तारीख़ से पहले न आपने कुर्बानी की न किसी ऐसी चीज़ को अपने लिये जाइज़ किया जिससे (एहराम की वजह से) आप रुक गये थे। न सर मुँडवाया न बाल तरशवाए। दसवीं तारीख़ में आपने कुर्बानी की और बाल मुँडवाए। आपका यही ख़याल था कि आपने एक तवाफ़ से हज्ज और उम्रह दोनों का तवाफ़ अदा कर लिया है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसी तरह किया था। (राजेअ: 1639)

पहले अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने सिर्फ़ उम्रह का एहराम बाँधा था। फिर उन्होंने ख़याल किया कि सिर्फ़ उम्रह करने से हज्ज और उम्रह दोनों या'नी क़िरान करना बेहतर है तो हज्ज की भी निय्यत कर ली और पुकारकर लोगों को इसलिये कह दिया ताकि लोग भी उनकी पैरवी करें। बैदाअ मक्का और मदीना के बीच जुल हुलैफ़ा से आगे एक मुक़ाम है। कुदैद भी जुहफ़ा के नज़दीक एक जगह का नाम है।

बाब 78 : (का'बा का) तवाफ़ वुजू करके करना

[اطرافه في : ١٧٠٨ ، ١٦٩٣ ، ١٦٤٠ ،
١٧٢٩ ، ١٨٠٦ ، ١٨٠٧ ، ١٨٠٨ ،
١٨١٠ ، ١٨١٢ ، ١٨١٣ ، ٤١٨٣ ،
٤١٨٤ ، ٤١٨٥.]

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ
الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ
كَائِنٌ بَيْنَهُمْ فَتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ،
فَقَالَ : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةً» إِذَا صَنَعَ كَمَا صَنَعَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ. إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ
أَوْجَبْتُ غُمْرَةَ. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ
بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ
وَالْغُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ
أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَذَا
اشْتِرَاءً بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ، فَلَمْ
يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ وَلَمْ
يَخْلُقْ وَلَمْ يَقْصُرْ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ
فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ
الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَذَلِكَ فَعَلَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ)). [راجع: ١٦٣٩]

٧٨ - بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وَضُوءٍ

1641. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अमर बिन हारिष ने खबर दी, उन्हें मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल कुरशी ने, उन्होंने इर्वा बिन जुबैर से पूछा था, इर्वा ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने जैसा कि मा'लूम है हज किया था। मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसके बारे में खबर दी कि जब आप मक्का मुअज्जमा आए तो सबसे पहला काम ये किया कि आपने वुजू किया, फिर का'बा का तवाफ़ किया। ये आपका उम्रह नहीं था। उसके बाद अबूबक्र (रज़ि.) ने हज किया और आपने भी सबसे पहले का'बा का तवाफ़ किया जबकि ये आपका भी उम्रह नहीं था। उमर (रज़ि.) ने भी इसी तरह किया। फिर इब्मान (रज़ि.) ने हज किया मैंने देखा कि सबसे पहले आपने भी का'बा का तवाफ़ किया। आपका भी ये उम्रह नहीं था। फिर मुआविया और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का ज़माना आया। फिर मैंने अपने वालिद अज़् जुबैर बिन अवाम (रज़ि.) के साथ भी हज किया। ये (सारे अकाबिर) पहले का'बा ही के तवाफ़ से शुरू करते थे जबकि ये उम्रह नहीं होता था। उसके बाद मुहाजिरीन व अंसार को भी मैंने देखा कि वो भी इसी तरह करते रहे और उनका भी ये उम्रह नहीं होता था। आखिरी ज़ात, जिसे मैंने इस तरह करते देखा, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की थी, उन्होंने भी उम्रह नहीं किया था। इब्ने उमर (रज़ि.) अभी मौजूद हैं लेकिन उनसे लोग इसके बारे में पूछते नहीं। इसी तरह जो हज़रत गुजर गये, उनका भी मक्का में दाखिल होते ही सबसे पहला क़दम तवाफ़ के लिये उठता था। फिर ये भी एहराम नहीं खोलते थे। मैंने अपनी वालिदा (अस्मा बिनते अबीबक्र रज़ि.) और खाला (आइशा सिद्दीका रज़ि.) को भी देखा कि जब वो आतीं तो सबसे पहले तवाफ़ करतीं और ये उसके बाद एहराम नहीं खोलती थीं।

(राजेअ: 1614)

1642. और मुझे मेरी वालिदा ने खबर दी कि उन्होंने अपनी

۱۶۴۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ((قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ. ثُمَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ. ثُمَّ مَعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةَ. ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةَ. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمَّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدِيَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ التَّيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ. [راجع: ۱۶۱۴]

۱۶۴۲- وَقَدْ أَخْبَرَنِي أُمِّي: ((أَنَّهَا

बहन और जुबैर और फ़लाँ फ़लाँ (रज़ि.) के साथ उम्रह किया है ये सब लोग हज्जे अस्वद का बोसा ले लेते तो उम्रह का एहराम खोल देते।

(राजेअ: 1615)

أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتَهَا وَالزُّبَيْرِ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّمْنَ حَلَّوْا».

[راجع: ١٦١٥]

तशरीह: जुम्हूर उलमा के नज़दीक तवाफ़ में तहारत या 'नी बावजू होना शर्त है। मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने उर्वह से क्या पूछा इस रिवायत में ये मजकूर नहीं है। लेकिन इमाम मुस्लिम की रिवायत में उसका बयान है कि एक इराकी ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से कहा कि तुम उर्वह से पूछो अगर एक शख्स हज्ज का एहराम बाँधे तो तवाफ़ करके वो हलाल हो सकता है? अगर वो कहें नहीं हो सकता तो कहना कि एक शख्स तो कहते हैं हलाल हो जाता है। मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा मैंने उर्वह से पूछा, उन्होंने कहा तो कोई हज्ज का एहराम बाँधे वो जब तक हज्ज से फ़ारिग न हो हलाल नहीं हो सकता। मैंने कहा एक शख्स तो कहते हैं कि वो हलाल हो जाता है। उन्होंने कहा उसने बुरी बात कही। आखिर हदीष तक.

बाब 79 : सफ़ा और मरवा की सई वाजिब है कि ये अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं

٧٩- بَابُ وَجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعَلٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

1643. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने जुहरी से ख़बर दी कि इर्वा ने बयान किया कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) से पूछा कि अल्लाह तआला के इस फ़र्मान के बारे में आपका क्या ख़याल है (जो सूरह बक्रर: में है कि) सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं। इसलिये जो बैतुल्लाह का हज्ज या उम्रह करे उसके लिये उनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं। क़सम अल्लाह की फिर तो कोई हर्ज न होना चाहिये अगर कोई सफ़ा और मरवा की सई न करनी चाहे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, भतीजे! तुमने ये बुरी बात कही। अल्लाह का मतलब ये होता तो कुआन में यूँ उतरता, उनके तवाफ़ न करने में कोई गुनाह नहीं। बात ये है कि ये आयत तो अंसार के लिये उतरी थी जो इस्लाम से पहले मनात बुत के नाम पर जो मुशल्लल में रखा हुआ था, और जिसकी ये पूजा किया करते थे, एहराम बाँधते थे। ये लोग जब (ज़मान-ए-जाहिलियत में) एहराम बाँधते तो सफ़ा मरवा की सई को अच्छा नहीं ख़याल करते थे। अब जब इस्लाम लाए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसके बारे में पूछा और कहा कि या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हम सफ़ा और मरवा

١٦٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ غُرُوةٌ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَوَأَيَّتِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا» فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحَ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بَشَسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوُ كَانَتْ كَمَا أَوْلَتْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أَنْزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا بِالْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهْلُ يَتَخَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْأَلُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَخْرُجُ أَنْ

की सड़ अच्छी नहीं समझते थे। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई कि सफ़ा और मरवा दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं आख़िर आयत तक। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो पहाड़ों के बीच सड़ की सुन्नत जारी की है। इसलिये किसी के लिये मुनासिब नहीं है कि उसे तर्क कर दे। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उसका ज़िक्र अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान से किया। तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने तो ये इल्मी बात अब तक नहीं सुनी थी, बल्कि मैंने बहुत से अस्हाबे इल्म से तो ये सुना है वो यूँ कहते थे कि अरब के लोग उन लोगों के सिवा जिनका हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ज़िक्र किया जो मनात के लिये एह्राम बाँधते थे सब सफ़ा मरवा का फेरा करते थे। जब अल्लाह पाक ने कुआन शरीफ़ में बैतुल्लाह के तवाफ़ का ज़िक्र किया और सफ़ा मरवा का ज़िक्र नहीं किया तो वो कहने लगे या रसूलुल्लाह (ﷺ)! हम तो जाहिलियत के ज़माने में सफ़ा मरवा का फेरा करते थे और अब अल्लाह ने बैतुल्लाह के तवाफ़ का ज़िक्र तो किया लेकिन सफ़ा और मरवा का ज़िक्र नहीं किया तो क्या सफ़ा और मरवा की सड़ करने में हम पर कुछ गुनाह होगा? तब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं आख़िर आयत तक। अबूबक्र ने कहा मैं सुनता हूँ कि ये आयत दोनों फ़िक्रों के बाब में उतरी है या'नी उस फ़िक्र के बाब में जो जाहिलियत के ज़माने में सफ़ा और मरवा का तवाफ़ बुरा जानता था और उसके बाब में जो जाहिलियत के ज़माने में सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया करते थे। फिर मुसलमान होने के बाद उसका करना इस वजह से कि अल्लाह ने बैतुल्लाह के तवाफ़ का ज़िक्र किया और सफ़ा मरवा का नहीं किया, बुरा समझे। यहाँ तक कि अल्लाह ने बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद उनके तवाफ़ का भी ज़िक्र फ़र्मा दिया।

تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرَكَ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يَهْلُ بِمِنَاةٍ - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلَّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوْفَ بِأَيْتِ وَكَمْ يَذْكُرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمَا تَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوْفَ بِأَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوْفِ بِأَيْتِ وَكَمْ يَذْكُرُ الصَّفَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوْفَ بِأَيْتِ...»

(दीगर मक़ाम: 1790, 4495, 4861)

बाब 80 : सफ़ा और मरवा के बीच किस तरह दौड़े

और इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बनी अब्बाद के घरों से लेकर बनी अबी हुसैन की गली तक दौड़कर चले (बाक़ी राह में मा' मूली चाल से)

1644. हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ईसा बिन यूसुस ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने,, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पहला तवाफ़ करते तो उसके तीन चक्करों में रमल करते और बक्रिया चार में मा' मूल के मुताबिक़ चलते और जब सफ़ा और मरवा की सई करते तो आप नाले के नशीब में दौड़ा करते थे। अब्दुल्लाह ने कहा मैंने नाफ़ेअ से पूछा, इब्ने उमर (रज़ि.) जब रुकने यमानी के पास पहुँचते तो क्या हस्बे मा' मूल चलने लगते थे? उन्होने फ़र्माया कि नहीं। अल्बत्ता अगर रुकने यमानी पर हुजूम होता तो हज़रे अस्वद के पास आकर आप आहिस्ता चलने लगते क्योंकि वो बग़ैर चूमे उसको नहीं छोड़ते थे। (राजेअ: 1603)

[اطرافه في : ١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٨٦١.]

٨٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَادِ رُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ ١٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ حَبًّا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّمْنَ الْيَمَانِي؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّمْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ)). [راجع: ١٦٠٣]

बनी अब्बाद का घर और बनी अबी अल हुसैन का कूचा उस ज़माने में मशहूर होगा। अब हाजियों की शिनाख्त के लिये दौड़ने के मुक़ाम में दो सब्ज़ मिनारे बना दिये गये हैं।

1645. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफयान बिन उययना ने अमर बिन दीनार से बयान किया कि हमने इब्ने उमर (रज़ि.) से एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जो उमरह में बैतुल्लाह का तवाफ़ तो कर ले लेकिन सफ़ा और मरवा की सई नहीं करता, क्या वो अपनी बीवी से सुहबत कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया नबी करीम (ﷺ) (मक्का) तशरीफ़ लाए तो आपने बैतुल्लाह का सात चक्करों के साथ तवाफ़ किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रक़अत नमाज़ पढ़ी। फिर सफ़ा और मरवा की सात मर्तबा सई की और तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ ((سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطْفِئْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَبَائِي أَمْرَانَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)).

(राजेअ: 395)

1646. हमने इसके बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से भी पूछा तो आपने फ़र्माया कि सफ़ा और मरवा की सई से पहले बीवी के करीब भी न जाए।

(राजेअ: 396)

1647. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया कि मुझे अमर बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का तशरीफ़ लाए तो आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की। उसके बाद अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ये आयत तिलावत की, तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है।

(राजेअ: 395)

1648. हमसे अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने बयान किया; उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें आसिम अहवल ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा क्या आप लोग सफ़ा और मरवा की सई को बुरा समझते थे? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! क्योंकि ये अहदे जाहिलियत का शिआर था। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्मा दी, सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। पस जो कोई बैतुल्लाह का हज्ज या उम्रह करे उस पर उनकी सई करने में कोई गुनाह नहीं।

(दीगर मक़ाम: 4496)

मज़मून इस रिवायत के मुवाफ़िक़ है जो हज़रत आइशा (रज़ि.) से ऊपर गुजरी कि अंसार सफ़ा और मरवा की सई बुरी समझते थे।

1649. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अमर बिन दीनार ने, उनसे अत्रा बिन अबी रिबाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई इस तरह की कि

[राजेअ: 395]

۱۶۴۶- وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: ((لَا يَفْرَتْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)).

[राजेअ: 396]

۱۶۴۷- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالنَّبِيِّتِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ تَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:

۲۱]) . [राजेअ: 395]

۱۶۴۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَسِّ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾)). [طرنه في: 4496].

۱۶۴۹- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّبِيِّتِ

मुश्रिकीन को आप अपनी कुव्वत दिखला सकें। हुमैदी ने ये इजाफा किया है कि हमसे सुफयान बिन उययना ने बयान किया, उनसे अमर बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैंने अता से सुना और उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यही हदीष सुनी।

وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ
قُوَّتَهُ)). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ : سَمِعْتُ
عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

तशीह:

हजरे अस्वद को चूमने या छूने के बाद तवाफ करना चाहिये। तवाफ क्या है? अपने आपको महबूब पर फिदा करना, कुर्बान करना और परवाने की तरह घूमकर अपने इशको—मुहब्बत का षुबूत पेश करना। तवाफ का फ़ज़ीलत में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि अन्नन्नबिद्य (ﷺ) काल मन ताफ़ बिल्बैत सबअन व ला यतकल्लमु इल्ला बिसुहानिल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरू व ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि मुहियत अन्हु अशर सय्यआतिन व कुतिब लहू अशर हसनातिन व रूफिअ लहू अशर दरजातिन व मन ताफ़ फतकल्लम व हुव फ़ी तिलकल्हालि खाज़ फिरहमति बिरिजलयहि कखाइज़िल्माइ बिरिज़्लैहि (रवाहु इब्नु माजा) या'नी आहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने बैतुल्लाह शरीफ़ का सात बार तवाफ़ किया और सिवाए तस्बीह व तहमीद के कोई फ़िज़ूल कलाम अपनी जुबान से न निकाला। उसके दस गुनाह मुआफ़ होते हैं और दस नेकियाँ उसके नामा-ए-आमाल में लिखी जाती है और उसके दस दर्जे बुलन्द होते हैं और अगर किसी ने हालते तवाफ़ में तस्बीह व तहमीद के साथ लोगों से कुछ कलाम भी किया तो वो रहमते इलाही में अपने दोनों पैरों तक दाख़िल हो जाता है जैसे कोई शख्स अपने पैरों तक पानी में दाख़िल हो जाए।

मुल्ला अली क़ारी फ़र्माते हैं कि मक्क़सद ये है कि सिवाय तस्बीह व तहमीद के और कुछ कलाम न करने वाला अल्लाह की रहमत में अपने क़दमों से सर तक दाख़िल हो जाता है और कलाम करने वाला सिर्फ़ पैरों तक।

तवाफ़ की तर्कीब ये है कि हजरे अस्वद को चूमने के बाद बैतुल्लाह शरीफ़ को अपने बाएँ हाथ करके रुकने यमानी तक ज़रा तेज़ तेज़ इस तरह चलें कि क़दम क़रीब—क़रीब पड़ें और कँधे हिलें। इसी अफ़्ना में सुबहानिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरू व ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि इन मुबारक कलिमात को पढ़ता रहे और अल्लाह तआला की अज़मत, उसकी शान का कामिल ध्यान रखे। उसकी तौहीद को पूरे तौर पर दिल में जगह दे। उस पर पूरे पूरे तवक्क़ल का इज़हार करे। साथ ही ये दुआ भी पढ़े। अल्लाहुम्म कनअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीहि वख़िलफ़ अला कुल्लि गाइबतिन ली बिख़ैरिन (नैलुलऔतार) इलाही मुझको जो कुछ तूने नसीब किया उस पर क़नाअत करने की तौफ़ीक़ अता कर और उसमें बरकत भी दे और मेरे अहलो-अयाल व माल और मेरी हर पोशिदा चीज़ की तू ख़ैरियत के साथ हिफ़ाज़त फ़र्मा। अल्लाहुम्म इन्नी अरुज़ुबिक मिनशक़िकि वशिशक़िकि वन्नफ़ाक़िकि वशिशक़ाक़िकि व सइल अख़लाक़िकि (नैल) इलाही! मैं शिक़ से, दीन में शक़ करने से और निफ़ाक़ व दोगलेपन और नाफ़र्मांनी और तमाम बुरी आदतों से तेरी पनाह चाहता हूँ।

तस्बीह व तहमीद पढ़ता हुआ और इन दुआओं को बार बार दोहराता हुआ रुकने यमानी पर दुलकी चाल से चले रुकने यमानी ख़ाना का'बा के जुनूबी (दक्षिणी) कोने का नाम है जिसको सिर्फ़ छूना चाहिये, बोसा नहीं देना चाहिये। हदीष शरीफ़ में आया है कि इस कोने पर सत्तर फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। जब तवाफ़ करने वाला हजरे अस्वद से मुलतज़िम, रुकने इराक़ी और मीज़ाबे रहमत पर से होता हुआ यहाँ पहुँचकर दीन व दुनिया की भलाई के लिये बारगाहे इलाही में खुलूसे दिल के साथ दुआएँ करता है तो ये फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। रुकने यमानी पर ज़्यादातर ये दुआएँ पढ़नी चाहिये, अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुकलअफ़व वल्आफ़ियत फिहुनिया वल्आख़िरति. रब्बना आतिना फिहुनिया हसनतन व फिल्आख़िरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार (मिशकात शरीफ़) या'नी या अल्लाह! मैं तुझसे दुनिया और आख़िरत में सलामती चाहता हूँ, ऐ मा'बूदे बरहक़! तू मुझको दुनिया व आख़िरत की तमाम नेअमतें अता कर और दोज़ख़ की आग

से हमको बचा ले। रमल फ़क़त तीन चक्रों में करना चाहिये। रमल ये मतलब है कि तीन पहले चक्रों में ज़रा अकड़कर शाना हिलाते हुए चला जाए। ये रमल हज़रे अस्वद से तवाफ़ शुरू करते हुए रुकने यमानी तक होता है। रुकने यमानी पर रमल को मौकूफ़ किया जाए और हज़रे अस्वद तक बाकी हिस्से में नीज़ बाकी चार फेरों में मा' मूली चाल चला जाए। इस तवाफ़ में इज़्तिबाअ भी किया जाता है जिसका मतलब ये है कि एहराम की चादर को दाहिनी बग़ल के नीचे से निकालकर बाएँ शाने पर डाल लिया जाए। एक चक्र पूरा करके जब वापस हज़रे अस्वद पर आओ तो हज़रे अस्वद की दुआ पढ़कर उसको चूमा या हाथ लगाया जाए और एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह दूसरा और तीसरा चक्र करें। इन तीनों फेरों में रमल करें। उसके बाद चार फेरे बग़ैर रमल के करें। एक तवाफ़ के लिये ये सात फेरे होते हैं। जिनके बाद बैतुल्लाह का एक तवाफ़ पूरा हो गया।

आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज़ की तरह है। उसमें बातें करना मना है। अल्लाह का ज़िक्र जितना चाहे करे। एक तवाफ़ पूरा कर चुकने के बाद मुक़ामे इब्राहीम पर तवाफ़ की दो रकअत नमाज़ पढ़े। इस पहले तवाफ़ का नाम तवाफ़े कुदूम है। रमल और इज़्तिबाअ उसके सिवा और किसी तवाफ़ में न करना चाहिये। मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ पढ़ने के लिये आते हुए मुक़ामे इब्राहीम को अपने और का'बा शरीफ़ के दरम्यान करके ये आयत पढ़ें, वत्तख़िज़्जू मिम्मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ें। पहली रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इख़लास पढ़ें। अगर इज़्तिबाअ किया हुआ है उसको खोल दे। सलाम फेरकर नीचे लिखी दुआ निहायत आजिज़ी व इंकिसारी से पढ़ें और खुलूसे दिल से अपने और दूसरों के लिये दुआ करें। दुआ ये है,

अल्लाहुम्म इन्नक तअलमु सिरी व अलानिय्यती फ़क्बल मअजरती व तअलमु हाजती फअतिनी सुवाली व तअलमु मा फी नफ़सी फगफ़िली ज़नुबी अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक ईमानन युबाशिरू क़लबी व यक़ीनन स़ादिक़न हत्ता आलमु अन्नहू ला युसीबुनी इल्ला मा कुतिब वरिज़न बिमा कस्समत ली या अहमर्राहिमीन (तबरानी)

या अल्लाह! तू मेरी ज़ाहिर और पोशीदा हालत से वाक़िफ़ है। पस मेरे उज़्रों को कुबूल कर ले। तू मेरी हाजतों से भी वाक़िफ़ है, पस मेरे सवाल को पूरा कर दे। तू मेरे नफ़स की हालत को जानता है, पस मेरे गुनाहों को बख़्श दे। ऐ मौला! मैं ऐसा ईमान चाहता हूँ जो मेरे दिल में रच जाए और यक़ीने स़ादिक़ का तलबगार हूँ यहाँ तक कि मेरे दिल में जम जाए कि मुझे वही दुख पहुँच सकता है जो तू लिख चुका है और मैं क्रिस्मत के लिखे पर हर वक़्त राज़ी ब-रिज़ा हूँ। ऐ सबसे बड़े मेहरबान! तू मेरी दुआ कुबूल कर ले, आमीन!

तवाफ़ की फ़ज़ीलत में अम्र बिन शुऐब अपने बाप से वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि जनाबे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्प्रउ युरीदुत्तवाफ़ बिल्बैति अक्बल यखूज़रहमत फइज़ा दखलहू गमरत्हु धुम्म यफ़उ क़दमन व ला यज़उ क़दमन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन खम्म मिअत हसनतन व हत्त अन्हु खम्मसत मिअत सय्यअतन व रूफ़िअत लहु खम्मस मिअत दरजतन (अल्हदीष) (दुरै मन्बूर जिल्द 1, पेज 120)

या'नी इंसान जब बैतुल्लाह शरीफ़ के तवाफ़ का इरादा करता है जो रहमते इलाही में दाख़िल हो जाता है फिर तवाफ़ शुरू करते वक़्त रहमते इलाही उसको ढांप लेती है फिर वो तवाफ़ में जो भी क़दम उठाता है और ज़मीन पर रखता है; हर क़दम के बदले उसको पांच सौ नेकियाँ मिलती है और पांच सौ गुनाह मुआफ़ होते हैं और पाँच सौ दर्जे बुलन्द किए जाते हैं।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मन ताफ़ बिल्बैति सबअन व सल्ला खल्फ़ल्मक़ामि रकअतैनि व शरिब मिम्माइ ज़मज़म गुफ़िरत ज़नुबहू कुल्लुहा बालिगतुन मा बलगत या'नी जिसने बैतुल्लाह का सात बार तवाफ़ किया फिर मुक़ामे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और ज़मज़म का पानी पीया उसके जितने भी गुनाह हों सब मुआफ़ कर दिये जाते हैं। (दुरै मंसूर)

मसला : तवाफ़ शुरू करते वक़्त हाज़ी अगर मुफ़रद या'नी सिर्फ़ हज का एहराम बाँधकर आया है तो दिल में तवाफ़े कुदूम की निय्यत करे और अगर क़ारिन या तमतोअ है तो तवाफ़े उम्ह की निय्यत करके तवाफ़ शुरू करे। याद रहे कि निय्यत दिल

का फेअल है जुबान से कहने की जरूरत नहीं। बहुत से नावाकिफ़ हाजी जब शुरू में हज्जे अस्वद को आकर बोसा देते हैं और तवाफ़ शुरू करते हैं तो तक्बीरे तहरीमा की तरह तक्बीर कहकर रफ़उलयदैन करके जुबान से निय्यत करते हैं। ये बेपुबूत है, लिहाज़ा इससे बचना चाहिये। (जादुल मआद)

बैहकी की रिवायत में इस क़दर जरूर आया है कि हज्जे अस्वद को बोसा देकर दोनों हाथ को उस पर रखकर फिर उन हाथों को मुँह पर फेर लेने में कोई मुजायका नहीं है।

तवाफ़ करने में मर्द व औरत का एक सा हुकम है। इतना फ़र्क़ जरूर है कि औरत किसी तवाफ़ में रमल और इज्तिबाअ न करे। (जलीलुल मनासिक)

हैज और निफ़ास वाली औरतें सिर्फ़ तवाफ़ न करे बाकी हज्ज के तमाम काम कर ले। हज़रत आइशा (रज़ि.) को हाइज़ा होने की हालत में आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था, **फफ़अली मा यफ़अलुल्हाज्जु गैर अल्ला ततूफी बिल्बैति हत्ता तत्हुरी** (मुत्तफ़क़ अलैहि) या'नी तवाफ़े बैतुल्लाह के सिवा और सब काम कर जो हाजी करते हैं यहाँ तक कि तू पाक हो। अगर हालते हैज़ व निफ़ास में तवाफ़ कर लिया तो तवाफ़ हों गया मगर फ़िदया में एक बकरी या एक ऊँट ज़िब्ह करना लाज़िम है। (फ़त्हुल बारी) मुस्तहाज़ा औरत और सलसले बोल वाले को तवाफ़ करना दुरुस्त है। (मिशकात)

बैतुल्लाह शरीफ़ में पहुँचकर सिवाय उज़े हैज़ व निफ़ास के बाकी किसी तरह और कैसा ही उज़्र क्यूँ न हो जब तक होश व हवास सही तौर पर कायम हैं और रास्ता साफ़ है तो मुहरिम को तवाफ़े कुदूम और सई करना जरूरी है।

तवाफ़ की क्रिस्में : तवाफ़ चार तरह का होता है,

(01) **तवाफ़े कुदूम** : जो बैतुल्लाह शरीफ़ में पहली दफ़ा आते ही हज्जे अस्वद को चूमने के बाद किया जाता है।

(02) **तवाफ़े उम्रह** : जो उम्रह का एहराम बाँधकर किया जाता है।

(03) **तवाफ़े इफ़ाज़ा** : जो दसवीं ज़िल्हिज्ज को यौमे नहर में कुर्बानी वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर और एहराम खोलकर किया जाता है उसको तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं।

(04) **तवाफ़े वदाअ** : जो बैतुल्लाह शरीफ़ से रुख़सत होते आखिरी तवाफ़ किया जाता है।

मसला : बेहतर तो यही है कि हर सात फेरों का जो एक तवाफ़ कहलाता है, उसके बाद मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ पढ़ी जाए। लेकिन अगर चन्द तवाफ़ मिलाकर आखिर में सिर्फ़ दो रकअत पढ़ ली जाएँ तो भी काफ़ी हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने कभी ऐसा भी किया है। (ईज़ाहुल हज्ज)

मसला : तवाफ़े कुदूम, तवाफ़े उम्रह, तवाफ़े वदाअ में उन दो रकअतों के बाद भी हज्जे अस्वद को बोसा देना चाहिये।

तम्बीह : अइम्म-ए-अरबअ और तमाम उलमा-ए-सलफ़ व ख़लफ़ का मुत्तफ़का फ़ैसला है कि चूमना चाटना छूना सिर्फ़ हज्जे अस्वद और रुक्ने यमानी के लिये है। जैसा कि इस रिवायत से ज़ाहिर है, **अनिब्नि उमर क़ाल लम अरन्नबिय्य (ﷺ) यस्तलिमु मिनल्बैति इल्लरुक्नैनिल्यमानिय्यैनि** (मुत्तफ़क़ अलैहि) या'नी इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने सिवाय हज्जे अस्वद और रुक्ने यमानी के बैतुल्लाह की किसी और चीज़ को छूते हुए कभी भी नबी करीम (ﷺ) को नहीं देखा। पस इस्तिलाम सिर्फ़ उन दो ही के लिये है। उनके अलावा मसाजिद हों या मकाबिरे औलिया व सुलहा हों या हुज़रात व मग़ाराते रसुल हों या और तारीख़ी यादगारों हों किसी को चूमना चाटना छूना हर्गिज़-हर्गिज़ जाइज़ नहीं बल्कि ऐसा करना बिदअत है। जमाअते सलफ़े उम्मत (रह.) मुक़ामे इब्राहीम और अहज़ारे मक्का को बोसा देने से क़तअन मना किया करते हैं। पस हाजी साहबान को चाहिये कि हज्जे अस्वद और रुक्ने यमानी के सिवा और किसी जगह के साथ ये मुआमलात बिलकुल न करें वरना नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम की मिघ़ाल सादिक़ आएगी।

बहुत से नावाकिफ़ भाई मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत पढ़ने के बाद मुक़ामे इब्राहीम के दरवाज़े की जालियों को

पकड़कर और कड़ों में हाथ डालकर दुआएँ करते हैं। ये भी अवाम की ईजाद है जिसका सलफ़ से कोई षुबूत नहीं। पस ऐसी बिदात से बचना ज़रूरी है। बिदात एक ज़हर है जो तमाम नेकियों को बर्बाद कर देती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मन अहदफ़ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फ़हुव रहुन (मुत्फ़क़ अलैहि) या'नी जिसने हमारे इस दीन में अपनी तरफ़ से कोई नया काम ईजाद किया जिसका पता इस दीन में न हो वो मर्दूद है।

मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ अदा करके मुक़ामे मुल्तज़िम पर आना चाहिये। ये जगह हज़रे अस्वद और खान-ए-का'बा के दरवाज़े के बीच में है। यहाँ पर सात फेरों के बाद दो रकअत नमाज़ के बाद आना चाहिये। ये दुआ की कुबूलियत का मुक़ाम है यहाँ का पर्दा पकड़कर खाना का'बा से लिपटकर दीवार पर गाल रखकर हाथ फैलाकर दिल खोलकर ख़ूब रो-रो कर दीन व दुनिया की भलाई के लिये दुआएँ करें। उस मुक़ाम पर ये दुआ भी मुनासिब है,

अल्लाहुम्म लकलहम्दु हम्दन युवाफ़ी निअमक व युकाफ़ी मज़ीदक अहमदुक बिजमीइ महामदिक मा अलिम्तु व मा लम आलम अला जमीइ निअमिक मा अलिम्तु मिन्हा व मा लम आलम व अला कुल्लि हालिन अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्म अइज़नी मिन कुल्लि सूइन व कनअनी बिमा रज़व्रतनी व बारिक ली फ़ीहि अल्लाहुम्मजअल्ली मिन अक़मि वफ़दिक इन्दक व अल्जिम्नी सबीलल्इस्ति कामति हत्ता अल्क़ाक़ या रब्बलआलमीन (अज़कार नववी)

(तर्जुमा) या अल्लाह! कुल ता'रीफ़ों का मुस्तहिक़ तू ही है मैं तेरी वो ता'रीफ़ करता हूँ जो तेरी दी हुई नेअमतों का शुक्रिया हो सकें और उस शुक्रिया पर जो नेअमतें तेरी जानिब से ज्यादा मिली उनका बदला हो सकें। फिर मैं तेरी उन नेअमतों को जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, सब ही का उन ख़ूबियों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका मुझको इल्म है और जिनका नहीं। ग़र्ज हर हाल में तेरी ही ता'रीफ़ करता हूँ। ऐ अल्लाह! तू अपने हबीब मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर दरूदो सलाम भेज। या अल्लाह! तू मुझको शैतान मर्दूद से और हर बुराई से पनाह में रख और जो कुछ तूने मुझको दिया है उस पर क़नाअत की तौफ़ीक़ अत्ता कर और उसमें बरकत दे। या अल्लाह! तू मुझको बेहतरीन मेहमानों में शामिल कर और मरते दम तक मुझको तू सीधे रास्ते पर ष़ाबित क़दम रख यहाँ तक कि मेरी तुझसे मुलाक़ात हो।

ये तवाफ़ जो किया गया तवाफ़े कुदूम कहलाता है। जो मक्का शरीफ़ या मीक़ात के अंदर रहते हैं, उनके लिये ये सुन्नत नहीं है और जो उम्ह्र की नियत से मक्का में आएँ उन पर भी तवाफ़े कुदूम नहीं है। इस तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर फिर हज़रे अस्वद का इस्तिलाम किया जाए कि ये इफ़्तिताहे सई का इस्तिलाम है। फिर कमानेदार दरवाज़े से निकलकर सीधे बाबे सफ़ा की तरफ़ जाएँ और बाबे सफ़ा से निकलते वक़्त ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिग़ फ़िली जुनूबी वफ़्तहली अब्बाब फ़ज़्लक़ (तिर्मिज़ी)

(तर्जुमा) 'अल्लाह के मुक़द्दस नाम की बरकत से और अल्लाह के प्यारे रसूल पर दरूदो-सलाम भेजता हुआ बाहर निकलता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपने फ़ज़लो-करम के दरवाज़े खोल दे। इस दुआ को करते हुए पहले बायाँ क़दम मस्जिदे ह़राम से बाहर किया जाए फिर दायँ।

कोहे सफ़ा पर चढ़ाई : बाबे सफ़ा से निकलकर सीधे कोहे सफ़ा पर जाएँ। क़रीब होने पर आयते शरीफ़ा इन्नस्सफ़ा वल्मर्वत शआइरिल्लाहि तिलावत करें फिर कहें अब्दउ बिमा बदअल्लाहु (चूँकि अल्लाह तआला ने ज़िक़्र में पहले सफ़ा का नाम लिया है इसलिये मैं भी पहले सफ़ा ही से सई शुरू करता हूँ) ये कहकर सीढ़ियों से पहाड़ी के ऊपर इतना चढ़ जाएँ कि बैतुल्लाह शरीफ़ का पर्दा दिखाई देने लगे। नबी करीम (ﷺ) ने ऐसा ही किया था। जैसा कि इस रिवायत से जाहिर है,

अन अबी हुरैरत क़ाल अक़बल रसूलुल्लाहि (ﷺ) फदख़ल मक्कत फअकबल इलल्हज़ि फस्तलमहू धुम्म ताफ़ बिल्बैति धुम्म ताफ़ बिल्बैति धुम्म अतस्सफ़ा फअलाहू हत्ता यन्ज़ुर इलल्बैति अल्हदीष (खाहु अबू दाऊद) या'नी अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब मक्का शरीफ़ में दाख़िल हुए तो आपने हज़रे अस्वद का इस्तिलाम किया फिर तवाफ़

किया, फिर आप सफ़ा के ऊपर चढ़ गये यहाँ तक कि बैतुल्लाह आपको नज़र आने लगा।

पस अब क़िब्ला रू होकर दोनों हाथ उठाकर पहले तीन बार खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहें। फिर ये दुआ पढ़ें,

ला इलाहा इल्लल्लाहु वट्टुहु अल्लाहु अक्बरु ला इलाहा इल्लल्लाहु वट्टुहु ला शरीक लहु लहुलमुल्कु व लहुल्हम्दु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वट्टुहु अन्जिज़ वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मलअहज़ाब वहदहू (मुस्लिम)

या'नी अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क का असली मालिक वही है, उसी के लिये तमाम ता'रीफें हैं। वो जो चाहे सो हो सकता है, उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, वो अकेला है जिसने इस्लाम के ग़लबे की बाबत अपना वादा पूरा किया और अपने बन्दे की इम्दाद की और उस अकेले ने तमाम कुफ़्रार व मुशिकीन के लश्करो को भगा दिया।

इस दुआ को पढ़कर फिर दरूद शरीफ़ पढ़ें फिर ख़ूब-दिल लगाकर जो चाहें दुआ मांगें, तीन दफ़ा उसी तरह नारा तक्बीर तीन-तीन बार बुलन्द करके मज्कूरा बाला दुआ पढ़कर दरूद शरीफ़ के बाद दुआएँ करें, ये दुआ की कुबूलियत की जगह है। फिर वापसी से पहले नीचे लिखी दुआ पढ़कर हाथों को मुँह पर फेर लें।

अल्लाहुम्म इन्नक कुल्त उदऊनी अस्तजिब लकुम व इन्नक ला तुखिलफुल्मीआद इन्नी अस्अलुक कमा हदैतनी लिल्इस्लाम अल्ला तज्जिअहु मिन्नी हत्ता तवफ़्फ़नी व अना मुस्लिम (मुअता) या अल्लाह! तूने दुआ कुबूल करने का वादा किया है तू कभी वादा ख़िलाफ़ी नहीं करता। पस तू ने जिस तरह मुझे इस्लामी ज़िन्दगी नसीब की है उसी तरह मौत भी मुझको इस्लाम की हालत में नसीब फ़र्मा, आमीन!

सफ़ा और मरवा के दरम्यान सई : सफ़ा और मरवा के दरम्यान दौड़ने को सई कहते हैं (ﷺ), ये फ़राइज़े हज्ज में दाख़िल है जैसा कि मन्दर्जा ज़ेल हदीष से जाहिर है।

अन सफ़यत बिन्ति शैबत क़ालत अख़बर्तनी बिन्तु अबी तुज़ारत क़ालत दख़लतु मअ निस्वति मिन कुरैश दार आलि अबी हुसैन नन्ज़ुरू इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) व हुव यस्आ बैनस्सफ़ा वल्मर्वा फ़रायतुह यस्आ व इन्न मीज़रहू लियदूर मिन शिद्दतिस्सअयि व समिअहु यकूलु इस्औ फइन्नल्लाह कतब अलैकुमस्सअय (रवाह फ़ी शर्हिस्सुनति) या'नी सफ़िया बिन्ते शैबा रिवायत करती हैं कि मुझे बिन्ते अबी तज़राह ने ख़बर दी कि मैं कुरैश की चन्द औरतों के साथ आले अबू हुसैन के घर दाख़िल हुई। हम नबी करीम (ﷺ) को सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करते हुए देख रही थीं। मैंने देखा कि आप सई कर रहे थे और शिद्दते सई की वजह से आपकी इज़ारे मुबारक हिल रही थी। आप फ़र्माते जाते थे लोगों! सई करो, अल्लाह ने इस सई को तुम पर फ़र्ज़ किया है।

पस अब सफ़ा से उतरकर रब्बिग़फ़िर वर्हम इन्नक अन्तल्अइज़ज़ुल्अक्रम (तब्रानी) पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलें। जब सबज़ मील के पास पहुँच जाएँ (जो बाएँ तरफ़ मस्जिदे ह़राम की दीवार से मिली हुई मन्सूब है) तो यहाँ से रमल करें या'नी तेज़ रफ़्तार दौड़ते हुए दूसरे सबज़ मील तक जाएँ (जो कि हज़रत अब्बास रज़ि. के घर के मुक़ाबिल है) फिर यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चाल पर चलते हुए मरवा पहुँचें। रास्ते में ऊपर ज़िक्र की गई दुआ पढ़ते रहें। जब मरवा पहुँचें तो पहले दूसरी सीढ़ी पर चढ़कर बैतुल्लाह की जानिब रुख़ करके खड़े हों और थोड़ा सा दाहिनी तरफ़ माइल हो जाएँ ताकि का'बा का इस्तिक्बाल अच्छी तरह हो जाए अगरचे यहाँ से बैतुल्लाह बवजहे इमारत के नज़र नहीं आता। फिर सफ़ा की दुआएँ यहाँ भी उसी तरह पढ़ें जिस तरह सफ़ा पर पढ़ी थीं। और काफ़ी देर तक ज़िक्रो-दुआ में मशगूल रहें कि ये भी दुआ की कुबूलियत की जगह है। फिर वापस सफ़ा को रब्बिग़फ़िर वर्हम पूरी दुआ पढ़ते हुए मा'मूली चाल से सबज़ मील तक चलें। फिर यहाँ से दूसरे मील तक तेज़ चलें। इस मील पर पहुँचकर मा'मूली चाल से सफ़ा पर पहुँचें। सफ़ा से मरवा तक आना सई का एक चक्कर कहलाता है। सफ़ा पर वापस पहुँचने से सई का दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। इसी तरह सात चक्कर पूरे करने होंगे। सातवां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। हर चक्कर में ऊपर ज़िक्र की गई दुआओं के अलावा सुबहानल्लाहि

वलहमुदुलिल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाहु खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहिये। चूँकि ज़मीन ऊँची होती चली गई इसलिये सफ़ा मरवा की सीढ़ियाँ ज़मीन में दब गई हैं और अब पहली ही सीढ़ी पर खड़े होने से बैतुल्लाह का नज़र आना मुम्किन है। लिहाज़ा अब कई दर्जों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। सई में किसी किस्म की तख़सीस औरत के लिये नहीं आई। मर्द-औरत एक ही हुक्म में हैं।

ज़रूरी मसाईल : तवाफ़ या सई की हालत में नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाए तो तवाफ़ या सई को छोड़कर जमाअत में शामिल हो जाना चाहिये। नीज़ पेशाब या पायखाना या और कोई ज़रूरी हाज़त दरपेश हो तो उससे फ़ारिग होकर बावुजू जहाँ तवाफ़ या सई को छोड़ा था वहीँ से बाक़ी को पूरा करे। बीमार को पकड़कर या चारपाई या सवारी पर बिठाकर तवाफ़ व सई करानी जाइज़ है। कुदामा बिन अब्दुल्लाह बिन अम्मार रिवायत करते हैं, राइतु रसूलुल्लाहि (ﷺ) यस्आ बैनस्सफ़ा वल्मर्वा अला बईरिन (मिशकात) मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा। आप ऊँट पर सवार होकर सफ़ा मरवा के दरम्यान सई कर रहे थे। इस पर हाफ़िज़ इब्ने हज़र (रह.) फ़तहल बारी में लिखते हैं कि उज़्र की वजह से आपने तवाफ़ व सई में सवारी का इस्तेमाल किया था।

कारिन हज्ज और उम्रह का तवाफ़ और सई एक ही करे। हज्ज व उम्रह के लिये अलग अलग दोबार तवाफ़ व सई करने की ज़रूरत नहीं है। (मुत्फ़क़ अलैहि) औरतें तवाफ़ व सई में मर्दों में ख़लत-मलत होकर न चलें। (सहीहैन)

सई के बाद : सफ़ा और मरवा की सई से फ़ारिग होने के बाद अगर हज्जे तमत्तोअ का इरादा से एहराम बाँधा गया था तो अब हजामत कराकर हलाल हो जाना चाहिये और एहरामे हज्ज क़िरान या हज्जे इफ़राद का था तो न तो हजामत करानी चाहिये न एहराम खोलना चाहिये। हज्जे तमत्तोअ करने वाले के लिये मुनासिब है कि मरवा पर बाल कतरवा दे और दसवीं ज़िल्हिज्ज को मिना में बाल मुँडवाए। औरत को बाल मुँडवाने मना है। हाँ चुटिया की थोड़ी सी नोक कतर देनी चाहिये। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मफ़ूअन मरवी है, लैस अलन्निसाइ अल्हलकु इन्नमा अलन्निसाइ अत्तक्सीर (अबू दारुद) या 'नी औरतों के लिये सर मुँडवाना नहीं है बल्कि सिर्फ़ चुटिया में से चन्द बाल काट डालना काफी है। इन सब कामों से फ़ारिग होकर ज़मज़म के कुँए पर आकर ज़मज़म का पानी पीना चाहिये। इस क़दर कि पेट और पसलियाँ खूब तन जाएँ। आँहज़रत (ﷺ) फ़माते हैं कि मुनाफ़िक़ इतना नहीं पीता कि उसकी पसलियाँ तन जाएँ। आबे ज़मज़म जिस इरादे से पीया जाए वो पूरा होता है। शिफ़ा के इरादे से पिया जाए तो शिफ़ा मिलती है। भूख-प्यास की दूरी के लिये पीया जाए तो भूख-प्यास दूर होती है और अगर दुश्मन के डर से, किसी आफ़त के डर से, रोज़े महशर की घबराहट से महफूज़ रहने की नियत से पिया जाए तो उससे अल्लाह तआला अमन देता है। (हाकिम, दारे कुत्नी वग़ैरह)

आबे ज़मज़म पीने के आदाब : ज़मज़म शरीफ़ का पानी क़िब्ला रुख़ होकर खड़े होकर पीना चाहिये। दरम्यान में तीन सांस लें। हर दफ़ा में शुरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर में अल्हमुदुलिल्लाह पढ़ना चाहिये और पीते वक़्त ये दुआ पढ़नी चाहिये।

अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक इल्मन नाफ़िअन व रिज़क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन (हाकिम, दारकुत्नी) या अल्लाह! मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म और फ़राख़ रोज़ी और हर बीमारी से शफ़ा चाहता हूँ।

बाब 81 : हैज़ वाली औरत बैतुल्लाह के तवाफ़ के सिवा तमाम अरकान बजा लाए

٨١- بَابُ تَقْضِي الْحَائِضِ

الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالنِّبْتِ

और अगर किसी ने सफ़ा और मरवा की सई बग़ैर वुजू कर ली तो क्या हुक्म है?

وَإِذَا سَقَى عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ بَيْنَ الْمَنَافَاةِ وَالْمَزْمُورَةِ

तशरीह :

बाब की हदीषों से पहला हुक्म प्राबित होता है लेकिन दूसरे हुक्म का उनमें ज़िक्र नहीं है और शायद ये इमाम बुखारी (रह.) ने इस हदीष के दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा किया है जिस में इमाम मालिक (रह.) से इतना ज़्यादा मन्कूल है कि सफ़ा व मरवा का तवाफ़ भी न करे। इब्ने अब्दुल बर ने कहा इस ज़्यादात को सिर्फ़ यह्या बिन यह्या

नीसापूरी ने नक़ल किया है और इब्ने अबी शैबा ने ब-इस्नादे सहीह इब्ने उमर (रज़ि.) से नक़ल किया कि हैज़ वाली औरत सब काम करे मगर बैतुल्लाह और सफ़ा मरवा का तवाफ़ न करे। इब्ने बत्ताल ने कहा इमाम बुखारी (रह.) ने दूसरा मतलब बाब की हदीष से यूँ निकाला कि उसमें यूँ है सब काम करे जैसे हाजी करते हैं सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे, तो मा'लूम हुआ कि सफ़ा-मरवा का तवाफ़ बेवज़ू और बेतहारत दुरुस्त है और इब्ने अबी शैबा ने इब्ने उमर (रज़ि.) से निकाला कि अगर तवाफ़ के बाद औरत को हैज़ आ जाए सफ़ा मरवा की सई से पहले तो सफ़ा मरवा की सई करे (वहीदी)

1650. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम ने, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका (रज़ि.) ने उन्होंने फ़र्माया कि मैं मक्का आई तो उस वक़्त में हाइज़ा थी। इसलिये बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी और न सफ़ा मरवा की सई। उन्होंने बयान किया कि मैंने उसकी शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की तो आपने फ़र्माया कि जिस तरह दूसरे हाजी करते हैं तुम भी उसी तरह (अरकाने हज्ज) अदा कर लो। हाँ! बैतुल्लाह का तवाफ़ पाक होने से पहले न करना। (राजेअ : 294)

1651. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब ब्रक़फ़ी ने बयान किया। (दूसरी सनद) और मुझसे ख़लीफ़ा बिन ख़यात ने बयान किया कि हमसे अब्दुल वहाब ब्रक़फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे हबीब मुअल्लम ने बयान किया, उनसे अज़ा बिन अबी रिबाह ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) और आपके अर्रहाब ने हज्ज का एहराम बाँधा। आँहुज़ूर (ﷺ) और तलहा के सिवा और किसी के साथ कुर्बानी नहीं थी, हज़रत अली (रज़ि.) यमन से आए थे और उनके साथ भी कुर्बानी थी। इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि (सब लोग अपने हज्ज के एहराम को) उम्रह का कर लें। फिर तवाफ़ और सई के बाद बाल तरशवा लें और एहराम खोल डालें लेकिन वो लोग इस हुक्म से मुस्तज़ना (अलग) हैं जिनके साथ कुर्बानी हो। इस पर सहाबा ने कहा कि क्या हम मीना में इस तरह जाएँगे कि हमारे ज़कर से मनी टपक रही हो। ये बात जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को मा'लूम हुई तो आपने फ़र्माया, अगर मुझे पहले से मा'लूम होता तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ न लाता और जब कुर्बानी का जानवर साथ न होता तो मैं भी (उम्रह

١٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَتَمَّ أَطْفُؤُا بِالنَّبِيِّ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((أَفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالنَّبِيِّ حَتَّى تَطْهَرِي)). [راجع: ٢٩٤]

١٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِيمَ عَلِيٍّ مِنَ الْيَمَنِ - وَمَعَهُ هَدْيٌ - فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوا عُمْرَةَ وَيَطُوفُوا ثُمَّ يَقْضُوا وَيَحْلُوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوا تَنْطَلِقُ إِلَى مَنِيٍّ وَذَكَرُوا أَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا

और हज्ज के दरम्यान) एहराम खोल डालता और आइशा (रज़ि.) (उस हज्ज में) हाइजा हो गई थीं। इसलिये उन्होंने बैतुल्लाह के तवाफ़ के सिवा और दूसरे अरकाने हज्ज अदा किये, फिर जब पाक हो लीं तो तवाफ़ भी किया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की कि आप सब लोग तो हज्ज और उम्ह्रह दोनों करके जा रहे हैं लेकिन मैंने सिर्फ़ हज्ज ही किया है। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को हुक्म दिया कि उन्हें तन्ईम ले जाएँ (और वहाँ से उम्ह्रह का एहराम बाँधें) इस तरह आइशा (रज़ि.) ने हज्ज के बाद उम्ह्रह किया।

(राजेअ: 1557)

اسْتَدْبَرْتُ مَا أَفْدَيْتُ، وَلَوْ لَا أَنْ مَعِيَ
الْهَدْيَ لَأَخَلْتُ)). وَحَاصَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا،
غَيْرَ أَنَّهُا لَمْ تَطْفُ بِأَيِّتٍ. فَلَمَّا طَهَّرَتْ
طَافَتْ بِأَيِّتٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
تَطْلُقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْتَلِقُ بِحَجٍّ!
فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ
مَعَهَا إِلَى التَّعِيمِ، فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ
الْحَجِّ)). [راجع: ١٥٥٧]

हमसे मुअम्मल बिन हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलिया ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुखितयानी ने और उनसे हफ़सा बिनते सीरीन ने बयान किया कि हम अपनी कुंवारी लड़कियों को बाहर निकलने से रोकते थे। फिर एक ख़ातून आई और बनी ख़ल्फ़ के महल में (जो बसरे में था) ठहरी। उन्होंने बयान किया कि उनकी बहन (उम्मे अत्रिया रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के एक सहाबी के घर में थीं। उनके शौहर ने आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ बारह जिहाद किये थे और मेरी बहन छः जिहादों में उनके साथ रही थीं। वो बयान करती थीं कि हम (मैदाने जंग में) ज़ख़िमियों की मरहम पट्टी करती थीं और मरीज़ों की तीमारदारी करती थीं। मेरी बहन ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि अगर हमारे पास चादर न हो तो क्या कोई हरज है, अगर हम ईदगाह जाने के लिये बाहर न निकलें? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी सहेली को अपनी चादर उसे ओढ़ा देनी चाहिये और फिर मुसलमानों की दुआ और नेक कामों में शिर्कत करनी चाहिये। फिर जब उम्मे अत्रिया (रज़ि.) खुद बसरा आई तो मैंने उनसे भी यही पूछा या ये कहा कि हमने उनसे पूछा उन्होंने बयान किया कि उम्मे अत्रिया (रज़ि.) जब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र करतीं तो कहतीं मेरे बाप आप पर फ़िदा हों। हाँ तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस तरह सुना है? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ मेरे बाप आप पर फ़िदा हों। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कुंवारी लड़कियाँ और पर्दा वालियाँ भी बाहर

١٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ
قَالَتْ: ((كُنَّا نَمْنَعُ عَوَائِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ،
فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَزَلَّتْ قَصْرَ بَيْتِي خَلْفِي،
فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً،
وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ
قَالَتْ: كُنَّا نَدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى
الْمَرْضَى. فَسَأَلْتُ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
هَلْ عَلَى إِخْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ لَهَا
صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَتَشْهَدِ الْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ)). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا
- فَقَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - فَقُلْتُ: أَسْمِعْتِ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ

निकलें या ये फ़र्माया कि पर्दा वाली दोशीज़ाएँ और हाइज़ा औरतें सब बाहर निकले और मुसलमानों की दुआ और ख़ैर के कामों में शिर्कत करें। लेकिन हाइज़ा औरतें नमाज़ की जगह से अलग रहें। मैंने कहा और हाइज़ा भी निकलें? उन्होंने फ़र्माया कि हाइज़ा औरत अरफ़ात और फ़लाँ फ़लाँ जगह नहीं जाती है? (फिर ईदगाह ही जाने में क्या हर्ज है)

(राजेअ: 324)

يَا بِي فَقَالَ: ((لَتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتِ
الْخُدُورِ - أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ
- وَالْحَيْضُ فَيُشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْتَرِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَّ)).
فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوْلَيْسَ تَشْهَدُ
عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا)).

[راجع: ٣٢٤]

तशरीह:

इस हदीष से इमाम बुखारी (रह.) ने ये निकाला कि हैज़ वाली तवाफ़ न करे जो तर्जुमा बाब का एक मतलब था क्योंकि हैज़ वाली औरत को जब नमाज़ के मुक़ाम से अलग रहने का हुक़म हुआ तो का'बा के पास जाना भी उसको जाइज़ नहीं होगा। कुछ ने कहा बाब का दूसरा मतलब भी उससे निकलता है। या'नी सफ़ा मरवा की सई हाइज़ा कर सकती है क्योंकि हाइज़ा अरफ़ात में ठहर सकती है और सफ़ा मरवा अरफ़ात की तरह है। (वहीदी)

तर्जुमा में खुली हुई तहरीफ़: किसी भी मुसलमान का किसी भी मसले के बारे में मसलक कुछ भी हो। मगर जहाँ कुर्आन मजीद व अह्लादीषे नबवी का खुला हुआ मतन सामने आ जाए दयानतदारी का तक्राज़ा ये है कि उसका तर्जुमा बिला कम व कैफ़ बिल्कुल सहीह किया जाए। ख़्वाह इससे हमारे मज़ह्बा मसलक पर कैसी ही चोट क्यों न लगती हो। इसलिये कि अल्लाह और उसके हबीब (ﷺ) का कलाम बड़ी अहमियत रखता है और ज़र्रा बराबर भी तर्जुमा व तशरीह के नाम पर बेशी करना वो बदतरीन जुर्म है जिसकी वजह से यहूदी तबाह व बर्बाद हो गए। अल्लाह पाक ने साफ़ लफ़्ज़ों में उनकी हरकत का नोटिस लिया है। जैसा कि इशार्द है **युहरिफून्लकलिम अम्मवाज़िइही** (अल माइद: 13) या'नी अपनी मक़ाम से आयाते इलाही की तहरीफ़ करना उलमा-ए-यहूद का बदतरीन शैवा था। मगर स़द अफ़सोस कि यही शैवा हमें कुछ उलमा-ए-इस्लाम की तहरीरों में नज़र आता है। जिससे इस कलामे नबवी (ﷺ) की तस्दीक़ होती है जो आपने फ़र्माया कि तुम पहले लोगों यहूद व नसारा के क्रदम ब क्रदम चलोगे और गुमराह हो जाओगे।

असल मसला: औरतों का ईदगाह में जाना यहाँ तक कि कुँवारी लड़कियाँ और हैज़वाली औरतों का निकलना और ईद की दुआओं में शरीक होना ऐसा मसला है जो मुतअद्दिद अह्लादीषे नबवी से प्राबित है और ये मुसल्लम अम्र है कि अहदे रिसालत में सख़ती के साथ इस पर अमल दरामद था और तमाम ख़्वातीने इस्लाम ईदगाह जाया करती थीं। बाद में मुख्तलिफ़ फ़िक्ही ख़्यालात वजूद में आए और मुहतरम उलमा-ए-अहनाफ़ ने औरतों का मैदाने ईदगाह जाना मुत्लकन नाजाइज़ करार दिया है। बहरहाल अपने ख़्यालात के वो खुद ज़िम्मेदार हैं मगर जिन अह्लादीष में अहदे नबवी में औरतों का ईदगाह में जाना मज़कूर है उनके तर्जुमा में रद्दोबदल करना इतिहाई ग़ैर ज़िम्मेदारी है।

और स़द अफ़सोस कि हम मौजूदा तराजिमे बुखारी शरीफ़ में जो उलमा-ए-देवबन्दी के क़लम से निकल रहे हैं ऐसी ग़ैर ज़िम्मेदारियों की बक़़रत मिषालें देखते हैं। तफ़हीमुल बुखारी हमारे सामने है। जिसका तर्जुमा व तशरीहात बहुत मुहतात अंदाज़े पर लिखा गया है। मगर मसलकी तअस्सुब ने कुछ जगह हमारे मुहतरम फ़ाज़िल मुतर्जिम तफ़हीमुल बुखारी को भी जादा ए'तिदाल (संतुलन के केन्द्र बिन्दु) से दूर कर दिया है।

यहाँ हदीषे हफ़्सा के सियाक़ व सबाक़ से साफ़ जाहिर है कि रसूले करीम (ﷺ) से ऐसी औरत के ईदगाह जाने न जाने के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसके पास ओढ़ने के लिये चादर नहीं है। आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि उसकी सहेली को चाहिये कि अपनी चादर में उसको आरिथतन ओढ़ा दे ताकि वो उस ख़ैर और दुआए मुस्लिमीन के मौक़े पर (ईदगाह में) मुसलमानों के साथ शरीक हो सके। उसका तर्जुमा मुतर्जिम मौसूफ़ ने यूँ किया है, 'अगर हमारे पास चादर (बुर्का) न हो तो

क्या कोई हर्ज है अगर हम (मुसलमानों के दीनी इज्तिमाआत में शरीक होने के लिये) बाहर न निकलें? एक बदीउन्नजर से बुखारी शरीफ का मुतालआ करनेवाला इस तर्जुमा को पढ़कर ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ ईदगाह जाने न जाने के बारे में पूछा जा रहा है। दीनी इज्तिमाआत से वा'ज व नसीहत की मजालिस मुराद हो सकती हैं और उन सब में औरतों का शरीक होना बिला इखितालाफ़ जाइज़ है और अहदे नबवी में भी औरतें ऐसे इज्तिमाआत में बराबर शिकत करती थीं। फिर भला इस सवाल का मतलब क्या हो सकता है?

बहरहाल ये तर्जुमा बिलकुल गलत है। अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि उलमा-ए-किराम अपने मज्ऊमा मसालिक से बलन्द होकर एहतियात से कुर्आन व हदीष का तर्जुमा किया करें। वबिल्लाहितौफ़ीक़.

बाब 82 : जो शरहस मक्का में रहता हो वो मिना को जाते वक़्त बट्टहा वग़ैरह मुक़ामों से एहराम बाँधे

और इसी तरह हर मुल्क वाला हाजी जो उम्रह करके मक्का रह गया हो और अत्ता बिन अबी रिबाह से पूछा गया जो शरहस मक्का ही में रहता हो वो हज के लिये लब्बैक कहे तो उन्होंने कहा कि इब्ने उमर (रज़ि.) आठवीं ज़िल्हिज्ज में नमाज़ जुहर पढ़ने के बाद जब सवारी पर अच्छी तरह बैठ जाते तो लब्बैक कहते। अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान ने अत्ता से, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के साथ हम हज्जतुल वदाअ में मक्का आए। फिर आठवीं ज़िल्हिज्ज तक के लिये हम हलाल हो गये और (उस दिन मक्का से निकलते हुए) जब हमने मक्का को अपनी पुश्त पर छोड़ा तो हज्ज का तल्बिया कह रहे थे। अबुज्जुबैर ने जाबिर (रज़ि.) से यून बयान किया कि हमने बट्टहा से एहराम बाँधा था और उबैद बिन जुरैज ने इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा कि जब आप मक्का में थे तो मैंने देखा और तमाम लोगों ने एहराम चाँद देखते ही बाँध लिया था लेकिन आप (ﷺ) ने आठवीं ज़िल्हिज्ज से पहले एहराम नहीं बाँधा। आपने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब तक आप मिना जाने को ऊँटनी पर सवार न हो जाते एहराम उ बाँधते।

तशरीह: यहाँ ये इश्काल पैदा होता है कि आँहज़रत (ﷺ) तो जुलहुलैफ़ा ही से एहराम बाँधकर आए थे और मक्का में हज्ज से फ़ारिग़ होकर आपने एहराम खोला ही नहीं था तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कैसे दलील ली? उसका जवाब ये है कि इब्ने उमर (रज़ि.) का मतलब ये है कि आपने एहराम बाँधते ही हज या उमरे के आमाल शुरू कर दिये और एहराम में और हज के कामों में फ़ासला नहीं किया। पस उससे ये निकल आया कि मक्का का रहने वाला या मुतमतेअ आठवीं तारीख़ से एहराम बाँधे क्योंकि उसी तारीख़ को लोग मिना खाना होते हैं और हज्ज के काम शुरू होते हैं। इब्ने उमर (रज़ि.) के अपर को

۸۲-بَابُ الْإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا
لِمَكِّيٍّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَنَى

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَجَاوِرِ يُلْبَسِي بِالْحَجِّ،
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُلْبَسِي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ
وَاسْتَوَى عَلَى رَأْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بَطْحَاءً لَيْنًا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ.
وَقَالَ عَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ
النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِهْلَالَ وَلَمْ تَهَلْ أَنْتَ
حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: لَمْ أَرِ النَّبِيَّ
ﷺ يَهَلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَأْسَهُ.

सईद बिन मंसूर ने वस्ल किया है। मतलब ये है कि मक्का का रहनेवाला तमत्तोअ करने वाला हज्ज का एहराम मक्का ही से बाँधे और कोई खास जगह की तअय्युन नहीं है कि बस हर मुकाम से एहराम बाँध सकता है और अफज़ल ये है कि अपने घर के दरवाजे से एहराम बाँधे।

बाब 83 : आठवीं ज़िल्हिज्ज को नमाज़े जुह्र कहाँ पढ़ी जाए

1653. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक अज़रक ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफयान घौरी ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ैअ के वास्ते से बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुह्र और अस्र की नमाज़ आठवीं ज़िल्हिज्ज में कहाँ पढ़ी थी? अगर आपको आँहज़रत (ﷺ) से याद है तो मुझे बताइए। उन्होंने जवाब दिया कि मिना में। मैंने पूछा कि बारहवीं तारीख को अस्र कहाँ पढ़ी थी? फ़र्माया कि मुहस्सब में। फिर उन्होंने फ़र्माया कि जिस तरह तुम्हारे हुक्माम करते हैं उसी तरह तुम भी करो। (दीगर मक़ाम : 1654, 1763)

1654. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन अयाश से सुना कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ैअ ने बयान किया, कहा कि मैं अनस (रज़ि.) से मिला (दूसरी सनद) इमाम बुखारी (रह.) ने कहा और मुझसे इस्माइल बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबक्र बिन अयाश ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मैं आठवीं तारीख को मिना गया तो वहाँ अनस (रज़ि.) से मिला। वो गधी पर सवार होकर जा रहे थे। मैंने पूछा नबी करीम (ﷺ) ने उस दिन जुह्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़र्माया देखो जहाँ तुम्हारे हाकिम लोग नमाज़ पढ़ें वहीं तुम भी पढ़ो। (राजेअ : 1653)

तशरीह :

मा'लूम हुआ कि हाकिम और शाहे इस्लाम की इताअत वाजिब है। जब उसका हुक्म खिलाफ़े शरअ न हो और जमाअत के साथ रहना ज़रूरी है। इसमें शक नहीं कि मुस्तहब वही है जो आँहज़रत (ﷺ) ने किया मगर मुस्तहब अमर के लिये हाकिम या जमाअत की मुख़ालफ़त करना बेहतर नहीं। इब्ने मुज़िर ने कहा कि सुन्नत ये है कि इमाम जुह्र और अस्र और मरिब और इशा और सुबह फ़ज़्र की नमाज़ें मिना ही में पढ़ें और मिना की तरफ़ हर वक़्त निकलना दुरुस्त है लेकिन सुन्नत यही है कि आठवीं तारीख को निकले और जुह्र की नमाज़ मिना में जाकर अदा करे। (वहीदी)

छठा पारा पूरा हुआ और इसके बाद सातवाँ पारा शुरू होगा, इशाअल्लाह तआला।

۸۳- بَابُ أَيَّنَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟

۱۶۵۳- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَزِيْعٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَيَّنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِعَيْنِي. قُلْتُ: فَأَيَّنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَيْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَأُوكَ)). [طرفاه في : ۱۶۵۴، ۱۷۶۳]

۱۶۵۴- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَمْعَانَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لَقِيتُ أَنَسَ ح. وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ((خَرَجْتُ إِلَى مَنِي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارِهِ، فَقُلْتُ: ((أَيَّنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: انظُرْ حَيْثُ يُصَلِّيَ أَمْرَأُوكَ فَصَلِّ)).

[راجع : ۱۶۵۳]

मुनाजात (दुआएं)

हकीम मुहम्मद सिद्दीक गौरी

रब्बे-आज़म अर्थे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रबूलउला।

हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद
सिर्फ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।

लामकां, बेखानमां, तू है नही हरगिज़ रफ़ीअ
अर्थ पर है तू यकीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्थ पर होकर भी तू मेरी रबो-जां से करीब
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा।

अर्थ पर है ज्ञात तेरी, इल्मो-कुदरत से करीब
तू हमारे पास है ऐ हज़िरो-नाज़िर खुदा।

अर्थ पर है तू यकीनन और वह 'मकतूब' भी
'तेरी रहमत है फ़जू तेरे ग़ज़ब से ऐ खुदा।

अरबो खरबो रहमतें हो, बरकतें लाखों सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो है मुहम्मद मुस्ताफ़ा।

क्राबिले-तारीफ़ तू है मेरे रबूल आलमीन
तू है रहमानो-रहीमो-मालिके-यौमे-जज़ा।।

हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है
हम मदद चाहते नही, हरगिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अख़लो-आख़िर है तू
फ़कर भी तू दूर कर दे कर्ज़ भी या रब मेरा।

मैं ज़मीनी-आसमां पर डालता हूँ जब नज़र
कोई भी पाता नहीं हूँ मैं 'ख़ुदा' तेरे सिवा।

चौद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर
तेरी कुदरत से अयां है बिलयकीन होना तेरा।

मैं तुझे कुछ जानता हूँ, तेरे कुछ औसाफ़ भी
तू कयामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूँ ज़ाकिर तेरा
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।

फ़ल्बे-मुज्तर को सुकू मिल जाए तेरी याद से
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्माइन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठो पहर, चौसठ घड़ी
तू ही तू दिल में रहे कोई न हो तेरे सिवा।

मैं हमेशा याद रखूँ अपनी मजलिस में तुझे
तू भी मुझको याद रखे अपनी मजलिस में सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी जुबा या रब न हो
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर
माही-ए-बेआब हो बेज़िक्रये बन्दा तेरा।

मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊँ करीब
गोया तहतुल अर्थ में हूँ तेरे कदमों में पड़ा।

हालते सद-यास में भी ऐ खुदा तेरी कसम
जी न हारूँ और मैं करता रहूँ तुझसे दुआ।

बह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी
नाक रगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं मांगूँ दुआ।

तेरे आगे आजिजाना, दस्त बस्ता, सर नगूँ
मैं रहूँ या रब खड़ा भी तेरे कदमों में पड़ा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की कसम
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो जिस से टल जाए पहाड़
ग़ार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से खुदा।

हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अंगर तक्सीम हो
तेरे बन्दों पर तो बरहो जाए लाखों बे-सज़ा।

नेकियों में तू बदल दे और उनको बरहो दे
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को खुदा।

हज़ मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हो
दे तिजारत तू भी वह जिसमें न हो घाटा ज़रा।

तेरी मर्जी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी
ख़ाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।

जो कसम खाई या खाऊँ तुझ पे करके ऐतमाद
मअ फ़लाहे दोजहां के साथ पूरी हो खुदा।